

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारत की शासन प्रणाली

(Indian Political System)

राजस्थान विश्वविद्यालय के नये कोर्स के अनुसार

डॉ० दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी

एम ए पी एच डी

अध्यक्ष राजनीतिशास्त्र विभाग

जे डी कॉलेज बड़ोत ।

(मराठ विश्वविद्यालय)

SYLLABUS

Paper II Indian Political System

The syllabus would cover in the main the following items

- 1 Landmarks in India's National Movement 1885-1947
- 2 The Constituent Assembly—its structure and approach
- 3 Outline of Indian Constitution—Federalism , The Indian Presidency, Office of Prime Minister , Parliament, Office of Governor , Supreme Court and Judicial Review
- 4 The Nature and determinants of Indian Politics
- 5 The Party System and Pressure Groups
- 6 Elections
- 7 India's Foreign Policy

प्रस्तावना

किसी भी देश के साविधानि-तंत्र तथा उसकी राजनीति का उसके ऐतिहासिक सन्दर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। भारत इस मामलाय नियम का अपवाद नहीं है। जिन लोगों ने भारत की औपनिवेशिक दामना के विरुद्ध संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया था उन्हीं लोगों ने स्वाधीन भारत के संविधान की रचना की थी तथा वही लोग एक नव्य समय तक स्वतंत्रता के लिए की भारतीय राजनीति पर छाया रखे थे। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में विचिन्तित पाठ्य सामग्री यथाथ में एक प्रकार की अवयवा एकता की रचना करनी है।

पुस्तक का प्रणयन सामान्यतः विश्वविद्यालय के दो ए. ए. करने पाठ्य क्रम को ध्यान में रखकर किया गया है। पुस्तक दो खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में राष्ट्रीय आन्दोलन की विवेचना है और उस समय का महत्वपूर्ण घटनाओं के राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे खण्ड में जहाँ सामाजिक ढाँचे की विवेचना है वहाँ उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि उस ढाँचे में पाठ्य जान बानी संस्थाओं ने देश की बनती हुई सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित किया है अथवा वे स्वयं उनसे प्रभावित होकर अपने आपको बनाने के लिए विवश हुई हैं।

पुस्तक के सम्बन्ध में एक निवेदन और है। घटनाओं और संस्थाओं का सभी अंशों में अन्वेषण में देखते हैं। यद्यपि इस पुस्तक में विचिन्तित सामग्री को यथासम्भव वस्तुनिष्ठ ढंग का प्रयत्न किया गया है तथापि लेखक ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर उनकी विवेचना करने के अपने मूल अधिकार को निराजित नहीं दी है। फलतः बन्त सम्भव है कि इसके कारण इस पुस्तक में कुछ ऐसी स्थापनाएँ हों जिनमें पाठक सहमत न हों सकें। परन्तु यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि लेखक का विश्वास है कि वैचारिक प्रगति की प्रक्रिया द्वैतात्मक होती है। चार्ज और प्रतिवाचक के टकराव के परिणामस्वरूप ही सच्चाई की रचना होती है। पुस्तक के विषय में भेजे जाने वाले सभी मुझावा का स्वागत है।

दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी

विषय-सूची

1

राष्ट्रीय आन्दोलन के ऐतिहासिक चरण

1	राष्ट्रीय चेतना का अभ्युदय ✓	1
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ✓	12
3	राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक युग	28
4	उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय ✓	47
5	क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन	69
6	मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अभ्युदय	78
7	प्रथम विश्व-युद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन ✓	84
8	असहयोग आन्दोलन ✓	95
9	स्वराज्य दल ✓	107
10	पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पृष्ठभूमि	113
11	सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोल मेज सम्मेलन	125
12	भारतीय शासन अधिनियम 1935 कार्यान्विति ✓	158
13	द्वितीय विश्व-युद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन	148
14	ब्रिटिश शासन का अवनत काल	183
15	मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन	195

2

भारत की शासन व्यवस्था की रूपरेखा

1	संविधान सभा संरचना तथा उपागम ✓	1
2	संविधान के स्रोत ✓	17
3	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	21
4	संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त	29
5	मध्यम कार्यपालिका ✓	49
6	संघीय व्यवस्थापिका ✓	67
7	मध्यम न्यायपालिका ✓	89
8	राज्यों और मध्यम क्षेत्रों का शासन	100
9	भारतीय संघवाद का स्वरूप ✓	119
10	सांविधानिक मनोधन और उमनी प्रक्रिया	141
11	संविधान एवं निर्वाचन	149
12	राजनीतिज्ञ दल ✓	156
13	दवाय संघ ✓	187
14	भारतीय राजतन्त्र की समस्याएँ	194
15	भारतीय राजनीति के निर्धारक तन्त्र ✓	202
16	भारत की विदेश नीति ✓	209

1857 स पहल

भारत मे एकछत्र साम्राज्य का अन्त—1707 म मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हा ज्ञान पर भारत म एकछत्र मुगल साम्राज्य का भी अन्त होने लगा । देश क विभिन्न भागा क प्रांतीय सूत्रार या नवाब स्वतंत्र होन गय । कुछ भागा म हिंदू राजाआ न अपनी स्वतंत्र गियासतें बना ली । उधर मराठ भी स्वतंत्र हो गय पंजाब म सिखवा न भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया । यह क्रम जारी रहा और भारत क दंगी राजा तथा नवाबा की स्वीधीन गियासत स्थापित करन की एसी प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि उनम पारम्परिक युद्ध होने रहे और राष्ट्रीय एकता की भावना क विकास को कोई अवसर नहीं मिला ।

यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों की गतिविधियाँ—उन बीच यूरोप की फ्रांसीसी डच प्रतगाल तथा ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियाँ ममुनी माग स भारत म व्यापार करन था रही थी । उन्होंने दक्षिण भारत क विभिन्न नगरा म दली राजा तथा नवाबा की आज्ञा प्राप्त करके अपनी व्यापारिक कोठियाँ निर्मित की और उनकी सुरक्षा के निमित्त अपनी छोटी छोटी सेनायें भी रख ली । प्रारम्भ म इन कम्पनियो क मध्य पारम्परिक युद्ध हुए और अन्त म उनके मध्य के युद्धा तथा मधिया का परिणाम यह हुआ कि भारत म ब्रिटन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही सबसे प्रबल मिल्क हुई । फ्रांसीसी और पुतगाली बस्तिया पाटीचरी गोवा दमन दीव म ही अन्त तक बनी रही और डच कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो गया । ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी न अपनी इस विजय का न कवन आर्थिक लाभ ही उठाया अपितु वह भारत म राजनातिक गतिविधियाँ भी बढ़ात लगी ।

यूरोपीय साम्राज्यवादी उद्देश्य—यह युग यूरोपीय साम्राज्यवाद का युग था जिसमे इंग्लैण्ड साम्राज्यवादी देशा का सिरमौर बनता जा रहा था । उस युग क साम्राज्यवाद का प्रमुख उद्देश्य एशिया तथा अफ्रीका क विभिन्न देशा म अपन साम्राज्य का विस्तार करना था ताकि उन साम्राज्यवादी देशा के पूजीपति व्यापारी तथा उद्योगपति अपन साम्राज्य क उपनिवेशा का आर्थिक शोषण कर सकें । इन देशा स कच्चा मान प्राप्त करके अपन देश क कारखाना को चलाते उनम उत्पादित मान का उपनिवेशा म बिकन तथा उन उपनिवेशा म अपनी अनिर्दिष्ट पूजी को लगा कर उनका शोषण करन म सफल हो सकें । यह तभी सम्भव था जबकि उपनिवेशा म उनका निरंकुश शासन स्थापित हो जाता ।

अत यद्यपि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी मूल रूप स कवन एक व्यापारिक कम्पनी थी तथापि उसके भारत स्थित अधिकारिया तथा कमचारिया न अपने देश की सरकार तथा इंग्लैण्ड स्थित कम्पनी के अधिकारियो को यह समाधान करन म सफलता प्राप्त कर ली कि कम्पनी के मानिका तथा समूचे रूप म इंग्लैण्ड का हित इसी बात पर निर्भर करता है कि भारत म इंग्लैण्ड का साम्राज्य स्थापित हो जाये कम्पनी क भारत स्थित शासका तथा अधिकारिया ने अपन उन उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त भारतीय राजा तथा नवाबा के पारस्परिक युद्धा तथा कलहा का पूर्ण लाभ उठाने म कोई कमी नहीं रख छोटी । इन्होंने युद्धरत पक्षा म से यथावसर एक का पक्ष लेकर उनम अिताया और पुरस्कार-स्वरूप अपन व्यापार क्षेत्र का विकास किया । 1600 म उनके दल से बर्ष

की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार क्षेत्र भारत के सम्पूर्ण समुद्रतटीय प्रदेशों से लेकर पर्याप्त दूर तक आन्तरिक क्षेत्रों में फैल गया।

1757 से लेकर 1857 तक की शताब्दी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास तथा विस्तार का काल है। 1757 के प्लासी के युद्ध में कम्पनी के अधिकारियों ने जो महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका प्रस्तुत की वह भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना का श्रीगणेश सिद्ध हुई। इसके फलस्वरूप कम्पनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् 1772 तक कम्पनी की यह अधिकार सीमा विहार, उड़ीसा तथा अवध के प्रान्तों तक विस्तृत हो गयी। जब यह स्पष्ट हो गया कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में केवल व्यापार करने वाली कम्पनी मात्र नहीं है, अतः उसके हाथ में भारत के पर्याप्त बड़े क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी आ गया है। इंग्लैण्ड की तत्कालीन सरकार ने यह अनुभव किया कि जब तक कम्पनी के ऊपर ससद का पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रहेगा तब तक वह भारत में शासन-कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर सकेगी। अतः कम्पनी के कार्य-कलापों का नियमन करने के हेतु 1773 में ब्रिटिश ससद ने रेग्युलैटिंग एक्ट पास किया। इसके अनुसार कम्पनी के अधिकार-क्षेत्र में आ गये भारतीय प्रदेशों की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून बनाया गया। यहाँ से ब्रिटिश भारत के साविधानिक विकास का श्रीगणेश हुआ।

1773 से लेकर 1853 तक प्रति 20 वर्ष के उपरान्त कम्पनी के चार्टर कानूनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन होता गया। साथ ही भारत स्थित कम्पनी के शासकों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता तथा प्रेरणा लेकर देश में साम्राज्य विस्तार का क्रम जारी रखा। 1857 तक समूचा भारत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के अधीन हो गया। थोड़े से देशी राजा तथा नवाब अभी तक स्वतन्त्र थे, परन्तु भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी की नीति ऐसी थी जिसके अनुसार सम्भवतः थोड़े ही समय में इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता।

1857 का विद्रोह तथा भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति के कारण

1857 की घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया। यों कहना चाहिए कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों की साम्राज्य विस्तार तथा शोषण की नीति ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति करने का अवसर प्रदान किया। निम्नांकित परिच्छेदों में उन तथ्यों का विवेचन किया गया है जो ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल की प्रमुख नीतियों को प्रदर्शित करते हैं और जिनके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति होने लगी।

(1) अंग्रेजों की साम्राज्य लिप्ता—कुछ लोगों की धारणा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कोई निश्चित तथा नियोजित उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह बात 'अवसरवशात् तथा अकस्मात्' हो गयी, परन्तु इस धारणा में कोई सत्याश नहीं है। निम्नान्वेष्ट, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आये थे। परन्तु यदि उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना ही होता तो कम्पनी के शासकों को भारतीय प्रदेशों के पारम्परिक युद्धों में किसी एक का पक्ष लेने का कोई औचित्य नहीं था। इसके उपरान्त बंगाल में पहले दीवानी का अधिकार प्राप्त करके द्वैत शासन की नीति अपनाना और बाद में शनैः शनैः वान्तविक शासक हो जाना, उनकी सुनियोजित साम्राज्यवादी राजनीतिक गतिविधियों का ज्वलन्त प्रमाण है। यदि इंग्लैण्ड की सरकार भारत में साम्राज्य स्थापित करने की उच्छ्रित न होती तो उसे क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकलापों को अन्वीकार कर देना चाहिए था, जबकि स्वयं इंग्लैण्ड में भी अनेक राजनेताओं ने इनका कड़ा विरोध किया था। वान्तविकता यह थी कि इंग्लैण्ड उन युग में साम्राज्य विस्तार के कार्य में लीन था जो इंग्लैण्ड का राजनीतिक तथा आर्थिक हित इसी में था कि वह एशियाई देशों में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करके वहाँ शोषण नीति अपनाकर लाभान्वित हो सके। अतः भारत में कम्पनी के अतिरागिनों ने इंग्लैण्ड की उन साम्राज्य लिप्ता को नफन करने में यहाँ की परि-

स्वियनिया का पूरा लाभ उठाया और इंग्लैंड की सरकार ने निरंतर इन नाति का अपना पूरा ममधन प्रदान किया उस प्रामाणिक करने में काम बनी नहीं रयी तथा इस काम में पूरा सहायता प्रदान की और अन्त कम्पनी की अशुभता दगाकर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। जब भारतवासी इस नीति को अपनी भाँति समझने लग गये तो उनमें ब्रिटिश साम्राज्य को ममाप्त करने की भावना जाग्रत होन लगी।

(2) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शासन नीतियाँ—साम्राज्यवाद के औचित्य को 'व्हाइट मैन का दायित्व' (white man's burden) की संज्ञा देकर व्यक्त किया जाना रहा है। अने ही किमी अत्यन्त निन्दे तथा अमम्य क्षेत्र के सम्बन्ध में यह धारणा सही सिद्ध हुई है परन्तु भारत सहित देशों के सम्बन्ध में जो शिक्षा संस्कृति एवं राजनीतिक क्षमता में अग्रज जाति की अपेक्षा जति प्राचीन काल में ही अधिक विकसित अब था म था यह धारणा कोई अब नहीं रखनी। यह ता तत्कालीन भारत की राजनीतिक अस्तव्यस्तता का कुप्रभाव था कि यहाँ का आर्थिक विकास पाश्चात्य देशों के समानतर रहा चल रहा था जिसके कारण यूरोप के पूँजीवादी देशों को यहाँ अपनी श्रेष्ठतर स्थिति प्रदान करने का बहाना मिल गया। अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर देने पर अग्रजों को यहाँ रेल तार टाक की व्यवस्था तथा थोड़े से कारखानों का स्थापित करना पडा। परन्तु यह सब उठाने भारत की जनता के हितों में नहीं था कि अपने शासनकाल को सुदृढ़ बनाने की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ही किया। सम्भवतः यदि भारत का राजनीतिक तंत्र सुदृढ़ होता और यहाँ का शासन भारतीयों के हाथ में होता तो औद्योगिक विकास में भारत पश्चिम के देशों की तुलना में अधिक उन्नत हो गया होता। वास्तव में इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शासन नीति भारत का हर दृष्टि में नोपम कर देने पर आधारित रही।

(3) भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास—अग्रजों की आर्थिक नीति का प्रमुख न्यय भारतीय उद्योग धन्दा गिराना तथा व्यापारिक नष्ट करना यहाँ के कच्चे माल का इंग्लैंड के कारखानों में पहुँचाना तथा अन्तर्गत काल तयार माल से यहाँ के बाजारों को भर देना था परिणाम यह हुआ कि भारत के शिक्षा जीविका को मुसमरी का सामना करना पडा। भारत में जमींदारों का प्रयास था कि ब्रिटिश शासक चले जमींदारों के हितों में बन गये और बेचारे किसानों की दशा भोवनीय होनी लगी। कृषि ही एकमात्र जीविका का साधन थी। परन्तु इस पर दबाव रचना चल गया कि भूमि की उबरा शक्ति नष्ट भी होनी लगी। इस प्रकार भारतीय जनता अग्रजों की आर्थिक दासता के नीचे कुचल गया।

ब्रिटिश शासकों ने भारतीय शिक्षा संस्कृति साहित्य कला आदि के विकास का ध्यान भी नहीं दिया। जो था सो शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की उनका उद्देश्य थोड़े से ममसे भारतीयों को इतनी ही शिक्षा देना था जिससे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छोटे छोटे कर्मियों के रूप में उन्हें नियुक्त कर लिया जा सके। इसलिये शिक्षा का माध्यम अग्रजों भाषा को बनाया गया भारतीय भाषाओं संस्कृति साहित्य तथा शिक्षा-मददतियों को पूर्णतया उपशित रखा गया। यद्यपि मुगल शासन काल में भी इस शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया गया था तथापि मुगलों की नीति भारतीय संस्कृति को नष्ट करके अपने निजी स्वार्थों के हित में उसके स्थान पर अपनी संस्कृति थोपना नहीं रखा था। परन्तु उस काल में हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृतियों परस्पर एक से मिलने लगे थे। क्योंकि भारत में आकर मुगल लोग भारत को ही अपनी भूमि मानने लगे थे। अग्रजों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों को शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर नहीं मिला। अग्रज यह भी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को शासन के उच्च पदा पर रखा जाये। इसलिये भी शिक्षा के विकास का उपेक्षित रखा गया।

(4) शासन व्यवस्था में स्वेच्छाचारितावाद तथा उसका विदेशीकरण—ब्रिटिश शासन की नीति पूर्णतया वैयक्तिक स्वच्छाचारितावाद की थी। भारत में अति प्राचीन काल से ग्राम पंचायतों की व्यवस्था थी ये पंचायतें ग्रामीण स्वायत्त शासन का काम करती थीं। यद्यपि मुस्लिम शासन

काल में उन्हें विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया तथापि मुस्लिम शासकों की नीति उन्हें समाप्त करने की भी नहीं रही। मुसलमान शासकों ने ग्रामीण शासन-व्यवस्था में कर वसूली तक ही अपने कार्य-कलापों को सीमित रखा था, न कि वहाँ अपनी किसी व्यवस्था को थोपकर परम्परागत व्यवस्था का अन्त करने का उद्देश्य रखा। परन्तु ब्रिटिश शासकों ने ग्रामीण स्वायत्त शासन की पचायत प्रणाली का अन्त करके उसके स्थान पर उच्चोच्च व्यय की नौकरशाही व्यवस्था को स्थानापन्न किया। इसका उद्देश्य यही था कि भारतवासियों में स्वायत्त शासन की चेतना किसी भी स्तर पर विद्यमान न रह सके। धीरे-धीरे उन लोगों ने भारत में विदेशी न्याय तथा कानून पद्धति को लागू किया। इस प्रकार भारत की समूची राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विदेशीकरण हो गया।

(5) ईसाई धर्म-प्रचार और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव—ब्रिटिश शासन की नीति ने जहाँ भारतवासियों को आर्थिक, साम्प्रतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से दास बनाया, वहाँ इन शासकों के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों को भी धर्म-प्रचार के कार्य में प्रोत्साहित किया गया। दरिद्रता की शिकार जनता को विविध प्रकार के प्रलोभन देकर मिशनरियों ने बहुत बड़ी सत्या में भारत के हिन्दुओं को ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण करने में मदद दी। इस प्रकार भारत की जनता के ऊपर पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा साहित्य का गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप भारत-वासियों को 'विदेशी शासन तथा सभ्यता का उपासक' बना लेने में अंग्रेज शासकों को सफलता मिली। यद्यपि ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भारतीय जनता को अपनी ऐसी नीति के द्वारा पूर्णतया दासत्व की स्थिति में रखना था, तथापि इसका प्रभाव उनकी इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुआ। तत्कालीन भारतीय शिक्षित लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा वहाँ के विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया। वहाँ की राजनीतिक परम्पराओं, प्रणालियों, इतिहास, दर्शन तथा चिन्तन के अध्ययन के द्वारा उन्हें ब्रिटिश शासकों की कूटनीतिक चालों तथा भारत की दासता का ज्ञान हुआ। अतएव भारत में पाश्चात्य शिक्षा तथा मस्कृति का प्रसार होने से भारतीय शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना ही जागृति होने लगी।

(6) लार्ड डलहौजी की शासन नीति तथा सेना में रोक—ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों के अत्याचारों तथा कार्य-कलापों का चरमोत्कर्ष भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी की नीतियों द्वारा स्पष्ट तथा प्रकट हो गया। लार्ड डलहौजी ने निस्सन्तान देशी राजा तथा नवाबों को गोद लेने की प्रथा अपनाने से रोक दिया और उनकी रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिलाना शुरू किया। कुछ रियासतों के शासकों के ऊपर अकुशल शासन का आरोप लगाकर उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना प्रारम्भ किया। इस नीति में मताररा, भ्रासी, अवध, बीदर, बरार, नागपुर, आदि के शासकों में भीषण विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गयी, जमीनी वीच सेना में ऐसे कारतूत प्रचलित किये गये जिन्हें प्रयुक्त करने से पूर्व बात से काटना पड़ना था। सैनिकों में यह भावना उत्पन्न हो गयी कि इन कारतूतों में गाय और सुअर की चर्ची लगी है और अंग्रेज लोग भारतीय हिन्दू तथा मुसलमानों का वम-भ्रष्ट करने के लिए यह सब कार्य कर रहे हैं।

1857 का विद्रोह

विद्रोह का भड़कना—ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक तथा आर्थिक थोपण एवं अत्याचारों की नीतियों अधिक समय तक भारतीय जन-मानस में छिपी नहीं रह सकी। यदि ब्रिटिश शासकों भारतीय जनता को अपनी प्रजासभ्यता के जनता के हित में जनता की परम्पराओं के अनुमान शासन करने में सम्भवतः उनकी शोचनीयता बटती और भाग्य का इतिहास 1857 के पश्चान् संस्था हुआ, उसमें भिन्न प्रकृति न होता। परन्तु ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य तो कुछ और था। भारत में स्वेच्छाशाही शासन को लागू करना था, उनका मान्य था भारत का नवोद्गीर्ण थोपण। ऐसा करने से ही समय तक चले सकेगा था। लार्ड डलहौजी ने चले जाने पर भारतीय जनता का

गेष तथा अमत्याप जनन धेजा म पूजन गगा । अथ यह प्रकट होन गग गया कि अग्रजा का माम्राज्यवाण नीति श्वत नोगा का दायित्व नहा अपितु काज जोगा का दायित्व थी अर्थात् काज नागा का शोषण करके हा श्वत नोगा को इच्छा पूण हा सकनी थी । इसनिण अग्रज सम्पूण भारत म अपना स्वच्छाचारी निरकुण शासन कायम करना चाहत थ । 1857 म ब्रिटिश शासन का नीतिया क विरुद्ध विस्फाट की जाग मना म प्रारम्भ हुइ । मरठ छावनी के मनिका न कारतूस क प्रदन को नकर विवाह प्रारम्भ किया । गाध ही यह ज्वाता स्थान-स्थान पर भडक उठी । बख्शर राजा-नवावा न भी अपना स्वाधानता प्राप्त करने का जवसर दया । निनी म एक प्रकार म उदो के रूप म पडे हुए जनिम मुगज सम्राट बहादुरशाह न भी अपने को स्वतत्र घोषित कर लिया । विवाह गाध ही हिंसात्मक हा गया । ब्रिटिश शासका न इस कुचनते म काई कभी नहा रकी । दूसरी जाग भारतीय देशभक्ता न भी दमनकारी अग्रजा को नष्ट करन म पूरी शक्ति लगायी । भासी की रानी शम्शाबाद तात्या टाप मगज पाड जाति न स्वतत्रता क नाम पर ब्रिटेनी शासका क विरुद्ध उठत हुए अपने प्राणा की आहुति दकर अपना नाम जमर कर दिया । यद्यपि कुछ इतिहासकार 1857 क विवाह को सनिक विरोह की और कुछ गजर की सना दते है तथापि यह विवाह अससे कुछ और था । पट्टाभि सीतारामयान तसे प्रथम भारतीय स्वतत्रता मगम कहा है । यह वान दूसरी है कि यह क्रान्ति सुमगठिन तथा सुनियोजित नही थी परंतु वतना स्पष्ट है कि हमका विस्तार यही सिद्ध करता है कि हमका मनानी ब्रिटिश शासन की नीति म अद्रह हाने क कारण उमम मुक्ति चाहत थ । उस समय ब्रिटिश शासन का नाव वतनी सुदृढ हा चुकी थी कि क्रान्तिकारिया का एक छोटा-सा वग जावयन सनिक सजा तथा सुसगठिन युद्ध की नयारी क बिना ब्रिटिश शासन म गेहा नहो न सकता था । अत अग्रजा न विवाह का दबा दिया और इसका दमन करन म भा उहाने पूण नेगसता का आचरण किया । विवाह को दवान म ब्रिटिश शासका न बटना लने की नाति अपनायी जिसन शासन को ज्ञातकजादी रना दिया ।

विद्राह की प्रतिक्रिया

(अ) साविधानिक परिवर्तन—1773 म इंग्लंड की संसद न भारत म इन्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा संचालित शासन क ऊपर अपना नियंत्रण आरम्भ कर दिया था । तब से कम्पनी संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा चाटरा क अनुसार शासन करने लगी थी । 1857 तक लगभग सम्पूर्ण भारत म ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हा चुका था । भारत का प्रधान शासक गवर्नर जनरल था जो अपना परिषद् की सलाह म अधिशासन का काय करता था । प्राता क गवर्नर अथवा उपनीट गवर्नर तसक अधात थ । इंग्लंड की सरकार न 1853 म कम्पनी के लिए अंतिम चाटर (श्रान्त-पत्र) पारित किया था । इंग्लंड की सरकार को यह अनुभव होन गगा था कि वतन उडे दग का शासन कम्पनी क ऊपर छाडना उचित नहो है । 1857 क विरोह ने इंग्लंड की सरकार की तस धारणा का पुष्ट कर लिया । अभी तक बाड आफ कंटान भारतीय शासन का नियंत्रण निदेशन तथा निरीक्षण करता था और कोट आफ डाइरेक्टस केवन परामगवादी निकाय क रूप म थी । गवर्नर जनरल की परिषद् म 12 सदस्य थे उहा क परामग स बहु विधि निर्माण तथा प्रशासन का काय करता था । उसकी शक्ति वतनी अतुल थी कि वह अपनी परिषद् का अवलना कर सकता था । वन वारह संस्था म स्वय गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति चार साधारण अधिशासनिक परिषद् क सदस्य दा कतकता की सुप्रीम कोट के यायाधीन तथा तप चार सदस्य वगान मद्रास बम्बई एव आगरा क अवध (वतमान उत्तर प्रदेश) प्राता की सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते थ । 1853 क अधिनियम के द्वारा भारत म प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति एव सावजनिक भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा क अनुसा हाने लगी । एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय विधि का महिताकरण करने का सस्तुति रना था । भारतीय सीमा के अंतगत जो क्षेत्र कम्पनी के शासन क

जन्तर्गत थे, परन्तु ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के अन्दर नहीं थे उनके प्रशासन के हेतु सपरिषद् गवर्नर-जनरल को चीफ कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार भारत के शासन के संचालन में विधायिका का प्रयोग करने की प्रथा का श्रीगणेश हो चुका था।

परन्तु विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को कम्पनी के हाथ से शासन सत्ता छीन लेने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया। उसने यह अनुभव किया कि इस घटना के पश्चात् कम्पनी के ऊपर कुछ नियन्त्रण लगा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। अतः कम्पनी के ऊपर अकुशलता तथा अक्षमता का दोष मढ़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया। इसी के साथ-साथ 1784 के 'पिट का इण्डिया एक्ट' से चले हुए भारत के ट्वेन शासन का भी अन्त हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार तथा कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स दोनों का नियन्त्रण बना हुआ था। 1858 में ससद ने भारतीय शासन के हेतु जो अधिनियम बनाया, उसके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन के विकास का तृतीय चरण प्रारम्भ हुआ—प्रथम चरण में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वे गतिविधियाँ थीं जिनके अनुसार उसने एक व्यापारिक कम्पनी के रूप में यद्वाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर प्लासी का युद्ध जीतने और दीवानी का अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा चरण या 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट का पास किया जाना जिसके अनुसार कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार की मिली-भगत से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण प्रसार हो गया। इस बीच विभिन्न चार्टरों द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का विकास होता रहा। तृतीय चरण 1858 से प्रारम्भ होकर 1947 तक रहा। इस अवधि में भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था और इसी अवधि में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन छिड़ा।

जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रश्न है, उपर्युक्त प्रथम चरण में उसका अस्तित्व नहीं के बराबर था। उस युग में भारतीय नरेशों तथा सम्राटों की दुर्बलता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव भारत की राजनीतिक पराधीनता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश राज के दूसरे चरण में भी यह कमी बनी रही। परन्तु इस काल के अन्तिम वर्षों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। 1857 की क्रान्ति वास्तव में केवल एक सैनिक विद्रोह अथवा थोड़े से राजा नवाबों की ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध वगावत नहीं थी। इस विद्रोह के पूर्व, विद्रोह की अवधि में तथा विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासकों की नीति भारतवासियों को यह चेतावनी देती सिद्ध हुई कि अंग्रेज लोग भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सर्वाङ्गीण शोषण करना चाहते हैं। 1857 की क्रान्ति सुनियोजित तथा सुसंगठित नहीं थी, अन्यथा यदि यह सफल हो जाती तो 1857 से ही भारत का राजनीतिक इतिहास बदल जाता। परन्तु इस क्रान्ति तथा इसके पश्चात् की ब्रिटिश शासकों की गतिविधियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का निरन्तर विकास किया, अतः 1858 के उपरान्त के सांविधानिक विकास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्ययन में भारत के सांविधानिक विकास का समानान्तर अध्ययन करना आवश्यक है।

(आ) सेना का पुनर्गठन—ब्रिटिश सरकार ने 1858 में पील आयोग की स्थापना की और उसकी समितियों के आधार पर 1861 में भारत की सेना का पुनर्गठन किया। चूँकि 1857 की घटना सैनिक विद्रोह के रूप में प्रकट हुई थी, अतः अब अंग्रेजों ने भारतीय सेना पर विश्वास करना छोड़ दिया। सेना में उच्च पद तो अंग्रेजों को दिये ही जाते थे, साथ ही अब गोरों की सेना को जविक सुदृढ किया जाने लगा। सेना के डिवीजनों का संगठन जातीयता तथा प्रान्तीयता के आधार पर किया गया, यथा मिखल, जाट, मराठा, गोरखा, राजपूत आदि के रेजीमेन्ट। उन्मत्त उद्देश्य विभिन्न जातियों तथा प्रान्तों के सैनिकों की टुकड़ियों को आवश्यकता पटने पर एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर लेना था। यह कदम भारतवासियों में अंग्रेजों की 'फूट डालो' की नीति का प्रारम्भ था। भारतीय सेनाओं के ऊपर ब्रिटिश अधिकारियों का नियन्त्रण

कठोरतम बनाया गया। सना म मुसलमानों को 'यूनतम स्थान दिया गया। क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों की यही धारणा थी कि भारत में उनका पूर्ववर्ती 'गामक' मुसलमान थे और वे पुनः अपना सत्ता प्राप्त करना चाहते थे।

(इ) विदेशी सत्कृति का विकास—अंग्रेजों ने भारतीयों को वैदिक दसता का गिकार बनाना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यन्त समझ और 'स दृष्टि से उ'हान पाश्चात्य पद्धतियाँ को अधिक रोमप्रिय बनाने का प्रयास किया। भारत में ब्रिटिश 'ग की 'याय पद्धति लागू की गयी। मसदीय प्रणाली का लागू करने का उद्देश्य से 1861 में भारतीय परिषद् अधिनियम (Indian Councils Act 1861) लागू किया। अंग्रेजों ने तथा सत्कृति का प्रसार के लिए 1858 में कानून 'मत्ता तथा बम्बई में वि'वविद्यालयों की स्थापना का गयी। स प्रकार अंग्रेजों का उद्देश्य अब भारतीयों पर वैदिक विजय प्राप्त करना ही गया ताकि भारतवासियों अपनी भारतीय परम्पराओं को भूलकर राष्ट्रीय प्रगति न कर सकें और अंग्रेजों के दास बन जाय।

(ई) जातीय भेदभाव का शीघ्रण—1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 'सके लिए हिंदुओं की 'पेशा मुसलमानों अधिक उत्तरदायी थे क्योंकि भारत में अंग्रेजों का पूर्ववर्ती शासक होने का नाते वे अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेना चाहते थे। अतः अंग्रेजों ने मुसलमानों पर अविश्वास करना प्रारम्भ किया। यों ही अब अंग्रेज सभी भारतीयों को शक का दृष्टि से देखने लगे थे तथापि 1857 के पश्चात् मुसलमानों को उच्च पदों से वचित रखा गया। सना में उ'ह कोई प्रोत्साहन नहीं लिया गया। यद्यपि महाराजों को वि'वविद्यालयों की घोषणा (1858) में कहा गया था कि जातिपाति घम रग 'ग का भेदभाव किये बिना सभी भारतवासियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जायगा तथापि 'स नीति पर अत्यन्त सावधानी के साथ आचरण किया जाने लगा। 'ससे पूर्व अंग्रेज लोग भारतवासियों से बहुत अधिक सामाजिक सम्बन्ध रखते थे परन्तु अब वे उसे भी समाप्त करने लगे और भारतवासियों को अपने से हीन मानकर घणा की दृष्टि से देखने लगे।

(उ) देशी राजा तथा नवाबों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन—यद्यपि 1857 तक अंग्रेजों ने भारत की अधिकांश भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और 'समें उनका स्वच्छा चारी शासन स्थापित हो चुका था तथापि अभी भी देश के अ'र अनेक गि'वमों ऐसी थी जो 'गों राजा या नवाबों के द्वारा शासित थी परन्तु वे ब्रिटिश शासन से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थी। उनका साथ ब्रिटिश सरकार ने विविध संधियों की थी जिनके अन्तर्गत वे राजा या नवाब ब्रिटिश सरकार के दबाव में ही थे। अंग्रेजों ने अब भारतीय जनता के रोप का विरुद्ध उ'ह ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्वों का रूप में खड़ा करना प्रारम्भ किया जिनकी सहायता से वे अपनी स्थिति का और अधिक मु'द कर सकें। अतः महाराजों का घोषणा में उ'ह यह आवासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार उनका अधिकारों सम्मान तथा स्थिति को अपना ही समझेगी और उनके साथ हुई संधियों का पूर्ण रूप से मानेगी। ये देशी राजा तथा नवाबों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतवासियों के माग में प्रतिक्रियावादी रोड़े सिद्ध हुए और 1947 तक उनका कायभाग स्वतंत्रता आन्दोलन में देश के नेतृत्व के विरुद्ध ब्रिटिश राजभक्ति प्रदर्शित करने का बना रहा।

1857 के विद्रोह की समाप्ति पर भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अधिकार का अन्त करने तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वयं भारतीय शासन अपने हाथ में ले लेने का सम्बन्ध में 1858 में जो कानून ब्रिटिश संसद ने पास किया था वह एक प्रकार से अन्तरिम कानूनी व्यवस्था थी, 'सका वास्तविक रूप 1861 के इण्डिया कौंसिल एक्ट में मत्त हुआ।

1861 से 1885 तक की अवधि में राष्ट्रीयता का विकास

राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव—1857 के विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। साम्राज्यवाद का तथा

विशेष रूप से भारत के सदर्थ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य उपनिवेश की जनता का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोषण रहा था। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जाता कि विदेशी राजनीतिक दासता के पत्रों में जकड़ी किसी पराधीन देश की जनता में राष्ट्रवादी भावना का संचार शोषक देश ही करता है। यद्यपि 1857 की क्रान्ति को विदेशी सरकार ने तलवार तथा शस्त्र बल से दबा लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी, तथापि जिम म्वेच्छाचारितावाद की नीति से इसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार भारत में अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने में तुल गयी, उसकी प्रतिक्रिया यही हुई कि भारत में राष्ट्रवादी तत्त्व विकसित होने लगे और उनका मुख्य उद्देश्य देश को पराधीनता से मुक्त कराना था। परन्तु आवश्यकता इस बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को सुमगठित किया जाये। ब्रिटिश शासन भारत में इतनी सुदृढ़ता से स्थापित हो चुका था कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय एकता तथा संगठन में युक्त देशव्यापी आन्दोलन को भी उतना ही अधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाया जाये। भारत की आम जनता का विशाल भाग ऐसी राष्ट्रीय तथा राजनीतिक चेतना से युक्त नहीं था। अतः 1857 के पश्चात् जहाँ राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के कार्य-कलाप देश में विकसित होने लगे, वहाँ ब्रिटिश शासन के अत्याचार भी उसी गति से बढ़ने लगे। ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय चेतना तथा आन्दोलन को दबाने में अपनी दमनकारी नीतियों को किसी प्रकार कम नहीं किया। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास को भी सामग्री प्राप्त होती गयी। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय चेतना में विकास होने लगा त्यों-त्यों ब्रिटिश शासकों ने देश की राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ की जनता में भेदभाव तथा विघटन उत्पन्न करने के साधनों को प्रोत्साहन देना शुरू किया, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। 1885 तक भारतीय राष्ट्रीय चेतना को बलशाली बनाने में ब्रिटिश शासकों के निम्नांकित कार्य-कलापों का योगदान था

(1) अकाल तथा दरबार—जब 1876 में लार्ड लिटन भारत का गवर्नर-जनरल बनकर आया तो उसने भारत में अनेक दमनकारी तथा समय के प्रतिकूल व्यवहार प्रारम्भ किये। वह पक्का साम्राज्यवादी था। उस काल में दक्षिण भारत में भयकर अकाल पड़ रहा था। परन्तु उसने 1877 में देहली में एक शानदार दरबार आयोजित किया जिसका उद्देश्य महारानी विक्टोरिया को कैसर-हिन्द की उपाधि से सम्मानित करना था। इसमें लाखों रुपया व्यय किया गया जबकि अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के कार्यों की उपेक्षा की गयी। भारतवासियों में ब्रिटिश शासकों की इस उपेक्षा-नीति से भीषण असन्तोष होने लगा। विद्वानों ने लिटन के इस आचरण की तुलना प्राचीन रोम की इस कहावत से की है कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो बाँसुरी बजा रहा था' (Nero was fiddling while Rome was burning)।

(2) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट—लार्ड लिटन ने अनुभव किया कि भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस समय तक भारत में 400 से भी अधिक देशी भाषाओं के पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनके द्वारा लार्ड लिटन की दमनकारी शासन नीति का विरोध किया जाने लगा था। ब्रिटिश नौकरशाही इस विकास को सहन नहीं कर सकती थी। लार्ड लिटन को विश्वास हो गया कि भारतवासियों को समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता प्रदान करना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हानि पहुँचाना है। अतः 1878 में उसने व्यवस्थापिका से तुरन्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करवाकर भारतवासियों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार में वंचित कर दिया। इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे समाचार-पत्रों के प्रकाशकों तथा प्रेसों में जमानत माग सकते थे ताकि वे शासन की नीतियों के विरुद्ध कोई विचार व्यक्त न करने की प्रतिज्ञा करें। उनकी अवज्ञा करने पर जमानत जवन कर ली जाती थी और जमानत के ऐसे कार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील तब नहीं की जा सकती थी। यह कानून भारतीय प्रेस ने विरुद्ध एक तीव्र

प्रतिगामी कदम था। इस कानून को लागू करने में भी शासन के अधिकारियों ने कोई कमी बाकी नहीं रखी। उसके परिणाम यह हुआ कि जनता में भीषण असंतोष फैला और इस कानून के विरोध में एक दशव्यापी आन्दोलन उमड़ पड़ा। इंग्लण्ड में उदार दलीय नेता गडस्टन ने भी इसकी निंदा की और भारत का वामराय होने से पूर्व नाथ रिपन ने भी उसे अनावश्यक तथा अवाञ्छनीय कहा।¹ यह आन्दोलन पर्याप्त सुदृढ़ हो गया और पांच वर्ष तक लगातार चलता रहा। इस कानून को सरकार ने तभी निरस्त किया जबकि नाथ रिपन जो भारतवासियों के सबसे बड़े हिन्दी गवर्नर जनरल माने गये हैं, ने इस कानून की बुराईयों को देखते हुए इसे रद्द करने का प्रस्ताव किया। इस कानून ने भारत में देशवादी राष्ट्रीयता की ज्वाला फलाने का काम किया।

(3) कपास आयात-कर का उन्मूलन—लाड लिटन ने भारत में राष्ट्रीयता की ज्वाला को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अपनी साम्राज्यवादी नीति का एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया। उसका उद्देश्य अंग्लो-ब्रिटिश तथा मान्चेस्टर के कपास के कारखानों के मालिकों को लाभान्वित करने के निमित्त भारत में नव-स्थापित देशी कपास कारखानों को नष्ट करना था। यद्यपि भारत में नव-स्थापित कपास कारखानों अनेक असुविधाओं के होते हुए तथा समुचित प्रोत्साहन के अभाव में भी पर्याप्त प्रगति कर रहे थे तथापि साम्राज्यवादी शासक उनकी ऐसी उन्नति को सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें नुस्खाने पट्टे के उद्देश्य से नाथ लिटन ने इंग्लण्ड के कारखानों से तयार कपास के मान से आयात-कर हटा दिया ताकि उन कारखानों का मान भारत में और अधिक सस्ता बिक सके। इस कानून का विरोध स्वयं वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद् में किया गया था परन्तु नाथ लिटन ने उसकी परवाह न करके उसे पास कर दिया। भारत के व्यापारियों के तीव्र विरोध के बावजूद इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इससे भारतवासियों की महान् क्षोभ बरसता पड़ा। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश शासन भारत का हर प्रकार से शोषण करने पर तुले हैं। स्वाभाविक था कि इसके कारण राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा।

(4) लाड लिटन के अग्र काल-कलाप—नाथ लिटन ने कानून के ऊपर अनावश्यक चढ़ाई करके अफगान युद्ध का खतरा मोटा लिया और उसके निमित्त सेना सचय में बहुत धन व्यय किया। उसने देश की गरीबी अज्ञान तथा भुखमरी को उपेक्षा करके ऐसी युद्ध-नीति अपनाकर भारत की जनता में और अधिक असंतोष फैलाया। 1857 के विद्रोह के पश्चात् अग्रज लोग भारतवासियों को न्याय की दृष्टि से देखने लग गये थे। नाथ लिटन सत्ता प्रतिगामी वामराय के लिए यह बात अस्वाभाविक नहीं थी कि वह भारतवासियों को अगस्त बनाने में कोई कमी करता। उसने अपने शासन काल में अनेक विधेयक पास करके ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार भारतवासियों को बिना सरकार की आज्ञा प्राप्त किया गये रखने का अधिकार नहीं रहा। परन्तु भारत में रहने वाले यूरोपीय व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता था। इस प्रकार लिटन ने भारतवासियों को निराश्रित कर दिया। साथ ही उससे सम्बद्ध जातीय भेदभाव की नीति के कारण भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दर्शाना स्वाभाविक था। भारतीय जनता की दृष्टि में यह कानून भारतीयों का महान् अपमान था क्योंकि उसके द्वारा भारतीय जनता को स्वयं अपने ही देश में हीनतर स्तर का नागरिक बना दिया गया था।

(5) भारतीय सिविल सेवा—जबसे भारतीय सिविल सेवा का आरम्भ हुआ था तभी से शिक्षित भारतीय नवयुवक इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इंग्लण्ड जानने और अनेक प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में इंग्लण्ड के अभ्यर्थियों से उच्च प्रतिभा प्रदर्शित करनी शुरू की। ब्रिटिश शासन उसे सहन नहीं कर सके। अतः भारत के नवयुवकों को इसमें वंचित रखने के उद्देश्य से इस परीक्षा की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष

¹ स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस 'मक' अपवाद हैं।

कर दी गयी, ताकि इस अल्पायु मे भारत का कोई भी नवयुवक इस परीक्षा का लाभ न उठा सके। इस नियम के विरुद्ध भारतीय शिक्षित वर्ग ने व्यापक आन्दोलन छेड़ा और इंग्लैण्ड की मसद के समक्ष इसके विरोध मे स्मरण-पत्र भी प्रस्तुत किये गये। इस आन्दोलन को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन एसोसियेशन के माध्यम से सुनियोजित ढंग से सम्पन्न किया गया।¹ परिणामस्वरूप कालान्तर मे ब्रिटिश सरकार को पुन इण्डियन सिविल सर्विस की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष करने को विवश होना पडा। परन्तु इसके कारण राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक बल मिला।

(6) इलवर्ट विल विवाद—लार्ड लिटन के पश्चात् लार्ड रिपन भारत के गवर्नर-जनरल बनकर आये। वह अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पूर्ववर्ती वाइसराय की नीतियो तथा कार्य-कलापो से भारतवासियो मे महान् असन्तोष फैला है। साथ ही यह भी कि लार्ड लिटन की अनेक नीतियाँ अत्यन्त अवाञ्छनीय थी। लार्ड लिटन के काल तक भारत मे यूरोपियनो के विवादो की सुनवाई भारतीय सेशन जज या जिलाधीश नही कर सकते थे। अत न्याय कार्य मे भी जातीय भेदभाव की नीति प्रचलित थी। लार्ड रिपन की कार्यकारिणी के एक सदस्य सर इलवर्ट कोर्टनी ने भारतीय व्यवस्थापिका परिपद् मे एक विधेयक इस उद्देश्य का रखा कि न्यायिक क्षेत्र मे इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये। इलवर्ट विल के द्वारा भारतीय जिलाधीशो तथा सेशन जजो को यूरोपियनो के विवादो को तय करने का भी अधिकार दिया गया, परन्तु इससे यूरोपियनो को बडा क्षोभ हुआ। उन लोगो ने इस कानून का घोर विरोध किया। वे रिपन की उदार नीति से असन्तुष्ट तो थे ही क्योकि रिपन ने अपने शासन काल मे वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट को रद्द कर दिया था, अफगानिस्तान के साथ भी एक सम्माननीय सधि करके सैनिक व्यय को कम किया था और भारतवासियो के प्रति उनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। परन्तु इलवर्ट विल का विरोध उन्होने जी-जान से किया। उन्होने यह मत प्रकट किया कि इस कानून का भारतीय न्यायाधीश अनुचित लाभ उठायेगे। वे यूरोपियनो के मामलो को निर्णीत करने के लिए अक्षम है। इन लोगो ने लार्ड रिपन के विरुद्ध अनेक अपमानजनक व्यवहार भी किये। इस विवाद का अन्त तभी हुआ जबकि यह समझौता किया गया कि यूरोपियनो के विवादो की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन ज्युरी की सहायता से कर सकेगे। परन्तु डम सारे काण्ड ने भारतवासियो के हृदय मे अग्रेजो के प्रति विरोध उत्पन्न कर दिया। अब भारतवासियो को स्पष्ट हो गया कि अग्रेज उन्हें हर तरह से हीनता की स्थिति मे रखना चाहते है।

(7) इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना—1857 के विद्रोह के पश्चात् और विशेष रूप से लार्ड लिटन की दमनकारी नीतियो के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न प्रान्तो मे अनेक प्रकार के समुदायो की स्थापना होने लगी थी। परन्तु ये समुदाय विशुद्ध रूप से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रकृति के थे और इनका क्षेत्र भी सीमित था इन्ही मे से सुरेन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 मे स्थापित इण्डियन एसोसियेशन भी एक था। परन्तु इसकी विशेषता यह थी कि इसे 'इण्डियन' कहा गया था, जिसके कारण इसका क्षेत्र तथा स्वरूप राष्ट्रीय था। तत्कालीन सरकार की दमन नीतियो के कारण भारत मे जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी उसको सगठित तथा एकीकृत करने के उद्देश्य से सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत का भ्रमण किया, ताकि वे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियो के विरुद्ध देश-व्यापी जनमत का निर्माण कर सके। जब इण्डियन सिविल सर्विस के लिए न्यूनतम आयु कम कर दी गयी और इलवर्ट विल के विरोध मे यूरोपीय लोगो ने 150000 रुपया एकत्र करके यूरोपीय प्रतिरक्षा सगठन (European Defence Association) स्थापित किया और अपने पक्ष मे डम कानून को पास करा लिया तो भारत मे भी इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीय कोष एकत्र किया गया जिसका उपयोग

¹ ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास (2), 379।

अद्वय विद विवाह म भारत क पथ का प्रस्तुत करने म हान वार व्यय क विण किया जाना था । जत 1883 म सुरेन्द्रनाथ बनर्जी न कवकता म तीन दिवसीय भारताय राष्ट्रीय सम्मेलन को जाहूत किया । असम विभिन्न प्रान्ता क प्रतिनिधिया न भाग लिया । यह सम्मेलन यथेष्ट उत्साह क वातावरण म सम्पन्न हुआ । इससे यत् स्पष्टतया प्रकट हा गया कि भारत म राष्ट्रीय चेतना सक्रिय रूप स जागत हा चुकी है और उसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को दमनकारी नीतिया का विरोध करना है क्योंकि ब्रिटिश शासन हर प्रकार स भारतवासियों का दवान व नीचा लिखान क प्रयत्ना म नग है ।

नाड रिपन क चल जान पर नाड रिपन (1880-84) क वाइसरायत्व काल म उसकी शासन नीतिया म जो उदारता दगायी गयी उसके कारण भा भारत के जनक निमित्त वर्गों म यह धारणा उत्पन्न हुई कि अत्याय तथा अत्याचारपूर्ण शासन का सगठित विरोध उस समाप्त कर देने म महायक सिद्ध होता है अतएव यन्नि भारतीय राष्ट्र भावना का सगठित करके विरामित किया जायगा तो भारत म ब्रिटिश सरकार की अत्यायपूर्ण तथा शापणकारी नीतिया क ऊपर प्रतिरोध नग सकेगा । नाड रिपन न रिपन क जनक अत्याय कदमा का समाप्त किया था । साथ ही उसके शासनकाल म भारत म स्वाशासन क निमित्त स्थानीय स्वायत्त शासन का जीर्णगत हुआ गा । इससे भी भारतीय राष्ट्रीय भावना का विकसित हान क विण उहूत प्रोत्साहन मिता । रिपन क चल जान पर नाड रिपन क शासन काल म निश्चित रूप म भारतीय राष्ट्रीयता का सगठित स्वरूप प्रस्फुटित हो गया ।

प्रश्न

- 1 उन्नामकी शता ी क अन्तिम चरण म भारत म राष्ट्रीय जागरण क क्या कारण थ ?
- 2 नाड रिपन क शासनकाल म क कौनसे काम हुण जिन्हे भारतवासियों म राष्ट्रीय चेतना का जन्म लिया ?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

(INDIAN NATIONAL CONGRESS EARLY PHASE)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति के कारण

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिप्राय उस आन्दोलन से है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यशाही की दासता से भारत को मुक्त करना था। बहुधा यह माना जाता है कि इस आन्दोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885 में स्थापित) के समानान्तर है। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति का एकमात्र श्रेय कांग्रेस को ही प्रदान करना पूर्ण सत्य नहीं है। जैसा गत अध्यायो में दर्शाया गया है, भारत की राष्ट्रीयता अति पुरातन है। मध्य युग में अफगानों तथा मुगलों के राजनीतिक प्रभुत्व तथा उसके पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यशाही के प्रभुत्व ने भारत की जनता की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना को दबाए रखा था। ब्रिटिश शासन की कूटनीतियों ने इस भावना को प्रकट में ला दिया। उस युग में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अभ्युदय में विविध तत्वों का योगदान रहा है—

(1) अठ्ठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदियों के सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन—भारत में अत्यन्त दीर्घकाल से विधर्मियों के शासन के कारण हिन्दू धर्म को भीषण क्षति पहुँची थी। हिन्दू समाज अपनी सस्कृति को भूलने लग गया था। मुसलमानों तथा अंग्रेजों के शासन काल में इस्लाम तथा ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिन्दू समाज की इस हीनावस्था का लाभ उठाने का प्रयास किया। फलस्वरूप हिन्दू समाज की राष्ट्रीयता की भावना कुण्ठित होने लगी। 1828 में बंगाल में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी प्राचीन सस्कृति की महानता को समझने का अवसर प्रदान किया। उनके इस कार्य को देवेन्द्र नाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी वैदिक सभ्यता को समझने में मदद की। इन समाज-सेवकों तथा धर्म-सुधारकों ने हिन्दू धर्म की व्याख्या करके उसमें प्रचलित अन्धविश्वास तथा नैराश्य भाव को दूर करने का प्रयास किया और समाज को हिन्दू धर्म की महत्ता तथा उसकी वास्तविकता से परिचित कराया। राजा राममोहन राय ने बाल-विवाह, सती-प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सस्कृति की महत्ता से न केवल हिन्दू समाज को ही प्रभावित किया, अपितु विदेशों तक में उन्होंने हिन्दू धर्म तथा सस्कृति की श्रेष्ठता का प्रबल प्रचार किया। श्रीमती ऐनी बेसेंट ने स्वयं हिन्दू धर्म को ग्रहण कर लिया और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के कारण धार्मिक जागृति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। उत्तरी भारत में आर्य समाज का व्यापक प्रचार स्वामी दयानन्द के अन्य प्रभावशाली शिष्यों, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय आदि ने किया। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे ने ब्रह्म समाज के सदृश प्रार्थना समाज की स्थापना की। उमका उद्देश्य भी हिन्दू समाज में आ गयी बुराइयों, सकीर्णताओं तथा कुप्रथाओं को दूर करना था। इन आन्दोलनों ने हिन्दू समाज की एकता बढ़ाने, अन्धविश्वास का त्याग करने तथा धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का अन्त करने में बहुत मदद की। इनके परिणामस्वरूप देश के सभी

भागा म भारत म राष्ट्रीयता की भावना क विकास को भी पर्याप्त बन गिना । इन धार्मिक ममाजा ने अनन्य वन्नी-बडी शिक्षा सस्थाआ की स्थापना करवायी । इन धार्मिक तथा सामाजिक पुनजागरण आन्दोलना का प्रभाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता आदान पर भी पडा । दूसरी ओर मुसलमाना क अन्दर भी सरसयद अहमद खाँ सट्टन नताआ ने सुधार आन्दोलन जारी किया और मुसलमाना को पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने पर्दा प्रथा को समाप्त करन तथा स्त्री शिक्षा को बनाव देने क लिए प्रोत्साहित किया । जहा धियोसाफिकन सासाब्दी ने हिंदू सट्टन स्कूल बनारस की स्थापना की वहा सर सयद अहमद ने अलीगढ जाणोलन चनाकर अलीगढ म मुहमदन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना करवायी । एस प्रकार बन जाणोलना तथा बनके नताआ क विचारा न भारतीय जनता म भारतीय ससृति क प्रति प्रेम तथा श्रद्धा की भावना को जाग्रत करके देग प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम को प्रात्साहित किया । नागा म यह धारणा बनवती होने लगी कि जवन धर्म तथा अपनी ससृति को बनाए रखन तथा उनका विकास करन के लिए यह बात आवश्यक है कि देग म विदेशी शासन न रहे । राष्ट्रीय स्वाधीनता एस उद्देश्य की पूर्ति क लिए आवश्यक है । साथ ही इन सुधार आन्दोलना ने भारतीय जनता को अनेक सामाजिक कुरीतिया का समाप्त करके अधविधायमा को त्यागने की प्रेरणा भी दी ।

बन जादानना क कुछ प्रवतना पर पाश्चात्य गि ना का प्रभाव भी पर्याप्त था ।¹ पाश्चात्य शिक्षा न बह उन देगा के सुधार आदानना की प्रेरणा दा और विवेक तक तथा विज्ञान क आधार पर अपनी ससृति का सुधारने का प्रोत्साहन दिया । यद्यपि य धर्म-सुधारक राष्ट्रवादी थ तथापि बहाने अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की कामना करत हुए पाश्चात्य ससृति शिक्षा तथा व्यवस्थाआ की भनाय्या का भी स्वीकार किया । उनकी शिक्षाआ के प्रभाव से भारतवासिया म नयी चेतना जाग्रत हुई । यद्यपि हिंदू तथा मुस्लिम समाज एव धर्म सुधार आन्दोलना की समानान्तर प्रगति ने बाद के काल म साम्प्रदायिक भावना के विकास म मदद दी तथापि साम्प्रदायिक गत्तिया के गत्तिगानी लिचाव के हात हुए भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध म राष्ट्रीयता का पौधा घटना चना गया ।²

(2) ब्रिटिश शासन तथा भारतीय एकता—भारत की राष्ट्रीय एकता स किसी को आपत्ति नहां होनेी चाहिए । ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक धार्मिक आदि विविध दृष्टिया स भारत सत्क एक राष्ट्र रहा है । यद्यपि भारत की राजनीतिक एकता के माग म ब्रिटिश शासन के पूव अनन्य बाधाए रही तथापि अनेक शासन काला म समूचा भारत एक राजनीतिक ढकाई भी रहा था । अग्रजा न 1857 तक नगभग समूच भारत को एक शासनिक ढकाई के रूप म परिणत कर लिया था । एमका परिणाम यह हुआ कि सार देग की प्रशासनिक व्यवस्था राजकीय कानून एव न्याय पद्धति समरूप हो गयी । एसके कारण समस्त भारतवासियो क हित तथा कष्ट एक से हा गए । यह बात भारतवासिया क लिए बड़े गौरव की है कि उनम विधर्मिया क साथ राष्ट्रीय सह-अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रही है । भारत म हिंदू तथा मुसलमान अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि मामला म परस्पर भिन्न जुनकर रहे रहे थे । ब्रिटिश शासन से उत्पन्न कष्ट दोना सम्प्रदाया के लिए समान हाने के कारण उनम एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय हाने लगा । यह ता बाद म ब्रिटिश साम्राज्यवादिया की चान रही कि उन्हाने एस राष्ट्रीय एकता को नष्ट करन के लिए फूट डाना और राय करो की नीति अपनाकर इन दोना सम्प्रदाया क मध्य फूट उत्पन्न करान का अभियान चनाया । ब्रिटिश शासन न भारत म रेन तार डाक आदि की व्यवस्था की । यद्यपि ऐसा उहनि केवन अपने शासन की सुविधा का तथा अग्रज व्यापारी तथा व्यवसायिया के हिना को ध्यान म रखकर ही किया तथापि इन साधना न भारतीय राष्ट्रीय एकता का विस्तार करने म भी मदद पहुँचाई । अग्रजा द्वारा स्थापित शिक्षा-सस्थाआ म अग्रजी भाषा को

शिक्षा का माध्यम बनाने का परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न भागों के शिक्षित भारतीयों को परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो गयी। उन्हें अपनी सामूहिक समस्याओं पर एक साथ विचार करने के लिए आसानी से एकत्र होने की सुविधा प्राप्त हुई और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विविध भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार-विनिमय करने लगे। इससे उनमें एकता की भावना बढ़ने लगी।

(3) पाश्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति—भारत में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली (Western system of education) के फलस्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त भारतवासियों को पाश्चात्य देशों के दर्शन, राजनीतिक सस्याओं तथा आन्दोलनों, इतिहास, साहित्य आदि का अध्ययन करने का अवसर मिला। इन शिक्षित वर्गों के ऊपर मैजनी, रूसो, वाल्टेयर आदि के क्रान्तिकारी विचारों तथा लॉक, बर्क, मिल, माटेस्क्यू, मैकॉले आदि की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। साथ ही फ्रांस की क्रान्ति अमरीकी स्वातन्त्र्य संग्राम, इंग्लैंड की जनता के स्वतन्त्रता-प्रेम आदि के अध्ययनों ने भी उन्हें अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की आकांक्षा रखने की प्रेरणा दी। इस समूचे साहित्य के अध्ययन ने भारतीय शिक्षित वर्ग के मनोबल को उन्नत किया। साथ ही उन्हें पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन के प्रति अगाध प्रेम रखने की प्रेरणा दी। इस प्रकार यद्यपि भारत में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली लागू करने का ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भारतीय शिक्षित वर्ग को केवल छोटे-छोटे शासकीय पदों पर नियुक्त करना तथा भारतवासियों में पाश्चात्य ढंग की शासन तथा न्याय-व्यवस्था के प्रति आस्था रखने की भावना का प्रचार करना था, जिससे कि वे भारत में अपने ढंग की शासन-व्यवस्था को लोकप्रिय बना ले और भारतवासियों में यूरोपीय शिक्षा, सभ्यता तथा सस्कृति के प्रति निष्ठा जाग्रत करके उन्हें सदा अपनी दासता में बनाए रखे, तथापि उनकी इच्छा के प्रतिकूल यह प्रणाली भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने के निमित्त वरदान सिद्ध हुई। शिक्षित भारतवासियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि विदेशी शासकों का उद्देश्य भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण करके अपने साम्राज्य को सुदृढ बनाए रखना तथा भारतवासियों को सदैव दामता की स्थिति में रखना मात्र है, साथ ही यह भी कि कोई राष्ट्र या जाति पराधीन रहकर उन्नति नहीं कर सकती। पाश्चात्य देशों के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों के अध्ययन ने भारतवासियों को भी यह पाठ पढाया कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रारम्भ करके वह भी स्वतन्त्र राष्ट्र बन सकते हैं। यह भी एक कारण था कि प्रारम्भ के भारतीय देश-भक्त राष्ट्रीय नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का स्वागत किया ताकि अधिकतम भारतवासी पाश्चात्य देशों के साहित्य तथा इतिहास के अध्ययन द्वारा अपनी राष्ट्रीय चेतना को विकसित कर सकें। अतएव पाश्चात्य शिक्षा भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए वरदान सिद्ध हुई। दादा भाई नौरोजी के विचार से पाश्चात्य शिक्षा से हमें एक नूतन प्रकाश मिला है और उसने बताया कि 'राजा प्रजा के लिए होता है, न कि प्रजा राजा के लिए', राजा राममोहन राय ने भी पाश्चात्य शिक्षा को भारत के लिए वाछनीय माना था। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेतागणों ने (आरम्भ से अन्त तक) पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही प्रेरणा प्राप्त की थी। इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति के प्रसार का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

(4) भारतीय प्रेस का योगदान—भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने में भारतीय समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत में प्रेस का विकास यूरोपियनों ने प्रारम्भ में ईसाई धर्म प्रचार के साहित्य का प्रसार करने के उद्देश्य से किया था। तानान्तर में प्रारम्भ के कुछ उदार गवर्नर जनरलों ने भारत में प्रेस के विकास तथा उसकी स्वतन्त्रता को प्रोत्साहित किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रेस को ऐसा प्रोत्साहन ईमानदारी की नीयत से दिया गया था, क्योंकि ऐसा करने में भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही के कई निहित स्वार्थ भी थे। उनमें विद्यालय देश का शासन संचालित करने के लिए उन्हें जनमत का ज्ञान करना

आवश्यक था। जन प्रतिनिधि-सभा का अभाव में प्रस ही एकमात्र ऐसा साधन था जो आमका को जनता की समस्याओं का ज्ञान करा सकता था यदि शासक यह सुविधा भी न दें तो उनका लिए शासन चलाना कठिन हो जाता परन्तु भारत में प्रस का विकास पर्याप्त तत् गति में हुआ। गीघ ही अग्रजी तथा विविध भारतीय भाषाओं में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन होने लगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात् भारतीय समाचार-पत्रों में शासन की दुर्व्यवस्था तथा शिकायतों की निर्भीकता के साथ प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। साथ ही प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों में जागृत भारतीय पत्रों के शासन के प्रति पत्रपातपूर्ण विचारों की भी खुल रूप में आलोचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के जनसाधारण में शासन की नीतियों के विरुद्ध जनमत का निर्माण करने तथा जनता को शासन की व्यवस्था से अवगत कराने में भारतीय समाचार-पत्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। इसके कारण जनता में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने में बहुत सहायता मिली। यद्यपि ब्रिटिश शासक सिद्ध मुस्लिम पत्रों में एक दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध तणाव उत्पन्न करने वाले विचारों को प्रोत्साहित करने तथा अग्रजी और देशी भाषाओं के पत्रों में भारत की एकता के सूत्र में बाधते चल जा रहे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी भारतीय नेताओं (गंगा राममाहन राय में तत्पर श्री जवाहरलाल नेहरू तक) का जनता तक अपनी राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रसार करने में प्रस से बहुत अधिक सहायता मिली। समाचारपत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त आगम तथा भारतीय भाषाओं में नये साहित्य का सृजन होने लगा। भारत के राष्ट्रप्रेमी विद्वानों की राष्ट्रवादी विचारधाराएँ प्रस के विकास के परिणामस्वरूप जनता में तत् गति से प्रसारित होने लगीं। बकिमचन्द चटर्जी का जानक मठ उनका गीत वदे मातरम् रवीन्द्र बाबू का जन गण मन मथिनीकरण सुक्त की भारत भारती तिनक का गीता रहस्य आदि विविध साहित्यों का सृजन प्रसार तथा प्रचार प्रस के विकास का ही फल था। पाश्चात्य साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन होने लगा। अतएव 1857 के पश्चात् भारतीय प्रस की तीव्र प्रगति ने राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने में बहुत मदद पहुँचाई।

(5) भारत की आर्थिक स्थिति—साम्राज्यवाद का प्रमुख उद्देश्य उपनिवेशों की जनता का आर्थिक शोषण जाना है। राजनीतिक प्रभुत्व तो इस उद्देश्य का साधन है। अग्रज लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें सभी सफलता मिलती जबकि उनका यह राजनीतिक आधिपत्य कायम हो जाता। सम्भवतः उन्हें यह आभास रहा कि वे भारत में अधिक दीर्घ अवधि तक शासन नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की तहल भारत में फल बिना नहीं रहे सकेगी और अथ उपनिवेशों की भाँति उन्हें भी भारत के राजनीतिक प्रभुत्व से हाथ धोना ही पड़ेगा। अतएव उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में शासन करना भारत में निवासित हाकर यहाँ की जनता से मिल जुल जाना सभी नहीं रहा। उनमें जातीय श्रेष्ठता का दप इतना अधिक था कि वे सभी भी अपने को भारतीयों के साथ समानता की स्थिति में रखना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने मुर्गाँ के सब जणों एक साथ निकालने की नीति का अवलम्बन किया। पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन निर्मित उत्पादों में मात्र का बढाने उस अधिकाधिक मात्रा में वेचकर लाभ कमाने की प्रतियोगिता दिन-दूनी रात चौगुनी चल रही थी। इंग्लैंड में मचस्टर निवरपूर तकालायर जाति में कारखानों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। इन कारखानों का पनपना विदेशों (उपनिवेशों) से प्राप्त कच्चे मात्र पर निर्भर था। अतः भारत के अग्रज शासकों ने भारत में केवल नए औद्योगिक कारखानों ही नहीं खोले अपितु यहाँ से कपास आदि कच्चे मात्र को इंग्लैंड पहुँचाकर वहाँ का मशीन द्वारा निर्मित तयार मात्र से भारत के बाजारों का भरना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत के करोड़ों गिल्स जीविया तथा कुटीर उद्योगों का भोषण आघात पहुँचा। यहाँ के जुताएँ लुहारों चमारों आदि गिल्स-जीविया के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो

गया। उद्योग-धन्धो में ऐसा भीषण अवरोध आ जाने के परिणामस्वरूप जनता का शहरीकरण रुक गया और करोड़ों शिल्प-जीवी ग्रामों की और बढ़ने लगे। कृषि-भूमि पर भार बढ़ गया। परन्तु अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा लागू करने का परिणाम यह हुआ कि कृषकों की स्थिति भी जमींदारों के अत्याचारों के कारण दयनीय हो गयी। कृषि भूमि पर भार बढ़ने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गयी और कृषि उत्पादन में कमी आने लगी। इस प्रकार भारत की जनता को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी शासकों की यह नीति कभी भी नहीं रही कि वे भारत में किसी भी प्रकार से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। इन सबके परिणाम-स्वरूप भारतवासियों में विदेशी शासन के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा और वे यह प्रतीत करने लगे कि देश के आर्थिक पतन को बचाने का एकमात्र उपाय विदेशी शासन-सत्ता से देश को मुक्त कराना है।

1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासकों का दमन चक्र—1857 के विद्रोह के पश्चात् भारत में ब्रिटिश शासकों ने कठोर दमन की नीति अपनायी थी। इस सन्दर्भ में लार्ड लिटन की दमन नीतियों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अकाल पड़ने पर राहत कार्यों का उपेक्षा करना, सेना पर अनावश्यक व्यय, दरबारों में फिज़ूल खर्ची, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतवासियों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन, भारतीय शस्त्र विधेयक, कपास आयात-कर का उन्मूलन आदि ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में आग के ऊपर तेल डालने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के निमित्त इलवर्ट बिल विवाद ने तो विस्फोट का कार्य किया। इस घटना ने भारत की जनता को स्पष्टतया बता दिया कि अंग्रेज जाति भारतीयों के ऊपर श्रेष्ठता का दावा करती है। अतः यह एक आत्म-सम्मान का प्रश्न था जिसे कोई भी सम्माननीय भारतीय सहन नहीं कर सकता था। ब्रिटिश शासकों के इन कुचक्रों से भारत-वासियों को यह समाधान हो गया कि जब तक भारतवासी अंग्रेजों की राजनीतिक दासता में रहेंगे, तब तक उनको आत्म-सम्मान, आर्थिक विकास एवं उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसके ऊपर भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध में भारतवासियों के समक्ष रोड़ा अटकाने के हेतु न्यूनतम आयु सीमा को कम कर देना भी इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश शासक स्वयं अपनी प्रतिज्ञाओं को भी ताक में रख देते हैं। अतः ऐसा शासन भारतवासियों को सहनीय नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म

राष्ट्रीय चेतना की जागृति—ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के जिन कारणों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसके अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहाँ ब्रिटिश शासक यह विश्वास कर रहे थे कि अब भारत में उनका साम्राज्यशाही शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है और उन्होंने विरोधियों को भली-भाँति दबा लिया है, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध भारतवासियों में एक नई चेतना भी जाग्रत हो चुकी थी। यद्यपि अभी यह अकुरित ही हो रही थी, तथापि यह एक ऐसा बीज था जिसे नष्ट कर सकना ब्रिटिश शासकों के लिए असम्भव था। वह कहीं न कहीं से फिर अकुरित होता जाता। भारत में ऐसी राष्ट्रीय चेतना जाग्रत होने के बहुमुखी कारण थे, इनमें से लगभग सभी कारण ब्रिटिश शासन की ही देन कहे जा सकते हैं, यदि अंग्रेज लोग ईमानदारी की भावना से भारतीय प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर शासन की नीतियाँ अपनाते तो सम्भव था कि उनका साम्राज्य भारत में और अधिक समय तक चलता, साथ ही यदि वे मुसलमान आक्रमणकारियों की भाँति भारत में ही बस जाने तथा यहाँ शासन करने का उद्देश्य रखते और अपने को भारतीयता के रंग में रंगना चाहते तो भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ और होता, जिस प्रकार भारत में हिन्दू तथा मुसलमान साथ-

माय एक भारतीयता की भावना स रह रहे हैं उमा प्रकार वे भी रह सकत थे परन्तु अग्रज भारत म भारतीय बनन क लिए कभी नहा आय थे । उनका जातीय अभिमान शोषण नीति तथा दमन कारी शासन एक दुधारी तनवार क रूप म सिद्ध हुआ ।

राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय रूप मिलना—19वा सती के अन्त तक भारत म राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हो चुकी थी परन्तु अभी उमम सक्रियता का अभाव था उस जातानन का रूप प्राप्त नहा हो पाया था । कोई भी आन्दोलन बिना सुमगठित प्रयास क सपन नही हा सकता । भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सुमगठित करने के प्रयासा म सुरेन्द्रनाथ बनर्जी क द्वारा स्थापित एण्डियन एसोसियेशन तथा प्रम्वई और मणस क प्रांतीय समठन प्रथम कदम थे । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी क द्वारा आहूत एण्डियन मणन कांफ्रेंस (1883) क अधिवेशन न भारतीय राष्ट्रीय जातानन का सुसगठित रूप म संचालित करने की प्रेरणा दी । अत इण्डियन एसोसियेशन का यति भारतीय राष्ट्रीय जातानन का प्रथम सक्रिय प्रयास कहा जाये तो यह सवथा उपयुक्त होगा । नाड लिटन क अत्याचारी कृत्या म भारत म पर्याप्त रोष उत्पन्न हो चुका था । परन्तु उसक उत्तराधिकारी नाड रिपन की उदार नायिया न भारतीय राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनान स राक दिया । नाड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन का शीगणन किया जाना तथा नाड लिटन द्वारा की गई अनेक भूना का सुधार किया जाना राष्ट्रीय आन्दोलन को उत्तर रूप मे विकसित करने म सहायक सिद्ध आ रिपन क पश्चान् 1884 म नाड डफरिन भारत क गवर्नर जनरल हुए । उसके शासन काल म भारतीय राष्ट्रीय जातानन की सप्रस महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय काग्रस की 1885 म स्थापना थी ।

काग्रस की स्थापना—भारतीय राष्ट्रीय काग्रस का जन्मना मन्मथ कोई भारतीय नहा अपितु भारतीय सिबिन सक्ता से अवकाश प्राप्त एक अग्रज व्यक्ति था । या ता एसी एक राष्ट्रीय मन्था की स्थापना आवश्यक हो चुकी थी और उसक लिए पर्याप्त भूमिका निमित्त हा चुकी थी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का एण्डियन एसोसियेशन उसका स्थान न सकता था । परन्तु एक अवकाश प्राप्त अग्रज आइ सी एस के मस्तिष्क म एस विचार का उत्पन्न होना एक महत्वपूर्ण बात है । वह व्यक्ति थ सर एनन आस्टेवियन ह्यूम साटन का भारतीय प्रशासन का अनुभव तो था ही माय ना क भारत म विकसित हा रही राष्ट्रीय जागृति के प्रति भी जागरूक थ । अत उहान अनुभव लिया कि यदि राष्ट्रीयता का यह नहर उग्र हो उठी और शासन क विरुद्ध जनता क असन्तोष का क्रांतिकारी हान स रोना नही गया तो उसक भयकर परिणाम हा सकत है । अत उहान मार्च 1883 म कानकता विद्वविद्यालय क स्नातक को एक हून्यस्पर्धी परी निखकर कुछ नि स्वाथ तथा स्वतन्त्रता प्रमी व्यक्तिया को गण की जा सत्यनिष्ण कायकता हा । उहान तत्कालीन वानमराय नाड डफरिन क समन अपनी योजना रखी और यह विचार यक्त किया कि भारत के प्रमुख राजनयिका का मान म एक बार एक साथ एकत्र हाकर अपने सामाजिक विषया क सम्बन्ध म विचार विनिमय करने का अवसर प्रदान करना चाहिए । यद्यपि ह्य म साहब इस राजनीतिक प्रकृति का सम्मनन नही बनाना चाहते थे तथापि नाड डफरिन न उस राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना चाहा । उनका मत था कि एसा सम्मनन भारत म शासन क विरोध म मत व्यक्त करने वाला सिद्ध हो तो वह इंगण्ट के विराधी पक्ष की भाति प्रभावकारा सिद्ध हो सकता है । अत एम सम्मनन के द्वारा सरकार का ध्यान उसकी कमिया तथा त्रुटिया की ओर आकर्षित करके उसम सुधार क सुभाव देना भा होना चाहिए । उसके पश्चान् ह्यूम साहब न इंगण्ट जाकर वहा क प्रमुख राजनयिका न भी परामर्श किया और अपनी योजना म उनकी अभिरचि उत्पन्न की । भारत नीकर उहाने एस सम्मनन का आयोजन किया । उस प्रकार ह्यूम साहब की योजना का न केवल भारत क गवर्नर जनरल ने ही स्वीकार किया अपितु जनक त्रिटिंग राजनेता न भी उसका स्वागत किया ।

ह्यूम साहब के प्रयासो से काग्रस का प्रथम अधिवेशन दिसम्बर 1885 म पूना म बुलान

का आयोजन किया गया। परन्तु इस अवधि में पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थान बम्बई में निर्धारित किया गया। फलस्वरूप 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भविष्य में राष्ट्रीय आन्दोलन की संचालक, निदेशक तथा सर्वस्व रही। इसी के अथक प्रयासों ने भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त कराया। इतना ही नहीं, अपने वर्तमान स्वरूप में आज भी यह स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय शासन की बागडोर अपने ही हाथों में ज़िये हुए है, यद्यपि अब इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है।

कांग्रेस का प्रारम्भिक रूप—कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् उसके विकास, कार्य-कलापों एवं उपलब्धियों का इतिहास ही वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है। इसकी स्थापना का श्रेय अवश्यमेव एक अंग्रेज व्यक्ति को प्राप्त है और यह भी स्पष्ट है कि इसकी स्थापना को ब्रिटिश शासकों से प्रोत्साहन मिला था, जिनके विचार में कांग्रेस 'देशी पार्लियामेंट का अकुर' थी। स्वयं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वाइसराय ने इसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया था। यह सस्था विशुद्ध रूप से राजनीतिक थी और इसीलिए इसकी सदस्यता सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निषिद्ध की गई थी। साथ ही कांग्रेस की स्थापना उसे ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय जनमत के अनुसार एक मित्र के रूप में परामर्शदात्री सस्था के रूप में की गई थी, न कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करके उसे अपदस्थ करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली सस्था के रूप में। परन्तु यह बात तो स्पष्ट है कि जिस चीज का निर्माण ईमानदारी की भावना से न किया जायेगा वह अपने निर्माणकर्ता के लिए मित्र के रूप में नहीं रह सकती, इसलिए कांग्रेस भविष्य में ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुई। अतः यदि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है, तो यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासकों ने इसकी स्थापना तथा विकास को शुद्ध भावना से नहीं लिया, परिणामस्वरूप वह स्वयं ब्रिटिश शासन की शत्रु तथा विनाशकारी सिद्ध हुई। कूपलैण्ड के मत से 'भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसका पालन-पोषण किया,' यदि यह बात सही है तो इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि ब्रिटिश राज्य तथा ब्रिटिश अधिकारियों को या तो शिशु का पालन करना ही नहीं आता था अथवा उन्होंने शैशव अवस्था से ही उस शिशु को सन्देह की दृष्टि से देखकर उसे अपना शत्रु बना लिया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यशाही शुरू से अन्त तक कभी भी भारत के प्रति ईमानदार नहीं रही।

कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों की समीक्षा

ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षक—भारत में अपने साम्राज्य की नींव सुदृढ़ कर लेने के उपरान्त ब्रिटिश शासक अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में इतने मदन्य हो गये थे कि वे भारत में जागृत राष्ट्रीयता की लहर के औचित्य तथा स्वरूप को या तो समझ नहीं पाये या उनकी यह धारणा बनी रही कि वे इस उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावना को बल-प्रयोग से विनष्ट कर देंगे और जहाँ पर बल-प्रयोग मफल सिद्ध नहीं होगा, वहाँ पर अपनी कूटनीतिक चालों का अवलम्बन करके उसे रोकने में समर्थ हो जायेंगे, परन्तु कांग्रेस की गतिविधियाँ ब्रिटिश शासकों की इच्छाओं पर तुल्यरूप करने वाली सिद्ध हुईं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि कांग्रेस का जन्म 'ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा' के लिए हुआ था। यह एक ऐसी धारणा है जिसे स्पष्ट रूप से न स्वीकार किया जा सकता है और न जिनका पूर्ण विरोध ही किया जा सकता है।

साम्राज्यशाही श्रत्याचारों के विरुद्ध एक श्रमय दीप के रूप में—निःसन्देह कांग्रेस की स्थापना के पीछे मर ए० ओ० ह्यूम का लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता से जो तीव्र रोष उत्पन्न हो गया है उसे यदि यों ही छोड़ दिया जायेगा तो वह किसी भी क्षण उग्र रूप धारण कर लेगा और 1857 की क्रान्ति की भाँति फिर कोई नवीन क्रान्ति

अपना सिर उठा वेगो यह तो स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि ह्यूम साहब ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बने रहने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उसका विरोध करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किया होगा। ऐसी भावना तो किसी भारतीय नेता के मन में हो उठती है परन्तु जैसी ताता राजपन राय की भी धारणा रही है ह्यूम साहब स्वयं स्तन उत्तार गति थे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वारा भारत में किये जा रहे अमानुषिक अत्याचारों को पसन्द नहीं करने थे। उनका मत यह था कि ब्रिटिश शासन के अत्यायपूर्ण कार्यों के प्रति भारत में फल रह असंतोष के विरुद्ध एक अभय दीप (safety valve) की आवश्यकता है। वह अभय दीप कांग्रेस थी। ह्यूम साहब जैसा कि कांग्रेस के एक अत्यन्त आरम्भिक अग्रज नेता विनियम बटरवैन ने भी माना है कांग्रेस को एक ऐसी सस्था के रूप में देखना चाहते थे जो भारतीयवासियों के असंतोष को वधानित रूप से व्यक्त करने का साधन बने ताकि उग्र क्रान्ति के सनरा से बचाव हो सके। कांग्रेस की स्थापना ने ह्यूम साहब के इस मतव्य को पूर्ण किया और वह प्रबुद्ध भारतीय नेता का जागृण बन्ध बन गई। इस संगठन की संस्थाना प्राप्त करके उन नेताओं ने भारतीय जनता का असंतोष इस सस्था के माध्यम से वधानिक एवं गतिपूर्ण तरीका से व्यक्त करना प्रारम्भ किया। परन्तु हमका यह अर्थ नना भी उचित नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। यदि ऐसा ही होता तो जिन ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहन दिया था वे इस सस्था का ब्रिटिश साम्राज्यशाही के हितों में विकसित होने के प्रयास करते। प्रारम्भ के तीन अधिवेशन वम्बई (1885) काकता (1886) तथा मनास (1887) में वहा के गवर्नर ने कांग्रेस के प्रति निविया का यथाचित सम्मान किया परन्तु गीब्र ही ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया। लार्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्ण प्रोत्साहन देकर उस राजनीतिक स्वरूप तक प्रदान किया था। परन्तु उसी लार्ड डफरिन ने 1887 में यह विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस केवल एक अत्यन्त सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है (represents a microscopic minority of the people) और वे अपने उद्देश्य का भी अशुद्ध प्रतिनिधित्व करती हैं। 1888 में जब कांग्रेस का अधिवेशन बंगालवाद में हुआ तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को बर भावना की दृष्टि से देखने लगी गई थी। इस दृष्टि से यह मानना उचित नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का पोषण करना था।

कांग्रेस विशुद्धतया एक राष्ट्रीय सस्था है—यदि कांग्रेस के स्वरूप को देखा जाय तो भी यह बात पुष्ट हो जाती है कि कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषण करना नहीं था। प्रारम्भ से ही इस सस्था का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। यह किसी वर्ग विशेष या किसी जाति के सम्प्रदाय या प्रतिनिधि सस्था मात्र नहीं थी अपितु इसकी सदस्यता अग्रज हिन्दू मुसलमान पारसी जाति सभी वर्गों के व्यक्तियों में ग्रहण की जा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले तथा भारतीय सामाजिक जीवन के सावजनिक सुमाय नेता थे। इनमें से किसी का भी उद्देश्य केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं था। ह्यूम बटरवैन विरोजशाह महना दादाभाई नौरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी बदरहीन तयबजी उमाच बनर्जी आदि किसी भी आरम्भिक नेता को राष्ट्रीय न मानकर किसा वर्ग विशेष या साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। कानांतर में श्रीमती एनी बेसेट तथा सरोजिनी नायडू महना महिनाग्रा ने इसमें भाग लेकर महिनाग्रा का प्रतिनिधित्व किया। वास्तव में जब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इसने राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित होने देखा तो उन्हें इससे अपने साम्राज्यवाद को खतरा ही मालूम करने लगा। परिणामस्वरूप उन्होंने इस सम्प्रदायिकता के विपरीत पन्नाय और सर सयद अहमद खान महना एक प्रबुद्ध राष्ट्रीय नेता के ऊपर मुस्लिम सम्प्रदायिकता का जाद लेकर फूट डालो और राय करो की नीति का अवलम्बन करके कांग्रेस की एकता को नष्ट करने का प्रयास किया।

प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की नीति

कांग्रेस के उद्देश्य—कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) की अध्यक्षता करते हुए उमेश चन्द्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नांकित चार उद्देश्य घोषित किये थे—

(1) देश के भिन्न-भिन्न भागों से आने वाले देश-प्रेमी कार्यकर्ताओं के मध्य वैयक्तिक घनिष्ठता तथा मैत्री की अभिवृद्धि करना,

(2) भारत के मित्र लार्ड रिपन के शासन काल में देश में जिस राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई है, उसका सुदृढीकरण करने के निमित्त मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा जातिगत, धर्मगत तथा प्रान्तीय भेदभावों का अन्त करना,

(3) पूर्ण विचार-विनिमय कर लेने के उपरान्त देश की निवर्तमान ज्वलन्त सामाजिक समस्याओं पर देश के शिक्षित वर्ग की परिपक्व राय का अधिकृत रिकार्ड निर्मित करना, तथा

(4) उन साधनों तथा विधियों का निर्धारण करना जिसके अनुसार आगामी 12 मासों में देश के राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक हित में परिश्रम करना है।

प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव (राजनीतिक स्वरूप)—उक्त उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य मुख्यतया अपने सगठन को सुदृढ करना तथा उसके सदस्यों में राष्ट्रप्रेम, एकता, लगन तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना था। इन उद्देश्यों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य की चर्चा नहीं है। परन्तु इस प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस ने देश के हित में तत्कालीन सरकार के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तावों के रूप में रखी थी। उनके अनुसार यह मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन की जाँच के लिए एक शाही आयोग नियुक्त करना चाहिए, इंग्लैण्ड की भारत परिषद् को समाप्त किया जाय, आई० सी० ए० परीक्षा इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों पर साथ-साथ हो और उसके लिए प्रत्याशियों को न्यूनतम आयु-सीमा में वृद्धि की जाय, भारत सरकार का सैनिक व्यय कम किया जाये, वरमा की भारत में न मिलाया जाय तथा भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् के दोषों को दूर किया जाये। इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और वे सही अर्थ में भले ही जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, प्रत्युत स्वेच्छापूर्वक देश-प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आये थे। परन्तु जिन उद्देश्यों, भावनाओं तथा उत्साह को लेकर एक शान्त वातावरण में यह छोटा-सा अधिवेशन सम्पन्न हुआ वह भविष्य में कांग्रेस की महानता तथा उसकी कार्यविधि का सही-सही रूप था। कांग्रेस की भावी प्रगति को हम चार युगों में विभक्त कर सकते हैं—

(अ) प्रारम्भिक युग, जब इसकी स्थापना हुई थी और उदार विचार वाले बुद्धिजीवियों ने इसका पोषण किया था।

(ब) कांग्रेस के सकट का युग, जब इसमें नरम तथा उग्र दो दल हो गये और जब मुस्लिम मस्यदायवाद ने इसके ऊपर आघात किया।

(स) गांधी युग, जबकि गांधी जी के नेतृत्व में इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सघर्ष करके भारत को स्वतन्त्र किया।

(द) स्वतन्त्रता के पश्चात् की कांग्रेस जबकि वह भारत के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में देश के शासन को वागडोर सभाले हुए है।

कांग्रेस की लोकप्रियता का विकास—कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से आरम्भ होकर 1907 तक के काल का है। इन दो दशाब्दियों में कांग्रेस अपने शौशव काल में थी। इस अवधि में देश के सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध समस्त भारतीय शिक्षित वर्ग तथा जन-नेता इसके सक्रिय सदस्य रहे। इन लोगों के निस्वार्थ त्याग तथा लगन से कार्य करने के कारण कांग्रेस बड़ी तीव्र गति से अत्यन्त लोकप्रिय सम्था बन गयी। 1885 में केवल 72 प्रतिनिधियों ने इसके अधिवेशन में भाग लिया था, 1886 में यह संख्या 406, 1887 में 600 तथा 1888 में 1248

हो गयी। यही प्रगति भविष्य में जारी रही और 1906 तक कांग्रेस भारत में भारी बहुमत की प्रतिनिधि सभा मानी जान का दावा कर सकती थी।

प्रारम्भिक नेता—यस अवधि में कांग्रेस का कायकलाप तथा कायविधियां पूर्णतया उदारवादी थीं। इस अवधि में इसका कायकलाप को एक शिक्षित मध्यम श्रेणी का लोग का आन्दोलन माना जाता है जो सांविधानिक तरीका से ब्रिटिश शासकों के समक्ष जावदकी की सस्था का रूप में काय करती थी। इसका प्रारम्भिक युग का सबसे उत्साही नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तक ऐसी नीति का समर्थक थे जबकि उन्हें कठोर हाना चाहिए था क्योंकि ब्रिटिश शासन की घण्टापूण नीति का मजम महान् पहार उही को सहन करना पडा था उस युग के नेताओं में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो ह्य में विनियम बदरवन उमेग चन्द्र बनर्जी दादाभाई नौरोजी दीनगा वाचा फीरोजगाह महता गोपान कृष्ण गाखने बदरहीन तयवजी रानाडे सुरह्यण्य जय्यर जानद माहन प्रेम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि। केवन सर समय अहमद खा सदग नता इसका बाहर रह। कांग्रेस का द्वितीय युग का सधप की अवधि के प्रमुख नेता बान गगाधर तिनक विपिन चन्द्र पान ताना राजपत राय एनी वसन्त आदि थे। यह वर्गीकरण वास्तव में कानगत न हाकर नीतिगत है क्योंकि उक्त श्रधिकाग नता समकानीन हैं प्रारम्भ में कांग्रेस की नीतियां उदारवादी रहा कानाल्तर में वे उग्रवादी हो गयी। गोखले उक्त दोना युगा का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे मूनरूप से प्रथम युग के उदारदलीय नेता थे। 1907 में कांग्रेस का नरम तथा गरम दलीय नताओं के मध्य फूट पडने पर वे 1915 तक उदार नीतियां पर विश्वास करने का साथ साथ उग्रवादिया को पुन कांग्रेस में लाने का लिए प्रयत्नशील रह।

प्रारम्भिक नीतियां—प्रथम युग का कांग्रेस की राजनातिक गतिविधियां ब्रिटिश सरकार का समक्ष भारतीय शासन व्यवस्था के सम्बंध में विविध प्रकार की मांगों को रखने की रही। यद्यपि इन नताओं द्वारा रखी गयी मांग पर्याप्त बनगानी थी और यह कहना अनुचित भी नहा होगा कि इनमें से जनक की पूर्ति तो आज स्वतन्त्रता के 26 वर्ष बाद तक भी नहा हो पायी है यथा अनिवाय निशुका गिशा तथापि इन मांगों को हमारे प्रारम्भिक कांग्रेसी नेता सर्वाधिक महत्त्व देने थे। कांग्रेस की महत्ता तथा लोकप्रियता ऐसी विभूतियां के द्वारा इसे स्थापित किया जान तथा गानव कान में उसका पोषण करने का कारण ही बनी। इन मांगों के अन्तगत सांविधानिक सुधार प्रशासनिक सुधार आर्थिक सुधार अवाछनीय करा का हटाया जाना अवाछनीय तथा प्रशासनिक एवं सैनिक प्रथम व्यापक कटौती भारत के निर्मित वग को उच्च सवाओं में समुचित स्थान देना नागरिका की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की स्वीकारोक्ति तथा उनका संरक्षण आदि शामिल हैं। यद्यपि ये मांगें बड़ी दीर्घ अवधि तक अपूर्ण ही रहा तथापि इन मांगों ने ब्रिटिश शासन का भारतीय जनमत के प्रति सजग रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और इनमें से अनेक मांगों को जागिक रूप में ही सही पूर्ण करने के लिए शासन को कदम उठाने के लिए विवग भा होना पडा। प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की नीतियां को निम्नांकित शीपका के अन्तगत रखा जा सकता है—

श्रमिक सुधारों में विश्वास—यद्यपि कांग्रेस की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को लेकर हुई थी तथापि कांग्रेस संगठन का नेतृत्व प्रारम्भ में एक उदार व्यक्तियों का हाथ में रहा जो एक सक्रिय साम्राज्यवादी के विरुद्ध क्रांतिकारी आन्दोलन द्वारा सफलता पर विश्वास नहीं करते थे। इन्हें यह विश्वास था कि भारतीय प्रशासन में श्रमिक सुधार नाकर यदि भारतवासियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता रहे तो वह स्वशासन की शिक्षा के लिए अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है क्योंकि बिना ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त

1 सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि सी एम. परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। अग्रज शमशक उनकी इस प्रतिभा को सम्मान देती कर रहे थे। भारत में ऐसे उच्च पत्र पर नियुक्त हो जाने के एक या दो वर्षों के भीतर ही सरकार ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाकर उन्हें पदभुंग कर लिया।

किये स्वायत्त शासन या स्वाधीनता की माँग सफल नहीं हो सकेगी। कांग्रेस के आरम्भिक नेता क्रान्तिकारी आदर्शवादी न होकर व्यावहारिक सुधारवादी अथवा उदारवादी थे। उनका विश्वास शासन-सुधारों में अधिक था और वे इसी बात से सन्तुष्ट थे कि यदि भारतीय शासन परिषदों में भारतवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाय, सेना एवं सिविल सेवाओं में उन्हें अधिक अवसर दिया जाय और स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रभावशाली ढंग से विस्तृत किया जाय, तो वह भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग में सन्तोपजनक कदम सिद्ध होगा। अतएव कांग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में इन्हीं उदार माँगों के प्रस्ताव पारित किये जाते रहे और शासन के विरुद्ध कोई क्रान्तिकारी प्रतिरोध नहीं उठाया गया।

(2) ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा—कांग्रेस के आरम्भिक नेताओं के ऊपर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। वे यह विश्वास करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में ब्रिटिश शासन का पर्याप्त योगदान है। अंग्रेजों ने भारत में अपना एकछत्र राज्य स्थापित करके छिन्न-भिन्न भारत का राजनीतिक एकीकरण किया है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव ने भारतवासियों को एक साथ मिलने-जुलने तथा पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान करने में मदद दी है। भारत में प्रशासनिक एकता लाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के प्रयास भारतीय राष्ट्रीय एकता की स्थापना लाने के लिए बरदान सिद्ध हुए हैं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में 'इंग्लैंड हमारा पथप्रदर्शक रहा है।' ब्रिटिश शासन ने भारत को नयी जागृति प्रदान करके उसे मध्य युग के अवनति के गर्त से ऊपर उठाया है। ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान कर सके हैं और उस ज्ञान ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को एक नयी दिशा प्रदान की है। इन समस्त धारणाओं की पृष्ठभूमि में आरम्भिक राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन को भारत का शत्रु न समझकर उसके प्रति निष्ठा की भावना रखते थे। गोखले का मत था कि 'अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता तथा उदारता में हमारी अबाध निष्ठा है।'¹ भारत के आरम्भिक राष्ट्रीय नेताओं में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति की भावना दादाभाई नौरोजी के इन शब्दों से ज्ञात होती है, 'हमें पुरुषों की तरह यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्णरूपेण राजभक्त हैं।'²

इसका यह अर्थ भी नहीं लेना चाहिए कि ये भारतीय नेता ब्रिटिश राज के प्रति अन्धभक्ति रखते थे या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही ब्रिटिश शासन के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा रखते थे और ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कृत्यों को नजरन्दाज करते थे। सही बात तो यह थी कि ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी नीतियों ने ही कांग्रेस संगठन को निर्मित करने की प्रेरणा दी थी, ताकि उनका विरोध संगठित रूप से किया जा सके और यह भी इन नेताओं को ज्ञात था कि यदि भारतवासी किसी प्रकार के उग्र साधनों का अनुसरण करके विरोध करेंगे तो ब्रिटिश शासन उनका उसी रूप से दमन कर देगा और यह हिसावृत्ति भारतीय राष्ट्रीय चेतना को कुचल देगी। साथ ही ब्रिटिश शासक भी भारतीय नेताओं की भावनाओं से अनभिन्न अथवा उदासीन नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी अनुभव किया कि भारत के शासन में भारतीयों का महयोग आवश्यक है। अतः ऐसा सहयोग लेने में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ही चुना। उनमें से अनेक को उपाधियों में अलकृत किया तथा शासन-परिषदों में स्थान दिया। इन नेताओं ने ऐसे पदों को प्राप्त करने में पदलोभता की भावना नहीं दर्शायी प्रत्युत उनका यह आचरण ब्रिटिश शासन तथा भारतीय राष्ट्रीयता दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। दूसरी ओर भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए भी यह व्यवस्था प्रेरणास्पद सिद्ध हुई।

(3) सांविधानिक साधनों के प्रयोग पर विश्वास—कांग्रेस के आरम्भिक नेता उदारवादी थे। उनकी धारणा यह नहीं रही कि वे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी तथा निरकुशतावादी

¹ 'We have abounding faith in the justice and generosity of English people'

² 'Let us stand up like men and proclaim that we are loyal to the backbone'

नीतियाँ एव आचरणा का हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी साधना से विरोध करें। वे न तो ऐसे साधना का उचित समझते थे और न ही एम साधना का अवनम्बन करने में सफलता सम्भव थी। अतः इन नेताओं ने कानूनी साधना के द्वारा अपनी मांग सरकार के सामुग्न रखना अपना नय्य बनाया। जवाहरजीय कानूनी का विरोध स्मरण-पत्रा प्रस्तावा निष्पत्त अथवा आवेदन पत्रा के द्वारा करना उनका मुख्य साधन था। बहुधा उनकी एमी पद्धति को राजनीतिक भिन्नवृत्ति की सना दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि वे अपनी राजनीतिक मांगों को भारत तथा इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रार्थना-पत्रा आवेदन तथा प्रत्यावेदन (prayer petitions protests) के रूप में रखते थे। उनका उद्देश्य सरकार से मध्य करना नहीं था। उस काल में कायम की प्रमुख मांग शून्य स्वराज प्राप्त करने की भी नहीं थी। अपितु वह यही चाहती थी कि जिस प्रकार इंग्लैंड की जनता अपने दंग में स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकारों का उपभोग करता थी वसा सुविधा भारतवासियों को भी अपने दंग में मिलनी चाहिए। कानून तथा प्राणीय स्तरों पर वास्तराय तथा गवर्नरों की परिषद में भारत के शासन को अधिकधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उन्हें कायपात्रिका के सन्स्था से प्रश्न पूछने वजह पर वाद विवाद करने आदि का अवसर मिलना चाहिए। सुयोग्य भारतीयों को सरकार में उच्च पदा पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कभी कभी अपने प्रतिनिधियों का धारा-सभाया में निर्वाचित करने के अधिकार की मांग भी रखी जाती थी। साथ ही प्रारम्भिक नेताओं ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक तथा न्यायिक कायपात्रिका में जो दमनकारी तथा शोषणकारी कानून बनाये थे और जो भारत के अहित की नीतियाँ अपनायी थीं उन्हें समाप्त करने की मांग भी की जाती रहा। इन नेताओं का विश्वास था कि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार करगी न करने पर उससे समक्ष बारम्बार आवेदन किया जायेगा। इस दृष्टि से उस युग के नेताओं के ये साधन सम्योचित तथा व्यावहारिक थे।

(4) ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर विश्वास—उस युग के भारतीय नेताओं की ऐसा शिक्षावृत्ति की नीति अपनाए का कारण कवन यही नहीं था कि वे उग्र तथा क्रांतिकारी साधना को अपनाए अपने का अगत समझते रहे। साथ ही यह बात भी नहीं थी कि वे ब्रिटिश शासन के अनेक दमनकारी रवियों को सामाय रूप से ही देखते रहे। वास्तविकता यह थी कि उन नेताओं को अग्रज जाति की शायप्रियता तथा ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। वे पाश्चात्य शिक्षा तथा ब्रिटेन में अपने व्यक्तिगत अनुभवा के प्रभाव से यह विश्वास करते थे कि अग्रज लोग स्वभावतः स्वतंत्रता प्रेमी हैं अतः वे अपनी भारतीय प्रजा को भी ऐसी सुविधा देंगे। साथ ही इन नेताओं की यह भी धारणा थी कि जमी भारत स्वशासन के लिए भूमी भूमि तयार नही हो पाया है अतः शाय-शय अग्रज शासक यह अनुभव करने लगेंगे कि अब भारतवासी एमी क्षमता रखने लगेंगे हैं त्या त्या के मन शन भारतवासियों को ऐम राजनीतिक अधिकार देना प्रारम्भ कर देंगे। अतएव इंग्लैंड में भी एम जनमत को जाग्रत करना उन नेताओं ने अपना नक्ष्य बनाया। चूकि इंग्लैंड के भारत स्थित शासन यहाँ मनमाना व्यवहार करते थे क्योंकि वे इंग्लैंड से अत्यन्त दूर भारत में नौकराही शासन का स्वाद चख चुके थे अतः भारतीय नेताओं ने उनकी एमी गतिविधियों के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता के मध्य जनमत का निर्माण करना अपना नक्ष्य बनाया क्योंकि भारतीय नेताओं को इंग्लैंड की जनता की स्वाभाविक ईमानदारी तथा शायप्रियता पर विश्वास था। ये भावनाएँ कायम से उस युग के नेता समय-समय पर व्यक्त भी करते रहे और सावजनिक रूप से अग्रजों का गुणगान करते रहे। उन्हें यह विश्वास था कि जिस प्रकार अग्रज न अग्र्य उपनिवृत्तों को स्वतंत्रता प्रदान की है उसी प्रकार वे भारत को भी मन-मन यह अधिकार देंगे।

प्रारम्भिक नीतियों की आलोचना—मन ही तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में उस युग के भारतीय उदारवादी नेताओं का ये नीतियाँ तथा धारणाएँ व्यावहारिक दृष्टि में ठीक नहीं

हो, तथापि यह मानना उचित नहीं है कि उनकी धारणाएँ ठीक ही थी। वास्तव में वे नेता ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के कुचक्रों का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। उन्होंने भारत के सन्दर्भ में अंग्रेज जाति की जनतन्त्रप्रियता तथा न्यायप्रियता का गलत अर्थ समझा। अंग्रेजों के हृदय में ऐसी धारणा अपने देश में भले ही विद्यमान रही है, परन्तु भारत में वे साम्राज्यवादियों के रूप में आये थे। उन्हें भारत का आर्थिक शोषण करना था और यदि वे भारतवासियों की स्वशासन की माँग को थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर पूर्ण करने लगते तो उनकी सब आकांक्षाएँ ममाप्त हो जाती। भारत का आर्थिक शोषण उनके लिए तभी सम्भव था जबकि वे यहाँ पूर्ण स्वेच्छाचारी शासन कायम रखते। अतः उदारवादी नेता यह न समझ सके कि ब्रिटिश शासक भारतीयों को न तो स्वशासन की दिशा में शिक्षित करना चाहते थे और न उनका कभी यह उद्देश्य था कि योग्यता प्राप्त कर लेने पर वे धीरे-धीरे भारतवासियों की किसी भी ऐसी माँग को पूर्ण करेंगे। यदि थोड़े से शिक्षित वर्ग को उन्होंने कभी शासन की सेवाओं में रखा तो उसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना प्राप्त व्यक्तियों को आन्दोलन करने से रोकने का प्रलोभन देना मात्र था। वे इन व्यक्तियों से ब्रिटिश राज के प्रति अन्ध-निष्ठा रखने की ही कामना करते थे। यदि अंग्रेज सचमुच लोकतन्त्रप्रिय, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा न्यायप्रिय थे तो जैसी स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड की जनता को प्राप्त थी, वैसी भारत में भारतवासियों को देने में निरन्तर आना-कानी करना क्या उनकी ऐसी उक्त भावनाओं से सगति रखता था? एक स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादी सत्ता से स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता की उपलब्धि 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' का साधन अपनाकर नहीं हो सकती थी। अतएव आरम्भिक उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की नीति बहुत प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकी।

मूल्यांकन—परन्तु जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत कांग्रेस का शैशव काल बीता, उनके अन्तर्गत सम्भवतः उदारवादियों की नीतियाँ ही व्यावहारिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त थी। उस समय तक भारतीय राष्ट्रीयता इतनी सगठित नहीं थी कि वह कठोर साधन अपनाकर स्वाधीनता प्राप्त कर सकती। ऐसी क्रान्ति को अंग्रेज शासक आसानी से दबा देते। ऐसी स्थिति में पुनः 1857 के विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो जाता। न मालूम उसके क्या परिणाम होते। अतएव उदारवादी राष्ट्रवाद का भारतीय राष्ट्रीयता के सगठन को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। इन नेताओं ने एक ओर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी राजनीतिक माँगें रखकर उसे यह चेतावनी देने का कार्य किया कि उसके अत्याचारी एवं स्वेच्छाचारी शासनिक कृत्य शासितों को ज्ञात हैं और भारतीय जनता उनके सम्बन्ध में जागरूक है। अतः उसे ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर इन राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय जनता को विदेशी शासकों की अन्यायपूर्ण नीतियों से परिचित कराके भारतीय जनमत को प्रबल बनाने में योगदान किया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता को सही दिशा प्रदान करके उसका निर्देशन किया। यह बात भी बहुत कुछ मान्य है कि 1892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं उदारवादियों की माँगों से प्रभावित होकर पास किया।

प्रभाव—इस दृष्टि से उदार राष्ट्रवादी नीति समयोचित थी। भले ही उन नेताओं ने साम्राज्यवादी विदेशी शासकों की कूटनीतिक चालों का सही उत्तर अपने कार्यक्रम द्वारा न दिया हो, तथापि उनका महत्त्वपूर्ण योगदान यह था कि उनके कार्यक्रमों ने भारतीय जनमत को राष्ट्रीय एकता की दिशा में मोड़ा और भारतवासियों में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न की। इस दृष्टि से उदार राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रणेता कहना सर्वथा उचित है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन रूपी भव्य भवन की सुदृढ़ नींव का निर्माण इन राष्ट्रवादियों की नीति थी, जो डॉ॰ मीतारामैया के शब्दों में, 'पहले उपनिवेशों के डग के स्वयामन, फिर साम्राज्य के अन्दर होम रूल और उसके पश्चात् स्वराज्य तथा अन्त में

पूण स्वाधानता की मांग के रूप में निर्मित हुआ। यद्यपि क्रुपनड के मत से भारतीय राष्ट्रीयता त्रिनिग राज की गिगु थी और त्रिनिग अधिकारिया न इस पालन में जागीवाट दिया' तथापि वास्तविकता कुछ और है। यदि तान रिपन सदृश वाइसराय सचमुच में भारतवामिया को राजनीतिक एक तोकन नी गिग देन के उद्देश्य से स्थानात्मक स्वायत्त मस्याआ की स्थापना कर गये और तान डफरिन न काग्रम की स्थापना को भारत के शासन सचानन में भारतीय जनमत प्राप्त करने का साधन मानकर उम प्रात्माहन लिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि त्रिनिग अधिकारिया न भारतीय राष्ट्रीयता का पालन-प्रापण किया क्योंकि बाद में स्वयं तान डफरिन को काग्रस के ऊपर काफी सन्नेह होन गग गया था और चांटे ही वर्षों के बाद तान कजन सदृश वाइसराय ता भारतीय राष्ट्रीय मागा का कट्टर गन सिद्ध हुआ था।

क्या त्रिनिग शासक भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे?—काग्रस की स्थापना होने पर यदि ग्राम्मिक काग्रसी नेताआ न त्रिनिग शासन की कुचाना का तीव्र तथा क्रांतिकारी विरोध करने की अपन उसस सहयोग करने आवेदन करन तथा भिक्षावृत्ति के द्वारा ही सही भारतीय राष्ट्रीय मागा का पूण करने की नीति अपनायी तो इसका यह अर्थ नहीं था कि त्रिनिग शासक भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे। काग्रस की उत्पत्ति के दो या तीन वर्ष तन त्रिनिग शासक न काग्रसा नेताआ का स्वागत किया। परंतु जसा पहले कहा जा चुका है वनी तान डफरिन जिहान इस राजनीतिक स्वरूप देने का प्रस्ताव किया था दो ही वर्ष बाद इस सन्नेह की दृष्टि स दलन गये और राजनेही मस्या में मानन गये। कई प्राजा के मननरा न जन अधीन य प्रशासनिक अधिकारिया तथा सरकारी कर्मचारिया को जागश से दिये थे कि यदि वे काग्रम के अधिकेशन या सभा में उपस्थित हागे तो उस प्रशासन भग का अपराध माना जायेगा। काग्रस की वल्नी हुई लोकप्रियता का दमन करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा शासनविरोधी भाषण देने या ऐसे काय-कनापा का दणनीय अपराध धापित कर लिया गया। राष्ट्रीयता को कुचानन के उद्देश्य में जब त्रिनिग शासक ने जो नई नीति अपनायी वह तब स तकर स्वतंत्रता प्राप्ति तन ही नहीं अपितु आज तक भी भारतीय राष्ट्रीयता के लिए अभिशाप सिद्ध हुइ है। उस समय तन अग्रज मुसतमाना को त्रिनिग राज्य का गत्र मानने थे। उनके मत से 1857 के विद्रोह में मुसतमाना का प्रमुख हाथ था और मुसतमाना की धार्मिक कट्टरता यूरोपीय सस्टुति की विरोधी थी। अत 19वा सदी के अन्तिम वर्षों तक त्रिनिग शासक न भारतीय मुसतमाना को गिग राजनीतिक जीवन सावजनिक स्वाआ सना जाति में प्रात्माहन न देने की नीति अपनाकर उन् उपरिग रग्या। राष्ट्रीयता के विकास में फनस्वरूप अनेक गिगित मुसतमान काग्रस में शामिल हो गये और चूकि काग्रस प्रारम्भ से ही एक राष्ट्रीय तथा धम निरपक्ष सस्या के रूप में विकसित हा रही थी अत त्रिनिग शासकों ने काग्रस में फूट डानने तथा भारतीय राष्ट्रीय एकता को अवस्द्ध करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिकता को भडकाने की नीति अपनायी। उहोने अथ मुसतमाना को प्रोसाहित करना गुर किया और उत्तम हिन्दू सम्प्रदाय के विरुद्ध घणा करने की भावना उत्पन्न की। अग्रजा की यह फूट डानो और राय करो की नीति भारतीय राष्ट्रीय आन्दोन के विकास में निरन्तर एक विषय काट की भाति चुभती रही। काग्रस तथा भारतीय राष्ट्रीयता के जम के पचास गीघ ही त्रिनिग शासक का रख इनके विरुद्ध हा गया। वास्तविकता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीयता का जम के उपरान्त जहा भारतीय उदारवादी राष्ट्र नता त्रिनिग शासक के समक्ष सहयोग और मदभावना की धारणा रखन हुए अपनी कुछ न्यायसम्मत मागा का रखने की नीति अपना रहे थे वहा त्रिनिग शासक काग्रस की ऐसी नीति का सहन नहीं कर सके और उसके विकास का निरन्तर सद्दह की दृष्टि से देखने गग। 1892 के सुधार त्रिनिग सरकार ने किसी स्मानकारी की भावना से गगू नहीं किय अपितु कुछ विवगताआ के कारण किये।

1892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम पृष्ठभूमि तथा प्रभाव

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोन भारतीय राष्ट्रीय काग्रम तथा भारत के साविधानिक विकास

का क्रम समानान्तर विकसित हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है—

(1) अंग्रेजों की भारत में यूरोपीय सस्थायें स्थापित करने की धारणा—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रीगणेश ऐसे समय में तथा ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत हुआ था जिसे दबा सकना किसी भी सत्ता के लिए सम्भव नहीं था। भारतीय राष्ट्रीयता की माँग इतनी न्यायपूर्ण तथा वास्तविक थी कि प्रारम्भिक राष्ट्रीय उदार नेताओं की भिक्षावृत्ति की नीति में भी उतना ही बल था जितना कि किसी कानूनी न्यायिक माँग में हो सकता है, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में विकसित हुई राष्ट्रीयता ने कांग्रेस के द्रुत विकास को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। यद्यपि मैकॉले सदृश यूरोपीय राजनेता भारत में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति एवं सस्थाओं को शनैः शनैः इस रूप में ला देना चाहते थे कि भारतवासी उनसे इतना साम्य स्थापित कर ले कि वे फिर अपनी समस्त सस्थाओं तथा संस्कृति को ही भूल जायें। इस प्रकार भारत का ही नहीं अपितु समूचे एशियाई देशों का, जहाँ यूरोपीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था, यूरोपीयकरण हो जायें। भारत में राष्ट्रीयता का विकास भले ही यूरोपीय सम्पर्क के प्रभाव से हुआ, किन्तु वह अपना स्वतन्त्र तथा स्वदेशी दिशा में ही बढ़ रहा था। अतः इस विकास के सन्दर्भ में अब ब्रिटिश शासकों के लिए यह बात आवश्यक हो गयी थी कि वे शीघ्रातिशीघ्र भारतीय शासन में ब्रिटेन के नमूने की सस्थाओं की स्थापना करें।

(2) कांग्रेस की भारत में ससदीय सस्थायें स्थापित करने की माँग—1892 के अधिनियम को पारित करने का एक प्रधान कारण यह भी था कि कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पास कर लिया था कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका में अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्य बढ़ाये जायें और व्यवस्थापिका सभाओं के विस्तार द्वारा सदस्यों को कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने तथा आय-व्यय पर विचार-विनिमय करने का अवसर दिया जायें अर्थात् कांग्रेस की माँग भी भारत में ससदीय शासन-प्रणाली को प्रारम्भ करने की हो गयी थी। ब्रिटिश शासकों को यह अनुभव होने लग गया था कि देश का शासन संचालित करने में जनमत का ज्ञान करना आवश्यक है और इसके हेतु व्यवस्थापिकाओं का विस्तार करके उनमें जनमत को व्यक्त करने वाले जन-नेताओं को लेने से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

(3) ब्रिटिश नौकरशाही की गृह सरकार के नियन्त्रण से मुक्त रहने की अभिलाषा—भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के अधिकारी यहाँ के शासन को अधिकाधिक मात्रा में गृह सरकार (ब्रिटेन स्थित सरकार) के नियन्त्रण तथा निर्देशन से स्वतन्त्र रखना चाहते थे। इसलिए वे सीमित शक्तियों से युक्त भारतीय सदस्यों से निर्मित व्यवस्थापिकाओं की स्थापना में अभिरुचि रखने लगे।

1892 के अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीय शासन में व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में निर्वाचन के सिद्धान्त को अपनाया गया। इस दृष्टि से इस अधिनियम को यदि किसी अर्थ में सुधार कहा जायें तो वह यही है कि इसने शासन में जनता के नेताओं को अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने का अवसर दिया और शासन की परिपदों में उनकी सत्ता में विस्तार किया। साथ ही कार्यपालिका से प्रश्न पूछने तथा वजह पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया। परन्तु गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों को इतने अधिक अधिकार प्राप्त थे और इन परिपदों में शासन द्वारा नियुक्त तथा नामांकित सदस्यों की सत्ता इतनी अधिक थी कि गैर-सरकारी सदस्यों की आवाज को वे प्रभावशून्य समझते थे। शासन सम्बन्धी नीतियाँ, निर्णय तथा कानून पहले ही अन्तिम रूप से निर्णीत हो जाते थे और परिपदों के ये तथाकथित निर्वाचित सदस्य केवल उन पर अपने विचार रख सकते थे। जो बहुधा अन्वीकृत हो जाते थे। स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन की ऐसी नीति का विरोध अब उदार नीति से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकता था।

प्रश्न

- 1 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय पश्चात्तय शिक्षा प्रणाली से अनुप्राणित था ?
- 2 उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में भारत में वे कौनसी परिस्थितियाँ काम कर रही थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सम्भव बनाया ?
- 3 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कांग्रेस का स्थापना अग्रजों ने इसलिए करवाया था ताकि देश में बन्दे हुए अमतोष को रोका जा सके ?
- 4 अपने आरम्भिक वर्षों में कांग्रेस का क्या उद्देश्य था ? उनको प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी रीतियाँ अपनाई गयीं ?
- 5 कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की सद्भावितक निष्ठाओं पर प्रकाश डालिए ।

राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक युग (NATIONALISM . EARLY PHASE)

आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी का द्वितीय उत्तरार्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इस युग में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपना पूर्ण राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, परम्पराओं आदि के बनाये रखने में कोई अभिरुचि नहीं थी। वे भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण में ही अपना हित समझते रहे थे। इसलिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा, संस्थाओं एवं शासन पद्धतियों को लागू करने में उनकी अभिरुचि बनी रही। मैकले सदृश राजनेता भारतीय संस्कृति को समाप्त करके यहाँ पूर्णतया यूरोपीय संस्कृति थोप देना चाहते थे। परन्तु जब 19वीं शताब्दी के अनेक भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पाश्चात्य देशों में जाने, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने तथा उन देशों की प्रगति का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें अपने देश की सांस्कृतिक अवनति को देखकर अत्यन्त दुःख हुआ। इनमें से अनेक महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति पाश्चात्य देशों की तुलना में महानतर थी। परन्तु ऐसी महान् संस्कृति का महान् देश विदेशी आधिपत्य के प्रभाव में आकर पतित-वस्था में चला जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि भारतीय हिन्दू समाज में कतिपय बुराइयों घर कर चुकी हैं। धार्मिक अन्ध-विश्वासिता, सकीर्णताये, छुआछूत की भावना, बाल-विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की समस्या, अशिक्षा आदि ने हिन्दू समाज को विल्कुल गिरा दिया है। ऐसी स्थिति में जब तक हिन्दू समाज को इन बुराइयों से मुक्त न किया जाये, तब तक भारत का उत्थान सम्भव नहीं है। उक्त सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों से हिन्दू समाज को मुक्त कराके उनमें आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास तथा देश-प्रेम की भावना का संचार कराना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत के कुछ बुद्धिवादी महापुरुषों में भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रति तीव्र उत्कण्ठा जागृत हुई। इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम अग्रणी है। ये नेता विशुद्ध रूप में राष्ट्रवादी तो नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये न तो राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले आन्दोलनकारी नेता थे और न ही इनमें से कोई ऐसे राजनीतिक चिंतक की श्रेणी में आता है जैसे कि पाश्चात्य देशों के चिंतक रूसो, काट, ग्रीन, हीगल, मार्क्स आदि थे। परन्तु इन्होंने जिन समाज-सुधार तथा धर्म-प्रचार आन्दोलनों का सूत्रपात किया, वे परोक्ष रूप में भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले सिद्ध हुए। इन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों को राजनीतिक धारणाओं, विचारों एवं सक्रिय राजनीति से पृथक् समझा जा सकता है। इन आन्दोलनों ने अन्ततोगत्वा भारतवासियों में यह भावना जागृत करने में सहायता प्रदान की कि भारत का सांस्कृतिक पतन मुख्यतया राजनीतिक पराधीनता का फल है। अतः भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। प्रारम्भ में इन पुनर्जागरण आन्दोलनों के नेताओं में यह धारणा रही कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पूर्व शर्तें हैं। परन्तु धीरे-धीरे जब राष्ट्र भावना अधिक विकसित हो गयी तो आगामी आन्दोलनों में यह विचार व्यक्त किये जाने लगे कि पहले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी आवश्यक है और राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर सामाजिक तथा धार्मिक सुधार

सिद्धि तब से सम्पन्न किया जा सकेगा।

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भक युग के नेताओं को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। प्रथम क अतन्त्र पुनर्जागरण क सुधारवादी नेता आते हैं। इनमें राजा राममोहन राय तथा उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज कार्यक्रम का कर्तृत्व उनका अनुयायी नेता है। इसी श्रेणी में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के नेता महादेव गोविन्द रानडे द्वारा स्थापित प्रायश्चित्त समाज के नेता स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द और जनक श्यामापुत्र समाज की प्रमुख नयी श्रेणियों एनी बसेन्ट के नाम प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में हम कांग्रेस की स्थापना का नाम पर कांग्रेस के आरम्भक युग के उन नेताओं का रखते हैं जिन्हें उदारवाद (moderates) कहा जाता है। इनके अन्तर्गत दत्तात्रेय और जे. ए. सुब्रह्मण्यम बन्जी फारगनाह महता रामकृष्ण गोपाल कामराज बन्जी सुब्रह्मण्य अथवा दत्तात्रेय आचार्य ए. आर. हेम चन्द्रियम वरप्रसाद आदि प्रमुख हैं। ये लोग सक्रिय राष्ट्रीय नेता थे और इनके कार्यक्रम तथा विचार मुख्यतया राजनीतिक थे यद्यपि पूर्व के समाज सुधार तथा धर्म सुधार आन्दोलनों के विचारों का भी उनका ऊपर पड़ना प्रभाव था। ये नेता उदारवादी इस अर्थ में थे कि ये क्रिया शान्त का सहयोग करके सामाजिक धार्मिक एक राजनीतिक सुधारों का सम्पन्न कराना तथा कानूनी तरीकों से राजनीति में भारतवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराना चाहते थे। परन्तु 20वाँ सदी के आरम्भ में भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ उग्रवादी धारणाएँ उत्पन्न होने लगीं। परिणामस्वरूप उदारवादियों की नीतियों का विरोध में वान गंगाधर तिलक जयविद्ये घोष तथा तान्त्रिकराय त्रिपुत्रिचत पात्र श्रेणियों एना बसेन्ट आदि ने उग्र राष्ट्रीयता के विचार रखे। ये नेता भारत का विदेशी सत्ता में स्वतन्त्र कराना प्रथम कार्य मानते थे। ये समाज सुधार तथा धार्मिक सुधार के कार्यों के विरोध नहीं थे। परन्तु इनका विश्वास था कि विदेशी राजनीतिक सत्ता का सहायता करके एक सुधार का करवाया जाना कोई औचित्य नहीं रख सकता और न वह प्रभावशाली हो सकता है।

इस दृष्टि से हम राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व का निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत करके राजनीतिक विचारों के अन्तर्गत उनका विचारों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करके

- (1) सुधार आन्दोलनों के नेता
- (2) कांग्रेस के आरम्भक उदारवादी नेता
- (3) पूर्व गांधी युग के उग्रवादी नेता
- (4) गांधी युग के नेता

सुधार आन्दोलनों के नेता

(क) राजा राममोहन राय (1772-1833)

राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें बंगाल भाषा के अतिरिक्त फारसी तथा अरबी भाषाएँ सिखायी गयीं। तत्पश्चात् उन्होंने मस्जिद भाषा का अध्ययन किया। इन भाषाओं के अध्ययन का प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने अल्फायु में ही उनके माध्यम से इस्लाम तथा हिन्दू धर्मों के मूल ग्रन्थों कुरान वद उपनिषद् आदि का अध्ययन किया और उन्हें हिन्दू धर्म के अन्तर्गत जा गए अनेक अर्थविश्वासों का घणा होने लगीं। ये मूर्ति पूजा तथा अन्तर्विरोध का हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग नहीं मानने लगे। कुछ बड़े होने पर ये तिब्बत गये। वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म में जो बुराईयाँ आ गयी थी उनमें भी उन्हें घणा हो गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में हिन्दू समाज में आ गया अनेक कुरीतियों का भी बहुत अनुभव किया यथा सती प्रथा वान विधवाओं का समस्या बहुत विवाह प्रथा महिलाओं की दामनी की स्थिति आदि। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये समस्त

सामाजिक कलक धर्म पर आधारित कुप्रथाओं के विकास का फल है, न कि किसी धर्म विशेष के मौलिक सिद्धान्त। वाइस वर्प की उम्र से इन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया और उसमें भी दक्षता प्राप्त की। इसके कारण उन्हें ईसाई धर्म ग्रन्थों, पाश्चात्य देश के दार्शनिकों के विचारों तथा पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिला। इससे उन्होंने ईसाई धर्म की भलाइयों तथा बुराइयों का भी अनुभव किया। ये पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए जिसके अन्तर्गत अनेक विज्ञानों, सामाजिक शास्त्रों तथा दर्शन का अध्ययन कराया जाता था।

भारतीय समाज के अन्तर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्यों का आन्दोलन चलाने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में जागृत हुई। उनके विचारों से उनके अनेक साथी बहुत प्रभावित हुए। उन सबके सहयोग से 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के अन्तर्गत सुधार आन्दोलन की एक प्रमुख संस्था थी, इसके अनुसार अनेकेश्वरवाद, समस्त मानव जाति के एक धर्म, मूर्ति पूजा का विरोध, एक निराकार ब्रह्म की सत्ता के ऊपर विश्वास, साम्प्रदायिक भेद-भाव की समाप्ति आदि के प्रचार आन्दोलन चलाए गए। ब्रह्म समाज के अनुसार जिस एकमात्र मानव धर्म को महत्त्व दिया गया उससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि राजा राममोहन राय हिन्दू होते हुए भी किसी प्रचलित ऐसे धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे जिसमें साम्प्रदायिकता की भावना रहती हो। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में जहाँ कि धार्मिक भेदभावों ने समाज की एकता तथा प्रगति को अवरुद्ध करने में महत्त्वपूर्ण कार्य भाग सम्पन्न किया था, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज आन्दोलन में भारतीय राष्ट्रीय एकता का भारी समर्थन मिलता है।

राजा राममोहन राय का कार्य क्षेत्र हिन्दू समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों का अन्त कराने में अधिक था। उन्होंने सती प्रथा को कानून द्वारा बन्द करवाने में तत्कालीन रूढ़िवादी हिन्दुओं के विरोध का डटकर सामना किया और इस वर्चस्व प्रथा के विरुद्ध भारी जनमत तैयार किया। महिलाओं के उत्थान में उनकी भारी अभिरुचि थी। बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विवाह की समाप्ति, बहु-विवाह की समाप्ति, स्त्री-शिक्षा, आदि का उन्होंने तीव्र प्रचार किया। हिन्दुओं में जाति-प्रथा से उत्पन्न हुए सामाजिक दोषों का भी उन्होंने तीव्र विरोध किया। हिन्दू समाज सुधार के निमित्त उन्होंने विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रों, स्मृतियों आदि से प्रमाण लेकर बुराइयों का निवारण कराने का प्रचार किया।

यद्यपि राजा राममोहन राय को न तो एक राजनीतिक चिंतक की श्रेणी प्राप्त होती है और न ही वे एक राजनेता की श्रेणी में आते हैं, तथापि उनके अनेक विचार तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत महत्त्व रखते हैं। वे 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के आदि प्रणेताओं में से थे। यह पुनर्जागरण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों से सम्बद्ध था। यद्यपि इसमें पाश्चात्य संस्कृति, दर्शन तथा राजनीति के प्रभाव को अमान्य नहीं किया जा सकता, तथापि इसके अन्तर्गत राजा राममोहन राय ने जिन विचारों को रखा वे कोरे पाश्चात्य विवेकवाद, बुद्धिवाद, आविर्भावितकतावाद से प्रभावित न होकर हिन्दू संस्कृति, धर्म तथा शास्त्रों के विवेकपूर्ण निर्वचन पर भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यक्त विचारों पर आधारित थे। चूँकि भारत में उस समय विदेशी निरंकुश शासन कायम था, अतः भारतीयों की नागरिक, वैयक्तिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर भारी अकुश लगे थे। अतः राजा राममोहन राय ने अनुभव किया कि जब तक भारतवासी इन स्वतन्त्रताओं से वंचित रहेंगे तब तक समाज-सुधार या धर्म-सुधार कार्य सम्भव नहीं होंगे। पाश्चात्य देशों की परिस्थितियों के अध्ययन ने उन्हें यह नमादान कर दिया था कि पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंग्लैण्ड, में जनता ने उन्नति इसीलिए की है कि वहाँ नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग करते हैं। भारत में समाज सुधार एवं धर्म-सुधार के निमित्त प्रेस की स्वतन्त्रता अपरिहार्य थी। किन्तु भारत की सरकार ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर भारी प्रतिबन्ध लगा दिये थे। अतः राजा जी ने इसके विरुद्ध साविधानिक तरीके से आन्दोलन प्रारम्भ

कर दिया। उन्होंने कानकता सुप्रीम कोर्ट के समान जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लग गवर्नर जनरल के अध्यादेश के विरुद्ध स्मरण पत्र पत्र किया। वहाँ उस अस्वीकार कर दान पर प्रिवी काउंसिल में भी स्मरण पत्र भजा। यद्यपि वहाँ भाव बह अस्वीकृत हो गया तथापि उन्होंने सावधानिक तरीका से इस व्यापारिक भाग की पूर्ति के लिए आन्दोलन जारी रखा। अतः उनकी मृत्यु के दो वर्ष पश्चात् 1835 में सर चार्ल्स मत्कार जब गवर्नर जनरल होकर आया तो उसने भारतीय प्रसन्न की स्वतंत्रता का मान्यता दी।

भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित 'याय व्यवस्था' के अंतर्गत न तो भारतवासियों को सच्ची 'याय' मिल सकती थी और न यहाँ 'यायपालिका' कायपालिका से स्वतंत्र थी। राजा जानकर विरुद्ध जावाज उठायी। उन्होंने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रख कि 'यायानया' में ज्यूरा प्रथा लागू की जाय 'यायाधीश' तथा 'मजिस्ट्रेट' के पद पृथक् क्रिय जाय 'कम्पनी' की नागरिक सभा में भारतीय नागरिकों की अधिक संख्या में नियुक्ति की जाय और विधि निर्माण के निमित्त भारतीय जनमत का ज्ञान किया जाए। उन्होंने क्रिमाना के ऊपर जमीनारों के अत्याचारों के विरुद्ध भी कानून बनाने की मांग की।

राजा राममोहन राय सबसे पहले वह नता थे जिन्होंने भारतीय जनता की राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के सम्बन्ध में वैधानिक तरीकों से सरकार के समक्ष मांग रखी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपनिधि कराना उनसे राजनीतिक विचारों का केन्द्र था। नागरिक अधिकारों के निमित्त वे विधि के शासन को लागू करने के हिमायती थे। उन्होंने पाश्चात्य देशों की राजनीतिक धारणाओं का सत्य भारतवासियों को दिया और अतः 1830 में जब वे इंग्लैंड गए तो वे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। वहाँ के स्वतंत्रता प्रेमी तथा मानवता प्रेमी महान् विभूतियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। राजा जी ने इंग्लैंड की जनता को भारत की स्थिति से अवगत कराया और इंग्लैंड में भारतीय जनता की मांगों के समर्थन में जनमत जुटाने का कार्य किया। कुछ काल तक बंग रहने के पश्चात् 1833 में वहाँ उनकी मृत्यु हो गयी।

भारतीय पुनर्जागरण को प्रेरणा देने वाले समाज-सुधार एवं धर्म-सुधार के कार्य का एक नवीन शिखर में संचालित करने वाले पाश्चात्य संस्कृति के भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय करने वाले तथा भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने वाले और भारतवासियों को नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्त्व का सत्य दान देने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उनके अथक प्रयासों का ही यह फल हुआ कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग समाज-सुधार, धर्म सुधार एवं राजनीतिक मांगों के प्रति जागरूक हुआ। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन में एक नई 'नहर' पैदा की। उनका मृत्यु के पश्चात् उनके ब्रह्म समाज के कार्य को उनके शिष्य महर्षि देवदत्तनाथ ठाकुर तथा कानकदास ने जारी रखा और कानांतर में श्याम समाज, प्राथना समाज तथा अन्य सुधार संगठनों को उनसे प्रेरणा मिली। जब भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का शीर्षण हुआ तो राष्ट्रीय आन्दोलन के तन्मय सभी आरम्भिक नेता जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित थे और उन्हीं की नींव पर उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का आग बढाया। मुरदनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में सावधानिक आन्दोलन का जनक करके सम्बोधित किया है। राजा राममोहन राय ने जो सदेश भारत को दिया था उससे कारण भारत का नव जागरण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883)

राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज आन्दोलन की ही भांति उन्नासवा गतानी के द्वितीयाध में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित श्याम समाज ने हिंदू धर्म सुधार भारतीय समाज के सुधार तथा भारत में नव राष्ट्रवादी शिखा का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान किया

है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म समाज का महत्त्व धीरे-धीरे घटता गया, परन्तु आर्य समाज आज तक अपने विकसित रूप में न केवल विद्यमान है, अपितु भारतीय हिन्दू समाज के अन्तर्गत उसे व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशकर था, 1824 में गुजरात के एक कट्टर हिन्दू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक कट्टर शिव उपासक थे। अतः मूल शकर को वाल्य काल में शिव भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी गयी। वात्यवस्था से ही मूल शकर एक प्रतिभाशाली तथा विवेकपूर्ण चिन्तन करने वाले व्यक्ति सिद्ध हुए। शिवरात्रि के पर्व पर एक दिन रात्रि को शिव मन्दिर में जागरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग के ऊपर चढाये गये प्रसाद को खा गया और शिवजी की मूर्ति जो इतनी महान् शक्तिशाली मानी जाती रही, वह स्वयं चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकी। उन्होंने अपने आपसे प्रश्न किया और अपने पिता से भी, कि आखिर यह क्या रहस्य था। कुछ काल पश्चात् उनके घर में विशुचिका से दो मृत्युएँ हो गयीं। उन्होंने तब भी यही प्रश्न किया कि जो परम शक्तिशाली शिव-मूर्ति निरन्तर पूजी जा रही है, वह ऐसा चाण नहीं दे सकती तो उस मूर्ति की पूजा पर विश्वास रखना कौन-सा धर्म है? वस यही से वे सत्य ईश्वर की खोज में लीन हो गये। वे राजा राममोहन राय की तरह मूर्ति पूजा के विरोधी तो हो ही गये। साथ ही सत्य की खोज में लग गये। पिता ने उनका मन बहलाने के लिए उनकी शादी का प्रस्ताव किया तो वे घर छोड़कर ही चले गये और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने लगे। उन्हें ऐसे गुरु की तलाश थी, जो उन्हें सत्य का दर्शन करा सके। अनेक मठों में जाकर उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, योगाभ्यास भी किया, साथ ही वेदों का भी अध्ययन किया। उन्हें कोई सच्चा साधु नहीं मिला जो उनकी निष्ठा का भाजन बन सके। अन्ततः 24 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वामी पूर्णानन्द से दीक्षा लेकर सन्यास ले लिया और स्वामी पूर्णानन्द ने उनका नाम दयानन्द सरस्वती रखा। बाद में वे मथुरा में स्वामी विरजानन्द के कठोर अनुशासन में उनके शिष्य रहे। उन्होंने दयानन्द को उपदेश दिया कि वे इस विश्व में फैले अनाचार आदि से विरक्त रहे और वेदों में वर्णित धर्म को अपनाये तथा विश्व को इसका सन्देश दे।

यद्यपि स्वामी दयानन्द ने सन्यास धारण कर लिया था, तथापि वे सासारिक जीवन से विरक्त नहीं हुए। उन्होंने सन्यास सत् की खोज के लिए धारण किया था। उन्हें ब्रह्म के दर्शन वेदों में हुए। सनातन हिन्दू-धर्म में प्रचलित अनेकेश्वरवाद कर्म-काण्ड, मूर्ति-पूजा आदि को उन्होंने धार्मिक आडम्बर तथा पाखण्ड समझा। राजा राममोहन राय की मूर्ति-पूजा विरोधी तथा एकेश्वरवादी ब्रह्म समाज की शिक्षाओं का आधार उनका उपनिषदों का ज्ञान था, जबकि स्वामी दयानन्द ने वेदों तथा वैदिक धर्म का अवलम्बन किया और यह उपदेश दिया कि वास्तविक धर्म वैदिक धर्म है जो आधुनिक विज्ञान, विवेक, तर्क आदि सबका मूल है। वेदों में वह समूचा ज्ञान भरा पडा है जो कि आधुनिक विकास के अन्तर्गत व्यक्त हुआ है। पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि की सत्यता सदिग्ध है। वेदों में निहित ज्ञान वास्तव में ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने वैदिक धर्म को ही वास्तविक धर्म माना और उसी का उपदेश जनता को दिया। स्पष्टतया उनके विचार जाति-पातिगत भेदभाव, छुआछूत की भावना, ऊँच-नीच आदि के कट्टर विरोधी थे। इस दृष्टि में उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के अन्तर्गत आ गयीं बुराइयों का कट्टर विरोध किया।

अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर उसका प्रसार लाहौर तथा उत्तरी भारत के अन्य स्थानों में भी किया। स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज एक ऐसी संस्था थी जिसके उपदेश सरल, मानवतावादी एवं गुणमतापूर्वक ग्राह्य सिद्ध हुए। इनमें हिन्दू धर्म के अन्तर्गत मान्य संस्कारों, कर्मकाण्ड, परिपाटियों आदि की जटिलता नहीं थी। आर्य समाज ने शुद्धिकरण की योजना अपनाकर विधियों को भी,

हिंदू धर्म में जान का भाग प्राप्त किया। सनातन हिंदू धर्म के अतगत धर्म बहिष्कृत जाया तथा विधर्मिया का अपन में मित्र बनने की व्यवस्था नहीं थी। आज समाज में इस कठोर नियम का अन्त किया और नये प्रकार के नये भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया। ब्रह्म समाज के अतगत पारचात्य मस्ति तथा ईसायित का भी प्रभाव बना रहने से वह अविनाशिक प्रिय नया नया पाया जाय समाज त्रिभुज तथा हिन्दू तथा वैदिक मस्ति पर आधारित हान के कारण अन्त जनप्रिय सिद्ध हुआ।

स्वामी दयानन्द ने तत्कालीन हिंदू समाज में अतगत जिन बुग्या का दया उन्त समाप्त करने का अभियान भा प्रारम्भ किया। वान विवाह बहु विवाह विप्रवाहा की समस्या शिक्षा प्रसार आदि के सम्प्रव में भी स्वामी जी न पुग्या का निराकरण करने के आतन चलाय। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आज समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाज की सग्या में छाती पीने जनक शिक्षा मस्यायें आज समाज के द्वारा स्थापित का गयी हैं। स्वामी जी न अनिवाय निशुत्त शिक्षा का आवश्यकता का बहुत महत्व दिया। उनका मत था कि 18 वर्ष का उम्र तक शिक्षा अनिवाय हानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चा की बौद्धिक शक्तिया का विकास उनमें श्रेष्ठ साधन की टव उत्पन्न करना ब्रह्मचर्य पानन गारीरिक विराम तथा आत्मानुप्रासन की प्रवृत्ति जाशुन करना हाना चाहिए। वे गुरुकुल महा शिक्षा मस्या का स्थापना पर बर दन थे। सह शिक्षा का व उचित नी मानन थे।

स्वामी जी की शिक्षा योजना राष्ट्रीय शिक्षा की धारक थी। उनके द्वारा स्थापित आज समाज की शिक्षाय धर्म निरपक्षता की एनी योजनाए है जिनके अतगत साम्प्रदायिक भेदभाव जातिगत भेदभाव या धर्मगत घणा का काई स्थान प्राप्त नहीं है। व विभिन्न धर्मों के अतगत अधविश्वासा के विनाशी थे। उनका आज समाज एना हिंदू धर्म था जा एक मानवतावादी धर्म की शिक्षा देता है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का गामिन करने का प्राविधान है। भारत महा विविध धर्मों का मानन धानी जनता के निमित्त राष्ट्रीय एकता की धारणा का बनवनी बनाने के लिए आज समाज से उत्तम और क्या व्यवस्था हा सकती थी? स्वामी जी की अद्य शिक्षा का अतगत उनका स्वदेशी के प्रति प्रेम वषण व्यवस्था नारा उत्पन्न स्पृश्यता का बिनट करना हिंदू का राष्ट्र भाषा के रूप में मानना¹ महिना उद्धार सत्य के प्रति निष्ठा धार्मिक सहिष्णता तथा गामाजिक कुप्रथा का तीव्र विराय गामिन है। इस प्रकार नव जागरण के युग में समाज तथा धर्म के क्षेत्र में जा सुधार की योजनायें तथा प्रचार उहाम सम्पन्न किया उतने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागने करने तथा एक प्रबुद्ध चेतना उत्पन्न करने की शिक्षा में महान् योगदान किया।

स्वामी दयानन्द के विचारों का क्षेत्र धर्म तथा समाज सुधार तक ही सीमित नहीं है। गजनीतिक क्षेत्र में भी उनका विचार महत्वपूर्ण है। व एक यथाय नाकतत्रवादी थे। यद्यपि व समाज को एक सावयव के रूप में मानते थे तथापि उसके अतगत व्यक्ति की गरिमा का बनाय रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता तथा बहुलता का धारणा पर बल देते थे। राज्य के काय तत्र के सम्बन्ध में उहाम जपन युग में यूरोपीय न्याय में विकसित यद्भाव्यम् (laissez faire) नीति का विराय करके नाकतत्रवाणकारों राज्य के आतन को भाय किया। व गामन सत्ता के कनीकरण की प्रवृत्ति के विरोधी थे और प्रतिनिध्यात्मक सस्था का द्वारा गामन सत्ता नये नान की आवश्यकता पर उहाने बर दिया। उम काल में भारत की गामन सत्ता त्रिनिश नौकरशाही के स्वेच्छाचारी गामन के अन्तगत थी। एस समय में स्वामी दयानन्द ने प्राचीन भारतीय लाजतन्त्री पद्धतिया का नानु विय जान की आवश्यकता पर नये किया। उनका मत था

¹ स्वामी दयानन्द स्वयं गुजरात में। उनके रचनाएँ जिनमें सस्था प्रवाण प्रमुख है हिंदी में लिखा गयी थी।

कि देय की प्रतिनिध्यात्मक मन्था मे तीन प्रकार की सभाये होनी चाहिए, राज्य सभा (राजनीतिक कार्यों के लिए), धर्म सभा (धर्म सम्बन्धी व्यवस्था के लिए) और विद्या सभा (सामाजिक एव मन्थनिक कार्यों के लिए)। वे प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के हाथ मे शासन सत्ता रखने की नीति के समर्थक थे। उनके राजनीतिक विचार प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं की शिक्षाओं पर आधारित थे, मुख्यतया वेदों तथा स्मृतिकारों के विचारों पर।

स्वामी दयानन्द के विचारों तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्य-कलापो ने 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के विकास मे महान् योगदान किया। उन्होंने हिन्दू समाज को अन्वविधवाओं, मामाजिक कुप्रथाओं के गर्त तथा विविध प्रकार के भेदभावों मे फस जाने से बचाया, साथ ही ईसाई मिशनरियों तथा मुस्लिम धर्म के अत्याचारों से भी बचाया। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अधिकांश नेता पाश्चात्य सस्कृति के प्रशमक थे। उनके कार्यकलापो मे पाश्चात्य रंग था। स्वामी दयानन्द ने भारतवासियों को विशुद्ध भारतीय सस्कृति की गरिमा का उपदेश देकर भारतीय राष्ट्रीय भावना के संचार का बीज वपन किया। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन मे पाश्चात्य प्रेमी उदारवादियों की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ। तिलक, लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल, महात्मा अरविन्द, विवेकानन्द आदि सभी ने विशुद्ध भारतीय सस्कृति का सन्देश दिया। इनके विचारों मे स्वामी दयानन्द के प्रभाव को विशिष्ट स्थिति प्राप्त होती है। दयानन्द को एक विशुद्ध राजनीतिक विचारक की श्रेणी तो प्राप्त नहीं होती, और न ही वे अपने युग के अन्य कई नेताओं की भाँति के राजनेता के रूप मे थे जिन्होंने किसी प्रकार के सांविधानिक आन्दोलन मे सक्रिय भाग लिया हो। परन्तु समाज तथा धर्म सुधार कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ उन्होंने जिन राजनीतिक आदर्शों की व्याख्या की थी, उनके कारण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत प्रेरणा मिली और उनके अनुयायी बाद मे सक्रिय राष्ट्रीय राजनीतिक नेता बने।

(ग) स्वामी विवेकानन्द (1863-1900)

19वीं शताब्दी के धर्म-सुधार तथा समाज-सुधार आन्दोलनों मे राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य समाज ने भारत की हिन्दू जनता मे जिस नव-चेतना का संचार किया था, उसे और अधिक भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्त करके भारतीय धर्म को मार्वाभौम रूप प्रदान करने का कार्य स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने किया। स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त पर आधारित हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सस्कृति की महानता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके उसके मानवतावादी स्वरूप का भारत मे ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रचार करने मे सफलता प्राप्त की। उनकी शिक्षाओं तथा विचारों का भारत के कोने-कोने मे प्रचार होने मे बाद के राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर गांधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि मे राजनीति तथा आध्यात्मिकता के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने मे अवलम्बन किया और उस युग मे पाश्चात्य की भौतिकतावादी प्रवृत्ति मे राजनीतिक विचारों तथा व्यवहार को मुक्त करने की प्रेरणा विश्व को दी।

सही अर्थ मे दयानन्द सरस्वती की भाँति स्वामी विवेकानन्द भी न तो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक चिंतक थे और न ही उन्हें एक राष्ट्रीय नेता मानना उपयुक्त है। परन्तु उस युग के धार्मिक, सामाजिक तथा मन्थनिक पुनर्जागरण मे उन्होंने भारत की राजनीतिक एव राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी। स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस अर्थ मे वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओं की श्रेणी मे आते हैं। स्वामी दयानन्द, जो कि आर्य भाषा मे बिल्कुल अपचित थे, ने देशों को अपने विचारों का ज्ञान बनाकर वैदिक धर्म तथा वैदिक सस्कृति का व्यापक प्रचार किया, स्वामी विवेकानन्द एक प्रतिभाशाली ट्रेजुएट थे, उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन

किया था। व जमराजा तथा यूरोप के अनक देशों में भी गये थे। इसलिए अग्रजी साहित्य पाश्चात्य दान एवं सस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन के आधार पर उन्होंने भारतीय सस्कृति का गरिमा को पाश्चात्य ज्ञान की तुलना में उद्दृष्ट सिद्ध करने का सफल प्रयास किया।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म बंगाल के एक सम्भ्रात कायस्थ परिवार में हुआ था। व प्रचपन से ही एक प्रतिभाशाली तथा प्रखर बुद्धि वान व्यक्ति सिद्ध हुए। उनकी माता हिंदू धर्म प्रथा का विगद नान रखती थी उनसे वानक विवेकानन्द¹ (जिनका प्रारम्भ का नाम नरनाथ था) को भारी प्रणाम मिली। उनकी विनम्र बुद्धि तथा स्मरण शक्ति की प्रशंसा उनके अध्यापकों ने निरन्तर की है। विद्यार्थी जीवन से ही वे दान तथा अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखते थे। उनका ज्ञान भारत की दीन तथा दरिद्र जनता के दुःखा की ओर गया। उन्होंने अपने जीवन का न्यय दरिद्र जनता के कष्टों का निवारण करना बनाया और इस उद्देश्य से वे परमात्मा की खोज करने लगे। उन्हें इस उद्देश्य की सफलता के लिए एक गुरु की आवश्यकता थी और ऐसे गुरु उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। यद्यपि रामकृष्ण ने विवेकानन्द में गिष्यत्व के पूरे गुण पाए तथापि विवेकानन्द सहस्र त्रिवक्शोण व्यक्ति ने उनका गुरुत्व स्वीकार करने में पूर्व बहुत नम्रों अर्वाधि तक उनकी सेवा की और उनके स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने गुरु को राम तथा कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया और गुरु तथा गिष्य की आत्मा का मिलन गुरु के शरीरान्त के समय ही हुआ। उनके पश्चात् विवेकानन्द ने अपने गुरु के सत्य का प्रचार आरम्भ किया।

उन्होंने कनकता के समीप जारानगर में 1886 में रामकृष्ण के नाम से एक मठ स्थापित किया जहाँ पर उनके सहचारी योग अध्यात्म का अध्ययन करते थे। उसके पश्चात् वे भ्रमण के लिए चलने लगे। सारे भारत का भ्रमण करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमात्मा का निवास प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में है। भारत की दरिद्र जनता के कष्टों का निवारण ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। व भारत की जनता के मध्य अमीर गरीब के भेदभाव में दुःखी हुए। जाति प्रथा के लोप को त्यक्कर उन्हें बला जाघान पहुँचा। जन्म में व कयाकुमारी के पास समुत् स्थित एक चट्टान पर बैठकर विचार करने लगे कि उनका क्या कर्तव्य है? उन्हें बोध हुआ कि मानव मात्र की आत्मा में परमात्मा का वास है। जन्म मानव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने यह अनुभव किया कि मानव आत्मा में जो दिव्य तत्त्व है उस प्रकार उसकी आत्मा का विस्तृत करने वाले तत्त्वों—काम क्रोध मोह मायाभोग आदि से मुक्त कराना चाहिए। एसा दिव्य सदेश हिंदू धर्म की शिक्षाओं में विद्यमान है। उन्होंने समूचे भारत का एक राष्ट्र के रूप में किया। इस राष्ट्रिय महानता तथा एकता को बनाए रखने में हिंदू धर्म की शिक्षाय यागदान करती हैं। राष्ट्र का जनता का कष्ट तथा दरिद्रता से राण दन का युक्ति यहाँ है कि राष्ट्र का जीवन सम्पूर्ण के लिए त्याग तपस्या तथा सेवा का भावना से निर्मित किया जाय। यही वास्तविक मानव धर्म है जिसकी शिक्षा हिंदू धर्मशास्त्रों के अंतर्गत दी गयी है। यही भारतीय राष्ट्र सस्कृति तथा हिंदू धर्म की महानता है। यही का प्रचार एवं उनकी सही कार्यविधि मानव का उनके कष्टों से राण दे सकती है।

1893 में अमरीका के शिकागो नगर में विश्व भर के धर्मों का महासम्मेलन हुआ था। विवेकानन्द का उमम शामिल होकर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने की सलाह कुछ भारतीयों ने दी। उन्हें यह प्रस्ताव उचित लगा। परन्तु तत्काल निमित्त उन्होंने अमीर योग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अस्वीकार कर दी और निधन जनता द्वारा एकत्र धन ही स्वीकार किया क्योंकि वे उसी निधन हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने जाने वाले थे। उनके कष्ट सहन करते

¹ यह नाम उन्हें सेनडी के राजा ने उस समय दिया जबकि वे अमरीका की यात्रा पर जाने वाले थे और उनका पश्चात् इसी नाम से प्रसिद्ध हो गये। परन्तु पूर्व उन्होंने अपने कई नाम रखे और अपना वास्तविक नाम गुप्त रखा।

हुए वे अमरीका पहुँचे। वहाँ सम्मेलन के प्रतिनिधियों की सूची में उनका नाम अंकित कराने की तयारी की गई थी। उनकी कोई पूर्व योजना भी नहीं थी, न उन्हें सम्मेलन की कार्य-विधियों की जानकारी थी। परन्तु वहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों से अकस्मात् उनका परिचय हो गया जिन्होंने धर्म-सम्मेलन के अधिकारियों के समक्ष उनकी प्रतिभा का परिचय कराया और उन्हें धर्म-सम्मेलन में आमंत्रित करा दिया। इस महासम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व के विविध वर्गों के प्रतिनिधियों में से विवेकानन्द ही ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने लिखित भाषण दे रहे थे, परन्तु उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। परन्तु उनका आशु व्याख्यान सुनकर श्रोता लोग चकित हो गए। उनके व्याख्यान ने सम्पूर्ण श्रोताओं को हिन्दू धर्म की महानता के प्रति आकृष्ट किया। यह पहला अवसर था जबकि इतनी विशाल सस्था के समक्ष किसी भारतीय ने हिन्दू धर्म की महानता का संदेश देकर विश्व के विविध धर्मावलम्बियों के ऊपर अपनी छाप छोड़ी। राष्ट्रीय गरिमा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का यह महान् कार्य विवेकानन्द ने पूर्ण किया। उनके प्रभाव में अनेक अमरीकी लोग आ गए। फिर वे इंग्लैंड गए। वहाँ भी उनका इसी प्रकार सम्मान हुआ। जब वे भारत वापस आए तो फिर देश भर में भ्रमण किया। अल्मोडा जिले में चम्पावत के पास मायावती नामक स्थान पर स्वामी रामकृष्ण व विवेकानन्द की स्मृति में अद्वैत आश्रम की स्थापना उनके कुछ शिष्यों ने की है। यहाँ पर अध्यात्म चिन्तन के साथ-साथ गरीब लोगों को बीमारियों की निशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की सुविधा भी दी जाती है। वेलूर मठ की स्थापना भी 1898 में की गयी थी। यह मिशन का प्रमुख केन्द्र है। अमरीका के न्यूयार्क नगर में उन्होंने वेदान्त सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य अमरीकावासियों को वेदान्त का ज्ञान कराना था। यूरोप में मैक्समूलर को उनसे मिलकर बड़ा सुख तथा मन्तोष हुआ। इसी प्रकार इंग्लैंड के अनेक दार्शनिक भी उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए।

भारत में उभरती हुई राष्ट्रीयता के युग में स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं ने राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने बताया कि राष्ट्र का वास्तविक जीवन केवल धर्म है। उन्होंने भारतवासियों को चेतावनी दी कि पाश्चात्य देशों की भौतिकतावादी संस्कृति भारतीय राष्ट्र के उत्थान में कभी सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने हिन्दू धर्म की रूढ़िवादी परम्पराओं को अमान्य किया जिनके अन्तर्गत जाति-प्रथा, छुआछूत आदि बुराईयाँ आ गयी थी। उन्होंने ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा भक्तियोग तीनों को सही परिपेक्ष में रखा और हिन्दू धर्म के मानवतावादी तथा आध्यात्मिक स्वरूप को यथार्थ के सन्दर्भ में व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि धर्माचरण दरिद्रता में सम्भव नहीं है, दरिद्रता निवारण सच्चा मानव धर्म है। विवेकानन्द मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, प्रत्युत वे मूर्ति पूजा को एक साधन के रूप में मानते थे। जाति-पाति के भेदभाव, छुआछूत की प्रथा के निवारण तथा अन्य ऐसी कुप्रथाओं का अन्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। यद्यपि विवेकानन्द न एक राजनेता थे और न वे राजनीति में महानुभूति रखते थे, तथापि उनके विचारों में देशभक्ति तथा राष्ट्रप्रेम की भावनाएँ भरी पडी थी। अतः आध्यात्मिक आधार पर राष्ट्रवाद के विकास में उनकी शिक्षाओं का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा जिसे बाद में तिलक, अरविंद तथा गांधी जी ने अपनाया। उनका अध्यात्मवाद हठधर्मों या विरक्ति का नहीं है। वह कर्म की शिक्षा पर बल देता है। वे एक अर्थ में समन्वयवादी थे। भारतीय अध्यात्म का पाश्चात्य के भौतिकवाद के साथ, तथा भारतीय वेदान्त का पाश्चात्य के विज्ञान के साथ समन्वय करके वे ऐसे मानव समाज की स्थापना पर जोर देने में जिसे समानता, अन्याय, घोषण, निरकुशता आदि को समाप्त किया जाय और मानवता एवं सम्पूर्ण मानवता की भावना में जीवन-यापन करे। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत को ही नहीं अपितु विश्व को मानवता की महत्ता सिनायी जिसका श्रोत उन्होंने वेदान्त तथा भारतीय संस्कृति में देना। परिणाम यह हुआ कि स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं ने भारतवासियों को राष्ट्रीयता की चेतना दी जो वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के महत्त्व को समझने लगे। इस दृष्टि में भारतीय

राष्ट्रीय जातिवाद का प्रभावित करने में स्वामी विवेकानन्द का नाम विस्मृत नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय उदारवादी नेता

(क) दादाभाई नौरोजी (1825-1917)

भारतीय राष्ट्रीय जातिवाद का प्रारम्भिक अग्रगण्य नेता का दादाभाई नौरोजी का महात्मा का विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्हीं कभी-कभी राष्ट्रीय जातिवाद का भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस की स्थापना एक उमर विराम में व 1885 से 1917 तक राज में अपना सक्रिय सहयोग देते रहे। वे अपनी पीढ़ी के एक मध्या के व्योमूढ नेता थे। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के आरम्भिक युग के उत्तरवादी नेताओं में थे। उनका राष्ट्रप्रमत्त तथा ऐंग्लमन्त्रि उद्देश्य की तरह उच्च वाणि की थी। दादाभाई नौरोजी का कांग्रेस के माध्यम से प्रारम्भ ही ही हुआ था और उसके पश्चात् अपना पर्याप्त वृद्धावस्था तक वह कांग्रेस की सेवा करते रहे। उत्तरवादी की परम्परा के अनुरूप नौरोजी भी अग्रणी नेता तथा महात्मा की प्रवृत्तियों पर विश्वास रखते थे। उन आरम्भिक उत्तरवादी नेताओं की प्रणियों में दादाभाई नौरोजी राजनीतिक भिन्नता की नीति के अंगुवा बन रहे। उन्हें 1886-1893 तथा 1906 में तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने इस शक्ति का पूर्ण निष्ठा के साथ सम्पन्न किया। उनके नेतृत्व में वे पट्टाभि भीतारामया के शासन में कांग्रेस का स्वरूप प्रणामनिक कठिनायियों को दूर करने की योजना करने वाले जनता के एक जग में एक ऐसी राष्ट्रीय सभा के रूप में विकसित हुआ जिसका उद्देश्य निश्चित रूप में स्वराज्य प्राप्ति है।

कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही वर्षों के पश्चात् ब्रिटिश सरकार कांग्रेस पर सख्त करने लग गयी थी और उस समान करने के प्रयास भी किए गए। परन्तु दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी यही नीति घोषित की कि वह स्वतंत्र की स्वायत्तता पर विश्वास रखता है। ब्रिटेन के प्रति उनकी जमीन निष्ठा के कारण उन्हें स्वतंत्र की कामन सभा के लिए भी निर्वाचित किया गया। स्वयं दादाभाई एक महान् सस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मात्र अभिनाया रखते थे। वे इस सस्था में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। वे इस सस्था में जाकर ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनता का भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र की जनता का बताया कि कांग्रेस भारत की शिक्षित जनता का सस्था है जो ब्रिटिश सस्थाओं तथा परम्पराओं के प्रति निष्ठावान है। जब 1905 में लार्ड कर्जन की प्रशासन नीतियाँ विनापकर प्रगति का नकर देना में धार असन्तोष हुआ गया था और प्रशासन में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तो 1906 में कांग्रेस के कर्तव्य अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इस समय देश में उग्रवादी राष्ट्रीयता का विकास होना लग गया था। ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध बढ़ता जा रहा था। देश में स्वतंत्री आन्दोलन तीव्र गति में बढ़ रहा था। अग्रजों ने भी मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना बसाने की नीति अपनाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता को अवरुद्ध करने का कुचक्र फेरना किया था। इनके परिणामस्वरूप शासन की नीतियों के विरुद्ध जनता के असन्तोष का दवाने के लिए शासन ने जो दमन की नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया अब अधिक स्वायत्त शासन की माँग (स्वराज्य) उद्दिष्ट तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के रूप में बढ़ गयी। यहाँ महात्मा 1906 के कर्तव्य अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व तथा अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पास किया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का स्वतंत्राचारी प्रणामनिक तथा आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया। उनकी रचना (British Unrulers India) में उन्होंने तथ्यगत जोड़े के ब्रिटिश शासन की आर्थिक तथा प्रशासनिक शासन की नीतियों की कटु आलोचना

की उनके शान्त तथा उदार नेतृत्व में कांग्रेस की एकता तथा प्रतिष्ठा बनी रही। यद्यपि कांग्रेस के अन्दर उग्रवादी तत्त्व पर्याप्त अधिक विकसित हो चुके थे तथापि उनके प्रभाव से कम से कम 1906 में कांग्रेस में विभाजन रुक गया।

दादाभाई नौरोजी की देग भक्ति, राष्ट्रसेवा, सौजन्यता तथा ओजस्विता के कारण उन्हें 'राष्ट्रीय आन्दोलन का पितामह' कहना सर्वथा सत्य है। यही कारण है कि उनके सफल नेतृत्व में 1906 तक कांग्रेस की उदारवादी नीतियाँ बनी रहीं। साथ ही ब्रिटिश सरकार के समक्ष कांग्रेस को नीति वीस वर्ष के अन्दर ही 'भिक्षावृत्ति' से कही अधिक आगे बढ़ गई और नौरोजी के काल में ही 'स्वराज्य' की माँग तक पहुँच गई। यद्यपि उस काल की स्वराज्य की माँग 1929 की पूर्ण स्वाधीनता की माँग के सदृश नहीं थी, तथापि वह औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग के रूप में थी। ब्रिटिश नौकरशाही का विरोध बढ़ने लग गया था। इस विकास-क्रम में दादाभाई नौरोजी का सक्रिय भाग रहा।

(ख) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1925)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सगठित सूत्रपात करने वाले अग्रगण्य नेता, अपने युग के महान्तम व्याख्यानदाता, ब्रिटिश शासनकाल में इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सर्वप्रथम भारतीय एवं ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश संस्कृति के सच्चे पुजारी होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय रूप प्रदान करने वाले महापुरुषों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम सर्वप्रथम आता है। उस युग में भारतीयों के लिए इंग्लैंड में जाकर सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अत्यन्त दुस्तर कार्य था, परन्तु सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसमें सफल हुए। 1871 में वह मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त हुए परन्तु दो वर्ष के बाद उनके ऊपर सरकारी आचरण में दोष लगाकर उन्हें पदच्युत कर दिया गया। यह तत्कालीन शासकों का अन्यायपूर्ण व्यवहार था। बनर्जी ने इसके विरुद्ध इंग्लैंड की सरकार के समक्ष अपील भी की परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके उपरान्त श्री बनर्जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। कुछ समय तक मेट्रोपोलिटन कालेज में अग्रेजी के प्रवक्ता रहे, फिर पत्रकारिता का कार्य करने लगे। सरकार की आलोचना करने पर उन्हें एक बार कारावास का दण्ड भी मिला।

राष्ट्रीय आन्दोलन के एक प्रारम्भिक नेता के रूप में बनर्जी का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना (1876) करना था, जो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी और कांग्रेस की स्थापना हो जाने पर उसमें विलीन हो गई। इसके उपरान्त बनर्जी आजन्म कांग्रेस की सेवा करते रहे। वह दो बार (1895 तथा 1902 में) कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने वग-विच्छेद कर दिया, तो बनर्जी ने उसके विरोध में एक प्रभावशाली आन्दोलन का नेतृत्व किया। इससे पूर्व वह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदारवादी नेता थे। जब कांग्रेस में उग्रवादी दल उत्पन्न हो गया तो बनर्जी अपनी उदारवादी नीति पर दृढ़ बने रहे। वह जहाँ एक सच्चे राष्ट्रभक्त तथा देगभक्त नेता थे, वहाँ वह ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश संस्थाओं के भी भक्त बने रहे। वह नदैव यही प्रयत्न करते रहे कि अग्रेजों से भारतीय माँगें पूर्ण कराने में सहायता नही जपितु शांति तथा सहयोग का माग अपनाया जाये और अपनी कठिनाइयाँ वैधानिक तरीकों से रजि जाँ। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि 'भारत अपनी स्वतन्त्रता यथासमय प्राप्त करेगा जिसका मूल अग्रेजी, चरित्र अग्रेजी तथा संस्थाएँ भी अग्रेजी होंगी।'⁵ वह इंग्लैंड को भारत का राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे। वह अपने को ब्रिटिश प्रजा कहने में नहीं हिचकते थे। ब्रिटिश संविधान तथा मन्थ्याओं के प्रति उनकी अद्वैत निष्ठा थी। परन्तु वह यह मानते थे कि अग्रेज भान्तवानियों को अपनी प्रजा समझ कर उन्हें वह सुविधाएँ नहीं देते हैं, जिन्हें वह स्वयं अपने-अपने प्रजाजनों के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इन पर भी लार्ड मिंटो के शासन काल में बनर्जी माह्व को लाठी चार्ज में पुलिस के डण्डों की चोट खानी पड़ी।

बीसवी सदी के आरम्भिक वर्षों में जब कांग्रेस के अन्दर उग्रवाणियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का प्रभाव कम होाने लगा। परन्तु व 1925 तक जर्नल अमनी मृत्यु पयन काग्रस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व यथापूर्व अपना उदारवादी नीतियाँ के अनुसार ही करने रहें। उनकी वाक्पटुता विनयपूर्ण स्मरण शक्ति तथा व्याख्यान कला जिसमें देशप्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी और उनकी शान्तिप्रियता उनके नेताओं का सुगम करने की शक्ति रखती थी। यही कारण है कि कांग्रेस के आरम्भिक युग में वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के एक महान् जनप्रिय नेता बने रहें।

(ग) महादेव गोविन्द रानाडे (1842-1901)

उन्नीसवी सदी के अन्तिमाध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का तत्कालीन परिस्थितियों के जन्मगत जागृत तथा विकसित करने में राजा राममोहन राय की भाँति के अन्तर्गत समाज-सुधारक महान्त्व गाँविल्ल रानाडे थे। बम्बई के एक सभ्रांत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इस विभूति का अग्रजी शिक्षा में एक अन्तिम दक्षता प्राप्त हुई। अपन पिता की धार्मिक रुचिवाँतिका के विरुद्ध विचार रखने हुए भी रानाडे उनके आनाकारों पुत्र थे जिसके कारण उन्हें अमनी अर्थात् विरुद्ध 31 वर्ष की अवस्था में विधुर्ग हा जान पर एक ग्यारह वर्ष की काल के साथ विवाह करना पडा परन्तु जीवन भर उन्होंने वान विवाह विधवा विवाह निषेध जाति-पाति के भेदभाव जाति कुप्रथाओं का तीव्र विरोध किया। उनकी विद्वता सावजनिक जीवन में अभिरुचि यायप्रियता अग्रजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्रुति के प्रति निष्ठा की भावना का दमकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शासन के उच्च यायिक पदा पर नियुक्त किया। वह भारत में अग्रजी शासन काव में किसी उच्च यायानय के यायावश बनने वान प्रथम भारतीय थे। आज्ञा सरकारा सवा में रहने हुए भी रानाडे ने सावजनिक राजनीतिक जीवन में काय किया और भारत में राष्ट्रीयता के बीजा को अकुर्गित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

उस काल में भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन का विरोधी नहीं था अपितु आवश्यकता के वात की थी कि भारतीय जनता में देशप्रेम जात्म सम्मान जात्म विश्वास राष्ट्रीय एकता महान् भावनाओं को जागृत किया जाय। यह तभी सम्भव था जबकि भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक बुराईयाँ का अन्त हा और जनता रुचिवादी विचारा का परित्याग कर। राजा राममोहन राय ने समाज-सुधार की दिशा में जा काय किया था उस रानाडे ने और आग बढ़ाया। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की भाँति ही रानाडे ने प्राथमा समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य जनता में रुचिवादी सामाजिक बुराईयाँ को समाप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न करना था। रानाडे ब्रिटिश शासन या पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्रुति के विरोधी नहीं थे अपितु वे भारत की सामाजिक बुराईयाँ का अन्त करने के लिए उन्हें बरदान मानने थे इसका यह अर्थ नहीं कि रानाडे भारत की राजनीतिक पराधीनता का उचित समझते थे प्रयुक्त धारणा यह थी कि ब्रिटिश शासन भारतवासियों का पाश्चात्य राजनीतिक सस्थाओं तथा जादशों का ज्ञान करायगा और उसके द्वारा भारतवासी पाश्चात्य नाकतनी सस्थाओं तथा आन्दोलनों का ज्ञान करके अपन देश में उनके कार्याचयन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस दृष्टि से रानाडे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की आरम्भिक विचारधारा के नेताओं के मागदाक थे। रानाडे का विश्वास था कि मानव जीवन के विभिन्न पक्षा (सामाजिक धार्मिक आर्थिक तथा राजनीतिक) में सावयविक एकता है। इनमें से एक की कमी दूसरे को प्रभावित करती है। अतः समस्त सुधार अनग-अनग नहीं हा सकते। राजनीतिक स्वाधीनता तभी साकार हा सकती है जबकि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मानव स्वाधीन हा। अतः रानाडे ने तत्कालीन हिन्दू समाज में प्रचलित रुचिवादी बुराईयाँ को समाप्त करना सबसे प्रथम काय समझा। राजा राममोहन राय के प्रयासों में अन्तिम प्रयास बन्द हा चुकी थी। रानाडे ने वान विवाह तथा बहु विवाह की प्रथाओं का समाप्त

करने तथा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देने के विचारों का मर्मथन किया। जाति-पाँति के भेद-भाव को नष्ट करके सामाजिक एकता लाना उनकी दृष्टि में हिन्दू समाज की प्रथम आवश्यकता थी। रानाडे को देश की अधिकांश जनता की आर्थिक दरिद्रता के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने इसके कारणों पर भी प्रकाश डाला था। अतः उन्होंने औद्योगिक विकास, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति का अन्त किया जाना, पूँजी का समुचित विनियोजन आदि द्वारा इन दोषों को दूर करने के विचार रखे।

समाज-सुधार के निमित्त उस युग में जो सस्थाएँ तथा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे थे उनके कार्य-कलापों में रानाडे ने सक्रिय भाग लिया और उनमें समय-समय पर उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, वे समाज-सुधारकों के प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए। रानाडे पारशास्य लोकतन्त्री मन्थारों तथा आदर्शों के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने भारत के देगी नरेशों को भी शासन-व्यवस्था में लोकतन्त्री सुधार लाने के सुझाव दिये। रानाडे उदार विचारों वाले राजनीतिज्ञ थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य विचारों का प्रभाव तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर प्रचुर मात्रा में पड़ा। कायेस के जन्मदाता ए० ओ० ह्यूम रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रानाडे के विचारों ने गोखले, तिलक तथा महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया था। आरम्भ काल के सभी राष्ट्रीय नेताओं के विचारों पर रानाडे का प्रभाव था। 1883 में जब लार्ड रिपन के शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन सन्स्थाओं की स्थापना की गयी तो रानाडे ने उनका स्वागत किया और उनके विचार से ऐसा प्रयास भारत में स्वशासन की शिक्षा के निमित्त आवश्यक कदम था। रानाडे की सच्ची तथा उदार राष्ट्रसेवा की भावना से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें बम्बई की प्रांतीय परिषद् में विधि-सदस्य बनाया था।

राष्ट्रीयता की भावना के विकास में रानाडे की सेवाओं को भारत कभी नहीं भूल सकता। उनका वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम, समाज-सुधार के निमित्त ठोस सुझाव, राष्ट्रीयता की जागृति के निमित्त सामाजिक सन्स्थाओं में कार्य करना, तत्कालीन शासन के अनौचित्यपूर्ण कानूनों का विरोध तथा पूर्ण लगन से अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना आदि गुणों ने भविष्य के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत किये। जीवन के विविध क्षेत्रों में उनके कार्य-कलापों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक नेताओं के मध्य एक सम्माननीय स्थान दिया है।

(घ) गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम स्वर्णशेरो में अंकित किया जाता है। गोखले का जन्म महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण कुल में रत्नगिरी जिले के एक ग्राम में हुआ था। अल्पायु में ही उनके पिता का देहावसान हो जाने के कारण उनके भाई ने, जो स्वयं भी आर्थिक दृष्टि में बहुत हीन स्थिति में थे, गोखले की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की। अठारह वर्ष की उम्र में उन्होंने बम्बई के ऐल्फिन्स्टन कालेज में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। इसके पश्चात् वह दक्षिण शिक्षा मन्थार (Deccan Education Society) के सदस्य बने। वह गणित के उच्च कोटि के विद्वान् थे। साथ ही उन्हें साहित्य में विशेष रुचि थी। वह तथा वेदन्त के विचारों का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। इसके कारण उनमें रट्टिवादिता की छाप जा गयी। कालान्तर में वे फर्ग्युसन कालेज में शिक्षक नियुक्त हुए। वहाँ इनका सम्पर्क नौदमान्य वान गगाध-तिनक के साथ हुआ, जिन्हें गोखले बड़े सम्मान की दृष्टि में देखते थे। परन्तु दोनों के विचारों में साम्य नहीं था। गोखले के भावी जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बात उनका रानाडे के साथ सम्पर्क होना था। गोखले रानाडे को आजन्म अपना गुरु मानते रहे। वहीं के साथ गोखले ने राजनीतिक एवं नावजनिक जीवन में कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त

क्रिया। रानाड ने उह पूना की सावजनिक सभा का सचिव बनाया। उस सभा का कार्य सावजनिक समस्याजा का अध्ययन करके उनके सम्बन्ध में स्मरण पत्र बनाकर सरकार के पास भेजा था। साथ ही त्रिण गिन्ना समाज के नायक-नाया का सम्पादन करना भी गान्धे का दायित्व था। जिन अनेक गिन्ना समाजा की सेवा करके का दायित्व भी गान्धे ने अपनाया था। इन सब कार्यों के परिणामस्वरूप गान्धे का परिचय जनमाधारण के साथ एक सुधारक के रूप में बहुत अग्रिम हो गया। उस बीच गान्धे पत्र-पत्रिकाजा द्वारा भी अपने विचारों को प्रकाशित कराने लगे थे। उस समय राष्ट्रीय नृत्त्व में उग्र तथा उत्तम पथी ने बग हो गए थे। रानाड के गिण्यत्व के कारण गान्धे उत्तरपथी बग का नतत्व करते रहे।

सावजनिक जीवन—गान्धे के सावजनिक जीवन के कार्यों का केंद्र भाग में विभक्त किया जा सकता है यथा राष्ट्रीय कार्य में एक नेता के रूप में भारत सरकार सर्वोच्च परिषद् के सदस्य के रूप में भारत का समस्याजा के सम्बन्ध में जनरल वरन्धन से की गयी यात्राजा के रूप में तथा समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों के रूप में उनके द्वारा की गयी राष्ट्रीय सेवाएँ।

यद्यपि गान्धे काग्रम 1889 में प्रारम्भ हुआ था तथापि काग्रम में उनका सक्रिय भाग 1901 में प्रारम्भ हुआ जबकि उह दम्बई प्रांतीय काग्रम का सचिव बनाया गया। 1903 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रम के सचिव बन गये। 1905 में उह काग्रम का अध्यक्ष चुना गया। काग्रम के इतिहास में यह युग सफल का वन था क्योंकि उस समय काग्रम में उत्तम तथा उग्रपथी नेता स्थापित हो गये थे जिभाजित हान लगे थे। 1906 में किसी तरह के विभाजन का टान किया गया था जबकि वयावृद्ध नेता नौगजी का अध्यक्ष चुना गया। परन्तु 1907 में जब तिनके लाजपतराय तथा त्रिपिन चन्द्र पाठ जा कि उग्रपथी नेता थे काग्रम से अलग हो गये तो गान्धे को वुन टान हुआ। यद्यपि वे आजमें उत्तरवानी नेता बने रहे यथापि उहान दाना गुण में एकता तान का निरन्तर प्रयास किया। 1914 में एनी बेन्टन के काग्रम में प्रवेश करने पर उनके सम्बन्ध में गान्धे ने दाना गुण के मध्य एतना तान का असफल प्रयास किया। यद्यपि उनके जीवन रहते हुए यह बात न हो सकी तथापि 1916 में उनकी मृत्यु के अगले तीन वर्ष तखनक काग्रम अधिवेशन में उन काग्रम एक हो गयी। 1905 में उगान त्रिभाजन के परिणामस्वरूप भारत में अग्रजी शासन नाति तथा विगण रूप में तत्कालीन वात्सराय तात् कजन के दमनचक्र के विरुद्ध तथा में काफी अमनताप फल गया था। यद्यपि गान्धे के विचार प्रारम्भ के उन राष्ट्रीय नवाजा से मिलते जुलते थे जो त्रिनिश शासन के प्रशासक थे और उस भारत के लिए वर्तमान मानते थे साथ ही राष्ट्रीय मागा के सम्बन्ध में प्राथमता पत्रा जावदना तथा प्रत्यावदना की नीति अपनाते थे तथापि 1905 में काग्रम के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए गान्धे ने दाड कजन की शासन नीति की कट आलोचना की। साथ ही उहान तत्कालीन काग्रम के स्वन्धी जाणानन का समर्थन भी किया भन ही के बहिष्कार नीति का विरोध करते रहे।

गान्धे एक अद्भुत प्रतिभा वान जयगारही थे। उनकी सावजनिक सेवाजा न उह एतना तानप्रिय बना दिया था कि वे दम्बई प्रांतीय धारा-सभा के सदस्य निर्वाचित हो गये। 1902 में उह वात्सराय की सर्वोच्च विधान परिषद् का सदस्य भी निविरोध चुन दिया गया। इन विधान परिषद् में गान्धे के भाषण अत्यधिक प्रभावशाली होते थे। यद्यपि उनके अवसरा पर इन विधानसभाजा में सरकारी सदस्या का बहुमत हीन के कारण सरकार मनचाह कानून पास करा नही थी तथापि गान्धे के वधानिक तर्कों द्वारा यत्त विरोधा की उपक्षा करने का पूरा साहस सरकार को नहा होता था। एक प्रकाण्ड जयशास्त्र ताता तथा वित्ताय मामला का विगण हाने के नाते सरकार के बजट पर गान्धे के जाणाचनात्मक भाषण अत्यन्त प्रभावशाली हुआ करते थे। बहुधा उनके सुभावा का सरकारी पक्ष भी मानने को तयार हो जाता था। गान्धे ने दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत अग्रजा का आर्थिक नीति का बुराया को विधान-परिषद् के बजट अधिवेशन में दास सुभावा का रखन टय यत्त किया। तात् कजन के शासन काल में जिन प्रतिगामी कानूना,

के विधेयक विधानसभा में रखे गये थे (यथा, भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक, प्रेस विधेयक, प्रशासकीय गोपनीय तथ्य विधेयक, आदि) इनका गोखले ने तीव्र विरोध किया। इस प्रकार विधान-परिषद् में रहते हुये गोखले निरन्तर राष्ट्र की सेवा करते रहे।

जब दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैण्ड तथा भारत के मध्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में ब्रिटिश शासन की शोषण नीति का तथ्यो द्वारा तीव्र विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त सेलवाइड आयोग के समक्ष साक्ष्य देने हेतु दक्षिण सभा ने गोखले को इंग्लैण्ड भेजा। वहाँ गोखले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह सिद्ध किया कि भारत सदृश गरीब देश को अत्यधिक कर-भार सहन करना पड़ रहा है और भारत सरकार का सैनिक व्यय ससार के महानतम देशों की अपेक्षा उच्चतर है। उन्होंने भारत में सिविल सेवा के भारतीयकरण के भी मुभाव रखे। दूसरी बार गोखले 1905 में कांग्रेस द्वारा भेजे गये शिष्ट-मण्डल के साथ इंग्लैण्ड गये। वहाँ उन्होंने अनेक सभाओं में भाषण दिये और उदारपथी भारतीय नेताओं की नीति के अनुरूप अपीलों द्वारा भारत की मांगों के प्रति ब्रिटिश जनता तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इन माँगों में भारतीय विधान-परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तथा परिषदों के अधिकारों के विस्तार, इंग्लैण्ड की कामन सभा में भारतीय सदस्यों के निर्वाचन, इंग्लैण्ड में भारत मन्त्री की परिषद् में भारतीयों की सरया में वृद्धि आदि शामिल थी। गोखले ने भारतवासियों के लिए और अधिक स्वायत्त शासन के अधिकारों की मांग रखी। पुन 1906 में वे इंग्लैण्ड गये। उस समय वे भारत-मन्त्री मार्ले से मिले, जो भारत में शासन-सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का मसविदा तैयार कर रहे थे। उन्होंने मिस्टर मार्ले को भारतीय राष्ट्रीय माँगों से भली-भाँति अवगत कराया, परन्तु जब वग-विच्छेद के परिणामस्वरूप भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा और लाजपतराय तथा वाद में लोकमान्य तिलक को बन्दी कर लिया गया, तो गोखले को यह दुःख हुआ कि कि कहीं ब्रिटिश सरकार क्रुद्ध होकर जो कुछ देना चाहती थी, उसे भी देने से इनकार न कर दे। अत 1908 में वे पुन इंग्लैण्ड गये। उन्होंने तिलक को मुक्त कराने का भरसक प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में भी यह सब गोखले के प्रयासों का ही फल था कि ब्रिटिश सरकार ने 1909 का शासन सुधार कानून पास किया। गोखले की नीति सदैव ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के साथ सहयोग करने व अपील तथा आवेदनो द्वारा राष्ट्रीय माँगों को रखने की रही। ब्रिटिश शासक भी गोखले की माँगों का आदर करते थे, परन्तु अपनी शासन नीति के कुचक्रों में फँसे अधिकारी इन माँगों को पूर्ण करने में उदासीन रहते थे। गोखले का विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों में वैधानिक तरीका ही उपयुक्त था, न कि हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत की मांगों को पूर्ण कराने का। अत भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध के बावजूद गोखले इन माँगों को रखने के लिए इंग्लैण्ड भागते रहते थे। उन्होंने छ सात बार ऐसी यात्राएँ की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सी० आई० ई० की उपाधि भी दी। भारतीय सिविल सेवाओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित (1912) इस्लिंग्टन आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस कमीशन के समक्ष उन्होंने यथार्थवादी सुभाव कमीशन को दिये। गोखले ने इन सब सुविधाओं को इसीलिए स्वीकार किया कि वे इनके माध्यम से भारत की राष्ट्रीय माँगों के प्रति ब्रिटिश सरकार को और अधिक सजग रख सकें, इसलिए नहीं कि वे अवसरवादी थे, या निजी स्वार्थ-साधन से प्रेरित होकर ऐसी नाति अपनाते थे।

जब दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार के भारतीयों के प्रति रग-भेद के अत्याचारों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आन्दोलन छेड़ा, तो गोखले ने गांधी जी को भरपूर सहयोग दिया और अपने अचूक प्रयत्नों से भारतीयों पर लगाये गये पॉल टैक्स तथा सविदावद्ध श्रम के कानूनों को समाप्त करवाने में सफलता प्राप्त की। गोखले ने 1905 में भारत सेवक सघ की स्थापना करके भारत में युवा वर्ग में मार्वाजनिक सेवा की भावना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। नव्य गांधी जी को भी उन्होंने इनका मददगार बनाया। सघ के मुख्य उद्देश्य जनता में देश-प्रेम तथा नमाज-सेवा की भावना

को उत्पन्न करना जनता में सत्रिय राजनीतिक चेतना जागृत करना स्त्री शिक्षा नस्लिन वर्गों का उत्थान देश के औद्योगिक विकास में सहायता देना आदि थे।

गांधी के राजनैतिक विचारों का आधार उनकी व्यक्तिगत भावनाएँ, राजाड का शिष्यत्व तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ का अतगत उनका यथाथवादी दृष्टिकोण अपनाया था। राष्ट्रीय नेताओं—तीराजी सुरद्रनाथ वलर्जी पीराजशाह महता आदि उत्तरवाणिया की भाँति गोखल ने भी शान्तिपूर्ण साधना द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का विकसित करने का प्रयास किया। वे ब्रिटिश शासन का भारतीय राष्ट्रवाद का विकास का निमित्त बरदान मानते थे और ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के साथ सहयोग करके राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आन्दोलन को बढ़ाना चाहते थे। हिंसात्मक तथा असावधानि साधना में उनका विश्वास नहीं था न ब्रिटिश सरकार के भाग में राजा अटवान की नीति को उपयुक्त समझते थे। इस प्रकार उन्होंने राजनीति का आदर्शीकरण करने की नीति अपनायी। जब मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास होने लगा तो गोखल ने इस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का निमित्त एक अभिगाप समझा और मदव हिन्दू मुस्लिम एकता तथा काग्रस में फूट हान पर दाना गुटा में एकता गान का लिए प्रयत्नशील रहे। उनका विचार था कि जब तक समाज में अतर्निहित बुराईया का दूर करके उसमें सुधार नहीं लाया जायगा और जब तक भारत कासिया में शान शान राजनीतिक चेतना की अभिवृद्धि नहीं हो पायेगी तब तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। अतः गोखल शान्त तथा समाज में क्रमिक सुधार का पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन नून हृदयहीन नहीं है कि वे भारतवासियों को स्वायत्त शासन के लिए सक्षम देखने पर उन्हें स्वायत्त शासन के अधिकार नहीं देंगे। उनके राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक ढंग के स्वराज की प्राप्ति करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु गोखले भारत का शिथिल बग को कायशील रखना चाहते थे। साथ ही भारत में एक-सघ द्वारा वे जनता की राष्ट्रीय चेतना का विकसित करने का उद्यम भी रखते थे।

यद्यपि गोखल का काय-भजन सावधानिक साधना शिक्षित वर्ग तथा परिपदा तक ही सीमित रहा और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को भारत की आम जनता का आन्दोलन बनाने का कभी स्वप्न नहीं देखा तथापि यह कहना भूल हागी कि गोखले जनसाधारण के प्रति उदासीन थे। बन्तुत आम जनता के कष्टों के प्रति उनके हृदय में जगाध सहानुभूति थी। उनका एक प्रम अन्वय था। देश की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जीवन भर उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पडा और 1915 में 49 वर्ष की आयु में ही उनका देहावमान हो गया। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में जब राष्ट्रीय चेतना में पर्याप्त वृद्धि होने लगी तो ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय स्वायत्त शासन की मांग के समक्ष झुकना पडा। 1909 तथा 1919 का शासन सुधार अधिनियम का अतगत ब्रिटिश सरकार ने जो भी प्रस्ताव रखे उनके निमित्त उसने यदि किसी भारतीय नतत्व की मांग सुनी तो यह गांधी के ही विचार थे। भये ही स्वेच्छा चारी साम्राज्यवादियों ने उन्हें पूर्णतया स्वीकार नहीं किया तथापि यह मानना पडेगा कि ब्रिटिश शासक गोखले का परामर्श पर सर्वाधिक विश्वास रखते थे।

राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत हिंसात्मक क्रान्ति के मार्गों का अनुसरण करके अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता था। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समय-समय पर भारत में ऐसी महान् विभूतियाँ न जन्म लिया है जिनकी राष्ट्रीय सत्ताएँ तथा बनिदान उच्च कोटि के थे और जिन्होंने शान्तिपूर्ण तथा बधानिक तरीका में विश्वास न रखकर उग्रवादी मांग को अपनाया। तिलक, राजपतराय त्रिपिनचट्ट पाल नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मानवेन्द्रनाथ राय आदि ऐसे विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। आज भी देश के नतत्व में अनेक उग्रपथी हैं। परन्तु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अपने उग्रवादी तरीका से अपने उद्देश्य पूरा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। गोखले के बाद गांधी जी ने उनकी नीतियों का अनुसरण किया और देश को विदेशी शासन से

मुक्त कराने का श्रेय प्राप्त किया। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। स्वतन्त्रता के पूर्व तथा पश्चात् भी देश का नेतृत्व जिन विभूतियों ने सफलतापूर्वक किया है, उन्हें हम गोखले का ही शिष्य मान सकते हैं। संक्षेप में, हमें यह मानना पड़ेगा कि गोखले ने अपने युग के साथ बढ़ते हुए अपने समय की परिस्थितियों को पहचाना और राष्ट्रीय आन्दोलन को वह रूप दिया जो उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम था। साथ ही उन्होंने भविष्य के नेतृत्व को भी यह शिक्षा दी कि भारत का राजनीतिक हित शान्तिपूर्ण तरीके से राजनीति का संचालन करने में है। इस दृष्टि से गोखले देश के युग-युग के नेता सिद्ध होते हैं। क्रान्तिकारिता का जोश क्षणिक सफलता दे सकता है और अत्याचारी शासन के विरुद्ध जन-मानस को किञ्चित् सान्त्वना देने में अच्छा प्रतीत हो सकता है, किन्तु शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक क्रान्ति में स्थायित्व होता है यह बात हमें गोखले के विचारों तथा सेवाओं से स्पष्ट होती है।

(च) फीरोजशाह मेहता (1845-1915)

कांग्रेस के संस्थापकों में सर फीरोजशाह मेहता का नाम भी प्रमुख व्यक्तियों में से है। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी, जहाँ वे दादाभाई नौरोजी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। साथ ही उनके ऊपर रानाडे के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। मेहता का सार्वजनिक जीवन बम्बई कारपोरेशन की सदस्यता तथा अध्यक्षता एवं बम्बई विधान-परिषद् की सदस्यता से अधिक सम्बद्ध रहा है। वे 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। उसके पश्चात् कांग्रेस संगठन में वे अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे। यद्यपि 1910 में भी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था, तथापि पद-ग्रहण से पूर्व ही कुछ कारणवश वे इसे स्वीकार नहीं कर सके।

मेहता कांग्रेस के उदारवादी गुट के एक प्रमुख नेता थे। परन्तु 1907 में कांग्रेस विभाजन में गोखले की भाँति उन्हें भी बहुत दुःख हुआ और वे भी गोखले की भाँति ही निरन्तर एकता का प्रयास करते रहे। कांग्रेस के कार्य-कलापों में मेहता ने दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का समर्थन करके देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश शासन के समक्ष भारत के पक्ष को रखा। वह एक सुयोग्य दार्शनिक चिन्तक भी थे। उन्होंने पाश्चात्य देशों के अनेक विद्वानों, यथा ग्रीन, बोल्टेयर, मिल आदि के विचारों का अध्ययन किया था। वे इस तथ्य को नहीं मानते थे कि 'इतिहास की स्वयं पुनरावृत्ति' होती है, उनका तो विश्वास था कि हर युग तथा हर देश में प्रगति के विकास का क्रम तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदारवादियों की भाँति मेहता भी देश के क्रमिक राजनीतिक उत्थान पर विश्वास रखते थे। उन्हें पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति की महानता पर अधिक विश्वास था। वे अंग्रेजों की भारतीय शासन नीति का विरोध अपने वैचारिक तर्कों के द्वारा करते थे। उनके मत से ब्रिटेन शक्ति के बल पर भारत में अपनी सत्ता को बनाये रखने में सफल नहीं होगा। ब्रिटिश शासकों की स्वेच्छाचारिता अंग्रेज जाति के चरित्र के प्रतिकूल है। शक्ति पर आधारित राजनीति के संचालन से ब्रिटेन को बहुत सेना सचय करना पड़ेगा जो भारतवासियों पर कर-भार बढ़ायेगा। फिर भी वे ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखने की बात करते थे। वे भारतीयों के स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार तथा शिक्षा में प्रगति के कट्टर हिमायती थे। परन्तु यह एक आश्चर्य की बात थी कि वे भारत में संस्कृत की शिक्षा को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते थे। मेहता ने अनेक समितियों तथा शिष्ट-मण्डलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। वे व्यवहारवादी थे, न कि कोरे सिद्धान्तवादी। परन्तु भारत में उग्रवाद के विकास के साथ मेहता के विचारों का महत्त्व भी कम होता गया। फिर भी वे आजन्म कांग्रेस के उदार तथा सच्चे सेवक बने रहे और उदारवादियों की भाँति ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर निष्ठा रखते हुए उसके समक्ष भारत की स्वायत्तता की अविकाधिक माँगों को रखते रहे।

(छ) अन्य प्रारम्भिक नेता

ए० ओ० ह्यूम (1829-1912)—ए० ओ० ह्यूम स्कॉटलैण्ड के निवासी थे, जो भारत

सरकार की सेवा में एक दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के थे। अपने सेवा-काल में उन्होंने जन शिवाय पुत्रिस में सुधार में निपट कर बनाकर प्रथम किंगडोर अग्रणी-सुधार तथा अन्य घरों में आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रयत्न किए। सेवा में जबतक प्राप्त करने पर (1882) उनकी अभिरुचि भारत के सामाजिक जीवन में दृष्टि लगी। भारत में विकसित राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत के सही जनमत का ज्ञान के लिए भारत के विभिन्न भागों के राजनीतिज्ञों का प्रतिबन्ध एक संस्था के रूप में एक साथ सम्मिलित होना का अवसर मिलना चाहिए। यह बताने मात्र एक सामाजिक या धार्मिक संस्था ही नहीं है। अपितु राजनीतिक भी है। उन्होंने अपने इस विचार का तत्कालीन वामपंथी नेता डेफरिन के समर्थन रखा जिसने उनके प्रस्ताव का न बताने स्वागत ही किया किन्तु उन्हें प्रस्ताव ही दिया। ह्ये में साह्य इस संस्था के राजनीतिक स्वरूप को सीमित रखना चाहते थे परन्तु वामपंथी विचार था कि वह संस्था इंग्लैंड की संसद के विरोधी दल की भाँति राष्ट्र में शासन की आलोचना का कार्य कर ता जा सके होगा। उसमें उतराने ह्ये में माहय अपने इस प्रस्ताव का लेकर इंग्लैंड गया और वहाँ उन्होंने प्रतिमन्त्र में भी प्रस्ताव किया। भारत में तब तक उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख योगदान किया। इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। बाद में भी वे जब तक भारत में रहने निरन्तर कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते रहे। ए. जी. ह्ये में के साथ-साथ सर विलियम वेन्टवेल का नाम भी देना आवश्यक है। वह कांग्रेस के दो अधिवक्ता (1886 तथा 1910) में अध्यक्ष रहे।

ओमेश चन्द्र बनर्जी—ह्ये में की भाँति ओमेश चन्द्र बनर्जी का नाम भी कांग्रेस के आदि संस्थापकों की श्रेणी में आता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम (1885) तथा आठवें (1892) अधिवक्ता में अध्यक्षता की थी। उनके प्रथम अध्यक्ष पद के भाषण में कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा की गयी थी। बनर्जी के मत से कांग्रेस को सामाजिक समस्याओं में उतारना ही उद्देश्य चाहिए जितना राजनीतिक मामलों में। वे अग्रजों का हम धारणा के विरोधी थे कि कांग्रेस की जावान भारत की जनता की आवाज न होकर था। वे निराला यूरोपीय भाषा की या थोड़े से भारतीय बुद्धिजीवियों की आवाज है। वे 1890 में एक विविष्ट मन्त्र के साथ इंग्लैंड भी गये। उन्होंने भारत की 'याय पद्धति' में यूरोपीय प्रथा को लागू करने के सम्बन्ध में जोरदार तर्क दिये। उनका मत था कि यूरोपीय 'यायावी' जो भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते 'याय प्रक्रिया में वाणी प्रतिभाओं या साक्षी के बतौरों का विदेशी भाषा में अनुवाद करके विवाद के सम्बन्ध में सही तथ्यों का पता नहीं लगा सकते। अतः यूरोपीय प्रथा आवश्यक है।

दीनशा वाचा—कांग्रेस के प्राग्भिक वर्षों से ही दीनशा वाचा का सम्पर्क कांग्रेस से रहा और उन्होंने कांग्रेस के अधिवक्ता में ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति अपनायी जाने वाली अनुचित नीतियों का तथ्यों के आधार पर विरोध किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सख्त नीतियों का विरोध किया था। द्वितीय अधिवेशन में उन्होंने भारत की आर्थिक हीनता के सम्बन्ध में तथ्यों का दखल यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार अग्रज 'याय इंग्लैंड' का धनी बनाने तथा भारत का आर्थिक शोषण करने में लगे हैं। गोलख की भाँति दीनशा वाचा भी वित्तीय मामलों में विशेष दक्षता रखते थे और उन्होंने सरकार की वित्तीय नीतियों का तीव्र विरोध करते हुए कांग्रेस के अधिवक्ता में विविध प्रस्ताव रखे। 1901 में उन्होंने कांग्रेस अधिवक्ता की अध्यक्षता की। उसके पश्चात् भी वह कांग्रेस के महामंत्री या अध्यक्ष महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। वे ब्रिटिश सरकार की अवाञ्छनीय शासन नीतियों का विरोध रूप से आर्थिक नीतियों के कट्टर आलोचक थे। पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में दीनशा वाचा का समर्थन रखने वाले तो 'याय थोड़े से व्यक्ति रहे' हाँ परन्तु उनसे स्पष्टतर कोई भी नहीं था। उनके ब्रिटिश शासन विरोधी शब्दों के आधार पर उन्हें उदारवादी नेताओं की श्रेणी प्राप्त नहीं होनी। परन्तु सीतारामय्या के शब्दों में यह भी आश्चर्य की बात है कि एक युग का उग्रवादी दूसरे युग का उदारवादी बन

गया। उन्हें बाद में नाइट की उपाधि दी गयी और केन्द्रीय विधान-परिषद् का सदस्य बनाया गया।¹

उपर्युक्त विभूतियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओं में सुब्रह्मण्य अय्यर, वदरुद्दीन तैयजवी आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। इसी अवधि में कांग्रेस के नेताओं के मध्य ऐसी विभूतियाँ भी प्रविष्ट हुईं जो प्रार्थना, आवेदनो तथा प्रत्यावेदनो द्वारा सरकार के समक्ष राष्ट्रीय माँगों को प्रस्तुत करने की नीतियों पर विश्वास नहीं रखती थी, अपितु उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन विरोधी था। प्रारम्भ में इनकी आवाज दबी रही, परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में गतिविधियाँ तीव्र हो गयीं और उनका उद्देश्य तथा उनके साधन उन्नत प्रकृति के हो गये। अगले अध्याय में हम उग्रवादी आन्दोलन का विवेचन करते हुए इन उग्रवादी नेताओं का परिचय देंगे।

उदारवादी राष्ट्रीयता का मूल्यांकन

विगत पृष्ठों में दिया गया विवरण ही वास्तव में उदारवादी राष्ट्रीयता के मूल्यांकन की विषय-वस्तु है। अनएव यहाँ पर केवल संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय में मुख्यतया समाज तथा धर्म सुधार आन्दोलनों का प्रभाव था। इन सुधारकों में से अधिकांश नेता पाश्चात्य शिक्षा, संस्थाओं एवं साहित्य और दर्शन से प्रभावित थे। उस युग में इंग्लैण्ड में भी उदारवादी विचारधारा बढ रही थी जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र के निमित्त वैधानिकतावाद पर विश्वास रखती थी। भारत का तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग इन विचारों से प्रभावित हुआ और इसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व रहा। ये लोग ब्रिटिश शासन पद्धति तथा अंग्रेज जाति के लोकतन्त्र प्रेम एवं न्याय भावना से प्रभावित होने के कारण ब्रिटिश सरकार की सदस्यता पर विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने उसके साथ सहयोग की नीति अपनाकर भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की माँग रखना उपादेय समझा। विद्रोह तथा क्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की उपलब्धि के लिए न तो देश तैयार था, न ऐसा संगठन सम्भव था। सुदृढ ब्रिटिश शासन ऐसे विद्रोह को शीघ्र ही दमनकारी साधनों से कुचल देता। अतः उदारवादी नेता समय के साथ चले और उन्होंने यथार्थवादी रुख अपनाकर राष्ट्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने की नीति अपनायी। इसके निमित्त उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करवाने, शिक्षा प्रसार एवं शान्ति शान्ति भारतीयों के शासन में अधिकाधिक भाग को सुनिश्चित कराने की माँगें रखना ठीक समझा। यदि ब्रिटिश शासन इन देशभक्त तथा राष्ट्र-प्रेमी नेताओं के उद्देश्यों को ईमानदारी की भावना से समझते तो उग्रवादी या क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता के अभ्युदय की समस्या ही नहीं आती। इस दृष्टि में उदारवादी राष्ट्रीयता ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की, और देश को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए माँग करने, आन्दोलन करने तथा संघर्ष करने के लिए शिक्षित किया।

प्रश्न

- 1 राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहा जाता है ?
- 2 राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानन्द मरस्वती के योगदान पर प्रकाश डालिए।
- 3 निम्न नेताओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए—
 (ख) दादाभाई नौरोजी,
 (घ) महादेव गाँविकर रानाडे,
 (ङ) गोपाल कृष्ण गोखले।

उग्र राष्ट्रीयता का अभ्युदय (NATIONALISM THE EXTREMIST PHASE)

उग्र राष्ट्रीयता का अर्थ ✓

यद्यपि भारत में राष्ट्रीयता के अभ्युदय का एक प्रमुख कारण देश में विदेशी राजनीतिक सत्ता का शोषणकारी तथा स्व-व्याचारी होना था तथापि प्रारम्भिक युग के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्पष्टतया विदेशी शासन को समाप्त करना नहीं था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नम्रत्व करने वाली विभूतियाँ में अंग्रेजी शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास की भावना प्रती रही। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए बरतान सिद्ध हुआ है। ये नेता भारत में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा राजनीतिक संस्थाओं के प्रचलन को भारतवासियों के हित की वस्तु मानते थे। साथ ही उन्हें अग्रज जाति के राजनीतिक आचरण तथा चरित्र में पूर्ण विश्वास था। यद्यपि प्रारम्भिक राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही के जवाबदारीय कार्य-नापा तथा नीतियों की आलोचना भी की तथापि उनका विश्वास था कि अग्रज हृदयहान नहीं हैं। उनके ममक्ष यदि भारत की परिस्थितियों मांगा तथा कठिनाइयों को दूर रखे जाय तो वे अपनी शासन-नीति में सुधार करके क्रमशः भारतीय राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार करके और नए नए भारतवासियों को शासन में अधिकधिक भाग देने का अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार का दान्तर में भारत में स्वायत्त शासन लागू हो जायेगा। परन्तु राष्ट्रीय कांग्रेस के अभ्युदय के पश्चात् के 15 वर्षों की अवधि में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। प्रत्युत ब्रिटिश सरकार का खयाल प्रतिक्रियावादी मिथ्य हाने लगा। 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम के अंतर्गत भी बहुत खराई दर्शायी गयी। नौकरशाही का व्यवहार भी प्रतिक्रियावादी होना गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत नयी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगीं। युवा पीढ़ी के अनेक नेता कांग्रेस की आवेन्दना तथा प्रार्थनाओं में विश्वास करने की नाति का विरोध करने लगे। उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का स्थिति में सुधार हो सकेगा। अतः इनका उद्देश्य पहले स्वराज प्राप्त करना था जिससे बाद में भारतीय स्वयं अपनी समस्याएँ हल कर सकें। इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग तथा सहकारिता की नाति का विरोध किया और शासन के अयोग्यपूर्ण कृत्यों की जवना तथा बहिष्कार की नीति का समर्थन किया। यद्यपि इन लोगों ने हिंसात्मक साधनों का नहीं अपनाया तथापि विरोध तथा असहयोग की नाति अपनाया तथा देशवासियों में स्वदेशी सभ्यता के प्रति प्रेम विद्युद्ध भारतीय राष्ट्र भावना देश-भक्ति तथा देश-सेवा की भावना को भरना और राष्ट्र के प्रति कष्ट सहने का आह्वान करना इनका उद्देश्य था। इनके कार्य-नापा नीतियाँ तथा गतिविधियाँ न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उम नयी प्रवृत्ति को जन्म दिया उम उग्रवाद (extremism) या उग्र राष्ट्रीयता का नाम दिया जाता है।

उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण

जिन आंग्रेजों तथा विश्वासों का लेकर कांग्रेस का जन्म हुआ था और जिन साधनों के द्वारा कांग्रेस संगठन के प्रारम्भिक नेता राष्ट्रीय आंदोलन को संचालन कर रहे थे उनके प्रति

ब्रिटिश शासन का रवैया न केवल उदासीनतापूर्ण ही रहा अपितु प्रतिगामी भी होने लगा। राष्ट्रीय चेतना को दबाना तथा शासन-नीतियों में और अधिक कठोरता तथा स्वेच्छाचारिता लाना ब्रिटिश शासकों की नीति का अंग होता गया। परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएँ तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण निम्नांकित थे—

(1) हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान—यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति में महान् योगदान किया था, तथापि राष्ट्रीयता के विकास में पाश्चात्य सस्कृति, शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव बढ़ने लगा था क्योंकि आरम्भ के कतिपय राष्ट्रीय नेता-गण पाश्चात्य सस्थाओं को अपेक्षाकृत उच्चतर समझने लगे थे। परन्तु इसी अवधि में भारत में ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिन्दू धर्म तथा सस्कृति का अध्ययन करके उसकी श्रेष्ठता की बात का प्रचार न केवल भारत में ही अपितु पाश्चात्य देशों में भी किया। इस वर्ग के नेताओं ने आरम्भ के नेताओं की पाश्चात्य सभ्यता की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति का विरोध किया। स्वामी विवेकानन्द ने 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महानता सिद्ध करके ससार को मोहित कर लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने माडला जेल की अवधि में 'गीता रहस्य' लिखकर कर्मयोग की महानता बतायी। स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर लाला लाजपतराय ने आर्य समाज के विकास द्वारा वेदों की महत्ता को दर्शाया। विपिन चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष ने भी हिन्दू दर्शन की महानता को दर्शाया। इन सभी नेताओं ने न केवल हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान तक ही अपने प्रचार-कार्य को सीमित रखा, अपितु इन्होंने यह प्रचार किया कि राष्ट्र का हित इसी बात पर निर्भर करता है कि वह राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो क्योंकि तभी उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्यान्य सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति सम्भव है। विदेशी शासकों के समक्ष भिक्षावृत्ति की नीति अपनाकर देश का उत्थान नहीं हो सकता। अतः किसी भी जाति का पहले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। इन नेताओं ने अपने युग के उदारवादी नेताओं की इस धारणा से पूर्ण असहमति व्यक्त की कि राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता की पूर्ण शर्त सामाजिक सुधार है। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि जब राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायेगा तो वह अपनी इच्छानुसार वाञ्छित दिशा में समाज सुधार के कार्यों को अधिक उत्तम ढंग से कर सकेगा। विदेशी शासकों से धार्मिक या सामाजिक सुधारों की मांग करना हान्यस्पद है।

(2) राष्ट्रीय मांगों के प्रति शासन की रुखाई—यद्यपि आरम्भ के कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रीय असन्तोष के निराकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना तथा आवेदनो की नीति अपनायी थी और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा तथा विश्वास व्यक्त किया था, तथापि ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही ने इन मांगों के सम्बन्ध में प्रतिगामी नीतियाँ अपनायीं। कांग्रेस के जन्म के 7 वर्ष बाद 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम ने भारतवासियों को शासन में भाग लेने का कोई भी वाञ्छित अवसर नहीं दिया। यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीति से असन्तुष्ट हो गये थे, और वैधानिक साधनों से अपनी मांगें मनवाने के तरीके पर से उनका विश्वास हटने लगा था। ब्रिटिश नौकरशाही ने दमन की नीति अपनाना शुरु किया। 1897 में तिलक को राजद्रोह के अपराध में जेल का दण्ड दिया गया। उन्हें प्रिवी कोसिल में जपील करने की आज्ञा तक नहीं दी गयी। तिलक का केवल यही अपराध था कि उन्होंने बम्बई में प्लेग फैलने पर उसे रोकने में सरकार की दुनमुल नीति के विरुद्ध 'केसरी' पत्रिका में लेख लिखा था। ब्रिटिश नौकरशाही की दमनकारी नीतियाँ सर्वत्र फैल रही थीं, अतः भारतीय नेताओं में अमन्तोष बढ़ता गया और उनके आन्दोलन में उग्रता की मात्रा बढ़ती गयी।

(3) प्लेग तथा अकाल फैलना—1896-97 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल फैला। उनके निवारण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं दिखायी। 1899-1900 में

वर्षों की कमी के कारण पुनः अकान्त पना। सरकार ने हम बार भी वहाँ रक्खा अपनाया। भारतीय जनता का अब यह प्रतीत होना लगा कि ब्रिटिश शासक अनावश्यक कार्यों में अत्यधिक व्यय करते हैं परन्तु जनहित के आवश्यक कार्यों का उपक्षित रहते हैं। यदि अपनी सरकार हानी तो वह हम सभ्यता का सामना स्वयं अधिक कुशलता से कर लेती। अतएव भारत का विन्मो गामन में मुक्त कराना भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ अकान्त में नागा व्यक्ति पीड़ित थे अथवा कानग्रस्त हो चुके थे वहाँ हमी अवधि में पूना में भयङ्कर पंग फन गया। वसन्त नागा व्यक्ति मर गये। यद्यपि सरकार ने इसकी राजधाम के लिए भरमङ्क प्रयत्न किया तथापि प्लग जायुक्त मिस्टर रड के तीर तरीका से जनता में भारी असन्तोष पन गया। इसके अन्तु मन्त्रिक दम्ता की मन्द में वामारा का उनक घरा में जाकर निकलवाया गया। एम रवय में कट्टर धमपयिया का असन्तोष हुआ। किसी युवक ने मिस्टर रड तथा उसके साथियों की हत्या तत्र कर डाली। फन उस फाली का लण्डन लिया गया। सरकार के गनन रवय का प्रकाशित करने के अपराध में तिनक को जेल की सजा दी गयी। इस सबका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय असन्तोष और अधिक उग्र होना गया क्योंकि तिनक की लोकमायता बहुत बढ चुकी थी।

(4) लाड कजन की डमन नीति— ब्रिटिश शासन के रवयों के विरुद्ध भारत में असन्तोष बढ़ता जा रहा था। एम समय (1898-1905) में नाग कजन का भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। वह एक कुशल प्रशासक अक्षय था परन्तु जनहित का उपक्षित रहने वाला कुशल प्रशासन उत्तम शासन नहीं हो सकता था। कजन भारतीयों से घणा करता था वह उन्हें किसी भी रूप में स्वशासन के योग्य नहीं समझता था। उसने घोषणा की थी भारतवासी एक जनसमूह नहीं हैं न उनकी एक भाषा है न एक जाति न एक धर्म वे एक महाद्वीप या एक साम्राज्य तक नहीं है एक विश्वता दूर रहा।¹ साथ ही वह यूरोपीय लोगों का भारतवासियों से हट्टे में उच्च मानता था। हम आधार पर उसने ब्रिटेन के भारत के ऊपर शासन करने के औचित्य का लगी। अपने शासनकाल में उसने अनेक एम कारनाम किये जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी देशभक्त महन नहीं कर सकता। वनम से प्रथम था कनकता कापिंग्टन एक्ट 1899 जिसके अनुसार कलकत्ता निगम के सन्स्था की मय्या 50 में घटाकर 25 कर दी गयी। इसका उद्देश्य भारतवासियों के स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार का कम करना था। वहना यह जनाया गया कि अधिन सदम्या के होने में कवन वाद विवाह में समय नष्ट होना है और कुशलता नहीं रहती। दूसरा काय था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जिसके अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम करके उनके ऊपर सरकारी नियन्त्रण की मात्रा बढ़ा दी गयी। तथाकथित सुधार याजना विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार का थी परन्तु इसके नाम पर विश्वविद्यालयों के ऊपर केंद्रीय सरकार तथा शिक्षा सचिव का नियन्त्रण बढ़ा लिया गया। भारतीय शिक्षा ने कजन के भारतीयों के प्रति घणित विचारों का प्रतिरोध किया तो उसने भारतीय गिनित वग को और अधिक असम्मानजनक उत्तर दिया।² उसने स्पष्टतः कहा कि मेरा विश्वास है कि काग्रम अपने पनन की आर जा रही है और मरी भी आकाशा यही है कि मैं काग्रम की गतिपूण मय्यु के निमित्त सहायता दे सकूँ।³ नामरा नानून सरकारी गोपनीय विषयों सम्बन्धी नानून 1904 (Official Secrets Act 1904) का उसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकारी काय-कनापो को गोपनीय रहने के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया और समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को भी मर्यान्त कर दिया गया। उन्हें सरकार की नानिया तथा काय-कनापो की आनाचना करने या उन्हें प्रकाशित करने की छूट नहीं दी गयी। सरकार का विरोध राजद्रोह माना गया। इसके उपरान्त लाड

कर्जन की सीमान्त नीति तथा सैनिक अभियान, जिनके अनुसार तिब्बत, फारस की खाड़ी, चीन आदि में सैनिक दम्ते भेजे जाना शामिल थे, भारतीय जनमत को बहुत अनुचित प्रतीत हुए। वगान में लार्ड कार्नवालिस के द्वारा भूमि के स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था के विरुद्ध जो मत व्यक्त किया जा रहा था, कर्जन ने उसकी भी उपेक्षा की और उसमें सुधार लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये। इससे ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति तथा स्वेच्छाचारिता स्पष्ट हो गयी। डा० ताराचन्द के अनुसार 'कर्जन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था कुशलता उसका मौलिक मिद्धान्त था, परन्तु उसमें आचरण की अनेक कमियाँ थी। अब वह असाधारण रूप से महत्त्वाकांक्षी, हठी, दूसरों की राय की उपेक्षा करने वाला, विरोधियों के प्रति प्रतिशोधी, आत्माभिमानी तुनुक मिजाजी आदि था। उसमें कल्पना शक्ति तथा सहानुभूति का नितान्त अभाव था, वह सूभ्रूभ्रू तिरस्कार करने वाला तथा अपने अधीनस्थों तक पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति था।'¹

लार्ड कर्जन भारतीयों से घृणा करता था। वह उन्हें हर प्रकार से, हर क्षेत्र में अक्षम, अयोग्य तथा अकुशल मानता था। यह धारणा उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में व्यक्त की थी। वह 'भारत राष्ट्र' सट्टा किसी धारणा के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं करता था। उसकी धारणा थी कि कांग्रेस जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई वास्तविक सस्था नहीं है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। लार्ड कर्जन द्वारा कांग्रेस की ऐसी निन्दा करने पर तत्कालीन भारतमन्त्री हैमिल्टन ने कर्जन को शावाशी दी और कहा कि यदि कांग्रेस एक या दो वर्ष में समाप्त हो जाये तो उसकी समाप्ति का पूर्ण श्रेय आपको मिलेगा।² कर्जन के विधि-मन्त्री रैले की भी यही धारणा रही थी कि कांग्रेस द्वारा अपनी महत्ता का दावा करना अयथार्थ था। वह जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपने को समझती थी उसमें से 99% ने तो उसका नाम तक नहीं सुना था। लार्ड कर्जन के इन समस्त कार्यकलापों ने भारतीय शिक्षित वर्ग में भीषण असन्तोष उत्पन्न कर दिया। इसके विरोध में भारत के उग्र तत्त्वों ने ही नहीं, अपितु उदारवादियों ने भी पूरा भाग लिया। गोखले तथा लाला लाजपत राय एक शिष्ट-मण्डल लेकर इंग्लैण्ड गये। परन्तु वहाँ भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लाला लाजपत राय को पूरा विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शासन-नीति के अत्याचारों से भारत को छुटकारा देने का एकमात्र साधन देश को स्वतन्त्र कराना है, तभी भारतवासी स्वयं अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति की उदार नीति से भारतवासियों के कष्टों तथा उनके ऊपर किये गये अपमानों का निराकरण नहीं हो सकता। भारत के सामने सबसे ज्वलन्त समस्या स्वराज्य प्राप्त करने की है।

(5) विदेशों में भारतीयों के ऊपर अत्याचार—इसी अवधि में दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों तथा एशियाई मूल के निवासियों के ऊपर वहाँ की गोरी सरकार की रग-भेद की नीति जोर पकड़ रही थी। उन्हें कुछ विशेष सुलुओं में प्रवेश नहीं मिलता था, रेल में वे उच्च श्रेणी में नहीं बैठ सकते थे। 1907 में ट्रान्सवाल की सरकार ने एशियाई पञ्जीयन कानून पास करके उनके कष्टों को और अधिक बढ़ाया तथा उनके ऊपर नागरिकता के लिए पञ्जीकरण की शर्तें लगा दी। उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में बकालत करने गये थे। उनसे यह अपमान सहा नहीं गया। उन्होंने अकेले इसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह का साधन प्रयुक्त किया। भारत में इसकी प्रतिक्रिया यह यह हुई कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष इसका विरोध करने की माँग रखी गयी। परन्तु यहाँ की सरकार ने मौन धारण किया। परिणामस्वरूप भारतीय नेतागणों में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध उग्रता आ गई।

(6) वग-विच्छेद—ब्रिटिश शासन नीति के विरुद्ध असन्तोष के उपर्युक्त कारण स्वयं ही

¹ *Ibid*, 294-95

² *Ibid*, 296

किसी भाँति कम महत्त्व के नहीं थे। गाँड कजन की नीतियाँ न उस असंतोष को और अधिक गम्भीर रूप दनियाँ। उसके अत्याचारी कृत्याँ को इतन भर में सन्तोष नहीं हुआ। उसकी सबसे महान् तथा अनिष्टकारी नाँति उसके वगान विभाजन सम्बन्धी कानून से स्पष्ट हो गयी। वास्तव में वगान विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की वह नीति काय कर रही थी जो भविष्य में लगभग 50 वर्ष तक भारत में ब्रिटिश शासन का वनाय रखने में सफल हुई। यह थी मुस्लिम साम्प्रदायिकता की नीति जिसकी वनौतन जगजो ने भारत में अपना सिक्का मजबूत करने का सुअवसर प्राप्त किया।¹ गाँड कजन ने यह दगाने का प्रयत्न किया कि प्रशासन की कुशलता तथा सुविधा के लिए वगान प्रांत का पूर्वी तथा पश्चिमी वगान नाम के दो प्रांतों में बाँटना आवश्यक है क्योंकि उस समय वगान प्रांत में बिहार उीसा भी शामिल थे। परंतु वास्तविकता यह थी कि वगान में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का दवान के लिए यह नीति अपनायी गयी थी। पूर्वी वगान में मुस्लिम-बहुत जनता रहती थी। उस यह आश्वासन दिया गया कि प्रांत के विभाजन से मुमनमान गान दूसरे सम्प्रदाय के दवाव से मुक्त रहकर अपनी समृद्धि कर सकें। वग विच्छेद ब्रिटिश सरकार की फूट डाना और शासन करा (Divide and Rule) की नीति का सबसे प्रथम सक्रिय कदम था।

वग विच्छेद कानून गाँड कजन के शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी। उसने न केवल भारत के राष्ट्रीय नतंत्र को ही घार असंतुष्ट किया अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारी भी इससे असंतुष्ट थे। गान किचनर जो स्वयं वात्सराय की कायकारिणी का सदस्य था उसके विरुद्ध था। उसने कहा था कि सरकार का तब तक न चन मिनगा और न कित्सा प्रकार का समझौता सफल होगा जब तक कि सयुक्त वगान के निमाण की दिगा में कोई कदम न उठाया जाय। ब्रिटिश पत्रों ने भी वग विच्छेद योजना की आलोचना की थी। उनका मत था कि इस विभाजन के कारण वगान की जनता में भारी असंतोष फटना स्वाभाविक है। भारत के समाचार पत्रों ने इसकी तीव्र आलोचना की। उनका मत था कि प्रांत में विभिन्न जातियाँ तथा भाषाओं की समस्या का समाधान विभाजन के अनिरिक्त अय किसी विवकपूर्ण तथा ईमानदार तरीके से किया जाना चाहिए था। वग विच्छेद कानून के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में और विगप रूज से वगान के राष्ट्रीय नेताओं में तीव्र रोप उत्पन्न हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में वगान विच्छेद की घापणा एक बम के रूप में गिरी। हम ऐसा प्रनीत हुआ कि उससे हमारा घोर अपमान किया गया है। हम ऐसा गगा कि यह वगा ती भाषी जनता की आत्म चेतना तथा एकता के ऊपर एक भीषण प्रहार था। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया न केवल वगान में ही हुई अपितु सारे भारत में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध फन हुए असंतोष रूपी अतन में हमने श्री डाँडन का काय किया। यहाँ तक कि नम दन के नेता लीरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी गोखले आदि भी उससे बहुत असन्तुष्ट हो गये। उसके परिणाम यह हुआ कि देगव्यापी स्वतन्त्री आंदोलन छेडा गया। विदगी मान का बहिष्कार किया जाना गगा। दश के राष्ट्रीय आंदानन में उसके कारण उग्रता का आ जाना स्वाभाविक था। वगान की युवा पन्ती के अनेक नेताओं ने तो यह प्रतिना कर ती कि वग विच्छेद का अतन करने के लिए जो भी साधन उचित समझे जायेंगे उन्हें प्रयुक्त किया जायेगा। काग्रस न गोखन को वनरुण भेजा ताकि वे वहा इसका विरोध करें, परंतु गोखन को खाली हाथ निरागनौटना पना। इससे राष्ट्रीय आंदानन में उग्र तत्त्वा का विकास हो गया। अनेक विद्वानों की घारणा है कि काग्रस में उग्रवाद तथा आतंकवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण वग विच्छेद ही है। यद्यपि 1905 में किया गया यह विभाजन केवल छ वर्ष तक कार्यान्वित रहा और उस बीच राष्ट्रीय आंदोलन में पर्याप्त उग्रता आ गयी थी तथापि 1911 में

¹ नका विस्तृत विवचन आगे किया जायेगा (अध्याय 6)।

इसकी समाप्ति हो जाने पर भी उग्रवाद का अन्त नहीं हुआ। इस राष्ट्रव्यापी माँग को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य होना पड़ा था, परन्तु इसके पश्चात् उसने भारत में साम्प्रदायिकतावाद को और अधिक उग्र बना दिया। अतः भारतीय राष्ट्रीयता में अब आरम्भ के नेताओं की उदारवादी नीतियों पर से विश्वास हट गया।

(7) अन्य कारण—इनके अतिरिक्त अन्य कई घटनाएँ इस बीच घटी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को उग्र बनाने में योगदान किया। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई देश यूरोपीय देशों से सैनिक बल में कम नहीं हैं। इटली की अवीसीनिया से तथा रूस की जापान से हार इसके प्रमाण थे। मध्य एशिया के अनेक राष्ट्र भी राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहे थे। इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। इनसे भारतवासियों में भी आत्म-विश्वास बढ़ा और भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए उग्र होता गया। इस दृष्टिकोण के नेताओं ने उदारवादियों की नीतियों तथा साधनों का विरोध किया। उनका विश्वास याचना, प्रार्थना तथा वैधानिकतावाद से हट गया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि बीसवीं सदी के आरम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रवाद की नयी प्रवृत्ति आ गई।

उग्र राष्ट्रीयता का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उग्रवादी नेताओं की त्रयी में बाल, लाल, पाल (बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा ब्रिजिन चन्द्र पाल) का नाम प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासकों की प्रतिगामी तथा अत्याचार-पूर्ण शासन-नीतियों के विरोध में इस वर्ग के राष्ट्रीय नेताओं का उदारवादियों की 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' तथा आवेदनो और प्रार्थनाओं द्वारा वैधानिक तरीकों से राष्ट्रीय माँगों को पूर्ण कराने की नीति पर से विश्वास हट गया। देश को आर्थिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्पीड़नों से मुक्त कराने के निमित्त उग्रवादियों ने राष्ट्रीय माँगों के सम्बन्ध में स्वराज्य, स्वदेशी, वहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा इन चार सिद्धान्तों को अपना लक्ष्य बनाया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना यह चिरस्मरणीय नारा प्रदान किया कि 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।' उनकी यह धारणा थी कि भारत के उत्थान का एकमात्र साधन स्वराज्य की प्राप्ति है। स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर ही भारतवासी अपनी अन्य समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकेंगे। अतः राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य विदेशी शासन को किसी भी तरीके से निकाल बाहर करना होना चाहिए। इस साध्य की प्राप्ति के साधन स्वदेशी, वहिष्कार अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन थे। विदेशी सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय उद्योगों को धक्का पहुँच रहा था। भारतीय बाजारों में विदेशी में बनी वस्तुएँ आ रही थीं। अतः इन आन्दोलनकारियों ने स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार किया और जनता से माँग की कि वह अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करे तथा विदेशी माल का वहिष्कार करे। साथ ही विदेशी सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्थाओं के वहिष्कार की भी माँग की गयी। इन नेताओं ने स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षालय खुलवाये और उनमें शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया।

यह आन्दोलन प्रारम्भिक उदारवादी आन्दोलन से पूर्णतया भिन्न प्रकृति का था। इसका क्षेत्र केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, अपितु इसका उद्देश्य जन-जागृति था। जनता में स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करके उसे देश में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए तैयार करने का आह्वान किया जाने लगा। इन आन्दोलनकारियों ने उदारपथियों की विधान परिषदों के माध्यम से शासन-सुधार करवाने की धारणाओं को भ्रान्तिपूर्ण ठहराया, क्योंकि विदेशी शासकों के अत्याचार तथा दमनचक्र निरन्तर घटते जा रहे थे। अतः 1905 के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन में एक पूर्णतया नवीन प्रवृत्ति आ गई, जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय बनी रही। इस उग्रवाद ने कांग्रेस

की गतिविधिया का भी नया रूप प्रदान किया ।

वगाल मे उग्रवादी आन्दोलन—उग्रवादी राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधिया का तीन भाग म विभक्त किया जा सकता है वगाल महाराष्ट्र तथा समग्र रूप म समूच दश म । उग्रवाद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वग विच्छेत् हाने स वगाल का जनता म क्षाभ का वन्ना स्वाभाविक था । अत वग विच्छेत् की प्रतिक्रिया क फलस्वरूप आन्दोलन की तीव्रता वगाल म सर्वाधिक रही । उग्रवादी नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तक न नाड कजन की नीति की घोषणा की । एन एम समय का मत था कि आज वक तथा गरिडन जावित हान ता नाड कजन की मातिया क कारण उसक ऊपर भी महाभियोग लगात ।¹ वगाल म विभाजन क विरुद्ध जूस निकान गय प्रदान किय गये तथा जनस समाए आयोजित की गया । सरकार न वन सबका दमन करन म कोई कमी नहो रखी । हन्ताने हन्तम विद्याथिया तथा जनता सबन भाग निया उहो सरकार न शान्त भी किया । वगाल म आन्दोलन का दवान क लिए गारखा सेना बुलाई गया । परतु जहा सरकार ने चन् आन्दोलनकारिया का दण्ट दिया वहा आन्दोलनकारिया की सख्या निरन्तर बढ़ती गयी । पूर्वी वगाल के गवर्नर वी फुनर न जग्रजा की वग विच्छेत् की नीति का स्पष्ट कर दिया । उसका कथन था कि मरी दो पत्निया ह—हिन्दू तथा मुस्लिम और म मुस्लिम पत्नी का अधिक प्यार करता हू । स्पष्ट था कि वग विभाजन का उद्देश्य भारत म साम्प्रदायिक विप का फनाना था जिसका जाड म जग्रजी गासन पनपता रहना ।

आन्दोलन का तीव्र करन क लिए स्वामी तथा वहिष्कार की नीति अपनायी गयी । विपिन चन् पान क नतत्व म तथा उनके द्वारा विविध पत्र-पत्रिकाआ म लिखे गय तथा क द्वारा वन् मातरम गीत का जारदार प्रचार हुआ । घर घर म जाकर नेताआ न जनता स अपीन की तथा प्रतिना करवायी कि व विदेशी वस्तुआ का उपयोग नहा करेगे । विदेशी मान की टुकाना पर धरना दिया गया और स्थान-स्थान पर विदेशी मान की हानी जनायी गयी । विद्यार्थी समाज न वस आन्दोलन की प्रगति म विनाप रचि दशायी । विपिन चन्द्र पान शरविद घोष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी प्रभति जनेक नेताआ ने आन्दोलन का नेतृत्व किया । विपिन चन्द्र पान न मद्रास का दौरा किया वहा भी वग विच्छेत् क विरुद्ध प्रचार करवाया । अत म सरकार न उहे मनास छोटन का विवश किया । स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय शि शानया की स्थापना की गयी । 5 मई 1905 का घोषित वग विच्छेत् का आदेश 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया और इस बीच हुए भारी विरोध की सरकार न तनिक भी परवाह नहा की वल्कि उस नवाया । अत 16 अक्टूबर 1905 का दिन भारत म एक महान् नाक दिवस के रूप म मनाया गया । ब्रिटिश नौकरशाह की दमन-नाति क बावजूद आन्दोलन शांत नहा हआ और आन्दोलन न ववन उग्र हुआ अपितु क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी भी हाने लगा ।

आन्दोलन के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया—वग भग क विरुद्ध जा उग्रवादी आन्दोलन छिन्ना था उस दवाने के लिए नाड कजन तथा पूर्वी वगाल क आमाम क न० गवर्नर फुनर न शक्ति का प्रयाग किया । वसी बीच इगनण्ट म उदार दन की सरकार बन गई । नाड मारो भारत मत्री बने और नाड मिटो न कजन का स्थान निया । वहने अपनी नीति को किंचित बदला । मिटो की धारणा थी कि काग्रस का प्रतिनिधित्व करने वाला वग गामन का नेतृत्व नहा कर सकगा । परतु साथ ही वह काग्रस का पूणतया उपनिस्त रखना भी उचित नहा समझना था । अत उसन काग्रस के उदार नेताआ बनर्जी गाखन तथा मोनीनाल घोष के साथ सम्पक स्थापित किया । दूसरी ओर ब्रिटिश राज के प्रति मुसलमाना की निष्ठा का वनाये रखने क उद्देश्य स उसने वग विभाजन का विरोध करने वाने राष्ट्रवादी तत्त्वा स मुसलमाना का सहानुभूति हानन की नीति की आवश्यक समझा । परतु विभाजन का निरस्त करने के सम्बन्ध म उसने स्पष्ट वनकारी प्रकट की । स्वायत्त गसन की माग क सम्बन्ध म उसने एसी सुधार योजना निमित्त

करने की सोची जिसे कार्यान्वित करने में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भेदभाव स्पष्ट हो जाय और शासन सुधार योजना कार्यान्वित न हो सके। डा० ताराचन्द के अनुसार 'मिटो की योजना की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक था कि भारत के राष्ट्रवादी तत्त्वों में भी फूट हो जाय, ताकि मुसलमानों के प्रति उसकी नीति के वावजूद उदारवादियों के विरोध को रोका जा सके। साथ ही, राजनीतिक सुधारों का जो अस्पष्ट या तुष्टिकारक रूप उनके समक्ष रखा जाने वाला था, वह आन्दोलनकारियों का ध्यान बटाने मात्र को एक कदम था।¹ पूर्वी बंगाल में फुलर का आतंक तीव्र होता जा रहा था और यह मांग तीव्र हो रही थी कि उसे वापिस किया जाय। स्वयं लार्ड मिंटो उससे सन्तुष्ट नहीं था। भारतमन्त्री ने भी लार्ड मिंटो से सहमति व्यक्त की। अतः मिंटो ने फुलर को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया। परन्तु आन्दोलनकारी इतने भर से सन्तुष्ट नहीं थे।

बंगाल में उग्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ता गया। दूसरी ओर ब्रिटिश नौकरशाही हिन्दू जनता के विरुद्ध मुसलमानों को उकसाती रही। परिणामस्वरूप पूर्वी बंगाल में भीषण साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। बंगाल की एकता के निमित्त जो आन्दोलन चलाया गया था, उसकी अनेक रस्में हिंदू धर्म-परम्पराओं के अनुसार चलाई गईं, यथा राखी बाधना, बूँटों में आग न जलाना, बन्दे मातरम् का गीत गाना, काली की पूजा आदि। यह रस्में इस्लाम धर्म-विरोधी मानी जाने लगीं। जब मुसलमानों को सरकार का प्रोत्साहन मिला तो दंगों में हिंदुओं के ऊपर किये गये जुल्मों को नौकरशाही ने अनदेखा किया। संक्षेप में, ब्रिटिश सरकार निरन्तर कांग्रेस के अन्दर तथा हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के मध्य फूट उत्पन्न कराने के सभी तरीके अपनाने में व्यस्त रही और अधिकारीगण इन सब अत्याचारों के लिए सरकार के कार्य-कलापों का औचित्य प्रदर्शित करते रहे। परिणाम-स्वरूप उग्रवादी आन्दोलन क्रांतिकारी तथा आतंकवादी दिशा में बढ़ने लगा। सरकार के भीषण दमन के वावजूद आन्दोलन में गिरियलता नहीं आ सकी। यद्यपि सरकार ने प्रमुख नेताओं को लम्बी कारावास की सजाये दी और तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष आदि प्रमुख के नेता बन्दी हो गये, तथापि आन्दोलन 1911 में बंगाल विभाजन आदेश के निरस्तीकरण हो जाने पर भी शान्त नहीं हुआ। उग्रवादी आन्दोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया और क्रांतिकारियों तथा आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियाँ तीव्र करना आरम्भ कर दिया।

महाराष्ट्र में उग्रवादी आन्दोलन—महाराष्ट्र ने दो महान् राष्ट्रीय नेताओं गोखले तथा तिलक को जन्म दिया था। गोखले उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर विश्वास रखते थे। परन्तु 1900-1905 की अवधि में ब्रिटिश शासन के दमनकारी कारनामों में गोखले भी बहुत असन्तुष्ट हो गए थे। यद्यपि उन्होंने उग्रवादी नीतियों तथा गतिविधियों का अनुसरण नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन की नीतियों की उन्होंने भी भर्त्सना की। तिलक उग्रवादी राष्ट्रीयता के सबसे महान् प्रवर्तक थे। सच्चे अर्थों में उनको उग्रवाद का जनक कहा जाना चाहिए। यद्यपि वे उदारवादी नेताओं का आदर करते थे, तथापि वे उनकी राजनीतिक भिन्नावृत्ति तथा अग्रेजों की ईमानदारी पर विश्वास रखने की नीति के विरोधी थे। उनका लक्ष्य औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था जिसे वे प्रत्येक भारतवासी का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। अतः स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त वे किसी भी प्रकार का बलिदान करने की धारणा रखते थे। उन्होंने 'केसरी', 'मराठा' आदि पत्रों के द्वारा जनता तथा नवयुवकों को आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास तथा आत्म-बलिदान की शिक्षा दी। तिलक पाश्चात्य सभ्यता की गरिमा के विरोधी थे। उनकी भारतीयता की धारणा असंदिग्ध थी। उन्होंने स्वयं भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यों में कष्ट सहें और लम्बी अवधि का कारावास भोगा। अतः वे जनता के 'लोकमान्य' नेता बने। भारत में विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने जनता को संगठित करने तथा उसमें आत्म-त्याग और आत्म-विश्वास

की भावना जागृत करने व निमित्त महाराष्ट्र में गणपति उत्सव गिवाजी उत्सव सहित सगठना का आयोजन किया। इनके द्वारा जनता को सह्याय अनुशासन तथा दंग प्रम की शिक्षा दी। राष्ट्रीय चेतना की जागृति करने में इन सगठना का महान् योगदान है।

अग्रज उग्रवाद का प्रभाव—ब्रिटिश शासन व विरुद्ध असंतोष के वन वगान तथा महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा। शासन की दमनकारी नीतियाँ न सारे देश में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। पंजाब में नाना राजपत राय भी इससे बहुत रुचि हा गए थे। वे एक शिक्षा-सुधारक समाज सुधारक तथा धर्म सुधारक थे। उन्होंने आय समाज की उन्नति में विभिन्न योगदान किया। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली थे। ब्रिटिश शासन व अत्याचारपूर्ण रवये तथा अग्रजों द्वारा भारतवासियों को हर दृष्टि से हीन मानने की धारणा ने उनका रोष को उभारा। वे गोपने के साथ शिष्ट मण्डल में वगण भी गए थे। जब उन्हें निराशा पीटना पड़ा तो उन्होंने देशवासियों को बताया कि अब धावेदन तथा प्राथनाग्रा से काम नहीं चलेगा। भारतवासियों को स्वतंत्रता की लड़ाई में धार्मिक विश्वास तथा धार्मिक वन स काय करना पड़ेगा। इस प्रकार व भी तिनक के अनुगामी वन गए। सरकार ने उन्हें देश निकालने का दण्ड दिया।

उग्रवाद तथा कांग्रेस—चूंकि इस अवधि में कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय संस्था थी जो राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करती आ रहा थी अतः सभी राष्ट्रीय नेता या तो कांग्रेस के सदस्य थे या किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पर निर्भर रहते थे। निःसन्देह अग्रजों की फूट डाना की नीति ने थोड़े स शिक्षित मुस्लिम वग को कांग्रेस विरोधी बनाकर साम्प्रदायिकता को जागृत करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस श्रेणी में सर सयद अहमद खाँ का नाम उल्लेखनीय है परन्तु स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व में भी सिद्धान्त तथा साधनों के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न होने लग गया था। दादाभाई नौरोजी गोखले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि उदारवादी नेता अपनी पुरानी ब्रिटिश राज भक्ति की नीति पर विश्वास करते थे। परन्तु वान नान पान की त्रयी इस नीति की कट्टर विरोधी हो गयी थी। वग विच्छेद के उपरांत 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस में दो दल (उदारवादी तथा उग्रवादी) वन गए हैं और इन दोनों के नेता कांग्रेस के भावी कार्यक्रम की समरूप नीति का निमाण नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके साधन एक दूसरे के विलकुल विरुद्ध थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी उस वक प्रिंस आफ वेल्स भारत पधारें थे। उदारवादी उनके स्वागत का समर्थन करने लगे परन्तु उग्रवादी इसने विरुद्ध थे। इस अधिवेशन में जो पस्ताव पास किये गये उन्हें सबसम्मत नहीं माना जा सकता। परन्तु 1906 में उग्रवाद जोर पकड़ चुना था। इस (कानकता) अधिवेशन में उग्रवादी नेता तिनक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाहते थे जा उदारवादियों को सहनीय नहीं था। अतः वयावृद्ध नेता नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर सकट टान दिया गया। परन्तु उग्रवादी इस अधिवेशन में स्वराज्य बहिष्कार स्वयंसेवी तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रस्ताव पास कराने में सफल हो गये और प्रथम बार कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीयता का उद्देश्य इंगण तथा उपनिवेश की भांति का स्वायत्त शासन प्राप्त करना घोषित कर दिया।

परन्तु 1906 का अधिवेशन कांग्रेस के अंदर उमड़ती हुई फूट का निराकरण करने का उपचार सिद्ध नहीं हुआ। वगान में राष्ट्रीयता की भावना उग्र होती जा रही थी। तिनक सहित उग्रवादी नेता उदारवादियों की ब्रिटिश शासकों से मित्रो भगत करने व प्रयासों को सहन नहीं कर सके। परिणामस्वरूप कांग्रेस के अन्दर फूट की वाना अंदर ही अन्दर सुनग रही थी और 1907 के मूरत के कांग्रेस अधिवेशन में यह स्पष्टतया बाहर फूट पड़ी। कांग्रेस के इतिहास में 1907 की फूट की घटना की पुनरावृत्ति 1969-70 में हुई। परन्तु दाना के स्वरूप में भिन्नता है। उस समय दाना का उद्देश्य राष्ट्रीय हित था न कि सत्ता प्राप्ति या नेतृत्व प्राप्ति की व्यक्ति-

गत आकाक्षा । नेतृत्व प्राप्त करने की आकाक्षा इस उद्देश्य से निर्देशित थी कि कांग्रेस के कार्यक्रम में अपने साधनों का समावेश किया जा सके । अतः उदारवादी नेताओं ने रासबिहारी घोष का नाम अध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित किया । उग्रवादी लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे । उग्रवादी उस समय बहुसरयक नहीं थे । अतः रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित होने पर उन्होंने विरोध किया । ऐसी स्थिति में बैठक को स्थगित कर दिया गया । परन्तु दूसरे दिन फिर यही दृश्य उत्पन्न हुआ । पुलिस ने हस्तक्षेप करके बैठक को नहीं होने दिया । इस पर उग्रवादी कांग्रेस से पृथक् हो गए । वे पूरे आठ वर्ष तक कांग्रेस से अलग रहे । इस बीच कांग्रेस ने अपने सविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य सांविधानिक तरीकों से कार्य करना स्वीकार कर लिया । उग्रवादियों के लिये यह भी एक बड़ा धक्का था । कांग्रेस के प्रमुख नेता गोखले, फीरोजशाह मेहता आदि एकता लाने का प्रयास करते रहे, परन्तु उनके स्वप्न उनकी मृत्यु के पश्चात् ही साकार हो पाए ।

इस बीच ब्रिटिश शासकों ने उग्रवादियों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया । जिन समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करते थे उन पर प्रतिबन्ध लगाए गए । अरविन्द घोष के ऊपर अभियोग चलाने का निष्फल प्रयास भी सरकार ने किया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश भारत छोड़कर फ्रांसीसी बस्ती पाण्डीचेरी में अपना निवास स्थान बना लिया । कर्जन के उत्तराधिकारी लार्ड मिंटो ने गोखले तक की भर्त्सना की, बंगाल के अनेक नेताओं को देश निकाले का दण्ड दिया गया । ब्रिटिश शासकों के दमनचक्र का विरोध करने पर राजद्रोह के अपराध में तिलक को 6 वर्ष का कारावास देकर माडला जेल भेज दिया गया । उनके साथ जेल तक में मानवोचित व्यवहार करने की चिन्ता ब्रिटिश नौकरशाही ने नहीं की । इसका परिणाम यह हुआ कि युवा पीढ़ी के नेता हिंसात्मक क्रान्ति तथा आतंकपूर्ण भूमिगत साधनों का प्रयोग करने लगे । यद्यपि इस बीच मार्ले-मिंटो सुधार (1909) पास किए गए थे, तथापि उनके फलस्वरूप सन्तोष तो अलग रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व में और अधिक असन्तोष फैल गया । 1911 में बग-विच्छेद को निरस्त करने पर भी विरोध शान्त नहीं हुआ । 1911 में लार्ड हार्डिज (वाइसराय) के ऊपर किसी आतंकवादी ने बम फेंका । यद्यपि वाइसराय बच गया तथापि इससे शासकों का रोप और अधिक उग्र हो गया । प्रेस पर और अधिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया, उनसे जमानते माँगी गयी । इस अवधि में तिलक जेल में थे जहाँ उन्होंने 'गीता-रहस्य' तथा 'दि आर्किटिक होम ऑफ दि वेदाज' नामक ग्रन्थ लिखे । ये ग्रन्थ उनकी विद्वता तथा विचार व चिन्तन शक्ति की महानता के द्योतक हैं । साथ ही इनका अध्ययन किसी भी हिन्दू मानस में कर्तव्यपरायणता भरने में समर्थ हो सकता है । गीता-रहस्य में तिलक ने कर्मयोग की महत्ता को दर्शाया है । जेल से छूटने पर तिलक ने 'होम रूल' आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । इस समय श्रीमती ऐनी वेसेन्ट जो एक आइरिश महिला थी हिन्दू धर्म तथा भारतीय राष्ट्रीयता से बहुत प्रभावित हो गयी थी । उन्होंने हिन्दू धर्म को अपना लिया था । थियोसाफिकल सोसाइटी का कार्य उन्होंने बड़ी लगन के साथ किया था । वह 1914 में कांग्रेस में प्रविष्ट हुईं और होम रूल आन्दोलन में सतत कार्य करती रहीं । 1915 की अवधि तक उदारवादी नेताओं गोखले तथा मेहता का अवसान हो चुका था, नौरोजी 90 वर्ष के हो चुके थे । अतः ऐसा प्रतीत होने लगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने वालों की कमी होने लगी है । भाग्यवश इसी अवधि में महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिये उपलब्ध हो गए । 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया था । इंग्लैंड युद्ध में एक पक्ष था । अतः कांग्रेस के समक्ष समस्या आई कि भारतीयों को युद्ध में इंग्लैंड की महायत्ता करनी चाहिए या नहीं । कांग्रेस के दो दलों में एकता हुए बिना आन्दोलन का सफलता मद्दिग्य प्रतीत होने लगी । 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी पुनः कांग्रेस में आ गए और 11 वर्ष पुरानी फूट का अन्त हो गया ।

उग्रवादिया के साधन तथा सिद्धान्त ✓

उग्रवादी आन्दोलन के नेताओं ने त्रिणि गामन की दमनकारी तथा सुधारों के सम्बन्ध में जनमुन की नीति से असंतुष्ट होकर उग्रवादी नेताओं की सांविधानिकतावादी तथा राजनीतिक शिक्षावृत्ति की नीति का विरोध किया था। उग्रवादी नेताओं ने स्वराय प्राप्ति को अपना नश्य घोषित किया और उनकी प्राप्ति के लिये स्वतन्त्री बहिष्कार तथा राष्ट्रीय गि मा की प्रगति के साधन अपनाये। स्पष्ट है कि उग्रवादी आन्दोलन के सिद्धान्त तथा साधन भी उग्र प्रवृत्ति के थे।

(1) उग्रवादी क्रमिक सुधारों के पक्ष में नहीं थे। वे यह नहीं चाहते थे कि पहले सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक सुधार किए जायें तब राजनीतिक नश्य प्राप्त होगा। उनकी धारणा तो यह थी कि पहले स्वराय प्राप्त होना चाहिए अर्थात् सुधार तभी संभवित रूप से सम्पन्न हो सकते हैं जबकि राजनीतिक सत्ता अपने दंगवासीयों के हाथ में रहे।

(2) उग्रवादी त्रिणि सरकार से याचना करके अपनी मांगें मनवाना पसन्द नहीं करते थे। वे जनता में आत्म विश्वास की भावना भरना चाहते थे। वे जनता की व्रातिकारी शक्ति पर विश्वास रखते थे न कि सांविधानिक साधनों पर। साथ ही वे थोड़े से निर्मित वर्गों के महयोग पर निर्भर न रहकर आम जनता की राजनीतिक शक्तों पर विश्वास करते थे।

(3) उग्रवादियों के साधन स्वतन्त्री का आम प्रचार विन्त्री मान का बहिष्कार गामन के अयायपूर्ण कृत्या के साथ असहयोग सविनय अवज्ञा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध थे। उनके द्वारा वे जनता में रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा भरकर भारतवासियों के गारीक एवं ननिक उत्थान का अपना लक्ष्य मानते थे।

(4) यद्यपि उग्रवादी प्रथम चरण में अहिंसात्मक आन्दोलन को ही मान्यता देने थे लेकिन उनकी अक्षमता में कुछ उग्रवादी हिंसात्मक साधनों का भी उपाय सम्भन गये। यद्यपि स्वयं महात्मा गांधी ने बात में उग्रवादियों के अहिंसात्मक साधनों को अपना नश्य बनाया तथापि उग्रवादी महात्मा गांधी के सम् सिद्धान्त से कि साधनों की पवित्रता पर साध्य की पवित्रता निर्भर रहती है मतभेद रखते थे। वे मक्याविनी के इस सिद्धान्त को मानते थे कि साधनों का औचित्य साध्य पर निर्भर रहता है (end justifies the means)। उनका साध्य स्वराय प्राप्ति था उस किमी भी प्रकार प्राप्त करना ही वे अपना प्रमुख नश्य मानते थे।

(5) उग्रवादी त्रिणि गामन की अयायप्रियता तथा इमानदारी पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका मत से अग्रजाने अयायपूर्वक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया है और वे अयाय की नीति का अनुसरण करके ही अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। अतः उनसे भारत वामी अपनी स्वायत्तता की मांग वधानिक तरीकों या गान्तिपूर्ण प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं मनवा सकते। उनका विश्वास था कि अग्रजाने भारत में जा भी थोड़े में सुधार किये हैं वे भारतीयों के हिता का ध्यान में रखकर नहीं किये हैं बल्कि अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने की नीयत से किये हैं। उनके पीछे भारत का आर्थिक गोपण सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पतन निहित है। पान्चात्य रण में रगकर भारत का उत्थान नहीं हो सकता। अतः स्वतन्त्री का प्रचार आवश्यक है। पान्चात्य शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय गि मा की याना कार्यान्वित करने चाहिए।

(6) उग्रवादियों ने अपने आन्दोलन का प्रचार करने के निमित्त प्रस का पर्याप्त प्रयोग किया। समाचार-पत्रों में तिनके राजपतराय विपिन चण्ड पान स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपतनाथ दत्त ज्ञानि ने जनता में राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देने वान लेख किये। इसी के साथ साथ उन नेताओं ने हिंसा धम-दगन तथा मस्कृति की महानता का प्रचार भी किया। ये सभी नेता धार्मिक दृष्टि से कष्टर हिंदू थे। अतः हिंदू धर्म की गिमाओं के द्वारा भी उन नेताओं ने भारत में राष्ट्रवादी उग्र बनाने का प्रयास किया ताकि धर्म के नाम पर हिंदू जनता अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तयार हो सके।

उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रमुख नेता

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियो मे बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे प्रमुख महारथियो की श्रेणी मे आता है। महाराष्ट्र की इस महान् विभूति का जन्म 1856 मे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से एक वर्ष पूर्व उसी चितपावन ब्राह्मण परिवार मे हुआ था, जिसमे गोखले इनके दस वर्ष पश्चात् उत्पन्न हुए थे। तिलक महाराष्ट्र के उस वीर स्वातन्त्र्य-प्रेमी महारथी शिवाजी की प्रतिमूर्ति थे जिसने शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब के दाँत खट्टे किये थे। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी मुगल सम्राट औरंगजेब के मार्ग मे सदा एक काँटे की तरह बने रहे उसी प्रकार तिलक भी भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के शरीर मे निरन्तर चुभने वाले काँटे की भाँति बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ उन उदारवादी नेताओ के द्वारा किया गया था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना रखते थे, जो पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा सस्कृति के उपासक थे, जो भारतीय राष्ट्रीय माँगो के सम्बन्ध मे प्रार्थना, आवेदन आदि की नीति पर चलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे और जिन्हे अंग्रेजो की सत्यता तथा न्यायप्रियता पर विश्वास था।

परन्तु ऐसे युग मे तिलक एक उच्च कोटि के उग्रवादी नेता के रूप मे उत्पन्न हुए, जिन्हे उदारपथियो की उपर्युक्त किसी भी नीति पर सन्तोष या विश्वास नही था। वे सच्चे अर्थ मे भारतीय ही नही अपितु सच्चे हिन्दू थे। उन्हे भारत मे ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्यो से तीव्र घृणा थी। उनका विचार था कि भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए अंग्रेजो ने भारत को राजनीतिक दासता की स्थिति मे रखा है। तिलक की सुप्रसिद्ध घोषणा थी कि 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।' यहाँ पर 'मेरा' शब्द से तिलक का अभिप्राय भारतवासियो से था, और जहाँ तक 'स्वराज्य लेकर रहूँगा', पदावली का सम्बन्ध है, तिलक कौटिल्य तथा मैकियाविली की विचारधारा के अनुसार साध्य की पवित्रता पर किसी भी साधन को को अपनाने के पक्ष मे था। तिलक का राष्ट्र-प्रेम तथा राष्ट्रवाद अनन्य था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हित मे वे किसी भी प्रकार के बलिदान से नही घबडाते थे।

पत्रकारिता उनके जीवन का प्रमुख व्यवसाय रहा था। उन्होने मराठी भाषा के दैनिक पत्र 'केसरी' का तथा अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक पत्र 'मराठा' का सम्पादन करके इनके द्वारा ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही के कुचक्रो का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद 1889 मे वे कांग्रेस मे प्रविष्ट हुए। तभी से उनकी उग्र विचारधारा के कारण तत्कालीन उदारवादी नेता उनसे घबडाने लगे। 1881 मे जब कोल्हापुर के राज्य की अव्यवस्था के सम्बन्ध मे कुछ लेख उनके पत्रो मे प्रकाशित हुए तो उसके लिए तिलक को तीन मास का कारावास भी सहना पडा। तभी से तिलक की लोकप्रियता बढ गई थी। तिलक का उद्देश्य भारत के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। उसके लिए उन्होने जहाँ पत्रो के द्वारा विदेशी शासन-नीति का विरोध किया, वहाँ गणपति तथा शिवाजी उत्सवो का सगठन करके जनता मे ऐसे प्रशिक्षित वीरो को उत्पन्न करने का उद्देश्य रखा जो राष्ट्र के हित मे सहयोग तथा अनुशासन से कार्य करते हुए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने को तत्पर रहे।

जब महाराष्ट्र मे अकाल तथा प्लेग फैला और प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या करने वाले अभियोगी को फासी की सजा दी गयी तो तिलक ने अपने पत्रो द्वारा सरकार की प्लेग निवारक नीति तथा उसके सम्बन्ध मे प्रशासनिक अधिकारियो की दमनकारी गतिविधियो की तीव्र आलोचना की थी। परन्तु तत्कालीन सरकार ने, जो तिलक को सदैव अपना प्रथम कोटि का शत्रु मानती थी, तिलक के विरुद्ध रैंड की हत्या के पड्यन्त का आरोप लगाया। यद्यपि तिलक ने अपने पत्रो द्वारा तथा न्यायालय मे भी डम हत्या मे अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध न होने की सफाई

नी तथापि 1897 में सरकार ने उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी। सरकार के इस अजायबपूर्ण कृत्य के कारण तिनक की प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु सारे देश में फल गयी। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि गोल्डने ने इस अवसर पर दण्ड में भारत के ब्रिटिश शासक के विरुद्ध कई बातें कही थीं। परंतु भारत लौटने पर उन्होंने अपने उन शब्दों को वापिस ले लिया जबकि तिनक ने जेल जाना पसंद किया। तिनक को केवल एक वर्ष बाद ही मुक्त कर दिया गया। परंतु यह शर्त लगा दी गयी कि यदि वे ऐसे राजनातिक द्रोह में पुनः भाग लेंगे तो 6 माह की गैर अवधि उनके आग के दण्ड में जोड़ दी जायगी।

1899 में निरंतर तिलक काग्रेस के ऊपर यह दबाव बना रह चुका कि वह अपनी नरम नीति का छोड़े। परंतु काग्रेसी नेता तिनक से सहमत नहीं हुए। 1899 के काग्रेस अधिवेशन में तिनक ने नान सण्टस्ट के अजायबपूर्ण प्रशासनिक रवय के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया परंतु काग्रेस राजी नहीं हुई। काग्रेस के अंतगत तिनक के प्रमुख साथी बिपिनचंद्र पाने तथा नाना राजपतराय के अनिरीक्त बहुत थोड़े से व्यक्तियों का गुट था। नाड कजन की शासन नीति तथा वग विच्छेद के कारण जो देशव्यापी असंतोष उत्पन्न हुआ उसका कारण तिनक के साथियों की सभ्यता में वृद्धि हुई। 1906 के काग्रेस अधिवेशन में उग्रवाणियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर काग्रेस ने उन्हें दवाने के उद्देश्य से दादाभाई नौरोजी का काग्रेस अध्यक्ष चुना क्योंकि नौरोजी सदा बयोवृद्ध नेता के विरोध में कोई भी उग्रवादी उम्मादवार खड़ा नहीं होता। परंतु 1907 में मूरत अधिवेशन में तिनक तथा उनके दल की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी। परिणामस्वरूप वे हंगामे तथा विरोध के वातावरण में वह अधिवेशन उग्र तथा उदार दल के मध्य संधि का व्यक्त कर देने के लिए ही हुआ। 1907 में काग्रेस ने अपने सविधान में जो संशोधन किया उसके अनुसार तिनक के उग्र दल के नेताओं के लिए काग्रेस की सदस्यता का द्वार बंद हो गया। यद्यपि 1906 में तिनक का दल काग्रेस सभापतित्व को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था। तथापि यह सब तिनक का ही प्रभाव था कि उस अधिवेशन में काग्रेस को स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी अपने उद्देश्यों की घोषणा करनी पड़ी।

काग्रेस से अलग हो जाने पर भी तिनक का उग्रवादी जादोवन कम नहीं हुआ। इस अवधि में वग विच्छेद तथा मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण साम्प्रदायिकता का उकसाना और शासन सुधार के मसविदा पर विचार करना ब्रिटिश शासन की नीति के प्रमुख तत्त्व रहे। इन मामलों में ब्रिटिश शासन के रवयों की तिनक निन्दा करते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार तिनक से प्रवृत्ति चाहती थी। काग्रेस से वे पृथक् हो चुके थे। जून 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जिसके साथ साथ पिछले 6 माह की कारावास की गैर अवधि भी जोड़ दी गयी। उन्हें बरमा स्थित माडला जेल भेज दिया गया। उन्हें प्रीवी कांसिल में अपील करने की अनुमति तक नहीं दी गयी। बाद में उनके कारावास का कठोर न करके साधारण कर दिया गया। परंतु माडला जेल में जेल-अधिकारी तिनक के ऊपर कड़ी नजर रखते थे। तिनक के इस प्रवास से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का बल धक्का लगा। परंतु उनका यह प्रवास एक दृष्टि से बरदान सिद्ध हुआ। भन ही उन्हें अजायब काय के निमित्त वाञ्छित साधन उपलब्ध नहीं कराये गये तथापि उनके जीवन की एक महान् अभिजापा पूर्ण हुई जिसमें सक्रिय सावजनिक जीवन में रहते हुए पूर्ण नशा कर सकते थे। वहाँ उन्होंने अपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। प्रथम था दी आकटिक होम आफ दी वेदाज और दूसरा था गीता रहस्य। इन ग्रन्थों की रचना से यह सिद्ध हो गया कि तिलक भारतीय सभ्यता तथा वेद शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित भी थे। इसी अवधि में उनकी धर्मपत्नी का देहावसान भी हुआ परंतु तिनक अपनी व्यक्तिक तथा गृह-परिस्थितियों की परेशानियों के बावजूद सरकार के सम्मत् नहीं भुके। 1914 में जब महायुद्ध छिड़ गया और राजनीतिक वातावरण भी कुछ बदल गया तो कारावास की अवधि पूर्ण होने में कुछ समय पूर्व तिलक को छोड़ दिया गया।

परन्तु इस कारावास ने तिलक को राष्ट्रसेवा के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया। जेल में मुक्त होते ही उन्होंने पुनः अपने को स्वराज्य आन्दोलन में डाल दिया। 1915 में राष्ट्रीय नेतृत्व का अवसान प्रारम्भ होने लगा था। गोखले की मृत्यु होने पर उनकी विचारधारा से तीव्र विरोध रखते हुए भी तिलक ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धाजलि अर्पित की और उनकी राष्ट्रसेवा के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 1916 में कांग्रेस दलों के मध्य एकता हो जाने पर पुनः तिलक कांग्रेस में आ गये। इस वार तिलक को श्रीमती ऐनी बेसेट के होम रूल आन्दोलन से पर्याप्त प्रेरणा मिली। दोनों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की गयी। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने तथा आजीवन राष्ट्र की सेवाओं में रत रहने के कारण सारे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी थी और इसीलिए भारतवासी उन्हें 'लोकमान्य' तिलक के नाम से जानते हैं। होम रूल आन्दोलन की अवधि में तिलक को महाराष्ट्र का ही नहीं, अपितु समूचे भारत का 'देताज का राजा' माना जाता था। इसके बाद की अवधि में भी तिलक अपने मिशन में कार्य करते रहे और जीवन के अन्तिम क्षणों तक देश-सेवा, देश-प्रेम, तथा स्वाधीनता के लिए प्राण-पण से कार्य करते रहे। 1 अगस्त 1920 को भारतमाता की पचास वर्ष तक सेवा करने के बाद भारत का यह प्यारा नेता इस ससार से विदा हो गया।

तिलक तथा गोखले की तुलना—तिलक के बाद उनके दल के जो नेता श्रेष्ठ रह गये थे उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। लाला लाजपतराय इस श्रेणी में आते हैं। परन्तु 1920 के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में आ गया। गांधी गोखले के शिष्य थे अथवा तिलक के, यह स्पष्टतया बताना कठिन है, क्योंकि उनकी विचारधारा तथा कार्यप्रणाली में दोनों की छाप बनी रही। गोखले तथा तिलक के सम्बन्ध में स्वयं गांधी जी के शब्दों में ही उनकी धारणा व्यक्त की जा सकती है। गांधी जी ने कहा था 'लोकमान्य तिलक मुझे एक महासागर की तरह प्रतीत हुए जिसमें किसी का भी प्रविष्ट हो सकना कठिन है। परन्तु गोखले गंगा की भाँति थे, जिसमें सुगमतापूर्वक गोता लगाया जा सकता है।' तिलक की विशालहृदयता, तथा निर्भीकता के समक्ष शायद ही कोई राष्ट्रीय नेता ठहर सकेगा। सी० वाई० चिन्तामणि के अनुसार माण्टेग्यू ने एक बार कहा था कि 'भारत में केवल एक ही वास्तविक उग्र राष्ट्रवादी थे और वह थे तिलक। सचमुच वे 'महाराष्ट्र केसरी' ही नहीं अपितु 'भारत केसरी' थे। वह सही माने में एक लौह-पुरुष थे और जिस कार्य में हाथ डालते थे उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की खोज करना उनके लिए कठिन कार्य नहीं था। गोखले तथा तिलक दोनों राष्ट्रीय आन्दोलन के महाराष्ट्रीय नेता थे, दोनों के अन्तिम उद्देश्यों में समानता होने के साथ-साथ साधनों में इतनी भिन्नता थी कि बहुधा दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। परन्तु वास्तव में दोनों एक-दूसरे के पूरक थे। इस समानता तथा अन्तर को पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में व्यक्त करना अधिक उपयुक्त होगा 'तिलक तथा गोखले दोनों महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, दोनों एक ही चित्तपावन वंश के थे। दोनों प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे। दोनों ने अपने जीवन में महान् बलिदान किया। परन्तु दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। यदि हम उस युग की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करें तो हमें गोखले को 'उदारवादी' तथा तिलक को 'उग्रवादी' कहना पड़ेगा। गोखले की योजना निवर्तमान सविधान को सुधारने की थी, तिलक उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे। गोखले आवश्यक रूप से नौकर-शाही के साथ सहचार करना चाहते थे, तिलक आवश्यक रूप से उससे लड़ना चाहते थे। गोखले का उद्देश्य था जहाँ सम्भव हो, सहयोग से कार्य किया जाये और जहाँ आवश्यक हो, विरोध किया जाये, तिलक का भुकाव प्रतिरोध की नीति पर था। गोखले का सम्बन्ध मुख्यतः प्रशासन तथा उसके सुधार के साथ था, तिलक की सर्वोच्च धारणा राष्ट्र तथा उसका निर्माण करना था। गोखले का आदर्श प्रेम तथा त्याग था, तिलक का आदर्श सेवा तथा कष्ट सहन करना था। गोखले विदेशियों पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे, तिलक उन्हें हटाना चाहते थे। गोखले इसकी महायता पर निर्भर होते थे, तिलक आत्म-निर्भरता पर जोर देते थे। गोखले की दृष्टि

विशिष्ट बग या शिनिन बग पर थी तिनक जाम जनता तथा कराडा भारतीय पर दृष्टि रखत थ। गायन का काय नर विधान परिषद थी तिनक का विचार स्थन गाव का मण्डप था। गासन का माव्यम अग्रजी भाषा थी तिनक का माध्यम मगठी भाषा। गायन का उद्देश्य ऐसा स्वायत्त गामन प्राप्त करना था जिमक तिए जनता का अग्रजा द्वारा निर्धारित शर्ता क अतगन अपन योग्य सिद्ध करना पड़ेगा तिनक का उद्देश्य स्वराय था जिम क प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार कहत थे गिसका प्राप्ति उह दिना किमी प्रकार क विन्शी दनाव या अवराध क करनी पड़ेगी। गायने अपन युग के साथ थ तिनक अपन युग स आग वत चुक थ।¹

इन दाना महान् नताआ का सुनना का उपयुक्त विवरण नना स्पष्ट है कि इसस जाम और कुछ कहना गप नहा गइ जाता। निस्सन्देह तिलक अपन युग स आग बढ गय थ। यदि व 1920 क उपरान्त की अवधि म जीविन रहते तो निस्सन्देह राष्ट्रीय आन्दान म उनका प्रभाव कहा अधिक महान् हो जाता। उनक अपन युग म उनकी नीतिया का समथन स्वय गष्टीय नताआ क द्वारा नहा किया गया। साथ ही उस समय ब्रिटिश सत्ता एतनी सुदृढ थी कि उसन तिनक क आन्दान को दवान म तथा उह दीघ अवधि तक प्रवास म रसकर आन्दान को तीव्र तथा उग्र बनान से बचा लिया। परन्तु तिनक न राष्ट्रीय आन्दान म वह जान भर दी जिसन ब्रिटिश नीरगाही का निरन्तर मचत गया और भविष्य क नताआ को ब्रिटिश साम्राज्यशाही क विरुद्ध मघप करन की प्रग्या कर दग के राष्ट्रीय आन्दान म एक नया जीवन भर दिया। यद्यपि जिस अवधि म तिनक राष्ट्रीय आन्दान का वास्तविक स्वरूप प्रदान करत उस अवधि म सरकार न उह नम्बी कारावास की स्थिति म रख लिया था तथापि उहान उस अवधि का सदुपयोग करके राष्ट्र की बहुमृत्य मवा की। साथ ही उनक कारावास दण क कारण उनकी लोकप्रियता बनी और राष्ट्र के जनमानस की चेतना का भी विकास हुआ।

2 लाना राजपतराय (1865-1928)

यदि लोकमान्य तिनक का महाराष्ट केसरा कहा गया है तो उनके समकालीन तथा समकालीनता लाना राजपतराय को पनाव कसरी कहा जाता है। तिनक की भाति ही लाना राजपतराय भी स्वतन्त्रता संग्राम क प्रमुख उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे। व न कवन एक राजनीतिक नेता थ अपितु एक उच्च कोटि क शिक्षा प्रमी हिंदू धम के कट्टर समथक परन्तु साम्प्रदायिक सहिष्णुतावादी अपन युग क महान् योगदानदाता देवभक्त तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अनय पुनारी थे। वे 1888 म काग्रस म प्रविष्ट हुए थ। तिनक की भाति व भी उदारवाणिया की राज नीतिन शिक्षावृत्ति की नीति के विरोधी थ। अनएव तिनक तथा त्रिपिन चण पाल क साथ उहान काग्रस क अदर राष्ट्रवादी दन की स्थापना करन म महत्त्वपूर्ण भाग लिया। काग्रस म प्रवेश करत ही उहाने उन् म जा भाषण दिया था उसन उह अपन युग क सर्वोत्तम सावजनिक वक्ता क रूप म सिद्ध कर दिया। सी वार्ड चिन्तामणि का मत है कि एक सावजनिक वक्ता के रूप म लाना राजपतराय लायड जाज के समकाल थ उनम ज्ञाना-जनता के मन्य अपन विचारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने की अतीव प्रतिभा थी।

लाना राजपतराय एक हिंदू राष्ट्रवादी थ। परन्तु साथ ही व हिंदू मूनिम एकता के भा समथक थे। उनक ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती की गिनाओं का प्रभाव था अत आय समाज के प्रचार म उहान बहुत अधिक अभिरुचि दर्शायी। वे महान् शिक्षाप्रमी थ। उहान लहौर म ली ए की कानेज की स्थापना की और 1888 क काग्रस जिवंगन म यह प्रस्ताव रखा कि

S. Ramayya p. cit 99

¹ डा ए थ का पूरा रूप दयानंद एना वैदिक है। नम नाम स स्पष्ट लता है कि स्वामी दयानंद तथा उनक शिष्य आन भाषा न विरोधी न। थे। परन्तु व गिना को राष्ट्रीय रूप नना चाहते थ जो बकि परम्परा पर निमित्त हो।

कांग्रेस को कम से कम आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्धो की समस्या पर विचार करने में लगाना चाहिए। लालाजी पाञ्चात्य सस्कृति की अपेक्षा भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता के समर्थक थे। इन गुणों के अतिरिक्त वे एक उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने पजाबी, बन्देमातरम् तथा जनता (The People) पत्रों का प्रकाशन तथा सम्पादन किया।

1906 में लाला जी को गोखले के साथ कांग्रेस ने एक शिष्ट-मण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैण्ड भेजा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय दृष्टिकोण को रखना था। परन्तु जब इस मिशन में उन्हें निराशा होकर लौटना पड़ा तो लाला जी ने अपने देशवासियों को बताया कि उदारवादियों की नीति का अनुसरण करके देश का कोई हित नहीं हो सकेगा। अतः देशवासियों को आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता की नीति अपनाकर देश की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करना पड़ेगा। मातृभूमि के हित में हमें किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 1907 में, जब उग्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था तो पजाब में भूमि सुधार सम्बन्धी शासन नीति का घोर विरोध करने के आरोप में लाला जी को सरदार अजीतसिंह के साथ देश निकाले की सजा दी गयी। परन्तु छ मास पञ्चात् उन्हें मुक्त कर दिया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में जब उग्र तथा नरम दल का सघर्ष चरम सीमा पर पहुँच गया, तो तिलक ने लाला जी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। इस अवसर पर गोखले ने यह चेतावनी दी कि 'यदि आप सरकार की अवज्ञा करेंगे तो सरकार आपको और अधिक दवायेगी।' ¹ यद्यपि लाला जी इस दृष्टिकोण की परवाह नहीं करते थे, तथापि उन्होंने अपना नाम इसलिए वापिस ले लिया कि कहीं दोनों दलों के मध्य कटुता बहुत न बढ़ जाय। 1908 में तिलक के कारावास के उपरान्त लाला जी को भी निर्वासित कर दिया गया। जहाँ वे वापिस आये तो उनके पीछे खुफिया दल इस प्रकार घूमने लगा कि लाला जी ने भारत से बाहर चला जाना पसन्द किया। 1914-16 की अवधि में वे अमरीका में रहे। वहाँ उन्होंने अपनी पुस्तक 'यंग इण्डिया' लिखी, जिसका भारत तथा इंग्लैण्ड में प्रसारण बन्द कर दिया गया था। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में लाला जी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया।

लाला लाजपतराय असहयोग आन्दोलन के समर्थक नहीं थे। सीताराम्या के शब्दों में 'वह एक सत्याग्रही नहीं अपितु एक योद्धा थे। उनकी दृष्टि में सविनय अवज्ञा निष्क्रिय प्रतिरोध से पृथक् अन्य कोई अर्थ नहीं रखती।' लाला जी भारतवासियों के विधान परिषदों में प्रविष्ट होने की नीति के समर्थक थे। 1920 में उन्हें केन्द्रीय विधान-परिषद् के लिए चुना गया था। वहाँ वे स्वराज्य दल के उपनेता रहे। परन्तु बाद में वे इस दल से अलग हो गये और मदनमोहन मालवीय जी के सहयोग से उन्होंने राष्ट्रवादी दल की स्थापना की।

1928 में जब भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन चल रहा था तो लाला जी ने भी इसमें भाग लिया। इसे दवाने में पुलिस ने जो दानवीय रवैया अपनाया उसमें लाला जी को भीषण लाठी-प्रहार का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। जिन दिन उम गोरे सार्जेंट ने उनके ऊपर लाठी चलायी थी, उस दिन सायंकाल अपने भाषण में लाला जी ने जो शब्द कहे थे वे चिरस्मरणीय हैं। उन्होंने कहा था 'मेरे ऊपर किया गया ठाठी का एक-एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थी की एक-एक कील के रूप में सिद्ध होगा।' भारत को अपने स्वतन्त्रता संग्राम के डम महान् योद्धा, देशभक्त, शिक्षाशास्त्री, वक्ता, ममाज नुसारक तथा त्यागी नेता पर गर्व करके, उनके जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए।

3 विपिन चन्द्र पाल (1859-1932)

उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की त्रयी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय

तथा विपिन चन्द्र पान को वात न न पान क नाम से सम्बोधित करने की परम्परा बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के त्रिकोण में पञ्जाब में राजा राजपन राय महाराष्ट्र में वात भगवाधर तिनक तथा बंगाल में विपिन चन्द्र पान तीन कोण त्रिदुज्रा का स्थान लेने वाले हैं। बंगाल ने राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में जहाँ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सहज उदारवादिता को जन्म दिया है वहाँ विपिन चन्द्र पान अरविन्द घोष मानवन्द राय सुभाष चन्द्र बोस सहज क्रांतिकारियों का भी पालन किया है। वास्तव में जिनमें क्रांतिकारी नेता बंगाल ने पदाधिकारी है उतने गायत ही दंग के किसी अन्य भाग में उत्पन्न हुए होंगे। विपिन चन्द्र पान तिनक गुट के राष्ट्रवादी नेता थे।

विपिन बाबू न केवल एक राष्ट्रवादी नेता ही थे अपितु एक दार्शनिक तथा पत्रकार भी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में की है। वे एक अन्तर्राष्ट्रीयतावादी विचारक थे। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से अपना सम्बन्ध रखा और उनके माध्यम से अपना राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारों का व्यक्त किया। प्रारम्भ में वे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की भाँति उदारवादी नेता थे। परन्तु उनके राष्ट्रवादी विचार उतने अधिक समय तक उदारवादी नहीं रह सके। कांग्रेस से उनके सम्पर्क प्रारम्भ में ही बने गये थे। बाद में वे महात्मा अरविन्द घोष के पत्र बन्धेमातरम् से सम्पर्क हो गये। उन पर अरविन्द के क्रांतिकारी विचारों का भी प्रभाव पड़ा। वे यू इण्डिया पत्र का भी सम्पादन कुछ काल तक ही करते रहे।

1902 के उपरान्त उनके विचारों में उग्रवादिता जान लेगी उन्होंने बंग विद्रोह के मरकरी निणय का घोर विरोध किया और जब कांग्रेस ने 1906 में स्वराज्य का अपना उद्देश्य घोषित कर दिया तो विपिन बाबू ने स्वतन्त्री बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए बंगाल का यात्राक दौरा किया। 1907 में जब मद्रास में जाकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय आन्दोलन जारी किया तो उनके प्रभाव में उनमें नया चेतना उत्पन्न होने लगी। तत्कालीन मद्रास की सरकार इस सहन नहीं कर सकी और उसने विपिन बाबू के मद्रास में निवास पर पाबंदी लगा दी। एक बार जब अरविन्द घोष के ऊपर उनके पत्र बन्धेमातरम् में प्रकाशित तसों के सम्बन्ध में अभियोग चलाया था तो विपिन बाबू को उसमें गवाही देने के लिए बुलाया गया। विपिन बाबू जानते थे कि उनकी गवाही से अरविन्द पर आरोप सिद्ध हो जायगा। उन उन्होंने न्यायालय में विसाँ भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। इस पर न्यायालय की मानहानि के आरोप में उन्हें छ माह का कठोर कारावास देना दे दिया गया। 1908 में वे ब्रिटेन में रहे रहे कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के आमन्त्रण पर इंग्लैंड गये। वहाँ से लौटने पर उनके एक लेख के सम्बन्ध में उन पर अभियोग चलाया गया। परन्तु इस अवसर पर उन्होंने क्षमायाचना कर ली। सीतारामय्या के मत से उनके बाद विपिन चन्द्र पान की लोकप्रियता कम हो गयी क्योंकि उनका दृष्टिकोण यत्तिवादी ही चला था।

1907 से 1916 तक वे भी कांग्रेस से पृथक रहे। उससे उपरान्त कुछ वर्ष तक कांग्रेस में रहने पर 1921 में फिर उनसे अलग हो गये क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के समर्थक नहीं थे। वे विधान परिषद के बहिष्कार तथा विदेशी वस्त्रों की होनी जतान की नीति में भी सन्तुष्ट नहीं थे। बाद के 11 वर्षों में उनका राजनीतिक जीवन लगभग निष्क्रिय रहा। 1932 में उनकी मृत्यु हो गयी।

4/ शोमती ऐनी बेसेंट

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं में आइरिश महिला श्रीमती ऐनी बेसेंट का नाम चिरस्मरणीय है। वे 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्या के रूप में भारत आया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सामाजिक तथा शैक्षिक विकास था। 20 वर्ष तक श्रीमती ऐनी बेसेंट भारत में धर्मोपदेशन में कार्य करती रहीं और थियोसोफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा की अध्यक्ष रही। उन्होंने भारतीय धर्म ग्रन्थों वद उपनिषद् तथा श्रीमद्भगवद्गीता का

अध्ययन किया। अन्त में उन्होंने यह घोषित किया कि हिन्दू धर्म पारश्चात्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठतम है। उन्होंने स्वयं भी हिन्दू धर्म को अपनाया वे एक विदुषी सार्वजनिक वक्ता तथा कर्मठ महिला थी। उन्होंने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया और अपने को लोकप्रिय बनाया। उनके द्वारा किया गया श्रीमद्भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद इस रूप की सर्वप्रथम तथा जनप्रिय रचना सिद्ध हुई थी। इस प्रकार ऐनी बेसेट ने हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान में स्वामी दयानन्द, तिलक, स्वामी विवेकानन्द तथा अरविन्द घोष के समान कार्य किया।

श्रीमती बेसेट ने सामाजिक सुधार कार्यों में भी अतीव रुचि दर्शायी। वे बाल-विवाह की कट्टर विरोधी थी, साथ ही महिलाओं को विधवा जीवन व्यतीत करने को विवश करने की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। वे महिलाओं को पुरुषों के तुल्य सामाजिक स्थिति प्रदान करने की समर्थक थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की समर्थक थी। उन्होंने बनारस में मेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना करवायी, जो कालान्तर में मदनमोहन मालवीय जी के अध्यक्ष परिश्रम तथा प्रयासों से हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया।

1908 से 1913 की अवधि में वे इंग्लैण्ड गयी। वहाँ उस समय आयरलैण्ड में होम रूल आन्दोलन चला हुआ था। चूँकि बेसेट इस अवधि में भारतीयता के रंग में रंग चुकी थी, और यद्यपि वे भारतीय राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रविष्ट नहीं हुई थी, तथापि यहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन का उन्हें अच्छा ज्ञान हो चुका था। उन्हें लगा कि राजनीतिक पराधीनता भारतवासियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अवनति का मुख्य कारण है। अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भारत में भी होम रूल आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। इंग्लैण्ड में भारत लौटने पर 1914 में उन्होंने अपना जीवन क्रम थियोसॉफी से राजनीति में बदल लिया। उस समय तिलक भी जेल से छूट चुके थे। भारत में स्वराज्य तथा स्वदेशी आन्दोलन चला हुआ था। कांग्रेस के दो दलों के संघर्ष के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति मन्द हो चुकी थी। बेसेट ने 1915 में दोनों दलों के मध्य एकता लाने का अथक् प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें यह सफलता 1916 में मिली। उसी वर्ष तिलक के सहयोग से ऐनी बेसेट ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। यद्यपि यह आन्दोलन बहुत अधिक नहीं चल सका, क्योंकि 20 अगस्त 1917 की माटेग्यू की घोषणा के बाद यह आन्दोलन मन्द पड़ गया था, तथापि बेसेट के प्रयासों से राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नयी जागृति उत्पन्न हुई।

श्रीमती ऐनी बेसेट ने उग्रवादियों को क्रान्तिकारियों के पथ पर जाने में रोकने, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहकर ही स्वराज्य प्राप्त करने की प्रेरणा देने तथा उन्हें उदारवादियों के और अधिक समीप लाने में सफलता प्राप्त की। मद्रास के दैनिक पत्र 'न्यू इण्डिया' का आरम्भ उन्हीं के प्रयासों में हुआ। 1914-17 की अवधि में वे भारत की एक उच्च कोटि की राष्ट्रीय नेता बन गयी और उनकी इन सेवाओं के परिणामस्वरूप 1917 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया। श्रीमती बेसेट ने स्वदेशी वहिष्कार आन्दोलन को नरम बनाया। वे स्वदेशी आन्दोलन की विरोधी नहीं थी, परन्तु वे इसे एक राजनीतिक अस्त्र नहीं बनाना चाहती थी। वे ब्रिटिश माल का वहिष्कार करने की नीति को भी उचित नहीं समझती थी। 1916 में उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में आने पर सरकार ने उन्हें उनके दो साथियों वाडिया तथा अरुण्डेल के साथ निर्वासित कर दिया। इसमें उनकी लोकप्रियता और बढ़ गयी। जब माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कानून पार हुआ तो बेसेट ने यह कहकर कि 'यह सुधार इंग्लैण्ड के हक में अशोभनीय तथा भारत-वासियों के हक में अस्वीकृत करने योग्य' है उनकी भर्त्सना की। 1920 में जब कांग्रेस ने अमहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया, तो श्रीमती बेसेट ने कांग्रेस छोड़ दी।

कांग्रेस में अलग हो जाने के पश्चात् वे जाज्म भारत की सेवा करती रहीं। उन्होंने ब्रिटिश मन्त्र के एक सदस्य मि० लैनबर्ग के माध्यम से 'कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया' बिल ससद

म पेग बरवाया यद्यपि यह विषयक गिर गया तथापि इससे यह प्रकट होता है कि श्रीमती वेसेंट भारत की सच्ची मित्र थी।

5 महर्षि अरविन्द घोष (1872-1950)

मनुष्य कुछ साधना है परन्तु हाता बही है जो परमात्मा का स्वीकार्य है। इस नय्य पर विश्वास करने वाले आधुनिक भारत के महान् दार्शनिक तथा योगिराज महर्षि अरविन्द थे जिनके जीवन में उक्त तथ्य साकार हुआ। अरविन्द घोष का पिता डा. कृष्णधन बगान के एक उच्च कांस्टेबल के चिकित्साशास्त्री थे। वे कुछ वर्षों तक इंग्लैण्ड में रहे और वहाँ के योग के जीवन क्रम विचारा तथा आदर्शों के महान् प्रामाणिक बन गए। भारत लौटने पर उन्होंने यही वृत्ति रखी कि वे अपने बच्चा की शिक्षा पूणतया विनायत के वातावरण में करेगे और उन्हें पक्का अग्रज बनाकर उच्च पदापर नियुक्त हुआ देखेग। उन्होंने यही किया जब अरविन्द केवल 7 वर्ष के थे तो उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया गया। उन्हें भारतीयता से बिल्कुल पृथक् रखा गया। वही अरविन्द जब ब्रिटिश वातावरण में पढ़ाई कर रहे थे एक उद्भट विद्वान् सिद्ध हुए तो 21 वर्ष का उम्र में भारत लौटने पर उन्होंने अपना जीवन क्रम उलट डाला और आज में भारतीय सस्कृति भारतीय दर्शन तथा समग्र रूप में न केवल विद्वान् भारतीयता को जपनाया अपितु भारत को भाग्य के रूप में देखने तथा पूजन करने बहुर भारतीय होने और भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के महान्तम दार्शनिक का श्रेणी प्राप्त की।

अठारह वर्ष की जल्पायु में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (I C S) की परीक्षा पास की। परन्तु इंग्लैण्ड में रहते हुए उन्होंने पाश्चात्य देशों के कुछ महान् राष्ट्रवाद्या मजिनी प्रभति की रचनाए पढी थी। भारत में हो रही राष्ट्रीय प्रगति का भी उन्हें पान प्राप्त होता रहा था। जतएव कहा जाता है कि वे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बनना पसंद नहीं करते थे क्याकि उनके मन में भारत माता की सेवा करने की भावना जागृत हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने केवल घुडसवार की परीक्षा में अपने को असफल सिद्ध करवा लिया। स्वयं इंग्लैण्ड में अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मातृभूमि का सेवा का सर्वप्रथम साधन उस राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन करवाना है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का जीवन कर देने का प्रण कर लिया। उस समय जब वे भारत लौटते तो उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति निम्न ही चुकी थी। अतः उन्हें आजीविका का कोई साधन नूना था। वे वही नयेग की सेवा में पविष्ट हुए। 1893 से 1906 तक वे वहाँ विविध प्राथमिक एवं शिक्षणिक संस्थाओं में कार्य करते रहे। यह 13 वर्ष का जीवन उन्होंने मुख्यतया भारत के महान्तम ग्रथा तथा भारत की प्राचीन सस्कृति के अध्ययन में लगाया और उसके प्रभाव से वे पक्के भारतीय बन गये। वही अर्थात् में भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के आदाननकारी संगठन काग्रम के साथ उन्होंने अपना सम्पर्क बताया। वे उनके कई अधिवक्ता में शामिल हुए। 1906 में उन्होंने बडौदा नरेश की सेवा छोड़ दी।

राष्ट्रीय आदानन के तत्कालीन उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिन्नता की नाति से अरविन्द बहुत चिन्तित थे। वे तिनके तथा विपिन चन्द्र पाल की धारणाओं को उचित समझते थे। बडौदा रहते हुए उन्होंने योगाभ्यास भी किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्त किया और राजनीति एवं अध्यात्मवाद के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध दर्शाया। उनके राजनीतिक विचार सर्वप्रथम बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'बहु प्रकाश' में एक लेखना के रूप में 'New Lamps for Old' शीर्षक से प्रकाशित हुए। इनमें उन्होंने उदारवादा नीतियों की कटु आनाचना करने ब्रान्तिकारी वाय-बनापा के महत्त्व को स्वाधीनता सघप के निमित्त उचित ठहराया और इसके लिए तयार रहने के निमित्त जनता का आह्वान किया। वे सासत्र विद्या द्वारा देश का स्वतंत्र कराने के समर्थक थे। उन्होंने ब्रान्तिकारियों के गुण संगठना

को भी सगठित करने का प्रोत्साहन दिया। इस कार्य में उन्हें उनके भाई वारीन्द्र घोष का भी सहकार प्राप्त था। वस्तुतः बीसवीं सदी के क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलन का सूत्रपात अरविद के कार्यकलापों से ही हुआ माना जाना चाहिए।¹

बीसवीं सदी का प्रथम दशक भारतीय राजनीति के अन्तर्गत भारतवासियों में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारी असन्तोष का काल था। बंगाल इस आन्दोलन का मुख्य केन्द्र था। लार्ड कर्जन की नीतियों ने इस असन्तोष में आग के ऊपर घी डालने का कार्य कर दिया था। तिलक, विपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपतराय इस उग्र राष्ट्रीयता के सक्रिय नेता थे। बग-विच्छेद की घटना ने इस आक्रोश को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को राष्ट्रीय आन्दोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। अरविद सहस्र क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति को अब बड़ौदा नरेश की सेवा से कोई अभिरुचि नहीं रह गयी, अतः 1906 में वे वहाँ से नोकरी छोड़कर स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। अरविद ने अपने जीवन का लक्ष्य देश-सेवा, देश की स्वतन्त्रता के लिए कार्य करना तथा जन-सेवा में अपने जीवन को लगाना बना लिया। वे देश को माता के तुल्य मानने लगे। उसकी सेवा में ही वे परमात्मा की प्राप्ति सम्भव समझते थे। उनकी यह धारणा थी कि उन्हें जो भी शक्ति अथवा क्षमता प्राप्त है वह परमात्मा ने उन्हें देश-सेवा के लिये प्रदान की है। उमें भारत माता की सेवा में लगाकर तन-मन से कार्य करके उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन रूपी दैत्य भारत माता का रक्त चूस रहा है। उस दैत्य के मुँह से माता को मुक्त करना उसकी सन्तान का कर्त्तव्य है। अरविद ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र (भारत माता) को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए शस्त्र बल सम्भव नहीं है, अतः ज्ञान के बल से उसे मुक्त कराया जा सकता है। अरविद के विचारों से तत्कालीन उदारवादी नेता बहुत व्यग्र हुए। बाल-लाल-पाल तो उनके विरोधी थे ही इसलिए अरविद उनके कट्टर सहयोगी बन गये। राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त उन्होंने एक छोटे से वेतन पर 'नए राष्ट्रीय स्कूल' के प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने 'वन्देमातरम्' पत्रिका का सह-सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया। अपने लेखों तथा भाषणों में उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान करके जनता में राष्ट्रभक्ति का प्रचार किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को ईश्वर के रूप में विकसित किया।

अलीपुर बम-काण्ड में उन्हें तथा उनके भाई वारीन्द्र को बन्दी बनाया गया। 1 वर्ष तक वे बन्दी बने रहे। परन्तु उनके ऊपर सन्देह का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। अतः उन्हें छोड़ दिया गया। परन्तु उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियों के प्रति सरकार निरन्तर शकालु बनी रही। जेल से निकलने पर अरविद ने अनुभव किया कि सरकार ने सभी राष्ट्रवादी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को बन्दी बना लिया था। जेल में भी वे निरन्तर योगाभ्यास तथा गहन चिन्तन में लीन रहते थे। वहाँ उन्होंने गीता का विशेष अध्ययन किया था। अब भी वे स्वतन्त्रता सघर्ष को जारी रखने के लिए कृत-सकल्प थे। अतः उन्होंने जनशिक्षा के लिए 'कर्मयोग' तथा 'धर्म' नाम के दो पत्र निकाले। सरकार भी उनके पीछे पड़ गयी। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि अब उनके लिए ब्रिटिश प्रभुत्व के आधीन वाली भूमि में रहना सम्भव नहीं है। 1910 में वे ब्रिटिश भारत छोड़ कर फ्रांसीसी बस्ती पाण्डीचेरी चले गये और राजनीति से विरक्त होकर सन्यास धारण कर लिया। अब उन्होंने अपना क्षेत्र अध्यात्म चिन्तन बना लिया। इस प्रकार 1910 से 1950 तक पूरे 40 वर्ष उन्होंने पाण्डीचेरी के आश्रम में अध्यात्म चिन्तन में वित्ताएँ और राजनीति से पृथक् रहे। दिसम्बर 1950 में उनका शरीरान्त हो गया। स्वतन्त्रता के वाद भी वे पाण्डीचेरी में ही बने रहे।

यद्यपि सक्रिय राजनीति में उन्होंने मुख्यतया केवल 4 वर्ष तक कार्य किया और इससे पूर्व भी राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन करते रहे, तथापि

¹ इस आन्दोलन का बपन आगामी पृष्ठा में पृथक् म किया जायेगा।

उनके राजनीतिक जीवन की इस छोटी-सी अवधि में उनके विचारों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नव-सृष्टि करने का कार्य किया। उग्र राष्ट्रवाद के वरिष्ठ महानु समर्थक तथा जातिवादी राष्ट्रीयता के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। उग्रान भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक रूप प्रदान करके उस पश्चात्त्य प्रभाव से मुक्त कराया और उदारवादियों की पश्चात्त्य-परम्परा नीतियों का अन्त करने में योगदान किया।

उग्र राष्ट्रीयता का मूलांकन ✓

जिस प्रकार कांग्रेस की उत्पत्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में उदारवादी नेताओं के विचारों पर पश्चात्त्य सभ्यता एवं सस्कृति के प्रभु तथा भारतीय पुनर्जागरण के नेताओं—राजा राममोहन राय एवं महात्मा मोतीलाल नेहरू के विचारों का प्रभाव था। उसी प्रकार 20वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर स्वामी दयानन्द स्वामी विवेकानन्द तथा महर्षि अरविन्द के विचारों का प्रभाव पड़ा। ये मनीषी भारतीय सभ्यता सस्कृति एवं हिन्दू धर्म ग्रन्थों का मूल्यों को समझे और उहाँ के आधार पर उग्रान हिन्दू धर्म तथा आध्यात्मिकता को भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख अंग स्वीकार किया। स्वामी विवेकानन्द तथा अरविन्द भारत के ही नहीं अपितु विश्वभर के आध्यात्मिक शिक्षक सिद्ध हुए। उदारवादी नेताओं को भारत की महानता पर विश्वास नहीं था क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारत के कल्याण की कामना बनी रही। परन्तु उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोतों में भारतीय धर्म भारतीय सस्कृति एवं भारत की जनशक्ति पर विश्वास किया और वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही का भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की नीति को सहन नहीं कर सके। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं की शक्ति तथा जनकल्याण का भावना का चुनौती नहीं दे जा सकती। परन्तु उनके विचारों का राष्ट्रवाद बौद्धिक अधिक था धार्मिक कम। उग्रवादियों ने राष्ट्रवाद को धर्म का रूप प्रदान किया और यही कारण था कि उनके विचारों ने राष्ट्रीय चेतना का जनसाधारण के मध्य प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की।

राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्त्व किसी जनसमूह के मध्य राजनीतिक स्वतंत्रता की धारणा का होना है। उग्रवादी राष्ट्रीयता के समर्थकों ने इस तत्त्व का भारतीय राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग बनाया। उनकी स्वराज्य की माँग तथा आकांक्षा उनका माध्य थी इसके निमित्त उग्रान विन्पी सरकार के साथ संधि करके इस प्राप्त करना भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य बताया और स्वयं साधन के रूप में स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरोध का कार्य ब्रह्म बनाया। महर्षि अरविन्द ने भारतीय राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक एवं सस्कृतिक एकता के रूप में चित्रित किया। उग्र राष्ट्रीयता के सभी नेता धर्म का संकुचित साम्प्रदायिकता के रूप के नहीं बल्कि अभिहित उग्राने हिन्दू धर्म को व्यापक मानवीय धर्म के रूप में चित्रित किया और उसे एक वैश्व धर्म के रूप में व्यक्त किया। भारत सद्गण देण में जहाँ विभिन्न जातियाँ भाषाओं तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अस्तित्व रहा है राष्ट्रवाद की उक्त व्यापक धारणा बहुत प्रभावी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

यद्यपि गांधी जी ने घोषित किया था कि वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तथापि गांधी जी के ऊपर विवेकानन्द के आध्यात्मवाद तंत्रों की कार्य प्रणाली तथा अथ उग्रवादियों का प्रभाव का अभाव नहीं किया जा सकता। उग्राने अहिंसा को अपना सर्वोत्कृष्ट साधन बनाया परन्तु उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राजनीति धर्म-सापेक्ष तथा स्वस्थानीय निष्क्रिय प्रतिरोध की नीतियाँ उग्र राष्ट्रियता से प्रेरित थीं। जब कांग्रेस का पूर्ण नवतुल्य उनके हाथ में आ गया तो समय-समय पर उनके द्वारा संचालित आन्दोलन उग्रवादियों की नीतियों में अग्रगण्य करने वाले सिद्ध हुए। निम्नलिखित राष्ट्रवाद को धर्म में समीकृत करने की उग्र राष्ट्रवादियों की नीति का विन्पी शासकों ने अपने हित-साधन में प्रयोग किया और भारत की हिन्दू तथा मुस्लिम जनता के

मध्य कटुता उत्पन्न करके भारतीय राष्ट्रवाद में साम्प्रदायिकता का विष फैला दिया, तथापि यह भी स्मरणीय है कि उग्र राष्ट्रवादी कभी भी साम्प्रदायिक भेदभाव को वाछनीय नहीं मानते थे।

ऐसे समय में जबकि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करके तथा अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता पर विश्वास करते हुए ब्रिटिश शासन के आधीन ही भारत-वासियों के कल्याण तथा राजनीतिक अधिकारों एवं सुधारों की मांगें रखी, साथ ही पाश्चात्य सस्कृति तथा संस्थाओं की महानता का प्रचार किया, ब्रिटिश साम्राज्यशाही तथा नौकरशाही भारत की जनता को सुख-समृद्धि एवं स्वायत्त शासन की मांगों को न केवल उपेक्षित रखने लगी, अपितु अन्याय, अत्याचार एवं निरंकुशतावाद से भरी शासन नीतियों को संचालित करने पर तुली रही। इन परिस्थितियों में उग्र राष्ट्रियता का विकास न केवल स्वाभाविक था, अपितु उग्रवादी नेताओं से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक नये उत्साह का संचार किया और उसे केवल थोड़े से बुद्धिवादी वर्ग तक सीमित न रखके एक जन-आन्दोलन में परिणत करने का कार्य किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भीख माँगकर किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कभी प्राप्त नहीं हुई। जो राष्ट्र अपनी परम्परागत सस्कृति, धर्म, आदर्शों तथा मूल्यों को भूलकर विदेशी तत्त्वों पर विश्वास करता है, वह कभी महान् नहीं बन सकता। यही सब बातें उग्र राष्ट्रियता के नेताओं ने भारत के जन-मानस में भरी और देश को स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए प्रेरित किया।

बीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत उदारवादी नेताओं की पाश्चात्य-परस्त नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जहाँ एक ओर उग्र राष्ट्रियता विकसित हुई, वहाँ इस उग्र राष्ट्रवाद को दवाने के ब्रिटिश शासकों के प्रयासों के विरुद्ध और अधिक गम्भीर प्रतिक्रिया के रूप में क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन का सूत्रपात होने लगा। क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के ऊपर उग्र राष्ट्रियता का ही-प्रभाव था। इस वर्ग में उन भावुक युवकों का कार्यभाग था जो ब्रिटिश शासकों के अन्यायों को सहने में अपने विवेक को तब खो बैठे। इस आन्दोलन का विवरण हम आगामी पृष्ठों में करेंगे। इस प्रकार उग्र राष्ट्रियता ने एक ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर गांधी जी सहज सत्य, अहिंसा, धर्म, आध्यात्मिकता आदि के साधनों पर विश्वास करके राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन करने में उग्रवादियों से अधिक प्रभावित हुए। संक्षेप में, उग्र राष्ट्रियता ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को वह प्रेरणा दी, जिसे लेकर भविष्य में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत नये जीवन का संचार हुआ। यह दूसरी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उग्र राष्ट्रियता की भावनाओं को अपने स्वार्थ में गलत निर्वचन करके उसके आधार पर साम्प्रदायिक फूट का प्रचार करने में सफलता प्राप्त कर ली और इसी कारण वे भारत में अपना प्रभुत्व अधिक लम्बी अवधि तक बनाये रखने में सफल हो गये। साथ ही, अन्त में उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े कराके ही अपना प्रभुत्व छोड़ा, तथापि वे इसे नष्ट नहीं कर सके।

प्रश्न

- 1 उग्र राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय समझते हैं? वह उदार राष्ट्रवाद से कहाँ और कैसे भिन्न है?
- 2 यह कहना कहाँ तक उचित है कि 'उग्रवाद न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति था वरन् वह उदारवादी नेताओं की कार्य-पद्धति के विरुद्ध या विद्रोह की घोषणा था।'
- 3 उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने भारत में उग्रवादी राजनीति को पनपाया।
- 4 तत्त्व और गोलमेल के राष्ट्रीय आन्दोलन को योगदान की तुलना कीजिए।
- 5 उग्रवादी आन्दोलन ने देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया?

क्रान्तिकारी तथा आतंकवाद

(NATIONALISM THE REVOLUTION TERROR)

३७E)

भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की अवधि में 19वां शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उदारवादी तथा 20वां शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में उग्रवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे। उदारवादियों की राजनीतिक विचारधारा की नीति तथा सांविधानिक साधना द्वारा जन-राजनीतिक अधिकारों की मांगें तथा सुधार चाहने की प्रवृत्ति उग्रवादियों का पसन्द नहीं रही। स्वयं उग्रवादी भी हिंसात्मक साधना द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति पर विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने स्वशासन स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा को अपने आन्दोलन का लक्ष्य बनाया था। ये नीतियाँ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध की द्योतक थीं। परन्तु 19वां शताब्दी के अन्तिम वर्षों में भारत के विभिन्न भागों विगायकर (महाराष्ट्र वगैरह तथा पंजाब) में युवा पाठकों का कुछ भावक व्यक्ति भारत में ब्रिटिश सरकार की अत्यायपूर्ण नीतियों से इतने असंतुष्ट हो गए थे कि उग्र उदारवादियों तथा उग्रवादियों की गतिवादी तथा हिंसात्मक साधना से स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त कर सकने की नीतियों पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा। इन भावकों युवाओं का विचार था कि पशुबल पर निर्मित तथा आधारित साम्राज्यवाद का ऐसे साधनों से समाप्त कर सकना असम्भव है। ये लोग यूरॉप की विभिन्न क्रान्तियों से प्रभावित थे। हम में जारी नहीं के विरुद्ध लड़क रही क्रान्ति फ्रांस की प्रसिद्ध क्रान्ति एक अमरीकी स्वतंत्रता की क्रान्ति आदि उनके प्रेरणा स्रोत थे। इनका मुख्य लक्ष्य देशवासियों का एक व्यापक क्रान्ति के नियम प्रगति तथा सक्रिय करके तुरन्त ब्रिटिश शासन को भारत की भूमि से उखाड़ फेंकना था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन केवल 19वां सदी के अन्तिम वर्षों या 20वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में संचालित भावकों युवा वर्ग की गतिविधियों को नहीं माना जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसे आन्दोलनों की जड़ें भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ-साथ जन्म चुकी थीं और उनका प्रभाव समय-समय पर प्रकट होता रहा था। जिसकी परिणति 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर ही आई। पनासी का युद्ध मसूर में हैदरअली तथा टीपू सुल्तान के साथ मराठाओं के अग्रजों के साथ सघर्ष पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का अग्रजों के साथ सघर्ष आदि को हममें पृथक् नहीं माना जा सकता। यद्यपि ये सघर्ष क्रान्तिकारी आन्दोलन न होकर प्रतिरक्षात्मक युद्ध थे परन्तु ये क्रान्तिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए। 1857 की प्रसिद्ध स्वतंत्रता क्रान्ति हम आन्दोलन का ज्वलंत प्रमाण थी। इस क्रान्ति का भय ही ब्रिटिश सरकार ने शस्त्रबल से दबा लिया तथापि इसके बड़े दूरगामी प्रभाव हुए। हमें ब्रिटिश शासन को पशुबल द्वारा स्वतंत्रता सम्बन्धी मांगों को दबाने और अपने साम्राज्य का सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अधिक अत्यायपूर्ण तथा दमनकारी नीतियों का अपनापन की प्रेरणा दी तो भारत के भावकों युवाओं का भी हमें क्रान्तिकारी प्रतिरोध करने का प्रोत्साहन मिला। ये शठे शठायम समाचरेत के सिद्धांत पर चलने लगे।

20वां सदी के आरम्भ से भारत में क्रान्तिकारी या आतंकवादी आन्दोलन का श्रीगणेश महाराष्ट्र से आरम्भ होता है जबकि क्रान्तिकारियों ने 1899 में मि. रण की हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत उग्रवादियों का राय बनने लगा और

उन्हे कुचलने में भी कोई कमी नहीं रखी। परिणामस्वरूप क्रान्तिकारियों ने भी अपनी मध्य कट-विधियाँ तीव्र करनी आरम्भ कर दी। इनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आम-क्रान्ति करने के लिए प्रेरित करना, भारतीय सैनिकों में क्रान्तिकारी भावना का संचार करना, आवश्यकता पड़ने पर छापामार युद्धों की तैयारी करना, क्रान्तिकारियों को सशस्त्र करना और इस उद्देश्य के लिए देश तथा विदेशों से भी शस्त्र संग्रह करना (विशेष रूप से उन देशों से जो ब्रिटेन के शत्रु थे), विदेशों में जाकर वहाँ से क्रान्ति का प्रसार तथा प्रचार करना, आदि थे। भारत में ही रहकर ऐसा प्रचार सम्भव नहीं होता, क्योंकि इसे यहाँ की सरकार पशुबल से कुचल सकती थी। यहाँ के क्रान्तिकारी भूमिगत कार्य-कलाप करते रहे और जनता में क्रान्ति का आवाहन करने के साधन अपनाते रहे।

महाराष्ट्र में रैण्ड की हत्या के सम्बन्ध में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ माना जाता है। इस घटना के पश्चात् वे इंग्लैण्ड चले गये और वही उन्होंने अपनी गति-विधियों का केन्द्र बनाया। उनके बाद महाराष्ट्र के क्रान्तिकारी नेताओं में विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके भाई गणेश सावरकर का नाम मुख्य है। चाफेकर बन्धु (दामोदर, बालकृष्ण तथा वासुदेव) भी प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता थे जिन्हें बलवन्त फडके से प्रेरणा मिली थी। रैण्ड हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में फडके को फासी दी गयी थी। चाफेकर बन्धुओं का नारा था 'प्राण देने में पूर्व प्राण ले लो।' महाराष्ट्र के इन क्रान्तिकारियों ने अपने आन्दोलन को प्रभावी बनाने के लिए 'अभिनव भारत समिति' की स्थापना की थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का दूसरा केन्द्र बंगाल था, जहाँ लार्ड कर्जन के शासन काल में प्रान्त का विभाजन कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप देशव्यापी अन्वतोष फैला था, यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी इससे बहुत रुष्ट हो गये थे। भावुक युवकों के लिए यह घटना असहनीय थी। लार्ड कर्जन की अन्य प्रतिगामी नीतियों ने क्रान्तिकारियों के असन्तोष को और अधिक उग्र बना दिया था। बंगाल के उस युग के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी युवक अरविन्द घोष, उनके भाई वारीन्द्र घोष तथा स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त थे। इन्होंने तत्कालीन पत्रों-युगान्तर तथा 'सध्या' के माध्यम से सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करने आरम्भ किये। इन क्रान्तिकारियों ने घोषणा की कि 'समूचे भारत में अंग्रेजों की कुल सख्या डेढ़ लाख से अधिक नहीं है, यदि आप दृढ़ सकल्प हो तो भारत से ब्रिटिश सत्ता को एक दिन में उखाड़-फेंक दिया जा सकता है।' मराठा क्रान्तिकारियों की भाँति इन्होंने भी यही नारा दिया कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप प्राण दे देने को तैयार रहे, परन्तु अपने प्राण देने से पूर्व शत्रु के प्राण ले लें। उक्त क्रान्तिकारियों तथा उनके सहयोगियों के प्रयासों से बंगाल में अनेक गुप्त क्रान्तिकारी सस्थाओं की स्थापना की गयी। बंगाल के क्रान्तिकारियों ने 1907 में उस रेलगाड़ी पर बम फेंका जिसमें वहाँ का गवर्नर यात्रा कर रहा था। कुछ काल बाद ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से मारने का भी असफल प्रयास किया गया।

क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन की आग पंजाब में भड़की। वहाँ के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता हरदयाल, सरदार अजीतसिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, भाई परमानन्द तथा उनके भाई बालमुकुन्द आदि थे, जिन्होंने क्रान्तिकारियों को संगठित करने का प्रयास किया। इनसे अनेक अमरीका गये। वहाँ इन्होंने 'गदर' नामक पत्रिका निकाली और वहाँ रहने वाले भारतीयों में 'गदर आन्दोलन' का प्रचार किया। जब ये लोग भारत वापस आये तो यहाँ उन्होंने सक्रिय रूप से क्रान्तिकारी गतिविधियाँ आरम्भ कीं। यह भी उल्लेखनीय है कि उग्रवादी आन्दोलन के नहर नेताओं की त्रयी बाल-नाल-पाल क्रमशः महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल में उत्पन्न हुई थी, तो क्रान्तिकारी भी इन्हीं प्रान्तों की उपज थे।

इसके पश्चात् यह आन्दोलन लगभग भारत के सभी प्रान्तों में फैला और इसका प्रसार 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त होने तक किसी न किमी रूप में चलता रहा। उग्रवाद को ब्रिटिश

सरकार ने दवा लिया था। निरंक को उन्ही अवधि तक कारावास में रखा गया। पंजाब में तारा राजपतराय अपने जीवन के अंत तक उग्रवादी गतिविधियां में तैयार रहते हुए गहरी हुए। विपिन चन्द्र पाण्डे के स्थान पर बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रभाव बढने लगा था। परन्तु क्रांतिकारियों तथा जातकवादी कार्य-कलाप निरन्तर चलते रहे। इनका सबसे प्रह्लाद रूप चन्द्रगोखर आजाद सरदार भगत सिंह सहित क्रांतिकारियों की गतिविधियों में प्रकट होत होते हैं जिनके नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के अभियानों तक चलता रहा। यद्यपि महात्मा गांधी ने मध्य और अहिंसा का राजनीति अपनाकर 1920 से निरन्तर स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया और हिंसात्मक तथा आतंकवादी कार्य-कलापों की भस्मना की थी तथापि उनका प्रमुख आन्दोलन भा क्रांतिकारी हा था। असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन उग्रवाद के ही गांधीवादी रूप में तो उनका द्वारा निदेशित 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन क्रांतिकारी आन्दोलन के ही रूप में विकसित हुआ। नेताजी सुभाष बोस ने द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में भारत से भागकर जापान से जिस आजाद इन्डिया फौज का संचालन किया था उससे सम्बद्ध उनका अभियान क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आन्दोलन का चरमात्मक रूप था।

भारत में क्रांतिकारी तथा जातकवादी आन्दोलन का प्रथम चरण उग्रवाद ही है जिसका अभ्युत्थ उत्तरवायियों की राजनीतिक भिन्नताओं की नीतियां व विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। क्रांतिकारी नेता उग्रवाद से एक कदम आगे बढ़ गये थे तो जातकवादी भी क्रांतिकारियों से जगती मजिद पर पहुँच गये। इन सभी आन्दोलनों के उत्पन्न होने के कारण समान थे। अन्तर कबल माधना तथा भाग्य का था। जहाँ जहाँ उग्रवाद तीव्र होने लगा त्या त्या स्थिति में गणसका के अत्याचार तथा अत्याचार बढने पर परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेना जाना लगा। क्रांतिकारी आन्दोलन का शीर्षक महाराष्ट्र बंगाल तथा पंजाब में हुआ परन्तु धीरे धीरे वह भारत के अन्य प्रांतों में भी फैल गया। स्थान स्थान पर अनेक घटनाएँ होने लगी और क्रांतिकारी युवाक अवधि में मगडित होने लगे। विदेशों में भी इनका संगठन कार्य करने लगे। वहाँ से वे पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रचार कार्य करने लगे। इस प्रकार 20वीं सदी के अन्तिम दशक से क्रांतिकारियों की गतिविधियां भारत के विभिन्न भागों में बहुत तीव्र हो गयीं।

उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का आरम्भ 1907 से हुआ जबकि इलाहाबाद से स्वराय नामक पत्रिका निकली। 1909 में दूसरी पत्रिका कमयोगी प्रकाशित होने लगी। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थान स्थान पर क्रांतिकारियों के ऊपर सरकार द्वारा किये जाने वाले जुर्मानों का जनता में प्रचार करना तथा सरकार की जांचोचना करना था। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रसार बंगाल से हुआ था। रास बिहारी तथा गणेश सायान ने बनारस में विद्रोह की तयारी करनी शुरू की। ये लोग पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ भा सम्पर्क बनाए रखने की कोशिश करते रहे। बम बनाना उन्हें यत्न-तन्त्र पहुँचाना सैनिकों में विद्रोह का बीज बोना जाना इनकी गतिविधियाँ थी। बनारस में इन लोगों ने विद्रोह का एक पन्थान रचा। परन्तु यह सफल नहीं हो पाया। इससे सम्बद्ध अन्य क्रांतिकारी विनायकराय कापल हरनाम सिंह सुनील नाहिडी आदि थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना बनपुरी पन्थान की थी जिसके प्रमुख गणेश सायान थे। क्रांतिकारी युवाक के समग्र सबसे बड़ी समस्या धन की थी जिसके बिना वे लोग अपने कार्यक्रम तथा गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते थे। अतः प्रारम्भ में उन्होंने अनेक धनो योगों के यहाँ डाका चालकर रुपया प्राप्त किया कहीं-कहीं चारिया भी की परन्तु उनकी ईमानदारी के उत्कर्ष नमून भी मिले हैं। कभी-कभी ये चोरी किये गये धन की पूरा राशि (आना पाइ तक में) का रसाद निले जाते थे और यह प्रतिपाद कर जाते कि सम्बद्ध राशि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर मध्य व्याज के चुका दी जावेगा। वाद में उन्होंने सरकारी खजाने नूटन की योजनाएँ भी बनायीं। उत्तर प्रदेश में उल्लेख के पास 1925 के क्रांतिकारी पन्थान में उन्होंने इनका खजाना लूटा। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना थी। इनका सचानक नेताजी

मे से स्वनाम धन्य चन्द्रशेखर आजाद बन्दी नहीं किये जा सके थे । मन्मथनाथ गुप्त¹ भी फासी से बच गये । किन्तु रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह तथा अशफाकउद्दौला को फासी हुई । 27 फरवरी 1931 को चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद के ऐल्फ्रेड पार्क में अपने शत्रु पुलिस अधिकारियों के साथ गोली-युद्ध करते-करते शहीद हुए ।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की अवधि में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् सांविधानिक सुधारों की वार्ता की अवधि में कुछ काल तक क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियाँ मन्द कर दी थी । माण्टफोर्ड सुधारों ने भारत में भारी असन्तोष उत्पन्न कर दिया था । इसके विरुद्ध गांधी जी के सम्पूर्ण नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन छिड़ा । क्रान्तिकारी लोगो में से कुछ इसमें भी शामिल हो गये । परन्तु वे गांधी जी की सत्य व अहिंसा की नीति को क्रान्तिवाद से सगतिपूर्ण नहीं मानते थे । जब असहयोग आन्दोलन काफी उग्र होने लगा तो गोरखपुर के निकट चौरीचौरा में क्रान्तिकारियों ने जो पुलिस आने में हत्याकांड किया (1922), में उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया । इस पर क्रान्तिकारियों को भारी निराशा हुई । दूसरी ओर स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व का एक वर्ग कांग्रेस से पृथक् स्वराज्य दल के रूप में सगठित हुआ, तो क्रान्तिकारियों ने भी पृथक् से अपनी गतिविधियाँ तीव्र कर दी । जो स्वराज्यवादी कौंसिलो में प्रविष्ट हुए उन्होंने सांविधानिक तरीको से माण्टफोर्ड सुधार योजना को सुधारने या समाप्त करने (To mend or to end) की योजना बनायी । परन्तु उनकी योजना सफल नहीं हो सकी । ब्रिटिश सरकार ने भावी सांविधानिक सुधारों के निमित्त साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसका स्वागत भारतवासियों ने काले झंडे से किया । एक बार पुनः सरकार का दमन-चक्र शुरु हुआ । लाहौर में लाला लाजपतराय को पुलिस ने इतना मारा कि कुछ ही समय बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी । 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड तथा उसके समकालीन सरकार के अत्याचारों को न केवल पंजाब अपितु सारा भारत नहीं भूला था । पंजाब तो अब आग-बबूला हो चुका था । वहाँ के प्रमुख तथा चिरस्मरणीय क्रान्तिकारी नेता सरदार भगतसिंह, सुखदेव तथा बटुकेश्वर दत्त एवं साथियों ने एक क्रान्तिकारी दल की स्थापना की । चन्द्रशेखर आजाद भी इस दल में थे । इससे पूर्व क्रान्तिकारियों का दल 'हिन्दुस्तानी गणतन्त्रात्मक सघ' कहलाता था । अब इस दल का नाम 'हिन्दुस्तानी समाजवादी गणतन्त्रात्मक सघ' रख दिया गया । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में समाजवाद शब्द भगतसिंह के मस्तिष्क की उपज था । इससे स्पष्ट हो गया कि यह दल गरीब तथा मजदूर वर्ग का हितैषी था और भारत से साम्राज्यवाद को उखाड़कर समाजवादी अधिनायकवाद कायम करना चाहता था । इस दल के प्रमुख नेताओं ने लाला लाजपतराय की हत्या का बदला लेने की योजना बनायी । बहुत विचार-विनिमय करके अन्त में यह तय हुआ कि पहले लाला जी पर डंडे चलाने वाले गोरे अधिकारियों स्काट तथा सैंडर्स को मारा जाये । इस षड्यन्त्र में सैंडर्स ही मारा गया, स्काट बच गया । इसके बाद केन्द्रीय एसेम्बली में बम फेंकने की योजना बनायी गयी । भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त इसके लिए चुने गये । इन्होंने तय किया कि बम फेंककर भागा नहीं जायेगा, बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा ताकि सारा भारत तथा दुनिया जान जाये कि क्रान्तिकारी कैसे साहसी वीर हैं । 8 अप्रैल 1929 को यह षड्यन्त्र किया गया । भारत की तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में जब दर्शक दीर्घा से भारत माता के इन दोनों लालों ने बम फेंका तो सभा भवन धमाके से गूँज उठा । लोग सन्न व त्रस्त थे, उधर से दोनों क्रान्तिकारियों ने 'इंकलाब जिन्दावाद' तथा 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाये और जो परचे फेंके उनमें साम्राज्यशाही के विनाश के लिए जनता से अपील की गयी थी । दोनों युवक फासी के लिए तैयार हो गये थे । मामला चला और बाद में सुखदेव भी बन्दी कर लिया गया ।

¹ विगद् वृत्तान्त के लिए देखिए, मन्मथनाथ गुप्त, 'भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास', 1966 ।

मुकद्दम की मुनवाई के बाद तीना को फासी की सजा सुनायी गयी। सारे भारत के नेताओं ने फासी की सजा रद्दवाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हो रहा था तो कुछ नेता चाहते थे कि उसके बाद फासी दी जाय। परंतु यह कुछ न हुआ। 23 मार्च 1931 को गुप्त रूप से इन तीन युवकों को फासी दी गयी और इनकी जालीयत सरकार ने गुप्त रूप से जता दी और भस्मी सतनज नगी में फेंकवा दी। परंतु इनकी जालीयत तो भारत की करोणा जनता ने हृदय से की और उनके रक्त की एक एक बूँद भारत की मिट्टी में ममा चुका है और आत्मा अमर हो चुकी है।

आजाद और भगतसिंह सहस्र क्रांतिकारियों की विद्रोह का वष भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की अवधि में गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन का वष था। परंतु इन दोनों घटनाओं के मध्य परस्पर सम्बन्ध वास्तविक नहीं हो पाया। कांग्रेस आन्दोलन मूल रूप से सांविधानिक सुधारों की दिशा में निर्दिष्ट रहा। सांविधानिक मांगों की अपूर्णता तथा उपेक्षा होने पर आन्दोलन तीव्र हो जाना था। फिर वार्तालापों का सिनसिना चलता था। उधर क्रांतिकारियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र उहाँ फासी या गन्गी जवधि के कारावास दंड दिये जाने पर देश भर में भावात्मक सहानुभूति दर्शायी जाती थी। परंतु क्रांतिकारी लोगों का रक्त उपनना रहता था। वे इन घटनाओं से दुःखी या निराश नहीं होते थे। प्रत्युत शहीदों के वनिदान उहाँ और अधिक प्रोत्साहन देते थे। भूमिगत पडयनों में निर्माण शास्त्र संग्रह आदि के काय व करते रहते थे। सरकार इनके प्रति पर्याप्त सजग रहती थी। इस पर भी विनय रूप में वगान के अंतगत अनेक क्रांतिकारियों ने अनेक अग्रज अपसरा की हत्यायें कीं। 1931 के बाद वष वर्षों तक वगान में आतंकवाद का रूप बहुत उग्र हो चुका था। वगान में अनेक महिला क्रांतिकारिणियाँ भी सक्रिय रूप से क्रांति में भाग लिया और गन्गी गन्गी जन की सजायें भुगनीं। जनियावादा वाग हत्याकाण्ड का प्रमुख पात्र जनरल टायर तथा उस हत्याकाण्ड का आदेश देने वाला गवर्नर ओ डायर पजाविया के आख में खटकते रहे। इसका बदला ऊधम सिंह ने लिया। वह पत्ने के लिए नष्ट गया था। वहाँ उसने जनरल टायर को गान्गी से मारकर तृप्ति की सास ली। उसे इन्फण्ड की जेल में खूब सताया गया और जेल में फासी दी गयी।

इनके जतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी युवक सक्रिय वन रहे। भारत में 1935 के शासन अधिनियम के अंतगत प्रांतीय स्वायत्तगामी सरकारें बनीं। अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। ये सरकारें लगभग 2 वर्ष चलीं। सितम्बर 1939 में तृतीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। अक्टूबर में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया तो कांग्रेस इससे रफ्त हो गयी। उसने प्रांतीय मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने का आह्वान किया। 1940 में गांधी जी का यत्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ। अब क्रांतिकारी भी और अधिक सक्रिय हो गये। 1941 में जापान भी घुरी राष्ट्रा के साथ युद्ध में साम्भीदार बन गया। उसने वर्मा तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्दिष्ट भारतीय सेना के जिन सैनिकों ने दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में जापान के समक्ष समपण कर लिया था उहाँ रासविहारी घोष ने आजाद हिन्द फौज के नाम से संगठित किया। इसी बीच नेताजी सुभाष चण वास जा उस समय तक कांग्रेस दल के वामपथी नेता थे ने फारवांड नालक दल की स्थापना की। वे सरकार द्वारा नजरबन्द कदी बनाये गये थे। एक दिन वे बड़े रहस्यमय ढंग से पुनिस के चगुन से निकल भागे। वश बदलकर अनेक मुसीबतें सहत हुए वे काबूल के रास्ते जमनी पहुँच। वहाँ उन्होंने आजाद हिन्द सेना संगठित की। 1943 के जून मास में वे जापान पहुँच गये। राम विहारी के नेतृत्व में आजाद हिन्द सेना नियंत्रण सिद्ध हान गयी थी। नेताजी के जापान पहुँचने पर यह सेना पूर्णतया उनका नियंत्रण में रख दी गयी। उहाँने

¹ मयति वष घटना स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाने के बाद हुईं तथापि इसमें वष निष्पक्ष निरलता है कि क्रांति कारियों की भावुकता कितनी तीव्र थी।

इस सेना में नई जान फूँक दी। यद्यपि यह कार्य-कलाप जापान व जर्मनी में चले, तथापि यह धारणा मिय्या है कि सुभाष वावू भारत में जापानी साम्राज्यवाद चाहते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अन्त चाहते थे और भारत को किसी भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराना वे अपना परम कर्तव्य मानते थे। निस्सन्देह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे जापान व जर्मनी की सहायता चाहते थे। जर्मनी व जापान की पराजय के साथ-साथ नेताजी की भी 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। आजाद हिन्द फौज के अफसरों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। परन्तु चूँकि अब भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की वाते काफी प्रगति से बढ़ रही थी, अतः इन प्रमुख अधिकारियों को कठोर दंड नहीं मिला, बल्कि कालान्तर में वे मुक्त हो गये। उन्हीं के साथ आजाद हिन्द फौज के सभी बन्दी सैनिक भी छूट गये।

दूसरी ओर 1942 में जब गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का सूत्रपात किया तो कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता बन्दी कर लिए गये। नेतृत्वहीन जनता आग-बबूला हो गयी। सचमुच 1942 में समूचा भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी हो गया था। अहिंसा की नीति लगभग समाप्त हो गयी। अब कांग्रेस के नेता, युवक एवं पूर्व के क्रान्तिकारी भी सभी क्रान्तिकारी हो गये। सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करना, तार काटना, इमारतों को जलाना आदि का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। सरकार ने दमन के कोई साधन नहीं छोड़े। परन्तु क्रान्ति नहीं रुकी। कई स्थानों पर क्रान्तिकारियों ने समानान्तर सरकारों तक अस्थायी रूप से स्थापित भी कर लीं। सारा देश क्रान्ति की लपटों के साथ प्रज्वलित हो रहा था। दूसरी ओर सरकार का दमन-चक्र भी उसी गति से बढ़ रहा था। इस दृष्टि से 1942 के आन्दोलन ने एक बार पुनः क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित किया। अनेक कांग्रेसी युवक भी क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी कार्य-कलापों में सक्रिय हो गये। भूमिगत षड्यंत्र भी हुए। उद्देश्य यह था कि सारे प्रशासन तंत्र को क्षत-विक्षत कर दिया जाये और अंग्रेजों को दरअसल भारत से अपना आधिपत्य छोड़कर चले जाने को विवश किया जाये। अनेक क्रान्तिकारी नेताओं को बन्दी करने के लिए बड़े-बड़े पुरस्कार घोषित किये गये थे, परन्तु सरकार सफल नहीं हो पाई। ब्रिटिश शासन के आधीन भारत की नौकरशाही का द्विविध कार्य भाग रहा। कुछ तो पूर्णरूप से अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहे। कुछ को आन्दोलन के साथ सहानुभूति थी किन्तु अपनी रोजी बनाये रखने के लिए उन्होंने बड़ी सावधानी से ही सरकार का साथ दिया। विश्व-युद्ध की तीव्रता के बावजूद सरकार ने आन्दोलन के क्रान्तिकारी स्वरूप पर नियंत्रण पा लिया और उसे दवाने में पशु-बल का भी पूरा प्रयोग किया। सचमुच यह एक प्रकार का देशव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलन था। विश्व-युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार पर विजयी मित्र-राष्ट्रों का दबाव पडा, इंग्लैण्ड की अपनी स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसी के साथ वहाँ के निर्वाचनों में श्रमिक दल की सरकार बनी। भारत का रोष किसी भाँति कम नहीं हो गया था। अतः 1945 में इंग्लैण्ड ने भारत के कांग्रेसी नेताओं को जेलों से रिहा किया और स्वतन्त्रता के लिए बातों का सिलसिला चलाया। अन्ततः अंग्रेजों को भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिए विवश होना पडा था। अतः उन्हें तभी चैन मिला जबकि वे भारत को खंडित करके यहाँ से गये। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो निस्सन्देह इसकी प्राप्ति का नेहरा कांग्रेस के सिर पर बधा। परन्तु भले ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को यह श्रेय नहीं मिला, इसलिए उसे असफल ही कहा जाता है।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता के कारण

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में एक ओर राष्ट्रीय कांग्रेस वैधानिक ढंग से अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन चलाकर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए सघष करती रही, तो दूसरी ओर देश के भावुक युवा वर्ग ने जिन्हें क्रान्तिकारी कहा जाता है, अपना आन्दोलन तथा गतिविधियाँ जारी रखीं। उनका आन्दोलन वीसवीं सदी के आरम्भ से स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने तक विभिन्न

चरणा में तथा विविध तरीका से चलता रहा। इसमें दा राय नहीं हो सकती कि जितना त्याग तथा उत्साह का प्रयोग इन क्रांतिकारियों ने देश का साम्राज्यवाद के जयाय अत्याचार तथा तमन के नाम से मुक्त कराने के लिए किया उनका आतिवादी तथा माविधानिक तरीका पर विश्वास रखने वाले कांग्रेस के बहुत कम नेता कर पाये। 1947 में देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ। क्रांतिकारी गहरी नता तथा युद्ध जपन उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये। सम्भवतः यदि इनके ही कार्य करना से त्रिनि नाम से जो भारत से हटना पड़ता तो आज दिन भारत की राय व्यवस्था कुछ उसी ही भाँति की होती। वह उसी साम्यवादी अधिनायकत्व की तरह की होना या फासावादी तंत्र की यह विवचन करना यहाँ पर अप्रासांगिक तथा निरर्थक है। हम यहाँ केवल उन कारणों तथा स्थितियों का विवचन करते हैं जो क्रांतिकारी आन्दोलन की असफलता के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

पहला त्रिमी भी स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए सघन तमन वाली संस्था का सुसंगठित तथा दयायी होना चाहिए। उसका एक निश्चित कार्यक्रम ही नहीं अपितु उसके सिद्धांतों तथा नीतियों के पीछे एक क्रमबद्ध विचारधारा भी होनी चाहिए। भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन में इन दोनों बातों की कमी मन्व जनी रही।

दूसरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जबकि आन्दोलनकारी संगठन की सम्पूर्ण या अधिकांश जनता का समर्थन तथा महानुभूति प्राप्त हो। परन्तु क्रांतिकारी आन्दोलनकारियों को ऐसा तम समर्थन का लाभ प्राप्त नहीं था। क्रांतिकारी स्वयं में अद्भुत साहस व त्याग की भावना रखते थे उनके प्रचार साधन गुप्त तथा भूमिगत थे। उन्हें न तो गिनित वग का समर्थन मिला न धनी वग का। कमठ क्रांतिकारियों में अधिकांश नता गिनित तथा गरीब वग के थे। उन्हें अपने कार्य-करनापों के लिए धन नहीं मिलता था अतः वे दूर पाठ का कार्य करते थे। त्रिनि भी उनकी गतिविधियों का तम समर्थन नहीं मिल पाया।

तीसरा भारत की जनता का विगत जग क्रांतिकारी माधना की बुद्धिमत्ता पर विश्वास नहीं रखता था। भारत का जनता स्वभावतः गति प्रमी है। दूसरी ओर कांग्रेस की अहिंसात्मक मत्याग्रह की नीतियाँ पर्याप्त लोकप्रिय होती जा रनी थी। कांग्रेस का नतृत्व दग के धनी विद्वान् तथा गिनित वग कर रहे थे। उनका प्रचार भी जनता में व्यापक हो चुका था। स्वयं कांग्रेस के नतृत्व को क्रांतिकारियों से बहुत महानुभूति नहीं थी। त्रिनि क्रांतिकारी आन्दोलन छुट्टे पत्र त्रिमात्मक घटनाओं तक ही सीमित रहा।

चौथा क्रांतिकारियों के साधन हिंसात्मक थे। परन्तु हिंसात्मक क्रान्ति के लिए उनके पास न तो तने तस्त्र थे न ऐसी प्रशिक्षित सेना जो कि सुदृष्ट साम्राज्यवादी पुलिस व सेना का सामना कर सकती। अतएव सरकार ने जहाँ तहाँ उन लोगों को पकड़ लिया और भारी से भारी मजबूत दी।

पाँचवाँ क्रांतिकारियों के जनतम भी सभी लोग ऐसे साहसी तथा कमठ व्यक्ति नहीं थे जो कठिन से कठिन परीक्षा में भी खर उतरते। बन्धा हुआ यह कि जब वे लोग पढ्यता में पकड़े जाते तो उनमें से कुछ मुखरि बन जाते और गुप्त भन्ने का भडाभा कर देते थे।

अंतिम महानतम क्रांतिकारी सुभाष चंदास ने त्रिनाय विश्वयुद्ध की अवधि में आजाद त्रि फौज संगठित कर ली थी। उनकी लोकप्रियता भी जनता में काफी बढ़ चुकी थी। किन्तु उनकी असामाजिक मत्यु ने एक तार पुन क्रान्तिकारी आन्दोलन की वर ग्यो दी। त्रि पश्चात् स्वतंत्रता आन्दोलन पुन कांग्रेस के एकमात्र नतृत्व में सफल हुआ।

मूल्यांकन

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता का मुख्य श्रेय कांग्रेस दन तथा उसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी के प्राप्त हुआ है। परन्तु इस आन्दोलन में क्रान्तिकारियों तथा आतंकवादियों

के योगदान की उम्मेद करनी उन महान् देशभक्त युवकों के प्रति घोर अन्याय होगा जिन्होंने भावुकता वश ही सही, अन्याय, दमन तथा अत्याचारपूर्ण विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने में किंचित मात्र भी सकोच नहीं किया। देश तथा जनता की निस्स्वार्थ सेवा करने का जो प्रबल उत्कठा इन वीर शहीदों के हृदय में बनी रही और जिस अदम्य उत्साह से इन लोगों ने जीवन समस्त सुखों एवं अपने प्राणों तक को देश की आजादी के समक्ष तुच्छ समझ कर उन्हें आजादी प्राप्त करने के साधनों में ही लगा दिया, इसके प्रमाण इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। इन भावुक देश के लालों ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता भिक्षा की भाँति माँगी नहीं जाती बल्कि उसे सघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। विश्व की अधिकांश स्वतन्त्रता क्रान्तियाँ ऐसे ही सघर्षों द्वारा सफल हुई हैं। नेताजी सुभाष बोस का नारा था 'तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊँगा।' इसका सार यही था कि आजादी बिना रक्तमय क्रान्ति के नहीं मिल सकती।

इसका यह अभिप्राय तो नहीं है कि गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के साधनों पर चलने वाले तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने त्याग नहीं किया था, अथवा गांधीवादी आन्दोलन देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्त बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। परन्तु यह कहा जा सकता है कि एक मुट्ठ तथा शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यशाही के चंगुल से देश को आजाद कराने के गांधीवादी साधनों की सफलता कूर्मगति की सिद्ध होती। ब्रिटिश सरकार निरन्तर वैधानिक मागों को स्वीकार करने में ढुल-मुल की नीति अपना रही थी, वह कभी भी भारत को स्वतन्त्रता नहीं देना चाहती थी। यही कारण था कि 1942 की गांधीवादी क्रान्ति तक कान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन में परिणत होने लगी। इस बात में भी सन्देह है कि यदि द्वितीय विश्वयुद्ध न होता और उसमें इंग्लैंड की स्थिति इतनी अधिक निर्बल नहीं हो जाती तो ब्रिटिश सरकार 1947 में भी भारत को स्वतन्त्र नहीं करती। यह तो परिस्थितियों की बेवशी थी कि अंग्रेजों को भारत को स्वतन्त्रता देनी पड़ी, परन्तु स्वतन्त्रता देते हुए भी वे अपनी कूटनीतिक चालों से बाज नहीं आये और देश का विभाजन करके यहाँ की शान्ति को हमेशा के लिए खतरे में डाल गये। गांधीवादी अहिंसात्मक आन्दोलन की दूरदर्शिता इसी तथ्य से सगति रखती है कि भारत सदृश निर्धन तथा निःशस्त्र जनता वाले देश की जनता यदि हिंसात्मक क्रान्ति का मार्ग अपनाती तो भारी रक्तपात होता और उसके पश्चात् भारी अव्यवस्था का वातावरण बन जाता इसलिए शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बना रहा।

जहाँ तक कान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलनकारियों की महत्ता का प्रश्न है, उनका उद्देश्य भी देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना था, और वाद में जैसा कि सरदार भगतसिंह सदृश नेताओं के विचारों से प्रकट होता है, वे देश में सर्वहारावर्गीय अधिनायकवादी समाजवाद की स्थापना चाहते थे। देश-प्रेम उनके रक्त की एक-एक वूँद में भरा था, अन्याय तथा अपमान के समक्ष घुटने टेकना तो उनके लिए मौत के मुह में जाने के सदृश था। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि आजादी प्राप्त हो जाने पर देश की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का क्या विधान होगा। वे किसी राजनीतिक विचारधारा के अनुगामी नहीं थे, प्रत्युत् उनका प्रथम उद्देश्य विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना था और सम्भवतः इसमें सफलता प्राप्त हो जाने पर ही वे भविष्य में शासन-प्रणाली के स्वरूप का सम्योचित समाधान हो जाने का विश्वास रखते थे।

क्रान्तिकारियों को भले ही अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिली, तथापि उन्होंने दो महान् योगदान किये। पहला, उन्होंने विदेशी शासकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अन्यायपूर्ण तथा पशुबल पर आधारित साम्राज्यवाद कभी भी टिक नहीं सकेगा। किसी न किसी दिन उसे एक देशव्यापी विद्रोह के समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेगे, क्योंकि शासित जनता की सहज शक्ति की भी एक सीमा होती है। यही कारण था कि शासक लोग कांग्रेस की वैधानिक मागों के समक्ष धीरे-धीरे झुकने लगे थे। दूसरा, क्रान्तिकारियों का और अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान यह था कि

उन्होंने देश की जनता में क्रांतिकारी चेतना उत्पन्न करने में मदद दी। स्वयं गांधी जी तथा उनके अन्य काग्रमा अनुयायी तक क्रातिवाद की जिज्ञा में प्रेरित हाने लगे। काग्रस का कामपथ क्रातिकारी आन्दोलन का ही उपज माना जा सकता है। असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन से सम्बद्ध हिंसात्मक घटनायें क्रातिकारी आन्दोलन से प्रभावित थीं 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में करा या मरो का नारा बुनद हो गया था और गांधी जी के अहिंसा पर जोर देने के बावजूद यह आन्दोलन बहुत अधिक मात्रा में क्रान्तिवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित रहा। यदि गांधीवादी आन्दोलन इस क्रातिवाद का सहारा न लेता तो सम्भवतः भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता कुछ और अनिश्चित अवधि के लिए टन जाती।

जहाँ तक त्याग तथा आत्म बलिदान का प्रश्न है उसमें दो राय नहीं हो सकती कि क्रातिकारियों के त्याग तथा आत्म बलिदान की समता में अन्य लोग नहीं हो सकते। इनके साधन उग्र या समयोचित भले ही न ठहरे हों परन्तु उहाँन जैसे-कैसे क्रातिपथ किये उन्हें अनतिक्रम नही माना जा सकता यदि जयाय और अत्याचार का बर्तना हिंसा द्वारा किया गया तो इसे अनतिक्रम नही कहा जा सकता। यदि कोई अधिकारी अपनी क्षमता का अनुचित लाभ उठाकर इरादतन अत्याचार करे और उसे दंड देने के लिए सभी जयायपूण तथा बधानिक तरीका को सीन मुहर कर दिया जाय और उस आतंकपूण तम में कोई भावुक व्यक्ति दंड दे तो क्या इस भी अनतिक्रम कहा जायगा? यहाँ काय आतंकवातियों में किये परन्तु व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि के लिए नही बल्कि देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर और साहमपूण तथा वीरोचित ढंग से। इस साहसपूण कार्यों का अनतिक्रम अराजनीतिक या जयायपूण काय कहा जाय तो फिर नतिक्रम राजनीतिक या जयायपूण काय और क्या हो सकते हैं?

संसार कमक्षन है। मनुष्य जन्म लेता है कुछ काय करता है और मर जाता है या गहीद हो जाता है। वह भावा पीठिया के लिए इतिहास की वस्तु बन जाता है। भावी पीठिया को उसके कार्यों से कुछ भनी या बुरी गिक्षायें प्राप्त हाती है। यह भावी पीठिया का कतव्य है कि वह प्रत्यक्ष एतैतिहासिक व्यक्ति के काय-करापा का सही मूल्याकन करे। भावा पीठिया को बचन कुछ आदर्शों के भावावगम नही जा जाना चाहिए बल्कि ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वा का सही मूयाकन करके उह समुचित सम्मान तथा श्रद्धाजलि अर्पित करनी चाहिए। हमें महान् गहीदा की स्मृति को और अधिक अमर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इनके काय-करापा के सम्बन्ध में प्रचुर साहित्य का निमाण मग्रहानया की यवस्था ममोरियन उनके परिवारा की पीठिया के लिए समुचित सहायता आदि की भरपूर व्यवस्था करना भारत की वर्तमान पीठिया का परम कतव्य है। यही इन गहादा के प्रति देश की सच्ची श्रद्धाजलि होगी। इनके जीवन वृत्त सही परिपेक्ष में भावी युवा पीठिया के समक्ष पाठ्य विषया के रूप में प्रस्तुत किये जान चाहिए ताकि उनके जीवन तथा काय नये भारत का निर्माण करने वाले युवका के लिए प्रेरणास्पद बने रहें। -

प्रश्न

1. भारत में क्रातिकारी एवं आतंकवादी आन्दोलन में सप्रिन्त मायनाओ पर प्रकाश चाहिए।
2. भारत में क्रातिकारी आन्दोलन का विकास कैसे हुआ? और उसमें बंगाल उत्तर प्रन्थ और पंजाब के नवयुवका का क्या योगदान रना?
3. हमें परिस्थितिया की विवेचना कीजिए जिनके परिणामस्वरूप भारत में क्रातिकारी आन्दोलन को सफलता प्राप्त नना हो सकी।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अभ्युदय (RISE OF MUSLIM COMMUNALISM)

धर्म की दृष्टि से भारत एक बहुल-सम्प्रदायी देश है, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता में हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदायवाद का महत्त्वपूर्ण कार्यभाग रहा है। 13वीं शताब्दी से भारत में मुसलमानों का राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हुआ था और अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उनका प्रभुत्व बना रहा यद्यपि राजपूतों तथा मराठों ने समय-समय पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए मुसलमान शासकों से लोहा लिया तथापि वे मुसलमान शासकों को निकाल भगाने या पराजित कर देने में सफल नहीं हुए। 18वीं शताब्दी तक यह स्थिति थी कि मुसलमान लोग पर्याप्त अधिक सख्या में भारत में बस गये थे और कुछ शासकों के काल में बहुत से हिन्दुओं को भी उन्होंने इस्लाम धर्म मानने को विवश किया था। भारत के मुसलमान अपने को विदेशी नहीं अपितु भारतीय ही समझते रहे। उनका उद्देश्य यहाँ की शासन-सत्ता अपने हाथ में रखना तथा भारतीय भूमि में स्थायी रूप से निवसित हो जाना था। अतः यूरोपीय लोगों की भाँति उनमें भारत का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण करने की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का कोई विचार नहीं रहा। वास्तविकता यह थी कि भारत के विभिन्न भागों में हिन्दू तथा मुसलमान परस्पर मिल-जुलकर रहते थे। यद्यपि धर्म के नाम पर कभी-कभी उनके मध्य संघर्ष हो जाते थे, तथापि राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिक पार्थक्य की भावना का प्रायः अभाव था।

अंग्रेज लोगों ने जब भारत में अपना शासन तथा प्रभुत्व स्थापित किया तो वे मुसलमान शासकों के ही उत्तराधिकारी बने थे। अतः वे मुस्लिम सम्प्रदाय को सदैव शत्रुता की दृष्टि से देखते थे। 1857 की क्रान्ति ने उनके मुस्लिम विरोध को और अधिक पुष्ट कर दिया था। उन्हें मुसलमानों से हमेशा यह भय बना रहा कि कहीं वे अपनी खोयी हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सक्रिय न हो उठें। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में टर्की के ऊपर यूरोपीय राष्ट्रीय कुचक्रों की नीति के परिणामस्वरूप अरब में जो बहावी आन्दोलन छिड़ा था उसका प्रभाव भारत के मुसलमानों के ऊपर भी पड़ा था। भारतीय मुसलमानों पर इस्लाम धर्म की रक्षा के हित में भी बहावी आन्दोलन का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यद्यपि बहावी आन्दोलन मुख्यतः धार्मिक प्रकृति का था, तथापि इसने भारतीय मुसलमानों में आर्थिक दृष्टि से एक दलित वर्ग होने की भावना विकसित की। उन्होंने बगाल में कई सर्वहारा आन्दोलनों में भाग लेकर अपनी आर्थिक कठिनाइयों की माँग व्यक्त की। परन्तु ब्रिटिश शासकों ने इन आन्दोलनों को कुचलने में कोई कमी नहीं रखी। इसके कारण अंग्रेज शासकों का भारतीय मुस्लिमों के विरुद्ध सन्देह और अधिक बढ़ गया। 1857 की क्रान्ति में अंग्रेज लोगों ने हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों को ही अपना वास्तविक शत्रु माना। इस कारण ब्रिटिश शासकों ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी तथा आर्थिक क्षेत्रों में भी उपेक्षित ही रखा। हिन्दुओं ने पाठ्याभ्यास शिक्षा प्राप्त करने में काफी प्रगति की, परन्तु मुसलमानों ने इस दिशा में कोई अभिरुचि नहीं दर्शायी। मुसलमानों को सेना तथा अन्य असैनिक (civil) सेवाओं से वंचित रखा गया। बहुत से मुसलमान अनेक कुटीर उद्योग-धन्वों पर निर्भर रहकर अपनी आजीविका कमाते थे। परन्तु अंग्रेजों की भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने तथा भारत का आर्थिक शोषण करने की नीति ने इन गरीब मुस्लिम वर्गों को बड़ा धक्का पहुँचाया। संक्षेप में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरम्भिक वर्षों में ब्रिटिश शासकों की नीति भारतीय मुसलमानों

को गिना प्रशासन जायिक यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों में उपनिवेश रगन तथा दवाये रगन की बनी रही। यद्यपि 1858 में महाराजा विकारिया को घोषणा में कहा गया था कि सावजनिक पत्र पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार धर्म जाति जाति का भेदभाव नहीं करेगी तथा कि भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में इस घोषणा का पूर्णतया उपाय का गढ़। इस प्रकार भारत का मुस्लिम जनता में एक उपनिवेश धार्मिक अन्तर्गत जनसमूह हान की चेतना उत्पन्न हाना स्वाभाविक था।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति में अग्रजा का हाथ

यह कथन मबया मत्य कि यदि भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की नाति थी तो भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास का पूर्ण दायित्व भी ब्रिटिश शासन पर था। उनकी यह नाति समय-समय पर जग अजग ढगा म प्रयुक्त हाना रनी।

(1) उपेक्षा की नीति द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना का विकास—प्रारम्भ में अग्रजा न मुसलमानों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रथम अग्रजा के रूप में मानकर उन्हें हर दृष्टि से उपक्षित रवा (इसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं)। इसका यह परिणाम था कि भारतीय मुसलमानों में एक असंतुष्ट तथा उपनिवेश अन्तर्गत वर्ग हान की चेतना उत्पन्न हाने लगी। उन्होंने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन की नीति के कारण हिन्दू बहुसंख्यक वर्ग उत्पन्न कर रहा है परन्तु मुस्लिम साम्प्रदाय की उपाय की जा रही है। यद्यपि इसका दाप हिन्दू वर्ग पर नहीं मडा जा सकता था तथापि मुस्लिम वर्ग में हिन्दुओं के प्रति न्य तथा ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। जा हिन्दू मुसलमान परस्पर मित्र जुनकर रहते थे और यहा तक कि 1857 के विद्रोह में जिहाद परस्पर मित्र अग्रजी शासन के विरुद्ध ब्रानि की थी उनमें पारस्परिक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करने का दायित्व ब्रिटिश शासन नाति पर ही जाता है क्योंकि इस ब्रानि के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने एक वर्ग को प्रासाहन देकर दूसरे की उपाय की। इसके कारण मुसलमानों में साम्प्रदायिकता की भावना उत्पन्न हान लगी।

(2) विलियम हटर का काव—1871 में सर विलियम हटर की पुस्तक *The Indian Musalmans* में व्यक्त विचारों में भारतीय मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश नाति में जाभूत परिवर्तन करने की नीति व्यक्त की। इस अवधि में भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृति हा रही थी। अग्रजा को ऐसा आभास हुआ कि पाश्चात्य गिना के प्रभाव से भारत की हिन्दू जनता के गिथिन वर्ग का राष्ट्रीय चेतना विकसित होनी जा रही है। यदि यन्ने प्रगति जारी रही और मुस्लिम जनता भी इसमें शामिल हा गई तो भारत की समस्त जनता की संगठित राष्ट्रीय भावना ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर कुठाराघात करने में सफ़्त हो जायेगी। ब्रिटिश शासन की नौकरगानी के जनक अय वर्ग भी ऐसा अनुभव करने लगे थे। जत विलियम हटर ने यह दगाया कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जवरुद करने के हेतु आग मुस्लिम सहयोग आवश्यक है। इसके प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश नौकरगानी जो पहले भारतीय मुसलमानों को गका की दृष्टि से देखती थी अब मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए बंचन हो गई।

(3) सर सयद अहमद खा तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जनक सर सयद अहमद खा को माना जाता है। परन्तु यह बात विचारणीय है कि सर सयद कहां तक इसके लिए उत्तरदायी हैं। उनका नाम एक सम्प्रदाय मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वे अनेक उच्च पत्र पर नियुक्त हुए थे। भारत के अय आरम्भिक काग्रसा ननाओं का भाति वे पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति एवं ब्रिटिश राज के भक्त थे। साथ ही उनमें राष्ट्रवाद भावनाएं भी बूट-बूटकर भरी हुई थी। वे भारतीय जनता के मध्य राष्ट्रीय एकता नाने तथा भारतवासियों के पिछडपन को दूर करने की तीव्र आकाक्षा रखते थे। उन्होंने यह अनुभव किया

कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनकी पुरातनपन्थी सकीर्णता तथा रुढ़िवादिता थी। अतः मुस्लिम जनमजाज को पश्चात्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् उनका एकमात्र मिशन मुस्लिम जन-समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें पिछड़ेपन के गर्त से उठाना हो गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। उनके प्रयासों से अलीगढ़ में मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियन्टल कालेज की स्थापना की गई जो बाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की भाँति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका उद्देश्य मुस्लिम जनता में पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना था। सर सैयद ने ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों की घोर निन्दा की। कांग्रेसी नेताओं की भाँति वे भारतीयों को विधान परिषदों में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दलील देते थे। यह कहना भी गलत है कि उन्हें हिन्दुओं के साथ द्वेष था। उनकी धारणा यह थी कि 'हिन्दू तथा मुसलमान भारत की दो आँखें हैं।' हिन्दू शब्द साम्प्रदायिकता का प्रतीक नहीं है अपितु हिन्दू के अन्तर्गत प्रत्येक भारतवासी (मुसलमान भी) शामिल है। अतः राष्ट्रीय उत्थान के हित में हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सहयोग आवश्यक है। कांग्रेस की स्थापना के काल तक सर सैयद अहमद खॉं एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता बने रहे। साथ ही मुस्लिम दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। परन्तु कांग्रेस की स्थापना होने पर जैन शनै सर सैयद की विचारधारा परिवर्तित होने लगी और कालान्तर में वे एक कट्टर हिन्दू विरोधी अथवा साम्प्रदायिकतावादी बन गये। अकस्मात् ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? क्या हिन्दू सम्प्रदाय के किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष ने उन्हें कोई आघात पहुँचाया था? अथवा क्या हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं ने मुसलमानों के विरुद्ध किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भेदभाव की नीति अपनायी थी? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी ब्रिटिश शासन की नीति उत्तरदायी है।

(4) मि० वेक तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियन्टल कालेज के प्रिंसिपल पद पर मिस्टर वेक को नियुक्त किया गया था। वेक ब्रिटिश साम्राज्यशाही का सच्चा भक्त था। वह विलियम हटर की नीति का समर्थक था। यदि सर सैयद के दिमाग को पलटने में उसे सफलता न मिली होती तो राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप ही बदल जाता। सर सैयद वास्तव में हिन्दू विरोधी नहीं, अपितु ब्रिटिश विरोधी थे। सचमुच में उनके जीवन का मिशन मुसलमानों को अपनी अधोगति से ऊपर उठाना था। परन्तु वेक ने उनके इस मिशन की सफलता के साधन के रूप में उनके ऊपर ऐसा जादू डाला कि वे हिन्दू-विरोधी हो गये। उसने सर सैयद को यह समाधान कराया कि मुसलमानों का उत्थान आंग्ल-मुस्लिम सहयोग से ही हो सकता है। मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं। राष्ट्रीय कार्यकलापों में कांग्रेस एक हिन्दू सस्या के रूप में विकसित हो रही है जिसका उद्देश्य भारत में हिन्दू-राज स्थापित करना है। भारतीय राष्ट्रवाद के अन्तर्गत मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा सर सैयद को इस धारणा पर विश्वास दिलाना तथ्यों के विलकुल विपरीत था, क्योंकि प्रारम्भ से ही कांग्रेस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बना रहा और कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव में हिन्दू राज या मुस्लिम विरोध की तनिष्ठा गन्ध नहीं थी, तथापि अंग्रेज लोगों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को भड़काने में सर सैयद के ऊपर प्रभाव डालने में सफलता प्राप्त कर ली। यही से अंग्रेजों की भारतीय राष्ट्रीयता के अन्दर 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का सफल श्रीगणेश हुआ।

यहाँ पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि यदि ब्रिटिश नौकरशाही तथा मि० वेक सर सैयद के ऊपर अपना जादू चला देने में सफल न होते तो सर सैयद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के एक महान् नेतानी सिद्ध होते। वे मुस्लिम जन-समुदाय का उत्थान करने वाले जनमेवक ही नहीं रहते अपितु समस्त भारत के राष्ट्रीय नेता बनते। परन्तु उन्हें यह समाधान करा दिया गया कि

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में जिस रूप की प्रतिनिध्यात्मक शासन संस्थाओं की मांग करती आ रही है यदि उस मान लिया जायगा तो भारतीय विधान सभाओं में हिंदूओं का न केवल बहुमत हा रहेगा अपितु चूकि मुसलमान लोग सभी जगहों पर जल्पसम्यक हैं अतः उनका प्रतिनिधिया को वहां से भी चुना जा सकता सम्भव नहीं होगा। इस प्रतिनिधि कुचान का प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस के निजाम के साथ साथ सर सयत न कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। जब इंग्लैण्ड की संसद में भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में 1889 में बिल पेश किया जाना लगा तो मि. वकिल उसका विरोध में भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया और मुस्लिम रक्षा परिषद् की स्थापना करवायी। स्वयं वकिल का सचिव था यद्यपि इस परिषद् का उद्देश्य मुसलमानों के हितों का रक्षा करना था तथापि हमना वास्तविक उद्देश्य तो यह था कि मुसलमानों कांग्रेस से पृथक् रहें। मि. वकिल ने अनेक पत्रिकाओं में इस जाण्य के लिये प्रकाशित करवाये कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। कांग्रेस मूल रूप से एक हिन्दू संस्था है और मुसलमानों की उसके प्रति कोई जाय्था नहीं है न व कांग्रेस की प्रतिनिध्यात्मक शासन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी मांग के समर्थक है क्योंकि उनसे मुसलमानों का हिंदू वर्गसम्यक के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। अतः मुसलमानों तथा यूरोपियनों का परस्पर संयुक्त हाकर कांग्रेस का विरोध करना चाहिए। हममें मुस्लिम जापसग्यकों का हित निहित है। हम प्रकार भारत में मुसलमानों की राष्ट्रीय जादानत के विरुद्ध साम्प्रदायिक भाव से संगठित कराने का प्रयत्न मि. वकिल का जाना है। भय है सर सयत अग्रजों के इस जादू मंत्र के निकार वने और उन्हें मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जन्म देने के लिए बंदनाम किया जाता है तथापि उन्होंने जो कुछ भी किया वह मुस्लिम जनता के उत्थान की भावना में प्रेरित था।

(5) लाड कजन की नीति—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को साकार करने में लाड कजन ने सक्रिय कदम उठाया। उसके शासन काल तक यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन काफी विकसित हो गया है। अग्रजों की फूट पगों की नीति इस राष्ट्रवाद को दवाने तथा उसके मांग में रोक लगाकर उसे एक उत्तम साधन थी। लाड कजन ने इस नीति को साकार करने के लिए बंगाल प्रांत का हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में बांट दिया। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का कांग्रेस से दूर रखने का और प्रवृत्त करना था। यदि कवन प्रशासन का सुविधा के लिए हा बंगाल का विभाजन किया जाना जमा कि लाड कजन ने इसमें औचित्य का सिद्ध करने के लिए तक किया था तो विभाजन रखा दूसरे रूप का हानी भारतीय राष्ट्रवादी नेता कजन की इस नीति में अनभिन्न नहीं थे। अतः विभाजन का धार विरोध किया गया। परंतु यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अग्रज भारतीय मुसलमानों का भारतीय राष्ट्रीय संस्था के विरुद्ध एक प्रतिरोधी तथा समतोलन शक्ति के रूप में संगठित करना चाहते थे और साम्प्रदायिक फूट हा हम उद्देश्य की सफलता का एकमात्र साधन था।

(6) लाड मिटो तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता—कजन के उत्तराधिकारी लाड मिटो ने साम्प्रदायिक भावों को सुदृढ़ तथा स्थापित करने में जो कार्य किया वह राष्ट्रीय जादानत के सम्पूर्ण प्रतिष्ठान में एक प्रभावकारी अवरोध सिद्ध हुआ। कजन की नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय जादानत में जो उपद्रवों दखे बने थे उनमें अधिकांश नतीजे हिन्दू संस्कृति के प्रबल समर्थक थे यथा नितक राजपुत्रराय अरविन्द आदि। यद्यपि उनके पाछे अनेक धर्म या मुस्लिम साम्प्रदायिक विरोधों का धारणा स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं की गई थी तथापि मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उत्तजित करने वाला न हमें अल्प उपयोग किया। कांग्रेस का स्वराज्य की मांग को प्रतिनिधि सरकार अधिक न देना सकी। अतः हमें भारत में शासन सुधार सम्बन्धी कानून के अंतर्गत प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना का विचार किया। हमें समय लाड माल भारतमें था। परंतु भारत में शासन सुधार के सम्बन्ध में उक्त वाक्यशास्त्र लाड मिटो का बाने मानने का विचार हाना पड़ा। लाड मिटो के पास आगा खा के नवतुत्व में एक मुस्लिम

शिष्ट-मण्डल पहुँचा। उसने प्रतिनिध्यात्मक सस्याओं के सम्बन्ध में मुसलमानों के पृथक् निर्वाचन तथा सुरक्षित स्थानों की माँग रखी। साथ ही सामान्य सीटों पर भी मुसलमानों के लिए मतदान में गुरुत्व (weightage) की माँग की। लार्ड मिंटो ने इस शिष्ट-मण्डल की बातों को स्वीकार किया, और उनकी माँग का स्वागत करते हुए उसे प्रोत्साहन भी दिया। इस शिष्ट-मण्डल ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों की ओर से पूर्ण राजभक्ति का आश्वासन दिया, साथ ही विधान मण्डलों के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित स्थानों की माँग की। इस शिष्ट-मण्डल का सगठन करने में अग्रेजों का सक्रिय हाथ था। मि० वेक के उत्तराधिकारी मि० आर्चीवोल्ड ने जो उस समय मुहम्मदन ऐग्लो ओरन्टियल कालेज अलीगढ़ का प्रिंसिपल था, वाइसराय के वैयक्तिक मंचिब में इस सम्बन्ध में पूर्ण विचार-विनिमय कर लिया था।

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली—1909 के शासन सुधार अधिनियम के अन्तर्गत लार्ड मिंटो के सुझावों के फलस्वरूप प्रथम बार भारत में अग्रेजों ने साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया और यह प्रथा भारतीय राजनीति में निरन्तर बनी रही। मुसलमानों को न केवल निर्वाचन में ही गुरुत्व प्रदान किया गया अपितु उनके लिए निर्वाचन में उम्मीदवारों की योग्यता भी गिथिल की गई। यदि आम सीट के लिए 3 लाख रु० पर आयकर देने की शर्त थी तो मुस्लिम सीट के लिए 3 हजार रु० पर आयकर देने की शर्त रखी गई। आम सीट के लिए तथा मुस्लिम सीट के लिए जो शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई थी उनमें भी काफी अन्तर था। मुसलमान मतदाता पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को मतदान करने के साथ-साथ आम सीट के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए भी मतदान कर सकते थे। यद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडानेल्ड तथा भारतमंत्री लार्ड मार्ले ने भी विरोध किया था, तथापि भारत स्थित ब्रिटिश नौकरशाही के कुचक्रों ने इसे मान्य करा लिया। इस दृष्टि से भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरम्भ करने का श्रेय लार्ड मिंटो को जाता है। समूचे अर्थ में, भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति तथा उसके विकास के लिए भारत के मुसलमानों को दोष देना न्यायसग्न नहीं है, अपितु इसका पूरा दोष ब्रिटिश नौकरशाही का था। वे ही इसके जन्मदाता, पोषक तथा फलभोगी बने रहे। वे फलभोगी इस अर्थ में रहे कि इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद काफी लम्बे समय तक भारत में बना रह सका।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा राजनीति—भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उत्पन्न करना ब्रिटिश शासकों का राजनीतिक पड़्यन्त्र था। अग्रेजों ने भारत में कांग्रेस को स्थापना को एक ऐसी अभयदीप (safety valve) के रूप में देखना चाहा था, जो ब्रिटिश शासन के विरोधी नस्लों को दबाने में सहायक सिद्ध हो सके। परन्तु अपनी स्थापना के तीन या चार वर्षों के अन्दर ही कांग्रेस ने जिन राष्ट्रीय माँगों को रखना शुरू किया, उनके कारण ब्रिटिश शासकों को कांग्रेस की गतिविधियाँ अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध प्रतीत होने लगीं। अतः कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। 1906 में जब शासन सुधारों के सम्बन्ध में प्रतिनिध्यात्मक सस्याओं की माँग बटने लगी और मुसलमानों की ओर से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग की गयी, तो भारतीय मुसलमानों ने कांग्रेस के समक्ष एक राजनीतिक सगठन निमित्त करने की योजना बनायी। मुहम्मद जफ़ी ने 1901 में ही मुस्लिम लीग बनाने की धारणा व्यक्त की थी, परन्तु मुस्लिम लीग की स्थापना वास्तव में 30 दिसम्बर 1906 को हुई जबकि मुसलमानों को लार्ड मिंटो की कृपा में अपनी माँगें पूर्ण कराने में पूरी सफलता प्राप्त हो गयी थी।

लीग के उद्देश्य—मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्य ये थे—

- (1) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराना
- (2) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों का संरक्षण कराना और

उनके सम्बन्ध में गामन से निष्ठापूर्वक प्रायना करना तथा

(3) भारतीय मुसलमानों में उपयुक्त उद्देश्यों से विरोध न रखने की स्थिति में जय सम्प्रदायों के विरुद्ध बर भाव रखने की धारणा का रोचना ।

इस बात पर सन्देह करने की कोई गजाल नहीं रह जाती कि स्वयं ब्रिटिश शासकों ने ही कांग्रेस के विरुद्ध एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन निर्मित करने का प्रोत्साहन मुसलमान नेताओं को दिया था । वास्तव में मुस्लिम लीग के उपयुक्त उद्देश्य किसी भी रूप में उसके राष्ट्रीय या राजनीतिक स्वभाव के परिचायक नहीं हैं । परन्तु वास्तव में लीग के कार्य-कलाप राजनीतिक प्रवृत्ति के हात में हुए । 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जब तक एक साथ आया जबकि खिन्नाफत जाहानन चला था । परन्तु यह सन्धि स्थायी नहीं रह सकी और मुस्लिम लीग को तब तक चला नहीं पड़ा जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हुआ (इसका विवरण आगे किया जायगा) ।

प्रश्न

- 1 भारत में मुस्लिम से प्रभावित ब्रिटिश शासन को दत्त था । उस रचना की समझा कीजिए ।
- 2 1857 के बाद भारत में व कौन-सी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ काम कर रही थी जिनके फलस्वरूप मुस्लिम सम्प्रदायवाद का विकास हुआ ।
- 3 भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना एवं उद्देश्यों पर लिखी लिखिए ।

प्रथम विश्वयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (NATIONAL MOVEMENT AND WORLD WAR I)

1906 से 1915 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्धकार का काल कहना अत्युक्ति नहीं होगी। इस काल में कांग्रेस की वागडोर उदारवादियों के हाथ में रही। उग्रवादी राष्ट्रीय नेता तिलक 1908 से 1914 तक जेल में पड़े रहे। क्रान्तिकारों तथा आतंकवादी आन्दोलन को सरकार ने दबा दिया था। क्रान्तिकारी आन्दोलन के सूत्रधार तथा प्रेरणा-स्रोत महर्षि अरविन्द ने राजनीति से ही सन्यास ले लिया था और 1910 में वे ब्रिटिश भारत को छोड़कर पाण्डिचेरी चले गए थे। लार्ड मिण्टो ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1909 का शासन सुधार अधिनियम भी लागू हो गया था। परन्तु कांग्रेस की फूट तथा मुस्लिम लीग की स्थापना ने राष्ट्रीय आन्दोलन को सशक्त होने से रोक लिया। कांग्रेस की स्वराज्य की माँग पर 1909 के सुधार अधिनियम ने पानी फेर दिया था। अतः राष्ट्रीय नेताओं में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ता जा रहा था। इस तथ्य से ब्रिटिश शासक अनभिज्ञ नहीं थे। कर्जन तथा मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने भारतीय असन्तोष को शान्त करने की नीयत से लार्ड हार्डिंज को वाइसराय बनाकर भेजा। निस्सन्देह तत्कालीन भारतमन्त्री क्र्यू (Crewe) तथा वाइसराय हार्डिंज दोनों अपने पूर्ववर्ती पदाधिकारियों की तुलना में बहुत निर्बल थे, तथापि हार्डिंज को भारतीय परिस्थितियों का समुचित ज्ञान था। वे मन्त्रिमण्डल में एक स्थायी अपर सचिव तथा विदेश कार्यालय के प्रधान थे। साथ ही रिपन के पश्चात् शायद वही एक ऐसे वाइसराय थे, जिन्हें भारतवासियों के प्रति सहानुभूति थी। इस समय यूरोप में महायुद्ध के बादल मँडरा रहे थे। लार्ड हार्डिंज ने भारतीय असन्तोष को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाया। उनके शासन-काल में अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके कारण राष्ट्रीय आन्दोलन ने 1919 तक एक नया मोड़ लिया।

वग-विच्छेद का निरसीकरण—1911 में सम्राट जार्ज पंचम भारत की यात्रा पर आये। उम अवसर पर लार्ड हार्डिंज के वाइसरायत्व में दो महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित किये गये। प्रथम के अनुसार वग-विच्छेद का अन्त करके वगाली भाषी-क्षेत्रों से युक्त वगाल को पुनः एक प्रान्त बना दिया गया और पश्चिमी वगाल से बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के भाग निकालकर उन्हें एक पृथक् प्रान्त के रूप में निर्मित कर दिया गया। इस प्रकार छह वर्ष तक चला आया एक महान् असन्तोष समाप्त हो गया। दूसरी घोषणा के अनुसार भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी गयी। वगाल प्रान्त का शासन अब एक अलग गवर्नर के अधीन रखा गया। आसाम को चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया। इस प्रकार लार्ड हार्डिंज ने लार्ड कर्जन की एक महान् भूल का निराकरण करके भारतवासियों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त की। परन्तु दुर्भाग्यवश आतंकवादियों के एक वर्ग ने लार्ड हार्डिंज के ऊपर बम फेंककर, जिसमें वह बाल-बाल बच गये, ब्रिटिश शासकों को पुनः स्तब्ध कर दिया। यह घटना वास्तव में अवाञ्छनीय थी, विशेष रूप से लार्ड हार्डिंज सदृश वाइसराय के विरुद्ध ऐसा कार्य उचित नहीं था। परन्तु यह घटना इस बात की द्योतक थी कि ब्रिटिश सरकार की विविध शासन नीतियों के विरुद्ध भारत में भारी असन्तोष व्याप्त था और भावुक युवा-वर्ग क्रान्तिकारों तथा आतंकवादियों की तरफ से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े खोदना चाह रहा था।

वस कांत क काग्रस क कणधार उदारवादी नेता आ न पुन ब्रिटिश शासक की याय प्रियता तथा सत्यता पर आस्था व्यक्त करनी शुरू कर दी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी महता गासन नीरोती पण्डित मदनमोहन मानवीय तजवहादुर सभू जाति सभो वस कांत के उदारवादी नेता थ जिहान ब्रिटिश सरकार की प्रगसा म हाथ बटाया। परंतु वसना य अय नहा था कि य उदारवादी नेता 1909 क मुधारा तथा बग विच्छेद क निरसीकरण स मत्पुष्ट हा गय थे। जसी उदारवादिया की प्रारम्भ स ही भानि बनी रही उहान पुन सरकार के समक्ष विधान-परिपदा क मुधार की माग रखी। काग्रस न स्वराय (स्वायत्त शासन) प्राप्ति को अपना उद्देश्य बना लिया था परंतु 1909 क मुधारा स उम वस जिना म काइ सताप नहा मिन था। पृथक साम्प्रदायिक निवाचन प्रणाली क दोष स्पष्ट हा चुन थ। अत जब 1913 क काग्रस अधिवेशन म यह माग रखा गयी कि कालीय विधान परिपद म गर सरकारी सदस्या का वन्मत होना चाहिए और प्रातीय परिपदा म निवाचित सदस्या का। ब्रिटिश सरकार न अभी तक उत्तरदायी शासन की दिना म काइ कम् नहा उताया था। अत स्पष्टतया अब काग्रस का नया मार्चा वस माग क समर्थन म खाना जाना था। 1914 क काग्रस अधिवेशन म यह माग रखा गयी कि भारत म ब्रिटिश साम्राज्य क अन्तगत स्वायत्तशासक सरकार निर्मित का जाना चाहिए।

श्रीमती ऐनी बेसट तथा तिलक का काग्रस म प्रवेश—1914 म काग्रस के नेतृत्व म परिवर्तन हान गया। श्रीमती ऐनी बेसट जा एक जाइरिंग महिना था थियोसाफिकल सासाय्टी का सचिवन करनी था। उस समय आयरलण्ड म होमरूल जागेवन बन रहा था। भारत जान पर उह भारतीय ससृति क प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई। साथ ही भारतीय जनता क बध्दा म वह बन्त चिन्तित हइ। उह गया कि यह सब भारत की राजनीतिक पराधीनता क कारण थ। अत उहाने थियासाफी का काय छाडकर राजनीति म प्रवेश किया और आयरलण्ड के नमूने पर भारत म भा हामरूल आंदोलन छान का प्रण कर लिया। वस समय भारत का भावुक युवा बग ब्रिटिश शासन स भारत का मुक्त कराने क लिए प्रचन था। उग विच्छेद की घटना स पूव गई पीली को अपन अन्क नमठ नेता आ क विचार मुनने को मिन थ। परंतु 1908-1914 की अवधि म य सभो महान् नेता भारत के राजनीतिक पद स पृथक हा गये थ। तिनक जन म थ। राजेश्वरराय क रिपिन चत्पात विदगा म थ। उदारवादिया की भिभावृत्ति की नीति से युवा पागे उन्न गयी थी। उमम मध्य का उत्साह था परंतु नतत्व हा अभाव खन रहा था। श्रीमती बेसट के राजनीति म प्रवेश न वस बग की जाशाआ म नया उत्साह उत्पन्न किया। भाग्यवत इसी बप 6 सात की कारावास की अवधि पूण हान क कुछ हा कांत पूव सरकार न तिनक को मुक्त कर दिया था। यद्यपि तिनक शारीरिक दृष्टि म बहुत अस्वस्थ थ तथापि उनका राष्ट्र प्रेम उह राजनीति म प्रविष्ट हान स नहा राक सका। श्रीमता बेसट न अनुभव किया कि जब तक उग्रवादी नेता काग्रस म पुन न जा जायें तब तक हामरूल जागानन प्रभावगाना नहा हो सकता। अत व तिनक स मिन। तिनक काग्रस म आना तो चाहत थ परंतु व उदारवादिया क कार्यक्रम स समझौता नहा कर सकत थ। उदारवादी नेता भी काग्रस क दाना दाना म एतता क लिए व्यग्र थ। 1915 म जब गोखल तथा महता की मृत्यु हा गयी तो वसम तिनक का काग्रस म प्रवेश सुविधाजनक हो गया। उहान न कवन हामरूल जागेवन की विचारधारा को आग बनाया प्रत्युत् अपने ढग स वस जागानन को अपन प्राप्त म बनाया और अपन अन्क अनुयायिया का सहचार भी प्राप्त किया। 1916 म उनकी अवस्था 60 बप की हा चुका था अत जनता न उनकी 60वी बप-गाठ पर उह 1 लाख रुपए का धनी भेंट की। जिस उहान राष्ट्रीय कार्यों क लिए दान कर दिया। उनकी शक्तिप्रियता जिना जिन बन्नी जा रहा थी। निस्सन्दह गोखल तथा फीराजगाण महता की मृत्यु हा जाने स काग्रस का बन्त धक्का गया। स्वयं तिनक जा गासन की नीतिया क प्रवर्तन विरोधी थ गाखन की मृत्यु स सबसे

अधिक दृखी हुए। 1915 में कांग्रेस ने अपने सविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जिसके कारण उग्र राष्ट्रवादी नेता पुनः कांग्रेस में आ सकें। परन्तु संशोधन के अनुसार जो अवधि सम्बन्धी प्राविधान रखा गया था, उसके अनुसार 1916 से पूर्व तिलक कांग्रेस में नहीं आ सकते थे। श्रीमती ऐनी बेसेट ने कांग्रेस के दोनों दलों में एकता लाने के पूर्ण प्रयास किये। अन्ततः 1916 में उनका मिशन सफल हो गया। इसके पश्चात् के पाँच वर्षों तक तिलक तथा बेसेट ने कांग्रेस का नेतृत्व किया।

महायुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन—1914 में यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों ने (जिनमें इंग्लैंड भी शामिल था) जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की थी, उसका उद्देश्य 'लोकतन्त्र की रक्षा' घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में लार्ड हार्डिंज के प्रयासों से यह धारणा जाग्रत हुई कि युद्ध में इंग्लैंड की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। चूँकि युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा करना है, अतः युद्ध में विजय हो जाने पर इंग्लैंड भारत में भी लोकतन्त्री व्यवस्था कायम करेगा। भारतीय नेताओं ने तन, मन, धन से इंग्लैंड की सहायता की। स्वयं महात्मा गांधी ने जो उस समय तक कांग्रेस के प्रमुख नेता नहीं बने थे, युद्ध के लिए भारतवासियों की ओर से यथासम्भव इंग्लैंड की सहायता करने के प्रयास किये। यदि भारतीय नेता इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार से कोई आशा करते थे तो वह यही कि सरकार युद्ध के पश्चात् भारत में स्वायत्त शासन स्थापित करने की घोषणा कर दे। परन्तु सरकार मौन ही रही। उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार की नेक-नीयती पर अब भी आश्वस्त नहीं थे। भारत के सैनिक यूरोप में इंग्लैंड की ओर से युद्ध में लड़े और उन्होंने इंग्लैंड को विजयी बनाने का श्रेय तो लिया ही, साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि किसी देश की सहायता तथा प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता का सबसे अधिक महत्त्व है।

कांग्रेस के दो दलों में सन्धि—1914 में श्रीमती बेसेट के कांग्रेस में प्रविष्ट होने पर राष्ट्रीय आन्दोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। श्रीमती बेसेट ने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई जान फूँकने का कार्य किया, उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और देश की वास्तविक परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उदारवादी नीतियों से राष्ट्र का हित सम्भव नहीं है। देश की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वे तिलक की भाषा में बोलती थीं। उनका मत था कि यद्यपि युद्ध काल में इंग्लैंड की सहायता करते हुए भारत अपनी स्वतन्त्रता की माँग कर रहा था तथापि भारत अपनी स्वतन्त्रता की माँग अपनी इस राजभक्ति के प्रत्युपकार के रूप में नहीं चाहता। 'भारत स्वतन्त्रता की माँग युद्ध-काल में कर रहा है, वह युद्ध के पश्चात् भी इसकी माँग करता रहेगा, परन्तु एक पुरस्कार के रूप में नहीं, अपितु अपने अधिकार के रूप में करेगा।'¹ 1915 में गोखले तथा मेहता की मृत्यु के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में शून्यता आ गई थी। स्वयं बेसेट तथा तिलक भी कांग्रेस के दोनों दलों के मध्य एकता लाने के लिए व्यग्र थे। दोनों का उद्देश्य होमरूल आन्दोलन को तीव्र करना तथा राष्ट्रवादी दल को मजबूत बनाना था।

1915 का कांग्रेस अधिवेशन मम्बई में सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नेताओं ने पर्याप्त उत्साह के साथ बहुत बड़ी सरया में भाग लिया। साथ ही इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पारित किये गये जिनमें से अधिकांश प्रस्ताव पिछले प्रस्तावों की पुनरावृत्ति एवं पुष्टिकरण के रूप में थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस सविधान के अन्तर्गत एक संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया कि 'कोई भी व्यक्ति इस शर्त पर कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना जा सकता है कि 31 दिसम्बर 1915 को वह लगातार 2 वर्ष की अवधि तक किसी ऐसे सगठन में चुना गया हो जिसका उद्देश्य वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त शासन प्राप्त करना रहा हो।' इस संशोधन ने राष्ट्रवादी नेताओं के कांग्रेस में प्रवेश के द्वार खोल दिये। परन्तु तिलक का ऐसा कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हो पाया था। अतः अप्रैल 1916

मं निरक ने अपने प्रान म हामरून आदोलन छेड दिया सरकार ने उसका दमन किया तथा उनमे बहुत ऊची धनराशि की जमानत मागी ताकि वे अपन एस जाचरण म पृथक रहें। हाई कोर्ट न सरकार की इस माग का गट कानूनी घोषित कर लिया। सस तिनक का प्रतिष्ठा और अधिक बढ गइ। वसक 6 मास पश्चात् श्रीमती वमट न मन्स म अखिन भारतीय होम रून नीग की स्थापना की। राष्ट्रीय आदोलन की प्रगति 1916 म वस रूप म चन रही थी कि वसका वास्तविक नतत्व जब उदारवाणिया क हाथ स निकरता जा रहा था और निरक तथा वसट हा वमने वास्तविक नेता रह गय थ। 1916 के नवनऊ क काग्रस अधिवेशन म तिलक तथा उनके जनक साथी काग्रस म प्रविष्ट हो गय। वस प्रकार नगभग एक दशात् की काग्रस की फूट का जत हो गया और काग्रस के दाना दन एक म मिन गय।

काग्रस-नीग समझौता (Lucknow Pact 1916)—काग्रस की बन्ती हुई नाकप्रियता तथा गति स व्यग्र हाकर ब्रिटिश नौकरशाही न फूट डाली और शासन करा की नाति का अवतम्बन करके भारत के मुसलमान सम्प्रदाय को काग्रस क निरुद्ध सगठित किया था। मुस्लिम नाग की स्थापना म स्पष्टतया नौकरशाही का हाथ था। यद्यपि 1909 क सुधारा क अन्तगत विधान परिपत्ता म मुसलमाना के प्रतिनिधित्व को गुन्ता देकर तथा पृथक निवाचन प्रणाली का अपनाकर भारत क मुसलमाना का प्रसन्न करने का प्रयास सरकार को प्रमुख नीति रही थी तथापि इस बीच कुछ ऐसी घटनाए घटा जिनक कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश शासन की नीतिया म असंतुष्ट हा गये थ। गान् हार्डिंज न हिंदू मुस्लिम समस्या पर अपन पूर्ववर्ती वात्सराया क प्रति तत्परता की नाति का अवतम्बन किया। नग विद्वत् की समाप्ति न साम्प्रदायिकतावादी मुसलमाना म ब्रिटिश सरकार क प्रति अविश्वास उत्पन्न कर दिया। अभी तक अनीगढ मुस्लिम नाग तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकतावात् का गट था। परन्तु अब नीग का प्रधान कार्यालय नखनऊ म बना दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय धन म टर्की जो कि भारतीय मुसलमाना की निष्ठा का केन्द्र था गनरल की कृपा पर आश्रित रहता था। परन्तु वस बीच टर्की तथा व्टनी के युद्ध म इंग्लण्ड ने टर्की का साथ नहा दिया। इससे भारतीय मुसलमान अग्रजा स असंतुष्ट हा गय। इसी अवधि म मुस्लिम नीग क कुछ प्रमुख नेता यथा मुहम्मद अला जिन्ना तथा जनी बघु (मौजाना गौकत अनी तथा मौजाना मुहम्मद अनी) जो कि राष्ट्रवादी विचारा क थे मुस्लिम नीग की अग्रज भक्ति स अमंतुष्ट हा गय। उह मुसलमाना की ऐसी दासता पसन्द नही थी अन व भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा स्वायत्त शासन की माग करन लगे। वस प्रकार मुस्लिम नीग की विचारधारा के प्रारम्भिक स्वरूप म पयान्त भिन्नता जा गई।

1913 क नीग क नवनऊ अधिवेशन म लीग ने ब्रिटिश शासन क अन्तगत वधानिक साधना द्वारा तथा जय सम्प्रदाया क साथ सहयोग करत हुए स्वायत्त शासन का प्राप्ति करना अपना उद्देश्य घोषित किया। यह उद्देश्य नगभग वही था जा कि काग्रस क उदारवादी नेता पूव ही घोषित कर चुक थे। जत नव्दातिक दृष्टि स नीग काग्रस क सन्निकट आन लगी। 1913 क कराची अधिवेशन म काग्रस ने नीग क वस उद्देश्य का स्वागत किया। जिन्ना जा उस समय एक पक्क राष्ट्रवादी नेता थ काग्रस की वस प्रतिब्रिया स बहुत प्रभावित हुए। 1915 म काग्रस का अधिवेशन बम्बई म हुआ ता नीग न भी अपना अधिवेशन नगभग उसी अवधि म बम्बई म ही किया। परिणामस्वरूप दाना सगठना क नेताओं का परस्पर विचार विनिमय करन का अवसर मिला। दोना दना की एक मयुक्त सम्मेलन समिति गठी गइ और उसकी सस्तुतिया के आधार पर नाना दना क मध्य समझौता सम्भव हा गया। 1916 म दोना सगठना के अधिवेशन नखनऊ म हुए। वहा वन दना न णनिहासिक काग्रस-नीग समझौत का स्वीकार किया।

काग्रस लीग समझौता हा ता गया परन्तु यह मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विप को हटान का उपचार सिद्ध नहा हुआ अपितु अपनी इच्छा क विरुद्ध काग्रस का नीग का गते माननी पना ताकि नीग का सहयोग ब्रिटिश शासन की अतिवादिता क विरुद्ध राष्ट्रीय जागृजन के संचालन म

प्राप्त हो सके और राष्ट्रीय ऐक्य का विकास हो। इस समझौते के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन को स्वीकार किया गया। साथ ही प्रतिनिधित्व के निमित्त अल्पसंख्यकों के लिए गुस्ता के मिद्दान्त को भी माना गया। इस प्रकार भविष्य में विधान परिषदों में मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक सीटें प्राप्त हो सकती थीं। यह भी स्वीकार कर लिया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों पर प्रभाव डालने वाले विधायकों में यदि सम्बद्ध जन-समुदाय के तीन-चौथाई प्रतिनिधि विरोध करें तो ऐसा विधायन विधान परिषदों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। लीग की इन माँगों को स्वीकार करने में कांग्रेस के नेताओं की आशा सही सिद्ध नहीं हुई। वे यह ग्याल करते रहे कि कालान्तर में हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद क्षीण पड़ जायेगा तो मुसलमान स्वयं ही पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध करेंगे, परन्तु कांग्रेस के नेताओं की ऐसी धारणा का भविष्य में उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकार ने 1919 के सुधार-कानून के अन्तर्गत इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस-लीग समझौते के अन्तर्गत भविष्य में भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक सांविधानिक सुधारों की मांगें भी रखी गईं। इनमें से प्रमुख माँगों के अन्तर्गत प्रान्तीय शासन को केन्द्र के नियन्त्रण में मुक्त रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में व्यापक मताधिकार के आधार पर 80% निर्वाचित सदस्यों को रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्यकारी परिषदों में कम से कम आधे सदस्यों को सम्बन्धित विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाने, तथा विधान परिषदों के अधिकार-क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने की शर्तें थीं। प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्धों, युद्ध, शान्ति आदि के मामलों को केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखने की बात भी इस समझौते के द्वारा मानी गई। अन्ततः, इस समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार के मामलों में भारत-मन्त्री के नियन्त्रण को कम करके उसकी स्थिति अन्य स्वायत्तशासी उपनिवेशों के उपनिवेश मन्त्री की भाँति रखने की माँग भी की गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस-लीग समझौते ने भारत के लिये एक प्रकार के औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग रखी और यह आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही सम्राट् की सरकार यह घोषित करे कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में स्वायत्त शासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का है। ये माँगें इतनी प्रगतिशील थीं कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार जो भारत में स्वेच्छाचारी साम्राज्यवाद की नीति पर डटी हुई थी, इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती थी। यद्यपि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 1919 में शासन सुधार अधिनियम पास किया तथापि इन सांविधानिक सुधारों को उन्होंने पूर्णतया उपेक्षित रखा।

कांग्रेस तथा लीग की एकता भी अस्थायी सिद्ध हुई। यह खिलाफत आन्दोलन¹ तक ही बनी रही। ज्योंही वह समाप्त हुआ, त्योंही लीग ने साम्प्रदायिक हठ-वर्षिता अंगीकार कर ली और 1922-23 से मुस्लिम लीग कांग्रेस की असली शत्रु बन गई।

होम-रूल आन्दोलन—महायुद्ध काल में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत श्रीमती ऐनी बेसेट तथा तिलक के द्वारा संचालित होम-रूल आन्दोलन एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हुआ। होम-रूल का आशय है स्वायत्त-शासन। इस अवधि में आयरलैण्ड में ऐसा आन्दोलन चला हुआ था। 1918 में जब श्रीमती ऐनी बेसेट इंग्लैण्ड गई तो उन्हें यह प्रेरणा मिली कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत भी ऐसा ही आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय। वैसे होम-रूल आन्दोलन भारत के लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं था। 1906 में कांग्रेस अपना उद्देश्य 'स्वराज्य प्राप्ति' घोषित कर चुकी थी। तिलक ने यह आन्दोलन चला लिया था। 1914 में जब वे जेल से छूटे तो पुनः इसके लिए कार्य करने लग गये थे। श्रीमती बेसेट ने भारत लौटने पर दैनिक पत्र 'न्यू इण्डिया' तथा मासिक पत्र 'कॉमन वील' के द्वारा इस आन्दोलन का प्रचार किया। मारे देश का दौरा करके उन्होंने जनता को यह प्रेरणा दी कि भारत में स्वराज्य की प्राप्ति करना प्रत्येक

¹ उदा विवेचन आगामी अध्याय में लिया गया है।

भारतवासी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तिनक पहन ही एसी घोषणा कर चुके थे। अप्रैल 1916 में तिनक ने महागण मन्म आन्दोलन का प्रीगणन कर दिया था। उन्होंने भी केमरी तथा मराठा पत्रों के द्वारा मन्म आन्दोलन को अधिक व्यापक ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया। प्रीमता एनी वसेंट ने 1916 में मन्मस में होम रूल लीग की स्थापना की। उस समय महायुद्ध छिटा हुआ था। मन्म आन्दोलन का उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार का परगान किया जाय और उसका युद्ध सम्म की प्रयत्ना में गेग अन्नाया जाय। प्रत्युत तिनक तथा वसेंट दाना ने युद्ध-कार्यों में सरकार की यथासम्भन्न सहायता करने की सलाह जनता को दी। साथ ही होम रूल लीग के माध्यम से उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक भारतवासी राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहायता उचित रूप में नहीं कर पायेंगे। अन्तःस्थापित शासन प्राप्त करना प्रत्यक्ष भारतवासी का मूल अधिकार है। यह आन्दोलन मूल रूप में प्रचारात्मक था। वसन्त तथा तिनक दोनों ने व्यापक रूपान्तरण दौरे किये। स्थान स्थान पर सभाय आयोजन का शीघ्र पत्र-पत्रिका तथा परिपत्र (Pamphlets) के द्वारा जनता में स्वायत्त शासन की मांग का प्रचार किया। वसेंट ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गत्र नहीं थी अपितु वे अन्तःस्थापित तथा भारत की समान राष्ट्रीय रूप में मानती थी। उनका उद्देश्य यह था कि स्वायत्तशासी भारत तथा अन्तःस्थापित के मध्य मित्त राष्ट्रीय का सा सम्बन्ध हो न कि शासित तथा शासक राष्ट्रीय का सा। इसी में दाना का मित्त है। वसेंट मन्म बात को मानने के लिए भी राजी नहीं थी कि भारतवासी अन्तःस्थापित के प्रति राजभक्ति रखें और उनके बदन में अन्तःस्थापित से स्वायत्त शासन की भीख मांगें अपितु स्वायत्त शासन भारतवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। मन्म सघष करके प्राप्त करना चाहिए। निवर्तमान सरकार निरकुश हानी जा रही है। प्रीमता वसन्त के मत से होम रूल का अभिप्राय यह है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम परिषदा जिना दोनों नगरपालिकाया तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाया से होत हुए राष्ट्रीय समद तक अपन लिए पूण स्वायत्त शासन की स्थापना करना अपना नक्ष्य मानते हैं जिनकी शक्तियाँ साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त उपनिवेशों की विधान सभाया के तुल्य हों। इस प्रकार वसेंट का होम रूल आन्दोलन 1906 में काग्रस द्वारा घोषित स्वतन्त्रता आन्दोलन की भांति ही ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना करना था।

परन्तु तत्कालीन भारत के ब्रिटिश शासकाने इस गतिपूर्ण आन्दोलन का दवाने में कोई कमी नहीं रखी। मन्मस के गवर्नर पेंटनड ने प्रीमती वसेंट तथा उनके दो सहायगी कार्यकर्ताया वाचिया तथा अन्तःस्थापित को नजरबन्द कर दिया। वसन्त के पत्रों में अन्तःस्थापित तथा कामन वीथ पर प्रतिबन्ध लगाकर उनसे बीस हजार रुपय की जमानत मांगी जा बाद में जमानत कर ली गई। विद्यार्थियों का भी मन्म आन्दोलन में भाग लेने में रोका गया। बम्बई में तिनक में भी सदाचरण सम्म की 40 हजार रुपय का वाण्ट मांगा गया और दस हजार रुपय की जमानत भी मांगी गई परन्तु अर्पण करने पर हार्ड काट ने मन्म सरकारी आण्ट को अवघ घोषित कर दिया।

सरकार के इस अमन चक्र का प्रभाव यह हुआ कि होम रूल आन्दोलन अन्तर्गत जाकप्रिय हो गया। सरकार की अमनकारी नीति के विरुद्ध अन्तःस्थापित प्रतगना तथा सभाया का आयोजन हान लगा। दाना के अधिकारिण व्यक्ति मन्म लीग के सन्तस्थ वनन गेग। इसी वष काग्रस के दाना दना में एकता हा जाने तथा एनी वसेंट और तिनक के हाथ में राष्ट्रीय आन्दोलन का नन्तव आ जान का परिणाम यह हुआ कि काग्रस पुन उग्रवाणी नन्ताया की नीति का अनुमरण करने लगी। यद्यपि अभी तक महात्मा गांधी काग्रस के प्रमुख नन्ताया की स्थिति में नहीं आ पाय थे तथापि वे काग्रस में प्रविष्ट हा गय थे और उन्तान निस्वायत्त भाव से युद्ध में अग्रजा की सहायता करने के लिए भारतवासियों का आह्वान किया। तिनक तथा वसेंट ने यह नीति अपनयी कि युद्ध काट में ब्रिटिश सरकार के समर्थन स्वरूप का आन्दोलन तीव्र करने का नाम उठाना चाहिए ताकि ब्रिटेन को युद्ध प्रयास में सहायता करे उह भारतीय राष्ट्रीय मांगा के समर्थन के लिए विवग

किया जा सके, न कि राजभक्ति दर्शाकर ब्रिटेन से पुरस्कार के रूप में स्वराज्य की याचना की जाय।

होम-रूल आन्दोलन लगभग उसी प्रगति से बढ़ने लगा जिस प्रकार 1906-07 में स्वदेशी आन्दोलन बढ़ा था। इसके अन्तर्गत भी स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार को महत्त्व दिया गया। आन्दोलन की प्रगति तथा प्रभाव के बारे में वाइसराय के गृह सचिव (Home Member) रेजीनाल्ड क्रेडोक ने लिखा था, 'स्थिति अत्यन्त कठिन है। जनसाधारण के मध्य उदारवादी नेताओं को कोई समर्थन नहीं मिलता, जो कि अव तिलक तथा बेसेट के प्रभाव में है। स्वायत्त शासन (होम-रूल) पर जोर दिया जा रहा है जिसे भारत की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार अनगिनत गलतियों तथा दुःखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय माना जा रहा है। वैधानिक आन्दोलन की आड़ में समाचार पत्रों को पढ़ने वाली जनता के मनो में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विष भरा जा रहा है।¹ जब सरकार ने आन्दोलन को बलात् दबाया और बेसेट तथा तिलक के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगाये तो इससे भारत का प्रबुद्ध जनमत और अधिक रुष्ट हो गया। 1916 में कांग्रेस-लीग एकता निर्मित हो चुकी थी। जिन्ना ने जो इस समय लीग के प्रमुख नेता थे, बेसेट की नजरबन्दी की तीव्र भर्त्सना की। उनके मत से इस व्यवहार का अर्थ है 'कांग्रेस तथा लीग द्वारा लखनऊ में एक साथ स्वीकार कर ली गयी स्वायत्त शासन या होम-रूल योजना को ही नजरबन्द कर लेना।'² गांधी जी तथा तेजबहादुर सप्रू ने भी सरकार की इस नीति का विरोध किया।

जब इतने दबाव पड़े तो 20 अगस्त 1917 को भारत मन्त्री ने भारत को स्वायत्तशासी अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। इसी अवसर पर श्रीमती बेसेट को मुक्त भी कर दिया गया था। बेसेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। उसी वर्ष उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन चुन लिया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की 'भारत को स्वतन्त्र देना, उसे राष्ट्रों के मध्य ऊँचा सिर किये हुए देखना, भारत माता के पुत्रों-पुत्रियों को सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हुए देखना, भारत को अपने शक्तिशाली अतीत के अनुरूप देखना, जो कि और अधिक शक्तिशाली भविष्य के निर्माण में लगा हुआ है—क्या इस सबके लिए कार्य करना, इसके लिए यातना भोगना, जीवित रहना तथा मरना कोई मूल्य नहीं रखता?'³

20 अगस्त 1917 की घोषणा तथा होम-रूल आन्दोलन का अन्त—20 अगस्त 1917 को भारत मन्त्री मिस्टर माटेयू ने इंग्लैंड की सदन में भारत की शासन प्रणाली के भविष्य के बारे में जो घोषणा की थी, उसका भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं सांविधानिक विकास के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इस घोषणा का विवेचन करने से पूर्व इसके कारणों पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार आज तक भारतीय राष्ट्रीय माँगों को निरन्तर उपेक्षा की दृष्टि में लेती रही तथा आन्दोलन को सदा दमन के द्वारा दबाती रही और यही धारणा व्यक्त करती रही कि भारतवासी स्वायत्त शासन के लिए सर्वथा अयोग्य है, उसी सरकार ने स्वयं भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की।

घोषणा के कारण—(1) इस बीच राजनीतिक घटनाक्रमों की प्रगति इस रूप में होती जा रही थी कि ब्रिटिश नौकरशाही के लिए अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने की नीति अपनाना सम्भव नहीं रह गया था। ब्रिटिश शासन ने भारत में राष्ट्रीय शक्तियों के दवाने के लिए साम्प्रदायिक भेदभाव को प्रोत्साहित करके कांग्रेस की प्रतिगामी स्थिति मुस्लिम लीग स्थापित करवा ली थी। परन्तु 1916 में कांग्रेस-लीग समझौते ने ब्रिटिश नौकरशाही के इस कुचक्र पर पानी फेर दिया था।

(2) कांग्रेस के दोनों दल 1907 में पृथक् हो गये थे और उग्रवादी नेता न केवल कांग्रेस में जनग ही हो गये थे, अपितु उनके नेतृत्व को सरकार ने कुचल डाला था। तिलक छ वर्ष तक जेल में रहे। परन्तु 1916 में पुनः कांग्रेस के दोनों दलों में एकता स्थापित हो गयी थी। नर्म दल

¹ Quoted in Tara Chand, *op cit*, 450

² *Ibid*, 451

³ *Ibid*

का नतत्व समाप्त होकर काग्रस का नतत्व पुन उग्र दन के हाथ म जा गया था और तिनक तथा वसट का हाम रन आगानन अत्यधिक नाकप्रिय होन गमा था ।

(3) महायुद्ध म भारत के राष्ट्रीय नेताआ म स क्लिसा न भी त्रिन् न क युद्ध प्रयासा म अवरोध उत्पन्न नहा किया था प्रत्युन इस आशा स कि यह युद्ध लोकतन्त्र की रथा क लिए किया जा रहा है वगनन् की भरपूर सहायता करने का भारत की जनता म प्रचार किया । 1917 क मध्य युद्ध ऐसी स्थिति म पहुच चुका था कि त्रिटन का भारत की सहायता क बिना विजय की आगा नहा रह गयी थी अत उम भारत की राष्ट्रीय मागा को उपक्षित रखकर भारत से सहयोग तथा सहायता की आगा रगना सम्भव नही था ।

(4) 1914 म जेज त्रिटन ने टर्की क विरुद्ध युद्ध छडा ता इस युद्ध का सचानन भारत सरकार के ऊपर छाड दिया गया था । 1916 म त्रिटिंग सरकार क भारतीय युद्ध कार्यान्वय न यह दायित्व अपन ऊपर लिया । एस युद्ध म जा अकुणतता दर्शायी गयी तथा सनिका को खाद्य मामग्री चिकित्सा-साधन आदि प्रदान करन म जसी असावधानी बरती गयी उसके भीषण दुष्परिणाम सामने आय । अत त्रिटिंग सरकार न एस जकीणतपूण युद्ध-सचानन की जाच के निमित्त एक ममापानामिया अध्याग नियुक्त किया । इम अध्याग क प्रतिबद्धन न भारत की नौकरगही मरकार की जयोग्यता तथा अकुणतता की तीव्र भत्सना की और एस कमी का सारा दायित्व उम पर थोपा । उम समय मिस्टर चम्बरनन भारत मंत्री थ । मिस्टर माटग्यू न जो पहन भारत मंत्री के मसदीय अवर सचिव रह चुके थ मसद म भारत सरकार की एस अकुणतता की घार निंदा की । उहान यहा तक कहा कि यदि त्रिटन भारत म युद्ध काय म सहायता की जावाथा करता है ता उस यह बान ध्यान म रखनी चाहिए कि अब वह समय जा गया है जबकि भारतवासिया का अपन दन का सरकार क ऊपर नियन्त्रण रखन तथा अपने भविष्य का निर्धारण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए । माटग्यू की नम तीव्र आलोचना का परिणाम यह हुआ कि मिस्टर चम्बरनन न भारत मंत्री पद म त्याग पन दे दिया और माटग्यू का भारत मंत्री बनाया गया । माटग्यू भी 1912 म भारत म आ चुके थ । उन भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की मागा के प्रति सहानुभूति थी अत उनके भारत मंत्री पद प्राप्त करने स भारतीय राष्ट्रीय आंदोनन क नताजा के हृदय म आगा की नहर फनी ।

1916 म नाड चम्भफान को भारत का वास्तराय नियुक्त किया गया । उहान भी भारत म जाते ही यह घोषणा की कि त्रिटिंग सरकार की नीति शीघ्रानिशीघ्र भारत का स्वाशासन प्रदान करने की है । एस जवधि म भारतीय राष्ट्रीय आगानन के विविध वर्गों तथा गुन के नेताआ म एकता हा जाने का फन यह हुआ कि कर्णीय विधान परिपद के 19 भर मरकारी निर्वाचिन सन्म्या¹ न एक आवेदन पत्र तयार किया । यह 19 वा स्मरण-पत्र भी साविधानिक विकास के इतिहास म एक महत्वपूण प्रवेव है । इसके प्रमुख नता दीनगा वाचा मन्मभोहन मानवीय तजबहादुर सप्र मुहम्मदअनी जिना आहीम रहीमतुत्ता आदि थ । एस आवेदन का मागें नगभग उसी प्रकृति की था जो काग्रस नाग समभीने के धन्तगत रखा गयी थी (उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) । इन मागा क जतगन इण्डिया कौंसिल की समाप्ति प्रान्तीय स्वशासन विधान परिपटा तथा कायकारी परिपटा म निर्वाचिन सन्म्या के बहुमत केर्णीय एव प्रान्तीय सरकारा म उत्तरदायी शासन स्थानीय स्वायत्त शासन के विनास एव सना म भारतीय सनिका को अग्रज सनिका के तुय सुविधा देने की गतें रखी गयी थी ।

घोषणा—20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मिस्टर माटग्यू न भारत म त्रिटिंग सरकार की उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति को ससप्त भ घोषित किया । घोषणा इस प्रकार थी

1 इम शेषी के सन्म्या की कुन सन्म्या 27 थी त्रिपम स तान सन्म्य अनुपस्थित थे तीन सन्म्या ने इस घोषणा पर हस्ताभर नना किये और दा आगन भारतीय सन्म्या म स्पष्टन (उनक बिरोध का आभाम करन हुए) को बरामर्श नही किया गया ।

‘सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है, प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों के अधिकाधिक सहचार को बनाये रखने, तथा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग मानते हुए वहाँ उत्तरदायी शासन की प्रगति के निम्न स्वायत्तशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने की है। अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस दिशा में जितनी जल्दी सम्भव हो वास्तविक कदम उठाये जाने चाहिए।’

इस घोषणा के साथ-साथ भारत मन्त्री ने यह मत भी व्यक्त किया कि इस नीति का कार्यान्वयन सीढ़ी-दर-सीढ़ी सम्पन्न होगा और ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार इन विकासक्रमों का जायजा लेते हुए निश्चित करेगी कि कब कौनसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर भारत की जनता के कल्याण का दायित्व है।

श्रालोचना—राष्ट्रीय आन्दोलन के उपर्युक्त घटनाचक्र तथा ब्रिटेन के महायुद्ध में ग्रस्त होने की अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन की नीति के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा करना जहाँ एक महत्त्वपूर्ण विकास था, वहाँ उसकी ईमानदारी पर सन्देह करना भी निर्मूल नहीं था। ब्रिटिश सरकार 1833 से निरन्तर ऐसे आश्वासन देती आयी थी, परन्तु उन पर अमल करना तो दूर रहा, उनकी वस्तुतः पूर्ण उपेक्षा की गयी थी। निस्सन्देह राष्ट्रीय माँगों के सन्दर्भ में भारत में ‘उत्तरदायी शासन स्थापित करने के’ ब्रिटिश सरकार के वायदे में एक नवीनता थी, जिसके बारे में घोषणा में ही यह कहा गया था कि यथाशीघ्र वास्तविक कदम उठाये जायेंगे।’ परन्तु इस घोषणा में भी कई बातें ब्रिटिश साम्राज्यवादी की पुरानी नीतियों से भरी पडी थी। घोषणा में कहा गया था कि भारतवासियों के कल्याण का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर है, यह नहीं कि भारतवासी स्वयं अपने भाग्य-निर्माता हैं। साथ ही उत्तरदायी शासन की दिशा में कब कौनसे कदम उठाये जायेंगे उनका निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी, अर्थात् भारतीयों के लिए कब कौनसी चीज वाछनीय है उसका निर्धारण इंग्लैण्ड की ससद करेगी। यह धारणा राष्ट्रीय आन्दोलन की उन समस्त घोषणाओं के प्रतिकूल थी, जो स्वराज्य को भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार कहती थी। फिर भी यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी की नीयत से इस घोषणा पर अमल करती तो इसे पुरानी नीतियों के ऊपर एक सुधार माना जा सकता था। इसी आशा पर इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया था।

माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट—20 अगस्त 1917 को घोषणा के उपरान्त मिस्टर माटेग्यू भारत आये और भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के साथ भविष्य में भारतीय साविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया। भले ही माटेग्यू के हृदय में भारत के प्रति सहानुभूति तथा उत्साह रहा हो, परन्तु शासन नीति के निर्धारण में एकमात्र उन्हीं का हाथ नहीं था। अतः जिन आशाओं तथा उत्साह को लेकर वे भारत में पवारे थे, वे कालान्तर में क्षीण भी होती गयी, क्योंकि उन्हें भारत के भविष्य की साविधानिक योजना को तैयार करने में ब्रिटिश नौकरशाही पर भी निर्भर रहना पडा। फिर भी उनकी भारत-यात्रा का प्रभाव यह हुआ कि भारत में ऐनी बेसेट की नजरबन्दी से जो असन्तोष उत्पन्न हुआ था, वह कम हो गया। उनकी नजरबन्दी समाप्त कर दी गयी। साथ ही स्वयं उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया उन्होंने आन्दोलन की उग्रता को कम कर दिया और सत्याग्रह का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार महायुद्ध के काल में माटेग्यू को भारत में व्याप्त असन्तोष को कम करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई।

1919 के शासन सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि

20 अगस्त की घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से भारत की शासन-व्यवस्था में भविष्य में सुधार करने के निमित्त मिस्टर माटेग्यू ने भारत के वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के महवार में एक योजना निर्मित की जिसे माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। 1919 के

भारतीय शासन सुधार अधिनियम का आधार यही रिपोर्ट थी। परन्तु 1919 के शासन सुधारों की याजना का एकमात्र आधार यही रिपोर्ट नहीं है प्रत्युत इस याजना की रक्षा पहल ही निर्मित हो चुकी थी जिसमें एक शासन की राजनीतिक टम्टामेट कहानी है। 1915 में बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रिपॉर्ट ने शासन में भारत के भावी सांविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करने की मांग की थी। यद्यपि शासन अस्वस्थ था तथापि उहाँ एक योजना की रूपरेखा तैयार की थी और जकारिया के शासन में यही याजना माट्यू चम्सफोर्ड सुधारों का साराण थी। दूसरे काग्रस नीम याजना को जब सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 19 सन्स्था द्वारा निर्मित स्मरण पत्र के प्रस्ताव भी उक्त सुधार योजना के निर्देशक तत्त्व सिद्ध हुए यद्यपि उसमें की गयी मांगें बहुत सावधानी के साथ ही अपनायी गयीं। नोसर 1919 के सुधार कानून की जो मुख्य विशेषता प्रांतों में अधिशासन प्रणाली की अपनाने की थी उसका सारन ड्यूक आवेदन-पत्र था। सर चार्ल्स ड्यूक बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर थे और 1915 में वे ब्रिटेन में कौंसिल के सदस्य बने। इंग्लैंड में एक गौन मजसुत था जो भारतीय मामलों में बहुत अभिप्रेत रखता था। उसके एक सदस्य मिस्टर कर्टिस ने चार्ल्स ड्यूक से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करने की मांग की थी। ड्यूक की योजना में स्पष्टतया यह बताया गया था कि अब भारत में उत्तरदायी शासन की याजना को कार्यान्वित करने का समय आ गया है परन्तु इसका कार्यान्वयन शासन शासन होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रांतीय शासन में कुछ प्रशासनिक विषया (यथा शिक्षा स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन आदि) पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए परन्तु पुलिस सामान्य प्रशासन सहित महत्वपूर्ण विषया को संगठित रखा जाना आवश्यक है। उक्त जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रखने का समय अभी नहीं आया है। उनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यान्वयन के सन्स्था के परामर्श से करे। हस्तांतरित विषया का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में सौंप दिया गया मंत्रियों के हाथ में रहे और वे मात्रा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों। जब लॉर्ड चम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल बनकर आये तो उहाँ मिस्टर कर्टिस से ड्यूक योजना की मांग का वास्तव में 1919 के शासन सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय अधिशासन प्रणाली का आधार यही याजना थी।

माट्यू-चम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिश—भारत में शासन सुधारों की भावी याजना के सम्बन्ध में माट्यू तथा चम्सफोर्ड ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसका आधार उपर्युक्त सामग्री थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्यतया निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं थीं जिनके आधार पर सन् 1919 का भारतीय शासन सुधार कानून पास किया

(1) यथासम्भव स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में पूर्णतया जन नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से अधिकारों के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रदान की जानी चाहिए।

(2) उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास की प्रथम मंजूर प्रांतीय सरकार होनी चाहिए। उसमें सर्वप्रथम थोड़ा बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का प्रयोग शुरू कर दिया जाना चाहिए और व्यापक परिस्थितियों अनुकूल होती जायें तब तब पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का उद्देश्य रहना चाहिए ताकि प्रांतीय विधायी प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन लागू करने का प्रयास किया जा सके।

(3) जहां तक केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है माट्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट में बतलाया यही सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का और अधिक प्रतिनिध्यात्मक तथा विस्तृत बनाया जाय और उसके अधिकारों में ऐसा विस्तार किया जाय जिससे वह शासन को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रभावित कर सके। इस उद्देश्य से केन्द्रीय विधानसभा के लिए दो सत्रों की स्थापना की सिफारिश की गयी। परन्तु केन्द्रीय सरकार की कार्यकारी परिषद के अधिकारों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई। सत्र में केन्द्रीय सरकार को पूर्णतया

ब्रिटिश समद के प्रति उत्तरदायी रखा गया ।

(4) यह भी सिफारिश की गयी कि उपर्युक्त शासन-सुधारों के सन्दर्भ में भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के ऊपर समद तथा भारत मन्त्री के नियन्त्रण को उसी अनुपात में शिथिल किया जाये, जिन अनुपात में उन्हें उत्तरदायी शासन प्रदान किया जायेगा ।

आलोचना—माटेयू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को घोर अनन्तोष हुआ । प्रान्तीय द्वेष-शासन की योजना ने भारतीय नेताओं की उत्तरदायी शासन की माँगों पर पानी फेर दिया । केन्द्रीय शासन को अनुत्तरदायी रखने की सिफारिश ने उनकी निराशा को और अधिक बड़ा दिया । यद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों की प्रणाली को बनाये रखने की सिफारिश की गयी थी तथापि मुस्लिम लीग भी मन्तुष्ट नहीं हुई । राष्ट्रीय तत्त्वों के विकास को जबरदस्त करने के हेतु नरेन्द्र-मण्डल महान प्रतिगामी शक्ति का सृजन करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गयी थी । इस प्रकार इस रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को बड़ा धक्का पहुँचाया । भारतवामिया ने जिन उत्साह तथा सद्भावना से युद्ध काल में अंग्रेजों की सहायता की थी, उसके बदले में राष्ट्रीय माँगों को नितान्त उपेक्षित रखने की ब्रिटिश साम्राज्यशाही नीति भारत के लिए न केवल असन्तोषजनक ही थी, अपितु अपमानजनक भी थी । चूँकि यही रिपोर्ट 1919 के शासन सुधार कानून का आधार बनी, अतः 1919 के वैधानिक सुधारों से भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में नया मोड़ आना स्वाभाविक था ।

प्रश्न

- 1 प्रथम महायुद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रभाव अंकित ।
- 2 होम-रूल आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिये ।
- 3 नवमूक पैक्ट (1961) की विवेचना कीजिए ।

असहयोग आन्दोलन (NON COOPERATION MOVEMENT)

असहयोग आन्दोलन का अभिप्राय

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 1920 का वर्ष एक नये चरण का गिनाया जाता है। 1905 में कांग्रेस ने अन्दर उदार तथा उग्र दा दना के संज्ञक तथा बीसवा सदी के प्रथम दो दशकों के जनमत राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास एवं ब्रिटिश शासन की दमनकारी और उपक्षायपूर्ण नीतियां नये सिद्ध कर लिया था कि उदारवादी गुट ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने एवं ब्रिटिश शासन के जनमत ही स्वायत्त शासन के अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करने की नीतियों को अस्वीकार करना चाहता था। इसीलिए उग्रवादियों का स्वयं असहयोग की नीति पर तुलना था। साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन का एक बड़ा क्रान्तिकारी तथा जातकवादी कार्यक्रम द्वारा देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहता था। महायुद्ध (1914-1919) की अवधि में राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ नीचा पड़ गया था। उसके नेतृत्व में भी जतर जा गया था। पुराने उदारवादियों में सुरक्षावादी वनर्जी ही प्रमुख नेता शेष रह गये थे। कांग्रेस का नेतृत्व तिनके के हाथ जा चुका था अतः उग्रवादियों का प्रभाव प्रबलता जा रहा था। बाल गान्धान की जातीय जीवन थी। युद्ध की अवधि में महात्मा गांधी भी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की श्रेणी में जा चुके थे। युद्ध काल में उन्होंने भारत की ओर से अग्रजा की हर तरह से सहायता की थी। अतः उन्हें कमरे हिन्द की उपाधि दी गई थी। गांधी जी पर गोखले का प्रभाव बहुत अधिक था। अतः वे भी उदारवादियों की भांति ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने की नीति के समर्थक थे। युद्धकाल में भारत में जिस भावना तथा जगन से अग्रजा की सहायता की थी तथा अग्रजा ने गांधीजी के आश्रय में भारतवासियों का दिया उनके प्रतिफल तथा पूर्ति की भारतवासियों को उत्प्रेरणा के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे।

परन्तु 1919 में जो घटनाएँ घटीं उन्होंने यह सिद्ध कर लिया कि अग्रज लोग मनुष्यमानदारी में असह्यता। प्रत्युत वे राष्ट्रवादी नीतियों को अमानवीय ढंग में कुचलने पर तुल हैं। अतः महात्मा गांधी ने तुरन्त अपना स्वयं बना लिया और उनका नेतृत्व में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने के हेतु अहिंसात्मक सत्याग्रह तथा प्रत्येक कार्यवाही का कार्यक्रम अपनाया। इस प्रकार कांग्रेस जो 35 वर्ष तक राजनीतिक भिन्नता तथा ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने की नीति अपनाती रही थी सन् के लिए इन नीतियों का त्याग कर अहिंसात्मक राजनीतिक सघर्ष तथा असहयोगपूर्ण अवस्था की नीति पर आ गयी। 1920 में तिनके की मृत्यु हो चुकी थी। अतः इसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यथायत्न नेतृत्व पूर्णतया गांधी जी के हाथ में आ गया। राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने पर गांधी जी का प्रथम कार्यक्रम असहयोग आन्दोलन था। इसके पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अर्थात् पूरे 28 वर्ष तक गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बन रहे। अतः असहयोग आन्दोलन से तत्पर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का पूरा काल राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है।

असहयोग आन्दोलन छेड़ने के कारण

जिन परिस्थितियों तथा कारणों में 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग

आन्दोलन प्रारम्भ किया गया वह सक्षेप में निम्नलिखित थे—

(1) कांग्रेस में पुन. विभाजन—1919 के सुधार कानून की भारत में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुईं। नेताओं का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी करते थे, सुधार योजना से सन्तुष्ट था और तत्कालीन परिस्थितियों में जो स्वायत्तता के अधिकार दिये गये थे उन्हें भारतीयों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त समझता था। यह वर्ग ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके इन सुधारों के कार्यान्वयन में भाग लेने का इच्छुक था। स्वयं गांधी जी भी गोखले के शिष्य होने के नाते सुधारों के कार्यान्वयन में सरकार के साथ सहयोग करने की नीति के समर्थक थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उदार सघ (National Liberal Federation) की स्थापना की गयी और यह दल सुधारों के अन्तर्गत सरकार से सहयोग की नीति पर चला। परन्तु 1919 के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासकों ने जिन दमनकारी अमानुषिक व्यवहारों का प्रदर्शन किया (विशेष रूप से जलियावाला बाग हत्याकाण्ड तथा रौलेट एक्ट का पारित किया जाना) उन्होंने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन कर दिया और वे एकाएक सहयोग की अपेक्षा असहयोग की नीति पर तुल गये और चूँकि 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाने पर कांग्रेस का नेतृत्व पूर्णतया गांधी जी पर आ गया था, अतः गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रहे-सहे उदारवादी पुनः कांग्रेस से पृथक् हो गये।

(2) रौलेट एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया—यद्यपि भारत में ब्रिटिश शासकों ने अतीत में राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी तत्त्वों को दवाने के लिए समय-समय पर अनेक दमनकारी कानून पास किये थे, तथापि 1919 के रौलेट एक्ट तथा इस वर्ष के दमनकृत्य नितान्त अवाञ्छनीय एवं अमानुषिक थे। युद्ध काल में सरकार ने विरोधी तत्त्वों को दवाने के लिए भारत रक्षा कानून पास किया था। युद्ध की समाप्ति पर इसे समाप्त हो जाना था। परन्तु देश में विकसित हो रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रान्तिकारिता को पुनः दवाने की नीति सरकार ने अपनायी। अतः न्यायाधीश रौलेट की अव्यक्तता में ऐसा कानून बनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। उसकी सिफारिशों के आधार पर रौलेट के नाम से दो विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया था। इनमें से एक को केन्द्रीय विधान-सभा ने पास कर दिया था, जिसके अनुसार सरकार को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह राजनीतिक विद्रोह को दवाने के लिए विद्रोहियों को बिना न्यायिक सुनवाई किये अनिश्चित काल तक कारावास में रख सकती थी। विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने इसका तीव्र विरोध किया परन्तु फिर भी 17 मार्च 1919 को यह कानून पास हो गया। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी अहिंसात्मक हड़ताल का आह्वान किया। अतएव दूसरा विधेयक पास होने से रोक लिया गया। दिल्ली में यह हड़ताल 13 अप्रैल को मनायी गयी। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गयी। हड़ताल शान्तिपूर्ण रही, परन्तु दो एक स्थानों पर साधारण सघर्ष हुए। जब गांधी जी को दिल्ली व पंजाब में प्रवेश करने से रोककर बन्दी बनाया गया तो इससे देशव्यापी रोप फैला और कई स्थानों पर आन्दोलन की तीव्रता को सरकार ने कठोरता से दबाया।

(3) जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड—इस अवधि में क्रान्तिकारी आन्दोलन का स्थल पंजाब बन रहा था। सरकार को पंजाब की अधिक चिन्ता थी, क्योंकि वह अफगानिस्तान तथा रुम से निकट था, जिनका खतरा अंग्रेजों को मदा रहा था। रौलेट एक्ट के विरोध में आन्दोलन करने वाले दो पंजाबी जनप्रिय नेताओं डा० किचलू तथा डा० सत्यपाल को जब सरकार ने बन्दी कर लिया तो जनता में रोप की आग भड़क उठी। आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र अमृतसर था। पंजाब के उप-राज्यपाल माइकल जो० डायर के आदेश पर ये बन्दियाँ 10 अप्रैल को मारी गयीं थीं। इन बन्दियों के विरुद्ध प्रदग्गनकारी तत्त्वों को बल-प्रयोग द्वारा दबाया गया। गोलियाँ भी चलीं, जिनमें कई व्यक्ति मरे। जनता का रोप अधिक बढ़ा। मृत व्यक्तियों की अन्वेषण के पश्चान् अमृतसर की जनता की एक भीड़ ने कुछ यूरोपियों पर गोली चलायी। उप-गवर्नर ने जालन्धर

○ राष्ट्रीय आन्दोलन/12

सैनिक निराजन के कमाण्डो जनरल डायर से विद्रोह का दवान में मदद मांगी वह तुरन्त सैनिक टुकड़ी सहित अमृतसर पहुँचा। 13 अप्रैल को अमृतसर की जनता सरकार के गांधी-काण्ड के विरुद्ध सभा करने के लिए जतियावाला बाग नामक स्थान पर एकत्र हो रहा थी। जनरल डायर ने इस सभा की मनाही की। परन्तु जनता को इसकी सूचना नहीं मिल पायी। जिन्हें मित्री भा उद्धान परवाह नहीं की। तब जनरल डायर को सूचना मिली कि जनता सभा में इकट्ठी हो गई है तो वह 150 मगसत्र ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों सहित सभा-स्थल पर पहुँचा। यह स्थान नगर के कान्ठ में चारों ओर इमारतों से घिरा है। कबन एक भाग जान का था। रात तीन भाग बढ़ था। यह सभा पूजनया गातिपूजन हान जाती थी। जनता निरास थी। हजारों की सभ्या में रात स्त्रिया बच्चा सहित वहाँ एकत्र थे। रात तथा दानव डायर ने सैनिकों का सभा में एकत्र व्यक्तियों पर गोला चरानों का आगो द दिया। कहा जाता है कि 1650 तक बंदूक के फायर किये गये और तब तक गांधियों जनता रहीं जब तक कि गालिया समाप्त नहीं हो गईं। नगमतापूवक निरीह जनता पर गोला चलानों की निदयता का एसा दृष्टान्त विश्व के इतिहास में सम्भवतः कहीं नहीं मिलेगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मार गये थे तथा 1137 घायल हुए थे। परन्तु वास्तव में यह सभ्या कहा अधिक आकी गई है। हत्याकाण्ड के अजय विवरणा का वर्णन करते हुए किसी का भी नाम नहीं रक जाती है। हत्याकाण्ड के उपरान्त डायर मृतका की रागा का छान कर चला गया। अमृतसर में मांगत कानून लागू किया गया। यहाँ के वास्तविक समाचार दश के अजय भाग में पहुँचने में रकिये गये। किसी भी प्रकार के राप को उसी नगसता के साथ दनाया गया।

परन्तु जब यह खबर दश में फरों ता जनता का रोप तथा दुःख बटना स्वाभाविक था दश की महान् विभूतियों की आर से सश्रम महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कविवर रवी ननाथ टगार की हुई जिहान ब्रिटिश शासका के इस क्रूर कृत्य का देखकर गवर्नर जनरल का निस्त गये एक पत्र के साथ अपनी नाइकहुट (Knighthood) की पदवी वापिस कर दी। सर गकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कायकारी परिषद से त्यागपत्र द दिया।

सरकार ने इस क्रूर हत्याकाण्ड का निरकुन भा गम्भीरता से नहा लिया। दशव्यापी असन्तोष का देगते हुए 6 मास पन्चात् अक्टूबर में हटर कमीशन का निर्माण किया गया। मार्च 1920 में इसकी रिपोर्ट निकली जिसमें जनरल डायर का बचान का प्रयास किया गया और उसके कुकृत्य को निणय नत की भून कहा गया। उसे सेवा से निवृत्त तो कर दिया गया परन्तु साथ ही ब्रिटिश ससद में कुछ सदस्या ने उसकी प्रशंसा सम्बन्धी भाषण तब दिये। उन सम्मान का तनवार तथा 2000 पाउंड की धनराशि भेंट की गई। इंग्लण्ड स्थित शासका ने उसके कृत्य को सम्मानकारी से पूण परन्तु भ्रामक निणय कहा। स्वयं जनरल डायर ने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य भविष्य में एम विद्रोह को रोकने के हेतु आतक उत्पन्न करना था।

परन्तु भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस हत्याकाण्ड को बहुत गम्भीरता के साथ लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस घटना का जाच के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्य की घोर भत्सना का गई। समिति के विचार से मृतका की सभ्या सरकारी रिपोर्ट की अप रक नहा अधिक था। कांग्रेस ने मांग की कि मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों का पयाप्त अधिक सहायता दी जाय और इस हत्याकाण्ड के दोषी अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाय। परन्तु इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अग्रजा के इस रवय से गांधी जी बहुत अमन्तुष्ट हो गये। निसम्बर 1919 तक उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का बना रहा था। परन्तु अब वे असहयोग होत गये और निसम्बर 1920 में वे पक्के असहयोगी बन गये।

✓ (4) खिलाफत आन्दोलन—लाहौर मिण्डा ने भारतीय राजनानि में साम्प्रदायिकता का विप फनाकर भारतीय मुसलमानों का वाग्रस का विरोधी बना लिया था। परन्तु घटनाक्रम ने 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को बहुत कुछ समाप ना दिया था। यद्यपि मुसलमानों का राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक रखने के निमित्त साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनी रही स्वयं कांग्रेस-लीग

समझौते ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, और 1911 के सुधार कानून में भी इसे मान्य किया गया था, तथापि युद्ध की अवधि में भारत के मुसलमान अंग्रेजों से असन्तुष्ट रहे। राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के निमित्त भावी कार्यक्रम में कांग्रेस को मुसलमानों का सहयोग प्राप्त होने का यह सर्वोत्तम अवसर था। अतः मुसलमानों के अमन्तोष में खिलाफत आन्दोलन के साथ कांग्रेस ने भी मुसलमानों का साथ दिया।

खिलाफत आन्दोलन

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में सर सैयद जहमद ख़ाँ के विचारों तथा प्रचारों ने भारतीय मुसलमानों के मानस में पृथकतावादी भावना भर दी थी। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से एक प्रतिगामी संगठन मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया। 1909 के शासन सुधार कानून ने साम्प्रदायिक निर्वाचन रूपी विष फँलाकर भारत की राष्ट्रीय शक्तियों को भारी धक्का पहुँचाया। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने एक नया मोड़ लिया, जो कम से कम थोड़े से समय तक ही सही, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता के मार्ग में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। 1916 में जहाँ एक ओर कांग्रेस के उग्र तथा उदार गुटों में एकता आ गयी, वहाँ कांग्रेस तथा लीग के मध्य भी लखनऊ के समझौते ने एकता का संचार किया। इस समय ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रगम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, और वे इस साम्प्रदायिक एकता को देखकर बहुत क्षुब्ध होते हुए भी इसे तोड़ने की दिशा में कुछ न कर सके। उन्हें युद्ध-प्रयासों के लिए भारतवासियों के सहयोग की अधिक चिन्ता थी जो उन्हें प्राप्त होता आ रहा था।

परन्तु युद्ध में टर्की का प्रवेश भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के लिए चिन्ता का विषय बन गया था। वे टर्की के सुलतान को अपना खलीफा मानते थे और समस्त अरब क्षेत्र में मुस्लिम तीर्थ स्थानों में टर्की के ओटोमन साम्राज्य की सम्प्रभुता बनाये रखना और उन तीर्थ स्थानों की सुरक्षा को गारंटी चाहते थे। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध में टर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगा तो यह भय था कि भारत के मुसलमान अंग्रेज सरकार का साथ दे या टर्की के प्रति निष्ठावान बने रहे। भारत का 'मुस्लिम जनमत इस विषय पर विभाजित था कि कुछ लोग सरकार के प्रति निष्ठावान रहकर उसे युद्ध में मदद देना चाहते थे। कुछ ओटोमन खलीफा के भविष्य के वारे में चिन्तित थे।'¹ प्रथम वर्ग में जिन्ना प्रमुख थे और द्वितीय में अब्दुलकारी, डा० अन्सारी, अजमल खा, अबुल कलाम आजाद आदि थे। ये उलेमा वर्ग के थे। इन्होंने अफगानिस्तान, सीमा प्रान्त तथा अरब देशों में अपने अभिकर्ता इस उद्देश्य से भेजे कि वे टर्की को जर्मनी की सहायता से भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ा जा सके।² कांग्रेस लीग एकता भी अंग्रेजों के लिए चिन्ता का विषय बन गयी थी। अतः अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमा की विश्वास दिया कि युद्ध में अरब के मुस्लिम तीर्थों तथा मेसोपोटामिया को पूर्णतः सुरक्षित रखा जायेगा।

अक्टूबर-नवम्बर 1918 में मित्र-राष्ट्रों के समक्ष जर्मनी तथा टर्की की पराजय हो गयी। नेवर्स में टर्की के साथ अंग्रेजों ने सन्धि की। इसके अनुसार टर्की के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अत्याचारपूर्ण सिद्ध हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा टर्की शासक बना, उसने किसी तरह टर्की को और अधिक बरबाद होने से तो बचा लिया, परन्तु अरब क्षेत्रों में स्थित मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर टर्की की सम्प्रभुता नहीं रही। इस प्रकार मुस्लिम जगत में टर्की के सुलतान की खिलाफत नमाप्त हो गयी। खलीफा पद की ऐसी प्रतिष्ठा-भंगता से उनके प्रति निष्ठावान भारतीय मुस्लिम वर्ग को भारी आघात पहुँचा। 1918 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए

¹ Tara Chand *History of the Freedom Movement in India*, Vol III, 415

² *Ibid*

फजनुत हू न घोषणा की कि हम घटना न भारत म इस्लाम का भविष्य अधकारमय नगता है। विश्व म नहा कहा भी मुस्लिम गक्ति का ह्दाम होगा उसका कुप्रभाव भारत क मुस्लिम मम्प्रदाय क राजनीतिक जीवन पर अवश्य पड़ेगा। उनमा क अय प्रमुख नताओं की भी ऐसा हा भावनायें थी। हम प्रकार भारत क मुस्लिम मम्प्रदाय क धम प्ररित वग के मन म टर्की क खनीफा के प्रति त्रिटेन क त्र व्यवहार के कारण भारत म त्रिष्टि गामन क प्रति भी राय उत्पन्न हा गया। काग्रम नाग ममभौत क फनस्वरूप होम रूत कायक्रम म तीग गामिन हा चुकी था। अधर गिनाफत आन्दोलन का वातावरण तयार हा चुका था।

मिनम्बर 1919 म नखनऊ म एन सम्मनन आयाजित किया गया और उसम एक अखिन भारतीय गिनाफत समिति का निमाण किया गया जिसके अध्यक्ष मठ छाटानी और मंत्री मोताना गौकतअली नियुक्त किये गये। नवम्बर 1919 म दिन्नी म हमरा सम्मनन हुआ जिसम फजनुत हू न सभापतित्व किया। हम सम्मनन म गाधी जी मानीमान नहू तथा मन्ममाहन माननीय जी भा उपस्थित थ। अमन तिन मय गात्री जी को सम्मनन का सभापति चुना गया। गिनाफत आन्दोलन के मुस्लिम वग क साथ गाधी जी तथा काग्रम के मभी उच्चतम नेताओं की पूण सहानु भूति बना रही। यहा तक कि तिनक मानवीय जी तथा नाना राजपतराय सहग कट्टरपथी हिन्दू नेता भी गिनाफत आन्दोलन के समर्थक बन गये। इस प्रकार काग्रम क नतत्व न मुस्लिम धम प्ररित गिनाफत आन्दोलन का हिन्दू मुस्लिम एकता का एन राजनीतिक अस्त्र बनाया। हमम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को पर्याप्त गक्ति प्राप्त हान की जाशा की गयी थी। काग्रम तथा गिनाफत समिति पर्याप्त भातत्व क वातावरण म काय करन गयो। गिनाफत समिति न त्रिष्टि प्रदानमन्त्री तथा वाहमराय के पाम प्रतिनिधि मन्मन भेज और भारतीय मुसलमाना की भावनाओं का टर्की के खनीफा के साथ किये गये अध्याय के विरुद्ध पहुँचाकर उन्हें ठीक करन की माँग की परन्तु उह निराश हाना पना।

अधर महात्मा गाधी न त्रिष्टि सरकार के भारत स्वायत्त गामन की मागा के प्रति उपक्षा पूण रचया अपनात तथा गतिपूण एव सरकार क साथ निरन्तर सहयाग करन वानी जनता को रोन्ट एकट जिनयावाता वाग हत्यानाट ग्रेडि दमनकारी तरीका स व्यवहार करन की नीतिया क विरुद्ध असहयोग आन्दोलन का कायक्रम बना लिया था। जब गिनाफत समिति का भी त्रिष्टि गामन न उपेक्षित गया ता गिनाफत आन्दोलन क नेता भी गाधी जी के असहयोग आन्दोलन क समर्थक बन गये। दाना सगठना न असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया।

कायग्रम—काग्रम तथा गिनाफत समिति क सह नतत्व म गाधीजी क असहयोग आन्दोलन का कायक्रम साथ साथ चला। गाधी जी का कहना था कि यदि हिन्दू जनता मुसलमाना क साथ गौश्वत मित्रता चाहती है ता उस भी इस्लाम क सम्मान की रक्षा के लिए मर गिन्ता चाहिए। इस प्रकार दाना सगठना न जा कायक्रम अपनाया उस गिनाफत काग्रम न अपने कराची अधिवेशन म जुलाई 1921 म निम्नांकित रूप लिया

- (1) गिनाफत मागा की पूर्ति को उपनिध करना
- (2) टर्की की सम्प्रभुता पर क्रिमा भी मर्यादा की अस्वीकृति
- (3) अरब त्राम म स्थित मुस्लिम साथ स्थाना के ऊपर किसी भी गर मुस्लिम नियन्त्रण का जस्वाकाराति
- (4) त्रिष्टि सना म किसी भा मुसलमान द्वारा भर्ती का इस्लाम धम क विरुद्ध मानना और
- (5) भारत म त्रिष्टि गामन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा कायक्रम म काग्रम क साथ सहचार करना तथा यदि त्रिष्टि सरकार टर्की म कार्ड सनिक कायवाहा कर ता भारत म गणतन्त्र की स्थापना के निमित्त पूण स्वतन्त्रता की घोषणा करना।

गिनाफत आन्दोलन क नेताओं न असहयोग आन्दोलन म निष्ठापूर्वक भाग लिया। त्रिष्टि सरकार का दमन चक्र भी तीव्र हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रयासधारिया म सरकार स

कोई अनुदान न प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। जब उन्होंने इस माग को न माना तो आन्दोलनकारियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। उलेमा के नेताओं को बन्दी किया गया। इस प्रकार खिलाफत आन्दोलन ने अमहयोग आन्दोलन को तीव्र बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

आन्दोलन की दुर्बलतायें तथा प्रभाव—यह एक आश्चर्य की बात थी कि भारत के एक धर्म-प्रेरित मुस्लिम वर्ग की अभिरुचि टर्की के सुलतान की मुस्लिम जगत में खलीफा के रूप में सम्प्रभुता बनाये रखने के प्रति इतनी अधिक थी। डा० ताराचन्द के अनुसार 'अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के मुस्लिम देशों के साथ भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति पूर्णतः आदर्शवादी अथवा पूर्णतया अव्यावहारिक थी।'¹ अन्य मुस्लिम देशों के मध्य इस्लामी एकता का आधार अनेक प्रकार के राजनीतिक सम्बन्धों का होना था। जहाँ भारतीय मुसलमान अन्य सम्पूर्ण इस्लामी देशों के मध्य एकता की कामना करते थे, और टर्की के सुलतान को सम्पूर्ण मुस्लिम जगत की धार्मिक सम्प्रभुता (खलीफा) देना चाहते थे, वहाँ यह भी सन्देह है कि विद्व के अन्य मुस्लिम देश भारत के अपने मुस्लिम भाइयों को ऐसी ही दृष्टि से देखते हों। दूसरी ओर स्वयं पश्चिम एशिया तथा अरब के अनेक मुस्लिम देश अपने ऊपर ओटोमन सुलतान के राजनीतिक या धार्मिक प्रभुत्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। स्वयं भारत में सर सैयद सदृश मुस्लिम नेता टर्की के सुलतान को खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार भारतीय मुसलमानों का खिलाफत आन्दोलन कोरा धार्मिक आदर्शवाद था। आन्दोलन को राजनीतिक स्वतन्त्रता आन्दोलन का रूप देना और स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसके माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्वप्न देखना भ्रामक था। फिर भी गांधी जी का मत था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम में खिलाफत आन्दोलन का सहयोग प्राप्त करना मानवीय तथा नैतिक दृष्टि से उचित था। यह सर्कीर्ण अर्थ में राजनीतिक नहीं था, भले ही राष्ट्रीय हितों के स्थायी संरक्षण के निमित्त इसका उपयोग किया गया था।²

भारतीय मुसलमानों का यह आन्दोलन विजयी मित्र-राष्ट्रों, जिनमें इंग्लैंड प्रमुख था, को खलीफा की सम्प्रभुता तथा मुस्लिम तीर्थ स्थानों में उसके नियन्त्रण को बनाये रखने को विवश नहीं कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि जिन मुसलमानों ने युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़कर टर्की में अंग्रेजों को विजयी बनाया उनके नेताओं को अंग्रेजों ने खलीफा के बारे में जो आश्वासन दिये थे, वे पूर्ण नहीं हो पाये। अरब देशों के ऊपर इंग्लैंड, फ्रांस आदि मित्र-राष्ट्रों का प्रभुत्व कायम हो गया। खिलाफत आन्दोलनकारी अंग्रेजों को अपनी नीति बदलने को बाध्य नहीं कर सके।

केरल में जब मोपला विद्रोह खड़ा हुआ तो धर्मान्ध मोपला विद्रोहियों को सरकार द्वारा दमनात्मक तरीकों से कुचलने के प्रयास में उल्टे मोपलों ने वहाँ के हिन्दुओं के ऊपर ही अत्याचार कर दिया। इसके कारण लाला लाजपतराय तथा मालवीय जी को तथाकथित हिन्दू-मुस्लिम एकता में सदेह हो गया। जब चौराचौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया तो खिलाफत आन्दोलन के अनेक नेताओं को गांधी जी के ऐसे रवैये पर ही अनन्तोष होने लगा। स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी से टूट हो गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी तथा सी० आर० दास ने उदारवादी स्वराजिस्ट दल का निर्माण किया और उन्होंने 1919 के सुधार कानून में सरकार को सहयोग देकर उक्त कानून की खामियों को प्रकट में लाने का कार्यक्रम बनाया। अक्टूबर 1922 में कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में गणतन्त्र की स्थापना कर दी गयी। मुलतान को नामवारी खलीफा बनाया गया जिनके हाथ से लौकिक सत्ता छिन गयी। कालान्तर में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार भारतीय मुसलमान खिलाफत नेताओं को घोर असन्तोष तथा निराशा का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार खिलाफत आन्दोलनकारियों को एक ओर तो ब्रिटिश सरकार के दमनचक्रों

का सामना करना पड़ा तो दूसरी आर असह्याग जादानन की वापसी न उनका उरसाह को ठप्प कर लिया और तीसरी आर स्वयं टर्की में हुए विकास क्रम न उनकी आगाआ पर पानी फेर दिया । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के निहाम में खिनाफत आदानन की घटना आन्दोलन की सफरता के माग में एक बड़वा घट मिद्ध हुई । प्रारम्भ में जो हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण इसके कारण बना था वह नम आन्दोलन की असफरता के कारण सत्ता के लिए समाप्त हो गया । डा नारायण के गता में यह स्वाभाविक था कि अत्यधिक भावुक तथा धमाधम खिलाफतिया न अपने उद्देश्य की असफरता के लिए गांधी जी का दाप लिया और जब वे एम सम्प्रदाय से जो उनका राय में उनकी असफरता का कारण था अपन का पृथक रणन का विचार करने लगे ।¹ भारतीय मुसलमानों के लिए तत्कालीन मदभ में खिनाफत की समस्या मुख्य थी स्वायत्त शासन की मांग गीण । वास्तव में धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित आंदोलन राजनीतिक उद्देश्य का सफर नहीं बना सकता था । गांधी जी की राजनाति धर्म नतिकता तथा मानवतावादी सभा कुछ हो सकती है परंतु यह उनकी भूल थी कि उन्होंने एक धर्मा ध आन्दोलन को राजनाति का अस्त बनाया जो भावी कायम के निमित्त पूणतया विराधी मिद्ध हुआ । खिनाफत आन्दोलन की असफरता न भारतीय मुसलमानों के एक वग की पृथक राष्ट्रीयता की भावना से भर दिया और वाप की अवधि में एक बार पुन ब्रिटिश शासक का साम्प्रदायिक पापकथ का उकमाने तथा उमका लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया ।

काग्रस द्वारा असह्याग आन्दोलन की स्वीकृति

स्पष्ट है कि 1919 के सुधार कानून से उत्पन्न असंतोष रीत एफ जिनयावाना वाग हत्याकाण्ड तथा खिनाफत आदानन न काग्रस के उग्रवादी तथा प्रगतिवादी वग को ब्रिटिश सरकार से असह्याग करने की नीति अपनाते के लिए विवग कर दिया था । उस समय काग्रस का नतत्व उग्रवादा नेताओं के हाथ में था । जगस्त 1920 में निरंक की मृत्यु हो जाने पर काग्रस का पूण नतत्व गांधी जी के हाथ में आ गया । मिनम्बर 1920 में कनकत्ता में काग्रस का विंगप अधिवेशन हुआ । यद्यपि उस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असह्याग आदानन के प्रस्ताव को काग्रस के विंगप बन्धन का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सी आर दास राजपत राय मानवीय जी विपिन चन्द्र पान जिन्ना तथा गनी बमट इसके समर्थन में नहीं थे । तथापि थान से बहुमत से यह पाम हो गया । बाद में मिनम्बर 1920 के काग्रस के नियमित नागपुर अधिवेशन में काग्रस न एक विंगप बहुमत से उनकी पुष्टि कर दा ।

इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय काग्रस का 1920 का नागपुर अधिवेशन काग्रस के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसके पश्चात् काग्रस की राजनातिक भिनावृत्ति की नीति सत्ता के लिए समाप्त हो गई और उसका स्थान अहिंसात्मक सधप न लिया । उससे पूर्व काग्रस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत स्वायत्त शासन प्राप्त करना था । अब उसका उद्देश्य एम स्वराज्य की प्राप्ति करना हो गया जो यदि सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर लिया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो उससे बाहर रहकर । अब काग्रस अपन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवन बधानिक साधना के अवलम्बन करने तक सीमित नहीं रही । मन्तमा गांधी मत्याग्रह का सफर प्रयोग दक्षिण अफाका में कर चुके थे अन मत्य तथा अहिंसा पर उनका अदूट विश्वास हो चुका था । उनके नतृत्व में काग्रस की कायविधि अहिंसात्मक मत्याग्रह की घापित की गया । इस हेतु काग्रस न अपन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ममस्त गाल्निपूण तथा औचित्यपूण साधना को

प्रयुक्त करने का सकल्प किया। कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसे अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मात्र वैधानिक साधनों से सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अतीत में ऐसे साधनों से उसे कोई लाभ नहीं हुआ था।

असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम

कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास करने के साथ-साथ अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता से निम्नांकित कार्यवाही करने का आह्वान किया, जो असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम की सूचक है—

- (1) समस्त पदवियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना,
- (2) स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के नामांकित पदों से त्याग-पत्र देना,
- (3) सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित तथा उनके सम्मान में किये गये उत्सवों का बहिष्कार,
- (4) सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को रोकना,
- (5) वकीलों तथा वादी-प्रतिवादियों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार,
- (6) मेसोरोटामिया में भारतीय सैनिक सेवाओं की प्रविष्टि का विरोध,
- (7) 1919 के कानून द्वारा सगठित की जाने वाली परिपदों के लिए उम्मीदवारी तथा मतदान करने का बहिष्कार।
- (8) विदेशी माल का बहिष्कार,
- (9) राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओं की स्थापना तथा उनका अधिकाधिक उपयोग,
- (10) लोक न्यायालयों की स्थापना से उनमें पचायती निर्णयों से विवादों को हल कराना,
- (11) हथ-करघा तथा कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा स्वदेशी माल का उपयोग,
- (12) साम्प्रदायिक एकता का विकास,
- (13) छुआछूत के भेदभाव का अन्त करना, तथा
- (14) सर्वत्र अहिंसात्मक ढंग से आचरण करते हुए उक्त कार्यक्रम को सम्पन्न करना।

गांधी जी का विश्वास था कि यदि यह कार्यक्रम ईमानदारी तथा सच्ची भावना से कार्यान्वित किया जाय तो भारत एक वर्ष की अवधि में स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। असहयोग आन्दोलन का यह कार्यक्रम पहले के स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन का ही विकसित रूप था। इसके दो पक्ष थे। एक ओर यह ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने के तरीकों को बताता है, और दूसरी ओर यह उन रचनात्मक कार्यों पर जोर देता है जो बहिष्कार तथा असहयोग के फल-स्वरूप होने वाली रिक्तता को भरने में सहायक सिद्ध हों।

आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन कैसे प्रारम्भ किया जाय, यह बात नयी नहीं थी। 1919 में रौलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के विरुद्ध जनता विरोध कर चुकी थी। कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन की घोषणा करते ही 1919 के सुधार कानून के अनुसार होने वाले चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार अलग-हो गये। 1921 के प्रारम्भ से ही आन्दोलन के कार्यक्रम पर अमल होने लगा। मतदाताओं तक नें बहुत बड़ी सग्या में मतदान का बहिष्कार किया। गांधी जी तथा अन्य नेताओं ने अपनी कैमरे-हिन्द की पदवियाँ वापिस कर दी थीं। बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बन्द कर दिया। अनेक महान् नेताओं, यथा सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, वल्लभभाई पटेल आदि ने बकालत करना छोड़ दिया। विदेशी माल का बहिष्कार बड़ी द्रुत गति से होने लगा। न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। यह सब शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक ढंग से हुआ। दूसरी ओर देश के अनेक

घनी व्यक्तियां न (संठ जमनालाल बजाज प्रभृति) बहिष्कार के फलस्वरूप हानि भोगने वाला को सहायता दी। दश मं बरखा उद्योग द्रतमनि स फना अतक राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाया (कान्ता विद्यापीठ विहार विद्यापीठ तिनक महाराष्ट्र विद्यापीठ राष्ट्रीय कानज नाहीर जामिया मित्रिया दिल्ली अलौगढ राष्ट्रीय मुस्लिम वि विविद्यालय जादि) की स्थापना की गयी। सिट्ट मुस्लिम एकता जिम रूप म इस वाच विकसित हुई बसी कभा नहा हो पायी। छुआछत की बुराई का नान भी जनता को होने लगा।

इस आन्दोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण विंगपना यह थी कि यह आन्दोलन प्रारम्भ क राष्ट्रीय आन्दोलन की भांति था—से शिक्षित वर्ग तक सीमित नहा रहा अपितु यह आम जनता का आन्दोलन बन गया सिद्ध मुस्लिम एकता न इस जोर अधिन प्रभावगानी बना दिया। थापे स ब्रिटिश राजभक्त उदारवादी तथा निहित स्वाय वात वर्ग इसके विरुद्ध रत्। परतु जहा तक इसके असह्यागात्मक भाग का सम्बन्ध था उसक प्रचार तथा संचालन म पूण शक्ति तथा अहिंसा सम्भव नहीं थी। सरकार इस दमन पर तुनी थी। अत ह्यु पुट हिंसात्मक घटनाया का हा जाना भी अस्वाभाविक नहीं था। दूसरी जोर काग्रस द्वारा असह्याग का परिणाम यह हुआ कि उदार वाि या की चन पनी। विधानमभाजा म उह पर्याप्त स्थान प्राप्त हा गय। सरकारी-यत्र क विषय या डावाटोन होन की स्थिति नहीं आ पाइ। परतु सरकार की यग्रता बहुत बढ गयी।

सरकार द्वारा दमन—यद्यपि आन्दोलन शक्तिपूर्ण ढंग स विशाल पमान म चल रहा था तथापि सरकार का इसकी नाकप्रियता तथा सफलता चिन्तित बाने लगी। निस्संदह आन्दोलन का प्रचार करन से नताजा को सरकार विरोधी धारणाए व्यक्त करनी पडा अत सरकार न यह तय किया कि आन्दोलन को कुचन जाय। क्रांतिकारी सभाया क उपर कानून द्वारा रोक लगा दी गयी। सरकार ने वन प्रयाग द्वारा आन्दोलन को दबाना प्रारम्भ किया। असक निण उमका प्रथम चरण अनी प्रबुआ को बदी करने स प्रारम्भ हुआ। उनके उपर यह आरोप था कि उहान सरकार विरोधी प्रचार कके जनता को हिंसात्मक कायबाहा करन के निण प्रोत्साहित किया है।

नवम्बर 1921 म प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा हान वाली थी। सरकार चाहती थी कि राजकुमार के प्रति भारतवासी पूण राजभक्ति व्यक्त करें। परतु काग्रस न राजकुमार के स्वागत का भी बहिष्कार किया क्याकि सरकार की दमन नीति तथा अनी प्रबुआ का मुक्त न करने की हठधर्मिता काग्रस का माय नहीं थी। इससे सरकार का रोप और अधिक बन्। इस वाच मनावार म मापाता विद्रोह ने सरकार को खिनाफत आन्दोलन क प्रति भी र्ण कर लिया था। मापाता विद्रोह म अनेक यूरोपीय तथा हिंद भी मार गये थ। सरकार न इसका आरोप अनी-य घुआ पर लगाया और उह बदी बनाय रही। सरकार के दमनचक्र के कारण काग्रस काय समिति न यह तय किया कि जिस दिन राजकुमार बम्बई पहुच उस दिन नगर म पूण हत्ना करनी जाय। सरकार न बहिष्कार करन वाला तथा हत्तानिया का दमन की काशिंग की। परतु स्वयसबक सभा के विकास को बह नहीं रोक सकी। कई स्थान पर हिंसात्मक दमन भी किया। जनता की ओर से हिंसात्मक कार्यों के करने की गाधी जी न निंदा की। सरकार न काग्रस तथा खिनाफत समिति सहित अनेक स्वयमेधी सगठना को जबघ घोषित कर दिया। पुनिस न भी आन्दोलनकारिया को दवाने म हिंसा का प्रयाग किया। आन्दोलन तीव्र हाता गया और दिसम्बर 1921 तक सरकार न सी आर दास मोनीनाल नहरू नाजपतराय मौनाना जाजाद आदि प्रभुय नताया को बदी कर लिया। हजारे की सख्या म अय सत्याग्रही भी बनी कर निय गय।

दिसम्बर 1921 म प्रिंस आफ वेल्स का कत्ता पधारन वाल थ। सरकार न पुन काग्रस म सह्याग चाहा। परन्तु काग्रस राजी नहा हुइ उसन अना बधुआ को मुक्त करन की गत रखी जो सरकार का अमाय थी। अधिकाग उच नता जनता म थ। गाधी जी का ही सरकार न अनिण सुना रखा कि उह बदी करन पर आन्दोलन और अधिक तीव्र हो जायगा। काग्रस न भी उहा क उपर आन्दोलन क संचालन का पूरा भार हाट लिया था।

आन्दोलन का स्थगित किया जाना—असहयोग आन्दोलन अपने कार्यक्रम के अनुसार अधिकांशतः सफलतापूर्वक तथा पर्याप्त प्रभावशाली ढंग से चल रहा था। इससे ब्रिटिश शासकों की चिन्ता बढ़ती गयी। अतः उन्होंने इसे अधिक लोकप्रिय बनाने से रोकने में कोई कमी नहीं रखी। आन्दोलन का एक भाग क्रान्तिकारी अवश्य था, परन्तु कार्यक्रम का उद्देश्य अहिंसात्मक था। परन्तु ऐसी सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक जन-आन्दोलन जिसे सरकार बल-प्रयोग द्वारा दबाने पर तुली हुई थी, पूर्णतः अहिंसात्मक ही चल पायेगा। सरकार ने इसे दबाने में जिस उग्र दमन की नीति को अपनाया था, उससे आन्दोलनकारियों के उग्र वर्ग में थोड़ी-बहुत हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। गांधी जी को छोड़कर शेष सभी बड़े-बड़े नेता जेलों में थे। अतः दिसम्बर 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में आन्दोलन को और अधिक तीव्र करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके साथ सविनय अवज्ञा को भी जोड़ा गया। गांधी जी ने फरवरी 1922 में गवर्नर-जनरल को एक पत्र लिखकर उसमें सरकार को 7 दिन का समय यह विचार करने के लिए दिया कि वह दमन की नीति को छोड़े, अन्यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परन्तु इसी बीच गोरखपुर जिले के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक काण्ड हो गया। एक क्रुद्ध आन्दोलनकारी भीड़ ने एक थानेदार तथा 21 पुलिस के सिपाहियों को बलात् थाने में बन्द करके उन्हें जीवित जला दिया। इस घटना में महात्मा गांधी को बड़ा दुःख हुआ। उनके अहिंसा के सिद्धान्त से आन्दोलन सर्वथा प्रतिकूल था। अतः तुरन्त उन्होंने असहयोग आन्दोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।

स्थगन की प्रक्रिया—असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने के गांधी जी के आदेश का कांग्रेस तथा मुसलमानों दोनों ने विरोध किया। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं के मत से जब आन्दोलन अपना चरम सीमा पर पहुँच चुका था, तो उस समय एकाएक उसे वापिस ले लेना बुद्धिमानी नहीं थी। यद्यपि आन्दोलन की अवधि में खिलाफत प्रश्न को लेकर हिन्दू-मुस्लिम एकता सुहृद हो चुकी थी और मुसलमान भी आन्दोलन में शामिल थे, तथापि वे राजनीति में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त से सहमत नहीं थे। अतः आन्दोलन के स्थगन से वे रुष्ट हो गये। यद्यपि उस समय आन्दोलन के स्थगन का विरोध किया गया था तथापि गांधी जी का निर्णय सर्वथा अयुक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता। ज़ौरीचौरा काण्ड की सी घटनाएँ अन्यत्र भी घट सकती थीं। जो सरकार अहिंसात्मक आन्दोलन को बल-प्रयोग से दबाने पर तुली थी, वह हिंसात्मक घटनाओं को और अधिक रफ्तार से कुचलती। इसका परिणाम यह होता कि क्रान्ति भी हिंसात्मक होती जाती। उच्च नेताओं के कारावास में होने के कारण आन्दोलन का सही नेतृत्व नहीं हो पाता। अतः इस सबका परिणाम भयावह होता। परन्तु तत्काल गांधी जी के ऐसे निर्णय का बहुत विरोध हुआ। जेलों में बन्दी नेताओं ने भी इसे अनुचित माना। साथ ही कांग्रेस के उग्र तथा प्रगतिशील तत्त्व तो स्थगन से बहुत रुष्ट हुए।

दूसरी ओर सरकार इससे बहुत लाभान्वित हुई। सरकार का प्रथम कदम यह रहा कि उसने गांधी जी के विरुद्ध उत्पन्न राष्ट्रवादी रोष का लाभ उठाकर मार्च 1922 में उन्हें बन्दी करके उनके ऊपर अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी। अभी तक सरकार ऐसा साहस नहीं कर सकी थी। अभियोग में गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने शासन विरोधी अभियान शुरु किया था। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जेल से छूटने पर वह अपने तथा भारत की जनता के न्यायोचित अधिकारों की माँग के समर्थन में पुनः यही कार्य करेंगे। उनकी यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक थी। गांधी जी को न्यायालय ने छ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया। परन्तु दो वर्ष पश्चात् 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। सम्भवतः अब सरकार के समक्ष बहुत गम्भीर समस्या नहीं थी। आन्दोलन शान्त हो चुका था गांधी जी का विरोध भी बहुत हो रहा था। उनके कारावास

काल की अवधि में परिस्थितियाँ भी बतल चुकी थी। विनाफन आन्दोलन समाप्ति पर था काग्रस न कौमिन् प्रवेश की नीति अपनायी थी। इसलिए भी सरकार को उह जन से मुक्त कर देने में कोई हानि प्रतीत नहीं हुई।

असहयोग आन्दोलन का प्रभाव

कई परिस्थितियाँ के कारण असहयोग आन्दोलन वाञ्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। गांधी जी का आशावाद समयाचित नहीं था। जमा नेताजी मुभापचर का मत है गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा करना न केवल अविवक्षणीय था अपितु उल्हा का मा आशावाद था।¹ आन्दोलन का सघषात्मक पक्ष अहिंसापूर्ण ढंग में संचालित हो सकना सम्भव नहीं था। जो सरकार जनियाराता वाग जमी अमानवाय घटनाओं के लिए उत्तरदायी अधिकारी जनरल गायर के हृदय को एक मामूली भूत बनाकर उस सम्मान प्राप्त कर सकती थी उससे यह आशा करना कि वह अहिंसात्मक आन्दोलन के समक्ष झुक जायगी या सामाज्य रूप के विरोध तक का कुचलन में हिंसा का अवलम्बन नहीं करेगी एक भूत थी। हिंसा प्रतिहिंसा को उत्पन्न करती है। जग सरकार न आन्दोलनकारियों के विरुद्ध दमन की नीति अपनायी, बहा आन्दोलन कारियों का हिंसा की ओर झुकाव हो जाना अवाभाविक नहीं हो सकता था। एसा स्थिति में आन्दोलन का स्वरूप ही बतल जाता और वह अहिंसात्मक नहीं रह जाता। इस आन्दोलन की एक बलुन बनी शक्तता यह थी कि इसके साथ विनाफन आन्दोलन का संयुक्त किया गया था। असहयोग आन्दोलन पूणतया राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन था जबकि विनाफन आन्दोलन भारतीय मुसलमानों का टर्की के सुतान के समर्थन में एक विगुद्ध रूप में धार्मिक आन्दोलन था जिसका भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता से कोई सम्बन्ध नहीं था। टर्की की खरीफा सम्बन्धी समस्या दूसरे तय से हल हुई। बहा कमान पाशा के नतृत्व में घमनिरपक्ष गणतन्त्र राय कायम हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय घम प्ररित मुसलमानों का विनाफन आन्दोलन स्वयं ठण्टा पण गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि स्वयं टर्की की जनता भारतीय मुसलमानों के विनाफन आन्दोलन को एक मजाज समझती रही थी। अतः यही विनाफन आन्दोलन समाप्ति की ओर आया त्योहा मुसलमान असहयोग आन्दोलन अथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से ही असहयोग करने लग गये। उनकी साम्प्रदायिकता की भावना पुन बल गयी। स्वयं अनेक मुसलमान भी राजनीति तथा अहिंसा के मन्त्र को साम्य नहीं देखते थे। परिणाम यह हुआ कि गन पाँच या छ वर्षों की अवधि में काग्रस तथा नीग में जो ऐक्य का वातावरण बनने लगा था वह पुन सग के लिए समाप्त हो गया। 1921 में मनावार के मोपना विरोध न हिन्दू मुस्लिम नेत्र भाव का और अधिक बल दिया और असहयोग आन्दोलन की समाप्ति पर पुन कई स्थानों में हिन्दू मुस्लिम दगे प्रारम्भ हानि लग गये। इस दृष्टि में भी असहयोग आन्दोलन की सफलता सिद्ध नहीं हो पायी।

परन्तु इन कमियाँ के हानि हुए भी इस आन्दोलन का पूणतया असफल नहीं बल जा सकता। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में इस आन्दोलन के प्रभाव का अमाय नहीं कहा जा सकता। यद्यपि गांधी जी से पूर्व निरन्तर न राष्ट्रीय आन्दोलन को जनता न आन्दोलन बनाने का प्रयास किया था तथापि गांधी जी के इस आन्दोलन न जिस विद्यत् प्रवाह से इस तुरन्त दग की आम जनता का आन्दोलन बनाने में सफलता प्राप्त की वह श्रय तो निरन्तर तक को कभी गण्य नहीं हो सकता था। निरन्तर की स्वराज्य की धारणा को दग के कोन कान में फरान का काय इस आन्दोलन न किया। यहिद्वार तथा स्वतन्त्र आन्दोलन को इसन व्यापक रूप में रचनात्मक बनाया। विशाल संख्या में चरखा तथा हथकरघा का निमाण हुआ। दग भक्त बनाया तथा जनता के गानों का उपयोग करने का सक्ल न किया। इस प्रकार इस आन्दोलन ने जनता

को आत्मनिर्भर तथा स्वदेशी का पाठ पढाया। इसने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नयी दिशा प्रदान की। अब मे राष्ट्रिय नेताओ को यह विश्वास हो गया कि केवल वैधानिकतावाद का अवलम्बन करके स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारो की माँग पूर्ण नही हो सकती। इसके लिए सघर्ष करना पडेगा। अब जनता मे यह विश्वास बढने लगा कि शासन की बुराइयो के विरुद्ध आवाज उठाना तथा अन्यायपूर्ण शासकीय कानूनो एव आदेशो का विरोध करना अनुचित नही है।

असहयोग आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को इतना जनप्रिय बना दिया कि अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारो की माँग करना केवल थोडे से शिक्षित वर्गो का विशेष हिन नही रह गया। अर्थात् अब जनसाधारण भी निर्भयता के साथ सरकार के दमनकारी कार्य-कलापो का सामना करने के लिए तत्पर हो गये। सरकार की बुराइयो को खुले रूप से व्यक्त करने का साहस जनता मे बढने लगा। राजनीतिक कारणो पर जेल जाना जनता के लिए एक प्रकार की तीर्थ यात्रा सी हो गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय नेताओ का उत्साह भी बढने लगा। अब उन्हे आन्दोलन के लिए जन-सहयोग प्राप्त होने का पूरा आश्वासन मिलने लगा। देश के स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता के लिए यह चीज सबसे अधिक वाछनीय थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे यह सबसे पहला अवसर था जबकि आन्दोलन राजनीतिक भिक्षावृत्ति तथा वैधानिकतावादी तरीको को छोडकर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप मे परिवर्तित हो गया। ऐसा अनुभव कांग्रेस के नेता तभी करने लग गये थे, इसलिये उन्होने गाधी जी के आन्दोलन को स्थगित करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण माना था। परन्तु सम्भवत गाधी जी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। भले ही आन्दोलन छोडने के सम्बन्ध मे उनके कुछ साधन समयोचित अथवा पूर्णतया सही न रहे हो, तथापि आन्दोलन मे हिसा का तत्त्व आ जाने पर उसे स्थगित करना उनका युक्तिपूर्ण निर्णय ही कहा जा सकता है। यदि सरकार भी हिसापूर्ण दमन की नीति अपनाती और हिसा-प्रतिहिसा का वातावरण फैल जाता, तो भारत की जनता उस समय उन समस्त साधनो तथा क्षमताओ से युक्त नही थी कि वह ब्रिटिश शासन को उखाड फेकने मे समर्थ हो जाती। 1942 के पश्चात् की घटनाएँ तक इस तथ्य की साक्षी है कि उस समय जब ब्रिटेन बहुत अधिक निर्बल हो चुका था, तब उसने 'भारत छोडो' आन्दोलन को दबा लेने मे पूरी सफलता प्राप्त कर ली थी, 1921-22 मे तो वह और अधिक सुदृढ थी, इसलिये इस आन्दोलन को दबाना उसके लिए बहुत कठिन बात नही होती।

आन्दोलन स्थगन के उपरान्त गाधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य रखा। वह सफल होता या न होता, परन्तु इसी बीच उन्हे बन्दी कर लिया गया। उधर उदारवादियो ने पुन कौन्सिल प्रवेश की नीति अपनाकर असहयोग आन्दोलन को दुर्बल बना दिया। 1921-24 की अवधि मे उनके सहयोग से 1919 के अधिनियम को कार्यान्वित करने मे सरकार सफल हो गयी। इस अवधि मे उदारवादियो ने कई नये कानूनो को पारित कराने मे सफलता प्राप्त कर ली। साथ ही सरकार भी उनकी माँगो के फलस्वरूप 1919 के शासन-सुधार कानून की कमियो को दूर करने की दिशा मे प्रवृत्त हो चुकी थी। अत इन परिस्थितियो के सन्दर्भ मे अब कांग्रेस को राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी कार्यक्रम को नये ढग से निर्मित करने की आवश्यकता थी।

प्रश्न

- 1 - उन परिस्थितियो पर प्रकाश डालिए जिन्होंने 1920 मे गाधी जी के नेतृत्व मे असहयोग आन्दोलन को जन्म दिया।
- 2 - खिलाफन आन्दोलन से आप क्या समझते ह ? क्या आपकी राय मे खिलाफन के साम्प्रदायिक प्रश्न को राष्ट्रीय आन्दोलन की माँगो मे स्थान देना उचित था ?
- 3 - असहयोग आन्दोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पडा ?

स्वराज्य दल का स्थापना

हिंदी भी जन-संगठन का उद्देश्य एक हाते हुए भी उसके सदस्यों के मध्य साधना तथा कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में मतभेद होता ही है। एक विनाश-देश-यापी राजनीतिक दल के सम्बन्ध में यह बात और अधिक तथ्यपूर्ण है। प्रारम्भ से ही कांग्रेस के अतन्त्र नेताओं के मध्य ऐसे मतभेद चल रहे थे। 1905 में इन मतभेदों के कारण कांग्रेस के दो दल बन गये थे। दोनों में 1916 में समझौता हुआ जाने पर भी 1919 में पुनः कई नए कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने उदारवादी संगठन का निर्माण करके 1919 के सुधार कानून के अतन्त्र कौन्सिल प्रवेश का कार्यक्रम अपनाया था। जो नेता कांग्रेस में बने रहे उनके मध्य भी मतभेदों की प्रक्रिया एक अनोखे ढंग की सिद्ध हुई। प्रारम्भ में गांधी जी सरकार के साथ सहयोग की नीति चाहते थे और चित्तरंजन दास इसके विरोधी थे। मोघल ही धारणा विकृत होती ही गयी। गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव सितम्बर 1920 के विनाश अधिवेशन में थोड़े से बहुमत से ही पास हो सका था। 1922 में असहयोग आन्दोलन के स्थगन के परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यक्रम में पुनः रिसूना आ गयी। गांधी जी के कारावास के कारण वह रिसूना और अधिक बढ़ गया। अब जो नेता दूर गये वे उन्हें नवी कार्यक्रम तयार करना था। इनके अतन्त्र प्रमुख चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू राजगोपालाचारी अबुलकलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू आदि थे। विनाश आन्दोलन की समाप्ति हो जाने पर अनेक मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस कार्यक्रम से हाथ खींच लिया और वे पुनः साम्प्रदायिकता की नीति का अनुसरण करने लगे थे।

1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में सी. आर. दास मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस कार्यक्रम का विरोध किया। परन्तु राजगोपालाचारी सहित नए गांधीवादी कार्यक्रम में परिवर्तन के विरोधी बन रहे। अतः चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक नये स्वराज्य-दल का निर्माण किया। 1923 के जनवरी में 1919 के शासन सुधार अधिनियम के अतन्त्र द्वितीय आम चुनाव होने वाले थे। अतः स्वराज्य दल के नेताओं ने इन निर्वाचनों में भाग लेकर कौन्सिल प्रवेश द्वारा अदर से 1919 के शासन सुधार कानून के कार्यान्वयन को अवरोध करना अपना उद्देश्य बनाया। 1923 के सितम्बर मास में मोतीलाल अबुलकलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विनाश अधिवेशन द्वितीय में हुआ जिसमें कौन्सिल प्रवेश के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत रूप से स्वीकार कर लिया। फरवरी 1924 में जब महात्मा गांधी जन से दूर ना के स्वराज्य दल की कौन्सिल प्रवेश की नीति से सन्तुष्ट नही हुआ। साथ ही उन्हें यह भी समाधान हुआ गया था कि पुनः असहयोग आन्दोलन की लड़ाई में प्रत्यावर्तन भा सफल कार्यक्रम सिद्ध नही हो सकेगा।

इस स्थिति में एक नया स्पष्टतया दृष्टिगोचर हानि लगे गये थे कि एक बार पुनः कांग्रेस में विभाजन हो जाने वाला है। परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार समझौता करें अथवा कांग्रेस विभाजित जायेगी यह समस्या गांधी जी के सामने थी। स्वराज्य दल ने कौन्सिल प्रवेश में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली थी। अतः 1925 में गांधी जी

ने कांग्रेस के सदस्यों को यह छूट दे दी कि वे 'कौन्सिल-प्रवेश' अथवा 'रचनात्मक कार्यक्रम' में से जिसे ठीक समझे उसे अपनाये। इस प्रकार कांग्रेस विभाजित होने से बच गयी। कौन्सिल प्रवेश के कार्यक्रम के समर्थक 'स्वराज्यवादी' कहलाये।

स्वराज्यवादियों के उद्देश्य तथा साधन

स्वराज्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य गांधीवादियों की भाँति ही देश के लिए स्वराज्य (स्वशासन) की प्राप्ति करना था। चूँकि 1919 के सुधार कानून में स्वराज्य की उपेक्षा की गयी थी, अतः यह दल कम से कम ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता था। परन्तु इनमें तथा गांधीवादियों में साधनों की भिन्नता थी। स्वराज्य दल सविनय अवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलन की नीति न अपनाकर कौन्सिल प्रवेश द्वारा वहाँ से सांविधानिक सुधारों की उपलब्धि करना चाहता था। कौन्सिल प्रवेश के कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि निर्वाचनों में भाग लेकर आम जनता में राष्ट्रीयता के विचार भरे जायें।

स्वराज्यवादियों की कौन्सिल प्रवेश की नीति का दूसरा लक्ष्य यह था कि कौन्सिलों में जाकर वे अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता की माँगों के प्रति जनमत का निर्माण करें। साथ ही कौन्सिलों में वे ऐसे प्रतिनिधियों के बहुमत का निर्माण करें जो वास्तव में जनता के प्रतिनिधि अथवा जनमत की अभिव्यक्ति करने वाले सिद्ध हों।

कौन्सिल प्रवेश का एक लक्ष्य यह भी था कि उनमें जाकर वे सरकार की हों में हों मिलाने की नीति न अपनाकर सरकार तथा नौकरशाही के अवाञ्छनीय कार्यक्रमों का विरोध करें। इस प्रकार वे शासन के अन्तर्गत रहकर प्रतिरोध की नीति द्वारा 1919 के शासन सुधार कानून की कार्यान्विति के मार्ग में बाधा डालें, जिससे कि सरकार को इस सुधार कानून को सशोधित करने के लिए विवश होना पड़े।

सरकार के कार्यों में रोडा अटकाना, बजट का विरोध, सरकार द्वारा प्रस्तावित अवाञ्छनीय विधेयकों का विरोध, प्रशासन की बुराइयों की निन्दा आदि स्वराज्य दल के विध्वंसात्मक कार्यक्रम के अंग थे। यह एक प्रकार से असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के ही रूप थे। अन्तर यही था कि इनकी कार्यान्विति सरकार के अन्तर्गत रहकर 'अन्दर से' होती थी। दूसरी ओर स्वराज्य-वादियों के कार्यक्रम का रचनात्मक उद्देश्य भी था। वे कौन्सिलों में रहकर ऐसे प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, या ऐसे कानूनों का निर्माण कराना चाहते थे जिनके द्वारा सरकार को वैधानिक सुधार लाने तथा लोक-कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जा सके।

अन्ततः, स्वराज्यवादी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा सत्याग्रह कार्यक्रम के विरुद्ध भी नहीं थे। 1923 के चुनाव घोषणा-पत्र में उन्होंने स्पष्टतया इस नीति की घोषणा कर दी थी कि दल का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को अपनी सरकार स्वयं चलाने तथा नियन्त्रित करने के अधिकार को उपलब्ध कराना होगा। यदि सरकार जनता की इस माँग को ठुकराने पर तुलेगी, तो दल भी यथाशक्ति सरकार के संचालन को असम्भव बनाने की कोशिश करेगा। यह कार्य प्रथमतः व्यवस्थापिकाओं के भीतर रहकर किया जायेगा, परन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो दल गांधी जी के सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देकर कार्यान्वित करने में भी सकोच नहीं करेगा।

इस दृष्टि से स्वराज्य दल का उद्देश्य वही था, जो समूचे रूप में कांग्रेस का था। अन्तर केवल कार्यविधि तथा साधनों का था।

स्वराज्य दल की उपलब्धियाँ

स्वराज्य दल की कौन्सिल-प्रवेश नीति को पर्याप्त लोक-समर्थन प्राप्त हुआ। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् भारत के मतदाताओं के समक्ष स्वराज्य दल के कार्यक्रम को

स्वीकृति दन के सिवाय और कोई निष्पत्ति भी नहीं रह गया था। 1923 के निर्वाचनों में उदारवादियों का कौत्सिता से नगभग सफाया हो गया। स्पष्ट था कि अब दश प्रथी जनता उदारवादियों की ब्रिटिश राज परस्ति नाति से उठव गयी थी। इस निर्वाचन में स्वराज्यवाधिया का केन्द्रीय व्यवस्थापिका में 145 में से 47 स्थान प्राप्त हुए और यही तब तक सबसे बड़ा दल बना। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन में 145 कुल स्थान थे जिनमें से 105 निर्वाचित सदस्यों के लिए थे। इनमें से 47 स्थान स्वराज्य दल को प्राप्त हो जाना दल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मध्य प्रदेश की विधान परिषद् में इस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। बंगाल में भी इस पर्याप्त अधिक बहुमत प्राप्त रहा। अथ प्रांतों का विधान-परिषद् में भी उनकी संख्या पर्याप्त अधिक थी।

केन्द्रीय विधानसभा में भी मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल के नेता थे। उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्र सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता मिल गयी। मोतीलाल जी के अध्यक्ष कमठ साधिया में विद्वान भास्कर पटेल रामास्वामी आयंगर मदनमोहन मालवीय विपिन चन्द्र पाल आदि थे। परिणामस्वरूप उनके प्रयासों में फरवरी 1924 में विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर लिया कि शासन सुधार कानून 1919 में ऐसा संशोधन किया जाए कि जिससे भारत में पूर्ण स्वायत्त शासन से युक्त उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके और आपसत्वता के संरक्षण हेतु एक गान्त मज सम्मेलन बुलाया जाए जिसकी सन्तुति का आधार पर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। केन्द्रीय विधानसभा को भगवत्के नव निर्वाचित विधानसभा के समक्ष उस संविधान को पारित करने तथा ब्रिटिश संसद द्वारा उस कानूनी रूप प्रदान करने के हेतु भेजने की व्यवस्था की जाए। यह प्रस्ताव सांविधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही स्वराज्य दल के कौत्सित प्रवेश के उपायान में उसका पारित होना दल की एक महान् उपलब्धि थी।

1924 में अखिल भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध में जब तीव्र कमीशन की रिपोर्ट व्यवस्थापिका के सामने रखी गयी तो मोतीलाल जी के नेतृत्व में सभा ने उस अस्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में यद्यपि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश का अनुपात 50/ सन्तुत किया गया था तथापि सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए इतने अधिक संरक्षण यूरोपीय अधिकारियों के लिए इतने भत्ता तथा सुविधाओं की तथा सिविल सेवा को तोरप्रिय सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने की सन्तुनिया थी कि उनका पूरा नाम यूरोपीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त होता।¹ बाद में उच्च सदन (कौत्सित आफ स्टेट) ने इस विना संशोधन के पास कर लिया। वित्त विभागों तथा वित्तीय माँगों सम्बन्धी प्रस्तावों को अस्वीकार करने में सभा ने यह सिद्धान्त अपनाया कि *No supplies till the grievances are removed* अर्थात् जब तक कमियाँ का दूर नहीं किया जाता तब तक कोई वित्तीय माँग स्वीकार नहीं की जायगी।

यद्यपि इस बीच वगण्ड में मजदूर दल की सरकार बन गयी थी जिसने भारतवासियों का धन आगारों की तथापि ब्रिटिश सरकार ने उक्त प्रस्ताव का ठुकरा दिया परिणामस्वरूप स्वराज्य दल ने अथ राष्ट्रवादी संस्था के सहयोग में विधानसभा में अपनी प्रतिराध की वापवाहियाँ तीव्र कर दी। आगामी तीन वर्षों तक वगणार वगण्ट का अस्वीकार करते रहे और मजदूर जनरल को अपन प्रमाणोत्तरण के अधिकारों का महाराज नर विभिन्न वगण्ट प्रस्तावों तथा अनुदानों को स्वीकृति नहीं पड़ी। समय-समय पर विधानसभा सरकार की वापवाहियाँ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने लगा। कई अवसरों पर स्वराज्य दल ने सरकार के हठीत व्यवहार के विरुद्ध प्रमाण करते हुए सदन में बहिमसन भी किया। सरकार द्वारा आयाजित उत्तमवा में निमंत्रणा की उपस्था का गयी। प्रस्तावों द्वारा राजनीतिक बर्तियाँ की रिहाई की माँगें की गयी। सतत में स्वराज्य दल ने

अपने प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से अपनाया ।

प्रान्तीय विधान परिषदों में भी उनका कार्य भाग पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । मध्य प्रदेश, में जहाँ वे पूर्ण बहुमत में थे, उन्होंने मन्त्रिपद ग्रहण न करके द्वैध-शासन का संचालन अवरुद्ध कर दिया और गवर्नर को स्वयं हस्तान्तरित विभागों के शासन का कार्य संचालित करना पड़ा । बंगाल में सी० आर० दास के नेतृत्व में भी स्वराज्य दल ने यही कार्य भाग सम्पन्न किया । अन्य प्रान्तों में स्वराज्य दल की ओर से सांविधानिक सुधारों की निरन्तर माँगें रखी गयीं और शासन-नीतियों की घोर आलोचनाएँ की जाती रहीं ।

स्वराज्य दल के फरवरी 1924 के प्रस्ताव का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सर एलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में द्वैध-शासन की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की । मोतीलाल नेहरू ने तो उसकी सदस्यता तक स्वीकार नहीं की । समिति के बहुसंख्यक सदस्य सरकार समर्थक थे । अतः बहुसंख्यक सदस्यों की राय थी कि द्वैध-शासन प्रणाली सिद्धान्ततः उचित सिद्ध हुई है । इसमें कुछ थोड़े से सामान्य परिवर्तनों का ही उन्होंने सुझाव दिया । परन्तु अल्पसंख्यक सदस्यों ने, जिनमें सर तेजवहादुर सप्रू भी शामिल थे, इसके मूलभूत सिद्धान्त को ही गलत बनाकर उसमें विशाल परिवर्तन करने का सुझाव दिया । सितम्बर 1925 में जब यह रिपोर्ट केन्द्रीय विधानसभा के समक्ष रखी गयी तो प० मोतीलाल नेहरू ने द्वैध-शासन-प्रणाली की कठोरतम आलोचना की, और फरवरी 1924 के प्रस्ताव की भाँति ही मूडीमैन समिति की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विशाल बहुमत से विरोध किया गया और सरकारी प्रस्ताव पर 14 के विरुद्ध 45 मतों से सशोधन पारित किया गया । सशोधन जो मोतीलाल जी के द्वारा रखा था, उसमें यह माँग की गयी थी कि ब्रिटिश संसद भारत की उत्तरदायी शासन की माँग को मान्य करे और तुरन्त भारत के विभिन्न दलों का गोल मेज सम्मेलन आहूत करे जो संविधान को तैयार करेगा और उसे संसद अधिनियमित करे ।

नीति परिवर्तन

स्वराज्य दल के कार्य-कलापो तथा उद्देश्यों में कालान्तर की परिस्थितियों ने परिवर्तन कर दिया । दल का व्यवस्थानिकाओं में जाकर सरकार की गलत नीति का विरोध करने का कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया । बंगाल तथा मध्य प्रदेश में द्वैध-शासन की स्थापना के अभाव में गवर्नर हस्तान्तरित विषयों का शासन स्वयं चलाने लगे थे । अन्य प्रान्तों में स्वराज्य दल के अल्पसंख्यक होने के कारण उनके विरोध निष्प्रभावी सिद्ध हुए । स्वयं केन्द्र तक में प० मदनमोहन मालवीय तथा लाला लाजपतराय यह अनुभव करने लगे कि सरकार-विरोधी नीति हिन्दू जनता के हित में वाञ्छनीय नहीं है । स्वराज्य दल की अडगा लगाने की नीति इस अर्थ में सफल नहीं हो पायी उनके कार्य-कलापो से शासन को कोई क्षति नहीं हो सकती थी । गवर्नर जनरल के पास इतनी अधिक शक्तियाँ थीं और उच्च सदन में सरकार का इतना अधिक समर्थन था कि सरकार मनचाहे कानून बना लेती थी । 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के कारण स्वराज्य दल में भारी रिक्तता आ गयी । अब शासन में रहकर निरन्तर विरोध तथा असहयोग सम्भव नहीं था । अतः दल के अनेक प्रमुख नेताओं ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया । राष्ट्रवादियों तथा उदारवादियों ने स्वराज्यवादियों की बजट सम्बन्धी माँगों को अस्वीकार कर देने की नीति से सहमति व्यक्त करना उचित नहीं समझा । इस प्रकार सरकार का विरोधी पक्ष समान नीतियों तथा विचारधाराओं से आवद्ध नहीं रह पाया । स्वयं स्वराज्य दल के अन्तर्गत भी एकता नहीं रह सकी । केन्द्र में 1925 में प्रमुख नेता वी० जे० पटेल को केन्द्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया । मध्य प्रदेश में एम० वी० टैम्बुन गवर्नर के कार्यकारी पार्षद बन गये । मोतीलाल नेहरू ने उन सदस्यों पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया जो दल की घोषित नीतियों के विरुद्ध आचरण कर रहे थे । परन्तु इसका परिणाम यही हुआ कि दल में और

अधिक विघटन हानि लगा। अतः स्वराज्य दल के कुछ सदस्यों जयकर कलकर आदि ने अपनी गतिन विराधी नीतियाँ का गिथिल कर लिया। जब उनके मित्रात् उत्तरापक्षी सहयोग का हो गया। अनेक सदस्यों ने कई शासकीय समितियों की सदस्यता ग्रहण कर ली। स्वयं पन्ति नहर भी स्क्रीन समिति के सदस्य बन गये थे। दल का जनता के मध्य सगठनात्मक कार्यक्रम भी सत्तापजनक नहीं था। कौंसिल के कार्य-कलापा मात्र से दल जनता को प्रभावित नहीं कर सकता था। उत्तरापक्षिया (responsivists) तथा कट्टर स्वराज्यवादियों के मध्य एकता जाने के प्रयास भी निष्फल सिद्ध हो गये।

स्वराज्य दल का मूल्यांकन

जिस प्रकार असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में अनेक आतिपूषण धारणाओं ने आन्दोलन को सफलता को सन्दिग्ध बना दिया था और अतः उसे स्थगित करना पड़ा था उसी प्रकार स्वराज्य दल का प्रतिरोध का कार्यक्रम भी युक्तिपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ। यह धारणा कि कौंसिल में जाकर विरोध के द्वारा गामन सुधार अधिनियम की योजना के संचालन को जबरदस्त कर दिया जायगा एक मिथ्या धारणा थी क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को जिन शक्तियाँ सन् विभूषित किया गया था उनके अन्तर्गत विधानसभाओं की निरन्तर संपेक्षा करके गामन को सन्तानित कर सकते थे। केवल विरोध के लिए विरोध कोई वास्तविक नीति नहीं है। इसमें विराधी पक्ष की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। स्वराज्य दल का सगठन पक्ष निरक्षर था। उसके सदस्य जनता में अपनी लोकप्रियता बनाने में सफल नहीं हो पाये। दूसरी ओर कार्यक्रम का माधीवादी नता जा रचना के कार्यक्रम में नये स्वराज्य दल की नीतिगत सन् विषय सहानुभूति नहीं रखते। जब अपने तीन चार साल के कार्यक्रम में इस दल की वाछिन सफलता के आसार निरक्षर हो गये।

परन्तु इन असफलताओं के बावजूद स्वराज्य दल के कार्यक्रमों तथा उपनिधियों ने उनके उद्देश्य को बहुत कुछ अंश में सफल बनाया। मूनीमत समिति की नियुक्ति साइमन कमीशन का निश्चित तिथि से दस वर्ष पूर्व नियुक्ति तथा गान मेज परिषद् की व्यवस्था स्वराज्य दल के कार्य-कलापा के ही परिणाम थे। असहयोग आन्दोलन के स्थगन के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन में जो रक्तिता आ जाती उस स्वराज्य दल ने पूषण किया और राष्ट्रवादी धारणाओं को जनता के मध्य जीवित रखा।

इस दल के कार्य-कलापा ने न केवल देगवामिसा को ही अपितु गामन को भी यह समाधान कराया कि 1919 की सुधार योजना दोषपूर्ण है। कौंसिल में जाकर सरकार के स्व-आचारी कार्यक्रमों का विरोध करके दल ने जनता को स्व-आचारी शासन के विरुद्ध संचन बनाय रखा। साथ ही इस दल ने जनता की इस धारणा को भी दल प्रदान किया कि विन्नी गामन के अस्थाचारा का विरोध किया जाना चाहिए। इस दल ने उत्तरवादी दल का अन्त करा लिया और सरकार को भी यह आभास हो गया कि जनता के प्रतिनिधि सदस्य गामन के साथ सहयोग की नीति का अधानुमरण नहीं करेगे।

परन्तु 1926-27 का वान राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अधकार का वान सिद्ध हुआ। उस अवधि में दल में अनेक म्याना पर साम्प्रदायिक रंग छिटे। या तो इन दलों का सितसिता पहन ही प्रारम्भ हो गया था। परन्तु 1926-27 के दलाने गम्भीर आन्दोलन का बहुत प्रभावित किया। अब यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दू मुस्लिम एकता का पुनर्जीवन किया जाना सम्भव नहीं है। स्वराज्य दल की शक्ति भी क्षीण हानि जा रही थी। राष्ट्रीय आन्दोलन भा गतिपूषण हो गया था। अतः इस सजीव करन के लिए नई परिधिधियाँ तथा योजनाओं की आवश्यकता थी।

स्वराज्य दल की नीतियाँ तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के करम

मे जो भी कमियाँ रही हो, यह श्रेय तो स्वराज्य दल को मिलता ही है कि उसने भारत सरकार को यह ममाधान कर दिया कि 'औपनिवेशिक नमूने की सत्ता का हस्तान्तरण एक ऐमा मामला था जिमे किमी निश्चित अवधि के भीतर अव्यावहारिक तथा अप्राप्त समझकर एक किनारे पर रख दिया जाये।' स्वयं वाइसराय के गृह सदस्य मेनकम हैली ने इसे एक जीवित मामला कहा था। स्वराज्य दल ने यह मिद्ध कर दिया कि भारत के राष्ट्रीय नेताओ मे कितनी उच्च कोटि की सासदीय क्षमता थी और ससद मे एक प्रभावगाली विरोध प्रस्तुत करने की तथा निर्वाचनो के निमित्त सगठनात्मक क्षमता भारत के राष्ट्रीय नेताओ मे कितनी श्रेष्ठ थी। इस दल को सबसे बडा श्रेय इस बात का प्राप्त होता है कि इसने 1919 के शासन सुधार कानून की निरर्थकता को स्पष्ट कर दिया जो न तो ब्रिटिश नमूने की ससदीय शासन प्रणाली का चोतक था और न ही अमरीकी अव्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। अतएव उसका कार्यान्वयन अव्यावहारिक सिद्ध हुआ। स्वयं लार्ड रीडिंग की धारणा थी कि यदि स्वराज्य दल, राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्र सदस्य एक जुट होकर सरकार का विरोध करते रहते, तो सरकार के लिए शाही आयोग को और अधिक जल्दी नियुक्त करने की माँग को ठुकराना कठिन हो जाता। इस दृष्टि से स्वराज्य दल ने वैधानिक एव सहयोगपूर्ण ढंग से सरकार की अवाछनीय नीतियो का प्रतिरोध करने का एक नया तरीका निकाल सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतवासी अपनी स्वायत्त शासन की माँग को पूर्णतया सही परिपेक्ष मे रख रहे थे। शासको को इस भ्रम मे नही रहना चाहिए कि भारतवासी स्वशासन की क्षमता नही रखते।

प्रश्न

- 1 स्वराज्य दल का क्या उद्देश्य थे ? अपने उद्देश्यो की प्राप्ति मे उमे कहा तक सफलता मिली ?
- 2 स्वराज्य दल की अमफलता के कारणो पर प्रकाश डालिए।

पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पृष्ठभूमि

(AIM OF POORNA SWARAJ BACKGROUND)

साइमन कमीशन

भारतीय गामन सुधार अधिनियम 1919 के अनुच्छेद 84 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष पश्चात् इस कानून के अन्तर्गत स्थापित गामन व्यवस्था प्रतिनिध्यात्मक मन्थाजा आदि के सम्बन्ध में जांच करने तथा उनमें सुधार परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इसके अनुसार एसा कमीशन 1929 में नियुक्त किया जाना था। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसकी नियुक्ति करने का निणय निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही (अर्थात् 1927 में) कर दिया और नवम्बर 1927 में इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी। एसा क्या किया गया उसके कारणों का अनुमान लगाया जाता है। एक धारणा यह है कि इस सुधार कानून का भारतवासियों ने प्रारम्भ में ही तीव्र विरोध किया था और निरन्तर इसकी समाप्ति तथा इसके स्थान पर नये कानून के निर्माण की मांग प्रबल होती जा रही थी। स्वराज्य के विधान सभाओं में जो प्रतिरोध का स्वभाव अपनाया था उसमें अनुसार भी भारत की सांविधानिक सुधारों की मांग को लम्बे समय तक रोक रखना ब्रिटिश सरकार के हित में न होता। यद्यपि इंग्लैंड के विभिन्न राजनयिकों तथा प्रमुख नेताओं द्वारा भी उदार दत्तों के राजनयिक कार्यक्रम तथा उम्मेदों के नतीजों और स्वराज्य के गतिविधियों का जवाबदेही ब्रान्तिकारी तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण मानते रहे और भारत की स्वायत्त गामन की मांग को ठुकराते रहे तथापि वास्तव में सगरे राष्ट्र रीतिंग को बढ़ी बचती का अनुभव हो रहा था। व्यवस्थापिका में आये दिन सरकारों प्रस्तावों का विरोध उसके लिए असह्य हो रहा था। अतः इस कमीशन की नियुक्ति करने में गीघ्रता की गयी। दूसरी धारणा यह है कि 1926 में भारत में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था अतः ब्रिटिश सरकार इस घटनाक्रम का नाभ उठाना चाहती थी। एम समय पर कमीशन को यह सिफारिश देने का अवसर मिल जाता कि भारत में साम्प्रदायिक मनभंग इतने बढ़े हैं कि पूर्ण उत्तरदायी गामन संचालित करने की क्षमता भारतवासियों में नहीं है; एक तीसरा दृष्टिकोण यह है कि दलीय विधि का भी बनाया जाना है। तत्कालीन अनुदार दत्तों सरकार का यह आभास हुआ कि 1929 में इंग्लैंड के आम चुनावों में मजदूर दल के जीतने का आसार था। अतः यदि 1929 में कमीशन नियुक्त किया जायगा तो उसकी रिपोर्ट आदि के सम्बन्ध में मजदूर दल की सरकार ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को उचित रूप में सम्पन्न नहीं करेगी। तीसरी दत्तों को यह भय था कि श्रमिक दल की भारतीय स्वायत्त गामन की मांग के साथ सहानुभूति है। अतः यदि 1929 में एसा आयोग नियुक्त किया जायगा तो श्रमिक दल एसे समस्याओं को उसमें स्थान देगा जो भारतीय स्वायत्त गामन की मांग का पूरा करने की सिफारिश करेगा और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का न्यून अहित होगा। तीसरी दत्तों यह महत्त्व करने को भी तयार न थे कि आयोग की नियुक्ति की घोषणा से पूर्व भारत का राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रवादी तत्त्वा के बहुमत में फिर एसा मांग का प्रस्ताव पाम हो जाय क्योंकि यदि एसा हुआ तो इन तत्त्वा का एसा प्रचार करने का लाभ मिलेगा कि उद्दान ब्रिटिश सरकार को एसा आयोग की नियुक्ति के लिए विवश कर दिया था। इसमें व्यवस्थापिका के

अगले चुनावों में उनकी लोकप्रियता बढ़ जायेगी।¹ अतः शीघ्र ही कमीशन की नियुक्ति कर दी गयी। भारत में इस अवधि में युवक संगठन तथा वामपंथी संगठन जोर पकड़ रहे थे। इनके ऊपर रूसी क्रांति तथा समाजवादी विचारधाराओं का प्रभाव था।² इसलिए भी ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत के लिए नये वैधानिक सुधारों को लाने की चिन्ता में थी, ताकि युवक संगठनों की गति-विधियों को दूसरी ओर मोड़ा जा सके। इस प्रकार अनेक परिस्थितियों तथा कारणों से ब्रिटिश सरकार को ऐसा कमीशन तुरन्त नियुक्त करने के लिए विवश होना पड़ा।

साइमन कमीशन की नियुक्ति

1919 के सुधार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये इस ससदीय आयोग को साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था। इस कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य थे। ये सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन की सबसे बड़ी कमी यही थी। इसी के कारण भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग ने इसकी नियुक्ति को देश का सबसे महान् अपमान समझा और विविध स्थानों द्वारा इसके प्रति विरोध प्रकट किया जाने लगा। जब इसके निर्माण पर भारत में आपत्ति तथा विरोध प्रारम्भ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसे तकनीकी तर्क दिये गये कि कमीशन में केवल ब्रिटिश सदस्य ही इसलिए नियुक्त किये गये थे कि उन्हीं को समझ के समक्ष प्रतिवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विरुद्ध जब यह तर्क रखा गया कि लार्ड सिन्हा जो एक भारतीय थे और ब्रिटिश सदस्य भी थे, उन्हें क्यों नहीं लिया गया, तो प्रति-तर्क यह था कि यदि उन्हें लिया जाता तो भारतीय जनता के विविध स्वार्थों से युक्त अन्य वर्गों को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति होती। साथ ही यदि विविध वर्गों के भारतीय प्रतिनिधि कमीशन में नियुक्त किये भी जाते तो उसमें कमीशन का आकार बहुत बड़ा हो जाता और उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती। इस प्रकार जो भी तर्क इस सम्बन्ध में दिये गये, वे सब अपूर्ण एवं सारहीन थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में किसी भी सांविधानिक सुधार योजना के लिए ब्रिटिश सरकार भारतवासियों का सहयोग नहीं लेना चाहती थी, अपितु उसके निर्णय का दायित्व केवल ब्रिटिश संसद पर छोड़ना चाहती थी। कमीशन की नियुक्ति की घोषणा भी ऐसे नाटकीय ढंग से की गयी कि जिससे भारतवासियों को अपमानित ही होना पड़ा। 5 नवम्बर 1927 को गर्वनर-जनरल ने गांधी जी तथा अन्य भारतीय नेताओं को दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया, और जब वे वहाँ पहुँचे तो गर्वनर-जनरल ने उन्हें वह कागज यमा दिया, जिसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति की सूचना थी। गांधी जी ने व्यग्र करते हुए कहा कि जब गर्वनर-जनरल इस पत्र को एक आने के लिफाफे में भेज सकते थे, तो उन्हें हजारों मील की यात्रा करते हुए इतने नेताओं को इस छोटी-सी बात के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। परन्तु साइमन कमीशन की नियुक्ति से सम्बन्धित यह घटना राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व की घटना सिद्ध होने की थी।

कमीशन का बहिष्कार

साइमन कमीशन में जिन सात सदस्यों को नियुक्त किया गया था उनमें से 3 रुढ़िवादी दल के, अध्यक्ष सहित 2 उदार दल के तथा 2 श्रमिक दल के सदस्य थे। इनमें से साइमन को छोड़कर शेष कोई भी सदस्य उच्च कोटि के राजनेता नहीं थे, भले ही वे सांविधानिक विधि नेता रहे हों। इसमें किसी भी भारतीय नेता को सदस्य के रूप में न लेना ब्रिटिश साम्राज्यशाही नीतियों का स्पष्ट प्रमाण था। उन्हें केवल साक्ष्य के रूप में कमीशन के समक्ष उपस्थित होने का

¹ Tara Chand, *op cit*, 60

² इनका उत्पन्न क्रांतिकारी आन्दोलन के अध्याय में पहले किया जा चुका है। मुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सरदार भगतसिंह जैसे विचार रखते थे।

प्राविधान किया गया था। कमीशन का रिपोर्ट तयार हो जाने पर भारतीय विधानमण्डल की एक प्रवर समिति उस पर अपने विचार रखती और कमीशन तथा प्रवर समिति की रिपोर्ट ब्रिटिश समल की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती। इस प्रकार जमा हो ताराचल न तिया है ब्रिटिश समल के सान समस्या की इस पूणत प्रबुद्ध ज्यूरी (exceptionally intelligent jury) से यह आशा की गयी थी कि वह मसद का एक ऐसी मसम्या पर सनाह दे जो अत्यधिक जटिल तथा एतिहासिक दृष्टि से विवव्याप्य महत्त्व की थी।¹

स्वयं भारत मंत्री वर्कनेड तथा वात्सराय नाड इरविन का भय था कि भारत के भावी साविधानिक ढांच के सम्बन्ध में सनाह देन के लिए विबुद्धतया अग्रज सदस्यो द्वारा निर्मित आयाग के भारत में भेजन की प्रतिब्रिया भारतीय नताजा द्वारा इसका बहिष्कार करने के रूप में व्यक्त होगी। यह ब्रिटिश नेता भारतीय स्वायत्त शासन का माग का ठुहरान का धारणा में जिनमें अधिन प्ररित थे उनना ही अधिन उह इस वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था कि अब भारतीय नतत्व काफ़ी प्रबुद्ध तथा जागरूक हो चुका है। अतएव उहान भारतीय नेताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा इस आयोग का विरोध किये जाने तथा बहिष्कार किये जाने की भावनाओं पर बूत्तौतिन विचार आरम्भ कर लिया। भारतीय विधान सभा के अध्यक्ष वित्त्नभाइ पन्त ने जो उस समय नरनण की धारा पर गये थे नाड वर्कनेड का स्पष्टतया बता लिया था कि एस आयाग का भारत में पूण बहिष्कार किया जायगा। नाड इरविन ने भारत मंत्री को सूचित किया था कि वत् भारत के मुसलमानो उत्तरवातिया तथा राजा-महाराजाओ की महायता से विरोधी (हिन्दु) काग्रस से निरन्त होगा। उनमें बताया कि मुसलमान अग्रजा के मित्र हैं और वे कमीशन का बहिष्कार नहीं करेंगे। राजा व नवाब तो पूणतया अग्रजा के साथ हैं। इस प्रकार ब्रिटिश शासक आयाग का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किये जाने की सम्भावनाओं से पूर्व परिचित थे। साथ ही भारत में कमीशन का बहिष्कार किये जाने की स्थिति में सम्भावित आन्दानन का वन प्रयाग द्वारा कुचनन के लिए भी सरकार सतक थी।

कमीशन के निर्माण में जो दाव था वे तो भारत के लिए अपमानजनक थे ही साथ ही उनके उद्देश्य भी भारतीय जनमत का भाव नहीं थे। कमीशन यह जांच करने के लिए नहा जा रहा था कि भारत में उत्तरवायी शासन का संचालन करने को थापना किस प्रकार की जा सकता है अतितु उसे मूलरूप में यह बताया था कि भारतवासी उत्तरदायी शासन का संचालन करने की क्षमता रखते हैं या नहा। जत यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश संसद द्वारा पूणतया अग्रजा से निर्मित आयोग की संस्तुति केर भारत के साविधानिक भविष्य का निर्धारण किया जाना भारतीय जनता के आत्म-सम्मान को भारी चुनौती थी। इसलिए सार शम मभी राजनैतिक दाना ने कमीशन का विरोध तथा बहिष्कार करने का सकल किये। अन्तर्मुनिम नी के एक वग समना समथन था। जिन्ना के सहयोगी मुस्लिम लीग के नेता भी इस कमीशन के बहिष्कार के समथन में सथे। स्वयं जिन्ना ने मप्र शिवस्वामी अय्यर एनी उसें अन्तर् रहीम अनी इमाम चिमन नात सीतनवाट जाति के साथ उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें यह मांग की गयी थी कि भारतवासी एस आयाग के साथ काय करने में भाग न लेंगे और न उस कोर्ट सहयोग देंगे। भारतीय जनता ने सकी नियुक्ति का एक राजनैतिक धूतना अथच भारत का घोर अपमान माना।

काग्रस वष में सकी नियुक्ति की प्रतिब्रिया यह हुई कि डिगम्बर 1927 का मंगल अधिवेशन में काग्रस ने मंगरा पूण बहिष्कार करने का सकल किया। उत्तरवायी मध महम्मद अनी जिन्ना के नतव में मसिदम नाग के एक वग हिन्दू महामभा जाति ने भी इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। इस प्रकार कमीशन का व्याप्यो बहिष्कार जाना था। फरवरी

1928 में जब प्रथम बार कमीशन बम्बई में पहुँचा तो देशव्यापी हड़ताल के द्वारा उसका स्वागत किया गया। 16 फरवरी 1928 को केन्द्रीय विधान सभा में लाला लाजपतराय ने कमीशन के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा कि 'विधान सभा सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सस्तुति देती है कि वे कृपा कर सम्राट की सरकार को ससदीय आयोग के प्रति जिसे कि भारत के विधान का पुनरवलोकन करने के निमित्त नियुक्त किया गया है, विधान सभा के पूर्ण अविश्वास से अवगत करा दे।' सरकार के गृह सदस्य ने भी इसका विरोध किया। बाद-विवाद के उपरान्त उक्त प्रस्ताव 62 के विरुद्ध 68 मतों से पास हो गया। जहाँ कहीं भी कमीशन पहुँचा, वहाँ हड़ताल वाले भण्डों, प्रदर्शनों तथा 'साइमन वापिस जाओ' के नारों से उसका विरोध किया गया। सबसे अप्रिय घटना लाहौर में हुई। लाला लाजपतराय, जो स्वयं हृदय-रोग के मरीज थे, साइमन कमीशन विरोधी जलूम का नेतृत्व कर रहे थे। इस समय सरकार ऐसे प्रदर्शनों, विरोधों आदि का हिंसात्मक ढंग से दमन कर रही थी। पुलिस ने लाला जी के ऊपर इतनी निर्दयता से प्रहार किया कि दो सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत के ऊपर भी ऐसे ही लाठी प्रहार किये गये। सर्वत्र कमीशन का काम पुलिस की कठोर देख-रेख में किया जाने लगा। प्रथम बार यह 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च 1928 तक और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा। इसे अधिकांश साक्ष्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका की केन्द्रीय समिति तथा प्रान्तीय परिषदों की समितियों से प्राप्त हुआ। कमीशन तथा समितियों के प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् दिये गये। मई 1930 में ये प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किये गये। उस समय इंग्लैंड में रामजे मैकडानेल्ड के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बन चुकी थी और कमीशन की रिपोर्ट मिलने से पूर्व ही प्रधानमंत्री से परामर्श करके वाइसराय ने कुछ घोषणाएँ कर दी थी जिनमें गोल मेज सम्मेलन की स्थापना तथा भारत को औपनिवेशिक स्थिति प्रदान करने के आश्वासन थे। टोरी तथा उदार दल के नेताओं ने इस घोषणा का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे श्रमिक दल की सरकार की भारत के प्रति किसी भी सहानुभूतिपूर्ण नीति के विरोधी थे।

कमीशन का प्रतिवेदन

भारत की भावी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका क्षेत्र कुछ दृष्टियों से व्यापक था, परन्तु कुछ मौलिक बातों के सम्बन्ध में उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को जान-बूझकर बचाया। इससे पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता निरन्तर औपनिवेशिक स्वराज्य सहस्य व्यवस्था की माँग करने आये थे। परन्तु दिसम्बर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में औपनिवेशिक के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। इसके विपरीत साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति तक को पूणतया उपेक्षित रखा गया। रिपोर्ट का ऐसा व्यवहार भारत की जनता के लिए सबसे अधिक असन्तोष का कारण सिद्ध हुआ। अन्य सुभाव निम्नांकित थे

(अ) प्रान्तीय शासन—कमीशन ने प्रान्तों की द्वैध-शासन-प्रणाली को सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों दृष्टियों से दोषपूर्ण बताकर वहाँ पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की सस्तुति दी। उसके मत से प्रत्येक प्रान्त को इतनी स्वायत्तता प्रदान की जाये कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन सके। प्रान्तों के प्रशासन में केन्द्रीय सरकार तथा भारत मन्त्री के हस्तक्षेप का अवसर न दिया जाये। परन्तु प्रान्त में शान्ति तथा व्यवस्था एवं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ रक्षा-कवच (safeguards) होने आवश्यक हैं। अतः गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करके इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ब) केन्द्रीय सरकार—साइमन कमीशन सिद्धान्ततः द्वैध-शासन-प्रणाली का समर्थक नहीं था। अतः उसने केन्द्र के लिए अनुत्तरदायी स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का समर्थन किया।

कमीशन के मत से एक मुझ तथा शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की नितांत आवश्यकता थी। परन्तु केंद्रीय सरकार का यह रूप अनिश्चित काल तक नहीं बना रहना चाहिए। इसका यह अभिप्राय है कि कमीशन का कालान्तर में केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में था परन्तु उसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं कर सका कि उसकी स्थापना कब से की जाय। चूंकि कमीशन के मत से सघ-मंत्र शासन की सम्भावना का अपरिहार्य मान रहा था जिसके अन्तर्गत त्रिटिंग प्रांतों के अनिश्चित दली रियासतों भा शामिल हो जायगी अतः उसकी दृष्टि में तभी केंद्रीय सरकार के रूप में भा परिवर्तन लाया जा सकेगा जबकि सघ व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम हो जाय। सम्पूर्ण भाग्य सघ का निर्माण करने वाला था या के दो भागों (प्रांत तथा रियासतों) को अलग अलग प्रकार की शासन प्रणियाँ के अंतर्गत रहना जवाबदायी एवं असंगतिपूर्ण लगता है। अतः कमीशन की दृष्टि में इन दोनों भागों को एक ही सघ व्यवस्था के अंतर्गत समरूप शासन प्रणाली के अनुसार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस हेतु कमीशन ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऐसे विस्तार की सल्लुति दी जिसमें त्रिटिंग प्रांतों तथा दशा रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व हो। यह दोनों तत्त्वों के सामूहिक मामलों पर विचार करेंगे। इस हेतु संविधान में एक सामूहिक विषयों की सूची भा निर्मित कर दी जानी चाहिए।

(स) मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व—मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कमीशन त्रिटिंग शासन की नीति से जाग नहीं गया। बल्कि मताधिकार की बात का उसने जव्यावहारिक एवं अवाञ्छनीय बताकर ठुकरा दिया। परन्तु मताधिकार के क्षेत्र का और अधिक बढाने की सिफारिश की गयी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को न बढाने उसने समर्थन ही दिया जविले उस और अधिक बढा चलाकर जटिल प्रश्नों का प्रयास किया केंद्रीय व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की सल्लुति देकर केंद्रीय शासन के सम्बन्ध में लोकतंत्र की पूर्ण उपेक्षा की गयी। इन सभाओं के प्रतिनिधियों को प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करने की व्यवस्था सुझायी गयी।

(द) सांविधानिक परिवर्तन—भविष्य में सांविधानिक परिवर्तनों के बारे में कमीशन को अपने प्रति दर्शाये गये राष्ट्रव्यापी असंतोष का बड़ा अनुभव हुआ। अतः उसने यह सल्लुति दी कि भविष्य में सांविधानिक परिवर्तनों के बारे में प्रतिबन्ध देने के लिए वधिष आयोगों द्वारा जांच करने की व्यवस्था न रखी जाय। अतः संविधान का ही स्तना जांचपूर्ण बना दिया जाय कि उसमें सांविधानिक संशोधन करके वाञ्छित परिवर्तन लाये जा सकें।

सुझाव

संघर्ष कमीशन की रिपोर्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुईं। जहाँ कृपण्ड सदृश लक्षकों के मत में इस रिपोर्ट में त्रिटिंग राजनीतिशास्त्र के पुस्तकालय में एक जय प्रेष्ठ रचना की वृद्धि की वहाँ भारतीय विचारकों व राजनयिकों के मत में यह रिपोर्ट रद्दी की टाकरी में फटने लायक श्रुति थी। इस रिपोर्ट पर त्रिटिंग सरकार ने गान्धेवादी भी कायवाही न करके अगले गान्धे सम्मेलन के लिए एक ऊपर विचार विनिमय करने का दरवाजा खोल दिया। निम्न 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की अनेक बातें से रिपोर्ट पर आधारित थी परन्तु आचार्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो थोड़ी-सी अज्ञान्यता थी उनकी उपेक्षा करके 1935 के कानून में उन्हें और अधिक बुरा लग से रखा गया।

जिस दृष्टि में यह कमीशन की नियुक्ति की गयी थी और इसके प्रति जो दण्डव्यापी अमनोप कता था उन मन्त्रों में भारतीय जनमत द्वारा यह रिपोर्ट का स्वागत तो सम्भव नहीं था परन्तु रिपोर्ट ने भारतीय माँग की मूलभूत बातों को उपलब्ध रखकर भारतीय परिस्थितियों की कमियों का और अधिक जलिल बनाने पर जोर दिया। इसके कारण यह रिपोर्ट की अज्ञान्यता भी समाप्त हो गयी। एसा भी कहा जाता है कि यदि भारतवर्ष में यह रिपोर्ट का विरोध न करता तो सम्भव

प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स्थापना 1937 में होने की अपेक्षा और जल्दी हो जाती। इस रिपोर्ट ने प्रान्तों में रक्षा कवचों से युक्त पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो सिफारिश की थी वे 1935 के अधिनियम द्वारा प्राविधित प्रान्तीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था से अधिक खराब नहीं थी। साइमन कमीशन से जो कि पूर्णतया अग्रेज सदस्यों से निर्मित था, यह आशा करना भ्रान्तिपूर्ण था कि वह भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य, वयस्क मताधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन की माँगों को किंचित मात्र भी प्रोत्साहन देता। उससे यह आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या को सुलझाने में कोई ईमानदार प्रयत्न करता क्योंकि एक ऐसी यही दवा थी जिसके प्रयोग से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत में अस्तित्व बना हुआ था। इसके समर्थन में ये तर्क दिये गये थे कि स्वयं कांग्रेस तथा लीग ने 1916 में इसे स्वीकार कर लिया था। परन्तु इस तथ्य की अपेक्षा की गयी थी कि उक्त समझौता एक अस्थायी व्यवस्था थी और स्वयं जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1927 में पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट ने भी इसका विरोध किया था।¹ जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उसका दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी बना रहा। एक अनुत्तरदायी केन्द्रीय सरकार की स्थापना की सिफारिश करना, वह भी उस समय जबकि राष्ट्रीय आन्दोलन पूरे जोर के साथ पूर्ण स्वराज्य की माँग पर तुला था, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सुझाव था। कमीशन को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक अखिल भारतीय सघ-व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में सघात्मक शासन-प्रणाली नितान्त आवश्यक थी। परन्तु सघ-व्यवस्था की स्थापना के निमित्त व्यवस्थापिका सभाओं में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना 'घोड़े के आगे बगधी को खड़ा करने' के सदृश था। 1919 के सुधार कानून तक ने सीमित मताधिकार के आधार पर ही सही, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की थी। परन्तु कमीशन द्वारा 1930 में यह सिफारिश करना कि केन्द्रीय व्यवस्थापिकाएँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों, कमीशन के सदस्यों के किस तर्क तथा सविधानवाद के किस अनुभव पर आधारित थी, वही लोग जाने। इस प्रकार मसूचे रूप में तत्कालीन राष्ट्रवादी शक्तियों के विकास की गति के सन्दर्भ में साइमन रिपोर्ट किसी भी अर्थ में सन्तोषजनक नहीं थी और भारतीय जनमत द्वारा ठुकराना पूर्णतया एक सम्मानजनक निर्णय था।

नेहरू रिपोर्ट

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में जातीय अभिमान अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। भारत में अपने साम्राज्यवाद को बनाये रखने तथा भारतवासियों की स्वायत्त शासन की माँगों को ठुकराने में अग्रेज भारतवासियों की अयोग्यता तथा अक्षमता को व्यक्त करने में जरा भी नहीं सकुचाते थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय अनुदार दलीय भारत मन्त्री लार्ड वर्केंहेड ने लार्ड सभा में भारतवासियों को यह चुनौती दी कि भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता इस सीमा तक बढी हुई है कि कोई भी भारतवासी समस्त साम्प्रदायिक वर्गों को मान्य सविधान बना सकने में अक्षम है। ऐसी स्थिति में भारतवासियों द्वारा साइमन कमीशन का वहिष्कार करने में कोई बुद्धिमत्ता व्यक्त नहीं होती। भारत मन्त्री की इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें लगभग 29 सगठनों ने भाग लिया। इसके पश्चात् 19 मई 1928 को इस सम्मेलन की बम्बई में पुन बैठक हुई। इस बैठक में पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया गया।² इसका कार्य भारत के लिए एक उपयुक्त सविधान का प्रारूप तैयार करना था।

¹ Ibid, 76

² ये सदस्य थे तेजवहादुर सप्रू, अली इमाम, प्रधान, शोयब कुरेशी, सुभाषचन्द्र बोस, अणे, जयकर, एन० एम० जोशी तथा मंगलसिंह जो विभिन्न राजनीतिक गुटों से लिए गए थे।

समिति के अध्यक्ष पण्डित नहरू के नाम में जा रिपाट तयार की गयी उसी का नहरू रिपाट के नाम में जाना जाता है। उस समिति ने 25 बैठकें करके एक सर्वमाय सविधान का प्रारूप तयार किया। यद्यपि यह एक पर्याप्त तुरन्त नया था तथापि ब्रिटिश भारत मन्त्री की चुनाता का यह सर्वोत्तम उत्तर था। नहरू रिपाट तयार हो जाने पर अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की पुनः व्यवस्था में डा. अमारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें नहरू रिपाट को सम्मेलन में अपना अनुसमर्थन प्रदान किया। 22 दिसम्बर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक काश्मिर में सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष मातीनाम जी ने समिति की उस रिपाट का प्रस्तुत किया। उस सम्मेलन में गांधी जी जिना प्रभृति देश के विभिन्न वर्गों के प्रमुख नेता उपस्थित थे। उन अमारात्मक अध्यक्ष थे।

रिपाट के प्राविधान

यह बात स्मरणीय है कि साविधानिक सुधारों के तार में सामान्य कामाशन को अपनी रिपाट तयार करने में 2 वर्ष का समय लगा जबकि नहरू समिति ने चार महीने में सविधान की व्यापक रूपरेखा तयार कर दी। कारण स्पष्ट है सामान्य कामाशन का ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संरक्षण करना था जिसमें तथ्या को तोड़ मरोड़ कर रखने में समय लगा स्वाभाविक था। दूसरी बात यह थी कि सामान्य कामाशन के सभा सदस्य अग्रज थे जिन्हें भारत की स्थिति का सही ज्ञान रहा था। उनकी छात्र गौण तथा शहररतपूण साधना पर आधारित थी। अन्य विपरीत नहरू समिति भारतीय सविधान की व्यवस्था के बारे में स्वयं स्पष्ट थी और जिस सविधान को तयार कर रही थी वह अपने देश तथा आवासियों के लिए था। यही कारण है कि नहरू समिति की रिपाट भविष्य में स्वतंत्र भारत के सविधान की पूर्वगामी सिद्ध हो और सामान्य कामाशन की रिपाट गाने में परिपक्व के सुभावा की जटिलता के ज्ञान में पत्रकार 1935 के सामान्य सुधार अधिनियम का माग-रूपक बनी जा पूणतया शायु तक नहीं हो पायी। नहरू रिपाट की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) सुदूर भविष्य में भारत राज्य का स्वरूप सघात्मक शासन-व्यवस्था वाला ही हो सकता है जिसमें केंद्र तथा प्रांत पूण स्वायत्तताप्राप्ति हैं। प्रांतों के मध्य शक्ति वितरण सघीय आधार पर किया जाना चाहिए और अवशिष्ट विषय केंद्र के हाथ में रहें।

(2) केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में सघीय शासन प्रणाली के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए और मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व सामूहिक होना चाहिए।

(3) रिपाट में यह माना की गयी थी कि भारत का प्रात्रानिर्गोघ्न औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए जमी की कतार आठ दशा की थी।

(4) केंद्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन होंगे। लोक मन्त्र (निम्न मन्त्र) वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक रूप में चुन गये सत्स्य का तथा उच्च मन्त्र प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित सत्स्य का होंगे। प्रांतों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होंगी जिनके सत्स्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुन जायेंगे। उन मन्त्रों का कार्यकाल पांच वर्ष का होना चाहिए। मंत्रिमण्डल उनके प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होंगे। परन्तु सरकारों के स्थायित्व के हित में यह व्यवस्था भी बनाई गयी थी कि प्रथम तीन वर्ष तक केवल अध्याचार सत्स्य जायेंगे पर हा मंत्रिमण्डल अन्तिम में तारा निदान जा सकेंगे। तब दो वर्गों में उन्हें व्यवस्थापिका के विराम पयन हो पार पर बन रहने का हक होगा।

(5) नहरू रिपाट ने प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में यह संस्तुति दी थी कि प्रधानमन्त्री प्रतिस्थापन मन्त्री विराम मन्त्री तथा सम्मेलन मन्तनायक एक ही विधान सत्स्य का एक समिति हो जा सनिक मामलों में सहायक किया करेगा।

(6) नहरू रिपाट का एक विधान यह भी था कि उच्च सविधान द्वारा नामित क

मौलिक अधिकारो की घोषणा करने तथा लोकप्रभुसत्ता के सिद्धान्त को अपना देने का सुझाव दिया था।

(7) अल्पसंख्यको के संरक्षण तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्हें स्वतन्त्रता देने की व्यवस्था भी बतायी गयी थी। साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया था। केवल मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुझाई गयी थी, परन्तु सयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाने का सुझाव था।

(8) सिन्ध के पृथक् प्रान्त के निर्माण तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को पूर्ण प्रान्त की श्रेणी देने की भी सिफारिश की गयी थी।

(9) न्यायपालिका के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के लिए एक सर्वोच्च तथा अन्तिम अपील न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए और प्रीवी कौन्सिल में भारत की कोई अपील ले जाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

(10) देशी राज्यों के बारे में भी कहा गया कि उनसे अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आग्रह किया जाये, ताकि वे सध में शामिल होने के लिए तैयार हो सकें। परन्तु उनके विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जायेगा। अर्थात् सर्वोच्च सत्ता (paramountcy) का अन्त नहीं होगा। वह ब्रिटिश शासन के हाथ से भारत की नई सरकार के पास आ जायेगी।

रिपोर्ट के ऊपर प्रतिक्रिया

भारतीय सांविधानिक विकास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रलेख है। परन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के विकास-क्रम के सन्दर्भ में इस रिपोर्ट को वाञ्छित समर्थन तथा प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो पाया। ब्रिटिश शासकों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना अप्रत्याशित नहीं था। वे तो साइमन कमीशन पर आशा लगाये बैठे थे। औपनिवेशिक स्वराज्य, पूर्ण उत्तरदायी शासन, वयस्क मताधिकार, मूल अधिकारों की प्रत्याभूति आदि की ब्रिटिश शासकों ने आशा करना शुरु किया था। साथ ही सांविधानिक सुधारों की जो व्यापक रूपरेखा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी थी, उसे मानना उसके लिए एक अपमान की बात होगी, क्योंकि वे भारतवासियों को ऐसा कर सकने में सर्वथा अक्षम मानते हैं।

दूसरी ओर भारतीय राजनीति के विविध वर्गों ने भी अनेक आधारों पर इसे स्वीकार नहीं किया। स्वयं कांग्रेस का युवा तत्त्व इसका विरोध करने लगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस युवा वर्ग के नेता थे। दोनों ने इस आधार पर रिपोर्ट का विरोध किया कि रिपोर्ट भारत के लिए औपनिवेशिक स्थिति मात्र से सन्तुष्ट है। इस वर्ग ने दिसम्बर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य की माँग पर जोर दिया। 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पण्डित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष होने वाले थे। अतः उन्हें इस विरोध का सामना करना था। वे इसके लिए गांधी जी की सहायता पर निर्भर थे। अधिवेशन में विरोध का उत्तर देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि 'मैं ब्रिटेन के साथ सम्बन्धों को तोड़ लेने में राजी हूँ यदि उसका हमारे साथ आज का सा व्यवहार बना रहता है। परन्तु मैं उसके ऐसे आचरण के विरुद्ध नहीं हूँ जैसा वह उपनिवेशों के साथ करता है।' परन्तु जवाहरलाल तथा नेताजी सुभाष इससे सन्तुष्ट नहीं थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस में पुनः विभाजन की स्थिति आने लगी है। अतः गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और यह बात स्वीकार कर ली गयी कि यदि ब्रिटिश सरकार नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसम्बर 1929 तक स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस इस रिपोर्ट को ज्यों का ज्यों स्वीकार कर लेगी। अन्यथा असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ा जायेगा जिसके अन्तर्गत करों को न देना भी शामिल है।

अतः कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सशर्त स्वीकार किया। परन्तु जब सर्वदलीय सम्मेलन की स्वीकृति के बाद विभिन्न दलों ने पृथक् से इस पर विचार किया तो अनेक वर्ग भी इसे स्वीकार

करन में हिचकें। सिकन्दो के एक वग न इस वसति ए अमाय किया कि इसमें केवन मुसलमाना के लिए स्थान सुराति रखने की व्यवस्था की गया थी। सिकन्द भी अपन लिए वसी हा सुरक्षा चाहन नग। स्वय मुसलमाना के एक वग ने जिसके नेता मुहम्मद अनी जिन्ना ये इस स्वीकार नहा किया। जिन्ना अपनी 14 सूत्री माँग पर डटे रह।¹ राष्ट्रवादी मुसलमाना न इसका स्वीकार कर लिया। कुछ हरिजन भी इससे सन्तुष्ट नही हुए। मौताना मुहम्मद अनी न भी इसका विरोध किया।

जब 28 दिसम्बर 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था तो जिन्ना ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कुछ सलाह दे रखे। उनका मांग थी कि केन्द्रीय विधान सभा में एक तिहाई स्थान मुसलमाना के लिए सुराति रखने की व्यवस्था की जाय और पञ्जाब तथा बंगाल की प्रांतीय सभाओं में जनसंख्या के आधार पर उनके लिए स्थान सुराति दे जायें। सिखों को तुल्य जनता प्राप्त कर दिया जाय न कि सविधान लागू होने पर। अल्पसंख्यक जातियों को भी जायें। सविधान सभोवन का अधिकार प्रत्येक सदन के 4/5 बहुमत द्वारा तथा दोना सदन के संयुक्त रूप से मनदान के आधार पर दिया जाय। सत्र में जिन्ना के सलाह को 'यावहारिकता की दृष्टि से उचित बनाया परन्तु हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि जयकर ने इसका तीव्र विरोध किया। मनदान पर जिन्ना का सलाह गिर गया। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने साम्प्रदायिक समस्या को भविष्य में निरन्तर जटिलतर बना दिया। सत्र के मन से जनसंख्या के आधार पर जब 27/ स्थान मुसलमाना को स्वयमेव मिलने से और यदि 6 1/2/ उर्दू और दलिया जात तो कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। एक भारी समस्या का समाधान हा जाता। यदि यह माना गया था कि उत्तरदायी शासन से युक्त विद्युत् लाकत में स्थानों का सुराति रखा जाना असमंजस है तो स्वयं नेहरू रिपोर्ट सुराति स्थानों की व्यवस्था के सिद्धांत का मान चुकी थी। वास्तविकता की उपेक्षा करके आत्मवादिता का जयजय कराना उचित नहा था। यह भी जांच की बात थी कि स्वयं गांधी जी ने इस अवसर पर बाल विवाद में भाग नहा लिया और समाधान के लिए कोई हस्तक्षेप किया बिना रिपोर्ट को यथावत् स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव रखा। सम्मेलन के इस व्यवहार ने जिन्ना सहित राष्ट्रवादी तथा मुहम्मद अनी महा गांधीवादी एवं दाना प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को रूढ़ कर दिया। यद्यपि रिपोर्ट का सरकार ने भी कतई स्वीकार नहीं किया तथापि इसने भारतीय मुसलमानों की एकता विरोधी भावनाओं को प्रवृत्त कर दिया। जिन्ना ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि यह तरीका विभाजन का है (This is the parting of ways)। मौताना मीहम्मद अनी के गाना में हममें (मुसलमानों में) तथा उनमें (काफ़रों में) अब एक एसी गली आ गयी है जिसके ऊपर पुनः का निर्माण नहा हा सकता। ये मतभेद बढ़ते गये और ब्रिटिश शासन का इस घटना से अतएव हफ तथा उन्माद मिला। इसकी सूचना गाना हरबिन ने बड़े उत्साह के साथ भारत मंत्री को भेजते हुए दिया कि जब मुसलमान लोग हिन्दुओं के साथ एसी प्रतिप्राणिता करें ना सन्तुलन बनाय रखने के निमित्त हम भरसक काय करेंगे।²

पूर्ण स्वतंत्रता की मांग

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में ही कांग्रेस के उद्भव के दिन न कांग्रेस का राजनैतिक भिन्नता की नीति का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने तिनके प्रभाव से कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता का माँग स्वीकार कर

¹ इनका उल्लेख 'मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन' बाल अध्याय में आया किया जाएगा।

The Chaudhary, vol IV 113-15

When a case of Moslems competing with Hindus we do our best to hold the balance even 1664 116

लिया था। परन्तु पूर्ण स्वराज्य का अर्थ पर्याप्त लम्बी अवधि तक ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य ही बना रहा। सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों के कांग्रेस से पृथक् हो जाने पर तथा तिलक के दीर्घ अवधि के कारावास के कारण पूर्ण स्वराज्य की माँग दबी पड़ी रह गयी। अन्य उग्रवादी नेताओं के ऊपर भी भारी प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। वाद में होम रूल आन्दोलन का लक्ष्य भी औपनिवेशिक ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति का ही बना रहा। 1920 के लगभग जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया तो उन्होंने भी पूर्ण स्वराज्य की माँग जैसी स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं की। वे भी औपनिवेशिक स्वराज्य सदृश धारणा को ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का लक्ष्य मानते रहे। 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय करते समय पुनः कांग्रेस के युवा नेतृत्व के प्रभाव से कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति घोषित किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का बहुत स्वागत नहीं किया। इसका अर्थ यह था कि भारतवासी अपने देश में ऐसी स्वायत्त शासन-प्रणाली अपनाना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत भारत ब्रिटेन से अपना किसी प्रकार का सांविधानिक सम्बन्ध नहीं रखेगा। परन्तु गांधी जी ब्रिटेन के साथ ऐसे सम्बन्ध-विच्छेद को उचित नहीं समझते थे।

1928 के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस को प्रस्ताव पास करना था। सितम्बर 1928 में जब कांग्रेस कार्य समिति ने इस रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने सट्ट होकर कांग्रेस सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्थिति को स्वीकार किया गया था, जबकि जवाहरलाल जी कांग्रेस के 1927 के प्रस्ताव 'पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति' के उद्देश्य पर अड़े रहे। उनके समर्थक सुभाष बाबू, आदि थे। स्पष्ट था कि इस प्रश्न पर पुनः कांग्रेस में विभाजन हो जायेगा। जब गांधी जी ने नेहरू रिपोर्ट को समर्थन देने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर सशोधन प्रस्ताव रख दिया और सुभाष बाबू ने उसका समर्थन किया। इस पर गांधी जी ने हस्तक्षेप करते हुए 31 दिसम्बर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा मानने की तथा उसकी अनुपस्थिति में कांग्रेस द्वारा पुनः असहयोग व सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने की शर्त रखी। यद्यपि पण्डित जवाहरलाल तथा उनके साथी इससे भी सन्तुष्ट नहीं थे, तथापि गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने स्पष्ट किया कि 'स्वतन्त्रता शब्द को यदि इस रूप में व्यक्त किया जाये जिस रूप में श्रद्धा तथा विश्वास की भावना से मुसलमान अल्लाह शब्द तथा हिन्दू राम या कृष्ण शब्द उच्चारित करता है तो यह एक कोरा ढकोसला होगा। स्वतन्त्रता शब्द कोरा शब्द-जाल मात्र नहीं है, अपितु यह एक बहुत बड़ी चीज है।'¹ गांधी जी का अभिप्राय यह था कि पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग तथा एक वास्तविक औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग केवल भावावेश की द्योतक है।

कांग्रेस के इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया ब्रिटिश कैम्प में एक-दूसरे ही ढंग से व्यक्त हुई। 1929 के प्रारम्भ में इंग्लैंड के आम चुनावों में मजदूर दल के नेता रामजे मेकडोनेल्ड को मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। इस समय मजदूर दल पूर्ण बहुमत में नहीं था। भारत को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएँ थी। मजदूर दल को अपने देश में अनुदार तथा उदार दोनों दलों से समर्थन प्राप्त करना था, अतः वह भारत की स्वतन्त्रता की माँग को मानने की स्थिति में नहीं था।

अक्टूबर 1929 में वाइसराय ने यह घोषणा की कि 'भारत की सांविधानिक प्रगति का स्वाभाविक मामला जैसा विचार किया जा रहा है यही है कि उसे औपनिवेशिक स्थिति (dominion status) प्राप्त हो। इस घोषणा का भारत में बहुत स्वागत हुआ। इस दिशा में ब्रिटिश मित्रों के भारत को सहायता देने सम्बन्धी श्रमिक दल की सरकार के प्रयासों के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा 'मैं तो सहयोग के लिए मर रहा हूँ।' साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि

¹ Quoted in P. Sitaramayya, *op. cit.*, 331

यदि वास्तव में औपनिवेशिक स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मैं इस सविधान की प्रतीक्षा में रह सकता हूँ। इसका अभिप्राय यह था कि वे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित 31 दिसम्बर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने की गत को ढीला करने को भी तयार थे। परन्तु वात्सराय की इस घोषणा की प्रतिक्रिया इंग्लैंड में उल्टी हुई। अनुत्तरदायी नया चर्चित वर्नेनहेड (भूतपूर्व भारत मंत्री) लाड रीनिंग आदि तो भारत को औपनिवेशिक स्थिति देना पाप समझते थे। उदारदायी नया लायड जाज न भी इसका विरोध किया। फनस्वरूप तत्कालीन भारत मंत्री वजवुड वन ने अपनी प्रतिरक्षात्मक धारणा व्यक्त करते हुए इस घोषणा की पुनर्गति की कि जिस रूप में उत्तरदायी शासन भारत में चल रहा है वह औपनिवेशिक स्थिति का ही रूप है। उसमें वही मिथ्या है और यह अब भारत के अधिकारों का अंग बन चुका है।¹ वन का यह कथन भारतीय जनमत के लिए एक निराशाजनक बात थी। गांधी जी जो अभी तक औपनिवेशिक स्वराज्य के कट्टर समर्थक थे अब पूर्ण स्वराज्यवादी होने लग गये। बाद में 1 दिसम्बर 1931 के दिन इण्डिया में उद्घोषित लिखा था कि कांग्रेस की दृष्टि में औपनिवेशिक स्थिति के मान ही पूर्ण स्वराज्य है जिसमें जहाँ तक सम्भव हो इंग्लैंड के साथ ऐच्छित सहचार भी शामिल था जो दाना लेना की पारस्परिक भनाई का द्योतक है।

दिसम्बर 1929 में नाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। इस अधिवेशन में पण्डित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे। 31 दिसम्बर 1929 की तिथि कांग्रेस सदस्यों को भनी भाँति याद थी। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की नेतावनी की उपता की तो नाहौर कांग्रेस ने कांग्रेस सविधान में संशोधन करके स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना ध्येय घोषित कर लिया। 31 दिसम्बर 1929 की जाही रात को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का निरगा भण्डा फहराते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के कांग्रेस के उद्देश्य की घोषणा की जो 26 जनवरी 1930 से निरन्तर समाप्ति की स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। भारत के इतिहास में 26 जनवरी की तिथि एक महान् राष्ट्रीय पर्व बन गया है। जब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर नये सविधान को पारित किया गया तो उस लागू करने के लिए भी यही तिथि माय की गयी थी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के ठीक बीस वर्ष पश्चात् स्वतंत्र भारत ने 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्य का सविधान लागू किया। तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व बन चुका है।

प्रश्न

- 1 साइमन कमिशन के आगमन की भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?
- 2 टिप्पणी लिखिए—
 - (अ) साइमन कमिशन को रिपोर्ट।
 - (ब) नेहरू रिपोर्ट।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोल मेज सम्मेलन (CIVIL DISOBEDIENCE AND THE R T C)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता संग्राम का पूर्ण नेतृत्व अपने हाथ में लेने के पश्चात् गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला सघर्ष 1920 का अमहयोग आन्दोलन था। इस आन्दोलन में वांछित सफलता न मिलने के पश्चात् गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। यह कार्यक्रम स्वदेशी आन्दोलन का शान्तिपूर्ण विस्तार था। सावरमती तथा वर्धा आश्रम इसके केन्द्र थे। गांधी जी के अनुयायी समूचे देश में इसका प्रचार-कार्य करते रहे। जब 1920-30 के दशाब्द में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की बढती हुई माँगों के प्रति ब्रिटिश सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया बना रहा, तो यह निश्चित था कि अब गांधी जी को दूसरा अभियान प्रारम्भ करना पड़ेगा। यही अभियान 1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन था जो प्रथम चरण में मार्च 1930 से मार्च 1931 तक चला। परन्तु इसकी पुनरावृत्ति 1932 से 1934 तक की गयी।

आन्दोलन की पृष्ठभूमि

(1) सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का मुख्य कारण देश की गिरती हुई राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थीं जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। इस बात को गांधी जी ने तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में स्पष्टतया व्यक्त किया था। 26 जनवरी 1930 के कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने देश का राजनीतिक, आर्थिक, मास्कृतिक तथा आध्यात्मिक शोषण करके देश को बरबाद कर दिया है। अतः जब तक देश राजनीतिक दृष्टि में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हो जाता तब तक जनता के कष्टों का अन्त नहीं हो सकता। ब्रिटिश शासन अपनी शोषण नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे थे। अतः ऐसे शासन को समाप्त करना जनता का प्रमुख कर्तव्य है। दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए निःशस्त्र जनता सविनय अवज्ञा तथा अहिंसात्मक सत्याग्रह का ही महारा ले सकती है। गांधी जी को अपने इस कार्यक्रम की सफलता पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वे इसका मफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे।

(2) ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का रोप साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण बढ गया था क्योंकि भारत के लिए सांविधानिक सुधार-व्यवस्था पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए भारतवासियों की उपेक्षा करके पूर्णरूपेण अंग्रेज सदस्यों से निर्मित आयोग की रचना करना भारत का घोर अपमान था। इसमें यह भी स्पष्ट हो गया था कि ऐसे आयोग द्वारा जिस रूप की शासन-व्यवस्था मुभाई जायेगी वह कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकती।

(3) जब कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की चुनौती स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार कराके उसका सभी दलों के सम्मेलन में अनुसमर्थन करा लेने में सफलता प्राप्त कर ली, तो ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को उपेक्षित तो रखा ही, जैसा कि उससे आजा की जाती थी, नाथ ही स्वयं कांग्रेस के एक वर्ग द्वारा उस रिपोर्ट में एक कदम आगे बढ़कर औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करके ब्रिटिश सरकार को 31 दिसम्बर 1929 तक इसे स्वीकार कर लेने का समय दिया था। इसी क्षण पर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया था, अन्यथा उसने यह प्रण कर लिया था कि

एसा न हान पर सविनय जनता जागेवन प्रारम्भ कर लिया जायगा। अन्तत यही था। अन्त 31 दिसम्बर 1929 का कार्यक्रम न औपनिवेशिक स्वराय के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना अपना नय घोषित कर लिया। स उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब कार्यक्रम के पाम सविनय जनता आन्दोलन प्रारम्भ करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नही रह गया था। अन्त कार्यक्रम कार्यकारिणी ने 11 फरवरी 1930 का महात्मा गांधी का सविनय जनता आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार ले लिया।

(4) 1928 तथा 1929 की अवधि में देश में कुछ नये प्रकार के आर्थिक संगठन बनने लगे थे और कुछ एसी घटनाएँ हुई थी जिन्होंने सविनय जनता आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। इनमें से प्रथम घटना 1928 का वास्तोशी सत्याग्रह थी। मूरत जिन के वास्तोशा नामक ग्राम के किसानों के उपर जब भू राजस्व 25% बढ़ा दिया गया जिसका कि कोई तार्किक या कानूनी आधार नही था ता किसानों ने बढ़ा हुआ रकमान देने में इनकार कर दिया। सरकार के नभमार्च पटल के नन्तव में यह सत्याग्रह जोर अधिक गतिशीली सिद्ध हुआ। यह पूर्णतया गान्धिपूण एवं जाहमात्मक था। परन्तु इनकी नीति पर चर्चें बाना ब्रिटिश सरकार ने इन दरान के लिए पठाना की सनिक टकनी बनी भेजी। किसान उस से मस नही हुए। इन पर कानूनीय विधान सभा के अन्तर्गत विन्टनभा जे पटल ने वास्तोशा के पत्र लिखकर अपना योगदान देने की उच्च व्यक्त की। अन्तत समझौता हा गया और एक आर्थिक समिति की नियुक्ति का गयी जिसने 6 1/4% वृद्धि का मुभाव लिया। किसान उसमें के लिए राजा हा गये। वास्तविकता यह थी कि इन आन्दोलन में किसान रकमान नही चाहते थे। उनको यहा माग थी कि मनमाने रूप में 25% वृद्धि का आर्थिक जाच की जानी चाहिए। दूसरी बात यह था कि कार्यक्रम इन आन्दोलन में जनम रहा। उनमें इन राजनीतिक आदान का रूप नही लिया। अन्त यह स्पष्ट हा गया था कि जब अत्याचारी गामन के विरुद्ध वास्तोशी का सत्याग्रह मफत हा सनता न ही दायव्यापी मगतिन सत्याग्रह स्या नही सफत हा सनगा।

(5) दूसरी जार इन में कुछ समाजवादी गतिया भी विकसित हो गी थी। एसी माध्यम बाने गतिन का प्रभाव भारत में भी आन रगा था क्यकि भारत का आर्थिक शापण एक गतिशीली पूजीवादी साम्राज्य द्वारा मनमाने रूप से किया जा रहा था। भारत के माध्यमवादी का मरठ जन में जिना आगवा की आर्थिक मुनबाय विषय बन्द कर दिया गया था। भारत में भी अन्तित भारतवादी दूर नियत कार्यक्रम की स्थापना का जा चुकी थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू इनमें सभापति थे। पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा में भारत का एक समाजवादी गणतंत्र निमित्त करने की भा घोषणा की गयी थी। अन्त आर्थिक शापण करने पर तुरत साम्राज्यशाही के विरुद्ध ब्रान्ति का सम्भावना बनी जा रहा थी। उस बचन नन्तुत्व की आवश्यकता थी।

(6) ब्रिटिश सरकार भारत की भावी गामन यव था के सम्बन्ध में भारतवागिया में जिमा प्रसार का सह्याग प्राप्त करने की जार प्रवृत्त नन्त थी। उन्टे बन् साम्राज्य में प्रतिगध पर नी दमन की नानि अपना रहा थी। गान मज सम्पन्न की बात स्वाकार करके ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जमा कि वास्तोशा न घोषित किया था यह था कि वह साम्राज्य का सरकार के मागदान के निमित्त जिमसे ऊपर मद के विचारार्थ प्रस्ताव का पारन प्रस्तुत करने का दायित्व था राय के व्यक्त करगी और उस सम्पत्ता प्रदान करगा।¹ इन दृष्टि में वास्तोशा न ब्रिटिश गामन नीति का स्पष्ट कर दिया कि वह भारतवागिया के आमनिष्य के अधिकार का उप हा कर रही थी। मीनागमया के गान में यह पूर्णतया स्पष्ट था कि भारत का न ही आत्मनिषय करने का न मयुक्त रूप में निषय करने की आगा रचना चाहिए बकि उर दूसरा के निषय पन् निभर रहना चाहिए। एसा कि यनि में सविनय जनता आन्दोलन जोर अधिक आवश्यक प्रतीत हा गया।

इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर्याप्त सुदृढ़ थी और उसके कारण भी सुस्पष्ट थे। परन्तु इस बार गांधी जी ने पर्याप्त सयम वरता। आन्दोलन छेड़ने से पूर्व उन्होंने न केवल सरकार को ही स्पष्ट चेतावनी दी, अपितु उसे विचार करने का पूरा अवसर भी दिया। साथ ही आन्दोलनकारियों को पूर्णतया तैयार कर लिया ताकि आन्दोलन किसी भी रूप में हिंसात्मक न होने पाये और सरकार द्वारा उसका दमन करने में खून-खराबी से बचा जाये।

आन्दोलन से पूर्व गांधी जी की शर्तें

यद्यपि सविनय अवज्ञा आन्दोलन की स्वीकृति कांग्रेस कार्यकारिणी ने फरवरी 1930 में दे दी थी और उसके पश्चात् भी गांधी जी ने अन्तिम क्षण तक वाइसराय को सोच-विचार करने का अवसर दिया था, जो कि उनके वाइसराय को लिखे गये 2 मार्च 1930 के पत्र के द्वारा स्पष्ट है,¹ तथापि गांधी जी ने जनवरी मास में ही बोमन जी को अपनी प्रसिद्ध 11 शर्तें बता दी थी और बोमन जी ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से समझौता वार्ता करने की योजना रखी थी। गांधी जी की 11 शर्तें सक्षेप में इस प्रकार थी पूर्ण नशाबन्दी, भारतीय रुपये का मूल्य डेढ़ शिलिंग की अपेक्षा 1½ शि० निर्धारित करना, भू-राजस्व को 50% कम करना, नमक कर की समाप्ति, सैनिक व्यय में कम से कम 50% की कमी करना, उच्च अधिकारियों के वेतन को आधा करना, विदेशी कपड़े पर रक्षात्मक प्रशुल्क लगाना, समुद्र तटीय प्रशुल्क सुरक्षा विधेयक को पारित करना, अहिंसात्मक ढंग से कार्य करने वाले समस्त राजनीतिक बन्धियों को मुक्त करना, गुप्तचर पुलिस का अन्त करना या उसे जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत रखना, तथा जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत आत्मरक्षा हेतु बन्दूकों को रखने के लाइसेन्स प्रदान करना।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र—सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका के बजट अधिवेशन में सरकार की वित्तीय नीति के विरोध में पण्डित मदनमोहन मालवीय, दीवान चमनलाल आदि अनेक नेताओं ने त्याग-पत्र दे दिया था। यद्यपि इनका सम्बन्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ नहीं था, तथापि कांग्रेस के घोषित आदेशों के अन्तर्गत फरवरी 1930 में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के 172 सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये थे। कांग्रेस ने अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का अनुरोध जारी रखा। इस प्रकार अवज्ञा आन्दोलन के पूर्व असहयोग का वातावरण बन चुका था। दूसरी ओर सरकार भी दमन की नीति पर दृढ़ होती जा रही थी।

गांधी जी का वाइसराय को पत्र—इन सब परिस्थितियों के सन्दर्भ में गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को स्पष्ट शब्दों में तथा निर्भय होकर जो पत्र वाइसराय लार्ड इरविन को लिखा था वह वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। इस पत्र में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक अभिशाप बताया, परन्तु अंग्रेजों को अपना मित्र कहा। 1930 में आयोजित गोल मेज सम्मेलन के उद्देश्य की भी उन्होंने भर्त्सना की, क्योंकि वाइसराय उसके अन्तिम परिणामों के बारे में कोई भी आश्वासन देने में असमर्थ रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन नीति की समस्त बुराइयों का स्पष्टीकरण करते हुए गांधी जी ने तथ्यों द्वारा वाइसराय को बताया कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक घोपण कर रही है। उन्होंने सरकार की कर-नीति, उद्योग तथा वाणिज्य की नीति, प्रशासन में अत्यधिक व्ययशीलता, सेना में अत्यधिक व्यय, भारत की जनता को राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों से वंचित रखने तथा हर प्रकार में उन्हें दासता की स्थिति में बनाये रखने की प्रवृत्ति और न्यायोचित माँगों के लिए किये जाने वाले अहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर दमन की नीति अपनाने की नीतियों का पर्दाफाश किया, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि वाइसराय को ब्रिटिश

¹ इस पत्र का सारांश मात्र आगे दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की तुलना में लगभग चौगुना बतन मिनता है जिम्मा भार निधन भारतीय जनता को उठाना पड़ता है और उस पर कर भार बढाया जाता है। इसी प्रकार सार प्रशासन का व्यय बढाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एस गान्धन को भारत में विद्यमान रहने का कोई नतिक तथा यामोचित अधिकार नहीं है। भारतवासियों के इन कष्टों का निवारण तभी हो सकता है जबकि उन्हें स्वयं अपना सामा करने का अधिकार प्राप्त हो जाये। ब्रिटिश सरकार इस दिशा में कोई कर्मान्वादी कदम उठाने का प्रस्तुत नहीं है। जत जनता के पास अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा करके अपने इन पवित्र अधिकारों का प्राप्त करने का अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। गांधी जी ने इस हेतु 11 मार्च 1930 तक की तिथि वात्सराय को विचार करने के लिए दी और लिखा कि यदि वह अब भी समस्या पर उनसे विचार विनिमय करने का अच्छा रखे तो पत्र प्राप्त करत ही तार द्वारा उन्हें सूचित करे। इस स्थिति में वे (गांधी जी) सविनय अवज्ञा के अपने प्रस्तावित आन्दोलन को स्वगित कर सकते हैं। परन्तु यदि ऐसा नहीं हुआ तो 12 मार्च को वे नमक कानून तोड़कर अपने अभियान का प्रारम्भ कर दगे।

ऐतिहासिक डाडी यात्रा का प्रस्ताव—जसी कि आशा थी वात्सराय ने इस पत्र का तुरन्त उत्तर तो दिया परन्तु गांधी जी की स्पष्ट घोषणा के बावजूद वात्सराय ने यह कहा कि जिस मांग का अनुसरण गांधी जी कर रहे हैं उससे निश्चय ही अति व्यवस्था तथा कानून का उल्लंघन करने में हिंसा का तत्व आ जायगा। इस उत्तर में गांधी जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं रोटी मांग रहा था उत्तर में मुझे पत्थर मिला है। ऐसी स्थिति में गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन जो गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करने से प्रारम्भ होता था अवश्यभावी हो गया। 12 मार्च को गांधी जी ने सावरमती आश्रम से डाडी तक 200 मील की पैदल यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। उनका साथ आश्रम के अहिंसा में प्रशिक्षित गिण्य दल। डाडी जाकर पहले स्वयं गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करने के प्रतीक रूप में नमक खनात और बिना कर दिए उस जनता को प्रयाग के हेतु वितरित करते। उस पश्चात् तब उनके अनुयायी सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कार्य-कलाप करते। इसकी सूचना वात्सराय का पत्र ही दे दी गई थी। अतः 12 मार्च को इस अभियान का आरम्भ निश्चित हो गया। गांधी जी के पूर्व खयाल को देखते हुए यह भी निश्चित हो था कि वात्सराय गांधी जी द्वारा रखी गई सब समस्याओं पर विचार विनिमय करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा और अन्ततोगत्वा सविनय अवज्ञा आन्दोलन अवश्य आरम्भ करना पड़ेगा।

गांधी जी द्वारा सत्याग्रहियों को चेतावनी—जहाँ एक ओर गांधी जी ने वात्सराय का ऐसी चेतावनी दी और सोच विचार करने का अन्तिम क्षण में एक और अवसर दिया वहाँ उन्होंने स्वयंसेवा करने वाले दण्डार्थियों का भी अहिंसा के माध्यम से अनुसरण करने तथा पूर्णतया अनुग्रहित रहने और समय से कार्य करने का आह्वान किया। प्रत्येक सत्याग्रही का यह शपथ लेनी थी कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेना चाहता है वह सभी शान्तिपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण तरीके से भारत के लिए कायदे द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के सिद्धान्त को अपनाता है इस अभियान में वह जन या अन्य किसी प्रकार के दण्ड को सहन करने के लिए तैयार है यदि वह जान गया तो उस अवधि में अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक गृहायना की कायदे से माँग नहीं करेगा और वह पूर्णतया उन नतीजों की आज्ञा का पालन करेगा जिनके ऊपर आन्दोलन का भार सौंपा गया है।

आन्दोलन का प्रारम्भ (डाडी यात्रा)

पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सविनय अवज्ञा का आगमन स्वयं गांधी जी के द्वारा डाडा नामक स्थान पर समुद्र तट से बिना कर लिये नमक उठाकर किया जाना था। अतः सावरमती आश्रम से डाडा तक की लगभग 240 मील की पैदल यात्रा में गांधी जी ने 12 मार्च की प्रातः

काल को अपने 78 प्रशिक्षित साथियों के साथ प्रस्थान किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। प्रातः काल जब गांधी जी के साथ सत्याग्रहियों का दल प्रस्थान करने लगा तो अहमदाबाद की सारी गलियों हज़ारों दर्शकों की भीड़ से भर गई। 'गांधी जी की जय' के शब्द घोष से आकाश गूँज उठा। जनता में अतीव श्रद्धा, उत्साह तथा ओज था। लेखकों ने इस यात्रा को रामचन्द्र जी की लका पर चढ़ाई करने की यात्रा से तुलना की है, जो वास्तविक है। गांधी जी का दल मार्ग में जिन ग्रामों से होकर गुजरा, सब जगह नर-नारी भारी हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत करने लगे। गांधी जी सबको यही उपदेश देते गए कि कहीं पर भी अनुशासनहीनता तथा हिंसा नहीं होनी चाहिए। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिये। जिन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिये उनका बहिष्कार किये जाने की योजना रखी गई। परन्तु गांधी जी ने चेतावनी दी कि इस कार्य में तनिक भी हिंसा न आने पाये। सामाजिक बहिष्कार का क्षेत्र केवल उनके पद से सम्बद्ध कार्यों तक सीमित रहे। अन्यत्र ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रवत् व्यवहार बना रहे। मार्ग में कहीं पर भी सत्याग्रही दल के व्यक्तियों के लिए इससे अधिक सुख-सुविधा की व्यवस्था न की जाय जितनी कि भारत के एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त होती है। 24 दिन की पैदल यात्रा पूरी करके दल अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा। 6 अप्रैल की प्रातः काल की बेला में गांधी जी ने अपने साथियों सहित अपना सविनय अवज्ञा का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर बिना कर दिये उसे लोगों में बाँटा। सत्याग्रह दल के साथ अनेक पत्रकार, चित्र लेने वाले तथा फिल्म-निर्माता भी थे। सारा विश्व भारत के इस महान् दृश्य को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। कुछ विदेशी पत्रकारों का मत था कि भारत में स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में महान् क्रान्ति हो चुकी है, ज्यों ही गांधी जी के सफल अभियान की सूचना देश में फैली, त्यों ही हज़ारों लोगों ने डांडी को प्रस्थान किया। शेष उनके आदेशों के अनुसार आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की वाट देख रहे थे।

गांधी जी के आदेशानुसार देश-भर में प्रत्येक सत्याग्रही को नमक कानून का उल्लंघन करना था। नमक तैयार करना, उसे स्वतन्त्रतापूर्वक बिना कर चुकाये बेचना या लोगों में वितरित करना इस अभियान के अंग थे। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि सरकार ऐसे सत्याग्रहियों का दमन करने में पुलिस का सहारा लेगी। परन्तु सत्याग्रहियों को गांधी जी के कठोर आदेश थे कि कहीं पर भी हिंसा का अवलम्बन न किया जाये। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी माल एवं विशेषकर कपड़े का बहिष्कार तथा खादी का प्रयोग, सरकारी पदों से त्याग-पत्र देना, विचारियों द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, शराब की दूकानों पर धरना देना (इस कार्य में गांधी जी ने महिलाओं के विशेष योगदान पर जोर दिया था), घर पर चरखे का प्रयोग छुआछूत का विरोध, साम्प्रदायिक सदभावना, आदि रचनात्मक कार्य शामिल थे।

सभी को विश्वास था कि नमक कानून तोड़ते ही गांधी जी को बन्दी बना लिया जायेगा। परन्तु सरकार को ऐसा खतरा मोल लेने का साहस नहीं हुआ। जब अवज्ञा आन्दोलन की लहर सारे देश में फैल गई, तो अन्यत्र सरकार का दमन शुरू हुआ। ऐसा अनुमान है कि लगभग एक लाख की सख्या में सत्याग्रही बन्दी बना लिये गये थे और सरकारी जेलों में स्थानाभाव हो जाने के कारण सरकार को बन्दीयों के लिए अन्य इमारतों की व्यवस्था करनी पड़ी। स्थान-स्थान पर शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने वालों के ऊपर पुलिस ने लाठी प्रहार, गोली चलाने आदि हिंसात्मक कार्यों की भी कमी नहीं की। गांधी जी को सारी सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। उन्होंने सरकार की दमनकारी नीति की भर्त्सना करते हुए वाइसराय को पुनः पत्र लिखा। परन्तु सरकार ने परवाह नहीं की, प्रेम पर प्रतिबन्ध और कडा कर दिया गया। मिनेमा गृहों को कटे आदेश दिये गये कि वे गांधी जी की टाटी यात्रा के फिल्मों का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। संक्षेप

म सरकार की सम्पूर्ण प्रतिम शक्ति मर्यादाग्रह आन्दोलन का अन्त करने पर कल्पित न गइ। गांधी जी ने जवन का प्रती बना लिए जाने पर मर्यादाग्रह आन्दोलन का संचालन करने का उत्तराधिकारी अत्राम तय्यर जी का नियुक्त किया था। परन्तु 12 अप्रैल का ही तय्यर जा प्रती कर नियुक्त गये थे। 27 अप्रैल का मर्यादाग्रह न गवा। जी का भा बननी बना किया। उह यरप्रता जन म पहुँचाया गया। फिर क्या था? आन्दोलन की गति तुरन्त तीव्र न गयी। उन्मादनीय सगठन की परिपक्व न जवना आन्दोलन की निष्ठा करने क माध-माध सरकार म अनुगम किया कि उन् भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने क प्रस्ताव म गांधी मज सम्मेलन तुरन्त पुनाय। परन्तु अन्त पर तुनी सरकार अम कर्षी मानता। राग्रम क सभी प्रमुख नेता प्रती न चुन थ। पण्डित मोतिलाल नेहरू ता जन रा यातना म एतन अस्वस्थ हा चुन थ कि सरकार का उन् छोड़ना पना। पण्डित जवाहरलाल नेहरू क बना एतन म काग्रम का नतृत्व जय नेताजा का सम्भालना पना। बुद्ध समयतन सरकार एतेन न रायकारी अध्यक्ष पर सम्भाला। अम अवधि म उहान पर विरोधा आन्दोलन टूट लिया परन्तु शीघ्र नी बनी न गये। एक वष म तीन बार उह बनी किया गया। नेहरू (जवाहर) जी को बीच म थोडे म समय क लिए छोडा गया था। कर न अम क आन्दोलन की अवधि म सरकार का अन्त चक्र जीर अधिर बना। गुजरात पंजाब वगान तथा मध्य अधिर पच्छिमात्तर सीमा प्रांत जा एतन तरा अन्त क प्रमुख गये थ। पंजाब म गांधी अरु दुनगपफार याँ क नतृत्व म 10 दिन तक शासन पर जनता का अधिकार हा गया था। विदेशियों क ऊपर गठवान राक्षस क नवाना का गांधी चताने का आदेश दिया गया ता जवाना न एतकार करके का मागत का एव स्वीकार किया। सरकार न मर्यादाग्रहिया का ही नना अपितु कर्षी अवमग पर निरपराध व्यक्तिया का भी प्रतिम क अत्याचार का शिकार जनाया। अन्ती अन्तना विदेशी पक्षकार एव अन्तमगठना तक न की थी।

विदेशी मान क बहिष्कार क फलस्वरूप सरकार तथा विदेशी स्वामित्व क कारखाना का भारी तान का सामना करना पना। जनक एम कारखाने टूट हा गये। गांधी निमाण का काय एतनी तीव्रता म जाने गगा कि थानी नी अवधि म खानी उद्योग न डूब नाय म भी अधिक चुनकरा को राजगार दिया। आन्दोलन न विविध राजनीतिक तरा तथा गुटा म स्वायत्त शासन का मात्र फल दिया जिसक वार म सभी एव थ परन्तु उनक माधता क मतभेद जरूर रू। जिन्ना गांधी जी क इस आन्दोलन क विरोध थ जमा कि उन् 1920 क जमत्योग आन्दोलन म मदत मिता था। क औपनिवेशिक एग की स्थिति क निमित्त गांधी मज सम्मेलन का मांग करने रू। काग्रम एकात्मकतावादी गठना चाहता थी ता मुस्लिम लीग मध्यामकतावादी गठना क प र म थी। काग्रम का तरा था कि मुसलमाना क अन्त प्रमुख नेता व्यक्तिगत तमता म तथा जमायत उर उरमा मुत्सद्द विस्मृतकार अन्तम एवाम आदि मगठना क रूप म मर्यादाग्रह आन्दोलन क साथ है। जय 1930 क मुस्लिम लीग क अधिरशन म एन्डाल न भारतीय मध क अन्तगत उत्तर पच्छिमी प्रशा क स्वायत्तशासना राय का मांग का ता अन्त मुस्लिम नेताजा न एका विरोध किया। क भी हिन्दू मुस्लिम गठना चाहत थ। एगा बना जाता था कि लगभग 12 हजार मुसलमान मर्यादाग्रह आन्दोलन म बनी हा चुन थ।

भारत क ब्रिटिश शासन प्रारम्भ म नमक मर्यादाग्रह आन्दोलन का मनीर उहान थ जीर जय वह तीव्र हाता गया ता बन प्रयाग राग उम एराने नग। शान्तिपूर्ण मर्यादाग्रहिया का जिम जमानुषिक अन्त म देजाया गया क ना अधिकागिया का विषयता नना गगा। परन्तु आन्दोलन का प्रबल होत जाना ब्रिटिश शासका क लिए बिना का विषय बन गया। अन्तित न माना कि गांधी न लिच्छुआ क मध्य जमा राष्ट्रीय आन्दोलन चनाया है क विना भी ब्रिटिश या भारतीय पक्षक्षर क लिए आन्दोलन था। हम अम एराने का आगा करने म सफल नना न मक।

प्रथम गोल मेज सम्मेलन

सम्मेलन की पृष्ठभूमि—जैसा पहले कहा जा चुका है, भारत की साविधानिक सुधारों की समस्या प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद तीव्र गति से जटिल होती जा रही थी, माटफोर्ड सुधारों ने इसे और अधिक जटिल बना दिया था। 1924 में स्वराज्य दल ने केन्द्रीय विधानसभा में साविधानिक समस्या के हल के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने की माँग का प्रस्ताव पास किया था। परन्तु 1920 से 1930 की अवधि में ब्रिटेन के उदार तथा अनुदार दलीय नेता, भारत मन्त्री एव वाइसराय, सभी ने वास्तविकताओं की उपेक्षा की और माटफोर्ड योजना में प्राविधित 10 वर्ष तक कोई नया कदम न उठाने की नीति पर अड़े रहे। उन्होंने न तो विश्व में हो रहे विक्रमों के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान दिया और न स्वयं भारत में विकसित हो रही राजनीतिक जागृति की परवाह की। वे अपने साम्राज्यवादी स्वप्नों को ही दमनकारी तथा बल प्रवर्ती साधनों द्वारा साकार करने में व्यस्त रहे। परन्तु समय की माँग ने उन्हें साइमन कमीशन को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नियुक्त करने को विवश किया, तो उसके सम्बन्ध में जो नीति अपनायी वह भी उनके शरारतपूर्ण रवैयों की ही द्योतक सिद्ध हुई जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों को रूढ़ करने का ही श्रेय प्राप्त किया। वाइसराय लार्ड इरविन जो भारत की वास्तविक स्थिति के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क में था, अब वास्तविकता को कुछ समझने लगा था। परन्तु इंग्लैण्ड में सत्ताधारी नेता तथा विरोधी दलों के नेता उससे सहमत नहीं होते थे। भारत में स्वायत्त शासन की माँग निरन्तर प्रत्येक वर्ग की ओर से बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में लार्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व ही 31 अक्टूबर 1929 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक ढंग के स्वशासन की स्थापना कम्बे तथा भावी संविधान के मसविदे पर विचार करने के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने का है।

इधर साइमन कमीशन की प्रतिद्वन्द्वी नेहरू समिति की रिपोर्ट निकल चुकी थी जिसका भारतीय जनमत ने पर्याप्त स्वागत किया था, भले ही मुस्लिम लीग इससे रूढ़ हो गयी थी। परन्तु साइमन कमीशन की रिपोर्ट की तुलना में यह मुस्लिम हितों के लिए अधिक उपयुक्त थी। लीग ने कमीशन की रिपोर्ट को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें औपनिवेशिक स्थिति का उल्लेख तक नहीं था। लीग इससे कम किसी शर्त को मानने को राजी न थी। सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि कांग्रेस अब औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना चुकी थी और शासकों के राष्ट्रीय माँगों के विरुद्ध हठीले तथा उपेक्षापूर्ण रुख के कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन भीषण रूप धारण कर चुका था। यद्यपि सरकार ने इस शान्तिपूर्ण आन्दोलन को कुचलने में दमन का कोई साधन शेष नहीं छोड़ा था, तथापि अब वाइसराय भी बहुत परेशानी अनुभव करने लगा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जहाँ भारतवासियों को सर्वथा अमान्य थी, वहाँ इरविन ने भी अनुभव किया कि यह भारत की वास्तविकताओं से दूर होने के कारण निरर्थक थी। अतः इरविन ने गृह सरकार के अधिकारियों के समक्ष गोल मेज सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया, ताकि इसके कारण भारत का वातावरण कुछ शान्त किया जा सके। परन्तु उम समय इंग्लैण्ड स्थित मजदूर सरकार इतनी निर्बल थी कि प्रधानमन्त्री तथा भारत मन्त्री दोनों बिना विरोधी दलों से परामर्श किये कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। परन्तु उदार तथा अनुदारदलीय नेता ऐसे सम्मेलन के पक्ष में नहीं थे। इस पर इरविन ने त्याग-पत्र की धमकी दी। अन्ततः ब्रिटेन के नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि गोल मेज सम्मेलन की घोषणा भारतीय समस्या का समाधान सिद्ध होती। वास्तविकता यह थी कि स्वयं वाइसराय भारतीय जनमत को अवज्ञा आन्दोलन से विमुख करने का जम्हारी उपचार ढूँढ रहा था। उसे यह स्पष्टतः ज्ञात था कि

एमा गात्र मज सम्मनन जा भारतीय राजनाति क विभिन्न वग का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता काग्रम क प्रतिनिधित्व क अभाव म निरर्थक हा हागा । यदि काग्रम की सम्य गामित्र हान का कहा जाता ता वात्सराय का काग्रम की भाग न मानन भुक्ता पन्ता । इसके निण त्रिनिधि मरकार तयार नहा थी । जत काग्रम क प्रतिनिधित्व का प्रश्न हा तनी था जाकि सम समय उग्र रूप म आगत म उतभी हू थी और उमक सभी प्रमुख नेता जनता म थ ।

वात्सराय क समक्ष सम्मनन क निमित्त भारत क विभिन्न वग क प्रतिनिधिया क चयन तथा सम्मनन म वात् विवाट क मुख्य विषया क आधारभूत सिद्धान्त का निर्धारण करने का समस्या थी । प्रथम क निमित्त काग्रम क अभाव म उमन मप्र तथा जयकर का छांट । नौग त्रिनिधि महासभा मिक्ख र्माई अनुसूचित जातिया एगो त्रिनिधित्व वर्मी त्पी नरगा जमात्तरा आति क प्रतिनिधिया का भी छांट गया । त्रनण्ट म 8 मज्जर दन क 4 उत्तर दन क 4 अनुतर दन क प्रतिनिधि निय गय । भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिनिधिया म एस यन्धिया को दन की सावधानी बरती गया जा उदार समझौतापरस्त तथा वन्धिपर विरोधा हा । इस प्रकार कुन 89 प्रतिनिधि सम गात्र मज सम्मनन क निण चुन गय । मुख्य विचारणीय विषय थ— (1) औपनिवृत्तिक स्थिति की मायता (2) मात्मन कमीशन की रिपोर्ट का अन्तिम गान न मानता । त्रिनिधि अधिनारिया क साथ तम्ही परामर्शनाता तथा विचार विनिमय कर दन क उपरान्त स्वय वात्सराय न सम्मनन की घोषणा 9 जुलाई 1930 को कनीय व्यवस्थापिका म का और 12 नवम्बर 1930 सम्मनन की तिथि घोषित की गयी ।

निर्धारित तिथि को सम्मनन आयोजित किया गया । मप्र तथा जयकर त्रनण्ट जान म पत्र नहू तथा गात्री जा म जनता म मित । काग्रम नेताआ न स्पष्टन पता दिया कि काग्रम पण स्वराय म कम क्रिया माँग म सहमत नया तानी । निम्नाहू काग्रम क प्रतिनिधित्व क अभाव म एत सम्मनन एक तौग नी था क्शकि त्ग की भावी साविधानिक समस्या पर काग्रम क अभाव म उपयत्न त्ग का प्रतिनिधित्व निरर्थक नी माना जा सकता है ।

बठकें—12 नवम्बर 1930 स प्रथम गात्र मज सम्मनन का वृत्त प्रारम्भ त् । इसम 57 प्रतिनिधि भारत क 16 दली गियासता क तथा 13 यकि त्रनण्ट क विभिन्न राजनातिक दना क प्रवक्ताआ क रूप म गामित्र थ । इसकी वृत्के समय समय पर हाता रहा । सम्मनन म औपनिवृत्तिक स्वराय की माँग उफला मभी न रही । त्गा नरणा क प्रतिनिधि सघामन व्यवस्था क समर्थक थ । त्रिनिधि प्रधानमन्त्री का मत था कि प्रस्तावित सविधान का व्यवहृत निय जान योग्य तथा विनामगीन प्रवृत्ति का हाता चाहिए । वात् म अनन्त उममिनिषा यथा प्रतिश्ला मताधिकार सघामन अपनस्यन । ताक मवात्रा प्राचीय विषया जाकि त सम्मनन म रिपोर्ट न क त्रिनिधि त्रनण्ट 11 उत्तर 1931 क सघामन सम्मनन क अन्तिम दूआ त्रिनिधि सम्मनन किया गया कि जा रिपोर्ट तथा विचार व्यक्त निय गय है क सविधान निर्माण क त्पु प्रचुर मामग्रा प्रदान करत है और एत काय जाग रन्ता चाहिए ।

भावी साविधानिक व्यवस्था क अन्तगत भारत का राजनातिक स्थितिक क सम्बन्ध म सम्मनन क अधिकाग सम्य औपनिवृत्तिक स्थिति म मन्तुष्ट थ । क यह भूत गय कि काग्रम जा कि तबमात्र दन का जनता की प्रतिनिधि सम्मना है और जा जनता का पण समर्थन नत त्ग त्ग का पण स्यनप्रता की माँग पर त्तो हू है और त्रिनिधि औपनिवृत्तिक स्थिति की माँग का टुंगर किया है क किम प्रकार सम प्रस्ताव म राजा हा जायगा ? कदा त्मा एत म सम्मनन का सफलता प्राप्त हा जायगा ? परन्तु आन्ध्र की जन यत् है कि त्रिनिधि प्रधानमन्त्री ता सम्य भा एक क्कम और नीत त् । उन्त घापणा की ति सघामनवस्था क अन्तगत ता मरकार बनगा वह सघाम व्यवस्थापिका क ता मन्ता क प्रति उन्तगयाया तगा । परन्तु माय ना य त्रिनिधि सम्मनन तथा प्रतिश्ला क निमित्त कायसारिता क अस्कारा हा मरुति त्ग मन्ता पन्गा और म्बतर जनरन का माय का गानि तथा त्रिनिधि स्थित्या क निमित्त कुल विषय स्थित मीतन पन्गे । घाल्ता म

यह बात अवश्य थी कि ऐसे रक्षा-कवच केवल अन्तरिम काल के लिए होंगे और कालान्तर में भारतवासियों को अपने लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित रखने का अवसर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रहियों के साथ वाइसराय की समझौता-वार्ता चल रही है ताकि उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सके।

प्रथम गोल मेज सम्मेलन की आलोचना—जिन उद्देश्यों से निदेशित होकर तथा जिस प्रकार गोल मेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों को चुना गया था। उससे स्पष्ट था कि सम्मेलन निरर्थक सिद्ध होगा। दिखाने के लिए सम्मेलन को भारत की भावी सांविधानिक संरचना पर विचार विनिमय करना था, परन्तु जिन विविधतापूर्ण निहित स्वार्थों से युक्त व्यक्तियों का चयन इसके लिए किया गया था वे अपने व्यक्तिगत या वर्गगत हितों तथा प्रतिक्रियावादी विचारों को रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते थे। समस्या थी एकता की परन्तु उसके समाधान के निमित्त पृथक्तावादी तत्त्वों का साधन अपनाया गया था। कूपलैण्ड ने उचित ही कहा है कि 'अब यह कहना चाहिए कि लन्दन के पट में उनकी आंखों के समक्ष भारत की समस्या का सम्पूर्ण जाल जीवित किया गया। परन्तु वह वास्तव में पूर्ण नहीं था। इस समूह में एक बड़ी खाई थी। भारतीय राजनीति के सबसे विगल तथा शक्तिशाली सगठन का, जो कि भारत के युवा वर्ग को सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस का व्यवहार अभी भी पूर्णतया शत्रुतापूर्ण था।¹ कांग्रेस ही वास्तव में ऐसा सगठन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, उसके अभाव में शेष वर्गों के प्रतिनिधियों से यह आशा करना भ्रामक या कि वे भारत की स्वायत्त शासन की माँग को महत्व देते। उन्हें तो अपने विशेष हितों के संरक्षण की चिन्ता मात्र थी। मुसलमानों के प्रतिनिधियों का चयन भी प्रतिक्रियावादी वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य फजलीहुसैन की सलाह में किया गया था। अतः कोई भी राष्ट्रवादी मुसलमान उसमें नहीं छाँटा गया था।

जहाँ तक सम्मेलन की कार्यवाहियों तथा निर्णयों का सम्बन्ध है, ऐसे सम्मेलन से कोई सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं थी। मूल प्रश्न थे भारत को औपनिवेशिक स्थिति के स्वायत्त शासन का प्रदान किया जाना, भारत की सघातक या एकात्मक संरचना का निर्धारण तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों (विशेष रूप से मुसलमानों) के हितों का संरक्षण। औपनिवेशिक स्थिति की धारणा ब्रिटिश नेताओं ने भ्रामक बनाकर समाप्त कर दी। वे केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन देने के पक्ष में नहीं थे। सघवाद के बारे में सभी सहमत थे। परन्तु सघ की संरचना के बारे में अनेक मतभेद बने रहे। देशी नरेश भी सघ के बारे में सहमत थे, परन्तु इन सब प्रस्तावों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम साम्प्रदायिकता की थी। इसके सम्बन्ध में यदि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा स्थान सुरक्षित रखने की बात मान ली जाती तो समस्या मुलभू सकती थी। परन्तु कट्टरपथी साम्प्रदायिक तत्त्वों ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादियों को ऐसी सघ व्यवस्था जिसमें देशी नरेश शामिल हों अमान्य थी। उन्हें यह भय था कि देशी रियासतें हिन्दुओं के बहुमत वाली होने से सघ सरकार में मुसलमानों के स्थानों की संख्या कम हो जायेगी। परोक्ष में वे पृथक् स्वतन्त्र मुस्लिम भारत की कामना करते थे। मु० इकवाल तो पृथक् मुस्लिम राज्य की धारणा व्यक्त करने में लगे थे और वे मुस्लिम बहुल जनता वाले प्रान्तों के सघ में शामिल होने के विरोधी थे। इस प्रकार प्रथम गोल मेज सम्मेलन साम्प्रदायिक मतभेदों के जाल में फँसा रहा और कोई ठोस निर्णय लेने में असफल रहा। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के अभाव में इसकी सफलता की आशा करना मृग मरीचिका के तुल्य थी।

¹ Coupland, *The Indian Problem*, Part I, 113

भारत में प्रतिक्रिया

काग्रस काय समिति का प्रस्ताव—21 जनवरी 1931 का राजपत्र प्रस्ताव के मभा पत्रित्व में काग्रस काय समिति का बठक आवाजाही में हुआ। काय समिति के प्रमुख नेताओं का अनुपस्थिति में जाति जतामथ काय समिति ने ब्रिटिश सरकार के स्वयं की भूमना करत तग बना कि जत्र तग में सरकार गतिपूण तग में सत्याग्रह करने वाला का जताम ठस रही है उन पर ताठी चाञ्च गाती चतान तथा जय प्रकार के जत्याचारपूण कृत्य किये जा रहे है ता एम अवसर पर था म निहित स्वार्थी तत्वा का आमंत्रित करके तथाकथित गान मज सम्भवन के जायाजन में कायम का काण सम्प्रध नहा है। ब्रिटिश गामन नाति की जा घोषणा प्रधानमन्त्री के तारा की गया है वर त्तनी अस्पष्ट है कि उमक द्वारा काग्रस अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित नया समझती एन परिस्थितिषा में काय समिति सविनय आंदानन का स्थगित करने का ज्ञान नहा मात्र मकती प्रत्युत् वर आवाभिया में मघष जो तीव्रतर वनान की भाग करती है। काग्रस उन समस्त सत्याग्रहिया का धयवाक तथा वधान दनी है जिहान मानुभूमि की स्वतंत्रता के लिए गतिपूण तथा अनुगमित तग में सत्याग्रह किया है और ब्रिटिश सरकार के जत्याचार पूण तमन का खुली स मह रहे है या प्राणा का तमस वर चुन है। काय समिति के अनुमान में 75000 यन्ति जतामथ।¹ जतन में कायकारिणी न आवासिया में 26 जनवरी 1931 को पववत् और अधिन उस्माह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनान का आह्वान किया।

काय समिति का प्रस्ताव समाचार-पत्रों के प्रकाशनाथ दिया जाय या नहा इस बात पर वाद विवाद था कि दूसरे ही दिन राजपत्र में सप्र जयकर तथा गाम्भी जा का तार मिला कि काय समिति तनक भारत पहुँचने में पूर्व प्रधानमन्त्री की घोषणा पर वाई निणय न न। अत उक्त निणय का प्रकाशित करने में राक दिया गया।

काय समिति के सदस्यों की रिहाई—25 जनवरी का वादसराय ताड त्रविन न एक वक्तव्य दिया जिसमें ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की 19 जनवरी 1931 की घोषणा के सदभ म यह घोषणा की गई कि भारत सरकार काग्रस काय समिति के 1 जनवरी 1930 में आज तक के मन्म्या का स्वतंत्र रूप में तग का राजतानिक समस्या पर विचार करने का अवसर तना चाहता है। एम उद्देश्य से काय समिति के उक्त मन्म्या के उपर जगाय गय मभा प्रतिप्रध जिनमें वारावाम दण्ट भां शामिल था ह्या लिय जायग। यह मुक्ति गतहीन है एमका उद्देश्य प्रधानमन्त्री की घोषणा का साकार करने के लिए वातावरण जनान का है। वादसराय की त्त घोषणा का कार्याचिनि के रूप में 26 जनवरी 1931 का महात्मा गांधी सहित काग्रस काय समिति के 19 मध्य जताम लिया कर लिय गय। 9 जय यक्ति वातान्तर में रिहा कर लिय गय।

आधा इंग्लिश ममभाना

जतन में मुक्त हान ही कायकारा समिति के समस्त मन्म्य आवाजाही पहुँच जहाँ पण्डित मातीतान नहर तगभग मृयु गम्या पर थ। गांधी जा न गष्ट के नाम एक सन्ध लिया कि जिनमें उहान सविनय अवका आन्धान सरकार के दमन चक्र तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की एला के सन्ध में स 19 में भावा कायक्रम के धार में बनाया कि वह जतन में एक स्वच्छ मन्मिप तथा ह्यय सकर वाहर आय है और ममम्या का एम बीच घटा घटनाओं के परिप्रा में अध्ययन करेगे तथा अतन माधिया एक त्रण म आन थान माधिया में वार्ताताप करके भावी कायक्रम तयार करेगे। इनाहावात पहुँचने पर काय समिति के मभी मन्म्य प भावातान के स्वाभ्य के धार में चिन्तित हा गय। 7 फरवरी 1931 को दग के हित में मय कुछ योछावर करके मानुभूमि की निरन्तर गवा करने रहने के उपरान्त व एन गंगा का बहन हुए कि अद म अगता अन्तिम ना

लेता हूँ, परन्तु मेरी यही इच्छा है कि मैं एक पराधीन देश में नहीं, अपितु स्वतन्त्र देश में इस चिर-निद्रा का काल विताऊँ, ससार से विदा हो गये। मोतीलाल जी की अन्तिम इच्छा के अनुसार भारत के भविष्य का निर्धारण स्वराज्य भवन इलाहाबाद में किया जाना था। उनकी मृत्यु से सारा राष्ट्र शोकाकुल हो गया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि उस समय वे अपनी स्थिति एक विधवा के तुल्य समझ रहे हैं। इसी वीच सप्रू, शास्त्री, जयकर आदि नेता भारत पहुँचते ही सीधे इलाहाबाद गए और गांधी जी तथा अन्य नेताओं से मिले। यह तय किया गया कि अब सरकार के साथ वार्ता का कार्यक्रम बनाया जाय। 14 फरवरी को गांधी जी ने वाइसराय को पत्र लिखा और 16 फरवरी को तार द्वारा वाइसराय का उत्तर मिला। तुरन्त गांधी जी तथा अन्य नेताओं ने दिल्ली को प्रस्थान किया। गांधी-इरविन वार्ता का प्रथम दौर 17 फरवरी को प्रारम्भ हुआ।

प्रथम तीन दिनों की वार्ता में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन म्यगित करने के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों की विना शर्त रिहाई, छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी, त्यागपत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, पुलिस के अत्याचारों की जाँच, धरना देने के अधिकार, नमक कानून की समाप्ति तथा आन्दोलन दवाने के सम्बन्ध में जारी किये गये अध्यादेशों की वापसी, आदि पर जोर दिया ताकि इसके परिणामस्वरूप वार्ता का वातावरण तैयार हो सके। इनमें से कई शर्तें ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सरकार को समय चाहिए था। वाइसराय ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ निर्देश चाहे थे। उनके पहुँचने में समय लगा। अतः 27 फरवरी से पुनः वार्ता प्रारम्भ हुई और 4 मार्च तक चली। नित्य गांधी जी वार्ता के पश्चात् जब वापिस आते थे तो डा० अन्सारी के मकान में कार्यकारिणी के सदस्य उनकी प्रतीक्षा में रहते थे और रात को लम्बे समय तक समिति उन पर विचार करती थी। गांधी जी ने वाइसराय को स्पष्ट कर दिया था कि वह जो भी बातें करते हैं या निर्णय लेते हैं उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कांग्रेस कार्यकारी समिति करेगी। स्वभावतः विभिन्न समस्याओं पर मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं था। यह भी सम्भव नहीं था कि जो भी माँग गांधी जी की ओर से रखी जाय उसे वाइसराय मान लेगा या जो भी वह कहे उसे कांग्रेस मान लेगी। 5 मार्च 1931 को समझौता वार्ता को अन्तिम रूप दिया गया और 5 मार्च को ही वह प्रकाशित कर दी गयी। यह वह तिथि थी जिस दिन एक वर्ष पूर्व गांधी जी ने वाइसराय को सविनय अवज्ञा आन्दोलन की घोषणा का पत्र दिया था।

गांधी-इरविन समझौते की शर्तें—‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त किया जाय तथा सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करे साविधानिक सुधारों के सम्बन्ध में सघीय सिद्धान्त तथा प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, अल्पसंख्यकों, भारत की वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में कुछ रक्षा-कवचों की अपरिहार्यता को जैसा कि गोल मेज परिषद् में स्वीकार किया गया था अनुसमर्थित किया गया, प्रधानमंत्री की घोषणा से अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी साविधानिक सुधार योजना पर आगे विचार करने के लिए गोल मेज सम्मेलन में आमन्त्रित किये जाने पर निर्णय हुआ, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रही कानून उल्लंघन, कर न देने, आन्दोलन का प्रचार करने तथा नागरिक एवं सैनिक सेवा के कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने के कार्यक्रमलाप नहीं करेंगे, भारतीय माल के उपयोग का प्रचार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु ब्रिटिश माल के बहिष्कार करने का प्रचार समझौता वार्ता के हित में नहीं है, विदेशी माल तथा शराब विरोधी धरने सामान्य कानून के अन्तर्गत ही किये जा सकेंगे, आन्दोलन की अवधि में पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध सार्वजनिक जाँच को शान्ति स्थापना के हित में उचित न समझते हुए गांधी जी उस पर जोर न देने को राजी हो गये, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध जारी किये गये अध्यादेशों को सरकार वापिस ले लेगी, इस आन्दोलन के मध्य कांग्रेस तथा अन्य जिन नगठनों को अवैध घोषित करने के अध्यादेश जारी किये गये उन्हें सरकार वापिस ले लेगी, आन्दोलन में बन्दी किये गए जिन व्यक्तियों के ऊपर अभियोग नहीं चलाये जा सके ह

उह वापिस न त्रिया जाएगा परन्तु उसम मना तथा पुनिस क कमचारिया क ऊपर अभियाग सामिन नही ह । सविनय अवज्ञा आन्दोलन क फलस्वरूप अहिंसात्मक कृत्या के त्रिण कारवायम की मजा प्राप्त की गिहा कर त्रिण आयग ना अत्र त्रण्ड वसून नहा किय गण ह उह राव त्रिया जाएगा परन्तु वसून हो गए दण्ड तथा जत हा गयी जमानत वासिम नही का जायगी जनता क यय पर नियुक्त अतिरिक्त पुनिस हटा ती जाएगा आन्दोलन क मध्य त्रिसी यक्ति म जवन की गयी जवन मम्पत्ति जा सरकार क पास सुरक्षित ह सम्प्रति यन पत्र का वापिस कर दी जाएगी सरकार क पास सुरक्षित जवन मम्पत्ति भी वापिस कर दी जाएगी परन्तु तहा उस उम समय तामू अध्यापक क जतगत निजता रिया गया त वहा पर सरकार कुछ नहा कर सकयी परन्तु यत्रि काई व्यक्ति यह समझ कि मम्पत्ति का निवटारा गर-वानूनी ढङ्ग स हुआ त ना वह यायिक कायवाहा कर सकता त मत्याग्रह म त्यागपत्र दन वात एम कमचारिया को पुन सवा म न लिया जाएगा जितन रिक्त स्थाना पर स्याया नियुक्तिया नन की गयी है और उन मामना म सरकार उत्तर नीति अपनाएगी सरकार नमक कानून समाप्त करन की स्थिति म नहा है परन्तु एम स्थाना म जहा नमक बनाया या एकत्र किया जाता है वहा की जनता अपन घरेलू उपयोग क त्रिण हा यह सुविधा प्राप्त कर सकगा परन्तु व्यापार यक्षमाय क त्रिण नहा ।

गाधी सरविन पक 1931 की उपयक्त प्रमुख बात उस बात क स्पष्ट प्रमाण है कि उनक अनुसार सरकार विना भी वात पर वास्तविक रूप स नहा भुनी अपितु काग्रम का ही भुजना पडा । सविनय अवज्ञा आन्दोलन की प्रमुख शर्तों तथा उस अवधि म सत्याग्रहिया क ऊपर किय गण जत्याचारा तथा उनक द्वारा मही गयी हानिया क वार म भी सरकार गाधी जी की शर्तों का पूणतया न मान सकी । साविधानिज मुधारा क सम्प्रथम भी काग्रम का पूण स्वतन्त्रता की मांग औपनिवेशिक स्थिति की मांग म भी हानतर रखी गयी । जत समझौते का विभी भी रूप म भागन क त्रिण सनापजनक नहा कहा जा सकता । परन्तु उस पूणतया निम्सार तथा महत्त्वहीन भी नहा माना जा सकता । उसकी मजस शर्ती विगपता यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन क इतिहास म सब प्रथम वात्सराय न काग्रम जथच भारत क एकमात्र मुमाय नेता क माय मत्रीपूण ढङ्ग स मौहात तथा सभावनामय वातावरण म भारत की राजनीतिक समस्याया पर विचार विनिमय किया । यह भेंट एक गामन तथा जवीन प्रजाजन क बीच की न हाकर दा राप्ता क प्रमुख प्रतिनिधिया क मध्य की वार्ता क रूप म सिद्ध त्त । उसम गाधा त्रा न जिम स्पष्टवात्ता सहयोग तथा समान्तारी का परिचय त्रिया उह समयर स्वच्छाचारा तथा निरकुणतावाद का सर्वोत्तम प्रतीक भारतमाय वात्सराय भा त्रिन गया और वह गाधी जी की प्रशसा करन म जरा भर भी न सकुचाया । दूसरी ओर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिया को समत हूण सहयोग तथा समझौते क समान्तार च्चुक्त गाधी जा न भी अपना व्यक्तिगत तथा काग्रस क नेताश्रा क अनेक धारणाओ पर जनावयन रूप म जार कर वाता त्रा जमफन बनात का नीति नहा अपनाया । अर प्रश्न यत था कि त्रिनिज पासक प्रत्युत्तर ग वहाँ तक उस समझौते पर समान्तारी म अग्रिम कायवाहा करग । 5 माच 1931 का समझौता शर्तों क प्रकाशन क पश्चात् गाधा जा न एक भारतीय तथा विन्गा पत्रकार सम्मनन म एक वक्तव्य दवर अपना रियति का व्यापक रूप स स्पष्ट त्रिया दूसरी ओर ताड दरविन न पुनिस प्रज्ञामक बग तथा ब्रान्तिचारिया म भा श्मो प्रकार की अपान की । दाता नेताओ क वक्तव्या का अभिप्राय यत था कि त्रा म गान्धिपूण वातावरण बनाया जाय ताकि भावा प्रगति का महा माग प्रकट त्रि सक ।

तराचा अधिग्रहन

भारत क राष्ट्रीय आन्दोलन तथा साविधानिक विज्ञान क इतिहास म 1931 क कराधी अधिवेशन का अत्यधिक महत्व है । प्रथम बात ना यह है कि त्राहीर अधिवेशन जिमम काग्रम न जनता उत्पन्न पूण स्वतन्त्रता की प्राप्ति श्या था क उपरान्त काग्रम त्रिनिज सरकार क माय

सघर्ष की स्थिति में पहुँच गयी थी। 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कांग्रेस का हल्ल पूर्णतया क्रान्तिकारी रहा और बड़े-बड़े नेता जेलों में डाल दिये गये थे। गांधी-इरविन समझौते के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की जेल से रिहाई होने के ठीक एक माह बाद इस अधिवेशन का होना आवश्यक समझा गया ताकि सम्पूर्ण कांग्रेस उक्त समझौते तथा प्रधानमंत्री की घोषणा पर विचार करते हुए देश की निवर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपना भावी कार्यक्रम तथा नीति तय कर ले। अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को छॉटने की भी समस्या थी। अनेक नेता अभी जेलों में ही थे। कुछ नया नेतृत्व प्रस्फुटित हो गया था, जिससे 1930 में आन्दोलन में महान् त्याग किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया था। परन्तु स्वयंसेवकों के द्वारा अत्यन्त नियन्त्रित, समयित एव अनुशासित ढङ्ग से शराबबन्दी तथा ब्रिटिश व विदेशी कपड़े के बहिष्कार आन्दोलन में धरना देने के कार्यक्रम को नहीं छोड़ा था। विविध प्रकार के प्रदर्शनों को न करने की भी सलाह दी गयी थी। गांधी जी ने पुन अहिंसा के सिद्धान्त पर चलने के सिद्धान्त को और अधिक कठोर बना दिया था।

इस अधिवेशन के लिए सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना गया और यह निश्चित किया गया कि अधिवेशन खुले स्थल पर होगा। दर्शकों में से प्रत्येक को चार आना प्रवेश शुल्क देना था। लगभग 10000 रुपये इससे एकत्र हुआ। इस अधिवेशन के मध्य देश में दो घटनाएँ ऐसी घटीं जिनके कारण अधिवेशन का वातावरण विषादपूर्ण रहा। प्रथम घटना थी 23 मार्च 1931 को सरदार भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को मृत्युदण्ड दिया जाना। इनके ऊपर साण्डर्स हत्याकाण्ड का आरोप था। गांधी जी ने वाइसराय से इन नवयुवकों की मृत्युदण्ड की सजा को कम करने की माँग रखी थी, जिसे वाइसराय ने अपनी असमर्थता पर ठुकरा दिया। परन्तु ये वीर युवक स्वतन्त्रता संग्राम के अमर शहीद बन चुके हैं। दूसरी घटना थी अधिवेशन काल में कानपुर में साम्प्रदायिक दगों के छिड़ने की, जिसमें मुसलमान अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयास में गणेशशंकर विद्यार्थी की हत्या कर दी गई थी। विद्यार्थी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सद्भाव के महान् समर्थक थे। इसी कार्य में इनकी हत्या ने इन्हें भी अमर शहीद बना दिया है। कराची कांग्रेस में इन दो घटनाओं ने शोक का वातावरण बना दिया था।

इस अधिवेशन में अधिकांश प्रस्ताव आन्दोलन की अवधि में सक्रिय सहयोग देने वालों की वधाई देने, उसमें शहीद हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने (जिसमें प० मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे) तथा कष्ट भोग रहे कार्यकर्त्ताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के सम्बन्ध में थे। अन्य प्रस्तावों में कुछ गांधी-इरविन समझौते की शर्तों को सरकार द्वारा ईमानदारी के साथ पालन करने के सम्बन्ध में थे, यथा बन्दियों की रिहाई, करों की माफी आदि। सांविधानिक समस्या पर विचार करने के हेतु प्रस्तावित द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावित किया। साथ ही कार्य समिति को अन्य प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दे दिया।

इस कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश के भावी संविधान में मूल अधिकारों का समावेश करने के सम्बन्ध में था। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक इन्हें उपेक्षित ही रखा गया, तथापि स्वतन्त्र भारत के संविधान में जिन मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का किया गया है वे सभी कराची कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किये गए थे। इसके अन्तर्गत धर्म, सस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय आदि की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत कानून तथा राजनीतिक एव अन्य अधिकारों के संरक्षण की गारंटी की माँग की गयी थी। साथ ही वयस्क मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली एव विभिन्न संघीय इकाइयों तथा केन्द्र में स्थानों की सुरक्षा के प्राविधानों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देने का प्रस्ताव भी था। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा नरकारी नौकरियों में नियुक्ति अवसर की समानता तथा साम्प्रदायिक वर्गों के लिए नौकरियों में

समुचित स्थान सुरक्षित क्रिय जान कर तथा प्रा ता व भ्रिमणता म उनक हित व प्रतिनिधित्व तथा भागन म एम सघ व निमाण का व्यवस्था व प्रस्ताव थ जिमक अतगतन प्राता व हाथ म अवशिष्ट गक्तिया रह । एम अधिवेशन म काग्रस ने पश्चिमात्तर सीमा प्रात तथा सिंध का पूण प्रात की स्थिति प्रदान क्रिय जान तथा वमा को वहा का जनता की वृच्छा व अनुसार भारत सं पृथक क्रिय जान व प्रस्ताव भी पास क्रिय । अय विवादास्पद प्रना की जाच व निण ममितिया प्रना दी गया जितना रिपोट व आधार पर अखिन भारतीय काग्रस समिति तथा कायवारा समिति का निणय नन का अधिनार लिया गया । एस प्रकार काग्रस का वगचा अधिवेशन जनक दृष्टिया सं महत्वपूर्ण तथा सफन मिद्ध हजा । कराची काग्रस व प्रस्ताव जिता व 14-मूत्री प्रस्तावा सं मन नहा रगत व । 1928 व काग्रसता मबदनीय सम्मेशन न नहर रिपोट की स्वीकृति व अवसर पर जिता न जा सनाधन रल व यति काग्रस उह स्वीकार कर नेता ता साम्प्रदायिक समस्या वतनी जतिन नहा हाती जितनी तत्र म नकर 1931 तक हाती गयी । जन काग्रस न जिता का कुछ मांगें स्वीकार करता ता उनभन यह था कि एस समय तत्र नीग का म्ब बहुत हठीता हा चुका था । साथ हा जन जिता की माग 14 सं भा अधिन हा चुका था । काग्रस द्वारा पूण स्वतंत्रता का माग तथा सविनय अवज्ञा जातानन न अधिनाग मुमनमाना का पूणत प्रथकतावादी घना लिया था ।

गांधी डरविन समझान म करार

नाम दरविन अपना वात्सराय पद का कायकान समाप्त करक 18 अप्रन 1931 का वरगण को खाना हा गय । 17 अप्रन का नाड विनिगन न उनना उत्तराधिकार प्राप्त क्रिया । एण की स्थिति यह थी कि काग्रमी मयाग्रही जना सं रह थ जीग उनका जतूमा सं स्वागत हा रहा था । राष्ट्रीय गति उसाह म गाय जात थ । काग्रस कायकता तथा काग्रमी नेताजा व निवाम स्थाना सं निरग भण्ट पहरोत गग व । उस समय काग्रस का निरगा भण्ट ही राष्ट्रीय भण्ट माना जाता था । पूण उसाह व साथ सत्याग्रही गगय तथा विदेशा वपट की दुनाना सं धरना द र व जीग शान्तिपूर्ण टङ्ग सं न चाजा व बहिष्कार की मांगें कर र व । समझौत व जन्तगत राजनीतिक विदिया का रिहाइ छानी गर् सम्पत्ति का वापसा जाति का मांग की जान गगा था ।

परन्तु दूमरी आर गांधी रविन समझौत न माना नीकरशाही का सारी आगाजा पर तुषारापान कर लिया था । एक छाट म पुनिम व मिपाहा सं नकर वटे सं वटे भारतीय मिक्ति मवा व कमचागी तक सभा यह साचत थ कि उनका वास्तविक शक्ति नीना जा रहा है । व जपन क्रत्या पर किसी भी प्रकार का वाद्व हस्तभेप सहन करने की कामना नहा करत थ । वास्तव सं भागन व ग्रासर ता नीकरशाहा ही व और यहा सार राग की जन् थी । प्राताय गवनर भी गांधी दरविन समझौत सं सन्तुष्ट नन थ । परिणाम य हजा कि गांधी दरविन समझौत का विवरणात्मक वाता व कायावयन सं नीकरशाहा अपना मनमाना करन का हट सं टस सं मम नहा र व । वह जपन ही टङ्ग सं समझौता का अथ गगत गगा । प्राताय गवनर अपना अधिनार सीमा सं का हस्त सं वरगान करन व टङ्गुन नन थ । एस सडक कारण समझौत की विवरणात्मक वाता सं नीकरशाही तथा काग्रस कायकताजा व मध्य विवाट यट हान गग । राजनीतिक विदिया का रिहा कर वसूता पिक्रिय जयटण्डा की वापसा आति व म्बघ सं नीकरशाहा का खवा कठार हाता गया । पुनिम का वाटनिया सं कोट कम नन जा रही था । राजस्व तथा प्रशासनिक अधिकाग किसी भा रूप सं काग्रस कायकताजा व विरोध पिक्रिय ममात्रा का आयोजित करन तथा गालायता व प्रचार-कार्यों का सहन नहा कर पा र व थ । इन सबक पाछ उन्न नीकरशाहा का मोत समथन उह प्रात्माहित कर रहा था । वागटाना सं पुन कर-वसूता सं

अत्याचार प्रारम्भ हुए। यह सिलसिला लगभग मर्वत्र फेला। कांग्रेसी कार्यकर्ता समझौते की बातों पर जोर देकर विरोध करने लगे तो नौकरशाही उसकी उपेक्षा करने लगी।

अतः गांधी जी ने वाइसराय के सचिव को इन सब बातों से अवगत कराते हुए यह माँग की कि समझौते की शर्तों पर सरकार तथा कांग्रेस के मध्य विवाद खड़ा होने पर उनका निर्वचन निष्पक्ष न्यायाधिकरण या जाँच बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। गांधी जी ने सचिव का ध्यान अन्य कई बातों की ओर भी आकृष्ट किया। वाइसराय से भेट भी की। परन्तु ऐसा आभास हुआ कि मग्नो वाइसराय को समझौते का कोई ज्ञान ही न था। नये वाइसराय के रवैये में एकाएक ऐसे परिवर्तन का मुख्य कारण इंग्लैण्ड में सत्ता-परिवर्तन था। श्रमिक दल की सरकार अब त्याग-पत्र दे चुकी थी। नई सरकार में मेकडानेट्ज प्रधानमन्त्री अवश्य थे। परन्तु वे पूर्णतया रूढ़िवादी दल के हाथ की कठपुतली थे। वेन भारत मंत्री पद में त्याग-पत्र दे चुका था। उसका स्थान कट्टरपथी रूढ़िवादी सेमुअल होर ने लिया था। अतः कांग्रेस के साथ ब्रिटिश सरकार की शत्रुता की नीति अधिक कड़ी होनी जा रही थी। स्वयं वाइसराय इसी विचारधारा का समर्थक था। वाइसराय के सचिव ने भी गांधी जी को निराशापूर्ण तथा टालमटोल का उत्तर दिया। बम्बई तथा सयुक्त प्रान्त के गवर्नरों ने गांधी जी के पत्रों का उत्तर इसी प्रकार दिया। अन्ततः गांधी जी को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि वे प्रस्तावित द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने में असमर्थ हूँ। निर्धारित तिथि (15 अगस्त) को जब सप्रू, जयकर आदि इंग्लैण्ड को रवाना हुए तो गांधी जी ने अपने प्रस्थान का विचार छोड़ दिया। सरकार की टालमटोल की नीति तथा नौकरशाहों के दमन-चक्र में पूर्ववत् स्थिति को देखते हुए कई स्थलों में हिंसात्मक घटनाएँ भी हुईं। पूना में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक विद्यार्थी ने बम्बई के गवर्नर पर गोली चलाने तक का प्रयास किया। कांग्रेस तथा गांधी जी ने इस घटना पर बहुत दुःख प्रकट किया।

सरकार ने पुनः साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने की चाल चलना प्रारम्भ कर दिया। गोल मेज परिषद् के लिए प्रारम्भ में लार्ड इरविन ने पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा डाक्टर अन्सारी को नामांकित करने का वचन दिया था। परन्तु फजली हुसैन के सकेत पर डा० अन्सारी को न भेजने के वाद के सरकारी फैसले से गांधी जी असन्तुष्ट हो गये। सरकार की नीति यह थी कि वह राष्ट्रवादी मुसलमानों को भेजने में हिचकने लगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति से मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बल नहीं मिल पाता और इसके परिणामस्वरूप सरकार का उद्देश्य पूर्ण न हो पाता। इसलिए भी गांधी जी ने इंग्लैण्ड जाने का विचार रोक दिया। इसके पश्चात् वाइसराय तथा गांधी जी के मध्य पत्र-व्यवहार चलता रहा। अन्ततः दोनों में परस्पर वार्ता भी हुई और गांधी जी ने 29 अगस्त को गोल मेज परिषद् में भाग लेने का निर्णय कर लिया विशेषतः वे गांधी-इरविन समझौते में की गई इस शर्त को मानना अपना नैतिक दायित्व समझते रहे।

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, 1931

गांधी जी अपनी नित्य की वेशभूषा में इंग्लैण्ड पहुँचे और ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्थित प्रसादों या होटलों में रहने की अपेक्षा पूर्वी लन्दन के किंगसले हॉल में कुमारी लीस्टर के मेहमान बने। अपनी उसी वेशभूषा में वे मंचाट सहित सभी अधिकारियों से मिलते थे। इंग्लैण्ड के वच्चे-वच्चे गांधी जी की इस विचित्र वेशभूषा में बड़े प्रभावित हुए। अनेक सस्याओं तथा व्यक्तियों की ओर से उन्हें आमन्त्रण मिले और स्थान-स्थान पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस सबका यह निष्कर्ष है कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा, राष्ट्र-प्रेम तथा देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सम्बन्ध में उनकी सत्यनिष्ठा के प्रति चाहे निहित स्वार्थों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादी कितने ही रूष्ट रहे हों, तथापि उक्त गुणों से युक्त इस फकीर राजनेता के प्रति लोगों में अतीव श्रद्धा उत्पन्न हो गयी।

द्वितीय गान मज सम्मनन का बटका म जा तगभग 3 मन्तन का अवधि तक समय समय पर चतनी रती गाथा जो न प्रमुख वक्ता बन रत । यद्यपि त्स समय काग्रम का विरोध करने के लिए 31 और अतिरिक्त प्रतिनिधि छाटे गये जा विविध विराधी तथा प्रतिप्रियावादी वर्गों म म विग गय थ तथापि त्स सम्मनन म उनका अस्तित्व काई महत्व नहा रगता था । निम्न त्हु भारत की 85 प्रतिशत म भी अधिक जनता के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप म त्स की भावा राजनीतिक व्यव था के निर्धारण म उनका विचारो न अतिरिक्त जाकी सब विचार कोरे शक्त जान र जा कवन निम्न स्वार्थों म भर हान के कारण वास्तव म महत्वहीन थ । परन्तु उही विचारो को ताड मरात्कर रगना और गाथा जो के विचारो का म या उम ज्ञान म ज्ञाना रूप अथ तस्वा का मुख्य उद्देश्य उता रहा ।

प्रथम सम्मनन म व्यक्त तथा निर्धारित नीतियो का गाथा जो न सम्मनन की बटका म एक एक करके उत्तर दिया । सष व्यव था तथा उमका जन्तगत सरकार का रशा-कवचा म युक्त करने और प्रतिरक्षा उत्पिन सम्मनन तथा विताय नीति को सर्गित विषयो के जन्तगत रगन का नीति का तथ्यगत विरोध करने हुए गाधी जो न भारत की गरिमा प्रतिष्ठा तथा आत्म सम्मान का रक्षा रगता । उज्ञान स्पष्ट कर दिया कि जपन दण को प्रतिरक्षा का तथित्व भारत की मनाय स्वय भारत की नीतियो के अनुसार पूरणरूपण मभात सबतो है न कि विन्ती साम्राज्यवाता सरकार तथा उमकी मनाय । भारत के लिए पूण स्वराज की माग का व्याख्या करत हुए उहांत श्रौपनिवेशित स्वराज का जप ता पूण स्वराज का भारत तथा उत्तरण के मध्य मती के हित म और अधिक प्रयस्कर हाना सिद्ध दिया । गाधी जो न स्पष्ट कर दिया कि भारत उत्तरण के एक अधीन दण के रूप म गृह वार्ता नहा कर रहा है अपितु यह वाता तो ममान स्थिति के रक्षा के मध्य की है । काग्रम का स्थिति का पत्कारण करत हुए गाधी जो न बताया कि यह जय रता की भांति एक राजनीतिक न मात्र नती है । अपितु वह समूच राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसम रशा रियामतें भा गामिन है । काग्रम किमा भी मान म किमा सम्प्रदाय विगप का प्रतिनिधित्व नहा करती । वत् उम जाति विग जा के आधार पर किमी वग विगप की स्मथा न होकर जन्तव भारतीय राष्ट्रीय मस्था के और गाधी जो स्वय अपना व्यक्तिगत श्रमता म त्स सम्मनन म भाग नही न रत है अपितु वत् उमा मन्तनु मगतन के प्रतिनिधि एक मंत्रक है और उमा मगतन के जात्मानुसार काय करणे ।

साम्प्रदायिक स्थिति के मन्तन म जा कि भारतीय राष्ट्रवादा का भावना का बुद्धनन के लिए अग्रजा का मन्तन महान् साधन था गाधी जो न काग्रम की नीति का स्पष्टतया व्यक्त किया । नर् साविधान्ति व्यवस्था म सम्प्रदायगत जन्तमन्तवका के हितो ती व्यस्तथा के दार म भा गाधी जो स्पष्ट थ । परन्तु चकि एक सम्प्रदाय त्स पर जोर रता था अत गाधी जो न मुस्लिम तथा सिक्क सम्प्रदाय के लिए ता बुद्ध सामा तव त्स मन्तीय माना । परन्तु जिन लोगो न हरिजना का भा साम्प्रदायिक आत्मस्यन मानन का त्नीत रती उन्त गाधी जो न मह-नोड उत्तर दिया । गाधी जो न तव के माय वत्ता कि एमा भू-भावपूण स्थिति उत्पन्न करने वाता तथा एमी व्यवस्था का मायता रन की नीति का उ आसरण विरोध करण । भारत म ब्रिटिश शासन के स्व-राज्याग्निपूण स्वयो का भी गाधी जो न त्स सम्मनन म उतख किया और एमा करने म उज्ञान अपन मयाप्ता रस का ही जपताया । उज्ञान स्पष्टतया बताया कि प्रधानमन्त्रा का पिछता गान मज र्दा पद् के वाट की गयी धारणा म भारत की मौनिक ममग्याओ की उपभा की गया थी । गाथा जो त्गरा म सम्मनन म रस गय विचार उन्त समय समय पर त्तिय गय महत्वपूण व्याख्याता का रति के मान जान है । भारताय स्वतन्त्रता का माय के प्रति पूणतया उतामोन ब्रिटिश नता हर जवमर पर साम्प्रदायिक भू-भाव का भावना का हा ताड मरात् कर था उदा चत्तारर व्यन करत तग और साम्प्रदायिक ममत्माना के भावनाओ का उक्माना मभी ब्रिटिश अधिराज्या का त्तय बना रहा ताकि कोर् ममत्मान न निरतन पाय । 1 दिसम्बर 1931 का सम्मनन का समाप्ति के धवमर

पर उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मेलन आयोजित करने तथा उन्हें उसमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया ।

इस सम्मेलन में प्रो० लास्की ने अपने पत्र-व्यवहार में अमरीकी न्यायाधीश ह्यूम को जो विचार व्यक्त किये थे वे तथ्यों पर कुछ प्रकाश डालते हैं । लास्की संकी को महायता दे रहे थे, संकी इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे । लास्की के मत से 'ऐसे व्यक्तियों के साथ जो यह विश्वास करे कि वे ही वास्तविक सत्य के धारक हैं, बात करना असम्भव है मुसलमानों की धार्मिक हठवर्माता भयानक है । मेरा अनुमान है कि पूरब में इरलाम भक्ति एक ऐसी शक्ति है और इसके समर्थकों की माँगे इतनी अस्पष्ट तथा भयावह हैं कि उनको पूर्ण किया जा सकता असम्भव है ।

टोरी साम्राज्यवाद तथा भारतीय उग्रवाद से युक्त पक्षों के द्वारा साम्प्रदायिक ममत्त्या के हल की आशा नहीं की जा सकती । अशत में मकडानेल्ड को दोष देता हूँ, क्योंकि यदि वे दुर्बल, निरर्थक तथा निर्णयरहित होने की अपेक्षा दृढ-मन के होते तो मेरा विचार है कि वे किसी न किसी समझौते से सम्बद्ध पक्षों को वाध्य कर लेते ।¹ लास्की ने सर्वाधिक दोष संमुअल होर को दिया जो कि अपने टोरी स्वभाव की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था । अन्यथा लास्की के मत से गांधी तथा संकी किसी निर्णय पर पहुँच जाते ।

जब गांधी जी भारत लौटे तो मम्बई में जनता ने उनका जो शानदार स्वागत किया, वह किसी राजा तक को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा । परन्तु भारत में ब्रिटिश शासकों को दमन-चक्र पूर्ववत् पूर्ण गति से चल रहा था । सयुक्त प्रान्त, बंगाल, वारदोली इस दमन के केन्द्र थे । किसानों के ऊपर अप्रत्याशित ज्यादातियों की जा रही थी । सयुक्त प्रान्त में सरकार की इन ज्यादातियों के विरुद्ध लगान विरोधी अभियान चलाने के आरोप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा निसारअहमद शेरवानी को बन्दी कर लिया गया था । बंगाल में चिटगाँव के छापेखाने में जो गुण्डागर्दी की गयी थी उसमें कुछ यूरोपियों का हाथ था, परन्तु पुलिस ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की । पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में खान बन्धुओ (सीमान्त गांधी अब्दुलगाफ्फार खाँ तथा डाक्टर खान) के नेतृत्व में स्वातन्त्र्य आन्दोलन चल रहा था और पठानों का सगठन खुदाई खिदमतगारों के नाम से निर्मित हो चुका था । इस सगठन की कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा थी ।

सक्षेप में, जब गांधी जी इंग्लैण्ड से वापिस आये तो उन्होंने यह अनुभव किया कि सरकार गांधी-इरविन समझौते की शर्तों से हर क्षेत्र में मुक्त रही है । सत्याग्रह आन्दोलन पूर्ववत् हिंसात्मक दमन की नीति से कुचला जा रहा है । नौकरशाही किसी भी रूप में जनता के प्रति सहानुभूति पूर्ण अथवा उत्तरापेक्षी रख नहीं अपनाता चाहती । ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की माँग के सम्बन्ध में जरा-भर भी झुकने की इच्छुक नहीं है, अपितु इसे टुकड़ाने के वहाने देश में साम्प्रदायिक तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों, यथा राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों आदि को प्रोत्साहन दे रही है । कांग्रेस के उच्चतम नेताओं को किसी न किसी रूप में बन्दी कर लेने का अवसर ढूँढा जा रहा है । ऐसी स्थिति में गांधी-इरविन समझौते अथवा कांग्रेस द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के कोई सन्तोषजनक परिणामों की आशा व्यर्थ थी । अतः कांग्रेस के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी करना अपरिहार्य हो चुका था ।

आन्दोलन का दूसरा दौर

28 दिसम्बर 1931 को जब गांधी जी इंग्लैण्ड से भारत लौटे तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को गोल मेज परिपद तथा ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराया । साथ ही देश में चल रही ब्रिटिश शासन की करतूतों का ज्ञान भी उन्होंने

क्रिया। काग्रम तथा गांधी जी न अनुभव किया कि वात्सराय नाम विनिम्न तथा नीकरगाही गांधी रविन समभौत का द्मानकारी स अमन म तान का परवाह नहा कर रह है न उनकी एमा नीति है। एमी स्थिति म काग्रम कायकारा समिति न पुन सविनय अवना आत्मान प्रारम्भ करन का निणय किया। एम पूव गांधी जी न नाम विनिम्न का 29 दिसम्बर 1931 क दिन एक तार भजा जिमम उहान सरकार की द्मनकारी अध्यात्मा को जारी करके शोमन करन की नानि का विरोध किया जोर वात्सराय म वाता करन की उठा प्रकट की। एम तार का तुरत निराशाजनक उत्तर वात्सराय की आर म प्राप्त आ। तत्पश्चात् 6 दिन तक नाम चौथे तारा का गिरमिता चना जिनम एक-एकर के ऊपर (काग्रम तथा सरकार) आरोप प्रत्यारोप नगाय गय। जनन काग्रम काय समिति का सत्ताप हा गया कि टिनी समभौता (गांधी रविन समभौता) सरकार का आर म भग कर दिया गया है। जत समिति न गण्ट म पुन सविनय अवना आत्मान को पूण उत्साह अहिंसा तथा मत्यनिष्ठा म चदान का जाहान किया। 3 जनवरी 1932 का गांधी जी न अंतिम तार का मगाय का भजत हुए वाचारी यन की कि उर सरकार के अमह्यागपूण तथा स्वच्छाचारी जोर जयाचारी खय का परकर सविनय अवना आदोवन छुन का आहान करना पत्र रहा है।

सरकार आत्मान का वन प्रयाग द्वारा कुचनन क लिए पहन स नीतवार थी। कहा जाता है कि टिनी समभौत की अवधि म सरकार आत्मान का कुचनन क साधना का जुगान म मगत रही। चूकि विनिम्न की सरकार तथा नीकरगाही गांधी रविन समभौत म असंतुष्ट था जत अनक अध्यात्मा तो पहन ही नामू कर लिय गय व। आत्मान पुन प्रारम्भ हात हा जय भा जारी कर लिय गय। काग्रम मगठन का अवध धापित कर दिया गया। मोतारामया क गता म 1930 के आत्मान म पुनिम नाठी चाज का मत्तारा बहत वाट म रिया गया था परंतु 1932 क आदावन का कुचनन क लिए एमी साधन स गुप्तता की गयी। गांधी जी सरदार पटन नरम दान अटनगपफार खां जानि का तुरत बनी बना लिया गया। एमक नाम अथ काग्रमा नताआ तथा कायकनाआ की गिरफ्तारी एम टन गति स प्रारम्भ हुई कि जहाँ 1930 क मगपूण आत्मान म नगभग। नाम व्यक्ति बनी क्रिय गय थ वहाँ 1932 म थाथे ही समय म एक नाम वाम हजार क नगभग मत्याग्रहा बनी बना रिय गय। मभाआ म नागो चाज गागा चनाता जना म बलिया क साथ जयाचार म्थी-बचा तक का मताना स्कूला म विद्याथिया क ऊपर जु म करना जानि सब बातें दमन पर तुन नामका क लिए साधारण मा जात थी। एन अनिर्गित मनमान अथ-एण्ट दना गागा का जनन मम्पति गीतना मनमान एग म कर तथा जय-एण्ट बमूव रगना आदि का गिरमिता उग्रतर हाता गया। आत्मान का द्मन करन क लिए मनमान तथा अत्याचारी अध्यात्मा जारी करना सरकार क लिए मत्त-मा हा गया था। वास्तव म क्या जाता है कि नाम विनिम्न का टावा था कि वह आत्मान का 6 मप्ता म कुचन त्या। परंतु य ए म्मरणीय है कि िमा तथा दमन म एमा राष्ट्रीय आोवन नन कम समय म नहा कुचना जा मगता था। दमन की नीशना क साथ मत्याग्रहिया क मनारन भी ऊँच होत गय जोर आत्मान अधिक् उग्र हाता गया। एमा प्रनात हाता था कि माना भारत म विधि क नामन का निरा नो गयी थी। एम जातक तथा अध्यात्मा म पूण ब्रिटिश नीकरगाथा कन्ना रचित गाय। समाचार पत्रा पर कठोरतम प्रतिरोध नगा लिय गय थ। उनय एतना क्या धनराशि का नरत जमानन मोगी गया कि कई समाचार-पत्र ता बन्द हा हा गय। अध्यात्मा का एप एतना स्वच्छाचार तथा उनका मत्या एतना अधिक था कि भारत मया मर ममुअन हाए जा कि ए आत्मान का द्मन करन की नीति क बठोर समयक थ का भा ए स्वाकार करना पला कि क बन्द करार थ परंतु सरकार उह नामू करन का विवा थी। परिणत मनमान मानववाय का एण्ट गियत सरकार क नाम एनक विरुद्ध एक नम्वा तार भजना पना ता तार विभाग न उम भजत म एनवार रिया कि एतना मग्वा तार नया भजा ना मगता। जना का जावन एत्यत कल्पय था। एण्ट क

साम्राज्यवादी टोरी दल के नेताओं की नीतियों पर आधारित भारत में ऐसा अत्याचारी अविनायकवादी शासन चलाने वाले अंग्रेज शासकों के दमन-चक्र का यह सक्षिप्त विवरण ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि जो अंग्रेज अपने देश में स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र के इतने कट्टर हिमायती हैं वे साम्राज्य-लिप्सा के प्रभाव में अधीन बना लिए गये देशों की जनता की ऐसी ही अहिंसापूर्ण ढंग से की जाने वाली माँग को किस निर्दयता से कुचलते थे। यह बात अंग्रेज जाति के सामान्य चरित्र को कितना कलुषित करती है, इसे वे साम्राज्यवाद के नशे में बिल्कुल ही भूल गये थे। दूसरी ओर ब्रिटिश राज्य के उन राजभक्त भारतवासियों की मनोवृत्ति को देखकर भी दुःख ही होता है जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के आदेशों का इतनी अन्ध श्रद्धा से पालन किया कि अपने ही देशवासियों तथा बन्धुओं के ऊपर जो कि अपनी ही नहीं बल्कि उनकी स्वतन्त्रता के लिए भी लड़ रहे थे, अत्याचारपूर्ण कृत्य करने में सकुचाहट नहीं दर्शायी। अन्यथा जिस जोग से सविनय अवज्ञा आन्दोलन चला था, उसके अन्तर्गत ब्रिटिश शासकों को 1932 में ही भारत छोड़कर चले जाने को विवश होना पड़ता। सम्भवतः अभी ब्रिटिश राज्य के पापों का घड़ा पूर्णतया नहीं भरा था।

कम्यूनल ऐवार्ड तथा पूना पैक्ट

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में लार्ड कर्जन तथा लार्ड मिण्टो के वाइसरायत्व काल में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत की राष्ट्रीयता के सफल विकास को अवरुद्ध करने के लिए साम्प्रदायिकता का विष फैलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तब से लेकर ब्रिटिश शासकों का निरन्तर यही प्रयास रहा कि भारत में साम्प्रदायिकतावादी तत्त्वों को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीयता की शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट करे और स्वाधीनता की माँग के समक्ष साम्प्रदायिक भेदभाव की समस्या को रखकर मामले को जटिलतर बनाते जाये। साइमन कमीशन ने इसे और अधिक उभार दिया था, यद्यपि गोल मेज परिषद् के समक्ष गांधी जी द्वारा साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में स्थिति का पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्री माँगें रखकर ब्रिटिश सरकार की टालमटोल की नीति को और अधिक बढ़ावा दे दिया। अंग्रेज लोग केवल मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद से ही सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने सिक्खों तथा ईसाइयों को तो इसमें शामिल कर ही लिया था। परन्तु अब इस समस्या के विषय को और अधिक तीव्र बनाने के लिए उन्होंने हिन्दू समाज के दलित (अच्छूत) वर्ग को भी अलग सम्प्रदाय घोषित करके उसे भी एक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय में वर्गीकृत करना चाहा, ताकि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति और निर्दल पड़ जाय।

साम्प्रदायिक पचाट (Communal Award)—द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के अवसर पर जब भारत की भावी सांविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मध्य मतैक्य न हो पाया, तो प्रधानमन्त्री मेकडोनेल्ड ने कहा कि ब्रिटिश सरकार स्वयं इस समस्या के समाधान पर निर्णय लेगी। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमन्त्री ने इस सम्बन्ध में जो अपनी नीति बताई उसे साम्प्रदायिक पचाट कहा जाता है। इस निर्णय को ऐसा नाम देना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि सम्बद्ध पक्षों ने प्रधानमन्त्री को ऐसा निर्णय स्वयं लेने की अधिकृत महमति कभी नहीं दी थी। फिर भी यह एक ऐसा निर्णय था जिससे ब्रिटिश सरकार की साम्प्रदायिकता को उकसाने की नीति स्पष्ट हो गयी।

इसके अनुसार नई सांविधानिक व्यवस्था में भारत की प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित करने तथा उनके लिए पृथक् निर्वाचन की प्रणालियों को मान्यता दी गयी। इस प्रकार मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा महिलाओं के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र होते। बम्बई में सात स्थान मराठाओं के लिए सुरक्षित किये गये। जो अहं मतदाता उक्त सम्प्रदायों के नहीं थे वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदान करते। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार

रहता। उसमें अतिरिक्त उनका विषय निश्चित मन्त्रों के स्थान सुरक्षित रहते जिनमें इस सम्प्रदाय के उम्मा वारा का सबसे उम्मी सम्प्रदाय के मतदाता चुनते। उस प्रकार अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दो मत देने का अधिकार रहता। एम विधाय निर्वाचन क्षेत्रों का काम वेप तत्र रखने की योजना थी। भले ही उस प्रथा का उद्देश्य अनुसूचित जाति के वगैरे उनका विद्युत्पन के कारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का था तथापि यह एक नवीन विधान योजना थी जो सिद्ध समाज का सबसे तत्र अनुसूचित जाति के दो पृथक सम्प्रदायों में बाँटे गये।

एम पचाट के अनुसार विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य विविध प्राणों में यत्नस्थायिकाओं के प्राणों का निर्धारण किसी निश्चित सिद्धांत का तकर नहीं किया गया। उदाहरणार्थ वगैरे में हिन्दू अल्पसंख्या में थे। मारा जनसंख्या के लगभग 45 प्रतिशत हिन्दू थे परन्तु उन्हें सबसे 32 प्रतिशत स्थान मिले। उसी प्रकार मुसलमानों का भी जनसंख्या के अनुपात में कम स्थान मिले। यूरोपियन सम्प्रदाय का विषय सुरक्षित किया गया। इस प्रकार पचाट में सिद्धों का सुरक्षित दिया गया। हिन्दू तथा मुसलमान अल्पसंख्या के सम्बन्ध में भी मुसलमानों का अधिक सुरक्षित किया गया। मन्त्र में सबसे उन अल्पसंख्या सम्प्रदायों का अधिकार सुरक्षित किया गया जो समूचे मन्त्र में जनसंख्या के अनुपात में यूनानियन थे। 1919 के मुद्दे का नून के अंतर्गत पृथक निर्वाचन वार्ड विविध सम्प्रदायों की संख्या दस था। जब नई व्यवस्था में वह सत्रह हो जाता। उस दृष्टि से दस के विभाजन की पूर्ण योजना त्रिंशत् सरकार ने तयार करना शुरू कर दी। एसा सिद्धांतहीन तथा अवाकतंत्रा पद्धति का समावेश किसी भी राष्ट्रवादी को माय नहीं हो सकता था। और न एसा पद्धति विविध सम्प्रदायों के मध्य तात्तत्र के विकास में प्रणाली ही सिद्ध हो सकती थी। परन्तु यह त्रिंशत् सरकार ने योजनापद्धति में निर्मित की थी जिसमें तात्तत्र तथा स्वयं राष्ट्रवादी के विनाश का पूणतया अवरुद्ध करने का धारणा विद्यमान थी। मुसलमानों का एमस सामायन सन्तुष्ट हो गये। काग्रम कायकारिणी ने न ता एम स्वीकार किया और न अस्वाकार जिसके कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय बहुत हट्टे हुए।

पूना पंचट—गांधी जी ने त्रिंशत् सरकार का पहला ही चेतावना देखा था कि अनुसूचित वगैरे के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की योजना का वही जान में विरोध करेगा। जब एम पचाट का घोषणा की गयी तो गांधी जी जेन में थे।—हाने सरकार में इस विषय का परिवर्तन करने का आग्रह किया। परन्तु जब सरकार ने उनकी बात में मनी तो गांधी जी ने 20 सितम्बर 1932 को एम पचाट के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारम्भ कर लिया। कुछ तापस्थानों ने यह अनुभव किया कि सरकार हट्टे प्रतिना में विचरित नहीं हाने वाला है और गांधी जी भी अपने प्रथम में नहीं हट्टे तो उन्हें बचा चिन्ता हुई। पण्डित मालवीय जो तत्र राजपूत प्रसाद जी राजगोपालाचारी डा भीमराव अम्बेडकर तथा एम जी राजा आदि छत्ति तक पूना में परस्पर विचार विनिमय करते रहे कि एम मन्त्रों का क्या समाधान हो सकता है। सबसे अधिक चिन्ता का विषय गांधी जी का जीवन था।

उक्त चेतावना ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जो योजना तयार की थी उसमें अंतर्गत पचाट द्वारा दत्त वगैरे के लिए सुरक्षित कुल 71 स्थानों का अपेक्षा उनका संख्या 148 कर दो। उस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व का अनुपात गतना हो गया। परन्तु निर्वाचन पद्धति समुक्त रखा गया। एमके अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि दत्त वगैरे के लिए सुरक्षित स्थान वार्ड निर्वाचन में म उम्मीदवारों के लिए उम सम्प्रदाय के समस्त मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों में म चार उम्मीदवारों के एक मण्डल का निर्वाचन एकल मत प्रथा के द्वारा करेंगे। कुल उम्मादवारों में म जिन चार उम्मादवारों का सबसे अधिक मत प्राप्त होगा वही उम्मादवार वन मन्त्रों में। बाँट में मतदाता म मभा मतदाता भाग लेंगे और समुक्त निर्वाचन पद्धति में अन्तिम चेताव

1 प्रस्तावित मन्त्र मन्त्रों के स्थान सुरक्षित रहने के कारण अल्पसंख्या के मतदान प्रणाली के अन्तर्गत 148 मतदाता द्वारा चुने जाते हैं जो यह पचाट का न होना।

होगा। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों व्यवस्थापिकाओं के लिए यह पद्धति अपनायी जायेगी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में भारे भारत के लिए निर्धारित स्थानों के 18 प्रतिशत स्थान दलित वर्ग के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। उम्मीदवारों के चयन की उपर्युक्त पद्धति केवल दस वर्ष तक चलेगी। यह योजना गांधी जी के सामने रखी गयी और साथ ही सरकार के सामने भी और दोनों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस समझौते के उपरान्त गांधी जी ने 26 सितम्बर को अनशन तोड़ दिया। इस समझौते को 'पूना पैक्ट' कहा जाता है, क्योंकि इसकी योजना पूना में बनी थी, जहाँ गांधी जी अनशन कर रहे। इस समझौते में हरिजनो के प्रतिनिधियों के रूप में उनके नेता अम्बेदकर तथा राजा जे। समझौते से गांधी जी को यह सन्तोष था कि दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचन की विषैली प्रथा नहीं रह पायेगी, सरकार को यह सन्तोष था कि आखिर दलित वर्ग को एक विशिष्ट सम्प्रदाय माना ही गया है जिसका लाभ वह कभी न कभी उठा सकेगी, दलित वर्ग को प्रतिनिधियों को यह सन्तोष था कि उन्हें पहले की अपेक्षा और अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है।

इसके उपरान्त गांधी जी ने छुआछूत के भेदभाव को नष्ट करने के लिए तुरन्त और अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनो का हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश तथा किसी भी रूप में छुआछूत का भेदभाव न बरतना शामिल थे। उस समय अधिकांश प्रमुख नेता जेलों में थे। जो बाहर थे, उन्हें सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ-साथ अद्वैतोद्धार का कार्य करना था। गांधी जी जेल में बहुत नियन्त्रणकारी प्रतिबन्ध में थे। कोई उनसे नहीं मिल सकता था। अतः गांधी जी ने सरकार से आग्रह किया कि हरिजनोद्धार कार्य में उन्हें सुविधा न देना पूना पैक्ट के विरुद्ध है। अन्ततः उन्हें इस कार्य के लिए कुछ छूट दी गयी। कुछ नेताओं को उनसे मिलने दिया गया। हरिजनोद्धार का कार्य धीमी गति से चलने लगा।

गांधी जी का उपवास तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन

सरकार की दमन नीति तथा अत्यादेशों के शासन में कोई कमी नहीं आयी थी। जिस प्रकार 1932 में सरकार द्वारा रोक तथा प्रतिबन्ध की स्थिति में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसी प्रकार मार्च 1933 में कलकत्ता में भी इसका आयोजन किया गया। पण्डित मालवीय जी इसके अध्यक्ष होने वाले थे। परन्तु सरकार इसे न होने देने की पूर्ण तैयारी कर चुकी थी। कलकत्ता पहुँचने से पूर्व ही मालवीय जी सहित बड़े-बड़े नेताओं को बन्दी कर लिया गया। महिला नेताओं तक को नहीं छोड़ा गया, यथा श्रीमती मोतीलाल नेहरू, श्रीमती अणे आदि। किसी भी तरह विशाल सख्या में प्रतिनिधि अधिवेशन स्थल में पहुँच गये। पुलिस लाठी चार्ज तथा प्रतिरोध के वावजूद एम० एस० अणे की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सात प्रस्ताव पास कर लिए। वाद में अधिवेशन के सिलसिले में बन्दी किये गये नेताओं को छोड़ दिया गया। पण्डित मालवीय जी ने सरकार के इस रवैये की घोर निन्दा की, इसके पश्चात् 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के हेतु 21 दिन का उपवास रखने का सकल्प किया। इनका मुख्य उद्देश्य हरिजनोद्धार के पवित्र कार्य का संचालन करने हेतु आध्यात्मिक बल तथा शान्ति प्राप्त करना था। गांधी जी के मत से ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने यह सकल्प किया था, अतः उन्होंने अन्य साथियों को अपना अनुसरण न करने की सलाह दी, जब तक कि उन्हें भी ऐसी भगवत्प्रेरणा प्राप्त न हो गयी हो।

जब सरकार ने देखा कि इस उपवास का उद्देश्य राजनीतिक नहीं, अपितु सामाजिक व धार्मिक है, तो उसने गांधी जी को तुरन्त मुक्त कर दिया। गांधी जी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को छ सप्ताह तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर देने की सलाह दी। 21 दिन का उपवास सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने पर गांधी जी को अनुभव हुआ कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन से कोई वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं हुई है बल्कि सरकार की दमनकारी नीति बटी है, जिसके कारण सत्याग्रहियों तथा जनता को कष्ट ही हुआ है। अतः 12 जुलाई को पूना में कांग्रेस का

एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ जिसमें सामूहिक सत्याग्रह का स्थगित कर देना का निश्चय किया गया परंतु व्यक्तिगत रूप में कांग्रेस अध्यक्ष को जाना नकर कार्यकर्त्ताओं को सविनय अवज्ञा करने की छूट दी गयी। गांधी जी ने इस बीच वाइसराय से मिशन की त्च्छा व्यक्त की ताकि वातावरण द्वारा समस्याओं का समाधान ढूँढा जा सके। परंतु वाइसराय ने मिशन से इनकार कर दिया। इसी सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का कदम उठाना पड़ा। जब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ तो फिर प्रमुख नेतागण जिनमें गांधी जी भी शामिल थे बंदी कर लिए गए। 16 अगस्त का गांधी जी ने पत्र उपवास शुरू कर दिया। इस बीच गांधी जी का स्वास्थ्य बदन गिरने लगा तो सरकार ने 23 अगस्त का उन्हें छोड़ दिया। 30 अगस्त को पण्डित नेहरू का भी इस आधार पर छान लिया कि उनकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा था। परंतु सामूहिक आन्दोलन का समाप्त कर देने की घोषणा के बावजूद सरकार ने अनेक शीपस्थ नेताओं तक का मुक्त नही किया उदाहरणार्थ सरकार पत्र के कारावास की बात निश्चित अवधि नही रखी गयी थी। उन्हें छानना था न छोड़ना सरकार की स्वच्छा पर निर्भर था।

कौमिल प्रवेश का कार्यक्रम

सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी का अधिकांश समय तथा ध्यान हरिजनानुद्धार के कार्य में लगा रहा। आन्दोलन का अवधि में बंदी किये गए जा कार्यकर्त्ता छूट गए उनमें उत्साह की कमी जानी गयी। सरकार ने अपने की नीति में कोई कमी नही की थी। एसी स्थिति में कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग यह अनुभव करने लगा कि आगामी व्यवस्थापिकाओं के चुनावों में भाग लेना तथा कौमिल प्रवेश द्वारा अध्यादेशों से भर गाने का विरोध करना और वहाँ से भावी सविधान के बारे में नये मुद्दे रखना अधिक प्रयत्न होगा प्रजापति तब कि व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा अपना माँग का मनवान का असफल प्रयास किया जाय। इस कार्यक्रम के हेतु डा. जमशेदजी तथा मालवीय जी का प्रमुखता देकर एक नये भारतीय स्वराज्य दल का निर्माण करने की योजना बनायी गयी। इसी बीच 16 जनवरी 1934 का प्रिटोरीया में भयंकर भूकम्प की घटना हो जाने से गांधी नेहरू जैसी प्रमुख नेताओं का ध्यान भूकम्प पीड़ित जनता का राहत देने के लिए रचनात्मक कार्य करने की ओर बँट गया। डा. जमशेदजी के नेतृत्व में एक गिण्टमण्टन उम समय बिहार में भूकम्प-प्रांति क्षेत्रों में घूम रहे गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कौमिल प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध नही किया। मई 1934 में कांग्रेस कार्य समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने भी इस स्वीकार कर दिया। 20 मई 1934 का कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का पूर्णतया समाप्त कर दिया। गीत इसी अवधि में भारतीय राजनीति के अन्दर एक नयी घटना हुई। वह थी पटना में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना जो आचार्य नरेश दत्त के नेतृत्व में संगठित हुई। जुलाई में कांग्रेस कार्य समिति का बैठक हुई जिसमें निवृत्तमान मन्त्रों में कांग्रेस संगठन का मुख्यस्थान भाषा सांविधानिक व्यवस्थाओं जैसी पर विचार करना था।

सांविधानिक विकास क्रम तथा तृतीय गोल मेज सम्मेलन—पूना पत्र के उपरान्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा कांग्रेस की गतिविधियों में पत्र पढ़ने लगा था। सरकार के दमन के कारण भी यह निश्चिन्ता स्वाभाविक था। कांग्रेस संगठन पर प्रतिबंध लगा था। एसा स्थिति में टारो के प्रभाव में संचालित ब्रिटिश सरकार विधि रूप में तत्कालीन मायायवादी भारत मन्त्र मर ममुअल हार यह महन करने का तयार न थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिन यत्न भारत के लोग का मान मेज परिपक्व ममानता का स्थिति में जा मन्त्रण मिन। अतः नवम्बर दिसम्बर 1932 में तत्कालीन गान मेज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डा. ताराचंद के नेतृत्व में यह बैठक सिंगापुर में आयोजित थी (it was just a piece of window dressing)। दली नरेशा का समय का अभिगन्धि नही थी। प्रिया भाग्यम शामिल नही किये गए थे। महा प्रतिनिधि ब्रिग सरकार का ही मही मितान वान थे या कुछ तत्कालीन स्थिति

थे। इंग्लैण्ड के मजदूर दल ने इसका वहिष्कार कर दिया था। भूतपूर्व भारत मन्त्री वेन के विरोध के कारण प्रथम दो अधिवेशनों में साइमन को नहीं बुलाया गया था। परन्तु तृतीय में उसे आमन्त्रित किया गया। यह ठीक भी था क्योंकि अब नई टोरी सरकार पुन साइमन रिपोर्ट को ही नये साविधानिक सुधारों का आधार बनाने पर तुली हुई थी। अधिवेशन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक चला। अतः प्रथम तथा द्वितीय गोल मेज परिषदों के प्रस्तावों तथा उनकी समितियों की रिपोर्टों को इसमें अन्तिम रूप दिया गया। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं था। अतः साम्प्रदायिक तथा प्रतिगामी तत्त्वों से युक्त इस परिषद् ने साम्राज्यवादियों की नीतियों को भावी भारतीय साविधानिक व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने जो भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखे, उन्हें अमान्य कर दिया गया। अन्त में तेजबहादुर सप्रू ने अपने भाषण में कहा कि सरकार जिस सविधान को बनाने जा रही है उसे ऐसा होना चाहिए कि जो भारत की जनता को मान्य हो। उन्होंने सम्मेलन को याद दिलाया कि भले ही गांधी जी से उनके कुछ बातों में मतभेद है तथापि गांधी जी का व्यक्तित्व भारत की जनता में अतीव सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही उनकी देशभक्ति सर्वोत्कृष्ट है। अतः जब तक उन्हें (सप्रू को) समाधान न हो जाये कि वे कांग्रेस-जनो को सन्तुष्ट कर सकते हैं तब तक देशवासियों को सन्तोष दिलाने के कोई अवसर नहीं रहेगे। सैमुअल होर ने सप्रू को आश्वासन दिया कि वे सप्रू की माँगों पर पूर्णतः विचार करेंगे।

श्वेत-पत्र तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति—मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी साविधानिक स्वरूप के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र जारी किया। इसमें जो प्रस्ताव रखे गये थे, वह तीन गोल मेज सम्मेलनों में रखे गये विचारों पर आधारित बताये गये थे। परन्तु यह भी स्मरणीय है कि श्वेत-पत्र में उन अनेक प्रस्तावों की उपेक्षा की गयी थी जिन्हें गोल मेज सम्मेलन में समर्थन मिला था क्योंकि वे टोरी सरकार को मान्य नहीं थे। इसी श्वेत-पत्र के आधार पर अप्रैल 1933 में ब्रिटिश ससद के दोनों सदनों की एक सयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गयी जिसे नयी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र के आधार पर रिपोर्ट देनी थी। सयुक्त प्रवर समिति ने नवम्बर 1934 को अपनी रिपोर्ट ससद को दी।

जहाँ तक इन विविध सम्मेलनों, प्रलेखों, समितियों तथा स्वयं ब्रिटिश ससद के हाथों भारतीय साविधानिक व्यवस्था में सुधारों का प्रश्न है, उनके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण स्वराज्य या स्वायत्तता तथा-उत्तरदायी शासन की माँगों की स्वीकारोक्ति तो दूर रही, इन सबने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हितों को और अधिक सुदृढ़ बनाया। गोल मेज परिषदें ढकोसला-मात्र रह गयीं, साम्प्रदायिक पचाट यद्यपि विभिन्न सम्प्रदायों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा, तथापि उसने भारतीय राजनीति में इस जहर को और अधिक तेज बनाया, श्वेत-पत्र ने गोल मेज परिषद् की थोड़ी सी अच्छाईयों को भी समाप्त कर दिया था, सयुक्त प्रवर समिति एक कदम और आगे बढ़ गयी। जहाँ पिछली व्यवस्थाओं में केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली रखी गयी थी, वहाँ इस समिति ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की सिफारिश की, ताकि उनमें किसी प्रकार के लोकतन्त्री तत्त्व विद्यमान न रह सके। इस समिति के अध्यक्ष लार्ड लिनलियगो तथा प्रमुख प्रवक्ता सैमुअल होर थे। यही लिनलियगो वाद में भारत के गवर्नर-जनरल भी नियुक्त किये गये थे जो एक सच्चे टोरी थे। इनसे यही आशा की जा सकती थी। सयुक्त प्रवर समिति की अन्य प्रतिगामी सस्तुतियों के अन्तर्गत निम्नांकित वाते महत्त्वपूर्ण थीं प्रस्तावित सध-व्यवस्था में केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिए देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेशों के द्वारा नामांकित करके भेजा जाना, न कि जनता द्वारा निर्वाचित किया जाना, पृथक् निर्वाचन के क्षेत्र को बढ़ाना, प्रान्तों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदनों को समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश ससद को देना (श्वेत-पत्र ने यह शक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका को दी थी), सघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करना, ताकि ब्रिटिश प्रीवी कौंसिल अन्तिम अपीलीय न्यायालय बना रहे। सयुक्त प्रवर समिति की सस्तुतियों के आधार पर ब्रिटिश ससद में पेश किये जाने के निमित्त

1935 क प्रारम्भ म एक विधेयक तयार किया गया ता जगन्त 1935 म भारतीय गानत अधिनियम (Government of India Act 1935) क रूप म पान किया गया ।

गांधी जा का काग्रम म अतग हाना

भारतीय गणाय आन्दानन म 1934 म एक जाग ता ममानवाता त्त का अम्भुत्य हा चुना ता और त्तमरा आर गम एक जाग तथा मानवाय जा भा काग्रम मगहन क प्रमुत्त पता म पृथक् ता गत थ । ब्रिटिश सरकार न मगहन पत्त नहत् खान अतुनगपकार खाँ प्राति अनक क्त नताजा का कागवाम म मुक्त नता किया था । त्मा वाच मितम्बर 1934 म गांधी जा न एकाएक एक वक्तव्य त्कर अपन का काग्रम म अतग तान का घापणा कर ता । गांधी जा का एमा आनाम हान तगा था कि काग्रम म गहत हुए व अय तागा का त्तनका त्तता क विम्बु जपना वाता का मानन क त्रिण विवग करत है । त्तथा काग्रम क अय क्त नताजा म उनक विचार नहा मितत थ । यद्यपि गांधी जा न काग्रम म अतग हान का घापणा कर ता और व्त चाग आन क मत्स्य भा नता त्त तथापि यत् मान नता महा नहा है कि गांधी जा का काग्रम म सम्बध त्त गया । भन ता व काग्रम मगहन म किमा पत् पर नता त्त तथापि त्त तक वह जावित त्त काग्रम का राष्ट्राय आन्दानन त्तहा क परगमन तथा उता का मरयता म चरता रहा । नता ताग निरन्तर उनम हा मताह त्त त्त ।

प्रश्न

- 1 सविनय अवज्ञा आन्दानन की पूर्णभूमि टिप्पणी लिखिए ।
- 2 सविनय अवज्ञा आन्दानन क कायक्रम पर प्रकाश डालिए ।
- 3 गांधी सविनय सभस्रोत पर टिप्पणी लिखिए । म सभस्रोत को पूरा तरत बना लागू नता किया जा सका ?
- 4 त्रितीय गान सत्र सम्भवत क मानन जा मसम्भाएँ था त्तक विपन म काग्रम क त्तुत्क्राय का बनावय ।
- 5 टिप्पणी लिखिए—
 - (i) साम्प्रदायिक पचात
 - (ii) पूना पैर
 - (iii) डांडा वाधा।

भारतीय शासन अधिनियम 1935 : कार्यान्विति

(GOVERNMENT OF INDIA ACT 1935 . AT WORK)

प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय सांविधानिक विकास के इतिहास में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विशाल कानून था। कुछ दृष्टियों से इसका विशेष महत्त्व भी है। मुख्यतया इसलिए कि स्वतन्त्र भारत के संविधान-निर्माताओं ने इस कानून से बहुत बाते ग्रहण की हैं और कुछ दृष्टियों से भारतीय संविधान इसी कानून की अनुकृति माना जाता है। यद्यपि इस कानून के अनुसार दस वर्ष तक भारत में ब्रिटिश सरकार शासन करती रही, तथापि वास्तव में इस कानून को केवल आंशिक रूप से ही लागू करने की स्थिति आई थी और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। इस शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है

(1) भारत की पराधीनता पूर्ववत् बनी रही—यद्यपि यह अधिनियम एक विस्तृत सांविधानिक प्रलेख के रूप में है, तथापि इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, जो कि भारत-राज्य की स्थिति का स्पष्टीकरण करती। यदि प्रस्तावना दी जाती तो उसमें भारत की औपनिवेशिक स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए था, जिसके लिए भारतीय नेतृत्व वर्षों से संघर्ष कर रहा था और ब्रिटिश सरकार इसका आश्वासन भी देती आ रही थी। परन्तु तत्कालीन टोरी शासक ऐसी घोषणा संविधान द्वारा करने तक को तैयार नहीं हुए। इस कानून ने 1919 के शासन सुधार कानून को निरस्त नहीं किया। अतएव 1919 के कानून में उल्लिखित प्रस्तावना ही इसके लिए भी लागू होती रही। इस दृष्टि से पूर्ण स्वराज्य तो दूर रहा, औपनिवेशिक स्वराज्य तक भारत के लिए स्वीकार नहीं किया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी पूर्व की भाँति शनैः शनैः लागू करने की नीति बनी रही, जिसका अन्तिम निर्णय ब्रिटिश संसद के हाथ में रहा। इस प्रकार इस कानून के अन्तर्गत भी ब्रिटिश समद की सर्वोच्चता बनी रही।

जिस समय ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को पारित किया था, उस समय टोरी नेता वाल्डविन ने घोषणा की थी कि 'यह मेरा विचारपूर्ण निर्णय है कि आज की इस विशाल दुनिया में समस्त परिवर्तनों तथा अवसरों के अन्तर्गत आपके पाम भारत के उस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए साम्राज्य के अन्तर्गत रखने के उत्तम अवसर है।' ¹ साथ ही चर्चिल तथा लायड जार्ज ने भी समद को बताया कि भारत स्वायत्त शासन के लिए अयोग्य है और केवल डमी आधार पर कि वहाँ के शिक्षित वर्ग के एक महत्त्वहीन अंग की आवाज पर इस दिशा में कोई विकास खतरे से खाली नहीं होगा। इसके विपरीत श्रमिक नेता ऐटली ने स्पष्ट किया कि 'भारत के उत्तमतर शासन के लिए कोई भी विधायन तब तक मन्तोपजनक नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय जनता की मदभावना तथा महयोग को प्राप्त नहीं करेगा और जिसमें भारत की औपनिवेशिक स्थिति को मान्य नहीं किया जाता और उसमें इसकी प्राप्ति के प्राविधान नहीं किये जाते।' ² ऐटली का तर्क था कि 1935 के शासन सुधार अधिनियम का आधारभूत सिद्धान्त अविश्वास है (The keynote of the Bill is mistrust)। इसके अनुसार जो रक्षा-कवचों की व्यवस्था कर दी गयी है वह

¹ Quoted by Tara Chand *op cit* 209

² *Ibid*

कानून का आवश्यकता प्रदान नहीं करती और न ही यह कानून भारत के किसी बग का सम्पादन प्रदान कर सका है। विधायक का विरोध करते हुए एनपी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतवासियों का ही अपनी भावी सरकार का अधिकार अपने ऊपर रखा चाहिए। इस विधायक ने न तो ऐसा किया गया है और न यह ऐसा करने का उद्देश्य रख सकता है।¹ प्रा. नास्की के मत से इस कानून में जो प्रतिवन्धात्मक प्राविधान किए गए थे उनके कारण यह संविधान आधुनिक युग के निवृत्तम संविधानों की निवृत्तम विधायनायता से युक्त था।² निम्नलिखित रूप में 20 अगस्त 1917 का घोषणा की शर्तों में एक अग्रिम कदम बताकर उस शौचित्य की शर्तों का प्रयास किया है।³

(2) भारत के लिए सघात्मक व्यवस्था की योजना—1935 के अधिनियम के अनुसार सर्वप्रथम भारत के लिए सघात्मक शासन प्रणाली का आयाजन किया गया था। सघात्मक शासन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं तथा निश्चित संविधान द्वारा सघ तथा घटका के मध्य शक्ति वितरण एवं एक संघीय न्यायानय की स्थापना का व्यवस्था की गयी थी। परंतु सघ निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। सघ के घटका में एक ओर तो उत्तरदायी शासन वाले ब्रिटिश प्रांत शामिल थे दूसरी ओर ली रियासतें थी जिनका शासन राजा या नवाब या स्वच्छाचारिता के साथ करते रहते। इस दृष्टि में सघ के घटका के मध्य-परम्पर किसी भी भाँति सम्मेलन नहीं थी। सघ के घटका की प्रतिनिधि-सभा के रूप में राज्य परिषद् बहनायी जाती परंतु इसमें प्रतिनिधित्व घटका की समानता का सूचक नहीं था। केन्द्रीय सरकार की व्यवस्थापिका का प्रथम मदन भी प्रत्यक्ष रूप में चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से निर्मित न करके अप्रत्यक्ष रूप में चुने गए संसदा का हाता (ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि उनका विधानमण्डल द्वारा चुने जाते और ली रियासतों के प्रतिनिधि नरगा राजा नामांकित किए जाते)। इसके अतिरिक्त ली रियासतों का व्यवस्थापिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक गुंथक प्रदान किया गया था। उन सबकी जनसंख्या सम्पूर्ण देश की जनसंख्या की $\frac{1}{3}$ थी परंतु राज्य-परिषद् में उन्हें 260 में से 104 तथा राज्य मन्त्र म 375 में से 125 स्थान दिए गए थे। राज्य-परिषद् या प्रतिनिधि सभा का मतदान की योजना थी। उस घन-सम्बन्धी मामलों में भी पूरी शक्ति प्रदान की गयी थी। केन्द्रीय मन्त्री उमके प्रति भी उत्तरदायी थे। सघ सरकार के ऊपर गवर्नर जनरल उनका प्रकार में स्वच्छाचारी व्यवहार कर सकता था। वह अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था साथ ही जनक मामलों में वह अपने व्यक्तिगत नियमों का भी प्रयोग कर सकता था। संविधान का निवचन करने की शक्ति संघीय न्यायानय का नहीं दी गयी थी। एमो शक्ति गवर्नर जनरल तथा भारत मन्त्री और अन्त ब्रिटिश मन्त्रों को प्राप्त थी। सांविधानिक सभाघटन का अधिकार भी ब्रिटिश मन्त्रों को ही प्राप्त था। इन सब दृष्टियों में 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सघ-व्यवस्था अपने ही नमून की एक विनिष्क व्यवस्था थी। यह ठागू नहीं है पायी क्योंकि एक ठागू करने की शक्ति थी कि जब तक उत्तर ली राज्य सघ में शामिल होने का आवकन न करे तब तक जिनका जनसंख्या कुल ली राज्य की जनसंख्या की आधी से अधिक है तब तक सघ-व्यवस्था लागू नहीं होगी। परन्तु यह शर्त अभी पूरी नहीं है पायी। अनर प्रकार की सुविधाओं तथा संरक्षणों का आवकन ली नरगा एमो केन्द्रीय सरकार के अन्तगत संघटित होने के इच्छुक नहीं थे जिसमें चाही भी आवश्यक की मात्रा ही।

(3) शासन के विषयों की सूचियाँ—जय सघों का भाँति 1935 के कानून द्वारा प्रस्तावित भारतीय सघ-व्यवस्था के अन्तगत सघ तथा घटका के मध्य शक्ति-वितरण की योजना में संविधान (अधिनियम) द्वारा कर दी गयी थी। यहाँ तीन सूचियों की प्रथा अपनायी गयी। केन्द्रीय सूची में सम्भूत सघ में सम्बंध रखने वाले विषय थे। उनकी संख्या 59 थी। घटका के अधिकारों में 54 विषय रखे गए थे और 36 विषय सम्बन्धी सूची में रखे गए थे। इन सूचियों का स्थापना के आवकन अर्थात् विषयों का हाता अस्वाभाविक नहीं था। साथ ही उनके निर्माण के सम्बंध में

विवाद भी उत्पन्न हो सकते थे। अन्य सघो मे इन विवादो का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने की परम्परा सबसे अधिक लोकतन्त्री मानी गयी है। परन्तु इस कानून के अन्तर्गत भारत के सघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं थी। ऐसे विवादो तथा अवशिष्ट विषयो के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादो का निर्णय करने की शक्ति गवर्नर-जनरल को दी गयी थी।

(4) केन्द्र मे द्वैध-शासन-प्रणाली का आरम्भ—1935 के अधिनियम ने 1919 के सुधार कानून पर यही विकास किया कि प्रान्तीय द्वैध-शासन की व्यवस्था केन्द्र मे लागू कर दी गयी। प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, धार्मिक विषय तथा आदिवासी क्षेत्र सरक्षित विषयो के अन्तर्गत रखे गये। शेष विषय हस्तान्तरित माने गये। गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका मे पार्षद्गण उक्त सरक्षित विषयो के प्रभारी रहते और शेष विषयो का प्रशासन केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियो के हाथ मे रहता। परन्तु गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व इतने अधिक थे कि उनका अवलम्बन करते हुए वह सरक्षित एव हस्तान्तरित दोनो के शासन मे पूर्णतया हस्तक्षेप कर सकता था।

(5) प्रान्तीय स्वायत्तता—जैसा पहले कहा जा चुका है, 1935 का शासन अधिनियम आशिक रूप से ही लागू हुआ था। इसकी सघ-व्यवस्था तथा केन्द्रीय शासन केवल अधिनियम तक ही सीमित रहे। व्यवहार मे उनका प्रयोग कभी नहीं हो पाया। 1935 के अधिनियम की सबसे बडी विशेषता उसके द्वारा प्रान्तो मे द्वैध-शासन का अन्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना करना थी। इस अधिनियम का यह भाग लागू हो गया। केन्द्रीय शासन अगस्त 1946 तक 1919 के कानून के अन्तर्गत ही चलता रहा। प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत भी गवर्नरो को इतनी विशाल तथा विशिष्ट शक्तियाँ दे दी गयी थी कि प्रान्तो मे उत्तरदायी शासन तथा स्वायत्तता नाममात्र की रह जाती। वास्तव मे इस कानून के निर्माता गवर्नरो को किसी भी रूप मे केवलमात्र वैधानिक प्रधान नहीं बनाना चाहते थे। अतएव प्रान्तीय शासन व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप मे ससदात्मक हो पायी और न ही उसे सही माने मे उत्तरदायी कहा जा सकता है।

(6) रक्षा-कवचो की व्यवस्था—1935 के शासन अधिनियम की यह सबसे बडी विशेषता ह। इस अधिनियम को अन्तिम रूप देने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियो ने जिन सावधानियो को बरता उनका उल्लेख गत अध्याय मे किया जा चुका है। साइमन कमीशन, गोल मेज सम्मेलन, श्वेत-पत्र तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति सभी ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही, नौकरशाही, साम्प्रदायिकता (विशेष रूप से मुस्लिम साम्प्रदायिकता) तथा देशी नरेशो की प्रतिक्रियावादिता आदि का पूर्ण लाभ उठाकर भारतीय राष्ट्रीयता तथा स्वाधीनता की माँगो को ठुकराने मे कोई कमी नहीं रख छोडी थी। इसलिए इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सरचना इस रूप मे निर्मित करने की योजना रखी गयी थी कि जो कभी व्यवहृत ही न हो सके, और यदि हो भी जाय तो उसके अन्तर्गत गवर्नर-जनरल, भारत मन्त्री तथा ब्रिटिश ससद के अधिकारो को इतना सुदृढ बना दिया गया था कि राष्ट्रीय तत्त्व प्रभावहीन बने रहे। इसी प्रकार प्रान्तीय स्वायत्तता को प्रभावहीन करने के लिए गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनो को ऐसे रक्षा-कवचो से युक्त कर दिया था कि प्रान्तीय स्वराज्य केवल नाम-मात्र की चीज रह जाती। इन रक्षा-कवचो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरक्षित विषयो पर गवर्नर-जनरल की स्वविवेकी शक्ति, मन्त्रियो के अधीन (केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनो स्तरो मे) विषयो के सम्बन्ध मे गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरो के विशेष उत्तरदायित्व, अल्पसंख्यको, देशी नरेशो, लोक सेवाओ तथा ब्रिटेन के आर्थिक हितो के सम्बन्ध मे गवर्नरो तथा गवर्नर-जनरल को अपने 'व्यक्तिगत निर्णय पर' या अपने 'स्वविवेक पर' कार्य करने और भारत मन्त्री के आदेशो का पालन करने के लिए विवश रहने के प्राविधान इन रक्षा-कवचो के दृष्टान्त है। इनके अतिरिक्त शासन के दैनिक सचालन मे भी गवर्नरो तथा गवर्नर-जनरल को इतनी अधिक अग्रविशासनिक, वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान कर गयी थी कि वे इन्हे मनाच्हे ढग से प्रयुक्त करके लोकतन्त्र के सीमित क्षेत्र को भी अवरुद्ध कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा

जो थोड़ी बहुत स्वायत्तता भारतवासियों को एक हाथ में दे दी गयी थी वह रक्षा-क्वच एपी डूमर हाथ में छान जा गयी।

(7) कुछ विशिष्ट संस्थाओं का सज़न—यहां अधिनियम के साथ भारत में रिजर्व बैंक मंत्रालय, वायानय तथा रजिस्ट्रार जीओरिटी की स्थापना भी की गयी। यह संस्थाएं हमस पूव विद्यमान नही थी।

निर्वाचन—यद्यपि काग्रस 1935 के अधिनियम में त्रिकुन भी मत्तु नही थी तथापि उमन हम अधिनियम का बहिष्कार तथा सरकार के साथ असहयोग करने की नीति नही अपनायी प्रत्युत यह निश्चय लिया कि हमके अंतगत निवाचना में भाग नकर प्रांतीय स्वायत्त शासन की याजना को विफल सिद्ध किया जाय। अतः 1937 में जय निवाचन एत ता उमम काग्रस सहित जय एता तथा वर्ग न पूण उत्पादक साथ भाग लिया। निवाचना के फलस्वरूप 6 प्रांता (उमम मंत्रालय मयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश बिहार तथा उममा) में काग्रस विगत बहुमत से विजयी हुई। बंगाल उमम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उम पूण बहुमत तो प्राप्त नही हुआ किंतु वहाँ सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक एत था। मिथ में काग्रस की स्थिति अप्रमत्त था। पंजाब में हिंदू मिथ तथा मुस्लिम संस्था की मयुक्त सरकार बनी।

काग्रस द्वारा पद ग्रहण—यद्यपि छ प्रांता में काग्रस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था तथापि काग्रस ने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार नही किया क्योंकि गवर्नर की विगत शक्तियां का दखल हुए काग्रस को एत भय था कि उत्तरायी शासन तथा स्वायत्तता का गवर्नर अपनी शक्तियां बचाने पर अत कर दंगे। गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि गवर्नर लोग यह जाणमान लें कि वे अपनी शक्तियां का प्रयोग बधानिक प्रधानता के रूप में करेंगे तो काग्रस मंत्रिमण्डल बना सकती है। परंतु गवर्नर हमसे विगत राजी नही थे। अतः तीन मास तक गतिराध बना रहा। हम बीच काग्रस बहुमत वाले प्रांता में अग्रमन बान देना का मंत्रिमण्डल बनाने का बहा गया। काग्रस का मत था कि एमी व्यवस्था अवधानिक है। या ता अपनी शक्तियां का जाश्रय एत हुए गवर्नर शासन बना मरन थ परंतु निश्चय ही वह माविधानिक भावना के विरुद्ध हाना है और वह गवर्नर का दिया गया आदेश पत्रा से भी मगति नही रखता। अतः जुलाई 1937 में गवर्नर जनरल नाड निरनिधता ने भारत मंत्री की अनुमति में एक वक्तव्य दिया जिसमें उमन बहा कि गवर्नर से यह जाणा नही को जानी चाहिए कि प्रांतीय शासन के एनिक मामला में वह अनावश्यक हस्त डड करके प्रांतीय स्वायत्त शासन को अवरुद्ध करेगा। गवर्नर के विगत शक्ति अमाधारण परिस्थितियां का सामना करने के लिए ही है।

काग्रस हम वक्तव्य में मत्तु एत गयी। वास्तव में हम ममय काग्रस असहयोगी एत नही बनाना चाहती थी। वह प्रांतीय स्वायत्त शासन का वायार्थित करके जनता का अपने कार्यों से मत्तु करना चाहती थी। अतः जुलाई 1937 में काग्रस ने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर लिया। अतः मने बान मंत्रिमण्डल ने वायार्थित किया। छ प्रांता में काग्रस सरकारें बन गयी। बंगाल में उमम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में भी काग्रस के बहुमत से मंत्रिमण्डल बन गिये तथा पंजाब में काग्रस मंत्रिमण्डल बनने का प्रश्न नही था। मिथ में मुस्लिम भाग का बहुमत था। बंगाल में विभिन्न राज्यों की शक्ति ममान मा थी।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया—काग्रस की इस विजय में मुस्लिम भाग को बचन बड़ा घनरा लगा। लीग के नेता जिन्ना का बड़ी निराशा एत। यद्यपि ममानता के लिए मुस्लिम श्याना की मंत्रालय पर्यन्त अधिप था और उतका निर्वाचन पृथक निर्वाचन प्रणाली में हुआ था तथापि मुस्लिम श्याना में लीग को बहुमत बचाने में थ। काग्रस मंत्रिमण्डल ने मुसलमानों का मंत्रिमण्डल में वायार्थित प्रतिनिधित्व लिया था। परंतु हमसे मुस्लिम लीग का मन्ताय नही हुआ। जिन्ना ने उत्तर प्रदेश में काग्रस भाग का मित्रिमंत्रिमण्डल बनाने की बात प्रारम्भ की। एता देना की उक्त मन्ता एत पर था। काग्रस के बचन एत पर राजी था कि मुस्लिम लीग विधानमंडल

मे पृथक् गुट के रूप में विद्यमान न रहे और न भविष्य में उसकी ससदीय बोर्ड किसी उप-चुनाव में पृथक् रूप से अपने उम्मीदवार खड़ा करे। लीग इसके लिए राजी न थी, न कांग्रेस ही किसी रूप में लीग के ऐसे रवैये से दबने की स्थिति में थी, क्योंकि उसे स्वयं ही पूर्ण बहुमत प्राप्त था। परिणाम यह हुआ कि फिर अन्य प्रान्तों में भी लीग के ऐसे प्रयास करने का प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि कांग्रेस की नीति स्पष्ट ही चुकी थी। इसलिए अब जिन्ना ने यह प्रचार आरम्भ किया कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है, कांग्रेस हिन्दुओं का दल है, कांग्रेस राज्य में मुसलमानों के हितों को सरक्षण नहीं मिल सकता, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल वाले प्रान्तों में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, आदि। कांग्रेस ने इन सब आरोपों का न केवल खण्डन ही किया, बल्कि उसने लीग को स्पष्टतया कह दिया कि वह सघीय न्यायालय द्वारा ऐसे आरोपों की जाँच कराये। सयुक्त प्रान्त के गवर्नर तक ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया। लीग के पास चिल्लाने तथा झूठा प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। स्पष्टतः लीग की इस निराशा के अन्तर्गत पाकिस्तान की माँग के अक्रूर विकसित हो रहे थे।

प्रान्तीय स्वायत्त शासन का मूल्यांकन

यह तो निश्चित था कि यदि गवर्नर लोग अपने विशेष अधिकारों का अवांछित प्रयोग करने लगते तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन काठ की हाडी मात्र रह जाता। यह भी निश्चित था कि गवर्नर-जनरल के आश्वामन के बावजूद सभी प्रान्तीय गवर्नर तदनुसार कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आश्वामन के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी, अपितु उसका उद्देश्य ससदीय अभिसमयों को विकसित होने का अवसर देना मात्र था। इसके विपरीत गवर्नरों की शक्तियों के पीछे सावधानिक शक्ति थी। यह भी निश्चित था कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल जब भी यह अनुभव करेंगे कि गवर्नर गवर्नर-जनरल के आश्वामन को ठुकरा रहे हैं, तो वे त्यागपत्र देंगे। परन्तु जब तक गवर्नर ससदीय शासन की सुमान्य परम्पराओं को अपनाते रहेंगे तब तक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी प्रान्तीय स्वायत्त शासन को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। इन विविध परस्पर विरोधी धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में छोटे-बड़े सफटों का उपस्थित होना स्वाभाविक बात थी। जहाँ कहीं गवर्नरों ने स्वविवेक शक्तियों का मनमाना प्रयोग किया, वहाँ कांग्रेस क्षेत्रों में असन्तोष होने लगा। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में गवर्नर ने व्यवस्थापिका के एक विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। मध्य प्रान्त के गवर्नर ने एक मन्त्रिमण्डल को भग कर दिया था। परन्तु सबसे बड़ा असन्तोष तब उत्पन्न हुआ जबकि सयुक्त प्रान्त तथा विहार के मन्त्रिमण्डलों ने राजनीतिक बन्धियों की रिहाई का प्रश्न उठाया। गवर्नर-जनरल के आदेशानुसार गवर्नरों ने उसे स्वीकार नहीं किया, कारण यह बताया कि ऐसा करना प्रान्त में शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखने के गवर्नर के विशेष दायित्व के मार्ग में बाधक होगा। गवर्नर-जनरल का तर्क था कि एक प्रान्त का ऐसा निर्णय सभी प्रान्तों को प्रभावित करेगा। अतः इन दोनों प्रान्तों के गवर्नरों ने इसी आधार पर मन्त्रिमण्डलों के इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस हस्तक्षेप को देखकर इन मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसकी प्रतिक्रिया सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों वाले प्रान्तों में होती, परिणामस्वरूप प्रान्तीय स्वायत्त शासन ठप्प हो जाता। ब्रिटिश सरकार भी इससे कुछ व्यग्र हुई। अन्त में दोनों पक्षों के मध्य समझौता वार्ता द्वारा समस्या का हल निकाला गया और यह तय हुआ कि राजनीतिक बन्धियों की रिहाई प्रत्येक वैयक्तिक मामले के गुणावगुणों के आधार पर की जायेगी। इन्हीं प्रकार उड़ीसा में एक अधीनस्थ अधिकारी को गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिये जाने से भी समस्या उत्पन्न हुई। परन्तु इसने स्थायी गतिरोध का रूप नहीं लिया।

सक्षेप में, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल वाले प्रान्तों में जब भी गवर्नरों ने कहीं पर अवांछित रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया तो गतिरोध उत्पन्न हुए। परन्तु समग्र रूप में इन प्रान्तों के गवर्नरों ने

मनमाना हस्त रूप बन का साहस नहा किया। उनकी स्थिति यूनाधिक मात्रा में वधानिच प्रभाना का सी रहा। परन्तु मर शरसा मन्त्रिमण्डला के प्राप्ता में गवन्तरा का हस्त रूप अधिक रण। पञ्जाब के गवन्तर न राजनानिक वदिया की रिहाई के प्रश्न पर बिना मुख्यमन्त्रा की मनाह लिए अपनी दृष्टिकाण गवन्तर अनरन का भङ लिया। 1939 में तत्र काग्रम मन्त्रिमण्डलाने ब्रिटिश सरकार की विश्व-युद्ध की नाति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया ता गवन्तरा ने अधिनियम की धारा 93 के अंतगत वधानिकतंत्र की विफलता धापित करत हुए शासन अपन हाथा में ले लिया। अत्र प्राप्ता के गवन्तरा ने मुक्ति मन्त्रिमण्डला को बनाय रखा। यद्यपि के अन्तर्गतयत्र दन के तथापि अधिनाग काग्रमी मन्त्र्या के बन्दा कर लिए जान पर के मन्त्रिमण्डल बन रहे मक। एम दृष्टि में प्रांतीय स्वायत्त शासन के कायावयन में काग्रम मन्त्रिमण्डला के प्राप्ता में गवन्तरा ने अनावश्यक रन्धन की प्रवृत्ति छोड़कर उम सफर बनाने में बहुत योग दिया।

जहाँ तक जनप्रिय मन्त्रिमण्डला द्वारा प्रांतीय स्वायत्त शासन के कायावयन का सम्बन्ध था मन्त्रिमण्डलाने उत्तरनाथी समन्तीय शासन की सुमाय परम्पराओं का कायम रखन में कोई कमी नहा का। सामूहिक उत्तरनाथित्व के सिद्धांत का बनाय रखा गया। मन्त्रिमण्डला के निर्माण में अन्तर्गतयत्रा का प्रतिनिधित्व दन का भी विषय ध्यान रखा गया। यद्यपि समान्य शासन का परम्परा के विरुद्ध मन्त्रिमण्डला की प्रवृत्ति में गवन्तरा सभाजनित्व करत रण और उनकी उपस्थिति राम नीतिया के निर्माण में बाधक सिद्ध हानी था तथापि मुख्यमन्त्रिया की जनोपचारिक बठना का बुलाकर ठाम निषय दे तत के।

प्रांतीय स्वायत्त शासन की सफर कार्यावधि के निमित्त प्राप्ता में मित्रि सवा के उच्च पदाधिकारिया का मह्याग जत्यत जावश्यक था। चँकि गवन्तरा को मित्रि सवा के अधिकारिया के त्रिा का मरक्षण करन का विषय नाथित्व दिया गया था जिममें के मन्त्रिमण्डल की सनाह को ठुकरा मन्त के जन यन्त्रि एमा खया चरता रन्ता ता प्रांतीय स्वायत्त शासन असम्भव हा जाता। उत्तरनाथी शासन के अंतगत मित्रि सवा के शासन-मन्त्रिवा तथा विभागीय अधिकारिया को मन्त्रिया के अधीन काय करना आवश्यक था। ब्रिटिश शासन के अंतगत स्वच्छाचारिता स काय करन बाती नीकरगाही को जनप्रिय मन्त्रिमण्डला के अधीन काय करन में बड़ा सहायक तान गया था। यद्यपि साविधानि अधिनियम में उनके हितों का पर्याप्त मरक्षण प्राप्त था तथापि के एमी शासन-व्यवस्था के प्रचरन का सहन नहा कर पाय। कुछ अधिकारी एम भी थे जिहने काग्रसी नताजा के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में अनुचित व्यवहार किया था। अब जब उह उहा नताजा के अधीन काय करना था ता उह सहायक तथा भय दाना थे। एम कुछ अधिकारिया ने ता त्यागपत्र दे दिए थे। कुछ एम भी तत्त्व थे ता प्रांतीय स्वायत्त शासन की सफरता का अवरोध करन के एराने स अमन्योग तथा सक्क का स्थिति उपन्न करन के उद्देश्य में ही शासनिक पदा पर बन रहे। समुक्त प्रांत में एमी स्थिति उत्पन्न हुई तत्रकि शासन के मुख्य मन्त्रि न अधीनम्य अधिकारिया के नाम एम प्रपन्न भङकर यह मांग की कि के शासन मन्त्रिवा के प्रति-हस्ता रण स विहान जिमा आन्ध्र का कार्याचरन न करे। मुख्यमन्त्रा पण्डित गाविन्दबन्धन पत को जब यह मांग हुआ ता उहाने मुख्य मन्त्रि में घाम्या मांगा जोर उमके आन्ध्र की तीर भत्मना की। परिणामस्वरूप के आन्ध्र निरस्त कर दिया गया। इस घटना ने समुक्त प्रांत में हा नहा अतिरु अन्य सभी प्रांता के लिए एम घातक प्रवृत्ति किया। अविष्य में नीकरगाही ने एमा खया छोड़कर मन्त्रिया के साथ मह्याग में काय करना प्रारम्भ कर दिया।

यद्यपि प्रांतीय स्वायत्त शासन कवन रणभग तत्र केप की अवधि तक हा चना क्याकि मिनस्वर 1939 में काग्रम मन्त्रिमण्डलाने प्रांतीय विश्व-युद्ध छिन्न पर ब्रिटिश सरकार त्रग युद्ध में भारत का भी एक पण धापित करन की नाति के विरोध में त्यागपत्र दे दिए थे तथापि एम अत्र अवधि में काग्रम मन्त्रिमण्डलाने प्रशासनिक तथा सांस्कृतिकासाह हया के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ की उनका मराहना ब्रिटिश अधिकारिया तथा आजाचरन तक न की है। सणभग मनी

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो वाले प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्राम-विकास, पंचायतों के विकास, उद्योग, नशाबन्दी, कृषि, भूमि-सुधार, श्रम, दलित वर्गों के सुधार आदि के सम्बन्ध में ठोस कार्य किये गये। राजनीतिक दन्दियों की रिहाई पर भी कदम उठाये जाने लगे। दम्बई तथा मद्रास की सरकारों ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य लोगों से छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी के सम्बन्ध में कानून बनाये। सयुक्त प्रान्त तथा विहार की सरकारों ने ग्राम-सुधार योजना को बहुत व्यापक बनाया और ग्रामोत्थान के कार्यों से जनता के मध्य पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। अक्टूबर 1939 में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलियगो ने भी इन प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों के कार्यों की बहुत सराहना की थी। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने गैर-कांग्रेसी प्रान्तों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इन मन्त्रिमण्डलों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय नेता स्वराज्य के लिए केवल चिल्लाते ही नहीं हैं, जवितु भारतवासी ही स्वयं अपने देश की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने की पूर्ण प्रयासनात्मक क्षमता रखते हैं, जो कि विदेशी शासकों की क्षमता से परे की चीज है। इन मन्त्रिमण्डलों ने एक और उत्तम उदाहरण यह प्रस्तुत किया कि मन्त्रिमण्डल उतना ही वेतन लेगे जितना कि भारत सदृश गरीब देश के लिए उचित है। सयुक्त प्रान्त में मन्त्रियों का वेतन केवल 500 रुपए मासिक तय किया गया था। इस अल्प अवधि में भारतीय नेताओं को प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इससे कांग्रेस की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। अंग्रेज भले ही स्पष्टतया कहने में हिचके, परन्तु उन्हें यह समाधान पूर्णतया ही गया कि भारतवासी स्वशासन की पूरी क्षमता रखते हैं।

प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा मुस्लिम लीग—यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल 1937 से प्रान्तीय स्वायत्त शासन लागू हो गया था और जुलाई 1937 से छह प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल कार्य करने लग गये थे, तथापि भारतीय राजनीति और स्वतन्त्रता आन्दोलन में जहाँ एक ओर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने सराहनीय ढंग से शासन-कार्य सम्भालकर ब्रिटिश शासकों की इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया था कि भारतवासी स्वायत्त शासन के अयोग्य हैं, वहाँ कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की इस प्रतिष्ठा ने साम्प्रदायिक मुसलमानों तथा अंग्रेज शासकों दोनों को भारी आघात पहुँचाया। इसके अत्यन्त दूरगामी प्रभाव हुए। अब ब्रिटिश शासक कांग्रेस की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए पुनः साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने लगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, मुस्लिम लीग को 1936-37 के चुनावों में जो निराशा हुई थी, उसके बावजूद उसके नेता जिन्ना ने यह प्रयास किया कि लीग के निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में स्थान मिलना चाहिए। विशेष रूप से सयुक्त प्रान्त में लीग ने इस दिशा में भरसक प्रयास किया था। निर्वाचन अभियान की अवधि में कांग्रेस तथा लीग के मध्य भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य दिशाओं में कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं था। कांग्रेस ने भी लीग के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये थे और लीग के विरोध न करने में कांग्रेस को भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को विजयी बनाने में सफलता मिली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने लीग को यह आश्वासन दिया था कि यदि उसे बहुमत प्राप्त हो गया तो वह लीग के दो सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में लेगी। परन्तु जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और जिन्ना ने कांग्रेस से सयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने की पेशकश की तो कांग्रेस का दृष्टिकोण बदल गया। वह अबिक से अधिक केवल एक सदस्य खालिकुज्जामन को लेने को राजी थी।¹ बाद में जिन्ना व खालिकुज्जामन के बहुत आग्रह करने पर जो शर्तें लीग को लेने की रखी गयी, उनका स्पष्ट जर्ज्य यही था कि सयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग अपना अस्तित्व ही खो देती। जिन्ना ऐसे जोखिम के लिए तैयार नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुलकलाम आजाद तथा सयुक्त प्रान्त के मुख्यमन्त्री पंडित गोविन्दवल्लभ पंत में जिन्ना तथा खालिकुज्जामन ने अनेक तक-वितर्क

किये। परन्तु न जा तब तिरु व पत्र माविधानि तर्को पर आधारित थ। उनक मन म मन्त्रिमण्डलीय (मासूटिक) उत्तरदायित्व का कार्यावधि क तिरु मन्त्रिमन्त्रि मन्त्रिमण्डल बनाना चाहि जीवित्व नहा रखता था जसकि स्वयं काग्रम का पूण बहुमत प्राप्त था। दूसर नहू जा का तब था कि भारत म उम समय न ही दत थ—एक काग्रम तथा त्मरा त्रिनि सरकार। नहू जी नाग का एक प्रयक हिन वान तन क रूप म मानन का तयार नथी थ। उनका मन था कि मुमनमाना क का एम अय हिन नहा ज जिनका प्रतिनिधित्व काग्रम नहा करना थी। व नाग का प्रात म कुछ जमाना तातुकुत्तरा आनि निहित स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करन वाना मन्धा तन थ। त्मर विपरीत जिना तन तर्का म समन नहा थ। व नाग का मुन्निम जनता क मामाय हिला का प्रतिनिधित्व करन वान एक विशिष्ट राजनीतिक तन क रूप म मानत थ। अत उनका दृष्टि म यह एक तीमर राजनीतिक तन क रूप म था। नहू जा क तब मद्दानिक परतु जिना क तन व्यावहारिक थ जमा कि अहमर इमत मन्ता न मानाना जाजा का उद्घन करन दुग तिया है।

तर्को की दृष्टि म य एक अत्यन्त विवादास्पद विषय था। यह ता नहा कता जा मन्ता कि नाग उम समय भारत क समन मुमनमाना का प्रतिनिधित्व करन वाला मन्धा हान का तया कर मन्ती थी बधानि उम समय भारत क कुत्र राष्ट्रवाता मुन्निम नता काग्रम म थ कुछ अय मुन्निम मगठन यथा जमायत उन उलमा अतरार पार्टी जाति नाग क विरोधा थ। उगात तथा पजात जा मुन्निम बहुमयक जनता वान प्रात थ वहां भा मुन्निम नाग क विरागी अय मुन्निम तन थ। परत यत भी एक तना भूत न कहा जा मन्ती है कि काग्रम का 1937 म जिना क नतुव वाना मुन्निम नाग का 1906 या 1919 का नाग क रूप म नता तना चाटि था। साथ हा जिना मय राष्ट्रवाता मुमनमान नता की एमी त्त ता करना उचिन नहा था। त्मर पूव मासूटिक मुमनमाना क कट्टर नता यथा एजरी तुमन नहा र्त गय थ। जिना त्म समय अचिन भारताय म्यानि क मुन्निम नता थ। एजतुन हक मिक्त्त ह्यात मी जाति का प्रभाव अपन प्राता तब ममित था। जिना की नाग क उद्श्य राष्ट्रवाता अधि थ विगुत ज म मासूटिक कम। काग्रम क मन्त्रिधानवात पर आधारित तब भा व्यावहारिक राजनानि पर अतिक आधारित नहा थ। त्मण्डल म मिन्त्रि मन्त्रिमण्डल का सरकार का दृष्टान्त उतन पराना नहा पर गया था। अतान म नाग न भारत का स्वतन्त्रता का मांग क मांग म जा रात अत्राय थ त्म दयन त्त 1937 म पूण जमन प्राप्त कर तन पर काग्रम नाग का उप ता करक अपन स्वतन्त्र मन्त्रिमण्डल बना तन की म्यिनि म इर प्रकार म ययसगत थी। परत काग्रम का यत एक तनी नून न कहा जा मन्ता है कि उमत यनी पर जिना की वाना का न मानकर त्त त्त करक त्मर दूरगामी प्रभावा का त्मथा का।

एमी क्षण म जिना न काग्रम का पूणतया त्मू ममन कहकर मुमनमाना का त्मक विमूड हा जान का अभिधान प्रारम्भ कर तिया और त्त ताराचत क त्त म त्तम जिना न जातान भारत की एतता क तिरु काय तिया था अत त्मम म मा तिया और अत त्तान स्वतन्त्र मुन्निम भारत क आवश्यक उद्श्य को अपना जीवन त्तम त्तना तिया।

इसका परिणाम यत त्मथा कि 15 अक्टूबर 1937 म प्रारम्भ त्त मुन्निम नाग क त्तततु परिचरन म जिना न काग्रम क विमूड त्हर उगतता तुत कर तिया और आज त्त भारत का एतता बधानिक तराका म स्वगत्य मांगत एम त्तियतता का नाति पर त्तन त्मू मुन्निम एतता क तिरु काय करन आनि क सिद्धान्त का षाड तिया। उतान पापित तिया कि काग्रम पूणतया त्मू परतु आचरण कर त्त है और त्तक जगत क प्रधान मुमनमाना का तिया प्रकार का मन्धान त्त मित मन्ता। उतान अय प्राता क मुमनमाना म ना काग्रम का विरोध करन का पादान तिया। त्मथा परिणाम यत त्मथा कि यगत म एतनुत इत की मन्कार का ममन

मुस्लिम सदस्यों का समर्थन मिलने लगा। यही स्थिति पंजाब में रह गयी जहाँ सरकार का विरोध हिन्दू सदस्यों तक सीमित रह गया। अन्यत्र भी मुसलमान सदस्य कांग्रेस-विरोधी होने लग गये। ब्रिटिश सरकार तो ऐसी प्रतीक्षा कर ही रही थी। आज तक एकमात्र प्रबुद्ध तथा सुयोग्य मुस्लिम नेता जिन्ना ब्रिटिश शासकों के अन्ध-समर्थकों में से नहीं थे। अब वही एकमात्र वास्तविक मुस्लिम नेता थे और वे भी ब्रिटिश शासकों के हित में कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो चुके थे। इसका लाभ अन्त तक अंग्रेजों ने भरपूर उठाया। इस प्रकार 'यह राजनीतिक अदूरदर्शिता तथा ब्रिटिश शासकों की कांग्रेस के प्रति घृणा जिन्ना के भारत के भविष्य का एकाएक निर्णायक बन जाने के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुए।'

कांग्रेस दल में दरार—1937-39 की अवधि में यद्यपि कांग्रेस दल को प्रान्तीय स्वायत्त शासन का संचालन करने के फलस्वरूप पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, तथापि दो घटनाएँ ऐसी हुईं जिनके कारण कांग्रेस को भारी हानि हुई और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के संचालन में उनके दूरगामी प्रभाव हुए। इनमें से एक घटना, जिसका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मुस्लिम लीग का कांग्रेस-विरोधी हो जाना था, और दूसरी घटना स्वयं कांग्रेस दल के अन्दर नेतृत्व में फूट का आ जाना था।

कांग्रेस के नेतृत्व के अन्तर्गत युवा-वर्ग कुछ वामपंथी विचारों का था। यह वर्ग गांधी जी की अहिंसा की राजनीति पर विश्वास नहीं करता था। साथ ही यह गांधी जी की प्राचीन भारतीय आदर्शवादी परम्पराओं को भी उपयुक्त नहीं मानता था। इसके ऊपर पाश्चात्य देशों के क्रान्तिकारी नेताओं तथा उनके आदर्शों का प्रभाव अधिक था। ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पराधीनता से देश को मुक्त कराने के निमित्त वह कड़े संघर्ष पर अधिक विश्वास रखता था। उसमें रूसी क्रान्ति का भी प्रभाव था। पंडित नेहरू तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इस वर्ग के प्रमुख नेता थे। परन्तु नेहरू जी गांधी जी के प्रभाव में बहुत अधिक आ चुके थे, जबकि बोस गांधी जी के प्रभाव से लगभग मुक्त थे। नेहरू व बोस दोनों असहयोग आन्दोलन की अवधि में कांग्रेस में आये थे। बोस ने आई० सी० एस० से त्यागपत्र दे दिया था। वे प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी विचारों के थे। जब गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन की अवधि में वे वियना में अपनी बीमारी का इलाज कराने गए हुए थे। जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया है तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। उस समय केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल भी वही थे। दोनों ने गांधी जी के इस निर्णय की भर्त्सना की और गांधी जी को असफल राजनीतिज्ञ कहा। सुभाष बोस संघर्ष की राजनीति पर विश्वास करते थे। उनका मत था कि भारत की 35 करोड़ जनता संघर्ष द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। 1935 में अपने प्रवास में उन्होंने *The Indian Struggle* लिखी जिसे भारत सरकार ने जप्त कर दिया। 1936 में जब वे भारत लौटे तो उन्हें तुरन्त नजर-कैद करके अपने भाई के घर पर ही रख दिया गया। परन्तु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

सुभाष बोस कांग्रेस को पुनर्गठित करके उसमें नवीन नेतृत्व भरना चाहते थे जो संघर्ष की राजनीति अपनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सके। 1937 में जब कांग्रेस ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के अन्तर्गत पद ग्रहण कर लिया तो गांधी जी की इच्छा हुई कि युवा नेता बम को किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाय जहाँ पद के दायित्वों से ढक जाने के कारण उनके उग्र विचारों को उदार बनाने का अवसर मिल सके। अतः 1938 में सुभाष बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। पद ग्रहण करते ही सुभाष बोस ने घोषणा की कि वे कांग्रेस का निदेशन इम रूप में करेंगे जिससे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गयी संघ-व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया जायेगा। इसमें सभी शान्तिपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण साधन अपनाये जायेंगे, आवश्यकतानुसार अहिंसात्मक असहयोग भी काम में लाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन, एकता तथा जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने की योजनाओं पर बल दिया। वे भारी औद्योगीकरण की

नीति के समर्थक थे। ब्रिटिश शासक उनकी नीतियाँ स वन्त खुब हाने तग क्याकि सरकार के प्रति उनका विराधा खया ताज्तर हाने तगा था। वास यूरापीय राजनीति को भन्नी भानि समभन थे। उह पूरा आभास हा गया था कि गात्र ही यूराप मे भारी युद्ध छिड़ेगा। अत उम समय भारतवासियों का भी अरना राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सघष करने का तयार रहना पड़ेगा। उनकी न नीतियाँ मे काग्रस का पुराना नतत्व जो गाधी जी की शि गारा के प्रति निष्ठावान था परणाना मे पन गया। 1939 मे जन नय काग्रस अयक्ष के चुनाव का प्रन्त आया ता गाधी जी ने पद्मभि सीतारामया को उम्मीदवार चुना। त्सरी आर सुभाष दास को पुन निवाचित करने के समर्थक भी थे। आशचय की बात यह थी कि वाम के मुत्तात्रिन सीतारामया का पगजय का सामना करना पचा। त्समे गाधी जी त्रे विरत गे। वास के नतत्व मे 10 माच 1939 को काग्रस ने ब्रिटिश सरकार को अटोमटम भजन का प्रस्ताव किया कि वह 6 मास के अंतर भारत का पूण स्वतंत्रता प्रदान कर अन्यथा राष्ट्रीय सघष की तयारी का जाय। त्स पर काग्रस के प्रतिनिधियाँ मे त्नी खतपती मच गयी।

वात् मे सुन अधिवान मे गाधी जी के समर्थक यह प्रस्ताव पाम करा तने मे सफन हा गया कि काग्रस अपने जावन की त्सी अवधि मे अपनाय गय साधना का ही प्रयाग करगी। साथ हा यत् भी प्रस्ताव किया गया कि काग्रस कायकारिणी का भविष्य मे गाधी जी का निष्पान स्वीकार करना चाहिए और अध्यक्ष का तद्नुमार कायकारिणी का चयन करना चाहिए। सुभाष दास के लिए यह एक भारी चुनौती थी। स्पष्टन काग्रस के नतत्व मे दगर पड गया। समभौत के सभी प्रयाग निष्फन हुए क्याकि गाधी जी तथा वाम मे स कोइ भी अपन निश्चया मे भुजन को तयार न थे। परिणामस्वरूप वाम ने अध्यक्ष पद मे त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर त् राज्त् प्रसाद का काग्रस का अध्यक्ष चुन लिया गया। सुभाष वाम ने काग्रस मे त्यागपत्र दकर नया दल पारवत् ताक बना लिया। यद्यपि हा राज्त् प्रसाद ने काग्रस के प्रस्ताव के अनुसार काय कारिणी का निमाण किया तथापि एस अवसर पर जबकि विश्व के सम त एक मन्तान् विपत्ति आन गानी थी और काग्रस के अदर एकता एक भारी आवश्यक्ता थी वाम का काग्रस से पृथक हा जाना भारी दुर्भाग्य की बात थी। 1939 के वात् के घटना चक्र मे काग्रस मे सुभाष वाम का अनुपस्थिति के कारण आदानन मे भारी रिक्तता जा गयी जसा कि राष्ट्रीय आन्दानन की भावी घटनायाँ मे स्पष्ट हागा।

प्रश्न

- 1 1937 के उपरांत प्राला मे लागू किए गए स्वायत्त शासन का मन्वाचन कीजिए।
- 2 प्रांतीय स्वायत्त शासन प्रणाली के प्रति मुसलिम लीग का क्या दम था ? आसोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
- 3 त्गरे मन्तान् के आरम्भ पर काग्रस भविष्य मे क्या त्यागपत्र दिया ? उनके त्यागपत्र की क्या प्रतिक्रिया हुई और उममे उत्तर गतिराध को दूर करने के लिए क्या रिया गया ?

द्वितीय विश्वयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (NATIONAL MOVEMENT AND WORLD WAR II)

द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ—जब भारत में प्रान्तीय स्वायत्त शासन का प्रयोग चल रहा था तो यूरोप द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारी में था। जर्मनी में नाजीवादी तथा इटली में फासीवादी अविनायकतन्त्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुके थे। 1935 में इटली ने अवीमीनिया पर आक्रमण करके विश्व को चेतावनी दे दी थी। इससे पूर्व जब 1937 में जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया था तो भारत सरकार ने चीन में भारतीय सेनाएँ भेज दी थी। इस पर कांग्रेस ने यद्यपि जापान के चीन पर आक्रमण की निन्दा की, तथापि भारत सरकार को भी चेतावनी दे दी थी कि विना भारतवासियों के परामर्श के सरकार यदि भारतीय मानव-शक्ति का इस प्रकार अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोषण करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने एकाएक पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया। 3 सितम्बर 1939 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड, फ्रांस आदि मित्र-राष्ट्रों का दावा था कि वे लोकतन्त्र की फासीवादी अधिनायकवाद से रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भारत को भी एक पक्ष घोषित करके भारतीय मैनिक टुकड़ियों को पश्चिमी एशिया के देशों में भेजना शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय शासन अधिनियम में सशोधन करके भारत-स्थित ब्रिटिश नौकरशाही को युद्ध-प्रयामों के हेतु विशाल आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान कर दी। सध-व्यवस्था को लागू करने का प्राविधान स्थगित कर दिया गया था।

युद्ध के प्रति कांग्रेस का रुख—यद्यपि कांग्रेस फासीवादी साम्राज्य तथा अन्य सभी प्रकार की सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के विरुद्ध थी, तथापि वह लोकतन्त्री साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध थी। ब्रिटिश सरकार एक ओर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा कहती थी, दूसरी ओर भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में किसी भी प्रकार के लोकतन्त्री अधिकार देने में निरन्तर उदासीन बनी रही थी। भारत के ब्रिटिश शासक युद्ध छिड़ने से पूर्व युद्धकाल में कांग्रेस के सम्भावित रुख के बारे में विचार करने लग गए थे। युद्ध छिड़ते ही भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत कांग्रेस के विरुद्ध रणनीति की भूमिका बना चुके थे। कांग्रेस भी स्पष्टतया घोषित कर चुकी थी कि उसकी राय लिए बिना भारत को युद्ध में एक पक्ष घोषित करना अनुचित होगा। परन्तु कांग्रेस की शक्ति को कुचल देने पर तुली हुई सरकार ने कांग्रेस के नेताओं की एक न सुनी। 8 अक्टूबर 1939 को वाडमराय ने कुछ मूविवाओं की घोषणा की। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह केन्द्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करेगी, सरकार को युद्ध-कार्यों में सलाह देने के लिए एक युद्ध-परिषद् का निर्माण करेगी, और युद्ध समाप्त होते ही नए सविधान का ढाँचा तैयार करने के लिए एक निकाय की स्थापना करेगी। 17 अक्टूबर 1939 को यह देखते हुए कि कांग्रेस को उपर्युक्त सुविधाएँ जमान्य ह यह आश्वासन दिया गया कि सरकार डम वात के लिए उत्सुक है कि वह 1935 के कानून में भारत के दलों तथा हितों से परामर्श करके युद्ध समाप्त होने पर सशोधन पर विचार करेगी। कांग्रेस या लीग कोई भी ऐमे आश्वासनों से सन्तुष्ट नहीं थी। अतः ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा करते ही कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि यदि वह फासीवाद के विरुद्ध तथा लोकतन्त्र की रक्षा के निमित्त युद्ध में भागत्वामियों के

मन्थान तथा मन्थयता का रूप । करता है ता उस स्पष्ट पन्ना में यह घोषणा करना चाहिए कि हमका भारत के प्रति नास्तिक तथा साम्राज्यवादी के सम्मुख क्या उद्देश्य है । 15 सितम्बर 1939 तक कांग्रेस मन्थनमिति ने समस्या पर विचार करके त्रिनिदाद सरकार से यह माग का निवेदन स्पष्टतः यह घोषणा कर दिया कि वास्तविक उद्देश्य क्या है और त्रिनिदाद भारत का भविष्य क्या होगा क्या कि यदि युद्ध का उद्देश्य भारत में यथास्थिति जनाय रचना है ता भारत का युद्ध में क्या प्रयोजन होगा ? यदि त्रिनिदाद सरकार सत्त्व भाव से तथा स्पष्ट पन्ना में एसा आश्वासन देता ता कांग्रेस चाहता कि वह अधिनामसन्तान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का युद्ध में भारत की श्रम में प्रयत्न मन्थयता से के कार्य में लग जाता जसा कि उसने प्रथम विश्वयुद्ध का प्रवधि में किया था । परन्तु त्रिनिदाद सरकार एसा करने में उत्तम सक्ताया ।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र—कांग्रेस की इन मागों के उत्तर में गवर्नर जनरल ने भारतवाय नतामणों से ज्ञाना का और यह वक्तव्य दिया कि भारत के विभिन्न वर्गों में एक के भावासाविधानिक स्वरूप के बारे में मतभेद होगा ? त्रिनिदाद सरकार भारत का जीपनिवर्गित स्वतन्त्रता देना अपना नय मानती है । जन युद्ध समाप्ति के पश्चात् भारत के विविध वर्गों तथा सम्प्रदायों से परामर्श करने के उपरांत 1935 के अधिनियम की परिखणित करने के निमित्त उत्तम माग जायेगा । युद्ध समाप्ति के तत्पश्चात् गवर्नर जनरल विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का परामर्शान्वी युद्ध निर्मित करने का तयार है । गवर्नर जनरल ने इस वक्तव्य से कांग्रेस का धारा 93 में पूर्ण निराशा व्यक्त की । इससे पूर्व गांधी जी ने राजस्व प्रस्ताव तथा पन्ना के मराय से मित थे । परन्तु 17 अक्टूबर 1939 को राजस्व प्रस्ताव की उक्त घोषणा पर प्रतिप्रिया व्यक्त करके हुए गांधी जी ने कहा कि यह श्रम निराशाजनक था इसका अर्थ युद्ध के बाद पुनः एक एक गांव में सम्भवतः रा बुताना होगा जो निश्चय ही असफल होगा । यह प्रस्ताव ने भी यही निष्कर्ष निराशा कि त्रिनिदाद सरकार की नीति से कोई परिवर्तन नया हुआ है । एसा ही विचार नरक जा तथा सप्र जा न भी थे । एसी स्थिति में कांग्रेस का प्रतीत हुआ कि उसकी मागों के उत्तर में त्रिनिदाद सरकार वास्तव में कुछ भी नहीं देना चाहती जपितु भारत में पुनः युद्ध नया और शासन करा की नीति अपना रही है । कांग्रेस का त्रिनिदाद शासन का प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के नाति का बटु अनुभव का चुना था । इस पर 22 अक्टूबर 1939 का कांग्रेस काय समिति ने प्रांतीय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र देने का आदेश दिया । नवम्बर तक कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र देने की गवर्नर ने 1935 के शासन अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत साविधानिक विफलता का घोषणा करके शासन का शासन का अपन हाथा में ले लिया । इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्त शासन का अन्त होकर पुनः स्वयं-शासितशासनी शासन शुरू हो गया ।

गवर्नर जनरल के उक्त वक्तव्य तथा कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र देने का तब मुस्लिम लीग उठाने लगी । जिन्ना ने घोषणा की कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र में मुसलमानों के उपर हिंसे का अत्याचार शासन का अन्त हो गया है । इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्व प्रस्ताव जिन्ना का चुनौती दी कि न भारत के मध्याय यायाय के मुख्य यायाधीन से यह जीव कराय कि कांग्रेस शासन समतमानों के लिए क्या तब अत्याचार था । परन्तु जिन्ना का एसा साहस कहाँ था ? जब से कांग्रेस में स्पष्ट होकर तथा अपन पत्र के विचारों जाणों तथा उद्देश्यों का भूतकर पक्के मुस्लिम सम्प्रदायवादी बन चुके थे तब से त्रिनिदाद शासन के शासन पर कांग्रेस के विरुद्ध नास्तिक नय ध । परन्तु त्रिनिदाद सरकार भी जब जिन्ना का मांग को भारत की सम्पूर्ण मुस्लिम जनता की मांग का बताना मानकर भारत की किमा भा स्वतन्त्रता या स्वायत्तता की मांग को ठकराता गया था । इस समय समस्या यथा थी कि त्रिनिदाद सरकार युद्ध प्रयागों में कांग्रेस तथा उसके माध्यम से सम्पूर्ण भारत का जनता का मन्थान चाहते कि एका वजाय अध्यात्मों द्वारा शासन चरान के कांग्रेस का जीपनिवर्गित स्वराज्य का मांग का स्वाकार पर लनी और भारतार शासन में कानून में सम्मिलित मन्थान करके भारतीय स्वातन्त्रता के सम्बन्ध

मे एक कदम आगे बढ़ जाती। ब्रिटिश शासको की यह धारणा निर्मूल थी कि ऐसा करने से मुस्लिम वर्ग को असन्तोष होगा। यह तो केवल टालने का बहाना था। वास्तव में स्थिति यह थी कि जिन्ना को छोड़कर अन्य कोई भी मुस्लिम नेता (फजलुल हक, सिकन्दर हयात खॉ या सिन्ध तथा असम के मुख्यमंत्री) सरकार के विरुद्ध नहीं होते। जमायन-उल उलेमा भी जिन्ना के विरुद्ध थी। 1939 में भारतीय मुसलमान खिलाफत जैसी किसी प्रेरणा में अंग्रेज विरोधी नहीं थे। मिस्र, ईराक तथा टर्की सहित मुस्लिम देश अंग्रेजों की ओर थे। अतः भारत के मुसलमान अंग्रेजों का साथ देते।¹ परन्तु ब्रिटिश शासको ने हठधर्मिता से ही काम किया।

यद्यपि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया था, तथापि कांग्रेस ने युद्धकाल के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित नहीं किया था। वह अब भी सरकार के साथ समझौता-वार्ता करती रही। स्वयं भारतीय नेतृत्व युद्ध की अवधि में ब्रिटिश रवैये तथा युद्ध सम्बन्धी विषयों पर अपनी नीति सुनिश्चित करने में एकमत नहीं था। सुभाष बोस का मत था कि भारत का एकमात्र उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त करना तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी को समाप्त करना था। अतः भारत को इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की परेशानी का लाभ उठाकर किसी भी साधन से स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिए। इसके विपरीत प० नेहरू जहाँ भारत की स्वतन्त्रता के लिए चिंतित थे, वहाँ वे मित्र-राष्ट्रों के युद्ध के आदर्शों स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र तथा मानवतावाद के साथ भी सहानुभूति रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि मित्र-राष्ट्र होने के नाते इंग्लैंड भारत के सन्दर्भ में भी युद्ध के उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करे। गांधी जी किसी प्रकार की सौदेबाजी के पक्ष में तो नहीं थे, प्रत्युत वे फासी तथा नाजी नीतियों से घृणा करते थे और ब्रिटेन के साथ समझौता करके समस्या के समाधान के लिए उत्सुक थे। उधर मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने अपनी माँगों का जो हठीला रुख अपना लिया था, उसी को ब्रिटिश शासको ने प्रमुखता दी और कांग्रेस के साथ भारत की सांविधानिक स्थिति के बारे में कोई भी निश्चित घोषणा करने के मार्ग में बाधा डालने के निमित्त लीग की माँगों पर अड़े रहे। इंग्लैंड का रवैया यही बना रहा कि मानो भारत की सांविधानिक समस्या के हल के ठेकेदार वे अंग्रेज ही हैं। इसके विपरीत गांधी जी का मत था कि इंग्लैंड भारत को स्वतन्त्र कर दे और भारतवासी अपनी सांविधानिक समस्याओं से स्वयं निवट लेंगे। परन्तु ब्रिटिश अधिकारी अपने साम्राज्यवादी को भारत में बनाये रखने के इच्छुक होने के कारण भारत की स्वायत्त शासन की किसी भी माँग के निमित्त मुस्लिम साम्प्रदायिकता, देशी नरेशों के हितों आदि को तूल देकर उसे अस्वीकार करते गये और सारा दोष कांग्रेस को देते रहे। अतः कांग्रेस तथा सरकार के मध्य किसी समझौते के सभी द्वार बन्द थे।

युद्ध का प्रसार तथा भारत की समस्या—ब्रिटिश सरकार को दो युद्धों का सामना करना पड़ रहा था—भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा यूरोप में नाजीवाद के विरुद्ध। प्रथम को वह टालमटोल तथा शक्ति के दल पर दबा लेने की स्थिति में थी, परन्तु यूरोप में हिटलर की बढ़ती हुई शक्ति उनके लिए भारी चिन्ता का विषय थी। 1940 में यूरोपीय युद्ध तीव्रता से बढ़ रहा था। हिटलर ने यूरोप के एक के बाद दूसरे राष्ट्र को हड़पना प्रारम्भ कर दिया था। जब उसने नार्वे, स्वीडन को झूट लिया और फ्रांस को भी दबा लिया तो मई 1940 में ब्रिटिश संसद में टोरी नेता ऐमरी ने प्रधानमंत्री चैम्बरलेन से इंग्लैंड की इन राष्ट्रों को बचा सकने में असमर्थता के लिए त्यागपत्र की माँग की। परिणामस्वरूप चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और उसका स्थान कर्टर तथा दृष्टप्रतिज्ञ टोरी नेता चर्चिल ने लिया। चर्चिल के प्रधानमंत्री बनने पर जेटलैंड के स्थान पर ऐमरी ने भारत मन्त्री का पद सम्भाला। पिछले टोरी नेताओं की तुलना में ये दोनों नेता भारत की स्वतन्त्रता की माँग के कट्टरतम शत्रु थे और किसी भी कीमत पर भारत की ऐमी

¹ Tara Chand, *op cit* 295-96

भाग क निमित्त जरा भर भा मुक्त का जागा इनम नहा थी ।

युद्ध की गति तब्र हाता गया जमना न आ बोक हम क साथ युद्ध-वजन सखि कर ता थी । यह ब्रिटेन के लिए और अधिक सतर्क ही जात था । धुरी शक्तिया उत्तर अफ्रीका मध्य एशिया तथा पश्चिम यूरोप क दगा म द्या गयी था स्वयं एगण्ट म नाजी बमबारां गुरू हा गया थी । 1941 का वर्ष युद्ध म इगण्ट क लिए महायुद्ध सिद्ध हात गया । जमनी न विजय क नग म चूर हाकर हम क ऊपर भी आक्रमण कर लिया । जमराका एगण्ट का महायुता दन क लिए जागे आया । मुद्दर पूर्व म जापान भा धुरी राष्ट्र क प त म युद्ध म कूट पला और शीघ्र ही दक्षिण पूर्व एशिया क दशा का अपना निगाना बनाकर वह भारत की साम्राजा का आर बट गया था । जमरीका तथा ब्रिटेन न एगनातिक चाटर पर हस्ता कर कय युद्ध म नाजी शक्ति क विरुद्ध मार्च बना लिया था । हम भी जय मित्र गण्टा म मिन गया था । जमरीका का जय एगनातिक क प्रगा न मनासागर स हाकर जमना तथा जापान दाना स मुकाबिला करना था । यदि यूरोप म नाजी क फामी शक्तिया नष्ट न जाता ता जापान अकना पट जाता और उस नष्ट करना मित्र गण्टा क लिए कठिन न हाता एमा ब्रिटेन का अनुमान था । परन्तु जय जापान पूर्व स भारत क द्वार सटखटान गया और भारत म राष्ट्रीय नेताजा का त्रि श सरकार क साथ असह्यागपूर्ण खया बना आ था साथ ही भारत क प्रसिद्ध आतिकारी नेता सुभाष बाम धुरी राष्ट्र म मिनकर अग्रजा क विरुद्ध माचा नन की याजना बना चुक था ना अय ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत की प्रतिरक्षा क निमित्त भारतीय नेताजा क साथ सह्याग करन की आर गया । यद्यपि यह प्रयास दिखाव का हा था और ब्रिटिश शासका न उसके प्रति कोई ईमानदारी नही दिखायी तथापि इमक दूरगामी प्रभाव हुए जिनका कपना ब्रिटिश शासक नहा करन थे । डा नागचण्ट क गण्टा म युद्ध का यह अमरा चरण ब्रिटिश सरकार क मिर क ऊपर आकाश का तनवार की भांति उठक रहा था जा भारत क सम्मुख विभाजन का धमकी क रूप म था ।

अगस्त 1940 का प्रस्ताव

कारण—जमा ऊपर कया जा चुका था जय नाजी विजया न परिणामस्वरूप एगण्ट भाग सक्त म पडन गया ता एगण्ट म यह अनुभव किया गया कि युद्ध प्रयागा का मुहट करन क लिए सरकार म नतृत्व बटनन की आवश्यकता है । अत चम्बरनन क स्थान पर चर्चिन का प्रधानमन्त्रा बनाया गया और नय मन्त्रिमण्टन म एमरा का भारत मन्त्री का पट मिला । य दाना व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाट क पक्क समर्थन तथा भारत का स्वतंत्रता क बटूर विरोधा थ । एगनातिक चाटर क एक प्रमुख हस्ताशरकता क रूप म भी चर्चिन न कया कि यह चाटर (जा कि स्पष्टतया ब्रिटीश शासन तथा आक्रमण क विरुद्ध गण्टा का स्वायत्त शासन प्रदान करन की घोषणा करता था) भारत या ब्रिटिश साम्राज्य क अधान एगा पर लागू नहा हाता । एमा स्थिति म ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का किमा भा प्रकार का अन्तरातीन शोधनदान या अन्तर्मिशनान स्वायत्त शासन की भांग की पूर्ति का जागा करना निरर्थक था । परन्तु वाग्रम की निरन्तर बढ़ता आग का भा ब्रिटिश सरकार या हा दुर्गम नन का माहम भा नया कर सकता थी वरात्रि ब्रिटेन क ऊपर युद्ध-सक्त बढ़ता जा रहा था । अत अगस्त 1940 म भारतीय माविधानिक प्रतिरोध को रू करन क लिए गवर्नर जनरल न एक प्रस्ताव रगा जिय अगस्त 1940 का प्रस्ताव कया जाता है ।

प्रस्ताव—अम प्रस्ताव क अनुसार गवर्नर जनरल न य घोषणा क

1 इन पन्नामा का दिक्कन नः लिना या 1 1 1 ।

Thu the co d'stag f w t Ji with swo d f D moat h s s
r th he d of th G rnm t i B t Ju with th t sp it conf s
1.1.1 11.1 304

(1) युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार भारत के भावी सविधान का निर्माण करने के निमित्त एक सविधान सभा का आयोजन करेगी, जिसमें भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय तत्त्वों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

(2) गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को रखा जायेगा और ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से युक्त एक युद्ध परामर्शदात्री समिति बनायी जायेगी।

(3) ब्रिटिश सरकार भारत की शान्ति तथा सुरक्षा के वर्तमान दायित्व को किसी ऐसी सरकार को नहीं दे सकती जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय जीवन का एक विशाल वर्ग करता हो।

(4) ब्रिटिश सरकार युद्धोत्तर काल में भारत की औपनिवेशिक स्थिति की माँग को मान्यता देगी और यथासम्भव युद्धकाल में उसके सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया जायेगा।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया—यद्यपि अगस्त 1940 के प्रस्ताव में स्पष्टतया औपनिवेशिक स्वराज्य, सविधान सभा की स्थापना तथा अन्तरिम काल में भारत के शासन में भारतीयों को शामिल करने की घोषणा थी, तथापि इसकी शब्दावली इतनी अस्पष्ट थी कि वह केवल 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर आधारित थी। इसमें तुरन्त उत्तरदायी लोकतन्त्री शासन की स्थापना को पूर्णतया उपेक्षित किया गया था। मुस्लिम लीग को अवश्य इससे सन्तोष हुआ क्योंकि इस योजना के माध्यम से वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों का बहाना लेकर इस योजना को सफल न होने देने में समर्थ हो जाती। वास्तव में अब लीग का उद्देश्य भारत की एकता तथा स्वतन्त्रता नहीं था, प्रत्युत वह स्वतन्त्र मुस्लिम भारत का ही स्वप्न देखने लगी थी। अतः कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना—सरकार के ऐसे असहयोगी रुख तथा चालों को देखकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी को पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया। गांधी जी के समक्ष कई ऐसी समस्याएँ थीं जिन पर बहुत सोच-विचार करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने का निर्णय करना था। युद्ध की तीव्रता का प्रभाव भारत की आम जनता पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि देश का शासन वह राष्ट्र कर रहा था जो युद्ध में निर्बल पक्ष बनता जा रहा था, शासकों का देश की न्यायोचित माँगों के सम्बन्ध में हठी रुख तथा टालमटोल से भरा व्यवहार राष्ट्रीय नेताओं के लिए असह्य हो रहा था, सविनय अवज्ञा आन्दोलन को ग्राम जनता का आन्दोलन बनाना ऐसी सकटमय स्थिति में अनुचित होता। यद्यपि कांग्रेस युद्ध में इंग्लैंड की हर प्रकार से सहायता करने को तैयार थी, क्योंकि वह फासीवादी आक्रमण को कदापि सहन नहीं करती थी और गांधी जी ने हिटलर तथा मुसोलिनी तक को उनकी समर नीति के विरुद्ध पत्र लिखे थे, तथापि अंग्रेजों की भारत में साम्राज्यवाद कायम किये रखने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की न्यायोचित माँगों के प्रति हठधर्मिता तथा उदासीनता दर्शाने की नीति को देखकर कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना भी अनुचित प्रतीत हुआ। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी ने 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' की योजना बनायी, क्योंकि आम सत्याग्रह के हिंसा में परिवर्तित हो जाने का भय था और ब्रिटिश शासक उसे दवाने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाते। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूर्णतया अहिंसात्मक होता। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अहिंसा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया गया। सत्याग्रही पहले जिला अधिकारियों की अपने इरादों की सूचना देते। उसके बाद वे शान्तिपूर्ण तरीके से जनता से माँग करते कि वे युद्ध के निमित्त सरकार को किसी प्रकार की सहायता न दें क्योंकि युद्ध भारत की जनता की स्वतन्त्रता तथा उनके लोकतन्त्री अधिकारों की सुरक्षा में लिए नहीं, बल्कि उसे निरन्तर ब्रिटिश दाम्मता के अन्तर्गत बनाये रखने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के संरक्षण के लिए लड़ा जा रहा था।

सत्याग्रह का आरम्भ—व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए गांधी जी ने सबसे प्रथम आचार्य विनोबा भावे को चुना। अक्टूबर 1940 में आन्दोलन का श्रीगणेश विनोबा जी ने

किया। उन्ना जनना क समय एक मरिष्ठ भाषण दिया तभी उन्ना उन्दी कर दिया गया। हमने पचास आन्दोलन तीव्रतापूर्वक फना। एक मास की अवधि में सह्या सत्याग्रही बंदी कर लिए गए। कुछा को नोर्त्सि प्राप्त हात हा बन्दा बना दिया गया कुछा को १५ चार बात जनता से वन्दन का अवसर मिला। कानांतर में काग्रस के तगभग सभी उच्चस्तरीय नेता बंदी हा गये। कवन गांधी जा तथा कुछ अन्य नेता जा सत्याग्रह जादानन का निन्धन कर र्त्त थ जोर जिहान व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नहा दिया वही वच र्त्त। एसा अनुमान है कि जकहूर १९४० से अप्रैल १९४१ तक की अवधि में तगभग २०००० सत्याग्रही बन्दी कर लिए गए थे। आन्दोलन का निन्धन पयाप्त सावधानी तथा अनुशासनपूर्ण ढङ्ग से किया गया। किसी भी सत्याग्रही की जोर में हिंसा की एक भी कायवाहा नहा की गयी। बिहार तथा पनाब में एक दो घटनाएँ हुँ जसके सत्याग्रहिया का गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता में प्रदान किये जोर पुनिस न नाठी चाज किया। हम आन्दोलन का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पडा। एसन जनता की राष्ट्रीय चेतना को मुहूर्त्त करन में सहायता पहुँचायी। जनता का यह विश्वास जन गया कि युद्ध भारत के हित में न हाकर ब्रिटेन के हित में हा र्त्ता है जन सरकार की सहायता करना भारत के हित में नहा है। सरकार का एसा आन्दोलन उचित नहा गया क्याकि एसन सरकार का स्थिति निरन्तर हो जानी। हम पर भी ब्रिटिश अधिकारी अपना पुराना राग जतापत र्त्त कि भुमसमान तथा देगी नरग काग्रस की नीतिया का अपन अहित में मानकर किसी भावी साविधानिक प्रगति में भाग नन का ढुक् नहा है। गांधी जा न भारत मन्त्री की एसा प्रतिक्रिया का भारत के जातिक मासना में अवाठनाय एसन उप कया जार मार भतिगध का नाप ब्रिटिश सरकार की फूट डाना का नीति पर मन्त।

सरकार की प्रतिक्रिया—यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन का जा सि पूणरूप में गान्धिपूण तथा अन्तिमार्थक ढङ्ग में चन र्त्ता था एनान के लिए सरकार का उग्र कर्त्तम उन्ना की आवश्यकता नना पना तथापि जनता पर हमस पडन बात प्रभाव का सरकार सहन नना कर सकी। दूसरी जार जापान भी धुग गच्छा का जार में मित्र राष्ट्रा के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करन की तयारी में था। हमसा कुप्रभाव सीधे भारत पर पच्छा। भारतवासियों द्वारा ब्रिटेन के युद्ध प्रयास का विरोध ब्रिटिश गामन के लिए अन्तिकर था जन जुलाई १९४१ में गवर्नर जनरल न अपना नायकारी परिषद् के सन्ध्या का सन्ध्या जात में बहस कर तरह कर ना जोर उमस पाँच भागनाय सन्ध्या निधुन कर निये। परन्तु काग्रस या मुँ नम नाग में म किसी भी ढन न जनत प्रतिनिधि नना भन्न। स्पष्टतया पाँचा नय सन्ध्या एसे व्यक्ति थ जा ब्रिटिश सरकार का नाँ में ना भरन बात थ। परिषद् के विस्तार के फनस्वरुड भा विष्णु राजनातिक प्रतिग्या वित्त एँ जाति सन्ध्यापूण विभाग यूगातीर पापना के हाथ में वन र्त्त। भागनाय मन्त्रिया ना गर सन्ध्या के विभाग गीव गये। ब्रिटिश सरकार का बन्दा का पूसतान का गी हम नाति का भागनाय राष्ट्रीय नेताओं पर काँ प्रभाव नना पडा।

सत्याग्रह आन्दोलन का स्थगन—कायपालिका के विस्तार के बाद दूसरा मास वपूण निणय ना ब्रिटिश सरकार ने दिया वत् था सत्याग्रहियों का मुक्त करन का। सम्भवत जसना नाग एम पर जात्रमण कर र्त्तन का तयारा तथा जापान जारा युद्ध में प्रविष्ट ना जान के भय में ब्रिटिश सरकार भारत के राष्ट्रीय नेताओं का बन्दी निये रखन का माहम करन में घबरा गया था। यद्यपि प्रमुख नेताओं एसा लिए गये ज तथापि एमके कारण काग्रस की नाति में काई परिवर्तन नहा हुआ। सरकार का नाति में भा काई एसा परिवर्तन नहा आया जिकके आधार पर यह माना जाता कि वत् राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का माँग के सम्बन्ध में काँ समानता प्रदान कर रहा है। अगस्त १९४० के सन्ध्या के अनुसार गवर्नर जनरल ने एक युद्ध प्रगमण ना परिषद् भा बना मा था परन्तु ये समस्य काय बन्दर में ताव के थ। वास्तविक माना गवर्नर जनरल तथा उमस कायकारग परिषद् के सन्ध्या के हाथ में बना रहा। परन्तु जब सितम्बर १९४१ में

जापान युद्ध में प्रविष्ट हो गया तो उसके कारण भारत के समक्ष आमन्न खतरा उत्पन्न हो गया। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी के पूर्ण अहिंसात्मक सिद्धान्त को एक विदेशी आक्रामक के विरुद्ध भी प्रयुक्त किये जाने की नीति का विरोध किया। इस पर गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह माँग की कि जनता को युद्ध के खतरे में चिन्तित न होने दे और देशवासियों को अपने आप अपने देश की रक्षा करने को प्रोत्साहित करे।

लीग का हलू—जैसी कि आशा की जाती थी, युद्ध प्रारम्भ होने पर जब कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दिये तो लीग की मन्त्रिमण्डल मनाने की पेशकश सफल न होने पर जिन्ना ने निरन्तर कांग्रेस तथा ब्रिटिश शासकों के मध्य सघर्ष का लाभ उठाने का प्रयास किया और वे मुसलमानों तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अधिक मंत्री स्थापित करने के प्रयासों में लगे रहे। भारत की वास्तविक स्थितियों के सम्पर्क में रहने के कारण वाइसराय यहाँ के अन्य मुस्लिम नेताओं के विचारों से परिचित था। जिन्ना की लीग के साथ वगाल, पंजाब, सिंध तथा पं० मीमा प्रान्त के मुख्य मंत्री सहमत नहीं थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सरकार के भावी सांविधानिक अनिरोध को दूर करने के प्रयासों में भी सहमत थे। परन्तु ब्रिटेन स्थित भारत मन्त्री जिन्ना की जिद को ही हिन्दू-मुस्लिम समझौता का वहाना बनाये रखकर भारत की माँगों को टालना चाहते थे। अगस्त 1940 के प्रस्ताव के अन्तर्गत जब वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तो कांग्रेस ने पद स्वीकार नहीं किये। वह पूर्ण उत्तरदायी शासक की माँग कर रही थी। मुस्लिम लीग इसलिए शामिल नहीं हुई कि वह कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की मर्यादा में लीग का गैर-मुस्लिम सदस्यों के साथ समान प्रतिनिधित्व चाहती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा-परिपद् में जब वगाल व पंजाब के मुसलमान मुख्य मंत्री शामिल हुए तो जिन्ना उनके विरुद्ध इसलिए बौखलाये कि वे जिन्ना की अनुमति लिए बिना क्यों शामिल हो गये। संक्षेप में, भले ही जिन्ना अपने को समस्त भारतीय मुसलमानों के हितों का संरक्षक, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि मानते रहे और ब्रिटिश साम्राज्यवादी उनके इस दावे को न केवल स्वीकार करते रहे, अपितु तदनुसार कांग्रेस की स्वतन्त्रता की माँग को ठुकराने के निमित्त उसे ताश की तुरुपचाल बनाते रहे, तथापि जिन्ना का यह दावा भ्रामक तथा भूठा था। परन्तु ब्रिटिश अधिकारी तो अपने साम्राज्यवादी हितों को बनाये रखने में पूर्णतः मैकियाविलीवाद का अवलम्बन कर रहे थे। उनकी इस नीति के कारण जहाँ एक ओर 1940 में युद्ध की प्रगति को देखते हुए कांग्रेसी नेता धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लोकतन्त्री मित्र-राष्ट्रों तथा भारत की रक्षा के लिए आतुर होकर ब्रिटिश सरकार में भारत की स्वायत्त शासन की माँग मनवाने तथा उसको हर प्रकार से युद्ध में सहायता देना चाहते थे, वहाँ लीग के नेता जिन्ना के लिए ये सब बातें गौण थीं। वे परिस्थितियों का लाभ उठाकर पाकिस्तान की माँग को पुष्ट करने की सौदेबाजी में लगे थे। 1940 में तो पाकिस्तान का विचार स्पष्टतया सामने आ गया था।

क्रिप्स प्रस्ताव 1942

परिस्थितियाँ—1941 के अन्त तक महायुद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो चुकी थी। जापान ने पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में आतंक फैला दिया था। वर्मा में उमफा प्रवेश निश्चित था। भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा आ चुका था। अतः अब इंग्लैंड को भारत के सहयोग की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंग्लैंड के एक उच्च कोटि के दूतनीतिज्ञ थे। उनके प्रयासों में रुम जमनी के विरुद्ध मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। क्रिप्स पहले भी भारत में रह चुके थे और उनके यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं, नेहरू आदि, के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। उस समय वे इंग्लैंड के युद्ध मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। जापान के युद्ध प्रवेश ने भारत की प्रतिरक्षा को भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया था। अतः 1942

क प्रारम्भ में त्रिप्पन की सरकार ने त्रिप्पन का भारतीय सांविधानिक गतिराय का दूर करने का निमित्त कुछ प्रस्ताव तब ममभीता वार्ता के तबु भारत में भेजने की घोषणा की। जिन प्रस्तावों का त्रिप्पन ने खरा उठाने राष्ट्रीय जागृतावन एवं सांविधानिक विकास के निहाल में त्रिप्पन याजना के नाम में जाना जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का निहाल में तबु का दानक है कि अग्रज किमी कीमत पर भारत का स्वतंत्रता या स्वायत्त नामने दन के पत्र में नया रूप। युद्धकालीन सकल तबु के व राष्ट्रीय नेताओं के एडिटर मन्थानों के समक्ष नहा भुक्त थे। जय भा उठाने काई नयी याजना बनाया उमने पीछे एमा गते जाते जा केभी पूण नहा हा सकता था। तनमें न माप्रदायितता का प्रात्मान्त दन के निण उठाने मुस्लिम त्राग तथा जय प्रतित्रियायात्ता तबु का मह्याग मितता रहा। सकल की तबु घनी तबु में अग्रजा न तन साधना का यथाशक्ति उपयोग किया और राष्ट्रवाता तत्त्वा की उपना की।

त्रिप्पन मितन भजन का प्रमुय कारण यनी था कि त्रिप्पन किमी न किमा रूप में राष्ट्रवाय नेताओं का अपनी याजना में सम्मने करने में सफल हा जायग। तबु प्रकार राष्ट्रीय नेताओं की तबु की प्रतिरक्षा ययस्था में जमह्यागी प्रवृत्ति दन जायगा। परन्तु कुछ जय कारण भी थे जिनके कारण त्रिप्पन सरकार का तबु याजना के निण विवग हाना पडा। तिसम्बर 1941 में तबु काग्रम ने एक प्रस्ताव पारित करके तबु का रक्षा के निमित्त सरकार के साथ संगत मह्याग की इच्छा प्रकट की थी। जय यह सरकार के हित में था कि वह उम शत का स्वातंत्र्य करे। तावहातुर मभू न चर्चिन एा तार भेजकर कुल मोग तुरत स्वाकार करने की माग की थी। फरवरी 1942 में राष्ट्रवाता चीन के राष्ट्रपति च्याम काई तबु भारत परार थे। उन्हाने त्रिप्पन सरकार का मताने की थी कि तबु निण पूर्वी एणिया में जापान के वतन दृग जात्रमण का भारत में न वतन दन के निण यत जावश्यक है कि त्रिप्पन सरकार भारतीय स्वाधीनता का मांग के। स्वीकार करे। भारतवासी ही भारत की रक्षा उचित प्रार स कर सकेंगे। अमरीका न तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी त्रिप्पन पर भारत का स्वतंत्रता दन के दार में दबाव तान रहे थे। तबु त्रिप्पन प्रधानमन्त्रा चर्चिन के तबु वक्तव्य के विरुद्ध कि एतनातिक चातर भारत के निण तामू नया हाना वक्तव्य किया कि यह चातर मभूचा तनिया के निण तामू हाना है जिममें भारत तथा तर्मा भी शामिल है। जांचय का मत यत है कि चर्चिन ने अमरीकावासियों तक का मभू भूत शानकर भुमगह किया। उठाने बनाया कि भारतवाय मना में 75 मुमनमान है जा अग्रजा का मह्य साय तेंगे। तबु में म वक्त 17 काग्रम के प्रभाव में तबु। वास्तविकता यत थी कि वदन 35 मना मुमनमाना का था। मना पर काग्रम या नाम के प्रभाव का दान करना असमितिपूण था। परन्तु चर्चिन उमा पुरान गग (त्रिप्पु मुस्लिम मन्भाव) का अनाप रहे थे ताकि स्वतंत्रता दन का दान का तबु जा मने। एमा भा अनुमान लगाया जाता है कि मित्र राष्ट्रों की आर में युद्ध में प्रविष्ट तान पर कम न भा भारत की स्वतंत्रता के दार में तत्काल पर दबाव डाला जागा। जास्तिविया भी एमा दबाव डान रहे थे। तबु प्रकार त्रिप्पन के ऊपर भारतवाय स्वतंत्रता की मांग का गतानभूति में वतन वना अतर्गोप्याय दबाव पड रहा था जिमका अवतन्ता करने का माहम तत्काल का नहा था कत्राति त्राय विश्वयुद्ध का अवधि में तत्काल अपना पूव का स्थिति में पयाप्त निवन हा चुका था। स्वय प्रधानमन्त्रा चर्चिन ने स्वाकार किया था कि भारत की प्रतिरक्षा के निण तत्काल के स्वय के मापने अपयाप्त है। दूरगो जाग भारतवाय मनिरे जो दानि पूव एणिया में जापाना मनाया के अधान हा चुक थे आत्रात हिन्दू फौज में मगतिन किया जा चुक थे। तबु उद्देश्य जापान का महायता में भारत का त्रिप्पन साधनाय में मुक्त करणा था। एमा स्थिति में तत्काल का विवग हाकर त्रिप्पन मित्रन का विचार विनिमय के तबु भारत अत्रन का प्रस्ताव करना पया ताकि तबु भारत में गतानभति रमन दान मित्र राष्ट्रों का मग कर मने और भारत के नेताओं का ध्यान रगे तन में ममय हा मने।

क्या क्रिप्स मिशन की योजना एक ईमानदार कदम थी ?—इंग्लैण्ड के टोरी नेता किसी भी रूप में युद्ध की तीव्रता की अवधि में भारत की स्वतन्त्रता या भारत के नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत के सदर्थ में युद्ध के उद्देश्यों को घोषित करने के प्रश्न को नहीं उभारना चाहते थे। परन्तु मित्र-राष्ट्रों तथा स्वयं इंग्लैण्ड के तत्कालीन सम्मिलित मन्त्रिमण्डल में उप-प्रधानमन्त्री ऐटली एवम् भारत तथा इंग्लैण्ड में जनमत के ऐसे दबाव को टालना भी टोरी नेताओं के लिए सम्भव नहीं रह गया था। अतः प्रधानमन्त्री चर्चिल ने भारत मन्त्री ऐमरी तथा भारत के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो से परामर्श करके युद्धोत्तर काल में तथा तत्काल भारतीय समस्या के सम्बन्ध में एक घोषणा का मसविदा बनाया। परन्तु इसे घोषित करने से पूर्व यह निश्चय किया गया कि पहले कैबिनेट के एक मन्त्री को इसके सम्बन्ध में भारतीय नेताओं के साथ विचार-विनिमय के लिए भारत भेजा जाय। वस्तुतः घोषणा की रूपरेखा 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव से अधिक कुछ नहीं थी जिसे कांग्रेस अस्वीकार कर चुकी थी। वाइसराय ने पुनः मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या को तूल देकर घोषणा के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए अपने त्याग-पत्र की धमकी तक दे दी थी। क्रिप्स को भारत भेजने के निर्णय की पूर्ण सूचना भी उसे नहीं दी गयी थी। इसलिए भी वह असन्तुष्ट था। भारत में घोषणा के सम्बन्ध में क्रिप्स के अधिकार-क्षेत्र को भी अस्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। क्रिप्स के एक जीवनी लेखक के अनुसार 'वह किसी समझौते की शर्तों के बारे में समझौता वार्ता करने के लिए एक कृति-सम्पन्न प्रतिनिधि के रूप में नहीं गया था, वरन् वह एक ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के मन्त्री के रूप में नीति-सम्बन्धी एक ऐसे वक्तव्य की शर्तों को समझाने तथा स्पष्ट करने के लिए गया था जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था।'¹ क्रिप्स का निष्कर्ष था कि वह आवश्यकतानुसार घोषणा की शर्तों पर समझौता वार्ता के मध्य आवश्यक परिवर्तन कर सकता था। मिशन के वाइसराय के साथ सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं थे। साधारणतया उसे वाइसराय के साथ सहयोग करके अपना कार्य करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वाइसराय तथा मिशन के सदस्य के मध्य पर्याप्त मतभेद थे। वस्तु-स्थिति यह थी कि प्रधानमन्त्री तथा भारत मन्त्री वाइसराय पर अधिक विश्वास रखते थे। दूसरी ओर मिशन का सदस्य इन तीनों से पृथक् दृष्टिकोण रखता था। वह सचमुच भारतीय समस्या का एक विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक समाधान ढूँढना चाहता था, जबकि प्रधानमन्त्री तथा कम्पनी इसे टालना चाहते थे। अतएव स्पष्टतः क्रिप्स मिशन से कोई सफल आशा नहीं की जा सकती थी। यह तो केवल मित्र-राष्ट्रों के दबाव तथा भारतीय जनमत को भूल-भुलैया में डालने का एक गैर-ईमानदार षड्यन्त्र मात्र था।

क्रिप्स प्रस्ताव—23 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत पहुँचे। भारतीय नेता उनसे बहुत आशाएँ लगाये बैठे थे, क्योंकि एक तो उन्हें भारत के माथ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति समझा जाता था और दूसरे वे समाजवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। भारत पहुँचते ही उन्होंने गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों से वार्ता प्रारम्भ की। उसके बाद वे भारतीय नेताओं से मिले। वार्ता के पश्चान् जो प्रस्ताव उन्हें ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल द्वारा दिए गये थे उन्हें उन्होंने भारत के नेताओं के समक्ष रखा इन्हें दो भागों में रखा जा सकता है।

(क) दीर्घकालीन—(1) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को यथाशीघ्र स्वायत्त शासन प्रदान करना है।

(2) इस उद्देश्य की उपलब्धि के निमित्त ब्रिटिश सरकार भारत को राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक प्रभुत्व सम्पन्न मध्य-राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है।

(3) युद्ध समाप्ति के तुरन्त पश्चान् एक सविधान सभा का निर्माण किया जायेगा जो भारत के लिए नया सविधान तैयार करेगी। इस सभा का निर्माण करने से पूर्व प्रांतीय

¹ Colincooke, *The Life of Richard Stafford Cripps*, quoted in Tara Chand, *op cit*,

व्यवस्थापिकाओं व निवाचन हॉल ज़ोर प्रांतीय विधानमण्डल अपना कुन सन्म्य-सन्म्या व १ मन्म्य ममानुषानी प्रतिनिधित्व का प्रथम सविधान सभा व निष्पन्न हूँगी। चकि सघ म देशा गियामते भा गामिन हागी अत प्रत्येक रियासत व नरग जनमन्म्या के अनुपात म अपन प्रति निधिया की सविधान सभा व निष्पन्न नामाकित करेग।

(4) एम सविधान सभा द्वारा निमित्त सविधान का त्रिनिश सरकार तन गते की अन्तगत नामू करगा कि (अ) काई भी प्रांत यन्ि नय सविधान का स्वाकार न कर ना वत् अपना वतमान स्थिति बताय रग सकगा जौर अपना नया सविधान बना सकगा। वत् भा एक उपनिवेश की भांति रह सकगा। यन्ि उसकी विधानसभा 60/ म अधिन बहुमत व द्वारा सघ प्रवग का निष्पन्न न कर सक ता एसा निष्पन्न जनमत मन्म्य द्वारा कराया जायगा। एसा प्रकार काई देशा राय भी यन्ि सघ म प्रविष्ट न हाना चाहगा ता एसा कर सकगा और त्रिनिश सरकार उसक साथ नया समझौता कर सकगी। (ब) सविधान निर्माण व पन्चात् त्रिनिश सरकार भारतीय सविधान सभा व साथ सत्ता व हस्तांतरण व सम्बन्ध म सन्धि करगी जिमम त्रिनिश सरकार द्वारा अतीत म जातीय एव धार्मिक अस्मयका व संरक्षण व दायित्व म सम्बन्ध प्राविधान किय जायेंग। (ग) सविधान म त्रिनिश राष्ट्रमन्त्र व एसा व साथ अपन सम्बन्ध ना निधारण करन का पूर्ण हूत् भारतीय सघ को प्रा त हूँगी।

(ख) अल्पकालीन—उपयुक्त प्रस्ताव युद्ध का समाप्ति व पन्चात् की व्यवस्था व तार म ५। एसा याजनाए त्रिनिश सरकार किना न किमी रूप म पन्च भी रगती जा रही थी। भारतीय माँग तुरन्त उत्तरदायी सरकार की स्थापना व सम्बन्ध की थी। एम सम्बन्ध म त्रिनिश प्रस्ताव म कटा गया था कि युद्ध-काल म विश्वयुद्ध व प्रयासा व रूप म भारत की प्रतिरक्षा व नियन्त्रण नया निष्पन्न का दायित्व त्रिनिश सरकार व साथ म रहना आवश्यक है परन्तु भारत व मनिन नतिव तथा भौतिक साधना का पूण उपयोग करन म भारतवासिया व सहयोग की उपनिधि करन का दायित्व भारत सरकार का हांगा।

त्रिनिश प्रस्तावों की झालोचना—त्रिनिश मिशन म भारतवासियों वही आगाए तगाय हूए थ। परन्तु त्रिनिश की भांति जादूगर की सी पिटारी सिद्ध हूई। जिम रूप म त्रिनिश याजना व प्रस्ताव रग गय थ वत् काई नई बात नया थी। एम आन्वयगत विभिन्न अवसर पर परिस्थिति की गरिमा का दायन एत त्रिनिश सरकार किमी न किमा रूप म रग तन का अन्म्यासा हा चुकी था जिन परिस्थितिया व मन्म्य म त्रिनिश मिशन भारत आया था व पूव की अप ता अधिन सम्भार थी अत त्रिनिश याजना का रगन म एवन्ना नय आन्वयगत न्य गय परन्तु जिम रूप म उन् ताका मरगाया गया उमन आधार पर भारत का काई भा दन या वग उन् भातन का राजा नया हूँगा। भारत का युद्ध व पन्चात् एक स्वायत्तशासिता उपनिवेश का स्थिति प्रदान करन की घोषणा काई नई बात नहा थी। त्रिनिश प्रस्ताव म सविधान सभा द्वारा भारत व नय सविधान का बुतान की घोषणा करगा सम्बन्धमय एव स्पष्टाति थी। परन्तु सविधान सभा का शक्ति तथा प्रभाव था जिम रूप म रगा गया था वत् किमा भी दन का माय नया था। पहला सविधान सभा म एक जार प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा निवाचित सन्म्य हात और दूसरा प्रारंभो-नरगा द्वारा नामाकित एम सन्म्य हात जा एतन प्रतिनियोगाणी रगय तार एक नारत-भा सविधान निर्माण व काय म साधन सिद्ध हात। दूसरे एत सभा जिम सविधान का निर्माण करता उम स्वाकार या सम्वाकार करन का पूरा शक्ति पराम रूप म न कवन दगा ग-या का ही दी गया था एनिनु प्रान्त का भा प्राप्त हा जाता। तागर एत प्रस्ताव भारत का एतन ग-या म विभाजित करन का स्पष्ट याजना रगत थ। चौथे त्रिनिश सरकार न प्रारम्भिकता का सम्बन्ध तन व सम्बन्ध म सविधान सभा व साथ सन्धि करन की गत रगा था जा हर तरह सामक तथा सम्बन्ध थी। एसा प्रारम्भिकता म भारतिया का उत्तरदायी शासन तन व सम्बन्ध म त्रिनिश राजा नहा थ। प्रारम्भ म एत इम यात पर राजा हात दीमत थ कि प्रतिरक्षा का साहकर एत विषय का शासन

भारतीय मन्त्रियों के हाथ में दिया जाय और उनके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल की स्थिति वैधानिक प्रधान की सी रहे, परन्तु बाद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल के निदेशन पर क्रिप्स इसके लिए भी राजी नहीं हुए।

अन्तरिमकालीन योजना के सम्बन्ध में जो बातें आमकी थीं उनमें से एक तो यह थी कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् का भारतीयकरण किये जाने पर वाइसराय की स्थिति क्या होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बातें करते हुए क्रिप्स ने बताया कि वाइसराय इंग्लैण्ड के राजा की भाँति वैधानिक प्रधान रहेगा। यद्यपि यह धारणा अभिसमय पर ही आधारित होती क्योंकि 1935 के कानून में सशोधन किये बिना इसके व्यवहार में आ सकने की कोई आशा नहीं थी, तथापि स्वयं वाइसराय क्रिप्स की ऐसी धारणा से रुष्ट हो गया। दूसरी समस्या वाइसराय की कार्यकारी परिषद् को 'राष्ट्रीय सरकार' का नाम देने की थी। प्रस्ताव में ऐसी किसी पदावली का प्रयोग नहीं था। क्रिप्स द्वारा इस पदावली का प्रयोग किया जाना भी टोरी नेताओं की अच्छा नहीं लगा। परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिरक्षा-मन्त्री के सम्बन्ध में था। मूल प्रस्ताव में यही बात थी कि युद्ध काल में प्रतिरक्षा-मन्त्री प्रधान सेनापति ही रहेगा। कांग्रेस की धारणा यह थी कि जब सम्पूर्ण शासन पर राष्ट्रीय नियन्त्रण की बात मानी जाती है, तो प्रतिरक्षा का दायित्व प्रधान सेनापति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के हाथों में रखना एक असंगति ही होगा। कांग्रेस इसके लिए तो राजी थी कि सरकार में प्रधान सेनापति एक सदस्य के रूप में रहे क्योंकि युद्ध-काल में वह एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। परन्तु उसका दायित्व युद्ध के कार्य-कलापो के संचालन तक ही सीमित रहना चाहिए। जब देश को युद्ध अपनी रक्षा के लिए लड़ना है तो युद्ध से सम्बद्ध अन्य कई बातें ऐसी होती हैं जिनके सम्बन्ध में प्रतिरक्षा-मन्त्री अधिक प्रभावशाली ढंग से निर्णय ले सकता है। जनता में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना, युद्ध के बारे में राजनीतिक निर्णय आदि के लिए प्रतिरक्षा-मन्त्री भी भारतीय को होना चाहिए। परन्तु वाइसराय इसके लिए सहमत नहीं था। इंग्लैण्ड स्थित मन्त्रिमण्डल से इस सम्बन्ध में क्रिप्स ने परामर्श किया तो वहाँ से स्पष्टतया ऐसी माँग का विरोध किया गया। वाइसराय की कार्यकारिणी के अन्य अग्रेज सदस्य भी कार्यकारिणी के भारतीयकरण से रुष्ट थे। वाइसराय यह कभी नहीं चाहता था कि 1935 के द्वारा दी गयी उसकी शक्तियों को कम करके उसे केवल वैधानिक प्रधान बनाया जाय।

अतः जैसा पहले कहा जा चुका है, क्रिप्स मिशन केवल एक भ्रम जाल था। ब्रिटिश शासक भारत सरकार के संचालन का दायित्व जरा भर भी भारतीयों को देना नहीं चाहते थे। अतः क्रिप्स के ईमानदार प्रयासों के बावजूद पग-पग पर उसकी समझौता-वार्ताओं में वाइसराय उसके अग्रेज पार्षद, लीग, नरेश और सबसे ऊपर चर्चिल तथा ऐमरी रोडे अटकाते रहे। यहाँ तक की उस समय अमरीकी प्रतिनिधि लुई जानसन भारत में आया था। क्रिप्स ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समस्या के समाधान के लिए उममें परामर्श किया। जो सूत्र दोनों ने निकाला वह भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को अमान्य ही सिद्ध हुआ। इसके अनुसार प्रतिरक्षा-मन्त्री एवम् भारतीय को बनाने की बात थी जो प्रधान सेनापति को युद्ध-संचालन की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता। क्रिप्स इन सबसे इतना परेशान हो गये कि एक बार तो उन्होंने मिशन से त्याग-पत्र देने का ही निर्णय कर लिया था। परन्तु चूँकि वे भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे, अतः उन्होंने ऐसा करने का साहम नहीं किया। अन्ततः उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने तो 1935 के कानून को डम दिशा में मशोषित करना चाहती थी और न डम कानून में दिये गये अपने दायित्वों को छोड़कर भारतीयों को सौंपना चाहती थी। अतः युद्ध-काल में भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की यह वार्ता असफल ही सिद्ध हो सकनी थी।¹

¹ Tira Chand, op cit 394

योजना की विफलता—क्रिप्स याजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मजबूत करना था और प्रस्तावों में ऐसा वास्तव में स्पष्ट था। कांग्रेस का यह मन्ताप लिया गया कि भारत का भावी संविधान स्वयं भारत की प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा बनायगी और भारत राज्य का भावी स्वरूप सघात्मक होगा। मुस्लिम लीग का यह मन्ताप लिया गया कि मुस्लिम प्रमुख प्रांत संविधान निर्माण के पश्चात् भी भारतीय संघ में पृथक् स्वतंत्र राज्य बना सकेंगे अर्थात् परानुक्रम से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने का यह मन्ताप लिया गया था कि उनका हिता की सुरक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार संविधान सभा के साथ गठबंधन करेगी। लीग ने भी यह मन्ताप लिया था कि संविधान निर्माण में अपने नामांकित प्रतिनिधियों का भेद नहीं करेगी और संविधान बन जाने पर उन्हें उचित उपाय स्वीकार या अस्वीकार करने तथा संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार प्राप्त होगा। परंतु किसी भी दल ने अस्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की दृष्टिकोण से यह समस्या सदा अमल में नहीं थी क्योंकि उसमें देश विभाजन की स्पष्ट उक्ति थी परंतु कांग्रेस का अंतरिम-कालीन व्यवस्था का उपक्षेप रखने में भी अमल था। मुस्लिम लीग का यह मांग थी कि संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार जो जनमत संग्रह द्वारा प्राप्त किया जाय उसमें स्वयं मुसलमानों का मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। सिविल डिमिशन राजा ने यह कि इस योजना के आधार पर पता चलता है मुसलमानों के राज्य में शामिल होना या उनका विभाजन हो जायगा मिकल टमस वचन के लिए प्राण प्रणयन से तैयार था। हिन्दू महासभा ने इसीलिए इस अस्वीकार किया कि यह पाकिस्तान की मांग का स्वीकार करने की योजना थी। इस प्रकार यद्यपि क्रिप्स योजना सदा अमल करने का उद्देश्य रखती थी तथापि वह किसी भी दल में अमल नहीं कर सकी। लीग अक्षय टमस काफी अमल थी। परंतु नाग का कार्य भाग में कबल अन्तर्जातीय का ही था।

अन्ततः 11 अक्टूबर 1942 का दिन प्रस्तावों का वापस ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग का किसी भी काम में स्वीकार करने को राजी नहीं था। उसका उद्देश्य भारतीय एक अन्तराष्ट्रीय दवावा का मन्ताप करना था ताकि वह युद्ध प्रयास में उनके विरोध में बची रह सके। क्रिप्स योजना को विफलता का रूप कांग्रेस के उपर मन्तव्य ब्रिटिश शासकों ने उनके समक्ष यहाँ प्रचार कर लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव—जून अक्टूबर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिए गए तो भारतीय नेताओं में घोर निराशा फैल गयी। देश का विदेशी जात्रमण से बचाना था। इस कार्य के लिए न तो ब्रिटिश सरकार तैयार थी और न वह भारतवासियों से सन्तुष्ट कर रही थी। उसकी हठमतिना चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। भारतीय स्वतंत्रता की मांग के प्रति उसका दृष्टिकोण की नीति स्पष्ट नहीं चुकी थी। क्रिप्स प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं किया था कि अंग्रेजों को भारत का कोई राष्ट्रीय स्वायत्तता से वापस देना चाहते हैं और उनके साथ पारस्परिक सम्बन्धों का उत्साहजनक अतिशयतः काल तक देश में अपनी साम्राज्यशासन कायम रखना चाहते हैं। वायसराय एरविन ने स्पष्ट कह दिया था कि भारत में स्वायत्त शासन तथा भारतीय एकता में कोई संशय नहीं है। अंग्रेजों में इरविन ने भारत में जान समय कहा था कि भारत का जगत 50 वर्ष तक स्वतंत्र होने का आकांक्षित नहीं करना चाहिए।

गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं के अनेक विचारों का अन्तिम भाग अंग्रेजों के मन में जात कि भारत में इरविन के पश्चात् क्रिप्स ने अंग्रेजों में विचारों में अमल में भारत का समस्या के बारे में अपने मिशन के अन्तिमता के बारे में तथा का नाश करने के लिए अनेक

दिये और सारा दोष गांधी जी तथा कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया, ये बातें किसी भी देशभक्त तथा आत्म-सम्मान रखने वाले व्यक्ति को सहन नहीं हो सकती थीं। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो क्रिष्ण भारत रहते हुए वाडसराय तथा ब्रिटेन स्थित युद्ध-मन्त्रिमण्डल की इच्छाओं के विरुद्ध भारतीय नेताओं से समझौता वार्ताओं में बहुत अधिक मात्रा में भारत की मांगों को मानने लगे थे और टोरी नेताओं के व्यवहार से झुल्ला तक उठे। वही क्रिष्ण इंग्लैण्ड जाकर फिर उन्हीं टोरी नेताओं के गव्दों में गांधी जी तथा कांग्रेस की तीव्र भर्त्सना करने लगे थे। वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस क्रिष्ण योजना के सदर्थ में न तो मुस्लिम जनता के ऊपर अपनी सत्ता थोपना चाहती थी और न ही वह प्रस्तावित योजना में किसी जनसमूह को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय मध्य में बलपूर्वक मिलाना चाहती थी जैसा कि 10 अप्रैल के उसके प्रस्ताव से स्पष्ट था। डा० सीतारामैया ने गांधी जी के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि गांधी जी ने यहाँ तक घोषित किया था कि यदि अंग्रेज भारत की शासन-सत्ता सम्पूर्ण भारत की सत्ता के नाम पर मुस्लिम लीग को सौंप दे जिममें कि तथाकथित भारतीय भारत शामिल है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा ही जाने पर भारत की स्वतन्त्र सरकार के रूप में लीग के साथ कांग्रेस हर प्रकार से सहयोग करेगी। गांधी जी को क्रिष्ण प्रस्तावों से जरा भर भी सन्तोष नहीं था। वे वास्तव में क्रिष्ण के साथ वार्ता करने को राजी ही नहीं थे। परन्तु भारतीय नेताओं के आग्रह पर जब वे प्रथम बार क्रिष्ण से मिले और क्रिष्ण ने उन्हें अपने प्रस्तावों का प्रारूप दिखाया तो उन्होंने तुरन्त उन्हें अस्वीकार कर दिया। उनके बाद वे फिर क्रिष्ण मिशन से कभी नहीं मिले। अन्य नेता ही उसमें बातें करते रहे। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो अंग्रेज हिटलर, मुसोलिनी या तोजो को साम्राज्यवादी कहकर दोष देते हैं वे स्वयं उनसे भी निकृष्ट रूप के साम्राज्यवादी हैं। क्रिष्ण तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक गांधी जी के इन विचारों में रुष्ट हो गये थे और भूठ-भूठ ढंग से तोड़-मरोड़ कर उन्होंने मित्र-राष्ट्रों विशेषतः अमरीका को सन्तोष दिलाने के लिए उल्टा प्रचार प्रारम्भ किया। गांधी जी ने कहा कि 'आज जिस वनावटी आलोचना को मैं देख रहा हूँ वह पूर्णतः मूर्खता से भरा है, इसका उद्देश्य मुझे डराना तथा कांग्रेस की निन्दा करना मात्र है। यह एक ऐसा भूठा खेल है कि वे यह भूल जाते हैं कि इसके कारण मेरे हृदय में कैसी आग लग रही है।

क्रिष्ण के चले जाने पर उनके मिशन की असफलता तथा युद्ध की प्रगति एवं मिशन की प्रतिक्रिया आदि ने भारतीय राजनीति के वातावरण को अत्यन्त अन्धकारमय तथा अनिश्चित बना दिया था। गांधी जी ने इस मारी स्थिति पर गम्भीरतम विचार करना प्रारम्भ किया। साथ ही कांग्रेस का सम्पूर्ण नेतृत्व भी भावी कार्यक्रम के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में था। कांग्रेस क्रिष्ण प्रस्तावों को तो अमान्य कर ही चुकी थी। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई। उसने कार्य समिति के उक्त निर्णय को स्वीकार किया और यह प्रस्ताव किया कि भारत के ऊपर धुरी शक्तियों (जापान) के आक्रमण की स्थिति में कांग्रेस आक्रमणकारी के साथ अहिंसात्मक अमहयोग करेगी। गांधी जी इस बैठक में नहीं गये थे, परन्तु उन्होंने अपने कुछ विचार इसके समक्ष भेजे थे। उनके मत से स्वयं ब्रिटेन साम्राज्यवाद का मित्र है जिमने भारत को बलपूर्वक दबा रखा है, अतः ब्रिटेन तथा उसके मित्रों का युद्ध में कोई नैतिक आधार नहीं है। अतः ब्रिटेन को भारत में अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। राजगोपालाचारी ने यह मत व्यक्त किया था कि तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्थ में मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार कर लेना व्यावहारिक होगा। कांग्रेस ने अपने पूर्व सिद्धान्तों के अन्तर्गत इसे नहीं माना। अतः राजगोपालाचारी ने कार्य समिति में त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में बताया कि जब कांग्रेस विभिन्न प्रान्तों के मध्य में प्रवेश के निमित्त आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को मान चुकी है तो लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकराना अव्यावहारिक होगा। वस्तुतः नैतिक दृष्टि में राजा जी नहीं कहते थे, परन्तु भावात्मक दृष्टि में कांग्रेस भारत की एकता के हित में इसे अनुचित समझती थी। दुर्भाग्य में कांग्रेस के तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्थ

म दश व किमा भाग की जनता की इस स्वतंत्रता का अभाव क रिया कि वह भारत म जनग रह सकगी ।

अ समस्या य थी कि न प्रस्ताव व मन्व म क्या कार्यक्रम अपनाया जाय । काग्रम न हमका समाधान गाधी जा पर छा दिया । गाधी जी न यत्न निष्पत्ति निम्ना कि भारत की प्रतिरता तथा ब्रिटन की सुरता वसा वान पर निर्भर करनी कि जग्रज ताग तुरत भारत म अपनी सत्ता हटा नै । उनका मत था कि जाक्रमणकारी जापान का उद्देश्य भारत पर जाक्रमण नत्ता कि प्रिन्सिपलिस माम्नाय व ऊपर जाक्रमण करना कि । गाधी जा यह भी नहा चान्त थ कि जापान का मद स अग्रजा का भारत स निम्ना जाय स्याकि जापान क इगता क वार म भी गाधी जी गकानु व । उत यह भी चिन्ता नत्ता थी कि जग्रज मत्ता किम सौप । अत उहान क दिया कि व भगवान क हाथ म सत्ता सौप भारत म चन जायै । गाधा जी का अगजकता की स्थिति ता जान की भा चिन्ता नहा थी । उनका मत था कि तामता की स्थिति म ता अगजकता की स्थिति अयम्कर है । युद्ध क परिणामा क वार उनका कत्ना था कि अगज जीत या न जान माम्नायवा का नत्त हो जाना निश्चित कि । अग्रजा न शक्ति क त्र पर भारत म साम्नाय तायम किया कि अत भारत म उनकी मत्ता वन रहना या भारत की रक्षा क शक्ति क अग्रजा क ताग अपा ताय म नन वा उनका बोद्ध तायपूण या नतिक टावा नत्ता ता सकता । गाधी जी न समस्त पन्तुजा पर विचार करत भारत छावा जादान क कार्यक्रम का निणय तिया । उहान स्पष्ट कर तिया कि भारत छावा का अभिप्राय यत् नत्ता कि व्यक्तिगत रूप स अग्रज ताग भारतभूमि म त्र जायै । वसका अय यही था कि जग्रज भारत क ऊपर अपनी तामन मत्ता का छा द । उतान चीन क गच्छूपति च्याग का नक तथा अमराकी राष्ट्रपति रूजवट का भी अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था । व यत् भी नहा चान्त थ कि भारत स जापानी जाक्रमणकारिया का रकन वागी मित्र राष्ठा की सनाय चरी जायै । उनका वारणा यत् था कि जत्र भारत म जग्रज मत्ता नत्त जाणगी जीर भारत स्वतंत्र ता जायगा ता भारतवासी मित्र राष्ठा का सता का जीर अधिक सत्त बनान म यागदान करैंग ।

14 जुना 1942 का काग्रम काय समिति न इस प्रस्ताव पर विचार किया जीर इस स्वीकृति न ले । 7 अगस्त 1942 का अग्रिम भारतीय काग्रम समिति संघटन म इस पर विचार करने का पुनाई गयी ।

भारत छोडो प्रस्ताव—काग्रम समिति न उक्त प्रस्ताव क अनुसार यह घोषणा का गयी थी कि भारत एक सयुक्त राष्ठा क हिा म जग्रजा का भारत म राजनीतिक मत्ता का परित्याग सबसे प्रथम आवश्यकता है । वतमान राजनीतिक गतिराध का त्र करन तत्रा महायुद्ध म वित्ता जाक्रमण स भात की त्र कान क त्रमात्र उतत यह कि मान न ब्रिन्सिपलिस मत्ता हट जाय । तभी भारतवासी आत्म विश्वास तथा आम-सम्मान की भावना स प्रिन्सिपलिस अपना समस्याका का स्वय हन करगे । भविष्य क मन्व म कुद्ध प्रतिनायै कर नन मात्र म समस्याका का समाधान नही ता सकता । ब्रिन्सिपलिस माम्नायवात भारत क निग एक भाग एक अभिगार कि ।

इसा प्रस्ताव म आग कहा गया ता कि जग्रजा क भारत छा दन क पचात् तुरत एक अन्तरिम सरकार की स्थापना कर नी जायगी जिमम भारतीय राष्ट्रीयता क सत्र प्रमुख तवा का प्रतिनिधित्व हागा जीर वह सरकार समस्त राष्ठा म मत्री मन्व म स्थापित करगी । कानातर म वह सरकार सविधान सभा की थापना करग भारत क भावी सविधान का निमाण करा दा । त्रमक अनुसार भारत एक एमा मध तगा जिमम घटना का अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त हागो जीर अवशिष्ट शक्तियाँ उही को प्राप्त रैंगी ।

इस उद्देश्य का पूर्ति क लिए पुन जनता का आह्वान किया गया कि वत्त अपन स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता क अधिकार का प्राप्ति क लिए अन्तिमात्मक अमत्याग जादान प्रारम्भ कर । काग्रम न पुन गाधा जी का नए आह्वान का नि शन करन तथा राष्ठा का मागदान करन का

अधिकार दे दिया। यद्यपि गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को प्रारम्भ करने में जनता से 'करो या मरो' की भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी थी, तथापि गांधी जी तथा कांग्रेस दोनों ने यह चेतावनी दी कि आन्दोलन में हिंसा की भावना कदापि नहीं आनी चाहिए। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को भारतीय स्वतन्त्रता की तुरन्त घोषणा कर देने के लिए विवश करना था।

आन्दोलन का आरम्भ तथा सरकार द्वारा दमन—वास्तव में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव तक ही सीमित रहा। चूँकि यह आन्दोलन आम जनता के आन्दोलन के रूप में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप का होता और यदि यह अपने मूल प्रवर्तक गांधी जी के निदेशन में संचालित होता तो इसका रूप कुछ और होता। परन्तु जिस रूप में यह आन्दोलन एक क्रान्तिकारी सर्षक के रूप में परिणत हो गया उसका दायित्व पूर्णतया तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर था। निम्नन्देह यह आन्दोलन जितना उग्र तथा हिंसात्मक हुआ उसके लिए सरकार उत्तरदायी थी अथवा यह कहना असंगत न होगा कि स्वयं सरकार ने उसे हिंसात्मक बना दिया।

महाममिति की 7 अगस्त 1942 की बैठक से पूर्व ही सरकार सजग हो चुकी थी। 17 जुलाई 1942 को भारत सरकार के सूचना महानिदेशक ने सभी प्रांतीय सरकारों को एक गन्ती पत्र भेजकर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने का आदेश दे दिया था और भारत सरकार ने 8 अगस्त तक विविध आदेशों के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सम्भावित आन्दोलन को कुचल देने की सभी तैयारियाँ करने के लिए सजग कर दिया था। 7 अगस्त के महासमिति के प्रस्ताव में आन्दोलन के कार्यक्रम पर गांधी जी ने ये विचार व्यक्त किये थे—'इस आन्दोलन में जनता हिन्दू-मुस्लिम के भेदभाव को भुलाकर अपने को भारतीय समझे, हमारा भगडा अंग्रेज लोगों के साथ नहीं है न उनमें हमें घृणा है, प्रत्युत हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध सर्षक कर रहे हैं, सत्याग्रह में किसी प्रकार की भूठ या वैईमानी को स्थान नहीं होता, करो या मरो, या तो भारत स्वतन्त्र होगा या इस प्रयास में मर मिटो।' इसी के साथ गांधी जी ने पत्रकारों, देशी नरेशों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, सैनिकों आदि सभी के निमित्त उनके आन्दोलन के सम्बन्ध में कर्त्तव्यों का उल्लेख किया। प्रस्ताव का उद्देश्य यह नहीं था कि आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। गांधी जी बाइसराय में मिलकर उसे समूची स्थिति से अवगत करा देना चाहते थे, और यदि सरकार न मानती तो तभी आन्दोलन का श्रीगणेश होता। गांधी जी ने राष्ट्र के विविध वर्गों के निमित्त कार्यवाही करने का व्यापक कार्यक्रम बना लिया था, उसमें सविनय अवज्ञा सम्बन्धी व्यापक निर्देश थे। आन्दोलन 24 घंटे की एक गान्धिपूर्ण हड़ताल में प्रारम्भ होता। 8 अगस्त 1942 को इस कार्यक्रम पर महाममिति ने विचार किया और 9 अगस्त को इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना था। परन्तु सरकार इसे कुचलने के लिए इतनी तत्पर थी कि उसके प्रयासों के अन्तर्गत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बन्दी बना दिया गया। गांधी जी को पूना में तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को अहमदनगर किले की जेलों में रख दिया गया। कांग्रेस को गैर-कानूनी मन्वा घोषित किया गया और उसके कार्यालयों को तहस-नहस कर दिया गया। राष्ट्र के महानतम नताया की गिरपतारी की सूचना दावानल की लपटों की भाँति देश के कोने-कोने में फैल गयी। एक सप्ताह में भी कम की अवधि में देश के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता, प्रांतीय, जिला तथा मण्डल समितियों के सभी सदस्य जेलों में बन्द कर दिये गये। सूचना महानिदेशक पकल (Puckle) के गन्तीपत्र ने अनुमार नैतिक मिट्टान्तों का कोई प्रश्न नहीं था, प्रत्युत् व्यावहारिकता नेतृत्वविहीन जनता न हड़ताल, जून, नावजनिक बैठकों आदि का महारा लिया। सरकार ने इन्हे दवाने में नाठी जाज, गोपी चलायना, बलात् लोगों को रोकना आदि हिंसात्मक साधन अपनाये। जेलों में मरणाप्रतियों के साथ अमानुषिक, निन्दयतापूर्ण तथा अममानजनक व्यवहार किया गया। मान-मान पर आन्दोलन को दवाने के लिए पुलिस को नेना की मदद पहुँचायी गयी। महिलाओं ने नारा भी न प्रवहना दिया गया। लगभग सारे देश में सर्वत्र धारा 144 लगा दी गयी। इनने

आन्दोलन नया था वह कि आन्दोलनकारी भाँ अनेक स्थान पर हिंसात्मक कार्य करने का विवेक न था। कृष्णस्थाना पर भूमिगत पत्रपत्रिका भाँ हुआ। सरकारों सम्पत्ति का नष्ट करना आन्दोलन को जताना खजाना का चूना रत तार का आन्दोलन का आन्दोलन पुनित था। आन्दोलन आदि एसी अनेक घटनाएँ हुई। सरकार ने सावधानिक सम्पत्ति का नष्ट होने पर समापवर्ती जनता से सामूहिक प्रति प्रति करवाना शुरू किया। समाचार-पत्रों पर भारी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार एक एक युद्ध का सा वातावरण बन गया जिसमें सरकार तथा जनता दोनों का जन तथा धन का हानि उठानी पड़ी।¹ त्रिपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन अधिक उग्र रहा। उत्तर प्रदेश के वनिया जिन में तो कृष्ण दिना तक प्रगामन ठप्प हो गया और आन्दोलनकारियों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली। तीन या चार महाना तक आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया परन्तु जन में सरकार उस नियंत्रित करने में सफल हो गयी। देश की अधिकांश जनता तो एक भ्रम में पड़ गयी थी कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी तथा अन्य उच्च नेताओं का दंग से बाहर आना था। परन्तु यह सत्य नहीं था कि अग्रज शासकों ने गांधी जी आदि प्रमुख नेताओं का मार डाला। समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध तथा दंग में पूर्णतया जनता का राज्य था एसी स्थिति में कांग्रेसी नेताओं का बन्दी बनने तथा आन्दोलन में भाग लेने वाला का नगमतापूर्वक दमन करने की ब्रिटिश शासकों का नीति का कारण जनता आन्दोलन शासन का गिरावट बनी हुई थी। कृष्णस्थाना पर हिंसा शुरू होगी तथा सरकारी सम्पत्ति का नष्ट करने में गुण। तथा वन्दना का भी हाथ लगा परन्तु उसमें दुष्परिणाम आम पास की निर्दोष जनता का भागने पड़े।

यद्यपि सत्रिय आन्दोलन का दवान में सरकार सफल हो गया थी तथापि अनेक कार्यकर्ता विवेक रूप से समाजवादी दल के अनेक प्रमुख नेता (जयप्रकाश नारायण राममनाहर राहिया अरुणा आसफ अली आदि) ब्रिटिश सरकार का पकड़ में नहीं आये। दल में जयप्रकाश जी का पुनः पकड़ लिया गया। ये लोग भूमिगत प्रयास करने रहे और ब्रिटिश शासन विरोधी कार्य करते रहे। इस प्रकार कांग्रेस तथा समाजवादी दल ने भारत छोड़ो आन्दोलन का पर्याप्त तीव्र कर दिया। भले ही सरकार ने हिंसा द्वारा शासन किया तथापि इस आन्दोलन ने भारत की जनता की राजनीतिक चेतना को पर्याप्त मात्रा में जागृत कर दिया। इसमें पूर्व के आन्दोलनों में जनमाधारण का जो बग स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रति उदात्तमान स्तर था वह भी अब स्तरता जागृत हो गया कि वह उस दिन का प्रतीक्षा करने लगा जब देश अग्रजी शासन से मुक्त हो जाय। आन्दोलन का अन्तिम स्वतंत्रता के द्वार में जनमाधारण में आना तथा निर्गता दलता या परन्तु एसा विश्वास लाग करने लग था कि अन्तिम चत काल तक अग्रज भाग्य का शासन की स्थिति में बनाय रखने का साहस नहीं करेगा।

परन्तु भाँ न के साम्यवादिता ने इस आन्दोलन में काँ जातिव्यपूण रूप नहीं रखा। अनेक रूप युद्ध में अग्रजों की जार से प्रविष्ट नहीं था या तब तक के युद्ध का साम्राज्यवादी स्तर था। परन्तु यहाँ है इस युद्ध में बूना के ऐसे जन-युद्ध कहने लग। चूँकि उस समय हम तथा अनेक मित्र राष्ट्रों अतः भारत के साम्यवादी लोग स्वतंत्रता आन्दोलन से बाहर रहे। सम्भवतः उक्त अग्रजों का शासन की अपनी रूप के दामना ग्रहण करने की अभिप्राय देना का स्वतंत्रता से अधिक प्रिय था। मुस्लिम लोग ने आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार करने पर अच्छा अवसर प्राप्त किया। उसमें यह प्रचार किया कि भारत छोड़ो आन्दोलन का उद्देश्य कांग्रेसी लोग ब्रिटिश सरकार से अपनी माँगें मनवाना तथा उसके बाद मुसलमानों के उपर हिंसा का निरकुण शासन स्थापित करना था।

गांधी जी का उपवास—आन्दोलन पर नियंत्रण पाने के पश्चात् ब्रिटिश शासकों ने

महात्मा गांधी तथा कांग्रेस पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि उन्हीं की प्रेरणा से यह हिंसात्मक आन्दोलन छिड़ा है। गांधी जी इस आरोप को सहन नहीं कर सके। वास्तव में स्वयं गांधी जी अनेक स्थानों पर जनता द्वारा हिंसात्मक कार्य-कलापों को अपना देने के समाचारों से अत्यन्त खिन्न थे। शासन द्वारा उनके ऊपर हिंसा को प्रोत्साहन देने के आरोप लगाये जाने पर उन्होंने यह माँग की कि या तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय या उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाय। परन्तु सरकार किसी भी विकल्प के लिए राजी नहीं थी। उसकी एकमात्र शर्त यह थी गांधी जी आन्दोलन को वापिस ले। परन्तु बिना कार्य-समिति के सदस्यों से परामर्श किये यह सम्भव नहीं था। अन्ततः, अपने स्वभावानुकूल उन्होंने 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास करनी की घोषणा की। इस उपवास की अवधि में वे जेल में थे जहाँ 13 दिन के बाद उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई। डाक्टरों ने भी यह घोषित कर दिया कि यदि उन्हें मुक्त नहीं किया गया तो उनका जीवन खतरे में है। गवर्नर-जनरल ने अपनी कार्यकारी परिषद् की आपात बैठक बुलाई जिसके अधिकांश सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि गांधी जी की रिहाई से शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। अतः गांधी जी को मुक्त नहीं किया गया।

गवर्नर-जनरल की परिषद् के बहुसंख्यक सदस्यों की ऐसी राय के विरोध में तीन भारतीय सदस्यों (सर्वश्री एच० पी० मोदी, एम० एस० अणे तथा एन० आर० सरकार) ने परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि गवर्नर-जनरल ने भारतीय सदस्यों के बहुमत वाली परिषद् बना ली थी, तथापि अधिकांश भारतीय सदस्य ब्रिटिश सरकार के भक्त थे। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासकों को गांधी जी के प्राणों की चिन्ता नहीं थी। वे गांधी जी की मृत्यु हो जाने की आकांक्षा रखते थे। सम्भवतः ऐसी स्थिति आ जाने पर उसका सामना करने के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली थी। परन्तु गांधी जी का उपवास मरुतता-पूर्वक पूरा हो गया।

सरकार का मिथ्या प्रचार—1942-43 की अवधि में यूरोप में महायुद्ध की गति मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में बढ़ने लगी थी। हिटलर तथा मुसोलिनी की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। इसका कारण यह था कि यूरोपीय मित्र-राष्ट्रों को रूस तथा अमरीका की सक्रिय सहायता मिलने लगी थी। परन्तु सुदूर पूर्व में जापान की गतिविधियों का विस्तार होने लगा था, और जिन भारतीय फौजों ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था उन्हें नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों ने आजाद हिंद फौज के रूप में संगठित करके भारतीय स्वतन्त्रता के निमित्त जापान के सहयोग से भारत की ओर यान करने की योजना बना ली थी। अतः बड़े-बड़े मित्र-राष्ट्रों की अभिरुचि भारत की समस्या की ओर होने लगी थी। अमरीका का जनमत भारत में ब्रिटिश नीति के बारे में निश्चित नहीं था भारत-स्वतंत्र अमरीकी पर्यवेक्षक तथा पत्र-भारत की स्वाधीनता की माँग के प्रति सहानुभूति रख रहे थे। ऐसी स्थिति में अमरीकी जनता का ध्यान वास्तविकता से हटाने के लिए और ब्रिटिश नीतियों के पक्ष में जाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश मसद तथा भारत में भ्रामक प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर भारत की स्वतन्त्रता की माँग जैसी क्रिप्स प्रस्तावों में भी, को मृत नहीं माना। परन्तु तुरन्त मत्ता त्यागने के वाग़े में अपनी पुरानी नीतियों को ही दुहराने लगे कि भारत में सत्ता किसे सौंपी जा सकती थी। साम्प्रदायिक वर्गों तथा गुटों के हितों की बात को ही वे सर्वाधिक महत्त्व देने लगे। यहाँ तक कि ऐटली तक ने जो भाग्य की स्वायत्त शासन की माँग के मध्यक थे ऐसे ही बन्धव्य दिए। भारत में बाइमराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की मरणा वृद्धा दी गयी थी। परन्तु उसमें न कांग्रेस शामिल थी न लोग। भाग्य सरकार ने क्रान्ति को शान्ति-व्यवस्था तथा देश की मुक्ति के अहित में हिंसात्मक बनाने का दोष कांग्रेस तथा गांधी जी पर लगाने का पुरजोर अभियान चलाया और जनता की मुक्ति के हित में अपने दमनात्मक रवैये का औचित्य प्रदर्शित करने की

काँग्रेस का। उस प्रकार म उम त्राग का सक्रिय महयाग भिना। मरकार न त्रीग की निष्ठा प्राप्त करने क उद्देश्य म उम उमक उद्देश्या का प्राप्ति क लिए पूरा जाश्यासन दिया और महायता भी पहुँचा। मरकार न वामनविकता का रूप म करने म अपन प्रकार त्राया के अतगत कोई कमर नहा गयी।

काग्रस विरोधी दलो क प्रोत्साहन—उम महान् स्वतन्त्रता प्राप्ति म एक आर काग्रम तथा जनता सरकार क भारी शत्याचार तथा उमन का मामना कर रही था तो दूसरी आर ब्रिटिश गामका की प्ररणा तथा जमहयाग म मुस्लिम त्रीग जनता साम्प्रदायिक कुचाता का सुहृत् करने म तगा थी। जिना क प्रयासा स वगत म यद्यपि त्रीग की मरकार नहा वन पायी तथापि फजतुन र्क न त्रीग क सिद्धाता क प्रति पूण जास्था व्यक्त कर ती। परन्तु उमक सम्मिलित मत्रिमण्डल म जिसम सुभाष दाम का फार्वन् ताक भी गामित था गवर्नर जमनुष् था। उमने हक का त्यागपत्र दन को विवग किया और त्रीग क नेता नाजिमुद्दीन का मुख्य मंत्री बनाया। पञ्जाब म दिमम्बर 1942 म मिरन्तर हयातखा का मृत्यु का जान पर गिञ्ज हयात खा का मत्रिमण्डल बना। परन्तु अभिनाशिया न उम भी त्रीग क प्रभाव म जा जान का वाध्य किया। सिध म अन्नावर्ग अग्रजा का दमन नाति स जमनुष् हा गया था अत गवर्नर न उमे पदयुत करक त्रीगा नेता गुताम हुमन का मुख्य मंत्री बना दिया। पश्चिमात्तर सीमा प्रात म डा खान साहव त्यागपत्र क चुकी थ। जन वहा भा त्रीगा नेता आरगजब खा का मुख्य मंत्री बना दिया गया। जमम म त्रीगी नेता माल्लना न सरकार बना ती। उस प्रकार दश क पाच मुस्लिम बहुसम्यक प्राता की सरकारा म त्राग का पूरा प्रभाव हा गया और जिना क निष्पान म न्न प्राता का भागत म प्रथक हान का अभियान मुनिश्चित हा गया। यन् भी अग्रजा की काग्रस विरोधी नीति की एक भारा उपनिधि थी।

लाड बवेल का गवर्नर जनरल बनना तथा ब्रिटिश नीति मे परिवर्तन—जक्टूबर 1943 म लाड त्रिनित्यगा का गवर्नर जनरल का कायदान समाप्त हान पर कमान्तर न्न चीफ लाड बवेन का भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सम्भवत यह व्यवस्था त्सनिए की गई कि बवेन का भारत की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था की पूण जानकारी पूव म ती हान क कारण वह गवर्नर जनरल क पन् पर उचित सिद्ध हाग। उस वाच जापान की युद्ध सम्प्रवी गतिविधिया तीत्रता म वन् रही था। दक्षिण पूर्वी एशिया म जाजान हिंद फौज का मत्रानन नेताजी सुभाषचन् बोस कर रन् थ। यन् सना भारत की आन्तरिक सीमा म पूव का आर म प्रविष् हो चुकी थी। उमको जापान का सहयोग प्राप्त था। अत ब्रिटिश मरकार भारत की एमी स्थिति म वन्त चिन्तित थी। मई 1944 म लाड बवेन न गाधी जी का जन म रिया कर लिया। परन्तु गाधी जी क आग्रह क वावजूद काग्रस क अथ प्रमुख नेताजा का रिहा नगी किया गया। गाधी जी क लिए स्वय काइ नियय बना सम्भव नहा था। जन भारत छोडा आदानन समाप्त नहा हुआ। राजनीतिक गतिरोध बना रन् स्वय मरकार भी उम दूर करने क लिए चिन्तित थी।

सी० आर० सून् (गजाजी फामूता)

चत्रवर्ती राजगापानाचारी 1942 तक काग्रस क प्रमुख नेताजा म म थ। व गाधी जी क अनय ममथका म म थ। 1942 म जब ब्रिप्स वार्ता चल रही थी तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि मुस्लिम त्रीग पाकिस्तान की माग म विसा भा रूप म डिगन वानो नही है। स्वय ब्रिटिश सरकार निरन्तर त्रीग का एमी मांग क लिए प्रोत्साहित करती जा रही है। ऐसी स्थिति म दग की स्वतन्त्रता तथा भावी साविधानिक व्यवस्था क समाधान के लिए पाकिस्तान क सजन की मांग का न मानना उचित नहा है। काग्रस एसा मांग का पूण विरोध कर रही थी। एमी स्थिति म ब्रिप्स वार्ता की विफलता क पन्चान् भी राजगापानाचारा काग्रस स अलग हो गय और पाकिस्तान क सजन क सम्बन्ध म विचार करन नग। चकि भारत छोडा आदानन की

अवधि में वे कांग्रेस से पृथक् थे, अतः उन्हें बन्दी नहीं बनाया गया था। मई 1944 में जब गांधी जी जेल से छूटे तो राजाजी गांधी जी से मिले और उनसे अपने प्रस्ताव के बारे में वार्ता की। बाद में उन्होंने यह घोषणा की कि उनके प्रस्ताव को गांधी जी का अनुसमर्थन प्राप्त है। इसी प्रस्ताव को मी० आर० सूत्र कहा जाता है।

सूत्र—यह प्रस्ताव गांधी जी तथा जिन्ना दोनों के द्वारा एक सन्धि के रूप में अनुसमर्थित किया जाता था। इसकी शर्तें अग्राहित थी—

(1) भारतीय स्वतन्त्रता की माँग से सहमत होते हुए मुस्लिम लीग सङ्क्रमण काल में कांग्रेस के सहयोग से एक अन्तरिम सरकार की स्थापना से सहमत है।

(2) युद्ध की समाप्ति पर एक आयोग की नियुक्ति की जायेगी तो भारत के उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी क्षेत्रों के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और उन क्षेत्रों की समस्त जनता निर्धारित मतदान प्रणाली से हिन्दुस्तान में रहने या पृथक् रहने के बारे में अपना निर्णय करेगी। यदि बहुसंख्यक जनता भारत से पृथक् होने की माँग करेगी तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

(3) ऐसा विभाजन हो जाने पर दोनों देशों की पारस्परिक सहमति द्वारा प्रतिरक्षा, यातायात, व्यापार, आदि की व्यवस्था की जायेगी।

(4) दो प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्रों के बन जाने पर उनकी जनता के पारस्परिक स्थानान्तरण को पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर स्वीकृति दी जायेगी।

(5) यह शर्तें तभी लागू होंगी जबकि इंग्लैण्ड भारत को पूर्णतया राजसत्ता का हस्तान्तरण कर देगा।

(6) गांधी जी तथा जिन्ना इन शर्तों से सहमत हैं और वे क्रमशः कांग्रेस तथा लीग में उन्हें मनवाने के लिए प्रयास करेंगे।

श्रालोचना तथा प्रभाव—यद्यपि तत्काल राजाजी के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कांग्रेसी क्षेत्रों एवं देश में बड़ी निराशा तथा आश्चर्य की स्थिति जा गई और बहुत कम लोग राजाजी की पाकिस्तान निर्माण की स्वीकारोक्ति से सहमत हुए, तथापि यह मानना पड़ेगा कि राजाजी का निष्कर्ष उनकी राजनीतिक दूरदृष्टिता का प्रमाण था, क्योंकि अन्ततः पाकिस्तान बनकर रहा जाय देश की स्वाधीनता-प्राप्ति के हेतु इसे स्वीकार करना पडा। परन्तु तत्काल स्वयं जिन्ना ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर ठुकरा दिया कि जैसा पाकिस्तान राजाजी के सूत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था वह 'लुज-पूज तथा दीमकों द्वारा खाया गया' (maimed, mutilated and moth-eaten) पाकिस्तान है। वास्तव में जिन्ना तो सम्भवतः समूचे देश को पाकिस्तान बना देना चाहते थे जिसमें मुस्लिम लीग ही एकमात्र शासक रहे। कम से कम उनकी व्यक्ति-धारणा का पाकिस्तान सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान, समूचे बंगाल, असम एवं पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के मध्य एक लम्बी गैलरी वाला पाकिस्तान था। यदि पाकिस्तान का निर्माण होना ही था और राजाजी के सूत्र की जिन्ना स्वीकार कर लेते तो सम्भवतः देश विभाजन के समय बाद में जो कटुता का वातावरण फैला और जिसके कारण इतनी खून-खराबी हुई वह न होती। कुछ विद्वानों का मत है राजाजी के सूत्र के अनुसार जिस रूप में पाकिस्तान की योजना थी, वह 1947 में निर्मित पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी।¹

आजाद हिन्द फौज (I N A)

मुभापचन्द्र वीम द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण—जब 1939 में मुभापचन्द्र वीम

¹ See R. N. Aggarwal, *op cit*, 239

काग्रम ठाँ चुक ता उहान भारत का स्वतंत्रता क निमित्त गांधी जी की अहिंसात्मक सत्याग्रह का नानिया पर विश्वास करना हान दिया और चूकि काग्रम क दक्षिणपथा नेता गांधीवादी हा थ अत राम न वामपथी फाग्वन नाक दन की रचना की । एस दन म भारत क क्रांतिकारा नेता तथा युवा पीठा क वामपथी कायकता गामिन हा गय । उहान भारत म ब्रिटिश राज का उपाड फवन क निमित्त तोर फाड तथा विवस की कायवाहिया का ठाक ममभा । प्रारम्भ म जयप्रकाश जी भी एमी कायवादी का उचित समभत थ । प्रथम विश्वयुद्ध की जवधि स भारत म ऐस तत्त्व सन्निय र्थ और व सगठित दना क द्वारा क्रांति करन क पड्यत्र रचत र्थ । द्वितीय विश्वयुद्ध म पूव सुभाषचन्द्र बोस भा क्रांतिकारी हात जा रह थ । उहान 1935 म The Indian Struggle नामक रचना प्रकाशित की था जिस भारत सरकार न प्रतिवाधत कर दिया गा । युद्ध म पूव जब क काग्रस स अग्रग हा गय ता उहान युद्ध का नाम उठाकर अग्रता की सत्ता का भारत म उखा फेंकन क उद्देश्य स नय दन की रचना की । उहान अपनी उक्त रचना म लिखा है कि भारतवामिया का अहिंसा क गांधीवादी दानतिक विचारा या नहरु जा की धुरी गणा का विराधी वन्धिक नीति की भावनामूनकता क द्वारा अवरुद्ध नहा किया जाना चाहिए ।¹ काग्रस का अध्येक्षता छान्त ही उहान सम्पण भारत का तूफाना दौरा किया और मन्दा जन-सभागा म भाषण दकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी का विराध करत हुए भारत की जनता का आन्दान लिया कि वन् युद्ध म ब्रिटेन की जरा भी मन्गयता न करे ।

ए अग्रन 1940 म ही सन्निय अवना आन्दान चना चुक थे । उन्हाने काग्रस क महंग अग्रज सरकार क साथ वार्ता करा की काई योजना नना रखी । उनका निष्कप था कि युद्ध म ब्रिटेन की पराजय स ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट ले जाणगा अत व भारत स सत्ता नही हटायेग तो जनता को बनात् उ न निकानता पड़ेगा । तन्निग भारतवामिया को ब्रिटेन क साथ युद्ध छड दना चाहिए और उसक गत्रगा क साथ सहयोग करना चाहिए । जुनाइ 1940 का उह सरकार न जन म राज दिया । उनक न क अथ कायकर्ता भी प्रती कर निण गय थ । जब म बोस न अनिश्चित वान का भूख हन्तान प्रारम्भ कर दी ता सरकार न उह छान्कर नजर कद म रखा । जनवरी 1941 म वाम त्यस्यमय दग स निकन भाग और वग बन्कर काबुल भास्को हान हुए जमनी पहुँच गय । वहाँ म उहान अपन अशवामिया को र्थ या द्वारा सन्ध भजना आरम्भ किया । वहा न फासा तथा नाजी नेताशा म मिन और उनम जाग्रह करते र्थ कि व भारत की स्वतंत्रता का माग्य कर । मास्को म भी उहान एसा प्रयाम किया कि-जु जब वहा उनके त्स जाग्रह का उर्पा क्त र्पा गया ता वहा स उहान जापान जान की याजना वना ।

एस समय युद्ध म जापान की मित्र राष्ट्र न ऊपर भारी विजय पाता जा र्थी थी । जत सुभाषचन्द्र वाम र्थ दन की नीतिया पर विश्वास रखन वाना भारतीय जनमत एशियाई देशा का एसा प्रियया म अत प्रभावित र्था था और जापान क सन्धयोग म भारत का स्वतंत्रता की आगा अरुन नगा था । जापान म रामविहारी वाम न भारताय स्वाधीनता गीग की स्थापना कर नी थी । एस गीग का उद्दे य एक भारतीय मुक्ति मना का मगठन करना था । 22 जून 1942 का एसका सम्मनन वक्ता म र्था जत सुभाषचन्द्र वाम का एमकी अध्यक्षता करन का आमन्त्रण लिया गया ।

आजाद हिन्द फौज का सजन—भारताय स्वाधीनता गीग न भारताय मुक्ति मना तथा जापाना मना क सन्धार न सम्म ए म एक कायवाही परिषद् (Council of Action) क निर्माण या प्रस्ताव भी किया । ए न्त जापाना मनिक् अधिकागी इन विवरणा स महमत नहा थ । जब जापान न मन्दाय म ब्रिटिश मन्दाया का पराजित कर दिया ता ब्रिटिश मना क भारतीय सत्तिका न जापान न समक्ष आत्मसमपण कर लिया था । एस मना क कप्तान मोहनसिंह का मना सन्नि

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल होने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार कैप्टेन मोहनसिंह के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का सृजन हुआ। वे इस सेना के प्रधान सेनापति बने। अगस्त के मध्य तक लगभग 16000 जवान इस सेना में हो गये थे। वे समस्त भारतीय युद्धबन्दियों को इसमें लेकर 40000 तक की सेना बनाना चाहते थे। परन्तु जापानी सैनिक अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं थे। कालान्तर में आजाद हिन्द फौज तथा स्वाधीनता लीग में कुछ आन्तरिक कलह भी उत्पन्न हो गये और मोहनसिंह ने त्यागपत्र दे दिया। इससे फौज में रिक्तता आ गयी। रासबिहारी बोस भी इस सगठन से अलग हो गये। परन्तु सुभाषचन्द्र बोस ने नेतृत्व करने का आश्वासन दे दिया था। प्रश्न यह था कि वे जर्मनी से जापान कैसे पहुँचें। किसी तरह 1943 के आरम्भ में वे एक जर्मन पनडुब्बी से होकर जापान पहुँच गये।

टोकियो पहुँचते ही सुभाषचन्द्र बोस ने पहला अभियान यह चलाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री तोजो को भारतीय स्वाधीनता को मान्यता देने के लिए राजी कर लिया। तत्पश्चात् सिंगापुर पहुँचकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता लीग तथा आजाद हिन्द फौज में आ गयी दरार को पाटा और दोनों का नेतृत्व स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की जिसके वे प्रधान, प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति बने। उन्होंने एक मन्त्रिमण्डल भी बनाया। पदाधिकारियों ने विधिवत् पद-ग्रहण की शपथ ली। बाद में जापान, जर्मनी, इटली तथा छ अन्य देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। अब सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के समक्ष अपना ओजस्वी भाषण देकर 'दिल्ली चलो' अभियान आरम्भ किया। एक आई० सी० एस० पद को लात मारने वाला देश-भक्त, क्रान्तिकारी नेता, कांग्रेस का चोटी का नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक का सृष्टा जब भारत की आजादी के निमित्त भारी से भारी जोखिम सहकर जापान पहुँचा तो आजाद हिन्द फौज तथा स्वतन्त्र भारत की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का प्रधान बन गया। उन्होंने सैनिक पोषाक पहन ली। आजाद हिन्द फौज ने उन्हें 'नेताजी' का प्रिय नाम दिया। आज वे इसी प्रिय नाम से भारत की स्वतन्त्रता के शहीदों के शिरोमणि के रूप में भारतवासियों के प्रिय हो चुके हैं।

स्वतन्त्र भारत की क्रान्तिकारी अस्थायी सरकार के प्रधान के रूप में उन्होंने इंग्लैण्ड तथा अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने अण्डमान निकोबार के भारतीय द्वीप जिन्हें उसने जीत लिया था, इस सरकार के हवाले कर दिये। इसके पश्चात् नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को वर्मा होते हुए भारत की ओर कूच का आदेश दिया।

आजाद हिन्द फौज की समस्याएँ तथा असफलता—नेताजी ने फौज की कमान सम्भाल ली थी और सैनिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर ली गयी थी। फौज के जवानों का मनोबल उच्च था। परन्तु उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या अम्ब्रो-गस्त्रो तथा युद्ध की साज-सज्जा की थी। वर्मा तथा आसाम की जंगली से भरी पहाड़ियों से फौज को भारत की ओर कूच करना था। उसके पास रसद, शस्त्रास्त्र आदि नहीं रह गये थे। उधर युद्ध की प्रगति भी मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में बढ़ रही थी। अमरीका ने जापान की सेनाओं को दवाना आरम्भ कर दिया था। अतः जापानी सेनायें वर्मा से प्रशान्त महासागर के दक्षिणी भागों को बढ़ने लगी थी अतः आजाद हिन्द फौज को भी वापिस लौटने के लिए विवश होना पडा। जापानी सेना उसे गस्त्रास्त्रों तथा रसद से विहीन छोड़ती गयी। ऐसी स्थिति में आजाद हिन्द फौज को भारी परेशानियों में रहना पडा। जब नेताजी ने सेना की ऐसी स्थिति देखी तो वे भी बहुत परेशान हो गये। वे टोकियो में जापानी प्रधानमंत्री से सहायता के लिए पहुँचे, तो स्वयं जापान उस समय अमरीका के आक्रमणों से परेशान था। स्वयं फौज में एकता, मनोबल तथा अनुशासन भंग होने लगा था। बोसे से निष्ठावान सैनिकों ने काम नहीं चल सकता था। नतीजा यह हुआ कि 1945 के मध्य तक आजाद हिन्द फौज की दशा बहुत ध्वस्त ध्वस्त हो गयी। नेताजी रगून, बंकाक, सिंगापुर टोकियो के चक्कर काटने में व्यस्त रहते थे। परन्तु जब अगस्त 1945 में जापान ने अमरीका

के अणुबम प्रयोग करने के फलस्वरूप जात्मममपण कर लिया ता आजाद हिन्द फौज के रहे सह भाग का भविष्य भी अधकार म पड गया। नेताजी मिंगापुर बकाक तथा सगोन म ही अपना गतिविधियां जारी रखे रहे थ।

18 अगस्त 1945 का जब वे हनीबुरहमान के साथ सगोन स टाकिया का एक हवाई जहाज म जा रहे थ तो फारमूसा के हवाई जडड पर जहाज म आग लग गयी। नेताजी हमम बहन जन भय। उह वहाँ स अमृतान न जाया गया। उसके पन्चात् क्या हुआ यह कहानी आज तर भी रहस्यपूर्ण बनी हुई है। जा भी हो तब से नेताजी प्रकृत नही हो पाय हैं। डा ताराचद क गाना म भारत के इस बहादुर सपूत की कहानी जिसने निरंतर भारत की स्वतंत्रता क स्वप्न देखे जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा म अर्पित कर दिया और जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नई दिना प्रदान की समाप्त हो गयी।¹ इसी के साथ आजा हिन्द फौज की कहानी भी समाप्त हो गयी।

योगदान—भने ही फौज का अभियान सफल नही हुआ और युद्ध की समाप्ति पर इसक अधिकारिया तथा सनिका को पकड लिया गया और बाद म इसके प्रमुख नेताजा के ऊपर ब्रिटिश गामका ने मुकदमा चनाया जिसम देश के उच्चतम कागि के भारतीय वकीला न उनके पक्ष म दलील दी। बाद म उह मृत्यु-ण्ड भी मुनाया गया और फिर उह मुक्त भी कर दिया गया तथापि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम म आजाद हिन्द फौज की निष्ठा को मुनाया नहा जा सकना। नेताजी तथा उनके साथियो ने इस फौज तथा भारतीय स्वाधीनता गीग के माध्यम स जो काय बनाप किय उनका पर्याप्त अंतराष्ट्रीय महत्त्व है। उन सगठना न भारतीय आंतरिक परिस्थितियो (माम्प्रदायिकता तथा बधानिकतावाद) की उपेक्षा करके सघपमय क्रांति की याजना बनाकर भारत को ब्रिटिश साम्राज्यगाही स मुक्त करने का प्रयास किया। युद्धकाल म महाशक्तिया के साथ युद्ध की घोषणा करना और भी युद्ध क साधना क अभाव म यह दगाना है कि युद्ध के पश्चात् महाशक्तिया (अमरीका तथा रूस) भारत की स्वतंत्रता के महत्व को नहा बना सकी। आजाद हिन्द फौज न यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सना भाडे क सनिका की सना नहा है अपितु वह अपनी मातृभूमि के सच्चे रैग भक्ता की सना है। उन वीरो ने अपने अम्य उत्साह का परिचय कर घोर स घोर सकट म भी आत्मविश्वास तथा उत्साह स कष्ट सहन कर देने का ह्प्टांत प्रस्तुत किया। यह कहना असंगतिपूर्ण नही हागा कि इस फौज की बहादुरी न साम्राज्यवादियो की जैसे हिना ग। अब व यह आगा नही रख सकत थ कि किराये क सनिका की सना द्वारा विद्व को साम्राज्यवाद की दासना के अन्तगत रखा जा सकना है। आजाद हिन्द फौज को भारत को सबसे बडी देन उनका जयहिन्द का नारा है जो आज स्वतंत्र भारत का प्रसिद्ध तथा गोक प्रिय नारा हो चुका है।

बदल याजना तथा शिमला सम्मनन

राजनीतिक घातावरण—भारतीय राजनीति के अंतगत 1944 म गांधी जी की रिहाई तथा राजगापालाचारी जी क प्रस्ताव की अभिव्यक्ति क अतिरिक्त अय कोई महत्वपूर्ण बातें नहा हुई। काप्रसी नेता जेला म थ। परंतु 1945 के प्रारम्भ के कई अंतराष्ट्रीय परिस्थितिया न भारतीय राजनीति को पुन सत्रिय हान का अवसर दिया। यूरोप म मित्र राष्ट्रा को जमनी तथा इटली के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त हो गई थी। अब जापान ही मित्र राष्ट्रा का एकमात्र गत्र रह गया था। जापानी सनाजा के सहयोग म गस्त्र-सजा विहीन परंतु दग भक्ति क मनोबन से प्रेरित आजाद हिन्द फौज की शक्ति भी क्षीण होनी जा रही थी। यूरोप को युद्ध स राहत मिलन पर मित्र राष्ट्रा का ध्यान जापान को परास्त करने पर केन्द्रित हो गया था। आजाद हिन्द फौज

के अनेक प्रमुख नेता तथा सैनिक मित्र-राष्ट्रो की सेना द्वारा बन्दी बना लिए गये थे। जापान का पतन भी शीघ्र हो जाना लगभग निश्चित था।

भारत में साविधानिक गतिरोध बना हुआ था। मित्र-राष्ट्रो का इंग्लैण्ड के ऊपर इसे दूर करने के सम्बन्ध में दबाव जारी था। युद्ध ने इंग्लैण्ड को हर दृष्टि से निर्बल बना दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अब वह अपनी पुरानी सर्वोच्चता की स्थिति खो चुका था। उसके साम्राज्यवाद को बनाये रखने के स्वप्न धूमिल पड़ चुके थे। अतः अब वह इस स्थिति में नहीं रह गया था कि भारत की स्वतन्त्रता की माँग को ठुकरा सके। इंग्लैण्ड में नये आम निर्वाचनों की तैयारी होने लगी थी। चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी दल की सरकार भारतीय स्वतन्त्रता की माँग को टालती जा रही थी। मजदूर दल ने चुनाव अभियान में इसका लाभ उठाया और चर्चिल सरकार की इस बात के लिए निन्दा की कि वह भारतीय साविधानिक गतिरोध को दूर करने में पूर्णतया असफल रही है। इसी कारण भारत की प्रतिरक्षात्मक गतिविधियाँ निर्बल पड़ी हैं। चर्चिल की सरकार मजदूर दल के इस आरोप को निर्मूल करने के लिए चिन्तित थी, अन्यथा उसे निर्वाचनों में हानि उठानी पड़ती। अतः वह भी भारतीय समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाने के लिए प्रयत्न करने लगी।

भारत में लार्ड वैवेल को प्रधान सेनापति रह चुकने तथा लगभग डेढ़ वर्ष से गवर्नर-जनरल रह चुकने के कारण यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। वह क्रिप्स मिशन के साथ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर चुके थे। अतः वह चर्चिल सरकार से सलाह मशविरा करने मार्च 1945 में इंग्लैण्ड गये। जून में वहाँ से वापिस आते ही वह भारत के साविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना लाये जो वैवेल योजना के नाम से प्रसिद्ध है।

वैवेल योजना—चूँकि क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता का एक मुख्य कारण अन्तरिम काल की योजना का कोई सन्तोषजनक समाधान प्रस्तुत न कर सकना था, अतः वैवेल योजना ने इसी बात को लिया। अन्तरिम योजना का अभिप्राय तुरन्त केन्द्र में राष्ट्रीय तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अतएव वैवेल योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय साविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार तुरन्त गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् का पुनः सगठन करना चाहती है। इसके अनुसार गवर्नर-जनरल तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त अन्य सभी पार्षद भारतीय होंगे और गवर्नर-जनरल तथा प्रधान सेनापति के ऊपर देश की प्रतिरक्षा का दायित्व रहेगा। शासन के अन्य सभी विषय जिनमें वैदेशिक सम्बन्ध भी शामिल ह, भारतीय पार्षदों के हाथ में रहेंगे। ब्रिटेन के वाणिज्य सम्बन्धी हितों की देख-रेख के लिए भारत में एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जायेगी। गवर्नर-जनरल की परिषद् में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर सख्या में स्थान प्राप्त होंगे। गवर्नर-जनरल को कार्यकारी परिषद् के बहुमत के निर्णयों पर नियेधाधिकार प्रयुक्त करने की शक्ति प्राप्त रहेगी। भारत के शासन में भारत मन्त्री के नियन्त्रण को अधिकाधिक मात्रा में कम कर दिया जायेगा। यह योजना किसी भी भाँति भारतवासियों के भविष्य में अपने सविधान को निर्मित करने के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। भविष्य में ऐसी बातें चलती रहेगी।

शिमला सम्मेलन—इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक था कि समुचित वातावरण बनाया जाय। अतः कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गृहा कर दिया गया। 9 जुलाई 1945 से गवर्नर-जनरल ने शिमला में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं गांधी जी एवं जिन्ना को एक सम्मेलन में आमन्त्रित किया। सम्मेलन का कार्य लगभग 2 सप्ताह तक चला। परन्तु अन्त में 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता घोषित कर दी गई।

सम्मेलन के विफल होने के कारण स्पष्ट ये। यद्यपि प्रस्तावित कार्यकारी परिषद् में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर स्थान देना किसी भी रूप में जीवित्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि

भारत की जनशक्तियाँ म हिंदू मुस्लिम अनुपात 7 : 3 का था तथा तभीपि कांग्रेस न इसका विरोध नहीं किया। वह भारत की स्वाधीनता सम्प्रदायी वाता म एसा जबरदस्त उत्पन्न करना नहीं चाहता था। परन्तु कांग्रेस उस बात पर राजी नहीं था कि मुसलमान पापदा का नामांकन करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग का लिया जाय। जितना उसी बात पर अरब कि मुसलमान पापदा लीग क द्वारा ही नामांकित किया जायेंगे। सचमुच कांग्रेस क विरुद्ध समझौते क निमित्त इतना उची कीमत देना कतापि उचित नहीं था। कांग्रेस कवन मात्र हिन्दू जनता की सस्या नहीं थी वरिन् उसस वरन् वरी सराश म गण्टवादी मुसलमान भी प्रारम्भ म थी रहन जाय थ। 1945 म स्वयं मोताना जवुनकनाम बाजाट कांग्रेस अध्यक्ष थ। सम्मन्तन वाता क मध्य गवर्नर जनरल न उह आवासन लिया था कि वे वाता म किसी एक टन द्वारा अनावश्यक वाया उत्पन्न नहीं करने दग। पञ्जाब के मयुक्तवादी दल (unionists) न मुसलमाना क नामांकन म अपन अधिकार का भी दावा किया। जितना न याजना का मानन स इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यदि उस स्वीकार कर लिया जायगा तो सरकार म लीग का प्रतिनिधित्व एक तिहाई रह जायगा और उसका जय हागा पाकिस्तान की माँग की अस्वीकृति उस प्रकार कवन जिम्मा की हठधर्मिता स निम्नता सम्मन्तन विफल हा गया और राजनीतिक गतिराव बना रहा।

भू-याकन—यद्यपि कवन योजना भी ब्रिष्म प्रस्तावा की भांति विफल हो गई तथापि यन् प्रभावहीन मिद्ध नहीं हुई। उसक कारण कांग्रेस क नेतागण जेता म डूट गय और जो नहीं डूटे थ उनकी रिहाय का तार भी खुन गया। जिम्मा की हठधर्मिता न जा निम्नता सम्मन्तन की विफलता का एकमात्र कारण थी यह मिद्ध कर लिया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का माग पूरा हान स कम किसी भी प्रस्ताव न नही मानगी। उसकी माग क पीछे ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग था। राष्ट्रीय नेताओं की रिहाय न जनता म एक नय जीवन का मचार करने म मत्त दा। जना म निकलने क बाद नहरू पटेन जाति नेताओं न जनता क भ्रमा का निवारण किया कि भारत कोने आदावन निरयक नहीं था। जनता का पुन स्वतन्त्रता प्राप्ति क निमित्त पूरा आगावान गटना चाहिए। वास्तव म कवन याजना किसी मच्च भाव स नहीं रखी गथ थी। वरन् ता कवन गण्टवादी दल क निवाचन अभियान का प्रचार करने की चान थी क्योंकि मजदूर लन न उसक ऊपर यह आरोप लगाया था कि वरन् भारत का समस्या हन करने म असफल रहा ह। चर्चित की सरकार स मर्त म प्रतिक नता जना हा चुक थ। जुलाई म ब्रिष्म म नय जाम चुनाव हान वान थ। चर्चित तथा एमरी न स्पष्ट घोषणा का था कि कवन याजना का भारत क नेताओं क समत रूपन तथा उन्स पर विचार करने का मौका लन म लम कित्ता भा चीज का नता ल गथ ह (we aren't giving away anything)। यह बात विस्तृत मत्त था। भारतवासि स्वतन्त्रता चाहत थ और कांग्रेस जो उसक विरुद्ध मद्य करने वाता प्रमुख दल था भारत का एकमात्र पक्ष हथ था। यन् याजना भारत का न स्वाधीनता लन का लक्ष्य रखती थी जार न भारत की एकता बनाय रखन का इसम प्रस्ताव था। ब्रिटिश सरकार उसकी अमफनता क वाग म पहन म ही जाधरस्त थी।

यदि कवल याजना की शर्तों पर विचार किया जाय ता वह ब्रिष्म लीग म गय 1942 क प्रस्तावा स भी निवृत्तर थी। इसम न ता औपनिवेशिक शक्ति का चचा था न स्वाधीनता की और न ही भविष्य म स्वतन्त्र भारत क मविधान निर्माण करने वाता मविधान मभा क निर्माण का याजना थी। अतएव यह आश्चर्य का बात है कि कांग्रेस इस स्वाकार करने का क्या राजा हा गया। 1945 म लम याजना का स्वाकार करने की कांग्रेस का धारणा उतना हा गवन था जितना 1942 म ब्रिष्म याजना का अमाय करने की। लाना अवमग पर कांग्रेस न राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का भू-यावन महा नहीं किया। लगभग लन लान वर्षों की अवधि म जिम्मा न मुस्लिम लीग की स्थिति का अधिक सुहृद कर लिया था। व नय निवाचना क विरुद्ध अधिक उस्तुक थ ताकि व उसम लीग का मफनता क लीग अपन लम लव का पक्ष कर सक कि

लीग ही भारत के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके द्वारा वे मुस्लिम बहुल जनता वाले प्रान्तों में लीग का बहुमत हो जाने पर यह दर्शाना चाहते थे कि वहाँ की जनता आत्म निर्णय के द्वारा पाकिस्तान की माँग को सही करती है। अतएव उन्हें केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनाने की चिन्ता नहीं थी। कांग्रेस यह सोचती थी कि वह स्वतन्त्रता संघर्ष से ऊब चुकी है अतएव वह सरकार के साथ इस दिशा में कोई समझौता कर लेने के बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए उत्सुक थी। जो भी हो, शिमला सम्मेलन की विफलता के लिए जिम्मा की हठधर्मिता जिसे प्रोत्साहित करने में ब्रिटिश नेताओं का पूरा हाथ था, जिम्मेदार थी। परन्तु इसने युद्धोत्तर काल में सांविधानिक गतिरोध दूर करने के प्रयासों का मार्ग अवश्य खोल दिया।

प्रश्न

- 1 युद्ध के प्रति कांग्रेस का क्या रुख था ?
- 2 टिप्पणी लिखिए—

(अ) अगस्त प्रस्ताव 1940,	(द) आजाद हिन्द फौज (I N A),
(ब) व्यक्तिगत सत्याग्रह,	(घ) देसाई-अली पैक्ट,
(स) सी० आर० फार्मुला,	(र) वैवेल योजना।
- 3 क्रिप्स प्रस्तावों में भारतीय लोकमत को सतुष्ट करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए थे ? इन प्रस्तावों का भारतीय लोकमत ने क्यों अस्वीकार किया ?
- 4 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिए।

ब्रिटिश शासन का अवसान काल (LAST DAYS OF BRITISH RAJ)

राजनीतिक घटना चक्र

विश्वयुद्ध का अन्त—1945 व प्रारम्भ में मिन राफ्टा ने यूरोप की फासीवादी शक्तियाँ पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अब युद्ध में कबल जापान उतारा गया रहा गया था। अगस्त 1945 में जब अमरीका ने जापान में दो अणु बम छोड़े तो जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार पूरे छह वर्षों से चल रहा विश्वयुद्ध का अन्त हुआ गया और मिन राफ्टा के हाथ विजय मिली। जब विजयता राफ्टा के समय में पुनः विश्व का युद्धाग्नि से बचाव के लिए ठास कदम उठाने का समय आया था। इस दिनांक में काम भी उठाया जा रहा था। उनका फनस्वरूप अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र सभ की स्थापना हुई। वास्तव में विश्वयुद्ध का एक कारण साम्राज्यवाद था। इस यद्यपि विश्वयुद्ध में इंग्लैंड की ओर था तथापि वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति का समयक नहीं था। युद्ध में इंग्लैंड की शक्ति बहुत निचली हो चुकी थी। अतः अब वह अपने पुराने साम्राज्यवादी स्वप्न का साकार क्रिय रखने का शक्ति नहीं रख सकता था। उसके ऊपर इस तथा अमरीका का दबाव बढ़ रहा था कि वह भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग का पूरा करे। अतः 1945 में जब सान फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र सभ के निर्माण पर विचार विनिमय हो रहा था तो इस के विचार मंत्री माताजेव ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सम्मान में हमारा समय एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल है परन्तु भारत एक स्वाधीन राज्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि वह समय आयागा जबकि एक स्वाधीन भारत की आवाज भी सुनाई देगी। इस अवसर पर उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि संयुक्त राष्ट्र का प्रयास होगा कि विश्व के पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीनता प्रदान की जाय और प्रयास करेंगे।

इंग्लैंड के आम चुनाव—यद्यपि बर्किंग के नवतंत्र की रूढ़िवादी दल की सरकार ने विश्व युद्ध का संचालन करके इंग्लैंड का विजयी बनाने का श्रेय प्राप्त किया था तथापि इंग्लैंड की जनता रूढ़िवादी दल में उतरी गयी थी। युद्ध समाप्त होते ही जुलाई 1945 में इंग्लैंड के निर्वाचन परिणामों में मजदूर दल के नेता एटला को ब्रिटिश सरकार के संचालन का भार सौंप दिया। इंग्लैंड में जब कभी मजदूर दल की सरकारें बनीं भारत हमेशा उनसे कुछ न कुछ आशा लगाया रखता था। इस समय मजदूर दल ने अपने चुनाव अभियान में ही भारत के साविधानिक गतिराज्य का दूर करने की घोषणा की थी। साथ ही परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि मजदूर दल का इस सम्बन्ध में ठाम काम उठाना आवश्यक भाँसा हुआ गया था।

भारत की स्थिति—वाग्रसा नेताओं की जवाब से रिटार्ड स जनता का उत्साह बल गया था। इन नेताओं ने पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन की पट्टी में मद गतियाँ के कारण जनता में छापी हुई निराशा का दूर किया। यद्यपि अगस्त 1945 में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता सुभाषचन्द्र बोस का एक हवाला दुर्घटना में कथित मृत्यु के समाचारों से भारतवासियों का मन दुखी था क्योंकि आजाद हिन्द फौज का जिस उत्साह के साथ उन्होंने संचालन किया था उसका फनस्वरूप भारतवासियों में उनके प्रति महान् निष्ठा उत्पन्न हो गयी थी। आजाद हिन्द

फौज के संचालन के कारण उन्हें भारतवासी 'नेताजी' के नाम में पुकारते हैं। इस फौज का अग्नेजों ने दमन कर दिया और इसके तीन प्रमुख नेताओं शाहनवाज, डिल्लन तथा सहगल के विरुद्ध फौजी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लालकिले में यह ऐतिहासिक मुकदमा चला जिसमें स्वयं नेहरू सहित अनेक कांग्रेसी नेता उन नेताओं के वचाव पक्ष में वकील के रूप में खड़े हुए। न्यायालय ने उन्हें फाँसी की सजा सुना दी। उनके विरुद्ध आरोप था कि वे ब्रिटिश सरकार की फौज में भागकर उसी के विरुद्ध सप्राप्त करने लगे थे। सारा भारत इस मुकदमे के निर्णय की बड़ी उत्सुकता में प्रतीक्षा कर रहा था। गवर्नर-जनरल लार्ड वैवेल ने परिस्थिति का बड़े विवेक से अध्ययन किया और अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके इन नेताओं के मृत्यु-दण्ड को समाप्त कर दिया। आजाद हिन्द फौज का नारा 'जयहिन्द' आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा हो चुका है। उक्त निर्णय से तथा आजाद हिन्द फौज के कार्यभाग से जनता में एक नये उत्साह का संचार होने लगा था।

भारत के निर्वाचन—इंग्लैण्ड में मजदूर दल ने सत्ता प्राप्त करते ही सितम्बर 1945 में गवर्नर-जनरल लार्ड वैवेल को परामर्श के लिए इंग्लैण्ड बुलाया। वहाँ से आते ही गवर्नर-जनरल ने भारतीय राजनीतिक तथा सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1935 के शासन अधिनियम के अन्तर्गत नये निर्वाचनों की घोषणा की। समय के राजनीतिक विकास-क्रम के सन्दर्भ में कांग्रेस ने पुनः चुनाव लड़ने का सकल्प किया। उसने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के औचित्य को पुनः दोहराकर अपने चुनाव घोषणा-पत्र में उसे शामिल किया। निर्वाचनों में पुनः कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। सामान्य स्थानों में मे लगभग सभी स्थान कांग्रेस ने प्राप्त कर लिए। मुस्लिम स्थानों में से भी अनेक स्थान कांग्रेस के हाथ लगे। परन्तु अधिकांश स्थान मुस्लिम लीग ने जीत लिए। पंजाब में सयुक्तवादियों को लीग के साथ पराजय का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में खुदाई खिदमतगारों का सामना लीग नहीं कर पायी, क्योंकि वहाँ सीमान्त गांधी का प्रभाव बहुत ऊँचा था। परन्तु निर्वाचन-परिणाम इस बात के द्योतक सिद्ध हुए कि भारत के अधिकांश मुसलमान लीग के समर्थक हैं, अतः लीग की पाकिस्तान की माँग को ठुकराना सम्भव नहीं रह गया। इन निर्वाचनों के परिणामस्वरूप सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस समर्थक खुदाई खिदमतगारों की सरकार बनी। सिन्ध तथा बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकारें स्थापित हुईं। पंजाब में सयुक्तवादियों ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई परन्तु लीग ने इस पर बहुत रोष व्यक्त किया।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की घोषणा—भारत के उक्त आधार आम निर्वाचनों के परिणामों के आधार पर जनता के रुख को देखकर तथा भारत की सम्पूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरान्त 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश ससद में घोषणा की कि 'भारतवासियों के आत्मनिर्णय तथा स्वतन्त्र भारत का सविधान स्वयं निर्मित करने के अधिकार को हमें मान्यता देनी चाहिए। यदि स्वतन्त्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक् रहना चाहे तो हमें भारत को इसके विरुद्ध वाय्य करने का भी कोई अधिकार नहीं है। निःसन्देह हमें अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे बहुसंख्यकों के भय में मुक्त रह सकें। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के निर्णय पर निपेधाधिकार प्रयुक्त करके सांविधानिक प्रगति में बाधा डालने की दृष्ट मिल जाये।' स्पष्टतः कांग्रेस के लिए यह घोषणा बहुत आशाप्रद मित्र हुई। परन्तु मुस्लिम लीग ने अन्ततः अपने निपेधाधिकार की शक्ति का पुर्ण प्रयोग किया जो पाकिस्तान लेकर ही उसे चैन पड़ा। इस सम्बन्ध में रुढ़िवादी तथा श्रमिक दल की नीतियों में जहाँ एक अन्तर था, वहाँ समानता भी थी। रुढ़िवादी सिद्धान्त था 'फूट डालो और चोड़ो'। श्रमिक दल की नीति थी 'फूट डालो और छोड़ो'।¹ दोनों दल

¹ Tara Chand, *op cit*, 455

मुस्लिम लीग की पृथक् स्वतंत्र राष्ट्र का भाग में महानुभूति रखते थे। उक्त घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल के एक मंत्रिमण्डल का भारत की स्थिति का अध्ययन करने तथा सुझाव देने के निमित्त भारत में भ्रमण की घोषणा भी की। उसका उद्देश्य बताते हुए भारत मंत्री ने कहा था कि वह भारत के नये परिधान निर्माण का व्यवस्था पर भारत की व्यवस्थापिकाओं में चुने गये प्रतिनिधियों तथा देशी नरणा के साथ विचार करके सविधान निर्मात्री सभ्या की स्थापना तथा पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना की व्यवस्था करायेगा। कांग्रेस के नेताओं ने इन घोषणाओं का स्वागत किया परन्तु मुस्लिम लीग इनके विरुद्ध भी क्यादि इनके अन्तर्गत पाकिस्तान की स्थापना का काम करने नहीं था।

केबिनेट मिशन याजना

उक्त घोषणा के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने तीन सदस्य वाले पब्लिक नारें (भारत मंत्री) सर स्टाड रिफ्ले तथा ए. बी. एन्ड्रयूज्ज् केबिनेट मंत्रिमण्डल के रूप में 23 मार्च 1946 को भारत पहुँचे। भारत पहुँचने ही मिशन के सदस्यों ने भारत सरकार के अधिकारियों से के विभिन्न वर्गों के नेताओं से मिलने के लिए तथा मुस्लिम लीग के नेताओं तथा देशी नरणा से साविधानिक प्रगति के सम्बन्ध में बातें प्रारम्भ की। इस दौरे के दौरान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने साक्षात्कार किया और एक सासम्मत रूप का खोज की। परन्तु मुस्लिम लीग का हर्षमिता केबिनेट मिशन के कार्य में भी बाधक सिद्ध हुए। अतः जल्द ही वार्ता में कार्य समाप्त हो नही निकलने तो मिशन ने ब्रिटिश सरकार के परामर्श से स्वयं एक याजना प्रस्तुत की जिसके केबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan) कहा जाता है। इसकी घोषणा 16 मई 1946 को की गयी थी।

योजना—केबिनेट मिशन ने भारतीय स्वतंत्रता तथा साविधानिक समस्या के हल के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे—

(1) सम्पूर्ण भारत का एक सघ—मिशन का दृष्टि में भारत का सांख्यिक समस्या का इन पाकिस्तान का निर्माण नहीं हो सकता था क्योंकि वह व्यवहार में सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः समूचे भारत का जिसमें देशी रियासत भी शामिल हो एक सघात्मक राज्य के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित सघ में देशी रियासतों के शामिल होने पर उनकी साविधानिक स्थिति को विस्तार से नहीं समझाया गया था। परन्तु ब्रिटिश प्रान्तों के बारे में उनसे समूह बनाकर उन्हें सघ के घटक (प्रान्त) तथा सघ की मध्यवर्ती शक्तों के रूप में रखने का प्रस्ताव था। ये मध्यवर्ती प्रान्तों में समूह तीन भागों में बाँटे गये—(क) दक्षिण मद्रास मध्यप्रदेश विहार उड़ीसा तथा संयुक्त प्रान्त (ख) असम तथा बंगाल और (ग) पंजाब सिंध तथा पश्चिमाञ्चल सीमा प्रान्त।

(2) सविधान निर्माण—प्रस्तावित सघ व्यवस्था के अन्तर्गत सविधान निर्माण के हेतु मिशन ने भारतीय प्रतिनिधियों का सविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। सविधान सभा के प्रतिनिधि प्रान्तों की व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों के द्वारा ममानुषाना प्रतिनिधित्व के एक नये सघ मण्डल में मनाने का पद्धति से चुने जाते थे। प्रत्येक प्रान्त से चुने जाते हैं सन्स्था की सभ्या प्रति उस प्रान्त की जनसंख्या पर एक सदस्य के हिसाब से निर्धारित का गया थी। निराचल क्षेत्रों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के निर्वाचन मण्डल मान्य नियम थे (सामान्य मुस्लिम तथा पंजाब के लिए मिसल भी)। इस प्रकार सविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रान्तों में 93 देशी रियासतों से तथा 4 चाफ कमिश्नरों के प्रान्तों से लिए जाते। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनने के बारे में उनसे परामर्श करके विधि का निर्धारण करने का प्रस्ताव था। प्रान्तीय 292 प्रतिनिधियों में से 210 स्थान सामान्य 78 मुसलमानों के तथा 4 मिसल के लिए तय नियम थे।

(3) **सघ सरकार**—प्रस्तावित सघ में केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों तथा संचार यातायात के विषय दिये जाने थे। अवशिष्ट विषय प्रान्तों को दिये जाने का सुझाव रखा गया था। केन्द्रीय (सघीय) सरकार में एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थापिका होती जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होते। व्यवस्थापिका में किसी भी साम्प्रदायिक मामले का निर्णय व्यवस्थापिका में उपस्थित सदस्यों के एव दोनो प्रमुख सम्प्रदायों (हिन्दू तथा मुस्लिम) के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता।

(4) **सविधान निर्माण प्रक्रिया तथा विषयों के वितरण में प्रान्तों की स्थिति**—कैबिनेट मिशन योजना ने सविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये थे। सविधान सभा की प्राथमिक बैठक के उपरान्त विविध वर्गों में बाँटे गये प्रान्तों के प्रतिनिधि पृथक्-पृथक् बैठकर अपने वर्गों के प्रान्तों के लिये सविधान बनाते। वह अपने प्रान्त-मण्डल तथा उसमें शामिल प्रान्तों के मध्य भी विषयों का विभाजन करते। अन्त में समूची सविधान सभा केन्द्रीय तथा प्रान्तों के वितरण पर पुन विचार करके सविधान का अन्तिम रूप देती। ब्रिटेन के द्वारा भारत को सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य तक सन्धि किये जाने का प्रस्ताव था। यह बात भारतीय सविधान सभा की इच्छा पर छोड़ दी गयी थी कि वह ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल में रहे या न रहे। नये सविधान के लागू हो जाने पर किसी प्रान्त की व्यवस्थापिका निर्धारित प्रान्त-मण्डल में रहने या न रहने का निर्णय भी कर सकती थी। उसे बहुमत द्वारा प्रति दस वर्ष पश्चात् सविधान में पुन संशोधन सम्बन्धी विचार करने की माँग रखने का भी अधिकार दिया गया था।

(5) **सविधान सभा की सर्वोच्चता**—इस प्रकार निर्मित भारत की सविधान सभा जिस सविधान को तैयार करती उसे लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य रहती।

(6) **अन्तरिम सरकार का गठन**—कैबिनेट मिशन योजना में उपर्युक्त बातें दीर्घकालीन योजना के रूप में थी। परन्तु ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वतन्त्र कर देना चाहती थी। अतः इस योजना में यह भी प्रस्तावित था कि यथाशीघ्र भारत में एक अन्तरिम सरकार की स्थापना की जायेगी जिसमें शासन के सम्पूर्ण विषय भारतीय मन्त्रियों को दे दिये जायेंगे। यह सरकार भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करेगी। ब्रिटिश सरकार इस अन्तरिम सरकार को शासन-संचालन के सम्बन्ध में पूरा सहयोग प्रदान करेगी, ताकि मत्ता का हस्तान्तरण द्रुत गति से तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

मूल्यांकन—इसमें कोई सन्देह नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना पिछली अन्य योजनाओं तथा आश्रयान्तों से कहीं अधिक स्पष्ट थी। साथ ही इसमें ब्रिटेन की भारत को शीघ्रतः शीघ्र स्वाधीन कर देने की आतुरता भी प्रकट होती थी। पाकिस्तान के निर्माण की मुस्लिम लीग की माँग को उस योजना के निर्माताओं ने व्यावहारिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, भौगोलिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टिकोणों से अवाञ्छनीय मानकर अस्वीकार किया था। अतः यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान का ही एकमात्र स्वप्न देखने वाली मुस्लिम लीग कदापि इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती। इस योजना ने अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जिन प्रस्तावों को रखा था वे भी उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त में मेल नहीं खाते थे।

इतना होने के बावजूद इस योजना में कई बातें अस्पष्ट तथा भ्रामक थी। विशेष रूप से प्रान्तों को तीन मण्डलों में बाँटने की योजना ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को अलग-अलग अलग विकास का अवसर दिया। कांग्रेस ने यह अर्थ लगाया कि कोई भी प्रान्त निर्धारित मण्डल में शामिल होने या न होने तथा मण्डल का सविधान बन जाने पर उसे स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतन्त्र है। इसके विपरीत लीग की धारणा यह थी कि निर्धारित मण्डल में रूके गये प्रान्त के लिए उसी में बने रहना अनिवार्य है तथा किसी वर्ग-विशेष द्वारा दिये जाने वाले निर्णय उन वर्ग के प्रतिनिधियों के माध्याम बहुमत से किये जायेंगे। 25 मई 1946 को मिशन ने इस विवादास्पद मामले की व्याख्या करने हुए स्पष्ट किया कि प्रान्त-मण्डलों का निर्माण मुविदित है

और उमम रान्ना या न रान्ना प्रात की वृद्धा पर नहा है । मण्डन क सविधान को स्वीकार करन या न करन क अधिभार का प्रयाग नय सविधान क आधार पर निर्मित यत्रस्थापिका नी कर सकनी है । एम प्रकार मिगन न लीग की धारणा का समथन लिया । यद्यपि मिगन न लीग की पाकिस्तान का माग का टुकरा लिया था तथापि जिम प्रकार स प्राता क मण्डन बनाये गय थ उमम यह स्पष्ट था कि उनका आधार साम्प्रदायिक था और वे पाकिस्तान निमाण म सहायक सिद्ध गत । काग्रम न आगिक रूप म ही याजना का स्वागत किया । वह अंतरिम सरकार की स्थिति तथा शक्ति का भावत मत्रिण सनिता न अस्तित्व तथा उय सध की स्थापना और सविधान मभा म लगी गियासता क प्रतिनिधित्व की याजनाका स सतुष्ट नहा थी । परन्तु लीग वस याजना म सिकुन अमसुष्ट ग्या तथाकि एम याजना न पाकिस्तान निमाण की धारणा का अमाय किया था न पृथक सविधान मभाका की स्थापना का उल्लव इमम था । कनीय कायपातिका म भी मुमनमाना तथा गर मुमनमाना का समान प्रतिनिधित्व दन की बात एमम नही थी ।

योजना पर अमल

(1) सविधान सभा—याजना पर अमल करन क त्रिण त्रिटिंग प्राता क अतगत जुलाई 1946 म सविधान सभा के निवाचन कराये गय जिसम काग्रम को 205 तथा लीग का 73 स्थान प्राप्त हुय । वसस लीग का वटी निराशा हइ । यद्यपि मुस्लिम लीग 6 जून 1946 का वस याजना को स्वीकार कर चुकी थी तथापि निवाचन क पश्चात् लीग न वस अस्वीकार कर लिया । इसी त्राच अंतरिम सरकार निर्मित की जा रही थी । लीग को निरागा वदन म उमम भाषण लगा तथा रक्तपात का प्रात्मात्मन द लिया था । अंतरिम सरकार भा बन चुकी थी । 6 निसम्बर 1946 का त्रिण अतिवारिया न पुन प्रात मण्डन मम्ब की विवाद की यार्या की जिसम सस्तिम लीग क निवचन का माय किया गया था । 9 निसम्बर 1946 का सविधान सभा की प्रथम बैठक हुई । परन्तु लीग न एमका वहिष्कार किया । सविधान सभा का काय चनना गया । यद्यपि काग्रम न याजना का 25 जून 1946 का स्वीकार कर लिया था तथापि वह प्रात मण्डन क मम्बन म अवन हा निवचन पर निश्चयन रना । जब 6 निसम्बर का त्रिण सरकार न पुन एमकी यार्या की और काग्रम क वृष्टिकोण का समथन नया मिता ता तब भी काग्रम न अमत्यागी स्व नया अपनाया और 7 जनवरी 1947 का काग्रस न 6 निसम्बर 1946 क यक्तय का भा वम गत पर स्वीकार कर लिया कि प्रात मण्डन मम्ब का व्यवस्था रिसा प्रात प् अनुचित दवाव न एन और पजाव म मिकया क हिता का संरक्षण किया जाय । लीग न यह बहाना बनाकर कि काग्रम ने 16 मई 1946 क प्रस्ताव का पूननया स्वाकार नहा किया है सविधान सभा का वहिष्कार जारी रखा । वह कभा भा सविधान सभा म शामिल नही हुई ।

(2) अंतरिम सरकार की स्थापना—कबिनट मिगन ने नाड ववन (गवनर जनरन) का अंतरिम सरकार की स्थापना क जाण द लिया थ । परन्तु जब नाड ववन न राष्ट्रीय नेताका क समक्ष यत् प्रस्ताव रगा ता अंतरिम सरकार का निर्माण करन क मम्बध म यत् कठिनाई उत्पन्न हुई कि किन किन लीग का प्रतिमण्डन म लिया जाय । काग्रस इस बात का मानन क लिए राजी नही थी कि प्रतिमण्डन म काग्रम का मय अनुमूचित जाति क प्रतिनिधिया क मुस्लिम लीग क भी बराबर स्थान मिले । मुस्लिम लीग यह अवसर दस रहा थी कि काग्रम वसस पृथक रण ता वह जय बुद्ध रना तथा वर्गों स मितकर प्रतिमण्डन बना लगी । परन्तु गवनर जनरन न ऐसी यवस्था का स्वाकार नहा किया । अत 29 जून को एक 7 मन्त्राय सरकार (care taker) सरकार बना ता गया । परन्तु यत् याजना का समाधान नही था । अत 22 जुलाई का गवनर जनरन न एक 14 मन्त्राय प्रतिमण्डन का प्रस्ताव रगा जिसम 6 काग्रस क 5 लीग क तथा 3 जय मन्त्रय हान । काग्रम का अपन कां म एक अनुमूचित जाति क मन्त्रय तथा एक राष्ट्र वाली मुमनमान का भा नामाकित करन का अधिकार लिया गया । लीग एमम भा सतुष्ट नहा

ब्रिटिश सरकार यथानीघ्न भारत का सत्ता सौंप देने के लिए व्यग्र थी।

20 फरवरी 1947 की घोषणा—ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि सम्राट की सरकार निश्चित रूप से जून 1948 तक भारतवासीयों को भारत की गणसत्ता सौंप देने का प्रयत्न करेगी। इसी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने यह जाहाना प्रकट की कि भारतवासी विवेक तथा बुद्धि का मांग अपनाकर ऐसा वातावरण बनायें जिससे कि वे ब्रिटिश से अपने देश की सत्ता प्राप्त करने तथा उसका समुचित संचालन करने में समर्थ हों। यदि जून 1948 तक संविधान सभा संविधान तैयार न कर सके तो ब्रिटिश सरकार उस समय तक निर्मित केन्द्रीय या प्रांतीय सरकारों का सत्ता हस्तांतरित कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

लाड लाउण्टबेक का गवर्नर-जनरल बनना—उपरोक्त घोषणा से सम्बद्ध ब्रिटिश सरकार का एक निष्पत्ति यह भी थी कि लाड लाउण्टबेक के स्थान पर लाड लाउण्टबेक को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर लिया गया।

लाउण्टबेक योजना—गवर्नर जनरल का पद सम्भावित ही लाड लाउण्टबेक ने भारत की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश की राजनीतिक स्थिति विगड़ती जा रही है। मुस्लिम लीग किना भा भाति जयण्ड भारत का व्यवस्था का स्वीकार नही करगी। ऐसी स्थिति में जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार का भारत में बने रहना वाछनीय नही होगा। उनका निष्कर्ष यही था कि देश का विभाजन ही समस्या का एकमात्र समाधान है। अब उहाँ भारत विभाजन की एक योजना बनाई। उसके सम्बन्ध में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार प्राप्त करने तथा उस पर उनकी सहमति के बारे में भी आश्वस्त्र हान का प्रयास किया। पाकिस्तान निर्माण के सम्बन्ध में उहाँ यह अनुभव किया कि कुछ बातों पर ताना देना के नतीजा सहमत है। यद्यपि कांग्रेस ने भारत विभाजन के प्रस्ताव का मदद विरोध किया था तथापि अब उसे ऐसा आभास हो गया था कि पाकिस्तान का निर्माण अपरिहार्य हो चुका है जयथा मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के मांग में बाधक बनी रहगी।

लाउण्टबेक योजना बनाते समय योजना—लाड लाउण्टबेक ने जिस योजना का 2 जून 1947 का ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए अपने प्रमुख अग्रज सलाहकारों के हाथ पर भेजा था उसके निर्माण में उसके सांविधानिक सलाहकारों के पाँच मन्त्रों की उपस्था की गई थी क्योंकि वे एक भारतीय अधिकारी साथ ही रह मुस्लिम थे। मन्त्रों की मदद पट्टे के साथ अच्छी मंत्री थी। वे स्वयं एक चतुर कुशल तथा प्रतिभाशाली राजनयिक अधिकारी थे। 1946-47 में भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जो वातावरण बन चुका था उसके विभिन्न पहलुओं के गुणावगुणा का उहाँ बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया था। वे भी पाकिस्तान के निर्माण का अपरिहार्यता पर आश्वस्त हो चुके थे। अब उनकी जसती ही एक योजना था जिसके बारे में वे मरदार पट्टे से विचार विमर्श कर चुके थे और सम्भवतः पट्टे उस स्वाकार कर चुके थे। परन्तु मन्त्रों का हम न वाइसराय का बतान का अवसर मिला था और न नहर जी का। लाउण्टबेक ने अपनी योजना के बारे में मन्त्रों को भी अधिकार में रखा था। लाउण्टबेक की योजना ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का ही एक रूप थी हमम पार्टी के नेताओं की सहमति के बिना ही एकतरफा तौर पर प्रस्ताव का सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहिए और ब्रिटिश मजबूत केन्द्रीय सरकार के बदन एक फडरेण्ड हानी चाहिए।¹ लाउण्टबेक ने कांग्रेस तथा कांग्रेस दाना देना द्वारा योजना में बाधा डाने की सम्भावित बातों को भी साच दिया था और उनके समाधान के तरीकों का भी हन निकाल दिया था। भारत के विभाजन की समस्याओं पर उसने गांधी जी का दाना का जायज कर लिया था। परन्तु वास्तविक योजना किमा पक्ष का नही बताया गई थी।

इसके तुरन्त बाद वाइसराय शिमला पहुँचे। मेनन भी साथ में गये थे। वहाँ वाइसराय ने मेनन से भारत की भावी स्थिति (राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनकर या अलग रहकर) के सवाल को छोड़ा तो मेनन ने कहा 'मैंने तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना बना रखी है क्या आपको किसी ने नहीं बताया। मैंने लार्ड वैवेल को इसके बारे में बताया था और इण्डिया आफिस को भी इसकी सूचना दी थी।' इसके बाद मेनन ने इसके सम्बन्ध में पटेल से हुई अपनी वार्ता का भी उल्लेख किया। मेनन ने उपनिवेश के आधार पर सत्ता हस्तान्तरित करने तथा पटेल के माध्यम से कांग्रेस द्वारा उसकी स्वीकृति कराये जाने की बात भी बताई। जिन्ना तथा लीग तो उपनिवेश के आधार पर राष्ट्र-मण्डल में रहते हुए सत्ता प्राप्त करने को इच्छुक थे ही। मेनन की योजना से वाइसराय अत्यन्त प्रभावित हुआ। वाइसराय द्वारा अपनी योजना के बारे में मेनन से पूछने पर मेनन ने कहा कि 'आपने मुझसे पूछा ही कब था'।

17 मई को वाइसराय ने सभी भारतीय प्रमुख नेताओं की बैठक शिमला में बुलाई थी। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने माउण्टबेटन योजना को कुछ चन्द सशोधनो सहित स्वीकृति दे दी थी और वह पहुँच चुकी थी। 10 मई की शाम वाइसराय ने मूड में आकर नेहरू जी को यह दिखाई तो नेहरू भ्रमना उठे और इसे मानने को कतई इनकार कर दिया और उसी नाराजगी की मुद्रा में चले गये। दूसरे दिन उन्होंने इस योजना के खतरों से आगाह करते हुए वाइसराय को एक स्मरण-पत्र भेजा। वाइसराय परेशान थे। तुरन्त मेनन को बुलाया गया और अपनी योजना शाम तक दे देने को कहा, क्योंकि शाम तक नेहरू जी चले जाने वाले थे फिर उन्हें पकड़ सकना कठिन होता। इतनी महान् योजना जिसे अग्रेज सरकार इतने वर्षों तक न तैयार कर सकी, मेनन को तीन चार घण्टे में तैयार करनी थी। मेनन इससे भी परेशान थे कि वे नेहरू जी से वाइसराय के संकेत पर कुछ बातें पहले भी कर चुके थे और नेहरू को ऐसा आभास हो गया था कि मेनन पटेल से इसके बारे में पहले ही विचार कर चुके हैं। अन्ततोगत्वा मेनन ने किसी तरह इसे तैयार किया। मोसले ने लिखा है कि 'जिस योजना से हिन्दुस्तान और दुनिया की शकल बदलने वाली थी उसे तैयार करने में एक आदमी को सिर्फ चार घण्टे लगे थे।'¹ इन परिस्थितियों में वाइसराय ने 17 मई वाली बैठक को स्थगित करवा दिया और इंग्लैण्ड को तार भेजा कि पहली योजना में कुछ कमियाँ रह गयी हैं, दूसरी तुरन्त भेजी जा रही है। इंग्लैण्ड से तार आया कि वाइसराय स्वयं आवे और विचार-विनिमय करें। 18 मई को लार्ड माउण्टबेटन मेनन वाली योजना लेकर इंग्लैण्ड को रवाना हुए। मेनन भी साथ में थे। वाइसराय के अग्रेज सलाहकार भल्लाये हुए थे कि उनकी योजना को स्वीकार नहीं किया गया। इंग्लैण्ड में प्रधानमन्त्री के भवन में इस योजना को स्वीकृति देने में केवल 5 मिनट लगे।² वाइसराय ने मेनन की इस असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिये, उनकी प्रशंसा की और आभार प्रकट किया।

3 जून 1947 को गांधी जी तथा जिन्ना से सलाह कर लेने के उपरान्त माउण्टबेटन ने मेनन द्वारा तैयार की गई तथा ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कर दी गई इस योजना की घोषणा कर दी। इसके अनुसार अग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता को छोड़ देने का विचार व्यक्त किया। दूसरे, भारत तथा पाकिस्तान के दो पृथक् उपनिवेश बनेंगे जिन्हें ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तान्तरण करेगी। देश विभाजन के निमित्त योजना में कहा गया था कि बंगाल तथा पंजाब विधानमन्त्रियों के मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधि पृथक् मतदान द्वारा भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय करेंगे। सिन्ध की विधान सभा समूचे रूप में भारत या पाकिस्तान के विकल्प पर मतदान करेगी। त्रिलोचिस्तान में स्वायत्त-नामी मन्त्रियों के प्रतिनिधि मयुक्त रूप में ऐसा विकल्प देंगे। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा अरम के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले मिलहट जिले के क्षेत्र लोकनिर्णय द्वारा भारत या

¹ वही, 100।

² वही, 101।

पाकिस्तान में रहने का विकल्प होगा। तीसरे यदि पंजाब तथा उ्गान में एम निणया व परिणाम स्वरूप प्रांतों का विभाजन करना आवश्यक होगा तो उसमें निमित्त सीमा आयागा की नियुक्ति की जायगा जो प्रांतों का विभाजन स्वयं का निर्धारण करेगा। चौथे दाना दगा व मध्य विभाजन व परिणामस्वरूप नये नये व सामंती की भाँति व्यवस्था का जायगी।

चूँकि ब्रिटिश सरकार ने दाना उपनिवेशों का 15 अगस्त 1947 का सत्ता हस्तान्तरित करने का निश्चय कर लिया था और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने विभाजन का स्वाकार कर लिया था अतः अत्यवश्यकता इस बात की थी कि माउण्टबटन याजना का कार्यावलि किया जाय। याजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों के प्रतिनिधियाँ या जनता ने भारत या पाकिस्तान के सम्बन्ध में विकल्प दना था उसमें परिणाम पूर्व निश्चित थे। नये माउण्टबटन याजना के पाकिस्तान में सिंध, त्रिबोव्स्तिान पश्चिमात्तर सीमा प्रांत पश्चिमा पंजाब पूर्वी उ्गान तथा सिन्धु जिन के मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले क्षेत्र शामिल हुए। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम दगान के जिनान भारत में शामिल होने का निश्चय किया। जिनता का इस ही भय पाकिस्तान का ग्रहण करना पडा। यह उनके स्वप्न के उम पाकिस्तान में कहा अत्रिक बुरा था जिस साँकार सून में प्रस्तावित किया गया था जो कि जिन जिनान नये पंजाब तथा दामका गारा तप्ट किया गया पाकिस्तान कहकर ठुकरा दिया था। पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य का गन्तरी की माग ता कारा स्वप्न ही सिद्ध हई।

दमरा धाय वम याजना की कार्यावलि करने के सम्बन्ध में विधि निर्माण का था। अतः जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद के द्वारा मजदूर नये की सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित कराया। साथ ही भारत में दाना उपनिवेशों के निर्माण के निमित्त सीमा आयागा तथा नये नये की व्यवस्था सम्बन्धा कार्यावलियाँ प्रारम्भ हई।

सेना की समस्या—3 जुलाई 1947 की घोषणा के सम्बन्ध में कांग्रेस लीग तथा सिक्ख लीगा अथवा सत्ताओं बहुत शक्य या विरोध व्यक्त किया गया परन्तु दाना पर किसी आधार पर यह मानने का विचार ही नहीं था या उह मनवाया गया। लीग का पाकिस्तान का पृथक उपनिवेश मित गया। कांग्रेस का भी स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य परा हा गया अतः ही उपनिवेश के रूप में जिन वत आमानी से प्राण समाप्त कर सकती थी। सिक्खों के नेता वरन्धमिह राजनीति में नये नये पट्टे तथा व वि व पंजाब के विभाजन की अस्वीकार कराने में सफल हात।

परन्तु अतः ही समस्याय थी प्रथम यह कि दाना उपनिवेशों के गवर्नर जनरल कौन होंगे ? दाना नये उपनिवेशों में एक बटवार तथा सम्भावना के वातावरण का उनाय रखने के लिए मध्यम के रूप में माउण्टबटन का ही कुन समय तक दाना का गवर्नर जनरल उनाय रखना उचित समझा जा रहा था। यह दाने भारतीय सना में काम कर रहे ब्रिटिश नागरिक एक सनिक अधिकारियाँ के तिन में भा था। जिनता वम टानत नये जोर अतः में स्वयं नये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने के लक्ष्य हुआ गया। कांग्रेस ने माउण्टबटन को स्वीकार कर लिया। युद्ध समाप्त हुए अभी अधिक समय नहा बीता था। वम समय भारत का प्रधान मनापति अचिननक था वत कुन नये नामके अवश्य था परन्तु कुन राजनानि नहा था। आजात हिन्द फौज के अफमरा पर मुकदमा चलाय जान की उसकी जिन न उम भारतीया के मध्य अतीवप्रिय दना दिया था। वह नहा चाहता था कि नतनी शीघ्र सना का भाँदा नये नैगा न मध्य विभाजन कर दिया जाय। वह कम से कम अगस्त 1948 तक सयुक्त सना का ब्रिटिश कमान के अधीन हा रखना चाहता था। परन्तु दाना सना के राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दाना नैगा के नता अपण तथा ग्रव्यावहारिक मानने व अचिननक ब्रिटिश अधिकारियाँ की नैगा के लिए भी ब्रिटिश कमान को उनाय रखना ठीक समझना था साथ ही विभाजन के परिणामस्वरूप होने वाले दगा को नवाने के लिए भी। उसकी धारणा माउण्टबटन का स्वीकार नहा नये। अतः 15 अगस्त 1947 में पूर्व सना के उन्वार की भाँति व्यवस्था करना थी।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947

भारतीय शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद का यह अधिनियम सबसे अन्तिम कानूनी प्रलेख है। इसके प्राविधान निम्नांकित थे—

(1) 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार भारत के शासन की सम्पूर्ण सत्ता भारत तथा पाकिस्तान के दो उपनिवेशों को हस्तान्तरित कर देगी।

(2) भारतीय संघ में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, मुस्लिम बहुल जनता वाले सिलहट जिले के क्षेत्रों को छोड़कर शेष असम, दिल्ली, अजमेर तथा कुर्ग के प्रान्त सम्मिलित होंगे।

(3) पाकिस्तान के उपनिवेश में सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिलहट के मुस्लिम बहुल जनता वाले क्षेत्र शामिल होंगे।

(4) बंगाल तथा पंजाब प्रान्तों के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया जायेगा जिसमें प्रत्येक उपनिवेश से एक न्यायाधीश रहेगा और सर सिरिल रैंडविल्फ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

(5) ब्रिटेन भारत की शासन-सत्ता प्रत्येक उपनिवेश की प्रभुत्व-सम्पन्न सविधान सभा को हस्तान्तरित करेगा। यह सभाएँ अपना सविधान निर्मित करने में पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होंगी और ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के साथ रहने या न रहने का निर्णय करने का इन्हें पूरा अधिकार प्राप्त रहेगा।

(6) 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक उपनिवेश के लिए गवर्नर-जनरल की नियुक्ति वहाँ के मन्त्रिमण्डलों की सलाह से की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप भारत ने लार्ड माउण्टबेटन को तथा पाकिस्तान ने मिस्टर जिन्ना को अपना गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाना स्वीकार किया, जिनकी शक्ति वैधानिक प्रधानों की सी रह गई।

(7) सविधान निर्माण की अवधि तक दोनों उपनिवेशों का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा, परन्तु उसमें आवश्यक परिवर्तन हो जायेगे, यथा प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति उपनिवेशों के मन्त्रिमण्डलों की सलाह पर की जायेगी और गवर्नर भी अपने प्रांतों के वैधानिक प्रधान रहेगे।

(8) 15 अगस्त 1947 में भारत मन्त्री का पद समाप्त हो जायेगा और वेस्ट मिनिस्टर सचिव 1931 के अनुसार ब्रिटिश सरकार इन नये उपनिवेशों के साथ अपने सम्बन्धों का नियमन करेगी। इसका यह अर्थ था कि भारत तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का निर्धारण राष्ट्र-मण्डलीय सचिव करेगा।

(9) सविधान निर्माण हो जाने तथा उसे लागू होने की तिथि तक प्रत्येक उपनिवेश की सविधान सभाएँ वहाँ की केन्द्रीय व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य करेगी। इन सभाओं द्वारा पारित कानूनों पर ब्रिटिश सरकार की कोई निषेधाधिकारी या स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति नहीं रहेगी, न ब्रिटिश संसद इन उपनिवेशों के लिए कोई कानून बना सकेगी।

(10) 15 अगस्त 1947 में भारतीय देशी रियासतों के नरेशों के ऊपर ब्रिटेन की मार्बोमिक सत्ता समाप्त हो जायेगी। इसका यह अर्थ था कि भारत की देशी रियासतों को भी पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया गया था। परन्तु इस अधिनियम ने यह प्राविधित किया था कि देशी नरेश स्वेच्छा में भारत या पाकिस्तान में से किसी भी उपनिवेश में शामिल हो जाने अथवा पूर्णतया स्वाधीन बने रहने के लिए स्वतन्त्र ह।

अधिनियम का कार्यान्वयन

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तथा उसे लागू करने के बीच की

अपधि वस्त्र ही सूत्र थी। जगज्ज नासका को भारत की विगतती हुई परिस्थिति में वस्त्र चिना हा गयी थी। यह विद्वान हो चुका था कि वस्त्र स्थिति का सामना करने का साहम तथा क्षमता उनमें नहीं रह गई है। वस्त्र प्रान्तीय वस्त्रों में दायित्व में मुक्त होना चाहते थे। मुस्लिम लोग न 16 अगस्त 1946 में ही प्रत्येक कायदाही का मांग अपनाकर दंग में साम्प्रदायिक दंगा की आग सुनगा दी थी। यह कटुता दिना दिन बढ़ाई जा रही थी। जंग देग विभाजन का समय जाया तो साम्प्रदायिक दंगा में भीषणतम रूप धारण कर लिया। जाकि पाकिस्तान का मित्रन था उनमें निवाम करने वस्त्रों पर मुस्लिम सम्प्रदाया को अपनी जान मान का भागी रखना था। पाकिस्तान मांगत वाने मुमनमान यह नहीं चाहते कि प्रस्तावित पाकिस्तान की सीमा के अन्दर काइ भी गर मुस्लिम रत। अत पाकिस्तान की गर मुस्लिम जनता क साथ वहा र मुमनमाना न दानवीय नीता प्रारम्भ कर ती। उनकी सम्पत्ति को तूटना उनका नरसहार महिनाआ क साथ अत्याचार जाति सभी अमानुषिक कृत्य प्रारम्भ हुए। उन लोगो को अपनी मायी सम्पत्ति का माह छोडकर भारत में शरण लेन क अनिश्चित और कार् चारा नहीं था। परतु पाकिस्तान क मुमनमान उह जीवित भारत में जान दना तन नहा चाहत था। पजाब तथा बंगाल वस्त्र भीषण रक्तान के स्थन जन गय था। वस्त्रकी प्रतिक्रिया भागत में हाता भी अस्त्राभाविन बात नहा थी। यद्यपि भारत न धम निरपेता का मिद्धात अस्नाया तथापि यहा भी कइ स्थाना पर दंग हुए। परतु भारत सरकार न उह दंगान की पूण चष्मा ही नगी की जितु भारत में बस रहन के इच्छुक मुमनमाना का यथाशक्ति परा शरण प्रदान किया और पाकिस्तान जान क उच्छन मुमनमाना को सुरक्षा के साथ वहा जान की व्यवस्था की। साथ ही पाकिस्तान प्रदेश में भागत में आद्य शरणार्थिया का वमान उनकी मुग मुनिधा जादि का भार अपन कंधा पर लिया।

इन हृदय विदारक घटनाआ का जविन उत्तर करना यहा पर प्रामाणिक नहा है। दुनिया ने ममक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् क 26 वर्षों का इतिहास अभी ताजा है। यह तथ्य भी सूय के प्रमाण की भांति स्पष्ट है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में गर मुस्लिम जनता जिना दिन घटती जा रही है और वहा से हिन्दा का शरणार्थिया के रूप में भारत को निष्क्रमण जारी है। पाकिस्तानी सरकार तथा जनता दोना वस्त्र ब्रतावा दे रत हैं जकि भारत में लगभग 6 करोड मुसलमान पूण जमन वत से स्वतंत्र नागरिका की भांति रह रत हैं। उह सरकार के उच्चतम पदा को प्राप्त करन की मुनिधा प्राप्न होनी रही है। गत 26 वर्षों की अवधि में भारत में भी कुछ अवमरा पर साम्प्रदायिक दंगे अवश्य हुए हैं परतु इन दंगों का मुख्य कारण पाकिस्तानी प्रचार हा है। पाकिस्तान के एजेंट भारत में एसी कटुता उत्पन्न करत रहते हैं और अपने दंग में हिन्दा क ऊपर किया जान वान अत्याचारा को छिपाने क लिए भारत में एसी गडवनी उत्पन्न करन में लग रहत हैं।

जब 15 अगस्त 1947 का त्रिनिश साम्राज्यवाणिया ने सत्ता से त्याग किया और अपने नि राष्ट्र मिद्धान तथा पूर डाता और नामन करो की नीति में सफल हा गय तो भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति एसी खून मरावी क वातावरण में प्राप्त हुई। समार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति क लिए रक्तमय ब्रातिया क अनन इच्छात मित्रत हैं। उनमें सत्ताधारी नासका तथा स्वतंत्रता की इच्छुक जनता क मध्य युटा तथा ब्रान्तिया के उन्हारण मित्रत हैं जकि भारत में सत्ताधारी अग्रज भन मनुष्या का तरह सम्मानपूर्वक भागत की जनता को सत्ता हस्तांतरित करके गम परतु देग का विभाजन करके दोना राष्ट्रा को बनाकर तथा जनता क मध्य रक्तपात करारन सत्ता छोड गये। 15 अगस्त 1947 के पूव भी जब दंग हात रहे ता त्रिनिश शासका न उहें उपेक्षित रता। पणित नेहरू न केनीय विधान सभा में एक बार कहा था कि जिग त्रिटिश सरकार ने मविनय शक्तता आदोनन को हिमात्मक ढंग में बुचनन में कोई कमी गयी क्या वह इन ढंगा को नहा दया सकती थी? वास्तव में अन्क त्रिनिश अधिवाणिया न यहाँ तक प्रयास किया कि भारत में न दंगों को अधिकाधिक प्रास्नाहित किया जाय और सत्ता छोडन समय एसी

अराजकता का वातावरण बना दिया जाये कि जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि भारतवासी अपने देश का शासन स्वयं चला सकने की क्षमता नहीं रखते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का मूज्जुन साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासको ने किया था और उसे इस प्रकार बढ़ावा देते रहे कि जब तक उनके लिए सम्भव था तब तक उन्होंने भारत में अपना साम्राज्यवाद बनाये रखने के लिए साम्प्रदायिकतावाद का पूरा लाभ उठाया। अन्त में देश का विभाजन करके सत्ता का त्याग किया और आज देश की स्वतन्त्रता के 26 वर्ष पश्चात् तक भी यह विषय भारतीय राजनीति की नसों से नहीं उतरा है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा सृजित साम्प्रदायिक विषय का प्रतीक सर्प पाकिस्तान भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों सीमाओं में निरन्तर डक मारता रहा है। पाकिस्तान बनते ही पहले उमने काश्मीर पर आक्रमण किया था और आज तक वह काश्मीर का एक-तिहाई भाग जबरदस्ती हथियाए हुए है। उसके पश्चात् 1965 तथा 1971 में उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि दोनों बार उसे बुरी परास्त होना पड़ा था, तथापि वह अब भी अपने ऐसे नापाक इरादों को नहीं भूला है। 1971 के युद्ध में उसे पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था जो अब पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्त होकर स्वतन्त्र व प्रभुत्व-सम्पन्न बंगला देश बन चुका है। यह सब पाकिस्तान की साम्प्रदायिक धर्मान्धता तथा आत्माभिमान की घृणा भरी राजनीति का फल है।

15 अगस्त 1947 को भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, अंग्रेज चले गये। यहाँ तक कि सभी उच्चतम सेवाओं में नियुक्त अंग्रेज पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिये। लार्ड माउण्टबेटन स्वतन्त्रता के पश्चात् कुछ समय तक भारत के गवर्नर-जनरल बने रहे। उनके चले जाने पर भारत के वरिष्ठतम राजनेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम तथा अन्तिम भारतीय गवर्नर-जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का नया संविधान लागू हुआ तो यह पद समाप्त हो गया और नये प्रभुत्व-सम्पन्न गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति पद पर डा० राजेन्द्र प्रसाद आसीन हुए। इस प्रकार भारत को स्वतन्त्र कराने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है जिसने 62 वर्ष के अत्यक् परिश्रम में यह सफलता प्राप्त की। यो तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय विगत 27 वर्षों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का संचालन करते आ रहे थे और उनके सफल तथा लोकप्रिय नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल हुआ, तथापि हमें राष्ट्रीय आन्दोलन के उन सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने समय-समय पर कांग्रेस तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया।

प्रश्न

- 1 टिप्पणियाँ लिखिए—
(क) कैबिनेट मिशन योजना,
(ग) माउण्टबेटन योजना।
- 2 भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में क्या परिवर्तन हुए ?

मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन (MUSLIM COMMUNALISM AND PARTITION OF INDIA)

हिंदू मुस्लिम एकता के माग से दूर—बीमवा गान्धी के प्रथम दो दशाब्दों में भारतीय राष्ट्रिय जातानन के माग में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति उमर विनाम जाति पर हम पुस्तक के गत अध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है। 1916 के काग्रस की समझौते के बाद जब काग्रस ने भारतीय मुसलमानों द्वारा संचालित खिताफ्त जातानन का समर्थन किया था यह जाणा बनने लगा था कि राष्ट्रीय एकता मुट्टा हा जायगी और अग्रजों का फूट डाना और गामन करग का नीति नष्ट भ्रष्ट हा जायगी। 1919 के गासन सुधारों के अंतर्गत मुसलमानों का व्यवस्थापिका में पर्याप्त अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया था। परंतु खिताफ्त जातानन का अमफनताओं ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता समर्थक तन्त्रों का पुन काग्रस में पृथक् हा जान में सहायता दी। अग्रज भी इस बात के लिए तय थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का बनाव मिनता उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में तुपारापात करना होगा। जब 1920 में गांधी जी ने अमह याग जादानन आरम्भ किया तो मुस्लिम लोग ने इस जातानन में मत् करना शुरू कर लिया था। उन्नी बीच कुछ घटनाएँ और घटा जिनके कारण हिंदू मुस्लिम पृथक्तावाद की धारणा और अधिक बलवती हानी गया और तब से मुस्लिम साम्प्रदायिकता मितर बढी गया।

अफगान आक्रमण तथा भोपला विद्रोह में मुस्लिम साम्प्रदायिकता—1919 में जब अफगानिस्तान ने भारत पर चलाए का तो भारत के मुसलमानों ने हम के नाम पर अफगानिस्तान के मुजाहिदों का सहायता देने की नाति अपनाया यद्यपि बहाना भारत का विदेशी सरकार का जिनसे भारत में गैरत एक महान दमनात्मक कानून लागू कर दिया था मह्याग ने इन का था। हमके विपरीत गांधी जी का मत था कि ऐसा सरकार के साथ मन्थाग करना उचित नहीं है जो राष्ट्र का विश्वास का चुकी है। हममें यह स्पष्ट हा गया कि हिंदूओं में मुसलमानों की अमफरन्की नीति में यह भय उत्पन्न हाने लगा था कि वे भारत में पुन मुस्लिम साम्राज्य का थापना चाहते हैं। अफगान आक्रमणकारों भगा लिये गये थे। परंतु हमसे मुस्लिम साम्प्रदायिकता पुन प्रस्फुटित ना गयी। इसी बीच मन्थावार में खिताफ्त जातानन का तकर जा मापना खिताफ्त हुआ था उसमें मुसलमानों के द्वारा हिंदूओं सहित अन्य धर्मावतम्बियों का नगस बध किया जाना भी मुस्लिम साम्प्रदायिकता का स्पष्ट प्रमाण था। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने न मापना के हम कृत्य की स्पष्ट मिला नहा की प्रत्युत् यह धारणा व्यक्त की कि जब हिंदूओं ने मापना का देवान में विदेशी सरकार की मदद की है तो मापना द्वारा हिंदूओं का भी अपना तथ्य जानना अस्वाभाविक नना था। सुप्रसिद्ध आयसमाजी नेता स्वामी अद्वैताने ने राष्ट्रिय मुसलमानों के इस दृष्टिकोण का उत्तर 1926 में अपने एक लेख में किया था।¹ हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिकता भद हम प्रकार बतने लगे कि 1921 से 1924 तक का अवधि में लग के विभिन्न भागों में अनेक बार दंग लगे। ब्रिटिश सरकार की नाति सत्ता हा इन दंगा का प्रात्मान्ति इन का रना। पश्चिम में उक्तमान में विभय यागतान करती थी। हम बात का ताग के नेता जिन्ना तक ने स्वीकार किया था।

आय समाज की प्रतिश्रिया—फरवरी 1924 में जब गांधी जी जन में दूर ता उतान

¹ भारतीय मुसलमानों का राजनैतिक इतिहास में उद्धृत 148।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थन में 21 दिन का उपवास किया। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता के पीछे जो धर्मान्धता थी, उसका उपचार उपवास या सम्मेलन नहीं हो सकते थे। भारत में मुसलमान तथा ईसाई दलित एवं पिछड़े वर्ग के हिन्दूओं का धर्म-परिवर्तन करने के कार्य में लगे थे। अतएव इस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया यह हुई कि आर्यसमाजी नेताओं ने भी बुद्धि आन्दोलन चलाया और छुआडूत के भेदभाव को नष्ट करने, हरिजनो के उद्धार एवं बुद्धि द्वारा अन्य धर्मावलम्बियों को, विशेष रूप से उन्हें, जो धर्म-परिवर्तन द्वारा मुसलमान बना दिये गये थे, पुनः हिन्दू धर्म में लाने का कार्यक्रम अपनाया। परन्तु अनेक मुसलमानों ने इस नीति की आलोचना की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक भावना से भरे कार्य-कलाप तथा क्रिया-प्रतिक्रिया स्वस्थ राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक थी। परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा करने की छूट किसी एक ही सम्प्रदाय विशेष का हित नहीं हो सकती थी।

लीग की साम्प्रदायिक गतिविधियों का विकास—1924 तक मुस्लिम लीग की गतिविधियाँ निरवरोध चली रही परन्तु 1924 के लीग अधिवेशन में पुनः लीग में जान आने लगी। यद्यपि इस अधिवेशन में भाषण करते हुए जिन्ना ने साम्प्रदायिकतावाद तथा हिन्दू-मुस्लिम दंगों की तीव्र भर्त्सना की और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए अपने को पूर्णतया एक राष्ट्रवादी मुसलमान घोषित किया, तथापि उस समय के प्रमुख मुस्लिम नेताओं, डा० किचलू, रजा अली, जिन्ना एवं मौलाना मुहम्मद अली सभी ने यह धारणा व्यक्त की कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को विधानसभाओं तथा सरकारी नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, आदि, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। विधानसभाओं में उन्हें पर्याप्त अधिक स्थान प्राप्त हुए थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली ने उन्हें आवश्यकता से अधिक संरक्षण प्रदान किया था। लाला लाजपत राय, जो हृदय से हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे, मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद के खतरो में भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने अपनी चिन्ता कांग्रेसी नेता चित्तरजनदास को लिखे गये एक पत्र में व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय मुसलमान भले ही राष्ट्रवादी होने का दावा करें, परन्तु यह कुरानवादी पहले हैं और राष्ट्रवादी बाद में। इसका यह अभिप्राय है कि मुसलमान धर्म के नाम पर राष्ट्र-प्रेम, देश-प्रेम आदि सबको ताक पर रख देता है। गांधी जी तक इस तथ्य को जानते थे। भले ही उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आज्ञान्म प्रयास किया और उमी खातिर अपने प्राण दिये, तथापि मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद को निर्मूल करना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाया।

लीग का कांग्रेस-विरोधी रवैया—1923-24 में जब टर्की का प्रश्न हल होकर वहाँ धर्म-निरपेक्ष राज्य स्थापित हो गया, तो भारत में खिलाफत आन्दोलन चलाने वाले मुसलमानों तथा सगठनों को बड़ा धक्का लगा। भारत में साम्प्रदायिकता की भावना घटने लगी थी। लीग के सदस्य अब कांग्रेस को एक हिन्दू सत्ता के रूप में देखने लगे थे, दूसरी ओर हिन्दू महासभा के नेतागण भी मुसलमानों को शका की दृष्टि से देखने लगे थे। परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियों में साम्प्रदायिकता की भावना आ जाने के कारण उसने कांग्रेस में सहयोग करना छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि फिर वही पुराने झगड़े शुरू हो गये, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए थे। लीग नेताओं को 1919 के सुधारों से बहुत अधिक असन्तोष हो गया था। यद्यपि हिन्दूबहुल प्रान्तों में मुसलमानों को मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, तथापि मुस्लिम-बहुल प्रान्तों पंजाब तथा बंगाल में उन्हें इतना अनुपात बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। पंजाब में तो हस्तान्तरित विषयों के शासन में कोई भी मुसलमान मन्त्री नहीं बन पाया था। सीमित मताधिकार के कारण बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी। यद्यपि इन सब परिस्थितियों का कारण उक्त अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी नियम थे, तथापि अमनुष्य मुसलमानों ने इसका रोप कांग्रेस पर निकालना शुरू किया और दुश्मनी प्रकट करने का नाघन साम्प्रदायिक कलहों को बनाया। धीरे-धीरे यह गतिविधियाँ

तनी अधिक बढ़ने लगी कि अनेक राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय उद्देश्यों पर साम्प्रदायिकता का रंग देकर उनका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।

साइमन कमिशन—1926-27 में यह भावना तनी उग्र हो गयी कि भारत के विभिन्न भागों में जनसाम्प्रदायिक दंग हुए। ब्रिटिश सरकार का यह स्वप्न जबरन प्राप्त हुआ। कांग्रेस लीग समझौता समाप्त हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के मर्म में ऐसा दरार पड़ गयी थी जिस भर सकना असम्भव हो गया था। 1919 के एक्ट में इस पारित हान के दस वर्ष बाद एक आयोग की रचना करने तथा उसका सस्तुतिया के आधार पर भावी सुधार करने का प्राविधान था। जब 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय जीवन के अन्दर इतना भीषण साम्प्रदायिक भेदभाव उत्पन्न हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्यों का पूर्ति के लिये निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही साइमन कमिशन की घोषणा कर दी ताकि कमिशन साम्प्रदायिक तनाव की स्थितियों में साविधानिक सुधारों की भावी योजनाओं के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक भेदभाव का सहारा नकर राष्ट्रीय मांगों को ठुकराने का बहाना आमानों से प्राप्त कर सके। यद्यपि साइमन कमिशन का बहिष्कार करने में मुसलमान भी शामिल थे तथापि मुस्लिम सम्प्रदायवादी या साम्प्रदायिकता की भावना साइमन कमिशन को तात्पर्य मिद्ध हुई। 1927-28 की अवधि में लीग ने साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथक सिद्ध प्राप्त की मांग की। उसी प्रकार पश्चिमात्तर सीमा प्रांत को एक पूर्ण प्रांत की श्रेणी प्रदान करने की मांग जोर पकड़ रही थी। इन गतिविधियों के कारण हिंदू महासभा की गतिविधियां भी बढ़ने लगी। जहां हिंदू महासभा राष्ट्रीय आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता जान तथा अल्पसंख्यकों के हितों का आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान करने का वात कहती थी वहां साम्प्रदायिक मुस्लिम नेता पृथक्तावादी प्रवृत्तियां अपनाते गये। इन पृथक्तावादीयों की गतिविधियों को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से बहुत प्रेरणा मिल रही थी। लीग के अन्दर जो राष्ट्रवादी तत्त्व विद्यमान थे उन्होंने भी कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप साइमन कमिशन ने भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया। 1928 की नहरू रिपोर्ट को साम्प्रदायिकतावादी मुसलमानों ने अस्वाकार कर दिया। यद्यपि सर्वदलीय सम्मेलन ने उसे अपना समर्थन दिया था तथापि लीग ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि नहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया था।

मुसलमानों की अलग्गले घग में अग्रिमिद्धि—अनेक पश्चात् मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी तत्त्वों ने हरिजनानों में दिनचस्पी लाना प्रारम्भ किया। यह एक ऐसा वग था जिस हिंदू अज्ञान मानते थे। विधायिका (मुसलमान तथा ईसाइयों) ने यह अपने घम में लाने का आह्वान किया और यह प्रचार किया कि हिंदू घम तथा समाज के अलग्गले व दलित होने रहने जत उनका भविष्य हिंदुओं पर अलग्गले अलग्गले नहीं है। उनके दृष्टिकोण यह था कि हरिजनानों का हिंदुओं में मिलान के परिणाम यह होगा कि विधानसभाओं में हिंदुओं का बहुमत कम हो जायगा। अतः हरिजनानों के लिए भी पृथक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखने की नीति का प्रचार किया जाना लगा। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादीयों की इस चान का परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफलता नहीं मिली प्रत्युन् हिंदू समाज तथा सगठनों में अज्ञानाधार की प्रवृत्ति उत्पन्न लगी। हिंदू महासभा तथा जाय समाज की निचम्पी अज्ञानाधार काय में बनी और गांधी ने इस काय का बाडा उठया। उन्होंने आज्ञा जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काय किया उसी प्रकार अज्ञानाधार के लिये भी अपनी सारी शक्ति लगा दी। 1920 के पश्चात् मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में जा विकास हुए उनका पन्धरूप 1928 में नहरू रिपोर्ट को अस्वाकार करने पर जिन्ना ने अपनी चौदह शर्तें रखा जो अन्त तक लागू की नानि के निर्देशक तत्त्व बनी रहा। यह शर्तें स 1928 में निम्नांकित थी—

सघातमक मविधान के अन्तर्गत अवशिष्ट विषय प्रान्ता के अधीन हो। प्रातीय स्वायत्तता अल्पसंख्यकों का प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाना तथा प्रान्ता के बहुमस्यक वग का बहुमत

सुरक्षित रखा जाना, केन्द्र में मुस्लिम सीटों की सत्या कम में कम एक-तिहाई हो, पृथक् निर्वाचन पद्धति, पंजाब, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में मुसलमानों के बहुमत को विधानसभा में सुरक्षित रखना, साम्प्रदायिक आधार पर धार्मिक स्वतन्त्रता की गारण्टी, किसी भी विधानसभा द्वारा किसी सम्प्रदाय विशेष के सम्बन्ध में ऐम विधायन को पारित करने की शक्ति को उस सम्प्रदाय के मदम्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा मर्यादित रखना, सिन्ध को बम्बई प्रान्त से पृथक् करना, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा विलोचिस्तान को अन्य प्रान्तों के साथ समान स्थिति में रखना, अखिल भारतीय सेवाओं तथा स्वायत्त शासन निकायों में मुसलमानों को उचित अंश प्रदान करना, मुसलमानों को अपने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्यान्य कायकलाओं के हेतु शासन-संस्थाओं द्वारा समुचित अनुदान दिया जाना, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम से कम एक-तिहाई सुनिश्चित करना, तथा सांविधानिक सशोधन का अधिकार केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका को ही न प्राप्त हो, अपितु उसे प्रान्तीय विधानमण्डलों का भी अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में मुस्लिम साम्प्रदायिकता इस प्रकार भड़कने लगी थी कि अब उसके राष्ट्रवादी तत्वों के साथ ऐक्य स्थापित करने के अवसर समाप्त हो गये। थोड़े से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता अबश्य कांग्रेस के साथ रहे और धर्मनिरपेक्ष नीति को मानते रहे, परन्तु अधिकांश मुस्लिम नेता यद्यपि विभिन्न सगठनों में¹ विभक्त थे, तथापि उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिकतावादी बना रहा। इन सगठनों में से सीमा-प्रान्त के मुदाई खिदमतगारों के अतिरिक्त शेष सब कांग्रेस-विरोधी रहे और कांग्रेस को हिन्दू संस्था मानते रहे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम के प्रति उदासीनता तथा प्रतिक्रियावादिता दर्शाना आरम्भ कर दिया। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसका उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य था, जबकि कांग्रेस का युवा वर्ग पण्डित नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग पर आ गया। इसके बाद जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया तो मुस्लिम सगठन इसे हिंसात्मक कहने लगे और उन्होंने इसका बहिष्कार किया। ये सभी साम्प्रदायिक आधार पर सांविधानिक मांगें करने लगे। इन्होंने सर सैयद अहमद खॉ की ब्रिटिश राजभक्ति की नीति का भी बहिष्कार कर दिया और अब वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति के शिकार बनकर भारतीय स्वतन्त्रता की तुरन्त प्राप्ति के मार्ग में सबसे भयानक कटक मिद्ध होने लगे।

गोल मेज सम्मेलन में मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का कार्य-भाग—गोल मेज सम्मेलनों में भारतीय मुसलमान सगठनों का कार्य-भाग पूर्णतया पृथक्वादी बना रहा, जिसमें साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को महत्त्व प्रदान करने की मांगों ने सम्मेलन के आयोजकों को भावी शासन सुधारों में अपने मन की करने में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ने 'कम्पूनल एवार्ड' की घोषणा की जिसने साम्प्रदायिकता के विषय को भारतीय राजनीति के अन्दर और अधिक तीव्र बनाया। जब 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को ब्रिटिश मसद ने पास कर दिया, तो भारत की जनता की सबसे बड़ी प्रतिनिधि मध्या कांग्रेस के तीव्र विरोध के बावजूद साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक प्रसार किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत जब निर्वाचन हुए तो कांग्रेस व लीग दोनों ने पूरे जोर से निर्वाचनों में मधुर्प किया। परन्तु लीग को अपनी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। केवल सिन्ध प्रान्त में उसे सर्वाधिक बहुमत मिला। बंगाल में भी वह फॉरवर्ड ब्लाक के सहचार में मन्त्रिमण्डल बना करने की स्थिति में आ गई। पंजाब में उसे विभिन्न दलों के मयुक्त मोर्चों के

¹ लीग के दो बंग (जिन्ना लीग तथा शफी लीग) बन गये थे। अन्य सगठन थे अहरार, गिलाफन वार्केंस, 'मायन उल-उन्नेमा, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त के मुदाई खिदमतगार, जादि।

मम न विगधिषा क रूप म रहता पता । कर्म म भी नीग का अधिप सफरना नता मिनी । जब 6 प्राता म जता काग्रस पूष वत्मन म था काग्रम न पद ग्रहण नहा किया तो वत्म स कुछ प्राता (यथा मयुन प्रात आदि) म नाग न अपना सरकार बनान का पगका की । परतु उम सफरना नहा मिनी । काग्रम नारा पद ग्रहण स्वाकार कर नन पर नाग न सरकार की गक्ति प्राप्त करन का वासा नता छोडा । मयुक्त प्रात म नीग क आवतन पर काग्रम मुनिम नीग का त्तम तत पर मत्रिमण्टन म कुद्ध स्थान तन को राजा हा गत् कि नीग विधानसभा म पृथक दन क रूप म नता वठगा जीर उप निवाचना म पुत्र स अपन उम्मीदवार खता नहा करगी । काग्रम न त्रिए जा पूष वत्मत म थी नाग क त्तन म त्तना त्याग करना वहन अतिक्र पा परतु नाग का स्वया त्तना हठी था कि माना वह मत्र कुछ प्राप्त कर नता चाहनी थी चात् उसका वाड जीवित्य ना या नहा । एसा स्थिति म नाग की यह मनाकामना सफर नहा हु । यद्यपि 1935 क एकद न अनुसार काग्रम मत्रिमण्टना वात प्राता म सरकारा न अत्यत मगहनीय काय करक महान् नाकप्रियता प्राप्त की तथापि मुस्लिम मम्प्रनायदातिया को काग्रम की त्तम नाकप्रियता स उचा स्थिया हान गता । अत मुनिम नाग न अत त्तन सरकारा का हिन्त अधिनायकवाट कहर उदनाम करन का प्रचार आरम्भ किया । यह स्थिति अधिन त्तन नहा त्त सकी क्याकि सितम्बर 1939 म त्तिया महायुद्ध त्त जान क फतम्बरूप त्रित्तन सरकार की युद्ध नीति स काग्रम त्त न गत् और जकद्वार 1939 म काग्रस मत्रिमण्टना न त्यागपत्र त्त न्य । मुस्लिम नीग अब भी यह प्रयास करन गगी कि उम त्तन प्राता म सरकार बनान म सफरता मित जाय । परतु यह सम्भव नता था । त्तक पश्चात् काग्रम की म याग्रह जातोनन की अवधि म नीग न काग्रम की नीति का विरोध जारी रता

पाकिस्तान का विचार

नीग का राष्ट्रीयता विराधी हल—भारतीय राष्ट्रीय आन्दानन क जनगन वीमवा सनी क आरम्भ म तकर पूर चार टाका तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता न जिस उठर्धमता का रूप अपनाकर आन्दानन क माग म रात् जनवान का मनन प्रयास किया उमक पीठ स्पष्टत त्रित्तन साम्प्रदायिकता का हाथ था । उतान त्तित्त मुस्लिम पृथक्तावाट का यथामम्भव वतावा दिया था । मुस्लिम साम्प्रदायिक मगटना क त्तन वायत्ताया की प्रतिक्रिया क फतम्बरूप त्तित्त महामभा क टारा भा त्तनका विरोध करना कात् अस्वाभाविक बान नहा थी । परतु साम्प्रदायिकतावाट मुमनमान चात्न य कि व ता मत्र कुछ कर तथा वत् मत्रन त्त क्याकि व ज त्तमत्यक है साथ ही उननी गतिविधिया का तत्कालीन सरकार का ममथन भी प्राप्त रहता था । परतु व यत् महन नता कर सकत य कि त्तित्त मतामभा महा कात् जय मगटन बन जा कि मुनिम साम्प्रदायिकता नाद का विगध र । काग्रम आरम्भ म जत नत्र धमनिगप ता की नीति पर चरना रही । यहाँ तत्र कि जनक वडे-वडे गल्दवाती मुस्लिम नता त्तमके मत्स्य बन त्त । कुछ गल्दवाती मुमनमान नता भी जो कभी काग्रम क ममवक थ धीर गीर साम्प्रदायिकतावाट क चक्कर म फमन गग य । यत् तत्र कि नीग क प्रमुग नता जिता भा वत्न त्तम्वा अवधि तक गल्दवाती थी थ ।

मुस्लिम नेताग्रा द्वारा भारत को एक राष्ट्र न मानना—जय मुनिम साम्प्रदायिकतावाट प्रतुनिया क विकास न 1916 क काग्रम-नीग ममभौत का जन्त कर दिया ता यत् निश्चित हा गया था कि जय हिन्दू मुमनमान एक्ता क टारा गल्दाय मन्तप्रता प्राप्ति क प्रयास जमम्भव त्त । वीमवा मी क तोमर त्तार की जन्तिम अवधि तत्र जनक मुस्लिम नता मावजनिक् रूप म यत् त्तोन त्तन तग गय थ कि भारत एक गल्द नता है । अत विभिन्न गल्दायताग्रा को एक स्वतन्त्र राय क जन्तगत बनान् गयता त्तित नहा है । यद्यपि त्तम धारणा क पाट्ट वास्त्विक तथ्या का जभाव था क्याकि भारत म मुस्लिम ममुताय क व्यक्ति ममून् त्त म फन त्त थ गीर धार्मिक

विश्वास के अतिरिक्त जीवन के विविध क्षेत्रों में उनकी समस्याएँ अन्य भारतीयों से घुल-मिल गई थी। यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है कि धर्म ही एकमात्र राष्ट्रीयता का निर्धारक तत्त्व होता है। इस दृष्टि से मुसलमानों की पृथक् राष्ट्रीयता की कल्पना केवल साम्प्रदायिकता की द्योतक थी। इसके आधार पर पृथक् राष्ट्रीय राज्य की धारणा भारत सहश देश में कोरी भ्रान्ति थी। फिर भी मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी नेता मुस्लिम राष्ट्रीयता के आधार पर पृथक् स्वतन्त्र राज्य का स्वप्न देखने लग गये थे। उनका यही स्वप्न पाकिस्तान के रूप में नाकार हुआ।

पाकिस्तान के विचार का आविर्भाव—पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम सर मुहम्मद इकबाल के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ था। 1930 के लीग के अधिवेशन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि 'यदि भारत के मुसलमान मुस्लिम-भारत के निर्माण की माँग करते हैं तो ऐसी माँग पूर्णतया न्यायसंगत है। पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, सिन्ध तथा विलोचिस्तान को मिलाकर एक राज्य के रूप में देखना मेरी कामना है।' दस वर्ष पश्चात् 1940 के लीग के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया, वह 'पाकिस्तान प्रस्ताव' ही कहलाया। इसमें कहा गया था कि देश की किसी भी सांविधानिक योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी भाग का एक प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र राज्य बनाया जाये। इस प्रकार स्पष्ट हो गया था कि लीग का उद्देश्य भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों का एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बनाना था।

पाकिस्तान के विचार का जन्मदाता—परन्तु पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम 1940 में केम्ब्रिज के चार मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा प्रकाशित किया गया। इनका नेता चौ० रहमत अली था। चार पृष्ठ की एक पुस्तिका में चौ० रहमत अली की अध्यक्षता में यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के हित में पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, काश्मीर, सिन्ध और विलोचिस्तान में रहने वाले तीन करोड़ मुसलमानों की इच्छा एक पृथक् सभ में संगठित स्वतन्त्र 'पाकिस्तान' (पवित्र स्थान) के निर्माण की है। वाद में रहमत अली ने पाकिस्तान का जो नक्शा खींचा उसको तीन नाम दिये—(1) पाकिस्तान जो पूर्वोक्त उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रदेशों का वनता, (2) दग-ए-इस्लाम, अर्थात् वगाल तथा असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और (3) उस्मानिस्तान अर्थात् हैदराबाद के निजाम की रियासत। उसका यह स्वप्न भारत में इस्लामिस्तान स्थापित करने का था। यद्यपि मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर पृथक् मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को पर्याप्त उग्र बना दिया था, तथापि अब भी मुस्लिम रवैये में एकता तथा स्पष्टता का अभाव था। युद्धकाल में सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए विविध प्रस्ताव रखे जाने लगे। लीग का असहयोगपूर्ण रुख बना रहा। ऐसा लगता था कि लीग सब कुछ चाहती है या कुछ नहीं चाहती है। स्वयं भारतीय मुस्लिम नेतृत्व समूचे रूप में किसी एक माँग का समर्थक नहीं था। लीग किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थी जिसमें उसे अपनी मांगों के रस्ती भर अंश का उत्सर्ग करना पड़े। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार जो भी प्रस्ताव रखती उसमें लीग के विरोध के कारण, किसी भी पक्ष का राजी होना असम्भव था।

राजगोपालाचारी प्रस्ताव में पाकिस्तान—इन सब परिस्थितियों के आधार पर अप्रैल 1942 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह राय व्यक्त की कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान बिना पाकिस्तान की माँग को पूरा किये सम्भव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम साम्प्रदायिकता की हठमिता बिना पाकिस्तान का पृथक् राज्य स्वीकार किये किसी भी सांविधानिक योजना को सफल नहीं होने देगी। उनकी इन धारणा का कांग्रेस महासभा ने विरोध किया, अतः राजाजी ने कांग्रेस से त्वागपत्र दे दिया और अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में जनमत ज्ञात करने का विचार करने लगे। 1942 के क्रिष्ण प्रस्ताव की असफलता पर गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए

जब भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया तो मुस्लिम लीग ने इस आन्दोलन का भत्सना की। 1944 में राजाजी जय म गांधी जी से मित्र और उनके समर्थ अपना प्रस्ताव तथा दंग विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। गांधी जी ने राजाजी के प्रस्ताव को युक्तिमगत मान लिया। युद्ध की समाप्ति पर जय पुन भारत के सांविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भ किये तो मुस्लिम लीग का रव्या पूनवत् बना रहा। इस अवधि में लीग को अपनी पाकिस्तान की मांग तीव्र करने में अधिक प्रोत्साहन मिलने लग गया था। विशेष रूप से जब लीग ने देगा कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता राजाजी तक इसका समर्थन करने लगे थे।

युद्ध के पश्चात् लीग का कायभाग—1945 के गिमरा सम्मेलन तथा केबिनेट मिशन योजना को पुन लीग ने नाटकीय ढंग में असफल कर देने में पूर्ण ताकत लगायी। 1946 का वष मुस्लिम साम्प्रदायिकता का चरमोत्कर्ष था। ब्रिटिश सरकार ने अंतिम रूप में भारतवामिया को देग की राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करने का सकल्प करके केबिनेट मिशन भारत भेजा था। इस मिशन की राय में पाकिस्तान का निर्माण अव्यवहाय था। परंतु लीग ने प्रत्येक धायग्राही तथा साम्प्रदायिक दंगे छेड़ने का भाग अपनाकर देश का वातावरण गंदा कर दिया। केबिनेट मिशन योजना ने सविधान निर्मातृ मभा तथा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का सकल्प कर दिया था। जब अंतरिम सरकार की स्थापना पण्डित नेहरू के नेतृत्व में की गई तो लीग प्रारम्भ में इसमें शामिल नहीं हुई। बाद में जब वत् शामिल हुई तो उसने अंतरिम सरकार की सफल कार्यविधि के भाग में बाधक बनने का काय भाग सम्पन्न करना प्रारम्भ किया। दिसम्बर 1946 में जय सविधान मभा का उद्घाटन हुआ तो लीग ने इसका बहिष्कार किया और कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई।

स्वतंत्रता की ओर—भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त नाजुक हो रही थी। साम्प्रदायिक तनाव का जमा वातावरण यहां तक चुका था जमने निवटना ब्रिटिश सरकार के लिए बठिन था। ऐसी स्थिति में फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से सत्ता छोड़ने की तिथि 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी। गड माउण्टबेटन को गधनर-जनरल बनाकर भारत भेजा गया और उ हे यह काय सौधा गया कि व ब्रिटिश सरकार के इरादे को अंतिम रूप दें।

माउण्टबेटन योजना में पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति—गड माउण्टबेटन ने भारत में आते ही अपनी याजना बनाई और उसमें अंतिम रूप में भारत विभाजन को स्वीकार कर दिया गया। अब कांग्रेस के सम में भारत विभाजना स्वीकार करके देग की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनिश्चित अय कोर्ष ब्रिष्प नहा रह गया था। ब्रिटिश ससद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने में कोर्ष देरी नहीं लगायी। परंतु मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का यही पर अंत नहीं हुआ। लीग द्वारा 1946 में प्रारम्भ की गई प्रत्येक कायवाहा ने साम्प्रदायिक देग को भडकाया था। जय माउण्टबेटन याजना तथा स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पजाय तथा वगान में सीमा आयोग ने काय प्रारम्भ किया और जनसंख्या का भारत-पाकिस्तान में आवागमन गुरू होने लगा तो पाकिस्तान वाल क्षेत्रों में गर मुस्लिम जनता को निकालने में जा अयाय-अत्याचार किये गय उंहोने मानो मानवता को दानवता में परिणत कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे क्षय में होना भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद ने एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म दिया।

क्या विभाजन अनिवार्य था ?

स्पष्ट है विभाजन के लिए अग्रजा की फूल डाना और शासन करा की नीति उत्तरदायी थी। यह भी स्पष्ट है कि विभाजन के लिए मुस्लिम लीग तथा उसके काय आजम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परंतु प्रश्न है कि क्या विभाजन के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को भी उत्तरदायी बताया जा सकता है ? पिछले दिनों में हम विषय पर अनेक विचारों ने नूतन प्रकाश

डाला है। मौलाना आजाद ने इसके लिए मुख्य रूप से नेहरू जी को उत्तरदायी घोषित किया है। प्रत्येक लेखक इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ है। यदि इस प्रकार किसी को उत्तरदायी ठहराना है तो कांग्रेस के एक या दो नेताओं को उत्तरदायी ठहराने के स्थान पर समूची कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराना अधिक उचित होगा। वस्तुतः साम्प्रदायिक समस्या के समाधान की दिशा में कांग्रेस ने जो कदम उठाये, वे प्रभावहीन और गलत थे। उदाहरण के लिए, 1916 में जब लखनऊ सम्झौते के द्वारा कांग्रेस ने पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार किया, तो उसने एक भयकर भूल की थी। वस्तुतः लखनऊ सम्झौते में ही विभाजन के बीज अवलोकित किये जा सकते थे। कांग्रेस ने मुस्लिम सम्प्रदायवाद को सन्तुष्ट करने के लिए खिलाफत के साम्प्रदायिक प्रश्न को राष्ट्रीय आन्दोलन में स्थान देकर एक दूसरी भूल की। इस विषय में श्रीप्रकाश जी का निम्न कथन बहुत सारयुक्त है

‘हमारे नेताओं ने विभाजन क्यों स्वीकार किया ? यह तो स्पष्ट ही है कि महात्मा गांधी इसके घोर विरोधी थे। उनका स्पष्ट कहना था कि हम देश को एक बनाये रखना चाहते हैं। हमें शासनाधिकार से कोई प्रयोजन नहीं। परन्तु गांधी जी को अपने निकटतम सहयोगियों को अपना विरोध करते देख अपनी हार माननी पड़ी—कांग्रेस के नेता एक बार शासन के अधिकार प्राप्त करके उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वे उसकी कुछ भी कीमत देने को तैयार थे। मेरा विचार है कि अधिकार के मोह और देश की दुर्व्यवस्था के भय ने हमारे नेताओं के मन में ऐसा प्रभाव किया कि उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। कौन भाव अधिक तीव्र था यह मैं नहीं कह सकता। यदि कांग्रेस के नेता शासनाधिकार छोड़कर विभाजन को अस्वीकार कर देते तो हो सकता है अग्रेज कुछ दिन और बने रहते। अधिक से अधिक वे मुस्लिम लीग को पूरे देश का राज्य सुपुर्द कर जाते। मुस्लिम लीग अकेले राज नहीं कर सकती थी। तब कोई ऐसा सम्झौता हो सकता था जिसमें देश का विभाजन भी न होता और शासन भी सुव्यवस्थित हो जाता। पर अब यह सब कल्पनामात्र है।’

वहुत से लेखकों का विश्वास है कि पाकिस्तान की रचना के लिए केवल मि० जिन्ना को उत्तरदायी समझा जाना चाहिए। यह सही है कि देश के विभाजन में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था, परन्तु इसके लिए उन्हें एकमात्र उत्तरदायी ठहराना अनुचित होगा। यथार्थ में यदि देश की मुस्लिम जनता में साम्प्रदायिकता की भावना न होती और उसमें इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए उत्साह न पाया जाता तो मि० जिन्ना को अपने इस उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिल सकती थी।

प्रश्न

- 1 उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अन्तर्गत भारत का विभाजन हुआ। क्या विभाजन अनिवार्य था ?

सविधान सभा • सरचना तथा उपागम

(CONSTITUENT ASSEMBLY STRUCTURE AND APPROACH)

सविधान सभा की रचना

भारत की आधुनिक शासन संस्थाओं का विकास का क्रम ब्रिटिश शासन-काल में शुरू हुआ। 1858 से 1935 तक ब्रिटिश शासकों का देश में हमारे देश में ससदीय नमूने की संस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की आँधी भी माथ-साथ चलती रही और ज्यों-या देश स्वराज्य की डयाली का नजदीक पहुँचता गया स्वभावतः देश में अपनी सविधान सभा की मांग जोर पकड़ती गई। 1936 में कांग्रेस ने घोषणा की भारतीय केवल एस साविधानिक ढाँचे को माँगता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं करें। पुन 1939 में कांग्रेस ने कहा सविधान सभा ही एकमात्र राजतान्त्रिक उपाय है जिसका द्वारा एक देश के सविधान का निश्चय हो सकता है। अन्ततोगत्वा क्विन्ट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में सविधान सभा के लिए चुनाव कराये गये।

385 की कुल सदस्यता में से ब्रिटिश भारत के 292 सदस्यों के लिए तो चुनाव हुये पर भारतीय रियासतों के लिए 93 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए। सविधान सभा की 212 सीटें कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीता मुस्लिम लीग को 73 सीटें पर सफलता मिली शेष सीटें अन्य दलों के पास रही। सविधान सभा में कांग्रेस की सबल स्थिति देखकर मुस्लिम लीग के नेताओं में निराशा की लहर दौड़ गई। फलतः उन्होंने सविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया तथा साथ ही में उन्होंने यह भी मांग की कि पाकिस्तान का सविधान बनाने के लिए एक पृथक सविधान सभा की रचना की जाय।

सविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रबल बहुमत प्राप्त हुआ था तथापि इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि उस एक गतिशीली अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। स्पष्टतः मुस्लिम लीग के सम्बन्धों की अनुपस्थिति में सविधान रचना का काम सुचारु रूप में नहीं चल सकता था। मुस्लिम लीग इस तथ्य से भली भाँति अवगत थी। ब्रिटिश सरकार के रवये से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। कांग्रेस ने लीग को विधान सभा में लाने का प्रयास भी किया था परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान सभा की बैठकें मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के बावजूद भी 9 दिसम्बर 1946 में आरम्भ हो गई थी और स्वतंत्रता के पूर्व उसने अपना अध्यक्ष व विभिन्न समितियाँ चुन ली थी तथा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। यह अवश्य है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व तक सविधान सभा का काम अत्यधिक मंद गति से चला था। परन्तु स्वतंत्रता के साथ सविधान सभा के मांग से समस्त कठिनायियों का निराकरण हो गया और वह एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य कर सकती थी।

सविधान सभा के कार्य में 15 अगस्त के पूर्व 211 सदस्यों ने भाग लिया इनमें 155 हिन्दू थे 30 अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे 5 सिख थे 6 भारतीय ईसाई थे 5 प्रतिनिधि सिखों की जातियों के थे 3 एंग्लो इण्डियन थे 3 पारसी थे तथा चार मुसलमान। यह मंजूर है कि कुल मुस्लिम सीटें 80 थी और उनमें में केवल 4 सविधान सभा में उपस्थित हुए थे परन्तु यह

आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें भाग लेने वाले केवल हिन्दू थे ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् सविधान सभा का नवगठन किया गया, ऐसा करना इसलिये आवश्यक था क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था और उसके साथ में पंजाब, बंगाल और आसाम के प्रान्तों के भी हिस्से किये जा चुके थे । नवगठित सविधान सभा में 298 सदस्य थे । बाद में जब जम्मू-कश्मीर का राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ तो उसके भी 4 सदस्यों को सविधान सभा में शामिल कर लिया गया । हेदराबाद ने भारतीय संघ की सदस्यता बहुत बाद में स्वीकार की थी, अतः सविधान सभा में उसका कोई भी सदस्य नहीं था । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में सविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विधान-मण्डलों के द्वारा निर्वाचन हुआ था, वहाँ देशी राज्यों के 40 प्रतिशत प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेशों ने मनोनीत किया था ।

यहाँ सविधान सभा के सदस्यों का राजनीतिक एवं व्यावसायिक आधार पर विश्लेषण करना भी अप्रासंगिक न होगा । जैसा कहा जा चुका है कि सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुये थे । परन्तु कांग्रेस को यथार्थ में कोई राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता था । फलतः उसमें सैद्धान्तिक एकता का अभाव था । कांग्रेस में जहाँ घोर रूढ़िवादी थे, वहाँ दूसरी तरफ उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उतावले थे । इस प्रकार उसमें एक छोर पर सरदार पटेल और के० एम० मुन्शी थे जिनके अनुसार यथास्थिति में किसी भी प्रकार के मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ दूसरे छोर पर उसमें प्रोफेसर के० टी० शाह और दामोदर स्वरूप सेठ भी थे जिन्हें समाजवादी व्यवस्था में अपनी आस्था को छिपाने में अरुचि थी । यह सही है कि दोनों छोरों के बीच में ऐसे बहुत से सदस्य थे जिन्होंने सैद्धान्तिक विवाद में कभी कोई निश्चित स्थिति ग्रहण नहीं की । वस्तुतः कांग्रेस में ऐसे ही सदस्यों का बहुमत था । कांग्रेस टिकट पर जो लोग चुने गये थे उनमें देश के लघु-प्रतिष्ठित विधिशास्त्री तथा बुद्धि-जीवी भी थे । प्रतिष्ठित वकीलों एवं विधिशास्त्रियों में उल्लेखनीय नाम सर अल्लादी कृष्णस्वामी ऐयर का है, जिन्हें विश्व के सभी सविधानों का पूर्ण ज्ञान था और जो सदस्यों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ और जिन्होंने एक अध्यापकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सिखाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा । सदस्यों में वक्शी टेकचन्द और पी० के० सेन जैसे अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भी थे और सर एन० गोपालस्वामी आयगर तथा एच० बी० कामथ जैसे अवकाश-प्राप्त सिविल सर्विस के सदस्य भी । सविधान सभा अध्यापन के व्यवसाय के प्रतिनिधित्व से भी अछूती नहीं बची थी, उसे डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, डा० एच० सी० मुखर्जी तथा प्रोफेसर के० टी० शाह जैसे व्याति-प्राप्त अध्यापकों का अपने कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभा में देश के बुद्धिजीवी वर्ग की विविधता को भली प्रकार प्रतिध्वनित थी ।

सविधान सभा की रचना के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात यह है कि उसका गठन प्रान्तीय विधानमण्डलों के उन सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने किया था जो 1935 के सविधान के अनुसार पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत चुने गये थे । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि सभा में साम्प्रदायिक तत्त्वों का भी प्रतिनिधित्व होता । यह सही है कि पाकिस्तान की रचना के उपरान्त, इन तत्त्वों का प्रभाव सविधान सभा में कम हुआ था, तथापि यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभा उनके प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई थी । वस्तुतः उसमें सभी प्रकार के सम्प्रदायवादी उपस्थित थे, यद्यपि उनकी सत्या बहुत अधिक नहीं थी । इस प्रकार उनके सदस्यों में मौहम्मद इम्माइल जैसे मुस्लिम सम्प्रदायवादी भी थे । सविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का सम्बन्ध व्यावसायिक मध्यम वर्ग के साथ था और उसमें सबसे अधिक मध्यम वकीलों की थी । इनके अतिरिक्त सदस्यों की सूची में बड़े जमींदारों तथा उद्योगपतियों के नाम भी देने जा सकते थे ।

उपर्युक्त विवेचना ने स्पष्ट है कि सभा में किसानों और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों को

छाड़कर अथ सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। कुछ समय के लिए उसमें अविभाजित बंगाल से सामनाथ त्राहिडी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक प्रतिनिधि प्रदान था परंतु विभाजन के उपरांत जब पश्चिमी बंगाल में दोसरा चुनाव हुए तो त्राहिडी अपने को दासरा चुनाव में असफल रहे। सविधान सभा में कांग्रेस का दानवाना था और इस दान की अभियक्ति सभा के विवादा में जनक वार अवलोकित की जा सकती थी। कांग्रेस का दावा था कि वह समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

सविधान के निमाण का प्रभावित करने वाल दृष्टिकोण

सविधान की रचना देश के विभाजन तथा साम्प्रदायिक दंग की पृष्ठभूमि में हुई थी। सविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को बुलाई गयी। साम्प्रदायिक आधार पर देश का विभाजन सन्निकट था। कांग्रेस के नया विभाजन को रोकने में लगे थे। अतः वे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे मुस्लिम लोग के साथ समझौते की सम्भावनाएँ विनष्ट हो जायें। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व सविधान सभा में जा मसौदे प्रस्तुत किए गए उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया था। किंतु जब पाकिस्तान की रचना हो गई तो भारत के लिए एक नया गठ और एक नया खतरा उत्पन्न हो गया। सविधानका एक दृष्टिकोण का इस वस्तु स्थिति में एक बड़ा सीमा तक प्रभावित किया था। आदानवाद न यथाशक्ति का जन्म दे दिया इसलिए सरकार की निरकुशता में व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर उनकी चिन्ता अथ यह होने लगा कि खतरनाक यत्तियाँ तथा समाज विराधी तत्त्वों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आदान पीछे धकेल दिया गया तथा पीछे के दरवाजे से एकता को स्थापित करने के प्रयत्नों का स्थान केन्द्र को गतिशाली बनाने के प्रयत्नों में दिया। यत्तियों के अधिकार से राज्य के अधिनार अधिक महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। वास्तव में सविधान सभा के विवादा में उभयक्ष दृष्टिकोण सभी स्थानों पर देखा जा सकता है।

सविधानकारों के दृष्टिकोण का प्रभावित करने वाला दूसरा कारण वह अनुभव था जिससे उत्तरे ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान प्राप्त किया था। जोष निवेशित सत्ता में भारतीयों के ऊपर अनेक आयोग्यताएँ लायी थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि नये सविधान की रचना करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता कि भविष्य में उन अयोग्यताओं का निराकरण हो सके।

भारत के सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ में भी सविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण का प्रभावित किया था। इन कुरीतियों के परिणामस्वरूप देश की जनता का एक प्रधान अंग अछूत माना जाता था। स्वाधीन भारत के लिए यह स्थिति अवाञ्छनीय थी। इसलिए यह अनिवार्य था कि सविधान में देश के सामाजिक जीवन के इस कलक का घा डाने का प्रयत्न किया जाता।

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन घम निरपेक्ष आदानन था। कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमान सभा थे। इसलिए कांग्रेस के नरुत्व में निर्मित हानि वाले सविधान में घमनिरपेक्षता की अपेक्षा का जा सकती थी। सविधान के इस पहलू का सम्बन्ध सविधान निर्माताओं के बल घमनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ ही नहीं था उसका सम्बन्ध वस्तु स्थिति के साथ भी था। देश में अनेक धार्मिक भाषायी तथा जातीय असमन्वय पाये जाते थे और उनके मासृतिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता थी। वस्तुतः वैदिक मंगल योजना का स्वीकार करके राष्ट्रीय आन्दोलन के नया गठन ब्रिटिश सरकार का ऐसा करने का आश्वासन भी दिया था।

जसा कहा जा चुका है कि सविधान सभा के अधिकांश समस्या का सम्बन्ध धार्मिक-राज्य मध्यम वर्ग के साथ था। इन लोगों का मासिक विकास ब्रिटन का उत्तरवा। परम्पराओं में अनुप्राणित था। फलतः भारतीय सविधान का मुख्य दार्शनिक धारा उत्तरवादी ही थी।

सविधान के प्राविधानो मे सन्निहित दृष्टिकोण

उपर्युक्त पृष्ठभूमि मे सविधान के मुख्य प्राविधानो मे सन्निहित दृष्टिकोणो की विवेचना की जा सकती है ।

1 प्रस्तावना

सविधान सभा ने सविधान मे अग्रलिखित प्रस्तावना निहित की—

‘हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता मे वृद्धि करने के लिए दृढ़ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा मे आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईसवी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सम्बत् दो हजार छ विक्रमी) को एतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।’

प्रस्तावना मे अभिव्यक्त विचारो को सविधान सभा ने अपने पहले अधिवेशन मे ही नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करके स्वीकार कर लिया था । प्रस्तावना के आरम्भिक शब्दो मे यह भाव निहित है कि अन्तिम सत्ता जनता मे निवास करती है और जनता की इच्छा से ही सविधान का उद्भव हुआ है । इस सम्बन्ध मे सविधान सभा मे यह मत व्यक्त किया गया कि सभा की रचना सीमित मताधिकार पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलो के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुई है, अतः उसे भारतीय जनता की इच्छा का प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता । इस तर्क के आधार पर यह विचार भी व्यक्त किया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नवीन सविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए । परन्तु जैसा स्वाभाविक था इस विचार को सविधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका ।

प्रस्तावना मे एक सशोधन के द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि उसमे भारत को ‘प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य’ बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु इस सशोधन को सविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया । इसके विरोध मे डा० अम्बेदकर का यह तर्क था कि हमे आने वाली पीढियो को किसी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बाँध देना चाहिए । हमे यह काम बाद मे चुनकर आने वाली ससदो के लिए छोड़ देना चाहिए ।

प्रस्तावना मे ‘ईश्वर’ शब्द की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी । एच० बी० कामथ ने यह सशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना के आरम्भ मे ‘ईश्वर के नाम पर’ शब्द जोड़े जाये । परन्तु सभा ने इस सुझाव से असहमति प्रकट की, उसने हृदय नाथ कुंजरु के इस मत को स्वीकार किया कि यह सशोधन प्रस्तावना की मूल भावना के प्रतिकूल है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है ।

2 मूल अधिकार

परतन्त्रता की स्थिति मे मध्यम वर्ग ने निरकुश शासको के हाथो जो अन्याय सहे थे उनमे मुख्य थे निरकुश कर-प्रणाली, निरकुश गिरफ्तारी, भाषण और विचार-अभिव्यक्ति के ऊपर निरकुश नियन्त्रण तथा धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन । यही नहीं, उस काल मे समाज का सगठन पद-सोपान पर आधारित था, जिसमे सवने ऊँचा स्थान सामन्तो को प्राप्त था, फलत इस सामाजिक सगठन मे उदीयमान मध्यम वर्ग समानता के अधिकार से वंचित था । सक्षेप मे ये अन्याय थे जिनका उपचार होना था । इनमे मे प्रत्येक उपचार को मूल अधिकार की सज्ञा प्रदान की गई । राजाओ द्वारा थोपे गये निरकुश करो का उपचार करने के लिए सम्पत्ति

क अधिकार का प्रतिपादन किया गया निरकुण गिरफ्तारी की सम्भावनाओं का निराकरण करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की माँग की गई तथा सामंती व्यवस्था में सन्निहित असमानता से उत्पन्न जाया का उपचार समानता के अधिकार में खाजा गया।

भारत में भी पश्चिम की भाँति अधिकारों को अजायब के उपचार के रूप में स्वीकार किया गया। इन अजायबों का मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला प्रकार के अजायब वे थे जिन्हें भारतवासियों के ऊपर ब्रिटिश शासन ने थोपा था और जिनका थोडा या बहुत अनुभव विधान सभा के अधिकार सभ्यता को था। दूसरे प्रकार के अजायब वे थे जिनकी जड़ें स्वयं भारत के सामाजिक जीवन में सन्निहित थीं। स्पष्टतः स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह परमावश्यक था कि इन अजायबों का निराकरण होता।

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान निर्माताओं को जिस समस्या का सबसे पहला सामना करना पड़ा वह समस्या यह थी कि किन अधिकारों को मूल अधिकार माना जाय। प्राधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि में काम और शिक्षा के अधिकार जीवन स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। यथाथ में आज इन अधिकारों का महत्त्व उदारवादी दृष्टान्त में प्रतिपादित अधिकारों की अपेक्षा कहाँ अधिक है क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में अर्द्ध जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परन्तु संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को वाद-योग्य (justiciable) मूल अधिकारों की सूची में नहीं रखा। उन्होंने उन्हें अवादा-योग्य (non justiciable) नीति निर्देशक तत्त्वों में स्थान दिया। इस प्रकार के अधिकार जिन्हें मायता प्रदान करके श्रमिक वर्ग तथा समाज के अल्प दुर्बल वर्गों के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाये जा सकते थे उन्हें अवादा-योग्य बना दिया गया। किन्तु मध्यम वर्ग के हितों पर आधारित अधिकारों को मूल अधिकारों की सम्मानित श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया गया जिनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालयों द्वारा दण्ड की व्यवस्था थी।

उत्तमनीय है कि इस दृष्टिकोण को संविधान सभा में चुनौती दी गयी। यथाय में इस दृष्टिकोण की आलोचना सदन में पाय जान जाने सभी राजनीतिक मता को मानने वालों ने की थी जिनके एक छोर पर उदारवादी सदस्य हृदय नाथ कुजूरू थे और दूसरे छोर पर सदन के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ नाहिडी थे। कुजूरू का कहना था कि वादा-योग्य तथा अवादा-योग्य अधिकारों के बीच में विभाजन रेखा खींचना मुश्किल है। प्रभाकर जेठ ठाकुर का कहना था कि मूल अधिकारों की सूची में आर्थिक अधिकारों को स्थान जबरन दिया जाना चाहिए। नाहिडी ने कुजूरू के दृष्टिकोण से सहमत व्यक्त की। जपन तक की यात्रा करते हुए उन्होंने कहा उदाहरण के लिये जब हम यह व्यवस्था करते हैं कि लोग के पास काम का अधिकार होना चाहिए यानी देश से बेरोजगारी का उन्मूलन होना चाहिए तो वह एक सामाजिक अधिकार है। यदि आप उस मूल अधिकार को अतृप्त गामिन कर देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप में वादा-योग्य बन जाता है। इसी प्रकार भूमि का प्रश्न निया जा सकता है। यदि हम यह कहना चाहते हैं कि भूमि पर जनता का स्वामित्व है और किसी का नहीं तो वह निश्चिन्त एक सामाजिक और मूल अधिकार होगा परन्तु यदि उस अधिकार की कार्यावधि अपेक्षित है तो यह एक वादा-योग्य अधिकार भी होगा। जो वादा-योग्य तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बीच विभेद निरकुणतापूर्ण है। आर के सिधवा ने यह मत व्यक्त किया कि मूल अधिकारों की सूची उद्देश्य प्रस्ताव के साथ तथा उस पर क्रिय गय नहरू जी के भाषण के साथ मेल नहीं खाती। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक साथ उपलब्ध होगा। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय नहरू जी ने कहा था कि वे समाजवाद में विश्वास करते हैं और उन्हें विश्वास है कि भारत समाजवादी राज्य के संविधान को निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सिधवा ने इस बात के लिए कुछ व्यक्त किया कि इन आदर्शों को मूल अधिकारों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वादा-योग्य

अधिकार केवल सविधान के पृष्ठों को सजाने तथा केवल थोड़ा सा सन्तोष प्रदान करने के लिए है, परन्तु मैं चाहता हूँ कि उन्हें सविधान का अभिन्न अंग बनाया जाय ताकि प्रत्येक नागरिक गर्व पूर्वक यह कह सके कि 'अब समानता एव सम्पत्ति के उपभोग करने का मेरा समय आ गया है ताकि मैं हमेशा के लिए दरिद्र न रह सकूँ।' मूल अधिकारों के मसौदे में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विशम्भर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि 'मताधिकार को छोड़कर सविधान के अन्तर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ है।'

सामान्य विवेचन के समय मूल अधिकारों के मसौदे में कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया गया। इस सम्बन्ध में जो पहली बात कही गयी वह यह थी कि अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो प्राविधान किये गये हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें जातिव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। समस्या के इस पहलू को प्रस्तुत करते हुए प्रमोथ रजन ठाकुर ने कहा कि 'मेरी समझ में नहीं आता कि आप जाति-व्यवस्था का उन्मूलन किये बिना अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? छुआछूत जाति-व्यवस्था की बीमारी का केवल लक्षण है।' इस दृष्टिकोण का समर्थन डा० एस० सी० बनर्जी तथा धीरेन्द्रनाथ दत्त ने भी किया था।

आलोचकों ने अधिकारों के मसौदे में उल्लिखित सीमाओं के औचित्य को भी चुनौती दी। हृदय नाथ कुजूरु ने कहा कि इन सीमाओं के कारण 'अधिकार व्यवहार में बाध-योग्य भी नहीं रहेंगे।' मसौदे के इन प्राविधानों की शिकायत करते हुए सोमनाथ लाहिडी ने कहा—'प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ प्रतिबन्ध जुड़े हुए हैं, जिससे अधिकार का पूर्ण रूप से हनन हो जाता है, क्योंकि सभी जगह यह कहा गया है कि गम्भीर सकट के समय इन अधिकारों को ले लिया जायेगा।' मूल अधिकारों के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी की व्यवस्थाएँ भी आलोचकों की दृष्टि से अच्छी नहीं वची। वास्तव में यह आश्चर्य की बात थी कि जिन लोगों ने औपनिवेशिक शासन में निवारक नजरबन्दी के कटु अनुभव प्राप्त किये थे, उन्हीं लोगों ने सविधान में उन प्राविधानों को स्थान दिया जिनसे वैयक्तिक स्वाधीनता का संरक्षण नहीं हो सकता था। यह बात निस्सन्देह सही है कि सविधान की रचना के समय देश ऐसी असाधारण परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजर रहा था जिनसे राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। इन परिस्थितियों का प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्य के पास असाधारण शक्ति हो। परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तो साधारण कानून के द्वारा भी हो सकती थी, इसलिए इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों का यह मत था कि सविधान में इस प्रकार के प्राविधान नितान्त अनावश्यक हैं। इन सदस्यों में सबसे अधिक मुखर सोमनाथ लाहिडी थे, जिन्होंने यह घोषणा की कि 'इन मूल अधिकारों की रचना पुलिस कास्टविल के दृष्टिकोण से की गई है, स्वतन्त्र एव सघर्षरत राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं।'

सविधान सभा में जिस धारा ने बहुत लम्बे विवाद को जन्म दिया, उसका सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ है। सदन के विधिवेत्ता सदस्यों ने इस सन्दर्भ में राज्य के मुख्य अभिकरणों—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका—की भूमिका की विवेचना की। यथार्थ में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए खतरा कार्यपालिका की ओर से उत्पन्न होता है, ऐसा उस समय विशेष रूप से होता है जबकि उसके पास सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए केवल सन्देश के आधार पर किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने का अधिकार हो। सकटकाल में इस प्रकार की शक्ति का औचित्य समझा जा सकता है, परन्तु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि कार्यपालिका इस शक्ति का प्रयोग साधारण स्थिति में भी करे तो यह उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाना चाहिये—विधानमण्डल को या न्यायपालिका को। इस प्रकार, अन्तिम विचारपत्र में, विवाद ने व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका का रूप धारण कर लिया।

यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि सविधान के तीसरे अध्याय की रचना एक

निश्चित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुई थी। स्वतंत्रता के पूर्व सभा ने 15वां धारा में जिस वाक्य में 21वीं धारा के रूप में स्थान दिया गया 'अमरीकी संविधान की कानून की प्रक्रिया' शाब्दिकता का प्रयोग किया गया था। उस समय यह विश्वास किया जाना था कि इस सम्बन्ध में भारतीय कानून अमरीकी ढाँचे के अनुरूप होगा। परन्तु पाकिस्तान की रचना के उपरान्त जब दंग में विगत पमाने पर साम्प्रदायिक दंग आरम्भ हो गये तो समस्या के उत्तर पुनर्विचार आवश्यक हो गया। उस समय यह महसूस किया गया कि अधिकारों का उनकी प्रारम्भिक पवित्रता के वातावरण में अस्तित्व सम्भव नहीं था। सत्ता के अर्थों में स्वतंत्रता के अधिकारों का उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में उस अमरीकी संविधान में मायता प्रदान की गई थी। इस पृष्ठभूमि में जो समस्या प्रस्तुत हुई वह यह थी कि सामाजिक नियंत्रण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच किसको अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाये। वस्तुतः 'मानव' का साथवता एवं दाना के बीच सामंजस्य स्थापित करने में है। परन्तु विभाजन से उत्पन्न एक द घटनाओं के वातावरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदेश को वास्तविक महत्त्व प्रदान नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभा के अधिकारों में व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण का स्थापित करने के लिए अधिक चिन्तित था। इस प्रकार कानून की प्रक्रिया (Due Process of Law) शाब्दिकता के स्थान पर जापानी संविधान की 21वीं धारा में प्रयुक्त कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का छोड़कर (except in accordance with the procedure established by law) शाब्दिकता का प्रयोग किया गया। इस प्रकार 'यायालयों का एक जयजयपूर्ण कानून के मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस प्राविधान के समथन में तक प्रस्तुत करते हुए 13वीं धारा (19वीं धारा) पर हुए विचार के समय में हनुमंतया ने कहा था— 'यमानया की प्रकृति गंभीर नहीं है कि वे विधायी कार्यों का निष्पादन कर सकें वे कबल उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अतः आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ कायम हो पायें उसी के अनुसार कानून भी जपने जायें वरन् जायें तब सम्भव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नून अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति व्यवस्थापिका को सौंपी जाय। परन्तु इस दृष्टिकोण का विरोध लगभग आठ वक्ताओं ने किया जिनमें डाकिंग कमटी के सदस्य के एस. मुन्गा भी शामिल थे। मुन्गी ने कहा कि सम्भवतः राजकन चल रही सन्देहातीन जवस्था के कारण हम यह नून लय हैं कि यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दून नहीं देते तथा उस 'यायालयों की सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो हम उस परम्परा का जन्म देंगे जो दंग में रही वकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। इस दृष्टिकोण का समथन जेड एच. गारी ने भी किया। उनका वक्ता था— हम यह अनुभव करें कि हम अपने यहाँ मसलीय सरकार की व्यवस्था करा जा रहे हैं याना एमी सरकार की जन्म विधानमण्डल को कायपालिका नियंत्रित करती है। हमारे यहाँ अध्यापकों की भाँव व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि आठ या दस व्यक्तियों की एक समिति विभाजित को तय करेगी उस अध्यापकों के रूप में लागू करेगी और व्यवस्थापिका उस अपनी स्वोच्छति प्रदान कर देगी अथवा उसका जय होगा कायपालिका में अविश्वाम का प्रस्ताव। इसलिए अन्तिम विचारण में व्यवस्थापिका का अर्थ है कवित्त या कायपालिका। इसलिए प्रश्न है कि क्या आप कायपालिका का इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने का तयार हैं जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों का हनन कर सकती हैं या आप कायपालिका पर कुछ नियंत्रण लगाना चाहते हैं।

परन्तु इन तर्कों को संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। यदि इस प्राविधान पर हुई वक्ता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो हम यह अनुभव करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने इस निष्पत्ति को दो कारणों में स्वीकार किया था। प्रथम व कानून की प्रक्रिया शाब्दिकता के साथ जुड़ी हुई अपरिष्ठा का भारतीय संविधान में स्थान नहीं देना चाहते थे। दूसरे व नहीं चाहते थे कि 'यायालयों का विधानमण्डल का तीसरा सत्तन बन जाय।

सविधान सभा में 22वीं धारा ने भी अत्यधिक गरम बहस को जन्म दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान के मसौदे में इस प्रकार की कोई धारा नहीं थी। वस्तुतः उसे सभा के अन्तिम दिनों में प्रस्तुत किया गया था। डा० अम्बेदकर ने उसका औचित्य प्रमाणित करते हुए यह कहा था कि इस व्यवस्था के माध्यम से 'कानून की पद्धति' शब्दावली के समस्त लाभ जन-साधारण को उपलब्ध हो सकेंगे।

इस प्राविधान में निम्न व्यवस्थाएँ की गई थी—

(1) गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताया जायेगा।

(2) उन्हें न्यायालय में अपने वचाव के लिए अपनी इच्छा का वकील रखने का अधिकार होगा।

(3) गिरफ्तार किये गये अथवा नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा और यदि उसकी हिरासत की अवधि को बढ़ाया जायेगा तो ऐसा मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जायेगा।

परन्तु इन अधिकारों के दो अपवाद थे। प्रथम, ये अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जिनका सम्बन्ध किसी शत्रु राष्ट्र के साथ है। दूसरे, ये अधिकार उन व्यक्तियों को भी नहीं दिये जायेंगे जिन्हें निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

जहाँ तक पहले अपवाद का प्रश्न था, उसका सविधान सभा में कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वह एक उचित सिद्धान्त पर आधारित था। परन्तु दूसरे अपवाद के विरोध में पर्याप्त मात्रा में गरमा-गरमी हुई। उदाहरण के लिए महावीर त्यागी ने इस अवसर पर भाषण करते हुए यह कहा था कि यह धारा 'मूल अधिकारों का निषेध' है और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी 'काश कि डा० अम्बेदकर तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को जेल में नजरबन्दी का अनुभव होता।' अन्वकाश-प्राप्त न्यायाधीश बरशी टेकचन्द ने अपने शक्तिशाली भाषण में इस प्राविधान की कटु आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या ससार में कोई ऐसा लिखित सविधान है जिसमें साधारण स्थिति में बिना मुकदमा चलाये लोगों की नजरबन्दी की व्यवस्था की गई हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान में इस व्यवस्था को इस समझ के आधार पर उचित ठहराया गया था कि देश में सकटकालीन अवस्था हमेशा कायम रहेगी तथा सविधान विवेकपूर्ण एवं कानून मानने वाले लोगों के लिए नहीं है, अपितु उन असामान्य विगड़े हुए लोगों के लिए है जो समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

यद्यपि सविधान सभा में समानता के अधिकार से सम्बद्ध प्राविधानों का कोई विरोध नहीं हुआ, तथापि लोक सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों को दी जाने वाली रियायतों ने कुछ विवाद की अवश्य जन्म दिया। इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियुक्तियों में स्थान सुरक्षित रखने का अर्थ है पिछड़ेपन तथा अयोग्यता को प्रोत्साहन देना। इसके समर्थन में केवल एक ही बात कही जा सकती है और वह यह है कि यह व्यवस्था उदार है, 'परन्तु इस उदारता के फलस्वरूप उन लोगों का पतन होगा जिनके प्रति इसे व्यवहार में लाया जाएगा।' परन्तु सदन ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अधिकांश सदस्यों की यह मान्यता थी कि पिछड़े हुए वर्गों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकें, यह आवश्यक है कि उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए।

धार्मिक अधिकारों से सम्बद्ध प्राविधानों के कारण भी सविधान सभा में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ। वहम उन धाराओं को लेकर हुईं जिनके अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर धर्मत्व अथवा न्याय के अधीन धार्मिक नामों पर शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनके धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने की वान कही गई थी। आलोचकों का कहना था कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर अल्पमर्यादों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, यदि ऐसा

किया गया तो उसके परिणामस्वरूप धर्म निरपेक्षता का आधार ही नष्ट हो जाएगा। यही नहीं धर्म का आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से राष्ट्रीय एकता का भाग ही अवरुद्ध नहीं होगा जो भाग्य जैसे विभिन्न मतावलम्बी देशों में परमावश्यक है अपितु उससे साम्प्रदायिकता तथा समाज राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण का बढना मित्रता जसा कि अब तक होता आया है और जिसके घातक परिणामों से हम अवगत हैं। वस्तुतः हम आणविक युद्ध का एक सन्तोषजनक प्रोपेसर्स के टी. गार्हान 6 दिसम्बर 1948 का प्रस्तुत भी किया था। परन्तु डा. अम्बेदेकर ने इस सन्तोषजनक को अस्वीकार कर दिया।

जिम अधिकार को निर्मित करने में संविधान सभा को सबसे अधिक कठिनाई हुई उसका सम्बन्ध 31वीं धारा में निहित सम्पत्ति के अधिकार से था। इस धारा का प्रस्तुतीकरण स्वयं नहरू जी ने किया था। अपने भाषण में नहरू जी ने कहा कि इस प्रश्न के प्रति दाद दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण का सम्बन्ध व्यक्ति के अधिकार के साथ है जबकि दूसरा दृष्टिकोण उस सम्पत्ति में समाज की रक्षा का ध्यान में रखकर चलता है। नहरू जी ने दावा किया कि उनका प्रस्ताव इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक संविधान का प्रश्न है सम्पत्ति पर बल पूर्वक अधिकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्य की प्रगति व सुरक्षा के लिए किसी वस्तु का आवश्यक समझते हैं तो व्यक्ति उनका रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता। परन्तु सम्पत्ति पर अधिकार करते समय विधान मण्डल के लिए यह आवश्यक है कि वह उचित एवं याप्यपूर्ण मुआवजे की व्यवस्था करे। परन्तु ध्यान में रखने की बात यह है कि याप्य का सिद्धांत केवल व्यक्ति पर लागू नहीं होता समाज पर भी लागू होता है। निम्नान्तर्ह समाज अन्तर्गतत्वा व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है परन्तु कोई भी राज्य व्यक्ति के अधिकारों का उस समय तक चोट नहीं पहुँचायेगा जब तक ऐसा करना बहुत अधिक आवश्यक न हो। तब प्रश्न है कि उनका बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाय। उत्तरान क्या कि संतुलन बानूनी तरीके में स्थापित किया जा सकता है परन्तु अन्तिम विश्लेषण में संतुलन स्थापित करने बानी सत्ता का निवास प्रभुत्वपूर्ण विधान मण्डल में ही होना चाहिए।

नहरू जी ने कहा कि सदन को यह अधिकार हासिल कि वह मुआवजे का अथवा उसके सिद्धान्त को निर्धारित करे और इसको केवल एक स्थिति में चुनौती दी जा सकती है और वह यह है कि सदन संविधान के साथ कोई धोखा न करे। साधारणतः समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद संविधान को धोखा नहीं देगी। अथ उपधाराओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को केवल इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह यह देखे कि उतावलेपन में विधानमण्डल कोई गति नहीं कर ले। कोई याप्यधीन कार्य सर्वोच्च न्यायालय सम्प्रभुता-सम्पन्न विधानमण्डल के नियमों ऊपर नियम नहीं दे सकता। नहरू जी की राय थी कि इस सम्बन्ध में याप्यपालिका का काम केवल सदन के कामों की प्रतियों को दूर करना था।

इस विषय पर जाबहम हुईं उसमें एक जान पहचान समाजवादी विचारों वाले सन्स्य ने यह निष्कर्ष की इस धारा को संविधान में स्थान देने से समाजवाद की उपलब्धि असम्भव हो जायेगी। दूसरे उपधारा की सन्स्य ने मुआवजा देने के प्रश्न पर प्रधानमंत्री से असहमति व्यक्त की। तीसरे में इस सम्बन्ध में याप्यपालिका का किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान करने का अवाञ्छनाय बनाया। सदन में कुछ कम भी सन्स्य थे जिनका मन उपयुक्त मता से संवत्सा भिन्न था। उनका कहना था कि मुआवजा उचित और पर्याप्त होना चाहिए तथा अन्तिम रूप से उसका निर्धारण याप्यपालिका के द्वारा होना चाहिए।

यहाँ अन्त में सांविधानिक उपधारा के अधिकार का स्थगित करने के प्राविधान पर ही बहस का उल्लेख आवश्यक है। इस व्यवस्था की आवश्यकता करते हुए तजम्मुन हुमान ने कहा था कि राष्ट्रपति को इस अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करना अनरनाक होगा। उन्होंने संविधान सभा द्वारा इस प्रकार के प्राविधान का निर्मित करने की शक्ति का भी चुनौती दी। उत्तरान

कहा, 'हमारा स्वतन्त्र देश है। यदि लोग क्रान्ति चाहते हैं, तो उन्हें क्रान्ति करने की छूट होनी चाहिए। हमें उसे रोकने का क्या अधिकार है? इसलिए मैं कहता हूँ इस सविधान के अन्तर्गत जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, उनके स्थगन का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो।' इसी प्रकार के तर्क सदस्यों ने सकटकालीन प्राविधानों पर बहस के समय व्यक्त किये थे। परन्तु डा० अम्बेदकर ने इस अलोकतान्त्रिक व्यवस्था का समर्थन किया था और कहा था कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य को व्यक्ति को आश्वासन देना चाहिए ताकि उसके पास अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता हो, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि कुछ अवसरों पर, जैसे जब राज्य का अस्तित्व सकट में हो, उस समय इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध होने चाहिए। सकट के समय स्वयं व्यक्ति को यह लगेगा कि उसका अस्तित्व ही मिट रहा है।'

3 नीति निर्देशक सिद्धान्त

सविधान सभा में चौथे अध्याय में सन्निहित धाराओं पर बहस शीर्षक को लेकर शुरू हुई। करीमुद्दीन ने इस आशय का एक सशोधन प्रस्तुत किया कि शीर्षक में से 'निर्देशक' शब्द हटाकर 'मौलिक' (Fundamental) शब्द का प्रयोग किया जाये। इसी आशय का एक सशोधन एच० वी० कामथ ने प्रस्तुत किया। इन लोगों का कहना था कि इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा इनको सविधान में स्थान देने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। डा० अम्बेदकर ने इन सशोधनों का विरोध करते हुए दो तर्क प्रस्तुत किये प्रथम, इन सिद्धान्तों को मौलिक सिद्धान्तों के रूप में 29वीं धारा के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए शीर्षक में 'मौलिक' शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। दूसरे, इन सिद्धान्तों का प्रयोजन यथार्थ में आने वाली व्यवस्थापिकाओं एवं कार्यपालिकाओं को इस सम्बन्ध में निर्देशन देना है कि उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। यदि 'निर्देशक' शब्द को हटा दिया गया तो इस अध्याय की रचना का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। डा० अम्बेदकर के भाषण के उपरान्त सभा ने समस्त सशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

परन्तु कुछ सदस्य ऐसे थे जो डा० अम्बेदकर के तर्कों से सन्तुष्ट नहीं थे। वे इन सिद्धान्तों को प्रभावशाली बनाना चाहते थे। उन्हें अपने मत को व्यक्त करने का अवसर उस समय प्राप्त हो गया जबकि सदन के सम्मुख 29वीं धारा विचारार्थ प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर के० टी० शाह ने एक सशोधन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि 29वीं धारा के स्थान पर निम्न धारा को सविधान में स्थान दिया जाये—

'राज्य का अपने नागरिकों के प्रति यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय में निहित प्राविधानों की कार्यान्विति को अपना कर्तव्य माने। इन अधिकारों का कार्यान्वयन उस अधिकारी के द्वारा होगा और उस प्रकार होगा जो कानून के अनुसार उस समय इस काम को संचालित करने का अधिकारी होगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धान्तों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाये।'

उन्होंने कहा कि 29वीं धारा जिस रूप में प्रस्तावित की गई है उसके कारण इस अध्याय की समस्त धाराएँ अप्रभावशाली हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस अध्याय के प्राविधानों की तुलना अग्रिम तारीख के उस बैंक के साथ की जा सकती है जिसका भुगतान केवल उस समय हो जबकि बैंक ऐसा करने में समर्थ हो। प्रोफेसर शाह का मत था कि 'प्रत्येक व्यक्ति को इन उत्तरदायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को विवग करने का अधिकार होना चाहिए।' परन्तु सदन को उक्त सशोधन मान्य नहीं था और उनमें 29वीं धारा को उन्नीसवें रूप में पारित कर दिया जिनमें उने प्रस्तावित किया गया था।

चौथे अध्याय की अन्य धाराओं के प्रस्तुतीकरण के समय समाजवादी, गांधीवादी, नम्प्रदाय-

वाक्य और उदारवादी तर्कसंग सभी प्रकार के दृष्टिकाणा को यत्न किया गया। उदारवादी के लिए 30वां धारा पर जब मन्विधान सभा विचार विमर्श कर रही थी तो उस समय दामोदर स्वरूप सठ न एक सभाधन प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को निर्मित करने की बात कही गई थी। सठ जो का कहना था कि धारा जिस रूप में प्रस्तावित की गई है वह अत्यंत अस्पष्ट है। परन्तु वह अनुमतया न धारा की इस अस्पष्टता की प्रशंसा की और कहा कि यह अत्यंत अस्पष्ट है। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्तारूढ़ हो जाय तो वह 30वां और 31वां धारा के अंतर्गत अपने कार्यक्रम का लागू कर सकती। उन्होंने कहा कि इन धाराओं के अंतर्गत किमा भी देश पर अपने कार्यक्रम को लागू करने में प्रतिबंध नहीं होगा। समाजवादी 31वां धारा पर विचार करते समय प्राफेसर के. टी. गहल ने यह भाग की कि प्रत्यक्ष नागरिक को एक पर्याप्त जीवन-स्तर का प्राप्ति करने का अधिकार होना चाहिए। देश के प्राकृतिक प्रसाधना पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए तथा देश में एकाधिकारी पंजी के विनाश का रास्ते के प्रयत्न किये जान चाहिए।

चौनासवां धारा पर विचार करते समय महावीर यागी ने यह भाग की था कि राज्य का स्वतन्त्र वस्तुओं का प्राप्ति होना चाहिए तथा कुत्तर उद्योग धंधा को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उस सुझाव को द्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तथा उस चौतीसवीं धारा के एक भाग के रूप में मायता दे दी गई।

पत्तीमवी धारा में समूचे देश के लिए एक में सिविल कोड की स्थापना की बात कही गई। परन्तु मन्विधान के इस प्राविधान की भी मदन के कुदृष्ट मुस्लिम सदन ने इस आधार पर आपत्त की कि इसमें मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर चोट पड़ सकती है। मुस्लिम सभ्यता की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए के. एम. मुन्शी ने कहा कि मन्विधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को पहन से ही मायता दे रखी है। अतः धर्म के आधार पर किसी के ऊपर अत्याचार करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जब आप किसी समाज का सुदृष्ट बनाना चाहते हैं तो आपका उस बात को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें समूचे समाज का लाभ पहुँचे उसमें किसी एक भाग को नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने निजी कानून को हम प्रकार गुप्त और एक बनाना चाहते हैं जिसमें समूचे देश में कानून के एकता स्थापित हो सके तथा उस धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सके। हम धर्म को निजी कानून से जिस सामाजिक सम्बंध बनाया जा सकता है अथवा जिसे विभिन्न पक्षाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों के नाम से भी पुकारा जा सकता है अलग रखना चाहते हैं। मरी समझ में नहीं आता कि इन बातों का धर्म से क्या सम्बंध है।

संघ में कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक-दूसरे से अलग रखने का प्रस्ताव भी विवाद का विषय रहा। डा. जम्बदकर ने यह प्रस्तावित किया था कि मन्विधान की कार्यपालिका के तीन वर्षों के भीतर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण कर दिया जायगा। मदन के तीन वर्षों की यह समय-सीमा पसंद नहीं थी। इस सम्बंध में टी. टी. कृष्णामाचारी ने यह मत व्यक्त किया कि पृथक्करण के विचार की अभिप्रेति मात्र ही पर्याप्त है। विन्वनाथ राव का कहना था कि राज्य पृथक्करण के व्यवस्था करने में असमर्थ है और तीन वर्षों की अवधि में वह इतना समझ हो सकता है यह बात महामुद्द है। तबान्तर तीन वर्षों का मत था कि तीन वर्षों की अवधि में पृथक्करण की व्यवस्था करने से मन्विधान में कटारता आ जायगा। वस्तुतः इस काम को हम विधानमण्डलों के मुफ्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सारकार इस निर्णय की वृत्ति के लिए तैयार नहीं कर सकते।

चौथे अध्याय के प्राविधानों के प्राप्ति में मन्विधानकारों ने जो परिवर्तन किये उनमें दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्राप्ति में कहा गया था कि प्रत्यक्ष भारतीय नागरिकों का अधिकार है कि उन प्राथमिक शिक्षा मुफ्त प्राप्त हो। मन्विधानकारों ने इस व्यवस्था का वृत्ति किया और उनमें स्थान पर यह लिखा कि राज्य इस शिक्षा में प्रयत्न करेगा। दूसरे अन्तर्गामी प्रावि

एव मुश्किलों की अभिवृद्धि से सम्बद्ध प्राविधानों में एक नवीन उपधारा जोड़ी गई जिसे इस बात पर ध्यान दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण करने के लिए 'पंच-फैसले' का महान् प्रयास किया जाये। वस्तुतः इसमें नवीन गणराज्य की शान्तिपूर्ण विदेश नीति की अभिव्यक्ति होती थी।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि नीति निर्देशक मिट्टान्तों को सविधान में स्थान देकर सविधानकारों ने जनता के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की और इस प्रकार उन्होंने समाजवादी आदर्शों में अपनी आस्था व्यक्त की। सविधान के प्रारूप में गाँधीवादी आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। सविधान के निर्माताओं ने ग्राम पंचायती, कुटीर उद्योग-धन्धों, नशाबन्दी, तथा कृषि एवं पशु-पालन को प्रोत्साहन की व्यवस्था करके इस कमी को पूरा किया। समाज के समाजवादी सदस्य चाहते थे कि इन प्राविधानों को वाद-योग्य बनाया जाय अथवा इन आदर्शों को कार्यान्वित करने में राज्य की भूमिका को अधिक स्वीकारात्मक बनाया जाय। परन्तु इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया।

4 सघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मन्त्रि-परिषद्

सविधान सभा के समक्ष एक बड़ी समस्या यह थी कि देश में जिस कार्यपालिका की स्थापना की जाय उसका स्वरूप और प्रकार क्या हो। कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्हें अमरीकी प्रकार की कार्यपालिका पसन्द थी। इन सदस्यों का कहना था कि भारत को एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता है और यह केवल अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका के अन्तर्गत ही सम्भव है। दूसरे, स्वतन्त्र भारत को एक नवीन प्रकार की कार्यपालिका में अपनी जीवन-यात्रा आरम्भ करनी चाहिये और उसे दामता की मसूची परम्पराओं से अपने सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने चाहिये। किन्तु सविधान सभा के अधिकांश सदस्य समझीय कार्यपालिका के पक्ष में थे। इस निर्णय तक पहुँचने में जिस कारण ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसका सम्बन्ध उस अनुभव से था जिसे देश ने ब्रिटिश काल के सांविधानिक विकास के दौरान प्राप्त किया था। इस सम्बन्ध में नेहरू जी का यह कथन उल्लेखनीय है—'हम उसकी प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते।' किसी को स्थायी सरकार की वाञ्छनीयता में सन्देह नहीं था। इस स्थायित्व के लिये वे कार्यपालिका एवं विधान मण्डल के बीच अच्छे सम्बन्धों को आवश्यक समझते थे। डा० अम्बेदकर का कहना था कि हमें एक निश्चित अवधि के बाद सरकार के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने की पद्धति की तुलना में वह पद्धति अधिक पसन्द है जिसमें 'उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्यांकन' होता है। इसके अलावा यह भी अनुभव किया गया कि यदि केन्द्र में अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका की स्थापना की गई तो उसके फलस्वरूप यह भी आवश्यक होगा कि राज्यों में भी उसी प्रकार की कार्यपालिकाएँ स्थापित की जायें। उनके परिणामस्वरूप देशी राज्यों में राजतान्त्रिक भावनाओं में अभिवृद्धि हो सकती है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह निश्चय हुआ कि सघीय कार्यपालिका के दो अंग होंगे, प्रथम, राष्ट्रपति जो ब्रिटिश राजा की भाँति राज्य का सांविधानिक अध्यक्ष होगा, और दूसरे, मन्त्रि-परिषद् जो देश के शासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देगी तथा जो अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप में समझ के प्रति उत्तरदायी होगी।

राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हो, यह विषय सविधान सभा का अत्यधिक विवादग्रस्त विषय था। इस विषय पर सविधान के निर्माताओं में दो दृष्टिकोण पाये जाते थे। कुछ सदस्यों का मत था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यापक मताधिकार के आधार पर होना चाहिये। जबकि कुछ अन्य सदस्य उसका निर्वाचन समझ के दोनों सदनों द्वारा निर्मित निर्वाचक-मण्डल के द्वारा चाहते थे। अन्त में इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक समझौता हो गया जिसके अनुसार निर्वाचन मण्डल में केन्द्रीय समझ के दोनों सदनों के अतिरिक्त राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया।

जिन सदस्यों का यह कहना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बयस्क मताधिकार पर होना

चाहिये उनका तब था कि राज्य के अध्यक्ष को जनता की सामूहिक श्रमता एवं प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिये। उसी स्थिति में वह त्रिभिन्न राजा की भांति राष्ट्रकी एकता का प्रतीक बन सकेगा। विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कबन एक जन का प्रतिनिधि होगा और वह बहुमत वान दल के हाथ में कठपुतली होगा। यही नही भारतवामा नताञ्चा की पूजा करन वान हात में जन उद्देश्यसतुष्ट करन के लिये वह आवश्यक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ब्यस्क मताधिकार के आधार पर हो। परन्तु राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस पद्धति को संविधान सभा के बहुमत ने अस्वीकार कर दिया। बहुमत ने इस सम्बन्ध में तब तक प्रस्तुत किये प्रथम भारत में निर्वाचका का आकार बतना बना है कि यह व्यावहारिक नही है। दूसरे बतन बने चनाव को सम्पन्न कराने के लिये बहुत अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तीसरे इस प्रकार का निर्वाचन संविधान में लिखित राष्ट्रपति की स्थिति में मन नग खाना। नहरू जी ने कहा कि हम सरकार के मंत्रिपरिषदीय स्वरूप पर बल देना चाहते हैं सत्ता यथायथ मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डल में निवास करती है राष्ट्रपति में नही। यह बात कुछ अस्पष्टी सा हागी कि राष्ट्रपति को यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाय और फिर उस को वास्तविक शक्ति न दी जाय।

सानुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोगिता में भी सन्देह व्यक्त किया गया। यह कहा गया कि सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग कबन उस समय होता है जब एक से अधिक म्याना के लिये निर्वाचन होता है वम एक पद के निर्वाचन में उसका काम में तब में बतन सी कठिनायियाँ और उन्नत पदा हागी। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी निर्वाचित होकर जा सकता है जो वास्तव में केवल अप्रमत्त का प्रतिनिधि हो। परन्तु प्रारूप तयार करने वाली समिति ने इस दृष्टिकोण का स्वीकार नही किया। डा. अम्बेडकर का कहना था कि चकि संविधान में पृथक निर्वाचन पद्धति को स्थान नही दिया गया है इसलिये सभी मत मतान्तरा को प्रतिनिधित्व देने के लिये कबन एक ही प्रभावशाली तरीका है और वह है सानुपातिक प्रतिनिधित्व।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ—राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ संविधान सभा में एक उग्र विवाद का आधार बनीं। एच. बी. कामरा ने कहा कि मसार के अथ नोन्तात्रिक संविधाना में एन प्राविधाना का समानान्तर भिन्नता कठिन है इस भिन्नता जुनता प्रवस्था जमनी के वायमर संविधान में की गई थी और उन्ना का ताभ उठाकर हिन्दु न जमनी में ताकतत्र की हत्या कर दी। एन प्राविधाना के विरुद्ध मरयन दा आपत्तियाँ थी—प्रथम व अज्ञानताधिक हैं और एमर के संघवाद के सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं। परन्तु ए. व. अय्यर ने इन व्यवस्थाओं का इस आधार पर समर्थन किया कि मधु सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह एन में संविधान को वायमर रखे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ अमरीकी और ऑस्ट्रेलियन संविधाना में भी की गई हैं तथा यह मोचना गलत है कि हम ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को न दें। वस्तुतः ये शक्तियाँ ससत् के प्रति उत्तरदायी कर्णीय मन्त्रिमण्डल को दी जा र्हा हैं। इस अवसर पर डा. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि एन प्रवस्थाओं के दुरुपयोग की सम्भावनाओं में एनकार नही किया जा सकता। परन्तु दुरुपयोग की सम्भावनाएँ तो संविधान के अथ प्राविधाना के चार में भी लागू होती हैं। उन्होंने आगा व्यक्त की कि एन व्यवस्थाओं को कभी भी वाय रूप में परिणित नही किया जायगा।

संविधान सभा ने ससनीय वायपानिका के सिद्धान्त को एन में ही मायता प्रदान कर दी थी। एन में मन्त्रियों की योग्यता-सम्बन्धा प्राविधान भी पर्याप्त विवाद का आधार बन। कुछ मन्स्या का मत था कि अपना नियुक्ति के समय मन्त्री को मन्त्र का सन्ध्य हाता चाहिए कुछ दूसरे मन्स्या का कहना था कि उस उम दल का सन्ध्य हाता चाहिए जिम जोन सभा में बहुमत प्राप्त है। परन्तु इन मुद्दाओं को घस्वाकार कर दिया गया। महावीर त्यागी का मत था कि मन्त्री के लिये कुछ शक्ति याग्यताएँ निर्धारित कर देनी चाहियें परन्तु मन्स्या को

यह सुभाव भी मान्य नहीं था। प्रशासन में शुद्धता कायम रखने के लिए प्रोफेसर के० टी० शाह और एच० वी० कामय चाहते थे कि अपनी नियुक्ति के समय मन्त्री अपनी आर्थिक स्थिति का व्यौरा प्रस्तुत करें। परन्तु डा० अम्बेदकर को 'इस सुभाव की उपादेयता में सन्देह था।'

5 सघीय ससद

सविधान सभा ने देश के लिए ससदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की थी, अतः एक प्रकार से देश के प्रशासन में ससद का स्थान निश्चित हो चुका था। परन्तु ससद के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न और ये जिनका समाधान आवश्यक था। पहला प्रश्न था कि ससद एकसदनात्मक हो अथवा द्विसदनात्मक। साविधानिक परामर्शदाता ने अपने स्मरण-पत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की सिफारिश की थी। परन्तु सविधान सभा में कुछ सदस्यों ने द्विसदनात्मक विधानमण्डल के सिद्धान्त की आलोचना की और कहा कि 'द्वितीय सदन प्रगति के पहिये में अवरोधक' है। फलतः उन्होंने एकसदनात्मक विधानमण्डल के लिए सशोधन प्रस्तुत किये। एन० गोपालस्वामी आयगर ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया तथा द्विसदनात्मक विधान मण्डल के औचित्य का प्रतिपादन किया। उनका कहना था कि 'ससार में जहाँ कभी भी कुछ महत्त्व के सघीय राज्य पाये जाते हैं, वहाँ सभी जगह द्वितीय सदन की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। हम द्वितीय सदन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह महत्त्वपूर्ण विषयों पर सम्मानपूर्ण तरीके से विवाद करे तथा ऐसे कानूनों के पारित होने में उस समय तक देरी लगाये जिन्हें परिस्थितियों से उत्पन्न भावावेशों में सोचा गया हो तथा उन्हें उस समय तक पारित न होने दें जब तक कि भावावेशों में शीतलता न आ जाये तथा उन पर शान्त वातावरण में पुनर्विचार न हो सके, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सविधान में इस बात की व्यवस्था की जाये कि जब भी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर, विशेषतः वित्तीय विषयों पर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो, तो लोकसभा का दृष्टिकोण हावी हो।'

सविधान सभा ने बहुमत से इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। एन० गोपालस्वामी आयगर के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सविधानकारों की दृष्टि में द्वितीय सदन की केवल एक सीमित भूमिका हो सकती थी, वह सम्मानित तरीके से महत्त्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद कर सकता था ताकि कोई विधेयक जल्दी में कानून न बन सके तथा उसका प्रयोजन ऐसे योग्य व्यक्तियों को विधायी कार्य में भाग दिलाना था जो किसी अन्य प्रकार से सम्भव नहीं था।

जहाँ तक दोनों सदनों की रचना का प्रश्न है, सविधानकारों ने 1935 के सविधान में निहित प्राविधानों से बहुत सहायता ली थी। परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की वह दो अर्थों में 1935 की व्यवस्था से भिन्न थी। 1935 में सीटों का वटवारा इस प्रकार किया गया था जिसमें देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की अपेक्षा अधिक सीटें प्राप्त हुई थीं। सविधानकारों ने इस अन्यायपूर्ण स्थिति का अन्त कर दिया। दूसरे, 1935 के सविधान में सघीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन अत्यधिक समिति मताधिकार के आधार पर होता था। सविधान सभा ने इस असंगति को भी दूर कर दिया।

आरम्भ से ही यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि राज्यसभा में कुछ व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाय। परन्तु सविधान में इस प्रश्न पर मतैक्य का अभाव था कि इस प्रकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो तथा उनके चुनाव की पद्धति क्या हो। सघ सविधान समिति ने सिफारिश की थी कि इन सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक दस हो जिन्हें राष्ट्रपति विश्व-विद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के परामर्श में मनोनीत करे। गोपालस्वामी आयगर ने प्रस्तावित किया कि यह संख्या 25 होनी चाहिए तथा उनका निर्वाचन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए।

प्राप्त समिति ने 15 सदस्यों का प्रस्ताव किया जिसकी सदन में काफी आलोचना

रूई। एन मन्स्य न कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने की व्यवस्था हमारे विधानमण्डल की रचना की एकरूपता व प्रतिकूल है। यही नही हम प्रकार की व्यवस्था में यह खतरा निहित है कि राष्ट्रपति अनुचित ढंग से की जाने वाली आवाजना का गिकार बन। तभीनारायण साहू ने कहा कि यदि हम राष्ट्रपति को 12 मन्स्या को मनोनीत करने का अधिकार पन्न करगे तो उसका ऊपर पक्षपात करने व कट आरोप लगाये जायेंगे और यह बात अर्वाछनीय हापी। परंतु इस विराध व वावजूद सविधान सभा ने यह व्यवस्था का कि रायमभा में प्रारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हाग।

जहा तक रायसभा के निवाचित सदस्य का प्रश्न है सविधानकारा व सम्मुख एक वही ममस्या यह थी कि क्या उह सयुक्त राय अमरीका की भाति रूका या को दसर सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। वस्तुतः इस प्रकार की ममानता का अंतरा के वावजूद कृत्रिम ममभी जाना चाहिए। अतः सविधानकार जनसंख्या के आधार पर रूकाया को प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहते थे यद्यपि प्रत्येक स्थिति में इस नियम का पालन सम्भव नही था। मध सविधान समिति ने इस ममस्या के समाधान के लिए एक ममभौता प्रस्तावित किया जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजन का अधिकार होगा यह क्रम 50 लाख की जनसंख्या तक चलेगा और उसके बाद प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या पर उह एक प्रतिनिधि को भेजन का अधिकार हागा इसमें यह भी व्यवस्था की गई है किसी भी राज्य का 20 प्रतिनिधि से अधिक निवाचित करने का अधिकार नही हागा। इस प्रकार जहाँ जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का आधार माना गया वहाँ इस बात की सावधानी बरती गई कि बड़ी जनसंख्या वाले राज्य छोटे छोटे राज्या पर हावी न हान पायें।

राजसभा की रचना के समय में साविधानिक परामर्शदाता न जपन जापन में यह सुझाव दिया था कि उसमें प्रांतों तथा देशों राज्या के प्रतिनिधियों को हम प्रकार स्थान दिया जाय जिसमें प्रत्येक दस लाख का जनसंख्या पर कम से कम एक प्रतिनिधि निर्वाचित हों तथा प्रत्येक साठे सात लाख की जनसंख्या पर अधिक से अधिक एक प्रतिनिधि चुना जाय। इस प्रकार व प्रतिनिधित्व को सम्भव बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि समूच देश को निवाचन क्षेत्रों में बांटा जाय और प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के उपरान्त इन निवाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर पुनर्रचना की जाय।

सविधान के प्रारूप को तयार करने वाली समिति ने इस सुझाव का कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया। पहल सभाधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राजसभा की अधिकतम संख्या 500 होगी इसका अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की गई कि साठे सात लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा तथा पांच लाख की जनसंख्या पर अधिक से अधिक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। सविधान सभा ने अधिकतम संख्या 520 निर्धारित की तथा सविधान के प्रारूप की अन्य व्यवस्थाएँ स्वीकार कर ली।

प्रारूप समिति ने राजसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार की सिफारिश की। इस प्राविधान का सदन में सामान्यतः स्वागत किया गया। प्रोफेसर गिन्जन नाम मन्सना न उस सविधान का सबसे बड़ा गुण बताया। परंतु इस प्राविधान के अचित्य में डा राजा प्रसाद और हृदयनाथ कजरू जैसे व्यक्तियों ने सन्नेह व्यक्त किया। उह वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त में विरोध नही था अपितु उह उम तरीक से विरोध था जिसमें हम पद्धति का स्थान दिया जा रहा था। कजरू का कहना था कि हम इस सिद्धान्त में धीरे धीरे कन्म बढ़ाना चाहिए। डाक्टर राजा प्रसाद ने कहा कि यह व्यवस्था बचन एवं परगण है जिसका प्रयाग में उचित ढंग में नही किया गया ता उमके परिणाम भयकर हाग।

सविधान सभा में अल्पमस्यका के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी काफी वाद विवाद हुआ। प्रारूप समिति ने अल्पमस्यका के लिए साठे का सुराहित रखने की सिफारिश की थी। परंतु

इस व्यवस्था के विरुद्ध दो प्रकार की आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी। सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि 'यदि पृथक् निर्वाचन प्रणाली ने सम्प्रदायवाद को बल पहुँचाया है, तो सीटों को सुरक्षित रखने की पद्धति से उसे कुछ कम बल नहीं मिलेगा।' करीमुद्दीन की आपत्ति इससे बिलकुल भिन्न थी। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं तो सीटों को सुरक्षित रखने से अल्पसंख्यकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। अतः कुछ सदस्यों ने सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया। परन्तु प्रारूप समिति को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था। संविधान सभा ने इस मामले में प्रारूप समिति के दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया।

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के ऊपर भी बल दिया। परन्तु संविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद के इस दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया।

6 सघीय न्यायापालिका

1935 के संविधान में प्रस्तावित भारतीय सघ के लिए समन्वित (Integrated) न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, उसमें सघ में शामिल होने वाली समस्त इकाइयों के उच्च न्यायालयों के ऊपर एक सघीय न्यायालय का प्राविधान था। परन्तु उस संविधान में भी सघीय न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय नहीं था। परन्तु स्वतन्त्र भारत के संविधान में उसे सिविल तथा फौजदारी मुकदमों की अपील का अन्तिम न्यायालय बनाकर न्यायपालिका के समन्वयन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया।

संविधानकारों का मत था कि न्यायपालिका को सरकार की विधायी नीति पर निर्णय देने का अधिकार न दिया जाये। परन्तु साथ ही न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की जाये ताकि वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना काम कर सके। एक सदस्य ने कहा न्यायपालिका की भूमिका 'लोकतन्त्र की रखवाली करने वाले' की होनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक माना गया कि उसे राजनीतिक प्रभावों से स्वतन्त्र होना चाहिए। न्यायाधीशों को भ्रष्ट करने वाले प्रभावों से मुक्त रखने के लिए संविधानकारों को अत्यधिक चिन्ता थी। इसी चिन्ता से प्रेरित होकर पी० के० सेन ने यह सुझाव पेश किया कि 'वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के पद पर है, अथवा जो उस पद पर रह चुका है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का अधिकारी नहीं होगा', यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से उसे अल्पकाल के लिए कुछ और दायित्व सौंपे जा सकते थे अथवा राष्ट्रीय हित में सकटकालीन अवस्था में उसे अन्यत्र काम पर लाया जा सकता था। प्रो० के० टी० शाह का सुझाव था कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में किसी कार्यपालिका पद पर नियुक्त न किया जाये।

डा० अम्बेदकर ने अपने उत्तर में सेवार्त न्यायाधीश और सेवा-निवृत्त न्यायाधीश के बीच विभेद किया। उन्होंने इस मत से सहमति व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गैर-न्यायिक उत्तरदायित्व उस स्थिति में नहीं सौंपने चाहिये, यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा काम करने जाना है। परन्तु उनका कहना था कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उस प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार की न्यायिक क्षमता से सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति बहुत आवश्यक होती है। उनके परामर्श पर संविधान सभा ने समस्त सशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान सभा की संरचना की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालिए।
- 2 संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर हुई बहस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए।

सविधान के स्रोत (SOURCES OF CONSTITUTION)

सांविधानिक सिद्धांत के सुप्रसिद्ध त्रिणि विद्वान् जयसामी ने एक स्थान पर लिखा है मविधान की तुलना उम देगी पौधे के साथ की जा सकती है जो विद्वान् भूमि पर नहीं उगता। परंतु डायमी का यह मत भारतीय मविधान के ऊपर भी लागू होता है एसा दावा नहीं किया जा सकता। मच बात यह है कि उसके निमाण मन्ना जीर विद्वान् अनेक प्रकार के प्रभावा का याग्यान रहा है। नवीन भारत का जगजा म विरामन के रूप म सघात्मक गसन-व्यवस्था प्राप्त न्ना था उसकी उपायेयता औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध सशप म प्रमाणित हा चुकी थी। स्वतंत्र भारत का यथाय म एक एम सांविधानिक ढांच की आवश्यकता थी जो जनकता के मन्त्र म भा विघटनकारी तत्वा का निर्यात करन म उसकी सहायता कर सक। मविधानकार साम्प्रदायिक समस्या म भनी भाति जवगत म। गण्ठय भूक्ति सघप के काल म प्राप्त अनुभव स व न्म निष्प पर पहुँच चुके थे कि न्म समस्या का जटिन रूप प्रदान करन म पृथक निर्वाचन प्रणाली का एक विशिष्ट भूमिका रनी था। स्पष्टन एसा स्थिति म नवान मविधान म उस पुन स्थान दिया जायगा वसकी उप रा नन्ना की जा सकती था। मविधान की रचना म विद्वान् सविधाना का प्रभाव भी पडा था। वस्तुत एसा हाता स्वाभाविक था क्याकि मविधानकारा का उद्देश्य किसी मौनिक ममविद की रचना करना नन्ना था वकि एक ज्ञात गामन व्यव था का स्थापित करना था। जत उन् जिम किसी भी देश की गामन प्रणाली म ज-उ नव दिखार् पन् उनका उद्धान मविधान म स्थान न्न का प्रयाम किया। यन् मविधान के न्न खाना की विवचना आवश्यक है।

1. 1935 के अधिनियम का प्रभाव

1935 का मविधान भारतीय सविधान का एक प्रमुख खत रहा है। वस्तुत सविधान का आकार उसकी विषय-सूची भाषा जति मभा पर न्म अधिनियम का प्रभाव अवनाकिन किया जा सकता है। अधिनियम की तगभग 200 धाराए एमी है जिह ज ररा या वाक्य रचना म माधारण परिवर्तन करके मविधान म स्थान दिया गया है। न्मारा मविधान रूपरखा और भाषा म 1935 के अधिनियम का कितना जाभागी है न्मका स्पष्टीकरण निम्न उदाहरणा म देया जा सकता है—

(1) भारतय मविधान की 256वा धारा म यह वन्ना गया है कि प्रत्येक राज्य की वायकारा गति व्म प्रकार प्रयुक्त होगी जिमस मविधान द्वारा बनाय गय कानूना का निश्चित रूप म पानन हा जीर सघ की वायकी गति का न्म सम्बंध म राज्य का उचित निर्ण न्न का जम्कार हा। मविधान की म भाषा तथा 1935 के अधिनियम का 126वी धारा म प्रयुक्त भाषा एक-दूसरे स वन्म मिलनी जुनता है।

(2) सविधान की 36वा धारा म राष्ट्रपति का मन्त्रकारान गतिया के उल्लेख है 1935 के अधिनियम म न्म जाय का गरा 102 म व्यक्त किया गया था न्न नाना धाराआ म बहत माम्य है।

(3) मविधान का 251वा धारा म उस स्थिति का उल्लेख है जिमस सघ एव राज्य सरकारा के कानून परस्पर विरोधी हा न्म द्वारा का 1935 के अधिनियम की 107वा धारा म वन्म मत है।

(4) सविधान की 356वा धारा म राज्य म सांविधानिक मन्त्र के विपन हा नानम उल्लेख

सकट का उल्लेख किया गया है। यह धारा अधिनियम की 92वीं धारा से मिलती-जुलती है।

(5) सविधान में सन्निहित सिद्धान्त भी अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। निम्न उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

(अ) अधिनियम में भारत के लिए जिस प्रकार की सघीय व्यवस्था की कल्पना की गई थी, वह ससार के अन्य सघों से बहुत अर्थों में भिन्न थी। भारतीय सविधान ने भी जिस सघ को देश में स्थापित किया है, वह विश्व के अन्य सघ-राज्यों से मेल नहीं खाता। यदि उसकी अनुरूपता किसी से है तो उस सघ से है जिसे 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित किया गया था।

(ब) अधिनियम में शक्ति-विभाजन का काम तीन सूचियों—सघ सूची, समवर्ती सूची और प्रान्तीय सूची—के द्वारा सम्पन्न किया गया था। वर्तमान सविधान में भी इसी विभाजन को स्वीकार किया गया है।

(स) अधिनियम में गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था और वह आपात् काल में सघ शासन को एकात्मक शासन का रूप दे सकता था। आधुनिक सविधान में राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(द) अधिनियम की भाँति आधुनिक सविधान में भी सरक्षणों (safeguards) की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषा-सम्बन्धी अधिकारों के सरक्षण की व्यवस्था सविधान में है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को निम्न स्तर के न्यायान्त्यों को अपने नियन्त्रण में रखने का अधिकार है और केन्द्रीय सरकार का किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में राज्य के शासन को अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1935 के अधिनियम को भारतीय सविधान का एक प्रमुख स्रोत घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः सविधान-निर्माता देश में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसकी कार्यान्विति से देशवासी परिचित थे। ऐसी स्थिति में यह होना अत्यन्त स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा० अम्बेदेकर का यह कथन उल्लेखनीय है—‘मैं इस बात में किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं करता कि हमने नवीन सविधान का निर्माण करते समय अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में सकोच नहीं होना चाहिए, दूसरे सावधानिक सिद्धान्त किसी व्यक्ति अथवा देश-विशेष का एकमात्र अधिकार नहीं होते। मुझे तो खेद इस बात का है कि 1935 के अधिनियम की जिन धाराओं को अपनाया गया है उनमें से अधिक का सम्बन्ध शासन की वारीकियों से है।’

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का आधुनिक सविधान 1935 के अधिनियम की केवल नकल मात्र है। वस्तुतः इन दोनों में बहुत अधिक भिन्नता भी है।

2 विश्व के विभिन्न सविधानों का प्रभाव

भारतीय सविधान की रचना को ससार के विभिन्न देशों की शासन-प्रणालियों का एक निश्चित योगदान रहा है। इस योगदान को निम्नलिखित तरीके में व्यक्त किया जा सकता है—

सविधान अपने समदीय स्वरूप के लिए ब्रिटिश सविधान का ऋणी है। यथायथ में औपनिवेशिक शासन के काल में ही भारत को समदीय प्रणाली से जानकारी प्राप्त हो गई थी, अतः यह स्वाभाविक ही था कि जब भारत ने अपने सविधान की रचना की तो वह समदीय शासन पद्धति को उसमें ध्यान देना। समदीय शासन प्रणाली के अनुरूप सविधान में राष्ट्रपति की स्थिति नामान्यत ब्रिटिश राजा जैसी रखी गयी है तथा प्रथम सदन को द्वितीय सदन की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। ब्रिटिश सविधान में सविधानकांगे ने ‘कानून के शासन’ का विचार प्रकट किया था, यद्यपि ब्रिटिश सविधान की पृष्ठभूमि में उसका महत्त्व वह नहीं हो सकता था जो उसे अनिश्चित सविधान के अन्तर्गत प्राप्त है।

सविधान पर अमरीकी प्रभाव का मूल अधिकारा के प्राविधाना में सर्वोच्च 'यायानय' की व्यवस्था में उप राष्ट्रपति के पद तथा उस मीष गय कार्यो की सूची में सविधान का समाधान प्रक्रिया जानि मन्वा जा सकता है। यद्यपि अमरीका का भाति भारत में टुंगी नागरिकता का व्यवस्था नया है फिर भी वह अमरीकी सविधान का तरह 'यायानिका' की स्वतंत्रता के सिद्धांत का स्वीकार करता है तथा 'यायाधीना' को पदच्युत करने के लिए भी वह उसी प्रक्रिया की व्यवस्था करता है जो सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान में उल्लिखित है।

भारतीय सविधान के कुछ प्राविधान आयरलैण्ड के सविधान का व्यवस्थाओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए सविधान में मन्निहित नानि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था तथा राज्य सभा में काना साहित्य विज्ञान जानि स सम्बद्ध विभिन्न 'यक्तिया' के मनानयन का प्रणाली आयरलैण्ड के सविधान से मिलती जुती है।

भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप में कनाडा के संघबान के साथ बन्त अधिक साम्य है। कनाडा में सघ के लिए 'यूनियन' शब्द प्रयुक्त होता है भारत में भी हम सघ का 'यूनियन' के नाम से ही पुकारते हैं। कनाडा के सघ में अवशिष्ट गक्तिया काना का मीषी गयी है गक्तिया के विभाजन के सम्बन्ध में भारत ने भी उस नियम का अनुसरण किया है।

भारतीय सविधान की कुछ व्यवस्थाएँ जास्तनियन सविधान से मिलती हैं। सविधान का प्रस्तावना में निहित भावनाएँ समवर्ती सूची तथा स सूचा में उल्लिखित विषयों पर सघ और काना के बीच सघर्ष का निराकरण के लिए बनाय गय उपाय जास्टनिया के सविधान के अनुरूप है।

भारत के सविधान में राष्ट्रपति का सकेट कान में सविधान का स्थगित करने की शक्ति प्रदान की गयी है यह व्यवस्था जर्मनी के मी रूप में द्वायमर सविधान में पायी जाती थी। सविधान की 21वां धारा में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छांटेकर कानावनी का प्रयोग किया गया है वस्तुतः यही शक्तवनी जापान के सविधान की 31वीं धारा में प्रयुक्त है।

उपयुक्त विवेचना में स्पष्ट है कि नवीन सविधान का रचना में विभिन्न दशा के सविधान का भूमिका रहा है। इस आधार पर कुछ नागा ने उस भानुमता का पिटारा बनाया है। कुछ दूसरे लोग ने उस उपार की शक्त के नाम से प्रकार है। परन्तु इस प्रकार की गानाचनाएँ भारतीय सविधान के साथ 'याय' नहीं करता। यह सत्य है कि सविधान के स्यात विन्द के प्रमुख सविधान हैं। परन्तु सविधानकारा ने श्रय तथा स कवन उन बातों का ग्रहण किया है जिनका उपयोगिता इस देश में या तो पहले से ही प्रमाणित हो चुकी थी या विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति में उनकी उपयोगिता की कल्पना की जा सकती थी। सच बात यह है कि सविधानकारा ने अद्य होकर नवन नही की था। सविधान के इस पहलू के सम्बन्ध में एक उल्लेखनाय बात यह है कि विभिन्न सविधानों के सम्मिश्रण से भारत के सविधान में एक एकी भौतिकता आ गया है जो स्वयं भारत की है।

सविधानकारा ने इस तरह के लिए सविधान का रचना का थी जिसमें न तो ताकतांत्रिक विकास हो उचित ढंग में होता था और न जिसके आधिक विकास का ही समीचीन धापित किया सकता था। फलतः उत्तम सविधान में प्रत्येक बात का निखन का प्रयास किया। इस प्रकार सविधान का उत्तमतापूर्वक विस्तृत होना लिया गया और उसमें अभिसमया के विकास के लिए यथासम्भव कम से कम गजाएँ छोड़ी गई हैं। फलस्वरूप भारत की प्रणामकीय समस्याओं और यहाँ के राजनैतिक अनुभवों का भी सविधान का एक स्यात बनाया जा सकता है क्योंकि सविधान के बन्त में व्यवस्थाओं का स्यात समस्याओं के समाधान के लिए सविधान में स्थान दिया गया है।

3 अभिसमय

जगा बना जा चुका है कि भारतीय सविधान समार के समस्त सविधानों में सबसे अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट सविधान है फलतः उसमें अभिसमया के विकास का सम्भावना बन्त कम है

परन्तु इसके वावजूद भी अभिसमयों के लिए कुछ क्षेत्र सविधान में ही रह गया तथा कालान्तर में कुछ अभिसमय विकसित हो गये। वस्तुतः ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि कोई भी सविधान चाहे वह कितना ही विस्तृत क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ बात ऐसी रह जाती है जो स्पष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार की स्थिति अभिसमय के विकास के लिए एक समुचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। भारत के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

नये सविधान के कार्यान्वित होने के उपरान्त हमारे देश में जो अभिसमय विकसित हुए हैं उन्हें सविधान का स्रोत बताया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप कुछ अभिसमय निम्नलिखित हैं—

(i) सर्वप्रथम अभिसमय मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में है। यद्यपि हमारे देश में ममदीय कार्यपालिका स्थापित है, तथापि सविधान का यह भाग मुख्यतः अलिखित अथवा अस्पष्ट है। सविधान में जहाँ कार्यपालिका शक्तियाँ गृह्यपति में निहित की गयी हैं, वही उसमें मन्त्रि-परिषद् की भी व्यवस्था है और इस मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री को बनाया गया है तथा उसे ससद के प्रति उत्तरदायी भी बनाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सविधान की व्यवस्थाओं में अस्पष्टता पायी जाती है। परन्तु इस अस्पष्टता के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की कार्यपालिका ससदात्मक है, अध्यक्षतात्मक नहीं। सविधान की यह विशेषता एक बड़ी सीमा तक उस अभिसमय पर आधारित है जिसका आरम्भ नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित्व के समय में हुआ था। चूंकि नेहरू जी के स्तर का नेता प्रधानमन्त्री था इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रधानमन्त्री का पद अधिक गौरवपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता। यह परम्परा कालान्तर में सविधान का एक अंग बन गयी।

(ii) राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार सामान्यतः सम्बद्ध राज्य की सरकार से परामर्श करती है, यद्यपि इस प्रकार की कोई व्यवस्था सविधान में नहीं है।

(iii) लोकसभा तथा राज्यों की विधानमण्डलों के अध्यक्ष निर्दलीय अथवा निष्पक्ष होने चाहिए, यह वान भी अभिसमय पर आधारित है।

(iv) राज्यों के मुख्यमन्त्रियों तथा प्रधानमन्त्री को विधानमण्डल में बहुमत वाले दल में से लिया जाता है। सविधान की यह विशेषता भी अभिसमय पर ही आधारित है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सविधान का अलिखित भाग जिसमें सविधान के अभिसमयों की रचना होनी है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि लिखित भाग। दोनों भागों का महत्त्व-अस्तित्व कभी-कभी गम्भीर संघर्ष को जन्म दे सकता है। चौथे आम चुनावों के पश्चान् राज्यों में डम सकट के स्पष्ट संकेत दृष्टिगोचर होने लगे थे। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसकी विवेचना अलग में होनी चाहिए।

सम्पूर्ण विवेचन से यह प्रमाणित है कि भारतीय सविधान के अनेक स्रोत हैं। यद्यपि यह एक विस्तृत आलेख है जिसमें प्रत्येक बात का समावेश करने का प्रयास किया गया है तथापि उसमें अभिसमयों का विकास हुआ है और उन्हें सविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

प्रश्न

- 1 1935 के सविधान का नवीन सविधान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आप इन में महत्त्व है विस्तृत भारत का सविधान 1935 के अधिनियम की नवीन मान है?
- 2 इस कथन का परीक्षण कीजिए कि भारत का सविधान एक 'उधार की बेली' है। उदाहरणों में अपने उत्तरों को पुष्टि कीजिए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION)

भारत के संविधान न केवल सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना का है; अतः यह उचित ही है कि इस संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन का आरम्भ उसकी विशेषताओं के साथ करें।

1. लिखित एवं सख्त अधिक व्यापक संविधान

भारतीय गणतंत्र का संविधान एक लिखित (written) संविधान है। आखेर जिनस के तहत यह विषय में सख्त अधिक विस्तृत एवं सख्त अधिक विवरण (detailed) संविधान है। इसमें 397 धाराएँ हैं जो 22 अध्यायों में विभक्त हैं तथा इनके अतिरिक्त इसमें 9 सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का आकार कितना विशाल है इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि यह सयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पाँच गुना और फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान से सात गुना अधिक बड़ा है। यहाँ तक कि यह ग्रीस के संविधान से भी (जो फ्रांस और सयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी बड़ा है) अधिक विस्तृत है। अधिक बड़ा है।

प्रश्न है कि भारतीय संविधान का इतना अधिक विस्तृत क्यों बनाया गया है? सम्भवतः इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय संविधान महात्मक है तथा उस सयुक्त राज्य अमेरिका के सहात्मक ढाँचे के आधार पर निर्मित न करके कनाडा के सहात्मक ढाँचे के आधार पर निर्मित किया गया है। अमेरिकी संविधान में केवल राष्ट्रीय सरकार के संगठन का वर्णन किया गया है। यही बात स्वित्जरलैंड, जापानिया तथा सोवियत संघ के संविधानों के सम्बंध में कही जा सकती है। परन्तु कनाडा के संविधान की भाँति ही भारतीय संविधान में जहाँ राष्ट्रीय सरकार के संगठन का उल्लेख है वहाँ उसमें संघ में सम्मिलित स्वदेशीय के संगठन का भी वर्णन पाया जाता है। यहाँ इस सम्बंध में ध्यान में रखने योग्य बात यह भी है कि आरम्भ में भारतीय संघ की स्थापना का चार प्रणियाँ में विभाजित किया गया था। अतः यह आवश्यक था कि इन चार प्रकार के संघों के संगठन का संविधान में अलग अलग उल्लेख किया जाता।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय स्वरूप ने संविधान के विस्तृत हान में एक अन्य प्रकार से भाग अपना योगदान दिया है। संविधान में संघ और संघों के पारस्परिक सम्बंधों का भी वर्णन है। संविधान के ग्यारहवें अध्याय में केवल और संघों के बीच पाये जाने वाले विधायी सम्बंधों का उल्लेख है। इस अध्याय में 19 अनुच्छेद हैं तथा इसके अतिरिक्त संविधान की भाँति सूची में भी संघों के सम्बंधों का वर्णन किया गया है। संघ और संघों के बीच पाये जाने वाले विस्तीर्ण सम्बंधों का उल्लेख संविधान के ग्यारहवें अध्याय में किया गया है और इसमें 99 धाराएँ हैं। इसके अतिरिक्त 263वाँ धारा में अंतर-संघीय निर्णयों का प्राविधान किया गया है तथा 262वाँ धारा में संघों के अंतर-संघीय निर्णयों का प्राविधान किया गया है तथा 262वाँ धारा में संघों के अंतर-संघीय निर्णयों का प्राविधान किया गया है तथा 262वाँ धारा में संघों के अंतर-संघीय निर्णयों का प्राविधान किया गया है।

संविधान के आकार के बड़े हान का एक दूसरा कारण यह है कि उसमें न केवल केवल एक संघों की संरचना के संगठन का वर्णन किया गया है। अपितु उसमें प्रशासनिक स्तरों की भी संरचना है। विषय के अन्य संविधानों में इस स्तरों का सामान्यतः एक माध्यम कायम के द्वारा

निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सविधान की 24 धाराओं में सघीय न्याय-पालिका के गठन का वर्णन किया गया है तथा 4 धाराओं में राज्यों की न्यायपालिका के गठन का उल्लेख है।

सविधान के विस्तृत होने का एक तीसरा कारण यह है कि उसमें जहाँ मूल अधिकारों का विशद वर्णन है, वहाँ उसमें उन अधिकारों के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों का भी व्यौरा उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उसके चौथे अध्याय में ऐसे निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिन्हें यद्यपि न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परन्तु जिन्हें देश के शासन-तन्त्र की आधारभूत अवधारणा घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सविधान का कलेवर इसलिए और अधिक बट गया है क्योंकि उसमें कुछ समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है जो भारत की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं तथा जिनके निराकरण की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार की समस्याओं में अल्पसंख्यकों की समस्या, पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियों की समस्या, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की समस्याएँ प्रमुख हैं। इनका उल्लेख सविधान के सत्रहवें अध्याय (9 अनुच्छेदों) में तथा पाँचवीं और छठी सूची में हुआ है। सविधान में सन्निहित सकटकालीन प्राविधानों के कारण भी उसके आकार में वृद्धि हुई है।

कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि सविधानकारों को इतने लम्बे सविधान को निर्मित करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय सविधान की यह विशेषता मुख्यतः भूतकाल की देन है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 और 1935 में भारत के लिए अत्यधिक विशद सविधानों की रचना की थी। इस सम्बन्ध में एन० श्रीनिवासन् का यह कथन उल्लेखनीय है कि 1935 के ही अधिनियम की ही भाँति भारत का नवीन सविधान 'केवल सविधान ही नहीं है अपितु एक विस्तृत कानूनी संहिता भी है जिसमें देश की समूची साविधानिक एवं प्रशासकीय पद्धति से सम्बद्ध समस्त महत्त्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख है।' इसका एक दूसरा उत्तर भी हो सकता है। जिस समय सविधान की रचना हो रही थी, उस समय देश में राजनीतिक परिपक्वता इतनी अधिक नहीं थी कि किसी भी बात को अभिसमयों के विकसित होने के लिए छोड़ा जाता। अतः सविधानकार यह जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे कि सविधान से सम्बद्ध किसी भी पहलू को अपरिभाषित छोड़ा जाये।

भारतीय सविधान के इस लम्बे आकार ने दो दुष्परिणामों को जन्म दिया है। सर्वप्रथम इसके फलस्वरूप सविधान की दुःसशोध्यता में वृद्धि हुई है। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि सविधान के सन्दर्भ में 'दुःसशोध्यता' शब्द का अर्थ सदैव सापेक्ष होता है और उसका सम्बन्ध केवल इस बात से होता है कि सविधान को सशोधित करने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, उसका सम्बन्ध इस बात के साथ भी होता है कि सविधान के प्राविधान क्या हैं। यदि सविधान का आकार अत्यधिक विशाल है तो उस स्थिति में उसमें सशोधन की सम्भावना कम रहेगी। इसके अतिरिक्त सविधान की वृहत्ता ने उसे इतना अधिक जटिल बना दिया है कि वह जनसाधारण की समझ से परे हो गया है। संयुक्त राज्य अमरीका में सविधान को माव्यमिक म्कूलों के पाठ्य-क्रम में स्थान दिया गया है, किन्तु भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यद्यार्थ में भारतीय सविधान के अध्ययन के उपरान्त इस निष्कर्ष से वचना कठिन है कि 'वह एक ऐसा प्रलेख है जिसे वकीलों ने वकीलों के लिए निर्मित किया है।' सविधान के कार्यान्वित होने के बाद जितने साविधानिक मुकदमों सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, उनसे इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है।

2 विश्व की अनेक साविधानिक प्रणालियों के आधार पर निर्मित सविधान

भारतीय सविधान के ऊपर नामान्यत यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें मौलिकता का नितान्त अभाव है तथा उसकी रचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त असंगत तत्त्वों के द्वारा हुई है।

रम प्रकार क जाचक सविधान क सम्बन्ध म नयसी क रम मन का उद्धरण त्त = कि सविधान उम षी पीध क समान है जा विष्णो भूमि पर नहा उगता तथा व कहत = कि भारतीय सविधान म भारतीय परम्पराजा का ध्यान म नही रखा गया है तथा उमका निर्माण समार क विभिन्न सविधाना म उगार निय गय त-वा क ारा किया गया = । उदाहरण क निय 1953 म सागर म णिव्यन पोटिन्विकन मास एसामियन क दृण वापिक सम्मेलन म अध्यक्ष पत् से भाषण दत ण प्राफसर बोधराज ार्मा न सविधान की ष्वर विहान ामनिरपे त्ता तथा समीय ाकतत्र णी यह कर्कर ानाचना की था कि उह षी चम म उधार दिया गया है तथा उहान त्स बात पर ष्ट प्रकट किया था कि नय भारत क ामनतत्र म प्रणामन एव सरकार स सम्बद्ध हमार षी मिद्धान्ता को स्थान त्त का काट प्रयास नहा किया गया । कुठ ानाचका न सविधान की यह कहकर भी ानाचना की = कि उमम गाी जी क मिद्धाना का भी स्थान त्त का प्रयत्न नहा किया गया है । यत्न त्त जारापा पर विचार करन की आवश्यकता है ।

यह मच = कि भारतीय सविधान की रचना म विष्णो सविधाना का प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है । वस्तुतः ामा ाना स्वाभाविक भी था । त्रिनेन के साथ भारत का णीधकात म सम्बन्ध रहा था । अतः यत्नि भारतीय सविधानकारा न त्रिनेन की साविधानिक परम्पराजा का अनुकरण किया ता त्तम ाचय की कोर्त बात नहा थी । त्तम प्रकार सविधानकारा न मयुक्त राय जमराका कनाण जाम्पनिया दक्षिण जफाका तथा आयरलण्ड आदि त्तम क सविधाना स भी बहून कुट्ट सामग्री ग्रहण का है । परंतु त्तमका जाणय यह क्तापि नहा है कि सविधान म काँ मौनिकता नहा है । किमी भी सविधान की रिकता म रचना नहा ाती । सविधाना की रचना त्रिसी निश्चित सामाजिक ार्थिक एव राजनीतिक पृष्ठभूमि म ाती है अतः काँ भी सविधान उम पृष्ठभूमि की उपे ना नहा कर सकता । भारतीय सविधान की रचना वामवा ानाती क मध्य म हुई थी अतः सविधानकारा क सम र जा समस्याए प्रस्तुत थी व जाधुनिक युग की समस्याए था और उनका समाधान आधुनिक ागाका स ा ना सकता था । उनका मृतमान म भारत क परम्परावाती मिद्धान्त प्रभाववाती नहा ा सकता थ । त्तमक जतिरिक्त यत्नि यह ष्वीकार भी कर दिया जाय कि सविधानकारा न त्तम परम्पराजा का जवत्तना करत गतती की ह ता यह त्तन प्रस्तुत ाता है कि उतः भारत की कौनसी परम्परा का अनुगमन करना चाहिए था । भारत म काँ एक राजनीतिक परम्परा ामी नहा रही है त्रिसका प्रयक् युग म तथा त्तम क प्रयक् भाग म पानन ह्जा हो । ामी स्थिति म यत्नि किमी एक परम्परा का अनुगमन किया भी जाता तो उमक ाट भी त्तम विवाट क त्रिण गजा ा रत्ता कि क्या उम परम्परा का पानन किया जाना उचित था । वस्तुतः त्तम प्रकार की ानाचना कान वाने यह बूत जान है कि साविधानिक मिद्धान्त एव स्वरूप काँ कापीराट्ट सामग्री नहा है जिनका जय गया व द्वाग प्रयाग वानून क द्वाग वजित कर दिया गया ना । त्तम सम्बन्ध म त्तम ामा वा यत् नथन उद्धरणाय है—हमार सविधान निर्माताआ का उद्द य एक मौनिक अथवा जनागा सविधान बनाना न था । व चान्त थ कि व्यावहारिक दृष्टि म एक अ-ग व सफ त्त सविधान बनाना जाय । त्तनुमार उतःने विष्णो सविधाना म स्वतःत्वापूर्वक एव प्राविधान निय है जा वत्न सफ त्त मिद्धान्त और जो अपन त्तम की त्तमाआ क त्रिण उभयुत समझे गय ।

3 ावनात्रिक सविधान

क भी ष्वीयर न भारताय सविधान का उगार सविधान बनाना = । वस्तुतः सविधान कारा न ावनात्रिक प्रणाला को स्थापित करन क अपन निश्चय की जम्बिव्यक्ति 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) क ारा ना कर ती था । मव त्तपगत सविधान की प्रस्तावना म भी उतःने अपन त्तम मकय को त्तगाया था कि व त्तम म ावनात्रिक व्यवस्था का जम त्तना चान्त है । यत्नि प्रस्तावना क ारा ना ध्यानपूर्वक पढ़ा

जाये तो उममें यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत में लोकतन्त्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही मर्यादित नहीं है, अपितु उसका सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी विस्तार करने की प्रतिज्ञा की गई है। संक्षेप में भारतीय मविधान उदारवाद एवं समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऋतमकल्प है।

सविधान में सन्निहित लोकतान्त्रिक तत्त्वों को यथार्थ में सविधान के सभी अध्यायों में अवलोकित किया जा सकता है, परन्तु मूल अधिकारों के अध्याय में इन तत्त्वों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। सविधान ने केन्द्र और राज्यों में विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा है। सविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इन प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के उपरान्त वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा। वस्तुतः 21 वर्ष की आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने के परिणामस्वरूप आज भारत ससार का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश बन गया है, जितने मतदाता आज भारत में पाये जाते हैं, उतने विश्व के किसी अन्य देश में नहीं पाये जाते। इस बात का महत्त्व उस समय और भी अधिक बढ़ जाता है जबकि हम इस बात को भी ध्यान में रखे कि स्वाधीनता से पूर्व भारत में अत्यधिक सीमित मताधिकार था तथा निर्वाचन-क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित थे। नवीन सविधान ने जहाँ मताधिकार को व्यापक बनाया है, वहाँ उसने साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों का भी अन्त किया है। मूल अधिकारों के माध्यम से उसने भारत के ममस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का भी आश्वासन दिया है। सविधान की यह व्यवस्था देश में सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करती है। भारतीय लोकतन्त्र के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि वह केवल बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर शासन मात्र नहीं है, अपितु वह अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों की सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त उसमें समाज के पिछड़े हुए वर्गों के हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्राविधानों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधानकारों ने लोकतन्त्र की स्थापना करने के समय इस बात को ध्यान में रखा है कि देश को इन बुराइयों से दूर रखा जा सके जो अविश्वसित देशों में लोकतन्त्र के साथ सामान्य रूप में उत्पन्न होती हैं।

4 मसदीय कार्यपालिका

भारतीय सविधान ने केन्द्र और राज्यों में मसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की है। सविधान सभा में वस्तुतः इस प्रश्न के ऊपर पर्याप्त मात्रा में विचार-विमर्श हुआ था कि नवीन भारत की कार्यपालिका की स्थापना ब्रिटेन की मसदीय कार्यपालिका के अनुरूप की जाय अथवा मयुक्त राज्य अमरीका की कार्यपालिका के अनुरूप अव्यक्षात्मक कार्यपालिका का निर्माण किया जाये। लम्बे विवाद के उपरान्त सविधान सभा ने मसदीय कार्यपालिका को स्थापित करने का निर्णय लिया। यथार्थ में इस प्रकार का निर्णय स्वाभाविक भी था क्योंकि 1919 और 1935 के अधिनियमों के अन्तर्गत भारतीय जनता को एक सीमा तक मसदीय कार्यपालिका के परिचालन का अनुभव प्राप्त हो चुका था, बाद में 1947 में देश स्वाधीन होने के बाद उत्तरदायी शासन के ऊपर ब्रिटेन द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध उठ जाने के पश्चात् देश की जनता ने मसदीय लोकतन्त्र का पूर्ण अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। यही नहीं, सविधानकारों का यह विश्वास था कि अन्वयात्मक कार्यपालिका की अपेक्षा मसदीय कार्यपालिका इसलिये अधिक अच्छी होती है क्योंकि उममें कार्यपालिका के लिये विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उन सम्बन्ध में सविधान सभा में डा० अम्बेदकर ने कहा था कि 'इस पद्धति में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का दैनिक एवं एक निश्चित अवधि के उपरान्त मूल्यांकन होता रहता है।' कार्यपालिका का निश्चित अवधि के उपरान्त मूल्यांकन ग्राम चुनाव के समय निर्वाचकों के द्वारा होता

है जनतोगत्वा निवाचक हा कायपात्रिका द्वारा निष्पादिन कार्यो क औचित्य अथवा जनीचिदय पर अपना अन्तिम निणय त्त है। कायपात्रिका क कार्यो तथा नातिया वा दनिक मूयाकन निवाचका त्तरा निवाचिन प्रतिनिधिया के द्वारा विधानमण्डन म हाता है। एम प्रकार स्पष्ट है कि सविधान सभा न समदाय कायपात्रिका का निणय जान-बूझकर लिया था। इस प्रकार की कायपात्रिका म गक्तिया क पृथक्करण क मिद्धात को कोई स्थान नहा लिया जाता। अत भारतीय सविधान म राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा की स्थिति जसी हाती है अमरीकी राष्ट्रपति जसी नहा। डा जम्बदकर क गत्ता म वह गत्त का प्रतीक है उसका ग्रासक नहा। सब की कायपात्रिका गक्ति का परिचायन उमके नाम म हाता है परन्तु उमका वास्तविक प्रयाग मन्त्रि मण्डन त्तरा हाता है जिसस सविधान क त्तरा यह अपभा की जाती है कि वह नासभा क प्रति उत्तरदायी हागा। यहा उत्तरदायीय है कि सविधान का व्यवस्थाजा स यह बात स्पष्ट नही है कि भारत की कायपात्रिका समन्वीय ही है अर्धशात्मक नहा है। वस्तुन सविधान म जहा यह लिखा है कि कायपात्रिका नासभा क प्रति उत्तरदायी होगी वहाँ उसम यह भी लिखा है कि मन्त्री राष्ट्रपति क प्रसाद कान म ही अपन पद पर काय कर सकेंगे। सविधान म एक स्थान पर लिखा है कि राष्ट्रपति का उमक कार्यो म महायता एव परामग देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् हागी जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हागा। परन्तु सविधान म कहा भी यह नहा लिखा कि राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डन द्वारा दिया गया परामग प्रत्येक स्थिति म स्वीकार करना पड़ेगा। अत यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान म कायपात्रिका का वास्तविक स्वरूप अभिसमया क द्वारा निर्धारित हुआ है।

5 धमनिरपक्ष राज्य

यद्यपि सविधान म स्पष्ट गत्ता म यह कहा नहा लिखा है कि भारत एक धमनिरपक्ष राज्य (Secular State) है तथापि एस तथ्य की अव्यक्तता नहा की जा सकती कि सविधानकार दग म एक धमनिरपक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहत थ। वस्तुन सविधान सभा म दृष्ट विवादा स एम सत्य की अभिव्यक्ति भनी प्रकार हा जाती है। धमनिरपक्ष राज्य म स्वीकारात्मक एव निपधात्मक दोना प्रकार क पहलू पाय जात हैं। निपधात्मक रूप म वह साम्प्रदायिक अथवा धमसापक्ष (Theocratic) राज्य क मवथा विपरीत है कयाकि उसम राज्य किसी भी धम विाप न साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहा करता तथा किसी भी धम क मिद्धाता को अपना पथप्रणक नहा मानता। वेंडटारमन न लिया है कि धमनिरपक्ष राज्य न ता धार्मिक होता है न जर्वामिक और न धम विराधी परन्तु वह धार्मिक क्रियाजा एव अधविवासा म अपन आपका पूणत पृथक रखता है और एम प्रकार उस धार्मिक मामला म तन्मथ कहा जा सकता है। जन एस मायता क अनुकूल एम राज्य म नागरिका पर एम कर आरोपित नहा क्रिय जात जिनम प्राप्न जाय का किसी धम विाप क प्रचार म यथ किया जाय।

स्वीकारात्मक रूप म धमनिरपक्ष राज्य अपन समस्त नागरिका का समान दृष्टि म दखता है तथा धम क आधार पर किसी भी प्रकार क भेदभाव को स्वीकार नहा करता। एतम एम राज्य म सभी नागरिका को चाह उनका धम कुद्ध भी क्या न हा उन्नति करन क समान अवसर प्राप्त हात हैं।

उपपक्त ताना समीच्या क आधार पर भारत का धमनिरपक्ष ताना अमन्थिध धापित का जा सकता थ। भारत म सभी नागरिका का समान अधिकार प्रदान क्रिय गय है तथा क्रिया भा नागरिक का उसक धम के आधार पर उसक अधिकारा म बचिन नत्ता रखा जा सकता। भारत का धमनिरपक्ष ताना की अभिव्यक्ति एम तथ्य क द्वारा ना ताना है कि एमार सभी साम्प्रदायिक निवाचा नेत्रा का अन्त कर लिया गया है तथा उनक स्थान पर समुक्त निवाचन त्त्र स्थापित क्रिय गय है। भारतीय सविधान न प्रत्येक भारतीय नागरिक का किसी भी धम का मानन एमक अनुमाग आवरण करन तथा उमका प्रचारित करन का अधिकार प्रदान क्रिया है तथा माथ हा म

उन्हे किमी भी धर्म को न मानने की भी छूट है। सत्रिवान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यह आश्वासन भी प्राप्त है कि लोक-सेवाओं में नियुक्ति के समय किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायगा।

कुछ लोगो ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की यह कहकर आलोचना की है कि वह अनैतिक एवं अभारतीय है। वस्तुतः यह आलोचना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के साथ न्याय नहीं करती। नैतिकता का सम्बन्ध आवश्यक रूप से धर्म के साथ नहीं है। विश्व का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ धर्म के नाम पर भयंकर अनैतिक काम किये जा चुके हैं। इसी प्रकार उसे अभारतीय बताना भी केवल सकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। सच बात यह है कि दर्शन अथवा सिद्धान्त किमी भी प्रकार के भौगोलिक अथवा राजनीतिक सीमान्तों को स्वीकार नहीं करता तथा किसी भी सिद्धान्त पर किसी राज्य विशेष का पेटेन्ट अधिकार भी नहीं होता। कोई भी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सिद्धान्त को अपनी सांविधानिक प्रणाली में स्थान दे सकता है।

6 प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य

सविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) घोषित किया गया है। यहाँ इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 16 मई 1949 को सविधान सभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्र-मण्डल में शामिल होने का निर्णय किया था। यद्यपि इस अवसर पर भाषण करते हुए नेहरू जी ने सविधान सभा में यह कहा था कि 'यह एक ऐसा समझौता है जिसे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा किया गया है तथा जिसे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा तोड़ा भी जा सकता है।' बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता भारत के गणतान्त्रिक स्वरूप के साथ मेल खाती है? आखिर राष्ट्र-मण्डल ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति पर आधारित है, स्पष्टतः इस बात का किमी भी गणतन्त्र के साथ मेल नहीं हो सकता। निम्नन्देह इस तर्क में निहित शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसके साथ में ध्यान में रखने की बात यह भी है कि अप्रैल 1949 में राष्ट्र-मण्डल के प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन लन्दन में हुआ था जिसमें इस दुविधा का निवारण करने के लिए एक फार्मूला निकाला गया। इस फार्मूले के अनुसार एक गणतान्त्रिक राज्य को भी राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि देश के बहुत से राजनीतिक दलों ने भारत की राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता को देश की स्वतन्त्रता के लिए असंगत बताया है तथापि इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उससे भारत के स्वतन्त्र आचरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

7 सुसशोध्यता एवं दुस्सशोध्यता का सम्बन्ध

बहुधा सविधानों को सुसशोध्य (flexible) तथा दुस्सशोध्य (rigid) सविधानों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। परन्तु यथार्थ में इस प्रकार की वर्गीकरण बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई भी सविधान न तो पूर्ण रूप से सुसशोध्य होता है तथा न पूर्ण रूप से दुस्सशोध्य। इस दृष्टि से सविधानों में जो भी अन्तर पाया जाता है, वह केवल मात्रा का होता है गुण का नहीं। भारतीय सविधानकार देश के लिए एक ऐसा सविधान निर्मित करना चाहते थे जिसमें उपर्युक्त दोनों प्रकार के सविधानों का सम्बन्ध पाया जाता। वस्तुतः उनके लिए ऐसा करना आवश्यक भी था क्योंकि जहाँ सविधान को राजनीतिक दलों के हाथ में खिलौना बनने से रोकना था वहाँ यह भी आवश्यक था कि उसके विकास के मार्ग को अवरोध न किया जाये। इस सम्बन्ध में सविधान सभा में नेहरू जी ने भाषण था यह अज उद्गम्य है—'जहाँ हम चाहते हैं कि यह सविधान बनना ठोस और स्थायी होना चाहिए, जितना वह हो सकता है, वहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि सविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। उसमें एक मात्रा में लचीलापन भी होना चाहिए। यदि आप सभी वानों

को बठार और स्थायी बना देंगे ता आप राष्ट्र की जीवित क्रियाशील एवं जवयवा जनता का विश्वास राक देंगे। हम किसी भी स्थिति में हम संविधान का रचना बठार नही बनाना चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियाँ के अनुसार अपने आपको न डाल सकें। फलतः यह स्वाभाविक है या कि संविधानकार जिसे संविधान की रचना करने उसमें मुमशायता एवं दुस्संगायता का एक अग्रव मिश्रण पाया जाता।

संघीय संविधान बनाने का कारण यह आवश्यक था कि उसमें एक सीमा के अन्तर्गत दुस्संगायता के तत्त्व पाये जाते। जाँवर जनिम ने भारतीय संविधान में दुस्संगायता के तत्त्वा का ही अवलम्बित किया है। अपने इस मन के समर्थन में जनिम ने दा तब प्रस्तुत किया है प्रथम संविधान के संशोधन की विधि साधारण कानून बनाने की विधि की अपेक्षा कुछ अधिक उच्च है तथा द्वितीय संविधान का जाकार उन्नत बना है। परन्तु कुछ अन्य तथ्यांशों ने इस मन के साथ अपनी असहमति व्यक्त की है। एलेक्जेंड्रोविक (Alexandrowics) ने निम्ना है कि इस बात के बावजूद भी कि भारतीय संविधान का जाकार बहुत उच्च है तथा उसमें संशोधन केवल एक विधिगत प्रक्रिया के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है उस पर दुस्संगायता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सच बात यह है कि भारतीय संविधान में दुस्संगायता के दापा को कम करने की कोशिश की गई है। फलस्वरूप संविधान में यह व्यवस्था है कि आपातकाल में जिना किसी संशोधन के संघात्मक राज्य में एकात्मक राज्य की व्यवस्था स्थापित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था जिना अन्य संघीय राज्यों में नहीं पाई जाती।

संविधान की 368वीं धारा में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद विधायक के रूप में संविधान में संशोधन का प्रस्तावित कर सकती है और यह विधायक उसी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधायक के पारित होने के सम्बन्ध में संविधान में विधि व्यवस्था है। सबसे प्रथम उसमें पारित होने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि संसद के दोनों सदन उस अवधि में एक ही रूप में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत में स्वीकार कर तथा इस विधायक पर मतदान करने वालों का संख्या प्रत्येक सदन में उसकी कानूनी संख्या का बहुमत होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि संशोधन के पारित होने के लिए नौकमभा के कम से कम 263 सदस्यों तथा राज्य सभा के 119 सदस्यों का समर्थन अत्यन्त आवश्यक है। द्वितीय सदन द्वारा उपयुक्त विधि में पारित होने के उपरान्त विधायक को राष्ट्रपति के सामने उसका स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी कार्यक्षमता केवल उसी समय तक सक्ती जबकि उस राष्ट्रपति भी स्वीकार करेगा। सामान्यतः संशोधन के सम्बन्ध में इसी प्रक्रिया का व्यवहार में लाया जाता है परन्तु संविधान में कुछ भागों का संशोधित करने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि उस काम में कम से कम राज्य के विधानमण्डल का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार जिन संशोधनों के लिए राज्यों का स्वाकृति आवश्यक है उन्हें राष्ट्रपति के सामने उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें राज्यों के विधानमण्डल द्वारा स्वीकार नहीं कर लें।

संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें संशोधित करने के लिए केवल संसद द्वारा संशोधन का धारण कानून की आवश्यकता माना गई है। इस प्रकार के संशोधनों में नये राज्यों का रचना प्रचलित राज्यों का पुनर्गठन तथा राज्यों के द्वितीय सदन का उद्घाटन (अनुच्छेद 4, 169 और 240) आदि शामिल हैं।

संविधान में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रियाओं का एक के विभिन्न तथ्यों में जानाचना का गई है। आलोचकों का पहला आपत्ति यह है कि हमारे देश में संशोधन के मामलों में जनता की भागीदारी का प्रयास नहीं किया गया है तथा उस पर केवल संसद का एकाधिकार स्थापित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संसद राज्य असेम्बली स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया जैसी देशों में संशोधन के पारित करने में जनमत-संग्रह का व्यवस्था पाई जाती है। भारत में इस

व्यवस्था का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आलोचना का औचित्य इसलिए और भी है क्योंकि हमारे देश में सत्ता मुख्यतः एक ही दल के हाथों में रही है, इसी दल ने देश के संविधान की रचना भी की थी। अतः आलोचकों के इस कथन में एक बड़ी मात्रा में सत्य पाया जाता है कि आधुनिक संविधान कांग्रेस दल का संविधान है।

8 संविधान की अन्य विशेषताएँ (Other Features)

मूल अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त—उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त संविधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं जिनमें मूल अधिकार तथा नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था को प्रमुख समझा जाना चाहिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारतवासियों के लिए मूल अधिकारों जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हमारे आधुनिक संविधान में इस कमी को दूर किया गया है तथा उसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान में जिन अधिकारों को मान्यता दी गयी है, उन्हें सात शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैं—

- (1) समानता का अधिकार,
- (2) स्वतन्त्रता का अधिकार,
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
- (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,
- (5) सस्कृति और शिक्षा का अधिकार,
- (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा
- (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार।

संविधान के एक प्राविधान के अनुसार राज्य को किसी ऐसे कानून को बनाने के अधिकार में वंचित रखा गया है जिससे नागरिकों के उपर्युक्त मूल अधिकारों पर आघात पहुँचता हो। इन अधिकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उनका सम्बन्ध सामान्यतः पश्चिम के उदारवादी लोकतान्त्रिक दर्शन के साथ है, फलतः वे उन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं जो आज के युग में केवल हमारे देश के सन्मुख ही नहीं अपितु प्राचीन व्यवस्था में रहने वाले सभी देशों के समक्ष गम्भीर रूप से प्रस्तुत हैं। संविधानकार इस तथ्य से अवगत थे, अतः उन्होंने कुछ अन्य अधिकारों की भी व्यवस्था की, परन्तु उनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि उनकी कार्यान्विति के न होने पर किसी न्यायालय में शिकायत नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार के अधिकारों को राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। वस्तुतः नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को हमें भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता समझनी चाहिए। इन सिद्धान्तों के माध्यम में संविधान-निर्माताओं ने भारतीय गणराज्य के लक्ष्यों एवं आदर्शों की घोषणा की है।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

सविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एव नीति निर्देशक सिद्धान्त

(PREAMBLE FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE DIRECTIVE PRINCIPLES)

सविधान की प्रस्तावना

प्रत्येक सविधान का आरम्भ एक प्रस्तावना के साथ होता है जिसमें उसके मूल उद्देश्य समिहित होते हैं। इस व्यापक नियम का अभी तक केवल एक ही अपवाद रहा है और वह था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1935 का अधिनियम। अंग्रेजों ने इस अधिनियम की रचना करते समय इस पीढ़ियाँ पुरानी परम्परा का पालन क्या नहीं किया इसके कारण की खोज करना कोई कठिन कार्य नहीं है। स्पष्टतः अंग्रेजों ने इस देश के सदस्यों में जो उद्देश्य निश्चित किये थे वे ऐसे नहीं थे जिनकी खुलकर घोषणा की जा सकती। यदि वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने उद्देश्य घोषित करते तो इससे इंग्लैंड की जनता के असन्तुष्ट हान की आकांक्षा थी और यदि इंग्लैंड के लोगों की इच्छा को ही ध्यान में रखकर कोई घोषणा की जाती तो उससे भारतीय जनता के अपसन्न होने का भय था। परन्तु नवीन भारत के निर्माताओं के समान इस प्रकार का कोई धर्म नहीं था। वस्तुतः प्रस्तावना की रचना के रूप में उन्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था जिसके माध्यम से वे इस देश में स्थापित होने वाली नई व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्वप्नों को अभिव्यक्त कर सकते थे जिन्हें यह देश गतात्म्या से सजाय चना आ रहा था।

नवतः भारतीय सविधान का आरम्भ उक्त प्रस्तावना के साथ होता है जिसके द्वारा उक्त देश में एक ऐसे युग का आरम्भ करने का संकल्प किया है जिसमें देश की जनता के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को उच्चतम मानव गरिमा एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप निर्मित किया जायगा। अपनी अतिम पुस्तक *Principles of Social and Political Theory* में अल्फ्रेड वाकर ने हमारे सविधान की प्रस्तावना को विषय-सूची के दाल के पृष्ठ पर उद्धृत किया है तथा उसके सम्बन्ध में लिखा है कि जब मैं उस पन्ना हूँ तो मुझे यह लगता है कि उक्त पुस्तक का अधिकांश भाग तो उसमें वर्णित है और उसमें उसकी कड़ी माना जा सकता है। मैं उस उद्धृत करने के लिए तैयार हूँ और मानता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोग अपने स्वतंत्र जीवन का आरम्भ राजनीतिक परम्परा के उन सिद्धान्तों के साथ कर रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम के लोग पश्चात्य कहकर पुकारते हैं परन्तु जो अब पश्चात्य में कहा अधिक है।

सविधान की प्रस्तावना से सम्बद्ध कोई भी विवेचना उस समय तक पूर्ण नहीं माननी जा सकती जब तक कि उसमें नहल जो द्वारा सविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 का प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव का उक्तयन किया जाय। इस प्रस्ताव में भारतीय जनता के उक्त आकांशों की अत्यधिक सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रस्ताव में अयतना के साथ यह भी कहा गया है कि जिसमें भारत के समस्त लोगों के लिए अधिकार प्राप्त किये जायें और प्रत्याभूत हान—न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक एवं अवसर तथा धन के समान समानता विचार अभिव्यक्ति विचार पूजा व्यवसाय मध्य और कार्य का स्वतंत्रता कानून एवं नतिकता के अधीन तथा जिसमें अर्थ मन्थन गिच्छे हुए तथा जनजातीय शत्रु और दलित तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए पयान मरणगा

की व्यवस्था की जायेगी ।’

प्रस्तावना का कानूनी महत्त्व—मेक्सवेल ने लिखा है कि किसी भी ‘सविधान की प्रस्तावना उसके अर्थ को समझने का अच्छा साधन है, वह उसके समझने की कुजी है ।’ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश स्टोरी ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि ‘सविधान की प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुजी है, कि वे उसके द्वारा कितने बुराइयों को दूर करना चाहते थे तथा सविधान की व्यवस्थाओं के द्वारा वे कितने उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते थे ।’ भारतीय सविधान की प्रस्तावना के महत्त्व को सविधान सभा के एक सदस्य पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—‘प्रस्तावना सविधान का सबसे अधिक मूल्यवान् भाग है । वह सविधान की आत्मा है । वह सविधान की कुजी है । वह वस्तुतः मापक है जिसकी सहायता से सविधान के मूल्य को आँका जा सकता है ।’ संक्षेप में, प्रस्तावना में सविधान के उद्देश्य तथा उसकी नीतियों का उल्लेख है । सविधान के वास्तविक भाग में उन नीतियों को व्यौरे सहित स्पष्ट भाषा में लिखा होता है । अतः जहाँ सविधान की भाषा स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों के आधार पर सविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न नहीं उठता । परन्तु जैसा डा० डी० डी० वसु ने लिखा है कि ‘जहाँ सविधान का कानूनी भाग अस्पष्ट है, वहाँ उसकी व्याख्या करने के लिए तथा उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है ।’ इसी प्रकार का मत सर्वोच्च न्यायालय ने ‘ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य’ नामक मुकदमे में व्यक्त किया था । इस मुकदमे में जस्टिस पतजलि शास्त्री ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि यद्यपि सविधान ने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिये हैं, ‘परन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि उसके प्राविधानों की भाषा की इस प्रकार खीच-तान की जाए कि कानून की व्याख्या के सभी नियमों का उल्लंघन करके उसका ताल-मेल किसी न किसी साविधानिक सिद्धान्त के साथ बैठा दिया जाय ।’ किन्तु जब भी व्यवस्थापिका ने किसी साविधानिक नीति की स्थापना की है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखने का प्रयत्न किया है कि उस नीति को प्रस्तावना के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है अथवा नहीं ।

प्रस्तावना की व्याख्या

प्रस्तावना की व्याख्या के पूर्व उसको जान लेना आवश्यक है । प्रस्तावना निम्नलिखित है—
हम भारत के लोग, भारत को एक ‘सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य’ बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता’ को उपलब्ध कराने के लिए, तथा उन सबमें ‘व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बन्धुत्व’ की अभिवृद्धि करने के लिए, दृढसंकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को एतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म-समर्पित करते हैं ।’

उपर्युक्त प्रस्तावना से निष्कर्ष रूप में जो पहली बात निकलती है कि वह यह है कि भारत में प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है । यद्यपि सविधान में इस आशय की कोई धारा नहीं है, तथापि प्रस्तावना में कहा गया है कि देश के लोगों ने इस सर्वोच्च कानून को अंगीकृत अधिनियमित, तथा आत्मसमर्पित किया है । यहाँ यह कहा जा सकता है कि सविधान सभा को भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी रचना केविनेट मिशन योजना के अन्तर्गत सीमित एवं पृथक् निर्वाचन की प्रणाली पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलों के द्वारा हुई थी । उसके अतिरिक्त वह प्रभुसत्तासम्पन्न सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ केविनेट मिशन योजना के प्राविधानों के द्वारा मर्यादित थीं । यही नहीं, उसमें देशी राज्यों के 93 प्रतिनिधि भी मौजूद थे और वे वहाँ की जनता अथवा वहाँ के विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित न होकर वहाँ

के नरणा द्वारा मनोनीत किया गया था। अतः संविधान सभा का यह नाम बरतना वा कोई अधिकार नहीं था कि उसमें भारत के लोग ही जोर से संविधान की रचना की है। उससे पहले ही निहित मूल्य से संविधान न बनने का भी यह स्वाकार करना पड़ा कि 1946 में जब संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे उस समय चाहे जिस प्रकार के मतानुसार के आधार पर चुनाव कराये जाते संविधान सभा के स्वरूप में कोई विचार अंतर नहीं हो सकता था। 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों के परिणामों से यह बात भी बतलाने में सक्षम है। जहाँ तक संविधान सभा की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में उदाहरण के लिए आर्जेंटिना का प्रश्न है वहाँ यह कहना गलत होगा कि संविधान सभा विदेशी सौभाग्य के अंतर्गत काम कर रही थी।

प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों में स्पष्ट है कि भारत की जनता ने स्वयं अपने आपका संविधान लिया है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस देश का अर्थशास्त्रज्ञों का विचार है कि संविधान का अंतःकरण का अर्थवा उमके द्वारा निर्मित मूल्य में प्रथम हीन का अधिकार नहीं है। संविधान के मुख्य भाग में भी देश की एकता पर बल दिया गया है। यद्यपि प्रणामनीय मुविद्या की दृष्टि में देश को विभिन्न राज्यों में बाँटा गया है तथापि देश की एकता अखण्ड माना गई है उसकी जनता एक है और उसी में प्रभुसत्ता निवास करती है।

यहाँ भारतीय संविधान में निहित प्रभुसत्ता के स्वरूप की विवेचना अप्रामाणिक नहीं होगी। जहाँ कहा जा चुका है कि भारत में प्रभुसत्ता जनता की एकता में निवास करती है। यद्यपि संविधान में विषयों का तान मूल्यायन विभाजित किया गया है तथापि इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत में प्रभुसत्ता विभाजित है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर सर्व शक्तियाँ की संघ की कर्तव्य सत्ता में केंद्रित किया जा सकता है। यह सही है कि विदेशी दृष्टि में संघीय प्रणाली में प्रभुसत्ता के निवास-स्थान का पता लगाना असम्भव होता है परन्तु भारतीय संविधान में हम यहाँ की बातें लिया गया है।

प्रस्तावना में प्रयुक्त राजनीतिक गणनायक शब्दों की कुछ भ्रमास्पदता है। हम सम्पूर्ण में ही इन शब्दों को नहीं लिये हैं कि राजनीतिक गणनायक शब्दों में एम्पिरिक (tan tology) है जिसमें देखा जा सकता था और राजनीतिक दृष्टि से गणनायक शब्दों के कुछ राजनीतिक विचारों का प्रयोग करके किसी विचारों को प्राप्त भी नहीं हो सकता था।

परन्तु सम्भवतः संविधानकारों ने राजनीतिक शब्दों का प्रयोग जानबूझ कर अज्ञानिय किया था क्योंकि वे उनका द्वारा राजनीतिक के विचारों में सन्निहित सामाजिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का अभिव्यक्त करना चाहते थे। संविधानकारों की यह जाँच है उन उच्च जातियों में स्पष्टता नहीं जानती है जिनका उद्देश्य प्रस्ताव में है। वस्तुतः हम जानते हैं कि अखण्डता भी संविधान सभा में लिये गए एक भाषण में व्यक्त किया था। उद्देश्य वही था कि हम संविधान की रचना करते समय वास्तव में हमारे हाथ में उद्देश्य था—(1) राजनीतिक राजनीतिक के स्वरूप का निश्चित करना तथा (2) यह प्रतिपादित करना कि हमारा आर्थिक आर्थिक राजनीतिक है। यहाँ प्राथमिक राजनीतिक का यह अर्थ उद्देश्य है कि राजनीतिक समानता तब तक धार्मिक नहीं है। सक्ती जब तक कि उसके साथ धार्मिक समानता भी नहीं है। हम अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में वस्तुतः गूढ़ता में ही इन जातियों का संविधान में सन्निहित किया है।

प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय गणराज्य भारतीय जनता को चार जातियों की उपनिवेश बनाने का संकेत करता है। इनमें से पहला जाति है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अर्थवा। यह शब्दों की परिभाषा के सम्बन्ध में विचारकों में मतभेद हो सकता है परन्तु हम अर्थ में स्पष्टता नहीं लिये जा सकता कि अर्थवा में अर्थवा अभिप्राय व्यक्तित्व है कि सामाजिक अर्थवा का अर्थ समानता स्थापित करने में है। संविधान ने देश में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की है। हम प्रस्तावना का गहन अर्थवा में यह वस्तु सम्भव है कि जो सरकार निर्मित है वह वृद्धता का अर्थवायकत्वं कायम करे। परन्तु प्रस्तावना में प्रस्ताव के अर्थवायकत्वं का अनुचित

ठहराता है क्योंकि वह भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय की उपलब्धि कराने का वचन देती है। वस्तुतः लोकतन्त्र की यही आधार-जिला है। यदि स्वतन्त्रता के पूर्व के भारतीय सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता मधर्ष और तनाव थे तो नवीन संविधान के अन्तर्गत स्वतन्त्र भारत का सामाजिक जीवन एकता और भाईचारे पर आधारित होगा। सामाजिक न्याय के विचार में यह भावना भी निहित है कि समाज में सभी प्रकार की असमानताओं का अन्त होना चाहिए। आर्थिक न्याय के विचार में आर्थिक समानता का विचार शामिल है, यथार्थ में अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी के वातावरण में आर्थिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रस्तावना देश में समाजवाद की स्थापना का आश्वासन देती है। राजनीतिक न्याय इस बात का आश्वासन देता है कि देश की जनता के साथ राज्य लोकतान्त्रिक व्यवहार करेगा।

20वीं शताब्दी में स्वतन्त्रता के निषेधात्मक अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाता, भारतीय संविधानकारों ने 'स्वतन्त्रता' शब्द का प्रयोग स्वीकारात्मक अर्थ में किया है। उन्होंने स्वतन्त्रता को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उनके माध्यम से व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतन्त्रता उच्च-द्वलता का नाम नहीं है, वस्तुतः वह उन अनुकूल परिस्थितियों का नाम है, जिनके अन्तर्गत व्यक्ति सामाजिक हितों की क्षति पहुँचाये बिना अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हमारा संविधान इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है।

संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पद तथा अवसर की समानता को उपलब्ध कराने का वचन देती है। वस्तुतः हमारे संविधान में समानता का वही अर्थ है जिसमें कि उसे फ्रान्स के क्रांतिकारियों द्वारा घोषित मानवीय अधिकारों के घोषणापत्र में प्रयुक्त किया गया था— 'मनुष्य अधिकारों में स्वतन्त्र एवं समान पैदा हुए हैं।' सामाजिक विभेदों का औचित्य केवल सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर ही किया जा सकता है।

प्रस्तावना में 'बन्धुत्व' शब्द का प्रयोग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। सर्वप्रथम संविधानकार उनके द्वारा मानव की गरिमा को स्थापित करना चाहते थे, दूसरे, वे उसके द्वारा राष्ट्र की एकता को कायम करना चाहते थे। भारत को एक लम्बे समय तक साम्प्रदायिक घृणा के वातावरण में होकर गुजरना पड़ा था। यदि उसे एक राष्ट्र की भाँति जीवित रहना था तो यह परमावश्यक था, कि सभी प्रकार के साम्प्रदायिक एवं समाज-विरोधी भावनाओं का उन्मूलन किया जाय। प्रस्तावना में बन्धुत्व का सिद्धान्त इसी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है।

मूल अधिकार

व्यक्ति एवं राज्य के बीच का मधर्ष कोई नूतन असामान्य घटना नहीं है, वस्तुतः यह मधर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास में। फलतः राजनीतिक विचारकों एवं संविधानकारों के समक्ष जो एक समस्या हर युग में प्रस्तुत रही है, वह यह है कि इस मधर्ष का निराकरण कैसे किया जाय। इसके लिए सामान्यतः दो उपाय सुझाये गये हैं प्रथम, राज्य की शक्तियों को विभाजित करके उन्हें तीन विभिन्न अभिकरणों में इस प्रकार बाँट दिया जाये, जिनमें कोई भी अभिकरण इतना अधिक शक्तिशाली न होने पाये जिनमें वह दूसरों के लिये खतरा बन जाये। द्वितीय, राज्य के नागरिकों को कुछ ऐसे मूल अधिकारों का आश्वासन दिया जाये, जिनका उन्मूलन स्वयं राज्य भी न कर सके। यहाँ मूल अधिकारों में तथा माध्याय कानूनी अधिकारों के बीच भेद करने की आवश्यकता है। माध्याय कानूनी अधिकारों से भिन्न मूल अधिकारों की मुद्रा का आश्वासन देश के संविधान के द्वारा दिया जाता है। इन अधिकारों को 'मूल' इसलिए कहा गया है कि क्योंकि माध्याय अधिकारों की भाँति उन्हें व्यवस्थापिका माध्याय कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदल सकती, उन्हें बदलने के लिए स्वयं संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको केवल संविधानिक संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता

है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भाँसे के सविधान में केवल उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें उस देश के सर्वोच्च कानून में निहित किया गया है तथा जिनकी पवित्रता एवं अनुसूचनीयता का कायपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के विचार के मूल में सीमित सरकार का स्थापित करने की भावना प्रतिहित है। सीमित सरकार में हमारा अभिप्राय उस सरकार में है जिसमें राज्य के किसी भी अंग का सत्ता पर एकाधिकार नहीं होने दिया जाता। वस्तुतः इस प्रकार की सरकार का परिचयान कानून के द्वारा होता है व्यक्तियों की सनक के द्वारा नहीं। सरकार के इस स्वरूप को संयुक्त राज्य अमरीका के सविधान में मायता प्रदान की गई है परंतु ब्रिटिश सविधान में इस प्रकार के विचार के नियमों का स्थान नहीं है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भारतीय सविधानकारों ने सविधान में मूल अधिकारों का स्थान देकर अमरीकी सांविधानिक परम्परा को क्या स्वीकार किया ब्रिटन की परम्पराओं का क्या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें दोनों परम्पराओं की सख्त विवेचना आवश्यक है।

ब्रिटन में आधुनिक लोकतंत्र का जन्म निरंकुश कायपालिका के विरुद्ध जनता के उग्र संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ है और इस संघर्ष का वहाँ की संसद ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि ब्रिटन के नाम निरंकुश लोकतंत्र द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान संसदीय प्रभुत्वता में पाते। फलतः ब्रिटन की राजनीतिक प्रणाली जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास के ऊपर आधारित है। ब्रिटन के जनमानस में यह दान कभी स्वीकार नहीं की कि विधानमण्डल भाँसे आतंतायी बन सकता है तथा जनसाधारण की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उसकी शक्तियों को भी मर्यादित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि ब्रिटन में जिन मसौदों का अधिकारों का घोषणापत्र कहा जाता है वे केवल कायपालिका की शक्तियों पर सीमाएँ आरोपित करते हैं व्यवस्थापिका की शक्तियों पर नहीं।

अमरीकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी। अमरीका का जनता का न केवल निरंकुश कायपालिका का अनुभव था अपितु उसने निरंकुश व्यवस्थापिका का भी अनुभव किया था। उसने देखा था कि ब्रिटिश संसद जमी प्रतिनिधि संस्था भी उपनिवेशों के साथ बुरतापूर्वक पेश आती थी। यह निष्कर्ष एक कठ उपहास था कि ब्रिटन की संसद ने निरंकुश लोकतंत्र के विरुद्ध संघर्षों की अपनी गौरवपूर्ण परम्पराओं का परिहास करके उपनिवेशों की जनता पर निरंकुश शासन का शासन का प्रयास किया था। इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि अमरीकी सविधानकारों को जहाँ कायपालिका के प्रति विश्वास था वहाँ उन्हें अविश्वास व्यवस्थापिका के प्रति भी था। इसलिए वे कायपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को आवश्यक मानते थे।

भारतीय स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति से भिन्नता जुगुप्स थी। हमारे एक के राष्ट्रीय आन्दोलन का भी ब्रिटन का कायपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के अत्याचार का अनुभव था। फलतः 1927 के मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन ने माँग की कि भारत के लिए जाँसे सविधान बनाया जाए उस मूल अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में नहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। सविधान में उनके उल्लेख का औचित्य प्रतिपादित करते हुए उममें यह कहा गया था कि हमारा पहला काम अपने मूल अधिकारों की व्यवस्था करना होना चाहिए जिनका आन्वयन इस प्रकार दिया जाए जिनमें कि उन्हें किसी भी स्थिति में धार्मिक न दिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था का नहरू रिपोर्ट के लेखकों ने हमारे आश्चर्य माना क्योंकि वे विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद पाए जाते थे। भले उन लोगों में जो एक दूसरे से मेलते एवं अविश्वास का दृष्टि में समते थे विश्वास एवं सुरक्षा की भावना का पालन करने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें सविधान के द्वारा यह आन्वयन दिया जाए कि उन्हें अनेक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक अधिकारों के उपभोग करने का पूरा अधिकार होगा।

मूल अधिकारों के विचार की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य एक बात यह है कि उसका जन्म उन अयोग्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जिन्हें सरकार ने जनता के ऊपर लादा था। यह बात सयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अतः अमरीका की हो भौंति भारत में भी यह कहा गया कि अधिकार अपने अन्तिम विश्लेषण में उन अन्यायों का उपचार है जिन्हें निरकुश शासकों ने जनता के ऊपर वरता है। अतः अधिकार भी सख्या में उतने ही होने चाहिए जितने अन्याय हैं और जिनका उपचार होना है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि फ्रांस के क्रान्तिकारियों का भी इस सम्बन्ध में यही निष्कर्ष था। अमरीका और फ्रांस में निरकुश शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा मध्यम वर्ग के लोगों ने बुलन्द किया था, फलतः उन्होंने जिन अधिकारों को अपने अपने देशों के सविधानों में स्थान दिया, वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के हितों पर ही आधारित थे। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को भी मध्यम वर्ग का ही नेतृत्व प्राप्त था और सविधान सभा में भी मध्यम वर्ग के सदस्यों की ही भरमार थी। अतः उन्होंने सविधान में जिन अधिकारों को स्थान दिया है, उनका सम्बन्ध भी प्रधानतः मध्यम वर्ग के हितों के साथ है। भारतीय सविधानकार इस तथ्य से अवगत थे कि अब इस व्यक्तिवादी पृष्ठभूमि का सदैव के लिए अन्त हो चुका था जिसने अमरीकी फ्रेंच अधिकारों के विचार को जन्म दिया था और उसका स्थान कल्याणकारी राज्य के विचार में ले लिया था। भारतीय सविधानकार इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं कर सकते थे कि उन्हें उस देश के लिए अधिकारों की रचना करनी है जिसकी अपनी दार्शनिक एवं सामाजिक परम्पराएँ हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय सविधान में सन्निहित मूल अधिकारों में उपर्युक्त सभी प्रकार के प्रभाव उपस्थित हैं।

मूल अधिकारों की प्रकृति

संसार के किसी भी देश के सविधान में मूल अधिकारों का इतना विशद उल्लेख नहीं हुआ है जितना भारतीय सविधान में किया गया है। सविधान का एक समूचा अध्याय (तीसरा अध्याय) जिसमें कुल 24 धाराएँ हैं (12 से 35 तक)—मूल अधिकारों के वर्णन के साथ सम्बद्ध है। इन अधिकारों को सात शीर्षकों में बाँटा गया है—(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार। मोटे तौर पर अधिकारों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के अधिकार वे हैं जिन्हें कार्यान्वित करना राज्य के लिए बाध्यकारी है और यदि राज्य का कोई कानून उनका उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। दूसरी श्रेणी में वे अधिकार आते हैं जिनके ऊपर राज्य कुछ सीमाएँ आरोपित कर सकता है। इस प्रकार के अधिकारों पर निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण करके प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सकते। अतः यदि कोई कानून इन सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।

भारतीय सविधान में निहित मूल अधिकारों की प्रकृति के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि वे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त पर आधारित नहीं हैं। फलतः कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता जिसे सविधान में मान्यता नहीं दी गई है। उसका अब यह भी हुआ कि भारतीय सविधान में यह बात स्वीकार नहीं की गई कि अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती, वस्तुतः भारतीय सविधान अधिकारों को सीमित मानता है। कुछ मामलों में तो अधिकारों पर सीमाएँ स्वयं सविधान ने आरोपित की हैं, कुछ मामलों में सीमाओं को आरोपित करने का दायित्व समद को सापा गया है। परन्तु इस प्रकार के अधिकारों के सम्बन्ध में भी ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उनमें भी अधिकारों को मूल माना गया है, प्रतिबन्धों को नहीं। उपर्युक्त विवेचना में स्पष्ट है कि भारतीय सविधान के तीसरे अध्याय में निहित अधिकारों

को इसलिए मूल अधिकार नष्ट बनाया गया क्योंकि व असौमित्र है तथा व प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित हैं इनमें सबसे अधिक उच्च मौलिक अधिकारों की मना इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि उच्च दण्ड व मूल कानून में स्थान दिया गया है तथा उच्च कार्यवित्त करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर कर्णिक सरकार तक सभी प्रशासनिक अधिकारों काय है; उच्च मौलिक अधिकारों भी कहा जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा भारत का मूल एकता की अभिवृत्ति होती है। भारत व सभी नागरिकों का चार व दण्ड के किमी भाग में क्या न रहत है एक से अधिकारों का आवधानन दिया गया है। मूल अधिकारों में जय में मौलिक नष्ट कि उच्च मशोचित नष्ट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जस्टिस पतञ्जलि गाम्ना का यह निष्कर्ष उल्लेखनीय है कि 368वीं धारा में प्राविधान सामान्य है तथा व समस्त का किमी अपवाद के सविधान को सहायित करने की शक्ति प्रदान करत है। वार में 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने गावकनाथ बनाम पञ्जाब नामक मुकदमे में जय में निष्कर्ष का वार दिया और कहा कि समस्त का तीसरा अध्याय में निहित अधिकारों को सहायित करने का वार अधिकार नष्ट है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दण्ड के जनमत ने इस स्थिति का कभी स्वीकार नहीं किया। 1971 के मध्यावधि चुनावों के परिणाम में तथ्य को प्रमाणित करत है। फलतः दण्ड में समस्त का 1964 से पूर्व का गतिविधि का वापिस दिनांक के लिए माग पाई जाती है। 24वाँ और 25वाँ मशोधन मसद की इस शक्ति को वापिस दिनांक के दिनांक में महत्वपूर्ण कर्म है। इन सहायकों के वादान्त में भारत व मुकदमे में चुनौती दी गई थी परन्तु इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया उससे द्वारा वनकी वधना स्वीकार कर ता गई।

मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय प्रनाम मसद

उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट है कि अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। समस्त उच्च मविधान में निहित अपवादों का ध्यान में रखकर निस्सन्देह बदल सकती है। वस्तुतः अधिकारों की व्यवस्था करत समय दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—प्रथम जनता का हित और द्वितीय राज्य की सुरक्षा। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस बात का निष्कर्ष कौन करगा कि किमी नागरिक ने जय अधिकारों का लावा करत समय उक्त सीमाओं का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं—प्रथम न्यायपालिका और द्वितीय मसद।

यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि व्यवस्थापिका का निर्वाचन वाणिज्य मताधिकार व आधार पर होना है और वह देश की समूचा जनता का प्रतिनिधित्व करती है अतः उस दण्ड के नागरिकों व मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सौंपा जा सकता है। इसलिए किता भी न्यायाधीश को अथवा किसी भी न्यायालय का तामरा सन्त वनन की अनुमति नष्ट ही जा सकती है। इस मामले में भारतीय मविधान में मध्यम भाग का अनुमण किया गया है। मविधान ममा में इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये। एक दृष्टिकोण यह था कि मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाये तथा विधानमण्डल को उच्च मयाहित करने की वार शक्ति प्रदान न की जाय। समय जान पर न्यायपालिका में सम्बन्ध में आवश्यक बदल उठा गयी। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि चूंकि दण्ड की व्यवस्थापिका विधानीय है सामाजिक ढाँचा सामाजिक युग का अवकाश है राज्य नवजान गिण्डु के समान है तथा वाणिज्य मताधिकार पर आधारित मपतीय वाक्यत्र धन एव नया अनुभव है अतः राज्य को निर्वाचन में म चानन व नियम यह आवश्यक है कि राज्य के मित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार व्यवस्थापिका का दिया जाए। भारतीय मविधान में इन दोनों दृष्टिकोणों व बीच समन्वय स्थापित करने हुए मूल अधिकारों का गिनाया गया है इस सूची में उन अधिकारों का सम्मिलित किया गया है जिन्हें मविधानकार व्यक्त व नियम बहुत आवश्यक मानते थे। परन्तु हमें माय हो उममें उनका ऊपर कुछ नाम प्रतिनिधि लगाय गये है जिनमें राज्य तथा मविधान का परिचालन बिना सिद्धांतों बाधा न होना है। वस्तुतः हमें किता भी

अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता जिससे सामाजिक हित पर आंच आती हो।

व्यवहार में अधिकारों की व्याख्या के क्षेत्र में हमारे देश में न्यायपालिका की शक्तियों का विकास हुआ है। न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा, जहाँ निवारक नजरबन्दी कानूनों के बहुत से भाग अवैध घोषित किये जा चुके हैं वहाँ ऐसे अनेक प्रगतिशील कानूनों को भी गैर-कानूनी बताया जा चुका है जिनकी रचना सामाजिक तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर की गई थी। कुछ मामलों में ससद को अपनी आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये सविधान को सशोधित करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। उदाहरण के लिये 1951 और 1955 के सशोधनों को लिया जा सकता है। वस्तुतः भारतीय सविधान में न्यायपालिका को अत्यधिक सीमित भूमिका सौंपी गई है। इस बात को समझने के लिये 21वीं धारा का उदाहरण लिया जा सकता है। इस धारा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य तरीके से उसके जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय सविधान ने प्राकृतिक कानून के विचार को स्वीकार नहीं किया। भारत के सविधान के अनुसार कानून वह है जिसकी रचना ससद के द्वारा होती है। स्पष्टतः ऐसी स्थिति में न्यायपालिका केवल यह देख सकती है कि व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करते समय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है अथवा नहीं। भारतीय सविधान में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, यथार्थ से अमरीकी सविधान से भिन्न जहाँ न्यायिक समीक्षा केवल एक न्यायिक निर्णय पर आधारित है भारत में इसकी व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में स्वयं सविधान में की गई है। सविधान की 13वीं धारा में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रत्येक कानून की वैधता की इस आधार पर जाँच करे कि उसमें तीसरे अध्याय में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं होता। यहाँ न्यायपालिका किसी कानून को केवल इस आधार पर गैर-कानूनी घोषित कर सकती है कि उसकी रचना से राज्य ने सविधान द्वारा आरोपित सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसी सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका अदा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस भूमिका पर प्रकाश डालते हुए 'रामसिंह बनाम दिल्ली राज्य' नामक मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति बोस ने यह कहा था—

'यह देखना हमारा कर्तव्य और अधिकार है कि वे अधिकार जिन्हें मौलिक बनाया गया था, वे मौलिक ही रहे और हम यह भी देखें कि वह ससद और कार्यपालिका इन स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगाते समय उन सीमाओं का उल्लंघन न करें जिन्हें सविधान ने उन पर आरोपित किया है तथा कार्यपालिका के सम्बन्ध में हम यह देखें कि वह ससद द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर विचरने न पाये। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि भारतीय जनता को वे सब स्वतन्त्रताएँ उपलब्ध होतीं रहे जिनका उन्हें आश्वासन दिया गया है तथा ससद द्वारा पारित कानूनों अथवा कार्यपालिका के कार्यकलापों के द्वारा उनका महत्त्व कम न होने पाये।'

भारतीय सविधान में निहित विशिष्ट अधिकार

जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय सविधान में मूल अधिकारों को निम्न सात शीर्षकों में बाँटा गया है—(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) वार्षिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा (7) साविधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ उपर्युक्त सातों प्रकार के अधिकारों की विवेचना आवश्यक है

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality)—समानता का अधिकार सविधान की 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं धाराओं में निहित है। 14वीं धारा नागरिकों तथा गैर-नागरिकों दोनों को 'कानून के समक्ष समानता' (Equality before laws) तथा 'कानूनों का

समान मरक्षण (Equal protection of laws) का आश्वामन दती है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ मूल रूप से प्रशासकीय यायावका का अभाव है तथा प्रत्येक नागरिक को चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्या न हो एक ही कानून के द्वारा शासित मानना है। कानूना का समान मरक्षण गणावनी से तात्पर्य सब नागा को अपन सुख को प्राप्त करने का तथा सम्पत्ति का प्राप्त करने और उसका उपभोग करने का समान अधिकार होना चाहिए तथा उन्हें अपन यत्तिकत्व तथा सम्पत्ति के सरक्षण के लिए जयाया का प्रतिकार करने के लिए तथा करारा के कायावयन के लिए यायावका के पाम जान का समान अधिकार है किसी के कायकनापा पर एम प्रतिबन्ध नहीं लगाय जान चाहिए जा समान परिस्थितिया म अय नागा पर न लगाय जायें एक म व्यवसाय तथा परिस्थिति म किमा के ऊपर अय नागा पर आरोपित बाध से अधिक बाध आरोपित नहा किया जाना चाहिए फौजदारी याय के प्रशासन म किसी व्यक्ति पर समान अपराधा के लिए दूसरा से भिन्न अथवा दूसरा से अधिक दण्ड नहा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निमाणा न निपधात्मक एव स्वीकारात्मक दाना अर्था म समानता का आशवासन निया है।

यहा यह उल्लेखनीय है कि 14वा धारा की व्याख्या करते समय हमारे दग की याय पानिका न कानून के समक्ष समानता गणावनी की गगभग उपक्षा की है और उसके स्थान पर उसने कानूना के समान सरक्षण गणावनी को ही मुख्यत ध्यान म रखा है। 14वी धारा की यायिक याग्या म यह स्पष्ट है कि उसम निहित समानता का अधिकार असीमित नहा है। वह केवल एक सी स्थिति म रहने बाव एक से नागा के बीच म समानता का आश्वामन दती है उससे उम समानता का आशवासन प्राप्त नहा होना जो सब नागा का चाह उनका सामाजिक स्थिति कमी भी क्या न हो एक से बतवि की गरणी दे सकें।

एम नीपक के अनगत आन वानी अय धारायें भी उन्ही मायताजा पर आधारित हैं। 15वा धारा म कहा गया है कि राज्य केवल धम रग जाति निग जम-स्थान अथवा उनम से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहा करगा। एमके अनिहित एनम म किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक का किसी दुकान अथवा सावजनिक जतपान गृह म जान से अथवा कुआ जलाशया नदी के घाटा मडना तथा एम सावजनिक प्रयाग के स्थाना म नहा रोका जा सकता जिनका कायम रखन का व्यय या तो पूणत अथवा आंशिक रूप म राज्य के द्वारा हाता है अथवा जिह मावजनिक प्रयाग के लिए समर्पित कर दिया गया है। परंतु इस धारा म एम अधिकार के दा अपवाद भी गिनाय गय है प्रथम वह राज्य का म्त्रिया तथा बच्चा के लिए विनाय व्यवस्था करने की अनुमति दती है और द्वितीय वह राज्य का एम दात की भी पूर देती है कि वह सामाजिक तथा नातिक दृष्टि से पिछड़े गण वर्गों अथवा परिगणित जानिया तथा परिगणित बंधीना के विकास के लिए विनाय प्रावधाना की रचना कर सकता है। एम प्रकार यह स्पष्ट है कि एम धारा म ये आधार परिगणित है जिनसे ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहा किया जा सकता है। स्त्रीवागत्मक दृष्टि म राज्य एन आधार का छोडकर अय आधार पर भेदभाव कर सकता है। उदाहरणाय वह भेदभाव का भाषा राष्ट्रीयता परिवार व्यवसाय आदि पर अथवा उनम से निमा एक पर आधारित कर सकता है। इससे होन गण भी एम धारा का एमनिण महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि वह धम रग जानि अथवा निग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। जम-स्थान के आधार पर भेदभाव का निपघ करके वह गणाय एकता के लिए माय प्रयत्न करती है।

16वा धारा के द्वारा प्रत्येक नागरिक को नौदरी पान अथवा राज्य के अधीन किसी पर नियुक्ति हान के मामल म समान अवसर का आश्वामन निया गया है तथा उमम यह भी कहा गया है कि एम मामल म केवल धम रग जाति निग का परम्परा जम-स्थान निवाग स्थान अथवा उनम से किसी एक के आधार पर कां भेदभाव नहा किया जायगा। एम धारा म

आगे इसके तीन अपवाद बताये गये हैं—पहले अपवाद के अनुसार राज्य को कुछ विशिष्ट पदों के लिए निवास योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। द्वितीय अपवाद के अनुसार राज्य को पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई है और अन्तिम अपवाद के अनुसार किसी भी धार्मिक सस्था के प्रबन्ध को इस धारा की परिधि से बाहर रखा गया है।

17वीं धारा के अनुसार छुआछूत का अन्त करने की घोषणा की गई है तथा कहा गया है कि वह कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है। सविधान की यह व्यवस्था निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा युगों से चली आ रही एक सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैनिंग्स ने लिखा है कि छुआछूत का खात्मा कोई अधिकार नहीं है, उससे तो केवल एक सामाजिक अयोग्यता दूर होती है। परन्तु इसके होते हुए भी यह एक मूल अधिकार है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि अधिकार उन अन्यायों के उपचार हैं जिनका व्यक्तियों पर आगोपण या तो राज्य के द्वारा हुआ है और या समाज के द्वारा।

18वीं धारा के द्वारा राज्य के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह सैनिक अथवा शैक्षिक खिताबों के अतिरिक्त किसी अन्य खिताब से अपने नागरिकों को अलकृत नहीं करेगा। कुछ लोगों का विश्वास है कि भारत-रत्न, पद्मविभूषण आदि खिताबों की परम्परा को चालू करके सरकार ने 18वीं धारा की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वस्तुतः 1 मई 1969 को आचार्य जे० वी० कृपलानी ने लोकसभा में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया कि राज्य द्वारा व्यक्तियों को इस प्रकार अलकृत करने की परम्परा का अन्त किया जाये। इस विधेयक पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वतन्त्रता के पूर्व जो काम अग्रेज करते थे उस काम को उसने 'पिछले दरवाजे' से फिर अपने शासन-तन्त्र में स्थान दे दिया है।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)—स्वतन्त्रता का अधिकार सविधान की चार धाराओं—19, 20, 21 और 22—में निहित है।

19वीं धारा उदार लोकतन्त्र में सन्निहित परम्परागत वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का आश्वासन देती है ये स्वतन्त्रताएँ अग्रलिखित हैं—भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण ढंग में तथा बिना हथियारों के एक स्थान पर एकत्रित होने की स्वतन्त्रता, समुदाय अथवा सघ बनाने की स्वतन्त्रता, समस्त भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा देचने की स्वतन्त्रता तथा कोई भी व्यवसाय करने अथवा कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता। इन स्वतन्त्रताओं का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। वस्तुतः उनकी अनुपस्थिति में किसी भी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सविधान-निर्माता इस तथ्य में अवगत थे, परन्तु वे इस बात से भी अपरिचित नहीं थे कि व्यक्ति को दी जाने वाली अनियन्त्रित स्वतन्त्रता समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए 19वीं धारा में न केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है, अपितु उसमें इन स्वतन्त्रताओं के अपवादों का भी उल्लेख किया गया है।

भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सात सीमायें इस धारा में बताई गई हैं। मूल सविधान में सीमायें केवल चार थीं। परन्तु 1951 में 'रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य' नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त उसमें सशोषण करना आवश्यक हो गया। अतः पहले सशोषण (1951) के अनुसार उममें तीन सीमायें और जोड़ी गईं। इस प्रकार 11वीं धारा में जैसी वह आज है, भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सात प्रतिबन्ध, आगोपित करती हैं। ये प्रतिबन्ध हैं—राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टता अथवा नैतिकता के प्रतिकूल कोई जाचरण, न्यायालय का अपमान, किसी को बदनाम करने की चेष्टा, अथवा हिसात्मक कार्यवाहियों के लिए उकसाना। यहाँ यह बात विशेष रूप में उल्लेखनीय है कि विचार-अभिव्यक्ति में प्रेम की स्वतन्त्रता भी

सम्मिलित है। शान्तिपूर्ण तरीके से तथा बिना हथियारों के एक स्थान पर एकत्रित होने का स्वतंत्रता वास्तव में विचार अभिव्यक्ति तथा भाषण की स्वतंत्रता का पूरक है। इस स्वतंत्रता पर मात्र जनिक व्यवस्था तथा नतिकता के हित में याय-मगन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

समुदाय बनाने की स्वतंत्रता की यायावस्था न दो प्रकार से व्याख्या की है। एक पक्ष अथ म्बीनागत्मक है जिसका अभिप्राय है कि कोई भी नागरिक स्वच्छा में चाह जिस समुदाय अथवा संगठन का सदस्य बन सकता है। दूसरा पक्ष जय निषदात्मक है जिसका अभिप्राय यह है कि किसी भी नागरिक का उसका स्वच्छा के प्रतिबन्ध किसी समुदाय अथवा संगठन का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस स्वतंत्रता का भी मात्रजनिक व्यवस्था तथा नतिकता के हित में मर्यादा किया जा सकता है। अपने एक मन्त्रवृत्तपूर्ण निष्पत्ति में सर्वोच्च यायावस्था ने यह मत प्रकृत किया है कि इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उस प्रतिबंध के द्वारा की किसी यायिक अधिकार के द्वारा समुचित जाँच नहीं जाय।¹

19वाँ धारा के द्वारा प्रत्यक्ष भारतीय नागरिक के समूह देश में स्वतंत्रतापूर्वक विचरने तथा किसी भाग में निवास करने तथा वहाँ स्थायी रूप में वस जान तथा सम्पत्ति प्राप्त करने उस रखने तथा उस वचन के अधिकार का मायता था है। इन स्वतंत्रताओं की मायाय जनता के हित में जयवा किसी अनुमूचित कवीन के हितों की रक्षा के लिए मर्यादा किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय का करने की स्वतंत्रता पर राज्य मात्रजनिक हित में कुछ प्रतिबंध लगा सकता है तथा कुछ व्यवसायों को करने के लिए कुछ नायिक मायताएँ भी निर्धारित कर सकता है।

संविधान का 20 म नकर 22वाँ धारा तक व्यक्ति के जीवन तथा वयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 20वाँ धारा में उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है जिस पर किसी अपराध का करने का आरोप लगाया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक दण्डित नहीं किया जा सकता जब तक कि अपराध करने के समय उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और न वह उसमें अतिक्रमण का पात्र लगा जा उस अपराध का करने के समय उस प्रचलित कानून के अधीन लिया जा सकता था। इसके अनिर्दिष्ट (1) का पक्ष यह है कि अपराध के लिए एक द्वार में अधिक अभियोगित और दण्डित नहीं किया जा सकता तथा (2) किसी अपराध में अभियुक्त का स्वयं अपने विरुद्ध शवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उपरोक्त धारा के प्रथम भाग का प्रभाव यह था कि राज्य का कानून नही बना सकता जा किमा घीती हूँ घटना पर लागू हो सकें।

21वाँ अनुच्छेद में कहा गया है कि किमा भी व्यक्ति को अपने जीवन जयवा अधिक स्वतंत्रता में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) को द्वांरक किसी अन्य प्रकार में दण्डित नहीं किया जायगा। इस अनुच्छेद में मुख्य रूप कानून (law) है। यथा कानून से अभिप्राय मन्त्र जयवा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून में है। एक माशालन बनाम मन्त्र राज्य नामक मुकदमे में सर्वोच्च यायावस्था ने कानून शब्द की यथा व्याख्या की है। इस प्रकार भारतीय संविधान में यायिक समीक्षा का अत्र पयाप्त रूप से सीमित कर लिया गया है। मम यह भी स्पष्ट है कि जावन तथा नायिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भारतीय संविधान असीमित नहीं मानता इसके विपरीत उसमें अतिक्रमण के अत्र का मायित कर लिया है।

22वाँ धारा में गिरफ्तार प्रक्रिया का तान अधिकारों का अपवादित किया गया है प्रथम उक्त ममान का अश्वामन लिनाया गया कि उक्त उनकी गिरफ्तारी के कारणों में सूचित

किया जायगा, द्वितीय, उन्हें इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी इच्छा के वकील से परामर्श करे तथा उससे अपना बचाव कराये तथा अन्तिम उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा तथा उन्हें हिरासत में केवल उसके आदेश के आधार पर ही आगे रखा जा सकेगा। यह अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो सकता जिनका विदेशी शत्रु-राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है तथा द्वितीय, इस अधिकार का दावा वे लोग नहीं कर सकते जिन्हें किसी निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। अनुच्छेद की अन्य उपधाराओं (4 से 7 तक) में यह व्यवस्था की गई है कि साधारणतः किसी व्यक्ति को तीन महीने की अवधि से अधिक बिना मुकदमा चलाये जेल में नहीं रखा जायगा, परन्तु यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से निर्मित परामर्शदात्री मण्डल अपने प्रतिवेदन में उनकी नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश करे, तो ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद ससद को भी परामर्शदात्री मण्डल की सलाह के बिना किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी में रखने के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। यही नहीं, यह अनुच्छेद नजरबन्द करने वाले अधिकारी को सार्वजनिक हित में उन आधारों को न बताने की अनुमति देता है जिनके कारण उसने किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी में रखा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जिस अधिकार के साथ सबसे अधिक अन्याय किया गया है, वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। यह सही है कि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी ग्रहस्तक्षेप के सिद्धान्त के लुप्त हो जाने तथा लोक-कल्याणकारी राज्य के उदय के परिणामस्वरूप व्यक्ति को असीमित स्वतन्त्रता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। 21वीं धारा ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक संरक्षण से लगभग वंचित कर दिया है। स्पष्टतः संविधान की इस व्यवस्था को भारतीय गणराज्य के लोकतान्त्रिक आधारों के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में नजरबन्द करने वाला अधिकारी सार्वजनिक हित में यह बताने से भी इनकार कर सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इस स्थिति में नजरबन्द व्यक्ति बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी प्रस्तुत नहीं कर सकता तथा न्यायालय उसकी सहायता करने से विवश है। स्पष्टतः इन अन्यायपूर्ण प्रावधानों को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सम्भवतः भारत में निहित स्वार्थों ने जिन्हें प्रोफेसर के० टी० शाह के शब्दों में संविधान सभा में 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था' ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Rights against Exploitation)—यह अधिकार संविधान के 23वें और 24वें अनुच्छेदों में सन्निहित है। 23वाँ अनुच्छेद मानव के क्रय-विक्रय, और बेगार और जबरदस्ती काम करने के अन्य स्वरूपों का निषेध करता है तथा यह घोषणा करता है कि इस प्रावधान का उल्लंघन कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है। परन्तु इसी अनुच्छेद की दूसरी उपधारा में इस अधिकार का एक अपवाद बताया गया है और वह यह है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकेगा। यद्यपि 'सार्वजनिक प्रयोजन' शब्दावली की कहीं व्याख्या नहीं की गई, तथापि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उसके अन्तर्गत समूची जाति का हित आता है उसमें किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों के समुदाय के हित को शामिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष में कम की आयु के किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान अथवा किसी अन्य सकट-युक्त नौकरी में काम पर नहीं लगाया जा सकता।

उपर्युक्त दोनों अनुच्छेद लोक-कल्याणकारी राज्य की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। 24वीं धारा तो एक प्रकार से संविधान के चौथे अध्याय के 39(c) तथा 45 अनुच्छेदों के

कायाचयन व निष्पन्न आयुष्मन् भूमि नयार करती है। 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य युद्धों व हिंसा पर विनाप ध्यान देगा तथा उनका निष्पन्न का प्रास्ताविक करेगा। 39(e) द्वारा मंत्रित है कि राज्य वंचना की दृष्टि आयु का दुस्प्रयोग नहीं हान देगा तथा उह आर्थिक आवश्यकता से विनाप हाकर एम व्यवसाय म नहा नगन टगा जा उनक निष्पन्न आयु तथा शक्ति व निष्पन्न अनुपयुक्त हा। इन अनुच्छेदों व बीच पाय जाने वान साम्य को जयनोक्ति किया जा सकता है।

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Religious Rights)—धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संविधान की चार धाराओं में—25 26 27 और 28 में उल्लेख हुआ है। पहल बताया जा चुका है कि काँग्रेस कॅम्ब्रिज मिशन के सामने इस बात के निष्पन्न वचनबन्ध थी कि भविष्य में भारत के निष्पन्न जा भी संविधान निर्मित होगा उसमें धार्मिक जन्मसंख्या का अधिकारों की रक्षा की जायगी। यथायत्न 14वीं धारा के द्वारा संविधान में कानून के समक्ष समानता तथा कानूनो के समान संरक्षण का आश्वासन दिया जा चुका था तथा इमा अनुच्छेद में यह बात स्पष्ट रूप में कही गई थी कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। परन्तु वस्तु में अल्पसंख्यक इस आश्वासन का अपर्याप्त मानते थे व इसके अतिरिक्त कुछ और संरक्षण चाहते थे। अतः उह संविधान में जो जय व्यवस्थाएँ दी गई व निम्न प्रकार हैं—

अनुच्छेद 25—सावजनिक व्यवस्था सत्ताचार एवं स्वास्थ्य तथा इस अर्थों के जय प्राविधानों के रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति का अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अन्वेषण में समान आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है। परन्तु इस अधिकार से किसी एक वर्तमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव न पड़ेगा अथवा राज्य द्वारा एक कानून में धार्मिक न्याय—(अ) जो धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक विज्ञान राजनीतिक अथवा अर्थ किसी प्रकार की नैतिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निष्पन्न करने की हो अथवा हिंसा की सावजनिक धर्म संस्थाओं को हिंसा के समान वर्गों और विभागों के नियम खानता है।

व्याख्या—(1) कृपाण धारण करना व नकर चरना मित्र धर्म का अर्थ समझा जायगा। (2) उग्रतन्त्र मन्दम व हिंसा में सिक्रम धर्म जन अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी सम्मिलित समझा जायगा।

अनुच्छेद 26—सभी व्यक्तियों का सावजनिक व्यवस्था सत्ताचार और स्वास्थ्य के अधिन रहते हुए अपने धार्मिक सम्प्रदाय या किसी विभाग की (अ) धार्मिक संस्थाओं की स्थापना (आ) धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रवर्धन (इ) जगम तथा यावर सम्पत्ति के जजन और स्वामित्व तथा (ई) एमा सम्पत्ति के कानून द्वारा प्रवर्धन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 27—किसी भी व्यक्ति का एक बर दन के निष्पन्न बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी धर्म विनाप अथवा धार्मिक सम्प्रदाय का उत्पत्ति अथवा पोषण में व्यय करने के निष्पन्न विशिष्ट रूप में विनियुक्त कर देगा है।

अनुच्छेद 28—राज्य निष्पन्न पूणरूपण पा पत किसी गिना संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। परन्तु यह व्यवस्था किसी एकी गिना संस्था पर कानून न लागू जिनका प्रवर्धन ता राज्य करता है परन्तु जिनकी स्थापना किसी एक धर्मत्व जयमा याम के आश्रित हुई है जिसे अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य में अभिगात अथवा राज्य से आर्थिक सहायता पान वाली गिना संस्था में पहल वान किसी व्यक्ति को एमी संस्था में दा जान वाली धार्मिक गिना में भाग लेने के निष्पन्न अथवा उसमें या उसमें सग स्थान में दा जान वाना धार्मिक उपामना में उपस्थित हान के निष्पन्न बाध्य नहीं किया जायगा।

उपरोक्त प्राविधानों के अन्वय में यह बात स्पष्ट है कि उनका भाग भारतीय संविधान में राजनानि के धर्म में अलग रगने का प्रयास किया है। वस्तुतः संविधान की इन व्यवस्थाओं का संविधानसभा का धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्थापित करने की इच्छा का आवश्यक परिणाम बताया जा सकता है।

(5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)—सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सविधान की 29वीं और 30वीं धाराओं में उल्लिखित हैं। यथार्थ में इन प्राविधानों का उद्देश्य धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करना है। 29वाँ अनुच्छेद प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा उसकी अपनी संस्कृति को कायम रखने तथा उसका संवर्धन करने के आचार का आश्वासन देता है तथा साथ में ही वह यह व्यवस्था भी करता है कि किसी भी नागरिक को किसी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति तथा उनमें से से किसी एक के आधार पर प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता। 30वाँ अनुच्छेद समस्त अल्पसंख्यकों को चाहे उनकी रचना धर्म के आधार पर हुई हो या भाषा के आधार पर, यह अधिकार उपलब्ध कराता है कि वे अपनी शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करें तथा उन्हें यह आश्वासन दिलाता है कि अनुदान देते समय राज्य किसी संस्था के विरुद्ध धर्म अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

सविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि ये निर्दोष नहीं हैं। वस्तुतः वे संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को उन अधिकारों के उपभोग की भी अनुमति नहीं देती जिनका आश्वासन उन्हें सविधान की 15वीं धारा के द्वारा दिया गया था। 15वीं धारा में कहा गया था कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा, परन्तु 29वीं धारा में 'जन्म-स्थान' शब्द छोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में के० वी० राव का यह कथन उल्लेखनीय है—'29वीं धारा शिक्षा के अधिकारों पर घातक प्रहार करती है—उसको छोड़ देने से हमें 14वीं, 15वीं और 19वीं धाराओं के अन्तर्गत अविकल अच्छे अधिकार उपलब्ध हो सकते थे।'¹ 29वीं धारा के सम्बन्ध में एक और कठिनाई है और वह कठिनाई यह है कि 'संस्कृति' शब्द से क्या अभिप्राय है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश में संस्कृति शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन मूल्यों के लिये होता है जो हमारे जीवन के सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक पहलुओं के साथ सम्बद्ध हैं। और यदि 29वीं धारा हमारी उस संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है जिनसे हमारे देश की सामाजिक रूढ़ियों का प्रतिनिधित्व होता है, तो निस्सन्देह वह प्रतिगामी है। सम्भवतः सविधानकारों का यह उद्देश्य कदापि नहीं था, और उनसे यह भूल अनजाने में हो गई हो। परन्तु इतना होते हुए भी इस भूल की गम्भीरता से इनकार नहीं किया जा सकता।

यहाँ 30वीं धारा के सम्बन्ध में भी यह कहने की आवश्यकता है कि उसकी व्यवस्थाएँ भी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं हैं। उसने सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे उनकी रचना भाषा के आधार पर हुई हो अथवा धर्म के आधार पर अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार दिया है। भाषावार अल्पसंख्यकों की बात समझ में आ सकती है, परन्तु धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देना निश्चय ही गलत है। अनुभव साक्षी है कि इस प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ हर सम्भव प्रकार के सम्प्रदायवाद और जातिवाद को जन्म देती हैं। वस्तुतः राज्य की धर्मनिरपेक्षता के लिये इस प्रकार की संस्थाएँ सबसे बड़ी चुनौती हैं।

(6) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)—सविधान में सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख दो स्थानों पर हुआ है—धारा 19(f) में तथा धारा 31 में। इस सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है वह यह है कि सविधान में सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था दो स्थानों पर क्यों हुई, अन्य अधिकारों की भाँति एक ही स्थान पर क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें दोनों धाराओं की पृष्ठभूमि ध्यान में रखनी चाहिये। 19वीं धारा एक प्रकार की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करती है जिसका उपभोग भारतीय नागरिक कर सकते हैं, जबकि

31वा धारा उम स्वतन्त्रता म व्यक्ति का वचित करन का अधिकार राय का सौंपती है तथा वह यह भी बताता है कि राय अपन अधिकार का प्रयोग किस प्रकार करगा। यहा यह उल्लेखनीय है कि 31वा धारा म जब तक चार सभायन हो चुके है जोर प्रत्यक्ष मशाघन की रचना सर्वोच्च यायालय की हम समय म नक्ति का कम कान क उद्देश्य म है। वस्तुतः इस अनुच्छेद क ऊपर जितना विचार म पाया जाता है तना सविधान के किसी अन्य प्राविधान पर नहा पाया जाता। इस अनुच्छेद म सम्बद्ध मुकदम भी सबसे अधिन सर्वोच्च यायालय म पहुँचे ह। साथ ही हम अनुच्छेद की जा याग्या सर्वोच्च यायालय न की है वह हमगा एकमी नही रनी ह। जन एसी स्थिति म यह स्वाभाविक ही है कि हम अनुच्छेद के सम्बन्ध म यापक रूप भ्रम पाय जायें। यहा हमको विस्तृत विवरण आवश्यक है।

भारत म सम्पत्ति म सम्बन्ध साविधानिक प्राविधाना की रचना एक निश्चित एतिहासिक पृष्ठभूमि म हुई है। मन्विधान मभा म काग्रस का बहुमत था तथा काग्रस बहुत दिना म आर्थिक जोर सामाजिक सुधारा के लिए कृत मक न थी तन सुधारा म जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी शामिल था। जपन 1945 के चुनाव घोषणा पत्र क द्वारा उसन दंग की जनता क समक्ष जपन हम मन्त्र को दुहराया था कि वह जमादारी का उन्मूलन करगा परंतु उमके लिए वह जमादारी का उचित मुआवजा दगी। जब सविधान की रचना हुई तो उमम मुआवज का ता उल्लेख किया गया परंतु मुआवजा का क पहल उचित जयवा यायपूर्ण गन्ता का प्रयोग नही किया गया तथा यह कहा गया कि मुआवज की राशि अथवा उम राशि को निर्धारित करन वान मिट्टाता का निर्धारण व्यवस्थापिका के द्वारा होगा। हमम यह भी कहा गया कि यदि हम प्रकार का कानून किमा राय विधानमण्डल के द्वारा निर्मित हुआ है ता उमका कार्यविधि उम समय तक नहा हो सकगी जब तक कि उम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जायगी। अनुच्छेद म उचित अथवा यायपूर्ण गन्ता का प्रयोग जान-बूझकर नहा किया गया था क्याकि इनके प्रयोग म मुकदमवाजी को बढ़ावा मिल सकता था। काई भी व्यक्ति उस कानून को यायालय म इस आधार पर चुनौती द सकता था कि उमम जो मुआवज की राशि निश्चित का गयी है वह पर्याप्त नहा है। हम सम्बन्ध म शामक दन के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करन हुए गाविद्वन्द्व म पत न यह कहा था—हम हरेक को उचित मुआवजा दना चाहत है परन्तु हम किसी मामल म मुकदमवाजी म नहा उतभना चाहत। हम प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधानद्वारा का यह दृष्टिकोण था कि मुआवज की राशि के निर्धारण म अन्तिम गन्त व्यवस्थापिका का ज्ञाना चाण्डि यायपात्रिका का नहा।

परंतु यह दृष्टिकोण यायपात्रिका का नना था। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मुकदम म पटना उच्च यायालय न यह मत व्यक्त किया कि यायालय मुआवज के प्रश्न की जाँच हमनिष्ठ कर सकत है कि तानि क यह तल सके कि उस कानून म अन्य मून अधिकार म सम्बद्ध प्राविधाना—उदाहरण के लिए 14वा धारा—का उल्लेख नना ज्ञाना। हम दृष्टिकोण का जपनाकर पटना उच्च यायालय न बिहार भूमि सुधार कानून 1950 का अवध घोषित कर लिया। बाद म पटना उच्च यायालय क हम निणय का सर्वोच्च यायालय न भा समक्ष कर लिया तथा उसन उन धारा का भी स्वीकार कर लिया जिनके ऊपर पटना उच्च यायालय न हम कानून का अवध ठहराया था।

हम प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान की व्यवस्था का भूमि सुधार कानून का यायालय के अधिकार मत्र म बाहर रगन म सफलता नहा मिल सकी। हम स्थिति का निराकरण करन के लिए 31वा धारा म सभायन करन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। पटना मन्विधान (प्रथम सभायन) अधिनियम 1951 पारित किया गया जिनके अनुसार 31वा धारा म न्य अन्य धाराएँ—31 A तथा 31 B—जाड़ी गया तथा हमके साथ न्य सविधान म एक नई सूचा (9वा) जाड़ी गया। अनुच्छेद 31 A म यह कहा गया कि कानून जिनके द्वारा राय किमी मन्मति की प्राप्ति ममाप्ति जयवा उम अधिकार का सभायन अथवा भावजनिक हित म उमके

प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसके द्वारा अनुच्छेद 14, 19, अथवा 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 31B के द्वारा 9वीं सूची को जोड़ने की व्यवस्था की गयी, जिसमें 13 जमींदारी उन्मूलन कानूनों का उल्लेख था तथा जिनकी वेधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

थोड़े ही दिनों में यह अनुभव किया गया कि 31वें अनुच्छेद में जो सशोधन किये गये थे, उनसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर राज्य द्वारा अधिकार स्थापित करने वाले अधिनियमों को न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से दूर नहीं रखा जा सकता था। 1953 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'द्वारिकादास श्रीनिवास बनाम शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी' नामक मुकदमे में बम्बई उच्च न्यायालय को उलट कर शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी (एमरजेन्सी प्रोवीजन्स) ऑडीनेन्स 1950 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उसमें कम्पनी को समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं की गयी थी। राज्य की तरफ से इस मुकदमे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि उसने कम्पनी की सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया है, उसने तो केवल उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में इसलिए लिया है क्योंकि उसका प्रबन्धक-मण्डल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था तथा अगस्त 1949 में उसने बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को यकायक बन्द करके अपने 13000 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया था तथा राष्ट्र को 25 लाख गज कपड़ा और 15 लाख गज सूत की क्षति पहुँचाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में जो दृष्टिकोण अपनाया, उसने 31वीं धारा में दूसरे सशोधन को आवश्यक बना दिया। फलतः सविधान (चतुर्थ सशोधन) अधिनियम 1955 की रचना हुई, जिसने 31वीं धारा में एक नवीन उपधारा (2 A) को जोड़ा। इनमें यह व्यवस्था की गई कि मुआवजे के किसी प्रश्न को किसी ऐसे कानून को अवैध ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामित्व को राज्य अथवा राज्य के अधीन अथवा राज्य द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को हस्तान्तरित किया गया हो।

कुछ क्षेत्रों में इन सशोधनों की आलोचना की गयी है और कहा गया है कि इनके कारण सम्पत्ति के अधिकार की वादयोग्यता (justiciability) नष्ट हो गयी है। यह प्रश्न जब 1967 में 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो उसने 6-5 के बहुमत से 17वें सशोधन को यह कहकर अवैध घोषित कर दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के द्वारा समद को तीसरे अघटाय के प्राविधानों को सशोधित करने का अधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की देश में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती। कुछ विधेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी सविधान की इस व्याख्या को अनुचित ठहराया है।

यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से समद की शक्ति कम हुई है तथा न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। वस्तुतः यह स्थिति सविधानकारों की इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल है। जैसा कहा जा चुका है श्री नेहरू ने सविधान सभा में यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी न्यायालय समद के कामों पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। अतः स्वाभाविक रूप से इस निर्णय ने समद में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति पहले नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत विधेयक में हुई और बाद में उनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 25वाँ सशोधन पारित किया गया। इस सशोधन के द्वारा समद को वह शक्ति वापिस दिलायी गयी जो उसे गोलकनाथ के मुकदमे में दिये गये निर्णय के पूर्व प्राप्त थी। इन सशोधन में निम्न व्यवस्थाएँ की गयी हैं—

(1) राज्य जिस सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित करेगा, उसके लिए समद अथवा राज्य के विधानमण्डलों को वाजार की दर पर मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। जो मुआवजा वे निश्चित कर देंगे वही अन्तिम होगा। वह राशि जो व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण है तथा राष्ट्र के लिए अन्यायपूर्ण है, उसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वह वान विधायक ही निश्चित कर सकते हैं कि

गण्ट म उम सम्पत्ति क निए दन की क्या क्षमता है जिन उसने अपन हित म प्राप्त किया है ।

(2) 14 19 और 31 अनुच्छेद म जिन अधिकारा का आश्वासन दिया गया है उह एम सामाजिक तथा आर्थिक कानूना को रद्द करन के निए माध्यम नहा बनाया जा सकता जिनका उल्लंघन सम्पत्ति की एकाधिकारी प्रवृत्तिया का रोकना है ।

(3) एस प्रकार क कानूना को निमित्त करन क वाद मसद अथवा राय्या के प्रधानमण्डला क निए यह आवश्यक हागा कि क एस आणय का एन प्रमाण-पत्र नै कि उहानि उस कानून की रचना किसी नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्यावित करन क निए की है । यदि उस कानून क साथ म एम प्रकार का प्रमाण-पत्र सन्न है तो यायालय 14 19 और 31 अनुच्छेद क प्राविधाना का प्रयाग म दाकर एम कानून का अवध धापित नहा कर सकत ।

उपयुक्त विवचना म स्पष्ट है कि सविधान म सन्निहित सम्पत्ति का अधिकार अभी भी विवाद ग्रस्त है । 31वा धाग क प्राविधान सामाजिक प्रगति की आर दश क अभियान को राकन क निग ही अभी तक प्रयुक्त हुए हैं । 1969 म वका क राष्ट्रीयकरण क मुकदम म सर्वोच्च यायालय न अपन निणय म कहा था कि मुआवज की राशि बाजार की दर पर आधारित हाना चाहिए तथा उसक साथ म सम्पत्ति क स्वामिया को उनकी सद्भावना (Goodwill) क निग भी मुआवजा दिया जाना चाहिए । यदि एम स्वीकार कर लिया गया तब तो का भी प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कानून बन ही नहीं सरता । 25वा सगोधन एसी दुरतता का दर करन का प्रयास करता है ।

(7) साविधानिक उपचारो का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)— सविधान की 32वा धाग भागन क प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार प्रदान करती है कि क अपन अधिकारा क उल्लंघन की स्थिति म सीध सर्वोच्च यायालय का गरण क सकत है । एम अधिकार का मौलिक अधिकार धापित करके सविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारा की यथायथा स्पष्ट हा जाती है और यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि भारतीय सविधान क मूल अधिकार कवन पवित्र अछाय नहीं हैं । राय्य एन अधिकारा का कायावित करन क निग कृत-सक-न है । भारतीय सविधान की व्यवस्था क अतगन स्वतंत्र यायपातिका का मौलिक अधिकारा को लागू करन की शक्ति प्रदात करके भारतीय सविधान निमाताजा न राजनानिक दाकतंत्र की धारणा का पुष्ट किया है । एम प्राविधान क अनुसार यदि किसी नागरिक क किसी मूल अधिकार का अनिग्रमण किसी शासकाय आण्य अधिनियम या विनियम क द्वारा हान की आगका हा तो नागरिक सर्वोच्च यायालय म अनिवदन करके उनका निगकरण कर सकता है । एम हेतु न्यायालय कपी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) परमाण्य (Mandamus) प्रतिषध (Prohibition) अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) तथा उत्प्रेषण (Certiorari) द्वारा सम्बद्ध पत्र का यायालय द्वारा अंतिम निणय देन तक सरकारी आण्य जाति का प्रभावा हान से राक सकता है । सर्वोच्च तथा उच्च यायालय एम किसी आण्य या अधिनियम का सविधान क प्राविधाना क प्रतिकूल मा उनम असंगत हान पर अवध धापित कर सरता है ।

राय्य क नीति निर्देशक सिद्धांत

ऊपर कहा जा चुका है कि सविधानकारा न मूल अधिकारा का एा भागा म विभाजित कर दिया था । क अधिकार जिनका प्रवृत्ति निषधामक था तथा जा 18वा और 19वा गता-ग का आश्वासना परम्परागा म भन गान थ उह मूल अधिकारा क नाम म पुकारा गया । परन्तु जिन अधिकारा का प्रवृत्ति स्वाभाराम्य था तथा जिनका अनुपस्थिति म नाक-बन्धनकारा राय्य तथा समाजघात समाज का रचना का बन्धना भा नहा हा सरता था उह सति निर्देशक सिद्धांतों का मना प्रदान का गन तथा यह कहा गया कि क उन राय्या का प्रतिनिधित्व करन है जिनका प्राप्त करन का प्रयाग भारतीय गणतंत्र करगा ।

नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य बाध नहीं है अतः उनके उल्लंघन की स्थिति में कोई भी भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। सविधान मन्त्रों ने डा० अम्बेदेकर ने यह मत व्यक्त किया था कि उनकी तुलना 1935 के अधिनियम के निहित उन निर्देशनों से की जा सकती है जो प्रांतों के गवर्नरों को उनकी नियुक्ति के समय दिए जाते थे। इन दोनों में केवल एक ही अंतर है—1935 के अधिनियम में निर्देश केवल कार्यपालिका को दिए जाने की व्यवस्था थी तबहीं मन्त्रिमंडल ने उन्हें व्यवस्थापिका को भी दिया जाता है। 25वें संशोधन के पारित होने पर न्यायपालिका में भी उनके पालन की अपेक्षा की जाती है।

नीति-निर्देशक सिद्धान्त केवल भारतीय मन्त्रिमंडल की अतोन्नी विधेयता नहीं है उनकी व्यवस्था इसके पूर्व आयरलैंड के मन्त्रिमंडल में की जा चुकी थी। 1947 में बर्मा के मन्त्रिमंडल में भी इन्हें स्थान दिया गया था। 1951 में निर्मित नेपाल के मन्त्रिमंडल में तथा 1952 में थाईलैंड के मन्त्रिमंडल में भी इन सिद्धान्तों को मनाविष्ट किया गया था।

मूल अधिकार बचाने निर्देशक सिद्धान्त

अनुच्छेद नब्बी है कि मन्त्रिमंडल में निहित नीति निर्देशक सिद्धान्तों एवं मूल अधिकारों के बीच कभी-कभी विरोध की स्थिति पाई जाती है। उदाहरण के लिए 47 और 48 अनुच्छेदों को मिला जा सकता है। 47वें अनुच्छेद में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मन्त्रिमंडल की दिशा में कदम उठाये तथा अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य गो-हत्या को रोकने का प्रयत्न करे। उक्त दोनों अनुच्छेदों का मन्त्रिमंडल की 19 (f) (g) धारा में कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य छोड़े में व्यक्तियों के पदम धन के सम्यक् को रोकने का प्रयत्न करेगा। स्पष्टतः इन अनुच्छेदों की और 31वीं धारा की व्यवस्थाओं में कोई मेल नहीं है। मूल अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तों के बीच पाये जाने वाले विरोध की परिस्थिति मन्त्रिमंडल राज्य बचाने सम्बन्धन बोरोईराजन् मुन्दमे में भती एकर हुई थी। इस मुकदमे की उत्पत्ति मन्त्रिमंडल सरकार के साम्प्रदायिक आदेश (Communal order) में हुई। इस आदेश के अनुसार सम्बन्धन बोरोईराजन् का मौखिक कालिक में एवेक इस एडार पर नहीं दिया जा था क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायाधीश और कालिक में सीटे अवाहानों के लिए सुरक्षित थी। अपनी जायिका में बोरोईराजन् में सरकारी आदेश को अनुच्छेद 15 (1) तथा 29 (2) में मरिहित मूल अधिकारों पर आघात लगाया था। सरकार ने इसके विरुद्ध यह तर्क दिया था कि उक्त आदेश अनुच्छेद 46 के परिधिगतों में मेल खाना है किन्तु यह कहा गया है कि राज्य मन्त्रिमंडल के दुर्बल वर्गों के विना-सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देना। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निर्देशक सिद्धान्त किन्तु सम्बन्धन में यह स्पष्ट व्यवस्था कि उन्हें न्यायालयों के द्वारा कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता बीमारे अज्या के परिधिगतों का अतिक्रम नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में यह स्पष्ट है कि इन सिद्धान्तों को अपेक्षा मूल अधिकारों का माविधानिक महत्त्व कही अधिक है।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों का विस्तार

निर्देशक सिद्धान्तों को मोटे मोटे पर तीन शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है— सामान्य सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त तथा कार्यान्वित सिद्धान्त।

(1) सामान्य सिद्धान्त—इन शीर्षक में छोटे अक्षरों की 36, 37, 48 और 49वीं धाराएँ पानी हैं। 36वें अनुच्छेद में राज्य मन्त्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के द्वारा नहीं कर ही जा सकती। स्पष्टतः मन्त्रिमंडल में इन सिद्धान्तों को मौखिक सम्बन्धन बनाया जाहिए तथा राज्य का यह कर्तव्य होगा बाहिर कि वह कानूनों की रचना करने समय इन सिद्धान्तों का ध्यान करे। 48वें अनुच्छेद में

कहा गया है कि राज्य का वित्तनिक आधार पर कृषि एवं पशु पालन को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए तथा उम गौ हत्या का रोकने की भी कानिशा करनी चाहिए। 49व अनुच्छेद में राज्य का यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह वित्तनिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों तथा स्थानों की रक्षा करे।

(2) आर्थिक मिश्रण—संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 38 39 41 42 43 45 46 और 47 का रखा जा सकता है। इनका उद्देश्य उन जातियों को प्राप्त करना है जिनका उत्पन्न मविधान की प्रस्तावना में किया गया था तथा जो नाक-कल्याणकारी राज्य के मुख्य आधार हैं। 38वें अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक धारा राष्ट्रीय जीवन की सभा सम्मिलित हो अनुप्राणित करे। अनुच्छेद 39 में कुछ विधायक नियम लिखे गये हैं। राज्य अपनी शक्ति का संचालन इस प्रकार करेगा कि (अ) सभा नागरिकों का समान रूप से विकसित व पर्याप्त साधन उपलब्ध हो (आ) दश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा कि जिसमें सामूहिक हित प्राप्त हो सकें (इ) आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी वितरण न हो (ई) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिले (उ) शैक्षिक पुस्तक और शिक्षा के स्वास्थ्य तथा शक्ति और वातन की सुविधाएँ अवस्था का अनुपात में हों (ऊ) शैक्षिक और विज्ञान अवस्था का साधन व भौतिक और आर्थिक परिचायक न हों।

अनुच्छेद 41 में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अपनी क्षमता के अन्तर्गत जागृता के काम लाने पराजगत्तों वृत्तव्य वीमर्गों तथा शारीरिक और मानसिक जयायता की वित्तनिक सामाजिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारों की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की पर्याप्त एवं मानवीय परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयत्न करे।

अनुच्छेद 43 में राज्य का यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह कृषि तथा उद्योगों में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक का गुजर नायक मजदूरी अर्थात् जीवन स्तर तथा अवकाश उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे।

अनुच्छेद 45 में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि संविधान के कार्यालय के 10 वर्ष के भीतर उस 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुच्छेद 46 में राज्य की यह जिम्मेदारी बताई गई है कि उस समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक शक्ति की अभिवृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए।

अनुच्छेद 47 में राज्य का यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह जागृता के जीवन स्तर तथा पर्याप्त तन्त्र का ऊँचा उत्थान का प्रयास करना चाहिए।

उपरोक्त विवेक में स्पष्ट है कि इन मिश्रणों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारों का कोई संतुलन नहीं है। संविधान के आधार पर देश में एक नये समाज की रचना हो सकती है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक धारा सभी भारतीय नागरिकों का उपलब्ध हो सकेंगी।

(3) कानूनी मिश्रण—कानूनी मिश्रण भाग 3 प्रथम अध्याय की 44वाँ और 50वाँ धाराओं में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य नागरिकों के लिए एक ही अन्तर्गत कानून (Civil Code) की रचना करना चाहिए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक-दूसरे में घुसकर चलने पर ध्यान दिया गया है।

संविधान का उपयोग करना व्यवस्थाओं का महत्त्व स्पष्ट मिश्रण है। 44वाँ धारा का महत्त्व समझने के लिए यदि हम एक ही धारा में देखें कि भारत में धारा 44 के अन्तर्गत कानून का महत्त्व

धर्म का एक अग माना गया है तो अधिक उपयोगी होगा। चूँकि भारत में अनेक मतावलम्बी पाये जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ बहुत सी आचार संहिताएँ भी पायी जाती हैं। इस प्रकार मुसलमानों की अपनी आचार संहिता है जिसे वे 'व्यक्तिगत कानून' (Personal Law) के नाम से पुकारते हैं तथा हिन्दुओं में कम से कम तीन आचार संहिताएँ पायी जाती हैं— मयूख, मिताक्षर और दयाभाग। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि धर्मान्ध लोगों ने सदैव से इन संहिताओं को ईश्वर प्रदत्त बताया है तथा उनकी पवित्रता को अनुलघनीय प्रमाणित करने का प्रयास किया है। परन्तु देश की राष्ट्रीय एकता के लिए आचार संहिताओं की इस बहुलता का अन्त किया जाना परमावश्यक था। अतः सविधान की इस व्यवस्था को शुभ समझा जाना चाहिए।

निर्देशक सिद्धान्तों का मूल्यांकन

आरम्भ से ही इन सिद्धान्तों की विविध प्रकार से आलोचना की गई है। सविधान सभा में इनके सम्बन्ध में प्रो० के० टी० शाह ने कहा था कि ये 'उस चैक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।' कुछ अन्य आलोचकों ने इन सिद्धान्तों को पवित्र आकाशाओं का सग्रह-मात्र कहा है। परन्तु इतना होते हुए भी इनके महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

वस्तुतः इन सिद्धान्तों को राज्य की आचार संहिता बताया जा सकता है। राज्य में चाहे जो दल सत्तारूढ हो, उसके लिए यह वाछनीय है कि वह इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करे। इस सम्बन्ध में पायली ने यह ठीक ही लिखा है कि 'निर्देशक सिद्धान्तों का महत्त्व इस बात में है कि वे नागरिक के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये दायित्व महत्त्वहीन हैं और इसकी पूर्ति होने पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आयेगा। वस्तुतः ये क्रान्तिकारी गुणों से ओतप्रोत हैं। यही कारण है कि निर्देशक सिद्धान्तों को सविधान का अभिन्न अंग बनाया गया है। राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा भारतीय सविधान व्यक्ति स्वातन्त्र्य की घातक, मजदूर वर्ग की तानाशाही, तथा जनसाधारण की सुरक्षा में बाधक होने वाले पूँजीवादी अल्पतन्त्र की दोनों चरम सीमाओं में सन्तुलन स्थापित करता है।'

प्रश्न

- 1 भारतीय सविधान में प्रस्तावना के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
- 2 सविधान में सन्निहित समानता के अधिकार पर एक निबन्ध लिखिए।
- 3 सविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध किये गये हैं? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 4 भारतीय सविधान में सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? अभी तक इस अधिकार के क्षेत्र में जितने संशोधन हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
- 5 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बद्ध अध्याय में उच्च कोटि की भ्रान्तियाँ, अनेक पवित्र आकाशाएँ तथा गुच्छ एने अधिकार वर्णित हैं, जिनकी सविधान द्वारा गारण्टी की जा सकती थी।' विवेचना कीजिए।

संघीय कार्यपालिका (THE UNION EXECUTIVE)

संघ जयवा राय्या की कार्यपालिका का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि उनकी रचना ब्रिटेन की समन्वय पद्धति के अनुरूप की गई है जिसके दो मुख्य तत्त्व हैं—पहला तत्त्व है कार्यपालिकायानी हैं एक औपचारिक और दूसरी वास्तविक दूसरा तत्त्व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरन्तर का सम्बन्ध होता है। यद्यपि भारतीय संघ का राष्ट्रपति ब्रिटिश मन्त्रालय की भाँति आनुव्यवस्था न होकर निर्वाचित अधिकारी है तथापि भारतीय मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश कबिनेट की ही भाँति शक्तिमान है। वह तब तक अपना काम करती है जब तक कि उस संसद के प्रथम सत्र का विचार प्राप्त है। कुछ विद्वान् उस तक से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें अध्यक्षीय प्रणाली के तत्त्व विद्यमान हैं। उनका मत है कि संविधान के कुछ प्राविधानों में राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान किये हैं। आगे बात पृष्ठा में हम इस मत की विवेचना करेंगे।

1. राष्ट्रपति ✓

भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं और वह उनका प्रयोग या तो स्वयं प्रत्यक्ष या फिर संघीय संविधान के प्राविधानों के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है।

निर्वाचन

किसी भी नाकतार्थिक कार्यपालिका की रचना करने के समय जो समस्याएँ सबसे पहले प्रस्तुत होती हैं वह यह है कि राज्य के राज्य के निर्वाचन किस प्रकार किया जाय। संविधान की 54वाँ और 55वाँ धाराओं में इस समस्या को सुनिश्चित करने की विधि बताई गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में मान्यतापूर्वक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय पद्धति के आधार पर एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मण्डल में एक संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह बात मुख्य है—वहनी उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकत्रित कायम रखने के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। दूसरे उद्देश्य के साथ ही भाग्यता दी गई है कि संघ एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व के साथ समता कायम रखी जाय। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में परिणाम मता का माधुर्य गणना से निर्धारित नहीं होता बल्कि मता का निम्न फलन से मान्यता दी जाना है—

किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य

राज्य की जनसंख्या

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या — 1000

इस प्रकार समान के सदस्य के मत का मूल्य

राज्य का विधानसभाओं के सदस्यों के मत का कुल योग
समान के मतों की संख्या के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

1962 तक कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्याशी पहली ही गिनती में बहुत अधिक मत से निर्वाचित हो जाया करता था। परन्तु 1967 के चौथे आम चुनाव में अनेक राज्यों के विधान-मण्डलों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रही तथा सदन में भी उसका पहले की भाँति बहुमत नहीं रहा। फलतः मई 1967 में जब राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हुआ तो उस समय कांग्रेसी उम्मीदवार डा० जाकिर हुसैन को विरोधी दलों द्वारा मनोनीत प्रत्याशी के० सुब्बाराव के साथ कड़ा मुकाबिला करना पड़ा। यद्यपि डा० जाकिर हुसैन पहली ही गिनती के उपरान्त निर्वाचित घोषित कर दिये गये थे, तथापि उन्हें वह बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था जो इससे पूर्व तीन चुनावों में कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ था। डा० जाकिर हुसैन का देहान्त उनके कार्यकाल में ही हो गया, अतः 1969 में राष्ट्रपति के पद के लिए पाँचवीं बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में परिस्थिति में इसलिए और जटिलता उत्पन्न हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम सजीव रेड्डी का विरोध करने का निर्णय किया था। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार वी० वी० गिरि निर्वाचित घोषित हुए, परन्तु ऐसा तभी हो सका जबकि दूसरी पसन्द के मतों की भी गणना कर ली गई। इस प्रकार पहली बार एक पद के लिए निर्वाचन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का महत्त्व स्पष्ट हुआ। इस पद्धति के अन्तर्गत एक उम्मीदवार प्रथम गणना में अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त करने के उपरान्त भी चुनाव में हार सकता है। उसके लिए चुनाव जीतने के लिए केवल यह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने प्रतिद्वन्दी की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त हों, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह विजयी घोषित होने के लिए निर्धारित मतों को भी प्राप्त करने में सफल हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि उसे वैध मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए सविधान में यह व्यवस्था है कि निर्वाचित प्रत्याशी को आधे में अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविधान में निर्वाचन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें प्रत्येक मतदाता को अपनी पहली, दूसरी, तीसरी आदि पसन्द बताने का अवसर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को प्रथम पसन्द के आधे से अधिक मत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम मत मिले हों विलोपित कर दिया जायेगा तथा उसकी दूसरी पसन्द के मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। यह विलोपन की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, वैध मतों की कुल संख्या 15000 है और नधर्प में 4 प्रत्याशी हैं, चुने जाने के लिए प्रत्याशी को 7501 मत प्राप्त करने चाहिए। परन्तु 4 उम्मीदवारों को मत इस प्रकार प्राप्त होते हैं—(अ) 5250, (ब) 4800, (स) 2700, तथा (द) 2250। चूंकि (द) को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं इसलिए उसे विलोपित कर दिया जायेगा। उसके 2250 मतपत्रों पर दूसरी पसन्द इस प्रकार है—(अ) के पक्ष में 300, (ब) के पक्ष में 1050, और (स) के पक्ष में 900। दूसरी पसन्द की गणना के उपरान्त स्थिति यह हो जाती है—(अ) $5250 + 300 = 5550$, (ब) $4800 + 1050 = 5850$ और (स) $2700 + 900 = 3600$ । इस गणना में (ब) के मत (अ) के मतों में घट जाते हैं। परन्तु (स) विलोपित हो जाता है। उसके 3600 मतपत्रों पर तीसरी पसन्द के मत इस प्रकार हैं—(अ) 1700 और (ब) 1900। जब उन्हें हस्तान्तरित किया जाता है तो उम्मीदवार (ब) के कुल मत 7750 हो जाते हैं जो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

विधान निर्वाचन में 17 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, किन्तु इनमें से 9 तो कोई भी मत प्राप्त नहीं हुआ। यथायथ में बान्नाविक नधर्प वी० वी० गिरि और सजीव रेड्डी के बीच था, उनके अतिरिक्त एक तीसरे उम्मीदवार प्रत्याशी डा० वी० टी० देशमुख थे जिन्हें जनसम, स्वतन्त्र पार्टी तथा भारतीय रान्ति दल ने नयुक्त रूप में बटा किया था। दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या इस प्रकार थी—गिरि 420676 और रेड्डी 405427। डा० देशमुख को केवल

54593 मत प्राप्त हुए।

इस प्रकार संविधान सभा ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनता द्वारा प्रत्येक चुनाव संसद के संस्य द्वारा चुनाव तथा एक विशेष निर्वाचक मण्डल की स्थापना के सुझावों को नामांकित कर दिया। उसमें उसके लिए जिम्मेदार पद्धति का स्वीकार किया उसके पत्र में उक्त कृत्य को जा सकता है। पहला उसमें राज्य को कोई विशेष अधिकार बहन नहीं करना पड़ा। दूसरा उस प्रकार के निर्वाचक मण्डल द्वारा किया गया चयन एक मात्र अधिकार पर आधारित चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं होगा और उसमें राष्ट्रपति का एक वांछित प्रतिष्ठा में परिणत हो सकता है। तीसरा उस निर्वाचक मण्डल के संस्य में अल्प अल्पता के चुनाव का उपपात की जा सकती है। चौथा चूंकि इस पद्धति में राज्य के अल्पता के निर्वाचन में राज्यों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है उसमें यह प्रमाणित होता है कि भारत में राज्यों का मध्य (Union of States) है। जमा किया जा चुका है कि राष्ट्रपति निर्वाचन का निर्वाचन 1969 में हुआ था उसका वायदावत अगस्त 1974 को समाप्त होता है। परन्तु इस बीच गजराज की विधान सभा भंग हो चुका था। अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या किसी एक राज्य को विधानसभा के भंग होने का अधिकार राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है? राष्ट्रपति ने इस प्रश्न के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 जून 1974 के निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव परामर्श राष्ट्रपति का अधिकार के पक्ष में है परन्तु यह मान्यता है जाना चाहिए तब तक कि एक राज्य की विधानसभा भंग हो क्या नहीं है।

अर्थात्—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पक्ष के प्रत्यागा के पाम निम्नलिखित वायदावत जाना चाहिए—

(1) वह भारत का नागरिक है

(2) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है

(3) उसके पाम नाकसभा के संस्य निर्वाचित होने का वायदावत है

(4) उसके पाम भारत सरकार किंवा राज्य सरकार अथवा किंवा स्थानीय सरकार के अर्थ में कोई लाभ का पत्र नहीं होता चाहिए। दूसरे पक्ष में इस प्राविधान के अनुसार कोई भी सरकार के कर्मचारी राष्ट्रपति के पक्ष के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता। परन्तु यह नियम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यों के गवर्नरों पर लागू नहीं होता तथा

(5) उस संसद के किसी भी सदन अथवा किसी भी राज्य का विधानमण्डल का संस्य नहीं जाना चाहिए। यदि कोई विधायक अथवा संसद-संस्य राष्ट्रपति के पक्ष पर निर्वाचित हो जाता है तो व्यवस्थापिका में उसकी मान्यता उसी दिन से खत्म हो जाती है जिस दिन से वह अपने पक्ष का भार सम्भालता है।

कायदावत एक वेतन—राष्ट्रपति पांच वर्ष का अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इस बात में वह त्यागपत्र देकर या तो स्वयं अपने पक्ष का इस्तीफा कर सकता है अथवा मन्त्रिमंडल के द्वारा उसे उसके पक्ष में हटाया जा सकता है। संविधान ने राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन पर कोई राज नहीं लगाया है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए 10000 रुपये मासिक वेतन का व्यवस्था है उसमें अनिश्चित उसके लिए विभिन्न प्रकार के भत्तों का भी उल्लेख है। उसके लिए मुख्य सरकारों निर्वाचन का भी प्राविधान है। 1951 में पारित एक कानून ने अनुसार राष्ट्रपति का वेतन निम्न तौर पर उपरोक्त 15000 रुपये वार्षिक वेतन का व्यवस्था का गढ़ है। 1962 में उस कानून में एक संशोधन किया गया था जिसके अनुसार उसके लिए वेतन के अनिश्चित अर्थ में सचिव आदि पर व्यय करने के लिए 12000 रुपये वार्षिक का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति का अधिकार

राष्ट्रपति का अधिकार का मुख्यतः निम्न तौर पर अल्पता के अल्पता के विभाजन किया जा सकता

है—(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ, तथा (द) सकट-कालीन शक्तियाँ। यहाँ इन शक्तियों की विस्तारपूर्वक विवेचना की आवश्यकता है।

✓(अ) राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ—सविधान ने भारतीय सघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित बतायी हैं। कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत प्रशासकीय, राजनयिक, सैनिक, न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक और यहाँ तक कि एक सीमा तक विधायी सभी प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं। सविधान में लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका सम्बन्धी काम राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित होंगे। वही सरकार के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन के लिये नियम बनायेगा। वह प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष है तथा सभी सघीय अधिकारी, चाहे उनका सम्बन्ध सैनिक सेवा के साथ हो या असैनिक सेवाओं के साथ, वे सब उसके अधीन हैं।

राष्ट्रपति को सघीय अधिकारियों को नियुक्त करने की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा होती है उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—प्रधानमन्त्री तथा अन्य सघीय मन्त्री, महाधिवक्ता, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के गवर्नर, राजदूत तथा अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और अनुसूचित वर्गों के लिये विशेष अधिकारी। इनके अतिरिक्त वह विभिन्न आयोगों को भी नियुक्त करता है, जैसे वित्त आयोग, भाषा आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग आदि। उसे मन्त्रियों, राज्यों के गवर्नरों, महाधिवक्ता, तथा सेना के उच्च अधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है।

राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। राज्य के अध्यक्ष होने के नाते वह सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों का अधिकारी है। वह अपने देश के सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा बाहर से आने वाले सभी विदेशी राजदूत उसी को अपने पद के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं, सभी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों और समझौतों उसी के नाम से किये जाते हैं।

ब्रिटिश राजा की भाँति, भारतीय राष्ट्रपति भी न्याय एवं सम्मान का स्रोत है। उसे अपराधियों को क्षमा करने, उनको दिये गये दण्ड को कम करने तथा उसमें छूट देने का अधिकार है। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसका यह अधिकार निम्नलिखित तीन स्थितियों में लागू होता है—(1) जहाँ कोई व्यक्ति किसी सैनिक न्यायालय के द्वारा दण्डित हुआ हो, (2) जहाँ दण्ड किसी सघीय कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो, (3) ऐसे सभी मामलों में जहाँ अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिया गया हो। राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित भी करता है, भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री आदि उपाधियों के माध्यम से वह उन्हें उनकी सेवाओं के लिए अलंकृत करता है।

जैसा कहा जा चुका है, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है तथा प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चाहे जिसको प्रधानमन्त्री नियुक्त कर सकता है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में उसकी शक्तियाँ अत्यधिक सीमित हैं क्योंकि दलगत राजनीति की विवशताओं के कारण वह लोकसभा में बहुमत के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में सविधान की व्यवस्था यह है कि प्रधानमन्त्री तथा उसके मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। प्रधानमन्त्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए, परन्तु साधारणतः यह आशा की जाती है कि वह लोकसभा का सदस्य होगा। 1966 में लालबहादुर शास्त्री के देहान्त के उपरान्त श्रीमती इन्दिरा गान्धी को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था, यद्यपि उस समय वे राज्य सभा की सदस्य थीं, लोकसभा की नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री को नियुक्त करने की शक्ति नावैधानिक औपचारिकता में अधिक कुछ नहीं है। परन्तु यह औपचारिक शक्ति उन समय

कालान्तर में ससद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। राष्ट्रपति को समय-समय पर वित्त आयोग को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है तथा इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वह आयकर से प्राप्त होने वाली आय में से विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि को निर्धारित करता है। इसी प्रकार वह यह भी निश्चित करता है कि पटसन के निर्यातकर की आय में से कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए। अन्त में, राष्ट्रपति भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली प्रिवीपर्स में विभिन्न राज्यों को कितना योगदान है, यह निर्धारित करता है।

(द) सकटकालीन शक्तियाँ—भारतीय सविधान में सकटकालीन प्राविधान उसके 18वें अध्याय में सन्निहित है। वस्तुतः ससार के अन्य लोकतान्त्रिक सविधानों में इन प्राविधानों का समानान्तर खोजना कठिन है। सविधान सभा में इन आशकाओं को व्यक्त भी किया गया था। इस मत को व्यक्त करते हुए एच० वी० कामथ ने कहा था कि सविधान के उल्लघन की सम्भावना केवल आन्दोलनकारियों, विद्रोहियों एवं क्रांतिकारियों के द्वारा ही नहीं है, अपितु उन लोगों के द्वारा भी है जो सत्ताहूद है।' डा० पञ्जावराव देशमुख ने इस आशका को व्यक्त किया था कि 'मन्त्री राष्ट्रपति में निहित शक्तियों को चुनाव के उद्देश्य के लिए काम में ला सकते हैं तथा वे चुनाव के विलकुल पूर्व सकटकाल की घोषणा कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूसरे दल का दमन कर सकते हैं और वे राष्ट्रपति को सौपी गई शक्तियों का दलगत हितों के लिए प्रयोग कर सकते हैं।'

सविधान में तीन प्रकार की सकटकालीन अवस्थाओं का उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं—

(अ) भारत की अथवा उसके किसी एक भाग की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न होने पर (352वीं धारा)।

(ब) राज्यों में साविधानिक यन्त्र के असफल होने की स्थिति में (356वीं धारा)।

(स) भारत अथवा उसके किसी एक भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में (360वीं धारा)।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त तीनों प्रकार की सकटकालीन अवस्थाओं के घोषित होने पर राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सकट की घोषणा 352वीं धारा के अन्तर्गत हुई है तो उस स्थिति में केन्द्र को शक्तियों के सघीय विभाजन की अवहेलना करके राज्यों की सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 352वीं धारा के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सविधान में उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं बताई गई है, उसकी सीमा निर्धारित करने का काम केवल कार्यपालिका को सौंपा गया है। वस्तुतः ऐसा होना उचित भी है क्योंकि कार्यपालिका अधिकारी ही इस बात को समझता है कि सकट की घोषणा को कब वापिस लिया जाये। यथार्थ में 352वीं धारा में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आपत्ति की जा सके। परन्तु यह बात 356वीं धारा के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसे राज्यों में अपना शासन स्थापित कर सकता है, 'जहाँ राज्य का शासन इस सविधान के प्राविधानों के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा सकता।' राष्ट्रपति को इस धारा में यह शक्ति प्रदान की है कि वह या तो राज्य के गवर्नर से इस आज्ञा का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा उनके बिना ही इस आज्ञा की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को गवर्नर के प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में इस प्रकार की घोषणा करने के अधिकार का औचित्य बताते हुए उन्वर अम्बेदकर ने सविधान सभा में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि 355वें अनुच्छेद में सघ की सरकार को जो दायित्व सौंपे गये हैं, उनका पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जाये। 355वें अनुच्छेद में लिखा है—'सघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य

है कि राष्ट्रपति के पास 'वास्तविक' शक्तियाँ हैं तथा वह उनका प्रयोग अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। उदाहरण के लिए एलन ग्लैडहिल (Alan Gladhill) ने लिखा है कि 'राष्ट्रपति सविधान का उल्लंघन किये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकता है।' इस प्रकार के ० एम० मुन्शी ने राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसकी कुछ शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण से परे (Supra-ministerial) हैं तथा उनके निष्पादन के लिए वह मन्त्रिमण्डल के परामर्श का सहारा नहीं ले सकता। मुन्शी ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि सविधानकार राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के सदृश नहीं बनाना चाहते थे। ब्रिटिश परम्परा में राजा सदैव मन्त्रियों के परामर्श पर काम करता है, परन्तु सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था कही भी नहीं की गई। मुन्शी ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ से बंधा हुआ है, शपथ में कहा गया है कि वह निष्ठापूर्वक सविधान को कायम रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यों का निष्पादन करेगा तथा वह देश की जनता के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए उनकी सेवा में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस आधार पर सविधान ने राष्ट्रपति को सविधान एव देश की जनता दोनों के ही संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा है। मुन्शी का तीसरा तर्क यह है कि राष्ट्रपति सदन का आत्मज नहीं है और न उसका मनोनयन केन्द्र में स्थित सत्तारूढ दल के द्वारा होता है। इसके विपरीत वह समूचे राज्य का एक स्वतन्त्र अभिकरण है तथा उसे स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी शक्तियों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यपालिका अधिकारी नहीं है, वह सघीय मन्त्रियों से भिन्न जो केवल सदन के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूचे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मुन्शी का यह भी तर्क है कि यदि राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रधानमन्त्री को हस्तान्तरित कर दिया जायगा तो उससे भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप का पूर्णरूप से हनन हो जायेगा।

यथार्थ में मुन्शी के उपर्युक्त दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन है। यदि इस सम्बन्ध में सविधानकारों की इच्छा को जानने का प्रयास किया जाए, तो सविधान सभा में इस प्रश्न पर हुई बहस के समय अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत में राष्ट्रपति को केवल औपचारिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान सभा में किसी भी सदस्य ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया कि राष्ट्रपति को सत्ता का एक स्वतन्त्र अभिकरण होना चाहिए। सच बात तो यह है कि सभा के अधिकांश सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी सविधान की व्यवस्थाएँ कहीं उनकी इच्छाओं की पूर्णरूप से कार्यान्विति में कहीं असफल तो नहीं होगी। अतः यह स्पष्ट है कि सविधान सभा की बहस के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के सदृश वास्तविक शक्ति से वंचित नहीं है।

सविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को समझने के लिए एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसने मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि लोकतान्त्रिक प्रणाली में वास्तविक शक्ति उस अभिकरण को सौंपी जाती है जिसको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए अपने स्वतन्त्र विवेक का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तथा मन्त्रिमण्डल के परामर्श की अवहेलना करता है तो मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे सकता है। चूंकि सदन में वैकल्पिक सरकार की रचना की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं, अतः यह आवश्यक ही है कि लोकसभा भंग कर दी जाए तथा दुबारा चुनाव कराये जायें। यदि नये निर्वाचन में केबिनेट द्वारा पर्याप्त शक्ति से सत्तारूढ हो जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना सुनिश्चित है। यह सोचना गलत है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल सविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, तथा मन्त्रिमण्डल के परामर्श को नवीकार न करना सविधान का उल्लंघन नहीं है। वस्तुतः सविधान का उल्लंघन कोई नाविधानिक प्रश्न नहीं है, वह एक राजनीतिक प्रश्न है और उसका निर्णय किन्हीं

भी सदन का अथवा किसी भी राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता। अतः यदि कोई सदन अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके लिए व्यवस्थापिका को सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और इस अवधि में या तो वह स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है, अथवा उसे राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, हटाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि उसका नोटिस कम से कम 14 दिन पूर्व दिया जाए।

कार्य—सविधान ने उपराष्ट्रपति को कोई विशेष काम नहीं सौंपे हैं, उसे केवल एक औपचारिक काम सौंपा गया है, और वह है राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। राज्य सभा के अध्यक्ष की हैसियत से ही उसको 2250 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस दृष्टि से भारतीय उपराष्ट्रपति अमरीकी उपराष्ट्रपति के सदृश है। परन्तु दोनों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। यदि सयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो वहाँ उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद का भार सम्भालता है। किन्तु यह व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती। हमारे देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यों का संचालन केवल उस समय तक कर सकता है जब तक कि नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। कहते हैं कि सयुक्त राज्य अमरीका के एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने यह कहा था—‘मैं कुछ भी नहीं हूँ, परन्तु मैं सब कुछ बन सकता हूँ।’ भारत का उपराष्ट्रपति केवल एक लम्बी साँस लेकर यह कह सकता है—‘मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हो सकता।’

हरि मोहन जैन ने उपराष्ट्रपति के पद को भारत के लिए अनावश्यक बताया है। उनका कहना है कि सयुक्त राज्य अमरीका जैसी अध्यक्षतात्मक शासन-प्रणाली में इसका औचित्य हो सकता है, किन्तु भारत में उसका कोई औचित्य नहीं है। अतः उन्होंने कहा है कि या तो इस पद का अन्त कर देना चाहिए और या उसका सुधार होना चाहिये। जैन ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने की व्यवस्था सविधान में की जानी चाहिए। जैन का यह भी सुझाव है कि उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव की वही पद्धति अपनायी जानी चाहिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयोग में लायी जाती है।

3 प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रि-परिषद्

जैसा कहा जा चुका है राष्ट्रपति कार्यपालिका का साविधानिक अध्यक्ष है, अतः वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रि-परिषद् में निवास करती हैं। सत्य यह है कि मन्त्रि-परिषद् ही उन समस्त शक्तियों का निष्पादन करता है जिन्हें सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रपति में निहित माना गया है। यहाँ ‘मन्त्रि-परिषद्’ एवं ‘केबिनेट’ के बीच भेद करने की आवश्यकता है। सविधान में केवल ‘मन्त्रि-परिषद्’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। ‘केबिनेट’ एक अनौपचारिक सस्था है और उसमें सभी मन्त्री शामिल नहीं माने जाते। वस्तुतः वह मन्त्रि-परिषद् का ही एक भाग है, दूसरे शब्दों में वह चक्र के भीतर एक चक्र है। मन्त्रि-परिषद् में तीन कनिष्ठ मन्त्री भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य-मन्त्री तथा उप-मन्त्री के नामों से पुकारा जाता है। ये मन्त्री केबिनेट स्तर के नहीं होते, अतः मन्त्रि-परिषद् की नीति के निर्माण में इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता। इनके अतिरिक्त कुछ ससदीय सचिव (Parliamentary Secretaries) भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती अपितु जिन्हें प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। अतः स्पष्ट है कि इन मन्त्रियों में सबसे ऊँची श्रेणी केबिनेट मन्त्रियों की होती है। केबिनेट में दल के वरिष्ठ सदस्यों को स्थान दिया जाता है, सरकार की नीतियों का निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है। केबिनेट के सदस्यों की सत्यानिश्चित नहीं है, परन्तु वह अभी तक 19 से ऊपर नहीं गयी है।

रहती। नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित्व काल के आरम्भिक दिनों में राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्य नेता भी भारत के राजनीतिक रणमंच पर उपस्थित थे। इन नेताओं में सरदार पटेल, मोलाना आजाद और गोविन्दवल्लभ पन्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्पष्टतः स्वाधीनता संग्राम के इन वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए सविधान के व्यवहार में आने के बाद यदि नेहरू जी देश के प्रधानमन्त्री बने तो उन्हें सरदार पटेल को उप-प्रधानमन्त्री बनाने के लिए विवश होना पड़ा, यद्यपि दोनों के बीच में वैचारिक साम्य न के बराबर था। पटेल के देहान्त के उपरान्त उप-प्रधानमन्त्री का पद समाप्त कर दिया गया। अतः कहा जा सकता है कि सरदार पटेल के निधन के बाद ही भारत में प्रधानमन्त्री के पद के महत्त्व में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सरदार पटेल के जीवन काल में प्रधानमन्त्री के पद का महत्त्व ही नहीं था, महत्त्व तो था, किन्तु यह महत्त्व 'समान व्यक्तियों में प्रथम' से कुछ ही अधिक था। बाद में नेहरू जी का अपने मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण नियन्त्रण था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में नेहरू जी की अपने मन्त्रिमण्डल में स्थिति 'छोटे नक्षत्रों के बीच चाँद' की थी।

नेहरू जी के निधन के बाद 1971 के मध्यावधि चुनावों तक प्रधानमन्त्री की स्थिति 'समान लोगों में प्रथम' (First among the equals) से अधिक की नहीं थी। परन्तु 1971 के चुनावों के परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में निखार आया है और अब वह निस्सन्देह अपने मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण रूप से हावी है।

साधारणतया भारत जैसी कार्यपालिका को ससदीय कार्यपालिका की सजा प्रदान की जाती है। जैसा कहा जा चुका है ससदीय कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जिसकी रचना और जिसका विघटन ससद भवन में हो। परन्तु यह केवल सैद्धान्तिक बात है और यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका राजनीतिक यथार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है। आज लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त है उसको देखते हुए इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि वर्तमान केबिनेट को कभी ससद के द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। अतः आज के सन्दर्भ में यदि यह कहा जाय कि 'ससदीय कार्यपालिका' शब्दावली सार्थक नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में प्रधानमन्त्री की शक्तियों का विकास हुआ है तथा जिस अनुपात में प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में ससद एवं केबिनेट की शक्तियों का पराभव हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आधुनिक कार्यपालिका को 'प्रधानमन्त्रीय प्रणाली की सरकार' घोषित किया जाय तो वह अनुपयुक्त नहीं होगा।

कुछ लोगों ने प्रधानमन्त्री की इस बटती हुई प्रतिष्ठा को देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए अशुभ बताया है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को मानने वालों का कहना है कि भारत में राजनीतिक सत्ता पर केवल एक राजनीतिक दल का एकाधिकार है और उस दल में सभ्य शक्तियाँ एक व्यक्ति यानी प्रधानमन्त्री में केन्द्रित हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों को बढावा देने के स्थान पर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बढावा देगी। भारतीय प्रधानमन्त्री के विरुद्ध इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। वस्तुतः यह स्वाभाविक बात है कि विकसित देशों में इस प्रकार के नेतृत्व का उदय हो जो अपने यहाँ की जनता को मन्त्रमुग्ध रख सके। देश तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, प्रधानमन्त्री ने जनता को यह आश्वासन दिया है कि वह देश को शीघ्रातिशीघ्र विकसित करेगी और वे देश में एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगी। यदि सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने में सफल नहीं होती तो जिस जनता ने उसे अपना समर्थन दिया है, उसे पदच्युत भी कर सकती है। इसलिए प्रधानमन्त्री की आधुनिक स्थिति में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को खोजना बुद्धिसंगत नहीं है।

भारतीय केबिनेट की कुछ मुख्य विशेषताएँ

1) यद्यपि भारत में कार्यपालिका का संगठन ब्रिटेन के ढाँचे पर आधारित है तथापि उनकी

12 12th March 1967 ... (1)

I have received ... (2)

... (3)

... (4)

... (5)

... (6)

... (7)

उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने लिए 6 महीने के भीतर ससद के किसी भी सदन में सीट तलाश कर ले अन्यथा उसे मन्त्री पद से त्याग-पत्र देना होता है। सविधान में कहीं दोनों सदनों में से लिये जाने वाले मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, यथार्थ में यह काम प्रधान-मन्त्री के लिए छोड़ दिया गया है, इस सम्बन्ध में भारत में कोई निश्चित अभिसमय भी नहीं है। फलतः दोनों सदनों में से नियुक्त होने वाले मन्त्रियों की संख्या हमेशा बढ़ती-घटती रही है। 1966 में लालबहादुर शास्त्री के निधन के उपरान्त तो प्रधानमन्त्री की नियुक्ति भी राज्य सभा के सदस्यों में से हुई।

उपर्युक्त विवरण से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि भारतीय मन्त्री जनता से दूर रह कर सरकारी पदों पर बने रहना चाहते हैं। वस्तुतः राज्य सभा में से लिये गये मन्त्रियों ने लोक-सभा के लिए चुनाव लड़ा है और यदि चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने मन्त्री पद से भी त्याग-पत्र दे दिया है। हाफिज मौहम्मद इब्राहीम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे तथा उन्हें राज्य सभा में से नियुक्त किया गया था। परन्तु जब वे अमरोहा में हुए लोकसभा के उप-चुनाव में पराजित हो गये तो उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट की रचना के सम्बन्ध में भारत ने उच्च लोकतांत्रिक परम्पराओं का परिचय दिया है।

(5) आन्तरिक कैबिनेट—ब्रिटेन की ही भाँति भारत में भी कैबिनेट के भीतर कैबिनेट पद्धति का विकास हुआ है। वस्तुतः यह कोई नयी बात नहीं है। 1947 में जब स्वर्धीन भारत का पहला मन्त्रिमण्डल बना था, उस समय समस्त महत्त्वपूर्ण निर्णय नेहरू और पटेल के द्वारा लिये जाते थे। फलतः इन दो व्यक्तियों को कुछ लोगों ने 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा प्रदान की थी। पटेल की मृत्यु के उपरान्त नेहरू अपनी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श लेते थे, यथार्थ में उन्हीं की सलाह से महत्त्वपूर्ण फैसले लिये जाते थे। आरम्भ में इन सदस्यों में आजाद, आगर, किदवई और देशमुख की गणना होती थी। 1958 में कृष्णमाचारी ने त्यागपत्र दे दिया और इसी वर्ष मौलाना का देहान्त हो गया। पन्त जी की 1960 में मृत्यु हो गई। इस बीच में शास्त्री जी का कुशल गृह-मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री के सहायक के रूप में उदय हुआ। कृष्ण मेनन का पर-राष्ट्र विषयक मामलों में सबसे अधिक प्रभाव था। अतः इस काल की आन्तरिक कैबिनेट में प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त शास्त्री, नन्दा और मेनन शामिल थे।

1964 में जब शास्त्री जी प्रधानमन्त्री बने तो उन्होंने भी नेहरू जी द्वारा स्थापित आन्तरिक कैबिनेट की प्रणाली को जीवित रखा। वस्तुतः उस काल में प्रधानमन्त्री की स्थिति बराबर वालों में पहले नम्बर के व्यक्ति की थी। परन्तु इसके बावजूद भी कैबिनेट के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा प्रधानमन्त्री के अधिक निकट थे। इनमें स्वर्ण सिंह, नन्दा, कृष्णमाचारी, चव्हाण और पाटिल के नाम लिये जा सकते हैं। शास्त्री जी के समय में इन्हीं मन्त्रियों के द्वारा आन्तरिक कैबिनेट की रचना हुई थी।

1966 में श्रीमती गांधी प्रधानमन्त्री बनीं। आरम्भ में चव्हाण, अगोक मेहता, सुब्रह्मण्यम और दिनेशसिंह उनके मुख्य सलाहकार थे। 1969 में कांग्रेस की फूट के समय जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद प्रधानमन्त्री के मुख्य सलाहकार थे।

(6) प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता—कैबिनेट प्रणाली की सरकार प्रधानमन्त्री सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आधारित है। प्रधानमन्त्री ससदीय दल का निर्वाचित नेता है। दल की नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में उसकी भूमिका सबसे अधिक प्रमुख है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि मन्त्रिमण्डल में अपने सहयोगियों का चयन करने में उसका हाथ सबसे अधिक है। यथार्थ में मन्त्री अपने पदों पर केवल उसी समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें प्रधानमन्त्री का विश्वास प्राप्त है। इसी प्रकार जब नवम्बर 1966 में गुलजारीलाल नन्दा ने मन्त्रिमण्डल

नीतियों का अनुसरण किया है, वे यथार्थ में सरकार की नीतियाँ हैं।' परन्तु एक दूसरे अवसर पर स्वयं नेहरू जी इस बात को भूल गये कि सरकार की नीतियों की असफलता के लिए किसी एक मन्त्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए यदि किसी एक मन्त्री को उत्तरदायी ठहराना है तो वह मन्त्री केवल प्रधानमन्त्री हो सकता है। 1962 में चीन के विरुद्ध लड़े गये युद्ध में असफलता के लिए विरोधी दलों के सदस्यों ने कृष्णा मेनन को उत्तरदायी घोषित किया। यह सही है कि नेहरू जी ने सदन और जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि उत्तरी सीमान्तों पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मेनन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेहरू जी जानते थे कि मेनन के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार के मूल में निहित स्वार्थों का हाथ था, जो प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेनन की समाजवादी नीतियों से असन्तुष्ट थे। परन्तु इसके बावजूद भी नेहरू जी मेनन की विरोधी दलों की आलोचनाओं से रक्षा करने में असमर्थ रहे। निस्सन्देह मन्त्र-परिषद् से मेनन का त्यागपत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन था।

नवम्बर 1966 में जब नन्दा ने गृह-मन्त्री के पद से त्यागपत्र दिया तो उन्होंने भी इसी प्रकार की शिकायत की। इस अवसर पर प्रधानमन्त्री को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने लिखा था—'नीति-सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर आप से तथा कैबिनेट के अन्य सहयोगियों से अच्छी प्रकार परामर्श लिया गया। इन नीतियों की कमियों और दोषों के लिए तथा उनकी कार्यान्विति के तरीकों में हुई गलतियों के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराना झूठे अभियोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।' उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जो कुछ हुआ है उसके लिए वे उत्तरदायी हैं। इसी पत्र में उन्होंने प्रधानमन्त्री से पूछा कि 'क्या अवास्तविकता की राजनीति इससे आगे भी कही जा सकती है?'

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के उल्लंघन के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि सरकार के मन्त्रियों ने भी अनेक अवसरों पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। निस्सन्देह इस स्थिति को कैबिनेट प्रणाली के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न

- 1 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? इस निर्वाचन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या महत्त्व है?
- 2 भारत के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना कीजिये।
- 3 राष्ट्रपति की आपात्कालीन शक्तियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिये।
- 4 'प्रधानमन्त्री कैबिनेट-रूपी मेहराव की आधारशिला है'—भारतीय प्रधानमन्त्री के सदन में इस कथन की समीक्षा कीजिये।
- 5 भारतीय कैबिनेट प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।

लिये छोड़ दे। भारतीय सविधान में इस सबकी इस रूप में व्यवस्था नहीं की गई है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सविधान में इस सम्बन्ध में जो भी प्राविधान पाये जाते हैं उनका अभिप्राय इसी बात के साथ है। 52वें अनुच्छेद में लिखा है कि कार्यपालिका गतिविधि राष्ट्रपति में निवास करेगी, 74वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है, 75वें अनुच्छेद में मन्त्रि-परिषद् को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। वास्तव में कार्यपालिका का चयन तथा उसको नियन्त्रित करने का काम ससद को 75वीं धारा के अन्तर्गत सौंपा गया है।

ससद का दूसरा काम देश के लिए कानूनों की रचना करना है। ससद का अधिकांश समय इसी काम को सम्पादित करने में लगता है।

ससद का तीसरा काम राष्ट्र की शैली को नियन्त्रित करना है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि करो का आरोपण एवं सग्रह ससद की अनुमति से ही हो सकता है (अनुच्छेद 265) तथा ससद ही सच सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की स्वीकृति दे सकती है (अनुच्छेद 113 और 114)।

ससद का चौथा काम है प्रशासन के कार्यों की जाँच करना तथा प्रशासन को नियन्त्रित करना। वह समूचे प्रशासन की देखरेख करती है, वह मन्त्रियों से प्रशासन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछती है तथा प्रशासकीय नीतियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करती है। अतः यदि यह कहा जाये कि समूची ससदीय प्रक्रिया एक प्रकार से सरकार एवं प्रशासन को नियन्त्रित करने का एक साधन है तो यह अनुचित न होगा।

ससद का पाचवाँ काम आवश्यकता पड़ने पर सविधान सभा की भूमिका अदा करना है। सविधान के 368वें अनुच्छेद में लिखा है कि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ससद सविधान में आवश्यक सशोधन कर सकती है।

ससद का छठा काम राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक-मण्डल की हैसियत से काम करना है [अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66 (1)]।

ससद का सातवाँ और अन्तिम काम आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की भूमिका निष्पादित करना है। सविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार ससद को ही प्राप्त है। इसी प्रकार वह एक प्रस्ताव के द्वारा अथवा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उप-राष्ट्रपति को (धारा 67), लोकसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर को [धारा 94 (6)], सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को [धारा 124 (4)] और महालेखा निदेशक को (धारा 148) पदच्युत कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उसे सदन का अपमान करने पर किसी को भी दण्ड देने का अधिकार है।

उपर्युक्त विवेचना का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि ससद उक्त सभी कार्यों का सम्पादन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है। वस्तुतः कैबिनेट प्रणाली की सरकार में यह सम्भव भी नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से वे काम जो ससद में अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, उनका निष्पादन यथार्थ में कैबिनेट के द्वारा होता है। उदाहरण के लिये नीतियों को निर्धारित करने का काम लिया जा सकता है। सैद्धान्तिक रूप से इसका सम्बन्ध ससद के अधिकार-क्षेत्र से है। परन्तु आधुनिक युग में यह काम इतना जटिल हो गया है कि उसको सम्पादित करने के लिये हमें विशेष योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः ससद की रचना ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं होती। ऐसी स्थिति में यदि यह काम ससद के हाथों से निकल कर कैबिनेट के हाथों में चला गया तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटेन में सर एडवर्ड फेलोज (Sir Edward Fellows) की अध्यक्षता में प्रोफेसरो तथा ससद के दोनों सदनों के अधिकारियों के एक अध्ययन मण्डल ने इस समस्या का अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ससदीय नियन्त्रण का अर्थ है 'प्रभाव न कि प्रत्यक्ष रूप से शक्ति, आलोचना न कि अडगा डानना, परामर्श न कि आदेश, जांच न कि पहल, विज्ञापन न कि गोपनीयता।' कैबिनेट प्रणाली

उसे किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं तथा उनमें से एक तिहाई प्रति दो वर्ष के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति पदेन उसका अध्यक्ष होता है, सदन को अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है।

राज्य सभा की शक्तियाँ तथा लोकसभा के साथ उसकी तुलना—सविधान ने विधिनिरमाण के कार्य में दोनों सदनों के भाग लेने की व्यवस्था की है। वास्तव में उनके पारस्परिक सहयोग की अनुपस्थिति में विधायी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। परन्तु इसके होते हुए भी सविधान ने कुछ मामलों में राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। सम्भवतः इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात सदन और मन्त्रि-परिषद् के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों के साथ सम्बद्ध है। राज्य सभा को मन्त्रि-परिषद् को नियन्त्रित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि यह अधिकार लोकसभा को मिला हुआ है। राज्य सभा को मन्त्रि-परिषद् से सरकार की नीतियों और प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु वह मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। सदन के विश्वास का अर्थ है लोकसभा का विश्वास तथा कार्यपालिका का सदन के प्रति उत्तरदायित्व का अर्थ है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व।

द्वितीय, धन विधेयको के सम्बन्ध में राज्य सभा की शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं। धन विधेयक का आरम्भ केवल लोकसभा में ही हो सकता है, परन्तु राज्य सभा को इन विधेयको की जाँच करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। परन्तु इस सम्बन्ध में सविधान ने उसे केवल परामर्श देने की शक्ति प्रदान की है। सविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के उपरान्त राज्य सभा के पास उसके विचार के लिये भेजा जायेगा, राज्य सभा के लिये यह आवश्यक है कि उसके ऊपर अपना निर्णय उसके प्रस्तुत होने के 14 दिन के भीतर ले ले। यदि वह उस विधेयक को पारित कर देती है तो वह मीमा राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए चला जाता है, यदि वह उसे अस्वीकार करती है अथवा उसे संशोधित करती है तो उस स्थिति में वह विधेयक लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए आ जाता है। लोकसभा उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धन विधेयको के सम्बन्ध में राज्य सभा को केवल परामर्श देने का अधिकार दिया गया है।

जहाँ तक अन्य विधायी विषयों का सम्बन्ध है, सविधान ने दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह बात केवल साधारण कानूनों पर ही लागू नहीं होती, साविधानिक संशोधनों पर भी लागू होती है। सविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी विधेयक किसी भी सदन में जन्म ले सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसे संशोधित करने का अधिकार राज्य सभा को प्राप्त है। यदि लोकसभा किसी भी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से असहमत है तो उस स्थिति में सविधान ने दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक की व्यवस्था की है। चूँकि राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की सदस्य-संख्या अधिक है, इसलिये दोनों सदनों के बीच संघर्ष की स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि लोकसभा राज्य सभा के ऊपर हावी हो। संयुक्त बैठक में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की राज्य सभा अमेरिकी सीनेट की भाँति शक्तिशाली नहीं है। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वह ब्रिटिश लार्ड सभा की भाँति शक्तिहीन है। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि लोकसभा और राज्य सभा के बीच में तीन शक्तियाँ ऐसी हैं जिन पर दोनों का समान अधिकार है। ये शक्तियाँ हैं—(1) राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके महाभियोग में भाग लेना, उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसकी पदच्युति, और

ने प्रस्तुत किया था। इन 101 विधेयको में से 4 विधेयक वे थे जिनका सम्बन्ध हिन्दुओं के सामाजिक सुधार के साथ था, वे विधेयक थे हिन्दू विवाह कानून (Hindu Marriage Act), हिन्दू अल्प-वयस्क एवं अभिभावक कानून (Hindu Minority and Guardianship Act), हिन्दू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act), तथा हिन्दू गोद तथा पोषण कानून (Hindu Adoptions and Maintenance Act)। इस प्रकार जैसा पी० विजयराघवन ने लिखा है— 'राज्य सभा को ऐसे कानूनों को निर्मित करने का श्रेय जाता है जिनके बारे में यह दावा उचित रूप से किया जा सकता है कि उनके द्वारा भारत के बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक सुधारों का समारम्भ हुआ है।' इसी काल में राज्य सभा में 12733 प्रश्नों की पूछने की अनुमति दी गयी, 65722 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया, इनसे सम्बद्ध 34839 पूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गये। 1967 तक राज्य सभा ने 26 ऐसे विधेयको को सशोधित किया था जिनका आरम्भ लोक सभा में हुआ था। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इन समस्त सशोधनों को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया था।

लोकसभा और राज्य सभा के बीच पारस्परिक सम्बन्ध—मौरिस-जोन्स ने लिखा है कि 'संस्था का स्वभाव अपने सदस्यों में अपने प्रति भक्ति पैदा करना होता है और जब दो संस्थाओं की रचना एक-दूसरे के साथ-साथ की जाय तो यह स्वाभाविक है कि दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो तथा भावनाएँ उत्तेजित हों।' यह बात राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में भी कही जा सकती है। राज्य सभा की रचना 1952 के आम चुनाव के बाद हुई थी, तब से लेकर अभी तक बराबर केन्द्र में कांग्रेस दल का शासन रहा है और दोनों सदनों में कांग्रेस ही बहुसंख्यक दल रहा है परन्तु यह तथ्य दोनों सदनों के बीच प्रतिस्पर्धा के उदय को रोकने में असमर्थ रहा है।

राज्य सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, परन्तु दोनों सदनों की शक्तियाँ अनेक अर्थों में एक-दूसरे के समान हैं, यद्यपि लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोनों सदनों की दलगत रचना भी एक-दूसरे से मिलती-जुलती है, यहाँ तक कि दोनों सदनों की वर्ग-रचना भी ऐसी नहीं है जिसके आधार पर दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभेद किया जा सके। यदि दोनों सदनों के सदस्यों की औसत आयु को ध्यान में रखा जाये तो यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सभा में लोकसभा की अपेक्षा अधिक आयु के सदस्य पाये जाते हैं। इसी प्रकार अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से भी दोनों सदनों के बीच कोई अन्तर नहीं किया जा सकता। दोनों सदनों के बीच पायी जाने वाली इस लगभग समानता ने तथा इसके साथ मिले इस तथ्य ने कि लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्य सभा के सदस्यों में हीनता एवं निराशा की भावना को जन्म दिया है। फलतः यदि लोकसभा में राज्य सभा की स्थिति एवं शक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा कुछ कहा गया है जिससे यह भासित हो कि राज्य सभा की स्थिति लोकसभा की समकक्ष नहीं है तो इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया राज्य सभा में अवश्य हुई है और यह नेहरू जी के इस आश्वासन के वावजूद है कि 'संविधान दोनों सदनों को समान मानता है' अथवा डा० जाकिर हुसैन के इस वयान के कि 'दोनों सदनों का अस्तित्व एक-दूसरे के साथ-साथ है तथा एक सदन दूसरे की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ नहीं है।' राज्य सभा के इस दृष्टिकोण ने लोकसभा के भीतर भी उत्तेजित भावनाओं को जन्म दिया है। इस प्रकार दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों में अपेक्षित सौहार्द की वृद्धि कमी पायी गयी है।

2 लोकसभा का सगठन ✓

भारतीय समद के लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। उसका गठन एवं उसकी शक्तियाँ ब्रिटिश लोकसभा के साथ बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। उसकी सदस्य-संख्या 523

देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सन्देह होता है तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड़ सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों में कुछ अभिममय विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति में हो जाता है तो यह आवश्यक है कि उस समिति का अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो। इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की बैठक में उपस्थित हो सकता है, यदि ऐसा है तो उस समिति में भी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर को ही दी जायेगी। यदि किसी समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित हैं तो उस समय मदन में अध्यक्षता करने के लिये स्पीकर सदन के सदस्यों में से 6 व्यक्तियों का एक अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता है, इस सम्बन्ध में एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल के कुछ सदस्य विरोधी दलों में भी हों। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

✓ **लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य**—लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए कानून की रचना करना है। इस कार्य में उसकी राज्य सभा के साथ साझादारी है, केवल धन विधेयको के क्षेत्र में लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जहाँ तक गैर-धन विधेयको का प्रश्न है दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। परन्तु यदि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयको के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है तो उस स्थिति में लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-सख्या के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी। जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय ससद की विधायी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, वह एक गैर-सम्प्रभु विधायी निकाय है। अतः उसे केवल सघ सूची और समवर्ती सूची में दिये हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, असाधारण स्थिति में यदि 249वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है।

लोकसभा का दूसरा कार्य सघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में रखना है। इसलिए ससद की अनुमति के बिना सघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्चा ही कर सकती है। यहाँ ससद का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सघ सरकार का कुछ खर्चा ऐसा अवश्य है जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस खर्च के ऊपर बात तो कर सकती है, परन्तु उस पर मतदान नहीं कर सकती। इस प्रकार के खर्च में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतन एवं भत्ते शामिल हैं।

लोकसभा को राज्य सभा के साथ कुछ अधिकारियों को निर्वाचित करने का भी अधिकार प्राप्त है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य सयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। इस सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति से करें, इसे दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान में प्रत्येक सदन को कुल सदस्य-सख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए। लोकसभा को अपने सदस्यों को अथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

ससद को संविधान को संशोधित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। सयुक्त राज्य अमरीका की भाँति भारत में राज्यों के विधानमण्डलों को संशोधन के क्षेत्र में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें संशोधित करने के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें ससद के साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। परन्तु अधिकतर संशोधन के लिये दोनों सदनों का अलग-अलग पूर्ण बहुमत तथा

देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सन्देह होता है तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड़ सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों में कुछ अभिममय विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति में हो जाता है तो यह आवश्यक है कि उस समिति का अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो। इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की बैठक में उपस्थित हो सकता है, यदि ऐसा है तो उस समिति में भी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर को ही दी जायेगी। यदि किसी समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित हैं तो उस समय सदन में अध्यक्षता करने के लिये स्पीकर सदन के सदस्यों में से 6 व्यक्तियों का एक अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता है, इस सम्बन्ध में एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल के कुछ सदस्य विरोधी दलों में भी हो। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

✓ **लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य**—लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए कानूनों की रचना करना है। इस कार्य में उमकी राज्य सभा के साथ साझादारी है, केवल धन विधेयको के क्षेत्र में लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जहाँ तक गैर-धन विधेयको का प्रश्न है दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। परन्तु यदि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है तो उस स्थिति में लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-संख्या के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी। जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय ससद की विधायी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, वह एक गैर-सम्प्रभु विधायी निकाय है। अतः उसे केवल सघ सूची और ममवर्ती सूची में दिये हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, असाधारण स्थिति में यदि 249वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है।

लोकसभा का दूसरा कार्य सघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में रखना है। इसलिए ससद की अनुमति के बिना सघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्च ही कर सकती है। यहाँ ससद का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सघ सरकार का कुछ खर्च ऐसा अवश्य है जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस खर्च के ऊपर बात तो कर सकती है, परन्तु उस पर मतदान नहीं कर सकती। इस प्रकार के खर्च में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतन एवं भत्ते शामिल हैं।

लोकसभा को राज्य सभा के साथ कुछ अधिकारियों को निर्वाचित करने का भी अधिकार प्राप्त है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य सयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। इस सम्बन्ध में मविधान में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति से करें, इसे दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य-संख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए। लोकसभा को अपने सदस्यों को अथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

समद को सविधान को सशोधित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। सयुक्त राज्य अमरीका की भाँति भारत में राज्यों के विधानमण्डलों को सशोधन के क्षेत्र में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। सविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें सशोधित करने के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें समद के माध्यम से बहुमत के द्वारा ही सशोधित किया जा सकता है। परन्तु अधिकांश सशोधन के लिये दोनों सदनों का अलग-अलग पूर्ण बहुमत तथा

मतदान के समय दो निर्णय मदम्या की उपस्थिति आवश्यक है। मविधान के जिन प्राविधानों का सम्बन्ध मधीय शासन व्यवस्था के साथ है उसे परिवर्तित करने के लिये रायों के विज्ञान मण्डल का स्वीकृति आवश्यक है।

राजसभा का जन्म काम मधीय वायपानिका का जपन नियंत्रण म रचना है। मधीय मंत्र परिषद् अपने कामों के लिये राजसभा के प्रति उत्तरदायी है यदि वह जपन म राजसभा का विरुद्धता का दृष्टि उम स्थिति म उमके पास त्यागपत्र देने के अनिर्दिष्ट और कोई दमरा विकल्प गप नहा रहता। राजसभा का म शक्ति का प्रयोग करने के लिये कुछ माधन उपाय है। सवप्रथम वह सरकार से प्रश्न पूछ सकता है उन प्रश्नों के माध्यम म सरकार की गवर्निया का भण्डारण किया जा सकता है। त्वाय वह काम राका प्रस्ताव के द्वारा सरकार के नत्यक वाय के राकरर किसी मावजनिक महत्व के मामल पर विचार कर सकता है। यन् काम ध्यानाकषण प्रस्ताव अथवा जाध घण्ट का विवाद के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। राजसभा के मन्म्य सरकार की आनाचना करने के लिये मन्म प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। समर के अधिकारों के कारण वायपानिका के मन्म्य चौकन रहने के द्वारा मन्म परिणामस्वरूप एक सीमा तक शक्तिया का दृश्ययोग नहा हा पाता।

लोकसभा का स्पीकर—जमा कहा जा चुका है कि राजसभा जपना उठका म अध्ययन का आमन ग्रहण करने के लिये एक अधिकारी का निवाचित करनी है जिसे स्पाकर के नाम म जाना जाता है। उमका निवाचन राजसभा के म म्या म म हाता है म्म वार प्रत्येक आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित राजसभा स्पीकर का चयन करती है तथा पुनर्गठित राजसभा जप तक नय स्पीकर को चुन नहा पाता वह अपने पद पर बना रहता है। यदि म्म वाच म किमा कारणवश स्पीकर का पद रिक्त हा गया तो उस स्थिति म राजसभा नय स्पीकर का चुनाव कर लेती है। स्पीकर को अपने पद म त्यागपत्र देने का अधिकार है तथा राजसभा मा जपन घटुमल द्वारा पारित एन प्रस्ताव के माध्यम से उस पदच्युत कर सकता है।

द्विनिर्णय राजसभा के स्पीकर की भांति भारत म भी स्पाकर का एक विशेष अधिकार मविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है। आवश्यकता पडने पर वह यन् निणय करता है कि जमुके विषयक धन विषयक है अथवा नहा म्म सम्बन्ध म उमका निणय अंतिम हाता है तथा म्म किमा भी स्थिति म चुनौती नहा दी जा सकती। स्पीकर के प्रमुव काया एवं शक्तिया का निम्न प्रकार गिनाया जा सकता है

(1) वह मदन के नेता के परामर्श म विभिन्न विषयों के सम्बन्ध म वाच विवाद का समय निश्चित करता है। (2) सदन के नेता म परामर्श करके वह सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। (3) प्रश्नों को स्वाकार करना अथवा उसे निम्न विरुद्ध घायित करना उसका काम है। (4) यदि मावजनिक महत्व के आवश्यक मामल पर विवाद करने के लिये कोई काम राका प्रस्ताव सदन म प्रस्तुत किया गया है तो उस पर स्पीकर की अनुमति के बिना कोई बहम नहा हा सकती। (5) यदि उसकी आज्ञा से गजट म किसी विषयक को प्रकाशित कर लिया जाता है तो उस प्रस्तुत करने के लिये किसी प्रस्ताव का आवश्यकता नहीं हाती। (6) प्रवर समितियों के अथवा का वही नियुक्त कर सकता है। (7) किसी विचाराधीन विषयक पर विवाद राकन का प्रस्ताव उमकी अनुमति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। (8) किसी प्रस्ताव का ग्राह्य अथवा अग्राह्य हान का निणय वही देता है। (9) समर एवं गण्यति के वाच हान वाता मारा पत्र-व्यवहार उसी के माध्यम से संचालित हाता है। (10) समर के मन्म्या का वह भाषण देने का अनुमति देना है और यन् निणय करना भी उसी का काम है कि भाषणा का क्रम क्या हागा। (11) प्रक्रिया सम्बन्धा विवादास्पद प्रश्नों (points of order) पर निणय देना उसी का काम है। (12) मदन म गान्ति व म्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व भी उसी का सौंपा गया है। (13) विभिन्न विषयका एवं प्रस्तावों पर मतदान करना भी उसी का काम है और वही उम मन्मल का परिणाम

घोषित करता है। (14) उसे किसी ऐसे सदस्य को सदन से बाहर निकालने का अथवा उसे उसकी सदस्यता से निलम्बित करने का भी अधिकार है जो उसके आदेशों को न माने अथवा जिसके आचरण से सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। (15) सदन में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में उसे उसका कार्य स्थगित अथवा निलम्बित करने का भी अधिकार प्राप्त है। (16) दर्शकों के प्रवेश को भी नियन्त्रित करने की उसे शक्ति प्रदान की गई है, किसी भी समय वह दर्शकों को बाहर जाने का आदेश दे सकता है। (17) यदि सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उसकी ममता में अशिष्ट अथवा अससदीय है तो वह ऐसे शब्दों को कार्यवाही में से निकाल सकता है। (18) सदन में उसके खड़े होने पर अन्य सदस्यों के लिए यह परमावश्यक है कि वे अपने स्थान पर बैठ जायें, उम समय कोई भी सदस्य सदन छोड़कर बाहर नहीं जा सकता।

लोकसभा के स्पीकर के पद पर विचार करते समय यह उल्लेखनीय है कि भारत में उसका विकास न तो ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार हुआ है और न स० रा० अमरीका की परम्पराओं के अनुसार। भारत में ब्रिटेन से भिन्न स्पीकर से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देगा, परन्तु इसके साथ ही उसमें यह अपेक्षा भी नहीं की जाती कि वह अमरीकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की भाँति दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि भारत में अभी तक सदन के सभी वर्गों के सदस्यों से वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिये। अपने अस्तित्व के इस अल्पसमय में ऐसे अवसर भी आये हैं जबकि सदस्यों ने स्पीकर की निष्पक्षता में सन्देह व्यक्त किया है तथा उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। एक बार स्पीकर के विरुद्ध अविश्वाम का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका है। यह प्रस्ताव 18 दिसम्बर 1954 को पेश किया गया था और उस समय स्पीकर जी० वी० मावलकर थे। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था—'उन्होंने उस निष्पक्ष रवैये को अपनाना बन्द कर दिया है जो सदन के सभी वर्गों के विश्वास को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।' एक लम्बी बहस के उपरान्त जिसमें सदन के सभी महत्त्वपूर्ण सदस्यों ने भाग लिया था और जिसमें स्वयं प्रधानमन्त्री नेहरू भी एक थे, सदन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परन्तु इस बहस का एक अच्छा परिणाम भी निकला। इस विवाद में स्पीकर के पद से सम्बद्ध प्रतिष्ठा एवं सत्ता का उल्लेख किया गया तथा इस बात के ऊपर बल दिया गया कि स्पीकर को पूर्णरूप से निष्पक्ष होना चाहिये। सदन की इस बैठक की डिप्टी स्पीकर ने अध्यक्षता की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था—'मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि एक सम्भावित सदस्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जाता तो उसे शिकायत हो सकती है तथा बहुत से सम्मानित सदस्य उसे अपना समर्थन दे सकते हैं।' 9 अप्रैल 1960 को एक समाजवादी सदस्य अर्जुन मिह भदौरिया को अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना करने के कारण सशरीर उठाकर सदन से बाहर निकाल दिया गया था। इसी प्रकार 30 अगस्त 1962 को समाजवादी पार्टी के के. ही. राममेवक यादव को सदन में निलम्बित किया गया था। इस प्रकार के उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भारत में स्पीकर का वह सम्मान नहीं है जो उसे ब्रिटेन में प्राप्त है। निश्चय ही इस स्थिति को वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता। देश में ससदीय लोकतन्त्र को गतिशील बनाने के लिये यह परमावश्यक है कि स्पीकर के पद को राजनीतिक विवादों से ऊपर रखा जाए तथा उसे वह सम्मान प्रदान किया जाय जो उसे ससदीय परम्पराओं में प्राप्त है।

विवायी प्रक्रिया (अ) गैर-वित्तीय विधेयक ✓

जैसा कहा जा चुका है नमद का सबसे महत्त्वपूर्ण काम देश के लिये कानूनों की रचना करना है। यद्यपि नमद का अधिकांश समय इसी काम के निष्पादन में व्यय होता है। नाथापन विधेयकों को दो श्रेणियों में रखा जाता है—वित्तीय विधेयक व गैर-वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक जिन्हें 'पुन विधेयक भी कहते हैं, केवल लोकसभा में ही जन्म लेते हैं। वहाँ से

पासित होने के उपरान्त उक्त राज्य सभा में विचारार्थ भेज दिया जाता है। परन्तु राज्य सभा उनका नकार चुपचाप नहीं बट सकती। उक्त नियम यह आवश्यक है कि वह चौदह दिन के भीतर उक्त विधायक के सम्मुख में अपना नियम राजसभा का बता दे। यदि राज्य सभा ने उक्त विधायक का उम्मीद रूप में पासित कर लिया है जिसमें उक्त लोकसभा ने पासित किया था तब तो कोई कठिनाई नहीं है। उक्त राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के नियम भेज दिया जाता है। परन्तु यदि राज्य सभा ने उक्त मशाघित किया है तो लोकसभा उन मशाघना पर पुनर्विचार करेगी उसमें यह पूरा अधिकार है कि वह राज्य सभा द्वारा सुभाय गये मशाघना का अस्वीकार कर दे। यदि उक्त ऐसा किया है तो वह धन विधायक राज्य सभा की अनुमति के बिना भी राष्ट्रपति के पास उक्त स्वीकृति के नियम भेज दिया जाता है। परन्तु यह बात गर वित्तीय विधायक पर लागू नहीं होती उन्हे समद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधायक केवल उस स्थिति में कानून बन सकते हैं जबकि समद के दोनों सदन उन्हें पास कर दें। यदि किसी विधायक पर दाना सदन के उच्च मतभेद की स्थिति पायी जाती है तो उक्त निराकरण करने के नियम दोना सदन का मयुक्त प्रठक का आयोजन किया जा सकता है इस प्रकार की प्रक्रिया में साधारणतः लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष का आमन ग्रहण करता है।

अधिकारण समद में विधायक का प्रस्तुतकरण मंत्रियों के द्वारा होता है। इस प्रकार के विधायक का सरकारी विषयों के नाम से जाना जाता है। इन विधायक का जन्म यथाथ म सरकार के किसी मन्त्रानय में होता है। मन्त्रानय के सदस्य उस विधायक का रूप देने के पूर्व इस बात पर जोर देते हैं कि उक्त कानून बन जाने से राजनीतिक प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उस कानून का सम्बद्ध सरकार के अन्य मन्त्रानय के साथ भी है तो उसके मसौदे का तयार करने के पहले उनसे भी परामर्श ले लिया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो इस काम के नियम कानून मन्त्रानय तथा एडोर्नी जनरल की भी सहायता ली जाती है। जहाँ इस प्रकार प्रस्तावित विधायक की जांच कर ली जाती है तो सम्बद्ध मन्त्रानय इस आयोजन का एक नाम कविन्द का देते हैं। कविन्द उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे सकती है परन्तु यदि प्रस्ताव का प्रकृति विवादास्पद है तो वह उक्त अपनी किसी स्थायी समिति को जांच ले नियम दे सकती है कभी कभी इस प्रकार के प्रस्तावों पर व्यापक रूप से विचार करने के नियम स्थायी समितियों भी नियुक्त की जा सकती है। कभी कभी कविन्द विधायक से सम्बद्ध सामान्य सिद्धांतों का स्वीकार करने के बाद भी उसके मसौदे को फिर से अपने पास जांच के नियम मांग सकती है। कविन्द में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बद्ध मन्त्रानय जांचक कागजात के साथ उस विधायक के प्रारम्भ का सरकारी टाफ्टसमन के पास भेज देता है। विधायक के डाफ्ट को तयार करना वास्तव में बार्ड सुगम कार्य नहीं है कभी-कभी तो उस अंतिम रूप देते समय तक जनक टाफ्ट बनते और विगड़ते हैं।

प्रथम वाचन—उक्त होने के बाद विधायक का प्रस्तुतीकरण तथा प्रथम वाचन की स्थिति में तयार जा सकता है। विधायक का प्रस्तुतीकरण सदन के दाना सदन में से किसी एक में ही सकता है। हम अपना कर कि विधायक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति में उस विधायक की एक मध्य प्रतिनिधि लोकसभा के सचिवालय का सौंप दी जाएगी (यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सविधान के अंतर्गत किही विषय पर विधायक को प्रस्तुत करने के नियम राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है)। इसके उपरान्त विधायक के प्रस्तुतकर्ता के परामर्श से स्पीकर एक तिथि निश्चित कर देता है और उक्त दिन विधायक का विधिपूर्वक सदन में पेश किया जाता है। उक्त निश्चित तिथि को प्रस्ताव के घण्टे के बाद प्रस्तुतकर्ता अपने स्थान पर गडा होकर स्पीकर से विधायक को पेश करने की अनुमति मांगता है। इसके उपरान्त स्पीकर सदन को सम्बोधित करके कहता है—प्रस्ताव प्रस्तावित हो चुका है उक्त प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय और उक्त समय कोई विवाद नहीं होता। विधायक के उक्त चरण का प्रथम वाचन का नाम

दिया गया है। कभी-कभी विधेयक का उसके प्रस्तुतीकरण के समय भी विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए 23 नवम्बर 1954 को जब निवारक नजरबन्दी (मशोवन) कानून को प्रस्तुत किया गया तो उसका इम आधार पर विरोध किया गया कि वह सविधान की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। जब विधेयक का विरोध उसके प्रस्तुतीकरण के समय किया जाता है तो उस समय स्पीकर प्रस्तुतकर्ता और विरोधी सदस्य दोनों को ही थोड़ा समय अपने-अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिये देना है। यदि विरोध का आधार सांविधानिक है तो उस समय स्पीकर पूरे विवाद की अनुमति दे सकता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एटोर्नी जनरल को भी भाग लेने के लिये बुलाया जा सकता है।

विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि स्पीकर से यह अनुरोध किया जाय कि विधेयक को उसके प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही गजट में प्रकाशित कर दिया जाय तो वह ऐसा करने की स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक को औपचारिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

द्वितीय वाचन—विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसकी प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसके उपरान्त विधेयक का द्वितीय वाचन आरम्भ होता है। साधारणतः विधेयक के प्रस्तुत होने तथा उसके वाचन में दो दिन का अन्तर होता है, परन्तु यदि स्पीकर की राय में विधेयक का शीघ्र पारित होना आवश्यक है तो इस दो दिन के अन्तर को खत्म भी किया जा सकता है। विधेयक का द्वितीय वाचन दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में प्रस्तुतकर्ता यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाय, अथवा उसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, अथवा किन्हीं अपवादपूर्ण स्थिति में, उसे दोनों सदनों की मयुक्त ममिति को सौंप दिया जाय, अथवा उम पर जनमत को जानने का प्रयाम किया जाय। यदि विधेयक पर जनमत जानने का निश्चय किया गया है तो उम स्थिति में सदन का सचिवालय राज्य सरकारों के पास एक पत्र भेजता है जिनमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे विधेयक को अपने-अपने राज्यों के गजटों में प्रकाशित करें तथा म्यानीय मस्थाओं एवं अन्य मान्यता-प्राप्त समुदायों और व्यक्तियों से उमके द्वारे में राय प्राप्त करें। यह राय एक निश्चित समय तक ही प्राप्त की जा सकती है और उस अवधि में उसे सदन के सचिवालय तक पहुँच जाना चाहिए। इन रायों का प्राप्त करने के बाद उनका साराण सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। उमके उपरान्त प्रस्तुतकर्ता सदन से यह अनुरोध करता है कि विधेयक को किसी प्रवर ममिति अथवा दोनों सदनों की मयुक्त ममिति को सौंप दिया जाय। इस प्रस्ताव के उपरान्त सदन में विधेयक पर सामान्य विवाद आरम्भ होता है। इसी को विधेयक का द्वितीय वाचन कहते हैं। विधेयक के इस चरण में विधेयक के सिद्धान्तों की सामान्य रूप से विवेचना की जाती है। इस चरण में विधेयक में मशोवन प्रस्तावित नहीं किये जा सकते।

जब सदन विधेयक को किसी ममिति को सौंपने का निर्णय कर लेता है, तो उम समय वह विधेयक पर विचार करने के लिए एक ममिति को भी नियुक्त कर देता है। वस्तुतः ममिति के सदस्यों के नामों को प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में ही प्रस्तुत कर देता है तथा उमी प्रस्ताव में इम बात का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि ममिति का प्रतिवेदन कितने दिन में प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रत्येक प्रवर प्रवर ममिति का अलग में गठन किया जाता है, ममिति के अध्यक्ष का मनोनयन स्पीकर के द्वारा होता है। सामान्यतः वह वहुमत वाले दल का सदस्य होता है। परन्तु यदि डिप्टी स्पीकर ममिति का सदस्य है तो उम स्थिति में कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता। इन ममितियों का काम सदन के नियमों के अन्तर्गत होता है। ममिति की बैठकों में एक निहाई कोरम आवश्यक माना गया है। ममिति की सदस्य-मस्या सामान्यतः 20 और 30 के बीच में होती है, कभी-कभी यह मस्या 35 तक पहुँच जाती है। चूंकि विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों की विवेचना पहले ही सदन में हो चुकी होती है अतः ममिति में विधेयक के टोपों पर ही विचार

गता =। समिति हम काम की भव प्रकार म सम्पादन करन क लिए एक उप-समिति को भी नियुक्त कर सकती =। समिति का अरु काम न मचावन म मन्त्र क मचिवानय तथा मन्त्रकार क द्वापरममन की मचाये उपनध हाती =।

प्रवर समिति की वठके निमा भा स्थान पर हा सकता ह य वठके उन निमा भी हा सकती हैं जबकि सदन का अधिवेशन ना र्ना =। हम मन्त्रध म कवन यह व्यवस्था है कि इन वठका का उस समय स्थिति नर दिया जायगा जबकि मदन म मत विभाजन ना रहा हो। इन समितिया की वठका म विधेयक क प्रस्तुतकता तथा मन्त्रानय क अधिकारिया को आवश्यक सूचनाआ को प्राप्त करन क लिए बुलाया जा सकता है। कभी-कभी मन्त्रकार मावजनिक हित म कछ सूचनाआ का इन म इनकार कर सकती =। प्रवर समिति म प्रक्रिया अनौपचारिक हाता है तथा उसकी वायदाहा का गुप्त रखा जाता है। उनम समाचार पत्रा क प्रतिनिधिया को जान की अनुमति नहा हाती। विषयक का यह चरण उमक जीवन का म अत्यधिक महत्वपूर्ण होना ह क्याकि इस समय उमकी वाराकी क साथ जाच की जाता =। हम चरण म विधेयक म सगाधन प्रस्तावित विय जा मकत है इन सगाधना क मन्त्रध म कवन गत यह है कि न विधेयक म निहित सामाय सिद्धाता क प्रतिकून न हा। यदि समिति न वि यक म आपन सगाधना को जोडन का निणय किया = ता उस स्थिति म व विधेयक पर दुवारा नोकमन का पना गगाने की सिफारिश कर सकती =। समिति विधेयक क मन्त्रध म विगपना म परामग न सकती है और वाहर स गवाह बुता सकता है। उमका काम यह भी = कि व विधेयक का प्रत्यक धारा और उप धारा की जाच कर। इतना मव काम जब पूरा ना गता = ता समिति अपनी सिफारिशा का जितम सगाधन भी गामित हा मकते है। एक रिपोट क रूप म मन्त्र क सम न प्रस्तुत करली है।

रिपोट—रिपोट पर समिति क अध्यक्ष क हस्तापर होते ह और वही उस सदन क सामने पग करता है। यदि वह उपस्थित नना = ना हम काम को समिति का दूसरा मन्स्य सम्पादित कर सकता =। समिति गारा सगाधित विधेयक तथा समिति की रिपोट छाप कर सदस्या क बीच वाट ना जाती =। इसक पचात् प्रस्तुतकर्ता सदन क ममुख निम्न तान प्रकार क प्रस्ताव पेश कर सकता है—(1) प्रवर समिति न विधेयक का जिस रूप म प्रस्तुत किया है उस पर विचार किया जाय (2) जिस रूप म विधेयक को रिपोट किया गया = उसी रूप म हिदायता के सहित अथवा हिनायता क बिना प्रवर समिति का विचार क लिए माप लिया जाय (3) जिस रूप म समिति न उसका रिपोट का = उस रूप म उस पर नोकमन जाना जाय।

यदि मदन न इस प्रस्ताव को स्वीकार किया = कि उस पर विचार आरम्भ किया जाय ता उस स्थिति म वि यक का प्रत्यक धारा एव उप धारा पर विचार विमग शुरू हो जाता है। प्रत्यक धारा मन्त्र क ममुख प्रस्तुत की जाती है उम समय मन्स्य विधेयक म सगाधन प्रस्तावित कर मकत =। स्पीकर का अधिकार है कि वह निमा भा सगाधन का अनुचित वताकर प्रस्तावित को न हान दे। परतु व्यवहार म ऐसा कभी नहा हाता। प्रत्यक धारा पर विचार वास्तव म एक नम्मा प्रक्रिया = जोर हमम गहन समय गगता है।

तृतीय वाचन—जब प्रत्यक धारा और उप धारा पर विचार का चरण पूरा हो गता है तब विधेयक का तीसरा वाचन आरम्भ हाता है। तीसरा वाचन यथाय म इस प्रस्ताव का दूसरा नाम = जिसम प्रस्तावक यह प्रस्तावित करता है कि विधेयक को पारित कर लिया जाये। हम चरण म विवाद इस बात क वद गित कककर कागता है कि विधेयक को स्वीकार किया जाय अथवा नही। इस स्थिति म ममूके विधेयक पर वात की जाती है वि यक क ग्योर पर नहा। इस चरण म सामायत सगाधन प्रस्तावित ननी किय जान फिर भा भाषा का ठीक करने के लिए यदि किसी सगाधन का सुझाव दिया गया है ता इसकी अनुमति है। चूकि विधेयक म सनिहित सिद्धाता को पहन से ही स्वीकार कर लिया गया ह तथा उमके ग्योर की भी परीक्षा कर नी गम् है इसलिए तीसरा वाचन सामायत एक औपचारिकता होनी है।

एक सदन में पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन में भी विधेयक को उन समस्त चरणों में होकर गुजरना होता है जिनमें वह लोकसभा में से गुजर चुका है। यदि दूसरे सदन ने विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। वहाँ से भी पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यदि दूसरे सदन ने उसे पास नहीं किया तो उसे उसी सदन को वापिस कर दिया जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वहाँ उसके ऊपर पुनर्विचार होता है। यदि यह सदन सशोधित विधेयक को स्वीकार कर लेता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर को भेज दिया जाता है।

विधेयक की स्वीकृति—जैसा कहा जा चुका है, जब विधेयक को दोनों सदन पास कर देते हैं तो उसके पश्चात् वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वह अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अथवा यदि वह धन विधेयक नहीं है तो वह उसे अपने सदेश के साथ पुनर्विचार के लिए वापिस कर सकता है (अनुच्छेद 111)। जब राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार वापिस किया गया विधेयक पुनर्विचार के बाद भी उसी रूप में सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।

गैर-सरकारी विधेयक—ऊपर बताया जा चुका है कि गैर-धन विधेयको को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—सरकारी और गैर-सरकारी। गैर-सरकारी विधेयक उन विधेयको को कहते हैं जिनका सदन में प्रस्तुतीकरण सदन के व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा होता है। इन विधेयको के सम्बन्ध में जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह लगभग वही है जिसे सरकारी विधेयको के सम्बन्ध में अपनाया जाता है। दोनों में अन्तर केवल निम्नलिखित तीन बातों में है—

- (1) गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने का नोटिस 1 महीना पूर्व देना होता है।
- (2) कोई भी सदस्य एक अधिवेशन में चार से अधिक विधेयको का नोटिस नहीं दे सकता।
- (3) किस विधेयक का प्रस्तुतीकरण पहले हो और किसका बाद में, इस बात का निश्चय बैलेट के द्वारा होता है।

इस प्रकार के विधेयको को एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसे व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयको की समिति (Committee on Private Members' Bills) के नाम से पुकारा जाता है। इस समिति की सबसे पहली रचना 1953 में हुई थी और इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 15 सदस्य होते हैं।

धन विधेयक

भारतीय सदन में धन विधेयको के सम्बन्ध में जिम प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसका उल्लेख सविधान की 112 से लेकर 117 धाराओं तक हुआ है। इस सम्बन्ध में पहली उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में वित्तीय प्रक्रिया उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिन्हें ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। कार्यपालिका अपनी तरफ से न कोई कर लगा सकती है और न कोई धनराशि व्यय कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे सदन के निम्न सदन की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु निम्न सदन अपनी पहलकदमी पर न कोई कर प्रस्तावित कर सकता है और न कोई खर्चा ही, इसी प्रकार उसे कर में वृद्धि अथवा खर्च में वृद्धि करने का भी अधिकार नहीं है। ये सभी काम कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा ही हो सकते हैं।

जैसा कहा जा चुका है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त उसे राज्य सभा के पास भेज दिया जाता है। परन्तु राज्य सभा को उसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। वह उसे चाँदह दिन के भीतर अपने मुभाव के साथ वापिस कर सकती है, किन्तु उन मुभावों को मानना या न मानना लोकसभा की

वृद्धा पर न। यदि नारसभा उम विधयन का दुबारा जनन भूत रूप म ही पारित कर दे ता राय मभा की स्वीकृति क न नान पर भा वह राष्ट्रति क पाम उसकी स्वाकृति क त्रिए भेज निया जाना है। उस सम्प्रथ म राष्ट्रति का शक्ति भी नहा क बराबर है। अत यह कहा जा सकता है कि धन विधयन क क्षेत्र म नारसभा का निणय ही अंतिम जाना है।

बजट—मविधान म यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष म राष्ट्रपति मसद क दाना मन्ता म उम वर्ष क भारत सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण रखवायेगा। इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट क नाम स पुकारा जाता है। भारत म बजट को दो भागा म प्रस्तुत किया जाता है—रनव बजट और सामाय बजट। रनवे बजट का सम्प्रथ ववव रनव की अनुमानित आय एवं व्यय क माथ हाना है तथा उस मसद म रेव मत्रा क द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सामाय बजट म भारत सरकार क आय म जानया का आय एवं व्यय का उत्पन्न हाना है तथा उसका प्रस्तुतकरण वित्तमन्त्री क द्वारा किया जाता है। दाना प्रकार क बजट का स्वल्प एव मा हाना है तथा मसद म उनका पारित करने की प्रक्रिया भी एक सी हाना है। भारतीय समदीय प्रक्रिया की इस सम्प्रथ म एक उन्नयनीय बात यह है कि हमारा यन्त्रित्व की भाँति बजट क ऊपर विचार समूह मन्त्री ममिति म नहा होना परंतु मन्त्री की साधारण बटका म हाना है जिनम अग्रथता स्वयं स्पीकर ही करता है। यद्यपि बजट को पास करने का उत्तरदायित्व लोकसभा का हू मापा गया है तथापि उसे राय सभा क सम्मुख भी पेश किया जाता है और वहाँ भी उमका ऊपर बहम हानी है। बजट म अनुमानित व्यय को दो भागा म लिखाया जाता है—(1) व्यय की वह राशि जा सचित निधि पर भारित होती है (Charged upon the Consolidated Fund) तथा (2) आय व्यय की रकम। प्रथम श्रेणी म निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हाने हैं

(1) राष्ट्रपति का बतन उसके भक्त तथा उमका प स सम्बद्ध जय खर्च (2) मसद क दोना सन्ना क अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षा क बतन और भक्त (3) ऋण चुकान क सम्बध म व्यवस्था (Interest and sinking fund charges) (4) सर्वोच्च यायालय क यायाधीना क बतन उनके भक्त और पत्न जादि (5) काई भी वह व्यय जिसे सविधान अथवा मसद कानून द्वारा एमा घोषित कर दे तथा सर्वोच्च यायालय के सगठन का पूरा व्यय रियासता के राजाया को दी जाने वाली निजी थनियाँ (Privy Purses) तथा सधीय लोक सेवा आयाग का पूरा व्यय।

उपयुक्त श्रेणा म सम्मिलित खर्चों क ऊपर सदन म मतदान नहीं हाना परंतु उन पर विवाद हो सकता है। सचित निधि पर भारित एवं जय खर्चों की अनुमानित राशिया अनुदाना की माँगा (Demands for grants) क रूप म लोकसभा म रखी जाती हैं। सभा को उनम कर्तौती करने का अथवा उह जस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है परंतु वह उनमे वृद्धि नहा कर सकती। जसा क्ता जा चुका है कि अनुदाना माँगे कवने राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोक सभा म रखी जा सकती है।

बजट पर साधारण वाद विवाद—बजट के प्रस्तुत किय जाने के थोडे दिना वाद मसद के दोना सदन के आय व्यय के प्रस्ताव पर साधारण वाद विवाद हाना है। इसक त्रिए वा तीन दिन दिय जात है। यह वाद विवाद क मुख्यत आय सम्बन्धी प्रस्तावा म निहित भूत सिद्धांता अथवा उनकी नीति पर केन्द्रित होता है उसम आय व्यय सम्बन्धी विस्तार की बाता पर विचार किया जाता। इस विवाद के समय कर्तौती प्रस्ताव भी पेश नहीं किये जा सकत। इस अवसर पर सन्स्य प्रशासन की नीतिया का सिंगबनोकन करते हैं तथा प्रशासन सं सम्बद्ध अपनी विकासता की अभियक्ति भी करत है। मारिस जोसन लिखा है कि यह वह अवसर है जबकि प्रत्येक सदन अपनी मनोन्गा को यक्त करता है और सरकार उमके तारा यह सीख सकती है कि जाने जाने चरणा म उसके किसी विनिष्ट प्रस्ताव का किस प्रकार स्वागत किया जायेगा।

माँगे पर मतदान—अनुदाना पर सामाय विवाद के पूण हा जान के बाद बजट क सम्बध

में राज्य सभा की प्रभावशाली भूमिका की भी इतिश्री हो जाती है। इसके उपरान्त अनुदानों की माँगों पर मतदान होता है। उन माँगों का सम्बन्ध वजट के उस भाग में है जिनमें व्यय का उल्लेख होता है तथा उन्हें कार्यपालिका के सदस्य अनुरोध के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि प्रशासन को चलाया जा सके। प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों को लोकसभा के समक्ष अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर अलग-अलग मतदान होता है। लोकसभा के नेता के परामर्श में स्वीकर प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों तथा समूचे वजट के व्यय वाले भाग के लिए समय निश्चित करता है। जैसे ही समय पूरा हो जाता है, विवाद बन्द कर दिया जाता है और माँग पर मतदान कराया जाता है। उसी प्रकार वजट के व्यय वाले भाग पर विवाद निश्चित दिन को शाम के पाँच बजे खत्म कर दिया जाता है और वे सभी माँगें जिन पर विवाद चाहे आरम्भ भी न हुआ हो, मतदान के लिए मदन के सम्मुख रख दी जाती हैं।

प्रतिवष जो साधारण अनुदान देते हैं उनके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति पूरक माँगों (Supplementary grants) को भी मदन के सम्मुख प्रस्तुत करता है। उनके सम्बन्ध में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसी प्रकार लोकसभा को अग्रिम (advance) अनुदान तथा अपवाद (exceptional) अनुदान देने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें लेखानुदान (vote of account) को महत्त्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उक्त अनुदान की माँग तथा आय के ऊपर मसद द्वारा विचार पूर्ण होने के पूर्व ही सरकार के आवश्यक खर्चों के हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक काल के लिए एक बड़ी वनराशि पेशगी अनुदान के रूप में स्वीकार कर दी जाती है। फलस्वरूप आय-व्यय प्रक्रिया को 31 मार्च से पूर्व पूरा करना आवश्यक नहीं रहा।

करो की स्वीकृति और वित्त विधेयक—विनियोग अधिनियम (Appropriations Act) के पारित होने के उपरान्त मदन वजट के दूसरे भाग अर्थात् आय एवं कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करता है। कुछ कर स्थायी होते हैं जिन पर मदन प्रतिवर्ष विचार नहीं करता। जिन कानूनों द्वारा कर आगेवित्त किये जाते हैं, उनके अन्तर्गत कार्यपालिका उनकी दरों को घटाने अथवा बढ़ाने-सम्बन्धी कार्यवाही करती है। कुछ कर ऐसे हैं जिनकी दरों को ससद प्रतिवर्ष निर्धारित करती है। उस प्रकार के करों में आय-कर (Income-tax), आयात-निर्यात कर (Customs Duties), उत्पादन महसूल (excise-duties) शामिल हैं। आगामी वर्ष के लिए सभी कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को एक विधेयक के रूप में मसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यही विधेयक वास्तव में आय विधेयक होता है। उसके पारित होने के पश्चात् ही नये कर-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रभावी होते हैं। नये कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को वर्ष में किसी भी समय लाया जा सकता है, उन्हें भी वित्तीय विधेयक के रूप में पारित होने के बाद लागू किया जाता है।

मसदीय समितियाँ

आजुनिज व्यवस्थापिका में मसदीय समितियों का महत्त्व अत्यधिक होता है। वस्तुतः ससद का वित्तीय नाम समितियों के माध्यम में ही होता है। मसद के पास न तो इतना समय है और न उमरो पास उनकी क्षमता ही है कि वह उन समस्त कार्यों का निष्पादन कर सके जो उसे सौंपे गए हैं। अतः जैसा लोकसभा के भूतपूर्व सचिव एम० एन० कॉल ने कहा है—‘ससद नीति की विवेचना करती है, परन्तु जब तक सभी समितियाँ न हों जो उनके व्योम्बे का विवेचन कर सकें, और जहाँ तक लोग जो प्रशासन चलाते हैं, जाकर अपनी सहायता न दे सकें, जहाँ मामलों की अच्छी तरह जान न हो सके, मसदीय नियंत्रण दुर्लभ रहेगा।’ जहाँ तक विधायी कार्य का सम्बन्ध है, मसद का उपाय समितियों के बीच नाम का विभाजन अत्यन्त आवश्यक है। मसद किसी भी विधेयक में परिवर्तन केवल सामान्य मिश्रणों की जाँच कर सकती है, उसमें परिवर्तन की वास्तव में मसद में अपना भी नहीं हो जा सकती। मसद द्वारा सामान्य विवेचना के उपरान्त विधेयक

समिति का हवान कर दिया जात है जता उन पर चारीना क साथ विचार किया जाता है । जन म जब व समिति की सिफारिश अथवा सुभाव क साथ मसल म वापिस आत ह तो वही उन पर अंतिम निणय करता है । समिति म काम सदन का अपक्षा अधिक प्रभाव होता है । समिति यथाथ म मसल का ही एक छोटा रूप है क्यकि उसम सदन क प्रत्येक वग का प्रतिनिधित्व दन का प्रयास किया जाता है । समिति और सदन क काम करन म एक वता अंतर यत है कि समिति का बठका म दनगत राजनीति का वह अभिव्यक्ति नहा जाता जा सदन का साधारण बठका म हानी है । उस अतिरिक्त समिति का बठक चुनि गुप्त जाता है उसीण उनम मदम्या की उन प्रकार क भाषण करन की भा आवश्यकता नता है जिनका व सदन म बहुधा प्रयत्न किया करत है । उन समितिया तारा किया जान वाला काम निस्सन्देह तना महत्वपूर्ण है कि तारन मुखजों न ता यहा तन मुभाव दिया है कि ससल क औपचारिक कामा म कमी की जानी जाणि तथा समितिया क काम का बतया जाना चाहिए ताकि ससल की प्रतिभा एव सवा का अधिक सक्रिय रूप म काम म नाया जा सक ।

भारत की समिति प्रणाली का एक उतखनीय दान यह है कि तारा यता स्थायी समितिया का व्यवस्था नहा का गत है । जस सिमी विषयक का किसी समिति क हवान करन का निणय किया जाता है उस समय उस उद्देश्य की पूर्ति क लिए एक स्थायी प्रकार समिति का भा नियुक्त कर लिया जाता है । परन्तु एक वावजूद सदन म कुछ नियमित समितिया भी है जिन चार श्रणिया म बटा जा सकता है—(1) सामाय समितिया (2) जाच समितिया (3) विधाय समितिया और (4) वित्तीय समितिया । उन समितिया की रचना क लिए सामायत तीन तरीक प्रयोग म नाय जात है । प्रथम समितिया तारा दो वित्तीय समितिया (लोक सेवा समिति और अनुमान समिति) का छात्तर रूप अथ मभी समितिया क ससल का मनानयन स्वीकर क तारा होता है । प्रथम समितिया क सदस्य क नामा का विधायक का प्रस्तुतपता पता करता है । अनुमान समिति तथा लोक सेवा समिति क ससल का सानुपातिक प्रतिनिधित्व क आधार पर लोकसभा के द्वारा निवाचन होता है ।

1 सामाय समितिया—उन समितिया क अतगत जा समितिया शामिल है व इम प्रकार है—नियम समिति (Rules Committee) काय सचानन परामशदात्री समिति (Business Advisory Committee) सामाय उद्देश्य समिति (General Purposes Committee) घृ समिति (Home Committee) और सरकारी जावामना की समिति (Committee on Government Assurances) । यहा उन समितिया की सतिप्त विवचना श्राव यक है ।

नियम समिति म 15 सदस्य हात है जि ह स्पीकर मनोनात करता है । स्पाकर स्वयं उस समिति का अध्यक्ष होता है । उस समिति का काम सदन क काय-सचानन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसका निष्पादन करना है तथा यदि आवश्यक हो ता प्रक्रिया को सुधारन के लिए उपाया की सिफारिश करना है । उस समिति की बठका म उनमे ससल के अतिरिक्त अथ सदस्य को भी शामिल किया जा सकता है । 1954 तक प्रक्रिया क नियम म स्पीकर समिति की सिफारिश पर परिवर्तन किया करता था । परन्तु जस समिति की सिफारिश सदन क समुख प्रस्तुत की जाती है तथा सदन ही उह स्वीकार करता है ।

सदन क कार्यक्रम तथा समय का निर्धारण काय सचानन परामशदात्री समिति की सहायता स हाता है । उस समिति म 15 सदस्य हात है और स्पीकर उस समिति का भी अध्यक्ष हाता है । समिति की सिफारिश पर तथा तारसभा क नेता एव विरोधी गुटा क नेता-जा क परामश स स्पीकर सदन क कार्यक्रम का सचानन करता है । कभी कभी वह समिति अपनी पट्ट पर यह सिफारिश भी करती है कि सावजनिक महत्व क कुछ विषया का सदन क समुख प्रस्तुत किया जाय तथा वह उसके लिए समय भी निश्चित करती है । समिति की सिफारिशें अभी तक सबसम्मति स हु हैं फगत सदन न भी उसके प्रतिवदना और सिफारिश का एकमत स स्वाकार किया है ।

सामान्य उद्देश्य समिति की रचना 1954 में हुई थी। उसमें 20 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष मण्डल (Panel of Chairmen) के सदस्य, विभिन्न दलों के नेता तथा कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का भी अध्यक्ष स्पीकर होता है। इस समिति का काम सदन के सगठन एवं उसकी कार्य-प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में स्पीकर को परामर्श देना है। इस समिति की सिफारिशों पर ही स्वचालित मतगणना प्रणाली का समारम्भ हुआ है, सदस्यों के लिए क्लब की स्थापना हुई है तथा ससदीय रिपोर्टों को जल्द छापने की व्यवस्था की गयी है।

गृह समिति में 12 सदस्य होते हैं तथा उसकी रचना प्रति वर्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है। इस समिति का काम सदस्यों के लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था करना है।

सरकारी आश्वासनों की समिति भारत की एक अपनी निराली सस्था है। मॉरिस-जोन्स ने उसे 'पूर्णतः भारत का अपना आविष्कार' बताया है। इस समिति की स्थापना 1953 में हुई थी। उसमें 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का काम समय-समय पर मन्त्रियों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों की जाँच करना है तथा इस बात की रिपोर्ट करना है कि उन आश्वासनों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और आश्वासनों के कार्यान्वयन में आवश्यकता से अधिक समय तो नहीं लगाया गया।

2 जाँच समितियाँ—इस श्रेणी के अन्तर्गत दो समितियाँ रखी जाती हैं—विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) तथा याचिका समिति (Committee on Petitions)।

विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और इसकी रचना सदन के गठित होने के समय होती है। इस समिति का काम सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा करना है। विशेषाधिकार का प्रश्न अनेक प्रकार से उठ सकता है। किसी समाचार-पत्र में सदन के किसी सदस्य अथवा सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आपत्तिजनक लेख अथवा समाचार प्रकाशित हो सकता है, कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक भाषण दे सकता है, कोई सदस्य स्पीकर के निर्णय पर आपत्तिजनक तरीके से अपने मत को व्यक्त कर सकता है—स्पष्टतः ये सभी परिस्थितियाँ विशेषाधिकार के प्रश्न को जन्म दे सकती हैं। इस प्रकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। समिति इस प्रश्न की जाँच करती है, वह इसके लिए गवाह बुला सकती है, वह सम्बद्ध व्यक्तियों से सफाई माँग सकती है। इतना करने के बाद समिति का अध्यक्ष सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके उपरान्त सदन का नेता यह प्रस्तावित करता है कि उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जाए। सदन उस प्रस्ताव के ऊपर अपना निर्णय लेता है।

याचिका समिति में भी 15 सदस्य होते हैं और उसकी रचना भी सदन के गठन के समय पर ही स्पीकर के द्वारा होती है। कोई भी मन्त्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इस समिति का काम उन याचिकाओं पर निर्णय लेना होता है जो सदन के सन्मुख व्यक्तियों अथवा सस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक याचिका की जाँच करने के लिए समिति गवाहों को बुला सकती है। अपनी जाँच पूरी करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सदन के सन्मुख प्रस्तुत करती है जिसमें वह यह सुझाव देती है कि याचिका में निहित शिकायतों का कैसे निराकरण किया जाये।

3 विधायी समितियाँ—विधायी समितियों के अन्तर्गत निम्न समितियाँ आती हैं—(अ) प्रचार समितियाँ, (ब) व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों एवं प्रस्तावों की समिति, तथा (न) अधीनस्थ कानून-निर्माण की समिति (Committee on Subordinate Legislation)।

जैसा बहा जा चुका है कि प्रवर समितियों के सदस्यों का नामांकन स्वयं विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के द्वारा किया जाता है। इन समितियों की सदस्य-संख्या निश्चित नहीं होती। समिति के सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर उसका अध्यक्ष मनोनीत कर देता है। यह अध्यक्ष सामान्यतः शान्त मन में सम्बद्ध होता है। इन समितियों को गवाहों के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन्तुग

उपस्थित हान का जाण्डन का अधिकार है। कभी-कभी समितिया विधेयक की अधिक विस्तृत जांच के लिए उप-समितिया का भी गठन करती हैं। कभी-कभी दाना मन्ना की सयुक्त प्रवर समितिया का भी नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार का समितिया में जांचमभा एवं राज्य मभा व मन्त्र्या म 2 और 1 का अनुपात होता है।

✓ व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयको एवं सक्त्या से सम्बद्ध समिति की रचना 1953 में हुई थी। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका मनोनीयन स्पीकर के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। विपक्षी स्पीकर इस समिति का अध्यक्ष होता है। सरकारी विधेयका के सम्बन्ध में जो काम काय मचायन परामर्शदात्री समिति का सौंपा गया है वह काम गर-मरकारा विधेयका के सम्बन्ध में इस समिति का सौंपा गया है। विधेयका के महत्त्व तथा उनकी आवश्यकता के जाघार पर गर-मरकारा विधेयका का टा प्रणिया में टाटा जाता है। समिति इसी जाघार पर यह निश्चित करता है कि उसका उपर कितना समय तत्र विचार किया जाय। सविधान में मशाघन से सम्बद्ध गर-मरकारा विधेयका का जांच इस समिति के द्वारा इनके प्रस्तुतीकरण के पहलू का जानी है। इसी प्रकार समिति में बात की जा जांच करता है कि कानून विधेयक समन्त का कानून बनाने की क्षमता से पर ता नही है।

✓ अधीनस्थ कानून रचना से सम्बद्ध समिति का काम उन नियमा की जान करना है जो समद द्वारा प्रस्तुत गति के अधीन सरकार की कायपात्रिका गत्या के द्वारा निर्मित किय गये हैं। इस समिति की मजम पहलू स्थापना 1953 में हुई थी और इसका काम यह था कि वह प्रस्तुत व्यवस्थापन (Delegated Legislation) पर समद के नियन्त्रण का टीना न हाने। इस समिति के 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर मनोनीत करता है। अपन काम के सम्पानन में समिति को निम्न बातों पर ध्यान रखना होता है—(1) क्या यह उस कानून के सामान्य सिद्धांत के अनुकूल है जिसको कायाचित करने के लिए उसका रचना हुई है (2) क्या उसमें वह मामला शामिल तो नही है जिसके ऊपर समद द्वारा पारित कानून की आवश्यकता है (3) क्या उसके द्वारा कर आरापिन किय गये हैं (4) क्या वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मायायना का क्षत्र मयादित करता है (5) क्या वह कानून के किसी प्राविधान का किसी पिछला नियम से तो प्रभावी नही बनाता जिसकी कानून के अंतगत उस शक्ति प्रदान नही का गयी है (6) क्या उसमें कोई ऐसा व्यय ता सन्निहित नही है जो सावजनिक राशि अथवा संचित निधि पर भारित हो (7) क्या वह कानून के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी गति का व्यवस्था ता नही करता जो असाधारण अथवा अप्रत्यापित हो (8) क्या उसमें प्रकाशन अथवा मसूदा के समान उसमें प्रस्तुतीकरण में आवश्यकता से अधिक विवरण ता नही आया (9) क्या किसी कारण से उसमें स्वरूप अथवा उद्देश्य में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

यह प्रतान का आवश्यकता नही कि इस समिति का काम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसका पास यह उत्तरदायित्व है कि वह समद की प्रभुमत्ता तथा नागरिका के अधिकारों की कायपात्रिका के जतिव्रमणा से रक्षा करे। इसका जाण्डन यह कटापि नही है कि इस समिति का काम प्रशासन का विरोध करना है। वस्तुतः मन्त्रानया और समिति के बीच एक बनी सीमा तत्र सहयोग पाया जाता है। इस समिति के सम्बन्ध में एक उन्मुखनीय बात यह है कि इसकी बठना में मन्त्र्य दलगत भावना से प्रेरित होकर काम नही करते जत उनके निणय निष्पक्ष होते हैं।

✓ वित्तीय समितिया—मारिस जांच न किया है कि— यदि यह सत्य है कि कानून भी विधानमण्डल अपनी समितिया के द्वारा जाना जाता है तो यह आशा करना बुद्धिसगन होगा कि वित्तीय समितिया का मुख्य रूप से विणय मन्त्रत्व माना जाय। वित्तीय समितिया के अंतगत तीन महत्वपूर्ण समितिया के नाम त्रिय जाते हैं। वे हैं—(1) अनुमान समिति (Estimates Committee) (2) नाक नखा समिति (Public Accounts Committee) तथा (3) सावजनिक उद्योग धंधा की समिति (Committee on Public Undertakings)।

अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा अपने सदस्यों में से सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है। इस समिति का काम मुख्यतः प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता लाना है। अतः वह वजट प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जाँच करती है। उसकी आलोचनाओं और सुझावों ने प्रशासन में अपव्यय को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समिति को निम्नलिखित काम सौंपे गये हैं—

(1) यह बताना कि वजट अनुमानों में सन्निहित नीति के अन्तर्गत सगठन में किस प्रकार मितव्ययिता और कार्य-कुशलता लाई जाय।

(2) प्रशासन में कार्य-कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।

(3) इस बात की जाँच करना कि अनुमानों में निहित नीतियों की सीमा के अन्तर्गत क्या बचत का विनियोजन सही हो रहा है।

(4) ससद के समक्ष अनुमानों को प्रस्तुत करने के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव देना।

पिछले वर्षों में इस समिति ने सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभाव डाला है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उसके प्रभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है और अब उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि वजाय इसके कि वह फिजूलखर्चों के विरुद्ध केवल चौकीदारी का काम सम्पादित करे, वह आज 'एक प्रकार से ससद का तृतीय सदन' बन चुकी है।

लोक लेखा समिति को एक प्रकार से अनुमान समिति का पूरक समझा जाना चाहिए। अनुमान समिति का काम सार्वजनिक व्यय के अनुमानों की जाँच करना है, जबकि लोक लेखा समिति का काम यह देखना है कि क्या सार्वजनिक व्यय उन मदों पर किया गया जिनके लिए उसे स्वीकृति दी गयी थी।

इस समिति की सदस्य-संख्या 22 है, जिसमें 15 लोकसभा में से लिए जाते हैं और 7 राज्य सभा में से। इनका निर्वाचन दोनों सदनों के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कोई भी मन्त्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा की प्रक्रिया नियम 241 [1] के अनुसार यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और लोकसभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जाँच करती है।

लोक लेखा समिति को निम्न कर्तव्य भी सौंपे गये हैं—(1) राजकीय निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं एवं परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने उपेक्षा की हो या जो कि किसी विशेष निगम, व्यापार संस्था अथवा परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले सविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हो तथा उन पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना, (2) स्वायत्तशासी तथा अर्धस्वायत्तशासी निकायों का आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना, जिसका लेखा परीक्षण नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत अथवा समद की किसी सविधि के अनुसार किया जा सके, तथा (3) उन मामलों में नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करने की अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लेखों की परीक्षा करने की उपेक्षा की हो।

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ससद की एक समिति के द्वारा सरकार के लेखों की जाच उसकी अनियमितताओं के ऊपर निम्नन्वेह एक रोक है। इससे सरकारी विभागों को अपने काम के संचालन में अधिक मावधानी बरतने की प्रेरणा मिलती है। इसकी रिपोर्ट सदन के सन्मुत्त विचारण्य प्रस्तुत की जाती है और इस प्रकार सार्वजनिक लेख सम्बन्धी कमियाँ सबके सामने आती हैं।

त्रितीय समितियाँ मंत्रालय में सत्र में अधिक छोटी सावजनिक उद्योग धंधों की समिति है। उनकी स्थापना मई 1964 में हुई थी। मंत्रालय में मंत्रियों की संख्या 15 है जिनमें से 10 मंत्रियों में से और 5 मंत्रियों में से निर्वाचित किए जाते हैं। इन समितियों का निम्न काम माना गया है—

(1) उन सावजनिक उद्योगों व प्रतिष्ठानों की योजना की जांच करना जो इस समिति का विशेष रूप से सौंपे गए हैं (2) सावजनिक उद्योगों व संस्थानों में यदि आवश्यक एव महानुभाव परीक्षण का कोई प्रतिबन्ध है तो उसका जांच करना (3) सावजनिक उद्योगों की स्वायत्तता एवं शायकृतायता का ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं की जांच करना कि उनका प्रयोज्य व्यापार व सिद्धांत तथा बुद्धिमत्त योजनाओं के अन्तर्गत अनुबन्धित है अथवा नहीं और (4) सावजनिक उद्योगों में मन्त्रालय द्वारा बनाए गए समितियों एवं अनुमानित समितियों में निम्न उन कार्यों का सम्पादन करना जो (1) (2) और (3) के अन्तर्गत नहीं आते तथा जिनके निष्पत्ति का प्रभाव उम स्वीकार के द्वारा सीधा गया है। आजकल देश में सरकारी क्षेत्र में 83 उद्योग धंधे हैं और उनमें 3 अर्थात् 50 करोड़ रुपये का पूंजी लगाना है। उसी कार्य प्रणाली का कार्य भी पहले ऐसा नहीं है जिसकी समिति ने भला प्रस्ताव जांच नहीं किया है। समिति का काम सावजनिक उद्योगों व संस्थानों के प्रशासन का देख रखा करना है और न उनका काम उनका नानिया की जांच करना है। उनका काम बनने उनका कार्यप्रणाली प्रयोज्य वित्तीय कार्य संचालन आदि का परीक्षण करना है। उन उद्योगों पर समन्वयित रूप से कार्य करने में यह समिति उपयोगी सिद्ध हुई है।

भारतीय समिति—एक मूल्यांकन

उपरोक्त विवेचन में पता है कि भारतीय समिति देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण निदेश है। वस्तुतः देश की समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं पर—चाहे वे राष्ट्रीय हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय हों—विचार विमर्श होता है। इस विचार विमर्श में देश के सभी वर्गों का योग रचि रहता है। जब समिति किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करती है तो उस समय योग देना ही समस्या में दबाव गहरी में पहुँचने का प्रयत्न करता है। जनता की शिकायतों का उत्तर देकर क्षेत्र में भी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यह सत्य है कि समिति में विराधी तब कभी अधिक शक्तिशाली नहीं रहता तथापि समिति में उसके योगदान का काम करके नहीं जाँचा जा सकता। सच बात यह है कि समिति में विराधी समुदायों ने अपनी शक्ति में अधिक प्रभाव का प्रदर्शित किया है।

समिति की अधिक प्रभावशाली बनाने का मांग में अनेक माध्यम हैं उनमें भाषाओं की जनशक्ती का एक बड़ी योगदान माना जा सकता है। संविधान की 120वाँ धारा में लिखा है कि समिति में कार्य करने वाले अधिकारी जिनके जन्मदिन में जन्म परन्तु उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि स्वीकार किया एक संस्थान का अनेक मान भाषा में भाषण करने का अधिकार प्रदान कर सकता है जो अपने आपको उपरोक्त दाना भाषाओं में सचिवालय में अष्टी प्रकार में व्यक्त करने में अक्षम है। अतिरिक्त संस्थानों में जिनके अनेक भाषा में अपने आपका व्यक्त कर सकते हैं परन्तु अतिरिक्त भारत में जान बाने बहुत से संस्थानों का काम करना है। विचार विमर्श में अनुदान की सुविधा की व्यवस्था की गई है परन्तु यह व्यवस्था अभी तक जोर परक नहीं हो सकी है।

भारतीय विचारों की अनुभवहीनता तथा बाधित जान व अभाव को एक दूसरी बात माना जा सकता है। भारत में विचारों के समन्वय में पारस्परिक तथा टिककर का यह मत माना जा सकता है—व्यक्त अनुभवहीन ही नहीं है वरन् निमित्त भाव है उह कम प्रेरित भी मिलता है तथा अधिकांश उह कठिन परिस्थितियों में रहना होता है। उनका विशेष पर्याप्त रूप में महानुभाव की भाव व्यवस्था नहीं है और उह योजना तथा भाषण और प्रतिबन्धों का तयार करने में जो महानुभाव नहीं मिलती। यद्यपि इन वस्तुओं से समिति में मदद या उदा सुविधाओं की भाव प्रयोग में नहीं आते जो उह प्राप्त है। उनका विशेष गम्भीर विचार अथवा अध्ययन के लिए समय अथवा अवसर निदानना एक बड़ा कार्य है उनका रहने का तरीका तथा उनका रहने का प्रयोज्य

उन्हे सुगमता से उन लोगों का शिकार बना देते हैं जो उनके इर्द-गिर्द सभी समय घूमा करते हैं। बहुधा उनका अपने निर्वाचकों से सम्बन्ध टूट जाता है, यदि निर्वाचकों की राजनीति में दिलचस्पी है तो उन्हें स्थानीय निकायों तथा राज्य के विधानमण्डल में अपने प्रतिनिधित्व में अधिक रुचि है अपेक्षाकृत सुदूर नई दिल्ली में स्थित अपने प्रतिनिधियों में।'

अतः इस पृष्ठभूमि में भारत की राजनीतिक पद्धति में सदन की भूमिका का मूल्यांकन करना कठिन काम है। यह ठीक है कि वह देश में कानून निर्मित करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकरण है, परन्तु सच बात यह है कि ब्रुनियादी प्रश्नों का समाधान सदन के द्वारा नहीं होता। वास्तव में औसत सदन सदस्य को देखते हुए सदन में इस काम की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। फलतः ससदीय पद्धति में उससे जिस भूमिका की आशा की जानी चाहिये, उसे निवाहने में वह असमर्थ रही है। यथार्थ में यह दुर्बलता केवल भारतीय सदन की ही नहीं है, इसे ब्रिटेन में भी अवलोकित किया जा सकता है जहाँ मुख्य शक्ति अब मन्त्रिमण्डल तथा सिविल सर्विस के द्वारा परिचालित होती है। परन्तु इन सीमाओं के होते हुए भी भारत की सदन ने पिछले वर्षों में अनेक बार इस तथ्य का प्रमाण दिया है कि वह प्रशासकीय यन्त्र का एक आवश्यक हिस्सा है। देश के सभी प्रधानमन्त्रियों ने उसकी कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, वस्तुतः उनका अपने दल में नेतृत्व भी इस बात पर अवलम्बित होता है कि वे सदन के विभिन्न वर्गों में अपने लिये किस सीमा तक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। 1969 में कांग्रेस की फूट के बाद यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त हो गई थी।

प्रश्न

- 1 राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए यह बताइए कि क्या भारतीय द्वितीय सदन शक्तिहीन सदन है ?
- 2 लोकसभा की रचना कैसे होती है ?
- 3 लोकसभा के स्पीकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- 4 भारत में गैर-वित्तीय विधेयकों को किस प्रकार पारित किया जाता है ?
- 5 वित्तीय विधेयकों को पारित करने के सम्बन्ध में संविधान में क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं ?
- 6 ससदीय समितियों पर एक टिप्पणी लिखिये।

संघीय संविधान की बहुत सी विगपताओं में एक आवश्यक विगपता यह है कि उसमें एक स्वतंत्र एवं सुसंगठित न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। संघीय राज्य में संघ सरकार तथा राज्यों का सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इस प्रकार की गामन प्रणाली में अधिकार-क्षेत्रों के प्रश्नों पर दोनों प्रकार का सरकारों के बीच अथवा राज्यों का सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। यही नहीं संघीय राज्य में सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का भी मर्यादा कर दिया जाता है। अतः यदि सरकार की कोई शाखा अपना सीमाओं का अनिर्णय करती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। तब भी विवादों का निवारण करने के लिये निष्पक्ष एवं शक्तिशाली न्यायपालिका की आवश्यकता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल राज्य के सच्चात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है अपितु उसमें यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। वस्तुतः सभी नागरिकों में राज्य में न्यायपालिका से इस काम की अपेक्षा की जाती है। संविधान में सभी न्यायालयों के इस काम पर पर्याप्त रूप में बल दिया गया था। वस्तुतः एक मर्मस्थान तो हम जानते हैं कि प्रहरी (watch dog of democracy) घोषित किया था और इसी आधार पर समस्या न घटने का भी कि न्यायपालिका का न्यायपालिका के नियंत्रण में सुक्त होना चाहिए। संविधानकारों ने न्यायालय का स्वतंत्रता का वाक्य रखने के लिये अग्रिमवित्त आठ व्यवस्थाय की है।

1 नियुक्ति—सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों के परामर्श से होती है जिनमें राष्ट्रपति ने सम्मेलन में परामर्श लेना चाहता है परंतु मुख्य न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेना आवश्यक है।

2 योग्यता—न्यायाधीशों की नियुक्ति का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में उनके लिये निम्नलिखित योग्यताएँ बहुत ऊँची रखी गयी हैं।

जो व्यक्ति न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाए उसमें भारत के नागरिक होने का अतिरिक्त (अ) किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर पांच वर्षों तक काम करने का अनुभव होना चाहिए अथवा (ब) वह दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में बनी रह चुका हो अथवा (स) वह राष्ट्रपति की राय में कानूनशास्त्र तथा न्यायशास्त्र में प्रख्यात विद्वान हो।

योग्यताओं का सूची में हम जिनमें प्राविधानों को शामिल करने का अभिप्राय है कि यह था कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अधिक विस्तृत दायरे में से की जाय। इस प्रकार इस प्राविधान के अंतर्गत एक ऐसे विधिशास्त्री का जो किसी विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र का अध्यापन कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जा सकता था।

3 अवधि—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भाँति भारतीय संविधान न्यायाधीशों की अवधि जीवन पथत नहीं बनाता है। हम सम्मेलन में उसने यह व्यवस्था की है कि वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। भारत में जोसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु निश्चय ही बहुत अधिक है।

4 सेवा-निवृत्त होने के बाद वकालत करने का निषेध—कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। परन्तु सविधान की कोई भी व्यवस्था उसे भारत सरकार के अन्तर्गत किसी ऐसे काम का उत्तरदायित्व लेने से नहीं रोकती जिसमें उसके विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तुतः सविधान सभा में इस बात की ओर इशारा भी किया गया था कि इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक ही जैसा समझा जाना चाहिए, परन्तु इस दृष्टिकोण को सविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया।

5 पदच्युति—सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल प्रमाणित कदाचार अथवा अयोग्यता के आधार पर अपने पद से च्युत किया जा सकता है। सदन को इस सम्बन्ध में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इस कदाचार अथवा अयोग्यता की जाँच करने के लिए प्रक्रिया निश्चित करे। परन्तु यह प्रक्रिया चाहे जो भी हो, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि सदन का प्रत्येक सदन उग्रमन्यत एव मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, ये सदस्य सदन की कुल सदस्य-संख्या के आधे से अधिक होने चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जायेगा और वह उस पर अपना आदेश देगा।

6 वेतन—भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कायम रखने के उद्देश्य से न्यायाधीशों के वेतन को व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में सविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक न्यायाधीश को 4000 रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा तथा मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5000 रुपया मासिक होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को रहने के लिए मुफ्त मकान तथा कुछ अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी दी जायेगी। वित्तीय सकट के समय सदन द्वारा पारित कानून के द्वारा न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है।

7 सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार—सविधानकार केवल इतने से ही मन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक व्यवस्था और की जिसके अनुसार न्यायालय को अपने कार्यालय तथा सहायक कर्मचारियों के ऊपर पूरा नियन्त्रण प्रदान किया गया है। इस प्रावधान की अनुपस्थिति में न्यायालय की स्वतन्त्रता का वास्तव में कोई अर्थ नहीं हो सकता था। अतः सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। उनकी सेवा की परिस्थितियों का निर्धारण भी न्यायालय के द्वारा होता है तथा उनके वेतन, भत्ते आदि का व्यय भारत की सचिव निधि पर भारित होता है।

8 आलोचना से मुक्ति—अन्त में, न्यायालय की स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए सविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों द्वारा सरकारी अधिकारी की हैसियत से लिये गये निर्णयों के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यायालय के निणय अथवा किसी न्यायाधीश के मत का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिन बातों का निषेध किया गया है वह केवल यह है कि निर्णयों को देने के सम्बन्ध में न्यायाधीशों की ईमानदारी में सन्देह व्यक्त नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

सविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक से अधिक सात अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, इसके साथ ही सविधान ने सदन को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार प्रदान किया है। सदन ने पिछले वर्षों में अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है, फलतः आज न्यायाधीशों की संख्या मात्र में वृद्धि हो गयी है और इनमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। जैसा कहा जा चुका है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उन न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है, जिनमें वह परामर्श लेना चाहता है, और उनमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। यद्यपि सविधान के अनुसार न्यायाधीश उच्च न्यायालय

का तम वष का अनुभव प्राप्त एवंवादेन अथवा पाँच वष का अनुभव प्राप्त उच्च यायालय का यायाधीश अथवा प्रख्यात विधिशास्त्री हा सकता है तथापि आज तक जितने भी यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनमें नई भी ऐसा नही हुआ है जिसका उक्त याग्यताओं में स जित्तम याग्यता का आधार पर नियुक्त किया गया हो। चूँकि यायाधीशों के लिए सेवा निवृत्त हान की आयु 65 वष मानी गया है इसलिए सर्वोच्च यायालय के यायाधीशों में आयु निरंतर परिवर्तन हान रहने है।

सर्वोच्च यायालय का अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च यायालय के अधिकार क्षेत्र का तीन शीपकों में विभाजित किया जा सकता है— प्राथमिक अपीलीय तथा परामर्शदात्री। यहाँ उनकी विवरणा आवश्यक है।

(1) प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र—सर्वोच्च यायालय को निम्नलिखित विवादों में विषय में प्राथमिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है—(1) जो विवाद भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार के बीच उत्पन्न (2) जिस विवाद में भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकार एक-दूसरे के विरुद्ध उत्पन्न (3) जब कभी दो अथवा अधिक राज्यों के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न जिसमें किसी कानून अथवा तय का कोई प्रश्न उत्पन्न हो और जिसमें ऊपर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निश्चित हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अनेक वर्षों से अन्तर्गत यह है कि भारत में सर्वोच्च यायालय का भारतीय मध्य के विभिन्न राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बीच पाय जान जाने के लिए प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार के विवाद उसके समय अपील में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परन्तु एक ही प्रश्न है जिसमें सर्वोच्च यायालय को भी नागरिकों के बीच सर्वोच्च यायालय के पास जा सकता है और वह इन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाता है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी नागरिक अपनी याचिका के साथ सर्वोच्च यायालय में जा सकता है। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि इस क्षेत्र पर यायालय का एकमात्र अधिकार नहीं है इस पर राज्यों के उच्च यायालयों का भी अधिकार है।

(2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र—सर्वोच्च यायालय का दीवानी और फौजदारी के मुकदमों में उच्च यायालयों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च यायालय के इस क्षेत्राधिकार का तीन शीपकों में अंतर्गत बाँटा जा सकता है—सांविधानिक दीवानी और फौजदारी।

(अ) सांविधानिक—संविधान के 130वें अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद में संविधान सम्बन्धी कोई प्रश्न निहित है तो भारत में किसी भी उच्च यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च यायालय में की जा सकती है। उच्च यायालय के दीवानी फौजदारी अथवा अन्य कायदाहिया के बारे में क्या न हो। यदि उच्च यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र न दे और सर्वोच्च यायालय का यह विश्वास हो जाय कि विवाद में संविधान सम्बन्धी प्रश्न निहित है तो उस स्थिति में सर्वोच्च यायालय स्वयं ही ऐसा प्रमाण पत्र देकर अपील की विधि आदेश प्रदान कर सकता है। जब किसी पत्र का उच्च यायालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है या जब सर्वोच्च यायालय अपील के लिए विधि आदेश प्रदान कर देता है तो विवाद प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च यायालय से इस आशय की अपील करने का अधिकारी हो जाता है कि उच्च यायालय ने संविधान की व्याख्या गलत आधार पर की है अथवा कानून के प्रश्नों का गलत अर्थ में लिया है। अपीलार्थी सर्वोच्च यायालय की आज्ञा से अन्य आधारों पर भी अपील कर सकता है। सर्वोच्च यायालय में जो अन्य अथवा नया आधार लिया जाता है या लिया जायगा उससे लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सांविधानिक आधार पर ही आधारित हो।

(ब) दीवानी—संविधान के 133वें अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च यायालय को दीवानी के मुकदमों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। उच्च यायालयों के निर्णय अथवा आदेशों

के विरुद्ध किमी भी ऐसे दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि—

(i) विवादग्रस्त विषय की धनराशि प्रथम न्यायालय में बीस हजार में कम नहीं थी और अपील में आये हुए विवाद में भी कम नहीं है, अथवा

(ii) निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में भी इतने धन अथवा सम्पत्ति का अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उलझा हुआ है। परन्तु यदि उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल नहीं है तो फिर एक और प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जिसमें उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा कि अभी और भी कानून के प्रश्न अन्तर्गस्त हैं। यदि कोई पक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे अधिकार है कि वह भाविधानिक प्रश्न पर भी विवाद उठा सके।

(म) फौजदारी—मविधान की 134वीं धारा के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में उस समय अपील की जा सकती है, जबकि—

(i) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो, अथवा

(ii) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा अपने यहाँ भेजाकर किमी अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो, अथवा

(iii) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए उपयुक्त है।

सविधान की धारा 134 (2) के अनुसार समद कानून द्वारा शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जिनका वर्णन कानून में किया जाये, सर्वोच्च न्यायालय को भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के फौजदारी विवाद में दिये निर्णय के विरुद्ध अपील लेने और मुनने की शक्ति प्रदान कर सकती है। परन्तु जब तक धारा 134 (2) के अन्तर्गत समद कानून की रचना नहीं कर सकती, मविधान के अन्तर्गत उपर्युक्त अवस्थाओं को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। अतः यदि कभी कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र देता है कि 'मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किये जाने योग्य है' तो ऐसा प्रमाण-पत्र काफी सोच-विचार कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक में भारत राज्य क्षेत्र के किमी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किमी मामले में दिये हुए किमी निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है, परन्तु यह बात समझ लेना से सम्बद्ध किमी न्यायाधिकरण के किमी निर्णय अथवा आदेश के सम्बन्ध में लागू नहीं होती (अनुच्छेद 136)। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनरवलोकन (review) की शक्ति भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में मान्य होगा।

(ठ) परामर्शदात्री—मविधान के 143वें अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श-दात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ है। यदि कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किमी कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना अच्छा है तो वह उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने के लिए सौंप सकता है। न्यायालय उचित सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी सम्मति का प्रतिवेदन देगा, परन्तु राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस सम्मति को अन्य न्यायालय भी कानूनी रूप में स्वीकार करने को बाध्य नहीं है।

अपने वाय-काल में सर्वोच्च न्यायालय को अभी तक मुख्यतः चार बार इस प्रकार के परामर्श देने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहला अवसर 1951 में उस समय आया था जब राष्ट्रपति ने उसमें तीन कानूनों की वैधता के बारे में अपनी राय देने को कहा था। वे कानून थे—दिल्ली नॉज एक्ट, 1912 (Delhi Laws Act, 1912), अजमेर-मारवाड़ (एक्सटेंशन ऑफ लॉज) एक्ट, 1947 [Ajmer-Marwara (Extension of Laws) Act, 1947] तथा पार्ट 'बी'

स्टेट्स (नाज) एक्ट 1950 [Part C States(Laws) Act 1950]। इन कानूनों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय एक्टों में नई राय नहीं दे सका। परन्तु फिर भी न्यायाधीशों द्वारा यत्न विभिन्न मतों का यह कठोर स्वागत किया गया था कि विधायी शक्ति के हस्तांतरण के ऊपर वे अपना प्रकाश डालते हैं।

दसरी बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 1957 में करत शिक्षा विधेयक की बधता के प्रश्न पर माँगा गया था। इस विधेयक के द्वारा केरल सरकार ने अपने राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। इस विधेयक में कुछ प्राविधान एम भी थे जो सरकार को एम स्कूलों का प्रबंध जपन हाथा में करने की अनुमति देते थे जो निजी अभिस्तरण के द्वारा प्रकाशित होते थे। चकि इस विधेयक का सम्बन्ध सविधान में निहित सम्पत्ति के अधिकारों के साथ था अतः उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक का सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श के लिए माँग लिया। अपने इस परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय ने भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का सविधान द्वारा लिये गये शिक्षा और संस्कृति मन्त्री के अधिकारों के जाश्वामना की व्याख्या की थी। इस परामर्श का सविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्त्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

1964 में सर्वोच्च न्यायालय की उत्तर प्रश्न विधान सभा वनाम राज्य के उच्च न्यायालय वान विवाद में एक बार फिर एक महत्त्वपूर्ण सांविधानिक प्रश्न पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत में विधानमण्डल के निर्वाह अधिकार के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस मत का भी विगिष्ट भूमिका रही है।

1974 में सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रश्न पर परामर्श माँगा गया कि क्या किसी सविधान सभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है जिसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारात्मक रूप में दिया।

सविधान के मरतक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय का सविधान की धारणा के क्षेत्र में अतिम शक्ति प्राप्त है जहाँ उस सविधान का मरतक बताया गया है। सविधान के 141वें अनुच्छेद में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों का माय होगा। जहाँ तक सविधान में निहित मूल अधिकारों का प्रश्न है उनकी सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ही सापा गया है। सविधान की 13वाँ धारा में लिखा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिनमें तासरे अध्याय में सन्निहित मूल अधिकारों का अतिक्रमण होना हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सविधान की 13वाँ धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कानून की बधता की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार एक न्यायिक निणय पर आधारित है परन्तु भारत में यह अधिकार स्वयं सविधान में निहित है। परन्तु हमका यह जानय कतापि नहीं है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में अधिक शक्ति प्राप्त है। वस्तुतः हमारा यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति जनक प्रकार से सीमित है। सविधानकारों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका का तीसरा सदन न बन जाय। इसलिए उन्होंने स्वयं सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ को मर्यादित किया जा सके।

जसा कहा जा चुका है सविधान में न्यायिक समीक्षा का प्राविधान पाया जाता है परन्तु वह एक भिन्न प्रकार का प्राविधान है। सविधान लिखित है और उसकी रचना एक सधामक व्यवस्था वान राज्य के लिए हुई है जिसमें सधायी एवं राज्या के विधानमण्डल की विधायी क्षमता का स्पष्ट गन्ना में उल्लेख होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून

सविधान की 7वीं सूची में उल्लिखित शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए। सविधान के 246वें अनुच्छेद में विधायी क्षमता के क्षेत्र परिभाषित किये गये हैं, (सविधानमण्डल) को अपने क्षेत्राधिकार के सदर्भ में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। अतः अपने-अपने क्षेत्र में सघ और राज्य दोनों प्रकार के विधानमण्डल सर्वोच्चता का उद्भोग करते हैं। इस सीमा तक भारत की साविधानिक प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली से मिलती-जुलती है। इससे भिन्न सयुक्त राज्य अमरीका में शक्तियों के विभाजन की प्रणाली ने वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। वहाँ कांग्रेस की शक्ति सीमित एवं परिभाषित है तथा वे सभी शक्तियाँ जिनका निषेध राज्यों के लिए नहीं किया गया है तथा जो कांग्रेस की विधायी क्षमता के बाहर नहीं हैं, राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को सौंपी गयी हैं। अमरीका में शक्तियों का यह वितरण एक नीति के अधीन हुआ था और वह नीति यह थी कि सघ की सरकार की अपेक्षा राज्यों की सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की जाये यद्यपि बाद में बहुत सी बातों के कारण वहाँ राज्यों की अपेक्षा सघ को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। वहाँ न्यायपालिका सविधान की व्याख्या करती है तथा राज्यों अथवा सघ सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, इस बात का निर्णय इस आधार पर होता है कि न्यायाधीशों ने सविधान की व्याख्या किस प्रकार की है। सयुक्त राज्य अमरीका में एक प्रचलित लोकोक्ति यह है—'अमरीका में हम सविधान के अधीन रहते हैं और सविधान वह है जो हमें न्यायाधीश बताते हैं।' फलतः पिछले वर्षों में अमरीका में एक चीज का उदय हुआ है जिसे वहाँ न्यायालयों का 'बौद्धिक मापदण्ड' (intellectual yardstick) की सजा प्रदान की गई है। भारत में न्यायपालिका के लिए यह सब कुछ करना सम्भव नहीं है। यहाँ दोनों प्रकार के विधानमण्डलों का क्षेत्राधिकार बड़ी अच्छी तरह से परिभाषित है, यहाँ तक कि समवर्ती क्षेत्राधिकार में कोई अस्पष्टता नहीं है और अवशिष्ट विषय भी सघ की ससद को सुस्पष्ट शब्दों में सौंपे गये हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए शक्तियों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ भी करने की बाकी नहीं है। अतः भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह 'निहित शक्तियों के सिद्धान्त' (Doctrine of Implied Powers) जैसा कोई सिद्धान्त विकसित कर सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा सविधान की 246वीं धारा में सन्निहित प्राविधानों के अधीन है।

सविधान में मौलिक अधिकारों का भी एक अन्वय है और इसमें एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को साविधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। सविधान की इन व्यवस्थाओं ने एक दूसरे क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा को आमन्त्रित किया है। सविधान की 12वीं और 13वीं धाराएँ कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अतिक्रमणों के विरुद्ध मूल अधिकारों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। फलतः न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे यह देखें कि कोई भी कानून मूल अधिकारों के प्रतिकूल तो नहीं है। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार सविधान की 32वीं धारा के अन्तर्गत भी प्राप्त है जिसने नागरिकों के साविधानिक उपचारों के अधिकार को मान्यता प्रदान करके उन्हें यह शक्ति प्रदान की है कि वे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं और न्यायालय बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रच्छा तथा उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। इस प्रकार का अधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्रदान किया गया है। न्यायालयों की इस शक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कानिया ने ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए कहा था—'सविधान में अनुच्छेद 13 (1) (2) को अत्यधिक साविधानी के कारण शामिल किया गया है। उनकी अनुपस्थिति में भी यदि किसी कानून के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता तो न्यायालय को उसे उम सीमा तक अर्बुद घोषित करने का अधिकार था जिसे सीमा तक उसमें मूल अधिकारों का अतिक्रमण होना हो। यहाँ भी सयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों में अन्तर अवर्तकित गया जा सकता है। अमरीका में सविधान के तीसरे संशोधन को छोड़कर जिसमें शक्ति काल

म नागरिका के घरा म मन्त्रिका को न्तिमान का निवध किया गया है अप अथ प्राविधान कवन व्यवस्थापिका का गत्तिया का मयात्ति करन है जोर जत्र भी वहा की व्यवस्थापिका काइ गमा कानून बनाती है जा उमक अधिकार तत्र स बाहर हो तो उम स्थिति म यत्ति सर्वोच्च यायालय क ममथ उमम सम्बद्ध काई विवाद प्रस्तुत हा ता सर्वोच्च यायालय का उम कानून का अवध प्रापित करन का अधिकार है । अमराका म काग्रम का अधिकारा का नियन्त्रित करने की शक्ति प्राप्त नहा है जत्र निमा कानून म सन्निहित नीति अथवा उद्देश्य की यायिक बचना की जाच की जा मकता है । यी नहा अमरीका म सर्वोच्च यायालय की शक्ति कमनिए और प्रन गई है क्याकि उस जीवन स्वतन्त्रता जोर सम्पत्ति क अधिकारा की सुरक्षा का वायित्व सीपा गया है तथा नागरिका का न अधिकारा म कवन कानून की प्रक्रिया क गारा नी बचित किया जा मकता है । यर्त यह न्यनीय है कि कानून की प्रक्रिया (Due process of law) शक्यनी अत्यधिक जगत्त ह और कमनिए कमनी याग्रा भी प्रकता रनी ह । अनुभव साक्षी है कि यदि मविधान क प्राविधाना म अस्पष्टता पाई जाती है ता उम स्थिति म यह अनिवाय है कि उमकी या या करन वात्रे अभिकरण (याधपात्रिका) का शक्तिया अविन हानी चाहिय । भारतीय सविधान का म तथ्य म अवगत थ अत्र उहान म बाव का पूरा ध्यान रखा है कि सविधान म काई अस्पष्टता न रन)

भारत म सर्वोच्च यायालय का किमी कानून की यायिक समीक्षा का अधिकार कवन कमनिए नहा किया जा मकता क्याकि उसम किसी अधिकार का परिमामन किया गया है उसे यह अधिकार कवन कमनिए किया जा मकता है कि वह मस प्रात की जाच कर कि कानून द्वारा जागपित सामाण सविधान म निहित उन प्राविधाना म मन खस्ती है अथवा नहा निमम सीमाग्रा का उन्नव किया गया है । कानून का उद्देश्य अथवा उसकी नीति कुछ भा हो सकती है परतु यायालय का उमकी जाच करन का काइ अधिकार नही है ।

स्पष्ट है कि भारत म यायात्रिका का व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहा माना गया । जत्र उसम यत्र अप ना नना की जानी कि कन कानून की रचना करगा । कानून बावता व्यवस्थापिका का काम है जोर गमा हाना उचित भी है । जाखिर व्यवस्थापिका क सदस्य जनता क निर्वाचित प्रनिनिधि हान है कमनिए उनकी है छा क ऊपर याधपात्रिका गारा जागपित मस प्रकार का जकुण उचित नना है । याधपात्रिका का सविधान क सरक्षक का उत्तरदायित्व दिया गया है कमनिए उम यायिक समीक्षा का भी अधिकार प्राप्त है ।

सर्वोच्च यायालय तथा मून अधिकारा का सशाधन

माच 1967 म एक अयधिक मन्त्रपूण निणय म सवाच यायालय न यह कहा कि समन का सविधान म निहित मून अधिकारा म कोई परिवतन करन का अधिकार प्राप्त नही है । दूसरे गारा म समन को मून आधकारा की सूची म कित्ता भा प्रकार का सशोधन करने की शक्ति प्राप्त नना है । इम समन म सविधान की निम्नलिखित दो गाराग्रा की याग्या क सम्बध म मतक्य नना पाया जाता

धारा 13 (2)—राय काइ ऐमा कानून नहा बनायगा जा इम भाग (भाग 3) द्वारा प्रन्त अधिकारा का छीनता या यून करता हा और म खण्ड क उन्नधन म निर्मित प्रत्येक कानून उ उधन की सीमा तत्र अवध होगा ।

धारा 368—मस सविधान क मशाधन का मूनपात उस जागय क विचयक के किसी भी सदन म प्रस्तुतीकरण क द्वारा किया जा सकगा तथा तब प्रत्येक सदन गारा उस सदन की सम्पूण सन्स्य मग्या क बहुमत स तथा उम सदन म उपस्थित तथा मतदान म भाग लन वात्रे सदस्यो के ता तिहाई स जयून बहुमत स वह विधयक पारित हा जाता है तब वह राष्ट्रपति क समक्ष उसकी अनुमति क लिए रखा जायगा तथा विधेयक का ऐमा अनुमति प्राप्त हा जाने क उपरांत विधयक

के निबन्धनों के अनुसार सविधान सशोधित हो जायेगा ।

परन्तु यदि ऐसा सशोधन—

(अ) धारा 54, 55, 73, 162, अथवा 241 में, अथवा

(आ) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, अथवा

(इ) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी एक में, अथवा

(ई) ससद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अथवा

(उ) इस धारा के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने के पहले उस सशोधन के लिए उन विधानमण्डलों से पारित सकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

मार्च 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो विवाद प्रस्तुत था वह 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' के नाम से प्रख्यात है । इस विवाद में अनुच्छेद 31 में निहित सम्पत्ति के अधिकार को सविधान (सत्रहवें सशोधन) कानून, 1964 के द्वारा न्यून करने की ससद की शक्ति को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने उस पर अपना यह निर्णय दिया था कि ससद की सविधान को सशोधित करने की शक्ति सविधान की 248वीं धारा में निहित उसकी विधायी शक्ति का ही एक रूप है, अतः साविधानिक सशोधन कानून उस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिसे अनुच्छेद 13 के द्वारा पारिभाषित किया गया है, अतः यह सशोधन कानून अवैधानिक है । दूसरे शब्दों में इस निर्णय का अर्थ है कि ससद को सविधान में सशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों को न्यून अथवा खत्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि भारत सरकार मूल अधिकारों के सम्बन्ध में सविधान में सशोधन करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 248 तथा सघ सूची के 97वें विषय (Item) में निहित अवशिष्ट शक्तियों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत नई सविधान सभा को बुलाने का आयोजन करना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने मूल अधिकारों को ससद की साविधानिक शक्ति से परे बना दिया । इसके पूर्व ससद 1951, 1955 और 1964 में प्रथम, चतुर्थ और सत्रहवें सशोधनों के द्वारा सविधान में निहित मूल अधिकारों को सशोधित कर चुकी थी । 1967 के अपने निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इन सशोधनों को भी अवैध घोषित कर दिया । परन्तु चूँकि ये सशोधन इस निर्णय से बहुत पहले किये जा चुके थे तथा पिछली तियों से उन्हें अवैध करने से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी, अतः यह कहा गया कि वे लागू रहेंगे ।

सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय निस्सन्देह अत्यधिक दूरगामी प्रभाव वाला था । इस निर्णय ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया । क्या ससद सविधान में सशोधन करने के लिये प्रभुसत्ता-सम्पन्न नहीं है ? इस निर्णय का न्यायपालिका पर सविधान के संरक्षक के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप सविधान इतना दुस्सशोध्य बन जाएगा कि जन-इच्छा द्वारा कोई भी सुगम परिवर्तन न किया जा सके । पिछले दिनों में इन प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं । उदाहरण के लिये यदि के० एम० मुशी ने कहा कि मूल अधिकारों को ससद की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता तो इसके विपरीत सुख्यात वकील एन० सी० चटर्जी ने राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था कि ससद की प्रभुसत्ता के मामले को सन्देह से ऊपर उठाया जाये । यदि कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया तो देश के अधिकांश चिन्तनशील व्यक्तियों के मन में यह आशंका घर कर गई कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रगतिशील विधायन के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा ।

गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त देश के राजनीतिक जीवन में अत्यन्त द्रुतगति के साथ परिवर्तन उपस्थित हुए हैं और इन परिवर्तनों की वैधता को अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । जब-जब इन प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय

म प्रस्तुत किया गया था। यथातय न अपना निणय यथास्थिति क पक्ष म लिया । 1969 म सरकार न 14 वें बका का राष्ट्रियकरण करने का निश्चय किया और उमन डम जाशय का एक विधेयक संसद म पेश किया । इस विधेयक का जहा दंग क प्रगतिशील जनमत का समर्थन प्राप्त था वर्ण स्वतंत्र पार्टी जनमध तथा पुगना काग्रस न उमका इस आधार पर विरोध किया कि उमम दंग की अथव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह सम्पत्ति क मून अधिकार का अतिक्रमण करता है । संसद न विधेयक का पारित कर लिया परंतु सर्वोच्च यथातय न उम असाविधानिक घोषित कर लिया । यथातय का मन था कि सविधान न प्रतिकर क अधिकार की प्रत्याभूति ली है जा अजित का जान वाली सम्पत्ति क बराबर हाना चाहिए जिम तरीक स बका की सम्पत्ति का मूल्यांकन किया गया है उमम उनकी जनदारा क महत्वपूर्ण अंगा को सम्मिलित नहा किया गया न फलत बका का पूरा प्रतिकर नहा लिया जा रहा न जा कि सविधान गारा दा गर्न गारती क विरुद्ध है कमनिय विधेयक अवध है । कुछ दिन बाद संसद न डम सम्बध म सगाधित विधेयक का पारित किया और वही कानून बना ।

1970 म भारत सरकार न भूतपूर्व नरगा क विभागाधिकारा तथा उनका दी जान वारा प्रिवी पर्सों (Privy Purses) का अंत करन क निय सविधान क मशोरन हतु 24वा मशोधन विधेयक संसद म प्रस्तुत किया । इस विधेयक का नाकमभा न आवश्यक दा तिहाइ बन्मन म पारित कर दिया परंतु गायमभा म वह थानी मी कमा के कारण वाछित दा तिहाइ बन्मन प्राप्त नहा कर सका । उमक बाद सरकार न उमा उद्देश्य को प्राप्त करने क लिए राष्ट्रपति स एक अध्यात्म निकतवाया जिमक दंग सभी नरशा म मायता छीन ना गइ तथा उनक विभागाधिकारा एव पर्सों का अंत कर लिया । इस आदेश क विरुद्ध कुछ नरगा न सर्वोच्च यथातय म अपील की यथातय न राष्ट्रपति क आदेश को अवध घोषित कर लिया । यहा यह उलखनीय है कि अपन निणय म मुख्य यथाधिपति हिनयतुता न ता प्रिवा पर्सों का सम्पत्ति घोषित किया और कहा कि उनका अंत करन का अथ है सविधान द्वारा प्रदत्त मून अधिकारा म हस्तक्षेप । निश्चय ही सर्वोच्च यथातय का यह निणय एमा था जिम सामाजिक प्रगति क माग म राग माना जा सकता था । बन्तन इसी पृष्ठभूमि म 1971 के नाकमभा के मयावधि चुनाव म काग्रस की विजय क महत्व को ममभा जा सकता है । उन चुनाव के परिणामा स यह स्पष्ट है कि जनता सामाजिक और आर्थिक जीवन म परिवर्तन चाहती है । सर्वोच्च यथातय क निणय जनता की लोकतांत्रिक उच्छा क कायावयन म बाधक सिद्ध हुए है । फलत पिछन दिना म यथातय की प्रतिष्ठा का आक्षेप है । निम्नदेह यह स्थिति वाछनीय नहा है । अत इसका अंत करन क निय सविधान म 25व और 26व सगाधना क गारा संसद का उसकी प्रभसत्ता को दिनात का फिर स प्रयास किया गया है । सविधान म आवश्यक परिवर्तन और उसकी सीमा म रहन कानून बनाना संसद का अधिकार है और एसा जाना भी चाहिए । यथातय काइ विभागी संदन नही है उमका काम तो केवल सविधान का मर रण करना और कानून का अंतिम निवचन करना है ।

1972 म सर्वोच्च यथातय क समुख कंगवान न भारती का मुकामा जाया । मुन्त यह था कि क्या संसद न सविधान म 24 25 26 और 29व सगोधन करके अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है । इस सम्बध म मुख्य यथाधीश सीकरी न अपन निणय म कहा कि संसद को मून अधिकारा को समाप्त करन का अधिकार नही है । वह उह सगोधित कर सकती है उनका बदलती है परिस्थितिया क साथ तात मल बठाने क लिए उनम कुछ हेर पर कर सकती है तथा उह नियमित भा कर सकती है । किंतु इस प्रक्रिया म अधिकार नष्ट नहा हान चाहिए । सविधान के ढांच के अंदर उन तत्वा को भी सन्निहित बताया गया—सविधान की सर्वोच्चता सरकार का राजतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक स्वरूप देश की प्रभुसत्ता सविधान का धमनिरपेक्ष तथा सघात्मक ढांचा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता ।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद

वात 1973 की है। मूल अधिकारों से सम्बद्ध मुकदमों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने उस दिन घोषित किया था जिसके एक दिन बाद मुख्य न्यायाधीश सीकरी सेवा-निवृत्त होने वाले थे। अतः उनके स्थान पर एक नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। राष्ट्रपति ने इस पद पर ए० एन० राय को नियुक्त किया। परन्तु ऐसा करके उन्होंने तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशों—शेलेट, हेडगे और ग्रोवर—के इस पद पर नियुक्त होने के दावों की उपेक्षा कर दी। ए० एन० राय की इस नियुक्ति के विरोध में तीनों न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फलतः यह विचार सामने आया कि सरकार के इस काम से देश में लोकतन्त्र की हत्या हो गई है, कानून और न्याय की समूची इमारत ढहकर नीचे गिरने लगी है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रान्ति दल के अध्यक्ष चरणसिंह ने अपने एक भाषण में कहा कि देश शनैः शनैः अधिनायकतन्त्र की ओर जा रहा है। इसी प्रकार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ए० के० गोपालन और पी० राममूर्ति ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि 'तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से हमारे इस दृष्टिकोण को बल पहुँचा है कि सत्तावादी प्रवृत्तियाँ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं।' इसी प्रकार का मत भूतपूर्व न्यायाधीश के० एस० हेडगे ने अपने त्यागपत्र के बाद दिये गये सम्वाददाता सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतन्त्र के लिए आवश्यक सभी तत्त्व एक-एक करके नष्ट किये जा रहे हैं। देश में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव है, जागरूक लोकमत की अनुपस्थिति है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग साक्षर भी नहीं हैं, प्रेस की स्वतन्त्रता का भी धीरे-धीरे लोप हो रहा है क्योंकि आज प्रेस की स्वतन्त्रता का केवल एक ही अर्थ है और वह है सरकार की प्रशंसा करने की स्वतन्त्रता। चौथा आवश्यक तत्त्व है स्वतन्त्र न्यायपालिका, अब उसका भी सफाया कर दिया गया है।

भारत में न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच पाया जाने वाला विवाद 1973 में कोई यकायक उठकर खड़ा नहीं हो गया। वास्तव में उसका जन्म 1967 में उस समय हुआ था जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के मुकदमे में यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकारों, विशेषतः सम्पत्ति के अधिकार को सशोधित करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि सरकार और विपक्ष में से किसी ने भी इस विवाद के सम्बन्ध में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण इन शब्दों में नहीं किया है, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय से लेकर बराबर अब तक सरकार के इन दोनों अंगों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही है। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से भी इस संघर्ष का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हुआ है क्योंकि इस निर्णय में जहाँ मूल अधिकारों को सशोधित करने के संसद के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है, वहाँ उसमें यह भी कहा गया है कि वह इन अधिकारों को इस प्रकार सशोधित नहीं कर सकती जिसे संविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाये और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार अपने में सन्निहित माना है कि कोई भी सशोधन इस कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच पाये जाने वाले विवाद का अन्तिम समाधान हो चुका है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बद्ध विवाद को इसी पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में सरकार के लिए यह उचित ही था कि वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यताओं के अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान में रखे कि उनकी किस प्रकार के 'सामाजिक दर्शन' में जास्था है। इस सम्बन्ध में लोकसभा में सरकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करने हुए तत्कालीन उत्पात-मन्त्री मोहन कुमारमगलम ने कहा था कि न्यायाधीश के निर्णय उसके दृष्टिकोण एवं उसके दर्शन में प्रभावित होते हैं। 'हमारे लिए इसकी उपेक्षा करना भूर्वता होगा। अराजनीतिक न्यायाधीश जैसा अद्भुत व्यक्ति हमें कहीं नहीं दिखाई देता।' अपने भाषण में

कुमारमगनम न मून जधिकाग के मुकूम म यायाधीशा के निणया का उतख तिया और कहा कि य विभिन्न निणय तस वान क छानक है कि मून जधिकाग एव नीति निणयक सिद्धाना क सम्बध म इन यायाधीशा क दृष्टिकाण म ममानता नहा है । उहान कहा कि सरकार का यह वनव्य और अधिकाग है कि व एम निणय पर पहुँचन क पूव कि कोई यायाधीग सर्वाच्च यायालय को किसी निश्चित समय पर नवृत्व प्रदान कर अथवा नहा उमकी यायिक निष्ठा एव कानून के ज्ञान क अनिश्चित उसन दान एव उसक दृष्टिकाण का भी यान म रस । उहान कहा कि सरकार प्रतिबद्ध यायाधीग नहा चाहती । परंतु एस यायावाग अवश्य चाहती है जो जाग का ओर त्वन वान न पौछ की ओर नहा । कुमारमगनम न अपन भाषण म ब्रिटन कानून सयुक्त राय अमरीका और जास्टिनया जम लोकतांत्रिक दगा म राजनीतिक व्यक्तिया क यायाधीग क पद पर नियुक्त हान क उपाकरण दिय । परंतु उहान कहा कि भारत म एम सम्बध म स्थिति भिन्न रहा है यहा गजनीतिक पात्रिया क मदम्या का यायाधीश क पद पर नियुक्त नही किया जाता ।

भारताय सर्वोच्च यायालय का मूल्यांकन ✓

यह वान निविवात है कि मधाय शासन प्रणाना म सर्वोच्च यायालय जस अभिकरण की आवश्यकता है । भारत म सर्वोच्च यायालय न एम भूमिका को अग करन का प्रयान किया है और व त स मामला म उमकी य भूमिका प्रगसनाय भी रहा है । परंतु तना हान हुए भी एम सत्य म तनकार नही किया जा सकता कि आज क युग क मुख्य प्रान पर जा नम्पत्ति क अधिकार क माय सम्बद्ध है उमका दृष्टिकाग रुढिजाता रहा है । ऊपर गानवनाय वकी का राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पेशों के मुनत्मा का उतख किया जा चुका है तन सभा मामला म यायालय का दृष्टिकाण यथास्थिति का कायम रखन क पक्ष म था । उमका बदलन क पक्ष म नग था । अपन इस दृष्टिकाण के वावजूत भी सर्वोच्च यायालय का आज तक जनसाधारण न सामाय रूप स सम्मान ही प्रदान किया है उम जना जानाचना एव ब्राव का गिकार नहा बनाया है । वस्तुत एमा हाना स्वाभाविक भी था क्याकि भारतीय सविधान यायशाक्तिका ही असीमित शक्ति प्रदान नग करता तथा भारत म मून अधिका के स्वरूप भा उतना टु सगाय नही है जितना कि वह मयुक्त राय अमरीका म पाया जाता है । मविधान की यह दुम्सगी यता इस वान की गारणनी है कि भारत म यायाधीशा का सरकार कभी कायम नहा हा मकेगी । परत एमका अभिप्राय यह कतायि नग है कि भारत न सारिधार्तिक शासन म सर्वोच्च यायालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण नहा हो सकता । तस सम्बध म अनादी कृष्णास्वामी अय्यर का यह कथन उद्धरणाय है— भारतीय सविधान का आगामी विकास एक बनी सीमा तक सर्वोच्च यायालय क काम तथा एस विकास का यायालय द्वारा निष्ठा गई दिशा क उपरनिभर करगा । समय समय पर सविधान क निवचन क समय सर्वोच्च यायालय का उन परस्पर विरोधी शक्तिया का सामना करना पड़ेगा जो तत्कालीन समाज म काम कर रही हंगी । जहा उसका काम सविधान की वारशा करना है वहा वह अपन कताया क निष्पादन म अपन समय की सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक प्रवृत्तिया का उपभा नही कर सकता । उम निष्ठा पन्न वानी परस्पर विरोधी शक्तिया क वाच म सन्तुनन कायम रखना है ।

प्रश्न

- 1 यायायालिक का स्वतन्त्रता का रथा करन क लिए सविधान म क्या प्राविधान किए गय है ?
- 2 सर्वोच्च यायालय का अधिकार क्षेत्र बताय ।
- 3 मल अधिकारा के संरक्षक क रूप म सर्वोच्च यायालय का भूमिका बताय ।

राज्य और संघीय क्षेत्रों का शासन

(GOVERNMENT OF THE STATES AND THE UNION TERRITORIES)

यद्यपि सविधानकारो ने समूचे सविधान मे किसी एक भी स्थान पर 'सघवाद' (Federalism) शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सविधान सभा मे 'सघवाद' के सारतत्त्व की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई थी, तथा अन्त मे जब सविधान बनकर सामने आया तो उसमे 'सघवाद' के तत्त्व आसानी से अवलोकित किये जा सकते थे। सविधान मे भारत को राज्यों का सघ (Union of States) बताया गया है तथा इस सघ अथवा घूनियन मे जो राज्य सम्मिलित है उनके नाम सविधान की प्रथम सूची मे उल्लिखित है। विश्व के अन्य सविधानो से भिन्न आरम्भ मे भारतीय सघ की इन इकाइयो को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया गया था—'क' श्रेणी के राज्य, 'ख' श्रेणी के राज्य तथा 'ग' श्रेणी के राज्य। सघात्मक शासन प्रणाली के इस जटिलस्वरूप की यथार्थ मे उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है जिनमे भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। परन्तु राज्यों का इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत दिन नहीं चल सकता था, उनका पुनर्गठन आवश्यक था। यथार्थ मे पुनर्गठन की यह प्रक्रिया आरम्भ से ही शुरू हो गई थी। 1956 मे इसका पहला परिणाम सामने आया, किन्तु उससे देश के जनमानस को पूर्णरूप से सन्तोष नहीं मिल सका। अत यह काम वाद तक चलता रहा। फलत भारतीय सघ मे आज 21 राज्य है।¹ इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रदेश हे जो वैधानिक दृष्टि से केन्द्र के आधीन है, इन्हे 'केन्द्र प्रशासित प्रदेश' कहा गया है।

भारतीय सघ के इन राज्यों के सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि सयुक्त राज्य अमरीका के राज्यों की भाँति इनका अपना अलग सविधान नहीं है। यदि इसका कोई अपवाद हे तो वह जम्मू-कश्मीर का राज्य है जिसे अपना अलग से सविधान बनाने का अधिकार दिया गया है। समूचे देश का एक ही सविधान है और इस सविधान मे ही राज्य सरकारो की शासन-व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। केन्द्र की सरकार की ही भाँति राज्यों की शासन-प्रणाली भी ससदीय प्रकार की उत्तरदायी शासन-प्रणाली है। सविधान मे इन राज्यों का कार्यक्षेत्र पहले से ही परिभाषित कर दिया गया है। साधारणत यह वह क्षेत्र हे जिसमे केन्द्र सरकार उनके मामले मे हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ राज्यों की शासन-प्रणाली की विवेचना आवश्यक हे।

राज्यों की कार्यपालिका (State Executive)

जैसा कहा जा चुका हे कि राज्यों मे कार्यपालिका का सगठन केन्द्र की भाँति ही किया गया हे। फलत राज्यों की कार्यपालिका को भी दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है— औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य मे सामान्यत औपचारिक

¹ इन राज्यों के नाम इस प्रकार है—(1) आंध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) जम्मू और कश्मीर, (8) केरल, (9) मध्य प्रदेश, (10) महाराष्ट्र, (11) वनाटक, (12) नागालैण्ड, (13) उड़ीसा, (14) पंजाब, (15) राजस्थान, (16) तमिळनाडु, (17) त्रिपुरा, (18) उत्तर प्रदेश, (19) पश्चिमी बंगाल, (20) मणिपुर, (21) मेघालय।

कायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है यद्यपि एम उदाहरण में जबकि राज्यपालाना न अपन पद की मर्यादा का उत्तरदायन किया है। मन्त्रिमण्डल में राज्य की वास्तविक कायपालिका शक्तियां निहित हैं। यहाँ इन दोनों प्रकार का कायपालिका का समोपार्जक प्रस्ताविक नहीं होगी।

1. राज्यपाल का पद तथा उसका उभरता ह्रा स्वल्प

संविधान के अंतर्गत राज्य की कायपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्य का शासन यथाथ में उन्हीं के नाम में परिचालित होता है। जब संविधान सभा में राज्य के अध्यक्ष के पद पर विचार किया जा रहा था तब यह प्रस्तावित किया गया था कि राज्यपाल का निर्वाचन सम्बद्ध राज्य की जनता के द्वारा होना चाहिए। परंतु इस सुझाव का संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। सभा का मत था कि जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल तथा विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी मुख्य मंत्री के बीच सह-अस्तित्व सम्भव नहीं है। यही नहीं 1947 में तब 1949 तक शासन के संचालन का जो अनुभव संविधानकारों ने प्राप्त किया था उसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि यदि एक में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है तो यह आवश्यक है कि राज्यपाल के अतिरिक्त राज्य का जोवनकारी सांविधानिक कर्तव्य रूप में काम करे। अतः यह निष्कर्ष किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति सहाय कायपालिका के द्वारा होना चाहिए तथा उस पद-युक्त करने का अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए। व्यवहार में इसका अर्थ था कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय के द्वारा होगी। परंतु इस सम्बन्ध के कानूनी म एक परम्परा विकसित हुई जिसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करने में पूर्व सभ की सरकार सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्री में परामर्श लेनी था। परंतु इस परिपाटी का सभी जगह पालन नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर सरकार ने जब श्रीप्रकाश को मन्दास का राज्यपाल नियुक्त किया था तब उसने वहाँ के मुख्य मंत्री में परामर्श नहीं किया था। इस प्रकार उदास में जब कुमारस्वामी राजा का राज्यपाल नियुक्त किया था तो उस समय भी वहाँ के मुख्य मंत्री से सलाह नहीं मांगी गयी थी। यह स्थिति उस समय थी जब श्री नेहरू दल के प्रधानमंत्री थे। जबकि कांग्रेस दल की सरकारें दश के सभी राज्यों में स्थापित थीं। स्पष्ट काश्मीर मुख्य मंत्रियों में नेहरू जी का विरोध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। परंतु श्री नेहरू के निधन के उपरान्त विगत चौदह आम चुनाव के उपरान्त इस स्थिति में एक मौनिक परिवर्तन उपस्थित हुआ। इस नया पृष्ठभूमि में यदि किसी राज्य में मुख्य मंत्री के परामर्श के बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाती तो उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी। इस सम्बन्ध में पश्चिम में उद्योग में मुख्य मंत्री एवं राज्यपाल के पारस्परिक सम्बन्ध का उदाहरण दिया जा सकता है। इस राज्य में वसुदेव का राज्यपाल के पद पर राज्य सरकार के परामर्श के बिना नियुक्त किया गया था। मार्च 1969 में मुख्य मंत्री अजय मुखर्जी ने कर्नाट में धर्मवीर को वापिस चुनाव का आग्रह किया क्योंकि वहाँ राज्य के प्रशासन का मन्त्रिमण्डल के सहयोग के साथ संचालित करने में असमर्थ था। परंतु कर्नाट ने इस माँग को यह कहकर ठुकरा दिया कि सभ सरकार इस परिपाटी के विरुद्ध है कि राज्य सरकारों की वृद्धि के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति का आग्रह। परंतु कर्नाट सरकार को वापस में यह करने के तौर पर होना पना।

राज्यपाल की नियुक्ति में सम्बद्ध सांविधानिक व्यवस्था एवं उसका अभिसमया की विवेचना में स्पष्ट है कि भारतीय प्रणाली सहाय शासन प्रणाली के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यदि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यपाल को औपचारिक कायपालिका बनाना अभीष्ट था तो ऐसा उस राज्य विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित कराकर भी किया जा सकता था। यथाथ में राज्यपाल की नियुक्ति को प्रचलित प्रणाली उस औपचारिक कायपालिका का भूमिका अर्थ करने की अपेक्षा सभ सरकार के अभिकता की भूमिका अर्थ करने के लिए विवक्षित करती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ

सविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों को चार शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है (अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ (स) वित्तीय शक्तियाँ, (द) न्यायिक शक्तियाँ।

(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ—जैसा कहा जा चुका है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गई हैं। उमका यह अधिकार है कि मन्त्रिमण्डल उसे अपने निर्णयों से अवगत कराये तथा उसे राज्य के प्रशासन में सम्बद्ध सूचनाये प्रदान करे। मुख्य मन्त्री की नियुक्ति उम्मी के द्वारा होती है तथा मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर वह अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मुख्य मन्त्री की अभ्यर्थना पर वह राज्य के अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे, एडवोकेट जनरल तथा लोकमेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की परिधि में वे सभी विषय आते हैं जो सविधान की सातवी अनुसूची में उल्लिखित हैं और जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। जहाँ तक ममवर्ती सूची में दिये हुए विषयों का सम्बन्ध है, राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति के अधीन माना गया है।

(ब) विधायी शक्तियाँ—सविधान ने राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल का एक अंग बनाया है तथा उसकी रचना में उसे कुछ भूमिका प्रदान की है। 333वें अनुच्छेद के अन्तर्गत वह राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को उम स्थिति में मनोनीत कर सकता है, यदि उसकी राय में डम समुदाय के लोगों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। 1969 में पारित 23वें संशोधन ने राज्यपाल की इस शक्ति को थोड़ा मर्यादित कर दिया है, अब वह एक नए अधिक सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पायी जाती है, उनमें राज्यपाल को विधान परिषद् में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, महकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में स्याति अर्जित की हो। सविधान की 192वीं धारा में यह व्यवस्था की गई है कि यदि विधान सभा का कोई भी सदस्य 191वें अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसके सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु निर्णय लेने के पूर्व राज्यपाल के लिये यह आवश्यक बताया गया है कि वह उसके सम्बन्ध में चुनाव आयोग की राय जान ले। राज्यपाल को विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों के आकस्मिक तरीके से रिक्त हो जाने की स्थिति में यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्थायी प्रबन्ध के न होने तक सभा की बैठकों में अध्यक्षता करने के लिये किसी सदस्य को मनोनीत कर दे। इसी प्रकार वह विधान-परिषद् में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के रिक्त हो जाने पर अस्थायी अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है।

राज्यपाल को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अथवा किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को अलग-अलग सम्बोधित करने का अधिकार है। सामान्यतः वह विधानमण्डल के अधिवेशन के आरम्भ होते समय उसके संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण करता है, वास्तव में यह अभिभाषण उसी प्रकार का है जैसे मधीय ससद में राष्ट्रपति का होता है।

राज्य विधानमण्डल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून उस समय तक नहीं बन सकता जब तक कि उसे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाये। इन विधेयकों को राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है, उन्हें वह स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है तथा उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए मुरक्षित रख ले। उसके अतिरिक्त सविधान ने उसे यह अधिकार भी मीपा है कि वह उन विधेयकों को अपने सुझावों के साथ व्यवस्थापिका को नीटा दे। परन्तु यदि विधानमण्डल उन्हें दुबारा उम्मी रूप में पारित कर दे तो उन स्थिति में राज्यपाल उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए विवश है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि

रायपान का धन विधयक का नौगान का जविरार नहा । काइ भी धन त्रियेक विधानमभा म उम समय तव प्रस्तत नहा किया जा मरता जउ नर सि उस पारित करन की अभ्ययना पर रायपान क ह्स्ताशर न हा ।

सविधान रायपान को अध्यादेश जारा करन का भा अधिकार प्रदान करता ह । एसा उम समय किया जा मरता है जबकि राय क विधानमण्डल का अधिकार न हो रहा हा । रायपान जारा जारी किय गय अध्यादेश का वहा बधता प्राप्त है जा विधानमण्डल जारा पारित कानून का मिती हुई हानी है । परंतु यह विधानमण्डल क अधिकार क प्रारम्भ होत क उ मनीन वाद केवन उस स्थिति म प्रभावगाना हा सकता है यदि उम विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त हा जाय ।

(स) वित्तीय शक्तियाँ—सविधान न राय की वित्तीय यवस्था का नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व रायपान को मापा है । एम सम्बन्ध म उम जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं व हैं (i) को भी धन विधयक रायपान की पूव अनुमति क बिना राय की विधान सभा म प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । (ii) रायपान राय के वजट को विधान सभा म प्रस्तुत कराता है । (iii) राय की आकस्मिकता निधि का नियंत्रण रायपान क अधिकार म है । एम निधि म स वह राय की सरकार का आकस्मिक व्यय क लिए अधिम राशि ले सकता है परंतु एमकी वाट म राय विधान सभा जारा पुष्टि आवश्यक है ।

(द) न्यायिक शक्तियाँ—सविधान की 161वा जारा न रायपान का कुछ एसी शक्तियाँ माँपा है जिनकी प्रकृति अध-न्यायिक है । एसम कहा गया है कि रायपान उन विषया स सम्बद्ध अपराधा म जा राय की कायानिका शक्ति का परिशि म आत है अपराधियों को क्षमा कर सकता है तथा उनकी सजा म कमी जयवा परिवर्तन कर सकता है । यहा यह नानय है कि रायपान को किसा एस अपराधी को क्षमा करन का अधिकार नहा है जिनम सघ सरकार क कानून का उल्लंघन किया है एम अपराधी को क्षमा करन की शक्ति केवन राष्ट्रपति का दी गई है ।

निष्पत्त—सविधान क उपयुक्त प्राविधाना स एसा जगता है कि रायपान राय की वास्तविक कायपानिका है तथा उसकी स्थिति ब्रिटिश नामनकान क प्राता के गवर्नरा म मिनीनी जुगती है । परंतु सामान्यत एस नही है । रायपान स आम तीर पर एस बात की अपस्था का जाती है कि वह अपनी शक्तियाँ का कार्यावयन मंत्रिमण्डल के परामर्श पर करगा । सविधान क 163व अनुच्छेद की पहला उप धारा म लिखा है कि— रायपान के कार्यों क निष्पादन म सहायता एव परामर्श लेने के लिए एक मंत्रिमण्डल हागा जोर वह उस केवन उन विषया को छात्रर—जिनम उसस सविधान के द्वारा जयवा सविधान क अतगत अपन विवक सं काम करने का अप ना की जाती है सभी अन्य विषया म सहायता करेगा । यह वतान की आवश्यकता नहा कि एस प्रकार का प्राविधान राष्ट्रपति क सम्बन्ध म नही पाया जाता । परंतु साधारण कान म सविधान न रायपान का माँपा एसा काय नहा सोपा है जिनकी कार्याविति वह अपन विवेक स कर सत । एसका केवन एक अपवाट है जोर वह है जसम वा राज्यपान जिस केवन कवायनी एव सीमात क्षत्रा क प्रशासन क संचालन म अपन विवक का प्रयाग म जाने की छूट दी गई है । एसके अतिरिक्त रायपान को अपन विवक क जारा यह भी निश्चित करन का अधिकार है कि मुख्य मंत्री क पद पर किसका नियुक्त किया जाय विधान सभा का भग किया जाय जयवा नही तथा राय म साविधानिक यवस्था क भग हा जान का प्रतिबदन राष्ट्रपति क पास किस प्रकार भेजा जाय । एस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यत रायपान स यह आगा की जाती है कि वह राय क प्रशासन म औपचारिक अयत की भूमिका अदा करगा । यह ठीक है कि सविधान म वही यह नही लिखा है कि रायपाल का प्रत्येक स्थिति म अपन मंत्रिया का परामर्श स्वीकार करना चाहिये । परंतु ससतीय शासन प्रणाली के अतगत जिस भारत म अपनाया गया है यन् आवश्यक है कि कुछ अपवाटपूर्ण परिस्थितियाँ को छोडकर साधारणत रायपान को अपन मंत्रिमण्डल क परामर्श स ही काम करना चाहिये । ससदीय प्रणाली क अतगत औपचारिक जयक्ष अपने द्वारा

निष्पादित कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं होता, उसमें उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का ही होता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वास्तविक शक्तियाँ उस अभिकरण में निहित हों जिसके पास उन शक्तियों के निष्पादन का उत्तरदायित्व है। चूँकि राज्यपाल के पास कोई वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं है, अतः अपवादपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। सविधान सभा में तो डा० अम्बेदकर ने यहाँ तक कहा था कि शक्तियों की बात तो दूर है, राज्यपाल के तो कोई काम भी नहीं है, उसके तो केवल कर्तव्य है। उन्होंने राज्यपाल के दो कर्तव्य बताये थे—(1) मन्त्रिमण्डल को सत्ता में बनाये रखना और यह देखना कि वह इस सम्बन्ध में अपने विवेक को प्रयोग में कब लाये, तथा (2) मन्त्रिमण्डल को परामर्श देना, उसे चेतावनी देना, उसे विकल्प सुझाना, तथा उससे पुनर्विचार की माँग करना। के० एम० मुन्शी ने कहा था कि 'राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में राजा अथवा रानी की है।' टी० टी० कृष्णमाचारी ने यह मत व्यक्त किया था कि राज्यपाल केवल 'सांविधानिक अध्यक्ष हैं जिसके पास वास्तविक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।' अपने एक लेख में एच० वी० कामथ ने राज्यपाल के पद पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वह 'उम कठपुतली से कुछ अधिक है जिसे एक तरफ से मुख्य मन्त्री नियन्त्रित करता है तथा दूसरी तरफ से राष्ट्रपति, जिसका अर्थ है वास्तव में प्रधानमन्त्री।' वस्तुतः 1950 से लेकर 1957 तक राज्यपाल इतने शक्तिहीन थे कि कुछ राज्यपाल स्वयं अपने भाग्य को कोसने लगे थे और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि उनके पद का कोई महत्त्व नहीं है। अपने एक लेख में डा० के० वी० राव ने सरोजिनी नायडू का यह वाक्य उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने अपने आपको 'सोने के पिण्ड में बन्द चिड़िया' बताया था। डा० राव ने अपने इस लेख में यह भी लिखा है कि मुख्य मन्त्री भी राज्यपालों को कोई विशेष महत्त्व नहीं देते थे, तथा कुछ राज्यपालों ने इसकी नेहरू जी से शिकायत भी की थी। परन्तु इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उल्टे नेहरू जी ने इन राज्यपालों से कहा कि उनकी शिकायत का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि डी० एम० के० जैसी पार्टियों ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की माँग की थी तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह तो तम्बोर का केवल एक पहलू है। यह ठीक है कि राज्यपाल के कार्य सामान्यतः औपचारिक हैं और उनका निष्पादन भी आम तौर पर मन्त्रियों के परामर्श पर ही होता है। किन्तु जैसा कहा जा चुका है कि कुछ स्थितियों में उसे अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की छूट भी दी गई है। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जबकि आम चुनाव के बाद राज्य विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा मत्तारुह दल में फूट पड़ गई हो। ऐसे अवसरों पर यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि मुख्य मन्त्री किमको बनाया जाये। स्पष्टतः ऐसी स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की पूरी छूट है। चौथे आम चुनाव से पूर्व भी इस प्रकार की स्थिति कम से कम तीन बार उत्पन्न हुई थी। सर्वप्रथम 1952 में मद्रास विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। परन्तु वहाँ के राज्यपाल ने राजगोपालाचारी को मुख्य मन्त्री बनाया, यद्यपि वह विधान मण्डल के सदस्य भी नहीं थे। 1957 में यह स्थिति केरल और उड़ीसा में पैदा हुई और इन राज्यों के राज्यपालों ने अपने विवेक के आधार पर मुख्य मन्त्री का चयन किया।

राज्यपाल मध्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में

जब किसी राज्य में सांविधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो उस समय भी राज्यपाल की शक्ति औपचारिक न होकर वास्तविक हो जाती है। जब कोई राज्यपाल सविधान की 356वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पास इस आशय का प्रतिवेदन भेजता है कि राज्य का शासन सविधान

क प्राविधाना क अनुसार मवानित नहा किया जा सकता उम समय स्पष्ट नह अपन विवेक के अनुसार ली जाकरण करता है। वस्तुतः जुलाई 1959 म जब कन्न क रायपान रामकृष्ण राव न राष्ट्रपति क पास अपना प्रतिबदन भजा था ता उन्हान मुख्य मन्त्री इ एम एम नम्बूत्तिरीपाद स काइ परामन नली किया था। मुख्य मन्त्री न स्पष्ट नाना म वस वात की गिकायत भी का थी। यही नहान यन्ति 356व अनुच्छेद क अगत राय क शासन का उत्तरदायित्व कन्न अपन हाथा म न रता है उम समय रायपान का स्थिति औपचारिक नामक की नही रहती वह तब वाम्त्विक नामक जन जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रायपान क जनक उत्तरदायित्व है और उह पूरा करने समय वह मन्त्रिमण्डल क परामन का उपस्था भी कर सकता है। इस तथ्य का प्रमाणित करने क लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकत है। उदाहरण क लिए रायपान को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधानमण्डल द्वारा पारित किया भा विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति क लिए सुरक्षित रख सकता है। यह बात आम तौर पर कही जाती है कि करन क रायपान न वहा क गि ना विधेयक (1957) को राष्ट्रपति की अनुमति क लिए सुरक्षित करते समय अपन मन्त्रिमण्डल का परामन नहा किया था। फिर वाट म उहान जब मन्त्रिमण्डल को पदयुक्त करने का प्रतिबदन राष्ट्रपति क पास भजा ता उम समय भी उन्हाने मुख्य मन्त्री अथवा मन्त्रिमण्डल का अपन विश्वास नहान किया था। उक्त दावा अवसरा पर यह कहा गया था कि रायपान न राय क साविधानिक अन्वय की भूमिका अना न करके कन्न क अभिकर्ता की भूमिका अदा की थी।

चौथे आम चुनाव क बाद रायपाल की भूमिका—चौथे आम चुनाव क बाद दश का राजनीतिक स्थिति म मौलिक परिवर्तन उपस्थित हुए। न चुनाव क बाद कांग्रेस का राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया तथा देश के जनक राय म गरवाग्रसी भित जुल मन्त्रिमण्डल का स्थापना हुई। न मन्त्रिमण्डल की रचना किसी वच्चारिक साम्य क आधार पर नहान हुई थी उनका यन्ति कोई आधार था ता वह था कांग्रेस विराधवाट। इस स्थिति म यह स्वाभाविक ही था कि नम सत्ता एव पला के लिए मन्त्रिमण्डल म शामिल दना क बीच सघष एक तनाव की स्थिति पायी जाती। य दन मामायन सरकार का समथन उस समय तक करत न जब तक कि उट सरकार स कुच्छ पान की जाशा हाता था और जन ही उसकी जागा धूमित हा जाती थी क अपना समथन वापिस न रत न। इस प्रकार एक क बाद नमरे सयुक्त मोर्चे क मन्त्रिमण्डल का पतन हाता गया। मार्च 1967 स नकर मार्च 1972 तक देश क विभिन्न राया म 24 बार सरकार का पतन हुआ तथा 15 बार राया म राष्ट्रपति शासन नाभू किया गया। राय विज्ञान मभाजा क 5वें आम चुनाव क पूव देश क मान राय राष्ट्रपति शासन के अधान थ। नम कान म दन बदल मनावृत्ति अपनी चरम सीमा पर थी। जत इस स्थिति म यह अपना भी नहा की जा सकती थी कि राया म कोई स्थायी मुख्य मन्त्री और कोई स्थायी मन्त्रिमण्डल काम कर सकगा। स्पष्ट वस स्थिति म रायपाना स भी यह आशा नहा की जा सकती थी कि व सविधान क 163वें अनुच्छेद क अनुसार मन्त्रिमण्डल के परामन पर ही काम करगे।

जब तक विधानमभा म किसी एक दन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और उसम अपन दन क नेता का चुनन की क्षमता थी तब तक रायपान क लिए स मामन म अपने विवेक को प्रयोग म नान की कोई गजाडग नहा थी। परंतु जब दो या तीन दन अथवा उनके गठबंधन बहुमत क समथन का दावा करत हा अथवा अपन को मन्त्रिमण्डल की रचना करने का अधिकारी बतात हा ता उम समय रायपान का यह काम हा जाता है कि वह निश्चित कर कि मुख्यमन्त्री किस बनाया जाय। चौथे आम चुनाव क उपरान्त इस प्रकार के मामन अनेक बार प्रस्तुत हुए है।

एक दूसरा मामना जिसम रायपाना न अपन विवेक का प्रयोग किया है वह व्यवस्थापिका क सदन अथवा सदन के अधिवेशन का बुलाना अथवा उनका समापन करना जववा उह भग करने स सम्बद्ध है। जब राया क शासन म स्थायित्व पाया जाता था नम शक्ति का प्रयोग

मुख्य मन्त्री के परामर्श से होता था, परन्तु सयुक्त विधायक दलों के मन्त्रिमण्डलों के युग में जब कोई मुख्य मन्त्री विधान सभा में बहुमत का समर्थन अपने दल के सदस्यों के दल-वदल के कारण अथवा मयुक्त मोर्चे के किसी घटक के उससे हट जाने के कारण खो देता था, तो उसे यह प्रलोभन होता था कि वह कुछ दिनों अपने पद पर बना रहे ताकि विरोधी सदस्यों को लालच देकर वह अपने साथ ले सके और व्यवस्थापिका में अपने बहुमत को दुबारा कायम कर सके। यदि मुख्य मन्त्री ने बहुमत का समर्थन विधानमण्डल के अधिवेशन के समापन के फौरन बाद खोया है तो वह सविधान की 174 (1) वी धारा के अनुसार छ महीने तक विधान सभा के अधिवेशन बुलाये बिना अपने पद पर बना रह सकता है। कुछ मामलों में राज्यपालों ने मुख्य मन्त्री से कहा कि वे विधान सभा के अधिवेशन को बुलाकर यह पता लगाये कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि मुख्य मन्त्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग करके उसे पदच्युत कर दिया। इस प्रकार की घटना सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में घटी। वहाँ डा० पी० सी० घोष के नेतृत्व में 17 विधायकों ने अजय मुखर्जी के नेतृत्व में गठित सयुक्त मोर्चे की सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। राज्यपाल धर्मवीर ने मुख्य मन्त्री से कहा कि 23 नवम्बर, 1967 तक विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर अपनी स्थिति का परीक्षण करे। मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल का परामर्श यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि विधान सभा का अधिवेशन छ महीने की अवधि में कभी भी बुलाया जा सकता है तथा वह राज्यपाल के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर डा० पी० सी० घोष को नियुक्त कर दिया। यदि अन्य राज्यों में राज्यपालों ने समान परिस्थिति में ऐसा किया होता तो सम्भवतः पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के कार्य की आलोचना न की जाती। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। लगभग उसी समय जब धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल को पदच्युत किया, बिहार में राज्यपाल अनन्त शयनम आगरा ने अपने राज्य के मुख्य मन्त्री से यह आग्रह नहीं किया कि उन्हें विधान सभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए। यद्यपि वहाँ भी एक बड़ी सरया में मयुक्त मोर्चे के घटकों में से दल-वदल हुए थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल गोपाल रेड्डी ने भारतीय क्रान्ति दल के नेता चरणसिंह की विधान सभा को बुलाने की माँग को उस समय ठुकरा दिया था जबकि कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी तथा मुख्य मन्त्री चन्द्रभानु गुप्त को विधान सभा का केवल अल्पमत का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त ऐसे मुख्य मन्त्रियों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल के लिए सकट उपस्थित होने पर स्पीकर के द्वारा विधान सभा के अधिवेशन का स्थगन करवा दिया और फिर राज्यपाल के द्वारा उसका समापन करवा दिया।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राज्यपालों ने अपनी इन सांविधानिक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जिससे उनकी राजनीतिक निष्पक्षता की अभिव्यक्ति होती हो। अतः यह स्वाभाविक ही था कि गैर-कांग्रेसी दलों के नेता राज्यपालों के इन कार्यों की आलोचना करते। इस सदर्भ में देश के राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की पर्याप्त रूप में चर्चा हुई है। नम्बूदिरिपाद ने कहा है कि सामान्यतः राज्यपाल के पद पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जो या तो कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके हैं अथवा जो भारतीय मिजिल सर्विस के सदस्य रह चुके हैं। इन दोनों श्रेणियों में से किसी से भी निष्पक्षता के साथ काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पहली श्रेणी के लोग जो हमेशा राजनीति में रहे हैं, 'राजनीति एवं दलों से ऊपर' नहीं रह सकते। दूसरी श्रेणी के राज्यपालों में 'जिन्होंने समान न्यायमूर्ति के माध्यम से ब्रिटिश एवं कांग्रेसी शासकों की सेवा की है', इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे राजनीति विवादों में तटस्थ रह सकेंगे।

उपर्युक्त वाद-विवाद के मन्दर्भ में कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि राज्यपालों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश (Guidelines) होनी चाहिये। परन्तु इसमें समस्या का समाधान हो सकेगा, यह बात नन्देहान्पद है। कुछ समय पूर्व आयोजित एक परिचर्चा में

उप राष्ट्रपति और गांधी स्वयं पाठन में यह मत व्यक्त किया था कि बहुत सम्भव है कि हिंसायता और सविधान की व्यवस्थाओं में बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाये उस हानत में वह 'यावक' ध्यायों की कसौटी पर खरी नहीं उतार सकेगी; इसमें अनिश्चित इस प्रकार की हिंसायता से चाहें उनमें कितना ही अधिक 'यौरा' क्या न हो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। वास्तव में ये समस्याएँ इसलिए पन्ना नहीं हूँ है क्योंकि सविधान की व्यवस्था अस्पष्ट है। सच बात यह है कि इन समस्याओं में जन्म के लिए भारत में जातिगत युग में प्रचलित सिद्धांतहीन राजनीति ही उत्तरदायी है जिसमें प्रत्येक राजनीतिक समुदाय ने अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के सम्भव अवसरवाद का परिचय दिया है। अतः यदि देश में सविधान की व्यवस्थाओं का वायावयन अपेक्षित है तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के अनुशासन को एक वास्तविकता रूप दिया जाये तथा ससदीय शासन तंत्र में नियमों का मानदण्डों के साथ पालन किया जाये।

2 मंत्रिपरिषद्

सविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य में राज्यपाल को उन विषयों को छोड़कर जिनमें वह अपने विषय में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगा। मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति के लिए जापद्विती प्रस्ताव गढ़ है वह निम्नलिखित है।

राज्यपाल मुख्य मंत्री को नियुक्त करता है। इस नियुक्ति का करत समय राज्यपाल को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि जिस व्यक्ति का मुख्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा रहा है उस विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। राज्य में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री की सिफारिश पर होती है। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधान सभा में सदस्य हों कि तु यदि कोई मंत्री नियुक्त होने से पूर्व राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह छ महीने के भीतर सदस्य बन जाये अथवा वह अपने पद पर तना नहीं रह सकेगा। मंत्रियों में विभागों का वितरण मुख्य मंत्री के द्वारा किया जाता है।

सविधान में राज्य की कार्यपालिका गतिविधियों को वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद् में निहित किया है। यद्यपि शासन का परिचालन राज्यपाल के नाम से होता है तथापि यथायथ सभी विषय मंत्रियों के द्वारा निपटे जाते हैं और सामान्यतः राज्यपाल उन विषयों को कार्यवाहित करने के लिए वाय्य है। मुख्य मंत्री का यह काम है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के विषयों में अवगत कराये तथा उसने ममक्ष विधायन के प्रस्ताव प्रस्तुत करे। यदि राज्यपाल का किसी विषय में सम्बद्ध कार्य अधिक जानकारी हासिल करने है तो वह मुख्य मंत्री से इस बात का आग्रह कर सकता है कि वह उसे पूरी जानकारी दे। राज्यपाल मंत्रिपरिषद् का परामर्श दे सकता है और वह उसे चलावनी भी दे सकता है। सविधान के अनुसार मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद का न में ही बन रहे सकते हैं। दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है कि राज्यपाल यदि चाहें तो किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। परंतु ऐसा इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद् को सविधान में विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बताया है और 'नोमिनेट' में वास्तविक गतिविधियों उसको सीधी जानी है जिसके पास उनका निष्पादन में उत्तरदायित्व है।

सविधान की 164 (2)वाँ धारा में लिखा है कि मंत्रिपरिषद् अपने कामों के लिए सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्री अपने पद पर बंधन उस समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। उन्हें उम्मीद बठना तथा उसका कार्यवाहिया में भाग लेने का अधिकार है। वे उसकी बैठक में सरकारों विषयों का प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होता है।

राज्य के विधानमण्डल को मन्त्रियों के कार्यों की देख-रेख करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने के लिए वे सभी साधन उपलब्ध हैं जो किसी भी ससदीय लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका सदनों को दिये जाते हैं। ये सूचनाएँ पाने के लिए मन्त्रियों से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार के कार्यों की आलोचना करने के लिए उन्हें स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अन्ततः उन्हें मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने का भी अधिकार है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि मन्त्रिमण्डल की रचना में व्यवस्थापिका की भूमिका होती है तो उनको मारने में भी उसका हाथ कुछ कम नहीं होता। परन्तु जहाँ यह सही है, वहाँ दूसरी तरफ यह भी सच है कि मन्त्रि-परिषद् के सदन विधानमण्डल में बहुसंख्यक दल अथवा दलों के गुट के नेता होते हैं। अतः उनके लिए विधान सभा के सदस्यों को प्रभावित करना कोई कठिन बात नहीं है। अपने इसी प्रभाव के आधार पर उन्हें सामान्यतः अपने सभी विधायी प्रस्तावों को पारित करवाने में सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि दलीय अनुशासन कठोर है तथा विधान सभा में सरकार का बहुमत स्पष्ट है तो मन्त्रि-परिषद् के लिए अपने अस्तित्व के लिए चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में विधान सभा को मन्त्रि-परिषद् को अपदस्थ करने का अवसर केवल तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार के विधानमण्डलीय समर्थक विश्वास के योग्य नहीं है, उस स्थिति में उनसे दल-वदल करवाकर सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है।

3 मन्त्रि-परिषद् में मुख्य मन्त्री का स्थान

जैसा कहा जा चुका है कि भारत में केन्द्र और राज्यों दोनों में ससदीय प्रकार की कार्य-पालिका को अपनाया गया है। अतः मोटे तौर पर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा उसके वही काम हैं जो सघ की सरकार में प्रधानमन्त्री को दिये गये हैं। प्रधानमन्त्री की ही भाँति मुख्य मन्त्री भी अपने मन्त्रिमण्डल के साथियों को चुनता है और वही उनके बीच विभागों का वितरण करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह यदि चाहे तो किसी मन्त्री को उसके पद से हटा सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर वह मन्त्रियों के विभागों में हेर-फेर कर सकता है। उसी के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्यान्वित होता है। वह मन्त्रि-परिषद् तथा राज्यपाल और व्यवस्थापिका एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी है।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल औपचारिकता है। वास्तव में ऐसे मुख्य मन्त्री थोड़े हुए हैं जिन्होंने नेहरू जी अथवा शास्त्री जी अथवा इन्दिरा गांधी की जैसी शक्तियों का उपभोग किया हो। इस प्रकार के मुख्य मन्त्रियों में पश्चिमी बंगाल में वी० सी० राय और उत्तर प्रदेश में गोविन्दवल्लभ पंत के नाम लिये जा सकते हैं। परन्तु इन मुख्य मन्त्रियों को जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वह संविधान की किसी व्यवस्था के कारण नहीं थी, अपितु उसका कारण उनके अपने नेतृत्व की क्षमता थी। स्पष्टतः यह प्रतिष्ठा उन मुख्य मन्त्रियों को नहीं मिल सकती थी जिनमें नेतृत्व के उन गुणों का अभाव था।

राज्य के विधानमण्डल

भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है, आठ राज्यों¹ के विधानमण्डलों में दो सदन पाये जाते हैं और शेष में केवल एक। राज्यपाल विधानमण्डल का आवश्यक अंग है। राज्यों के दूसरे सदन को 'विधान-परिषद्' का नाम दिया गया है और प्रथम सदन को 'विधान सभा' का।

¹ ये आठ राज्य हैं—बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जम्मू-काश्मीर। पंजाब के पुनर्गठन के पूर्व वहाँ भी विधान-परिषद् की व्यवस्था थी। परन्तु बाद में वहाँ विधान-परिषद् का अन्त कर दिया गया है।

सविधान सभा में यह एक विचारग्रन्थ प्रश्न था कि रायों में दूर-दूर सन्तानों का स्थापना की जाय अथवा नह। फलतः प्रत्येक राज्य में एक प्रश्न का निणय उम रायों के प्रतिनिधियों के बहुमत में किया गया। एक प्रकार के श्रणों के तान रायों—असम मध्य प्रान्त और उड़ीसा—में दूर-दूर सन्तानों का स्थापना का विरोध किया। म श्रणों के उ रायों में निम्नतात्मक व्यवस्था पिका के पक्ष में मतदान किया। अतः सविधान की 168वां धारा में उन रायों के लिए दा सन्तानों की व्यवस्था का गठन। परन्तु 169वां धारा में यह व्यवस्था का गठन है कि किसी भी राज्य में दूर-दूर सन्तानों का मध की मसल उम स्थिति में परतम कर सकती है यदि उम रायों का विधान सभा पण बहुमत से उम आणय का प्रस्ताव पारित कर दे गले कि मतदान में भाग लेने वाले मतम्य कुन सन्तान-समस्या के दा तिहाई है। इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उन रायों में जहाँ कवन एक सन्तान पाया जाता है विधान सभा दूर-दूर सन्तानों की स्थापना के पक्ष में प्रस्ताव पारित करे ता मसद उम रायों के लिए एक मसल का एक मसल बना सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी राज्य में विधानसभाने निम्नताय है अथवा एक-सन्तानीय इस बात का निणायक उम रायों की स्वयं विधान सभा है। पञ्जाब और पश्चिमी बंगाल में विधान-परिषद् का उभूतन हा चुका है। विधान सभा के सन्तानों का परतम करन के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। विधान सभा में सन्तानों की वषा आवाचना का गठन है। तागा न बना है कि उनमें मावजनिक घन का अपत्य्य हाता है तथा उनमें द्वारा व्यवस्थापिका में उन तागा का पिठवाते में थान निनाया जाता है जिह आम चुनाव में जनता ने ठुनरा किया था।

1. विधान-परिषद् ✓

गठन—सविधान में विधान-परिषद् की रचना के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(1) विधान-परिषद् की कुन सन्तान-समस्या विधान सभा की सन्तान सभ्या के एक तिहाई में अधिक नह। होगी परन्तु उसकी कुनतम सभ्या 40 हांती चाहिए। इसका कवन एक अपवाद है और वह है जम्मू और कश्मीर का राज्य जहा की विधान-परिषद् में कवन 36 सन्तान हैं। इसका कारण यह है कि उस राज्य का अपना अलग से सविधान है जिसमें अनुसार वहा की विधान सभा और विधान-परिषद् के सन्तानों की सभ्या निश्चित की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सविधान में रायों का विधान-परिषद् की सन्तान-सभ्या निश्चित नह। की है उसमें कवन अधिकतम और कुनतम सभ्या का निश्चरण म्ना है।

(2) इन सीमाओं के अन्तर्गत रायों की विधान परिषद् में अग्रलिखित पांच वर्गों का प्रतिनिधित्व हागा (i) परिषद् के एक तिहाई सन्तानों का निवाचन रायों की स्थानाय सभ्याओं के द्वारा हागा। (ii) परिषद् के 1/12 सन्तानों के विधान-परिषद् के कम से कम तीन वष पुराने सन्तानों या उनमें समान योग्यता वाले रायों के निवासियों के द्वारा हागा। (iii) कुन सन्तानों के 1/12 सन्तानों रायों की माध्यमिक शिक्षा सभ्याओं तथा उनमें उच्च स्तर के कम से कम तीन वष पुराने शिक्षकों द्वारा चुन जायेंगे। (iv) कुन सदस्यों के 1/12 सन्तानों रायों की विधान सभा के सन्तानों द्वारा उन सन्तानों में से चुन जायेंगे जो विधान सभा के सन्तान नहीं हैं। (v) नव सन्तानों यानी कुन सन्तान-सभ्या के 1/6 सन्तानों का रायों का रायपान मनानात करगा।

उपरोक्त प्रथम चार वर्गों के सदस्यों का निवाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकेन सभ्यणीय मत द्वारा सम्पन्न हाता है। अंतिम वर्ग के सन्तानों का मनानात रायपान उन व्यक्तियों में से करता है जिहान माहित्य के ता विधान सभ्या में जाते हैं समाज सेवा आदि में विनिष्ट योगदान किया है।

विधान परिषद् की इस रचना व्यवस्था में सन्तानों को परिवर्तन करन का अधिकार है।

सदस्यों की योग्यता तथा अयोग्यता—विधान-परिषद् की सदस्यों के लिए अग्रलिखित

योग्यताओं का निर्धारण किया गया है—

(1) वह भारत का नागरिक हो। (ii) उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। (iii) उसमें वे सभी योग्यताये हो जिनका निर्धारण ससद कानून-निर्माण करके निश्चित करे।

ऐसा कोई भी सदस्य जो निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आ जाता है विधान-परिषद् का सदस्य नहीं रह सकता—

(1) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है। (ii) वह दिवालिया हो गया है। (iii) उसने सघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद को ग्रहण कर लिया है। (iv) उसने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। (v) उसने किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। (vi) वह ससद द्वारा निर्मित किसी कानून के अन्तर्गत विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए अयोग्य हो। (vii) यदि वह सदन की अनुमति प्राप्त किये बिना 60 अथवा उससे अधिक दिनों तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहा है, तथा (viii) यदि वह विधानमण्डल के दोनों सदनों का सदस्य है तो उसके लिए एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है।

अवधि—विधान-परिषद् एक स्थायी सदन है तथा उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति तीसरे वर्ष उसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

2 विधान सभा

गठन—विधान सभा राज्य विधानमण्डल का निचला सदन है। सविधान के अनुसार उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वारिग मताधिकार के आधार पर होना है। उसमें अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। सविधान के कार्या-व्ययन के पूर्व देश में साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र कायम थे। सविधान ने निर्वाचन की इस प्रणाली का अन्त कर दिया है तथा उसने समुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना की है। परन्तु इसके साथ ही उसमें अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी हुई जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। सविधान की 332वीं धारा में लिखा है कि विधान सभा में निम्न वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे—

- (i) अनुसूचित जातियाँ,
- (ii) अनुसूचित आदिम जातियाँ।

सविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्यपाल की राय में आगल-भारतीय समुदाय को राज्य की विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह अपने विवेक से जितने सदस्यों का मनोनयन आवश्यक समझता हो मनोनीत कर सकता है। आरम्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आगल-भारतीयों के लिए स्थानों को केवल दस वर्ष के लिए सुरक्षित रखा गया था, परन्तु इस अवधि को दस-दस वर्ष के लिए दो बार बढ़ाया जा चुका है। अब यह अवधि 1980 में खत्म होगी।

सदस्यों की योग्यता—विधान सभा के सदस्यों के लिए सविधान में निम्नलिखित योग्यताये निर्धारित की गई हैं—(i) वह भारत का नागरिक हो, (ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, (iii) उसके पास वे सभी योग्यताये हो जिन्हें कानून के द्वारा राज्य के विधानमण्डल ने निर्धारित किया हो।

अवधि—विधान सभा का निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि के लिये होना है। सकट काल में ससद एक बार में उसकी अवधि एक वर्ष के लिए कानून के द्वारा बढ़ा सकती है, परन्तु सकट काल की समाप्ति के छ महीने के उपरान्त उसकी अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता। विधान सभा का विघटन इस अवधि के भीतर भी किया जा सकता है। ऐसा विघटन मुख्य मन्त्री के परामर्श पर

रायपान करा किया जाता है ।

राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ और कार्य ✓

राज्या के विधानमण्डल को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका राज्य सूची में उल्लेख है । सामान्यतः एक क्षेत्र पर राज्य विधानमण्डल का एकमात्र अधिकार है । एक अनिश्चित बड़े समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर भी कानून बना सकता है । परन्तु एक क्षेत्र में राज्य विधानमण्डल का एकाधिकार नहीं है । यदि स. सूची में न्यून विषयों पर संघ की संसद और राज्य विधान सभा दोनों का कानून है तो जिस सीमा तक राज्य का कानून संघ के कानून के प्रतिबन्धित है तो उस सीमा तक वह कानून अवध हो जाता है । परन्तु यदि उस कानून को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त है तो वह संघ के कानून के प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी बंध माना जायगा ।

विधानमण्डल का मुख्यतः विधान सभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है । राज्य का विधानमण्डल है संघ के सम्बन्धी प्रस्तावों का कानूनी रूप देता है । विधान सभा खर्चों की माँगों को स्वीकार करता है और विधानमण्डल द्वारा विनियोग अधिनियमों के पारित करने के लिए ही सरकार संचित निधि से खर्च के व्यय निश्चय करती है । वित्तीय क्षेत्र में विधानमण्डल की शक्तियाँ पर कानून सीमाएँ नहीं हैं सिवाय इसके कि कुछ खर्चों के संचित निधि पर भारित होते हैं और उन पर विधानमण्डल को वारंवार करने का अधिकार तो होता है किन्तु उम उन पर मतदान का अधिकार नहीं है ।

सर्विधान न केवल और राज्य दोनों में ही संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की है । परन्तु राज्या में वास्तविक कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । यदि विधान सभा अपने बहुमत से कोई निम्न अधिकारण जयवा काम रोके प्रस्ताव पारित करे तो मंत्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना होता है । जमा नहीं जा चुका है कि सामान्य परिस्थिति में विधान सभा के लिए मंत्रिमण्डल को अपदस्थ करना सम्भव नहीं होता । परन्तु प्रश्ना स्थगित प्रस्तावों जादि के द्वारा वह सरकार की नीतियाँ तथा उसके कार्यों का पदाकाश प्रवर्धन कर सकती है । वतान की आवश्यकता है कि वास्तव में कोई भी सरकार विधान सभा की इन शक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकती ।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सर्विधान न राज्या के विधानमण्डल को दो अन्य काम भी सौंपे हैं । वे हैं—सर्विधान की सहायक प्रक्रिया में भाग लेना तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना ।

सर्विधान की उन कार्यों को जिनका सम्बन्ध राज्या की शक्तियों के साथ है सभी मन्त्रोचित किया जा सकता है जबकि सर्विधान संशोधन विधायक का कार्य संसद एक विशेष बहुमत में पारित कर और राज्य के अधिकार राज्या के विधानमण्डल उसका अनुमोदन कर । सर्विधान में संशोधन के लिए राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों (यदि दो सदने हों) की स्वीकृति आवश्यक है ।

राज्या की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं ।

राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ पर प्रतिबंध

राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं । सर्विधान ने उनकी शक्तियों के ऊपर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाये हैं—

(1) कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें राज्य सूची में निहित किया गया है किन्तु जिन पर राज्य के विधानमण्डल तब तक कानून का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाय ।

(2) समवर्ती सूची में विषयों पर राज्य विधानमण्डल कानून तो बना सकता है किन्तु यदि

वह ससद के किसी भी कानून के विरोध में है तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय कानून वैध होगा और राज्य का कानून गैर-कानूनी, यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो राज्य का कानून वैध होगा और ससद का कानून गैर-कानूनी ।

(3) कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य विधानमण्डल कानूनों का निर्माण तो कर सकता है, किन्तु वे तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान न कर दे । ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा भेजे जाते हैं ।

(4) सकट-कालीन स्थिति में सघीय ससद राज्य सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बना सकती है ।

(5) यदि राज्य में साविधानिक व्यवस्था असफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति को राज्य की विधान सभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है तथा वहाँ इसके बाद नये चुनावों की व्यवस्था की जाती है । इस अवधि में केन्द्रीय ससद को राज्य-सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ।

(6) यदि राज्य-सभा दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य-सूची में उल्लिखित किसी एक विषय पर अथवा कुछ विषयों पर सघीय ससद को कानून बनाना चाहिए, तो उस स्थिति में एक वर्ष की अवधि के लिए राज्यों के विधानमण्डलों को उन पर कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है । इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

(7) राज्य स्वयं राज्य-सूची के किसी भी विषय को विधि-निर्माण हेतु सघीय ससद को सौंप सकता है ।

विधानमण्डल के दोनों सदनों के बीच सम्बन्ध

जिस राज्य में द्विमदनात्मक विधानमण्डल पाया जाता है, उसमें निम्न सदन अर्थात् विधान सभा को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । उच्च सदन अर्थात् विधान-परिषद् केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, यथार्थ में वह गौण सदन है । वित्तीय मामलों में अन्तिम और एकमात्र शक्ति विधान सभा को ही दी गई है । धन-विधेयक का जन्म विधान सभा में ही होता है । वहाँ से पारित होने के बाद उसे विधान-परिषद् में भेज दिया जाता है । परिषद् के पास उस पर विचार करने के लिए केवल चौदह दिन होते हैं । यदि इस बीच में परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाती तो उसके वावजूद भी उसे राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर मतदान करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही प्राप्त है ।

जहाँ तक गैर-धन विधेयकों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में भी विधान सभा की शक्तियाँ विधान-परिषद् की शक्तियों से अधिक हैं । यदि कोई विधेयक विधान सभा के द्वारा पारित होने के उपरान्त (i) परिषद् के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाय, अथवा (ii) परिषद् उसे प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर उस पर कोई कार्यवाही न करे, अथवा (iii) परिषद् उम विधेयक को ऐसे सगोचनों के साथ पारित करे जो विधान सभा को मान्य नहीं है, तो उम स्थिति में यदि विधान सभा उक्त विधेयक को दुबारा उसी रूप में पारित कर दे जिसमें उसने उसे पहले पारित किया था, तो वह विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा ।

विधान-परिषद् के पास कार्यपालिका को नियन्त्रित करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है । इस सम्बन्ध में यदि परिषद् को कोई शक्ति मिली हुई है तो वह केवल उमसे सूचनाएँ प्राप्त करने की शक्ति है । ऊपर बताया जा चुका है कि संविधान ने कार्यपालिका को नियन्त्रित करने की शक्ति केवल विधान सभा को सौंपी है ।

राज्यो की 'यायपालिका' ✓

भारतीय मध-व्यवस्था के अतगत राज्या का यायपालिका का स्थिति जय विनिष्ठा मधा म कुद्य भिन्न प्रकार की है। उदाहरण क त्रिए सयुक्त राज्य अमरीका म राज्या क अपन अलग सविधान है और राज्या की यायपालिकाए उहा सविधाना क अनुमार स्थापित की जाती है और उही स अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। सधीय सविधान तथा सरकार का उनस सब यही सम्बन्ध है कि सयुक्त राज्य अमरीका क सविधान का उ तथन करत हुए उनक सगठन तथा अधिकार उन का निभारण नही हो सता। राज्या म मधाय काभूत का नागू करन क त्रिए पृथक सधीय यायानय स्थापित त्रिय गय है। अस प्रकार सयुक्त राज्य अमरीका के राज्या म दा प्रकार क यायानय स्थापित है जिनक म य परस्पर कोई सम्बन्ध नहा है। परतु भारत म समूचे दश क त्रिए एकीकृत याय व्यवस्था है। असका मुख्य कारण एक ही सविधान का हाना है। यद्यपि यायानया की उच्चोच्च परम्परा म सर्वोच्च यायानय दण का उचनम यायानय है तथापि प्रत्येक राज्य म यायानय के गीय पर उच्च यायानय है। राज्य क समस्त निम्न तरीय यायानय उच्च यायानय क अधीन काय करत है। सर्वोच्च यायानय यायपालिका की उच्च शृङ्खला क गीय म है परतु राज्या क उच्च यायानया क ऊार उमका अधिकार तन कवन अपीनी है न कि नियन्त्रणकारी। स्वय उच्च यायानय भी अभिन्न यायानय है जोर उनकी मृष्टि सविधान द्वारा की गयी है। यह व्यवस्था स्मरण की गया है ताकि राज्या का प्रधान यायानय हान क नात उनकी स्वतन्त्रता बनी रह।

उच्च यायानया क सगठन तथा अधिकारा का स्त्रोन स्वय भारत का सविधान है। प्रत्येक राज्य म एक उच्च यायानय हाना है। कम सविधान क अनुमार दा राज्या का एक हा उच्च यायानय भी हा सकता है। एसी व्यवस्था तभी की जाती रही है जवकि किसी राज्य के विभाजन म दा राज्य बन जाते है परतु कानातर म उनम म प्रत्येक राज्य जना पृथक उच्च यायानय स्थापित करा नता आया है। राज्या क उच्च यायानया क यायाधीनता का सत्या निश्चित नहा की गयी है। असका निर्धारण करन की शक्ति राष्ट्रपति का दी गयी है जा समय समय पर राज्य विणय की आवश्यकतानुसार असका निर्धारण करना रहता है। अस प्रकार प्रत्येक उच्च यायालय म एक मुख्य यायाधीश तथा अय कई यायाधीग हाने है। उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च यायानय का यायाधीग एम व्यक्ति का बनाया जाता है जा भारत का नागरिक ना उसकी उम्र 62 बय स अधिक न हा वर राज्या क यायानया म दस बय तक यायाधीग या बकीन रह चुका हा। अस प्रकार उच्च यायानया म राज्या की यायिक मकाजा म काम करन बान अनुभवी यायाधीशा तथा बकीना दाना की त्रिया जा सकता है। नियमित यायिक सवा म नियुक्त किये गय यायाधीश जनन कायकान के उपरात पशन भी प्राप्त करत है। मुख्य यायाधीग की नियुक्ति करन म राष्ट्रपति सर्वोच्च यायानय क मुख्य यायाधीग तथा सम्बन्धित राज्य क राज्यपाल स परामग तता है जोर अय यायाधीशा की नियुक्ति क बार म उच्च यायानय क मुख्य यायाधीग स। मुख्य यायाधीग का 4000 रु तथा अय यायाधीगा का 3500 रु मासिक धन सम्बन्धित राज्य की सचिन निधि स त्रिया जाता है। अय की यह मद व्यवस्थापिका क मताधीन नही है। किसी यायाधीग के कायकान म अस उसक ग्रहित म कम नता किया जा सकता। जवकाश ग्रहण करन पर उच्च यायानय का यायाधीग उमी उच्च यायानय म बकानन नही कर सकता। उच्च यायानया के यायाधीशा का राष्ट्रपति स्थानान्तरित कर सकता है। यह प्राविधान मावजनिक हित म उनकी योग्यता तथा अनुभव का नाभ उठान क लिए किया गया है। असका उद्देश्य यायालय की स्वतन्त्रता पर अक्रुण नगाना नया है। एन प्राविधाना का मुख्य उद्देश्य उच्च यायानया की स्वतन्त्रता का बनाय रखना है।

अधिकार क्षेत्र—उच्च यायानया के अधिकार तन का व्याख्या सविधान म उम रूप म

नहीं की गयी है जिस रूप में उच्चतम न्यायालय की की गई है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की भाँति प्रारम्भिक, अपील तथा प्रशासनिक तीन प्रकार के अधिकार रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय भी अपनी प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत सविधान निर्वाचन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र का उपभोग करते हैं, और इस निमित्त वे आवेदनों की सुनवाई करके आदेश जारी करते हैं। वे अपनी प्रादेशिक अधिकार सीमा के अन्तर्गत सैनिक न्यायाधिकरणों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं। यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होने लगे कि कोई विवाद जो उसके अधीन निम्न न्यायालयों में चल रहा है, साविधानिक व्याख्या चाहता है, तो उस मामले को अपने पास मँगवा सकता है और या तो स्वयं उसकी सुनवाई करके निर्णय देता है या साविधानिक व्याख्या दे देने के उपरान्त उमी न्यायालय को सुनवाई करने तथा निर्णय देने के हेतु वापिस कर सकता है। दीवानी और फौजदारी के समस्त विवादों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलें की जा सकती हैं। माल के विवादों में यद्यपि राज्य का अन्तिम न्यायालय 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' है, तथापि उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, बशर्ते कि विवाद में कोई ऐसा मामला हो जिसमें साविधानिक निर्वाचन करने की बात अन्तर्निहित हो। उच्च न्यायालय अपने सम्पूर्ण कार्यालय तथा न्यायालय के कर्मचारी-वृन्द पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता है। साथ ही कुछ अंश में उसका प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य के जिला न्यायालयों के ऊपर भी रहता है। यद्यपि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तथापि उनकी नियुक्ति करने में राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है, साथ ही राज्य के निम्न न्यायालयों को भी इस सम्बन्ध में आदेश देता है, वह उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को परामर्श देने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं है। चूँकि राज्यों में राज्यपाल पद के अस्थायी रूप से खाली होने पर 'उप-राज्यपाल' सदृश किसी पद का प्राविधान नहीं है, अतः ऐसी स्थिति आने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के कार्यकारी राज्यपाल का कार्य करता है। परन्तु उस अवधि में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य नहीं करता।

उच्च न्यायालयों को साविधानिक निर्वाचन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने की शक्ति प्रदान करने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि विशाल देश में यदि यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में रहती, तो नागरिकों के साविधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकने में कठिनाई प्रतीत होती। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार भी बहुत बढ़ जाता। यदि केभी उच्च न्यायालयों के पाम अत्यधिक कार्य बढ़ जाता है तो उसे निवटाने के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किये जाते हैं।

राज्यों में अधीन न्यायालय—उच्च न्यायालयों के नीचे श्रेणीबद्ध क्रम में न्यायपालिका की व्यवस्था का निर्धारण सविधान द्वारा नहीं किया गया है। यह अधिकार राज्य की विधानमण्डलों को प्रदान किया गया है कि वे अपने राज्य में इसका संगठन करने के हेतु विधि-निर्माण स्वयं कर लें। इसलिए विभिन्न राज्यों में निम्न-स्तरीय न्यायपालिका संगठन के विवरणात्मक रूपों में किञ्चित् विविधता का होना स्वाभाविक है। परन्तु कुछ आधारभूत मिद्धान्त जिनके अनुसार राज्यों में न्यायपालिका का संगठन किया गया है, सर्वत्र बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में चलनी आयी न्यायिक व्यवस्था को स्वतन्त्र भारत में भी बनाये रखा गया है। परन्तु आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन तथा परिवर्धन किये जाते रहे हैं। जो मुख्य बातें सर्वत्र समान रूप में पायी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं

प्रत्येक राज्य को न्यायिक दृष्टि से जिलों में विभक्त किया गया है। कुछ जिले प्रगामनिक

जिला व रूप म ह और कहा पर यायिक सगठन व निमित्त दा या तीन जिना का भी एक जिन व रूप म सगठित किया गया है । यायानय तीन प्रकार क हैं दीवानो फौजदारी तथा मान ।

जम्मू और कश्मीर राज्य की विधेय स्थिति

भारतीय सघ की अय कान्या की भाति जम्मू और कश्मीर भी भारतीय सघ का एक अंग न । परंतु उसका जातरिज सविधान अलग रहा है तथा केन के साथ सम्बन्ध म भी उसकी विनिष्ट स्थिति का मायना दी जाती रही है ।

प्रश्न है कि सविधान न जम्मू और कश्मीर राज्य को अय राया स भिन्न पन क्या िया है ? उस प्रश्न का उत्तर हय उन विनिष्ट परिस्थितिया म मिल सकता है जिनम कश्मीर न पाकिस्तानी आक्रमण क उपरान्त भारतीय सघ म शामिल होने का निणय त्रिया था । ऐसा करन म वहाँ की जनता का पूण समथन प्राप्त था । परंतु पाकिस्तान न इस समय तक अपना आक्रमण बन्द नहा किया था उट उमन धम क जाधार पर उस समूच राय पर अपना दावा जताना आरम्भ कर िया था । उस पृष्ठभूमि म भारत सरकार न कश्मीर की जनता का यह आश्वासन िया कि राय म सामाय स्थिति की स्थापना म वह जनमन सग्रह के तारा वहा की जनता का परामन तगा । जत यह आवश्यक था कि जम्मू और कश्मीर के राय को सविधान म एक विनिष्ट पन प्रदान किया जाना ।

जम्मू और कश्मीर राय तथा भारत क माविधानिक सम्बन्ध का उ नख भारत क सविधान म हया है । उसम लिखा है कि सविधान की केवल दा धाराय जम्मू और कश्मीर क राय पर लागू हागी । वे हैं—धारा 1 और 370 । अनुच्छेद 1 म कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का राय भारतीय सघ का एक भाग है । अनुच्छेद 370 म हम राय की विनिष्ट स्थिति का स्वीकार किया गया है तथा यह कहा गया है कि सविधान क अय प्राविधाना को राष्ट्रपति एस मशोधना क साथ लागू कर सकगा जो राय की सरकार का माय हा । 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति न एक आदेश क तारा यह घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर राय क मदभ म सधीय ससद की त्रिधायी गति केवन सघ और समवर्ती सूची क उन विषया तक सीमित रहगी जो इस राय के प्रवेग पन क प्राविधाना स मत्र खात हा । उसका जय यह हुआ कि सघ सूची क 97 विषया म स केवन 36 विषया पर मद तारा बनाय गये वानून जम्मू और कश्मीर क राय म लागू हा सकग । सविधान क 22 अध्याया म स 9 अध्याय ता वहा लागू हा नया किय जा सकत थ ।

1954 के बाद की स्थिति—उपयुक्त व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक कि राय न सविधान सभा का निवाचन नही कर त्रिया । सभा न फरवरी 1954 म एकमत म भारत म शामिल हान के निणय का सम्पुष्टि कर दी । उसक बाद धीरे धीरे राय क भारतीय सघ म पूण वितयन क त्रिए कदम उठाय जाने लग । पहला कदम 1954 मे उस समय उठाय गया जब राष्ट्रपति न इस सम्बन्ध म एक आदेश निकाना । उस आदेश क अनुसार सविधान का पहला दूसरा तीसरा पाचवाँ ग्यारहवाँ बारहवा और तेह्रवा अध्याय राय क ऊपर लागू माना गया । उन सबम भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आदेश क तारा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अत्र जम्मू और कश्मीर राय म भी लागू कर दिया गया ।

26 फरवरी 1958 का राष्ट्रपति न एक दूसरे आदेश क द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया का एक कदम आरंभ कया गया । उस आदेश क द्वारा भारत क महानखा परीक्षक का जम्मू और कश्मीर क राय म भी त्रैाधिकार प्रदान किया गया । उसक अन्तगन चुनाव आयाग तथा सर्वाच्च न्यायालय का अधीनाय क्षेत्र भी इस राय म लागू कर दिया गया । जब जय राया की भांति जम्मू और कश्मीर क उच्च न्यायालय क न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति क द्वारा हा होती है । बाद म एक आदेश क द्वारा यह व्यवस्था भी का गई कि जय राया की भांति इस

राज्य से भी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होगा, पहले इनका निर्वाचन राज्य की विधान सभा के द्वारा होता था ।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर कानूनी एव सांविधानिक दृष्टि से न केवल भारत का अभिन्न अंग है, अपितु शनै-शनै उसका भारत के साथ एकीकरण हुआ है तथा केन्द्र सरकार के साथ उसके सम्बन्ध अब लगभग वैसे ही हैं जैसे अन्य राज्यों के हैं । परन्तु इसके साथ में यह बात भी अवलोकित की जा सकती है कि कुछ मामलों में इस राज्य की सांविधानिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है । उदाहरण के लिए सघ की ससद भारतीय सघ के अन्य राज्यों के सीमान्तों में हेर-फेर कर सकती है, परन्तु ऐसा वह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में नहीं कर सकती । द्वितीय, अन्य राज्यों का कोई अपना अलग से संविधान नहीं है, परन्तु इस राज्य का अपना पृथक् संविधान है । तृतीय, आन्तरिक उपद्रवों के आधार पर राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के राज्य में सकट-काल की घोषणा राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता । इसी प्रकार राष्ट्रपति को इस राज्य के सन्दर्भ में यह शक्ति भी प्राप्त नहीं है कि सांविधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने की स्थिति में वह राज्य के शासन को अपने अधिकार में ले । देश के कुछ राष्ट्रवादी तत्त्वों ने यह मांग प्रस्तुत की है कि इस राज्य का भारतीय सघ के साथ पूर्ण एकीकरण होना चाहिए तथा संविधान के 370वें अनुच्छेद का अन्त कर देना चाहिए । परन्तु ऐसा राज्य की जनता की इच्छा के आधार पर ही हो सकता है । गजेन्द्रगडकर आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में यही सुझाव दिया है कि इस प्रश्न को राज्य की सरकार और जनता के निर्णय पर छोड़ दिया जाये ।

सघीय क्षेत्रों का शासन

मूल संविधान के प्राविधानों के अनुसार भारतीय सघ में आरम्भ में तीन प्रकार की इकाइयाँ थी—‘क’ श्रेणी के राज्य, ‘ख’ श्रेणी के राज्य, और ‘ग’ श्रेणी के राज्य । इनके अतिरिक्त अण्डमान और निकोबार के द्वीपों को ‘घ’ श्रेणी का राज्य कहा गया था । ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में जो इकाइयाँ शामिल की गई थी वे इस प्रकार थी—हिमाचल प्रदेश, विलासपुर, भोपाल, कच्छ, मणीपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली । 1954 में विलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया ।

यद्यपि इन इकाइयों को ‘राज्य’ की सजा प्रदान की गई थी तथापि अन्य दो श्रेणियों की इकाइयों और इनमें मौलिक अन्तर थे । इन इकाइयों को केन्द्र के साथ अपने सम्बन्धों में वह स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी जो पहली दो श्रेणियों से सम्बद्ध इकाइयों को प्राप्त थी । उनके ऊपर राष्ट्रपति या तो चीफ कमिश्नर के माध्यम से शासन करता था या लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार इन इकाइयों में एक प्रकार का द्वैध शासन कायम था । स्पष्टतः यह व्यवस्था अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकती थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत संघर्ष तथा अनुत्तरदायित्व की भावनाओं का उदय स्वाभाविक था ।

राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganization Commission) ने इन राज्यों की समस्या पर गह्राई के साथ विचार किया । आयोग का यह निष्कर्ष था कि ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में निहित अनगतिपूर्ण यथास्थिति का अन्त किया जाना चाहिए । आयोग की सिफारिश थी कि इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा यह कहा कि इन क्षेत्रों में लोकतन्त्र को कार्यान्वित करने के लिए प्रजासन में जनता का परामर्श लिया जाना चाहिए, परन्तु जनता को प्रजासन को संचालित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान का सातवाँ संशोधन पारित किया गया । इस प्रकार जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उनमें ‘ग’ श्रेणी के पाँच राज्यों को समाप्त करते उन्हें पड़ोस के राज्यों के साथ मिला दिया गया । जो राज्य समाप्त किये गये, वे थे—अजमेर,

भाषान कुग कच्छ और विध्य प्रन्ग । जो कात्या सघीय क्षत्र कहनाया उनका हम दा ढणिया म विभाजिन कर सकत है । पहनी ढणी म व क्षत्र हैं जिनम विधान सभाया तथा मन्त्रिपरिपन्ग की व्यवस्था की गइ है । दूसरी ढणी म व क्षत्र है जिनम इस प्रकार की व्यवस्था नही है ।

अ विधान सभाया वाले मघीय क्षत्रा का शासन

इस प्रकार क क्षत्रा म निम्नलिखित ढकात्या जाती हैं—(1) हिमाचन प्रन्ग (2) मणीपुर (3) त्रिपुरा (4) पाण्नीचरी और (5) गोआ डामन ढ्यू । पहन तीन क्षत्र ता भारतीय सघ म पहन स नी गामिन थ । इनक निय 1956 म रात्या क पनगठन के उपरात सघ की सप्त ने एक कानून क द्वारा एक क्षत्रीय परिपद् (Territorial Council) की स्थापना की थी । 1957 म य परिपदे अपन अस्तित्व म आयी । हिमाचन प्रन्ग म इस परिपद् की सन्ध्य-सत्या 41 थी तथा मणीपुर और त्रिपुरा म 30 । इनकी गक्तिया अत्यधिक सीमित था परतु इसक बावजूद इह स्थानीय सस्थाया मे अधिक गक्तिया प्राप्त था । गोआ डामन ढ्यू पर 1961 तक पुतगानिया का अधिनार था परतु जब इह विदेशी दामता स मुक्ति प्राप्त हो गई तो इन क्षत्रा को भी भारतीय मघ म एकीकृत कर लिया गया । जारम्भ म यहा सनिफ शासन की स्थापना की गइ कागान्तर म नागरिक प्रशासन न सनिफ प्रशासन का स्थान न लिया और नफ्तीनट गवनर उसका प्रमुख बना । 1 नवम्बर 1954 का पाण्नीचरी का प्रशासन भी भारत क हाथ म आ गया इसक प्रशासन का दायित्व एक चीफ कमिन्टर का सौपा गया । उसको परामर्श व सहायता दन क निय छ पापन् 4 और 40 निर्वाचिन सदस्या की एक सभा थी ।

सिनम्बर 1962 म भारत की ससद न चौन्हवा सन्ोधन पारित किया । उसके पश्चात 1 जुलाई 1963 स हिमाचन प्रदग मणापुर और त्रिपुरा की क्षत्रीय परिपदे विधान सभाया म परिणित हो गइ और इसी प्रकार पाण्नीचरी का निर्वाचिन सभा को भी विधान सभा का नाम दे दिया गया । इस सम्बन्ध म जा कानून बना उसम मुख्यत अग्रलिखित व्यवस्थाय की गइ—

(1) मणीपुर त्रिपुरा हिमाचन प्रदग गोआ डामन ड्यू एव पाण्नीचरी प्रत्येक ढत्र क निय एक विधान सभा बनी । हिमाचन प्रदेश की विधान सभा म सन्ध्या की सत्या 40 रसी गइ और गप अय क्षत्रा के निय 30 । (2) विधान सभा की अवधि पाच वप निश्चित की गइ परतु असाधारण स्थिति म उसे नमम पन्ध भी विषटित करन का प्राविधान ह । (3) यदि किसी विधान सभा द्वारा पारित किसी भा कानून का काण भी प्राविधान नसद द्वारा बनाय गय किसी कानून स मन नहा खाता तो सप्त नान निर्मित कानून असगति की सीमा तक अवध हा जायगा । (4) प्रत्येक ढेत्र का प्रशासन प्रतिवप वित्तीय वप क निय आर्थिक वित्तीय विवरण विधान सभा म प्रस्तुत करवाना है पर तु उस पर राष्ट्रपति की पूव अनुमति प्राप्त की जाती है । (5) प्रत्येक क्षत्र म प्रशासक का उसके कार्यों म सहायता व परामर्श के लिए एक मन्त्रिमण्डल का व्यवस्था की गई है ।

व एम मघीय क्षत्र जिनम विधान सभाय नहा है

दिन्नी—इसक प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से सघीय ससद के हाथ म है । इसका दख रख सघ सरकार क गृह मन्त्री के द्वारा हाती है । 1957 क म्युनिमिपल कारपारेशन कानून क अनुसार समूच दिन्नी क्षत्र क निय—जिसम शहरी और ग्रामीण सभी क्षत्र शामिल हैं— एक निगम की स्थापना हुई है । निगम म 100 सदस्य और 6 एट्टरमन ह । 1966 म दिन्नी क निय समद न एक और कानून पारित किया जिस दिन्ला प्रशासन अधिनियम क नाम स जाना जाता है । इस कानून क द्वारा दिन्ना क निय एक मटापानिगन कौंसिल (Metropolitan Council) की रचना हुई है । इसकी कुन सदस्य सत्या 61 है इस कांसिन का कुछ विधायी काय मौप गय है । दिन्नी क्षेत्र क मुख्य कायपात्रिका अधिकारी को नफ्तीनट गवनर का नाम दिया गया है तथा उसके कार्यों म सहायता एव परामर्श के लिए चार कायकारी पापन् (Executive

Councillors) तथा एक मुख्य पार्षद की व्यवस्था की गई है। इस कानून ने दिल्ली के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह—ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ के सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथों में है। प्रशासन की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ एक म्युनिस्पैलिटी है।

लक्कादीव, मिनीकाय और अमिनीदीव द्वीप समूह—ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ही कम है। इनका प्रशासन एक सघ सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा संचालित होता है।

दादरा और नागर हवेली—ये क्षेत्र पहले पुर्तगाल के अधीन थे। 11 अगस्त 1961 को इन क्षेत्रों को भारतीय सघ में मिला लिया गया। अब उनका प्रशासन सघ सरकार द्वारा एक सघीय क्षेत्र के रूप में होता है।

नेफा (North East Frontier Agency—NEFA)—प्रशासन को संचालित करने के लिए नेफा को पाँच कमिश्नरियों में बाँटा गया है। प्रत्येक कमिश्नरी का कार्यभार एक राजनीतिक अधिकारी (Political Officer) है। उनके अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त अधिकारी भी हैं। प्रत्येक कमिश्नरी उप-कमिश्नरियों में विभाजित है। राजनीतिक अधिकारी की सहायता के लिए वित्तिका अधिकारी, कृषि अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक आदि हैं।

चण्डीगढ़—पंजाब के विभाजन के पश्चात् हरियाणा और पंजाब के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि चण्डीगढ़ पर किमका अधिकार हो। चूँकि कोई भी पक्ष अपने दावे को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए चण्डीगढ़ को केन्द्रीय-शासित सघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। चण्डीगढ़ का लोकसभा में एक प्रतिनिधि है।

सघीय क्षेत्रों का आधुनिक स्वरूप

पिछले दिनों में कुछ सघीय क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उन क्षेत्रों के नाम हैं—हिमाचल प्रदेश (1970), मेघालय (1971), मणीपुर (1971) तथा त्रिपुरा (1971)।

पूर्वी सीमान्त पर स्थित क्षेत्रों को नये नामों के साथ सघीय क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है। वे हैं—मीजोरम (1971) तथा अरुणाचल (1971)। इस प्रकार अब भारतीय सघ में 21 राज्य हैं तथा 9 केन्द्र-शासित सघीय क्षेत्र हैं—दिल्ली, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव-मिनीकाय-अमीनीदीव द्वीप समूह, दादरा-नागर हवेली, गोआ-डामन-ड्यू, पाण्डीचेरी, चण्डीगढ़, मीजोरम, तथा अरुणाचल।

प्रश्न

- 1 राज्यपाल की सांविधानिक स्थिति की विवेचना करते हुए यह बताइये कि उसमें सांविधानिक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारों दोनों का किस प्रकार समन्वय हुआ है ?
- 2 चौथे आम चुनाव के बाद राज्यपालों ने अपनी भूमिका को किम प्रकार निभाया है ?
- 3 राज्यों के विधान-मण्डलों की रचना किम प्रकार होती है तथा उनके कौन-कौन से प्रमुख कार्य हैं ?
- 4 राज्यों के मंत्रिमण्डल में मुख्य मंत्री के पद की विवेचना कीजिये।
- 5 राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के सगठन व शक्तियाँ का वर्णन कीजिये।
- 6 जम्मू-कश्मीर राज्य की सांविधानिक स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिये।
- 7 सघीय क्षेत्रों के शासन पर एक निबन्ध लिखिये।

भारतीय सघवाद का स्वरूप (NATURE OF INDIAN FEDERALISM)

प्रस्तावना

पिछले अध्याय में जमा कहा जा चुका है सविधान के द्वारा भारत में सघीय व्यवस्था में परन्तु उसमें क्या भाषा फरक का प्रयोग नहीं किया गया है। वस्तुतः सविधान में भारत को राया की यूनियन कहकर पुकारा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. अम्बेकर ने सविधान सभा के समक्ष इस शतावली के प्रयोग में प्राप्त हानि वानि भाषा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि स शतावली से ही महत्वपूर्ण तथ्या का अभिप्राय है—प्रथम भारत में सघवाद स्वाभाविक रूप से किमा समझौते का परिणाम नहीं है और द्वितीय सघ में सम्मिलित हानि वानि स्वाभाविक का उसमें पृथक होने का अधिकार नहीं है। यथायथ में भारत में सघ की रचना एकात्मक राय के पुनर्गठन के द्वारा हुई है स ग जमराका की भांति स्वतंत्र और प्रमुत्ता सम्पन्न राया के बीच ही किसी सविधान के परिणामस्वरूप नहीं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वह राया का एक स्थायी सघ हाना। परन्तु इसका आशय यह कल्पित नहीं है कि भारत की शासन प्रणाली सघात्मक नहीं है। यथायथ में उसमें सघवाद के लक्षणों का अत्यधिक स्पष्ट रूप में अवलम्बित किया जा सकता है। सर्वप्रथम उसमें सघ और राया के बीच शक्तियाँ का बंटवारा हुआ है। सके लिए तीन सूचियाँ निर्मित की गई हैं। सघ सूची समस्तों सूची तथा राय-सूची सके सूचियाँ पर केंद्र और राय हाना के कार्य-क्षेत्र का पहलू से ही परिभाषित कर दिया गया है। साधारणतः राय अपने निश्चित क्षेत्र में सघ सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त है। अतः यह कहा जा सकता है कि राय भारतीय सघ में स्वायत्तता प्राप्त करे है। इन प्रकार की सरकारें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में सविधान से प्राप्त करती हैं। द्वितीय सविधान को राय का सर्वाधिक कानून माना गया है। उसके प्राविधान सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है न ता केन्द्र की सरकार उनका अपवाद हा सकती है और न राय की सरकारें। इसका जय यह भी हुआ कि उपर्युक्त दोनों प्रकार की सरकारों की सविधान में उल्लिखित शक्तियों के विभाजन को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का अधिकार नहीं है। तृतीय सविधान निश्चित है और एक सीमा तक सघीय भी। चतुर्थ भारत में एक स्वतंत्र यायपत्रिका का व्यवस्था की गई है और उस सविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च यायतया तथा राया के उच्च यायतया को सघीय समद अथवा राय विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी कानून को इस आधार पर अवध घोषित करने का अधिकार है कि उसके द्वारा सविधान की किसी व्यवस्था का उल्लंघन होता है।

परन्तु हमारा सविधान में सघात्मक व्यवस्था को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में उसमें जय सघ राया में माना गया है। वस्तुतः उसमें सघ हीर पर किय गया है कि कुछ भाग न उसमें जय-सघ (Quasi federation) कहा है। के सा द्वितीय के अनुसार भारत ऐसा सघ राय होने लजाय जिसमें एकात्मक तत्त्व गौण रूप में पाय जान हा ऐसा एकात्मक राय है जिसमें सघात्मक तत्त्व गौण रूप में पाय जाते हैं। उपर्युक्त कहा जा चुका है कि सविधानकारों ने फरक का कहां प्रयोग नहीं किया उसमें स्थान पर उन्होंने यूनियन

शब्द का प्रयोग किया है। इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय संविधान का केवल बाह्य स्वरूप सघात्मक है किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है। समूचे संविधान में बल एकरूपता तथा केन्द्र की शक्ति के ऊपर है। संविधान के एकात्मक पहलू को निम्न प्रकार देखा जा सकता है।

1 संविधान के एकात्मक तत्त्व

(1) शक्तिशाली केन्द्र की रचना—संविधान ने एक ऐसे शक्तिशाली केन्द्र की रचना की है, जिसकी तुलना सप्तराज के किसी अन्य सघीय संविधान के साथ नहीं हो सकती। सम्भवतः संविधानकारों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत साम्प्रदायिक गृह-युद्ध की ज्वाला में से होकर गुजर रहा था और वे देश की स्वतन्त्र सत्ता को विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ बनाना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह था कि संविधानकार इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल होने की स्थिति में राष्ट्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। फलतः तीन विषय-सूचियों में जो सबसे अधिक लम्बी सूची है, वह सघ सूची है, जिसमें 97 विषय हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं और जिसके ऊपर केन्द्रीय सरकार को आवश्यकता पड़ने पर अधिकार दिया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर केन्द्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाये गये कानूनों में विरोध है तो केन्द्र का कानून चलेगा और राज्य का कानून अवैध माना जायेगा। यही नहीं, संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को भी केन्द्र को ही सौंपा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जो शक्तियों का बँटवारा हुआ है, वह मूलतः केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की भावना से अनुप्राणित है।

(2) समूचे सघ के लिए एक संविधान की व्यवस्था—भारत में अन्य सघों की भाँति इकाइयों को अपना अलग-अलग संविधान बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है अपितु समूचे देश के लिए एक ही संविधान है। संविधान सभा केवल सघ की ही संविधान सभा नहीं थी, बल्कि वह राज्यों की भी संविधान सभा थी। फलतः उसने जिस संविधान की रचना की, उसमें जहाँ सघ की शासन-प्रणाली का उल्लेख है, वहाँ उसमें राज्यों की शासन-प्रणाली का भी वर्णन हुआ है। डा० अम्बेदकर के शब्दों में 'सघ और राज्यों के संविधान का एक ही ढाँचा है जिसमें से कोई भी नहीं निकल सकता और उन्हें उसी के अन्तर्गत काम करना है।' इस नियम का केवल एक ही अपवाद है और वह है जम्मू-कश्मीर का राज्य जिसे कुछ विशिष्ट कारण-वश अपने संविधान को बनाने का अधिकार दिया गया था।

(3) दुहरी नागरिकता का अभाव—सभी पारस्परिक सघीय प्रणालियों में नागरिकों की दुहरी नागरिकता स्वीकार की गई है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारतीय सघ अन्य सघों से भिन्न है। भारत में संविधान केवल एक ही प्रकार की नागरिकता स्वीकार करता है और वह है भारतीय नागरिकता। भारत में विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी पृथक् नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।

(4) सकटकालीन प्राविधान—पारस्परिक सघीय संविधानों के ढाँचों में एक प्रकार की दुरुहता पायी जाती है। किसी भी परिस्थिति में उनके सघीय स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक है तो उनके लिए संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। परन्तु भारत में बिना संशोधन किये ही सघात्मक राज्य को एकात्मक राज्य में बदला जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के राज्यों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान का यह एक ऐसा पहलू है जिसकी मिनाल किमी अन्य सघीय राज्य में नहीं मिल सकती।

(5) साधारण स्थिति में भी केन्द्र की शक्ति में अभिवृद्धि करने की व्यवस्था—हमारे

संविधान का एक असाधारण पहलू यह है कि उसमें साधारण स्थिति में भी केन्द्र की विधायी शक्ति में अभिवृद्धि करने का प्राविधान पाया जाता है। साधारणतः राज्य के विधायमण्डल का राज्य सूचा में दिया हुआ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु संविधान की 249वीं धारा में लिखा है कि यदि राज्य सभा ने तिहाई बहुमत से उस राज्य का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय अथवा विषयों पर कानून बनाने का होना राष्ट्रीय हित में है तो उस स्थिति में सभ की संसद उस विषय अथवा उन विषयों पर कानून बना देगी। स्पष्टतः इस प्रकार की व्यवस्था भी किसी अन्य सभ में नहीं पायी जाती।

(6) इकायों की प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सुनिश्चितता का न होना—अन्य सभा की भाँति भारतीय सभ की स्वायत्त्या की प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में संविधान में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है। सघीय संसद ने उनके सीमाओं में हर फेर करके नये राज्यों की रचना करने का अधिकार प्राप्त है। उन्म यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्रों का घटा अथवा बना दे तथा उनमें यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह किसी राज्य की सीमाओं का अथवा उनका नाम को बदलें। संविधान की तीसरी धारा में लिखा है कि उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तन राष्ट्रपति की सिफारिश पर केन्द्रीय मन्त्र के द्वारा पारित कानून से किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में कबन एक ही बात है और वह यह है कि राष्ट्रपति अपनी सिफारिश करने के पूर्व सम्बद्ध राज्य अथवा राज्यों की राय जानें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के लिए सम्बद्ध राज्य अथवा राज्यों की संसदों में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना गया है। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के इस प्राविधान का अतन्त्रतः देना का राजनीतिक मानचित्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस दिशा में एक कदम उस समय उठाया गया जबकि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई। कानून के अन्तर्गत राज्य में एक राज्य नामान्तरण निमित्त किया गया। पंजाब के दो भाग कर लिये गये—पंजाब और हरियाणा। 1970 में असम के अतन्त्रतः मध्य प्रदेश के एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई।

(7) राज्य सभा में इकायों की समान प्रतिनिधित्व का न दिया जाना—सामान्यतः पारम्परिक सघीय राज्यों में इकायों की द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था पायी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का वह बड़ा ही अथवा छोटा सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजता है। इसी ही व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पायी जाती है जहाँ प्रत्येक कानून सभ के द्वितीय सदन में दो प्रतिनिधि भेजता है और प्रत्येक अधिवेशन एक प्रतिनिधि। किंतु भारत में प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में अपने अपने प्रतिनिधि चुनता है।

(8) राष्ट्रपति द्वारा गवर्नरों की नियुक्ति—भारतीय संविधान में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा है। गवर्नरों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नरों की नियुक्ति के लिए राज्य सभा में कबन सांविधानिक अध्यक्ष की भूमिका बढ़ा करे परन्तु उन्हें अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माना गया है। व्यवहार में राज्यों के गवर्नरों की भूमिका राष्ट्रपति के अधिकारों के रूप में अधिक होती है राज्य के सांविधानिक अध्यक्ष के रूप में कम। अनुभव साक्षी है कि गवर्नरों के माध्यम से सभ की कार्यपालिका में राज्यों के नामों में एक नयी सीमा तक हस्तक्षेप किया है। इस प्राविधान के कारण राज्यों की स्वायत्तता उपहासास्पन्न बन गई है।

(9) मूल अधिकारों में एकरूपता—सामान्यतः अन्य सघीय प्रणालियों में कानून प्रशासन तथा न्यायिक संरक्षण के मामलों में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। किंतु भारत में इस प्रकार की विभिन्नता को काट दिया गया है। क्योंकि संविधानकारों का आशय था कि यदि इस विभिन्नता को सीमाओं का अतिक्रमण करने दिया गया तो उससे देश में अव्यवस्था फैल जायगी। फलतः संविधान में एकरूपता पर ध्यान दिया गया और इसके लिए तीन तरीकों का अपनाया गया है।

(क) समूच देना के लिए उद्देश्य समन्वित न्यायपालिका (integrated judiciary) की रचना की है। (ख) समूच देश के लिए उद्देश्य एक ही प्रकार के अतिरिक्त एक ही प्रकार के कानूनों का

स्थापित किया है, तथा (ग) उन्होंने समूचे देश के लिए समन्वित शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की है। वित्तीय प्रशासन को भी इस प्रकार निर्मित किया गया है जिसमें समूचे देश की वित्तीय स्थिति को देखभाल कम्पट्रोलर जनरल तथा आडीटर जनरल कर सके। यही नहीं, समूचे देश के लिए चुनावों की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है।

(10) सविधान में दुःसशोध्यता की न्यूनता—भारतीय सविधान सप्तर के अन्य सघीय सविधानों की अपेक्षा कम दुःसशोध्य है। जैसा कहा जा चुका है कि सविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें सकट काल में बिना किसी सशोधन के बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें केवल ससद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही बदला जा सकता है। कुछ अन्य प्राविधानों को बदलने के लिए ससद के दोनों सदनों के अलग-अलग दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़े से मामलों में सशोधन करने के लिए आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सविधान में सशोधन की प्रक्रिया अन्य सघीय राज्यों की अपेक्षा कम जटिल है। फलतः सविधान में यह निश्चितता एवं अन्तिमता नहीं पायी जाती जो अन्य सघों के सविधानों में पायी जाती है।

2 सघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सविधान ने देश में जिस सघ की स्थापना की है, उसका रूझान निश्चयात्मक रूप से एकात्मकता की ओर है। सविधान के इन उपबन्धों की बहुत आलोचना की गई है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि सघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान हो गयी है। वस्तुतः इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, और उनसे पूर्णरूपेण सहमत होना कठिन है। किन्तु फिर भी उनमें निहित मत्त अथवा असत्त का पता लगाने के लिए सघ एवं राज्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा की जाये।

(अ) विधायी सम्बन्ध

जैसा कहा जा चुका है कि भारत में शक्तियों को तीन सूत्रियों में बाँटा गया है—सघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची।

(1) सघ सूची—सघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, मैन्य शक्ति, गस्त्रास्त्र, युद्ध और शान्ति, आणविक शक्ति तथा उसके निर्माण के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रसाधन, देगीयकरण, मुद्रा-निर्माण, लोक ऋण, रिजर्व बैंक, विदेश व्यापार अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, नियमन तथा उनका विनियमन, आयात एवं निर्यात, तम्बाकू और अफीम आदि पर महसूल, बैंकिंग, बीमा, जेयर बाजार, नाप-तौल के प्रतिमान, उद्योग नियन्त्रण, खानों, खनिज पदार्थों तथा तेल ससाधनों का विनियमन एवं विकास, राष्ट्रीय मशहलियों का आरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक, भारत का सर्वेक्षण, सघीय लोक-मेवाएँ, ससद व राष्ट्रपति के निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जनगणना, गान्तिनिकेतन, मीमा-शुल्क तथा नियति-शुल्क, निगम-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मपदा-शुल्क, समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर, अलीगट, बनारस एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि।

उपर्युक्त सूची में स्पष्ट है कि उनमें ऐसे सभी विषय सम्मिलित हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व का माना गया है। परन्तु इस सूची का महत्त्व केवल उन विषयों के कारण नहीं है जिन्हें उसमें शामिल किया गया है, उसका महत्त्व इस सूची के साथ दिये गये अन्य प्राविधानों के कारण भी है। उदाहरणस्वरूप, सूची में 52वें नम्बर पर लिखा है—'उद्योगाधन्वे जिन पर ससद द्वारा पारित कानून मार्बजनिद हिन में सघ का निन्त्रण बाछनीय घोषित करे।' इस व्यवस्था के फलस्वरूप सघ सरकार ने लोहे और इस्पात के बहूत में उद्योगों को तथा 1971 में कोयले की खानों पर अपना

नियंत्रण स्थापित कर दिया था। वही प्रकार वि विद्यालय जहाँ राज्य सूची में प्राप्त न वहाँ मविधान न समद को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह किसी भी मस्या को राष्ट्रीय महत्व की मस्या घोषित कर सकती है और इस प्रकार वह उसे मघ सरकार क नियंत्रण में ला सकती है। ससत् न अपनी वसी शक्ति का प्रयोग करके जामिया मिनिया इण्डियन स्कूल आफ टैटरनगन स्टनीज तथा गुम्बुन वि विद्यालय को अपन नियंत्रण में न लिया। वमम यह प्रमाणित है कि वम सूची स मघीय ससद की पूरी शक्तिया का अनुमान नहीं हा मकता उसकी शक्तिया का सही मूयाकन करने क लिए सविधान क अय प्राविधाना को भी दवना आवश्यक है।

(ii) समवर्ती सूची—स सूची में राष्ट्रीय और स्थानाय महत्व क 47 विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची का व्यवस्था भारतीय मघ की कोई अपनी विगपता नहीं है। वस्तुतः विश्व क अय सक्षीय सविधाना में वम प्रकार की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि शक्तिया का दो सूचिया में वितरण से जो जटिलता उत्पन्न होे उस वम किया जा सके तथा कत्त को आवश्यकता पडने पर म्यानीय मन्त्र क विषया पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया जा सके। जसा वनाया जा चुका है कि वम सूची में उल्लिखित विषया पर मघ और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है परन्तु यदि मघ और राज्य क कानून में कोई अतविराध है तो उस स्थिति में मघ का कानून माना जायगा राया का नहा। इम सूची स वर्णित विषया में स मुख्य निम्नलिखित हैं—पौजदारा कानून व प्रक्रिया सिविन प्रणानी विचारक निराय विवाह और विवाह विच्छेद विवािनयापन तथा ऋण गाय क्षमता पागत्रपन ठन और सामेगरी मजदूर मघ शायिक तथा सामाजिक नियोजन सामाजिक सुरक्षा और वीमा गणायिषया की सहायता पुनवास खाद्य पदार्थों में मित्रावत् राजगार और धरोजगारा विधि चिकित्सा तथा यवमाय क्रम मरण क आक्रे म्रम कयाण मूय नियंत्रण कारखान प्रिजती समाचार-मत्र पुस्तकें तथा मुष्णानय आदि।

1954 में पारित तृतीय मन्गोल के अनुसार इम सूची में एक विषय और जोड़ा गया है जो वम प्रकार है—(अ) एम किसी उद्योग यथ क उत्पादन जिह ममत् के कानून के द्वारा सावजनिक तिन में मघ के नियंत्रण के योग्य घोषित किया जा चुका है तथा उसी प्रकार क उत्पादना क जायात (ब) खाद्यान्न जिनम तिनहन और खान वान तन गामिन है (स) पशुआ का चारा जिनम यन सम्मिलित है (द) कपास और विनील तथा (य) कच्चा जूट। स मन्गोल द्वारा प्रस्त शक्ति के अतगत ही मघ सरकार ने एक राज्य स म्मर राज्य में तथा एक राज्य क भीतर एक स्थान में दूसरे स्थान में खाद्यान्न के खान तथा न जान को निर्यात किया था।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषया पर मघ एव राया क बीच मघ की स्थिति का निराकरण करने के लिए एक अभिसमय विकसित हुआ है जिसके अनुमा मघ सरकार राया की सरकारों को समवर्ती सूची में लिये गये किसी विषय पर यदि उसकी इच्छा कानून बनाने की है तो वह उस वम जाय की सूचना भेज देती है। राया की सरकार स अवसर का लाभ उठाकर मघ की सरकार को उस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में अवगत करा सकती है। इसी प्रकार राया की सरकारें भी जब वह ऐसा करता हाता है केत्त का अपने प्रस्ताव की सूचना भेज देती हैं और वे सामायत उस समय तक कानून नहा बनाना जब तक कि मघ का कानून मन्त्रानय उस अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देता।

(iii) राज्य सूची—स सूची में 66 विषय हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार सामायत राया का ही प्राप्त है। दूसरे गत्ता में साधारण स्थिति में इस सूची में वर्णित विषया पर मघ की ससत् का कानून बनाने का अधिकार न वचित रखा गया है। इस सूची में जिन विषया को सम्मिलित किया गया है उनमें में प्रमुख वम प्रकार हैं—सावजनिक व्यवस्था पुलिस पाय प्रशासन जन तथा सुधारानय स्थानीय शासन सावजनिक स्वास्थ्य और मफाई मादक पय गिशा पुस्तकानय अजायवधर वृषि मिचाइ पशुवानन मत्स्य यवमाय चिकित्मानय बय पशुआ की रक्षा ग्राम-सुधार सावजनिक निर्माण काय गस व गस निमाण मणिया और भेने

राज्यगत व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि आय-कर, भूमि-कर, मनोरजन-कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर, समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर विक्री-कर, विज्ञापन पर कर, वस्तुओं की उत्पत्ति तथा उनका वितरण, नाटक घर आदि।

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है कि सामान्यतः ऐसे उन सभी विषयों को राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिनका सम्बन्ध सामाजिक कल्याण के साथ है। इस सूची से यह भी भासित होता है कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की गई है। किन्तु यथार्थ में यह स्वायत्तता उतनी वास्तविक नहीं है जितनी कि वह दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सघ सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में सविधान के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में दिये हुए विषयों के ऊपर भी कानून बनाये।

राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर केन्द्रीय ससद के हस्तक्षेप की एक अन्य स्थिति भी हो सकती है। सविधान की 253वीं धारा में लिखा है कि अपने अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों के पालन के लिए केन्द्र की ससद राज्य सूची में दिये गये ऐसे सभी विषयों पर कानून बना सकती है जिनका सम्बन्ध उन अनुबन्धों के साथ है। इस प्रकार सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्यों के विधानमण्डलों का राज्य सूची में गिनाये गये विषयों पर कोई एकाधिकार नहीं है, यद्यपि यह सही है कि सविधान के लागू होने के बाद केन्द्र ने इन प्राविधानों का दुरुपयोग करके राज्यों की स्वायत्तता के लिए कोई खतरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) **ऋवशिष्ट शक्तियाँ**—जो विषय उपर्युक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं हैं, उनका प्रशासन सघ सरकार को सौंपा गया है। सयुक्त राज्य अमरीका में ये शक्तियाँ राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं, इस प्रकार भारतीय सविधान की यह व्यवस्था अमरीकी सविधान की व्यवस्था से भिन्न है। किन्तु यह व्यवस्था कनाडा के सविधान से मिलती-जुलती है, वहाँ भी इन शक्तियों को केन्द्र में निहित किया गया है।

सघ और राज्यों के बीच पाये जाने वाले विधायी सम्बन्धों के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सविधान ने राज्यों के विधानमण्डलों को भी यह अधिकार प्रदान किया है कि वे यदि आवश्यक समझे तो राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय अथवा विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र की ससद को समर्पित कर दें। सविधान की 252वीं धारा में यह प्राविधान है कि यदि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें तो केन्द्र की ससद उनके लिए उस विषय पर कानून बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये कानून को राज्य के कानून द्वारा सशोधित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सविधान की इस व्यवस्था को सघीय प्रणाली का उत्लघन करने के लिए केन्द्र की सरकार के पास राज्यों की ओर से एक स्थायी निमन्त्रण की सज्ञा प्रदान की जा सकती है। बहुत सम्भव है कि अधिकांश राज्यों में तथा केन्द्र में किसी एक दल का शासन हो तथा कुछ थोड़े से राज्यों में अथवा किसी एक राज्य में किसी दूसरे दल का शासन हो। उस स्थिति में केन्द्र का शासक दल राज्यों में स्थित अपने दल की सरकारों के साथ सौंठ-गौंठ करके केन्द्र की ससद को अपरिमित विधायी शक्तियों को हड़पने का अवसर दे सकती है।

(v) प्रशासनिक सम्बन्ध

किसी भी सघीय शासन-प्रणाली की सफलता के लिए यह परमावश्यक है कि सघ तथा राज्यों की सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग हो। परन्तु प्रत्येक सघीय राज्य में कुछ ऐसी शक्तियाँ जवश्य पायी जाती हैं, चाहे वे दृश्य हों अथवा अदृश्य, जिन्हे यदि कानून द्वारा मर्यादित न किया जाय, तो वे विवादों एवं सघर्षों को जन्म दे सकती हैं, जिनके परिणामस्वरूप राज्य के अस्तित्व को भी खतरा पहुँच सकता है। अतः प्रत्येक सघ में इस प्रकार की सम्भावना का निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य कर लिये जाते हैं। भारतीय सविधान में भी इस

प्रकार के प्रवर्धा की व्यवस्था है। वस्तुतः इन प्रवर्धा के मूल में दा उद्देश्य निहित हैं—प्रथम सघीय मसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर सघ के नियंत्रण का प्रभावकारी बनाना तथा द्वितीय सघ और राया के बीच सघ की स्थिति का उत्पन्न न हान देना। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रवर्ध में केन्द्र की स्थिति का सर्वोपरि स्थान मिलता तथा राया की स्थिति को हीन रखा जाता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मविधान में सघ और राया के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारित करत समय 1935 के अधिनियम का अनुकरण किया गया है। केन्द्रीय सरकार राया पर निम्नलिखित ढंग से अपने नियंत्रण का प्रयोग में ला सकती है—

(1) राय सरकारों को निर्देश देना—संयुक्त राय अमरीका में सघीय सरकार द्वारा राय सरकारों के निर्देश देने का अच्छा नमूना माना जाता। किंतु भारतीय संविधान सघ का निम्न स्थिति में निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है—

(अ) संविधान का 26वाँ धारा में लिखा है कि प्रत्येक राय की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा जिसमें संसद द्वारा निर्मित कानूनों का तथा उन वर्तमान कानूनों का जो उस राय में लागू हैं पानन सुनिश्चित रहे तथा सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राय में एम निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार का उस प्रयोजन के लिए आवश्यक लिखा है।

इस प्राविधान के मूल में दा सिद्धान्त निहित है जिनका उल्लेख स्वयं डा अम्बेकर ने संविधान सभा में किया था। डा अम्बेकर के ही शब्दों में—प्रथम सिद्धान्त यह है कि समवर्ती सूची के बारे में कानून चाहे उस संसद ने बनाया हो या राय विधानमण्डल ने उसे कार्यान्वित करने का शक्ति साधारणतया राया में निहित होगी। दूसरे यह कि समवर्ती सूची में स किसी विषय के बारे में कानून की रचना करने के समय यदि संसद के विचार में केन्द्र सरकार को उसका परिधानन करवाने तथा कार्यान्वित करने की शक्ति होगी चाहिए तो संसद ऐसा करने में समर्थ होगी।

क्या यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के कानूनों पर कोई अमन न किया जाय और वह केवल कागज पर लिखे कानून माने जा सकें। संविधान ने केन्द्र को यह दायित्व सौंपा है कि वह छुआडूत का उन्मूलन करे। क्या यह बात युक्तिसंगत कही जा सकती है कि केन्द्र एक विधायक पारित कर गति से बच जाय और प्रतीक्षा करता रहे कि राज्य सरकार किस प्रकार उक्त विधायक की क्रियाविति करती है।

राय सरकार द्वारा इन आदेशों के पानन न करने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषणा कर सकता है कि राय में सांविधानिक व्यवस्था अक्षय हो गई है और वह इस घोषणा के द्वारा राय द्वारा सम्पानित हान वाले सभ कामों को अथवा किसी एक काम को अपने हाथ में ले सकता है।

(ब) संविधान ने सघ की कार्यपालिका को यह दायित्व भी सौंपा है कि वह यह देखे कि राय और सघ के बीच का सघ उत्पन्न न हो पाय। संविधान की 257वीं धारा में लिखा है कि राय की सीमाओं के अंदर केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति को अनुचित अथवा अव्यवस्थित न किया जाय। यदि किसी सघीय अभिकरण को किसी राय में अपने कृत्यों का परिधानन करने में कठिनाई होनी हो तो सघाय कार्यपालिका राय सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है।

(स) कुछ विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन मामलों के ऊपर राया का सहाय परामर्श देता रहे। इस प्रकार के विषयों में राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्त्व के संचार-साधना का निमाण और पोषण राया के सीमान्त में राये गणतंत्र की सुरक्षा आदि शामिल हैं। संविधान ने संसद को यह शक्ति भी प्रदान की है कि वह किसी राजपथ को अथवा जनमार्गों को अथवा नौकागम्य नदियों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दे और

फिर उनके नियन्त्रण को केन्द्र के हाथों में सौंप दे।

यह बहुत सम्भव है कि केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन में राज्यों को अपने सामान्य व्यय से अधिक व्यय करना पड़े। अतः सविधान में यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जो अतिरिक्त व्यय राज्यों को करना पड़े, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। व्यवस्था के अनुसार सच राज्यों के साथ एक करार करेगा जिसमें यह निश्चित कर दिया जायेगा कि सच कितनी राशि देगा। यदि सम्बद्ध पक्षों को इस सम्बन्ध में कोई समझौता करने में सफलता न मिले तो उस स्थिति में मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है और वह यह निश्चित करेगा कि राज्य ने उस कार्य के लिए कितना अतिरिक्त व्यय किया है। राज्य को उतनी ही राशि अतिरिक्त व्यय के लिए दी जाएगी।

(2) **सघीय कार्यों का राज्य सरकारों को सौंपना**—सविधान का 258वा अनुच्छेद सघीय कार्यपालिका को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने क्षेत्र में आने वाले कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य राज्य की सम्मति से राज्य सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी को सौंप दे। ससद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने किसी कानून द्वारा (जो राज्यों पर लागू होता है) राज्य के अधिकारियों को कोई भी शक्ति कार्य अथवा उत्तरदायित्व सौंप सके। सघ सरकार राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के लिए किये गये व्यय की अदायगी राज्य सरकार को करेगी। यह व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ करेगा।

सविधान की 207वी धारा भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी विदेशी राज्य की सरकार के साथ किये गये समझौते के आधार पर किसी भी राज्य-क्षेत्र में कोई भी कार्यपालिका, व्यवस्थानिका अथवा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य ग्रहण कर सकती है। 260वी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र सघ की, तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, न्यायिक कार्यवाहियों तथा अभिलेखों आदि को पूर्ण मान्यता प्रदान की जाएगी। इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की रीति एवं शर्तों तथा उनके प्रभाव का निर्धारण ससद द्वारा निश्चित रीति के अनुसार होगा।

यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि सविधान की 355वी धारा ने सघ सरकार को यह कर्तव्य सौंपा है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गडबडी से राज्य सरकार की रक्षा करे और इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक राज्य में शासन का परिचालन सविधान के अनुसार हो।

(3) **अखिल भारतीय सेवाएँ**—भारतीय सविधान द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि सघ सरकार एवं राज्य सरकारों के अलग-अलग सार्वजनिक अधिकारी होंगे जिनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होगा। परन्तु साथ ही में सविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का कार्य-क्षेत्र सघ एवं राज्य दोनों में समान रूप से होगा। सविधान की 312वी धारा में ससद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राष्ट्रीय हित में कानून द्वारा सघ एवं राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की रचना के लिए उपबन्ध कर सकती है। वस्तुतः यह प्रावधान भारतीय सविधान की एक अनोखी विशेषता है।

(4) **आर्थिक सहायता**—यदि किसी सघ की इकाइयों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वायत्तता को औपचारिक बनाने के स्थान पर उसे कुछ वास्तविक स्वरूप प्रदान करना अपेक्षित है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इकाइयों को आर्थिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। परन्तु इस सिद्धान्त की कठोर क्रियान्विति सम्भव नहीं है। अतः सामान्य रूप में प्रत्येक मघात्मक सविधान में इन प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि करो में प्राप्त कुछ धनराशि का मघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजन हो जाया करे। परन्तु इस व्यवस्था से भी राज्य सरकारों का काम नहीं चल पाता, फलतः उन्हें केन्द्र की आर्थिक सहायता का मुह देखना पड़ता है। भारतीय सविधान की 275वी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि वह राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप

म एसा रागियाँ कानून द्वारा निर्धारित कर कि उन्हें कितन धन की आवश्यकता है। वही धारा म यह भी कहा गया है कि अनुदान के रूप म राया को दी गई धनरागिया भारत क सचित निधि प भास्ति हा। सविधान न विगप रूप स दा स्थितिया म राया का क द्वारा आर्थिक सहायता निदान की व्यवस्था की है—

(अ) यदि किसी भी राय न भारत सरकार की पूव सहमति स ऐसी निकास योजनाया के कार्याचयन का उत्तरदायित्व अपन हाथा म न दिया हा अथवा जिनका उद्देश्य अनुसूचित राया के प्रगासकीय स्तर का ऊचा करना हा तो उसक निग मम्बद्ध राय को अनुदान दिया जा सकता है। पर तु यह अनुदान भारत की सचित निधि पर भारित होगा।

(ब) अमम के राया का अनुसूचित क्षत्रा क विकास क लिए सहायक अनुदान दिया जा सकता ह।

उपयुक्त विवचना स प्रमाणित है कि आर्थिक सहायता क माध्यम स सघ की सरकार का सहायता प्राप्त करन वात राया पर अपना नियन्त्रण स्थापित करन का अवसर मिल जाता है। आर्थिक सहायता सत्व किसी शत क साथ दी जाती है तथा वह सघीय सरकार के विनियमा के अधिन रहती है। यह स्वाभाविक भी है कि जा धन चय करता है वह अपना इच्छानुसार नीति भी निर्धारित कर।

(म) वित्तीय सम्बध

जसा कहा जा चुका ह कि सघ राय म कानूना का वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करन के लिए आर्थिक स्वायत्तता का भी व्यवस्था की जाती ह। फनत प्रत्येक सघ म केंद्र और क्वाइया को उनके अपन विधायी एव कार्यात्मिका सम्बधी कार्यों क निष्पादन के लिए अलग अलग वित्तीय प्रसाधन सौप जात है। परन्तु एम सिद्धान्त का षणरूपेण पानन किसी भी सविधान म नहा हो सका है।

एस सम्बध म भारतीय सविधान म पाइ जान वाली स्थिति बहुत अधिक असन्तापजनक है। राया का जो प्रसाधन दिए गए ह वे बहुत अधिक अल्पवर्ण है। जत यह व्यवस्था की गई ह कि कुछ कर एम हाग जिहू सघ की सरकार नगायगी तथा जिनका संग्रह या तो सघ की सरकार करगी और या राय की सरकार और जिनस प्राप्त जाय का या ता जागिक रूप से राय का द दिया जाएगा या पूण रूप स। एमक अनिश्चित सविधान द्वारा किया गया वित्तीय प्रसाधना का वितरण न ता जतिम ह और न अपरिवर्तनाय। सविधान रचना क समय यह व्यवस्था की गई थी कि वित्तीय प्रसाधना का वितरण उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार 1935 के अग्रिनियम म किया गया था। परन्तु साथ ही म यह व्यवस्था भी की गई थी कि राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष क पश्चान् एक वित्त जायाग निगुक्त किया करगा जा उसे सघ और राया क बीच वित्तीय प्रसाधना क वितरण तथा सघ द्वारा राया का रिय जान वाल अनुदान क सिन्ताता क सम्बध म परामग देगा। इस प्रकार भारतीय सविधान म सघ और राया के बीच पाय जान वात आर्थिक सम्बध म एक जनाया नचकीरापन पाया जाता है जिनकी मिसान्ट म किसी जय सघीय राय म नही दिग्या पडती।

प्रसाधनों का वितरण—सघ और राया क बीच आय क वितरण का उदख सातवा सूची म हुआ है और जसा कहा जा चुका है कि उमका आवारवह वितरण है जो 1935 क अग्रिनियम म किया गया था। एम प्रकार सघ सरकार का व सभी प्रसाधन प्रदान किय गय हैं जो सघ सूची के अगत आत हैं तथा राया को व प्रसाधन सौपे गय है जो राय सूची म उा नमित हैं। समवर्ती सूची म किसी भी प्रकार क करा का प्राविधान नया है। एम वितरण क सम्बध म एक उदखनीय बात यह है कि जना राया का अपन द्वारा नगाय गये करा स प्राप्त सम्पूण आय को अपने पास रान का अधिकार है किन्तु जिन करा को लगान का अधिकार सघ

को दिया गया है, उनमें से कुछ कर ऐसे हैं जिनसे प्राप्त आय या तो पूर्णतः राज्यों को दे दी जाती है, अथवा वह उन्हें आंशिक रूप से दी जाती है। सविधान ने इस प्रकार के करों की चार विभिन्न श्रेणियाँ बतायी हैं। प्रथम श्रेणी में वे कर आते हैं जो केन्द्र की सरकार के द्वारा लगाये जाते हैं, किन्तु जिनका संग्रह राज्यों के द्वारा होता है और जिनसे प्राप्त आय को राज्य पूर्णतः अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार के करों में मुद्राक शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री (toilets) पर शुल्क सम्मिलित हैं। द्वितीय श्रेणी के कर वे हैं जो सघ के द्वारा आरोपित और संग्रहीत किये जाते हैं, परन्तु जिनसे प्राप्त आय को राज्यों को दे दिया जाता है। इस प्रकार के करों में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति के उत्तराधिकार-विषयक शुल्क, कृषि भूमि से अन्य सम्पत्ति विषयक शुल्क, रेल, समुद्र अथवा वायु द्वारा ले जाये गये माल और यात्रियों पर सीमा कर, शेयर बाजार और सट्टा बाजार के सौदों पर मुद्राक शुल्क से अन्य कर आदि। तृतीय श्रेणी में आय कर आता है जिसे सघ की सरकार आरोपित भी करती है तथा संग्रहीत भी, किन्तु जिससे प्राप्त आय को सघ और राज्य दोनों के बीच बाँट दिया जाता है। चौथी श्रेणी में वे कर आते हैं जिन्हें सघ आरोपित करता है तथा जिनके संग्रह का दायित्व भी सघ सरकार के पास ही होता है, किन्तु जिनका सघ राज्यों के पास हिस्सा बाँट कर लेता है। इस प्रकार के करों में औषधि एवं प्रसाधनिक सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क शामिल हैं।

अनुदान—सविधान में सघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान पाया जाता है। सविधान की 273वीं धारा में लिखा है कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा असम के राज्यों को जूट तथा जूट-उत्पादनों के निर्यात शुल्क के बदले में सघ अनुदान देगा तथा अनुदान की राशि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जायेगी। सविधान में सघ को यह कर्तव्य सोपा गया है कि वह अनुसूचित कवायली क्षेत्रों में प्रशासकीय स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा उनके कल्याण के कार्यों को निष्पादित करने के लिए काम करे और इस सम्बन्ध में वह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। सविधान की 275वीं धारा में इस प्रकार के अनुदान का उल्लेख है। यह सघीय सरकार का काम है कि वह इस प्रकार दिये जाने वाले अनुदानों की राशि निर्धारित करे तथा यह भी निश्चित करे कि उस राशि को किस प्रकार खर्च किया जाना है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इन अनुदानों के माध्यम से सघ को राज्यों को अपने नियन्त्रण में रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त आयोगों की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले वित्तीय प्रसाधनों की राशि में, जिसमें अनुदान शामिल है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1952 में यह राशि 60 और 65 करोड़ के बीच में थी, अब यह बढ़कर 550 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

275वीं धारा के अन्तर्गत राज्यों को जो अनुदान सघ से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक राशि उन्हें अनुदान के ही रूप में 282वीं धारा के अन्तर्गत प्राप्त होती है। यह अनुदान नियोजन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दिया जाता है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः राज्यों को बराबर की राशि स्वयं व्यय करनी होती है। इस अनुदान के सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य एक बात यह है कि वह राज्यों को उन विषयों के ऊपर व्यय करने के लिए दिया जाता है जिनका सम्बन्ध राज्य सूची के साथ है। उदाहरण के लिए 1959-60 के वज्र में 60 विषयों पर व्यय करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 20 करोड़ रुपया सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए था, 17 करोड़ की राशि सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित की गई थी, 8 करोड़ रुपया कृषि और मत्स्य-पालन के लिए निश्चित किया गया था तथा 75 करोड़ रुपये की राशि मलेरिया उन्मूलन के लिए निर्धारित की गई थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के अनुदान के द्वारा भी सघ सरकार को राज्यों के ऊपर नियन्त्रण रखने में बड़ी सहायता मिली है।

कद्व द्वारा राशियों को दिये जान वाले ऋण—मध्य और राशियों का राशियों वित्तीय सम्बन्ध का परिचयन म कद्व द्वारा राशियों का दिये जान जाने वाला ऋण का भूमिका कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः पंचवर्षीय योजना का आरम्भ होने के पूर्व राशियों को मध्य द्वारा दिये जाने वाला ऋण का कोई विषय महत्व नहीं था यद्यपि यह राशि बन्द होती जाती थी। उदाहरणस्वरूप 1948 से लेकर 1951 तक कुल 50 करोड़ रुपये का ऋण मध्य न राशियों की सरकारों को दिये थे। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में यह राशि बढ़कर 900 करोड़ रुपये पर पहुँच गई। जून 1964-65 के वर्ष में राशियों को 690-80 करोड़ रुपये का ऋण मध्य सरकार ने दिये थे।

यह सही है कि यह बात राशियों की दृष्टि पर निर्भर करती है कि वे कितने ऋण ले सकें। परन्तु काल भी राशियों को ऋण लेने से इनकार देकर उस स्थिति में कर सकता है जबकि वह अपने आर्थिक विकास की भी आवश्यकता का ही परिचय कर दे। स्पष्टतया करना कि भी राशियों को दिये सम्भव नहीं हो सकता। उन वाच्य होकर उन्हें केवल ऋण लेने पर ही और जब वे काल की सरकारों के पास ऋण की आवश्यकता का माग जाते हैं तो उन्हें उसके समक्ष अपनी वह योजना भी प्रस्तुत करनी होती है जिसकी कार्यावधि के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता है। कालीन सरकार उनकी आवश्यकता का काल उम स्थिति में स्वाकार कर सकती है जबकि उस उनकी योजना भी माग है। इस प्रकार यह प्रकृत है कि कालीन ऋणों की राशियों का स्वायत्तता के अन्तर्गत मध्य सरकारों में हस्तान्तरण की ही अभिव्यक्ति है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक—लेखा परीक्षण का भारतीय संविधान में मध्य सरकार के एकाधिकारी क्षेत्र में रखा गया है। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए केवल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की व्यवस्था है तथा राशियों में लेखा परीक्षकों की। परन्तु वास्तव में ये सभी अधिकारों मध्य सरकार के अधिकार हैं। राशियों सरकार का उसके स्वयं लेखा का परीक्षण करने वाले अधिकारों के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का पद अथवा याविक है तथा उसकी नियुक्ति राज्य राष्ट्रपति द्वारा होनी है तथा उसके कार्य करने का परिस्थितियों का निर्धारण भी संसद द्वारा पारित कानून द्वारा होता है। यह काम इस अधिकारों का है कि वह यह बताये कि मध्य तथा राशियों की सरकारों अपने आय व्यय के लेखों को किस प्रकार रखनी और उमका यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उनके लेखा का परीक्षण करायें।

वित्तीय सङ्कट और राशियों की स्वायत्तता—संविधान की 360वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय सङ्कट की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। इस सङ्कट की अवधि के काल में राशियों का मधीय करों से उनके भाग में वचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राशियों को यह आदेश दे सकता है कि वे अपने वित्त विधेयकों का उसकी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखें तथा मध्य सरकार को किसी भी राशियों को वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण करने का निर्देश दे सकता है। संक्षेप में वित्तीय सङ्कट के समय राशियों की वित्तीय स्वायत्तता का अलंकरण के लिए पूर्णतः स्थगित रखा जा सकता है।

3 क्या भारत एक मध्य है ?

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में मध्य को वृत्तीय अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनके माध्यम से वह राशियों के आंतरिक मामलों में वृत्तीय सुगमतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकता है। मध्य सरकार की इन अधिक शक्तियों के कारण बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को मध्य वृत्त का क्या औचित्य है। वस्तुतः यह प्रश्न कोई नया नहीं है उस यद्यपि उस समय भी उठाया गया था जबकि संविधान की रचना हो रही थी और उम पर संविधान मभा में विवाद भी हुआ था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का यह मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धान्त की निममतापूर्वक हत्या की गई है। इसके विपरीत डा. अम्बेडकर का मत था कि संविधान दुर्घट राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है एक काल में तथा दूसरी छोर पर

राज्यों में, और प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र में सविधान के द्वारा सम्प्रभु शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनके इस दृष्टिकोण का सविधान सभा के अनेक सदस्यों ने समर्थन किया। उदाहरण के लिए श्री नेहरू ने कहा कि 'स्पष्टतः राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है।'

परन्तु इतना होते हुए भी बहुत से राजनीतिक नेताओं तथा सांविधानिक विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत एक सघ नहीं है। पहले के० सी० ह्वीअर के इस मत का उल्लेख किया जा चुका है जिसमें उसने यह कहा था कि भारत एक एकात्मक राज्य है, जिसमें सघात्मक तत्त्व गौण रूप से पाये जाते हैं। इसी प्रकार के दृष्टिकोण को आइवर जेनिंग्स तथा एलन ग्लैडहिल ने व्यक्त किया है कि भारतीय सविधान में जो सघात्मक तत्त्व पाये जाते हैं वे तो यथार्थ में केवल एक नकाव है जिनके द्वारा उसकी एकात्मकता को छिपाने का प्रयास किया गया है। के० एम० मुशी ने भी जो स्वयं प्रारूप समिति के सदस्य थे, इस मत को व्यक्त किया है कि 'भारत फेडरेशन नहीं है, अपितु वह एक यूनियन है।' कुछ दिन हुए प्रशासकीय सुधार आयोग ने सघ-राज्य सम्बन्धी का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस अध्ययन दल ने भी अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है—'भारत की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप सघात्मक है, किन्तु उसमें परम्परागत सघों के सार का अधिकांश अभाव है।'

इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि भारत में सघात्मक शासन के सभी तत्त्व पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए के० मन्थानम का मत है कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि भारत एक सघ है।' पॉल एच० एपलबी ने भारतीय सविधान को 'अत्याधिक सघात्मक' घोषित किया है। कुछ लोगों ने भारत में एकात्मक शासन को स्थापित करने की माँग की है। इनमें सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चन्द महाजन तथा भारतीय जनसघ शामिल हैं। एकात्मक शासन को स्थापित करने की माँग से भी यह भासित होता है कि इन लोगों के मतानुसार भारत में सघात्मक व्यवस्था कायम है जिसे वे अवांछनीय मानते हैं।

ऊपर जिस विवाद को सारांश रूप में व्यक्त किया गया है, वह केवल कोई शब्दों का झगडा नहीं है। वस्तुतः उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत मूल्यांकन सन्निहित है। अब यह आवश्यक है कि हम उन आधारों की समीक्षा करें जिन्होंने भारतीय सविधान की सघात्मकता पर एक प्रश्न-चिन्ह खडा कर दिया है।

इस सन्दर्भ में जो पहली बात कही जाती है वह यह है कि सविधान में 'फेडरेशन' शब्द को जान-बूझकर प्रयुक्त नहीं किया गया है और उसके स्थान पर 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है। डा० अन्वेदकर ने सविधान सभा में 'यूनियन' शब्द के प्रयोग को लाभकारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उनकी व्याख्या से स्थिति तो स्पष्ट नहीं हुई, कुछ भ्रमों में अवश्य वृद्धि हो गई। इस भ्रम का एक उदाहरण हमें राज्य सभा में गोविन्द वल्लभ पन्त के उस भाषण में देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा था, 'हम एक यूनियन में रहते हैं, एक फेडरेशन में भी नहीं' (We live in a union, not even in a federation)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'यूनियन' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे सघात्मक राज्यों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है और एकात्मक राज्यों के लिए भी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के सविधान की प्रस्तावना में 'यूनियन' शब्द के द्वारा उस देश का वर्णन किया गया है। यह बात निर्विवाद है कि संयुक्त राज्य अमरीका एक सघ है। परन्तु दूसरे छोर पर 'यूनियन' शब्द दक्षिणी अफ्रीका के राज्य के साथ भी प्रयुक्त होता है, जो निम्नन्देह एक एकात्मक राज्य है। वस्तुतः 'यूनियन' शब्द के प्रयोग से सविधान की सघात्मकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमें इसमें अधिक बजानदार तर्कों की विवेचना करने की आवश्यकता है।

भारत के मधीय राज्य न होने के पक्ष में जो दूसरा तर्क दिया जाता है और जो पहले तर्क की अपेक्षा निश्चय ही अधिक गतिशील है, वह यह है कि हमारे यहाँ केन्द्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तब तक कि जबकि विषयों को भी केन्द्र में ही निहित कर दिया गया है। यह

तक कोई नया तक नहा है इस अनज वार मंत्रिगण सभा में भा ु-राया गया था। परन्तु इस तक सम्बन्ध में भी एक बात कही जा सकती है कि विश्व के समस्त मध्याय सविधानों में का भा ु मंत्रिगण इस नहा है जिनमें शक्तियाँ का विभाजन एकसा ुआ हा। यहा ुहा ध्यान में रखने का बात यह भी है कि आज ममार के सभा ुगा में का ुयकरण का प्रवृत्ति पा ु जाता है। इस प्रकार जय सविधानों में का ुयकरण विाग की एक नया प्रक्रिया के ुग सम्पन्न हुआ है। किन्तु भारत में ऐसा मत्र कुछ नहा हुआ यहा ना का ुयकरण का प्रवृत्ति का सविधान के ुगारा हा मायना प्रदान के दा ग ु। वस्तुतः एसा हाता स्वाभाविक भा ुधा क्यानि भगताय राष्ट्रीय आानन का दीघ कान स शक्तियाँ का का ु स्थापित करने का न य था। यन्ि उसने दुव न का ु का व्यवस्था का स्वीकार किया था ना इमनिण था कि मुस्लिम नाग का पृथक्तावादा भाग के माय किमी भी प्रकार का का ु समझीता हा जाय। परन्तु विभाजन के पन्चा ुम प्रकार का का ु आवश्यकता भी नहा रह गई था। जत इस नवान पृष्ठभूमि में का ुमुखा सघ की स्थापना का जा सकती थी।

भारतीय सविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का ु का सावा ग ु है परन्तु इस जावार पर भा सविधान के सवात्मक स्वरूप का चुनौती नहा दा जा सकती। ससार का का ु एसा अनागता ुग नहा है जहा ुम प्रसार का व्यवस्था पाइ जाना हा। कना ुग में भा अवशिष्ट शक्तियाँ का ु में हा निहित की ग ु है कि तु उसमें उसमें सब त्मक स्वरूप पर का ु अंतर नहा आया है। यहा ुम सम्बन्ध में एक उदाहरणाय बात यह है कि सविधान के ुम प्राविधान में सघ की शक्ति में जभा तक का ु वृद्धि नहा हा है। शक्तियाँ के वितरण की तीता सूचियाँ तना विाग और औरवार है कि उनमें जब किमी न ु शक्ति का जा ुन का का ु गाम गता ुग नहा है। कतन सविधान के काया ुवयन के ुगभाग 24 वष हा चुक है और ुम प्राविधान का अभी तक व्यवहार में नान का जावश्यकता नहा ुग ु।

उपयुक्त विद्वचना में स्पष्ट है कि क ु का अधिक शक्ति प्रदान कर ुन स किसा भी सविधान के सधात्मक तत्त्व न ुग नहा हा तात। यथाय ुम सविधानवाद का मून सिद्धांत शक्तियाँ का सघ और ुका या के वाच विभाजन है और यह विभाजन एसा हाता चाहिए जिनमें सघ का सरकार अपनी वृच्छा से इवा ुया की शक्ति का कम न कर सक तथा सघ गव ुका ुया का सरकार प्रयथ ुव में सविधान में स हा जयना शक्तियाँ प्र ुग कर। सरकार ुग में सधीय सविधान में एसा या की स्वायत्तता का मायना दा नाना चाहिए। यहा महत्त्वपूर्ण बात यह नहा है कि स्वायत्तता का क्षेत्र कितना विाग अथवा कितना सामित ु महत्त्व की बात कवन तनी है कि ुका ुया का वायत्तता किस क्षेत्र में स्वाकार की जाय व ु निश्चि नहानी चाहिए। इस सम्बन्ध में ुग अम्वत्करण का सविधान सभा में यह कथन उदाहरणाय है कि जा क्षेत्र ग ुया के पास छोटा गया है उसमें व उसी प्रकार सम्प्रभ है तिस प्रकार का ु उस ुन में सम्प्रभ है जा उस मीता गया है। यह कथने ऊपर में दखने पर अनिश्चात्किपूण प्रनीत हाता है क्याकि सविधान में एम प्राविधानों का जभाव नगा है जा के ुको राधा के आतरिक मामला में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करत हैं अथवा जिनसे उस सकट कान में राय की सम्पूण स्वायत्तता का ह ुप जान की क्षमता प्राप्त हाती है। यहाँ उनमें से कुछ प्राविधानों का उदाहरण किया जा सकता है। सबप्रथम सविधान की तीसरी धारा का किया जा सकता है। इस धारा में सधीय व्यवस्थापिका का ग ुया की सीमाओं में हर-भेर करने की तथा ुम प्रकार नय रा ुया की रचना का अधिकार दिया है। सविधान का चौथी धारा में निहा है कि इस प्रकार जो परिवर्तन किए जायेंगे उह सशाधन न ुग माना जायेगा। इसलिए इस प्रकार के परिवर्तनों का सस ु के साधारण कानून के द्वारा व्यवहार में लाया जा सकता है। यह सहा है कि ुस प्रकार के परिवर्तनों का सस ु में प्रस्तावित करा के पूव सघ की सरकार से यह जपता की ग ु है कि व ुसम्बद्ध राय जयवा रा ुया से ुस सम्बन्ध में परामग कर। परन्तु उनका परामग सघ के त्रिय वायकारी हागा यह

कही नहीं लिखा है। सघ की ससद ने इसी शक्ति के आधार पर 1963 में आन्ध्र के राज्य की रचना की थी और आन्ध्र की रचना की प्रक्रिया में हैदराबाद के राज्य का लोप हो गया। इसी शक्ति के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्संगठन कानून (States Reorganisation Act) निर्मित किया गया था, जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। पिछले वर्षों में इसी शक्ति के आधार पर नागालैण्ड राज्य की असम राज्य के पुनर्गठन के द्वारा रचना की गई, इसी प्रकार पुराने पंजाब को बाँटकर पंजाब और हरियाणा के नये राज्यों को जन्म दिया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से सविधान की तीसरी धारा ने सघ को राज्यों के जीवन और मृत्यु का निर्णय देने का अधिकार दिया है। इस धारा पर टिप्पणी करते हुए के० पी० मुखर्जी ने लिखा है कि यदि यह एकात्मक सरकार की परिभाषा नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वह क्या है।' इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी धारा ने सघ सरकार को वह शक्ति प्रदान की है जो विश्व के किसी भी सविधान में सघ को प्राप्त नहीं है। यथार्थ में ससार के सभी सघों में जहाँ सघ की अखण्डता को कायम रखने का वचन दिया जाता है, वहाँ उनमें इकाइयों की अखण्डता को भी कायम रखने का आश्वासन दिया जाता है। अतः यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सविधान की तीसरी धारा सघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकूल है। परन्तु इतना मानने के बाद भी यह लिखना आवश्यक है कि सविधान में तीसरी धारा को इसलिए स्थान दिया गया था क्योंकि 1950 में भारत के राजनीतिक मानचित्र को ब्रिटिश सरकार से उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया था और यह स्पष्ट था कि साम्राज्यवाद की यह विरासत बहुत दिन नहीं चल सकती थी। यदि सविधान की रचना के समय ही इस मानचित्र में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया होता, तो उसके फलस्वरूप देश में इतना उग्र विवाद जन्म ले लेता कि उसका प्रतिकूल प्रभाव सविधान रचना पर भी पड़ता। अतः यह उचित समझा गया कि इस कार्य को अभी स्थगित कर दिया जाये तथा उसका निष्पादन सविधान द्वारा स्थापित ससद के द्वारा हो।

तीसरी धारा के अतिरिक्त भी सविधान में ऐसे अन्य प्राविधान भी हैं जिनसे साधारणतया असाधारण दोनों प्रकार की स्थितियों में राज्यों की स्वायत्तता पर आँच पहुँचती है। इन प्राविधानों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और उनके सम्बन्ध में भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे केन्द्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं तथा राज्यों की स्वायत्तता पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अहाँ तक 356वीं धारा के अन्तर्गत आने वाली सकटकालीन व्यवस्थाओं का, राज्यों में साविधानिक प्रणाली के असफल हो जाने वाले प्राविधानों का, प्रश्न है, कुछ बातें ध्यान में रखी जानी आवश्यक है। यद्यपि सविधान में कहा गया है कि सघ राज्यों के प्रशासन को अपने हाथों में केवल उस समय ले जबकि राज्य में सविधान के अनुसार शासन का संचालन हो ही न सकता हो तथा इस आशय का प्रतिवेदन उसके पास राज्य के गवर्नर से आया हो। परन्तु यदि केन्द्र और राज्य में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें हैं, तो उस स्थिति में केन्द्र राज्य के गवर्नर से अपनी इच्छानुसार रिपोर्ट लिखवा लेगा तथा फिर वहाँ के शासन को अपने अधिकार में ले लेगा। यह सही है कि ऐसा अभी तक बहुत कम हुआ है, परन्तु ऐसा हुआ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 1958 में केरल में नम्बूदिरिपाद मन्त्रिमण्डल को वरखास्त कर दिया गया तथा वहाँ राष्ट्रपति शासन स्थापित किया गया। चौथे आम चुनाव के बाद अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, जिनमें हरेक को उचित नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु इसे सविधान का दोष नहीं कहा जा सकता, यह दोष तो उनका है जिनके पास सविधान को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। स्पष्टतया ये व्यवस्थायें भी अल्पकालीन हैं तथा उनमें सविधान का सघात्मक स्वरूप आवश्यक रूप से नष्ट नहीं होना। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्राविधान भारतीय सविधान की कोई अपनी अनोखी विशेषता नहीं है, उनका अनोखापन केवल इस तथ्य में

है कि यहाँ उन्हें अथ सविधाना की अप न अधिक विगड़ बनाया गया है।

उपयुक्त विवचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी केन्द्रीय प्रवृत्तियाँ व वायजूद भारतीय सविधान का स्वरूप सघातक है। वन्त स नाग वस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि तु उनका कहना है कि सविधान की कार्याविति वम प्रकार हो रही है जा उसक निर्माताया की च्छा व सवया प्रतिकूल है। वदुधा यह गिनायत की जाती है कि वदत हुए कर्त्तीयकरण व परिणामस्वरूप राया की स्वायत्तता म निस्त दह कमी आर् है। उदाहरणस्वरूप टी० एम के व स्वर्गीय नेता सी जन्नादोराई न वस सम्प्रथम अपना मन व्यक्त करते हुए एक वार कहा था कि सघीय सविधान व कायावयन म राया की शक्तिया व त्रिग खतरा प्रस्तुत हो रहा है तथा राया की स्थिति अब कवन खरात पान वान निगम (dole getting corpora tion) की रह गई है। एमी प्रकार का मत स्वतंत्र पार्टी व नेता सा राजगावात्राचारी न भी व्यक्त किया था। उनकी गिनायत थी कि राया की स्वतंत्रता का भुनाया जा रहा है तथा समूच भारत म त्रिना विचार एकात्मक राय को स्थापित किया जा रहा है। वम प्रकार की गिनायत का मुख्य उद्गम वास्तव म राष्ट्रीय नियोजन है तथा नियोजन का त्रियाविति म योजना आयाग की भूमिका है। समस्या व वस पत्रू पर प्रकाश डालने हुए तरतोक सिन् न जो योजना आयाग व सदस्य भी रह चुके हैं एक बार यह लिखा था— राष्ट्रीय नियोजन न कद्र की भूमिका म वृद्धि की है तथा उनम कर्त्त जीर राया के उत्तरदायित्वा व विभे १ को कम करने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

यह मही है कि नियोजित अथयवस्था न राय मन्वधो का कर्त्त मुख बनाया है परतु वस प्रवृत्ति को जम दन के त्रिए सविधान का उत्तरदायी ठहराना उचित नहा है। वस्तुन वसके त्रिग दा कारण उत्तरदायी है और वनम स किसी एक का सविधान का अपरिचिततीय अथवा अनिवाय अग नहा माना जा सकता। प्रथम राया को कर्त्त स प्रवुर माना म आर्थिक सहायता प्राप्त हानी है और त्रितीय 1967 के आम चुनाव व पूव तक दश व कवन एक राजनीतिक दन का राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार था। यहा यह कहा जा सकता है कि रायो को अपनी याजनाथा को कार्यावित करने के लिए केन्द का मह वसत्रिए ताजता पत्ता है कयाकि सविधान न उह पर्याप्त वित्तीय प्रसाधन प्रदान किय है। यथाय म बात एसी नहा है। राया की आर्थिक दुनता का एक वना कारण यत् है कि राया की सरकारा न राजनीतिक कारण स प्ररित हाकर अपन यहाँ स्थित त्रितीय प्रसाधना का पूणरूपण प्रयुक्त नहीं किया है जीर न उनम ऐमा करने की च्छा पाया जाती है। एमी स्थिति म यह स्वाभाविक ही है कि व केन्द पर जात्रित रह। त्त् से सनायता तन क वान व सहायता म उत्पन परिणामा स वचन की आगा नही कर सकत।

जसा कहा जा चुका है कि 1967 तक काग्रस का केन्द एव राया की सरकारा पर सभी जगह एकाग्रिफार था। सन दश म केन्द्रीयकरण को प्रवृत्तियों को एक बडी सीमा तक बन्वा दिया था। एक समय म एमा हाना स्वाभाविक भी था कयाकि उस समय त्रिग की वाग्वार राष्ट्रीय जादोनन व जान-बहुचाने नताजा जीर विनापकर जवाहरलाल नेहरू के हाथा म थी। राया के नेता पथ प्रदशन एव परामश व त्रिए उनकी ओर लखा करते थे। परतु 1964 म नेहरू जी व देहान्त के उपरात स्थिति म निश्चय ही एक परिवतन आया है। यहा यह उल्लेखनीय है कि नेहरू जी और नागवहान्तर शास्त्री व उत्तराधिकारिया के वयन म राया व मुख्यमंत्रिया ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी।

नामन ही पामर न लिखा है कि स्वतंत्रता व उपरात भारतीय राजनातिक जीवन के वहुन म अतत्रिराधा म से एक अर्तावरोध यह है कि यहाँ केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण दाना की शक्तिशानी प्रवृत्तिया का एक साथ विकास हुआ है। जहा दश म राष्ट्रीय एकता को बन्वा दन वान तत्त्व पाय जात हैं वहाँ एस तत्त्वा का भी अभाव नहा है जा दश का विघटन का आर

ले जा सकते हैं। आज भी देश के राजनीतिक जीवन में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद आदि बुराइयों को अवलोकित किया जा सकता है। इन बुराइयों को देखकर बहुधा कुछ निराशावादियों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि कालान्तर में भारतीय सघ का विघटन हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप पॉल एच० एपलबी ने अपने प्रतिवेदन में यह प्रश्न पूछा है 'क्या भाषायी विभाजनों तथा अपने प्रचामन के एक बड़े भाग के लिए राज्यों के ऊपर अमाधारण निर्भरता की पृष्ठभूमि में भारत अपनी राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति को कायम रखने में समर्थ हो सकेगा ?'

यहाँ इन भविष्यवाणियों की विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए केवल इस तथ्य को मान्यता देना पर्याप्त है कि भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ तथा स्थानीय भावनाएँ पायी जाती हैं और राज्य इन भावनाओं के प्रतीक हैं। पिछले दिनों में इन्हीं राज्यों में केन्द्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हुई है। यह स्वाभाविक ही है कि भारत जैसे बड़े आकार के देश में जहाँ विभिन्न भागों की ऐतिहासिक परम्पराएँ भी न केवल एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, अपितु उनमें एक प्रकार का टकराव भी पाया जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ विकसित हो। वस्तुतः ये विभिन्नताएँ ही इस बात की सबसे बड़ी गारन्टी हैं कि यहाँ अत्यधिक केन्द्रवाद विकसित नहीं हो सकता। यदि सीमाओं का उल्लंघन करके केन्द्रवाद को विकसित करने का प्रयास किया गया तो इसका परिणाम राष्ट्र की एकता के लिए घातक होगा। भारतीय सविधान में शक्तिशाली केन्द्र को स्थापित करने की आकांक्षा तथा क्षेत्रीय भावनाओं की अवहेलना न करने की इच्छा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि भारतीय सविधान में अन्य मघात्मक सविधानों की तुलना में कुछ भिन्नताएँ पायी जाती। भारतीय सघ के समन्वय में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसकी रचना सयुक्त राज्य अमरीका अथवा स्विट्जरलैण्ड के सविधानों की भाँति उस समय नहीं हुई जबकि राज्य के कार्यक्षेत्र के समन्वय में निपेधात्मक वारणा पायी जाती थी। आज राज्य के कार्यक्षेत्र के समन्वय में स्वीकारात्मक विचार पाये जाते हैं और ऐसी स्थिति में यदि सघ के कार्यक्षेत्र को सविधान में व्यापक बना दिया गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नियोजन का विचार भी वास्तव में राज्य के कार्यक्षेत्र की स्वीकारात्मक वारणा के साथ सम्बद्ध है और नियोजन के कार्य में केन्द्र और राज्य दोनों ही एक प्रकार से साझीदार हैं। यह सही है कि इसमें सघ की साझीदारी अधिक है, परन्तु इसके साथ में सही यह भी है कि राज्यों के सहयोग के बिना सघ कुछ भी न कर सकने की स्थिति में होगा। इसी आधार पर कुछ लोगों ने भारतीय सघवाद को सहकारी सघवाद की संज्ञा प्रदान की है।

4 वित्त आयोग

सविधान की 280वीं धारा में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। सघात्मक प्रणाली के मिश्रान्त एवं व्यवहार में इसे भारत का मौलिक योगदान घोषित किया जा सकता है। यद्यपि 1940 में इस प्रकार के आयोग की स्थापना की सिफारिश कनाडा में की गई थी, परन्तु उसकी कभी कार्यान्विति नहीं हुई। अतः वित्त आयोग के प्राविधान को भारतीय सविधान की अपनी विशेषता समझी जानी चाहिए।

यद्यपि सविधान में सघ और राज्य के बीच पाये जाने वाले वित्तीय समन्वयों का वार्षिक वार्षिक वर्णन पाया जाता है तथापि सविधानकार जानते थे कि कोई भी प्रवन्ध, चाहे उसे कितनी ही सावधानी से क्यों न बनाया जाये, हर परिस्थिति के लिए सन्तोषप्रद नहीं हो सकता। अतः यह सोचा गया कि पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और उस आयोग का यह दायित्व होना चाहिए कि वह पिछले पाँच वर्ष में दिये वित्तीय परिवर्तनों को ध्यान में रखकर सघ और राज्यों के बीच वित्तीय प्रभावों का पुनर्वितरण करे।

सविधान की 280वीं धारा में यह व्यवस्था की गई है कि सविधान के व्यवहार में जाने के दो वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की रचना करे, यह नाम इनके बाद हर पाँच वर्ष बाद

या उमक पूव ट्टराया जाना चाट्टिग। मी धारा म वित्त आयाग क गठन क सम्बध म यह निगना म कि उमम एर अन्यध क अनिरित्त चार सत्स्य जोर हाग। 1951 क वित्त आयाग अधिनियम (1955 म मगाधित) म अघ्यश तथा सत्स्यया की योग्यताय निर्धारित का गत् है। अन्य त क लिए यह आवश्यक माता गया है कि उम सावजनित्त जीवन म अनुभव हाता चाहिए तथा सदस्यया के लिए कहा गया है कि व (1) या ता उच्च यायायय क यायाधीन रह चुक हा जयवा उसम यायाधीन बनन की योग्यता न अथवा (2) उर सरकार क वित्त तथा नस्य का विनिष्ट जान हा जयवा (3) उर वित्ताय मामता एव प्रगामन क सम्बध म यापक अनुभव हो अथवा (4) उर जयगाम्त्र का विगप जान हा। यद्यपि आयोग की स्थिति कवन परगमन दन वान अभिकरण की है तथापि अभी तक म्मक किमा परगमन की टुकराया नहा गया म।

मविधान की 280 (3) धारा म वित्त आयाग क वाग्वन की निधारित किया गया है। उम राष्ट्रपति का तान प्रकार की सिफारिश करन का उत्तरदायित्व सापा गया म—प्रथम करा म प्राप्त जाय म मध और राय क बीच किम प्रशार वितरित किया जाय द्वितीय भारत की सचिन निधि म म राया का वित्त सिद्धाता क जागर पर अनुदान दिया जाय और तृताय त्रस्य वित्तीय प्रगामन की स्थापना के लिए राष्ट्रपति मारा पूरु गय मामता पर परगमन।

जभा तक उ वित्त आयोगा की रचना की जा चुकी है। पहला 1952 म स्थापित किया गया या न्तिाय 1957 म तृतीय 1961 म चौथा 1965 म और पाचवा 1968 म निर्मित ग य। उर आयागा की सिफारिशा के फनस्वरूप जायकर म प्राप्त धन म स राया का दिया जान वान हिमम म निरतर वृद्धि हाता मी है। प्रथम वित्त आयाग की स्थापना क पूव राया की दी जान वानी राशि जाय की 50 प्रतिगत थी जय यह वरकर 75 प्रतिगत हा गत् है। वित्त आयोगा की विभि सिफारिशा के फनस्वरूप राया का विभिन्न वस्तुजा क उत्पान गुफा म भा कुट्ट निम्मा भित्त गगा है।

वित्त आयागा न जय तक जो सिफारिशा का है उनकी विवचना स यह स्पष्ट है कि इन आयागा की भूमिका सत्कारा सघवान म सवधन करा वानी रहा है वहुधा यह कहा जाना है कि भारतीय मविधान म पाय जाने वान वित्तीय उपय धा की याजना भारतीय सघवान का सामाय प्रवृति क अनुकूल ही हुई है। मध सरकार राय सरकार की जय म अधिक स्थिर और गत्तिगाती है। परतु एसा हाता जावस्यक भी था और बाछनीय भी क्याकि इसक विना देग का नियोजित ग म जाधिक विकास नहा हा सकता था। परतु उर सम्बध म सविधानकारा न एक वात का विगप ध्यान लिया और वह वात यह थी कि राया की स्थिति मयायी रूप स जस्यधिक दुजन न रह। वित्त आयोग के प्राविधान न वाटे वाटे समय क बाद मध और राया के पारस्परिक वित्तीय सम्ब धा के ज ययन की यवस्या की है। उर जययन क जावार पर हा सम्बधा म परिवतन विय गय है जिनम राया की स्वायत्तता का नाभ पहुचा है।

5 क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद (Zonal Councils) की स्थापना 1956 क राय पुनगठन अधिनियम क अनगत ह्म थी। इसके पूव भारत म मुख्यत तीन प्रकार क राय पाय जात य। 1956 क अधिनियम न जहा राया का पुनगठन किया वना उमन क और ख गणा क राया के बीच म विभता को भी समाप्त कर लिया। चकि राया का पुनगठन मुख्यत भापा के आधार पर हुआ था वसतिय कुठ नेना म यह आगगा यक्त की गइ कि म्मने कारण देग म विघनकारी गत्तिया का उतावा भित्तगा। यह जागका पूणत निरावार भी नहा था क्याकि इसक पूव भापा के आधार पर बहुत अधिक उग्र ग हो चुक थ। इसी पूरुभूमि म प्रधानमन्त्री नह्म न 21 निसम्बर 1955 का राय पुनगठन आयाग क प्राविधान पर विचार विमन क समय यह मुभाव प्रस्तुत किया कि देग को चार जयना पाच वरु क्षत्रा म वाट लिया जाय तथा हरर क्षेत्र का एर क्षेत्राय

परिषद् स्थापित कर दी जाये। नेहरू जी ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश में सामूहिक चिन्तन की आदत विकसित होगी। गोविन्दवल्लभ पन्त ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों के मूल में जो उद्देश्य सन्निहित है वह यह है कि राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाया जाये। नेहरू जी के सुझाव को सदन ने स्वीकार कर लिया। फलतः समूचा देश निम्नलिखित पाँच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया—

(1) उत्तरी क्षेत्र—इसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश¹ के केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल हैं। पंजाब के विभाजन के बाद इसमें हरियाणा राज्य भी शामिल कर दिया गया है।

(2) दक्षिणी क्षेत्र—इसमें आन्ध्र प्रदेश, मद्रास (अब तमिलनाडु) और केरल के राज्य शामिल हैं तथा मैसूर (अब कर्नाटक) को इसकी बैठकों में स्थायी रूप से निमन्त्रित किया जाता है।

(3) मध्य क्षेत्र—इसमें केवल दो राज्य सम्मिलित हैं—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

(4) पूर्वी क्षेत्र—इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, नागालैण्ड² तथा मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल हैं।

(5) पश्चिमी क्षेत्र—इसमें महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर के राज्यों को सम्मिलित किया गया है।

क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य

23 अप्रैल 1957 को उत्तरी क्षेत्र की परिषद् का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन गृह-मन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए 6 बातें बतायी थी जो अग्रलिखित हैं—

(1) देश में भावनात्मक एकता की रचना करना।

(2) स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषायी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।

(3) कुछ मामलों व पृथक्करण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने में सहायता देना ताकि पुनर्गठन, समन्वयन और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएँ एक दूसरे के साथ मिल सकें।

(4) सघ और राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना ताकि समान हित के लिये एक-सी नीतियों को विकसित किया सके तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(5) प्रमुख विकास योजनाओं की कार्यान्विति में एक दूसरे के साथ सहयोग करना।

(6) क्षेत्रों और देश के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक सन्तुलन स्थापित करना।

क्षेत्रीय परिषदों का संगठन

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् की रचना निम्न अधिकारियों के द्वारा होती है—(1) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय मन्त्री, (2) क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्त्री, (3) इन राज्यों के दो अन्य मन्त्री जिन्हें वहाँ के सर्वानर ने मनोनीत किया हो, (4) क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक केन्द्र-शासित प्रदेश का एक प्रतिनिधि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करे। क्षेत्रीय परिषद् का अध्यक्ष केन्द्रीय मन्त्री होता है। अभी तक पाँचों क्षेत्रीय परिषदों में इस पद के उत्तरदायित्वों का निष्पादन केन्द्रीय गृह-मन्त्री ने किया है। उनकी अनुपस्थिति में यह उत्तरदायित्व राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सौंपा जाता है और वे वारी-वारी से इस पद को ग्रहण करते हैं।

¹ 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भी पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया।

² नागालैण्ड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1962 में प्राप्त हुआ था।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में कुछ परामर्शदाता भी होते हैं। उनमें क्षेत्र में स्थित राज्यांक मुख्य सचिव विकास आयुक्त तथा योजना आयोग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है। परामर्शदाताओं को परिषद् की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है परन्तु वे उनमें मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् का अपना सचिवानय होता है जिसकी रचना एक सचिव तथा एक अधिकारिया और सहायका के द्वारा होती है जिन्हें परिषद् नियुक्त करना चाहे। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव वारी वारी में एक वर्ष के लिये क्षेत्रीय परिषद् के सचिव के कार्यों का सम्पादन करता है। संयुक्त सचिव की नियुक्ति उन अधिकारिया में से की जाती है जिनका क्षेत्र में स्थित किसी राज्य के साथ सम्बन्ध नहीं है। उसकी नियुक्ति परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा होती है। सचिवानय का मुख्य कार्यालय क्षेत्रीय परिषद् के मुख्य कार्यालय में होता है।

क्षेत्रीय परिषद् की बैठकें सामान्यतया तीन महीने में एक बार होती हैं। उस सम्बन्ध में परिषद् की यह है कि बैठकें वारी वारी से क्षेत्र में स्थित राज्यों में की जायें। बैठक में निम्न उपस्थित मददगारों के बतौर के द्वारा नियुक्त होते हैं।

क्षेत्रीय परिषद् के कार्य

क्षेत्रीय परिषदें एक किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती हैं जिनमें क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों का तथा सघ को रूचि हो। ये परिषदें केवल परामर्श देने वाली संस्थाएँ हैं तथा वे सघ सरकार तथा सम्बद्ध राज्यों की सरकारों को उन मामलों में परामर्श देती हैं जिन पर उन्होंने विचार किया है। सामान्यतः इन परिषदों में निम्न विषयों पर विचार किया जाता है—

(अ) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन से सम्बद्ध क्षेत्रीय विषय।

(ब) सामान्य विद्यालय भाषाया अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात से सम्बद्ध विषय।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से सम्बद्ध कार्य-मामला।

यहां क्षेत्रीय परिषद् की अभी तक की उपनिधियों के विषय में कुछ कहना अप्रसंगिक नहीं होगा। उस सम्बन्ध में पहले ही बात यह है कि इन परिषदों का सफलता कुछ ऐसी नहीं है जिनसे उनके अस्तित्व का औचित्य प्रतिपादित होता है। इन परिषदों के माध्यम से न तो राज्यों के बीच अथवा राज्यों एवं सघ के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है और न उन तनावों का निराकरण हुआ है जिसके लिये इन परिषदों की स्थापना हुई थी। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इन परिषदों को हम पूर्णरूप से अनुपयोगी समझना चाहिये। इन परिषदों ने क्षेत्रों की सामूहिक सुगठित पुनित वित्तीय अधिकारियों के लिये सामूहिक प्रतिनिधित्व के स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सन्त परिषद् के युक्तीकरण (rationalisation) आदि मामलों का तय करने में कुछ सफलता अथवा य मिता है। परन्तु अंतर्गत मामलों जैसे कि इन परिषदों के द्वारा सुव्यवस्था नहीं जा सकता है।

यदि क्षेत्रीय परिषदों ने उन आशाओं को पूरा नहीं किया है जिनकी उनमें अपेक्षा की जाती थी तो उन्हीं उन आशाओं को भी सही प्रमाणित नहीं किया है जिनके भय से उनको स्थापित किया गया था। अपने आरम्भ के दिनों से ही इन परिषदों के विरुद्ध तीन प्रकार की आपत्तियाँ उभरीं थीं। चूंकि इन परिषदों के साथ क्षेत्रीय सरकारों का भी सम्बन्ध रखा गया था अतः कुछ लोगो को यह आशा थी कि इनके माध्यम से क्षेत्र राज्यों के शासन पर अधिकारिक नियंत्रण स्थापित करके प्रयत्न करेगा। अब यह कहा गया कि क्षेत्रीय परिषदों की रचना क्षेत्रीयकरण की ओर एक कदम है जिसका अर्थ है राज्यों का स्वायत्तता में कमी। इसी मत का प्रतीक भी गिरि ने भी 1956 में व्यक्त किया था तथा उन्होंने उन्हें भविष्य में स्थापित होने वाले एक-सक राज्य की ओर कदम बताया था। "सक" विपरीत कुछ हमारे लोगो का कहना है कि क्षेत्रीय समितियाँ न राज्यों के बीच सहयोग का माध्यम बनने की बजाय उनके बीच सघों और तनावों को जन्म दिया है। वस्तुतः इन दोनों दृष्टिकोणों के साथ

सहमत होना कठिन है। इनके सम्बन्ध में गोविन्दवल्लभ पन्त ने सही कहा था कि वे केवल 'अन्तर्राज्यीय फोरम' हैं जिनसे न तो केन्द्र की शक्ति पर आंच आती है और न राज्यों की।'

6 भारतीय सघ और चौथा आम चुनाव

ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय सघ में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने में दो कारणों की विशेष भूमिका रही है—केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा एक दल के हाथ में समूची राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार। मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहान्त के उपरान्त स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया तथा जैसा कहा जा चुका है 1964 में नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज के काम में तथा इसी प्रकार 1966 में लालबहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी की खोज में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। वस्तुतः नेहरू के अन्तिम दिनों में ही देश के राजनीतिक जीवन में राज्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होने लगी थी। जैसा माइकल ब्रेकर ने लिखा है—'नेहरू के अन्तिम दिनों में ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण आरम्भ हो गया था। इस सम्बन्ध में उत्तराधिकार ने तो केवल इतना किया कि उसने राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव की प्रवृत्ति को सामने ला खड़ा कर दिया।' यथार्थ में नेहरू के अन्तिम दिनों में अन्तरराज्यीय सम्बन्धों की ऐसी अनेक समस्याएँ थीं जिनका समाधान नहीं हो सका था। अतः यह स्वाभाविक ही था नेहरू जैसे व्यक्तित्व के उठ जाने के बाद यह समस्या और भी अधिक उग्र होती। चौथे आम चुनाव के पूर्व 1966 में भूतपूर्व एटोनी जनरल एम० सी० सीतलवाड ने कहा था कि 'केन्द्र दुर्बल हो गया है। शक्ति-सन्तुलन अब खिसक कर राज्यों के पास पहुँच गया है।' ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि चौथे आम चुनाव में यह प्रवृत्ति खुलकर सामने आती। इस चुनाव में राजनीतिक सत्ता पर एक दल का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की, सामान्यतः मिली-जुली सरकारें स्थापित हुईं। स्वतन्त्रता के पश्चात् यथार्थ में यह पहला अवसर था जबकि केन्द्र को एक साथ विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः इसे भारतीय सघवाद के लिए परीक्षा का पहला अवसर घोषित किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में यह अनिवार्य था कि बल सविधान के सघात्मक पहलुओं पर दिया जाता जिनकी एकदलीय प्रभुत्व के काल में उपेक्षा की गई थी।

आरम्भ में नयी गैर-कांग्रेसी सरकारों को इस बारे में सन्देह था कि केन्द्र उन्हें वाँछित सहयोग प्रदान करेगा तथा सघ-राज्य सम्बन्धों के नये ढाँचे को विकसित करने के लिये उनके साथ निबाहने का प्रयत्न करेगा। अतः यह स्वाभाविक था कि राज्यों के नये नेता केन्द्रीकरण का विरोध करते तथा राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की माँग करते। सत्ता में आने के फौरन बाद मद्रास के डी० एम० के० के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय अन्नादोराई ने केन्द्रीकरण के विरुद्ध सघर्ष करने के अपने निश्चय की घोषणा की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री पी० सुन्दरैया ने केन्द्र की इकाइयों पर हावी रहने की शक्तियों के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन का आह्वान किया। केरल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया जिसमें यह माँग की गई कि केन्द्र-राज्य सघटन की स्थापना की जाय जो केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के परिचालन में राष्ट्रीय फोरम की भूमिका अदा करे। इस ज्ञापन में यह सुझाव भी दिया गया कि राज्यों के वित्तीय प्रसाधनों में और वृद्धि की जाय। 'राज्यों की स्वायत्तता' विषय पर हुई एक विचार-गोष्ठी में भाषण करते हुए अन्नादोराई ने कहा कि 'केन्द्र की शक्ति राज्यों की शक्ति में निहित है और उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि उस शक्ति को राज्यों में विकेंद्रित किया जाय जिसे पर आज केन्द्र का अधिकार है।' 'केन्द्र को अपने पास केवल उतनी शक्ति रखनी चाहिए जिससे कि वह राष्ट्र की अखण्डता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा कर सके, उसे जेप शक्ति राज्यों को दे देनी चाहिये।' इसी बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए सुन्दरैया ने 'राज्यों के लिये पूर्ण स्वायत्तता' की माँग की और कहा कि 'केन्द्र को केवल प्रतिरक्षा और पर-राष्ट्र विषयक मामलों

पर नियंत्रण रचना चाहिए। नवम्बर 1971 में एक प्रस्ताव के द्वारा मासिक राशि कम्युनिस्ट पार्टी के पोपुलर प्रोवाइडेंट फंड के लिए जाति नियंत्रण के अधिकार को भी मांग की है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राशियाँ के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करने वाले वामपंथी दलों का हाँ नहाँ है उसमें अर्थ देने भी शामिल है। 1967 में जो धर्म के कार्यक्रमों मुख्य मंत्री प्रह्लादन शर्मा ने कहा था कि केन्द्र और राशियाँ के बीच वित्तीय प्रसाधन का अधिक उचित वितरण होना चाहिए। अर्थात् नतीजा सन्तुष्टि के लिए भी राशियों को अधिक शक्ति देना चाहिए। यह बात की मांग का समर्थन किया ताकि राशियों के प्रशासन में कर्मचारियों का प्रोत्साहन हो सके। यहाँ तक कि जनसमर्थन भी राशियों और केन्द्र के बीच वित्तीय प्रसाधन के पुनर्वितरण की आवश्यकता का अनुभव किया है।

सब और राशियों के बीच तनाव की अभिव्यक्ति करने के लिए केन्द्र द्वारा होकर समाप्त हो गई है। इसका अर्थ नहीं है। वस्तुतः चौथे चुनाव के बाद उद्घोष रूप में भी यक्त किया गया। उदाहरण के लिए करण के मंत्रिमण्डल में कर्मचारियों का निर्यात अपने यहाँ के नागरिकों की पूर्व गतिविधियों के मामलों में पुनर्निर्माण के लिए करण के काम में महामोक्ष करने से इंकार कर दिया। तब पश्चात् 19 सितम्बर 1968 का जब कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की ता करण की सरकार ने हड़ताल का समाप्त करने के काम में केन्द्र के साथ सहयोग करके समाप्त कर दिया। यही नहीं, उससे कुछ दिनों बाद उन सभी व्यक्तियों के विचारों को चलाया जाने वाले मुकदमों को वापिस ले लिया जिन्हें इस हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

उपरोक्त घृष्टभूमि में तमिलनाडु की सरकार ने 1970 में पी. वी. राजमन्जार की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति को उद्घोष से नियुक्त की कि वह केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को ठीक करे और वह यह यत्न करे कि भारत में लोकतंत्र का शक्तिशाली बनाने के लिए उन सम्बन्धों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(1) प्रधानमंत्री का अध्यक्षता में समस्त राशियों के मुख्य मंत्रियों की एक अन्तर्-राज्य परिषद् की स्थापना होनी चाहिए। इस परिषद् को स्वीकृति के बिना कोई भी ऐसा विधायक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जिसमें राशियों के अधिकारों पर जांच आती है।

(2) जायजि योजना आयोग को विघटित करना चाहिए तथा उसका स्थान पर ऐसे मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विज्ञान तकनीक कृषि तथा अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हों। यह विधान राशियों को योजना के सम्बन्ध में परामर्श दे। प्रत्येक राज्य में भी इस प्रकार के याननामण्डल हाने चाहिए।

(3) उच्च आयोग एक स्थायी अभिकरण होना चाहिए तथा केन्द्र को राशियों का पर्याप्त मात्रा में वित्तीय प्रसाधन सौंपना चाहिए ताकि राज्य केन्द्र पर अधिक आश्रित न रहे।

(4) राष्ट्रीय और सभ्यता संचार में से कुछ विषयों का राज्य सूची में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

(5) राजधानी की नियुक्ति राज्य मंत्रिमण्डल के परामर्श से होनी चाहिए अथवा इससे लिए एक उच्चस्तरीय समिति की रचना होनी चाहिए तथा जो शक्ति एक बार केन्द्र पर काम कर चुका है उसे उसी बार किसी अन्य सभ्यकारी पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सविधान में इस आयोग का सशोभन किया जाना चाहिए जिसमें राशियों के लिए एक प्रकार की जांच संहिता बनाया जा सके। सविधान की 164वाँ धारा को जिसमें लिखा है कि मंत्री राजधानी के प्रसाधन में काम कर सकते हैं सविधान से निकाल देना चाहिए।

(6) राशियों के अधिकारों में जान बान विषयों से सम्बद्ध मुकदमों में राज्य का उच्च न्यायालय सर्वोच्च होना चाहिए। परन्तु वे विधान विन्यास सम्बन्ध सविधान के निवचन के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भेज जा सकते हैं।

यदि राज्यों ने केन्द्र के विरुद्ध विरोध का भण्डा बुलन्द किया था, तो केन्द्र ने भी अनावश्यक रूप से राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। उदाहरणस्वरूप उसने वगाल और पंजाब में कानून द्वारा स्थापित सरकारों को तोड़कर अपनी कठपुतली सरकारों को कायम किया। केन्द्र से गह पाकर इन राज्यों के गवर्नरों ने जो भूमिका अदा की वह निश्चय ही वैसी नहीं थी जैसी कि राज्य के साविधानिक अध्यक्ष की होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सघ और राज्य के बीच तनाव को जन्म देने में दोनों ने अपना-अपना योगदान दिया था। कुछ क्षेत्रों में इस तनाव का अन्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि देश से सघीय शासन-प्रणाली को समाप्त करके एकात्मक शासन पद्धति को कायम कर देना चाहिए। इस प्रकार के मत को व्यक्त करने वालों में भारतीय जनसघ प्रमुख है। किन्तु यथार्थ में यह निराशावादी दृष्टिकोण है और यह सौभाग्य की बात है कि देश के बहुसंख्यक लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में यह दृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि भारत जैसे विशाल एवं विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों के देश में सघवाद का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। एकात्मक शासन-प्रणाली से क्षेत्रीय भावनाओं का निराकरण नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि भारत में राज्यों की स्वायत्तता को मानकर ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बनाया जा सकता है। साथ ही, राज्यों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपनी स्वायत्तता को अतिरिक्त रूप में न जताएँ। यथार्थ में केन्द्र और राज्य दोनों के नेताओं की बुद्धिमत्ता इस बात को देखने में है कि उनमें से कोई भी अपने-अपने अधिकारों का दावा इस सीमा तक न करे जिससे राष्ट्र की एकता के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाये।

प्रश्न

1. ह्वीयर के मत का परीक्षण कीजिये कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक संविधान है जिसमें सघात्मक तत्त्व गौण रूप से पाये जाते हैं।
2. भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?
3. क्षेत्रीय परिपदों पर एक निबन्ध लिखिए।

साविधानिक सशोधन और उसकी प्रक्रिया (THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AND ITS PROCESS)

कहा जा चुका है कि संविधानकारों ने देश के लिए संघीय संविधान की व्यवस्था की थी। संघीय संविधानों का एक आवश्यक गुण उनकी दृढ़ता (rigidity) को माना गया है परन्तु भारतीय संविधानकारों का यह आशय नहीं था कि उनके देश का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का भाँति ठीक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। यथाथ म वे ऐसा संविधान निर्मित करना चाहते थे जिसमें दृढ़ता (rigid) और लचीलापन (flexible) दोनों प्रकार के संविधानों का समन्वय हो। ऐसा करने का कारण यह था कि जहाँ यह आवश्यक था कि संविधान का राजनैतिक दृष्टि से हाथ में धिनीता बनना जरूरी हो जाता है वहाँ यह भी जपरिमित था कि उसका विकास का अंतराहित न किया जाय। हम सम्मिश्र संविधान सभा में नही जी के भाषण का यह अंग उद्धरणयोग्य है—जहाँ हम चाहते हैं कि यह संविधान कठोर और स्थायी होना चाहिए जितना वह हो सकता है वहाँ हम यह भी समझना चाहिए कि संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। उसमें एक मात्रा में परिवर्तन भी होना चाहिए। यदि आप सच बातों को कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप राष्ट्र की जीवित क्रियाशील एवं अव्यय जनता का विकास कर देंगे। हम किसी भी स्थिति में इस संविधान का कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वह कठोरनी हो परिस्थितियों के अनुसार अपने आपका बदल सके। वस्तुतः यह ही वास्तविकता है कि हमें संविधानों में परिवर्तन ही चाहिए। उदाहरण के लिए मुल्फोर्ड (Mulford) ने लिखा है—संशोधित न होने वाला संविधान समय का सबसे बड़ा अत्याचार है। इसी प्रकार मुनरो (W B Munro) ने भी लिखा है—संशोधित न होने वाला संविधान की कठोरता असम्भव है यथाथ म यह एक अतिविरोधात्मक युक्त शब्द है। भारतीय संविधानकारों में तथ्य में भेदी भाँति अलग ही उनका यह निश्चित मत था कि संविधानों की प्रक्रिया ही यथाथ म संविधानों का स्थायित्व ही परिस्थितियों की चंगुनी का सामना करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। फलतः संविधानों की 368वाँ धारा (20वाँ अध्याय) में उहाँ ने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है।

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारतीय संविधानों के इस पहलू पर विद्वानों में मतभेद का अभाव है। यदि कुछ विद्वानों का उसमें दुसरा मत था कि ही तत्त्व दृष्टिगोचर हुए हैं तो कुछ दूसरे विद्वानों ने उसमें लचीलापन का अवलोकन किया है। उदाहरणार्थ जेन्निंग्स (Ivor Jennings) का मत है कि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। अपने मत के समर्थन में जेन्निंग्स ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। प्रथम संविधानों के संशोधन की विधि साधारण कानून बनाने की विधि की अपेक्षा भिन्न है तथा द्वितीय संविधानों का आकार बतलाना है जिससे परिणामस्वरूप उसमें संशोधन की शक्ति ही बहुत कम रह गई है। परन्तु दूसरी तरफ एलेक्जेंड्रोविच (Alexandrowics) जिनका मत भी है कि भारतीय संविधान पर लचीलापन का आशय नहीं लगाया जा सकता। सच बात यह है कि भारतीय संविधान में लचीलापन का दावा को कम करने का प्रयत्न किया गया है। फलस्वरूप संविधान में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जापानकारों में जिनका किसी संशोधन के सघातक राज्य को एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर लिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था विन्व के किसी अन्य संघीय संविधान में नहीं है।

सशोधन की प्रक्रिया

सविधान की 368वीं धारा में सशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। इसके अनुसार ससद विधेयक के रूप में सविधान में सशोधन को प्रस्तावित कर सकती है और यह विधेयक उसके किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए सविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम, उसके पारित होने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि ससद के दोनों सदन उसे अलग-अलग एक ही रूप में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार करे तथा इस विधेयक पर मतदान करने वालों की सख्या प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य-सख्या का बहुमत होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सशोधन के पारित होने के लिए लोकसभा में कम से कम 263 सदस्यों तथा राज्य सभा के 119 सदस्यों का समर्थन अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे, ससद द्वारा उपर्युक्त विधि से पारित होने के उपरान्त विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी कार्यान्विति केवल उसी समय हो सकेगी जबकि उसे राष्ट्रपति भी स्वीकार करले। सामान्यतः सशोधन के सम्बन्ध में इसी प्रक्रिया को व्यवहार में लाया जाता है, परन्तु सविधान में कुछ भागों को सशोधित करने के लिये यह आवश्यक माना गया है कि उन्में कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जिन साविधानिक व्यवस्थाओं को सशोधित करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को आवश्यक बताया गया है, वे निम्नलिखित हैं—

- (1) राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मण्डल (अनुच्छेद 54)
- (2) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 55)
- (3) सघ एवं राज्यों की कार्यशालिका सत्ता का विस्तार (अनुच्छेद 72 व 162)
- (4) सघ शांति प्रदेश के उच्च-न्यायालय (241वाँ अनुच्छेद)
- (5) सर्वोच्च न्यायालय से सम्बद्ध अध्याय (5वें भाग का चौथा अध्याय)
- (6) राज्यों के उच्च-न्यायालय (छठे भाग का 5वाँ अध्याय)
- (7) सघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति वितरण (11वें भाग का पहला अध्याय)
- (8) सातवीं अनुसूची में उल्लिखित शक्तियों की सूची,
- (9) ससद के दोनों सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तथा
- (10) 368वाँ अनुच्छेद।

जिन सशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रपति के सम्मुख उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें राज्यों के विधानमण्डलों के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

सविधान में सशोधन के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के साथ ही उसकी कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें सशोधित करने के लिए केवल ससद द्वारा पारित साधारण कानून को ही पर्याप्त माना गया है। ऐसे प्राविधानों में नये राज्य की रचना, प्रचलित राज्यों का पुनर्गठन तथा राज्यों के द्वितीय सदनों का उन्मूलन आदि शामिल हैं। इन प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में सविधान को सशोधित करने के लिए तीन प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। प्रथम, सविधान के ऐसे प्राविधान हैं जिन्हें सशोधित करने के लिए ससद के बहुमत्यक उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। द्वितीय, कुछ ऐसे प्राविधान हैं जिनमें सशोधन करने के लिए ससद के समर्थन के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। तृतीय, सविधान की कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएँ हैं जिन्हें ससद अपने साधारण बहुमत में ही बदल सकती है।

सशोधन की प्रक्रिया की आलोचना

सविधान में सशोधन की उपर्युक्त प्रक्रियाओं की देग के विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना की

मद है। इस सम्बन्ध में पहली आपत्ति यह बड़ी पाली है कि हमारे देश में समाधान के मामलों में जनता की दृष्टि का जानने का प्रयत्न न करना अभिप्रायपूर्ण है तथा उस पर कबल ससद का एकाधिकार स्थापित करना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। जात्राचक्रा का यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में जनता का विचार में नतीजा सलिय और भी अधिक आवश्यक था यत्राकि यहा सविधान के निमाण के समय भी जनता की दृष्टि का जानने का प्रयास नतीया किया गया था। यहाँ यह उतरात्मनाय है कि समुक्त राय अमरीका म्बिजकरण तथा आम्भितिया जादि देशा में समाधान का पारित करन में जनमन-मग्रह की व्यवस्था की गयी। भारत में इस व्यवस्था की अनुराधित को पारामगन नहा कहा जा सकता। वस्तुतः हम जात्राचना का औचित्य समितिए और भी अधिक है यत्राकि हमारे देश में सत्ता मुख्यतः अभी तक एक ही शक्ति में हाथा में रही है यमी दल त दल के सविधान का रचना भी की थी। यथायत्न हम कबल में एक राय माना में सत्य पाया जाता है कि आनुमिति सविधान राग्रम देश का सविधान है।

सविधान की इस व्यवस्था पर भी जात्राचक्रा ने आपत्ति व्यक्त की है कि समाधान के विषय में कबल उमी समय कार्यालय किया जाय जत्राकि उमे राष्ट्रपति का भी स्वीकृति प्राप्त हो जाय। यह जात्राचना सत्तान्तिक भी है और राजनीतिक भी। विचार में सम्भवतः कोई भी ऐसा एसा नहीं है जहा सार्वभौमिक शक्तियाँ की जनता जयवा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियाँ के जतिरिक्त किसी अन्य अभिकरण में निहित किया गया है। वस्तुतः हम शक्ति का कार्यालय उन्ना के द्वारा हाता चानिए तथा हमम किमी अन्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। परन्तु भारत में इस सिद्धांत का यथेष्ट माना में सम्मान प्रदान नहा किया गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ सविधान के द्वारा प्राप्त करता है तथा उस यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह सविधान के प्रस्ताव को कानूनी रूप भी प्रदान करे। निम्नलिखित यह व्यवस्था अत्यन्त अमाधारण है। सत्तान्तिक शक्ति से राष्ट्रपति सघ सरकार का एक अधिकारी है। यद्यपि उसने निर्वाचन में राया के विधानमण्डल के सदस्य भी भाग लेते हैं। सविधान में राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह अपने सत्तिय परिपक्व के परामग पर काम करे। यदि राया के विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी समाधान के प्रस्ताव का कानूनी सत्तियमण्डल के परामग पर राष्ट्रपति अस्वाकार कर दे तो उस समय सघात्मक व्यवस्था तथा राया की स्वायत्तता के लिए निम्नलिखित एक खतरा पैदा हो जायगा। इस आपत्ति के विरोध में आग्रररर तथा वर्मा के सविधाना का, उन्नाय किया जा सकता है जहा हम प्रकार की व्यवस्था पाया जाता है। इन देशों में यह प्राविधान कबल एक औपचारिकता है जन हम जावार पर कुछ राया में यह मत प्रकृत किया है कि भारत में भी राष्ट्रपति की इस शक्ति का औपचारिकता ही समझा जाना चाहिये। परन्तु इस दृष्टिकोण के साथ सभी विधिशास्त्री सहमत हैं है

कतिपय विद्वानों ने इस बात की भी जात्राचना की है कि सविधान में कुछ क्षेप ऐसे निश्चित कर लिये गये हैं जिनमें समाधान करने के लिए राया के विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक मानी गयी है। स्पष्टतः इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य सविधान के सघीय स्वरूप को कायम रखना था और सलिय जिन क्षेप को समद की एकाधिकारी शक्तियाँ से मुक्त रखा गया है वे हैं जिनमें राया की अधिकतम शक्ति हो सकती है। फलतः इस क्षेप में दल को समुची शायिक प्रणाली का स्थान दिया गया है क्योंकि यथायत्न को विधायन की शायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है और सलिय ससद द्वारा एसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये जिनमें राया के लिए कठिनाई अथवा परेशानी पदा हो। सिद्धांत रूप में सविधान के हम वर्गीकरण से किसी का शायति नहा हो सकती कि उसमें कुछ भाग बहुत अधिक मौनिक है तथा कुछ कम मौनिक। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सविधान के कबल उन्ना भागों को अधिक मौनिक माना जाना चाहिये जिनका उन्नाय सविधान के दसवें भाग में हुआ है। वस्तुतः सविधान के कुछ अन्य भाग भी हैं जिन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिये। उन्नाहरण के लिए सविधान के

छूठे भाग को लिया जा सकता है जिसमें राज्यों की साविधानिक व्यवस्था का उल्लेख है अथवा तेरहवें भाग को लिया जा सकता है जिसमें अन्तर्राज्यीय के व्यापार संचार आदि का उल्लेख है। इसी प्रकार सविधान के 18वें अध्याय (मकटकालीन व्यवस्थाये) अथवा तीसरे अध्याय (मूल-अधिकार) को भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। निम्नान्वेह सविधान की इन सभी व्यवस्थाओं में राज्यों के विधानमण्डलों की स्वाभाविक रुचि है और उनको सशोधित करने का समद का एकाधिकार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अनुभव साक्षी है कि पिछले वर्षों में सविधान की इन कमियों के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा हुआ है।

साविधानिक सशोधन

सविधान का समारम्भ 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तबसे लेकर अब तक 24 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में 32 सशोधन पारित हो चुके हैं और कुछ ससद के विचाराधीन हैं। यहाँ इन सशोधनों का सक्षिप्त उल्लेख अप्रासंगिक न होगा।

पहला सशोधन 1951 में पारित हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 10, 19 और 61 को सशोधित किया गया था, तथा सविधान में दो नये अनुच्छेद 31 (अ) और 51 (ब) तथा एक नवीन अनुसूची—नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इन सशोधनों की आवश्यकता इसलिए हुई थी क्योंकि राज्यों के उच्च-न्यायालयों ने तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिये थे जो सरकार के दृष्टिकोण से भेल नहीं खाते थे। इस सशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता के अधिकार के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार के हित में अथवा न्यायालय के अपमान अथवा अपराध को उकसाने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 31 (अ) के अनुसार, राज्य का कोई भी ऐसा कानून जो राज्य द्वारा किमी भी जमींदारी अथवा भूमि पर अधिकारों को अर्जित करने वाला हो, इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह इस भाग में वर्णित अधिकारों का उल्लंघन करता है। 31 (ब) में यह व्यवस्था की गई है कि नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को अवैध नहीं ठहराया जायेगा। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों का उल्लेख है।

दूसरा सशोधन 1952 में पारित हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 81 को सशोधित किया गया। इस अनुच्छेद में लोकसभा के निर्वाचन की विधि दी गई है। चूँकि इस सशोधन का प्रभाव लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ता था, अतः उसकी पुष्टि राज्यों के द्वारा कराई गई।

तीसरा सशोधन 1954 में समवर्ती सूची के 33वें स्थान को इस प्रकार किया गया जिससे केन्द्रीय सरकार का ससद द्वारा पारित कानून की स्थिति में सभी प्रकार के उद्योग-धन्वों, साद्यान्नों, पशुओं के आहार, कपास और जूट पर नियन्त्रण स्थापित हो सके।

चौथा सशोधन 1955 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 के खण्ड 6 के स्थान पर यह खण्ड रखा गया है—‘कोई भी सम्पत्ति अनिवार्य रूप से सिवाय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित न की जायेगी और न सिवाय ऐसे कानून द्वारा जो सम्पत्ति के अर्जन के लिए प्रतिकर (Compensation) की व्यवस्था करे और जो या तो प्रतिकर की राशि नियत करे अथवा उन सिद्धान्तों तथा तरीकों को स्पष्ट करे जिनके द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा तथा दिया जायेगा और ऐसे किमी भी कानून के विरुद्ध किमी न्यायालय में इस आधार पर कोई कार्यवाही न की जा सकेगी कि उसके द्वारा प्रतिकर की व्यवस्था अपर्याप्त है।’

पाँचवाँ सशोधन भी 1955 में ही पारित हुआ। उसके अनुसार अनुच्छेद 3 के इस उपबन्ध में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी विवेक समद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति

की पूव विचारणा क बिना प्रस्तुत न किया जा सकगा और यदि एस विषयक का सम्बन्ध स्वाभिमित राया की सीमाशा व नामा स हुआ त तो राष्ट्रपति को उस पर सम्बद्ध राय अथवा राया क विधानमण्डला क मन का जानना अनिवार्य होगा। यहा यह उन्नयनीय है कि न्य सभाधन क फलस्वरूप ही राया क पुनगठन का नय निश्चित अवधि क भीतर सम्पन्न हो सका था।

छठा सगोधन 1956 क द्वारा मातवी सूची क 92 अंग के उपरांत 92 (ज) जाग गया है जा न्य प्रकार है—समाचार-पत्रा क अतिरिक्त अय वस्तुजा की चित्री और तरीद पर कर जहाँ कि एसी चित्री और तरीद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य क सम्बन्ध म हा। इस सगोधन को ध्यान म रखर राय सूची क अंग 54 म भी अपभित परिवर्तन किया गया ह।

सातवा सगोधन भी 1956 म पारित किया गया तथा उसक द्वारा राया क पुनगठन क सम्बन्ध म अनक परिवर्तन किय गय। न्य परिवर्तना को निम्न प्रकार यक्त किया जा सकता है। सबप्रथम सविधान का प्रथम अनुसूची म परिवर्तित करक विभिन्न पुनगठित राया की सीमाजा का उन्नय किया गया है तथा सघीय क्षत्रा की सीमाओ को भा वताया गया है। त्तीय सम्बद्ध अनुसूचा म परिवर्तन करक चौथी अनुसूची म विभिन्न राया क राय सभा म प्रतिनिधिया की सन्ध्या म आवश्यक परिवर्तन किय गय हैं। एस पुनविनरण क फलस्वरूप जब राय सभा का कुल सन्धय सन्ध्या 220 हा गय है। एसी प्रकार लोकसभा की रचना म भी आवश्यक परिवर्तन किय गय है। एस ही परिवर्तन विभिन्न राया की विधान सभाजा की सन्धय सन्ध्या उनके उच्च यायालय क सगठन तथा अधिनार तन जादि के सम्बन्ध म न्य हैं। भाग ग के राया क स्थान पर सघीय क्षेत्रा के प्रशासन सम्बन्धी अनुसूचा 229 एव 240 म आवश्यक परिवर्तन किय गय हैं। एस सगोधन क द्वारा अनुसूचा 258 क बाद अनुसूचा 258 (अ) जोग गया है जा एस प्रकार है—सविधान म अय व्यवस्था के रहत हुए किसी राय का गवर्नर भारत सरकार का सहमति स भारत सरकार अथवा उसक अधिकारिया को गल सहित अथवा रहित किसी भी एम मामला म काय सौंप सकना है जाकि राय की कायपात्रिका गति के क्षेत्र म जाता हा। न्य सगोधन के फलस्वरूप राय प्रमुखा की व्यवस्था का सन्ध क लिए अत कर दिया गया।

आठवा सगोधन 1959 म पारित नया। इसक द्वारा अनुसूचा 534 को सगाधित किया गया है। जिसक फलस्वरूप अनुसूचित जातिया व जनजातिया एव जाग भारतीया क लिए आर्यतन स्थाना की व्यवस्था जागामा दस वर्षों क लिए वना दी गय।

नवा सगोधन 1960 क अनुसार सविधान की प्रथम अनुसूची म न्यसलिए परिवर्तन किया गया जिसस 1958 म भारत व पाकिस्तान की सरजारा क बीच जो सभसौता हुआ था उसक अनुसार भारत क कुछ क्षत्रा को मुगमतापूर्वक पाकिस्तान का हस्तांतरित किया जा सक।

दसवा सगोधन 1961 म दादरा और नागर हवेली को पुतगाती आधिपत्य स मुक्त कराने की पृष्ठभूमि म पारित किया गया। एसक अनुसार न्य क्षत्रा का भारत क साथ एकीकरण किया गया और उसका प्रशासन राष्ट्रपति तारा वनाय गय विनियमा क अधीन रखा गया।

ग्यारहवा सगोधन 1961 क अनुसार उप राष्ट्रपति क चुनाव क लिए निवाचन मण्डन क निर्माण हेतु समद क नाना सदन की बरक की आवश्यकता नहा रही। एसी सगोधन क तारा अनुसूचा 61 म यह परिवर्तन हुआ है कि राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति क चुनाव का एस आधार पर चुनौती न दी जायगी कि निवाचन म चनाव क समय काई स्थान रिक्त था।

बारहवा सगोधन 1961 क द्वारा गोआ डामन और डयू की भारतीय सघ म एक इकाई क रूप म स्थान लिया गया और उह सातवा सघीय क्षत्र वनाया गया।

त्रहरवा सगोधन 1962 क द्वारा नागालण्ड (सोनहवा राय) की रचना ई और उनसे नागाआ क लिए कुछ विशिष्ट रक्षण की व्यवस्था की। एस सगोधन क तारा नागालण्ड क गवर्नर को भा कुछ विषय उत्तरदायिव सौंप गये है।

चौदहवाँ सशोधन 1962 के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, गोआ, डामन और ड्यु तथा पाण्डिचेरी में 'ग' भाग के राज्यों के अनुरूप विधानमण्डलो तथा मन्त्रि-परिषदों की व्यवस्था की गई तथा इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।

पन्द्रहवाँ सशोधन 1963 के द्वारा राज्यों के उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए केवल एक ही बार जाँच की जायेगी।

सोलहवाँ सशोधन 1963 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई, जिसमें कि वे ऐसी सभी कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगा सकें जिनका उद्देश्य देश की एकता को खण्डित करना हो तथा वे राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय संघ से पृथक् होने को चुनाव का प्रश्न बनाने की भी मनाही कर सकती हैं। इस सशोधन के द्वारा 19वें अनुच्छेद में भी इस आगम का परिवर्तन किया गया है जिससे पृथक्तावादी प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।

सत्रहवाँ सशोधन 1964 में पारित किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 31 (अ) में सम्पत्ति (estate) शब्द को और अधिक व्यापक बना दिया गया तथा नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को स्थान दे दिया गया है।

अठारहवाँ सशोधन 1966 में पारित हुआ, और उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों की तथा चण्डीगढ़ के सघीय क्षेत्र की रचना की व्यवस्था की गई है।

उन्नीसवाँ सशोधन 1966 में पारित हुआ। उसके अनुसार अनुच्छेद 324 (1) में से इन शब्दों को निकाल दिया गया—'संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों के अथवा उनसे सम्बद्ध सन्देहों एवं विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरणों (Election Tribunals) की नियुक्ति समेत।' इसके पारित होने के उपरान्त चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च-न्यायालयों में होगी तथा याचिकादाताओं को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा।

बीसवें सशोधन 1966 ने उन न्यायिक पदाधिकारियों की, जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित घोषित कर दी गई थी, नियुक्तियों, तैनातियों, तवाइलों और उनके द्वारा रिये गये निर्णयों, आज्ञापत्रों, सजाओं एवं अन्य आदेशों को वैध कर दिया।

इक्कीसवाँ सशोधन 1966 के द्वारा सिन्धी भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

बाइसवाँ सशोधन 1966 ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन किये जैसे निर्वाचन अधिकरणों का अन्त।

तेईसवाँ सशोधन 1969 में पारित हुआ जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में आरक्षण तथा लोकसभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को 10 वर्ष आगे 1980 तक के लिये बढ़ा दिया गया। इस सशोधन में इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नागालैण्ड राज्य के लिये नहीं की गई है। साथ ही में इसके प्राविधान के अनुसार किसी भी राज्य में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक से अधिक प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं किया जायेगा।

चत्तीसवाँ सशोधन 1970 में प्रस्तुत किया गया, परन्तु वह पारित नहीं हो सका। टमना सम्बन्ध पुराने नरेशों के विनोपाधिकारों तथा उनके प्रिवी पर्सों (Privy Purses) के उन्मूलन करने के साथ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1969 में कांग्रेस दल में फूट पड़ चुकी थी तथा कांग्रेस का वह भाग जो मिण्टीकेट के नाम से जाना जाता था इन नाविधानिक नगोपन के विरुद्ध था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि देश के अन्य नवी दक्षिणपन्थी दल इन नगोपन के विरोध में थे। फलतः वह राज्य सभा में अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत को प्राप्त

करन म अममय र्णा । यती उतनमनीय गान यह भा २ कि 1967 म गावकनाथ क मुकुरम म सर्वोच चायातय न जा निणय तिया था उसा अनुसार मसत नी मविधान क तासर अध्याय को मगाधिन करन का गति म चरित कर तिया गया था । फरत र्णिग गाथा ती मरकार अत समजवता बायता का पूरा करन म अत जाप का अममय पा र्णा था । र्मविण उतान राष्ट्रनि का तासमभा का भग करन तथा नय चुताव करवात ना परामग तिया । य चुताव परवरी 1971 में हूँ । अत चुताव घापणा-यत्र म र्णिग गाथा क नतृत्व वा ना काक्रम न यह कर्ण नि वत जात कायक्रम का तागू करन क त्रिण मविधान म जातयय मगाधन र्णगी । चुताव म कायस का 518 क मरन म 350 म्याता पर मकनता प्राण २ । निम्न-र्य राग्रम का य सफनता र्मबत का अभिव्यक्ति की रि र्ण का जनता मर्गोच चायातय क विद्वन निगया म सतु- नदी थी । र्म पूर्यभूमि म 24वें जीर 25वें मगाधन ना पारित किया गया ।

चौधिसवाँ मगाधन वि चय चुताव 1971 म प्रस्तुत किया गया और जगस्य 1971 म वह मसत क ता मरणा क तारा जातययक वृमन स पारित कर तिया गया । इस अनुमा मसत का तासर अध्याय ममन मसूच मविधान नी मगाधिन करन की गति प्रदान ना गई । र्स उर्यय का प्राणि क त्रिय सविधान को 368वा धारा म जावयय परिवतन त्रिय गय हैं । र्स मगो-न क तारा 368वें अनु-र्य क गापन म परिवतन किया गया २ । सता मूद गापन था मविधान ना मगाधिन करन का प्रक्रिया अत उमक म्यान पर जा गापक प्रयुक्त किया गया २ वह यह है—मविधान का तथा उमकी प्रक्रिया का मगाधिन करन की मसत ना गति ।

र्स मगाधन क तारा 13वा धारा म भा जावश्यक परिवतन त्रिय गये २ । 13वा मरा म मसत अयवा राया क विधानमणना का मविधान क तीसर अध्याय क प्रतिकृत कानून न वनान का निर्रेण तिया गया था । र्स मगाधन म यह व्यवस्था नी गर्त है कि सगाधिन 368वा धारा क अतगत निमित्त मगाधन का 13वा धारा क प्रतिकृत नहा छहराया जा सकया । र्सक प्रतिकृत र्स मगाधन क तारा 368व अनु-र्य म एक दूसरा र्णवय जात गया जिनक अनुसार यह व्यवस्था का गर्त कि मसत मविधान क त्रिमा भा भाग ना र्स अनु-र्य म उचितित प्रक्रिया क अतगत परिवतन कर सकती २ अयगा उम ममा त रर मकता है । र्स मगोवन म यह भी र्णवस्था की गर्त कि जब का वि-ययक मसत क ता मरणा क द्वारा पारित होन के उपरान्त गणपति क मसत स्वाट्टि क त्रिण प्रस्तुत त्रिया जाय ता वह उस स्वाट्टि प्रदान करन क त्रिण वाय्य हामा ।

पञ्चमवा मगोधन भी 1971 म पारित हूया । उसक अनुसार अनु-र्य 31 (2) म प्रयुक्त मुनावजा गत र्णा तिया गया तगा उमक म्यान पर राशि (amount) गत प्रयोग किया गया है । उसन यह भी र्णवस्था का गर्त है कि यदि राय किमा सावजनित उर्यय की प्राणि क त्रिण किमा मगपति का अपन अक्रियार म त्रया चाह तो अनु-र्य 19 (1) (F) म मन्किनि प्राविधान र्णर का एमा करन म राक तगा सकेंगे । र्सके अनिरिकन र्स मगो-न क तारा मविधान म एक ना अनु-र्य 31 (C) का चोय गया है जिनक अनुसार यदि का र्ण कानून 39 (B) और (C) म निर्यि नाति निर्यणक सिद्धाता को वाथाविद करन क लिए वनामा जाए और उमम इस जाणय का घापणा कर दी गर्त हूा तो उम कानून को र्स जा रर पर जबव घापित नहो किया जा सकता कि उसक तारा मविधान की 14 19 और 31 धाराभा का उतघन होना है । यदि र्स प्रकार का कानून राया क विधानम र्णा तारा दनाया गया है ता उमकी कायाविति कर्ण उस समय हा सकेंगी जबकि उस राष्ट्रपति क र्णोर्णति प्राण्ट हा ताय ।

छत्रामवा मगाधन 1971 क द्वारा भूतपव तरा के प्रित्री र्सा का समाप्त किया गया है । सत्तामवें मगाधन क तारा दग क पूर्वी सामा-य राया को पुनगठित किया गया २ । र्स प्रकार मगापुर त्रिपुरा मकायय और जरणाचद क नय राया की रचना हर्त है तथा बिजारम का एक तथा कर्त गामित प्रान्त कायम किया गया है ।

अठाइसवें सशोधन 1971 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा सम्पूर्ण देश में न करके देश के किसी एक भाग में कर सकता है।

उनतीसवें सशोधन 1972 के द्वारा अनुच्छेद 31 में ऐसा प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत कृषि भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करके सम्बन्धी राज्य सरकारों के कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक कृषि-भूमि का अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में प्रतिकर के रूप में उसकी धनराशि को बाजार भाव पर न देने की व्यवस्था थी। परन्तु केरल भूमि सुधार अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इसे वापस ले लिया गया।

तीसवाँ सशोधन 1972 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी विवादों की अपील मुनने के कार्यभार को हल्का करना था। इसमें यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित धनराशि (त्रीम हजार रुपये) से अधिक वाले विवादों में निर्णय दे दिये जाने पर उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का आधार केवल निर्धारित धनराशि में अधिक का विवाद होना ही नहीं होगा, अर्थात् अपील तभी की जा सकेगी जबकि उच्च-न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है अथवा उसमें सविधान का निर्वचन अन्तर्ग्रस्त है इसलिए अपील की जा सकती है।

इकतीसवाँ सशोधन भी 1972 में पारित हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 314 को निरस्त करके स्वतन्त्रता से पूर्व चले आये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकारों तथा सेवा गतों के संरक्षणों को समाप्त कर दिया गया।

बत्तीसवाँ सशोधन 1973 में पारित हुआ। इसके अनुसार लोकसभा की सदस्य-संख्या 525 में बढ़ाकर 545 कर दी गई, इनमें 525 सदस्य राज्यों से चुनकर आयेगे तथा सघीय क्षेत्रों से 20। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि परिमीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा सीटों में किये गये हेर-फेर के फलस्वरूप राज्यों को जो अभी तक सीटें प्राप्त हैं उनमें कोई कमी नहीं आयेगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उसके प्रावधान नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल तथा मिजोरम पर लागू नहीं होंगे।

तीसवाँ सशोधन विधेयक तथा 34वाँ सशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तीसवें सशोधन विधेयक का उद्देश्य विधानमण्डलों में सदस्यों द्वारा दल-बदल को नियन्त्रित करना है।

चौत्तीसवाँ सशोधन विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक विधानमण्डलों के सदस्यों से त्याग-पत्र लेने को अप्रभावी बनाना है।

प्रश्न

- 1 भारतीय संविधान में उल्लिखित सशोधन की प्रक्रिया की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
- 2 चौत्तीसवें और पच्चीसवें सशोधन पर एक निबन्ध लिखिये।

मताधिकार एव निर्वाचन (FRANCHISE AND ELECTION)

1. मताधिकार

सम्राट् व सभी देशों में नागरिकों की व्यवस्था के परिचालन के लिए व्यापक वाणिज्य मताधिकार गुप्त मतदान तथा मन्वन्त्र एव निष्पत्त चुनाव की पद्धति को आवश्यक माना गया है। इस दृष्टि से भारत में सम्राट् का निष्पत्त मतदान का जोरदार है। सावधान की व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष यदि उसकी आयु 21 या उससे अधिक है तो वह मतदान में भाग ले सकता है वरन् उन लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया है जिन्होंने किसी निर्वाचन क्षेत्र में निश्चित अवधि तक निवास नहीं किया हो अथवा जिनका विभाग खराब हो अथवा जो किसी भ्रष्ट अथवा गरीब शून्यी कार्यों के सम्बन्ध में किसी आयोग के द्वारा दण्डित हो चुके हैं। ब्रिटिश शासन काल में मताधिकार के ऊपर अनेक प्रतिबंध थे। सविधान ने एक ही बार में इन सभी प्रतिबंधों का अन्त कर दिया है। सविधान का यह कर्म कितना क्रांतिकारी था इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1935 के सविधान के अंतर्गत वरन् 3 करोड़ 50 लाख भारतीयों का मताधिकार प्राप्त था आज इनकी संख्या 25 करोड़ पर पहुँच गई है। इस प्रकार देश के लगभग 50 प्रतिशत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। यदि हम यह बात ध्यान में रखें कि भारत के अधिकांश निर्वाचन निर्धार हैं तथा उन नागरिकों के प्रतिभाओं का कार्य अनुभव नहीं है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि देश के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान करने का निश्चय एक क्रांतिकारी कर्म था। प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अपने प्रतिवर्तन में सविधान सभा में कहा था कि यह निश्चय भारत के सामाजिक यश में तथा उनकी सामाजिक बुद्धि में विश्वास का परिचायक है।

जिस समय मताधिकार का प्रश्न सविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत था उस समय कुछ लोग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि भारत में यह परीक्षण खतरनाक सिद्ध होगा। उनका कहना था कि राजनीतिक नेता लोगों के अज्ञान का लाभ उठावगे और इस प्रकार देश में अविनायकत्व का नियम प्रचलित होगा। कुछ दूसरे लोग का कहना था कि इतने व्यापक मताधिकार का प्रावहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी। परंतु सविधान सभा ने इन आपत्तियों का जवाब देकर कहा कि— 'सर्वसमय भयभीत नहीं होंगे।' मैं गांधी के लोग को जानता हूँ जो अपने व्यापक निर्वाचन मण्डल के बहुमत की रचना करते हैं। मेरी राय में हमारे लोगों के पास विवेक एवं सामान्य बुद्धि है। उनके पास सचेष्टि भी है जिसे मिथ्या सभ्यता में विश्वास करने वाले गायद समझ नहीं सकते परंतु जो ठास है। उनमें वरन् क्षमता भी है जिससे वे अपने तथा देश के हितों में यदि वे उनकी समझ में लिये जायें रुचि ले सकते हैं।

प्रश्न है कि क्या सविधानकारों ने भारत के निर्वाचकों में जिस विश्वास को व्यक्त किया था वह पिछले चुनावों के अनुभव से सही प्रमाणित हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर प्रायः दो प्रकार से दिया जाता है। पहला उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलम ने 1969 में एक भाषण में दिया था। उन्होंने कहा था— 'जमा मेरा अनुभव रहा है मतदाता को धन का प्रयोग नहीं

जा सकता है, वह किसी प्रत्याशी के वाहनो में लाया और ले जाया जा सकता है, परन्तु इन सुविधाओं को प्रयोग में लाने के बाद भी उसे उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने में सकोच नहीं होगा जिसे वह अच्छा समझता है।' दूसरा मत एम० सी० छागला का है, उन्होंने भी एक भाषण में अपने अनुभव के ही आधार पर यह कहा था कि वालिग मताधिकार एक ऐसी नेकी है जिसका महत्त्व अतिरिजित करके बताया गया है। उन्होंने कहा कि उससे देश में 'सम्प्रदायवाद एवं विरादरीवाद की जड़े मजबूत हुई हैं। ऐसे औसत विधायकों का उदय हुआ है जिनमें सत्ता के लिए भूख है तथा जिन्हें केवल निजी स्वार्थों को पूरा करने की लानसा है।' वस्तुतः उपर्युक्त दोनों उत्तर सही हैं। यदि यहाँ के निर्वाचकों ने सम्प्रदायवाद एवं विरादरीवाद के दृष्टिकोणों से प्रेरित होकर मतदान किया है तो उन्होंने देश के सन्मुख प्रस्तुत राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझने का भी प्रयास किया है और उन्होंने उस राजनीतिक दल को अपना मत दिया है जो उनके मतानुसार उन समस्याओं का सन्तोपजनक उत्तर दे सकता था।

व्यापक मताधिकार के साथ, हमारे सविधान ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धान्त को भी मान्यता प्रदान की है। सविधान समान निर्वाचन-क्षेत्रों की भी व्यवस्था करता है, वास्तव में सविधान के इस प्राविधान को 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धान्त का पूरक ही माना जाता चाहिए। सविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों का अन्त करके उस आधार को नष्ट करने की तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद में पृथकता के तत्त्वों को पनपाया था। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों अथवा पिछड़े हुए लोगों के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। सविधान में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के लिए आम प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं परन्तु सविधान की यह व्यवस्था अल्पकालिक है। सविधान के 331वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को ग्रेगो-डिडियनो को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया है। सविधान की यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं है।

2 निर्वाचन

लोकतन्त्र के सफल परिचालन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था की जाय। अतः चुनाव के मामले में कोई भी अनुचित रूप से दबाव न डाल सके इसे सम्भव बनाने के लिए सविधान में एक स्वतन्त्र अभिकरण की व्यवस्था की गई है जिसे चुनाव आयोग का नाम दिया गया है। इस आयोग को ससद, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन व नियन्त्रण, निर्वाचित सूचियों को तैयार कराने और निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निर्णय कराने आदि के उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। चुनाव आयोग को परामर्शदात्री कार्य भी सौंपे गये हैं। सविधान के 103वें अनुच्छेद के अनुसार आयोग राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को क्रमशः ससद एवं राज्य विधानमण्डलों की नियोग्यताओं से सम्बद्ध किसी भी प्रश्न पर अपना परामर्श देगा।

सविधान ने आयोग को एक स्वतन्त्र अभिकरण के रूप में स्थापित किया है। अतः उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखने के लिए सविधान के 324वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को। परन्तु जबकि न्यायाधीश 64 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति किसी भी सीमित अवधि के लिए की जा सकती है।

चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो उसका अध्यक्ष होता है तथा अन्य आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी मर्यादा समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जायेगी। इन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ससद द्वारा विहित नियमों के अधीन करता है। राज्य विधानमण्डलों

क निराचना म आयाग की महायत्ना व निर चुनाव आयाग व परामर्श म राष्ट्रपति प्रा निर आयुक्त (Regional Commissioner) भी नियुक्त कर सता है। उन आयुक्ता की अवधि और मवा की गते भी राष्ट्रपति नियम बनाकर निर्धारित करता है। परन्तु यह आवश्यक है कि व सप्त गारा निर्मित कानूना व अनुसार है।

दूसरा म चुनाव की व्यवस्था करन लिए समस्त राज कानूना का निर्मित किया है। व है—जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 (People's Representation Act 1950) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 (People's Representation Act 1951)। इन कानूना व द्वारा मतदाताओं की योग्यताय निश्चित की जाती है मतदाता सूचिया का रचना की जाती है निवाचन क्षेत्र का निर्धारण जाता है समस्त तथा राज्य विधानमण्डला की समस्त मस्या की निर्धारित किया जाता है निवाचना का प्रबंध एवं सञ्चालन का प्रणालिनि व्यवस्था का गठन होता है निवाचन विभाग का निर्माण तथा उप चुनाव का व्यवस्था का जाती है। पिछले 20 वर्षों म इन कानूना तथा उनका अन्तर्गत निर्मित नियमा म आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है। इन संशोधन का उद्देश्य चुनाव का विद्वता की रक्षा करना है तथा चुनाव म हानि वात भ्रष्टाचार का कम करना है। यदि इस भ्रष्टाचार का रोकन म हम सफलता नही मिलता तो उस स्थिति म हमारा चुनाव एक तमाशा मात्र रह जायगा। वस्तुतः चुनाव का विद्वता की रक्षा का समस्या ने भारतीय राजतंत्र के मनुष्य पर प्रतिक्रिया बना कर लिया है। हमारा यत्न है कि व वागम मतदान व उन्माहण पाय जात है परन्तु चुनाव म मतदाताओं का रक्षण धमकान तथा उन्माहण प्रवृत्त म रोकन कर पर रोक जान व उन्माहण भी कम नही है। उन वृत्तियों का रोकन व लिए वृत्त म उपाय किया गया है। उन्माहण व निर वागम मतदान व अन्तर समाप्त करन, व निर कुछ दिन पूर्व प्रतिपत्र (counter foil) मलिन मतपत्र की एक नवीन व्यवस्था का प्रयोग आरम्भ किया गया था। मतदाताओं का वृत्त म मतदान कर पर जान स रोकन की प्रथा को रोक करन व निर चयन करन वात मतदान केंद्र (mobile polling booths) का आरम्भ किया गया है। सप्त अथवा विधानमण्डला व निर चुनाव व सम्बंध म किसी भी प्रकार की चुनाव यानिका कानून द्वारा निर्धारित ढंग म उपयुक्त अधिकारी का दी जाएगी। यहा यह उन्माहनीय है कि अभी तक राज्या व विधानमण्डला व निराचना व सप्त व म का कानून नही बनाये हैं। जन राज की चुनाव पद्धति का पूर्ण निर्धारण समस्त गारा निर्मित कानूना व द्वारा ही होता है।

निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन—चुनाव का निष्पक्ष एवं चतुर रूप स जायानि करन व निये यह परमावश्यक है कि निर्वाचन गारा का सीमांकन योग्य ढंग म किया जाय। सन्तिग 377व अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति का यह अधिकार प्रापन किया गया कि वह समस्त तथा राज्य विधानमण्डला व निराचना व निर कानून व गारा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन का व्यवस्था करे। पहल आम चुनाव व निये निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के अन्तगत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जाय व द्वारा किया गया था। यह अल्पसंख्यक अनुमान व वाद ही कायान्वित हो सकता था। जन जब उस समय व मसुदा प्रस्तुत किया गया तो उसने उसमें जन संशोधन किया। इन संशोधन व सम्बंध म यह निरायत थी कि सप्त गारा किया गया संशोधन दत्तगत हितक्षेत्रों म अनुप्राणित व। 1952 व चुनाव व निये की गई यह व्यवस्था सतापजनक प्रमाणित नहीं हुई। इस सम्बंध म चुनाव आयोग ने अपन प्रतिवेदन म कहा कि यह प्रक्रिया अन्त सतापजनक अथवा मुचाह म स नहीं चीनी। फलतः आयाग ने इस काम के निष्पान व निर एक स्तंत्र अतिक्रमण की स्थापना की सिफारिश की। फलतः सप्त व 1952 म सीमांकन आयाग अधिनियम 1952 (Delimitation Commission Act 1952) पारित किया। इस अधिनियम म यह प्राविधा है कि इस वष व उपगत प्रत्येक जनगणना व साथ निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चायिग। इस आयाग म तीन सदस्य हों ग जिनम दो सर्वोच्च आयाग अथवा उच्च आयाग व एक उच्च आयाग प्रायः आयागीय हाने है तथा तीसरा सदस्य मुख्य चुनाव

आयुक्त होता है। इस आयोग की सहायता के लिये प्रत्येक राज्य से दो या सात सहायक सदस्यों का प्राविधान है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोकसभा के लिये अथवा राज्य विधान-मण्डलो के लिये निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस प्रकार इस आयोग की रचना में प्रत्येक राज्य तथा मुख्य राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमांकन के लिये जिस प्रक्रिया को विहित किया गया है, उसमें इस बात की व्यवस्था है कि जनता के लोग व्यक्तिगत रूप से अथवा सांगठनिक रूप से आयोग के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आपत्तियों तथा सुझावों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार आवश्यक माना गया है। इसके उपरान्त ही आयोग सीमांकन आदेश की घोषणा करता है, जो अन्तिम होता है तथा जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

3 निर्वाचनतन्त्र और निर्वाचन प्रक्रिया

चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। प्रथम आम चुनाव के बाद आयोग ने इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक कसौटी तैयार की। इसके अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में केवल उस दल को मान्यता दी जा सकती थी जिसने सदन के चुनाव में कुल डाले गये मतों के कम से कम 3 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों। इसी प्रकार राज्यीय दल के रूप में उस राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त हो सकती थी जिसको विधानसभा के लिये कुल डाले गये मतों का 3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों। इस प्रकार उस समय केवल 4 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। वे दल थे—कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ। इनके अतिरिक्त उसने 19 दलों को राज्यीय दलों के रूप में स्वीकार किया। तीसरे आम चुनाव के लिये चुनाव आयोग ने देश एव राज्यों में विभिन्न दलों की स्थिति पर पुनर्विचार किया। इस प्रकार आयोग ने आरक्षित चुनाव-चिन्ह प्रदान करने के लिये लोकसभा एव राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में 16 दलों को मान्यता प्रदान की।

चुनाव आयोग को जो दूसरा काम सौंपा गया है वह है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव-चिन्ह प्रदान करना। आयोग का यह काम निस्सन्देह महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव-चिन्ह के प्रश्न पर दो राजनीतिक दलों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से न्यायिक ढंग से विधान का निबटारा करने का प्रयास करेगा। 1971 के लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के अवसर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा सगठन कांग्रेस के बीच अविभाजित कांग्रेस के चुनाव-चिन्ह दो दलों की जोड़ी पर विवाद उत्पन्न हो गया था। चुनाव आयोग ने अपना निर्णय सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में दिया तथा अपने निर्णय के समर्थन में उन्होंने बहुमत के नियम को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। सगठन कांग्रेस ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय की कार्यन्विति को रोक दिया, परन्तु बाद में जब उसने इस विवाद में अपना अन्तिम निर्णय दिया तो उसने भी चुनाव आयुक्त के फैसले को दुहराया।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त चुनाव आयोग को कुछ अन्य काम सौंपे गये हैं। वे निम्न-लिखित हैं—(1) राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव भाषणों की सुविधाये दिलवाना, (2) राजनीतिक दलों के लिये आचार संहिता को निर्मित करना, (3) प्रत्याशियों द्वारा कुल व्यय की राशि को निर्धारित करना, (4) मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, (5) निर्वाचन याचिकाओं (Election Petitions) आदि के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इनके अतिरिक्त आयोग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर सरकार को अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजता रहेगा तथा चुनाव-प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाने के लिये सुझाव देता रहेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया का आरम्भ इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में होना है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की 14वां धारा के अन्तर्गत जारी की जाती है तथा उस वक्तमान राष्ट्रसभा की अधिष्ठापिका पर ही जारी किया जा सकता है। विधान सभा के निर्वाचन के नियम इस आशय की अधिसूचना राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। इसके उपरान्त चुनाव आयोग मतदान की तिथियाँ की घोषणा करता है। इस घोषणा का निर्वाचन प्रक्रिया के दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा में नामजदगी पत्रों की गणना की तिथि चुनाव संधि से नाम वापिस लेने की तिथि और मतदान की तिथि सभी का उल्लेख होता है। प्रत्यागियों को 1966 के उपरान्त चुनाव अभियान के नियमक में 20 दिन दिए जाते हैं। आयोग का मत है कि यह कानून 15 दिन दिया जा सकता है।

4 निर्वाचन-पद्धति में सुधारों की समस्या

यद्यपि भारत में चुनावों की पद्धति का यथासम्भव निर्दोष बनाने का प्रयास किया गया है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में चुनावों की पद्धति के विरुद्ध कोई शिकायत की गयी है। वस्तुतः पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में मसद तथा उसके बाहर जनता द्वारा चर्चा की जा चुकी है। चुनाव पद्धति से सम्बन्धित पत्रों में जिसमें जागरूकता का ध्यान आकर्षित किया है मतदान की आयु के साथ जुटा हुआ है। संविधान का प्राविधान है कि प्रत्येक भारतवासी जिसकी आयु 21 वर्ष है मतदान में भाग ले सकता है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए। इस सुझाव का कुछ लोग न विरोध किया है। इन लोगों ने जनता विरोध के समर्थन में मुख्यतः दो तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनका पहला तर्क यह है कि मतदान की आयु को घटा देने का परिणामस्वरूप मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ लोगों की वृद्धि हो जायेगी फलतः चुनाव के व्यय में भी वृद्धि होगी। अतः प्रशासन में मित-प्रयत्न करने के लिये यह आवश्यक है कि इस कदम को न उठाया जाय। इस सम्बन्ध में जो दूसरा तर्क दिया गया है वह यह है कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों और नरियों में वाञ्छित मानसिक परिपक्वता का अभाव होता है अतः यह मतदाता जनता में दिया गया तो उसके परिणाम देश के लिये भयंकर हानि हैं।

निर्वाचन से सम्बन्धित एक दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए? भारत के संसद में यह प्रश्न इसलिये प्रासंगिक है क्योंकि अभी तक पांच आम चुनाव जो हा चुके हैं उनमें मतदान ऐसा नहीं हुआ जिसे से आपत्त न करनी जा सके। जीवित अभी तक मतदान का प्रतिशत 45 और 48 के बीच में रहा है। मतदान का यह ग्राह्य प्रतिशत दो बातों का द्योतक है प्रथम यह कि भारतीय मतदाता को देश में नाकतांत्रिक प्रणाली में काम करने के लक्ष्य से असंतोष है दूसरे भारत में नाकतांत्रिक चेतना का जनमानस में अपनी जड़ों को जमान में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। उपर्युक्त दोनों स्थितियाँ दोस्ताने की सफलता के लिए शुभ नहीं कही जा सकती। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि नाकतांत्रिक प्रक्रिया का परिष्कार इस प्रकार हो जिससे देश के अधिकाधिक निर्वाचक उसमें भाग ले सकें। इस दृष्टिकोण में कुछ दिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस पी सेन वर्मा ने अनिवार्य मतदान का सुझाव दिया था।

यदि चुनावों में जनता खूबतर बनी सत्या में भाग लेने लगे तो उसके कुछ निश्चित एवं स्पष्ट लाभ होंगे। इससे परिणामस्वरूप नाकतांत्रिकी के जनसाधारण की सक्रिय रूढ़ि में गहरी जड़ जायेगी और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी जागृता फिर से तीव्र होगी। वसना एक दूसरा नतीजा यह भी होगा कि धूल और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के राजनीति को उस प्रकार निर्वाचित नहीं कर पायेंगे जमा कि वे आज कर रहे हैं। यदि प्रत्येक मतदाता मतदान-केन्द्र पर जाने लगे तो चुनाव में भ्रष्टाचार की सम्भावना भी स्वयं मर्यादित हो जायेगी। धनी प्रयोगी घूस दान कुछ मतदाताओं के बाट खरीत सकते हैं। परन्तु वे समूचे निर्वाचकों के मत खरीद सकें इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इस सम्बन्ध में अंतिम बात यह है कि इससे देश में जनता की

रोक-थाम की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये जा सकेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों की साझेदारी की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न है कि क्या इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मतदाता को मतदान केन्द्र पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस प्रकार की बाध्यता को आरोपित करने को उचित ठहराया है। अपने मन के समर्थन में उन्होंने कुछ ऐसे देशों के नाम गिनाये हैं जहाँ उन नागरिकों को दण्डित किया जाता है जो जान-बूझकर मतदान करने नहीं जाते। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मताधिकार का प्रयोग न करने वालों को जुर्माना देना होता है। चिली में ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सकता है। इन देशों का हवाला देकर सेन वर्मा ने कहा है कि भारत में भी मताधिकार के प्रयोग न करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि ससद को इस प्रकार के कानून को निमित्त करने की शक्ति सविधान के 327वें अनुच्छेद के अन्तर्गत प्राप्त है।

वस्तुतः यह सुझाव इस मान्यता पर आधारित है कि मताधिकार केवल अधिकार नहीं है, वह एक कर्तव्य भी है। अतः यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसे इसके लिए बाध्य किया जा सकता है और इससे उसकी स्वतन्त्रता के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस तर्क में निहित सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसके साथ ही इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि मतदान को अनिवार्य बना देने से वांछित फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

भारतीय निर्वाचन-पद्धति के विरुद्ध एक शिकायत यह भी की गयी है कि उसमें बहुधा उस दल को मरकर बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए सम्भव हो जाता है क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है, उसे अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा सबसे अधिक मत मिले होते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या अन्य पराजित उम्मीदवारों को प्राप्त मतों के योग से अधिक हो। 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को प्राप्त मत क्रमशः 44 99, 47 67, 44 73 और 40 82 थे, परन्तु उसे प्रथम तीन चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे, जबकि चौथे चुनाव में स्थानों की संख्या घटकर 53 प्रतिशत के लगभग आ गयी थी। 1971 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने मद्रास राज्य में लोकसभा के 41 स्थानों के लिए कुल डाले गये वोटों का 45 26 प्रतिशत प्राप्त किया और उसे 30 स्थान मिले, परन्तु 1967 के चुनाव में उसे केवल तीन स्थान प्राप्त हुए, यद्यपि उसे प्राप्त मतों में केवल 4 प्रतिशत की कमी हुई।

अतः भारतीय निर्वाचन-पद्धति की इस असंगति को दूर करने के लिए पिछले वर्षों में कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव आया कि देश में सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को शुरू किया जाना चाहिए। परन्तु यह सुझाव सामान्यतः लोगों को मान्य नहीं है। इसके विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह है कि वह विधानमण्डल में राजनीतिक दलों की बहुलता को जन्म देता है। भारत में यह बीमारी पहले से ही मौजूद है और यदि इस प्रणाली का सूत्रपात कर दिया गया तो रोग के और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। आजकल भी चुनाव आयोग के पास 75 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह बात बुद्धिसंगत नहीं है कि इस पद्धति को देश में अपनाया जाये।

भारतीय निर्वाचनों के सम्बन्ध में एक आम शिकायत उसमें होने वाले वॉयली और वेईमानी को लेकर की जाती है। स्वयं चुनाव आयोग ने इस शिकायत के औचित्य को स्वीकार किया है। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में निर्वाचन से सम्बद्ध भ्रष्ट आचरण में निम्न बातें गिनायी गयी थी—धूम, अनुचित दवाव, धर्म, मूलवश, जाति अथवा भाषा के आधार पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, अथवा किसी प्रत्याशी को वोट न देने को अपील करना, भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच धर्म, सम्प्रदाय, विरादगी तथा भाषा के

आधार पर तनाव पत्ता करना तथा चुनाव में निर्वाचित राजि से अधिक धन खर्च करना। वही कानून में यह व्यवस्था भी की गया है कि चुनाव याचिका में उभरकर प्रमाणित हो जाने पर निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त हो जाता है।

— भारत में जाति के साथ धर्म का घना दामन का साथ रहा है। जहाँ यह स्वाभाविक ही है कि जाति एवं धर्म द्वारा थोड़ा थोड़ा पवा प्रवाह से ग्रहित भारतीय जनता को धर्म के आधार पर मतदान करने के लिए पदचोत्र प्रत्यागी प्रभावित करे। सभा चुनावों में यह भी एक आम शिष्टाचार है कि राजनीतिक दल न धार्मिक अपराधियों को नाना प्रकार के प्रत्येक दल उन मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। वरन् यहाँ भी देखा गया है कि इन अल्पसंख्यकों ने सामूहिक रीति में अपना मतदान किया है और इसका प्रभाव निर्वाचक रूप में निर्वाचन पर पड़ा है।

उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट है कि भारत की निर्वाचित पद्धति में सुधार की समस्या आज अत्यन्त प्रस्तुत है क्योंकि भारतीय समाज का सगठन जहाँ तक उस आधार पर नहीं हो पाया है जिस योजनात्मक प्रणाली के विकास के लिए समीचीन कहा जा सके। परन्तु इस सम्बन्ध में अनेक बातें यह हैं कि भारतीय समाज में गतिशीलता का अभाव नहीं है। वह निरंतर उत्तरात्तर विकास की ओर अग्रसर है। विकास के नये तत्त्वों का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर एक-सा नहीं रहा है। गतिशीलता में गतिशीलता की ओर जाने का प्रक्रिया के समय भारतीय समाज में अनिश्चित जनक अंतरों की अभिवृत्ति है। इनमें एक पादों और दूसरी पीढ़ी के बीच के अंतर स्त्री और पुरुष के अंतर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों के अंतर विषय रूप से उल्लेखनीय है। फलतः तनाव एवं सामाजिक संघर्षों का उदय उन क्षेत्रों में भी हुआ है जिन्हें परम्परागत रूप से सन्तुष्टि प्राप्त कहा जाता था। पहले प्रत्येक भारतीय की स्थिति समाज में निश्चित थी वस्तुतः उसका निर्धारण उसके जन्म के साथ ही हो जाता था। परन्तु अब स्थिति बदल रहा है। यह ठीक है कि अभी यह बात पूर्ण रूप से निश्चय कर हमारे सामने नहीं आयी है कि तुम्हें यह बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हो चुका है तथा समय के साथ हमारे चुनावों के साथ जो बहुत ही घुराव्या जुड़ी है और जिनका सम्बन्ध हमारे समाज के ढाँचे के साथ है उनका स्वतः रूप हो जायेगा। उनका निराकरण कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रश्न

- 1) भारत में स्वतंत्र निर्वाचन का सफल बनाने के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं ?
- 2) क्या आपकी राय में भारतीय निर्वाचन पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन्हीं सुधारों की आवश्यकता है? यदि हाँ तो वे किसे सुधार क्या हानि चाहे ?

1 भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएँ

भारतीय राजनीतिक दलों के अध्ययन के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप में भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना समीचीन होगी। बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक निकाय है जो किन्हीं मान्य सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि चाहते हैं। वे नागरिक जो एक समुदाय में राजनीतिक इकाई के रूप में काम करने को तैयार हैं उन्हें एक राजनीतिक दल का सदस्य माना जा सकता है। अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह ऐसे लोगों का निकाय है जिनका सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति एक सा दृष्टिकोण है तथा जो सामूहिक क्रियाओं के द्वारा सरकार का नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये इसलिये प्रयत्न करते हैं ताकि उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही उन प्रश्नों का समाधान किया जा सके।

भारत में राजनीतिक दलों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जैसे पश्चिम के देशों में हुआ था। यहाँ राजनीतिक दल का उदय किसी कुलीनतान्त्रिक सत्तारूढ़ वर्ग को अपदस्थ करने के लिये नहीं हुआ था, अपितु उसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष का परिचालन करना था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल विदेशी दासता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में संगठित हुई थी बल्कि उसका उद्देश्य भारतीय समाज में सन्निहित उन तत्त्वों का भी उन्मूलन करना था जो सामाजिक प्रगति के मार्ग में अवरोध प्रस्तुत करते थे। 1947 में स्वतन्त्रता के उपरान्त कांग्रेस संगठन का विघटन आरम्भ हो गया। वस्तुतः औपनिवेशिक शासन के अन्तिम दिनों में ही कम्युनिस्ट कांग्रेस से अलग हो गये थे। 1947 में अपने कानपुर अधिवेशन के बाद सोशलिस्टों ने भी कांग्रेस से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। 1959 में राजगोपालाचारी और के० एम० मुन्शी के नेतृत्व में घोर दक्षिणपन्थियों ने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। इस प्रकार कांग्रेस के विघटन के परिणामस्वरूप देश में चार राजनीतिक दलों की स्थापना हो गई। परन्तु चूँकि इनमें कांग्रेस ही सबसे अधिक संगठित थी इसलिये शासन की वागडोर सामान्यतः उसी के हाथ में रही। स्वतन्त्रता के समय से लेकर 1967 तक देश के राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस इस प्रकार छापी रही कि कुछ लेखकों ने भारत को 'एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली' (One Dominant Party System) घोषित कर दिया। यद्यपि भारत की दलीय प्रणाली का यह नामकरण सामान्यतः सभी क्षेत्रों में स्वीकार कर लिया गया तथापि 'कांग्रेस' के प्रभुत्व की चरम सीमा के समय भी वह केवल आंशिक रूप से ही सही था। उससे दलीय प्रणाली में वास्तविकता से अधिक असन्तुलन के अस्तित्व का आभास होता था। यह सही है कि कांग्रेस का लोकसभा में हमेशा पूर्ण बहुमत रहा, परन्तु इसके साथ में यह भी सही है कि 1952 से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं उनमें किसी में भी कांग्रेस को मतदाताओं के पूर्ण बहुमत का कभी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। राज्यों के मन्दर्भ में एक दल के प्रभुत्व की बात और भी अधिक भ्रमोत्पादक है क्योंकि जहाँ केरल जैसे राज्य का उदाहरण मौजूद है जिसमें कांग्रेस को कुछ समय तक विरोधी बेंचों पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा था तो वहाँ ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें यह प्रमाणित है कि शासक दल और विरोधी दलों के बीच बहुत अधिक असन्तुलन नहीं था।

उपयुक्त विवचता की पृष्ठभूमि में भारतीय राजनीय प्रणाली की विगपताजा का व्यक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पहली उत्तरेखनीय बात यह है कि भारत में दलीय पद्धति का विकास उम राजनानिक के म मत्रा है जिमना जवनावन स्वतंत्रता के पूव भी किया जा सकता था तथा जिमनी मस्यागत अभियक्ति भारतीय राष्ट्रीय काग्रस के द्वारा हानी थी। हमारी वान यह है कि स्वतंत्रता के पूव और उसके बाद भी कुछ समय तक राजनानिक दना के सदस्या की मामाजिक पृष्ठभूमि एक सी थी वन नागा का सम्बन्ध उपर की त्रिरादरिया के अग्रजा पने निम्न वग के साथ होना था। वसी वग में स विरागी समुदाया का भी उल्य हुआ। यथाथ में स्वतंत्रता के पूव भी काग्रस में गुट थे। स्वतंत्रता के बाद इस गुटवदी में वृद्धि ही हुई है। ये गुट ही कागतर में विभिन्न राजनीतिक दना में परिवर्तित हो गये। जसा कहा जा चका है दश के विभिन्न दन एक समय काग्रस के ही अंदर किसी न किसी गुट के साथ सम्बद्ध रह चुके हैं। परंतु मका अभिप्राय यह कर्तापि नहीं है कि वन गुट के विभिन्न राजनानिक दना में सगठन हान के बाद काग्रस के अंदर की गुटवदी समाप्त हो गई। वास्तव में गुटवदी भारत के राजनीतिक दना की एक विगपता है। फलतः सत्तासूत दन के असंतुष्ट गुट तथा विगधा दना के असंतुष्ट गुट के बीच का स्पष्ट विभाजन रखा नहीं है। स्पष्टन इस प्रकार के सगठना के सत्स्या का अनुशासन करना कोई ग्रामान बात नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनुशासननीयता तथा दन वदन भारतीय राजनीतिक दना की एक मुख्य विगपता है। इस मत्र में यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे दन में राजनीतिक दना का सगठन मुख्यतः किसी निश्चित विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ इस नियम के वजन दो ही अपवाद हैं—कम्युनिस्ट पार्टी और जनसघ।

भारतीय राजनीतिक दना के सम्बन्ध में एक दूसरी उत्तरेखनीय बात यह है कि उन पर नताजा का व्यक्तिगत प्रभाव आवश्यकता में अधिक है। उदाहरण के लिये एक मत्र समय तक नहरू जी का व्यक्तित्व काग्रस सगठन पर आच्छादित रहा और आज यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्बन्ध में कही जा सकता है। यक्ति पजा काग्रस की वान अपना विगपता नहीं है इसका अवगाकन जय राजनीतिक दना में भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ तमिळनाडु में द्रमुक का उदय जगताराइ के व्यक्तित्व से पृथक् करके नहीं समझा जा सकता। वही प्रकार पश्चिमी बंगाल और करन में माकमवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति का याति वसु तथा ई एम एस नम्बदिरिपाद की नाकप्रियता के सदभ में ही समझा जा सकता है।

भारतीय राजनीतिक दना के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण उत्तरेखनीय बात यह है कि यहाँ व जपन विराध का यक्त करन के लिये वजन साविधानिक तरीका का ही प्रयोग नहीं करत जपितु के आदानका का भी माग अपनात है। वस्तुतः यह स्थिति हम औपनिवर्तिक वान में नडे गये राष्ट्रीय मुक्ति जगतान से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है।

भारतीय दला का वर्गीकरण

पिछले दो दगना में भारत के राजनानिक दला में विविधता आयी है और कुछ एस तत्वा का उल्य हुआ है निनके प्रभाव से अखिल भारतीय राजनीतिक दन भा अदून नहीं रह सके हैं। एक बार नहरू जी ने भारत में राजनीतिक दना की यक्ति के विषय में कहा था—काग्रस के अतिरिक्त भारत में वतमान राजनीतिक दना को चार समूहान में बांटा जा सकता है कुछ एम राजनीतिक दन हैं जिनके अपने आधिक सिद्धांत हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी सगठन हैं। विभिन्न सगाजा को लिये हुए अनेक साम्प्रदायिक दन हैं जो निश्चित रूप से सकीण साम्प्रदायिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं और चौथे वग में अनेक स्थायी दन और समूह हैं जिनका प्रभाव प्रांतीय और सकीण है।

इस वर्गीकरण में स्थिति के सत्रभ में योना-सा सगावन करन से भारतीय राजनीतिक दना का इस ब्रम में रखा जा सकता है—

(1) अखिल भारतीय स्तर के दल—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे राष्ट्रीय दल आते हैं जिनका सगठन समूचे देश के स्तर पर पाया जाता है। इनके अपने सिद्धान्त हैं, अपना आर्थिक कार्यक्रम है तथा उसे लागू करने की एक व्यवस्थित योजना है। इस प्रकार के दलों में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी का उल्लेख किया जा सकता है।

(2) क्षेत्रीय अथवा राज्य-स्तरीय दल—इस श्रेणी के अन्तर्गत उन सभी दलों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में डी० एम० के०, हरियाणा में विगल हरियाणा पार्टी, केरल में केरल कांग्रेस और बिहार में भारखण्ड पार्टी तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रान्ति दल के नाम इस श्रेणी के दलों के सन्दर्भ में लिये जा सकते हैं।

भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय दलों का होना स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिए। वस्तुतः इतने बड़े देश में जहाँ विभिन्न भाषाएँ और मस्कृतियाँ पायी जाती हैं, जहाँ भौगोलिक असमानताएँ जीवन का यथार्थ हैं, वहाँ यह अनिवार्य है कि क्षेत्रीय समस्याओं का उदय हो। स्पष्टतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय दल इसी आवश्यकता को पूरा करते हैं। 1967 के चुनावों के समय से देश की राजनीति में इन दलों का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। इस चुनाव के समय ही देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय-स्तर के दलों का सगठन हो चुका था। उदाहरण के लिए, वगल में वगला कांग्रेस, उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस जैसे दल स्थापित हो चुके थे और इन्होंने उस चुनाव में भाग भी लिया था। यह सही है कि वगला कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलयन हो चुका है तथापि इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये सगठन वगल और उड़ीसा की विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1967 के बाद इनमें से कुछ का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि अखिल भारतीय स्तर के दलों को इनके साथ समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1971 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस का डी० एम० के० के साथ समझौता इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

(3) क्षेत्रीय किन्तु जातीय अथवा वर्गीय दल—कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी क्षेत्र-विशेष में ही किसी जाति अथवा वर्ग-विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के दलों में केरल में मुस्लिम लीग अथवा पञ्जाब में अकाली दल के नाम लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी दल हो सकते हैं जिनका गठन किसी क्षेत्र-विशेष में ही निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है। इस प्रकार के दलों में गुजरात में महागुजरात परिषद्, महाराष्ट्र में सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति, आन्ध्र में तेलगाना प्रजा समिति के नाम लिये जा सकते हैं।

(4) साम्प्रदायिक दल—इस वर्ग में उन दलों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य किसी सम्प्रदाय विशेष के हितों की रक्षा करना अथवा उन्हें आगे बढ़ाना है। इन प्रकार के दलों में हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, रामराज्य परिषद्, जनसंघ आदि दलों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी साम्प्रदायिक दलों का स्वरूप एक सा नहीं है। उदाहरण के लिए रामराज्य परिषद् का स्वरूप साम्प्रदायिक होने के साथ-साथ परम्परावादी भी है जबकि जनसंघ के स्वरूप में परम्परावादी, साम्प्रदायिक एवं आधुनिक तीनों तत्त्वों का समावेश हुआ है।

(5) पूर्णतया जातीय दल—कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनका सगठन केवल किसी जाति विशेष तक सीमित है। इस श्रेणी के दलों में रिपब्लिकन पार्टी का नाम मुख्य रूप में लिया जा सकता है।

2 विविध राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रम

उपर्युक्त प्रस्तावना के सन्दर्भ में हम भारत के राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यक्रमों की विवेचना कर सकते हैं। निम्नलिखित भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दल भारतीय

राष्ट्रीय काग्रस हैं। तमनि ए हम अपन अध्ययन का आरम्भ उसी से करेंगे।

(1) भारतीय राष्ट्रीय काग्रस (फूट से पहले श्रीर फूट के वात)

स्वतंत्रता से पूर्व काग्रस की गणना राजनीतिक दल के अंतर्गत नहीं की जा सकती थी। यद्यपि उस समय उसका स्वरूप एक राष्ट्रीय जातिवाद था जिसमें देश के व सभी जाति शामिल थे जिन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता से प्यार था। उस समय काग्रस यंत्रि श्रीपतिवर्मा के पासता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक व्यापक मोर्चे की रचना कर रही थी तो दूसरी तरफ वह देश के सामाजिक नित्य एक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी देशवासियों का जाह्वान कर रही थी। फलतः जहाँ उसने विज्ञान साम्राज्यवाद के विरुद्ध नए ज्ञान वाद संघर्ष का रूपरंग निश्चित का वहाँ उसने उन नातियाँ और कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जिनके माध्यम से उस देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता था। 1931 में अपने कराचा अधिवेशन में उसने एक घोषणापत्र पारित किया था जिसमें यह बताया गया है कि स्वराज की रूपरेखा क्या होगी? द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जब प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए तो उस समय काग्रस ने एक 12 सूत्री कार्यक्रम तैयारी की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें से कुछ मुख्य बातें निम्न हैं—(i) भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं समान अवसर उपलब्ध कराना (ii) सामाजिक अत्याचार एवं श्रम से पालित श्रमियों के अधिकारों की रक्षा करना (iii) गरीबों के अभिगाप को दूर करना तथा जनता के जीवन-स्तर का ऊपर उठाना (iv) उद्योग एवं कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा (v) धन के सभी साधन तथा उत्पादन एवं वितरण के सभी तरीकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना।

काग्रस का संगठन—जब देश स्वतंत्रता संघर्ष में से होकर गुजर रहा था तब गांधी जी तथा राष्ट्रीय जातिवाद के अंतर्गत काग्रस की एकता को कायम रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया था यद्यपि उनके पास प्रयत्न के परिणामस्वरूप काग्रस का स्वरूप एक छत्ररी संगठन (Umbrella organization) का रहा वह एक गुप्त राजनीतिक दल का रूप कभी धारण नहीं कर सका। परंतु स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया था कि काग्रस को राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उनका सुझाव था कि काग्रस को विघटित करके उस लोक मोर्चे संघ के रूप में सचे प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए तथा समुदाय तंत्र में नये संगठन के लिए ढोड़ बना चाहिए जिन्हें स्पष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित किया गया हो।

गांधी जी ने यह सुझाव कार्यावित नहीं हो सका क्योंकि काग्रस के नेता सत्ता प्राप्त करने के उपरांत उस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु एक दृष्टि से उनका ऐसा करना भारतीय जातिवाद के लिए शुभ रहा उसने उस स्थायित्व प्रदान किया। काग्रस का संगठन समूचे देश में व्याप्त था यहाँ तक कि उसकी शाखाय प्रत्येक गांव में पाई जाती थी। जब जब अंग्रेजों के जाने के बाद काग्रस के नेताओं के हाथों में सत्ता हस्तांतरित हुई तो काग्रस अपने संगठन के धनवृत्त पर भारत में नाकामात्रिक व्यवस्था का कायम रखने में समर्थ हो सका। फलतः लोकतंत्र को भारत में तेजी से बढ़ाने की दिशा में जो उस पाकिस्तान अथवा बर्मा में देखन पड़े थे।

स्वतंत्रता के पश्चात् काग्रस ने अपने राष्ट्रीय मंचिदान में जनक बार परिवर्तन किए हैं उस संसाधन के लिए उसने विविध योजनाएँ बनाई हैं ताकि वह अपने संगठनात्मक ढांचे का अपने नूतन तंत्र या एव उद्देश्यों के अनुकूल बना सके। 1947 में देशी राजवादा का भारतीय संघ में विनयन हुआ गया 1956 में राष्ट्रीय का पहली बार पुनर्गठन हुआ उसके उपरांत 1960 और 1966 में पुनर्गठन के काम की पुनरावृत्ति हुई। देश के संघीय ढांचे में हुए इन परिवर्तनों का पूर्णभूमि में यंत्र आवश्यक था कि राष्ट्रीय इकाइयों का भी पुनर्गठन किया जाय। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप काग्रस के संघात्मक स्वरूप पर कोई जोर नहीं पड़ा है।

1948 तक कांग्रेस सगठन की सबसे छोटी इकाई कांग्रेस पंचायत थी। परन्तु यह अनुभव किया गया कि दलीय यन्त्र पर प्रभावी नियन्त्रण कायम करने की दृष्टि से ग्राम एक अत्यधिक छोटी इकाई है। फलतः जब यू० एन० देवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस सगठन को नये प्रकार से सगठित करने का प्रयत्न किया गया। सगठन की इस नई योजना के अनुसार अब ग्राम का स्थान मण्डल ने ले लिया। प्रति 20000 की जनसंख्या पर एक मण्डल की रचना की गई और उसमें यह व्यवस्था की गई कि उसमें प्रति एक हजार पर एक प्रतिनिधि चुनकर आया करेगा। परन्तु थोड़े दिनों में यह महसूस किया गया कि मण्डल-प्रणाली के द्वारा भी कांग्रेस जन-सगठन के रूप में अपनी भूमिका कारगर रूप से अदा नहीं कर सकती। अतः एक नवीन समिति—क्षेत्रीय समिति (Block Committee) की रचना की गई। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि इनमें प्रति 2000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आयेगा।

1967 के निर्वाचन के उपरान्त यह आवश्यकता महसूस की गई कि कांग्रेस की प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में भी एक सगठनात्मक इकाई होनी चाहिए। 1969 में अपने वगलौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आग्रह का एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया था। समूचे देश में कांग्रेस की 20 प्रदेश समितियाँ हैं तथा इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र-शासित क्षेत्र में भी उसकी एक सगठनात्मक शाखा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सगठन समूचे देश में व्याप्त है। वस्तुतः देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो इस दृष्टि से कांग्रेस का मुकाबला कर सके।

कांग्रेस दल का सर्वोच्च कार्यपालिका अभिकरण वर्किंग कमेटी है। उसमें अध्यक्ष के अलावा कुल 20 सदस्य होते हैं, इनमें से दस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा शेष सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

वर्किंग कमेटी अपने कार्यों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठके वर्किंग कमेटी के द्वारा ही बुलाई जाती हैं। दल के सगठन पर जहाँ केन्द्रीय नेताओं का नियन्त्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है वहाँ राज्यों के नेता भी प्रभावशाली नहीं हैं। राज्य विधान सभाओं के लिए दलीय प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित करना उन्हीं का काम है। यद्यपि अपने इस अधिकार का वे समुचित प्रयोग करने में आमतौर पर अपनी दलीय गुटबन्धियों के कारण असफल रहते हैं तथापि उनके इस अधिकार के महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

दलीय ढाँचे में सदस्यीय बोर्ड का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य होते हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र के विधानमण्डलों के कांग्रेस सदस्यों को अनुशासित करना तथा उनके कामों के बीच में ताल-मेल बैठाना उसी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। सरकार की नीतियों को निर्मित करने में भी उसकी एक विशिष्ट भूमिका रही है।

कांग्रेस की आन्तरिक गुटबाजी—कांग्रेस सगठन के मुख्य अंगों का सक्षिप्त विश्लेषण भी इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता कि यह दल किमी सुनियोजित कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत काम नहीं करता, अपितु वह अपने में सन्निहित गुटों के माध्यम से काम करता है। यथार्थ में कांग्रेस का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किमी न किमी गुट के साथ सम्बद्ध न हो। गुटों का कांग्रेस के जीवन के साथ आज इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि हम जिस प्रकार किसी हिन्दू की उसके वर्ण के बिना कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार किसी कांग्रेसी की भी उसके गुट के बिना कल्पना नहीं की जा सकती।

किसी-दल में गुटों का अस्तित्व उसकी जीवनशक्ति के लिए शुभ नहीं होता, उसमें उसकी राजनीतिक स्थिरता पर कुप्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि एक लम्बे समय तक लोक सभा में कांग्रेस दल की एकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यद्यपि गुटबाजी में वह भी मुक्त नहीं था। 1969 की घटनाओं के बाद उसके कुप्रभाव केन्द्र में भी दृष्टिगोचर होने लगे। किन्तु राज्यों

म ता गुटवाजी क बुर परिणाम जाग्रम स हा अब तो किन विय जा सकत थ । राज्या म दनीय अनुशासन हमशा म हा निम्न स्तर का रहा फनन दन राया की राजनीति म प्रभावी भूमिका भी अदा नहा कर सता । काग्रम के जा त्रिक सघष म गुटा न प्रतियागी दवाव समूहा के रूप म काम किया म सघष म सिद्धाता और विचारधारा क लिए कार् स्थान नहा था जोर यत् था ता वह कवन नाममात्र क लिए ही था । वस्तुतः सी म्यिनि न काग्रम म अनुशासनहीनता को ज म दिया म असक कारण किमी काग्रमी की अपन दल के प्रति निष्ठा क स मुख सत्व एक प्रश्न चिह्न नगा रहता है ।

काग्रम के इसी पराभव का रोकन क लिए विगपन 1963 क तान उप चुनाव म काग्रस का पगजय क उपरान नहरू जी ने काग्रस का पुनर्गठित करन क लिए 6 मुख्य मंत्रिया तथा अपन मंत्रि परिषद् क 6 सदस्या का त्याग पत्र कामराज याजना क जतगत स्वीकार किया था । इय याजना का उद्देश्य दन के वरिष्ठ नेताआ को सरकारी पदा स मुक्ति तिलावर दन का भगठित करन क काम म नगाना था । कत् म ता अस योजना को लागू करन म काई विगप कठिनाई उपस्थित नही ह्त् क्याकि वहां अन्तिम निश्चय नहरू जी जस गतिशाली नेता के हाथा म था परंतु राया म हम योजना का लागू करन म जनक कठिनाइया प्रस्तुत हा गई । कत्तय नेतृत्व उह रोकन म असमय रहा । उदाहरण क लिए उत्तर प्रदेश म कत्तभानु गुत के मद मुन्ता कृपतानी न मुख्य मंत्री का काय भार सम्भाना । वह मुख्य मंत्री के पद पर इमनिग आमीन हो सका क्याकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री क समथक अपन नेता क अपदस्थ होन स प्रसन्न नहा थ तथा व एन एस यत्ति को मुख्य मंत्री बनाना चाहत थे जिस नहरू जा नहा चाहत थ । हमक बात जसा हाना क लिए था उत्तर प्रदेश म काग्रस क स्तर की गुट स्पर्धा वत् गत् ।

उपयक्त विवचना स स्पष्ट है कि कामराज याजना अपन उद्देश्य की प्राप्ति म असफल रही । नेताआ का वत्त दन मात्र स दन के पराभव को रोक नही जा सका और न उसस दन के अदर की गुटवाजा पर ही कोई वाछित प्रभाव पडा । अब दन के अन्दर विराधी गुट का जन्मित्व काई रत्म्य नहा था दन आतरिक तनाव स जकत्ता हुआ था दन क सत्स्य अपनी स्वाथ सिद्धि म प्रसत् थ तथा दल के हिता को जागे बताने म किमी की भी रुचि नहा थी । इस पृष्ठभूमि म यत्ति 1967 क आम चुनाव म काग्रम का मह की सानी पदा ता असम जाश्चय की बात हा क्या थी ?

सदस्यता—काग्रस की सदस्यता दो प्रकार की है—प्राथमिक और सक्रिय । काई भी एसा यत्ति जिमकी आयु 18 वष है तथा जो काग्रस के उद्देश्या म जास्था रचना है काग्रस का सदस्य बन सकता है बगने कि बट किसा अय दन का सदस्य न हो । वह यत्ति जो दो वर्षों तक लगातार काग्रम का प्राश्निक सदस्य र् चुका है तथा जिमकी आयु 21 वष है 25 रषया का चत्ता देकर अथवा 25 प्राथमिक सदस्या की भरता करक काग्रम की सक्रिय सदस्यता प्राप्त कर सकता है । काग्रस सगठन अपने सदस्या स जिम जाचरण की अप ता करता है उममे यह प्रतीत नही हाना कि उमम कही आधुनिकता भी है । उदाहरण क लिए काग्रस के सक्रिय सदस्या क लिए यादी पहनना अनिवाय है यद्यपि हम नियम का सम्मान नामायत उसके उन्धन क द्वारा ही हाता है उमक पालन क द्वारा नही । काग्रसजना क लिए जो वत्तय बताय गय है व भी आम तौर पर अराज नीतिक है । काग्रम क सविधान म सक्रिय सदस्या क लिए यह व्यवस्था की गई है कि व प्रतिदिन अपना कुछ समय रचनात्मक कायक्रम म नगाय । रचनात्मक कायक्रम म निम्न बातें शामिल है— साम्प्रदायिक एकता खाी और प्रामोद्योग बुनियादी शिक्षा मद्य निषय हरिजन कल्याण अधिक जय उरजाओ अन्तेन गौ नवा प्राकृतिक विविस्ता का प्रणिष्ठाण कुल निवारण प्रोत् शिक्षा आदि । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन कार्यों का काग्रस के राजनीतिक उरण्या क साथ कार् विगप सम्बन्ध नही है । यहाँ यह बतान की आवश्यकता नहा है कि इय जाचार सहिता का पानन भी काग्रसी हाली दिवाली विगप पर्वों पर ही करत है ।

कांग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम—स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही कांग्रेस ने देश में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार को विकसित किया था। 1955 में अपने अवादी सम्मेलन में कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वह देश में 'समाजवादी ढाँचे का समाज' स्थापित करना चाहती है। परन्तु यह प्रस्ताव भी इतना अधिक अस्पष्ट था कि लोगो ने उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की। रूढ़िवादियों की दृष्टि में यह प्रस्ताव देश में उग्र समाजवाद की ओर ले जाने वाला पहला कदम था, जबकि वामपन्थियों का विश्वास था कि उसके अन्तर्गत देश में पूँजीवाद और निजी पूँजी का विकास होगा।

1956 में कांग्रेस ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक नया प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। मिश्रित अर्थतन्त्र के ढाँचे में निजीक्षेत्र के पास अत्यधिक सीमित क्षेत्र होना चाहिए तथा उसके पास कृषि, लघु उद्योग-धन्धे तथा व्यापार के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी की रचना हुई है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से उसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। कालान्तर में कांग्रेस ने 'संसदीय लोकतन्त्र पर आधारित समाजवादी राज्य' की स्थापना को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। परन्तु इस प्रस्ताव में सन्निहित उद्देश्य का कांग्रेस की करनी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ यह लिखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की करनी और करनी के बीच पाये जाने वाले इन अन्तर्विरोधों का अर्थव्यवस्था पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पडा। यह ठीक है कि इन नीतियों के घोषित होने के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ है। किन्तु इस सत्य के साथ हम इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि इस पूरे काल में देश में एकाधिकारी पूँजी का भी विकास हुआ है। निश्चय ही इसे समाजवाद की सजा प्रदान नहीं की जा सकती। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, वहाँ यह स्मरणीय है कि इससे सम्बद्ध उद्योगों के बारे में यह आम शिकायत है कि न तो उनमें कार्यकुशलता पायी जाती है और न ही उनसे वाँछित मुनाफे की प्राप्ति हो रही है। वस्तुतः इन उद्योगों ने देश में समाजवादी अर्थतन्त्र को लोकप्रिय बनाने के बजाय जनमानस में उसकी उपयोगिता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

कांग्रेस ने चौथा आम चुनाव इसी पृष्ठभूमि में लडा था। अतः जैसा स्वाभाविक था चुनाव में उसे मुह की खानी पडी, देश के अधिकांश राज्यों में उसे विरोधी बंचों पर बैठने के लिए विवश होना पडा। यद्यपि केन्द्र में उसका बहुमत कायम रहा, तथापि यहाँ भी उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अतः इस सन्दर्भ में उसे अपने नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पडा। मई 1967 में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने एक दस-सूत्री कार्यक्रम को अपनाया। कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें थी—

1 बंको का राष्ट्रीयकरण, 2 आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, 3 आयात और निर्यात में राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के आधार पर प्रगति, 4 खाद्यान्न में राज्य व्यापार, 5 सहकारिता के क्षेत्र का विस्तार, 6 एकाधिकारी पूँजी का संचालित ढग से खात्मा, 7 लोगो की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, 8 नगरों की भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकना, 9 ग्रामों में पुनर्निर्माण कार्य, भूमि सुधार आदि, तथा 10 भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली प्रिवी पर्सों का खात्मा।

कांग्रेस फूट के बाद—1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का एक भाग श्रीमती गांधी के नेतृत्व में और दूसरा सिण्डीकेट के नेताओं के प्रभाव में चला गया था। दिसम्बर 1969 के अन्त में इन दोनों कांग्रेस संगठनों के अलग-अलग अविवेकन हुए। पुरानी कांग्रेस ने अपना अविवेकन ग्रहणवाद में निजलिगप्पा की अध्यक्षता में किया और नयी कांग्रेस का अविवेकन बम्बई में जगजीवन राम के सभापतित्व में हुआ। इन पृथक् अविवेकनों से अविभाजित कांग्रेस के 84 वर्ष पन्ध्रे इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। अब दो दल सामने आ गये—कांग्रेस और नगठन कांग्रेस। दोनों दलों के कार्यक्रमों और नीतियों में अन्तर है। यह बात 1971 के मध्यरात्रि

रूप से ध्यान दिया जायेगा।

(xiv) विदेश नीति के क्षेत्र में कांग्रेस उसी नीति का अनुगमन करेगी जिसकी रचना नेहरू जी के समय में हुई थी। इस प्रकार कांग्रेस गुट-निरपेक्षता तथा सैनिक गठबन्धनों से अलग रहने की नीति का अनुसरण करती रहेगी। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना उसकी विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धान्त होगा। अतः कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न करेगी। किन्तु कांग्रेस देश की प्रतिरक्षा की ओर उदासीनता की नीति नहीं बरतेगी, अतः वह सशस्त्र सेनाओं को अधिकाधिक सुदृढ बनाने के लिए प्रयास करेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर कांग्रेस को लोकसभा के 515 स्थानों में से 352 पर सफलता प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की यह जीत वास्तव में इन्दिरा गांधी की 'वैयक्तिक जीत' थी। किन्तु इस प्रकार का मत व्यक्त करने वाले यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने 1967 का चुनाव भी इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा था और उस चुनाव में कांग्रेस को धूल चाटने के लिए विवश होना पड़ा था। यदि श्रीमती गांधी 1971 का चुनाव अपने व्यक्तिगत करिश्मे से जीत सकती थी तो 1967 में वह यह करिश्मा क्यों नहीं दिखा सकी? वास्तव में यह जीत इन्दिरा गांधी की कोई निजी जीत नहीं थी, वह तो उस नारे की जीत थी जो उन्होंने विरोधी दलों के 'इन्दिरा हटाओ' नारे के जवाब में दिया था। उनका नारा था— 'गरीबी हटाओ'। कांग्रेस घोषणा-पत्र में इस नारे की अभिव्यक्ति इन शब्दों में हुई थी—गरीबी हटनी चाहिये। असमानता कम होनी चाहिये। अन्याय का अन्त होना चाहिये। ये हमारे अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये आवश्यक कदम हैं, हमारा लक्ष्य है एकतावद्ध एवं शक्तिशाली भारत— वह भारत जो अपने प्राचीन एवं स्थायी आदर्शों में आस्था रखता है, परन्तु जो अपने विचारों एवं उपलब्धियों में आधुनिक है तथा जो भविष्य का सामना कल्पना एवं विश्वास के साथ करने को तैयार है।

वस्तुतः भारतीय मतदाता ने कांग्रेस के पक्ष में जो मतदान किया था उसका आधार चुनाव घोषणा-पत्र का यही अंश था। अतः कांग्रेस की इस जीत को इन्दिरा गांधी की व्यक्तिगत विजय नहीं कहा जा सकता। चुनाव के पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तथा राजाओं के प्रिवी पर्सों को समाप्त करके जनमानस में उन्होंने यह चेतना भी उत्पन्न की थी कि वह वास्तव में देश को समाजवाद की ओर ले जाना चाहती हैं। इस सन्दर्भ में यह स्वाभाविक ही था कि देश की जनता उनके 'गरीबी हटाओ' के नारे में वास्तविकता का अवलोकन करती। देश की जनता अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती थी, वह देश की अर्थव्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण आधार पर सगठित करना चाहती थी। 'गरीबी हटाओ' के नारे में उसे अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो रही थी। अतः 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को इन्दिरा गांधी का चमत्कार नहीं, बल्कि इस नारे का चमत्कार समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति पहले की अपेक्षा अधिक उग्र हुई है। दल के आन्तरिक विरोधों का निराकरण करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है वह भी एक नया तरीका है। अब वह दल के अन्तर्विरोधों का समाधान करने के लिए दल के सहयोगी नेताओं से बात करने की अपेक्षा जनता से सीधे बात करती है। यथार्थ में कांग्रेस के सिण्डिकेट नेताओं को अपदस्थ करने में उन्हें इस तरीके से आगातीत सफलता प्राप्त हुई थी, उनका यह तरीका आज भी जारी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नयी कांग्रेस अब पूर्णतः बदल चुकी है। वास्तव में नयी कांग्रेस का आन्तरिक चरित्र भी वैसा ही है जैसा कि पुरानी कांग्रेस का था। यदि पुरानी कांग्रेस में विचारधारा की एकरूपता का अभाव था, तो नयी कांग्रेस भी उम बीमारी में मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए कांग्रेस में आज भी सुब्रह्मण्यम जैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें टाटा के 'मयुक्त क्षेत्र' (Joint Sector) को स्थापित करने के प्रस्ताव में कोई

खराबी नहाना दीखता। वही प्रकार यदि पुराना काग्रस म जानी सम्पत्ता की बीमारी पाइ जाना थी ता नयी काग्रस म यह बीमारी पहन की अप ता कई गुनी अधिक् है। पुरानी काग्रस गुटवाना म बुरी तरह ग्रसित थी म दृष्टि म भा नयी काग्रस का पुरानी काग्रस का परिमार्जित स्वरूप नहाना कहा जा सकता। जहा तक गरीबी हनाओ क उग्र काग्रस की कार्याविति का प्रश्न है वहाँ भा नयी काग्रस न जा निष्क्रियता अभी तक प्ररगित की है वह भा अविभाजित काग्रस की निष्क्रियता म भिन्न नहाना ह। सच बात ता यह है कि अभी तक गरीबी हनाओ काग्रस की कार्याविति भी आरम्भ नहाना हुइ ह।

सगठन काग्रस का चुनाव घोषणा-पत्र—सगठन काग्रस न अपन चुनाव घोषणा-पत्र म निम्न बातों पर बन लिया था—

(i) दन न वस दान का विराध किया कि सम्पत्ति क अधिकार को सविधान स निकाय लिया जाना चाहिये। उसन दन का नाकनातिक समाजवादी और धन निरपक्ष समाज म आस्था यक्त को ताकि देन म सामाजिक न्याय जवसरा की समानता तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता की स्थापना की जा सक।

(ii) दन म स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था की जायगी जख व्यवस्था को विकसित किया जायगा 1975 क वष तक समूच देश की युनतम आवश्यकताएँ पूरी की जायगी कर प्रणाली तथा न्याय प्रणाली का आसान बनाया जायगा मध्यम और निम्न आय क लोग क लिए एक वष म 10 लाख मकान बनाय जायग कृपि वस्तुओं क मूल्य वम प्रकार निर्धारित किये जायेंग जिनम कृषक को 75 पइच तथा 1 हजार करोड की एमी योजना चालू की जायगी जिसम दन क प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिल सक।

(iii) दन न कहा कि प्रिवी पर्सों को उचित देन स समाप्त किया जायगा परंतु मूलभूत अधिकारों वि अपत सम्पत्ति क अधिकार को रद्द करे अथवा उसम सन्तोषन क किसी भी प्रयास का विराध किया जायगा।

(iv) घोषणा-पत्र म सत्ताहट दन का इस बात के लिए जानोचना का कि उसने आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय का समस्याओं का समाधान करने के वजाय कवन अपने अस्तित्व को कायम रखन क लिए तिक्रम की राजनीति का सहारा लिया है। उसन देन की राजनीति क लोकतांत्रिक ढांच को काग्रस म फूट डानकर तथा कम्युनिस्टा और सम्प्रदायवाद्या स माठ गाठ करके क्षति पहुचाइ है। उसन न्यायपालिका के विरुद्ध सघष की स्थिति पदा करके देन म कानून और व्यवस्था की स्थिति म त्रिगा पना किया है।

(v) घोषणा पत्र म सरकार का इसलिये भी आनाचना की गन क्यकि वह प्रतिक्रम और मावजनिक आचरण के मामल म नतिक मूल्या के ह्रास क लिए उत्तरदायी है। वसका भारताय नाकतंत्र के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पना है।

(vi) काग्रस (सगठन) न उन समस्त दनो की आनोचना का जो मूल अधिकारों विनियमन सम्पत्ति क अधिकार का समाप्त करन अथवा सगाधित करन की बात करते हैं। घोषणा पत्र म भारतीय जनता की वन लोकतांत्रिक स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा का आन्वामन लिया गया। काग्रस (सगठन) न यह घोषणा की कि उसका न य गरीबी को दूर करना अर्थिक धन उत्पन्न करके तथा धन का समान वितरण करके जनता क रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाना है यह काम गरीबी को वाटकर नना किया जा सकता।

(vii) औद्योगिक क्षेत्र म मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के ऊपर धन लिया गया जिसम मावजनिक निजी और सहकारी सभ प्रकार क क्षेत्रों के लिए स्थान होगा तथा जिह समाज के हित म धियांत्रन करन का सरकार का अधिकार होगा।

(viii) कृपि क्षेत्र म काग्रस (सगठन) ने स अप म भूमि मुधारों का उल्लेख किया तथा कहा कि वह अपन पहल क वायदा क अनुसार उन्नत शीघ्रातिशीघ्र गायू करगी। कृपि वस्तुओं क मूल्य क

सम्बन्ध में इस घोषणा-पत्र में कहा गया था कि किसानों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जायगी।

(ix) शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के ऊपर बल दिया गया तथा यह कहा गया कि शिक्षा-प्रणाली एवं सस्थाओं के संचालन में छात्रों की भी भूमिका होगी। घोषणा-पत्र में स्त्रियों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया।

(x) मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाय ताकि देश के राजनीतिक जीवन में युवा पीढ़ी की अधिकाधिक साभेदारी हो सके।

(xi) विदेश नीति के क्षेत्र में दल ने यह इच्छा व्यक्त की कि 'भारत की विदेश नीति के सन्तुलन को फिर से कायम' किया जाना चाहिए तथा उसे 'वास्तविक गतिशील गुट-निरपेक्षता' का रूप दिया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस (सगठन) ने मध्यावधि चुनाव जनसभ, स्वतन्त्र पार्टी और सयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ एक सयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ा था। चुनाव में इस मोर्चे की तरफ से अकेले कांग्रेस (सगठन) के 239 प्रत्याशी मैदान में थे और इनमें उमें केवल 16 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणाम इस दल के लिए निश्चय ही निराशाजनक थे। दल के नेताओं के लिए यह पराजय ऐसी थी जो उनके गले के नीचे नहीं उतर सकती थी, अतः उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने चुनावों में शासनतन्त्र का दुरुपयोग किया है। परन्तु जहाँ तक देश के लोकमत का सम्बन्ध था, उसने यह बात भलीभाँति प्रदर्शित कर दी कि वह केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस को ही वास्तविक कांग्रेस मानता है।

(ii) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (फूट से पहले और फूट के बाद)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—आयु की दृष्टि से भारत के राजनीतिक दलों में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान कांग्रेस के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। उसकी स्थापना 1922 में हुई थी, परन्तु ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सबसे अधिक प्रबल विरोधी होने के कारण उसे उसके जन्म के समय ही अवैध घोषित कर दिया गया था। फलतः उसे अपने शैशव काल से ही छिपकर काम करना पड़ा। इसके संविधान का प्रारूप 1931 में बना था, जिसे 1933 में पार्टी के प्रथम अधिवेशन में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण उनके अन्तर्राष्ट्रवाद से हमेशा से प्रभावित रहा है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को केवल भारतीय जनता का संघर्ष नहीं माना, अपितु उन्होंने कहा कि वह विश्व साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का एक अभिन्न अंग है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से देखा। यह खेद की बात है कि 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति जो स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, उसे अपनाते में कम्युनिस्ट पार्टी असमर्थ रही। कारण स्पष्ट था। द्वितीय महायुद्ध में इस समय रूस और ब्रिटेन मिलकर कार्य कर रहे थे। अपने देश के हितों के विरुद्ध होते हुए भी रूस के मित्र ब्रिटेन का विरोध करना कम्युनिस्टों के बूते से बाहर था। फलतः कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से उसका फिर अलग हो गया।

इस पृष्ठभूमि में अगस्त 1947 में देश स्वतन्त्र हुआ। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते थे। पार्टी के महामन्त्री पी० सी० जोगी का मत था कि स्वतन्त्रता और सत्ता का हस्तान्तरण वास्तविक था तथा कम्युनिस्टों को नेहरू सरकार का समर्थन करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण वी० टी० रणदिवे का था जिनका यह मत था कि वास्तविक स्वतन्त्रता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती थी। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार कम्युनिस्टों को कांग्रेस के माध्यम संघर्ष करने की आवश्यकता थी।

1948 में कम्युनिस्ट पार्टी की कलकत्ता में दूसरी कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में पी० सी० जोगी के ध्यान पर वी० टी० रणदिवे को पार्टी का महामन्त्री चुना गया। कम्युनिस्ट पार्टी की इस कांग्रेस में स्टालिन के इस मत को मान्यता प्रदान की कि विध्वंस दो पक्षों में बँटा हुआ है एक

पक्ष सोशलिस्टिक पार्टी का है तथा दूसरा पक्ष समाजवादी गति का है। इस कार्यक्रम में यह नियत किया गया कि कम्युनिस्टों को साम्राज्यवादी सामंतवाद एवं पूँजीवादी सभी के विरुद्ध निरमल सघर्ष करने की आवश्यकता है।

मध्यमश्रेणी वर्गों के वर्ग-रहित न उग्र वामपंथी एवं समाजवादी नीतियों का अनुसरण किया। फलस्वरूप विभिन्न भागों में हस्तगत सगठित की गई जहाँ-तहाँ पुनिस और पंजीयनों के दस्तावेजों पर हमला भी किया गया जिनमें कुछ नाम मात्र भी गये और कई घायल हुए। यहाँ के माघ में आज़ प्रयोग के तत्कालीन क्षय में किसानों का छापामार युद्ध भी सगठित किया गया। किंतु अर्थात् सत्रहारा की शक्ति नहीं हो सकी। विभिन्न राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने कम्युनिस्टों के समर्थन के वाक्योक्ति का भरोसा प्रयत्न किया। जनक राय ने कम्युनिस्ट पार्टी पर अतिव्यक्त तमाया किया इस मध्यम के दौरान जनक कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए जनक मार भी गये। यह स्पष्ट था कि इस दमन से कम्युनिस्ट आन्दोलन कुचला गया जा सकता था परन्तु जनक माघ में यह भी स्पष्ट था कि इन प्रकार के दुस्माहवादी कार्यों से देश में समाजवादी क्रान्ति का सूत्रपात नहीं किया जा सकता था। इस पृष्ठभूमि में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना नानिया पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके परिणामस्वरूप रणनीति का पार्टी के महामंत्री के पास में हस्त लिखा गया। 1951 में पार्टी ने एक विंगप अधिवेशन कायदा में हुआ इसका उद्देश्य पार्टी को वामपंथी मकीणता से मुक्त करना था।

1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। इस समय तक देश के जनक राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था उसके बहुत से कार्यकर्ता या तो जेल में बंद थे और या वे भूमिगत कार्य कर रहे थे। परन्तु इन सीमाओं के बावजूद चुनाव के परिणाम कम्युनिस्टों के लिए अत्यंत सुखद और गर कम्युनिस्टों के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध हुए। जहाँ जयमभा के लिए बंधन 70 स्थानों पर चुनाव लड़े थे और इनमें उन्हें 27 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। जयमभा मध्यम कम्युनिस्ट पार्टी कायदा के बाद दूसरे नम्बर की पार्टी थी। इसी प्रकार राज्यों की विधान सभाओं के लिए उत्तम बंधन 587 सीटों पर अपने प्रयासों के लिए जय और इनमें 181 का सफलता मिली थी। कम्युनिस्टों की इस सफलता का ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने फरवरी 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक यह मान्यता बंधन 4 दला का प्राप्त था कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अन्य तीन नये—कांग्रेस प्रजा समाजवादी पार्टी और जनमध।

दूसरे आम चुनावों के परिणामों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। लोक सभा में उसे 29 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। 1952 में उसे कुल 47 12 009 मत प्राप्त हुए थे 1957 में उसके मत में बढ़ोतरी की संख्या 1 20 68 452 हो गई थी। म प्रकार अब बड़े स्रोतों की दृष्टि से ही जयमभा की दृष्टि से भी देश की दूसरी बड़ी पार्टी थी। जय पहली बार देश के जयमभा सभी विधानमण्डलों में उसके प्रतिनिधि मौजूद थे। यही नहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में वह मुख्य विरोधी पार्टी की तथा केरल में उसे शासक दल की भूमिका की जय करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तिहास में यह पहला जयमध था जय सभार के किसी भाग में बंधन बाकस के माध्यम से कम्युनिस्टों का अपना शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई थी।

जसा कहा जा चुका है कम्युनिस्ट पार्टी में राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति हमला से विरोधी दृष्टिकोण पाये जाते रहे थे। 1959 में चीनी प्रचार की एक समस्या उस समय प्रस्तुत हुई जबकि भारत और चीन के बीच एक सामाजिक विवाद उत्पन्न हुआ। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मकमाहन रेखा को भारत की पूर्वी सीमा बताया गया तथा चीन के समक्ष पर आपत्ति प्रकट की गई कि वह इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सिन्धिम और भूतान से

बातचीन कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया कि चीन को केवल भारत से ही बात नहीं करनी चाहिए, 1961 में इस स्थिति को फिर से दुहराया गया। लोक सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एस० ए० डांगे ने सीमा विवाद पर भारत सरकार के दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन किया। पार्टी के अन्दर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें यह स्थिति मान्य नहीं थी, इन लोगों का कहना था कि सीमा विवाद में भारत का दृष्टिकोण गलत था और चीन का सही। इस प्रकार के कम्युनिस्ट पश्चिमी वगल में एक बड़ी सख्या में पाये जाते थे। फलतः पार्टी के अन्दर पाये जाने वाले यह मतभेद पार्टी के बाहर भी व्यक्त किये जाने लगे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विवादग्रस्त एक तीसरा प्रश्न भी था और वह यह था कि शासक दल के प्रति पार्टी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अप्रैल 1961 में पार्टी सम्मेलन में अजय घोष और डांगे ने यह मत प्रतिपादित किया था कि समाजवादी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक 'राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा' को गठित करने का प्रयास करना चाहिए और इस मोर्चे में कांग्रेस के अन्दर पाये जाने वाले वामपथी तत्त्वों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पार्टी सम्मेलन ने डांगे-घोष दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया, परन्तु जब राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचन का प्रश्न आया तो उसने पार्टी में एकता कायम रखने की दृष्टि से सकीर्णतावादी तत्त्वों को भी चुन लिया। इस प्रकार 110 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद् में जहाँ 60 सदस्य अपने सही दृष्टिकोण के कारण चुने गये थे, वहाँ 50 सकीर्णतावादी भी उनके साथ निर्वाचित कर लिये गये।

तीसरे आम चुनाव के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने जो घोषणा-पत्र जारी किया उसमें यह कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को 'प्रतिक्रियावादी' सस्था नहीं मानती। इसलिए यदि आगामी चुनाव में कांग्रेस की समाजवादी नीतियों की कार्यान्विति को सम्भव बनाने के लिए कम्युनिस्ट तथा अन्य लोकतान्त्रिक प्रत्याशी एक बड़ी सख्या में निर्वाचित हो जाते हैं तो पार्टी को उसी से सन्तोष हो जायगा। 1962 की जनवरी में महामन्त्री अजय घोष का देहान्त हो गया। उनके निधन के उपरान्त दल में एकता कायम रखने के लिए पार्टी सविधान में संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्य-संख्या 25 से 30 हो गई और सेक्रेटेरियट की 5 से 9। अभी तक पार्टी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी महामन्त्री होता था, अब दो पदाधिकारी हो गये—अध्यक्ष और महामन्त्री। इन दो पदों पर डांगे और नम्बूदिरिपाद को निर्वाचित किया गया। परन्तु पार्टी की यह एकता स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। देश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने भी चीनी आक्रमणकारियों की भर्त्सना की, परन्तु राष्ट्रीय परिषद् में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो चीनियों की इस आलोचना को गलत मानते थे। इनमें से तीन पार्टी के सेक्रेटेरियट के भी सदस्य थे। अतः उक्त प्रस्ताव के पारित होने के बाद इन तीनों—ज्योति बसु, सुन्दरैया और हरीकिशन सिंह सुरजीत ने सेक्रेटेरियट से त्याग-पत्र दे दिया। नम्बूदिरिपाद ने महामन्त्री के पद से त्याग-पत्र देने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उन्होंने इस पर आग्रह नहीं किया। इसके बाद अनेक वामपथी कम्युनिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये—इनमें नम्बूदिरिपाद, ज्योति बसु, सुन्दरैया और सुरजीत सभी शामिल थे।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पार्टी के अन्दर आन्तरिक विवाद अब उस स्थिति पर पहुँच गया था जहाँ से किसी भी सम्बद्ध पक्ष के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था कि वह दूसरे के साथ समझौता कर सके। इस पृष्ठभूमि में अप्रैल 1964 में राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक हुई। इस बैठक में से 32 सदस्य उठकर चले आये, बाहर आने वालों में गोपालन और नम्बूदिरिपाद भी शामिल थे।

जुलाई 1964 में इन्ही के नेतृत्व में तेनाली में विरोधी कम्युनिस्टों का एक सम्मेलन हुआ

और इस प्रकार कम्युनिस्ट जातीयता में एक पहला दरार पड़ी। अपने तनावों अधिवेशन में इन कम्युनिस्टों ने अपनी नीति को घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान भारतीय राज्य के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो सकता तथा नरक की जानियाँ के साथ उन्हें पूर्ण विरोध है क्योंकि उनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नव उपनिवेशवादी और आक्रमणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मांग प्रशस्त होना है।

8 सितम्बर 1964 का नाग सभा के 32 कम्युनिस्ट सदस्यों में 11 ने गणतन्त्र के नवतंत्र में अपना एक जनगण गुट बना लिया फलतः सदन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दूसरे बड़े दल की नहीं रही।

14 सितम्बर को राष्ट्रीय परिषद् ने उन सब नागों को पार्टी सदस्यता से निकाल दिया जिन्होंने तनावों सम्मेलन में भाग लिया था।

नयी पार्टी ने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) रखा। जविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के जगभय एक तिहाई सदस्यों ने नयी पार्टी की मन्स्यता स्वीकार करना।

एन पाटिया की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए इनके 1971 के घोषणा पत्रों की विवेचना आवश्यक है।

कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र—कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा था कि उसका चुनाव न्याय दक्षिणपथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पराजित करना तथा उनके इस प्रयास को विफल बनाना है कि वे के. म. अपनी सत्ता स्थापित कर सकें तथा एक एमो लोकसभा की रचना कर सकें जिसका रहमान पिछड़ी लोकसभा की अपेक्षा अधिक वामपथी और अधिक नाकतांत्रिक हो तथा जो संविधान में मूलभूत परिवर्तनों को तान और सदन की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए बचतबद्ध है।

घोषणा पत्र की प्रस्तावना में पार्टी ने सिण्टीकेट जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के गठबंधन की कट गाना में जांचना की थी तथा यह कहा था कि हमारे वाममार्गी जातिवाद का हमला के लिए विजित करने के लिए संयुक्त समाजवादी पार्टी के मतदान और समाजवाद के इन गानों के साथ खुले रूप से गठबंधन करना स्वीकार किया है। पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस की भी इसलिए जांचना की कि बका के राष्ट्रीयकरण के वल जनता में जा आगाय जागृत हुई थी उह पूरा करने में वह असमर्थ रहा है।

कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में माक्सवादी पार्टी की भी जांचना की। उसने माक्सवादी के इस दृष्टिकोण को गनत बताया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और महा गठबंधन की पाटिया में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा कि एन दोना से अपनी दूरों को समान रखने का ओट में माक्सवादी पार्टी यथाथ में कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य लोकतांत्रिक पार्टियों का अपने आक्रमण का न्याय बना रही है। पार्टी ने माक्सवादी पर वामपथी एगता जन गठनों एवं जन-आन्दोलन में फूट डालने का आराप लगाया। अपने तथाकथित उग्रवाद की आट में माक्सवादियों को सिण्टीकेट के साथ समझौता करने में और दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाद के चुनाव को तान मल करने में कोई संकोच नहीं हुआ है। इस प्रकार माक्सवादी पार्टी सिण्टीकेट जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का खन खन रही है।

घोषणा पत्र में यह मांग नहीं की गई थी कि सम्पत्ति के अधिकार का संविधान में स्थान न दिया जाय परंतु उसमें यह अवश्य कहा गया है कि एकाधिकारी पंजीपतियों भूतपूर्व नरेगा जमींदारों तथा अन्य सम्पन्न शक्तियों के अधिकार को सीमित किया जाय। उसने मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन में आवश्यक सुधार किये जायें एकाधिकारी पंजी द्वारा नियंत्रित संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय प्रगतिशील भूमि-सुधार किये जायें राज्य के विधानमण्डल के द्वितीय सदन समाप्त किये जायें तथा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी जाय।

घोषणा-पत्र मे कुछ सांविधानिक सुधारों की भी माँग की गयी। इस सम्बन्ध मे पहली माँग यह थी कि ग्रिवी पर्सों तथा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध मे जो प्राविधान सविधान मे पाये जाते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाय। दूसरी माँग यह थी कि इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी जो अभी भी सेवारत हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाय तथा सविधान के 314वें अनुच्छेद को भी सविधान से निकाला जाय ताकि 'ब्रिटिश शासन के इन मामलों' को दिये जाने वाले संरक्षण का अन्त किया जा सके।

कम्युनिस्ट पार्टी ने यह भी माँग की कि सांविधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए दोनों मन्त्रों के मिले-जुले अधिवेशन को करने की व्यवस्था की जाय, देश की मौलिक एकता को ध्यान मे रखते हुए राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाये तथा गवर्नरों के पद खत्म किये जाये। उसने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ससद की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने के लिए भी सविधान मे संशोधन किये जाये। इसके हेतु पार्टी का यह सुझाव था कि ससद द्वारा व्यक्त जनता की इच्छा न्यायपालिका की चुनौती से परे होनी चाहिए। उसका यह भी सुझाव था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पर कोई भी सांविधानिक प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल ज्येष्ठता के आधार पर नहीं होनी चाहिए तथा ससद को साधारण बहुमत मे किसी भी न्यायाधीश को पदच्युत करने का अधिकार होना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र मे पार्टी की माँग थी कि भूमि की हदबन्दी नीची की जाए, हदबन्दी के लिए परिवार को इकाई माना जाये तथा इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के अपवादों को मान्यता न दी जाये। उसने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों मे वितरित करने का वचन दिया।

औद्योगिक क्षेत्र मे पार्टी का कहना था कि एकाधिकारी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा विदेशी पूँजी पर राज्य का अधिकार स्थापित किया जाय। उसने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए ताकि वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मे एक निर्णायक भूमिका अदा कर सके।

मूल्यों के सम्बन्ध मे कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र मे यह माँग की गई थी कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए, अग्रिम व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए तथा सट्टे के ऊपर बैंकों को उधार नहीं देना चाहिए। पार्टी ने इस बात का भी सुझाव दिया कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का वितरण सस्ते मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

पार्टी ने देश मे प्रचलित शिक्षा-प्रणाली को भी बदलने की माँग की ताकि देश के धर्म-निरपेक्ष एवं तकनीकी आधार को शक्तिशाली बनाया जा सके। घोषणा-पत्र मे यह भी कहा गया कि छात्रों को शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध मे भाग दिया जाना चाहिए तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक स्वायत्त बनाना चाहिए।

कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्प्रदायिक शक्तियों को खत्म करने के लिए प्रभावी प्रशासकीय कदम उठाने की माँग की तथा यह कहा कि अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ी हुई जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

विदेश नीति के क्षेत्र मे पार्टी ने कहा कि 'उपनिवेश-विरोध, साम्राज्य विरोध तथा सोवियत मघ और अन्य समाजवादी देशों के साथ मंत्री कायम रखने के सिद्धान्तों को ध्यान मे रखकर गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिए।' पार्टी ने जातिवाद की नीति की आलोचना की तथा उसने कहा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मे भारत को अलग हो जाना चाहिए। उसने वियतनाम के लोकतान्त्रिक गणराज्य, दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार, जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य तथा कोरिया के लोकतान्त्रिक जन-गणराज्य को पूर्ण मान्यता प्रदान करने पर आग्रह किया। उसने हिन्द-पाक सम्बन्धों को ताशकन्द समझौते की भावना क अधीन सुधार करने की माँग की तथा यह भी कहा कि चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(iii) समाजवादी पार्टियाँ

भारत में समाजवादी पार्टियों का इतिहास विलयनो एव विघटनो का इतिहास रहा है। अनेक बार समाजवादी आन्दोलन को एकता के सूत्र में पिरोने के प्रयास किये जा चुके हैं, इन प्रयत्नों को तात्कालिक सफलता भी मिली है परन्तु अल्प समय में ही इनमें फिर से फूट पड़ गई है। यह क्रम निरन्तर चलता रहा है।

1933-34 में कांग्रेस के अन्दर एक वामपथी सगठन के रूप में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। 1948 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त यह कांग्रेस से अलग हो गई और इसने अपने आप को भारतीय समाजवादी पार्टी का नाम दिया। प्रथम आम चुनाव के थोड़े दिन पूर्व आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कुछ गांधीवादी कहलाने वाले व्यक्ति भी कांग्रेस से जलग हो गये थे और उन्होंने अपने आपको किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का नाम दिया था। इन दोनों पार्टियों को आशा थी कि चुनाव में इन्हे काफी सफलता मिलेगी। समाजवादी पार्टी तो यह आशा सजोए बैठी थी कि चुनाव के उपरान्त वह कांग्रेस की मुख्य विकल्प होकर सामने आयेगी। परन्तु चुनाव के परिणाम इन दोनों दलों के लिए अत्यन्त निराशाजनक सिद्ध हुए। अतः यह आवश्यक समझा गया कि समान विचारधारा वाले दलों को आपस में मिल जाना चाहिए। इसलिए 12 सितम्बर 1952 को इन दोनों पार्टियों का विलयन हो गया और इस प्रकार प्रजा समाजवादी पार्टी (प्रसोपा) का गठन हुआ। इस विलयन के परिणामस्वरूप दल का नियन्त्रण समाजवादियों के हाथों में चला गया क्योंकि इस नये दल के सभी मन्त्री पुराने समाजवादी ही थे, परन्तु दल के सम्मानित स्थान किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्यों को दिये गये। आचार्य कृपलानी नये दल के अध्यक्ष बने और अशोक मेहता उसके महामन्त्री।

उक्त दलों के विलयन में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह कार्य सुगमतापूर्वक इसलिए सम्पन्न हो गया क्योंकि बातचीत के दौरान विचारधारा से सम्बद्ध प्रश्नों को नहीं उठाया गया, केवल आम सिद्धान्तों की चर्चा की गई। परन्तु थोड़े दिनों साथ रहने के अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया कि दोनों के कार्यक्रम, काम करने का तरीका, प्रचार, भाषा आदि सभी में बहुत अन्तर थे। वस्तुतः पुरानी समाजवादी पार्टी में ही विचारधारा की समानता का अभाव था, किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलयन करके उसमें एक नये असमान तत्त्व को स्थान दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि दल के आन्तरिक संघर्ष खुलकर सामने आते।

प्रसोपा के अधिकांश नेताओं का यह मत था कि उन्हें उन राज्यों में जिनमें कम्युनिस्ट और साम्प्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हैं कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। 1953 में इस सम्बन्ध में जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी में बातचीत भी हुई थी। परन्तु यह दृष्टिकोण डा० राम मनोहर लोहिया और उनके युवा साथियों की समझ में नहीं आया। इनका कहना था कि हमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को समान दूरी पर रखना चाहिए। इसी बीच 1954 में ट्रावनकोर-कोचीन (अब केरल) में ट्रावनकोर-तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्य के तमिल भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य में मिलाने के लिये सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। इस समय इस राज्य में यानू पिल्ले के नेतृत्व में प्रसोपा का मन्त्रिमण्डल कायम था, जो अल्पमत में होते हुए भी कांग्रेस के समर्थन से वहाँ टिका हुआ था। इस मन्त्रिमण्डल के समय में तमिल सत्याग्रहियों के ऊपर गोली चला दी गई। डा० लोहिया ने माँग की कि इस गोलीकाण्ड के बाद यानू पिल्ले मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मुख्य मन्त्री ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि में दल में एक आन्तरिक मकट उत्पन्न हो गया। इसका निराकरण करने के लिए नागपुर में नवम्बर 1954 में दल का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार गोलीकाण्ड पर खेद तो व्यक्त किया गया, परन्तु मन्त्रिमण्डल में त्याग-पत्र देने को नहीं कहा गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद डा० लोहिया ने दल से त्याग-पत्र दे दिया और उन्होंने दिसम्बर 1955 में समाज-

राष्ट्रीय समिति को नियुक्त किया। प्रेम भसीन इस समिति के महामन्त्री चुने गये। फरवरी 1965 में एन० जी० गोरे को दल का अध्यक्ष चुना गया।

चौथे आम चुनाव को इन दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा तथा उसके लिए उन्होंने अलग-अलग घोषणा-पत्र जारी किये। प्रसोपा ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय, वज्र भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना संगठित की जाय, क्षेत्रीय प्रणाली का अन्त किया जाय, 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में राशनिंग आरम्भ किया जाय तथा किसानों को कृषि वस्तुओं का उचित मूल्य दिया जाय। पार्टी ने यह भी माँग की कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेष अदालतें गठित की जायें, प्रशासन के विरुद्ध लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतन्त्र अधिकारी की नियुक्ति की जाय, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाय, चुनावों के तीन महीने पूर्व मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्र ले लिये जायें तथा अन्तरराज्यीय विवादों का निराकरण करने के लिए एक आयोग गठित किया जाय।

ससोपा ने अपने घोषणा-पत्र में केन्द्र और राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के लिए आह्वान किया। उसने कहा कि सब और राज्यों के सम्बन्धों को फिर से इस प्रकार परिभाषित किया जाय ताकि केन्द्र राज्यों में स्थापित 'जनता की सरकारों' का गला न घोट सके। आर्थिक मामलों में ससोपा का सुझाव था कि व्यक्तिगत व्यय 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इससे अतिरिक्त आय राज्य के पास जमा हो जानी चाहिए जो उसके स्वामी को या उसके उत्तराधिकारियों को 25-30 वर्ष के बाद लौटा दी जाय। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि सिचाई की एक सप्तावर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए तथा वह भूमि, जो न्यूनतम उत्पादन देने में असमर्थ रहे उस पर राज्य का अधिकार हो जाना चाहिए।

लोकसभा के चुनाव में ससोपा को 23 स्थान प्राप्त हुए और प्रसोपा को 13। इसी प्रकार राज्यों की विधान सभाओं में ससोपा को 175 सीटों पर सफलता मिली और प्रसोपा को 106 सीटों पर। यदि इन आँकड़ों की तुलना 1962 के चुनाव-परिणामों से की जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि चौथे चुनाव में प्रसोपा की शक्ति क्षीण हुई थी तथा उनके मुकाबले में ससोपा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। चुनावों के बाद जब 8 राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनीं तो दोनों पार्टियों ने उनमें हिस्सा बँटाया।

1969 में जब कांग्रेस में फूट पड़ जाने के परिणामस्वरूप इन्दिरा गांधी के मन्त्रिमण्डल का सदस्य बहुमत समाप्त हो गया तो उस समय इन दोनों दलों ने उसके प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाये। वस्तुतः इस प्रश्न पर ससोपा में आन्तरिक एकता का अभाव था। एम० एम० जोशी के नेतृत्व में कुछ सदस्यों का यह विश्वास था कि श्रीमती गांधी को अपनी समाजवादी प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित करने का समय दिया जाना चाहिए। दूसरे गुट में नेता राजनारायण थे जिनका कहना था कि श्रीमती गांधी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए कांग्रेस (संगठन) के साथ सॉठ-गॉठ की जानी चाहिए। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा गुट कर्पूरी ठाकुर का था। उनका कहना था कि गैर-कांग्रेसवाद का तकाजा है कि कांग्रेस के दोनों गुटों का विरोध किया जाय। इन मतभेदों का निराकरण करने के लिए ससोपा का एक विशेष अन्वेषण जनवरी 1970 में सोनपुर में हुआ। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि पार्टी सरकार का तरता पलटने के लिए किसी भी दल के साथ समझौता करने को तैयार है तथा वह ऐसे दलों के साथ गठबन्धन करने को उद्यत है जो एक निश्चित समय में पूरे होने वाले समाजवादी कार्यक्रम में विश्वास करते हों। इसके बाद राज्यों में सयुक्त मोर्चे गठित किये गये जिनमें जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी को भी स्थान दिया गया। पार्टी-सदस्यों में इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोकसभा के 9 ससोपा सदस्यों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व की यह नीति दल में फूट के लिए मार्ग-प्रशस्त कर रही है। इस स्थिति को टालने के लिए

अच्छी नहीं थी। इस बार उसे केवल दो सीटों पर सफलता मिली, पिछली बार उसे 13 सीटें मिली थीं। लोकसभा के चुनावों के साथ उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की विधान सभाओं के भी चुनाव हुए थे। यहाँ भी दोनों दलों की स्थिति बहुत खराब थी। 1967 में प्रसोपा को उड़ीसा में 21 सीटों पर सफलता मिली थी, अबकी बार उसे केवल 4 सीटें मिलीं। इसी प्रकार ससोपा की इस राज्य में पहले दो सीटें थीं, अबकी बार उसे किसी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी। इन दोनों दलों की ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में थी। इस सदस्य में इन दोनों दलों ने एकता के लिए फिर से प्रयत्न किया। फलतः 8 अगस्त 1971 को दोनों दलों ने मिलकर एक नये दल की रचना की जिसे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी ने 61 सदस्यों की एक तदर्थ समिति को नियुक्त किया जिसका अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर (ससोपा के अध्यक्ष) को तथा मन्त्री मधु दडवते (प्रसोपा के उपमन्त्री) को निर्वाचित किया गया। परन्तु इस नये दल के अस्तित्व में आने के थोड़े दिन ही बाद उसमें फूट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। राजनारायण तथा उनके ससोपा के पुराने सात सहयोगियों ने यह माँग की कि उन्हें चौबीसवें संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहिये। 27 अगस्त 1971 को एस० एन० द्विवेदी ने दल से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने घोषणा की कि वे उड़ीसा में कांग्रेस और प्रसोपा के गठबन्धन के लिए काम करेंगे। इस प्रकार देश में समाजवादी पार्टियों की पारस्परिक फूट अभी भी ज्यों की त्यों कायम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ससोपा, भारतीय क्रान्ति दल के काफी निकट आ गई है और 1974 में जिन 7 पार्टियों ने आपस में अखिल भारतीय स्तर पर विलय का प्रस्ताव किया है उसमें ये दोनों भी शामिल हैं।

भारतीय जनसंघ

इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वस्तुतः इसके पूर्व 1925 में विजयादशमी के अवसर पर के० बी० हेडगेवार ने 'हिन्दू जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तथा प्राचीन हिन्दू राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति' के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर० एस० एस०) की स्थापना की थी। कांग्रेस नेताओं के कारावास के काल में इसने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर ली थीं। इस काल में देश में मुस्लिम सम्प्रदायवाद के उदय ने भी हिन्दुओं में साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया। आर० एस० एस० को इस परिस्थिति से बढ़ावा मिला। 1947 में देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में देश में सम्प्रदायवादी प्रवृत्तियाँ ऊपर उठकर आयीं। अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय राजनीति का कोई भी विद्यार्थी साम्प्रदायिक शक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। जनवरी 1948 में ऐसे ही एक साम्प्रदायिक पागल नाथूराम गोडसे ने महात्मा गान्धी की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप समूचे देश में आर० एस० एस० तथा अन्य हिन्दू साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध रोप की लहर दौड़ गई। इस सन्दर्भ में सरकार ने आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बाद में यह प्रतिबन्ध तब हटाया गया जबकि इसके नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि उनका संगठन केवल सांस्कृतिक कार्य करेगा तथा वह अपने आपको राजनीति से दूर रखेगा। इसलिए आर० एस० एस० के कार्यकर्त्ताओं को राजनीतिक कार्यों के सम्पादन के लिये एक नये दल की आवश्यकता थी। जनसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई थी।

जनसंघ के नेताओं ने इस बात का हमेशा प्रतिवाद किया है कि उनका दल कोई साम्प्रदायिक संगठन है। उसके सबसे पहले अध्यक्ष डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनेक बार इस बात का खण्डन किया कि उनके दल का हिन्दू सम्प्रदायवाद के साथ कोई सम्बन्ध है। इस स्थिति को संघ के सभी नेताओं ने अनेक बार दुहराया है।

जनसंघ के सम्बन्ध में एक पहली हमेशा से रही है, वह पहली यह है कि आर० एस० एस०

1960 में भारत सरकार ने 'एन.टी.ए.' (National Tertiary Education Authority) की स्थापना की। यह एक स्वायत्त निकाय है जो उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास और प्रशासन के लिए कार्य करता है। 1967 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 1967' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है। 1975 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 1975' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है। 1987 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 1987' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है। 1997 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 1997' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है। 2007 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 2007' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है। 2017 में एन.टी.ए. ने 'एन.टी.ए. अधिनियम, 2017' को लागू किया। यह अधिनियम एन.टी.ए. के अधिकार और कार्य को परिभाषित करता है।

या। दक्षिण में अपने प्रभाव को कायम करने का यह प्रयत्न आज भी जारी है, परन्तु इस प्रयत्न में उसे कोई विशेष सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। सम्भवतः इसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि दक्षिण के लोग उत्तर के 'हिन्दी साम्राज्यवाद' के विस्तार के विरुद्ध हैं। सघ के राजनीतिक और आर्थिक विचारों की जानकारी हम उसके 1971 के चुनाव घोषणा-पत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अतः यहाँ उसका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है।

जनसघ ने अपने घोषणा-पत्र में असाम्प्रदायिक राज्य के प्राचीन आदर्श में आस्था व्यक्त की, परन्तु साथ ही में उसने उस 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' को अस्वीकार किया जो अधर्म एवं तुष्टिकरण का सम्मिश्रण है। दल न केवल सहिष्णुता का समर्थक है, अपितु वह यह भी चाहता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर होना चाहिये। सघ ने जिस समतावादी समाज की परिकल्पना की है उसमें किसी के भी साथ जन्म, आनुवंशिकता, विरादरी अथवा धर्म के आधार पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जायगा।

सघ ने मतदाताओं के समक्ष जो आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी—

(i) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये एक आयोग की स्थापना, जो मुनाफे की दर को नियन्त्रित करे तथा मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था, (ii) उचित दामों की दुकानों की स्थापना, (iii) 10 प्रतिशत विकास दर को सम्भव बनाने के लिये एक स्वदेशी योजना तैयार करना, (iv) विदेशों से मिलने वाली समूची सहायता को बन्द करना, (v) कम्युनिस्ट देशों से साथ होने वाले व्यापार का राष्ट्रीयकरण, (vi) सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा, (vii) तीन साल के भीतर सभी कुशल व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाना तथा शेष लोगों के लिये पाँच वर्ष के भीतर रोजगार की व्यवस्था करना, (viii) 14 वर्ष तक के बालकों के लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, (ix) प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, (x) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को मुआवजा दिलवाना, (xi) जम्मू और कश्मीर के संविधान को रद्द करना तथा उसका भारतीय सघ में पूर्ण विलयन करवाना, (xii) स्त्रियों के लिये समान अवसरों की व्यवस्था करना, (xiii) आकाशवाणी को एक स्वायत्तता प्राप्त निगम के रूप में संगठित करना, (xiv) अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना, (xv) विदेशी वंकों का राष्ट्रीयकरण, (xvi) समस्त विदेशी उपभोक्ता उद्योगों का भारतीयकरण, (xvii) छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन, (xviii) मजदूरों का प्रबन्ध में भाग, (xix) एक-सा सिविल कोड, (xx) आणविक शस्त्रास्त्र को तैयार करना।

1971 के चुनाव को लड़ने के लिए जनसघ ने कांग्रेस (संगठन), स्वतन्त्र पार्टी और ससोपा के साथ गठबन्धन किया। परन्तु इसके वावजूद चुनाव में उसे कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। 1967 में लोकसभा में उसे 35 सीटें मिली थीं। अब उसकी सीटें घटकर 22 रह गयीं।

सघ को इससे भी बुरे दिन उस समय देखने पड़े जब उसने मार्च 1972 में राज्य विधान-सभाओं का चुनाव लड़ा। 1967 के चुनाव में इन राज्यों में उसकी कुल सीटें 176 थीं और वह दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में शासक दल था, परन्तु इस बार उसकी सीटों की संख्या घटकर 105 रह गई तथा दिल्ली के ऊपर से उसका नियन्त्रण हट गया।

6 मई 1972 को सघ की जनरल कौन्सिल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनावों को कराने के लिये आवश्यक सुधार किये जायें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसने यह प्रस्तावित किया कि चुनाव के पहले मन्त्रियों को त्याग-पत्र दे देना चाहिये, तथा उनके द्वारा सरकारी वाहनों के प्रयोग पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये, यदि यह सुविधा शासक दल को दी जाती है तो यह स्वीकृति विरोधी दलों को भी मिलनी चाहिये। उसने यह भी माँग की कि मतों की गणना मतदान-केन्द्रों के अनुसार होनी चाहिये तथा चुनाव आयोग का पुनर्गठन इन प्रकार होना चाहिये जिससे कि वह बहु-मदस्थीय संस्था बन सके।

साथ पूर्णतः अरुचि है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की घोर विरोधी हो। स्वतन्त्र पार्टी के राजनीतिक दर्शन को मोटे तौर पर व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में वह राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का विरोध करती है उसका कहना है कि देश की अतिक्रमण राजनीतिक बुराइयाँ 'परमिट-लाइसेंस कोटा' राज के कारण पैदा हुई हैं। यह ठीक है कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता इस बात से इनकार करते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण अहस्तक्षेप की नीति (laissez faire) का है, इस के बावजूद भी इस तथ्य को भुठलाया नहीं जा सकता कि उनके अनुसार राज्य को केवल 'रात्रिकालीन चौकीदार' की भूमिका अदा करनी चाहिये। 1962 के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वतन्त्र पार्टी ने कहा था कि 'सरकार का काम शासन करना है, व्यापार करना नहीं।' फलतः स्वतन्त्र पार्टी नियोजित अर्थव्यवस्था को देश के लिये अहितकर मानती है। तीसरे चुनाव के पूर्व जारी किये गये घोषणा-पत्र में उसने योजना आयोग को खत्म करने की बात कही थी। उसने औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की साभेदारी को गलत बताया है। उसके अनुसार इस सम्बन्ध में सरकार की भूमिका 'सहायक और नियन्त्रक की होनी चाहिए। साभेदार की नहीं।' यद्यपि पार्टी ने अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए जहाँ-तहाँ 'सामाजिक न्याय' का भी उल्लेख किया है, परन्तु इससे निजी औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उसके पूर्वाग्रहों को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिये यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पार्टी उद्योगों पर अधिक करों को आरोपित करने, घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी ऋणों आदि का विरोध करती है। कृषि के क्षेत्र में पार्टी भूमि की हदबन्दी तथा सहकारी खेती का विरोध करती है। पार्टी सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से सजग है, यही कारण है कि उसने 17वें, 24वें और 25वें सशोधनों की कटु आलोचना की है।

भारत की विदेश नीति की यदि किसी पार्टी ने सबसे अधिक आलोचना की है तो वह पार्टी स्वतन्त्र पार्टी है। उसके अनुसार गुट-निरपेक्षता, पञ्चशील और सह-अस्तित्व निरर्थक शब्द हैं। चीनी आक्रमण के उपरान्त से वह निरन्तर इस बात की माँग करती आयी है कि भारत को पश्चिम की गुट-बन्धियों में शामिल हो जाना चाहिये। वह पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के पक्ष में है। इस सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व यह एक आम चर्चा का विषय था कि वह पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए उसे काश्मीर देने के पक्ष में है। परन्तु स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं ने इस बात का खण्डन किया है।

1967 के आम चुनावों तक स्वतन्त्र पार्टी की उपलब्धियाँ कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं थीं। 1962 के चुनावों में उसने लोकसभा में 22 सीटें जीती थी तथा राज्य विधान सभाओं में उसे 166 स्थान प्राप्त हुये थे। 1967 के चुनावों में उसे लोकसभा में 44 स्थान प्राप्त हुये थे। इस प्रकार वह देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी, राज्यों की विधान सभाओं में उसे 255 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी।

1969 में जब कांग्रेस में फूट उत्पन्न हुई तो स्वतन्त्र पार्टी ने उस फूट का स्वागत किया। रंगा और मसानी ने इसे 'अवश्यम्भावी' बताया और कहा कि यह फूट वास्तव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी (माक्सवादी) के बीच फूट है। 15 नवम्बर 1969 को एक वयान में रंगा ने कहा कि यदि श्रीमती गांधी की सरकार को पराजित कर दिया जाता है तो यह सम्भव हो सकेगा कि वे आपस में मिलकर श्रीमती गांधी के गुट का विकल्प प्रस्तुत कर सकें। दिसम्बर 1969 में दल के अध्यक्ष मसानी ने कांग्रेस (सगठन), जनसंघ, प्रसोपा आर ससोपा के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बातचीत भी चलाई। परन्तु यह बातचीत इसलिए सफल नहीं हो सकी, क्योंकि गुजरात में कुछ घटनाएँ ऐसी घटीं जिनके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र पार्टी और कांग्रेस (सगठन) के बीच तनाव पैदा हो गया। कांग्रेस में फूट पड़ जाने के बाद गुजरात के मुख्य मन्त्री हितेन्द्र देसाई ने कांग्रेस (सगठन) का साथ दिया, परन्तु उनके काफी समर्थकों ने श्रीमती गांधी का समर्थन किया। गुजरात विधान सभा में स्वतन्त्र पार्टी विरोध की सबसे बड़ी पार्टी थी। गुजरात

हुआ था। इस बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्य मन्त्री महामाया प्रसाद सिन्हा को दल का अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के डी० के० कुन्ते को महामन्त्री चुना गया था। दल ने गांधीवादी विचारधारा में अपना विश्वास घोषित किया। परन्तु भाक्रान्द की गांधीवाद में आस्था में हमें आधुनिकता दिखाई पड़ती है। गांधी जी की भाँति वह चर्खें पर बल नहीं देता, परन्तु वह कृषि के आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है। वह औद्योगीकरण का भी समर्थन करता है, किन्तु इसका सुभाव है कि विकास का क्रम नीचे से शुरू होना चाहिये, ऊपर से नहीं।

भारतीय क्रान्ति दल में आन्तरिक दृढता का अभाव है तथा सर्वसाधारण के समर्थन का दावा नहीं कर सकता। इसका समर्थन करने वाले मुख्यतः सम्पन्न किसान हैं और चूँकि इस प्रकार के किसानों में कुछ विशिष्ट जातियों का ही वाहुल्य है, इसलिये सामान्यतः इस दल को इन्हीं जातियों का दल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 1969 के मध्यावधि चुनावों में इसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। इसका मुख्य श्रेय इसके सस्थापक नेता चौधरी चरणसिंह को है जिन्हें राज्य की राजनीति में उच्च जातियों के प्रभुत्व के विरुद्ध पिछड़ी और कृषक जातियों, विशेषतः जाटों, जहीरों और कुर्मियों को संगठित करने में कामयाबी प्राप्त हो गयी थी। इस दल की जड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक इलाकों में विशेष रूप से पक्की हैं। 1967-68 में जब चरणसिंह के नेतृत्व में सयुक्त विधायक दल की सरकार गठित हुई थी और चीनी के दाम बहुत बढ़ गये थे, उस समय गन्ना-उत्पादकों ने 200 करोड़ रुपया कमा लिया था। फलतः 1969 के मध्यावधि चुनाव में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उसे जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। इसे पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का भी समर्थन प्राप्त था। परन्तु उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इस चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश विधान सभा में 98 स्थानों पर सफलता प्राप्त की तथा कुल मतों के 21 29 प्रतिशत मत उसके पक्ष में पड़े।

परन्तु 1971 के लोकसभा के चुनाव में इसे मुह की खानी पड़ी। ऐसा सम्भवतः इसलिये हुआ क्योंकि दल के नेता चौधरी चरणसिंह ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाकर आँका था। फलतः उन्होंने चुनाव को अकेले लड़ने का निर्णय किया, इसलिये उन्होंने न तो तथाकथित 'महा गठबंधन' (Grand Alliance) के साथ हाथ बँटाया और न सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही। इसका परिणाम यह हुआ कि दल के उम्मीदवारों को सभी जगह करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के फलस्वरूप लोकसभा में उसे केवल एक स्थान पर सफलता मिली, जबकि चुनाव के पहले पुरानी लोकसभा में उसके दस सदस्य थे। पराजित होने वाले उम्मीदवारों में चौधरी चरणसिंह भी शामिल थे। इससे भाक्रान्द की प्रतिष्ठा पर जबरदस्त चोट पहुँची। परन्तु 1974 के उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में यह दल मुख्य विरोधी दल के रूप में उभर कर आया है।

अकाली दल—दूसरा क्षेत्रीय दल अकाली दल है जिसने पंजाब के राजनीतिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका जमा की है। इसकी स्थापना प्रथम महायुद्ध के उपरान्त गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन के रूप में हुई थी। इस संगठन के माध्यम से सिक्खों ने गुरुद्वारों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये आन्दोलन किया था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त इस दल ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिये आन्दोलन किया। दल के नेता के रूप में सन्त फतहसिंह के अभ्युदय के पूर्व मास्टर तारामिह दल के सबसे प्रमुख नेता थे। स्पष्टतः दल का प्रभाव केवल पंजाब तक सीमित है और पंजाब में भी वह केवल सिक्खों की अपने प्रति निष्ठा का दावा कर सकता है। इस आधार पर अकाली दल को एक साम्प्रदायिक संगठन घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः दल के उग्रवादियों ने पंजाबी सूबे के स्थान पर 'सिक्ख-ग्रह-राज्य' (Sikh-Homeland) की माँग की है, जिसमें उसका साम्प्रदायिक स्वरूप भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है।

अकाली दल सदैव में गुटबन्दी से ग्रस्त रहा है। जब तक मास्टर तारामिह जीवित थे तब तब एक गुट का नेतृत्व उनके हाथ में था और दूसरे का सन्त फतहसिंह के हाथ में।

1974 में एक पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी।

1971 के अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी।

प्रस्तावित पुस्तक

1957 के अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी।

1962 के अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी।

1974 के अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक 'एन एनटी' के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी।

सकी थी। लोकतान्त्रिक दल ने इस चुनाव में 200 से अधिक प्रत्याशी खड़े किये थे और उसे एक भी स्थान पर कामयाबी नहीं मिली थी। यही बात स्वतन्त्र पार्टी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उसने लगभग 300 स्थानों पर चुनाव लड़ा था और उसे केवल एक स्थान पर सफलता प्राप्त हुई थी। सच बात यह है कि भारतीय लोकदल में शामिल सभी घटक निराशा की भावना से ग्रसित थे और इस निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने जो तरीका सोचा वह यह था कि वे सब अपना विलयन एक नये दल में कर दें।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकदल की रचना कांग्रेस के मुकाबले में एक विकल्प प्रस्तुत करने की दृष्टि से की गई थी, कम से कम लोकदल के सस्थापकों ने इस आशय का दावा अवश्य किया था। परन्तु यहाँ प्रश्न है कि क्या परम्पर-विरोधी विचारधाराओं को लेकर सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध विकल्प का निर्माण किया जा सकता है? लोकदल में जो घटक शामिल हुए थे उनमें सबसे प्रमुख भाक्रान्द और उत्कल कांग्रेस थी। ये दोनों क्षेत्रीय दल थे और इनका उद्गम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से ही हुआ था। भाक्रान्द सम्पन्न किसानों की पार्टी थी और उसका उद्देश्य सत्ता में सम्पन्न किसानों को सामीप्य दिलाना था। उत्कल कांग्रेस उड़ीसा के नवोदित पूँजीपति वर्ग की पार्टी थी। ससोपा अपने को समाजवाद के आदर्श के प्रति प्रतिबद्ध बताती थी। स्वतन्त्र पार्टी देश में उन्नीसवीं शताब्दी में पायी जाने वाली लेसेज फेयर (laissez faire) व्यवस्था कायम करवाना चाहती थी। मुस्लिम मजलिस मुसलमानों की एक साम्प्रदायिक पार्टी थी। लोकतान्त्रिक दल का उद्गम भारतीय जनमध से था और उसके नेता वलराज मधोक ने 'इस्लाम के भारतीयकरण' का नारा देकर अपने दृष्टिकोण को भली भाँति व्यक्त कर दिया था। भारतीय खेतीहर सघ इस पूरे जमघट में एक नगण्य घटक था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल में जो दल शामिल हुए उनकी कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं थी। हाँ, एक बात पर उनके बीच कोई मतभेद नहीं था और वह बात यह थी कि सारा विपक्ष एक साथ रहे ताकि सरकार का विकल्प देश में पैदा हो।

अगस्त 1974 में दल की नीतियों की घोषणा करते हुए कहा गया कि वह कृषि, कुटीर और लघु-उद्योग-धन्धों के विकास को बढ़ाएँ और भारी उद्योग-धन्धों के विकास की अपेक्षा प्राथमिकता देगा। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दल, किसानों को ऋण, सम्मुन्नत बीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। दल बढ़े किसानों से उत्पादन का एक भाग 'लेवो' के तौर पर वसूलने की नीति का भी समर्थन करता है, परन्तु उसका विश्वास है कि शेष अनाज का व्यापार अनाज के व्यापारियों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलना चाहिए।

अगस्त 1974 में अपने जन्म के बाद भारतीय लोकदल ने हरियाणा के एक उप-चुनाव में सफलता प्राप्त की तथा गुजरात विधान सभा के 1975 के चुनावों में उसने गैर-कम्युनिस्ट दलों द्वारा निर्मित 'जनता मोर्चा' के घटक के रूप में हिस्सा लिया और उसे दो स्थानों पर सफलता मिली। वस्तुतः भारतीय लोक दल की रचना के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक दल है। केवल दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ उसका जन-आधार है और वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। उसका थोड़ा प्रभाव हरियाणा और राजस्थान में भी पाया जाता है।

प्रश्न

- 1 भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएँ बताइये।
- 2 कांग्रेस में पाई जाने वाली गुटबन्दी ने देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है।
- 3 भारतीय लोकदल पर टिप्पणी लिखिए।

दवाव समूह (PRESSURE GROUPS)

पिछन वर्षों में दवाव समूहों का महत्त्व में अत्यधिक वृद्धि आई है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि औद्योगिक अथवा परम्परागत समाज में हीनता समुदाय अथवा गणतन्त्र असंगठित रहते हैं तथा उनका प्रभाव में समाज के औद्योगिकरण के वातावरण में वृद्धि होती है। भारत के संदर्भ में भी यह बात पूर्ण रूप से सही है।

परम्परागत समाज में 'योग' का मुख्य उद्यम कृषि होता है तथा उसमें मुख्य सामाजिक ऋण परिवार और परिवार के प्रकार के समुदाय (जहाँ सदस्यों के पारम्परिक सम्बन्धों में समानता का हात है) होता है। आधुनिक समाज की रचना तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप हुई है। उसके विकास के साथ-साथ ही व्यक्तिगत संगठन का भी उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार के संगठन में एक-दूसरे के व्यापारिक और औद्योगिक संगठन शामिल हैं। इसका अर्थ यह क्या है कि परम्परागत समाज में किसी भी प्रकार के दवाव समूह नहीं होते हैं किन्तु उनके अन्तर्गत परिवारों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित रहता है। आधुनिक समाज में वह उस प्रक्रिया का एक अंग है जिसके द्वारा संगठित समुदाय प्रतियोगी दवाव का प्रस्तुत करते हैं और देश के राजनीतिक ढाँचे के अन्तर्गत उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं।

भारतीय समाज में परम्परावाद एवं जाधुनिकता का अद्भुत सम्बन्ध उत्पन्न है। जहाँ यहाँ यदि एक तरफ पश्चिम जैसे दवाव समूह पाये जाते हैं तो एम समूहों की भी कमी नहीं है जिनका मुख्य उद्देश्य परम्परावादी है। इस प्रकार के समूहों में भावनात्मक संगठन तथा जाति विरादरी पर आधारित समुदायों का रखा जा सकता है। जहाँ यह स्पष्ट है कि भारत के दवाव समूहों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे दवाव समूह आते हैं जिन्हें धर्म जाति कबीला अथवा भाषा के परम्परागत ढाँचे के आधार पर संगठित किया गया है। दूसरी श्रेणी में उन समूहों का रखा जा सकता है जिनकी उत्पत्ति समाज के आधुनिक कर्तव्य के कारण हुई है जहाँ उद्योग अथवा विश्वविद्यालय।

1. परम्परावादी दवाव समूह

अपना विभिन्नता तथा आंतरिक संगठन के अभाव के बावजूद हिन्दू धर्म में सत्र दवाव समूहों में सबसे अधिक शक्तिशाली—कुछ लोग उस अंगुली भी कह सकते हैं—दवाव समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म दिया है जो अपनी सन्ध्या सन्ध्या 10 लाख बताता है। यह बात किसी को छिपी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दू समाज तथा हिन्दू संस्कृति के हिताकारक तथा हिंदी को उचित स्थान दिलाने के लिए काम करता है। जनसंघ के साथ उसके सम्बन्ध भी निम्नांकित छिपे नहीं हैं। वह उसके माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्यों का प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यथायत्न जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई विभाज्य अन्तर नहीं है यदि अन्तर है तो कब-कबतना ही है जो एक स्वामी का देवरसल में चयन बानी का दुकानों के बीच होता है जिन पर भिन्न भिन्न वस्तुओं को बचा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्णधार जनसंघ की टुकान पर राजनीति बचते हैं और अपनी पुरानी दुकान पर संस्कृति। फलतः एक की गणना राजनीतिक दत्ता में होती है और दूसरे की दवाव समूहों में।

इसी श्रेणी में ऐसे सगठनों को भी गिनाया जा सकता है जो विशिष्ट धार्मिक समूहों के हितों के लिए काम करते हैं। भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, पारसी सेन्ट्रल एसोसियेशन एण्ड पोलिटिकल लीग, एंग्लो-इण्डियन एसोसियेशन, आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा आदि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। जाति समूह भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जैसे हरिजन सेवक सघ, मारवाड़ी एसोसियेशन, वैद्य महासभा, जाट सभा, त्यागी सभा आदि। ये सभी समुदाय भारत की साम्प्रदायिक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के समूह सरकार पर अपने हितों की रक्षा के लिए बराबर दबाव डालते आये हैं। उसी के फलस्वरूप संविधान में 23वाँ संशोधन हुआ है जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित स्थानों की व्यवस्था फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इस समूह ने समय-समय पर यह भी प्रयत्न किया है कि उनके प्रमुख नेता, जैसे जगजीवन राम को (केन्द्र में) और गिरधारी लाल को (उत्तर प्रदेश में) प्रधानमंत्री अथवा मुख्य मंत्री बनाया जाय।

तमिलनाडु के सन्दर्भ में नाडार कास्ट एसोसियेशन (Nadar Caste Association) का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। 1965 में उमकी सदस्य-संख्या 20 हजार से अधिक थी और उसके वार्षिक अधिवेशन में 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1952 के प्रथम चुनाव के बाद से ही नाडार एसोसियेशन कांग्रेस का समर्थन करता आया है। वस्तुतः 1968 के नागरिकों के उपचुनाव में कामराज की जीत को नाडार जाति के समर्थन सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। भारत में, जहाँ राजनीति जाति-विरादरी से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है, इन विरादरियों के समूहों की मतदान के समय निश्चय ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म और जाति-विरादरी का राजनीति में इस प्रकार का हस्तक्षेप भारतीय लोकतन्त्र के लिए निस्सन्देह अशुभ है। परन्तु यह हमारे देश के राजनीतिक जीवन का एक कटु यथार्थ है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता।

2 आधुनिक दबाव समूह

आधुनिक दबाव समूहों के अन्तर्गत व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूहों, कृषि-सम्बन्धी हित समूहों, विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध समुदायों तथा प्रशासकीय कर्मचारी समूहों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ इनकी संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है।

(1) व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूह—भारत में व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में हित समूहों का इतिहास 19वीं शताब्दी में उस समय से आरम्भ किया जा सकता है जबकि 1830 में ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। भारतीय व्यापारियों ने इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की रचना 1885 में की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही इस दबाव समूह का जन्म हुआ। भारतीय व्यापार के अधिकृत इतिहास में इस सम्बन्ध में लिखा है—‘यह कोई पूर्णतः आकस्मिक बात नहीं है क्योंकि आने वाले वर्षों में स्वशासन के लिए राजनीतिक आन्दोलन का प्रतिभाग (counterpart) उस आर्थिक आन्दोलन में हुआ जो भारतीय उद्योग-वन्धों को प्रोत्साहन देना चाहता था।’

1926 में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (F I C C I) की स्थापना हुई। 1931 में स्वयं गांधी जी ने फेडरेशन की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया तथा फेडरेशन ने जेनेक अवमरो पर ऐसे प्रस्ताव पारित किये जिनके द्वारा उसने राजनीतिक मामलों में गांधी जी के नेतृत्व का समर्थन किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फेडरेशन की स्थापना औपनिवेशिक काल में इसलिए हुई थी ताकि भारतीय उद्योगपतियों की ब्रिटिश शासकों द्वारा बोये गये अपमानों और भेदभाव की नीति के विरुद्ध रक्षा की जा सके। फेडरेशन ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। वस्तुतः ऐसा करना उनके अपने हित में था

वशाकि त्नेा की स्वतंत्रता भारतीय उद्योगपतिया क त्रिए उन्नति का माग प्रकाश कर सक्ती थी ।

स्वतंत्रता की प्राप्ति क उपरान्त फेडरेशन का प्रभाव और गति नाना म वृद्धि हुइ है । 1961 म फेडरेशन क सन्स्य तिकाया की संख्या 137 वा जोर 286 एमामियट सदस्य म जिनम एमी वनी फर्मा क सगठन भी शामिल थ जस हिटुस्तान माटम स्वतंत्री मिस तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील ।

फेडरेशन के त्थय निम्नलिखित ह—आन्तरिक और विन्शी यापार परिवहन उद्योग कारखाना म त्रनी उन्तुग्रा वित्त एव अय आर्थिक विषया म भारतीय व्यवसाय त्रा प्रात्साहन दना त्तन सभी विषया क वार म सगठित काय करना तथा पूर्वाक्त आर्थिक हिना की प्रभावित करत वान विधायन जयवा अय काय को प्रात्साहन दना उमका समवन जयवा विराम करत क त्रिए सभी आवश्यक त्दम वव उपाया क अन्तगत उठाना ।

फेडरेशन क अतिरिक्त दना म दो जय महत्वपूर्ण व्यापारिक एव जीद्योगिक सगठन पाथ जात हैं जिनक नाम ह— जान त्रिन्या मनुफक्चरस आरगेनाञ्जान तथा एमोसियन्ट चम्बस आफ नामस आफ इन्डिया । परन्तु त्तन दाना म स कार्डी भी फेडरेशन जसा प्रभावी नहू है हाताकि क फेडरेशन की गतिविधिया क पूरक अत्रय ह । जान इन्डिया मनुफक्चरस एमोसियन्ट त्तन क छान उद्योगपतिया का सगठन है तथा एमोसियन्ट चम्बस आफ कामस विन्शी पजीपतिया का ।

उपयुक्त विवेचना स स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारिक सगठना क काग्रम क साथ राष्ट्राय आन्तरिक त्त समय म ही अच्छे सम्बन्ध थ । स्वतंत्रता क बाद काग्रम ही मत्सारुढ हु त्त फेडरेशन और काग्रम क बीच पुरान सम्बन्ध वन रह । फेडरेशन क सन्स्था न चुनाव त्तन क त्रिए काग्रस का काषा चत्त दिय और इस प्रकार उहान सरकार की नीतिया का अपन पक्ष म प्रभावित त्रिया । वन्तुन एक त्त्र समय त्त काग्रम कायाणकारी रात्थ और समाजवाती ढाच क समाज की स्थापना क नारे क वावजूद दना म पजीवाती जयत त्त को पनपाती रही । इसक मून म मुख्य बात यनी रही कि काग्रस क कुछ नेताआ क साथ त्तन वने घनिष्ठ सम्बन्ध थ । काग्रस क नेताआ न त्तनक साथ जतन त्तन सम्प्र वा का उन्नित भी ठहराया । उाहरण क त्रिए जय उम्पनिया और प्रापारिक मन्थाना तारा राजनीतिक पार्थिया का चत्ता देने पर पावदी त्तनान का विवेकक प्रस्तुत करत त्तए मूषण गुप्त न राज्य सभा म यह त्तहा कि काग्रस पार्थी आज कत्तर म सनी है । यत्तन इम प्रस्ताव का स्वीकार नही करत यत्त वात ममून्न ममार का वित्तित हो जायगी कि वे अपना राजनीतिक स्थिरता क त्रिए टाटा क करोग की सम्पत्ति पर निर्भर करत है तो त्तसका उत्तर त्तत हुण नातवहाणुर शास्त्री न कहा कि काग्रस न त्तगभा । चार हजार उम्नीदवार खत्त किय थ और त्तनम म कुछ का छोटकर जिनक पर्या त्त साधन थ उम त्तप सभा उम्नीदवारा क त्रिए धन सोजना था और यदि उतत धन की खाज करनी हे ता उतत चत्ता भी करना है । जव किसी न यह पूछा कि समाजवाती त्तव क समाज का क्या हुआ तो शास्त्री जी ने क्या उद्योगपतिया म राजनीतिक सम्भक्त है और यदि व अपन हिस्मदारा तथा साधारण सन्ध्या की बढक क परामग स कुछ राजनीतिक दत्तो को चत्ता दन का निणय करत हे तो म नहान जानता कि त्तमस हम त्तनी अधिक परगानी क्या होती हे ? जो भी हा त्तन उद्धारणे स स्पष्ट है कि व्यापारिक सगठना ने एउ त्तत्र समय तक सरकार की नीतिया को प्रभावित त्रिया है और आज भी यह बात नगा कही जा सक्ती कि सरकार अय त्तनक प्रभाव स पूण रूप स मुक्त हो चकी है ।

1972 म त्तन क पूजीपतिया की जार स जिनम टाटा प्रमुख है एक स्मृतिपत्र सरकार को दिया गया था जिसम यह मुभाव त्रिया गया था कि सरकार और निजी पजापतिया को मिलकर मयुक्त धन (Joint Sector) म उद्योग वव स्थापित करत चाहिये । त्तन स्मृतिपत्र का सरकार न त्तनाआ पर प्रभाव न पगा नी एमा वात नही है । उताहरण क त्रिए काग्रम क जहमनात्त अधिवन्ज म कर्तीय म श्री मुन्नहण्यम न त्तस मुभाव का समवन किया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यापारिक और जीद्योगिक दत्ताव समूपा की भारतीय राजनीति को प्रभावित करत म एउ

महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

(2) ट्रेड यूनियन—भारत में ट्रेड यूनियनों का संगठन प्रथम महायुद्ध के बाद से शुरू हुआ। आरम्भ में कांग्रेस के अनेक नेताओं का ट्रेड यूनियन आन्दोलन के साथ सम्बन्ध था। उदाहरण के लिए 1920 में जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बाद के वर्षों में इस पद को सुशोभित करने वाले अन्य कांग्रेसी नेता थे— चित्तरजन दास, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस।

अपने आरम्भिक वर्षों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने जो मांगें प्रस्तुत कीं, वे यद्यपि मूलतः आर्थिक थीं तथापि उनके राजनीतिक स्वरूप की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहुधा लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन राजनीति में हस्तक्षेप करता है जो अवांछनीय है। इस प्रकार के लोगों की मान्यता है कि इस गलत प्रवृत्ति के लिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट उत्तरदायी हैं। जब से ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर इन लोगों का नियन्त्रण कायम हुआ है तभी से इस प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। परन्तु यह बात सत्य के विलकुल विपरीत है। सत्य यह है कि भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का सूत्रपात ही राजनीतिक नेताओं ने किया था। उसका उद्देश्य भी राजनीतिक था, ट्रेड यूनियन नेता उस राजनीतिक आन्दोलन को व्यापक आधार प्रदान करना चाहते थे, जिसमें वे स्वयं शामिल थे, ताकि राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण के समय सत्ता गोरे साहबों के हाथ से निकलकर काले साहबों के हाथों में न चली जाये। राजनीतिक नेताओं में गाँधी जी का दृष्टिकोण इससे भिन्न था। उनका कहना था कि जब तक मजदूरों में अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा न हो जाये, उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अतः उनके निर्देश के अनुसार अहमदाबाद में एक आन्दोलन संगठित हुआ जिसे मजूर महाजन का नाम दिया गया। इसने अपने आपको राजनीति से एक लम्बे समय तक दूर रखा, किन्तु जब 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ हुआ तब यह संगठन अपने आपको उस आन्दोलन से अलग नहीं रख सका। उस समय आन्दोलन के समर्थन में इसने अहमदाबाद में हड़ताल को संगठित किया। स्वतन्त्रता के उपरान्त इस संगठन ने अपने राजनीतिक स्वरूप को कायम रखा। आज मजूर महाजन के कार्यकर्ता इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं और उन्हें राजनीति में भाग लेने से लेशमात्र भी सकोच नहीं है।

राजनीतिक नेताओं का ट्रेड यूनियनों में भाग लेने का एक परिणाम यह हुआ कि आज ट्रेड यूनियन आन्दोलन पूर्णतः विभक्त है तथा उसकी एकता नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार भारत में लगभग सभी राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी-अपनी ट्रेड यूनियन हैं और इन ट्रेड यूनियनों में आपस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। कम्युनिस्टों का आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर नियन्त्रण है, कांग्रेस के प्रभाव में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिन्दू मजदूर सभा को सोशलिस्ट नियन्त्रित करते हैं, मार्क्सवादी पार्टी का प्रभाव सेक्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन पर है तथा रिबोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि छोटे वामपंथी दलों ने भी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन की रचना कर ली है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस दौड़ से जनसभ्य भी अलग नहीं है, उसका भी एक ट्रेड यूनियन संगठन है जिसे उन्होंने भारतीय मजदूर सभ्य का नाम दिया है।

ट्रेड यूनियनों का देश की राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है, विशेषकर ऐसे नगरों और क्षेत्रों में जहाँ संगठित मजदूरों की बड़ी सख्या रहती है। देश की औद्योगिक एवं श्रमनीतियों के निर्माण में उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है परन्तु उनका यह प्रभाव उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसका मुख्य कारण उनकी पारस्परिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। उनके आपस में सम्बन्ध अत्यधिक कटू रहे हैं और उन्होंने किमी ऐसी आचरण संहिता को भी विकसित नहीं किया है जिससे समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। अनेक बार उनमें एकता कायम करने के प्रयास भी किये गये हैं, किन्तु यह एकता केवल उस समय तक कायम रही है जब तक उनमें सम्बद्ध राजनीतिक दलों के लिए एकता कायम रखना उपयोगी था।

निस्सन्देह इस स्थिति का वांछनीय नहीं कहा जा सकता। जतन से सत्कारण करने के लिए यह जाब यज है कि टाइम यूनिशन आन्दोलन को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी से मुक्त करने का प्रयास किया जाय।

(3) किसान संगठन—भारत अपि प्रधान तः है और देश की जनसंख्या में मजदूरों की अपेक्षा किसानों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु टाइम यूनिशन की स्थापना पहले से किसान संगठन प्राप्त लाभ में स्थापित हो सकें। 1920 के बाद गांधी जी ने किसानों को स्थानीय जागतिकता को संगठित किया और जागतिकता में बिहार में चम्पारन और गुजरात में धारणी की सत्याग्रहों के नाम विराट रूप से उल्लेखनीय हैं। इन जागतिकता के फलस्वरूप अखिल भारतीय किसान आन्दोलन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो गया।

1930 के वाणिज्यिक क्रान्ति के अधिक उग्र होने लगे। 1931 में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का एक चार्टर तैयार किया जिसमें स्वराज की छत्रछाया प्रस्तुत की गयी। इसमें किसानों की स्थिति को सुधारने पर ध्यान दिया गया था। जतन से इस सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों का ध्यान किसान आन्दोलन को संगठित करने की ओर जाता। फलस्वरूप 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म हुआ। किसान सभा में काम करने वाले कांग्रेसी सामान्यतः समाजवादी और कम्युनिस्ट जैसी वामपंथी विचारधारा के ही लोग थे। इसलिए आरम्भ में ही किसान सभा वामपंथी संगठन रहा। आन्दोलन में उसे पर कम्युनिस्टों का पूर्ण नियंत्रण था ही गया। अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय संगठनात्मक फरगण के रूप में संगठित किया गया है।

किसान सभा पर कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित होने के कारण समाजवादियों ने अपना जतन किसान संगठन कायम कर लिया। उन्होंने उस हिन्दू किसान पंचायत का नाम दिया। कुछ दिनों बाद छोटे वामपंथी नेता ने भी एक अखिल भारतीय किसान संगठन को जन्म दिया जिसका नाम युनाइटेड किसान सभा का नाम दिया। हरित क्रांति के सन्दर्भ में जब जाति विराटरी के नाम पर बड़े सम्पन्न किसानों ने अखिल सतन मजदूरों का मताना आरम्भ कर लिया तो कम्युनिस्टों ने सतन मजदूरों का 1968 में एक जतन संगठन कायम कर लिया जिसका नाम अखिल भारतीय सतन मजदूर यूनियन का नाम दिया। इस प्रकार कम्युनिस्टों का प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में दो संगठन काम कर रहे हैं—किसान सभा और सतन मजदूर यूनियन। इन ग्रामीण संगठनों के सम्बन्ध में एक उत्तमनीय बात यह है कि मजदूर संगठनों में सबका सबका प्रभाव देश की राजनीति पर अतना व्यापक नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि देहात में जाति विराटरी की भावना गुटबाजी तथा आर्थिक असमानता की चेतना अतनी अधिक है कि वाणिज्यिक संगठन उचित रूप में काम नहीं कर पा रहा।

(4) विद्यार्थी संगठन—भारत में संगठित विद्यार्थी आन्दोलन का सूत्रपात भी औपनिवेशिक शासन में ही हुआ गया था। प्रस्तुत 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी फरगण की स्थापना के पूर्व से एक जतन प्राज्ञात्मक नौजवानों की संगठनात्मक स्थापना की और उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के सर्वाधिक सक्रिय नेता नरहू जी के पथ प्रदर्शन प्राप्त था।

1939 में जब तृतीय मन्त्रिमण्डल का आरम्भ हुआ तो उस समय विद्यार्थी फरगण पर कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित हो गया। यद्यपि उस समय देश में नौजवानों का गांधी जी की युक्तिसंगत सम्बन्ध में अतन मुक्त नीति समझ में नहीं आ रही थी। 1945 में कांग्रेस के प्रभाव में अखिल भारतीय स्टूडेंट्स काँग्रेस की स्थापना हुई। आन्दोलन में समाजवादियों ने भाषा समाजवादी युवजन सभा की रचना कर ली। यद्यपि समय के परिवर्तन के प्रभाव में एक नये अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई जिसमें नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया। जनसंघ के प्रभाव में विद्यार्थी परिषद् संगठन का उदय हुआ है।

विद्यार्थी संगठनों ने जहाँ विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर आन्दोलन किया है वहाँ से ही अन्य समस्याओं के प्रति भी उन्होंने उदासीनता नहीं लियी है। उदाहरण के लिए उन्होंने

वेरोजगारी, विश्वशान्ति, वियतनाम मे युद्ध-वन्दी आदि अनेक मसलो पर छात्रो को आन्दोलित किया है। इससे स्पष्ट है कि भारत का विद्यार्थी वर्ग राजनीतिक चेतना मे किसी से कम नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के सभी विद्यार्थी सगठन राजनीतिक दलो की प्रतिस्पर्धा के केन्द्र बने हुए है। फलत विद्यार्थी राजनीतिक दलदन्दियों मे आवश्यकता से अधिक भाग लेते है। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयो मे बडे पैमाने पर अव्यवस्था पाई जाने लगी है।

(5) महिला सगठन—देश मे स्त्रियो के अधिकारो की रक्षा के लिए एक लम्बे समय से महिलाओ के सगठन सक्रिय रहे है। उनमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference) है। कुछ समय तक उस पर कम्युनिस्टो का प्रभाव रहा, परन्तु बाद मे वह गैर-कम्युनिस्टो के प्रभाव मे आ गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्त्री-समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना तथा उनकी कानूनी व सामाजिक स्थिति को सुधारना है। जब ससद के समक्ष हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत था तो उस समय इस सगठन ने दवाव समूह के रूप मे सक्रिय भूमिका अदा की थी।

(6) प्रशासकीय कर्मचारी समूह—अपने हितो की रक्षा के लिए तथा अपने कार्यों मे सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियो ने भी अपने-अपने सगठनो की स्थापना की है। इस प्रकार के सगठनो मे आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन, आल इण्डिया पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन, आल इण्डिया बैंक एम्पलॉयीज एसोसियेशन, आल इण्डिया यूनीवर्सिटी कालेज टीचर्स एसोसियेशन आदि महत्त्वपूर्ण है। इन सगठनो ने सरकार को अनेक वार अपनी नीतियो को कर्मचारियो के पक्ष मे निमित्त करने के लिए वाध्य किया है।

• दवाव समूहो की कार्यविधि

जैसा कहा जा चुका है कि इन दवाव समूहो का प्रमुख कार्य अपने हितो का सरक्षण और उनकी वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अनेक उपाय काम मे लाते है—कभी-कभी इन उपायो से कानून की सीमाओ का भी अतिक्रमण हो जाता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय मे देश ने गांधी जी से विदेशी नौकरशाही के विरुद्ध सघर्ष करने के लिए सत्याग्रह की तकनीक सीखी थी। भारत के आधुनिक दवाव समूहो ने न केवल सत्याग्रह की परम्परा को कायम रखा है, अपितु उन्होने उसे विकसित भी किया है। वस्तुतः उनकी कार्य-प्रणाली मे जहाँ देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत के तत्त्व मौजूद है वहाँ उनमे वे तत्त्व भी पाये जाते है जिन्हे पश्चिम के दवाव समूह काम मे लाते है। उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उपायो को निम्न प्रकार गिनाया जा सकता है

(1) लोबीइंग (Lobbying)—इस तरीके का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी दवाव समूहो ने किया था। इसके माध्यम से दवाव समूह प्रशासकीय अधिकारियो, विशेषत विधानमण्डल के सदस्यो पर प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करते ह। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इनका कार्य विधानसभाओ के सन्नाहसान के बाद समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत ये समूह अपना कार्य निरन्तर करते रहते है। उनका काम प्रशासकीय अधिकारियो तथा सामान्य जनता को भी प्रभावित करता है—प्रशासकीय अधिकारियो को इसलिए क्योंकि कानून और अधिनियमो की व्याख्या उन्ही के द्वारा होती है और सामान्य जनता को इसलिए क्योंकि जनता द्वारा उनके दृष्टिकोण का समर्थन उन्हें सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्यो को प्राप्त करा सकता है।

(2) व्यापक प्रचार—दवाव समूह प्रचार के सभी साधनो को काम मे लाते ह। लेखन, प्रकाशन, भाषण, सभाओ का आयोजन आदि उसके समान माध्यम है। पत्र-पत्रिकाओ एव लेखो के माध्यम से ये जनता को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते ह। जनमत को प्रभावित करने मे उनका लक्ष्य निर्वाचन मे ऐसे दलो जयवा उम्मीदवारो की सफलता होती है जो उनके विशिष्ट

हिता के संरक्षण का ज़रूरी काम है। यह स्पष्ट है कि य चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते, यह क्वचन समयन देते हैं और प्रचार हेतु य कार्यकर्ता और आर्थिक सहायता भी देते हैं।

(3) हड़ताल धिरेव बंद और प्रदर्शन—प्रशासन को अपने दृष्टिकोण के पक्ष में नियंत्रण कराने के लिये यह प्रदर्शन हड़ताल बंद और धिरेव का भी सहारा देते हैं। हड़ताल और प्रदर्शन का प्रयोग तो राष्ट्रीय जादोवन के समय में ही शुरू हो गया था। धिरेव और बंद मध्य की नई तकनीक है, जिनका प्रयोग माट तौर पर 1967 के बाद से शुरू हुआ है। इन माध्यमों से दबाव समूहों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने है। प्रथम अमत्तोष की अभिव्यक्ति और द्वितीय अपने पक्ष में नोकमत का निमाण। यदि अपने पक्ष में नोकमत को निर्मित करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो यह जागा की जा सकती है कि नोकमत के दबाव से अपनी मागा को पूरा कराने में भी उन्हें सफलता मिल सकती है।

(4) चायपालिका को गरण—कभी कभी दबाव समूह विधानमण्डल द्वारा पारित किये गए विधेयक को रद्द करवाने के लिए अथवा चायपालिका द्वारा निर्मित किसी ऐसी नीति को अग्रवध घोषित करवाने के लिए जिनसे उनके किसी हित पर आघात पहुंचता है चायपालिका की भी शरण लेते हैं। पिछले वर्षों में दका के राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पस और विनापाधिकार विधेयक राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध ऐसे ही समूहों के द्वारा सर्वाच्च चायानाय में चायिका प्रस्तुत की गयी थी।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों में अन्तर है। यह सत्य है कि भारत में यह दबाव अभी उस प्रकार विकसित नहीं हुए हैं जिस प्रकार वे पश्चिम के देशों में विकसित हैं। यहाँ नहीं भारत में इनके सम्बन्ध में इस समय तक कोई आचार संहिता (rule of the game) भी नहीं बन सकी है। फलतः यह समूह किसी भी प्रशासकीय नीति अथवा कार्य के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए आम तौर पर प्रत्यक्ष कार्यवाही का सहारा लेते हैं। फलस्वरूप समूह दश में जायदिन दंग और उपन्व होन रहते हैं। कुछ लोगो का कहना है कि यह उपन्व राष्ट्रीय जादोवन की विरामत है। एक सीमा तक यह बात सही भी हो सकती है परन्तु अधिक सही बात यह है कि दंग में जनसन्ध्या तो बहुत है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम। ऐसी स्थिति में अमत्तोष का अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। यहाँ नहीं यन्त्रि अधिकारी जनता की मागा की उपक्षा करते हैं तो उस स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि अमत्तोष की अभिव्यक्ति उग्र रूप से हो।

प्रश्न

1. भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण कीजिए।
2. भारतीय दबाव समूहों ने राजनीति को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सी कार्यविधि को अपनाया है ?

भारतीय लोकतन्त्र की समस्याएँ (PROBLEMS OF INDIAN DEMOCRACY)

1 जातिवाद (Casteism)

‘भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज है, परन्तु लोकतन्त्र एक आधुनिक अवधारणा है जो अपने सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ ऐसी बातों की अपेक्षा करती है जिनका परम्परावादी समाज की मान्यताओं के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। जातिवाद उन्हीं बातों में से एक है। यहाँ उसकी संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है।

(यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की सामाजिक पद्धति का सगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है। परन्तु जब हम जाति और राजनीति के अन्तर्सम्बन्धों की विवेचना करते हैं तो सामान्यतः हम गलत प्रश्न से अपने अध्ययन का आरम्भ करते हैं—‘क्या जाति-प्रणाली का लोप हो रहा है?’ वस्तुतः इसके स्थान पर जो प्रश्न होना चाहिये वह यह है कि राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति किस प्रकार का रूप धारण कर रही है तथा जाति-ग्रस्त समाज में राजनीति का क्या रूप है? जो भारतीय राजनीति में जातिवाद की उपस्थिति की शिक्षा देते हैं, वे वास्तव में इस प्रकार की राजनीति की कल्पना करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इन लोगों को न तो राजनीति के सम्बन्ध में सही समझ है और न जाति-प्रणाली के। वास्तव में लोकतान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे उससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सगठन माना जाता है, उसमें यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि राजनीति इस सगठन के माध्यम से अपने आप को सगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं, वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। जब राजनीति में जाति की अभिव्यक्ति होती है तो उसके माध्यम से जाति और रक्त सम्बन्धों पर आधारित समुदाय अपने लिए राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। राजनीतिक नेता जाति समुदायों को इसलिए सगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुँचने में सहायता मिल सके। यदि राजनीतिक नेताओं को अपने लिये समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति समुदायों के अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार के समुदाय उपलब्ध हैं तो उन्हें उनको भी प्रयोग में लाने में सकोच नहीं होता।।

{ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जाति-प्रणाली भारतीय समाज का एक परम्परागत पहलू है। यह सही है कि पिछले वर्षों में पश्चिम के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ है, परन्तु यह आधुनिकीकरण समाज के पारम्परिक रूप का पूर्णतः उन्मूलन करने में जम्फल रहा है। फलतः देश में दो भिन्न प्रकार की संस्कृतियों की अलग-अलग धाराएँ प्रवाहित होनी रही हैं एक पारम्परिक संस्कृति है जो दूसरी है प्रयुद्ध लोगों की संस्कृति। पारम्परिक संस्कृति बर्ध-प्रधान है, उसमें जाति की प्रधानता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान नहीं है, अपितु उसमें अन्ध-विश्वासों को स्थान दिया जाता है। संक्षेप में वह जिन समाज की रचना करती है, वह मूलतः तंग समाज (closed society) है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति

का समाज में स्थान उसने जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है। उसमें विपरीत प्रबुद्ध संस्कृति (elite culture) घूम निरपेक्ष है उसका आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा उसमें जाति विराट्नी जैसे पारम्परिक संगठनात्मक स्थान नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रकृतिक संस्कृति के माध्यम में जिस समाज की रचना होती है उसे आवश्यक है एक मुक्त समाज (open society) होना चाहिए। भारत में औपनिवेशिक काल से ही उक्त दाना प्रकार का संस्कृतियों का अस्तित्व अवलोकित किया जा सकता था। वस्तुतः उस समय के दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे के समानान्तर चल रही थीं। पारम्परिक संस्कृति जनसाधारण की संस्कृति थी और प्रबुद्ध संस्कृति अग्रजो पक्षे निखर गंगा की। उस समय में दोनों संस्कृतियों के अन्तर्गत एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति का क्रिया प्रकार में प्रभावित करने की किसी भी कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि उस समय इसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं थी। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन भी मुख्यतः अग्रजो पक्षे निखर मध्यम वर्गीय गंगा का आन्दोलन था। परन्तु जब देश स्वाधीन हुआ और उसके साथ वैज्ञानिक विचारों के आधार पर चुनाव शुरू हुए तो उसके फलस्वरूप जादुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना आरम्भ कर लिया। जनसाधारण का पारम्परिक संस्कृति से अनुप्राणित या यथावक अन्तर्गत में बंधू बन गये क्योंकि उनमें पाम बना सदा में बोट के और राजनीति में सत्ता का प्राप्त करने के लिए उन लोगों का मूल्य था। जहाँ जिन्हें सत्ता की जानावसी थी उन्हें बोट का प्राप्त करने के लिए जनसाधारण के पास पत्रचन की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट है कि जनसाधारण का जन्म पत्र में मितान के लिए यह भी जरूरी है कि उनमें उम भाषा में बात की जाय जो उक्त निखर बुद्धिग्राह्य है। जाति प्रणाली के प्रकार की भाषा को प्रस्तुत करती थी। ऐसी स्थिति में यदि राजनीति में जाति का भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण होती गई तो हमें जाश्चय को काँ बान नहीं थी।

यद्यपि इस बात पर भी वन देने का आवश्यकता है कि राजनीति के सामाजिक संगठन के विभिन्न चरण विभिन्न प्रकार के नतत्व तथा विभिन्न "जाति" की संगठनात्मक क्षमता का अपेक्षा करते हैं। अतएव जब राजनीतिक प्रक्रिया एक चरण से निखर दूसरे चरण में पहुँचता है तब एक प्रकार की योग्यता से सम्पन्न नतत्व का स्थान दूसरे प्रकार की समता से सम्पन्न गंगा में रहता है। जहाँ आरम्भ में नतत्व उन गंगा के हाथों में था जिन्होंने पाश्चात्य गिनाहण की थी तथा जिन्होंने पद्धति के राजनीतिक संगठन के परिचालन का अनुभव था। इस में ये आवश्यकता हमें नेताओं की है जो ऐसे प्रशासकों के साथ काम कर सकें जिनका दृष्टिकोण और रहन महन पाश्चात्य था जिन्होंने वाद विचार तथा सद्दान्तिक बन्स में भाग लेने की इच्छा थी जिनके पास कानून का ज्ञान था तथा जो छोट मोट जातीयता में भाग लेने के लिए सावजनिक मामलों में इच्छा लेने वाले व्यक्तियों का जागरण करने की समता रखते थे। भारतीय सामाजिक पत्रोदान में सबसे उच्च स्थान पर हान के कारण इस प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः ग्राहणों में ही मिल सकते थे। उनके पास उच्च गिनाहण था उद्योग अग्रजो शिक्षा का प्राप्त की था तथा साथ ही गीतियाँ से उन्हाते भारत के पारम्परिक ज्ञान का भी प्राप्त किया था। सके अनिच्छित प्रशामन के साथ ही उनके सम्बन्ध में पत्रियाँ से चर्चा आ रहा था। इस प्रकार इस चरण के राजनीतिक नतत्व का आवश्यकतायें हमें जाति के सदस्या के द्वारा पूरी होती थी। जहाँ यह काँ ग्राह्य का बात नहीं कि हमें काल में नतृ के सामान्यतः ग्राहणों के ही हाथों में रहा। गानातर में जब राजनीति जनसाधारण का और अधिक उमुक्त हुई तो उमका आधार भी ग्राह्य हो गया। इस नयी परिस्थिति में राजनीतिक परिचालन के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनके पास प्रबुद्धीय और संगठनात्मक समता थी। बतान की आवश्यकता नहीं कि इस क्षमता के साथ मोन-तान करने की और निखर करने की योग्यता भी जुड़ी है।

स्पष्ट रूप से प्रकृतिक क्षमतायें उन विराट्नीयों में ही के माना में पायी जाती थी जिनका सम्बन्ध व्यापार और कृषि के साथ था। फलतः राजनीति में जब जिन गंगा का बात

बाला कायम हुआ वे या तो व्यापारी और उद्योगपति थे और या वे कुलक थे। ये लोग उन प्रबुद्ध लोगों की अपेक्षा कम आधुनिक थे, जिन्हें उन्होंने अपदस्थ किया था। उनका रुझान भी ग्रामोन्मुख था, उनकी भाषा भी ऐसी थी जिसे आधुनिक नहीं कहा जा सकता। सच बात यह है कि राजनीति में जातिवाद की समस्या की अभिव्यक्ति अपने गम्भीर रूप में इसी चरण के साथ शुरू होती है।

कालान्तर में पुरानी मान्यताओं का लोप होने लगा और उनके स्थान पर नये राजनीतिक मूल्यों का उदय होने लगा। इस स्थिति को जन्म देने में जो कारण सहायक हुए उनमें शिक्षा और तकनीक का प्रसार, ग्रामों का नगरीकरण तथा स्थिति के प्रतीकों में परिवर्तन को मुख्य रूप से गिनाया जा सकता है। इस स्थिति के उदय होने के साथ राजनीतिक प्रक्रिया के विकास का तीव्र चरण आरम्भ होता है। इस चरण में नये और व्यापक सम्बन्धों की रचना हुई, आत्म-परितुष्टि की नई कसौटी विकसित की गई, भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए लोगों की आकांक्षा बढ़ी तथा परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थानों को स्थानान्तरण एक आम बात बन गई। इस प्रकार स्थानीय अथवा विशिष्ट जाति अथवा सम्प्रदाय की भक्ति के स्थान पर जो नई भक्ति विकसित हुई वह अधिक आधुनिक थी। जो एक प्रकार से अपनी जीविका कमाते थे, जो एक ही प्रकार के काम की परिस्थितियों में अपना गुजारा करते थे, उनके बीच निश्चय ही एक प्रकार से समान हित पाये जाते थे, चाहे उनकी जाति-विरादरी कुछ भी क्यों न हो। इस प्रकार का दृष्टिकोण सामान्यतः नगरों में कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों तथा मध्यम-वर्गीय नौकरी-पेशा लोगों में देखता जा सकता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इस तीसरे चरण में जाति के प्रभाव का लोप होने लगा है। वस्तुतः भारत एक ऐसा देश है जिसमें शताब्दियों का सह-अस्तित्व अवलोकित किया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उस प्रक्रिया का समारम्भ हो चुका है जिसकी अन्तिम परिणति धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में होने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब भारत के पारस्परिक समाज का लोकतान्त्रिक राजनीति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ तो उसके परिणामस्वरूप नये सामाजिक मूल्य भी विकसित हुए और इस प्रकार समाज के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। पिछले वर्षों का अनुभव साक्षी है कि जहाँ विरादरी बहुत बड़ी हैं, वहाँ उसमें एकरूपता नहीं है और जहाँ वह बहुत छोटी हैं तो वह सख्या की दृष्टि से किसी शक्ति की रचना नहीं करती। दूसरे, यदि कोई राजनीतिक दल अथवा नेता किसी एक विरादरी के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेता है तो उसके फलस्वरूप अन्य विरादरियों उससे विमुख हो जाती हैं और यह तथ्य उस दल अथवा नेता के पराभव का कारण सिद्ध होता है। अतः चुनाव की राजनीति के परिचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बहु-जातीय समर्थन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये। इस प्रकार इस राजनीति के द्वारा जहाँ जाति के टुकड़े हुए हैं वहाँ उसने उसके अन्य विरादरियों के साथ सम्बन्ध भी स्थापित किये हैं। जिन राजनीतिक दलों अथवा नेताओं ने इस तथ्य की अवहेलना की है उन्हें अन्ततोगत्वा असफलता का मुँह देखना पड़ा है।

(इतना होते हुए भी भारतीय राजनीति अभी भी एक बड़ी सीमा तक जातिवाद से प्रभावित है। इस स्थिति को जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस की रही है। परन्तु 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो जाने के बाद जातिगत राजनीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस विभाजन के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें जातिवादी राजनीति को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब जनता के सन्मुख प्रश्न यह था कि कांग्रेस का कोनसा भाग जनतन्त्र एवं समाजवाद के लक्ष्यों की सिद्धि की ओर अग्रसर होने पर कटिबद्ध है। राज्यों की राजनीति भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची। कांग्रेस के नेताओं के दो भागों में बँट जाने के कारण जातियों के निश्चयों में भी विभाजन हो गया। फलतः जिस प्रकार कांग्रेस दल के दो भाग हो गये, उसी के साथ जानिगत राजनीति में भी दरार पड़ गयी।

इस उद्यम पथ का एक स्पष्ट रूप यह स्वरूप में आया कि 1971 के आम चुनावों के मध्यावधि चुनावों में जातिवाद पर आधारित राजनीति उद्यम रूप धारण नहीं कर सकी। यह ठीक है कि प्रत्यागियों के चयन में राजनीतिक रूप से सामाजिक जातिवाद के विचारों में प्रभावित हुए परन्तु चुनावों में जातिवाद की वास्तविक भूमिका नहीं रही। यद्यपि यह चुनाव अल्पकाल के अद्भुत थे जिन्हें मुख्य विचारों में गरीबी हटाओ का नाम गरीबी हटाओ का नाम जोर से मत्तताओं में जनता निणयन रूप से जाति के स्वरूप के तत्त्व का वह प्रधानता नहीं थी जिसका रूप पिछले चुनावों में स्वरूप में आता था।

जिसे 1969 के बाद की भारतीय राजनीति की विविक्षना की जाय तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जिस अनुपात में राजनीति उद्यम है उस अनुपात में उस जातिवाद के प्रभावों से मुक्ति प्राप्त है। यद्यपि यह जनता यथास्थिति में जातीय परिवर्तन चाहता है वह उस अयोग्य व्यवस्था का अन्त करके समाज सहन करने के लिए तैयार नहीं है जो उससे ऊपर जनताओं से आता है। जाति प्रथा यथास्थिति की हानि है वह सामंती समाज का अवशेष है। जो उसका अन्तर्गत जोर समाजवाद के उच्च आदर्शों के साथ कार्य करने में है। अतएव जब भी जनता के समक्ष उद्यम विफल प्रस्तुत किया गया है तो उसमें यथास्थिति के मुकाबले में उद्यम का चयन किया है। अतः यदि जातिवाद का सही अर्थ में मुकाबला करना अपेक्षित है तो यह आवश्यक है कि राजनीति जोर समाजवाद के आदर्शों का प्राप्त करने के लिए इमानदारी से काम करना जायें।

2 सम्प्रदायवाद (Communalism)

जातिवाद की भाँति सम्प्रदायवाद भी भारतीय राजनीति के समक्ष एक जटिल समस्या है। यद्यपि यह वास्तविक समस्या नहीं है। यह समस्या उस समय भी प्रस्तुत थी जबकि देश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। इस समस्या के वास्तविक भी जिसे 1947 में देश परतंत्रता की बड़िया को काटने में सफल हुआ तो ऐसा अतएव नहीं था क्योंकि हमने आपका न के लिए अपनी इस समस्या की भुनाकर राज के विरुद्ध कोई संयुक्त माँचा बना लिया था परन्तु हम देश का स्वतंत्र कराने में अतएव सफलता मिली थी क्योंकि राज के तीसरे अंगुष्ठ के उपरान्त इस समय नहीं रह गया था कि वह भारत के विभाजन के बाद अपने नियंत्रण को आगे चला सकता है।

स्वतंत्रता के बाद भी इस समस्या का निराकरण करने में हम असफल रहे हैं। आज भी देश में सम्प्रदायवाद का अन्तर्गत भी है जो यद्यपि देश नहीं है। यह समस्या उस समय भी प्रस्तुत थी जबकि देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच पूर्ण सहभावना पाई जाती है। जिसे ऐसा आता तो यहाँ सामंतीयता के आधार पर राजनीतिक दलों का सम्बन्ध ही सम्भव नहीं हो पाता। प्रश्न है कि इस सम्प्रदायवाद का कारण क्या है तथा इसमें भारतीय राजनीति का किस प्रकार प्रभावित किया है? यहाँ हमकी विस्तृत सभी बातों की जाय करता है।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए उस जनता में एकता कहकर पुकारा था। उनके इस स्वरूप के आगे एक प्रश्न चिह्न लगा है कि भाग्य में एकता पाए जाते हैं परन्तु उसकी जनता उसका राजनीतिक जीवन का एक अंग यथायथ है। भारत एक बहुधार्मिक देश है जिसमें जनता को मानने का रहत है कि जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों में सिद्ध है कि पारसी और बौद्ध प्रमुख हैं। हिंदू भारत में बहुसंख्यक है जोकि अन्य सम्प्रदाय अल्पसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों में मुख्यतः मुसलमान सबसे अधिक मुख्य है क्योंकि संख्या की दृष्टि से जनता में हिंदुओं का प्रादुर्भाव आता है। औपनिवेशिक शासन के दिनों में अल्पसंख्यकों के सम्प्रदायों का पारस्परिक मतभेद को उद्यम फूट डाने के लिए अस्तमात किया और सही अन्तिम परिणाम देना के विभाजन में हुआ। परन्तु विभाजन के बाद भी देश में मुसलमान बौद्ध समुदायों में अल्पसंख्यक दलों के

राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें जीवन, धर्म और सम्पत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। सविधान के द्वारा भी उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था। परन्तु ऐसा पाकिस्तान में नहीं किया गया। फलतः वहाँ से हिन्दू बड़ी संख्या में भारत शरणार्थी बनकर आये। इस सन्दर्भ में सम्प्रदायवाद की समस्या का कोई समाधान सम्भव नहीं हो सकता था।

स्वतन्त्रता के फौरन बाद देश में विशाल पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों का कोई विशेष कारण नहीं था। कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि श्रीनगर में एक ब्राह्मण लड़की को मुसलमान बनाकर उसकी एक मुसलमान के साथ शादी कर दी गई थी, तो कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि मेरठ में एक मुसलमानों की मीटिंग पर हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शित किया था। कभी दंगा इसलिए हो गया क्योंकि होली के त्यौहार पर हिन्दुओं ने मुसलमानों के ऊपर रंग फेंक दिया तो कभी दोनों सम्प्रदायों के लोग आपस में इसलिए लड़ मरे क्योंकि जब एक आवाज़ गाय ने एक मुसलमान डबल रोटी बनाने वाले की कुछ रोटियाँ खा ली तो उस मुसलमान ने उस गाय को मारा जिससे उम गाय की मृत्यु हो गई। निस्सन्देह, इन छोटी-छोटी बातों पर देश में काफी खून खराबी हो चुकी है। प्रश्न है कि देश के स्वाधीन होने के बाद भी ये दंगे क्यों होते हैं? इस प्रश्न के ऊपर में मुख्यतः तीन कारण गिनाये जा सकते हैं—मुस्लिम पृथक्तावाद, हिन्दू सम्प्रदायवाद तथा सरकार की उदासीनता। यहाँ इन तीनों कारणों की समीक्षा अपेक्षित है।

स्वतन्त्रता के बाद कुछ मुसलमान नेताओं ने विभाजन की भूल को स्वीकार किया था। उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए अपने सह-धर्मावलम्बियों को यह परामर्श भी दिया था कि उन्हें देश में ऐसी पार्टियों और व्यक्तियों को समर्थन देना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और आर्थिक न्याय में आस्था रखते हैं तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य-धारा में अपने आपको विलीन कर देना चाहिए ताकि उनके माथे से यह कलक हट जाये कि वे देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार का परामर्श देने वाले नेताओं में मद्रास के मौहम्मद इस्माइल तथा नवाब इस्माइल खॉं मुख्य थे। परन्तु ये विचार कार्यक्रम में परिणत नहीं किये जा सके क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठन मुसलमानों को इस बात का उपदेश दे रहे थे कि उन्हें अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा और अन्य हितों की रक्षा के लिए अपने आपको पृथक् संगठनों में संगठित करना चाहिए। जमायते-इस्लामी ने मुसलमानों को यह परामर्श दिया कि 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन चुनावों के द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। 1948 में वकी-खुवी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की मांग की। वस्तुतः वे मुसलमान नेता जो इस प्रकार की बात करते थे, वे लोग थे जिनके पास आधुनिकता छू तक नहीं गई थी, जिनका दृष्टिकोण धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण था और जो हमेशा यह वेसुरा राग अलापते थे कि हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति में कोई साम्य नहीं है तथा उनके बीच कभी कोई एकता स्थापित नहीं की जा सकती। इस प्रकार के मुसलमान नेताओं ने मार्च 1971 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के पूर्व समूचे भारत के मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुसलमानों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में आठ दर्जन प्रस्ताव पारित किये गये थे। इनमें अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, उर्दू की रक्षा, नौकरियों में मुसलमानों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को कायम रखना तथा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को देश में चालू करना शामिल थे। इस सम्मेलन ने एक जखिन भारतीय राजनीतिक परामर्श समिति की भी स्थापना की जो समूचे देश के स्तर पर मुसलमानों की गतिविधियों में ताल-मेल बँठा सके। निस्सन्देह मुस्लिम धर्मांधता तथा पिछड़ेपन ने उनके बीच में सम्प्रदायवाद का कभी पूर्ण उन्मूलन नहीं होने दिया। सामाजिक पिछड़ेपन के साथ-साथ मुसलमान आर्थिक रूप में भी पिछड़े हुए रहे। स्वतन्त्रता के बाद भी उन्होंने शिक्षा के प्रसार का वाञ्छित लाभ नहीं उठाया, फलतः सरकारी नौकरियों में भी उन्हें उस अनुपात

म जगह नहा मित सजा जिम व चाहत व । असक परिणामस्वरूप मुमनमाना म निगता न नाव का उत्पन्न भ्राह्मुस्तिम सम्प्रदायवाद का नाम तन म इस कारण का एक विगप यागदान रहा । धनक अतिरिक्त भारतीय राजतानि म मुस्लिम सम्प्रदायवाद का उत्पत्ति क विग पाकिस्तान का भी एक भीमा तक उत्तरदायी बसाया जा सकता है । जब भी भारत म कइ साम्प्रदायिक भ्राह्मु पाकिस्तान न उम समय जगि म धी गानन का काम किया । उदाहरण क विग जत्र हजरत प्रन की मस्जिद म पवित्र दान की चारी त्त ता उम समय तत्कालीन पाकिस्ताना विग मंत्री जुफरार जना भुना न अपन एक वयान म नहा था कि यह चारी भारत सरकार का माजिग म त्त है । पाकिस्तान न भागन की मुस्लिम जनता का राष्ट्रीय जीवन स जनग रखन ता त्तगा स प्रयत्न किया त्त जीर उम जगत त्त प्रयत्न म पूणत जमफतता मिनी त्त एमी रात नहा ह । त्त परिस्थिति म यदि स्वतंत्रता क दान भी भारत म मुस्लिम सम्प्रदाय वाद फायम रहा ता त्तम काई आश्चय का प्रात नहा थी ।

जहा सम्प्रदायवाद क विग भुमनमान सम्प्रदायवादी उत्तरदायी ह वहा त्तमक विग हिन्दू सम्प्रदायवाद कम उत्तरदायी नता है । स्वतंत्रता क पहल भी भारत म हिन्दू साम्प्रदायिक मगठन व जिनम हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क नाम मुख्य रूप म विग जा सकने ह । त्त सगठन न त्तम दान क ऊपर हमशा प्रन लिया कि भारत हिन्दुता का त्त है तथा जत्र यमावतन्त्री विगपत मुमनमान त्त त्त म विजातीय तत्त्व की रचना करत ह ।

ऊपर 1970 म त्त मुस्लिम सम्मनन का उत्पन्न किया जा चुका त्त । त्त सम्मनन क वाद हिन्दू मतानभा न अपन एक प्रस्ताव म यह माग की कि मुसलमाना का सरकारी स्तर पर पाकिस्तान भज त्तना चाहिए । 1965 क युद्ध म पाकिस्तान क विरुद्ध युद्ध क त्तनी त्त अतुन त्तमीर क सम्भ व म विगत हुए गानवतकर न नहा कि वह ता कम हा ह जस कि भाग त्त खन म तुतमा का पौधा । गिब मना क दान आकर न त्तस्लाम क त्त र खतर म हिन्दुता को जागात करत त्त कहा— हिन्दुता का न स्वतंत्र हिन्दू रत्ना चाहिए वनि कट्टर हिन्दू हाना चाहिए तथा उ त्त जनन धम क विग जहात करन वाता हाना चाहिए । मुँ यह कहन म का त्त नजा नहा त्त कि मैं एक कट्टर हिन्दू त्त । स्पष्ट त्त कि त्त प्रकार क प्रचार का उपस्थिति म दान म सम्प्रदाय वाद का उभूतन नहा किया जा सकता था ।

सम्प्रदायवाद का पनपान म सरकार का उदासीनता की भी एक निश्चित भूमिका रही है । सत्र बात यह ह कि त्त जीर राध्या की सरकार न त्तम समस्या का निराकरण करन क विग का त्त मजबूत कर्तम नहा उठाया । उहान त्तम समस्या क फारणा की भी का त्त समा ता नहा की । जत सम्प्रदायवाद क राग का का त्त निदान नहा हा सवा । एमी स्थिति म उपचार का को त्त प्रश्न ही नहा उठ सकता था ।

सरकार का प्रगामकीय यत्र भी त्तम समस्या का मुनभान क विग अनुपयुक्त मिद्ध त्तगा त्त । साम्प्रदायिक उपत्वा क समय मरगारी अधिकारिया न न कवन सामयिक कायवाही करन म मकीब किया है अपितु गिकायत तो यह भी ह कि उन्तान उपत्वा का मन्वान का भी काम किया त्त । उदाहरण क विग 1972 म जब उत्तर प्रन्ग क एक नगर फिरोजापुर म साम्प्रदायिक उपत्वा त्तगा ता उम समय कुछ समय मत्स्या न प्रदानमत्री का एक नापन लिया था जिमम त्तान स्वानीय पुत्रिम अधिकारिया पर यह आरोप लगाया था कि उहान दग का उन्मावा त्तन का काम किया था । त्त प्रकार क जनर उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकत त्त जिनम यह प्रमाणित त्तना त्त कि साम्प्रदायिक तत्त्वा की मरगारी विभागा म गहरी जत्त ह । निश्चय त्त त्त प्रकार क अधिकारिया क माध्यम स साम्प्रदायिक समस्या क समाधान का श्रप ता नता का जा सकता ।

पिछत वर्षा म अनेक शर साम्प्रदायिक दत्ता पर प्रतिरोध त्तमान की मांग की गत्त है । परंतु इस माग की सरकार न हमशा यह कहकर जम्बाकार कर लिया कि ननिदान त्त जन्तगत यह सम्भव नहा है । यदि त्तन तक का स्वाकार कर भी किया जाय तो भी सरकार क पाम

साम्प्रदायिकता का दमन करने के लिए अनेक साधन मौजूद हैं। जब निवारक नजरबन्दी कानून को पारित किया गया या उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग साम्प्रदायिक तत्त्वों के विरुद्ध किया जायगा। परन्तु ऐसा शायद ही कभी हुआ हो।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि देश में साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार के नेता ईमानदारी के साथ धर्मनिरपेक्ष हों। यदि उनकी धर्म-निरपेक्षता बाह्य आडम्बर से अधिक कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिति में सविधान में निहित उच्च आदर्श केवल पवित्र सकल्प मात्र रह जायेंगे, उनका कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं होगा।

3 क्षेत्रीयता (Regionalism)

भारत की अनेकता को व्यक्त करने वाली दूसरी समस्या क्षेत्रीयता की है। सम्प्रदायवाद के अन्तर्गत व्यक्ति राष्ट्र की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय को अधिक प्यार करते हैं, क्षेत्रीयता के प्रभाव के अधीन व्यक्ति राष्ट्र के मुकाबले में उस क्षेत्र को अधिक महत्त्व देते हैं जिसमें उनका निवास है। सम्प्रदायवाद मुख्यतः देश के दो बड़े सम्प्रदायों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है, जबकि क्षेत्रीयता की बीमारी ऐसी है जो समूचे देश में व्याप्त है। कभी-कभी उसकी अभिव्यक्ति सगठित एवं सुनियोजित आन्दोलनों के माध्यम से भी हुई है। इन आन्दोलनों को मुख्यतः चार प्रकार की माँगों के आधार पर सगठित किया गया है—(1) भारतीय सघ से पृथक् होने की माँग, (11) पृथक् राज्यत्व को प्राप्त करने की माँग, (111) पूर्ण राज्यत्व को प्राप्त करने की माँग, तथा (1v) अन्तर-राज्यीय विवाद।

प्रश्न है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में क्षेत्रीयतावाद का उदय क्यों हुआ? इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य पहली बात यह है कि भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी एवं बहु-संस्कृतियों वाले देश में क्षेत्रीयता का उदय कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यथार्थ में इसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी होती थी। परन्तु स्वाधीन होने के बाद यह समस्या उग्र रूप में देश के सामने प्रस्तुत हुई। इसके अनेक कारण थे

(1) आर्थिक कारण—क्षेत्रीयता को जन्म देने वाले कारणों में सबसे पहले आर्थिक कारणों को रखा जा सकता है। स्वाधीन होने के बाद जब देश में आर्थिक विकास का कार्यक्रम आरम्भ किया गया, तो उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित हो गये, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र अत्यधिक रूप से पिछड़े गये। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में असन्तोष का उदित होना स्वाभाविक बात थी। मिजो और नागा विद्रोहों को वास्तव में इसी पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है।

(2) भाषा और सांस्कृतिक कारण—भारत में क्षेत्रीयता का सम्बन्ध भाषा के साथ अनिवार्य रूप से है। इसी भाषा को आधार मानकर अनेक क्षेत्रों के लोगों ने अपने लिए पूर्ण राज्यत्व की माँग की है और जब यह माँग स्वीकार नहीं की गई तो उसके फलस्वरूप क्षेत्रीयता के अधीन उग्र आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है। इस प्रकार भाषावाद को क्षेत्रीयता का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। वस्तुतः भारत में भाषा द्वारा अनुप्राणित क्षेत्रीयता के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। सबसे पहले तेलगु-भाषी लोगों ने आन्ध्र राज्य की स्थापना के लिये आन्दोलन किया। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों की स्थापना के लिए जो आन्दोलन चला, वह भी भाषावाद से ही अनुप्राणित था। इसी प्रकार पंजाबी सूबा के आन्दोलन के मूल में भी भाषा-सिद्धान्त की एक प्रमुख भूमिका रही थी।

भाषा के साथ संस्कृति अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के लोगों को अपनी तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के ऊपर बहुत अधिक गर्व है तथा वे अपनी संस्कृति की अपेक्षा शेष भारत की संस्कृति को तुच्छ मानते हैं। यदि उन्होंने आरम्भ में अपने राज्य को भारतीय सघ से

अलग करने की बात कही तो उसे हम वही सदन में सम्मिलना चाहिए।

इस सम्बन्ध में पहला कदम यह है कि देश के राजनीतिक वातावरण को सुधारा जाय। आज देश में विभिन्न सम्प्रदाय जाति और क्षेत्र के नागा में एक दूसरे के प्रति वादिल विश्वास का अभाव है। इस अविश्वास की स्थिति में राष्ट्रीय एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

भाषा सम्बन्धी विवाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के माग में बहुत बड़ी बाधा है। भाषा के प्रश्न को लेकर आज देश में अतनी अधिक गुटबन्दी हो चुकी है कि लोग खुद मस्तिष्क से इस समस्या पर विचार करने के लिए भी बहुधा तयार नहीं मिलते। अतः इस विवाद का शीघ्रान्तिग्रीष्म समाधान अत्यन्त आवश्यक है। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए यह अवैक्षित है कि विभिन्न भाषायी समुदायों के बीच अधिकाधिक मात्रा में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। वस्तुतः ऐसा करके ही उनके बीच पायी जान वाली अविश्वास की दीवार को गिराया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं से अनुकूल हो। इसलिए विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम ऐसे हों जो विद्यार्थियों में यह चेतना पैदा कर सकें कि वे पहले भारतीय हैं और बाद में कुछ और। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में होने चाहिए जो छात्रों में समनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक हो सकें। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि इतिहास के अध्ययन और अध्यापन में मूलभूत परिवर्तन किये जायें।

शिक्षा संस्थाओं के प्राथमिक सम्प्रदाय अथवा जातियों के ऊपर नाम रखने की परम्परा का भी अंत किया जाना परमावश्यक है। इस अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि नागा में एक दूसरे के धर्म के प्रति मर्यादा विकसित की जाय। यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किसी धर्म विषय के अनुयायियों के प्रति पक्षपात करते पाये जायें तो उनका तुरंत कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकीकरण को सम्भव बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि यहाँ जायिक विकास की योजनाओं को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाये जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पायी जान वाली अर्थिक असमानताओं का अंत हो सकें। पिछड़े क्षेत्रों में केवल राजनीतिक असन्तोष की रचना करते हैं अपितु वे उन सम्भावनाओं का भी जन्म देते हैं जो राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए यह भी आवश्यक है कि जायिक गति का वायव्यपूर्ण रूप से वितरित किया जाय।

अन्त में इस तथ्य की प्राप्ति के लिए भावनात्मक एकता की स्थापना करना आवश्यक सम्मिलन है। देश में दो बार राष्ट्रीय एकीकरण सम्पन्न हो चुके हैं परन्तु इन सम्पन्नताओं में जो कुछ भी निश्चित किया गया उस पर अभी भी व्यवहारिक रूप में अमन नहीं किया गया। राष्ट्रीय एकता का कानून के द्वारा बनवूँक विद्या लोग परादा नया जा सकता और न इसकी उपरान्त राजनीति सम्मिलन के द्वारा ही सम्भव है। सके विकास के लिए वं धय और अधवसाय की जरूरत है।

प्रश्न

- 1 भारतीय राजनीति में जातिवाद के उत्पन्न के कारणों की समीक्षा कीजिए।
- 2 स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति सम्प्रदायवाद से क्या प्रभावित है ?
- 3 पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में धर्मोपेक्षा की भावना की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है ?
- 4 भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर एक निबंध लिखिए।

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्त्व (NATURE AND DETERMINANTS OF INDIAN POLITICS)

परम्परागत एवं अर्वाचीन मूल्यों का संघर्ष

अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय समाज को गतिहीन समाज की संज्ञा प्रदान की है। वस्तुतः इस गतिहीनता का प्रभाव हम अपने समाज में आज भी—गणतन्त्र की स्थापना के पच्चीस वर्ष बाद भी अवलोकित कर सकते हैं। यह ठीक है कि भारतीय समाज पूर्णतः गतिहीन नहीं है, उसमें गतिशीलता के तत्त्व भी विद्यमान हैं। सच बात यह है कि भारतीय सामाजिक जीवन में सन्निहित गतिहीनता का अध्ययन केवल सापेक्ष रूप से ही सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारत के गतिहीन समाज में गतिशीलता की अभिव्यक्ति हुई है अथवा नहीं और यदि हुई है तो उसका भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

यहाँ आरम्भ में ही यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में सामाजिक अन्तर्विरोधों ने विस्फोटक स्थिति को कभी जन्म नहीं दिया। फलतः भारतीय समाज का विकास अन्य देशों की भाँति नहीं हो सका। इसके विपरीत भारत इस अर्थ में एक अद्भुत देश है क्योंकि उसमें अभी तक इतिहास में जितनी भी सामाजिक पद्धतियाँ रही हैं, उन सबका एक आश्चर्यजनक समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में आज भी कबायली लोग पाये जाते हैं जिनकी सभ्यता हमें आज भी आदिम समाज की सभ्यता की याद दिलाती है। हमारे देश में आज भी बड़े हुए मजदूरों (bonded labour) के रूप में दास-प्रथा के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। जमींदारी पंथा और प्रिवी पर्सों (privy purses) के खात्मे के वाद भी हमारे समाज का सामन्ती स्वरूप किसी से छिपा हुआ नहीं है और यह बात भी सर्वविदित है कि इस शताब्दी के आरम्भिक चरण में ही देश में पूँजीवादी अर्थतन्त्र का उदय हो चुका था। (टाटा के स्टील कारखाने की स्थापना 1910 में हुई थी)। इसके साथ देश के नगरीकरण (urbanization) तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का भी आरम्भ हुआ था। इस प्रकार देश में परम्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों का अस्तित्व बना रहा। इस सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'भारत में शताब्दियाँ एक साथ रहती हैं' (In India, centuries live together)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज के विकास के इतिहास में किसी भी समय कोई कान्तिकारी उथल-पुथल नहीं हुई, यहाँ तक कि नवीन स्वतन्त्र भारत के अभ्युदय के उपरान्त भी यह नहीं जा सकता कि हमारा समाज अथवा हमारी राजनीति लोकतान्त्रिक क्रान्ति के दौर में से होकर गुजर रही है।

1947 में सत्ता उन भारतीयों को हस्तान्तरित की गई जो उस समय के भारत के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण माने जाते थे। भारतीय नेताओं ने सत्ता प्राप्त करने के लिए न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से वातचीत और एक प्रकार की सौदेबाजी की थी, बल्कि उन्होंने यह सौदेबाजी यहाँ के सामन्ती नरेशों के साथ भी की थी। इस मन्त्रा परिणाम यह हुआ कि देश में पाये जाने वाले सामन्ती तत्त्वों ने यहाँ की नव-नियोजित अर्थव्यवस्था के मुचारूप में संचालित होने के मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कीं। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भूमि की हद-बन्दी (land ceilings) और 'हरित क्रान्ति' के हल्का-गुल्ला के वाद भी ग्रामीण भारत सामन्ती

शोषण से अपने आप को अभी तक मुक्त नहीं कर सका है। यही नहीं भारतीय राजतंत्र और समाज का सामंती स्वरूप आज जाति विरादरी साम्प्रदायिक एव कवायती तनावों में व्यक्त हो रहा है। इनके फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता का धक्का पहुंचा है तथा राज्य व्यवस्था को बाध हाकर गतिशीलता की स्थिति को बीकार करना पड़ा है।

आधुनिक भारतीय समाज पिछले मंजो से कम, स कम दो जर्मी में भिन्न है। पहला जर्मीचीन युग में समाज जन समूह की राजनीति (mass politics) का उदय और विकास हुआ है। यह काल की आवश्यकता नहीं कि प्राचीन भारत इस प्रकार की राजनीति से सबथा अनभिज्ञ था। दूसरे, सामंती सामाजिक शक्तियों के अस्तित्व के कारण जन समूह की राजनीति समाज में लोकतांत्रिक जागृता को बंद पहुंचाने में असफल रही है। इसके सबथा प्रतिकूल सामन्ती पुराणियों के कारण जन समूह की राजनीति की अभिव्यक्ति बहुधा असंजोतना में हुई है जिनमें समाज में उच्च खतरा एव अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिला है।

समाज की व्यवस्था में जनमायारण का राजनीति में सक्रिय हान के अवसर को वाता के कारण प्राप्त हुए पहला मायारण मताधिकार तथा दूसरा आर्थिक नियोजन। परंतु जहां इनके कारण जनमायारण राजनीति में सक्रिय हुए जहां समाज में सामंती तत्त्वा का भी सक्रिय हान के लिए विवश किया। वस्तुतः सामंती अवशेषों के लिए यह सक्रियता असंजोत आवश्यक की क्पाकि समाज के अपने पृथक्तावादी अस्तित्व को नायम नहीं रख सकते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आरम्भ में ही भारत में जन समूह की राजनीति का उदय जस्व से वातावरण में हुआ। 1947 से पूर्व इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से दो कारण थे। प्रथम मायारणतंत्र में अपनी विरादरी से निजाकर राजनीति और सरकार के साथ कोई सीधा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करते थे और दूसरे जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से राजनीति में सक्रिय होते थे उनकी समूची गतिविधियां केवल एक उद्देश्य से उन्मुख थी—शशाक विरोधी साम्राज्यवादी को निजातना। इस सम्बन्ध में मारिस जोस का यह कथन उन्मुखनीय है—ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का कथन एक शक्तिशाली मित्र या शत्रु का अस्तित्व पर निर्भर, उम संगठित करने वाला समान पशु। जान जब वह समाज में गरीब रूप से अनुपस्थित है यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज के अन्तर्विरोध और विभिन्नताय जा जापनिवसित दासता के विरुद्ध संघर्ष के काल में बहुत अधिक मुखर नहीं थीं। सामान उन्मुख करके प्रायः जन समूह की राजनीति ने इन अन्तर्विरोधों की अभिव्यक्ति का शत्रु अधिक सुस्पष्ट बना दिया है, वस्तुतः यह सुस्पष्टता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यथायत्न इन अन्तर्विरोधों को एक बड़ी सामाजिक भारतीय राजनीति को निर्धारित किया है।

प्रश्न है कि ये अन्तर्विरोध क्या हैं जो भारतीय राजनीति में विघटनकारी तत्त्वा के रूप में काम कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। वस्तुतः समाज अन्तर्विरोधों के अन्तर्गत हम उन सभी तत्त्वाओं को शामिल कर सकते हैं जो एक स्वस्थ समाज के रूप में भारत के विकास का अभी तक अवरोधित कर रहे हैं। जातिवाद सम्प्रदायवाद धर्मवाद भाषावादी जाति का गणना हम तत्त्वाओं की श्रेणी में का जानी चाहिए।

परंतु यह तमवीर का एकमात्र पहलू नहीं है एक दूसरा पहलू भी है जो भारतीय राजनीति के उन्मुख पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म निरपेक्षता नाकतंत्र समाजवाद और मुक्त निरपेक्षता हमारे समाज की राजनीति के उन्मुख पक्ष की अभिव्यक्ति हैं। सच बात यह है कि इन दोनों पहलुओं का सम्बन्ध किही मूल्य और जायथाया के साथ है। पहलू पक्ष के मूल्य और आस्थाओं की श्रेणी और परम्पराओं के साथ बंध हुए हैं। जातिवाद सम्प्रदायवाद धर्मोपनिषत्तावाद जाति युगद्वारा की जड़ हमारे समाज की सामंती संस्कृति में निहित हैं जबकि धर्म निरपेक्षता नाकतंत्र और समाजवाद जर्मीचीन अवधारणाएँ हैं। भारत की राजनीति आधुनिकता और परम्परागत के बीच चल रहे संघर्ष का प्रभावित द्वंद्व है। जत यहाँ उनकी विवचना समीचीन है।

भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले आधुनिक तत्त्व

पिछले अध्याय में परम्परावादी मूल्य-व्यवस्था का प्रनिनिधित्व करने वाले तत्त्वों—जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदि की विवेचना की जा चुकी है। परन्तु जैसा कहा जा चुका है कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले केवल वे ही तत्त्व नहीं हैं। परम्परावादी मूल्य-व्यवस्था से सर्वथा भिन्न एक दूसरा पक्ष भी है जिसने हमारे देश की राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। इस पक्ष का सम्बन्ध आधुनिक मूल्यों एवं आस्थाओं के साथ है। धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद की अवधारणाओं का सम्बन्ध आधुनिक मूल्यों के साथ है। यहाँ भारतीय सन्दर्भ में इन तत्त्वों के व्यावहारिक पक्ष की विवेचना अपेक्षित है।

(1) धर्म-निरपेक्षता—सविधानकारों ने देश में जिस राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की, उसका स्वरूप धर्म-निरपेक्षता था, यह वान असन्दिग्ध है। सविधान में सन्निहित धर्म-निरपेक्षता की अपनी कुछ विशिष्टताएँ हैं। सर्वप्रथम, यह धर्म-निरपेक्षता उदार है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि भारत हिन्दू-बहुसंख्यक राज्य है तथापि यहाँ सविधान के द्वारा सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्यों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए सविधान के 25वें अनुच्छेद के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। दूसरे, भारत में धर्म-निरपेक्षता अमर्यादित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता अथवा जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतन्त्रता के ऊपर प्रतिबन्ध आरोपित कर सकता है। तीसरे हमारे यहाँ धर्म-निरपेक्षता को एक गतिशील विचार के रूप में मान्यता दी गयी है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि हमारे देश में धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त नहीं है, तथापि राजनीति को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट है। उदाहरण के लिए राज्य को किसी भी सम्प्रदाय के निजी कानून (personal law) को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रश्न है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त ने भारतीय राजनीति को किस सीमा तक प्रभावित किया है? ऊपर कहा जा चुका है कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक तत्त्व साम्प्रदायिकता है, परन्तु इस साम्प्रदायिकता के बावजूद भारत की जनता ने प्रत्येक मौके पर अपनी असाम्प्रदायिक राजनीतिक समझ का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए डा० जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हमारी धर्म-निरपेक्षता का भी परिचायक है। इस सम्बन्ध में हमारे देश में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत चेस्टर वाउल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'नेहरू की महानतम उपलब्धि एक ऐसे राज्य की रचना है जिसमें साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को जिन्होंने पाकिस्तान न जाने का निर्णय किया था, शान्तिपूर्ण तरीके से रहने तथा अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करने की स्वतन्त्रता है।'

प्रश्न है कि देश के राजनीतिक दलों ने धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को किम सीमा तक व्यावहारिक रूप प्रदान किया है? वैसे तो देश में असाम्प्रदायिक एवं धर्म-निरपेक्ष दलों की कमी नहीं है, परन्तु सत्य यह है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त का अनुसरण सामान्यतः केवल वामपथी दलों ने और विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टियों ने ही किया है। फलतः उन राज्यों की राजनीति जहाँ वामपथी दलों विशेषतः कम्युनिस्ट आन्दोलन का प्रभाव है, धर्म-निरपेक्ष है तथा वहाँ प्रयत्नों के बावजूद भी साम्प्रदायिक दलों का प्रभाव नगण्य रहा। इस सम्बन्ध में केरल और पश्चिमी बंगाल के उदाहरण दिये जा सकते हैं। केरल में ई०एम०एस० नम्बूदिरीपाद एक हिन्दू ब्राह्मण को पताम्बी के एक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने आप को निर्वाचित करवाने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में भी वामपथी राजनीति असाम्प्रदायिक एवं धर्म-निरपेक्ष है। एक अर्थ में वह केरल की अपेक्षा अधिक असाम्प्रदायिक है। आज तक पश्चिमी बंगाल में किसी भी वामपथी दल ने किसी भी साम्प्रदायिक पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का ताल-मेल नहीं किया

है। यहाँ यह उत्तरनीय है कि कम्युनिस्ट पार्टी या न सामायन चुनाव जावन के लिए पण्डित्या नहा खात्री है। फलतः उनकी राजनीति में जय दत्ता की अपक्षा धर्म निरूपता के सिद्धान्त के प्रति अधिक निष्ठा पाए जाता है।

(2) लोकतंत्र और समाजवाद—संविधानकारा न जान-बूझकर एग न नाकतांत्रिक पद्धति की स्थापना की है। 1964 में एग के प्रधान मन्त्री एग न काग्रस न नाकतांत्रिक समाजवाद का नश्य स्वीकार किया। वास्तव में समाजवाद ध्यय है जिस नाकतांत्रिक तराका से प्राप्त करना है और उमम नियोजन का स्थान प्रमुख है। सामायन लोग अभी तक यह मानते जाय हैं कि नाकतांत्र और समाजवाद ए परस्पर विराधी विचारधाराय है और एस्तिग उन दाना में कोई भेद नही हा मरता। परन्तु आज के युग में यह विचार अप्रासंगिक है क्यकि लोकतंत्र कवन राजनीतिक अधिकारों और शासन में जनता की सामन्तरी का ही प्रश्न नहा है बल्कि उसका जय अधिकारिक मात्रा में सामाजिक एवं जायिक थाय समान जवसर और औद्योगिक क्षेत्र में नाकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना है। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीतिक नाकतांत्र जायिक नाकतांत्र के बिना जयनीन है। वस्तुतः समाजवाद जायिक नाकतांत्र का हा दूसरा नाम है।

भारत के नयान गणराज्य के सम्थापक एग में जायिक नाकतांत्र की स्थापना करना चाहते थ यह जान सविधान की जनक व्यवस्थाजा से स्पष्ट है। सबप्रथम सविधान की प्रस्तावना के माध्यम में सविधानकारा न दग में एक एम राय का रचना का जाश्वासन दिया है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक की जायिक सामाजिक और राजनीतिक थाय की उपलब्धि हा सक्गी। एस्ने अतिरिक्त सविधान के चौथे अध्याय में भी सविधानकारा न अपन एस आश्रयन की दुहगया है। यहाँ यह उत्तरनीय है कि भारतीय सविधान का अपना एक दगन है और वह एगन ह सामाजिक परिवर्तन। यह परिवर्तन नाकतांत्रिक समाजवाद की निशा में हाना चाहिए यह बात भी स्पष्ट है।

सविधान के नाग्यु होन के बाद यथास्थिति और सामाजिक परिवर्तन का प्रनिनिधिक् करन वाली शक्तिया के बाव निरन्तर सधष की स्थिति पायी जाती रही है। यथास्थिति की शक्तिया न अपन हिता की प्राप्ति के लिए बहुधा थायानया की कारण नी है और सामाजिक परिवर्तन की शक्तिया न समत की। भारतीय गणतंत्र के पिछले 25 वष एस वान के भाक्षी हैं कि कुछ जायिक पराजया के जायजूट भी एस सधष में उन शक्तिया की विजय एह है जा नाकतांत्र और समाजवाद में जासा खत है। फलस्वरूप पिछले वर्षों में एग में सावजनिक नर का विकास हरा है जाज एम क्षेत्र में 2 एजार घरव रुपया लगा हुआ है। सावजनिक नेर जान वान युग में भारतीय समाजवाद की एक शक्तिगती जावार गिता मिट्ट होगा एसी जाशा का जा सक्ना है।

पिछले वर्षों में सविधान के कुछ प्रावधानों की भी एस्तिग सशोधित कर दिया गया है ताकि समाजवाद की धार एग के अभियान की किमी भी प्रकार बाधित न किया जा सक। चौबीसव और पच्चासव सनाधन का एसी निशा में एक कम्प समभा जाना चाहिए।

नाकतांत्रिक समाजवाद न दग के जन मानस को अपनी ओर आकर्षित किया है यह बात भी जसन्तिय है। एस्का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रत्येक चुनाव में एग के मनगतात्रा न उन एग का विजयी बनाया है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ-मन्तल्य है। 1971 का नाकसभा का चुनाव यथाथ में समाजवादी नार गरीबी हटाओ की विजय की।

गत अध्याय में भारतीय सविधान द्वारा ससशगत बाव की विवचना की जा चकी है। परन्तु ससशय गितता के वातावरण में काम नी करना। उनकी कायाचिति एक निश्चिन सामाजिक जायिक एवं राजतातिक पृष्ठभूमि में होनी है। पिछले अध्याय में हमने एस्तिग उन समन्थात्रा का उल्लेख दिया था जो आज भारतीय नाकतांत्र के समर्थ प्रस्तुत हैं। सायिक मस्यारा में जपन जाप का सामाजिक परिस्थितिया के अनुकूल दानन की प्रवृत्ति पाई जाता है। फलतः सायिकानिक एंका चाह उमका स्वरूप कसा ही क्या न हा के भी स्थायी नहा रहना यथाय

मे वह हमेशा गतिशीलता की स्थिति में रहता है। भारत भी इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं हो सकता। इसलिए पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में नये मोड़ उपरिथत हुए हैं। यहाँ उनकी विवेचना आवश्यक है।

भारतीय समाज का बदलता हुआ स्वरूप तथा उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव

स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय समाज परम्पराओं पर आधारित एक 'बन्द समाज' (closed society) था। स्वाधीन भारत ने अपनी जीवन यात्रा का आरम्भ ऐसी स्थिति से किया था जहाँ जीवन के समूचे मूल्य जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं अन्धविश्वासों के द्वारा निर्धारित होते थे। यहाँ से आरम्भ करके आज वह उम मजिल पर आ पहुँचा है जिसे हम 'खुले समाज' (open society) की सज्ञा प्रदान कर सकते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम भारतवासी उचित रूप से गर्व कर सकते हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि परम्परावादी समाज की सम्पूर्ण बुराइयों का अन्त हो चुका है तथा भारतीय समाज अब पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक सस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए समीचीन पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यथार्थ में यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो हम निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मजिल अभी भी बहुत दूर है। सच बात तो यह है कि भारतीय समाज की पुरानी बीमारियाँ अब नये रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, जाति-प्रथा और उस पर आधारित ऊँच-नीच की भावना पहले एक सामाजिक बुराई थी। उस रूप में उसका निस्सन्देह अन्त हो चुका है, परन्तु अब इस बुराई ने एक राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। फलतः एक बड़ी सीमा तक जनसाधारण का राजनीतिक आचरण विरादरी, जाति अथवा सम्प्रदाय की भावना से अनुप्राणित होता है। क्षेत्रीयता की भावना का भी इस समस्या को जटिल बनाने में एक योगदान रहा है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि पिछले वर्षों में सर्कीर्ण आवारों पर राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। इस प्रकार के दलों का स्वरूप जहाँ क्षेत्रीय है वहाँ उनका सगठनात्मक आवार जाति अथवा सम्प्रदाय है। उदाहरणार्थ द्रमुक, अकाली दल तथा भारतीय क्रान्ति दल को लिया जा सकता है। द्रमुक तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, परन्तु उसकी सदस्यता की संरचना ब्राह्मण-विरोधवाद के आधार पर हुई है। इसी प्रकार अकाली दल के भी केवल पंजाब तक सीमित होने के कारण, क्षेत्रीय दलों में ही गिनती हो सकती है। परन्तु उसकी रचना भी केवल क्षेत्रीयता के आधार पर हुई हो, ऐसी बात नहीं है। उसके निर्माण में सिख सम्प्रदायवाद की निर्णायक भूमिका रही है। भारतीय क्रान्ति दल भी अखिल भारतीय दल होने का दावा नहीं कर सकता, वह केवल एक उत्तर प्रदेशीय सगठन है तथा साथ ही में वह केवल उन विरादरियों का सगठन है जो कृषि के साथ सम्बद्ध है। ऐसी विरादरियों में मुख्य रूप से जाट, अहीर और कुर्मी आते हैं। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इन विरादरियों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी आकांक्षा राजनीतिक शक्ति पर आधिपत्य स्थापित करने की है। स्वतन्त्र भारत के आरम्भिक वर्षों में भी इस प्रकार के दल पाये जाते थे, परन्तु देश के राजनीतिक जीवन पर उनका प्रभाव नगण्य था। किन्तु आज इस प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु में द्रमुक सत्तारूढ़ दल है तथा अकाली दल और भाक्राद पंजाब और उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों की भूमिका अदा करते हैं। कुछ समय तक ये दल भी शासक दल रह चुके हैं।

भारतीय राजनीति जातिवाद की भावना से किस सीमा तक ग्रसित है, इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि यदि आज राजनीतिक नेताओं को उनकी अपनी विरादरी का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वे राजनीति में सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। इस तथ्य के प्रमाण में दो उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राजनीतिक नेता के रूप में चरणसिंह तथा कामराज की सफलता की उनकी अपनी-अपनी विरादरियों में गहरी जड़ों के आवार पर ही व्याख्या की जा सकती है। चरणसिंह जाट विरादरी के सम्मानित नेता हैं, दूसरी विरादरी वाले

उद्घोषित मानने का भी तथा नहीं है। उसी प्रकार कामगज अपना विराट्गी नाम विराट्गी में उत्तमिष्ठ नामप्रिय है। स्वागता प्राप्त करने के पूर्व भारतीय राजनीति जातिवादी के रूप में प्रचार के कुप्रभाव में मुक्त था। फलतः मन्त्र राष्ट्रीय जातिवाद का एक बनीया गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करने में तैयार नहीं था। परन्तु आज जाति के राजनीतिकरण के सम्बन्ध में हम बात की जागी नहीं जा सकती। आज तो प्रत्येक विराट्गी के अपने अपने नाम हैं और यह हमारी वृत्ति में स्थिति पर पहुँच चुकी है कि मत्तान्त कायस में पाय जान वान आन्तरिक गुण की रचना भी एक बनी सीमा तक जाति के आधार पर होने लगी है। फलतः जब चुनाव के समय प्रत्यागियों का रूप का टिकट दिया जाता है तो उस समय मुख्य ध्यान हम बात पर दिया जाता है कि उनकी विराट्गी क्या है तथा विवाचन में कौन-सी विराट्गी बहुसंख्यक है।

स्वतंत्रता के आरम्भिक वर्षों में कायस बहुधा अपना टिकट हम प्रत्यागियों को देती थी जिनका अपने विवाचन क्षेत्र में कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उदाहरण के लिए भीराना जाजा का घर बनकत में था परन्तु उद्घोषित चुनाव मामागत उत्तर प्रदेश में था। उसी प्रकार कृष्णा मेहनत करने के निरामी हान हान भी दम्भ में तो कायस के सफल प्रत्यागियों रह चुके थे। परन्तु आज के राजनीतिक सम्बन्ध में हम प्रकार के उदाहरणों का क्वचन अपवाद के रूप में ही देखा जा सकता है। यदि किसी बाहर वान (outsider) का टिकट मिला भी गया तो चुनाव में उसके विजय हान की सम्भावना न के बराबर रहती है। 1971 के लोकसभा के चुनाव में जबकि कुछ गांधी के अनुयायी दल में अन्दिगा गांधी की जाधी चन रती थी यूनस सलीम एक बाहर वान का अतीव स कायस का टिकट दिया गया था परन्तु उस जाधी के बावजूद भी यूनस सलीम चुनाव में विजयी नहीं हो सके थे।

प्रेरीयता और जातिवाद की बीमारियाँ की अभिव्यक्ति जहाँ प्रतीय तथा में नहीं है वहाँ कुछ जगित भारतीय दल का भी इन भावनाओं का उभारने में कम योगदान नहीं रहा है। उदाहरणार्थ जनमध एक जगित भारतीय दल है और उसका मुख्य आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कायकत्ता हैं। आरम्भ में यह दल विराट्गीवाद और क्षत्रियवाद की बीमारियाँ से मुक्त था। पिछले वर्षों में उस भी प्रेरीयता और विराट्गी की भावनाओं को उत्तजित करने में सकोच नहीं हुआ है। यह दल सक्वित्त है कि जाध के प्रतीय आधार पर वृत्तार का माण का जनमध का ममयन प्राप्त था।

निम्नलिखित यह एक नए प्रवृत्ति है जिसका उदय पिछले वर्षों में भारतीय राजनीति में हुआ है और जिसकी जड़ भारतीय समाज के वृत्तार तथा स्वरूप में अव्यक्ति का जा सकता है।

भारतीय समाज आन्दोलन के धर्म निरपेक्ष एवं असांख्यिक स्वरूप का साक्षात्कार सभी भागों में मायना प्रदान की है। फलस्वरूप वनवना प्राप्ति के उपरान्त तथा के नवान् सविधान में धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार में है। परन्तु स्वाधीनता तथा स्वागता के पूर्व के भारत के विभाजन के कुप्रभाव में अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जहाँ दल में साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दल संगठित हो रहे हैं वगैरे साम्प्रदायिकता का प्रगति करण साम्प्रदायिक दल का माध्यम में भी हुआ है। यह बात सक्वित्त है कि तथा में कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका आधार गुद्ध साम्प्रदायिक है और हम प्रकार के दल में हिन्दू मतवादी और गिन सभी के साम्प्रदायिक दल शामिल हैं। उदाहरणार्थ यदि जनमध और निरपेक्ष मतवादी हिन्दू साम्प्रदायिक दल हैं तो मुस्लिम दल और मुस्लिम मजलिस मुस्लिम साम्प्रदायिकता के साथ सम्बद्ध है। तथा प्रकार अज्ञान दल मिल साम्प्रदायिकता में प्रयास रूप जुग हुआ है। साम्प्रदायिक दल तो अभी में आन वान दल चुनाव के समय अपने अपने साम्प्रदायिक सम्बन्धों की साम्प्रदायिक भावनाओं का उभारने का प्रयत्न करते हैं और अपने-अपने प्रकार के प्रयत्न में उद्घोषित रूप में सक्वित्त भा मिला है। फलतः किसी हिन्दू वन्मन्त्रिक विवाचन क्षेत्र में मुस्लिम

प्रत्याशी की विजय को साधारणतः अपवाद के ही रूप में देखा जाता है। इसी तरह मुस्लिम-बहु-संख्यक निर्वाचन क्षेत्र में हिन्दू प्रत्याशी की विजय को भी सामान्यतः अनहोनी बात ही माना जाता है। मतदाता की इस प्रकार की मनस्थिति को सत्तारूढ़ दल के रवैये से भी बल पहुँचा है। अभी तक प्रत्येक निर्वाचन के समय कांग्रेस ने जिन आधारों को ध्यान में रखकर टिकटार्थियों के बीच टिकट बाँटे हैं उनमें उनका तथा निर्वाचन क्षेत्र का साम्प्रदायिक आधार मुख्य रहे हैं।

ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि साम्प्रदायिकता देश की राजनीति पर एक सीमा तक आच्छादित रहती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक राजनीति के लिए जहाँ साम्प्रदायिक दल उत्तरदायी है, वहाँ उसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस का उत्तरदायित्व भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस येन-केन-प्रकारेण सत्ता में रहना चाहती है। इसलिए प्रत्येक चुनाव के समय सत्ता में बने रहने के लिए उसे किसी भी प्रकार के हथकड़े को अपनाने में सकोच नहीं होता। यदि एक तरफ कांग्रेसी नेता मसजिदों और दरगाहों में जाकर मुस्लिम जनता को सम्बोधित कर सकते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें तिरुपति के मन्दिर में जाकर तथा वहाँ के पुजारी से अपनी विजय के लिए आशीर्वाद लेने में भी सकोच नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि सम्प्रदायवाद हमारे राजनीतिक आचरण को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा करने लगे तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ?

1967 के चुनावों के बाद राजनीतिक नेताओं के समक्ष कुछ ऐसी राजनीतिक विवशताएँ भी पैदा हुई हैं जिनका सामना करने के लिए उन्होंने साम्प्रदायिक दलों के साथ सॉठ-गाँठ को एक छोटी बुराई के रूप में अनिवार्य समझकर स्वीकार कर लिया। उदाहरण के लिए केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मुस्लिम लीग के साथ गठ-बन्धन किया है, भारतीय क्रान्ति दल ने मुस्लिम मजलिस को 1974 के चुनाव में अपना साझीदार बनाया था तथा 1967 के बाद देश के विभिन्न राज्यों में असाम्प्रदायिक दलों ने जनसघ के साथ मन्त्रिमण्डलों की रचना की थी। इसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में सम्प्रदायवाद को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया।

स्वतन्त्रता के आरम्भिक दिनों में असाम्प्रदायिक दलों से साम्प्रदायिक दलों के साथ किसी भी प्रकार का गठ-बन्धन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, परन्तु आज इस प्रकार के गठ-बन्धन हमारी राजनीति के लिए सामान्य बात बन चुके हैं, यह प्रवृत्ति शुभ नहीं है।

अन्त में यह कहना होगा कि भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष आज अनेक समस्याएँ हैं और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन समस्याओं का सन्तोषप्रद ढंग से हल किया जाय। भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वाञ्छित परिवर्तनों को लाने में लोकतान्त्रिक राजनीति ने रचनात्मक योगदान दिया है। हमें आशा है कि हमारा लोकतन्त्र इन समस्याओं के हल करने में समर्थ हो सकेगा।

प्रश्न

- 1 भारतीय राजनीति के किन्हीं दो प्रमुख निर्धारक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।

भारत की विदेश नीति (INDIA'S FOREIGN POLICY)

का भी राष्ट्र रक्षणा व वातावरण म नही रहता वस्तुतः वह एक गम्भी प्रणाली के अंतर्गत रहता है जिसमें अनेक राय है। इन रायों के ऊपर बाह्य के रायों की प्रणाली का अनिवाय रूप में प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी देश की राजनीति का अध्ययन उसकी विदेश नीति के अध्ययन के बिना पूरा नहीं माना जा सकता।

जायिक और सैनिक दृष्टि से भारत को मजबूत नहीं माना जाता है। उसके समक्ष अनेक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ हैं जो उसकी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा प्रस्तुत करती हैं। परंतु उसके बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने गुट निर्पेक्षता की नीति का अनुसरण किया है। परिणामतः वह आरम्भ से ही अप्रतिरुद्ध विश्व का बना रहा है। इस स्थिति ने भारत को विश्व राजनीति में वह स्थान दिया है जिसकी वजह से किसी भी देश में सामान्य हानि का वादा कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह सही है कि पिछले वर्षों में विनाशजनक चीन के विरुद्ध युद्ध में पराजय प्राप्त के बाद भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धक्का लगा था किंतु दमनाशय के स्वाधीन होने के उपरान्त भारत दक्षिण एशिया के समक्ष अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर आया है।

साठे दौर पर भारत की विदेश नीति को दो युगों में बाटा जा सकता है नहरू युग और उत्तर-नहरू युग। जब तक नहरू जी जीवित थे वही भारत की विदेश नीति के निर्माता थे तथा वही उसका सफल बन प्रवर्तक थे। एक समय तक वह भारत को ही नहीं अपितु समूचे तीसरे विश्व के सुपरिचिन्तक बने। यद्यपि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनके सम्मान और प्रभाव में कुछ कमी आई थी तथापि इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके बावजूद उनकी प्रतिष्ठा आखिर तक सर्वाधिक रही। उनके निधन के पश्चात् भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को एक धक्का लगा था।

भारत का विदेश नीति के आधार

भारत की विदेश नीति के सारभूमि में तीन तत्त्वों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तत्त्व हैं—भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति ऐतिहासिक अनुभव जिसमें परम्परागत जीवन पद्धति और उस पर विदेशी प्रभाव दोनों शामिल हैं तथा आन्तरिक शक्तियों और शक्ति।

यदि भारत के मानचित्र पर दृष्टिपात किया जाय तो हम सहज में ही भारत के भौगोलिक एवं सामरिक महत्त्व का अनुमान लगा सकते हैं। 1903 में भारत के एक भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत की भौगोलिक स्थिति उसे अधिकाधिक एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घुसनी स्थान की ओर खिंचेगा जो कि भूमिका जगह होगी। 1948 में नहरू जी ने कहा था कि भारत की स्थिति दक्षिणी दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया में एक सुरी काल की है।

भारत अपने उत्तर में विश्व के सबसे ऊँचे पर्वतों से घिरा हुआ है उसके दक्षिण में हिन्द

महासागर स्थित है, उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। भारत के पश्चिमी सीमान्त पश्चिम पाकिस्तान की सीमाओं से मिलते हैं तथा पूर्वी सीमान्त बंगला देश की सीमाओं से टकराते हैं। भारत का समुद्री तट 3500 मील लम्बा है तथा यदि पाकिस्तान और बंगला देश के साथ मिलने वाले सीमाओं को शामिल कर लिया जाय तो उसके भूमि पर स्थित सीमान्तों की लम्बाई 8200 मील है। भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे राज्य पाकिस्तान के साथ कटुतापूर्ण सम्बन्ध उसे औपनिवेशिक दासता से विरासत के रूप में मिले हैं। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध आरम्भ हो गया तो उस समय देश में पहली बार यह अनुभूति हुई कि पाकिस्तान से मिलने वाले सीमान्तों के अतिरिक्त भी उसके ऐसे अन्य सीमान्त भी हैं जिनकी सुरक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती। चीन के साथ उसकी सीमाये 1500 मील लम्बी हैं। सोवियत सीमाये भारत के काश्मीर प्रदेश से कुछ मील के फासले पर स्थित हैं। नेपाल और भूटान की सुरक्षा में भारत की स्वयं की सुरक्षा निहित है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम का एक छोटा सा राज्य था जो भारत का एक सुरक्षित क्षेत्र था परन्तु जिसका अब भारत में विलय हो चुका है।

हिन्द महासागर में भारत की स्वाभाविक अभिरुचि है। एक दीर्घ समय तक भारत का हिन्द महासागर से होकर विदेशी व्यापार हुआ है। अतः अपने व्यापार की ही अभिवृद्धि के लिए भारत के लिए यह परमावश्यक है कि वह हिन्द महासागर को एक शान्ति के क्षेत्र के रूप में विकसित करे। हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने में भारत की रुचि इसलिये भी है क्योंकि इसके साथ उसकी सुरक्षा की समस्या भी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। पिछले वर्षों में हिन्द महासागर महाशक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना है। यदि इसके परिणाम-स्वरूप भारत में चिन्ता की लहर दौड़ी है तो यह स्वाभाविक ही है।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में उसके ऐतिहासिक अनुभव का योगदान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारत ने एक लम्बे समय तक साम्राज्यवादी शोषण एवं उत्पीड़न का अनुभव किया था। अतः 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के बाद भी भारत के जनमानस में वे सब कड़वी यादें अंकित थीं जिनका सम्बन्ध औपनिवेशिक शासन के साथ था। अतः यह आवश्यक था कि भारत की विदेश नीति का स्वरूप साम्राज्य-विरोधी होता।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका आन्तरिक शक्तियों और दवावों की रही है। आन्तरिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राज्य नहीं है। उसमें आन्तरिक दुर्बलताये हैं, उसमें राष्ट्रीय एकता का अभाव है तथा आर्थिक दृष्टि से वह एक पिछड़ा हुआ देश है। राजनीतिक दृष्टि से भी नेहरू जी के निधन के पश्चात् स्थिति 1971 के चुनावों तक डावाडोल रही। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि देश की आन्तरिक समस्याये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती। उत्तर-नेहरू काल में आन्तरिक एवं विदेश नीति के बीच की कड़ी स्पष्ट रूप से अवलोकित की जा सकती थी। 1964 के बाद 1971 तक भारत की विदेश नीति सक्रिय नहीं थी। इस काल में भारत ने विश्व की विवादग्रस्त समस्याओं पर ध्यान न देकर केवल इस बात पर ध्यान दिया कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध किस प्रकार सुधारे जाने चाहिए। फलतः इस काल में देश के नीति-निर्माताओं का ध्यान केवल चीन और पाकिस्तान पर केन्द्रित रहा। इस काल में विरोधी दलों और दवाव समूहों ने भी विदेश नीति को प्रभावित करने में विजिप्त योगदान दिया। इस प्रकार के समूहों में व्यापारिक हिन समूह तथा साम्प्रदायिक हिन समूहों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। व्यापारिक समूह जिनमें फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रमुख हैं पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए अच्छे सम्बन्ध चाहते थे, फलतः उनके दवाव पर भारत ने नेपाल, श्रीलंका और बर्मा के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाये।

गुट निरूपता (Non alignment)

सामाजिक भारत का विनाश नानि गुट निरूपता को नीति के नाम से जानी जाती है। कुछ नस्लका न विनाश पश्चिमी नस्ल ही प्रमुख है गुट निरूपता का तत्त्वज्ञान का हा पर्याय वाची बताया है। वस्तुतः यह विचार आन्तिमिक है। इस सम्बन्ध में कृष्णा मेनन का मयुक्त राष्ट्र मण का जनरल असम्बन्ध में स्थिति का भाषण का यह भाग उद्धरणीय है— हम तत्त्वज्ञान नहीं हैं हम युद्ध और शान्ति के सम्बन्ध में तटस्थ नहीं हैं। हम साम्राज्यवादिता अथवा अन्य ंतों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के सम्बन्ध में भी तटस्थ नहीं हैं। हम नैतिक मूल्यों के सम्बन्ध में तटस्थ नहीं हैं। हम न केवल आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में तटस्थ नहीं हैं बल्कि कक्षा भी उत्पन्न हो सकती है। हमारा स्थिति यह है कि हम शीत-युद्ध के सम्बन्ध में गुट निरूपता तथा अप्रतिबद्ध हैं। स्वयं नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में एक बार कहा था— जहाँ स्वतंत्रता का चुनौती दी जाती है वहाँ शान्ति खतरा है हम न तटस्थ थे और न तटस्थ रहें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुट निरूपता और तटस्थता समान अर्थ रखने वाले शब्द नहीं हैं। वास्तव में तटस्थता एक निरपेक्षात्मक (negative) विचार है जबकि गुट निरूपता का एक स्वाकारात्मक (positive) विचार समझा जाना चाहिए। एक अन्तर्गत राज्य अन्तर्गत ममस्याओं के ऊपर अपना नियंत्रण किन्हीं पूजाग्रहों के आधार पर नहीं रखता बल्कि स्वतंत्र रूप में उनमें निहित शक्तियों और दुराशयों के आधार पर तटस्थ है। स्वाधीन होने के बाद भारत ने विनाश नानि के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास किया है। यहाँ गुट निरूपता के सिद्धान्त में सन्निहित मान्यताओं की विवेचना करना समीचीन होगा।

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्यान में रखने की बात यह है कि गुट निरूपता को अपरिबन्धीय विचार अथवा सिद्धान्त नहीं है वास्तव में यह एक गतिशील विचार है जो बतलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप का गठन का प्रयत्न करता है। प्रश्न है कि गुट निरूपता क्या अभिप्राय है? माटे तौर पर गुट निरूपता वह सिद्धान्त है जिसका मानने वाला किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के उत्पन्न होने के स्थिति में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना कि कौन सहा है बल्कि इन प्रश्नों का उत्तर इन का प्रयत्न करता है कि क्या सहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुट निरूपता राज्य अपने आप को किमा गुट में नहीं बाँधता बल्कि वह स्वतंत्र विनाश नानि में अनुमति करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुट निरूपता एक स्वाकारात्मक विचार है वास्तव में तटस्थता का नानि निरपेक्षात्मक विचार नहीं है।

गुट निरूपता के सम्बन्ध में ध्यान में रखने की बात यह है कि आधुनिक सम्बन्ध में वह साम्राज्यवाद विरोध की मूर्च्छा है। इन दोनों को समझने के लिए यह बात रखनी उपयुगी होगी कि आज अधिकांश गुट निरूपता राज्य हैं जो कुछ समय पूर्व तक औपनिवेशिक दासता के बंधन में जकड़े हुए थे। आज स्वतंत्र होने के उपरान्त ये राज्य अपना स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा करके ही वे अपने आप को दासता के अंतर्गत से मुक्त कर सकते हैं क्योंकि आज भी इन देशों का अर्थतंत्र एक बड़ी सीमा तक पुराने साम्राज्यवादी राज्यों के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि इन देशों को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की रचना में सफलता मिल जाती है तो उस स्थिति में इन साम्राज्यवादी देशों के बाजारों की सीमाएं निकुट जायगी। स्पष्ट है यह वह स्थिति है जिसे कोई भी साम्राज्यवादी देश महसूस नहीं कर सकता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन स्थिति को प्राप्त करने के लिए नये राज्यों के लिए यह परमावश्यक है कि वे शक्ति के विभिन्न गुणों से जलग रहकर अपनी अव्यवस्था का निर्माण करें। गुटवादी संकट जानने के बाद उनमें इस बात की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वे अपने आर्थिक पुनर्निर्माण पर समुचित ध्यान दे सकें।

यदि गुट निरूपता साम्राज्य विरोध की अभिव्यक्ति है तो उस स्थिति में उस साम्राज्य

रूप से समाजवादी देश का समर्थक होना चाहिए। वास्तव में समाजवादी देशों ने इन राज्यों के अर्थतन्त्र को अपने पैरो पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान करने में भारी योगदान दिया है। यह एक जानी-पहचानी बात है कि जहाँ पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्यों ने हमें उपभोक्ता वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में दी, वहाँ सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने हमारी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्षता कभी भी समाजवादी देशों के विरुद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार समाजवादी राज्यों के साथ मैत्री-सम्बन्धों को गुट-निरपेक्षता की दूसरी मूलभूत मान्यता घोषित किया जा सकता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं करती। यथार्थ में जैसा कहा जा चुका है कि उसका प्रतिपादन भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उसके आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया और सच बात यह है कि इस नीति के अनुसरण से देश को लाभ भी पहुँचा है। अपने आर्थिक विकास के लिए हमें शक्ति के दोनो गुटों से सहायता प्राप्त हुई है। यदि एक गुट ने हमें उपभोक्ता वस्तुओं की सहायता दी है, तो दूसरे ने हमें भारी उद्योग दिये हैं जिनकी सहायता से देश आज अपने पैरो पर खड़ा होने में समर्थ है। स्पष्टतः इस प्रकार की सहायता की उस समय अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता। राजनीतिक दृष्टि से भी गुट-निरपेक्षता की नीति देश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। देश 1947 में स्वाधीन हुआ था, परन्तु अपनी स्वाधीनता के थोड़े ही दिनों में वह तीसरे विश्व का जाना-पहचाना अधिकृत प्रवक्ता था। 1952 से आरम्भ होने वाले दशक में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी अधिक प्रतिष्ठा बढ़ी थी कि सोवियत प्रधानमंत्री क्लुश्चेव ने यह सुझाव दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि को गुट-निरपेक्षता की तीसरी बुनियादी मान्यता बताया जा सकता है।

उपर्युक्त मान्यताओं की कसौटी पर नेहरू जी के जीवन काल के अन्तिम दिनों की भारतीय विदेश नीति की समीक्षा की जा सकती है। उस समय देश भयंकर आर्थिक संकट में होकर गुजर रहा था, तीसरी योजना के लक्ष्य खतरे में पड़ गये थे, चीन की लड़ाई ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से झकझोर दिया था। यही नहीं चीन के विरुद्ध युद्ध में उसे जो असफलता मिली थी उसने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसके सम्मान को बड़ा आघात पहुँचाया था। इस पृष्ठभूमि में स्वयं देश में भारत की विदेश नीति के औचित्य में सन्देह व्यक्त किया जाने लगा था। संसद में भी इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। स्वयं नेहरू जी ने इस आलोचना के औचित्य को स्वीकार किया था, उन्होंने कहा था कि हम अभी तक अवास्तविकता के सप्ताह में रह रहे थे। परन्तु इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि 'हम अपनी वर्तमान कठिनाई के कारण अपने मूल सिद्धान्तों को छोड़ने नहीं जा रहे।'

पिछले वर्षों में चीन और पाकिस्तान ने भारत की गुट-निरपेक्षता को 'दुहरा गठबन्धन' (Double alignment) की सजा प्रदान की थी। इन देशों का कहना था कि भारत ने गुट-निरपेक्षता के नाम पर संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दोनों से सहायता प्राप्त की है। पहले तो उसे दोनों खेमों से सहायता मिलती थी, परन्तु पिछले दिनों में उसे केवल सोवियत संघ से सहायता मिली है। इस प्रकार उनका यह निष्कर्ष है कि भारत की गुट-निरपेक्षता या तो 'दुहरा गठबन्धन' का छद्म नाम था अथवा पिछले वर्षों में उसने सोवियत संघ के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध कायम करके गुट-निरपेक्षता को तिलाजलि दे दी है। वस्तुतः ये दोनों आलोचनाएँ गलत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में ऐसे गुट-निरपेक्ष देशों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने विश्व की दोनों महाशक्तियों से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त की थी और जिनकी गुट-निरपेक्षता में कभी भी किसी ने सन्देह व्यक्त नहीं किया था। यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य (मिन्) तथा इण्डोनेशिया इसी प्रकार के देश हैं। दूसरे, यदि पिछले वर्षों में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में जबरन प्रगाढ़ता आई है तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। उस समय जबकि

गीत गुट अपनी चरम सीमा पर था पश्चिमी गुट विनापन अमरीकी विदेश मन्त्रि मन्त्र गुट निरपेक्षा का जननिक मानत थे अथवा उनकी दृष्टि में वह कम्युनिस्ट देशों के साथ गठबंधन करने के लिए बंधन आवरण मात्र था। उसके विपरीत सांख्यिक सघन भारत की गुट निरपेक्षा का सम्बन्ध सांख्यिक विरोध की अभिव्यक्ति माना है। यद्यपि भारत की राष्ट्रमण्डल की सम्मति उसकी समझ में नहीं आई। परन्तु जब कालान्तर में उसके समझ यह प्रमाणित होने लगा कि राष्ट्रमण्डल की सम्मति के बावजूद भी भारत स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करने की क्षमता रखता है तो उस भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में काफी सकारण नही आया।

महाशक्तियों के साथ सम्बन्ध

गीत-युद्ध में उग्रता जान के पूर्व भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों के ऊपर कभी वास्तविक विचार नहीं करता था। परन्तु उसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि भारत के अमरीका के साथ का मतभेद नहीं था। उदाहरण के लिए भारत ने काश्मीर के प्रश्न पर अमरीकी दृष्टिकोण की हमारा आलोचना की। उसके प्रतिरिक्त भारत ने अमरीका की औपनिवेशिक नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया। 1949 में जब चीन के गृह युद्ध में पराजित होने के बाद व्यापक टाई गन को फारमूसा भाग जाने के लिए बाध्य होना पड़ा और वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार कायम हुई तो भारत और अमरीका के बीच एक गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि भारत ने न केवल चीन के नये राज्य को मान्यता प्रदान करनी बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र सघन में भी उस स्थान प्रतिदान का प्रयत्न किया। उसके उपरान्त जब कोरिया का युद्ध आरम्भ हुआ उस समय भी भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक मतभेद सुनकर सामने आये। अमरीका युद्ध में भारत का सक्रिय सम्बन्ध चाहता था परन्तु इसके विपरीत उसने उस युद्ध में मध्यस्थता के लिए प्रयास किया और जब संयुक्त राष्ट्र सघन की सेनाओं ने 38वीं समानांतर रेखा को पार किया तो भारत ने उसका डटकर विरोध किया। जहाँ में जब अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना आरम्भ किया तो यह स्वाभाविक ही था कि दोनों देशों के बीच कन्वाहट पैदा होती। 1957 में प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की थी। उस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ था। परन्तु उस यात्रा के पश्चात् अमरीकी सरकार ने आन्जनहाउस मिट्टात का प्रतिपादन किया और तैयाना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सनाय भजी। भारत ने अमरीका के दोनों कार्यों का विरोध किया। 1959 में राष्ट्रपति आन्जनहाउस की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच फिर से जटिल सम्बन्धों का शीतलण्डन हुआ। परन्तु इसके पश्चात् कुछ एसी घटनाएँ फिर घटी जिन्होंने दोनों देशों के सम्बन्धों में विगाड़ पैदा कर दिया। दिसम्बर 1961 में जब भारत ने गांधी का पुतगाथा दासता से मुक्त किया तो संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत के इस कार्य की कटु आलोचना की। उस समय अमरीकी प्रतिनिधि स्टीवसन ने नाटकीय रूप में यह घोषणा की थी आज राष्ट्र का हम उस नाटक के प्रथम अंक को देख रहे हैं जिसका अन्त संयुक्त राष्ट्र सघन की मध्यु के साथ हो सकता है। पुतगाथी उपनिवेशवाद के मन्त्रिज समर्थन के उपरान्त यह स्वाभाविक ही था कि भारत में अमरीका विरोधी भावनाएँ मजबूत होना।

अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अमरीका ने भारत का सैनिक सहायता दी। परन्तु इस सहायता के देने में भी अमरीका ने उस उदारता का परिचय नहीं दिया जिसे उसने अपना ही जानी थी। भग्न उस समय एम देश के विरुद्ध युद्ध चल रहा था जिसमें अमरीकी जासूसों की नाट्य रंग कर रयी थी। अन्त में युद्ध में अमरीका का उन्मुक्त हृदय में मान्यता करनी चाहिए थी। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अमरीकी जासूसों का तपस में गया कि वे आधुनिक आस्त्रास्त्र हमारे उसा समय में सर्वत्र हैं जबकि पाकिस्तान के साथ वे और के प्रश्न पर हमारे विचार का अन्त हो जाय। चूँकि पाकिस्तान से हमारा कोई

समझौता न हो सका, इसलिये जिन शस्त्रास्त्रों की हमें आवश्यकता थी, वे हमको अमरीका से प्राप्त नहीं हो सके। परन्तु इसके बावजूद भी भारत में चीनी आक्रमण के उपरान्त अमरीका के लिए सद्भावना मौजूद थी और बहुत सम्भव था कि यह सद्भावना कालान्तर में स्थायी भी हो जाती। परन्तु ऐसा इसलिये नहीं हो सका क्योंकि फरवरी 1963 में जब पाकिस्तान ने काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में फिर से प्रस्तुत किया तो उस समय अमरीकी प्रतिनिधि ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे फिर भारत में अमरीका के विरुद्ध कटुता की भावनाएँ पैदा हुईं हैं। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय भी अमरीका ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। यह वह समय था जब भारत में अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ था और इस कमी को पूरा करने के लिए अमरीका ने हमें गेहूँ भेजने का वायदा किया था। परन्तु इस युद्ध के पश्चात् अमरीका ने हमें गेहूँ भेजने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1971 में बंगला देश के मुक्ति-सर्घ के समय भी अमरीका की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। अतः इस पृष्ठभूमि में यदि भारत में अमरीकी विरोधी भावनाएँ बलवती हुई हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1975 में अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देना फिर से आरम्भ कर दिया। यही नहीं, हिन्द महासागर में स्थित डिआगो गार्शिया नामक टापू में उसने अपना सैनिक अड्डा भी इसी काल में बनाया। इसमें दोनों पक्षों के बीच विरोध बढ़ा है। यथार्थ में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों का जितना विगाड आज पाया जाता है उतना पहले कभी नहीं था।

दूसरी महाशक्ति सोवियत सघ के साथ भारत के सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। 1946 और 1947 में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत और सोवियत सघ के दृष्टिकोण एक से ही थे। उदाहरण के लिए, भारत और सोवियत सघ के बीच मूलवश के आधार पर भेदभाव, उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण, एटम बम तथा बीटो के प्रश्नों पर एक में ही दृष्टिकोण थे। वस्तुतः इन दोनों देशों के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतैक्य को देखकर डलेस ने कहा था कि 'भारत में सोवियत कम्युनिज्म अन्तरिम हिन्दू सरकार के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।' परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चली, थोड़े ही समय में यूनायन और कोरिया के प्रश्नों पर इन दोनों में मनमुटाव पैदा हो गया। इसी समय भारत ने ब्रूसेल्स की सन्धि को मान्यता दे दी। निश्चय ही, भारत का यह काम सोवियत सघ को रुचिकर नहीं हो सकता था। इसी पृष्ठभूमि में अप्रैल 1949 में सोवियत प्रेस ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ साँठ-गाँठ कर रही है। परन्तु 1949 के अन्त तक दोनों देशों के सम्बन्धों में एक दूसरा मोड़ लिया। इस काल में चीन में कम्युनिस्टों की सरकार स्थापित हो गई थी और भारत उसे मान्यता प्रदान करने वाला पहला गैर-कम्युनिस्ट देश था। इसके फलस्वरूप भारत और सोवियत सघ के सम्बन्धों में भी सुधार होने लगा। परन्तु जून 1950 में जब कोरिया में युद्ध आरम्भ हुआ तो भारत ने पश्चिमी देशों के स्वर में न्वर मिलाकर उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। भारत का यह काम सोवियत सघ में रोप पैदा करता, यह स्वाभाविक था। भारत को भी अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने अपनी भूल को सुधारने के लिए जुलाई 1950 में कोरिया में युद्ध-विराम की अपील की। इस अपील का सोवियत सघ में समुचित स्वागत किया गया। फलतः दोनों देशों के सम्बन्ध में एक बड़ी सीमा तक प्रगाटना आई। 1951 में भारत ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें कोरिया में चीन को आक्रान्ता कहा गया था। भारत-सोवियत सम्बन्धों के ऊपर इसका भी अनुत्पन्न प्रभाव पड़ा। परन्तु दिसम्बर 1952 में कोरिया के युद्धवन्दियों के प्रश्न पर सोवियत सघ और भारत के बीच पुनः मतभेद पैदा हो गये। विशिस्की ने संयुक्त राष्ट्र सघ की असेम्बली में भाग लेने की जासोचना करते हुए यह कहा कि भारत की नीति में तनाव के बढ़ने की आशंका है।

1954 में अमरीका की प्रेरणा में नीटो और बगदाद पैक्टों की रचना हुई। भारत ने इन नैतिक गुटवन्दियों का कडा विरोध किया। अतः इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि

सोवियत मघ क साथ उसके सम्बन्ध म सुधार हाता । इसा वान म नहरू जी न सोवियत सघ की तथा युगान्ति और स्त्राचव न भारत की यात्रा की । इन यात्राजा ने दाना दगा को एक-दमरे क समीप वान म उता यागदान लिया । सोवियत सघ ने काश्मीर और गोआ क प्रश्ना पर भारत का समया वरग प्रयत्न भारतवासी के हृदय म अपने लिए सदभावना को पदा करन म सफरता प्राप्त की । इस जनिरिक्त इस वान म सोवियत मघ ने भारत को तकनाकी जीर आर्थिक सहायता भी प्रचुर मात्रा म प्रदान की । भिताई क स्थापन कारखान ने भारत मावियत मत्री का एक गतिगात्री आधार प्रदान किया है । वान म वाकारो के स्थापन कारखान क निर्माण म भी सोवियत सघ की सहायता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

राजनीतिक क्षेत्र म भी दोनों दगा क बीच एक दूसरे क प्रति सदभावना ही पायी जाती रती । उताहरण क लिए निस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारत ने सोवियत अष्टिकोण का आम तौर पर समर्थन किया है ।

1966 के बाद सोवियत मघ भी विश्व वाजार म गस्त्रास्त्र बेचने लगा और पाकिस्तान भी उसके पास ग्राहक क रूप म पत्र गया । स्पष्टत सघ के लिए पाकिस्तान को गस्त्रास्त्र बेचन से इनकार करना सम्भव नहीं हो सकता था । परंतु भारत म उसकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हई । भारत सरकार ने सोवियत सघ का एक पत्र त्रिवेबर उस सम्बन्ध म अपनी चिन्ता व्यक्त की । वान म भारत की राजनीतिक क्षेत्र म इससे ऊपर हता गुलता भी बहुत मचाया और उतान अपनी उस माँग का दुवारा दोहराया कि भारत को पश्चिमी गुट म शामिल हो जाना चाहिए । परंतु उस समय सोवियत मघ ने भारत को यह पक्का आश्वासन दिया कि पाकिस्तान क साथ सोवियत मघ क सम्बन्ध भारत के प्रति मत्री की कौशल पर निर्मित नहीं किय जायग । सोवियत मघ का यह आश्वासन कितना पक्का था उसका प्रमाण हम उस समय मिला जबकि दगा दगा क मुक्ति-संघ की पृष्ठभूमि म भारतीय पक्ष का समर्थन करने का उत्तरदायित्व बचन समाजवादी दगा ने ही निभाया था । उस समय 9 अगस्त 1971 को दोनों दगा ने मित्रता और सहायता की एक संधि पर हस्ताक्षर किये । उस संधि पर स्ताक्षर करने के लिए सोवियत विदेश मंत्री गोमिका स्वयं नहीं दिन्ती ग्राये थ । इस संधि ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया । यह संधि हमारे देश के लिए कितनी उपयोगी थी उसका प्रमाण हम उस समय मिला जब किम्ब्र 1971 म हम पाकिस्तान क साथ युद्ध लड़ने के लिए राष्ट्र हाना पना । जना बना जा चुका है उस समय अमरीका सुत्रकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था । जब दगा दगा म पाकिस्तान का पराभव सिद्धित था उस समय उमका मतवा उडा उगाव की वाणी म प्रवा भी कर चुका था । सयुक्त राष्ट्र सघ की असम्बन्धी और सुरक्षा परिषद म उमने भारत क विरुद्ध मतदान को सगठित कराने म एक प्रमुख भूमिका अदा की थी । परंतु उस समय सोवियत मघ क साथ मत्री ही हमारे काम आई ।

उस प्रकार निष्कर्ष रूप म यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सोवियत सघ क साथ हमारे सम्बन्धों म उतार चढ़ाव जात रहे हैं तथापि दाना दशा क बीच सद्भावना का कभी काइ अभाव नहीं रहा ।

पाकिस्तान क साथ सम्बन्ध

1947 म वान का विभाजन वाग्रस जीर मुस्लिम लीग की महमति म हुआ था फिर भी उसम वन उवजात राया क बीच पाय जान वान सम्बन्धों म का सुधार नहीं हुआ । एक विपरीत न निरन्तर जगडने गय । वस्तुतः जिम दो राष्ट्रा न सिद्धान्त क आधार पर पाकिस्तान का ज म उथा था उस सिद्धान्त म ही हि हुआ और भारत क प्रति घृणा बीज रूप म हा निम्नित था । अनिष्ट एमी विधि म उस बात की अवस्था भा नहीं की जा सकती थी कि उस घृणा करन वान राय क साथ सम्बन्धों काधारण हो सकग । यही यह उल्लेखनीय है कि भारत ने उनक

अवसरो पर पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले 1949 में इस प्रकार के समझौते का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, 1956 में नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को दोबारा प्रस्तुत किया, नवम्बर 1962 में पाकिस्तान से एक बार फिर इस आशय की अपील की गई, परन्तु पाकिस्तान इसके लिए कभी तैयार न हुआ। नेहरू जी के निधन के उपरान्त 15 अगस्त 1964 को लालबहादुर शास्त्री ने इस प्रस्ताव को फिर दोहराया। परन्तु भारतीय नेताओं के इन वक्तव्यों का पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। वस्तुतः दोनों देशों के समक्ष कुछ समस्याएँ भी ऐसी थीं जिनका समाधान आसान नहीं था।

भारत और पाकिस्तान के बीच पाये जाने वाले विवादों में सबसे अधिक गम्भीर विवाद का सम्बन्ध काश्मीर की समस्या के साथ है।

नवम्बर 1947 में दोनों देशों की सेनाओं में खुली लड़ाई आरम्भ हो गई। भारत ने यह समस्या सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत की। परिषद ने समस्या का निराकरण करने के लिए अनेक जाँच एवं मध्यस्थता आयोग नियुक्त किये। इनसे युद्ध तो रुक गया, परन्तु दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। फलतः दोनों देशों के बीच सीमा-सम्बन्धी विवाद उठते रहे, यात्रा सम्बन्धी नियन्त्रण जारी रहे तथा दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना बन्द नहीं किया। इस बीच पाकिस्तान ने अमरीका की सैनिक गुट-बन्धियों की सदस्यता स्वीकार कर ली जिसके परिणामस्वरूप उसे अमरीकी सैनिक सहायता प्रचुर मात्रा में मिलने लगी। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों से यदि और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी।

1958 में पाकिस्तान में एक सैनिक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप जनरल अयूब खॉं वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी बन गये। इस नये शासन की स्थापना के उपरान्त भारत-पाक सम्बन्धों में एक नये युग का आरम्भ हुआ। सद्भावना बढ़ी, कुछ समझौते भी हुए। परन्तु इतना होते हुए भी काश्मीर के प्रश्न पर दोनों देशों में कोई समझौता नहीं हो सका। नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा था कि वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाना चाहिए। परन्तु पाकिस्तान को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था।

कुछ दिन बाद अयूब खॉं ने भारत के समक्ष एक 'संयुक्त-सुरक्षा समझौता' करने का सुझाव रखा। परन्तु भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में इसलिए असमर्थ था क्योंकि उससे भारत की गुट-निरपेक्षता पर आघात पहुँचता था।

इसी समय दोनों देशों के बीच एक नवीन समस्या पैदा हो गई। यह समस्या कच्छ-सिन्धु सीमान्तों से सम्बद्ध थी। जनवरी 1960 में इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह निश्चित हुआ कि दोनों पक्ष इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने पाँच वर्ष तक खामोश रहने के बाद यकायक जून 1965 में बल-प्रयोग के द्वारा अपने दावों को मनवाने का प्रयत्न किया। कच्छ के रन में भारतीय सीमाओं के भीतर कुछ भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने अधिकार स्थापित कर लिया। निस्सन्देह पाकिस्तान का यह काम अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। ऐसा लगता था कि दोनों देशों में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाएगा परन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अपील पर 30 जून 1965 को दोनों पक्ष युद्ध-विराम के लिए तैयार हो गये।

मामला अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के 90 प्रतिशत दावों को अस्वीकार कर दिया।

भारत-पाक संघर्ष—कच्छ के रन पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसकी स्याही भी सूखने नहीं पाई थी, तब तक पाकिस्तान ने भारत के लिए एक दूसरी समस्या खड़ी कर दी। 5 अगस्त 1965 को हजारों की संख्या में पाकिस्तानी घुमपैठिये सादा कपड़ों में आधुनिक शस्त्रास्त्र से लैस होकर काश्मीर में घुस आये। निस्सन्देह पाकिस्तान का यह

नाम भारत की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखण्डता का एक चुनौती था। अतः इसका जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा सन्तान पाकिस्तान से आये हुए इन घुसपट्टियों का सफाया करना आरम्भ कर दिया। युद्ध विराम रेखा को नाश कर वे सारे प्रवेश द्वार बन्द कर दिये जहाँ से होकर पाकिस्तानी हमनाबर काश्मीर में आ रहे थे। जवाब में पाकिस्तान ने 1 सितम्बर 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू के छम्ब क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने न केवल आधुनिकतम अमरीकी पटन टैंको तथा सबर जेट विमानों का प्रयोग किया अपितु हवाई हमलों में राकेटों तथा मिसाइलों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने न केवल युद्ध छेड़ने में पहल की बल्कि सघष को व्यापक रूप देने में भी उसी ने पहलकदमी की। विना हाकर भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने तथा पाकिस्तानी क्षेत्र में अपनी सेनाओं का प्रवेश कराने का फैसला किया।

लगभग तीन सप्ताह के घमासान युद्ध के पश्चात् 23-24 सितम्बर 1965 की रात्रि को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध के फलस्वरूप कारगिन से सिंध-बाल्थोर तक के मोर्चों पर युद्ध विराम के समय तक लगभग 700 वर्गमीटर पाकिस्तानी भूमि भारत के अधिकार में आ चुकी थी। कारगिन की चौकियों के अतिरिक्त टिथवान (20 वर्ग मील) और उडी-गुछ (200 वर्ग मील) क्षेत्र में भारत उस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुआ जिसे काश्मीर की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान में म्यानकोट (180 वर्ग मील) गहौर कसूर (140 वर्ग मील) जोर सिंध (150 वर्ग मील) क्षेत्र पर भी भारतीय सेनाओं का अधिकार हो गया।

कुछ भारतीय भूमि पर पाकिस्तान का भी अधिकार स्थापित करने में सफलता मिली। जम्मू के छम्ब जोरिया क्षेत्र में 190 वर्ग मील तथा खमकरण क्षेत्र में 20 वर्ग मील भारतीय इलाका पाकिस्तान के अधिकार में पहुँच गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने कुछ भूमि राजस्थान में भी अपने अधिकार में कर ली।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध में पतड़ा भारत का ही भारी रहा। यह बात इस तथ्य से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 50 टैंकों पर कब्जा कर लिया और लगभग 500 टैंकों को नष्ट कर लिया। सैनिक पयवक्षका के अनुसार पाकिस्तान की दो तिहाई बख्तरबंद सैन्य नुकाम हो गई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के 75 विमान जो पाकिस्तानी मार करने वाले विमानों के आघे से अधिक हैं भी नष्ट कर लिये।

इस सघष के समय सोवियत सघ एक ऐसा देश था जिसने भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन किया। सोवियत सघ जानता था कि भारत और पाकिस्तान का सघष जीपनिवशिक युग की एक विस्तार है उपनिवेशवादिक न अन्त वणित स्वायत्तों की प्रति के लिए न प्रदायवा को प्रोत्साहन दिया था जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में पारस्परिक शत्रुता एवं सघष के लिए भूमिका प्रस्तुत हुई थी। अतः सोवियत सघ ने इस शत्रुता का निराकरण करने के लिए भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्षाओं को तात्काल में एक दूसरे से इस सम्बन्ध में बात करने के लिए आमन्त्रित किया। पहल तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब ने इस निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया परन्तु बाद में वे इसे स्वीकार करने के लिए राजी हो गये। इस प्रकार जनवरी 1966 के पहले सप्ताह में सोवियत सघ के एक नगरतात्काल में दोनों देशों के शासनाध्यक्षा का एक सम्मेलन सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की समाप्ति पर 10 जनवरी 1966 को दोनों शासनाध्यक्षाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता तात्काल घोषणा के नाम से प्रख्यात है।

तात्काल घोषणा—इस घोषणा में बवल 9 अनुच्छेद हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) दोनों राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उन्हें अर्च्छ पक्षियों के सम्बन्ध कायम करने के लिए समुत् राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र के अनुसार पूरे प्रयत्न करने चाहिये। उन्होंने अपने

इस उत्तरदायित्व को भी स्वीकार किया कि वे अपने विवादों को सुलझाने के लिए ताकत से काम नहीं लेंगे ।

(ii) दोनों राज्यों के शासनाध्यक्ष इस पर राजी हुए कि दोनों देशों के सव सशस्त्र आदमी 25 फरवरी 1966 तक उन ठिकानों पर वापस लौट जायेंगे, जहाँ वे 5 अगस्त 1965 के पहले थे और दोनों देश युद्ध-विराम रेखा पर, युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करेंगे ।

(iii) दोनों राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार को रोकना चाहिए तथा ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके बीच मैत्री की सम्भावनाओं को विकसित करे ।

(iv) उन्होंने एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमति व्यक्त की ।

(v) दोनों राज्यों के शासनाध्यक्षों ने एक-दूसरे के साथ सामान्य राजनयिक सम्बन्धों को स्थापित करने पर भी सहमति प्रकट की ।

(vi) भारत के प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस पर भी सहमत थे कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सम्पर्क को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विचार करेंगे ।

(vii) उन्होंने एक-दूसरे के युद्ध-बन्धियों को रिहा करने को भी स्वीकार किया ।

(viii) उन्होंने शरणार्थियों, निष्कासितों तथा गैर-कानूनी बसने वालों की समस्याओं से सम्बद्ध प्रश्नों पर एक दूसरे से बातचीत जारी रखने की घोषणा की ।

(ix) दोनों शासनाध्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जिन मामलों का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है उन पर विचार के लिए दोनों पक्षों की सर्वोच्च एवं अन्य स्तरों पर बैठकें होती रहेंगी ।

भारत-पाक सम्बन्धों के इतिहास में ताशकन्द घोषणा के द्वारा एक नया मोड़ देने का प्रयास किया गया था । इसके द्वारा दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था कि वे भविष्य में किसी भी झगड़े को हल करने के लिए हथियार नहीं उठायेंगे और दोनों देशों के बीच सामान्य, शान्तिपूर्ण एवं पारस्परिक सहयोग के सम्बन्धों से जो वातावरण बनेगा, उससे ही वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे ।

1969 में पाकिस्तान में दूसरी सैनिक क्रांति हुई । याह्या ख़ाँ इस बार सत्तारूढ़ हुए । परन्तु पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में झगड़ा निरन्तर बढ़ता गया । पाकिस्तान बंगला देश की जनता को अपने अमानुषिक अत्याचारों का शिकार बना रहा था । अतः उससे बचने के लिए लगभग 1 करोड़ आदमी शरणार्थी के रूप में भारत आ गये । निस्सन्देह भारत की अर्थव्यवस्था पर यह बहुत बड़ा बोझ था । परन्तु भारत इस बोझ को बर्दाश्त करता रहा । उसे आशा थी कि विश्व लोकमत पाकिस्तान को नर संहार करने से रोकेंगे । इस सन्दर्भ में यह स्वाभाविक था कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी अधिक विगड़ते । फलतः 3 दिसम्बर 1971 को दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध आरम्भ हो गया । दो सप्ताह के युद्ध के पश्चात् बंगला देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया । इस युद्ध में पाकिस्तान को न केवल पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, उसे पश्चिम में भी भारी पराजय का सामना करना पड़ा । युद्ध में भारत ने 97000 पाकिस्तानी सैनिकों को बन्दी बनाया तथा सिन्ध, पंजाब और अधिकृत काश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में कर लिया । जैसा स्वाभाविक था, युद्ध में इस करारी पराजय के बाद पाकिस्तान में याह्या ख़ाँ की सरकार का पतन होता । उनके बाद जुट्टिफकार अली भुट्टो वहाँ के राष्ट्रपति बने ।

शिमला सम्मेलन के समक्ष समस्याएँ—सत्ता में आने के बाद भुट्टो के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह युद्ध में हारे हुए प्रदेशों को वापिस पा जाने की तथा युद्ध-बन्धियों की रिहाई की थी । इसके लिए यह परमावश्यक था कि वह भारत से बात करेंगे । फलतः जुलाई 1972 में

भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच गिमना में एक गिलख सम्मेलन आयोजित हुआ।

1971 के युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में बगला देग के रूप में एक नये प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य का उदय हुआ। जनमग्या की दृष्टि से वह इस क्षेत्र का दूसरा बड़ा राज्य था। अतः उसकी स्थापना के पश्चात् पाकिस्तान का दर्जा तीसरा हो गया। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा भारत की बराबरी के दर्जे की ग्वाज हास्यास्पद ही हो सकती थी। यही नहीं इस बीच में भारत और बगला देग के बीच अत्यधिक प्रगाट सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे तथा पाकिस्तान के पाम अतः वह क्षमता नहीं भी कि वह नयी दिल्ली और ढाका के सम्बन्धों में विगाड पदा कर सके।

उपयुक्त परिवर्तना से भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि बगला देग के अभ्युदय के उपरान्त स्वयं भारत का शक्ति के एक केन्द्र के रूप में उदय हुआ है। यह ठीक है कि महाशक्तियों की तुलना में भारत की शक्ति बहुत कम है परन्तु जहाँ तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है कोई भी महाशक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और भारत के बीच गिलख सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के समुल जो समस्याएँ प्रस्तुत था उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है सबसे पहला वे समस्याएँ थी जिनका जन्म दिसम्बर 1971 के युद्ध के कारण हुआ था दूसरे वे समस्याएँ थी जिनका सम्बन्ध दोनों राज्यों के बीच साधारण सम्बन्धों की स्थापना के साथ था। जहाँ तक पहली श्रेणी की समस्याओं का सम्बन्ध है उनके बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों देश एक-दूसरे के उन क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापिस बुलायें जिन पर उन्होंने युद्ध के समय अधिकार स्थापित कर लिया था। काश्मीर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस समस्या का समाधान कठिन नहीं था क्योंकि दोनों राज्यों के सीमान्त सामान्यतः सुपरिभाषित हैं। परन्तु यह बात काश्मीर के सम्बन्ध में इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जो पहली युद्ध विराम रेखा थी उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का स्तर प्राप्त नहीं था। वस्तुतः उसके लिए भी पाकिस्तान के नेताओं को उत्तरदायी माना जाना चाहिए क्योंकि जब नहरू जी ने यह प्रस्तावित किया था कि युद्ध विराम रेखा का धाँसे संधाधना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य मान लना चाहिए तो उस समय पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का ठुकरा लिया था। इस स्थिति में भारत सरकार के लिए देग की जनता को इस बात पर सहमत करना कठिन था कि अधिकृत काश्मीर के उस क्षेत्र से हमारी मनायें हटा जायें जिन पर दिसम्बर के युद्ध के फलस्वरूप भारत का अधिकार हो गया था। कानूनी दृष्टि से पाक अतिरिक्त काश्मीर भारत का अंग है इसलिए भारत कानूनी अथवा नैतिक दृष्टि से काश्मीर के उस भाग को पाकिस्तान को तोटाने के लिए बाध्य नहीं है जिसे उसने पाकिस्तान के गर-कानूनी अधिकार से मुक्त कराया है। यही नहीं इस क्षेत्र के जिन भागों को हमने अपने अधिकार में लिया है वह सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यथावत् में पिछले समय में पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र में अपने अण्ड बतारकर भारत पर आक्रमण किया है। अतः इन ठिकानों को पाकिस्तान को वापिस करने की बात उन लोगों को समझ में कभी भी नहीं आ सकती जिनके ऊपर देग की प्रतिस्था का उत्तरदायित्व है। युद्ध द्वारा उत्पन्न दूसरी समस्या का समाधान भी वास्तव में कोई आसान बात नहीं है क्योंकि अतिरिक्त युद्ध-बर्तियों को बगला देग में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भारत और बगला देग के उच्च सैनिक कमान के समक्ष हथियार डाले थे। जहाँ तक पश्चिमी माच पर गिरफ्तार किए गये बर्तियों का प्रश्न था उनकी रिहाई की समस्या का समाधान कर्त्त कठिन प्रश्न नहीं था। परन्तु पूर्वी माचों पर गिरफ्तार बर्तियों को बगला देग की सरकार को छोड़ कर लाना गिन नहीं किया जा सकता था। बगला देग में भी इन बर्तियों की समस्या इस आन्तरिक त्राव के साथ जुड़ी हुई है कि इन बर्तियों में से उन लोगों पर मुकद्दमा चलाया जाय जिन्होंने माच 1971 में तकर दिसम्बर 1973 तक बगला देग की जनता के विरुद्ध जबरन अपराध किए थे। अतः इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान वास्तव में बगला देग के

प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए राजी हों। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता प्रदान करे।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार लाने की समस्या वास्तव में पाकिस्तान-बंगला देश के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। भारत के नेता समस्या के इस पहलू से अवगत थे, इसकी अनुभूति पाकिस्तान के नेताओं को भी थी। परन्तु उनमें यथार्थ को स्वीकार करने के लिए उस साहस का अभाव था जिसकी आवश्यकता थी। वस्तुतः शिमला समझौता इस दुर्बलता से ग्रसित था। फिर भी शिमला समझौता सही दिशा में उठाया गया सही कदम था। इस समझौते के द्वारा दोनों पक्षों ने अपनी इस आकांक्षा को व्यक्त किया था कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी की भाँति रहना चाहते हैं। 25 वर्ष तक संघर्ष एवं तनाव के वातावरण में रहने के उपरान्त दोनों पक्षों द्वारा शिमला समझौते को स्वीकार करना निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।

शिमला समझौते की व्यवस्थायें—शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत-पाक सम्बन्धों से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम उसमें यह कहा गया था कि दोनों पक्ष अपने बीच पाये जाने वाले संघर्षों का अन्त करना चाहते हैं तथा वे अपने बीच ऐसे मैत्री एवं सद्भावना के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं ताकि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के आधार पर उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना हो सके। इस समझौते के द्वारा दोनों पक्षों ने सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की व्यवस्थाओं के अनुरूप यह प्रतिज्ञा की कि वे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए न तो बल-प्रयोग की धमकी देंगे और न कभी बल-प्रयोग करेंगे। अपने सम्बन्धों का साधारणीकरण करने के लिए उन्होंने यह निश्चित किया कि दोनों देशों के बीच डाक, तार व भूमि और वायु के संचार की सुविधायें फिर से आरम्भ की जायेंगी। समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों देश आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

दोनों पक्षों ने अपने बीच में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे अपनी सशस्त्र सेनाओं को अपने-अपने सीमान्तों तक वापिस बुला लेंगे। जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि दोनों पक्ष 17 दिसम्बर को हुए युद्ध-विराम के अवसर पर स्थापित नियन्त्रण रेखा का सम्मान करेंगे।

समझौते में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि दोनों देशों के नेता दुबारा फिर मिलेंगे, परन्तु इससे पूर्व उनके प्रतिनिधि ऐसे उपायों पर विचार करने के लिए तथा एक दूसरे से बात करने के लिए मिलते रहेंगे जिनसे उनके बीच सम्बन्धों को सुधारा जा सके।

शिमला समझौते का महत्त्व और उसकी कार्यान्विति—शिमला समझौते का विश्व की समूची शान्तिप्रिय एवं प्रगतिशील जनता ने स्वागत किया था। जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय यह आशा की जाती थी कि अब भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक नया मोड़ आयेगा और अब उस स्थिति का भी अन्त हो सकेगा जिसमें यद्यपि युद्ध तो नहीं होता, परन्तु जिसे शान्ति की सजा भी प्रदान नहीं की जा सकती। यह आशा निराधार भी नहीं थी क्योंकि यह पहला अवसर था जबकि दोनों देशों के नेता स्वतः इस इरादे से एक दूसरे से मिले थे ताकि वे द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकें। वस्तुतः समझौते में जो बातें कही गई थी, वे भी इसी बात का इशारा कर रही थी कि सम्भवतः उसके द्वारा तनाव एवं संघर्षों के दिनों का अन्त हो सकेगा तथा दोनों देश अच्छे पड़ोसी की भाँति रह सकेंगे। परन्तु समझौते के बाद अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत अधिक आशा नहीं बँधती।

भारत और चीन

भारत और चीन के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक समय में

भी जब 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीन को प्रति वचन मौखिक सहानुभूति प्रदर्शित की बल्कि अपनी सहानुभूति के प्रतीक के रूप में उसने एक डाक्टरी जत्था भी चीन भेजा। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई तो भारत ने नये चीन को तत्काल मायता दे दी और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उसे विश्व के अन्य राष्ट्रों से भी मायता मिल जाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की उस सदस्यता प्राप्त हो जाय।

1950 के जून में दोनों देशों के बीच एक छोटा सा मतभेद उस समय पैदा हो गया जबकि चीन ने तिब्बत को स्वतंत्र किया और वहाँ अपनी सत्ता को बलपूर्वक स्थापित किया। यद्यपि भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता को कोई चुनौती नहीं दी तथापि उसका कहना था कि इस प्रश्न का गतिपूर्ण हल खोजने का प्रयत्न किया जाना चाहिए था। 1954 में तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। इस समझौते में उभयपक्षों ने यह घोषणा की कि वे इन सिद्धान्तों के आधार पर अपने पारस्परिक सम्बन्धों का परिचालन करेंगे। परन्तु योही ही दिनांक बाद दोनों देशों के बीच फिर से मतभेद पैदा होने लगे। 1956 से लेकर 1959 तक तिब्बत के खम्पा लोगों ने चीनी आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। चीनी सना ने विनाहिया का दमन करने के लिए सय वन का प्रयोग किया। फलन हज़ारों तिब्बतवासियों तथा दलाईलामा को तिब्बत छोड़ने और भारत में आकर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें शरण और सहायता दी। चीन ने भारत सरकार के इस काम को पसन्द नहीं किया।

1956 में चीन ने नद्दाख के एक भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। भारत ने जब इसका विरोध में चीन को पत्र लिखा तो चीन ने इसका उत्तर में यह लिखा कि उसने जिस क्षेत्र पर अधिकार किया है वह चीन का भाग है भारत का नहीं। इसी काल में नद्दाख का अक्साई चिन क्षेत्र में चीन ने एक सड़क भी बना ली। उही दिनांक सूचनाय भी प्राप्त हुई कि चीनी सना टुकड़ियाँ ने नेपा प्रवेश में भी घुसने के प्रयत्न किये परन्तु चीन ने भारत पर उम्मा यह आरोप लगाया कि भारतीय सना के दस्ता ने भारत तिब्बत सीमा पर तिब्बतियों के सहयोग से चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार स्थापित कर दिया है। इसी समय चीन ने कुछ नवगण प्रकाशित किये जिसमें भारत की सीमान्तों पर स्थित भागों का चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया था। इस स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि दोनों देशों के बीच मतभेदों में उग्रता आ जाती। जब भारत ने चीन से इन बातों की गिरावट की तो चीन ने कहा कि भारत और चीन की सीमाओं का ठीक से निर्धारण नहीं हुआ है। भारत सरकार का इसका उत्तर में यह कहना है कि दोनों देशों के बीच की सीमा बहुत पुराने समय से निर्धारित है। मकमूलन रखा एक ऐतिहासिक सीमा है। चूँकि चीन को भारत का यह दृष्टिकोण माय नहीं था और सीमा पर उसके अतिक्रमण जारी थे अतः भारत को अपनी उत्तरी सीमा पर सुरक्षात्मक कदमों को उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

दिसम्बर 1959 में भारत सरकार ने सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव चीन के समुख रखे परन्तु चीन की सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भारत इस समय इस बात पर बल दे रहा था कि सीमा विवाद को वार्ता द्वारा हल किया जाय और वार्ता की सफलता के लिए चीन भारतीय सीमा से अपनी सैनिक टुकड़ियों को हटा ले। समस्या का समाधान पाने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने सरकारी अधिकारियों का एक एक अध्ययन दल नियुक्त किया। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार चीन अपने दावों को न्यायोचित सिद्ध करने में असफल रहा है। इस बीच में चीन ने नेपाल और बर्मा के साथ अपने सीमा विवादों का हल करने के लिए समझौते किये तथा उसने पाकिस्तान से भी कहा कि अधिकृत काश्मीर के गिनगिन प्रदेश में पाक-चीन सीमा को ठीक से निर्धारित कर लिया जाए। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत ने काश्मीर के किसी भी भाग पर पाकिस्तान के अधिकार को मायता नहीं दी है। अतः चीन का यह काम निश्चय ही भारत विरोधी था। इस पृष्ठभूमि में भारत के लिए अपनी सीमा-सुरक्षा

की व्यवस्था को दृढ़ करना आवश्यक हो गया ।

20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने लद्दाख व नेफा दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया । भारत सरकार इस आक्रमण के लिए तैयार न थी । इसके अनिरीक्त भूगोल भी चीन की सहायता कर रहा था । अतः युद्ध में चीन का पलड़ा ही भारी रहा ।

चीन के इस आक्रमण से एशिया और अफ्रीका के देशों को विशेष रूप से कष्ट पहुँचा था । अतः एशिया के इन दोनों महत्त्वपूर्ण देशों के बीच पाई जाने वाली इस स्थिति का अन्त करने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री की पहल पर कोलम्बो में बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इण्डोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों का 10 से 12 दिसम्बर तक एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत-चीन संघर्ष पर विचार किया गया । 19 जनवरी 1963 को कोलम्बो प्रस्ताव प्रकाशित किये गये जिनमें निम्न बातें कही गई थी—

(1) पश्चिमी क्षेत्र में चीनी अपनी सैनिक चौकियों को 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और भारतीय सरकार अपनी सेना को वर्तमान स्थिति में रखे ।

(2) जब तक सीमा-विवाद का अन्तिम हल न निकले चीनी सेनाओं द्वारा खाली किये गये प्रदेश में दोनों ओर एक-दूसरे की सहमति पर नागरिक चौकियाँ स्थापित की जायें ।

(3) पूर्वी क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्यता-प्राप्त यथार्थ नियन्त्रण की रेखा युद्ध-विराम रेखा के रूप में मानी जाय ।

(4) मध्य क्षेत्र के विषय में यथास्थिति को कायम रखा जाय ।

भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परन्तु चीन सरकार ने ऐसा नहीं किया । चूँकि दोनों ही पक्ष इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी स्थिति को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, अतः समस्या जहाँ थी वही बनी रही ।

1962 के बाद भारत के समक्ष शत्रुतापूर्ण आचरण करने वाले दो पड़ोसियों की समस्या हमेशा से रही है । इन दोनों पड़ोसियों में भारत की सुरक्षा के लिए चीन का खतरा पाकिस्तान के खतरे की अपेक्षा कहीं अधिक है । आखिर चीन भारत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, जबकि पाकिस्तान भारत की अपेक्षा एक दुर्बल राष्ट्र है । पिछले वर्षों में भारतीय विदेश-नीति की एक प्रमुख समस्या भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान का गठ-बन्धन रही है । इस गठ-बन्धन के अनेक उदाहरण हैं । 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार पाकिस्तान ने अधिकृत काश्मीर का एक भाग चीन को दे दिया । 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय चीन ने भारत को एक अल्टीमेटम दिया तथा 1971 में चीन ने बंगला देश में पाकिस्तान की नृशंस कार्यवाहियों का समर्थन किया तथा भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान को अपना राजनीतिक समर्थन दिया । उसने पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के प्रवेश का विरोध किया है । यथार्थ में चीन भारत को एक शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में नहीं देखना चाहता ।

1971 के युद्ध के पूर्व यह लगता था कि भारत और चीन के बीच शायद पारस्परिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई बातचीत हो । परन्तु इस युद्ध के समय चीन ने जो दृष्टिकोण अपनाया उसके बाद इस आशा पर तुषारापात हुआ है । फलतः जो गतिरोध 1962 में पैदा हुआ वह आज भी पूर्ववत् कायम है ।

एशिया के अन्य राज्यों के साथ भारत के सम्बन्ध

पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों में मुख्य नेपाल, बर्मा, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान हैं । भारत के समीप ही दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है । अतः स्वाभाविक रूप से इन राज्यों के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने में भारत की रुचि है ।

पश्चिमी एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं । 1958

म भारत के राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की थी उस समय स एशिया के य दाना देग एक दूसरे क समीप आय हैं। 1969 म प्रधानमंत्री इतिरा गांधी भी जापान गई थी। वस यात्रा क फलस्वरूप दाना देगा के बीच जायिक सहयोग म वृद्धि हुई है।

टर्की और ईरान को ट्रोडकर पश्चिमी एशिया क अय सभी रायो के साथ भारत क सम्बन्ध श्रत्यधिक मत्रीपूण रह है। नहरू जी क अरब राष्ट्रवाद के सुपरिचित नेता नासिर के साथ घनिष्ठ मत्री थी। दाना नताजा का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण मूलत उपनिवगवाद विरोधी था। अत यह स्वाभाविक ही था कि उनक नवृत्व म उनके रायो के बीच भी सौहादपूण सम्बन्ध हा। 1967 क अरब इजराइन सघष म भी भारत की सहानुभूति अरब देगो क साथ थी। परंतु 1969 मे रवात म जब इस्लामिक शिखर सम्मेलन हुआ ता पाकिस्तानी प्रभाव म आकर अरब देगा ने भारत को उस सम्मेलन म भाग नहीं लेन दिया। वसमे भारत को निश्चय ही एक धक्का लगा। वसके उपरांत 1971 के भारत पाक सघष म अरब देगो ने पूण रूप स चुप्पी साध ली। बगना देग म पाकिस्तान द्वारा बरते गये अत्याचारा के विरोध म भी उहाने कुछ नहीं कहा। भारत के लिए अरब राज्या का यह आचरण अप्रत्यागित था। स्वतंत्र बगना देश की स्थापना तथा युद्ध म पाकिस्तान की पराजय के उपरांत प्रगतिशील अरब रायो ने अपने इस आचरण की सफाई लेने की भी कोशिश की थी। किंतु स्पष्टत यह सफाई सतोपजनक नहीं थी।

भारत और ब्रिटेन

स्वतंत्रता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच सम्बन्ध म महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन क फलस्वरूप दोना रायो के बीच सद्भावना और मत्री क सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। स्वतंत्र होने क बाद भारत ने राष्ट्रमण्डल के साथ अपने सम्बन्धो को कायम रखा उसन ब्रिटेन के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धो को भी पहन जैसे ही बनाय रखा। भारत स्टॉनग क्षत्र का सदस्य है तथा उसकी मुद्रा ब्रिटिश पौण्ड के साथ सम्बद्ध है। जपन जायिक विकास की योजनाआ मे भी भारत को ब्रिटेन से पर्याप्त मात्रा म सहायता प्राप्त हुई है।

परंतु वसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि भारत ने ब्रिटेन के सभी कामा का समर्थन किया है। सच बात यह है कि प्रावश्यकता पडन पर भारत न ब्रिटेन को अपनी आलोचना का शिमार बनाया है। उदाहरण के लिए 1956 म स्वेज नहर के सक्क के दौरान भारत सरकार ने ब्रिटिश कायवाही की कट गब्दो म आलोचना की थी। काश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन न सन्व से पाकिस्तान क पक्ष का ही समर्थन किया है वससे भी भारत और ब्रिटेन के बीच मन मुटाव पदा हुआ है। इसी प्रकार गोघ्रा को पुतगाली दासता स मुक्त कराने के लिए जब भारत ने सनिक कायवाही की तो उस समय भी उसे ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन के बीच सामायत अछे सम्बन्ध पाय जाते है तथापि एस अनक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हैं जिन पर दोना रायो के बीच गम्भीर मतभेद पाय जात है।

उपमहारा

गत 25 वर्षों म अन्तर्राष्ट्रीय एव क्षत्रीय वातावरण म स्वस्थ परिवर्तन हुए हैं। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देग अपनी अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुक हैं। आज समाजवादी विश्व पहले की अपेक्षा बड़ी अधिक गतिशील है तथा आज पश्चिम के देग उस स्थिति म नहीं है जिससे व ससार की गति को कोई खतरा पहुँचा सक। आज के ससार के सामुख जो सबसे बड़ी समस्या है वह सम्पन्न और विपन्न राष्ट्रों के बीच की खाई को पाटन की है। आज विश्व क छोटे और गरीब राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रीय प्रभमत्ता की रक्षा क प्रति बहुत अधिक सजग हैं अत वने राष्ट्र उह दरा धमका कर उनसे जा चाह बह नहीं करा सकते। पिछन वर्षों म गति क गय कर्ता का उदय हुआ है फलत विश्व राजनीति क द्वाँच म अपक्षित परिवर्तना क अभ्युदय की प्रक्रिया

आरम्भ हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय वातवरण में हुए इन परिवर्तनों के साथ दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पाकिस्तान का उसके स्वयं के अपने बोझ से पतन हो चुका है प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य के रूप में वगला देश के अभ्युदय से भारतीय उप-महाद्वीप की राज्य-प्रणाली में एक मौलिक अन्तर आया है। आज भारत इस क्षेत्र के दूसरे बड़े राज्य के साथ मैत्री सम्बन्धों के बारे में आश्वस्त है।

1971 के युद्ध ने दक्षिण एशिया में उस कृत्रिम शक्ति-सन्तुलन का भी अन्त कर दिया है जिसे पहले तो पश्चिमी देशों ने, विशेषतः अमरीका ने स्थापित किया था। बाद में उसकी स्थापना में चीन से भी सहयोग किया था। अब उस प्रकार के शक्ति-सन्तुलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज भारत अधिक सुरक्षित वातावरण में रह रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली में पिछले वर्षों में परिवर्तन हुए हैं उनको जन्म देने में भारत की निस्सन्देह भूमिका रही है। जिस प्रक्रिया के द्वारा भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई उसने उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करने में एक बड़ा योगदान दिया। उसकी गुट-निरपेक्षता की नीति विश्व के नये राष्ट्रों को आकर्षक प्रतीत हुई। इसके फलस्वरूप पश्चिमी शक्तियों के तत्वावधान में वह साम्राज्यवादी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी जो द्वितीय महायुद्ध के पहले पायी जाती थी। उसने विश्व शान्ति उस समय कायम रखने में सहायता दी जबकि विश्व युद्ध को आरम्भ करने की क्षमता केवल महाशक्तियों तक ही सीमित थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने समाजवादी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये। यह बात निस्सन्देह है कि यह मैत्री विश्व राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन एवं अभिकरणों में भाग लेने की आवश्यकता को स्वीकार करके भारत ने विश्व शान्ति की सम्भावनाओं को मजबूत बनाया है। यद्यपि भारत की विदेश नीति शान्ति को अपना लक्ष्य मानकर चलती है तथापि पिछले वर्षों में उसे अनेक बार युद्ध लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यदि गोआ पर पुर्तगाली शासन न होता, यदि पाकिस्तान एक ऊल-जलूल राज्य न होता, यदि चीन भारत का पड़ोसी राज्य न होकर वहाँ स्थित होता जहाँ ब्राजिल है, तो सम्भवतः भारत उन युद्धों से बच जाता जो उसे पिछले वर्षों में लड़ने पड़े हैं। भारत को पाकिस्तान के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। यथार्थ में पाकिस्तान का विघटन तो स्वयं पाकिस्तान के जन्म में ही सन्निहित था। भारतीय विदेश नीति चीन विरोधी भी नहीं है। वस्तुतः पिछले वर्षों में चीन ने ही भारत विरोधी दृष्टिकोण को अपनाया है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति के क्षेत्र में पिछले वर्षों में भारत की जो उपलब्धियाँ रही हैं उनके ऊपर भारतवासियों को गर्व करने का उचित अधिकार है। आज का अन्तर्राष्ट्रीय समाज 1946 के अन्तर्राष्ट्रीय समाज की अपेक्षा अधिक न्यायपूर्ण है और जैसा कहा चुका है इस स्थिति को लाने में भारत की भूमिका निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण रही है।

प्रश्न

- 1 भारत की विदेश नीति के मूल तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
- 2 क्या 'तटस्थता' और 'गुट निरपेक्षता' एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं ? भारत की विदेश नीति के सदम में समावेश है।

GOVERNMENT COLLEGE LIBRARY
K O T A . (Raj.)
